







आश्रमके समर्पणकी चर्चा-सभामें (पृष्ठ ६८)

# सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

५६

(१६ सितम्बर, १९३३ - १५ जनवरी, १९३४)



प्रकाशन विभाग  
सूचना, और प्रसारण मन्त्रालय  
भारत सरकार

जनवरी १९७४ (माघ १८९५)

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९७४

कापीराइट  
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली-१ द्वारा प्रकाशित  
और शान्तिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

## भूमिका

इस खंडमें चार महीनों (१६ सितम्बर, १९३३ से १५ जनवरी, १९३४ तक) की जिस अवधि को लिया गया है, उसके दौरान गांधीजी कानूनी तौरपर एक स्वतन्त्र व्यक्ति थे, क्योंकि उन्हें २३ अगस्त को बिना शर्त रिहा कर दिया गया था। लेकिन ४ अगस्त, १९३३ को उन्हें एक सालकी कैद की जो सजा दी गई थी, उसकी मियाद पूरी होनेतक वह अपने-आपको एक कैदी ही मानते रहे। उन्होंने इस अवधिमें पूरी ईमानदारीके साथ अपने-आपको हर प्रकारके राजनीतिक कार्यसे अलग रखा और सविनय अवज्ञा आन्दोलनको आगे बढ़ानेकी कोई कोशिश नहीं की। लेकिन अस्पृश्यताके विरुद्ध अपने आन्दोलनका संचालन करने और आश्रममें तथा अन्य स्थानोंपर रचनात्मक कार्योंका मार्ग-निर्देशन करनेमें उन्होंने पूरी स्वतन्त्रतासे काम लिया। अस्पृश्यताके विरुद्ध सतत आन्दोलन करते रहनेकी उनकी आन्तरिक विवशताको सरकार, यहाँतक कि उनके राजनीतिक सहयोगी भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। उनकी यह आन्तरिक विवशता उनके इस दृढ़ विश्वासपर आधारित थी कि जिस प्रकार १८३३ में दास-प्रथाका अन्त कर दिया गया था, उसी प्रकार और उसी अर्थमें अस्पृश्यताको भी १९३२ में बम्बईमें मदनमोहन मालवीयजी की अध्यक्षतामें होनेवाले हिन्दू-समाजके प्रतिनिधियोंके सम्मेलनमें समाप्त कर दिया गया था। उनका यह विश्वास भी था कि "गम्भीरतासे की हुई इस प्रतिज्ञाका समुचित पालन करनेके लिए कमसे-कम एक व्यक्ति है जिसका जीवन बन्धकके रूपमें रखा हुआ है" (पृष्ठ ९४)।

गांधीजी इस समय जिस प्रकारके आत्मधारित अनुशासन और जिस प्रकारकी प्रबल क्रियाशीलताका परिचय दे रहे थे, उसके कारण स्वभावतः उनके अनुयायियों और उनके आलोचकों में बहुत ज्यादा गलतफहमी उत्पन्न हुई। कांग्रेस पार्टीके नेताके रूपमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरूको मुखतारनामा दे दिया था। उदाहरणके लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके कार्यके लिए उन्होंने नरीमनको जवाहरलालसे बात करनेकी सलाह देते हुए कहा कि वह "मेरे राजनैतिक मुखिया" है। जवाहरलालसे उन्होंने यह स्वीकार किया कि "मैं तो पूरी तरह बदनाम हूँ, कि मैं एक धार्मिक सनकी हूँ और मुख्यतः एक समाज-सेवक हूँ" (पृष्ठ १७५)। जब उनपर यह आरोप लगाया गया कि वह हरिजन-आन्दोलनका उपयोग सविनय अवज्ञा आन्दोलनको मजबूत

छः

वनानेके लिए कर रहे हैं, और यह कि वह हरिजन-आन्दोलनकी खातिर सविनय अवज्ञा आन्दोलनको छोड़ दे रहे हैं, तब वह केवल यही कह सके कि "मैं दो प्रकारके संकटोंके बीच फँसा हुआ हूँ। काग्रेसी मुझपर यह आरोप लगाते हैं कि मैंने अस्पृश्यता-निवारणार्थ इस तूफानी अभियानको शुरू करके सविनय अवज्ञा आन्दोलनका अहित किया है। जो लोग मुझपर कोई गुप्त मंशा रखनेका सन्देह करते हैं वे मुझ पर सविनय अवज्ञा आन्दोलनको मजबूत बनानेका आरोप लगाते हैं। . . . यह तो अत्यावश्यक धार्मिक पुकार है जिसका कि मैं अनुसरण कर रहा हूँ" (पृष्ठ ३६०)।

विट्टलभाई पटेलकी अत्येष्टिके समय उनकी अनुपस्थितिक का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने मथुरादास त्रिकमजीसे अनुरोध किया कि आप मुझसे चितामे आग देनेका आग्रह न करें: "मेरा मन बाहरकी चीजोंमें जाता ही नहीं है; जेलमें ही रहता है। मैं येन-केन प्रकारेण हरिजन-यात्रा भर कहूँगा। इसके अलावा मैं अन्य चीजोंपर कदाचित् ही कोई विचार करता हूँ" (पृष्ठ १६९)। उन्हें मणिवहन पटेलको समझाना पड़ा कि "हरिजन-कार्यकी खातिर ही मैं [जेलसे] बाहर हूँ, यह केवल सरकार या जनताको कहनेके लिए नहीं, परन्तु मेरे हृदयमें भी यही चीज है" (पृष्ठ २३४)। सविनय अवज्ञामें भाग न ले सकनेके कारण वह "पंखविहीन पक्षीके समान" थे (पृष्ठ २३८)। गोरधनभाई पटेलको एक पत्र लिखकर उन्होंने यह स्पष्टीकरण किया: "विट्टलभाई और मेरे बीच जो मतभेद था उसका मेरे न आनेके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। मेरे न आनेका कारण तो मेरी आजकी परिस्थिति ही थी" (पृष्ठ २६५)।

आतंकवादियोंके वारेमे गांधीजीका कहना था कि उनकी "हिंसा . . . असंगठित, उन्मादपूर्ण और सर्वथा अप्रभावकारी है" (पृष्ठ ८८), किन्तु उन्होंने अपने अंग्रेजी मित्रोंकी इच्छा अमान्य करते हुए आतंकवादियोंकी निन्दा करनेसे यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं सरकारका यह जवाबी आतंकवाद रोकनेमें भी तो असमर्थ हूँ जो मेरी रायमें "ज्यादा शरारतपूर्ण होता है, क्योंकि यह संगठित होता है और सारी जनताको भ्रष्ट कर देता है" (पृष्ठ ३६)।

उपवासके कारण गांधीजी बहुत कमजोर हो गये थे, और २३ अगस्तके संकटके बाद उन्हें डाक्टरोंकी यह आज्ञा माननी पड़ी कि वह छः सप्ताह पूरा विश्राम करें। तथापि ७ नवम्बरको उन्होंने हरिजनोके हितार्थ अपना 'तूफानी' दौरा शुरू कर दिया। इस सिलसिलेमें उन्होंने मध्य भारत, आन्ध्रदेश, तमिलनाडु, मैसूर और केरलकी यात्रा की। इस दौरेके मध्य वह थोड़े समयके लिए दिल्ली आये जहाँ उन्हें हरिजन सेवक संघके केन्द्रीय मण्डलकी बैठकमें भाग लेना था, और इसी मौकेपर

उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और आचार्य कृपालानी आदि कांग्रेसी नेताओंसे मन्त्रणा भी की।

अहमदाबादमें सर चिन्नुभाई माधवलालकी एक मूर्तिका अनावरण करते हुए गांधीजीने अपनी यह हार्दिक अभिलाषा व्यक्त की कि "अपने देशमें अमीर और गरीबके बीचमें संघर्ष न हो, कलह-क्लेश न बढ़े और दोनों ही अपने-अपने धर्मको समझकर उसका पालन करते रहें" (पृष्ठ १४)। हरिजन-कार्यके सिलसिलेमें उन्होंने जो-कुछ भी किया और कहा, उसके पीछे भी संघर्षको बचानेकी चिन्ता और लोगोको अधिकारोंकी अपेक्षा कर्तव्योंका ध्यान दिलानेका उद्देश्य ही रहा। वह एक साथ सुधारको, सनातनियो और हरिजनो, सभीकी सेवा करना चाहते थे (पृष्ठ १५२)। उन्होंने हरिजनोंसे दृढचरित्र और निस्स्वार्थ बननेको कहा और सवर्ण हिन्दुओंको बताया कि उनका कर्तव्य है कि वे अस्पृश्यताके अभिशापसे अपनेको मुक्त करें। उनका दृढ विश्वास था कि हरिजनोका उद्धार अन्ततः अन्दरसे ही हो सकता है (पृष्ठ १)।

हरिजनोद्धारके कामके सिलसिलेमें उन्होंने किसी गुटको नाराज नहीं किया, बल्कि इस बातकी कोशिश की कि सनातनी, सुधारक और हरिजन तथा समान्यजन, इन सभी वर्गोंके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करें। पंडित लालनाथ जैसे बराबर कठिनाई पैदा करनेवाले सनातनियोके साथ भी उन्होंने कभी अपना धीरज नहीं छोड़ा और तनिक भी असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं की। उनकी सभाओंमें उपस्थित होनेवाली भारी भीड़ और पर्याप्त धन-संग्रह इस बातके पर्याप्त प्रमाण थे कि उन्हें अपने काममें सच्चा लोक-समर्थन प्राप्त है, पर उनका एकमात्र उद्देश्य विरोधियोंके दिलोंको जीतनेका था। "हम तो नम्रतम शब्दोंमें अनुनय-विनय करके उन्हें अपने पक्षमें करना चाहते हैं, उनके दिल और दिमागपर विजय पाना चाहते हैं" (पृष्ठ २०६)। कट्टरपंथी पंडितोंने गांधीजीकी सफलतासे क्रुद्ध होकर उन्हें तरह-तरहकी गालियाँ दी, लेकिन जब गांधीजीने उपनिषदों और 'रामायण' के इस मुख्य सन्देशकी दुहाई दी कि "केवल ईश्वर ही सत्य है, और ईश्वरके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति, कोई चीज नहीं है" (पृष्ठ ४२६), तो इसका विरोध ये पंडित भी नहीं कर सके, क्योंकि सिद्धान्त रूपमें ही सही, उनके और सामान्य लोगोके मनमें इस मूल सत्यका जबर्दस्त महत्त्व था। वस्तुतः गांधीजीका दावा था और सही भी था कि उन्होंने मैत्रीपूर्ण चर्चाओंके जरिये काफी-कुछ गलतफहमी दूर कर दी थी और अपने विरोधियोंको अपना समर्थक बना लिया था। गांधीजीने कहा: "लोगोके दिलो-दिमागतक अपनी बात पहुँचानेकी कोशिश करनेके अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। और मैं जिस सुधारकी बात करता हूँ वह सुधार केवल करोड़ों हिन्दुओंके हृदय-परिवर्तनसे ही हो सकता है" (पृष्ठ ४९६)।



गांधीजीका कहना था कि "मैं अपनेको सनातनी तथा सुधारवादी, दोनों मानता हूँ। हरिजनोके प्रति एक सवर्ण हिन्दू अधिकसे-अधिक जितना सद्भाव रख सकता है, मैंने वैसा सद्भाव पैदा करनेका प्रयत्न किया है। . . . मैं भी चीजोंको हरिजनोंकी आँखोंसे देखनेका तथा यह जाननेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि उन लोगोके मनमें क्या-कुछ विचार चल रहे हैं" (पृष्ठ २२५)। आर्थिक प्रगति हो या सामाजिक सुधार, गांधीजीके सारे दर्शनमें हरिजन मनोवृत्ति छाई हुई थी और वह जो-कुछ भी सोचते थे, गाँवोंमें रहनेवाले करोड़ों लोगोंको ध्यानमें रखकर सोचते थे। गरीबसे-गरीब आदमीकी खुशीमें उनकी खुशी थी और ये गरीब लोग जी सकें तभी वे भी जीना चाहते थे (पृष्ठ १५५)। उन्होंने राजकुमार कॉलेजके अभिजात-वर्गीय छात्रोंको चेतावनी देते हुए कहा: "अगर आप भारतके गरीबोंकी पीड़ाको समझना न सीखेंगे तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है" (पृष्ठ ३००)। गांधीजीको मेहनत-मजदूरी करनेवाले गरीबोंके बीच रहने और खाने-पीनेका अनुभव था, और इस अनुभवने उन्हें मद्य-निषेधका कट्टर समर्थक बना दिया था। उन्होंने कहा: "मैं स्वैच्छिक मद्य-त्यागकी बात नहीं करता। मैं तो पूर्ण रूपसे मद्य-निषेधके पक्षमें हूँ" (पृष्ठ ४७१)।

गांधीजीका कहना था कि शुद्धीकरणके आन्दोलनमें स्वयं हरिजनोंको "सम्मानजनक और मूल्यवान भूमिका अदा करनी होगी" (पृष्ठ ४०७)। सुधार-कार्योंमें लगे कार्य-कर्त्ताओंके लिए उनकी सलाह थी कि वे तर्क-वितर्कपर निर्भर न करें बल्कि शुद्धता और चरित्र-बल पर भरोसा करें। उन्होंने उनसे स्पष्ट कह दिया: "यदि आपके पास चरित्र-गुण ही नहीं है तो फिर स्वाभाविक है कि लोग आपपर किसी प्रकारका यकीन नहीं करेंगे। आपको जन-साधारणके हृदयको स्पन्दित करना होगा, जन-साधारणके हृदयको बदलना होगा। . . . जनता वहस नहीं करेगी। . . . वे प्रामाणिक चरित्र-वाले आदमी हैं तो जनता उनकी बात सुन लेगी" (पृष्ठ ३७६)। मद्रासमें उन्होंने छात्रोंसे कहा कि हरिजनोंकी सेवा करके वे एक तरहसे दोहरी क्रान्ति लायेंगे—एक तो हरिजनोके जीवनमें, और दूसरे खुदके जीवनमें" (पृष्ठ ३७७)।

सत्यकी एकता और निष्ठापूर्वक धारित और आचरित सत्यकी सर्वव्यापक शक्तिमें उनकी इतनी प्रबल आस्था थी कि उनका विश्वास था कि अस्पृश्यता-निवारण मात्रसे वर्गों और जातियोंके बीचके सारे झगड़े, हिन्दू-मुसलमानों और पूंजी तथा श्रमके बीच के सारे विवाद समाप्त हो जायेंगे (पृष्ठ ३११)। उनका कहना था कि चूँकि अस्पृश्यता-निवारणका कार्य मूलतः मानवतावादी और धार्मिक कार्य है, अतः उनका जीवनके सभी पहलुओंपर असर पड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म तो जीवनके सभी अंगोंका संचालन करता है (पृष्ठ ४०१)। इसीलिए इस आन्दोलनके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य न होते हुए भी इसके राजनीतिक परिणाम होंगे, यह निश्चित है। उन्होंने

कहा : “धर्म मानकर किये गये किसी कार्यके अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम होते हैं। ‘पहले ईश्वरका साम्राज्य प्राप्त करो, उसके बाद सभी चीजें तुम्हें मिल जायेगी’, यह कथन मेरे विचारमें एक वैज्ञानिक सत्य है” (पृष्ठ ३३८)। नागपुरकी एक सार्वजनिक सभामें उन्होंने कहा कि मेरा समस्त जीवन धर्मसे संचालित है। मेरी राजनीतिका मूल भी धर्म ही है (पृष्ठ २१३)।

उन्होंने यह बात बहुत स्पष्ट शब्दोंमें कही कि “मेरी राष्ट्रियताकी भाँति ही मेरा हिन्दुत्व भी सम्पूर्ण मानवतासे अलग या मानवताके किसी अंगके हितोके प्रतिकूल नहीं है” (पृष्ठ ३४३)। वस्तुतः मैं अपने हरिजन-कार्यके द्वारा सभी जातियोंकी सेवा करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। “ये सभी एक विशाल परिवारकी शाखाएँ हैं। मैंने हिन्दू-शाखामें एक ऐसा रोग देखा है जिसे यदि समय रहते दूर नहीं किया गया तो वह सारे कुटुम्बमें फैल जायेगा और उसे नष्ट कर देगा” (पृष्ठ २९२) हर धर्मकी रक्षा और विकासके लिए उस धर्मके माननेवालोको बराबर तपस करते रहेना होगा (पृष्ठ ६३)। सभी धर्म पुकार-पुकार कर कहते हैं कि “धर्मकी रक्षा केवल तपश्चर्या द्वारा ही हो सकती है” (पृष्ठ ४८८)। अस्पृश्यताके इस काले घबरेकी ओर संकेत करते हुए कालीकटमें उन्होंने बिशप हेबरकी इस उक्तिकी ओर लोगोंका ध्यान दिलाया कि “केवल मनुष्य ही धिनौना है” और हिन्दुओंको चेतावनी दी कि “हम यदि प्राचीन ऋषियों द्वारा छोड़ी गई अमूल्य निधियोंके अयोग्य प्रतिनिधि सिद्ध हुए तो वैसी स्थितिमें हिन्दू-धर्म” भी “आसन्न विनाशसे” नहीं बच सकेगा (पृष्ठ ५१६)।

गांधीजीने सत्यकी खोज पुस्तकमें नहीं बल्कि मनुष्योंके हृदयमें, ठोस स्थितियोंमें करना सीख लिया था, उन्होंने मनुष्यके हृदयमें दिखाई पड़नेवाले सत्यको पहचानना, और हर व्यक्तिकी स्वतन्त्रताका सम्मान करना भी सीख लिया था। “किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि सत्यको जैसा वह समझता है, दूसरेको उसके अनुसार ही कार्य करनेके लिए मजबूर करे” (पृष्ठ २२६)। वह स्त्रियोंके लिए विचार और कार्यकी पूर्ण स्वतन्त्रताके अभिलाषी थे। आश्रमकी महिलाओंके लिए उनका सन्देश था : “रासकी कूचके आयोजनके समय भले ही जो-कुछ विचार किये गये हों और प्रतिज्ञाएँ की गईं हो, पर अब सारी बहनोंको नये सिरेसे स्वतन्त्र रूपसे विचार करके जो निर्णय करना हो, करे। . . . कोई किसीपर जोर न डाले। सब लोग अपना-अपना विचार कर ले, यही धर्म है। सब लोग अपनी इच्छा और शक्तिके अनुसार चले। मैं तो अनायास ही जेलके बाहर हूँ” (पृष्ठ ५१९)। मणिलाल और सुशीला गांधीको भी उन्होंने इसी भावनासे लिखा : “मैं तो आज हूँ और कल नहीं। अपने बलसे ही तू करे, यही बात शोभाजनक है। . . . अपूर्ण पिताके संरक्षणमें शान्तिकी

खोज करनेकी अपेक्षा पिताके पिता अर्थात् पूर्ण परमेश्वरके संरक्षणमें शान्तिकी खोज कर। इससे तू बलवान बनेगा। तुझे मेरी यह शिक्षा है” (पृष्ठ २२८)। विभिन्न घर्मों या विभिन्न संस्कृतियोंके लोगोंके बीच परस्पर विवाहके प्रश्नपर अपने एक विदेशी अनुयायीको अपने विचार बतानेके बाद उन्होंने यह चेतावनी भी जोड़ी: “मैं तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारे हृदयको गुलाम बनानेका अपराध कभी नहीं करूँगा। मैं अपूर्ण हूँ, और मैं अपनी गलतियोंमें तुम्हें अपना भागीदार नहीं बनाना चाहता” (पृष्ठ २४५)। उन्हें गलती करनेकी सम्भावनाका अहसास था और वह सारी मानवताके साथ, जिसमें पापी और सन्त सभी शरीक थे, तादात्म्यकी भावना का अनुभव करते थे। इसी कारण वह रामनामको फूट डालनेवाली अहंकारकी भावना और सत्कार्य करनेकी दुर्बल इच्छा-शक्ति दोनोंका सबसे प्रभावकारक उपाय मानते थे। उनका कहना था कि “रामनाम निर्दोष और निरोगी व्यक्तिके लिए नहीं बरन् हम जैसे दोषपूर्ण और व्याधिग्रस्त मनुष्योंके लिए है” (पृष्ठ ३९)। सत्यके पुजारियोंकी आध्यात्मिक प्रगतिके लिए विनम्रताकी अनिवार्यता बताते हुए वह कहते हैं कि सत्यके पुजारियोंको “नम्र बनना है। धूलकी तरह या शून्यके समान बनकर रहना है” (पृष्ठ ७०)।

राजनीतिक कार्योंके प्रति गांधीजीकी तटस्थता, तथा दूसरोंके अन्दर स्वतन्त्र रूपसे सोचने-और कार्य करनेकी प्रवृत्तिको बढ़ावा देनेकी उनकी उत्सुकता उनके पत्रोंमें अक्सर प्रकट होती है। जवाहरलाल नेहरूको उन्होंने पत्र लिखकर यह राय जाहिर की कि अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठक बुलानेसे कोई लाभ नहीं होगा, किन्तु साथ ही यह भी लिखा कि “इसका मतलब यह नहीं कि ऐसी कोई बैठक यदि होगी तो उससे मुझे गहरी चोट लगेगी” (पृष्ठ ३२)। मालवीयजीको एक पत्रमें उन्होंने अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठक बुलानेकी भर्त्सना की जिनमें असम्बद्ध और बेसिलसिला चर्चाएँ होती हैं और अविचारित प्रस्ताव पास किये जाते हैं (पृष्ठ १०१)। वह एक निश्चित नीति और कार्यक्रम अपनाकर उसे बिना हिचके कार्यान्वित करनेके पक्षमें थे। उनका कहना था कि “निराशाजनक अकर्मण्यता सबसे बुरी चीज है और इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए” (पृष्ठ १७५)। उन्होंने इस बातको स्वीकार किया कि जो कांग्रेसी सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें भाग नहीं लेते अथवा नहीं ले सकते, उनके राजनीतिक अस्तित्वके लिए स्वराज्य पार्टीका गठन आवश्यक हो गया है। इस सिलसिलेमें उन्होंने क० मा० मुंशीको एक पत्रमें लिखा: “जैसे तुम मुझसे पूछना उचित समझते हो उसी प्रकार जवाहरलालसे भी इसकी चर्चा करो” (पृष्ठ ४८०)। जवाहरलालने हिन्दू महासभाकी जो कड़ी आलोचना की थी उसके बारेमें गांधीजीने उन्हें लिखा कि यह आलोचना “जरा कम तीखी हो सकती थी” (पृष्ठ ३०२)। उन्होंने जवाहरलाल पर लिखे गये घनश्यामदास बिड़लाके लेखको ठीक बताते हुए लिखा कि

## ग्यारह

जवाहरलाल “बहुत सीधा पुरुष है। अपनी मूल सुधारता है . . . और अन्तम वह सत्यके पथपर ही आ जायेगा” (पृष्ठ १०९)।

प्रभावतीको एक पत्रमे उन्होंने लिखा: “. . . यदि जयप्रकाश इस फकीरीको अपनानेके लिए तैयार हो तभी वह इस लड़ाईमे शामिल हो सकता है। सिपाहीका यही धर्म है। दूसरा धर्म कुटुम्बके प्रति है। . . . यह धर्म जब स्वतन्त्र रूप धारण करता है तब वह समाजके हितका विरोधी होता है। . . . सत्याग्रहका आशय इसी धर्मको टालना है। लेकिन जो इसे नहीं समझता और इसका पालन करनेका प्रयत्न करता है, वह दोनोंसे हाथ धो बैठता है” (पृष्ठ २७६)। एक सुव्यवस्थित समाजमे किसी अच्छे नागरिकसे बहुत बड़े त्यागकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन जब समाजकी अव्यवस्थित दशाओमे ऐसे त्याग की आवश्यकता हो, उस समय भी अपने गार्हस्थिक उत्तरदायित्वोका बोझ ढोते हुए कोई व्यक्ति सत्याग्रह नहीं कर सकता। एक अन्य पत्रमे यही बात जरा और खोलकर कही गई है: “निजी कुटुम्ब-धर्मका पालन करनेमें कोई पाप नहीं है, और सेवाधर्मका पालन करना हो तो निजी धर्मका त्याग करना ही चाहिए” (पृष्ठ ३३५)। यही सलाह एक पत्रमें जवाहरलाल नेहरूको भी दी गई है: “आखिरी लड़ाईमे केवल वे ही खड़े रह सकेंगे जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं होगी और सर टेकनेका कोई ठौर नहीं होगा” (पृष्ठ ३०२)।

गांधीजीका दृढ विश्वास था कि “मानव प्राणीकी रचना ही आत्माको पहचाननेके लिए हुई है और वह आत्म-स्वरूप ही है” (पृष्ठ ५१) और सभी धर्मोका अन्तिम लक्ष्य आत्माकी उस मूलभूत एकताको जानना है जो सभी जीवोंमे व्याप्त है और अनेक रूपोमे व्यक्त होती है (पृष्ठ ३१६)। वह पुनर्जन्मके सिद्धान्तका उपयोग सारी मानव-जातिके बेहतर भविष्यकी खातिर वैयक्तिक नैतिक प्रयासको प्रेरित करनेके लिए करते थे, धर्मकी पुकारसे बचकर भागनेके लिए नहीं। उनका कहना था कि पुनर्जन्मकी बात अपनी ही हृदयक सोचनी चाहिए। “दूसरोको कष्टमे देखकर उनकी उपेक्षा करना . . . तथा यह कहना कि तुमने पूर्वजन्ममें जो किया है उसे भोगो, ईश्वरको . . . राक्षस बना देना है” (पृष्ठ २५८)। कर्मका नियम क्या है, इसको पचास सालतक जाननेकी सच्ची कोशिशके बाद गांधीजी इस निष्कर्षपर पहुँचे थे कि “इसे अपनेको छोड़कर अन्य सब लोगोपर लागू करना इसे विकृत बनाना है। . . . यदि हम कार्यके सिद्धान्तको लागू करते हैं, अर्थात् स्वयं अपने ऊपर लागू करें, तो हम यहाँकी भूमिका और अन्य स्थानोकी भूमिका स्वरूप ही बदला हुआ पायेगे” (पृष्ठ ४९४)।

गांधीजीने ‘गीता-प्रवेशिका’, जिसमे ‘भगवद्गीता’ के चुने हुए ४२ श्लोक थे, यरवडा मन्दिरमे १९३२ मे रामदासकी खातिर तैयार की थी, जो उस समय उसी जेल

## बारह

में नजरबन्द थे। रामदासको ये सरल और भक्तिरसपूर्ण श्लोक बहुत पसन्द आये और दूसरे लोगोंकी राय हुई कि यह पुस्तिका रूपमें प्रकाशित हो तो हरिजन-कार्य करनेवालोके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। यह श्लोकसंग्रह प्रकाशन योग्य है अथवा नहीं, इसका निश्चय करनके लिए गांधीजीने विनोबा, काकासाहब और बालकृष्ण भावेकी सलाह ली। ये तीनों सज्जन भी उस समय जेलमें थे और 'गीता' के प्रेमी अध्येता थे। इन तीनोंने आपसमें परामर्श किया और पुस्तककी उपयोगिता बढ़ानेके विचारसे गांधीजीको सलाह दी कि वे संग्रहके तीन श्लोक निकाल दें और उनके स्थानपर चार नये श्लोक जोड़ दें। इस प्रकार संशोधित हुआ यह संग्रह स्त्री-पुरुष कार्यकर्ताओंको तथा 'गीता' के अन्य प्रेमियोंको 'गीता' की प्रवेशिकाके रूपमें सुलभ किया गया। लेकिन गांधीजीने उसमें यह चेतावनी जोड़ दी: "इस प्रवेशिका अथवा सम्पूर्ण 'गीता' ही को कंठस्थ कर लेनेसे या पूरा अर्थ समझ जानेसे कोई लाभ नहीं होना है। 'गीता' तो अनुकरणके लिए है" (पृष्ठ ७६-७)। कस्तूरबाको 'गीता' पर लिखे अपने सुन्दर प्रवचनोंमें उन्होंने सेवामें सहज भक्ति और श्रद्धापर बल दिया (पृष्ठ ४१६-१७ और ४३६-३७)।

संस्कृतमें पांडित्यके अपने अभावको स्वीकार करते हुए गांधीजीने महादेव देसाईको लिखा: "तुम अपना अनुवाद जारी रखो और उसमें मेरे विचारोंको व्यक्त करनेमें जिस हदतक मेरे अनुवादसे मदद मिले, उसकी मदद लो, लेकिन विलकुल मेरे अनुवादकी ही नकल मत करो। . . . जहाँ टिप्पणियाँ व्यर्थ हैं वहाँ उनको छोड़ दो। जहाँ टिप्पणी देना जरूरी हो वहाँ अपनी टिप्पणी दे दो। . . . जहाँ फिरसे लिखनेकी जरूरत हो, लिख दो, और जहाँ कुछ जोड़ना हो वहाँ जोड़ दो। . . . तब फिर जब यह सारा परिणाम मेरे हाथमें आयेगा उस समय मैं उसपर काम करूँगा और अपने अर्थको स्पष्ट करनेके ख्यालसे जहाँ जो परिवर्तन करने होंगे, कर दूँगा। . . . उसके बाद हम गुजरातीका संस्करण निकाल सकते हैं और तुम्हारा किया हुआ अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कर सकते हैं" (पृष्ठ २७४-७५)। महादेव देसाई का यही अंग्रेजी अनुवाद १९४६ में 'द गॉस्पेल ऑफ सेल्फलेस ऐक्शन' अथवा 'द गीता एकाँडिंग टु गांधी' शीर्षकसे पुस्तक रूपमें प्रकाशित हुआ।

## आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम निम्नलिखित संस्थाओ, व्यक्तियों, पुस्तकोके प्रकाशकों तथा पत्र-पत्रिकाओके आभारी हैं :

संस्थाएँ : साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास और संग्रहालय; नव-जीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्ली; मैसूर सरकार; राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता; नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली; मद्रास पुस्तकालय संघ और वुडब्रुक कॉलेज, बर्मिंघम।

व्यक्ति : श्री एम० एस० केलकर; श्री कनुभाई मशरूवाला, अकोला; श्री कान्तिलाल गांधी, श्रीमती गगाबहन वैद्य, बोचासण, श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता; श्री जयरामदास दौलतराम, नई दिल्ली; श्री जीवनजी डाह्याभाई देसाई, अहमदाबाद; श्रीमती जेसी हाँयलैंड, फॉवे, कॉर्नवॉल; श्री द० बा० कालेलकर, नई दिल्ली; श्री नारणदास गांधी, राजकोट; श्री प्रमुदास गांधी; श्रीमती प्रेमलीला ठाकरसी, श्रीमती प्रेमाबहन कंटक, सासवड; श्री बनारसीलाल बजाज; श्री भगवानजी पुरुषोत्तम पण्ड्या, सेवानाम, वर्धा; श्रीमती मनुबहन मशरूवाला, श्री महेश पट्टणी; श्रीमती मीराबहन, गाडने, ऑस्ट्रिया; श्रीमती मेरी बार; श्री रमणीकलाल भोदी, अहमदाबाद; श्रीमती लक्ष्मीबहन खरे, अहमदाबाद; श्रीमती वनमाला देसाई; श्रीमती वसुमती पण्डित; श्री वालजी गोविन्दजी देसाई, पूना और श्री शान्तिकुमार मोरारजी।

पुस्तकें : 'ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स', 'इन द शेडो ऑफ द महात्मा', 'कोई शिकायत नही', 'गांधीजीकी दिल्ली डायरी, खण्ड-१', 'पाँचवे पुत्रको बापूके आशीर्वाद', 'बापूजीनी शीतल छायामा', 'बापुना पत्रो-६ : गं० स्व० गंगाबहेनने', 'बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने', 'बापुना पत्रो-२ : सरदार वल्लभभाईने', 'बापुना बाने पत्रो', 'बापुनी प्रसादी', 'मध्यप्रदेश और गांधीजी', 'महात्मा : लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी', खण्ड-३ और 'माई डियर चाइल्ड'।

पत्र-पत्रिकाएँ : 'अमृतबाजार पत्रिका', 'द इन्डियन एन्युअल रजिस्टर', खण्ड-२, 'द साइनो-इंडियन जरनल', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'मद्रास मेल', 'हरिजन', 'हरिजन-बन्धु', 'हरिजन सेवक', 'हितवाद', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा 'हिन्दू'।

अनुसन्धान एवं सन्दर्भ-सम्बन्धी सुविधाओके लिए सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयका अनुसन्धान और सन्दर्भ विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और श्री प्यारेलाल नैयर, नई दिल्ली हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रलेखोकी फोटो-नकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयके फोटो-विभाग, नई दिल्लीके भी आभारी हैं।



## पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री हमे गांधीजीके स्वाक्षरोंमे मिली है, उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरो द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोकी स्पष्ट भूले सुधार दी गई है।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हमे प्राप्त हो सके है, उनका हमने मूलसे मिलान और सशोधन करनेके बाद उपयोग किया है। नामोको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणमे संशय था, उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमे लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोमे दिये गये अंश सम्पादकीय है। गांधीजीने किसी लेख, भाषण, आदिका जो अंश मूल रूपमे उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी स्याहीमे छापा गया है। लेकिन यदि ऐसा कोई अंश उन्होने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणोकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द-जो गांधीजीके कहे हुए नहीं है, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमे छापे गये हैं। भाषणो और भेटकी रिपोर्टोंके उन अंशोंमें जो गांधीजीके नहीं है, कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ भी दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध नहीं है, वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चौकोर कोष्ठकोमे दी गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमे केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमे रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधार पर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है, वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोमे 'एस० एन०' संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध



## सोलह

कागज-पत्रोंका, 'एम० एम० यू०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालयकी मोबाइल माइक्रोफिल्म यूनिट द्वारा तैयार कराई गई रीलोंका, और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संगृहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमि का परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई हैं।

## विषय-सूची

भूमिका आमार पाठकोको सूचना	पाँच तेरह पन्द्रह
१. कुछ प्रश्न (१६-९-१९३३)	१
२. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको (१६-९-१९३३)	४
३. बातचीत : स्त्री-कार्यकर्ताओसे (१६-९-१९३३)	५
४. कुछ पत्रोके उत्तर (१७-९-१९३३ से पूर्व)	६
५. एक पत्र (१७-९-१९३३ से पूर्व)	७
६. बातचीत : एक हरिजन कार्यकर्ता से (१७-९-१९३३ से पूर्व)	८
७. सलाह : एक कार्यकर्ताको (१७-९-१९३३ से पूर्व)	९
८. बातचीत : गुरुकुल काँगड़ीके विद्यार्थियोसे (१७-९-१९३३ से पूर्व)	१०
९. ब्राह्मण क्या करे ? (१७-९-१९३३)	११
१०. पत्र : जमनालाल बजाजको (१७-९-१९३३)	१२
११. श्रद्धाजलि : एनी बेसेटको (२०-९-१९३३)	१३
१२. भाषण : अहमदाबादमे - १ (२१-९-१९३३)	१३
१३. भाषण : अहमदाबादमे - २ (२१-९-१९३३)	१५
१४. जापानसे (२३-९-१९३३)	१९
१५. एक और नरक (२३-९-१९३३)	१९
१६. सच है, तो भयानक है (२३-९-१९३३)	२०
१७. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२३-९-१९३३)	२१
१८. तार : जवाहरलाल नेहरूको (२३-९-१९३३)	२२
१९. बातचीत : हरिजन कार्यकर्ताओसे (२४-९-१९३३ से पूर्व)	२२
२०. अपील : प्रार्थना-सभामे (२४-९-१९३३ से पूर्व)	२४
२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२४-९-१९३३)	२५
२२. पत्र : निर्मलकुमार बोसको (२४-९-१९३३)	२६
२३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (२४-९-१९३३)	२६
२४. अपील : उड़ीसाकी बाढ़-सहायताके लिए (२४-९-१९३३)	२९
२५. सन्देश : हरिजन-दिवस पर (२४-९-१९३३)	३०

## अटारह

२६. पत्र : एन० आर० मलकानीको (२६-९-१९३३)	३०
२७. पत्र : बी० राघवग्याको (२६-९-१९३३)	३१
२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२८-९-१९३३)	३१
२९. पत्र : एफ० मेरी बारको (२८-९-१९३३)	३३
३०. पत्र : भगवानजी अ० मेहताको (२८-९-१९३३)	३३
३१. पत्र : नानाभाई मशास्वालाको (२८-९-१९३३)	३४
३२. पत्र : नलिनीकान्त सेठको (२८-९-१९३३)	३४
३३. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (२८-९-१९३३)	३५
३४. तार : 'मातृभूमि' को (२९-९-१९३३)	३५
३५. पत्र : अगाथा हेरिसनको (२९-९-१९३३)	३५
३६. पत्र : एफ० मेरी बारको (२९-९-१९३३)	३८
३७. पत्र : रामेद्वरदास पोंडारको (२९-९-१९३३)	३९
३८. पत्र : परीक्षितलाल एल० मजमूदारको (२९-९-१९३३)	३९
३९. पत्र : जसभाईको (२९-९-१९३३)	४०
४०. पत्र : मणिबहन पटेलको (२९-९-१९३३)	४०
४१. पत्र : द० बा० कालेलकरको (३०-९-१९३३ से पूर्व)	४१
४२. व्याख्याकी आवश्यकता (३०-९-१९३३)	४१
४३. हरिजन छात्रावास (३०-९-१९३३)	४२
४४. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको (३०-९-१९३३)	४३
४५. पत्र : आत्मा एस० कमलानीको (३०-९-१९३३)	४५
४६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (३०-९-१९३३)	४६
४७. पत्र : तेज बहादुर सप्रूमो (३०-९-१९३३)	४७
४८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (३०-९-१९३३)	४८
४९. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (३०-९-१९३३)	४८
५०. एक टिप्पणी (३०-९-१९३३)	४९
५१. भविष्य का वर्णधर्म (१-१०-१९३३)	४९
५२. पत्र : पद्माको (१-१०-१९३३)	५१
५३. पत्र : सुदर्शन बी० देसाईको (१-१०-१९३३)	५१
५४. पत्र : धीरू सी० जोशीको (१-१०-१९३३)	५२
५५. पत्र : दूधीबहन बी० देसाईको (१-१०-१९३३)	५२
५६. पत्र : द० बा० कालेलकरको (१-१०-१९३३)	५३
५७. पत्र : जयश्री रायजीको (१-१०-१९३३)	५३
५८. पत्र : एफ० मेरी बारको (२-१०-१९३३)	५४
५९. पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको (२-१०-१९३३)	५४

## उत्तीस

६०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (३-१०-१९३३)	५५
६१. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको (३-१०-१९३३)	५६
६२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (३-१०-१९३३)	५७
६३. सलाह . जापानी बौद्ध स्थविरो को (४-१०-१९३३)	५७
६४. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (६-१०-१९३३)	५८
६५. पत्र : माणिकलालको (६-१०-१९३३)	६०
६६. पत्र : राधा गाधीको (६-१०-१९३३)	६०
६७. टिप्पणियाँ : धन कैसे एकत्र किया जाये; एक अमेरिकावासीका सुझाव; कार्य-विवरणोका मूल्य (७-१०-१९३३)	६१
६८. वे क्या मानते हैं (७-१०-१९३३)	६३
६९. पत्र . कृष्णा नेहरूको (७-१०-१९३३)	६५
७०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (७-१०-१९३३)	६५
७१. पत्र : मणिबहन पटेलको (७-१०-१९३३)	६६
७२. पत्र . विपिन पटेलको (७-१०-१९३३)	६७
७३. पत्र . जीवनजी डा० देसाईको (७-१०-१९३३)	६७
७४. आश्रमका समर्पण (८-१०-१९३३ से पूर्व)	६८
७५. बातचीत आपसी विग्रहके भयपर (८-१०-१९३३ से पूर्व)	६८
७६. बातचीत . एक कार्यकर्त्तासे (८-१०-१९३३ से पूर्व)	६९
७७. बातचीत : नम्रताकी आवश्यकतापर (८-१०-१९३३ से पूर्व)	६९
७८. उत्तर . पत्र-लेखकोको (८-१०-१९३३ से पूर्व)	७०
७९. सत्याग्रह आश्रम का नया रूप (८-१०-१९३३)	७३
८०. उपवास कब आवश्यक होता है? (८-१०-१९३३)	७३
८१. भूमिका : 'गीता प्रवेशिका' की (८-१०-१९३३)	७६
८२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (८-१०-१९३३)	७७
८३. पत्र . घनश्यामदास बिडलाको (८-१०-१९३३)	७८
८४. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको (८-१०-१९३३)	७९
८५. भाषण : वर्धाकी सार्वजनिक सभामे (८-१०-१९३३)	७९
८६. पत्र वल्लभभाई पटेलको (९-१०-१९३३ से पूर्व)	८१
८७. तार : जवाहरलाल नेहरूको (९-१०-१९३३)	८२
८८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (९-१०-१९३३)	८२
८९. पत्र : एफ० मेरी बारको (९-१०-१९३३)	८३
९०. पत्र जे० सी० कुमारप्पाको (१०-१०-१९३३)	८४
९१. पत्र अमृतलाल वि० ठक्करको (१०-१०-१९३३)	८४
९२. पत्र : चिमनलाल पारेखको (११-१०-१९३३ से पूर्व)	८६

## बीस

९३. पत्र : पद्माको (११-१०-१९३३)	८६
९४. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (११-१०-१९३३)	८७
९५. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (११-१०-१९३३)	८८
९६. पत्र : एच० के० हेल्सको (१२-१०-१९३३)	८८
९७. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (१२-१०-१९३३)	८९
९८. पत्र : महेन्द्र वी० देसाईको (१२-१०-१९३३)	९०
९९. पत्र : जयश्री रायजीको (१२-१०-१९३३)	९०
१००. पत्र : एफ० मेरी बारको (१३-१०-१९३३)	९१
१०१. टिप्पणियाँ : अनेक घन्यवाद; मेरा आगामी दौरा; क्या दूसरे विश्वविद्यालय अनुकरण करेंगे? (१४-१०-१९३३)	९१
१०२. गुलामी बनाम अस्पृश्यता (१४-१०-१९३३)	९३
१०३. अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? (१४-१०-१९३३)	९५
१०४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (१४-१०-१९३३)	९७
१०५. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (१४-१०-१९३३)	९८
१०६. सन्देश : दयानन्द अर्द्ध-शताब्दीपर (१४-१०-१९३३)	९८
१०७. बातचीत : एक खादी कार्यकर्तासि (१५-१०-१९३३ से पूर्व)	९९
१०८. अस्पृश्यताके छीटे (१५-१०-१९३३)	१००
१०९. पत्र : मदनमोहन मालवीयको (१५-१०-१९३३)	१००
११०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१५-१०-१९३३)	१०२
१११. पत्र : स्वरूपरानी नेहरूको (१५-१०-१९३३)	१०२
११२. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१५-१०-१९३३)	१०३
११३. पत्र : जनकधारी प्रसादको (१५-१०-१९३३)	१०३
११४. पत्र : अगाथा हैरिसनको (१५-१०-१९३३)	१०४
११५. पत्र : अब्बास तैयबजीको (१५-१०-१९३३)	१०५
११६. पत्र : प्रभावतीको (१५-१०-१९३३)	१०६
११७. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१६-१०-१९३३)	१०७
११८. वक्तव्य : समाचारपत्रको (१७-१०-१९३३)	१०८
११९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (१७-१०-१९३३)	१०८
१२०. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको (१८-१०-१९३३)	१०९
१२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१८-१०-१९३३)	११०
१२२. भाषण : प्रभुदास गांधीके विवाहके अवसरपर (१८-१०-१९३३)	१११
१२३. पत्र : रमाबहन जोशीको (१८-१०-१९३३)	१११
१२४. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (१९/२०-१०-१९३३)	११२
१२५. पत्र : एच० के० हेल्सको (२०-१०-१९३३)	११४

## इक्कीस

१२६. पत्र : अगाथा हैरिसनको (२०-१०-१९३३)	११५
१२७. पत्र : रुक्मिणी बजाजको (२०-१०-१९३३)	११६
१२८. एक एम० ए० की अधीरता (२१-१०-१९३३)	११६
१२९. . . . तो फिर भंगियोंका क्या होगा? (२१-१०-१९३३)	११८
१३०. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको (२१-१०-१९३३)	१२०
१३१. पत्र : बल्लभभाई पटेलको (२१-१०-१९३३)	१२१
१३२. पत्र : एफ० मेरी बारको (२१-१०-१९३३)	१२२
१३३. पत्र : कोतवालको (२१-१०-१९३३)	१२३
१३४. पत्र : वनमाला एन० परीखको (२१-१०-१९३३)	१२३
१३५. पत्र : मोहन एन० परीखको (२१-१०-१९३३)	१२४
१३६. पत्र : जयसुखलाल गांधीको (२१-१०-१९३३)	१२४
१३७. पत्र : केशवराम एस० त्रिवेदीको (२१-१०-१९३३)	१२५
१३८. पत्र : शंकरलाल डी० परीखको (२१-१०-१९३३)	१२५
१३९. पत्र : भगवानजी पु० पण्ड्याको (२१-१०-१९३३)	१२६
१४०. भेट : 'उन्नति' के प्रतिनिधिको (२२-१०-१९३३ से पूर्व)	१२६
१४१. बातचीत : एक मित्रसे (२२-१०-१९३३ से पूर्व)	१२८
१४२. हरिजनोके लिए सीटे (२२-१०-१९३३ से पूर्व)	१३१
१४३. उत्तर : पत्र-लेखकोंको (२२-१०-१९३३)	१३१
१४४. नगरपालिकाओं आदिके सम्बन्धमे (२२-१०-१९३३)	१३३
१४५. कुछ नैतिक प्रश्न (२२-१०-१९३३)	१३३
१४६. पत्र : माधवदास और कृष्णा कापडियाको (२२-१०-१९३३)	१३६
१४७. पत्र : कान्ति एन० पारेखको (२२-१०-१९३३)	१३६
१४८. पत्र : मणिबहन पटेलको (२२-१०-१९३३)	१३७
१४९. पत्र : गंगा तो० हिंगोरानीको (२२-१०-१९३३)	१३८
१५०. पत्र : एफ० मेरी बारको (२३-१०-१९३३)	१३८
१५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२३-१०-१९३३)	१३९
१५२. पत्र : मीठुबहन पेटिटको (२३-१०-१९३३)	१४०
१५३. पत्र : पद्माको (२३-१०-१९३३)	१४१
१५४. पत्र : एफ० मेरी बारको (२४-१०-१९३३)	१४१
१५५. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (२४-१०-१९३३)	१४२
१५६. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (२४-१०-१९३३)	१४२
१५७. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको (२४-१०-१९३३)	१४३
१५८. पत्र : रमादेवी चौधरीको (२४-१०-१९३३)	१४३
१५९. श्रद्धांजलि : विठ्ठलभाई पटेलको (२४-१०-१९३३)	१४४

बाईस

१६०. पत्र : जनकधारी प्रसादको (२५-१०-१९३३)	१४४
१६१. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (२५-१०-१९३३)	१४५
१६२. पत्र : वसुमती पण्डितको (२५-१०-१९३३)	१४६
१६३. पत्र : जानकीदेवी वजाजको (२५-१०-१९३३)	१४७
१६४. पत्र : एफ० मेरी बारको (२६-१०-१९३३)	१४८
१६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२६-१०-१९३३)	१४८
१६६. पत्र : अब्बास तैयबजीको (२६-१०-१९३३)	१४९
१६७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको (२६-१०-१९३३)	१५०
१६८. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (२६-१०-१९३३)	१५१
१६९. मद्रासमें 'हरिजन' (२७-१०-१९३३)	१५२
१७०. एक दुःखद घटना (२७-१०-१९३३)	१५३
१७१. खादी और हरिजन (२७-१०-१९३३)	१५४
१७२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको (२७-१०-१९३३)	१५७
१७३. पत्र : मोतीलाल रायको (२७-१०-१९३३)	१५८
१७४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (२७-१०-१९३३)	१५९
१७५. तार : अद्वैतकुमार गोस्वामीको (२८-१०-१९३३)	१६०
१७६. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको (२८-१०-१९३३)	१६०
१७७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (२८-१०-१९३३)	१६१
१७८. पत्र : जयश्री रायजीको (२८-१०-१९३३)	१६१
१७९. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (२८-१०-१९३३)	१६२
१८०. एक शिक्षकके प्रश्न (२९-१०-१९३३)	१६२
१८१. पत्र : आनन्द तो० हिगोरानीको (२९-१०-१९३३)	१६५
१८२. पत्र : कान्ति पारेख और जयन्ती पारेखको (२९-१०-१९३३)	१६५
१८३. पत्र : डॉ० एम० एस० केलकरको (३०-१०-१९३३)	१६७
१८४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (३०-१०-१९३३)	१६८
१८५. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (३०-१०-१९३३)	१६९
१८६. पत्र : एच० के० हेल्सको (३१-१०-१९३३)	१६९
१८७. पत्र : आनन्द तो० हिगोरानीको (३१-१०-१९३३)	१७०
१८८. पत्र : छगनलाल जोशीको (३१-१०-१९३३)	१७१
१८९. तार : आनन्द तो० हिगोरानीको (१-११-१९३३)	१७४
१९०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१-११-१९३३)	१७४
१९१. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (१-११-१९३३)	१७६
१९२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (१-११-१९३३)	१७८
१९३. पत्र : बंगालके गवर्नरको (२-११-१९३३)	१७८

तेईस

१९४. बातचीत . डॉ० कोंगरसे (२-११-१९३३)	१७९
१९५. टिप्पणियाँ रोहतकमे संकट; मेरा आगामी दौरा; स्व० विठ्ठलभाई और हरिजन (३-११-१९३३)	१८१
१९६. उड़ीसाकी पुकार (३-११-१९३३)	१८२
१९७. क्रूरताकी दो कथाएँ (३-११-१९३३)	१८५
१९८. चर्मालयकी जरूरत नहीं है? (३-११-१९३३)	१८६
१९९. पत्र : अगाथा हैरिसनको (३-११-१९३३)	१८७
२००. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (३-११-१९३३)	१८८
२०१. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (४-११-१९३३)	१८९
२०२. पत्र : मणिबहन पटेलको (४-११-१९३३)	१८९
२०३. उत्तर . पत्र-लेखकोको (५-११-१९३३ से पूर्व)	१९०
२०४. एक कार्यकर्ताकी समस्या (५-११-१९३३)	१९२
२०५. हरिजन-कार्यकर्ताकी पिटाई (५-११-१९३३)	१९३
२०६. पत्र : तोताराम हिंगोरानीको (५-११-१९३३)	१९३
२०७. पत्र : प्रेमी जयरामदासको (५-११-१९३३)	१९४
२०८. पत्र . जे० सी० कुमारप्पाको (५-११-१९३३)	१९५
२०९. पत्र . वल्लभभाई पटेलको (५-११-१९३३)	१९५
२१०. पत्र : मणिबहन पटेलको (५-११-१९३३)	१९६
२११. पत्र : नारायण मोरेखर खरेको (५-११-१९३३)	१९७
२१२. भाषण . हरिजनोके समक्ष (७-११-१९३३ से पूर्व)	१९८
२१३. सलाह . एक हरिजन कार्यकर्ताको (७-११-१९३३)	१९९
२१४. पत्र : दूधीबहन वी० देसाईको (७-११-१९३३)	२००
२१५. पत्र : धीरू सी० जोशीको (७-११-१९३३)	२००
२१६. पत्र : महेन्द्र देसाई और सुदर्शन देसाईको (७-११-१९३३)	२०१
२१७. भाषण : सेलूमे (७-११-१९३३)	२०१
२१८. भाषण . सेलूकी सार्वजनिक सभामे (७-११-१९३३)	२०२
२१९. भाषण बर्धाकी सार्वजनिक सभामे (७-११-१९३३)	२०२
२२०. भाषण . भगियोकी सभा, नागपुरमें (८-११-१९३३)	२०३
२२१. सलाह . हरिजनोको (८-११-१९३३)	२०३
२२२. भाषण . नागपुरकी सार्वजनिक सभामे (८-११-१९३३)	२०४
२२३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (९-११-१९३३)	२०८
२२४. पत्र : मणिबहन पटेलको (९-११-१९३३)	२०९
२२५. पत्र : गगाबहन बी० झवेरीको (९-११-१९३३)	२१०
२२६. भेट . पत्र-प्रतिनिधियोको (९-११-१९३३)	२१०



## चीबीस

२२७. भाषण : छात्रोंकी सभा, नागपुरमें (९-११-१९३३)	२१२
२२८. भाषणोके कुछ अंश (१०-११-१९३३ से पूर्व)	२१५
२२९. टिप्पणी : सच्ची अहिंसा (१०-११-१९३३)	२१६
२३०. लक्ष्य तो एक ही है (१०-११-१९३३)	२१७
२३१. हरिजन-शिक्षकोंके लिए (१०-११-१९३३)	२१९
२३२. पत्र : मानसंकर जे० त्रिवेदीको (१०-११-१९३३)	२२१
२३३. भेट : पत्र-प्रतिनिधियोंको (१०-११-१९३३)	२२१
२३४. भाषण : गोंडियामें (१०-११-१९३३)	२२२
२३५. तार : जवाहरलाल नेहरूको (११-११-१९३३)	२२३
२३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (११-११-१९३३)	२२३
२३७. भेट : पत्र-प्रतिनिधियोंको (११-११-१९३३)	२२५
२३८. भाषण : देवलीमें (११-११-१९३३)	२२५
२३९. प्रति व्यक्ति एक पैसा (१२-११-१९३३)	२२७
२४०. पत्र : गंगा पोद्दारको (१२-११-१९३३)	२२७
२४१. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको (१२-११-१९३३)	२२७
२४२. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको (१३-११-१९३३)	२२८
२४३. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको (१३-११-१९३३)	२२९
२४४. पत्र : एफ० मेरी वारको (१३-११-१९३३)	२२९
२४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१३-११-१९३३)	२३०
२४६. पत्र : रमणीकलाल मोदीको (१४-११-१९३३)	२३२
२४७. पत्र : तारावहन आर० मोदीको (१४-११-१९३३)	२३३
२४८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (१४-११-१९३३)	२३३
२४९. पत्र : मणिवहन पटेलको (१४-११-१९३३)	२३४
२५०. पत्र : डाह्याभाई पटेलको (१४-११-१९३३)	२३६
२५१. पत्र : रुक्मिणी वजाजको (१४-११-१९३३)	२३७
२५२. बातचीत : सावलीके खादी कार्यकर्त्ताओंसे (१४-११-१९३३)	२३७
२५३. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (१५-११-१९३३)	२३८
२५४. पत्र : जमनालाल वजाजको (१५-११-१९३३)	२३९
२५५. भाषण : बुनकी सार्वजनिक सभामें (१५-११-१९३३)	२३९
२५६. भाषण : यवतमालकी सार्वजनिक सभामें (१५-११-१९३३)	२४०
२५७. पत्र : अगाथा हैरिसनको (१६-११-१९३३)	२४०
२५८. पत्र : एफी एरिस्टार्शीको (१६-११-१९३३)	२४३
२५९. पत्र : मनु गांधीको (१६-११-१९३३)	२४६
२६०. भाषण : हनुमान व्यायामशाला, अमरावतीमें (१६-११-१९३३)	२४७

पच्चीस

२६१. भाषण : अमरावतीकी सार्वजनिक सभामे (१६-११-१९३३)	२४७
२६२. पत्र : कीकाभाई एल० वघेलाको (१७-११-१९३३ से पूर्व)	२५०
२६३. भेट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको (१७-११-१९३३ या उससे पूर्व)	२५१
२६४. प्रतिदिन एक पैसा (१७-११-१९३३)	२५१
२६५. प्रशंसनीय कार्य (१७-११-१९३३)	२५२
२६६. दानका उपयोग (१७-११-१९३३)	२५२
२६७. भाषण : अंजुमन मुफ्तीद-उल-इस्लाम, खामगाँवमे (१७-११-१९३३)	२५३
२६८. भाषण : खामगाँवकी सार्वजनिक सभामे (१७-११-१९३३)	२५४
२६९. तार : श्रीकृष्ण चाँदीवालाको (१८-११-१९३३)	२५९
२७०. वातचीत : स्वामी लालनाथसे (१८-११-१९३३)	२५९
२७१. भाषण : अकोलामे (१८-११-१९३३)	२६०
२७२. पत्र : गोरघनभाई पटेलको (१९-११-१९३३)	२६५
२७३. पत्र : मणिवहन पटेलको (१९-११-१९३३)	२६६
२७४. पत्र : डाह्याभाई पटेलको (१९-११-१९३३)	२६७
२७५. पत्र : किशन घुमतकरको (२०-११-१९३३)	२६७
२७६. पत्र : माणकलाल कोठारीको (२०-११-१९३३)	२६८
२७७. पत्र : राधावहन एम० कोठारीको (२०-११-१९३३)	२६९
२७८. पत्र : कोतवालको (२०-११-१९३३)	२६९
२७९. पत्र : विद्या आनन्द हिगोरानीको (२०-११-१९३३)	२७०
२८०. पत्र : धीरू सी० जोशीको (२१-११-१९३३)	२७०
२८१. भाषण : मोरसीकी सार्वजनिक सभामें (२१-११-१९३३)	२७१
२८२. पत्र : द० वा० कालेलकरको (२२-११-१९३३)	२७१
२८३. पत्र : जीवनजी डा० देसाईको (२२-११-१९३३)	२७२
२८४. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (२२-११-१९३३)	२७३
२८५. सन्देश : वरारकी जनताके नाम (२२-११-१९३३)	२७३
२८६. पत्र : महादेव देसाईको (२३-११-१९३३)	२७४
२८७. पत्र : प्रभावतीको (२३-११-१९३३)	२७५
२८८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (२३-११-१९३३)	२७६
२८९. भाषण : रायपुरकी सार्वजनिक सभामें (२३-११-१९३३)	२७७
२९०. भाषण : अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी, रायपुरमे (२३-११-१९३३)	२७८
२९१. भाषणोके अंश (२४-११-१९३३ से पूर्व)	२७८
२९२. सविनय अवज्ञा और हरिजन-सेवा (२४-११-१९३३)	२८०
२९३. हरिजन-कार्यकर्त्ताओंका कर्त्तव्य (२४-११-१९३३)	२८२
२९४. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको (२४-११-१९३३)	२८४

छब्बीस

२९५. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२४-११-१९३३)	२८४
२९६. पत्र : अगाथा हैरिसनको (२४-११-१९३३)	२८६
२९७. पत्र : वसुमती पण्डितको (२४-११-१९३३)	२८६
२९८. भाषण : रायपुरकी सार्वजनिक सभामें (२४-११-१९३३)	२८७
२९९. भाषण : वालोदा बाजारमें (२५-११-१९३३)	२९०
३००. भाषण : विलासपुरमें (२५-११-१९३३)	२९१
३०१. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको (२६-११-१९३३)	२९३
३०२. पत्र : एम० बापी नीडुको (२६-११-१९३३)	२९४
३०३. पत्र : जमनालाल बजाजको (२६-११-१९३३)	२९४
३०४. पत्र : रमावहन जोशीको (२६-११-१९३३)	२९५
३०५. पत्र : प्रेमावहन कंटकको (२६-११-१९३३)	२९६
३०६. पत्र : द० बा० कालेलकरको (२६-११-१९३३)	२९७
३०७. पत्र : विद्या आर० पटेलको (२६-११-१९३३)	२९७
३०८. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको (२६-११-१९३३)	२९८
३०९. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२६-११-१९३३)	२९८
३१०. भाषण : राजकुमार कालेज, रायपुरमें (२७-११-१९३३)	२९९
३११. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२७-११-१९३३)	३०२
३१२. पत्र : दुनीचन्दको (२७-११-१९३३)	३०३
३१३. पत्र : दूधीवहन वी० देसाईको (२८-११-१९३३)	३०३
३१४. पत्र : महेन्द्र देसाई और सुदर्शन देसाईको (२९-११-१९३३)	३०४
३१५. प्रत्येक सवर्ण हिन्दू याद रखें (१-१२-१९३३)	३०४
३१६. टिप्पणियाँ : स्यालकोट के स्व० लाला गंगाराम; बर्बादी न की जाये (१-१२-१९३३)	३०५
३१७. स्कूलकी पुस्तकें (१-१२-१९३३)	३०६
३१८. नरक नहीं, महानरक (१-१२-१९३३)	३०७
३१९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (१-१२-१९३३)	३०८
३२०. टिप्पणी : इटारसीकी घर्मशालाके सम्बन्धमें (१-१२-१९३३)	३०९
३२१. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको (२-१२-१९३३)	३०९
३२२. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको (२-१२-१९३३)	३१०
३२३. भाषण : सागरमें (२-१२-१९३३)	३१०
३२४. भाषण : जबलपुरकी सार्वजनिक सभामें (३-१२-१९३३)	३११
३२५. तार : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (४-१२-१९३३)	३१३
३२६. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (४-१२-१९३३)	३१३
३२७. पत्र : गोदावरीको (४-१२-१९३३)	३१४

## सत्ताईस

३२८. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको (५-१२-१९३३)	३१४
३२९. भाषण . माण्डलाकी सार्वजनिक सभामे (६-१२-१९३३)	३१५
३३०. पत्र : कस्तूरबा गाधीको (७-१२-१९३३)	३१६
३३१. पत्र . नारणदास गाधीको (७-१२-१९३३)	३१७
३३२. पत्र . भाईलाल मोतीराम पटेलको (७-१२-१९३३)	३१७
३३३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (७-१२-१९३३)	३१८
३३४. पत्र : विद्या आनन्द हिगोरानीको (७-१२-१९३३)	३१९
३३५. भाषण . लियोनॉर्ड थियोलॉजिकल कॉलेजमे (७-१२-१९३३)	३२०
३३६ एक पत्र (८-१२-१९३३ से पूर्व)	३२२
३३७. पत्र : एफ० मेरी वारको (८-१२-१९३३)	३२२
३३८ पत्र : मार्गरेट स्पीगलको (७/९-१२-१९३३)	३२३
३३९ पत्र : किशनबहन घुमतकरको (९-१२-१९३३)	३२४
३४०. पत्र : रुक्मिणी बजाजको (९-१२-१९३३)	३२४
३४१. पत्र : नानाभाई इ० मन्सूरवालाको (९-१२-१९३३)	३२५
३४२. पत्र : मनु गांधीको (९-१२-१९३३)	३२५
३४३. भाषण : जामिया मिलिया, दिल्ली मे (१०-१२-१९३३)	३२६
३४४. भाषण : श्रमिकोकी सभामे (१०-१२-१९३३)	३२६
३४५. वातचीत : हरिजनोके साथ (१०-१२-१९३३)	३२८
३४६. पत्र : मणिलाल और सुशीला गाधीको (११-१२-१९३३)	३३०
३४७. पत्र : रमाबहन जोशीको (११-१२-१९३३)	३३२
३४८. पत्र . विद्या आर० पटेलको (११-१२-१९३३)	३३२
३४९. पत्र : विद्या आनन्द हिगोरानीको (११-१२-१९३३)	३३३
३५०. तार : भूलाभाई देसाईको (१२-१२-१९३३)	३३३
३५१. पत्र : कस्तूरबा गाधीको (१२-१२-१९३३)	३३४
३५२. पत्र प्रभावतीको (१२-१२-१९३३)	३३५
३५३. पत्र : कान्ति गाधीको (१३-१२-१९३३)	३३६
३५४. वातचीत . सनातनियोके साथ (१३-१२-१९३३)	३३७
३५५. भाषण . अलीपुरकी सार्वजनिक सभामे (१३-१२-१९३३)	३३७
३५६. वातचीत : हरिजन संघकी बैठकमे (१३-१२-१९३३)	३३८
३५७ भाषण : दिल्लीकी छात्र-सभामे (१३-१२-१९३३)	३४०
३५८. वक्तव्य . समाचारपत्रोको (१३-१२-१९३३)	३४१
३५९. भाषण : हरिजनोकी सभा, दिल्लीमे (१४-१२-१९३३)	३४३
३६०. भाषण : दिल्लीकी महिला-सभामे (१४-१२-१९३३)	३४५
३६१. अनन्तपुरमे मैने क्या देखा ? (१५-१२-१९३३)	३४५

## अट्टाईस

३६२. स्मरण रखने योग्य वाते (१५-१२-१९३३)	३४९
३६३. पत्र: अगाथा हैरिसनको (१५-१२-१९३३)	३५०
३६४. पत्र: होरेस जी० अलेक्जेडरको (१५-१२-१९३३)	३५२
३६५. पत्र: मार्गरेट स्पीगलको (१५-१२-१९३३)	३५२
३६६. पत्र: एस्थर मेननको (१५-१२-१९३३)	३५३
३६७. पत्र: जे० एस० हॉयलैंडको (१५-१२-१९३३)	३५३
३६८. पत्र: महालक्ष्मी एम० ठक्करको (१५-१२-१९३३)	३५४
३६९. बातचीत: एक सनातनीसे (१६-१२-१९३३ से पूर्व)	३५४
३७०. भाषण: हरिजन सेवकोकी सभामे (१६-१२-१९३३)	३५५
३७१. भाषण: विजयवाड़ाकी सार्वजनिक सभामे (१६-१२-१९३३)	३५७
३७२. भाषण: मुद्रुनुरुमे (१७-१२-१९३३)	३५८
३७३. भेट: 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको (१७-१२-१९३३)	३५९
३७४. भाषण: मसूलीपट्टममे (१७-१२-१९३३)	३६१
३७५. पत्र: नरहरि द्वा० परीखको (१९-१२-१९३३)	३६२
३७६. पत्र: कस्तूरवा गांधीको (१९-१२-१९३३)	३६३
३७७. पत्र: अमृतलाल वि० ठक्करको (१९-१२-१९३३)	३६४
३७८. पत्र: प्रभावतीको (१९-१२-१९३३)	३६५
३७९. पत्र: वनमाला एन० परीखको (१९-१२-१९३३)	३६६
३८०. पत्र: भगवानजी पु० पण्ड्याको (१९-१२-१९३३)	३६६
३८१. पत्र: शारदा सी० शाहको (१९-१२-१९३३)	३६७
३८२. पत्र: विमलचन्द्र वी० देसाईको (१९-१२-१९३३)	३६७
३८३. पत्र: हेमप्रभा दासगुप्तको (१९-१२-१९३३)	३६८
३८४. पत्र: ब्रजकृष्ण और रामकृष्ण चाँदीवालाको (१९-१२-१९३३)	३६८
३८५. पत्र: तोताराम सनाढ्यको (१९-१२-१९३३)	३६९
३८६. पत्र: कल्याणजी वी० मेहताको (२०-१२-१९३३)	३६९
३८७. भाषण: मद्रास नगरनिगमके मानपत्रके उत्तरमे (२०-१२-१९३३)	३७०
३८८. भाषण: अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी, मद्रासमे (२०-१२-१९३३)	३७१
३८९. भाषण: मद्रासकी महिला-सभामे (२०-१२-१९३३)	३७४
३९०. भाषण: मद्रासकी छात्र-सभामे (२०-१२-१९३३)	३७५
३९१. भाषण: मद्रासकी महिला-सभामे (२०-१२-१९३३)	३७८
३९२. भाषण: मद्रासकी सार्वजनिक सभामे (२०-१२-१९३३)	३७९
३९३. भाषण: वच्चोके सम्मुख (२१-१२-१९३३)	३८०
३९४. भाषण: रॉबिन्सन पार्क, मद्रासमे (२१-१२-१९३३)	३८१
३९५. भाषण: पेराम्बूरकी मजदूर-सभामे (२१-१२-१९३३)	३८२

## उनतीस

३९६. टिप्पणियाँ : पुष्पमालाएँ; नीलाम और जेवर; उपवासका दुरुपयोग (२२-१२-१९३३)	३८३
३९७. भाषण : जॉर्ज टाउनकी सभा, मद्रासमें (२२-१२-१९३३)	३८५
३९८. भाषण : मद्रासके जैन मन्दिरमें (२२-१२-१९३३)	३८६
३९९. भाषण : वैश्य एसोसिएशनमें (२२-१२-१९३३)	३८८
४००. भाषण : आन्ध्र महासभाकी बैठक, मद्रासमें (२२-१२-१९३३)	३८९
४०१. भाषण : हिन्दी प्रचार सभाके दीक्षान्त समारोहमें (२२-१२-१९३३)	३८९
४०२. बातचीत : दलित वर्ग सघके शिष्टमण्डलसे (२२-१२-१९३३)	३९१
४०३. भेट : 'मद्रास मेल' के प्रतिनिधिको (२२-१२-१९३३)	३९९
४०४. भेट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको (२२-१२-१९३३)	४०३
४०५. सन्देश : तमिल-प्रेमी सम्मेलनमें (२२-१२-१९३३)	४०४
४०६. भाषण : गुट्टरमें (२३-१२-१९३३)	४०४
४०७. भाषण : थल्लापलम्की हरिजन-सभामें (२३-१२-१९३३)	४०६
४०८. पी० एम० रावको प्रमाणपत्र (२३-१२-१९३३)	४०८
४०९. भाषण : पेड्डापुलममें (२४-१२-१९३३)	४०८
४१०. भाषण : गोल्लापलममें (२४-१२-१९३३)	४०९
४११. भाषण : रामचन्द्रपुरममें (२४-१२-१९३३)	४१०
४१२. भाषण : राजमंडरीमें (२४-१२-१९३३)	४११
४१३. हरिजन शिष्टमण्डलको जवाब (२४-१२-१९३३)	४१२
४१४. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको (२५-१२-१९३३)	४१३
४१५. पत्र : ताराबहन आर० मोदीको (२५-१२-१९३३)	४१४
४१६. पत्र : कुसुमबहन देसाईको (२५-१२-१९३३)	४१५
४१७. पत्र : रमाबहन जोशीको (२५-१२-१९३३)	४१५
४१८. पत्र : कस्तूरबा गाधीको (२५-१२-१९३३)	४१६
४१९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (२५-१२-१९३३)	४१७
४२०. पत्र : छगनलाल जोशीको (२५-१२-१९३३)	४१९
४२१. पत्र : दूधीबहन वी० देसाईको (२५-१२-१९३३)	४२०
४२२. पत्र : विद्या आर० पटेलको (२५-१२-१९३३)	४२१
४२३. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको (२५-१२-१९३३)	४२१
४२४. पत्र : गोविन्द आर० पटेलको (२५-१२-१९३३)	४२२
४२५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (२६-१२-१९३३)	४२२
४२६. पत्र : रेहाना तैयबजीको (२६-१२-१९३३)	४२३
४२७. पत्र : कल्याणजी वी० मेहताको (२६-१२-१९३३)	४२४
४२८. पत्र : स्वरूपरानी नेहरूको (२६-१२-१९३३)	४२४

## तीस

४२९. भाषण : एल्लोरकी सार्वजनिक सभामें (२७-१२-१९३३)	४२५
४३०. भाषण : विद्याखापट्टमकी महिला-सभामें (२८-१२-१९३३)	४२७
४३१. भाषण . विद्याखापट्टमकी सार्वजनिक सभामें (२८-१२-१९३३)	४२९
४३२. टि'पणियाँ : बार-बार वही प्रश्न; खिलौने भेंट मत कीजिए (२९-१२-१९३३)	४३१
४३३. मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी (२९-१२-१९३३)	४३२
४३४. पत्र : मनु गांधीको (२९-१२-१९३३)	४३३
४३५. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको (३०-१२-१९३३)	४३४
४३६. पत्र : रुक्मिणी वजाजको (३१-१२-१९३३)	४३४
४३७. पत्र : कस्तूरबा गांधीको (१-१-१९३४)	४३५
४३८. पत्र : प्रभावतीको (१-१-१९३४)	४३७
४३९. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको (१-१-१९३४)	४३८
४४०. पत्र : पेस्टनजीको (१-१-१९३४)	४३९
४४१. पत्र : सुरेन्द्र मशहवालाको (१-१-१९३४)	४३९
४४२. पत्र : विद्या आनन्द हिगोरानीको (१-१-१९३४)	४४०
४४३. पत्र : लक्ष्मी गांधीको (१-१-१९३४)	४४१
४४४. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (१-१-१९३४)	४४१
४४५. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (२-१-१९३४)	४४२
४४६. पत्र : मणिवहन पटेलको (२-१-१९३४)	४४३
४४७. पत्र : अमतुस्सलामको (२-१-१९३४)	४४४
४४८. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको (२-१-१९३४)	४४५
४४९. पत्र : दूवामाई मालजी डाफडाको (२-१-१९३४)	४४६
४५०. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तको (२-१-१९३४)	४४७
४५१. भेंट : हरिजन कार्यकर्ताओंसे (२-१-१९३४)	४४७
४५२. भाषण : कड़प्पाकी सार्वजनिक सभामें (२-१-१९३४)	४४९
४५३. पत्र : जमनालाल वजाजको (३-१-१९३४)	४५०
४५४. भाषण : पेड्डावाडगुरुमें (३-१-१९३४)	४५१
४५५. महिलाओंके सम्मुख दिये गये भाषणोंके कुछ अंश (४-१-१९३४ से पूर्व)	४५२
४५६. पत्र : एफ० मेरी वारको (४-१-१९३४)	४५३
४५७. भाषण : डोड्डावल्लापुरमें (४-१-१९३४)	४५३
४५८. वातचीत : कार्यकर्ताओंके साथ (४-१-१९३४)	४५४
४५९. भाषण : तुमकुरकी सार्वजनिक सभा में (४-१-१९३४)	४५५
४६०. भाषण : वंगलौरकी महिला सभामें (४-१-१९३४)	४५६
४६१. भाषण : वंगलौरकी सार्वजनिक सभामें (४-१-१९३४)	४५७

## इकतीस

४६२. उदार दृष्टि रखिए (५-१-१९३४)	४५८
४६३. पत्र . महालक्ष्मी एम० ठक्करको (५-१-१९३४)	४६०
४६४. पत्र . प्रभावतीको (५-१-१९३४)	४६०
४६५. पत्र . वी० एल० फडकेको (५-१-१९३४)	४६१
४६६. पत्र . जीवनजी डाह्याभाई देसाईको (५-१-१९३४)	४६२
४६७. पत्र . ब्रजकृष्ण चण्डीवालाको (५-१-१९३४)	४६२
४६८. भाषण . हरिजनकी सभामे (५-१-१९३४)	४६३
४६९. भाषण . मैसूरकी सार्वजनिक सभामे (५-१-१९३४)	४६४
४७०. भाषणके अंश (६-१-१९३४ से पूर्व)	४६६
४७१. पत्र . परीक्षितलाल एल० मजमूदारको (६-१-१९३४)	४६७
४७२. भाषण : बगलौरकी छात्र-सभामे (६-१-१९३४)	४६८
४७३. पत्र . गोविन्दभाई आर० पटेलको (७-१-१९३४)	४६८
४७४. भाषण . एपेक्स बैंक हॉल, बगलौरमे (७-१-१९३४)	४६९
४७५. भाषण . बगलौर की नागरिक सभामे (८-१-१९३४)	४६९
४७६. भाषण . बगलौरमे, मद्यत्याग सघके सम्मुख (७-१-१९३४)	४७१
४७७. भाषण : बगलौरकी सार्वजनिक सभामे (७-१-१९३४)	४७३
४७८. बातचीत . हरिजन कार्यकर्त्ताओसे (७-१-१९३४)	४७४
४७९. पत्र . एन० आर० मलकानीको (८-१-१९३४)	४७५
४८०. पत्र : पार्वतीबहन पी० देसाईको (८-१-१९३४)	४७५
४८१. पत्र : कस्तूरबा गाधीको (८-१-१९३४)	४७६
४८२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (८-१-१९३४)	४७७
४८३. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको (८-१-१९३४)	४७९
४८४. पत्र : क० मा० मुन्शीको (८-१-१९३४)	४८०
४८५. सन्देश : मैसूरके लोगोको (९-१-१९३४)	४८१
४८६. भाषण . पालघाटकी सार्वजनिक सभामे (१०-१-१९३४)	४८१
४८७. भाषण : पालघाटकी महिला सभामे (१०-१-१९३४)	४८३
४८८. भाषण . नायडियोकी सभा, कुजालमन्नमुमे (१०-१-१९३४)	४८३
४८९. भाषण . गुरुवायूरकी महिला-सभामे (१०-१-१९३४)	४८४
४९०. पत्र : यूवोन प्रिदाको (११-१-१९३४)	४८६
४९१. भाषण : गुरुवायूरकी सार्वजनिक सभामे (११-१-१९३४)	४८७
४९२. भाषण . पत्तम्बीमे (११-१-१९३४)	४९३
४९३. टिप्पणी . मैत्रीपूर्ण बातचीतका सदा स्वागत है (१२-१-१९३४)	४९४
४९४. पत्र : गोविन्दभाई आर० पटेलको (१२-१-१९३४)	४९७
४९५. पत्र : मणिलाल और सुशीला गाधीको (१३-१-१९३४)	४९७



## वत्तीस

४९६. पत्र : डाह्याभाई पटेलको (१३-१-१९३४)	४९९
४९७. भाषण : तेलिचेरीकी सार्वजनिक सभामें (१३-१-१९३४)	५००
४९८. भाषण : माहेकी सार्वजनिक सभामें (१३-१-१९३४)	५०१
४९९. भाषण : औषधालयके उद्घाटनके अवसरपर, पक्कनारपुरममें (१३-१-१९३४)	५०३
५००. भाषण : कालीकटकी महिला-सभामें (१३-१-१९३४)	५०४
५०१. भाषण : कालीकटकी सार्वजनिक सभामें (१३-१-१९३४)	५०६
५०२. भाषण : मलावार क्रिश्चियन कॉलेज, कालीकटमें (१३-१-१९३४)	५०९
५०३. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको (१४-१-१९३४)	५११
५०४. भाषण : कलपेट्टाकी सार्वजनिक सभामें (१४-१-१९३४)	५११
५०५. भाषण : कालीकटकी सार्वजनिक सभामें (१४-१-१९३४)	५१३
५०६. पत्र : नान और तंगई मेननको (१५-१-१९३४)	५१६
५०७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (१५-१-१९३४)	५१६
५०८. पत्र : गंगावहन वैद्यको (१५-१-१९३४)	५१९
५०९. पत्र : सुलोचना अ० शाहको (१५-१-१९३४)	५२०
५१०. पत्र : प्रेमावहन कंटकको (१५-१-१९३४)	५२०
५११. पत्र : अमीना जी० कुरेशीको (१५-१-१९३४)	५२१
५१२. पत्र : अमनुस्सलामको (१५-१-१९३४)	५२१

### परिशिष्ट :

१. (अ) यात्रा-कार्यक्रम	५२२
(आ) यात्रा-कार्यक्रममें परिवर्तनके सम्बन्धमें परिपत्र	५२४
(इ) प्रान्तानुसार यात्रा-कार्यक्रम	५२५
२. मुहम्मद इक़्बालका वक्तव्य	५२६
३. जवाहरलाल नेहरूके वक्तव्यके अंश	५२७
४. वापूका यात्रा-कार्यक्रम	५३२
सामग्रीके साधन-सूत्र	५३३
तारोखवार जीवन-वृत्तान्त	५३५
शीर्षक-सांकेतिका	५४५
सांकेतिका	५५१

## १. कुछ प्रश्न

मेरी फाइलमे हरिजनोके कई पत्र पडे हुए हैं, जिनमे मुझसे अनेक प्रश्न पूछे गये हैं। यहाँ मैं सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न ही ले रहा हूँ। इन सवालोकामें जवाब देनेके पहले मैं पत्र-लेखकोको एक चेतावनी दे देना चाहता हूँ। वह यह कि वे सिर्फ सवाल पूछनेकी ही नीयतसे सवाल न पूछे, अथवा इससे भी बुरी बात तो यह है कि अपना विज्ञापन करानेकी खातिर प्रश्न न पूछे। उच्च या सवर्ण कहलानेवाले लोगोमे जो दुर्गुण और दोष हैं, उनसे तो हरिजन भाई अपनेको दूर ही रखे, उनसे मेरी यह प्रार्थना है। हरिजन-कार्यकर्ताओकी सख्या अभी बहुत ही थोडी है। मैं चाहता हूँ कि वे शुद्ध, निष्कलक चरित्रवाले और स्वार्थगून्य रहे, क्योंकि उन्हे बहुत ही बडा बोझ उठाना है। यह तो मैं वारम्बार इस पत्रमे कह चुका हूँ कि अस्पृश्यताके शापसे अपनेको मुक्त करना सवर्ण हिन्दुओका धर्म है। अन्तमे, हरिजनोका उद्धार तो उनके अपने निजी प्रयत्नसे ही होगा। ऊपर मैंने जो सलाह दी है, उसके अनुसार मैं यहाँ पत्र-लेखकोके नाम नहीं दे रहा हूँ, और मुझे आशा है कि वे मेरी इस बातको स्वीकार कर लेंगे।

पहला प्रश्न जो मैं लेता हूँ वह यह है :

आम तौरसे हरिजन-सेवाका काम शहरोंमें हो रहा है, पर गाँवोंमें तो लगभग कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। सेवा-कार्यकी सच्ची आवश्यकता तो गाँवोंमें ही है। इसके लिए क्या किया जाये ?

मुझे भय है कि पत्र-लेखकने जो कहा है, वह अधिकागमे सच है। बदकिस्मतीसे सुधारकके आगे जो भगीरथ कार्य पडा हुआ है, उसे देखते हुए काम करनेवाले तो बहुत ही कम हैं और ज्यादातर हरिजन-सेवक नागरिक जीवनके अभ्यस्त होनेके कारण गाँवोमे जाकर बसना पसन्द नहीं करते। इस प्रश्नपर [अखिल भारतीय हरिजन-सेवक सघ]के केन्द्रीय बोर्डने पूरा-पूरा ध्यान दिया है, और गाँवोमे सेवक भेजनेका प्रयत्न जारी है। इसमें सघको कुछ सफलता भी मिली है। इसलिए इस प्रश्नका कि “इसके लिए क्या किया जाये”, जवाब यह है कि यह प्रयत्न और भी तेजीसे चलाया जाये। गाँवोमें हरिजन-सेवाका कार्य करनेवाले या तो खोज निकालने हैं या तैयार करने हैं। वस, एक बार गाँवोमे जा बसनेका जहाँ उनका डर दूर हुआ, तहाँ आजकी अपेक्षा वे फिर अधिक सख्यामे मिलने लगेगे। कोशिश जारी रखनेपर सफलता मिल कर रहेगी।

दूसरा प्रश्न यह है :

सवर्ण हिन्दू अगर हरिजनोंको अपने घरमें नौकर रख लें, तो क्या अस्पृश्यता शीघ्रसे-शीघ्र दूर नहीं हो जायेगी ?

यह कोई नई सलाह नहीं है। स्वामी श्रद्धानन्दजी तो इसपर बहुत जोर दिया करते थे कि सवर्ण हिन्दू जिस प्रकार दूसरी जातिवालोंको घरमें नौकर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हरिजनको भी उन्हें नौकर रख लेना चाहिए। पर मेरे विचारसे तो हरिजनोंको जब घरमें आम तौरसे नौकर रखने लगेंगे, तब अस्पृश्यता-निवारणके लिए यह कार्य सिर्फ उत्तेजनरूप ही नहीं होगा, बल्कि यह इस बातका चिह्न होगा कि अस्पृश्यताका नाश हो गया। तो भी ऐसे हरएक सुधारकका जिसने अपने घरसे अस्पृश्यताको निकाल दिया है, यह कर्तव्य है कि वह अपने घरमें एक हरिजन नौकर रख ले। सुधारक यदि एकाध हरिजन-बालक या कन्या को बतौर नौकरके नहीं, बल्कि कुटुम्बीके रूपमें रख ले, तो निःसन्देह यह बहुत ही अच्छा काम हो।

तीसरा प्रश्न यह है :

अस्पृश्यता-निवारणकी इस लड़ाईमें खुद हरिजनोंको किस तरह भाग लेना चाहिए ?

इस सवालका जो जवाब मैं पहले अनेक बार दे चुका हूँ, वही फिर देता हूँ। हरिजनोंको खूब जोशके साथ अपने अन्दर सुधार करना चाहिए। किसीके लिए यह कहनेको न रह जाये कि उनमें अमुक बुराई है।

चौथा प्रश्न यह है :

खेड़ा जिलेके दो गाँवोंमें हरिजनोंका इसलिए बहिष्कार कर दिया गया है कि उन्होंने मरे हुए ढोर उठानेके लिए सवर्ण हिन्दुओंसे यथोचित मजदूरी माँगी थी। ऐसे मामलोंमें हरिजन क्या करें ?

मैं यह बात सहर्ष कह सकता हूँ कि एक गाँवमें तो वहाँके हरिजन-सेवक सघके प्रयत्नसे बहिष्कार उठा लिया गया है और इस लेखके लिखते समय दूसरे गाँवके बारेमें इतनी खबर मिली है कि वहाँ भी मैत्रीपूर्ण समझौता हो जानेकी पूरी-पूरी सम्भावना है। मगर मान लो कि किसी गाँवमें सवर्ण हिन्दू हठपर ही तुले हुए हैं और हरिजनोंका बहिष्कार चालू कर रखा है, तो ऐसे अवसर पर हरिजनोंमें अगर तनिक भी आत्माभिमान शेष है, तो उन्हें भी बिना उचित मजदूरी पाये काम न करनेका आग्रह जारी रखना चाहिए, और यदि उनसे बहिष्कार बर्दाश्त न किया जाये, तो शान्तिसे उस गाँवको छोड़कर वे कहीं दूसरी जगह चले जाये। मैं जानता हूँ कि कहनेमें तो यह बात सहल है, पर करना कठिन है। मुझे यह भी मालूम है कि मेरे कहे अनुसार मार्ग ग्रहण करनेकी हरिजनोंमें अभी वह जागृति भी नहीं आई है। किन्तु मुझे दृढ़ विश्वास है कि वह समय बड़ी तेजीसे आ रहा है, जब इस प्रकारका बहिष्कार करनेके पहले सवर्ण हिन्दुओंको एक नहीं सौ बार विचार करना पड़ेगा।

पाँचवाँ प्रश्न यह है :

आपन यह प्रस्ताव रखा था कि हरिजन-सेवक संघको सलाह देनेके लिए हरिजनोंका अपना एक अखिल भारतीय परामर्शदाता-मण्डल बनना चाहिए। आखिर फिर इसका हुआ क्या ?

यह तजवीज मैंने अहमदाबादमे पेश की थी, और वह प्रान्तीय सघके सम्बन्धमे थी। लेकिन जो बात प्रान्तीय सघके सम्बन्धमे ठीक है, वही अखिल भारतीय सघके विषयमे भी कही जा सकती है। पर इतना याद रखना चाहिए कि यह सलाह हरिजनोंको दी गई थी, इसलिए इस दिशामे काम करना और ऐसी परामर्शदात्री समितियोंको नियुक्त करना उन्हीका काम है। नि.सन्देश अखिल भारतीय और प्रान्तीय बोर्ड ऐसी समितियोंका स्वागत ही करेंगे और उनका काम भी बड़ी अच्छी तरहसे चलेगा। बहुत-कुछ काम उनसे ही सकेगा।

छठा प्रश्न यह है :

क्या आपको मालूम है कि कुछ मन्दिर, जो हरिजनोंके लिए खोल दिये गये थे, बादमें बन्द कर दिये गये हैं? इस समस्याका हल आप किस तरह करेंगे ?

फिलहाल हमें यह मान लेना चाहिए कि वे मन्दिर या तो कुछ दबावके कारण खोल दिये गये थे, या उन्हें हरिजनोंके लिए बन्द कर देनेका बादमे ट्रस्टियोंपर दबाव डाला गया। ट्रस्टियोंको मजबूर करनेके एक-दो उदाहरण मुझे मालूम हैं। दोनों ही हालतोमे मेरा हल तो यह है कि फिलहाल हमें यह स्थिति सहन ही कर लेनी चाहिए।

सातवाँ सवाल यह है :

मन्दिर-प्रवेशका आन्दोलन अब, मालूम होता है, जैसे बिलकुल ठप ही हो गया है। इस सम्बन्धमें क्या आप कुछ करनेका विचार कर रहे हैं ?

मेरा तो ऐसा खयाल नहीं है कि मन्दिर-प्रवेशका आन्दोलन खत्म हो गया है। आन्दोलनका दिखाऊ रूप बेशक बन्द कर दिया गया है, लेकिन हरिजनोंके लिए नये मन्दिर बनवाने और पुराने मन्दिरोंके द्वारोंको खुलवानेका प्रयत्न तो बराबर वैसे ही दृढ़ताके साथ आज भी जारी है, जैसा कि 'हरिजन' के पृष्ठोमे देखा जा सकता है।

आठवाँ प्रश्न यह है :

यदि सभी पक्षके लोग आपसमें समझौता करके घरबडा-समझौतेमें फेरफार करना चाहें, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे ?

यह तो स्वाभाविक बात है कि अगर सभी पक्ष एकमत हो, तभी समझौतेकी शर्तोंमे रद्दोबदल किया जायेगा। पर जहाँतक मेरा अपना सम्बन्ध है, मैं यही कहूँगा कि उस इकरारनामेमे कोई ऐसा फेरफार कभी नहीं हो सकता, जिससे हरिजनोंको कोई नुकसान उठाना पड़े।

नवाँ सवाल यह है :

बम्बईकी विधान-सभामें जो यह प्रस्ताव पास हुआ था कि हरिजनोंके लिए सार्वजनिक कुएँ खोल दिये जायें, उसपर न तो बम्बई सरकारने और न जनताने ही अबतक कोई अमल किया है। क्या आपकी राय है कि ऐसी स्थितिमें हरिजन सत्याग्रह करें?

पहले तो इस सम्बन्धमें मेरे पास कोई ठीक-ठीक खबर नहीं आई है; दूसरे, मौजूदा परिस्थितिमें, किसी भी तरह मैं सत्याग्रह करनेकी सलाह देनेमें असमर्थ हूँ। दसवाँ और अन्तिम प्रश्न यह है :

क्या आप इस विचारसे सहमत हैं कि अस्पृश्यता-निवारणके सम्बन्धमें हरिजन-नेताओंका एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया जाये?

निश्चय ही ऐसा कोई भी सम्मेलन, जो पूरी तरह प्रातिनिधिक हो, उपयोगी होगा। इसलिए ऐसे किसी सम्मेलनका तो मुझे स्वागत ही करना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १६-९-१९३३

## २. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

१६ सितम्बर, १९३३

चि० अमला<sup>१</sup>,

मुझे तुम्हारे कई पत्र मिले। तुम्हें मेरे प्रति अपने मनका भय छोड़ देना चाहिए। आश्रममें मैंने जो-कुछ भी कहा और किया था वह शुद्ध प्रेमभावसे और तुम्हारे भलेके लिए कहा और किया गया था। मैं जो-कुछ कहता हूँ यदि तुम्हें उसमें विश्वास है तो तुम मुझसे क्यों डरो? इसलिए तुम्हें मुझसे कतराने या मुझसे भय करनेकी जरूरत नहीं है। बल्लड-प्रेषार होनेके बावजूद मैं ठीक-ठाक हूँ।

सप्रेम,

बापू

[ अंग्रेजीसे ]

स्पीगल पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. एक जर्मन महिला, जो आश्रममें हरिजन सेवा-कार्यका प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं। गांधीजीने बादमें उनका भारतीय नाम 'अमला' रख दिया था।

### ३. बातचीत : स्त्री-कार्यकर्त्ताओंसे<sup>१</sup>

[ १६ सितम्बर, १९३३ ]<sup>१</sup>

मैं तो बरसोसे कहता आया हूँ कि जो बातको समझ गये हैं उन्हें खादीके उत्पादनमें हाथ बँटाना चाहिए। लेकिन किसीने मेरी रायको स्वीकार नहीं किया। यदि यह राय मान ली गई होती तो खादी आज व्यापक हो चुकी होती और इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। यदि रोज आधा घंटा काता जाये तो इसमें जाता ही क्या है! परन्तु आज तो लगता है कि इसमें बहुत-कुछ जाता है। जो बुनकर हाथका सूत बुननेको तैयार हैं उन्हें हाथका सूत नहीं मिल पाता। ऐसे कितने ही जुलाहे हैं जिन्हें मुझे मजबूर होकर कहना पडा है कि मैं तुम्हारे लिए हाथकते सूतकी व्यवस्था करता हूँ; पर यदि मिल ही न पाये तो तुम लोग भले ही मिलके सूतका उपयोग करो। मुझे कोई तुम्हारा धन्धा थोड़े ही बन्द करना है। आधा घंटा कातनेकी बात तो मैंने तुम लोगोके समक्ष ऐसी पेश की थी जो अत्यन्त सुगम थी, यही माना जाना चाहिए। खादीके विक्री-कार्यमें तुम्हें लोगोकी बाते सुननी पडती होगी तो उन्हें सहन कर लेना; तुम इसी योग्य हो। पर मैंने जो-कुछ कहा है, यदि तुम उसपर चलो तो बाते सुननेका अवसर ही न आये।

प्रश्न : बहनें जब कातती थीं तब कातनेकी व्यवस्था नहीं थी।

गांधीजी : यह सच है; यह बात मेरे ध्यानमें लाई गई थी। लेकिन स्त्रियाँ जो-कुछ कातती थी उसे तो सूत कहा ही नहीं जा सकता था। यदि बहने रस्से कातने लगे तो बुनकर क्या बुने? बुनकर केन्द्र तो अपने पास कितने ही हैं। इसलिए दोष तो हमें बहनोको ही देना होगा, क्योंकि उन्होंने कातना सीखनेका प्रयत्न ही नहीं किया।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, २४-९-१९३३

१ और २. यह बातचीत चन्द्रशंकर शुक्लके “साप्ताहिक पत्र” में “सरल मार्ग” शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी। गांधीजीकी ६५ वीं वर्षगाँठपर दो बहनें गांधीजीके पास गईं। उनमें से एक बहने खादीकी विक्रीमें जो मंदा आ गई थी उसकी शिकायत की थी। गांधीजीकी यह वर्षगाँठ गुजराती विक्रम सम्बतके अनुसार १६ सितम्बरको पड़ी थी।

## ४. उत्तर : पत्र-लेखकोंको'

[ १७ सितम्बर, १९३३ से पूर्व ]

सुख और दुख गर्मी और सर्दीके समान हमारे पीछे लगे रहते हैं।' एक दिन मोटर हो और दूसरे दिन पांव-प्यादे चलना पड़े तो इसमें दुख माननेका क्या कारण है? हिम्मत और धीरज कभी न छोड़ना। यही सच्ची दौलत है।

जहाँ सेवा करनेका अवसर मिले वहाँ सेवा करना हमारा धर्म है। सुख-दुख तो मनके माननेकी बात है। तुम्हें दुख हो ही क्या सकता है? रामनामको भूलना ही सच्चा दुख है। यह तो तुम नहीं भूलते।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ईश्वरने तुम्हें वचा लिया है। तुमसे उसे अधिक सेवा लेनी है।

जो शरीर एक दिन नष्ट होनेवाला है उसमें यदि कुछ बुराई घुस आये तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ऐसी सहनशक्ति सब नवयुवकोंको कैसे दी जा सकती है? बूढ़ोंके मनसे भी जीनेकी आगा जब नहीं छूटती तब वचोका क्या कहना? परमेश्वर तो सबको वचानेवाला है ही।

जो बात तुमपर और मुझपर लागू होती है वह हरिजनोंपर भी लागू होनी चाहिए, इसका आग्रह नहीं किया जा सकता। हरिजनोंको तो हमने अपने समाजसे बाहर रखा है। और फिर, आज जो वस्तुस्थिति है हमें उस ओर भी देखना चाहिए। यदि हम कुछ-एक लोगोंको छोड़ दे तो आज स्कूल-कालेजोंके बहिष्कार पर कहाँ अमल किया जा रहा है? इसलिए यदि हम हरिजनोंसे कहें कि तुम लोग यदि सामान्य स्कूल कालेजोंमें जाओगे तो तुम्हें मदद नहीं मिलेगी, तो यह उनके प्रति घोर अन्याय होगा।'

मैं अपनी शक्तिका अधिकांश भाग हरिजन सेवा-कार्यमें लगा ही रहा हूँ; और मैं जेलके भीतर रहूँ अथवा बाहर, जीवनकी आखिरी घडीतक मैं हरिजन-कार्य ही करता रहूँगा।'

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १७-९-१९३३

१. यह और इसके बादके चार शीर्षक १७-९-१९३३ के हरिजनबन्धु में प्रकाशित चन्द्रशंकर शुक्लके "साप्ताहिक पत्र" से लिये गये हैं।

२. पत्र-लेखकने गांधीजीको अपनी आर्थिक स्थितिके बारेमें लिखा था।

३. इस पत्र-लेखककी बाँहकी हड्डी टूट गई थी।

४. असहयोगको माननेवाले एक हरिजन सेवकने पूछा था कि गांधीजी एक समय जिन सरकारी स्कूलों और कालेजोंके बहिष्कारकी बात करते थे, अब उन्हीं स्कूलों और कालेजोंमें जानेके लिए हरिजनोंको छात्रवृत्ति क्यों दिलाते हैं।

५. पत्र-लेखकने गांधीजीको अपनी शक्ति हरिजन-सेवामें केन्द्रित करनेके लिए लिखा था।

## ५. एक पत्र'

[ १७ सितम्बर, १९३३ से पूर्व ]

एक हृदयक 'आत्म-निन्दा' भी आवश्यक है। परन्तु मैंने देखा है कि कुछ-एक लोगोंको आत्म-निन्दामे अतिरेक करनेकी आदत ही पड जाती है; और इस प्रकार वे फिर प्रगति कर ही नहीं सकते। आत्म-निन्दाका उपयोग तो इतना-भर होना चाहिए कि हम प्रगति कर सकें। भूतकालमें हमारे हाथो जो दोष हुए हो और आज हम उन्हें न कर रहे हो तो उनका बार-बार चिन्तन करके आत्माका उत्पीड़न करनेका अर्थ तो दोषकी वृद्धि करनेके समान ही है। कोई महादोष हो उसे तो प्रकट कर ही देना चाहिए, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। सत्यका पुजारी तो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। पर इस दोषको स्वीकार करते हुए किसी भी प्रकारका बोझ मनपर नहीं होना चाहिए। चढी हुई मैलको एक बार धो देनेके बाद उसी मैलका बोझ भला खुदपर कोई रहने देगा? परन्तु तुम कुछ ऐसा ही करते जान पड़ते हो। हममे सत्यके प्रकट होनेपर ही हमारे समक्ष असत्य छिप नहीं पायेगा। लेकिन हममे कौन-सा असत्य किस स्थानमे छिपा है, इसे हम सदा ही नहीं खोज पायेंगे। मेरा लिखनेका हेतु केवल इतना ही है कि तुम्हें अपना मन हलका कर लेना चाहिए। यह भक्तिका ही लक्षण है। भगवानका सहारा लेनेके बाद भक्त कभी घबराता नहीं। भूतकालकी याद करके वह कभी रोने नहीं बैठेगा। वह भविष्यके विषयमें भी निश्चिन्त रहेगा। वर्तमानपर तो उसका काबू है ही। उसकी सँभाल वह करेगा और उसको सँभालनेकी कुँजी भगवानने उसे दे ही रखी है। "जो-कुछ तू करे . . . वह मुझे अर्पण कर।"<sup>१</sup> भक्त यदि इतना कर पाये तो वह मुक्त होकर नाच सकता है। यदि तुम अपना मन इस प्रकार हलका कर सको तो शारीरिक और मानसिक सारे ही रोग चले जाये और तुमसे भरपूर सेवा ली जा सके। अपना मन अवश्य ही हलका कर लेना।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १७-९-१९३३

१. यह "भक्तिका लक्षण" शीर्षकसे प्रकाशित किया गया था। यह एक हरिजन-कार्यकर्ता के पत्रके उत्तरमें लिखा गया था, जो अपने स्वभावगत दोषोंके कारण अत्यन्त संतप्त था।

२. श्रीमद्भगवद्गीता, ९, २७।



## ६. बातचीत : एक हरिजन-कार्यकर्त्तासे'

[ १७ सितम्बर, १९३३ से पूर्व ]

सेवाकी मेरी रीति ही निराली है। जिसे सर्वोत्तम काम करना है, जो शुद्ध और सच्चा सेवक बनना चाहता है, उसमें इतनी योग्यता तो होनी ही चाहिए। यो तो जिसे जो काम करना हो वह किया करे, उसे क्या कोई रोकता है? परन्तु हमारा काम शीघ्रतासे नहीं होता, इसका कारण यही है कि सेवक जन पूरी योग्यता प्राप्त किये बिना ही अपने जिम्मे काम ले लेते हैं।'

विलायत पढ़ने भेजें तो मैं जानेको तैयार हूँ।

इतने-से कामके लिए इतना अधिक खर्च किया जाये। यहाँ धन्वेका जितना शिक्षण मिल सके, उतना ग्रहण करो; विलायतका विचार फिर किया जाये। और फिर, विदेश कितने लोगोंको भेजा जा सकता है?

तो फिर कोई सामाजिक सेवाका काम बताइये।

सब इसीमें आ जाता है। सीखते हुए किसीकी सेवा नहीं हो सकती, ऐसा थोड़े ही है। तुममें योग्यता होनी चाहिए। योग्यताके बिना जो तुम चाहते हो वह नहीं मिल सकता। सेवाके नामपर दौड़-धूप तो बहुत करते हैं, पर इससे क्या जनताकी सेवा हो जाती है? जिसे रचनात्मक काम करना है, जनताकी सच्ची और शुद्ध सेवा करनी है उसका तो तरीका ही जुदा होता है। लोगोंको अगर चरित्रवान् बनाना हो, तो तुममें उतनी शक्ति होनी चाहिए। उद्यममें अगर तुम्हारा मन न लगे तो कोई नौकरी कर लो और ईमानदारीसे नौकरी करो। इससे भी कौमकी सेवा हो सकती है। अगर तुम्हारी यह छाप लोगोपर पड़े कि तुमसे अधिक पवित्र आदमी नहीं मिलता, तो वह भी तुम्हारी जन-सेवा ही कही जायेगी। किसी मनुष्यके बारेमें यदि लोग यह कह सके कि इसकी इमानदारीकी तो सीमा ही नहीं है, तो क्या यह कोई छोटी बात है? ऐसे ईमानदार नौकर बड़े आदमियोंके यहाँ सोलह आने कर्त्ता-घर्त्ता बन गये, इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। ऐसे नौकरोकी सेठ लोग पूजा करते हैं।

मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे तो त्याग करना है।

इसमें पैसा कमानेकी बात नहीं है। तुम्हें यदि इतनी प्रतिष्ठा मिल जाये कि हिन्दू-समाज यह कह सके कि एक प्रामाणिक हरिजन देखना चाहते हो तो यह रहा,

१. यह बातचीत " नन्दके समान बनो " शीर्षकसे प्रकाशित हुई थी।
२. हरिजन-कार्यकर्त्ता चरखे द्वारा मेवा करनेमें खुश नहीं थे और वे यह जानना चाहते थे कि बिना किसी पूर्व प्रशिक्षणके तुरन्त सेवा किस प्रकार की जा सकती है?

यह कोई मामूली बात नहीं है। मुझे आज यह कहना पड़ता है कि हरिजनोमे नन्द-जैसा एक पुरुष पैदा हो गया है। नन्दको हुए चार-पाँच सौ वर्ष हो गये हैं, लेकिन उसकी कीर्तिगाथा आज भी गाई जाती है। नन्दके समान हरिजनोमे आज कोई पैदा क्यों नहीं हो सकता? उनके जमानेमे हो सके और आज नहीं हो सकते, ऐसा थोड़े ही है। यदि हरिजन नन्द-जैसे हो जाये, तो फिर क्या कहना! मैं तो सबर्णोमे अस्पृश्यता-निवारणका आन्दोलन चला रहा हूँ, और हरिजनोको भी उनका धर्म बताता हूँ।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १७-९-१९३३

### ७. सलाह : एक कार्यकर्ताको<sup>२</sup>

[ १७ सितम्बर, १९३३ से पूर्व ]

प्रचारक तो मालवीयजी-जैसे हो, नारायण शास्त्री<sup>१</sup>, लक्ष्मण शास्त्री<sup>२</sup> या श्रीधर शास्त्री पाठक-जैसे हो। वे तो शुद्ध कुन्दन-जैसे चरित्रवाले मानव होते हैं। भला ऐसे प्रचारक हम विज्ञापन देकर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रचारक तो रटे हुए भाषण हमें दे जायेंगे। इनसे हमारा काम कैसे वनेगा। अतः यदि खरी मुहर नहीं मिल पाती तो क्या खोटे सिक्के लेकर हम काम चलायेंगे। यह तो शेखचिल्लीकी-सी बात होगी। मुझे तो यह जरा भी पसन्द नहीं है। मैंने तो इस प्रकार कभी कोई काम नहीं किया।

तो अब मैं एकाएक यह कैसे कह दूँ कि मैं प्रचारक तैयार कर रहा हूँ।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १७-९-१९३३

१. चिदम्बरमके नन्दनार, तमिलनाडुके ६३ शैव सन्तोंमें से एक।

२. यह लेख “कार्यकर्ताके गुण” शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था। गाधीजीके समक्ष एक ऐसा सुझाव आया था कि कुछ वैतनिक प्रचारक अस्पृश्यताका मुकाबला करनेके लिए भेजे जायें। चन्द्रशकर शुक्ल इस रिपोर्टके प्रारम्भमें यों लिखते हैं: “गाधीजी प्रचारकोंमें कुछ विशेष गुणोंकी अपेक्षा करते हैं, जैसे धर्म-सम्बन्धी ज्ञान और चरित्रकी पवित्रता आदि। वे कहते हैं कि हम प्रचारको व्यवसाय तो नहीं बना सकते। वह तो एक धार्मिक कार्य ही हो सकता है। वैतनिक प्रचारकों वाली बात उन्होंने मंजूर नहीं की।”

३. नारायण शास्त्री मराठे उर्फ स्वामी केवलानन्द।

४. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी।

## ८. बातचीत : गुरुकुल कांगड़ीके विद्यार्थियोंसे'

[ १७ सितम्बर, १९३३ से पूर्व ]

अपने चरित्रको शुद्ध करके ही हम हरिजन-सेवा कर सकते हैं। इसके लिए जिस शुद्धिकी आवश्यकता है वह भी खरी होनी चाहिए। अर्थात् तुम्हें इसके लिए तपस्या करनी चाहिए। इसी तपस्याके निमित्त मैंने उपवास किये। इसका कुछ परिणाम तो तत्काल हुआ। और अभी बरसोतक इसका परिणाम बना रहेगा। सामान्य रूपसे तो हम आत्मशुद्धि करते हैं, परन्तु हरिजन-सेवाके लिए विशेष शुद्धिकी आवश्यकता है। और यह शुद्धि जितनी अधिक बन पड़ेगी उतनी ही अधिक हरिजन-सेवा हो सकेगी। यदि ऐसा एक भी मनुष्य हो तो उसका भी असर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसा मनुष्य हरिजनोके बीच जायेगा तो वहाँ भी काम कर सकेगा। सनातनियोंके बीच पहुँचेगा तो उनका हृदय भी द्रवित कर सकेगा। हरिजनोकी अपेक्षा तो सनातनियोंकी शुद्धिकी अधिक आवश्यकता है, इस विषयमें मुझे जरा भी शंका नहीं है। लेकिन जो लोग गर्वमें चूर हैं उन्हें कौन समझा सकता है? हमें सनातनियोंके बीच जाना होगा और उन्हें समझाना होगा। यदि वे हमें गालियाँ देंगे तो हम बदलेमें गाली नहीं देंगे; यदि वे मारपीट करेंगे तो हम मारपीट नहीं करेंगे। यदि वे बीमार होंगे तो हम उनकी सेवा-गुश्रूषा करेंगे। वे आचार-विचारका बड़ी कठोरतासे पालन करते होंगे तो हम उनसे भी अधिक कठोरताके साथ करेंगे। उन्हें वेदादिका जो ज्ञान होगा, उससे कहीं अधिक ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। ऐसा करनेसे ही उनपर हमारा असर होगा। अस्पृश्यताका मूलोच्छेदन कठिन कार्य है। यह कार्य कोई स्वार्थका नहीं है, परमार्थ दृष्टिसे किया जाने योग्य है। इसके लिए हमें दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक शुद्ध होना पड़ेगा।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १७-९-१९३३

१. यह "शुद्धिरूपी पूँजी" शीषकसे प्रकाशित हुई थी।

## ९. ब्राह्मण क्या करें ?

“ब्राह्मण क्या करें” इस शीर्षकका जो लेख<sup>१</sup> मैंने गतांकमे लिखा था, उसके सम्बन्धमे वही महाराष्ट्रीय सज्जन फिर लिखते हैं<sup>२</sup>

इस पत्रसे बहुत-से प्रश्न उठते हैं। ब्राह्मणोको जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, वह दूसरोको सहन नहीं करनी पड़ती, ऐसी बात नहीं है। आज एक नहीं तो अन्य कारणोसे नौकरी प्राप्त करनेमे सभीको थोड़ी-बहुत कठिनाई होती ही है। अबतक ब्राह्मणोको आसानीसे नौकरी मिल जाती थी। पर अब वह बात नहीं रही है। इसमे सन्देह नहीं है कि ब्राह्मणोकी जो हालत आज हो गई है या होती हुई जान पड़ती है, वैसी हालत अन्य जातियोकी कुछ वर्ष पहले थी। जहाँ जात-पाँतका भेद होता है, वहाँ ऐसी उन्नति-अवनति होती ही रहती है। इसलिए किसीको सन्तोषजनक आश्वासन देना कठिन है।

इस कठिनाईके मूलमे एक बात है जो विचारणीय है। नौकरियोकी सख्या सदा ही सीमित रहेगी। और नौकरीके उम्मीदवारोकी सख्या समयके साथ-साथ बढा ही करती है। इसका सीधा रास्ता यही है कि नौकरीका त्याग करनेकी प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए और अन्य धन्धोकी ओर रुचि पैदा करनी चाहिए और तत्सम्बन्धी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। इस फेरफारके सन्धिकालमे, कष्ट अवश्य होता है, परन्तु फल अच्छा ही निकलता है। अन्य देशोमे यही अनुभव किया गया है, और जो अबतक नौकरी करते थे, वे अब अन्य धन्धोमे लग गये हैं।

दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि खर्च कम किया जाये, पारिवारिक और व्यक्तिगत आवश्यकताएँ कम की जाये। जीवनको सादा बनानेकी आवश्यकता सारे ससारमे अधिकाधिक स्पष्ट होती जाती है। इस आशयकी एक अंग्रेजी कहावत है कि ‘सादा जीवन और उच्च विचार’। भारतमे तो सादगी निरा सद्गुण ही नहीं, बल्कि धर्मका एक अंग भी है।

कुटुम्बकी स्त्रियोको भी यथाशक्ति घरके खर्चमे सहयोग देनेकी आवश्यकता है। मजदूर वर्गकी स्त्रियाँ तो घरका काम-काज करती हुई भी कुछ कमाई कर लेती हैं। अन्य स्त्रियाँ भी ऐसा क्यों न करें? एक कुटुम्बमे खानेवाले तो बहुत और कमाने-

१. १० सितम्बर, १९३३ का; देखिए खण्ड ५५ पृ०, ४४०-४१।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने इसमें यह बताया था कि ब्राह्मण ब्रह्म-ज्ञानके प्रचार द्वारा अपनी रोजी नहीं कमा सकते, क्योंकि आम जनताको ये सब बातें पसन्द नहीं हैं। इसलिये बस एक ही विकल्प है कि नौकरी कर ली जाये। ब्राह्मण लोग इस सम्बन्धमे किन्हीं खास सुविधाओंकी माँग नहीं करते, लेकिन इतना जरूर चाहते हैं कि ब्राह्मण होनेके कारण उन्हें नौकरीके मामलेमें किसी कठिनाईका सामना न करना पड़े।

वाला केवल एक ही हो, तो उसके ऊपर अनुचित भार पड़े बिना न रहेगा। इसलिए जिन ब्राह्मणोंको नौकरी मिलनेमें कठिनाईयाँ दिसाई पढ़ें, उन्हें इस सलाहपर भी ध्यान देना चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १७-९-१९३३

## १०. पत्र : जमनालाल बजाजको

१७ सितम्बर, १९३३

वि० जमनालाल,

अन्वाराँमें तुमने सब पढ़ लिया होगा। मैं तुम्हें जानबूझकर ब्योरेवार नहीं लिखता था। तुम्हें किसी प्रकारका दायित्व सौंपते हुए आजकल मुझे संकोच होता है। चिरन्तनमे तुम्हें एकदम वापस आना पड़ा, यह भी अच्छा नहीं लगा। अब तो जब मिलेंगे तब बात करूँगे। मुझे भी आरामकी जरूरत होगी। गजानन<sup>१</sup> की बहू गोपी बहुत फर्कके भरे माय ही होगी और किमन<sup>२</sup> नामक एक अत्यन्त भली महिलाको भी मैंने अपने नाय भानेका न्योता दिया है। उसका स्वास्थ्य अच्छा था, लेकिन अब कुछ गड़बड़ा गया है। अपने स्वभावानुसार इन सबका बोझ तुम अपने कंधोपर उठा लोगे, यह मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि हम दोसररूप न हों।

बापूके आशीर्वाद

[ पुनश्च : ]

जवाहरलाल आज रात लगनल जा रहे हैं। कदाचित् बादमें वर्धा जाये। ज्ञान आ गई होगी।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९२५) से।

१. रामेश्वरदास बिडलाके पुत्र।

२. किसन धुमतकर।

## ११. श्रद्धांजलि : एनी बेसेंटको

[ २० सितम्बर, १९३३ ]<sup>१</sup>

डॉ० बेसेंटको उनकी लम्बी और कष्टदायक बीमारीसे मृत्युके हाथो मुक्ति दिलानेके लिए जहाँ लोग ईश्वरको धन्यवाद देगे वही हजारो लोग उनकी मृत्युपर शोक करेगे। जबतक भारत जीवित है तबतक डॉ० बेसेंटकी शानदार सेवाओकी याद भी जीवित रहेगी। भारतको अपना देश बनाकर और अपना सर्वस्व उसपर न्योछावर करके उन्होने भारतीयोका प्यार जीत लिया था।

मो० क० गांधी

[ अग्नेजीसे ]

बाँम्बे क्रॉनिकल, २१-९-१९३३

## १२. भाषण : अहमदाबादमें - १<sup>२</sup>

२१ सितम्बर, १९३३

इस शुभ कार्यको सम्पन्न करनेका काम मुझे सौंप कर आपने मुझपर अनुग्रह किया है। इसको करते हुए मैं सम्मानित हुआ हूँ, यह मेरी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय<sup>३</sup> ने वैसे मेरे लिए कहनेके लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा है। सर चिनुभाईकी दानशीलताकी एक लम्बी तालिका उन्होने कह सुनाई है। इसपर विचार करते हुए मेरे मनमे चट यही खयाल आया कि सर चिनुभाईकी दानशीलता पारसियोकी संसार प्रसिद्ध दानशीलताकी कोटिकी है। सर गिरिजाप्रसादने कहा कि सर चिनुभाईकी दानवृत्ति केवल एक कौम या धर्मके लोगोके लिए ही नहीं थी, बल्कि सबके लिए थी। अहमदाबाद शहरके सारे निवासी उससे लाभ उठा सके, ऐसी थी। सर चिनुभाईने स्वयं जो शिक्षा प्राप्त की और जिसे पाकर उन्होने इतना नाम पाया उसे प्रोत्साहन देनेमे उन्होने कुछ उठा नहीं रखा। अध्यक्ष महोदयने मुझे स्मरण दिलाया कि पहली बार अहमदाबादमे आनेके अवसरपर मुझे जो मानपत्र दिया गया था उसे प्रदान करनेवाले सर चिनुभाई ही थे।<sup>४</sup> वह प्रसंग मेरी आँखोके समक्ष आज भी तरंगित हो रहा है। सर गिरिजाप्रसादने सर चिनुभाईकी यह प्रतिमा अहमदाबाद-निवासियोको भेट की है, और अपनी पितृभक्तिकी थोड़ी-सी झाँकी हमे दी है। 'थोड़ी-सी झाँकी' मैं इसलिए

१. डॉ० एनी बेसेंटका निधन २० सितम्बर, १९३३ को हुआ था।

२. यह भाषण सर चिनुभाई माधवलाल, बैरोनेटकी प्रतिमाका अनावरण करनेके अवसरपर दिया गया था।

३. मणिभाई चतुरभाई शाह, अहमदाबाद नगरपालिकाके अध्यक्ष।

४. देखिए खण्ड १३, पृष्ठ १७।

कह रहा हूँ कि कोई भी पुत्र अपना पितृऋण पूर्ण रूपसे नहीं चुका सकता। यह बात उन्होंने सत्य ही कही है। हम सभी उनसे आशा रखे और ऐसी आशा रखनेके लिए उन्होंने हमें एक कारण भी दिया है— कि जिस प्रकार सर चिनुभाईने कमाया और जिस तरह लुटाया वैसे ही उनके चिरंजीव भी उतनी ही उदारताके साथ अपनी कमाईको लुटाये।

एक महत्त्वपूर्ण अवसरपर मैंने कहा था कि धनवानको धन संचित करने और कमानेका अधिकार है। ससारमें साहस तो सदा कायम रहेगा ही। साहस रोका नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धनवान पैसा भले ही कमाये, पर उस पैसेका उपयोग और उसका उदारतापूर्वक दान उसे यह समझकर करना चाहिए कि वह पैसा जनताके हितार्थ है। जिन कई आशाओंके आसरे मैं जी रहा हूँ, उनमें से मेरी एक आशा यह भी है कि अपने देशमें अमीर और गरीबके बीचमें संघर्ष न हो, कलह-क्लेश न बढ़े और दोनों ही अपने-अपने धर्मको समझकर उसका पालन करते रहे। आज दुनियामें पूंजीवाद और श्रमजीवी लोगोंके बीच या अमीरों और गरीबोंके बीच एक भारी सग्राम छिड़ा हुआ है। ईश्वर इस लड़ाई-झगड़ेसे हमारे देशकी रक्षा करे। परन्तु सिर्फ एक मनुष्यके सामना करनेसे क्या होता है? यह आशा तो तभी सफल हो, जब इस आदर्शका हममें से अनेक मनुष्य सिचन करें। इस प्रसंगपर गिरिजाप्रसादके बहाने मैं अहमदाबादके धनिकोंसे कहना चाहता हूँ— क्योंकि ईश्वरकी कृपासे यहाँ अनेक धनवान हैं— कि स्वर्गीय सर चिनुभाई जो दानशीलताकी विरासत छोड़ गये हैं, उसमें यहाँके धनिकोंको अधिकाधिक वृद्धि करनी चाहिए। मैंने जो आदर्श बताया है, उसकी पूर्तिका प्रयत्न करना धनिकोंका काम है। मेरी यह एक महत्त्वाकांक्षा है कि अहमदाबाद भारतके सामने, ससारके सामने एक आदर्श उपस्थित करे।

इस प्रतिमाके अनावरणका शुभ कार्य करनेसे पूर्व मैं एक बातका निवेदन करना चाहूँगा। यह प्रतिमा तो कितने ही दिन पूर्व तैयार हो चुकी थी लेकिन इसका अनावरण सरदार करें या मैं करूँ, आप सबके इसी मोहके कारण यह कार्य इतने दिनों रुका रहा। इसी बीच एकाएक मैं जेलसे छूट गया और मुझे यह कार्य करनेको कहा गया। मैं इससे इनकार न कर सका। मैं इसे ईश्वरका अनुग्रह मानता हूँ कि इस शुभ कार्यको करनेका सुप्रसंग मुझे दिया गया। आप सब भाई-बहनोका आभार तो मैं क्या मानूँ? आप सबने तो यहाँ आकर सर चिनुभाईके प्रति आपके हृदयमें जो सम्मान है उसे अभिव्यक्त किया है। अहमदाबाद के नागरिकोंने शहरकी जो सेवा की है उनके प्रति आपके मनमें सम्मान होना ही चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि अहमदाबादके निवासी— धनिक और गरीब—सब सुखी हों।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १-१०-१९३३

१. २२-९-१९३३ के बॉम्बे क्रॉनिकल में यहाँ इस प्रकार लिखा है: महात्माजीको सरदार बल्लभभाईकी अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी और उन्होंने कहा कि यदि यह महान और महत्त्वपूर्ण कार्य उनके हाथों सम्पन्न होता तो ज्यादा अच्छा रहता।

## १३. भाषण : अहमदाबादमें - २<sup>१</sup>

२१ सितम्बर, १९३३

आज प्रातः काल ही आपने मुझसे एक शुभ कार्य करवाया और मुझे सम्मान दिया। अब यह दूसरा शुभ कार्य करवा रहे हैं। मैं इन दोनों सम्मानोंके लिए नगरपालिका और अहमदाबादके नागरिकोंका आभार मानता हूँ। इस प्रसंगपर मैं थोड़ी कठिनाईका अनुभव कर रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं उस सूचनाके सम्बन्धमें ही कह देना चाहता हूँ जो भाई रसिकलालने अभी दी है। मैंने आज प्रातः काल ही सुना कि इस पुस्तकालयके लिए मेरे नामका उपयोग किये जानेका विचार है। पर ऐसी एक भी सस्था नहीं है जिसके साथ अपना नाम जोड़नेकी इजाजत मैंने दी हो। मैंने तो यह निश्चय ही कर लिया है कि ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। जिन्होंने इसके लिए दान दिया है उनसे क्षमायाचना करते हुए और आपके दिलको बिना दुखाये, यदि मैं कह सकूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि जबसे मैंने सार्वजनिक जीवन बितानेका इरादा किया था जबसे मुझे सहज ही यह सद्भाग्य प्राप्त हुआ, उस दिनसे जिस-जिसको मैं परामर्श दे पाया हूँ उन्हें मैंने अपने दानके साथ उनका खुदका या उनके अपने बड़ोंका नाम जोड़नेसे रोका है, अथवा रोकनेका प्रयत्न किया है। दानके साथ अपना या अपने पूर्वजोंका नाम जोड़ना पाप है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। परन्तु लोगोमें ऐसी प्रथा चल पडी है, उन्हें इसका लोभ रहता है और इसके परिणाम बहुत ही हास्यास्पद होते हैं, यह बात मैंने देखी है। इसीलिए जिन्हे मैं रोक पाया हूँ, रोकता आया हूँ। इसमें मुझे बहुत हदतक सफलता भी मिली है, पर जहाँ सफलता नहीं मिल पाई है उस प्रसंगमें मैंने अपनी सहमति भी व्यक्त की है, और इस प्रकारके दान मैंने स्वीकार भी किये हैं। मैं वह सब अपनी बड़ाईका गान करने या दूसरोंके दोष बतानेकी दृष्टिसे नहीं कहता, परन्तु इसके जरिये मेरी इच्छा है कि मैं जो-कुछ करता-कराता आया हूँ उसके विरुद्ध कुछ करनेका आग्रह मुझसे न किया जाये। मुझमें झूठा विवेक नहीं है। मेरा अपना एक जीवन-मन्त्र है और उसका अवलम्बन करते हुए मुझसे मिथ्या विवेकका कार्य बन ही नहीं सकता।

एक दूसरा सबल कारण भी है। ये जो किताबें दी गई हैं इनके लिए मैं तो केवल निमित्तमात्र हूँ। इनमें मेरा कोई स्वामित्व नहीं है। आश्रममें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसपर मेरा अधिकार हो। मैं तो ट्रस्टी भी नहीं हूँ। मेरे जीवनमें तो यह भी रहा है कि मुझे उस वस्तुका ट्रस्टी भी नहीं रहना है जो कभी मेरी अपनी रही हो। मुझे तो यह दान करनेका अधिकार भी नहीं था। पर जो-कुछ नैतिक अधिकार मुझे है उसका उपयोग करते हुए मैं ट्रस्टियों और आश्रमवासियोंको

१. माणिकलाल जेठालाल पुस्तकालयके शिलान्यासके अवसरपर।



समझा पाया। अतः मैं तो वाहन-मात्र हूँ, या कहे पोस्ट ऑफिस हूँ। मैंने तो आश्रम-का लिफाफा-भर नगरपालिका तक पहुँचाया है। विद्यापीठकी भी यही बात है। उसकी पुस्तके मैं नहीं दे सकता। यह तो काकासाहबका या विद्यापीठकी समितिका अविचार है। यों विद्यापीठके पुस्तकालयके साथ आश्रमके पुस्तकालयको मिला देनेका विचार था ताकि आश्रमके पुस्तकालयका ठीक उपयोग हो सके। आश्रममें तो मजदूरीका काम ठहरा। फिर वहाँ कोई चैतनिक ग्रन्थपाल नहीं रखा जा सकता। अतः विचार था कि जब शान्तिका समय आयेगा और विद्यापीठ (सरकारसे) वापस लेगे तब दोनों पुस्तकालय एक कर देगे। और अब जबकि आश्रमका पुस्तकालय नगरपालिकाको दे दिया गया तो काकासाहबका पत्र आया कि विद्यापीठकी इमारतों और पुस्तकालयका कब्जा हमारे पास नहीं है, पर यदि सरकार पुस्तकें दे दे तो वे भी नगरपालिकाको दे दी जायें। इस प्रकार विद्यापीठकी पुस्तके भी नगरपालिकाको दे दी गईं। अतः इन दोनों ही के लिए मैं कोई निमित्त नहीं। मैं इनका श्रेय नहीं ले सकता।

तीसरा कारण भी दूँ। मेरे नामके साथ ज्ञानका क्या सम्बन्ध? मेरे नामके साथ तो मजदूरीका अवश्य सम्बन्ध है। अतः आप मुझे इस भारसे मुक्त रखें। इसके एवजमें क्या करना अधिक ठीक होगा, यह बात मैं यहाँ नहीं कहना चाहता। आज प्रातःकाल ही मैंने अध्यक्ष महोदय और वल्लभभाईके साथ चर्चा की थी और यदि उन्हें मेरा सुझाव अच्छा लगेगा तो वे उसे आपके सम्मुख पेश करेंगे, पर मुझपर तो आप दया ही करना।

अब मैं एक भिन्न विषयपर आता हूँ। सरदार आज उपस्थित नहीं हैं, इस सम्बन्धमें मैंने सुबह भी कहा था। सरदार और मैं लगभग १८ वर्षोंसे साथ काम करते आ रहे हैं। दिन-ब-दिन हमारे बीच ऐक्य बढ़ता आया है। हमें शास्त्र शिक्षा देते हैं कि पति-पत्नी शरीरसे भले ही भिन्न हों, पर दोनोंकी आत्मा तो एक ही है। सरदार और मेरे बीच भी यही नियम लागू होता है। आपसे मैं यह फैसला तो नहीं करवाना चाहता कि हममें पति कौन-है, और पत्नी कौन। हम अधिक निकट तो इस वार ही आये। काममें साझेदार होते हुए भी हम निश्चिन्ततापूर्वक कभी साथ नहीं बैठ पाये। खेड़ामें हम महीनों साथ रहे, पर वहाँ विना काम कभी वल्लभभाई मेरे पास आये हों ऐसा अवसर याद नहीं आता। दूसरे मोर्चोंमें भी कामकी हदतक ही वे थोड़े समयके लिए आते और चले जाते थे। यह तो इस वार जेलमें ही पहली वार हम विना किसी कामके एकसाथ रहे, और इसलिए दोनों ही खूब खुले। रातमें भी खाटों पास-पास डालकर सोते थे और मुख-दुःखकी बातें किया करते थे। वैसे दुःख तो हम आप लोगोपर उड़ेल कर चले गये थे, लेकिन कहनेमें चूँकि ऐसा ही आता है इसलिए कह रहा हूँ कि सुख-दुःखकी बातें किया करते थे। वल्लभभाईको तो नीदमें भी हिन्दुस्तानके ही वारेमें सपने आते। वे तो अत्यन्त कुशल व्यक्ति हैं—“यत्पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे” में विश्वास करनेवाले। जो अहमदावादके लिए वही गुजरातके लिए और जो गुजरातके लिए वही हिन्दुस्तानके लिए और जो हिन्दुस्तानके लिए वही सारे संसारके लिए—ऐसा कुछ सामान्य नियम उन्होंने बना लिया था।

उन्हे अहमदाबादके स्वप्न भी आया करते। मेरी नगरपालिका, मेरा वाटरवर्क्स — भले ही बनाया उसे रणछोडभाईने हो — पर सरदार उसके वारिस जो ठहरे! क्या गिरिजाप्रसाद कह सकते हैं कि वाटरवर्क्स उनका है? जब रणछोडभाईने उसका कब्जा छोड दिया तो वह अहमदाबादका हो गया अर्थात् वल्लभभाईका हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि अहमदाबादके प्रति सरदारका मोह कितना है। वाडीलाल अस्पताल<sup>१</sup>के विषयमे तो मैं कुछ जानता नहीं। वल्लभभाईके जो खास काम होते थे उनमे मैं दखल नहीं देता था। मुझे तो विश्वास ही होता था कि वल्लभभाई काम ठीक ढगसे चला रहे हैं। अस्पतालके सम्बन्धमे मुझे जेलमे विस्तारपूर्वक जाननेको मिला। यद्यपि ऐसा कहना छोटे मुंह बडी बात होगी — क्योंकि कहाँ ईश्वर और कहाँ मनुष्य? पर जैसा कलापी<sup>२</sup> ने कहा है यदि वैसे कहा जाये तो “जहाँ-जहाँ मेरी नजर पडती है वहाँ-वहाँ अहमदाबादमे सरदारकी ही कृतिके दर्शन करता हूँ।” अतः क्रीतिका यह बोझ भी वे ही उठा सकते हैं, वे समर्थ हैं। मैं यह बोझ नहीं उठा सकूँगा।

यह नगरपालिका भी धन्यवादकी पात्र है जिसे सरदार-जैसा अध्यक्ष मिला है। अहमदाबादके म्युनिसिपल-जीवनका प्रारम्भ एक धनवानके प्रयत्नोसे हुआ। फिर इसे एक ऐसा अध्यक्ष मिला जो फकीर था। मैं उम्मीद किये था कि अहमदाबाद एक सुहावना नगर बने — सुहावना यानी मेरे अर्थोमे। यहाँके स्त्री-पुरुष सुन्दर हो, बागबगीचे हो, बाहरी सौन्दर्य तो होना ही चाहिए परन्तु मैं भीतरी सौन्दर्य भी चाहता हूँ। इस प्रकार अहमदाबाद हर दृष्टिसे आदर्श शहर बने और अहमदाबादकी नगरपालिका भी आदर्श बने — सरदार यही स्वप्न साकार करना चाहते हैं। इसे साकार बनानेकी दिशामे उन्होने अपना हाथ भी बँटाया है; मैं भी इसमे उनका साझेदार हूँ। मैंने जबसे अहमदाबादमे रहनेका विचार किया तभीसे मैं यह स्वप्न देखता रहा हूँ कि अहमदाबादमे धन है, यहाँ व्यवहार-कुशलता है, गुजरातकी यह राजधानी है और मैंने यहाँ जन्म लिया है, अतः अपने सार्वजनिक जीवनका प्रारम्भ यहीसे करूँगा। मैंने यही सोचकर यहाँ रहना शुरू किया। तभीसे यह स्वप्न तो मेरा भी रहा है कि अहमदाबादमे एक बढियासे-बढिया पुस्तकालय हो और यहाँ दूसरी भी अनेक सस्थाएँ हो जिससे कि यहाँ आकर बसनेके लिए लोगोका मन हो। अहमदाबादकी आबोहवा खराब है, ऐसा न माने। एक बार मेरा मसूरी जानेका विचार चल रहा था, उस समय डॉ० कानूगाने कहा कि अहमदाबाद ही मसूरी है। और इसके बाद मैंने मसूरी जानेका विचार छोड़ ही दिया। खराब तो हम स्वय ही हैं। हमने अहमदाबादको गन्दा कर छोड़ा है। डॉ० हरिप्रसाद<sup>३</sup>ने इसे साफ करनेके लिए अत्यधिक परिश्रम किया। तो भी मैं आज यह प्रमाण-पत्र नहीं दे सकता कि अहमदाबाद एक स्वच्छ शहर है। यहाँ खुशबूके बदले बदबू छूटती है। स्वय डॉ० हरिप्रसादको यदि पुनः स्वयसेवक और सेविकाएँ मिल सके तो शहरकी घनी गलियाँ साफ की जा सकती।

१. वाडीलाल साराभाई अस्पताल।

२. सुरसिंहजी तख्तसिंहजी गोहिल, गुजरातके सुप्रसिद्ध कवि।

३. डॉ० हरिप्रसाद देसाई।

पुस्तकालयोंके विषयमें मेरे अपने कुछ आदर्श हैं, उन्हें मैं आपके सम्मुख रख देना चाहता हूँ। इसके लिए आप जो इमारत बाँवें उसे इस प्रकार बनाये कि जैसे-जैसे पुस्तकालय विकसित होता जाये इसकी शाखाएँ बढ़ती जायें और साथ ही इमारतमें भी विस्तार किया जा सके। किन्तु ऐसा करते हुए यह न लगे कि मकानमें और कमरे जोड़े गये हैं और उसके कारण वह टेढ़ा-मेढ़ा प्रतीत हो। इस पुस्तकालयमें भाषण हों, विद्यार्थी आकर शान्तिसे अध्ययन कर सकें और पढ़ सकें तथा शोध-कार्यमें लगे हुए शिक्षार्थी भी बैठकर अध्ययन कर सकें—आप इन सुविधाओंको ध्यानमें रखकर ही इमारत बाँवें। हमारा आदर्श तो यह होना चाहिए कि दुनियामें बड़ेसे-बड़ा और अच्छेसे-अच्छा पुस्तकालय जैसा हो सकता है इसे हम वैसा बनायें। ईश्वर ऐसा बल आपको देगा ही। काकासाहबने सूचित किया है कि विद्यापीठमें भी साधारण-सा ही सही, एक संग्रहालय तो है ही; उसे भी पुस्तकालय-भवनमें ही रख लिया जाये। गुजरातमें कलाका अभाव नहीं है। भद्रकी जालीकी जोड़ सारे संसारमें नहीं है। अहमदाबादकी कारीगरीकी होड़ क्वचित ही की जा सकती है। अहमदाबादके कारीगरोकी नक्काशी देखकर तो मैं भींचकका रह गया। मैंने इन कारीगरोंको अंधेरी कोठरियोंमें जीवन बिताते देखा है। पर कलाके विशेषज्ञ प्रोत्साहनकी राह देखने नहीं बैठते। संग्रहालय तो इसी मकानमें खड़ा हो सकता है वगैरें कि कोई ५० हजार रुपया और दे दे।

आप कुछ ऐसा करे कि इस पुस्तकालयका दिनोदिन विकास होता जाये। इस कार्यके लिए यदि एक-दो व्यक्ति अधिक समय दे सकें तो अच्छा हो। ग्रन्थपाल कोई व्यापारी न नियुक्त किया जाये जो कि केवल पुस्तकोंकी सारसँभाल ही कर सके। ग्रन्थपाल तो ऐसा नियुक्त करना कि जिसे पुस्तकोंकी जानकारी हो और वह उनका चुनाव कर सके। इस कार्यके लिए यदि कोई स्वयंसेवक न मिल सके तो अधिक रुपया खर्च करना। हरिजनोंको निःशुल्क प्रवेश देना और उन्हें पुस्तकें भी ले जाने देना। यदि उनके हाथोंसे पुस्तक खराब हो जाये या चोरी जाये तो भी सहन कर लेना। इन लोगोंका तो गरीबोंकी श्रेणीमें भी अन्तिम स्थान है। यदि ऐसी रियायत गरीब-मात्रके लिए दी जा सके तो देना। इससे तो आपकी शोभा ही बढ़ेगी।

भाई रसिकलालने जो विनती आपसे की है वही मेरी भी है कि पुस्तकालयकी समितिका गठन आप बराबर करें। इस समितिमें विद्वान लोग हों; इससे पुस्तकालय को जीवित बनाये रखनेमें सहायता मिलेगी। समितिमें केवल व्यवहार-कुशल व्यक्ति ही हों, यह खयाल न रखना। पुस्तकालय कैसा हो और वह आदर्श कैसे बनाया जा सकेगा, यह बात तो विद्वान लोग ही समझ सकेंगे। कान्ग्रेसीने अनेक पुस्तकालयोंको दान दिया। उसने जो गतें रखी, अनेक विद्वानोंने उन्हें मान लिया; परन्तु स्कॉटलैंडके विद्वान उसके वर्शाभूत न हुए। उन्होंने कान्ग्रेसीसे स्पष्ट कह दिया कि यदि आप कुछ शर्तोंके आधारपर ही पैसा देना चाहते हैं तो हमें आपका दान नहीं चाहिए। हमें तो केवल किताबें चाहिए, और आपको किताबोंकी क्या जानकारी है? कलाके विशेषज्ञ अपनी कलाको बेचने नहीं जाते। गुजरातमें बड़ी अमूल्य किताबोंका भण्डार पड़ा है; वह

आज बनियोके हाथमे पडा है। जैनियोका सुन्दर पुस्तक भण्डार है, पर वह केवल रेशममे बँधा पडा है। इन पुस्तकोको देखकर मेरा हृदय रो पडा। ये पुस्तके तो उन अज्ञानी बनियोके हाथमे पड़ी है जो केवल पैसा पैदा करना जानते हैं; इनका उपयोग भला क्या हो सकता है? इनके हाथो तो जैन-धर्म भी निष्प्राण होता जा रहा है। क्योंकि इन्होंने जैन-धर्मको भी पैसेके ही ढाँचेमे उतार दिया है। भला धर्म भी कही पैसेके ढाँचेमे ढाला जा सकता है? पैसेको अवश्य धर्मके ढाँचेमे ढलना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ऐसा कुछ उपाय करे कि पुस्तकालयकी समितिमे विद्वानोका समावेश हो। भगवान करे पुस्तकालयका विकास हो।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १-१०-१९३३

### १४. जापानसे

सर लल्लूभाई सामलदास जापानसे हरिजन-सेवा-कार्यके लिए रु० १६९९-११-० लाये थे। यह रकम मुझे यरवडा जेलमे प्राप्त हुई थी, लेकिन दाताओकी सूचीवाला पत्र मुझे जेलसे बाहर आनेके बाद दिया गया। इसलिए मैं उससे पहले प्राप्ति स्वीकार नहीं कर सका था। कोबेके इंडियन सिल्क मर्चेण्ट्स एसोसिएशनकी ओरसे यह रकम आई है। चेकके साथवाले पत्रमे बयालीस दाताओकी नामावली है। इनमे से अधिकांश सिन्धी व्यापारी हैं। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही एक चेतावनी भी — वह यह है कि मैं उनसे इससे कही अधिककी आशा कर रहा था। दक्षिण आफ्रिकाके अपने सिन्धी मित्रोकी दानशीलताको मैं जानता हूँ। जापानमे भी वैसे ही उदार सिन्धी सज्जन होंगे। अतः इस चेकको तो मैं आगे मिलनेवाले दानका बयाना ही समझूंगा।

[ अग्रेजीसे ]

हरिजन, २३-९-१९३३

### १५. एक और नरक

पाठकोको याद होगा कि कुछ महीने पहले मैंने इलाहाबादकी भगी बस्तियोकी दुर्दशाकी ओर जनताका ध्यान खींचा था।<sup>१</sup> अब प्रोफेसर मलकानी<sup>२</sup> ने दिल्लीकी बस्तियोके अपने निजी अनुभव लिखकर मुझे भेजे हैं। ये 'हिन्दुस्तान टाइम्स' मे प्रकाशित हुए हैं। इन अनुभवोसे मालूम होता है कि इलाहाबादकी बस्तियोसे दिल्लीकी हरिजन-बस्तियोकी हालत कुछ अधिक अच्छी नहीं है। अकथनीय गन्दगी और फल-स्वरूप वहाँके निवासियोंकी अधोगतिकी जो कहानी वहाँ है वही यहाँ भी है। दिल्ली

१. देखिए खण्ड ५४, पृष्ठ ५१५-१७।

२. पन्० आर० मलकानी।

निवासियोंका स्वास्थ्य अधिकतर जिन भंगियोंकी सेवापर निर्भर करता है वे ही लोग बिना खिड़कियोंकी और अधेरी कोठरियोंमें रहते हैं। प्रोफेसर मलकानीके अन्तिम अंशको ही ज्यों-कान्त्यों मैं यहाँ उद्धृत करता हूँ<sup>१</sup>:

जबतक हम ऐसे-ऐसे नारकीय स्थलोको सहन करते रहेंगे और जबतक हम समाजके अत्यन्त उपयोगी सेवकोंके साथ इस प्रकारका व्यवहार करते रहेंगे जैसे वे मनुष्य ही न हों, तबतक गन्दगी और अस्वच्छतासे उत्पन्न बीमारियोंसे हम सदा दुख ही भोगते रहेंगे, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। जिस प्रकार सड़े हुए अंगका सारे शरीरपर असर पड़ता है और उसे सड़ा देता है, वैसे ही समाजके सड़े हुए अंगके समान भंगियोंकी यह दुर्दशा सारे समाजको सड़ाकर रहेगी। इसलिए यदि हम जल्द ही जाग्रत न हुए और हमने भंगियोंकी दशाको सुधारनेके तात्कालिक उपाय ग्रहण न किये, तो ईश्वरका कोप हमपर पड़े बिना नहीं रहेगा। हरिजनोंके लिए कायदेकी अच्छी आवास-व्यवस्था करनेका प्रश्न केवल हिन्दुओंकी ही नहीं बल्कि सारे समाजकी समस्या है। इसीलिए इस सम्बन्धमें सुधारको और कट्टर सनातनियों, हिन्दुओं और अहिन्दुओंमें कुछ भेद नहीं रहना चाहिए। दिल्लीकी नगरपालिकाका ध्यान अब उसकी वस्तियोंकी हालतकी ओर खींचा जा चुका है; अतः मुझे आशा है कि वह इस अपमानजनक दुर्दशाको दूर करनेके लिए अवश्य ही तत्काल कोई क्रियात्मक उपाय ग्रहण करेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-९-१९३३

## १६. सच है, तो भयानक है

दयानन्द-दलितोद्धार-सभाका एक सम्मेलन चम्बामें हुआ था। उसके प्रस्तावोंमें से मैं निम्नलिखित अंग लेता हूँ<sup>२</sup>:

यह विश्वास करना कठिन है कि भारतका कोई भी राज्य अमुक जातिके लोगों द्वारा अमुक कार्य को करनेसे इनकार करनेको अपराध समझता है। मुझे आशा है कि रियासतके अधिकारियोंके पास इन प्रस्तावोंमें उल्लिखित दोषारोपणोंका प्रबल उत्तर होगा, अथवा सम्मेलनकी आदरपूर्वक की हुई प्रार्थनाको मानकर रियासत उन प्रथाओं का त्याग कर देगी, जिनकी चर्चा सम्मेलनने की है। मैं देखता हूँ कि सम्मेलनमें जिन लोगोंने भाग लिया था, वे शिक्षित और उत्तरदायी आदमी हैं।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २३-९-१९३३

१. यहाँ नहीं दिया गया है। हरिजनोंकी ये वस्तियाँ कितनी गन्दी थीं और कितने प्रकारके नारकीय वातावरणमें हरिजनोंको रहना पड़ता था, इसका कल्पना चित्रण इस अंशमें किया गया था।

२. यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें हाली तथा अन्य जातियोंके लोगों द्वारा मुर्दा पशु उठाने और बेगार करने तथा नाग देवतापर नकरोकी बलि चढ़ानेसे इनकार करनेके कारण किये जानेवाले अत्याचारके विरुद्ध पास किये गये प्रस्तावका पाठ दिया गया था।

## १७. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

२३ सितम्बर, १९३३

असंशोधित

प्रिय जवाहरलाल,

मैं कल जाकर तुम्हे पत्र लिखनेकी स्थितिमे हो सका। तीसरे पहर १ बजे मेरी जाँच-पड़ताल पूरी हुई थी। मैंने कस्तूरभाई, श्रीमती हठीसिंह और शंकरलालसे, जो कि उस परिवारको अच्छी तरह जानते हैं, बात की है। मुझे जो अनुभव हुआ उससे मैं पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हूँ। मुझे स्पष्टवादिताकी कमी अखरी है। इसके बावजूद मेरे पास प्रस्तावित विवाहके विरुद्ध कहनेको कुछ नहीं है। नये वातावरणमें कृष्णा<sup>१</sup> काफी खुश रहेगी। इससे बढ़कर तो यह है कि उसने इस विवाहका निश्चय कर लिया है। वह राजाकी माँके साथ पत्र-व्यवहार करती रही है। उसके मनपसन्द व्यक्तिका प्यारका नाम राजा वाबू है। कृष्णाके नाम कुछ सम्पत्ति वे लोग छोड़े, इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। वेशक मैंने उन लोगोको यह स्पष्ट कर दिया कि कृष्णाके नाम कुछ सम्पत्ति छोड़नेका सुझाव शुद्ध रूपसे मेरा है, और यह भी कि इसके बावजूद इस बातको विवाहकी शर्त बनानेका मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने उनको बतलाया कि मैंने यह प्रस्ताव इसलिए रखा है, क्योंकि मैं सभी लड़कियोके मामलेमे, जहाँ सम्भव हो, ऐसी व्यवस्था करनेमे विश्वास रखता हूँ। यह विवाह यदि अन्तिम रूपसे तय होना है तो तुम्हे श्रीमती हठीसिंहको अहमदाबादके पतेपर पत्र लिखकर निश्चित रूपसे प्रस्ताव करना होगा, और वह तुम्हे अपनी स्वीकृति भेज देंगी। वह इस बातके लिए विलकुल तैयार है कि कृष्णा जितनी जल्दी चाहे, विवाह सम्पन्न कर दिया जाये। वह चाहती है (और मैं उनसे सहमत हूँ) कि सगाई और विवाह एकसाथ ही कर दिया जाये। अब तुम उनके लडके (हठीसिंह) को पत्र लिख सकते हो और जब चाहो तब बुला सकते हो।

आशा है माँ और कमला<sup>२</sup> अब पहलेसे बेहतर है।

मैं आज सुबह वर्धा पहुँचा। डाक्टरोंने जाँचमे ब्लड-प्रेसरकी शिकायत पाई है, लेकिन इसके सिवा मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तथापि अबसे तीन सप्ताह तक, यानी अगले १५ अक्टूबर तक मैं कहीं आऊँ-जाऊँगा नहीं।

१. जवाहरलालजीकी छोटी बहन।

२. जवाहरलालजीकी पत्नी।

मथुरादास<sup>१</sup> वम्बईमें है। वा, मीरावहन और प्रभावतीके अलावा चन्द्रशंकर<sup>२</sup> और नायर मेरे साथ हैं। प्रभुदास<sup>३</sup> भी मेरे साथ है।  
सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३, सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

### १८. तार : जवाहरलाल नेहरूको

वर्गांज

२३ सितम्बर, १९३३

जवाहरलाल नेहरू  
लखनऊ

तुम्हारा तार मिला। आज पत्र डाला है। जाँच-भड़ताल कल समाप्त कर ली। परिणाम कुल मिलाकर सन्तोषजनक। औपचारिक रूपसे विवाहका प्रस्ताव करते हुए तुम श्रोमती हठीसिंहको लिखो। माँ पहलेसे अच्छी है, इसकी खुशी है।

बापू

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

### १९. बातचीत : हरिजन-कार्यकर्त्ताओंसे<sup>४</sup>

[२४ सितम्बर, १९३३ से पूर्व]<sup>५</sup>

कितने ही सेवक समझते हैं कि जबतक वे स्वतन्त्र-रूपसे स्वयं नहीं कमा सकेंगे, तबतक सेवा-कार्यमें उनका ठीक मूल्य नहीं आँका जा सकता। इन सेवकोंसे मैं कहता हूँ कि जितना तुम बाहर कमा सकते हो, यदि उससे कम लो तो तुम सुरक्षित हो,

१. मथुरादास त्रिकमजी।

२. चन्द्रशंकर प्राणशंकर शुक्ल, हरिजनबन्धु के सम्पादक।

३. छगनलाल गांधीके पुत्र।

४. देखिए पिछला शीर्षक।

५ और ६. यह बातचीत “ईश्वरनो आषार के पैसानो” शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी। यह और इससे अगला शीर्षक २४-९-१९३३ के हरिजनबन्धु में प्रकाशित “साप्ताहिक पत्र” से लिया गया है।

और जितना बाहर मिलता है उससे अधिक लो तो सुरक्षित नहीं हो। फिर सेवकोको पैसा जोड़कर करना ही क्या है?

पहले भाईने कहा : इन भाईके पास दस हजार रुपया है। मेरे पास तो एक पाई भी नहीं है। मैं अगर बीमार पड़ जाऊँ तो मुझे किसी अस्पतालकी ही शरण लेनी पड़े।

और वहाँ बादशाहकी तरह तुम्हारी सेवा होगी। मुझे कभी यह प्रतीत नहीं होता कि मैंने जो दिया है वह गँवाया है। मैं तो कहता हूँ कि मैं जगतमें सबसे बड़ा धनी आदमी हूँ। मुझे पैसेका अभाव कभी खला नहीं।

दूसरे भाईने कहा : सेवा-कार्यमें भी खर्च करनेकी जरूरत पड़नेपर इसमें से पैसा उठाया जाये, इसीलिए यह रकम रखी है।

पैसा हो तो खर्चनेकी जरूरत जान पडती है, इसलिए खर्च किया जाता है। परन्तु तुम खर्चनेवाले कौन हो? जब तुमने उसपर से अपना हक छोड़ दिया तो फिर तुम्हे उसे खर्च करनेका क्या अधिकार है?

पहले सज्जनने कहा : मैं पैसा दे सकता हूँ—यह जो मोह है उसे छोड़ देना चाहिए।

इसमें जो सूक्ष्म अहंकार भरा हुआ है, वह मनुष्यको खाये जाता है। जो अहंकार प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसे तो जीता जा सकता है, पर सूक्ष्म अहंकारपर काबू पाना कठिन है। इससे अनेक मनुष्योका भारी अध पतन हुआ है। लोगोकी दृष्टिमें तो जो मनुष्य पैसेवाला होते हुए भी, अपने लिए पैसेका उपयोग नहीं करता वह साधु पुरुष समझा जाता है। उसके विषयमें कहा जाता है कि वह अपना पैसा जनताके हितार्थ लगा रहा है। तो फिर वह उसको जन-सेवामें अर्पित हीं क्यों न कर दे? मैंने यह धन्धा किया है, इसलिए कहता हूँ। मैं मानता था कि मैं जो वकालत करता हूँ वह जनताके लिए करता हूँ। फिर मनमें आया कि ऐसा ही है, तो वकालतमें खर्च होनेवाला सारा समय जनताके ही काममें क्यों न लगाया जाये? इसलिए वकालत छोड़ दी। जो पैसा था वह जनताके काममें लगाने लगा। बादमें सोचा कि वह पैसा जनताको ही क्यों न सौंप दिया जाये? फिर मनमें यह बात आई कि पैसा दिया जाये, तो उसका ट्रस्ट क्यों न बनाया जाये? ट्रस्ट बनाया गया, लेकिन मैंने अपनेको उससे अलग रखा। फीनिक्सके ट्रस्टमें मैं नहीं रहा। आश्रमके भी ट्रस्टमें मैंने अपना नाम नहीं रखा। मेरा नैतिक अधिकार ही वहाँ रहा। ट्रस्टी चाहे तो मुझे निकाल सकते हैं। मैं अपने अनुभवसे किसी नतीजेपर पहुँचनेवाला आदमी रहा हूँ, इसलिए एकके बाद दूसरी बातका अनुभव करता गया। जबसे मैं हिन्दुस्तानमें आया तभीसे मैं यह कहता आया हूँ। तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकमका होना असह्य लगता है।

उस भाईने कहा : जरूरतके वक्त माँगनेके लिए जाना पड़े, यह तो कठिन मालूम होता है।

कठिन नहीं लगना चाहिए। माँगनेके लिए जाना कठिन मालूम होता है, यही मुझे खलता है। इससे क्या होता है? या तो ऐसा जीवन बना ले कि पैसेकी जरूरत



ही न पड़े अथवा जरूरत पड़ ही जाये तो फिर माँगनेमें शर्म नहीं आनी चाहिए। अपने देशमें ५६ लाख आदमी भटकते फिरते हैं, उन्हें जब खानेको मिल जाता है तो तुम लोगोंको, जो देशको चौबीसों घंटे दे रहे हो, अवश्य ही भोजन पानेका अधिकार है। हमारे पास दो रास्ते हैं—एक तो यह है कि आवश्यकता पड़नेपर माँग लें और दूसरे, जरूरत पड़े तो भी न माँगने जायें। परिणाम क्या होगा? मर जायेगे, बस यही न? ईश्वर हमसे इससे अधिक नहीं माँगता। इसीमें सच्ची स्वतन्त्रता है। पैसेकी परतन्त्रता हम लोग किसलिए भोगें? पैसे पड़े हैं उसकी मदद लें, इसकी अपेक्षा ईश्वरसे सहायता क्यों न ली जाये? मेरे पास तो यह कसौटी है। कई वर्ष हुए, अपने भाईके कहनेपर मैंने बम्बईमें दस हजारका बीमा कराया था। बादमें आफ्रिकासे मैंने रेवाशंकरभाईको पालिसी रद्द कर देनेको लिखा।<sup>१</sup> सात वर्षतक जो पैसे भर चुका था, उन्हें भी जाने दिया। मैंने सोचा कि पैसेपर भरोसा रखनेकी अपेक्षा ईश्वरपर भरोसा क्यों न रखा जाये? मैंने मनमें कहा, तुझे जनताकी सेवा करनी है या अपनी? जनताकी सेवा करनी हो तो फिर तेरे पास पैसे किसलिए चाहिए? हमारे बीच कुछ तो अकिंचन जन होने ही चाहिए।

जब वह भाई जा रहा था, गांधीजीने कहा :

यह सब जो कहा इसके लिए, भाई, माफ करना। परन्तु यदि मैं न सुनाता, तो फिर कौन सुनानेवाला था ?

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २४-९-१९३३

## २०. अपील : प्रार्थना-सभामें\*

[२४ सितम्बर, १९३३ से पूर्व]

इस प्रार्थना-सभामें आप जो भाई-बहन आये हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार मुझे स्वतन्त्र रहने देगी तो मैं मुख्य रूपसे हरिजन [उद्धार]का काम करना चाहता हूँ। अतः हरिजनोंके लिए शिक्षा माँगना मेरा धर्म है। जो भाई-बहन प्रार्थनामें आते हैं यदि वे चाहें तो अपनी शक्तिके अनुसार कुछ लेते आये। इससे दो अर्थ सिद्ध होते हैं। हरिजनोंके लिए कुछ पैसा मिल जाता है और साथ ही इस बातका अन्दाज भी लग जाता है कि हरिजन-सेवाके निमित्त कितने लोग मदद देनेवाले हैं और इस कार्यमें दिलचस्पी लेनेवाले कितने लोग हैं। जिन्हे यह कार्य पसन्द नहीं है उनसे तो मैं कौड़ी भी नहीं लेना चाहता। और जो केवल मेरे

१. देखिए खण्ड ३९, पृष्ठ २००-२।

२. यह "शिक्षानी झोली" शीर्षकसे प्रकाशित हुई थी।

निमित्त ही देने हैं वह तो निरर्थक ही है। अतः मेरी इच्छा है कि इस कार्यमें वे लोग ही पैसा दे जिन्हे इस प्रवृत्तिमें श्रद्धा हो।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २४-९-१९३३

## २१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

२४ सितम्बर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

प्रस्तावित विवाह-सम्बन्धके बारेमें मेरी आज जमनालालजीके साथ वातचीत हुई। वह उस परिवारको भली प्रकार जानते लगते हैं। उनका निश्चित मत है कि कस्तूरभाईको छोड़कर शेष परिवार जितना सम्पन्न दिखाई पडता है उतना है नहीं। उनकी तो यहाँ तक राय है कि वे लोग शायद अभाव-पीड़ित हैं। मैंने सोचा कि तुम्हे यह खबर दे दूँ। वह भी चाहते हैं कि उनकी राय मैं तुम्हे बता दूँ। लेकिन उनका विचार है कि कृष्णाको यह जान लेना चाहिए। जहाँतक मैं देख सकता हूँ, जबतक कृष्णाको लड़केमें निश्चित रूपसे कोई दोष नहीं दिखाई पड़े तबतक अन्य किसी वातका उसके निर्णयपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वह इसमें बिलकुल ठीक होगी। कस्तूरभाईका दृढ़ मत है कि कृष्णाकी पसन्द ठीक है।

तुम सबोंको प्यार।

बापू

[पुनश्च :]

तुम मुझ जैसे लोगोको इस बातके लिए राजी करनेमें सफल हो सकते हो कि तुम्हे पण्डित कहकर सम्बोधित न करे, लेकिन मैं देखता हूँ कि यह विशेषण तुम्हारे साथ हमेशा लगा रहेगा।

[पुनश्च :]

मैं जो कहना चाहता था वह यह था कि यदि यह विवाह होना तय हो जाये, और यदि माँकी सहमति हो, तो धार्मिक कार्य वर्षोमें सम्पन्न किया जाये। मैं कठिनाइयाँ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं स्वार्थपूर्ण ढंगसे सोच रहा हूँ। मैंने तो सुझाव-भर दे दिया है। अब देखें कि क्या होता है। मैं कस्तूरभाईसे मिलनेवाला हूँ।

[अग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## २२. पत्र : निर्मल कुमार बोसको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा  
२४ सितम्बर, १९३३

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।

चूँकि श्रीयुत् सतीशचन्द्र दासगुप्त मेरी रचनाओंसे अच्छी तरहसे वाकिफ है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपना संग्रह<sup>१</sup> उन्हें दिखायें, और यदि वह उन्हें पसन्द हो तो मुझे आपके पुस्तकको प्रकाशित करनेमें कोई आपत्ति नहीं है। आप यह पत्र उन्हें दिखला सकते हैं।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०५२२)से।

## २३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

वर्धा  
२४ सितम्बर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा १९ तारीखका पत्र बम्बईमें मिला था और २१ तारीखका आज वर्धामें मीन ग्रहण करनेके बाद।

...

दाँतोंके बारेमें मैं समझ गया। उनसे थोड़े समयतक तो काम चलना चाहिए।

मेरे साथ वा, भीरावहन, चन्द्रशंकर, प्रभुदास, नायर, आनन्दी<sup>१</sup>, निर्मला (महा-देवकी), शारदा (चिमनलालकी) और प्रभावती है। ब्रजकिशन भी है। वह मंगल-वारको अपने घर जायेगा। रास्तेमें राधा<sup>२</sup> और सन्तोका<sup>३</sup> मिली थी। राधाकी तबीयत बहुत अच्छी है। वह तुम्हारी पड़ोसिन है। उसे लिखना। लीलावती<sup>४</sup> देवलालीमें

१. सिलेक्शन्स फ्रॉम गांधी।
२. साधन-सूत्रमें पदा कुछ छूट गया है।
३. लक्ष्मीदास आसरकी पुत्री।
४. मगनलाल गांधीकी पुत्री।
५. स्वर्गीय मगनलाल गांधीकी पत्नी।
६. लीलावती आसर।

सेनटोरियममे है। केशू<sup>१</sup> यही है। जमनालालजीके जिन (सई ओटनेकी मशीन)मे काम करता है? ५० रुपये वेतन तय हुआ है। काम अच्छा है। यदि वह स्थिरचित्त बनेगा तो तरक्की करेगा। जमनालालजी उसके कामसे सन्तुष्ट दीख पड़ते हैं। नी०<sup>२</sup> और अमलाका काम कठिन है। नी० अत्यन्त भावुक है, अमला मूर्ख है। उसे कुछ भी नहीं आता। दोनो ही यहाँ ठीक बोझरूप बनी हुई है। यह बोझ कुछ हल्का हो, ऐसा प्रयत्न करूँगा। डकन और मेरी वार अच्छी तरहसे काम कर रहे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। नरहरिके बच्चे—वनमाला और मोहन—बीमार होनेकी वजहसे कठलाल गये हैं। मैं उनसे अहमदाबादमे मिला था। वे शुक्रवारको कठलाल जानेवाले थे। अमीना<sup>३</sup>के बच्चे बहुत घुल-मिल गये हैं। वे लाल बगले<sup>४</sup>में अपनी छुट्टियाँ बितायेगे। सिरियस बीमार था। अब ठीक हो गया है। अस्पतालमे था। मैं रमा जोशीसे मिला था। वह अच्छी थी। उसका स्वास्थ्य तो खूब सुधर रहा है। वह अपना हाथ अब ठीक-ठीक ऊँचा उठा सकती है। जिस दिन मैंने बम्बई छोडा उसी दिन मणि आई। मेरे साथ ही बहुत समयतक रही। एल्विन<sup>५</sup>को देखने गया था, वहाँ भी उसे साथ ले गया था। मैंने उसे तुमसे मिलकर और दाँत तथा आँखका उपचार करनेके बाद मेरे पास आनेकी सलाह दी है। फूफी अभी बम्बईमे है, मथुरादास भी बम्बईमे है। वह खासा थक गया है। उसने बहुत बडी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। शास्त्री ('हरिजन'के) ठीक चल रहे हैं। चन्द्रशकर समस्त गुजराती सामग्री हम जहाँ है, वहीसे भेजेगा। मैंने पृथुराज<sup>६</sup>को कालीकटमे ही स्कनेके लिए लिखा है। इन्दु<sup>७</sup> भावनगरमे है, ठीक चल रहा है। जयप्रकाश अपने पिताके पास गया होगा। मैं जब बम्बईसे रवाना हुआ था तब वह वही था। वह मुझसे मिला करता था। वह प्रभावतीसे तो रोज ही मिलता था। उसने मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाया है सो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अब तो वह कुछ शान्त हो गया है। रामदासका मन ही उसका बैरी है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। वह पूर्णतया कब शान्त होगा? नीर्मु<sup>८</sup>की तबीयत यो ही कभी अच्छी कभी खराब रहती है। बगाल<sup>९</sup>का मामला मेरे ध्यानमे है, देखूँगा। जमनालाल अभी पहाड़पर नहीं जायेगे। वे दस दिनके लिए पहाड हो आये हैं। [फिरसे जानेके लिए] प्रलोभन तो अवश्य दूँगा। अब उनकी तबीयत ठीक रहती है।

१. केशव, मगनलाल गाधीके पुत्र।
२. एक अमेरिकी महिला। इसमें तथा अगले शीर्षकोंमें इनका नाम नहीं दिया गया है।
३. अमीना कुरेशी, गुलाम रसूल कुरेशीकी पत्नी।
४. आश्रमके समीप डॉ० प्राणजीवनदास मेहताका घर।
५. वेरियर पल्विन।
६. लक्ष्मीदास आसरका पुत्र।
७. इन्दु पारेख, एक आश्रम विद्यार्थी।
८. रामदास गांधीकी पत्नी निर्मला।
९. इसका सम्बन्ध थरवडा-समझौतेके खिलाफ बंगालके सर्वग हिन्दुओंके आन्दोलनसे है।

आनन्दी आदि लड़कियाँ और कुरेशीके लड़के अनुसूयावहनके हरिजन छात्रावासमें रहते हैं। मुझे लगा कि हमारे लिए यही घोभाजनक है। वहाँ वे लोग बहुत सुखी हैं। नारणदासके पुरुषोत्तमने जीवनलाल<sup>१</sup> के भाई हरखचन्द,<sup>२</sup> की पुत्रीके साथ सगाई की है। यह एक ही जातमें होनेके कारण मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन कहते हैं कि लड़की अच्छी है। इसीसे नारणदासने भी अपनी सम्मति दे दी है। जमना<sup>३</sup> राजकोटमें है। कनु<sup>४</sup> भी वही है। जमनादास<sup>५</sup> के स्कूलमें जो पढाया जाता है उतना पढ़ता है। महादेवका बाबू<sup>६</sup> बलसारमें अपनी मौसीके पास है। उसने दीवालीके बाद आनन्दीके पास आनेके लिए लिखा है। राजेनबाबूकी खबर हर तीसरे दिन मिलती रहती है। उनका स्वास्थ्य अच्छी तरह सुधर रहा है। लक्ष्मी<sup>७</sup> यही है। उसके जालन्धर जानेकी बात थी। सब कुछ विचार करनेके बाद देवदासने उसके जालन्धर जानेके कार्यक्रमको रद्द कर दिया। लेकिन अभी निश्चय नहीं हुआ कि क्या किया जाये। प्रभुदासकी समस्या भी अभी नहीं सुलझी है। इसीसे वह मेरे साथ आया है। . . .<sup>८</sup> को साथ हुआ समझ लो। वह हमें असन्तुष्ट ही दिखाई देता है।

यदि तुम्हारा 'गीता' का अव्ययन पूरा हो जाये तो भी माना जायेगा कि तुमने संस्कृतमें अच्छी तरक्की कर ली है।

आश्रमकी गौशाला कांफरियामें चल रही है। इसे टाइमस चलाता है और यह गंकरलालकी देखरेखमें है। ठीक चलती है। जवाहरलालकी कृष्णाकुमारीकी सगाई बहुत करके कस्तूरभाईकी वहनके लड़केके साथ होगी, जो अभी-अभी विलायतसे बैरिस्टर होकर लौटा है। मैं कस्तूरभाई और उसकी वहन तथा उसके लड़केसे मिल चुका हूँ। असली पसन्द तो इन दोनोंकी ही है। वे बम्बईमें रावके यहाँ दो-तीन बार मिले थे। सरूपरानी<sup>९</sup> ने अपनी सहमति दे दी है। थोड़े ही समयमें विवाह हो जायेगा। यदि विवाह सम्पन्न हो गया तो सरूपरानीके सिरसे एक भारी बोझ उतर जायेगा।

मैं ठीक रहता हूँ। रक्तचाप यहाँ रहता है या नहीं, सो नहीं कहा जा सकता। यहाँ उस कोटीके और डाक्टर नहीं हैं। जरूरत भी नहीं है। आजकल तो एक पौंड दूध लेता हूँ। और दो बार सज्जी लेता हूँ। मन्जीमें लीकी, तोरी आदि मिलती है। यहाँ जब आया था तब मेरा वजन ९९ पौंड था। थोड़े दिनों बाद फिर वजन लूंगा।

१. जीवनलाल मोहीचन्द शाह।
२. चौखडकं एक सामाजिक कार्यकर्ता।
३. नारणदास गांधीकी पत्नी।
४. नारणदास गांधीके पुत्र।
५. नेशनल स्कूल, राजकोटके जमनादास गांधी।
६. नारायण देसाई, - जो सामान्यतः बाबलो नामसे पुकारे जाते थे।
७. राजगोपालाचारीकी पुत्री और देवदास गांधीकी पत्नी।
८. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है।
९. जवाहरलाल नेहरूकी माँ।

बा मजेमे है और मीरावहन भी। जमनालालजीकी कमला<sup>१</sup> दिनशा मेहताके आरोग्य भवनमे थी। उसे कुछ लाभ हुआ है। वह मेरे साथ यही आई है। कमलनयन<sup>२</sup> भी यही है। आजकल वकीलकी पाठशाला महामारीके कारण बन्द है। अब यह पाठशाला विले पार्ले चली जायेगी।

मेरा कार्यक्रम तो ऐसा है कि १५ अक्टूबर तक मैं यही विश्राम करूँगा।

चूँकि आश्रमका कब्जा सरकारने नहीं लिया है<sup>३</sup> इसलिए अब स्थायी रूपसे इसका उपयोग हरिजन निवासके रूपमे किये जानेका विचार है। जमनालालको यह विचार पसन्द आया है। अहमदाबादके मित्रो — रणछोडभाई आदिको भी यह अच्छा लगा है। इसमें हरिजन निवास, चर्मशोधनालय, हरिजन छात्रावास और हरिजन सेवा सघका ऑफिस रखनेका विचार है। मेरा इरादा आश्रमकी जमीन और मकान अखिल भारतीय सेवा सघको सौंप देनेका है। इस वारेमे यदि तुम्हे कुछ कहना हो तो लिखना। अब तो काफी हो गया न?

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो — २ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ २६-३०

## २४. अपील : उड़ीसाकी बाढ़-सहायताके लिए

२४ सितम्बर, १९३३

उड़ीसाके बाढ़-पीड़ित लोगोंकी सहायताके लिए चन्देकी अपील करते हुए श्री गांधीने कहा है कि दो हजार मीलका क्षेत्र बाढ़से प्रभावित है। इससे तीन लाख लोगोंपर असर पड़ा है। पन्द्रह सौ गाँव तबाह हो गये हैं। बीस हजार मकान ढह गये हैं, और लगभग १५,००,००० रुपयेके मूल्यका नुकसान होनेका अनुमान है। श्री गांधीका कहना है कि जिन लोगोंको वास्तवमें भोजन और कपड़ेकी आवश्यकता है उन्हें बारह महीनेतक सहायता देनेकी आवश्यकता होगी, क्योंकि अगले वर्षकी फसल होनेतक उनके पास अपनेको जीवित रखनेकी कोई व्यवस्था नहीं होगी। जो लोग सचमुच गरीब सिद्ध किये जा सकते हैं ऐसे लोगोंकी सहायताके लिए कमसे-कम पाँच लाख रुपयेकी जरूरत होगी।

[ अंग्रेजीसे ]

• द इंडियन एनुअल रजिस्टर, जुलाई-दिसम्बर, १९३३, खण्ड २, पृष्ठ १०

१. रामेश्वरदासकी पत्नी कमला नेवटिया।

२. जमनालाल वजाजके पुत्र।

३. जुलाई, १९३३ में गांधीजीने सरकारसे आश्रमका कब्जा ले लेनेके लिए कहा था; देखिए खण्ड ५५, पृष्ठ ३१६-१९।

## २५. सन्देश : हरिजन-दिवसपर

[२४ सितम्बर, १९३३]

‘हरिजन-दिवस’ के अवसरपर मैं हृदयसे आशा करता हूँ कि सर्वर्ण हिन्दुओंके मनमें अपने हरिजन भाई-बहनोंके लिए शुद्ध प्रेम जाग्रत होगा और प्रत्येक हिन्दू स्त्री-पुरुषको अस्पृश्यता-उन्मूलनकी आवश्यकता अनुभव होगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २५-९-१९३३

## २६. पत्र : एन० आर० मलकानीको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा

२६ [सितम्बर], १९३३

प्रिय मलकानी,

मेरे इसी २ तारीखके पत्रके उत्तरमें तुम्हारा ८ तारीखका पत्र मुझे मिला। उस पत्रका मैं इससे पहले उत्तर नहीं दे सका, और अब मुझे तुम्हारा सबसे हालका पत्र मिला है जिसके साथ तुमने वस्तियोंके वारेमें अपनी रिपोर्ट भेजी है। तुम्हारी रिपोर्टके प्रथम अंगमें कही गई बातोंको मैंने पहले ही हाथमें ले लिया है। लेकिन पूरी रिपोर्टको पढ़ चुकनेके बाद उसके वारेमें मैं तुम्हें वादमें लिखूंगा।

हरिजन-कार्यके वारेमें तुम्हारे सुझाव अच्छे हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, विशेषकर इस समय। लेकिन उनके वारेमें तुम ठक्कर वापासे वातचीत करना। तुम शीघ्र ही औद्योगिक शालाओंके वारेमें कुछ सुनोगे। चमड़ा कमानेके उद्योगके महत्त्वके वारेमें मैं तुमसे विलकुल सहमत हूँ। इस समस्यापर मैं अभी भी विचार कर रहा हूँ।

भंगियोंके बीच काम कठिन जरूर है, लेकिन अत्यन्त आवश्यक भी है।

१. यह सन्देश २४ सितम्बरको तृतीय हरिजन-दिवसके अवसरपर वर्धामें जमनालाल बजाजके समापत्तित्वमें आयोजित समामें पढ़कर सुनाया गया था। प्रथम हरिजन-दिवस १८ दिसम्बर, १९३२को और द्वितीय हरिजन-दिवस ३० अप्रैल, १९३३को मनाया गया था।

२. साधन-सूत्रमें यह शब्द अस्पष्ट है।

३. देखिए “एक और नरक” २३-९-१९३३।

पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

मैं तुम्हारे इस सुझावका समर्थन करता हूँ कि यात्रा करने और विभिन्न सगठनोंका अध्ययन करनेके लिए तुम्हे सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

श्रीयुत एन० आर० मलकानी  
हरिजन सेवक संघ  
बिड़ला मिल्स, दिल्ली

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९००) से।

२७. पत्र : वी० राघवय्याको<sup>१</sup>

२६ सितम्बर, १९३३

प्रिय मित्र,

आपका पत्र मिला।

विभिन्न निर्णयोपर पहुँचनेके लिए मेरे पास सारे तर्क मौजूद थे। इसलिए आप मुझसे यह अपेक्षा नहीं करेगे, खासतौरसे मेरी मौजूदा सेहतको देखते हुए, कि मैं अपने बचावके लिए फिरसे वही सब बातें कहूँ जो मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन समय जरूर बतायेगा कि सच क्या है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

श्रीयुत वेन्नेलाकान्ती राघवय्या  
नेल्लूर  
(दक्षिण भारत)

अग्रेजीकी नकल (सी० डब्ल्यू० १०४४८) से; सौजन्य . के० लिंगराजू

२८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

२८ सितम्बर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारे कई पत्र मिले। मेरी रफी<sup>२</sup> से लम्बी बातचीत हुई। वह तुम्हे उसके बारेमें बतायेगे। मैं अब भी अपनी इस रायपर कायम हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक करानेसे कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं

१. एक कांग्रेसी और कवायली कार्यकर्ता जिन्होंने गांधीजीके हरिजन-समस्याको लेकर किये जानेवाले अनशनका विरोध किया था और लिखा था कि ऐसा करके वे आर्थिक समस्याकी उपेक्षा करेंगे।

२. रफी अहमद क़िदवई।



कि ऐसी कोई बैठक यदि होगी तो उससे मुझे गहरी चोट लगेगी। इसके विपरीत, यदि बहुतसे सदस्य बैठक चाहते हों तो बैठक बुलाये जानेकी माँग करना उनका कर्तव्य है। मुझे जो लगता है वह यह कि हमें इसमें पहल नहीं करनी चाहिए। अगर व्यक्तिगत रूपसे तुम्हें लगता हो कि माँग न होनेपर भी बैठक बुलाना बेहतर है तो तुम्हें बैठक बुला लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मुझे कार्यकर्ताओंकी रायका भी पता नहीं है। इसलिए जिन लोगोंका मत निश्चित रूपसे भिन्न है, वे मेरी रायको बिना किसी खतरेके नजरअन्दाज कर सकते हैं।

मेरी बातचीतके बारेमें रफी अपना जो विवरण तुम्हें देगे, उसके सिवा एक अन्य मुद्दा, जिसे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा वह कार्यकर्ताओंके बारेमें है। वेशक मुझसे जो हो सकेगा सो मैं करूँगा, लेकिन मेरा यह दृढ़ मत है कि प्रत्येक प्रान्तको अपने कार्यकर्ताओंका व्यय सँभालना चाहिए और प्रत्येक जिले या तहसीलको अपने कार्यकर्ताओंका। जबतक हम इस स्थितिको नहीं प्राप्त कर लेते तबतक हमारा संगठन ताशके धरके समान रहेगा। मेरी राय है कि तुम्हें अपने प्रान्तमें भिक्षा-पात्र हाथमें लेकर निकल पड़ना चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मेरा आदर्श तो यह है कि प्रत्येक कार्यकर्ताको अपने गुजारेका खर्च उस क्षेत्रसे प्राप्त होना चाहिए जिसमें कि वह काम करता है, और इस बातपर उसे गर्वका अनुभव करना चाहिए। प्रत्येक मजदूर अपने मेहनतानेका हकदार है।

शेष बातें रफी तुम्हें बतायेंगे।

आशा है माँ और कमला, दोनों अब बेहतर हैं। डॉ० विधानका क्या कहना है, सो तुम मुझे यथासमय बताओगे ही।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च:]

व्यक्तिगत पत्रोंके बारेमें मुझे कुछ नहीं कहना है। आशा है . . .<sup>३</sup> लिखे मेरे दो पत्र तुम्हें मिले होंगे।

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", २३-९-१९३३ तथा २४-९-१९३३।

२. साधन-सूत्रमें यहाँ अस्पष्ट है।

## २९. पत्र : मेरी बारको

२८ सितम्बर, १९३३

चि० मेरी,<sup>१</sup>

मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज तुम सामान्य हो। मेरे खयालसे तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम पारम्परिक डाक्टरी इलाज करा कर ठीक हो जाओ। आजकल तो इंजेक्शन लगाना आम बात है। अच्छा यही है कि तुम उन्हें लगवा लो। और डाक्टर लोग जो खानेको कहे, वह खाओ। यदि तुम्हें नी० की सहायता की आवश्यकता नहीं है तो उसको चला आने दो। मैं जानता हूँ कि एक सुव्यवस्थित अस्पतालमें बाहरी लोगोके रहनेसे डाक्टरोंको उलझन होती है।

ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६००७) से। सी० डब्ल्यू० ३३३३ से भी;  
सौजन्य : एफ० मेरी बार

## ३०. पत्र : भगवानजी अ० मेहताको

वर्धा

२८ सितम्बर, १९३३

भाई भगवानजी,

आपका पत्र मिला। . . .<sup>३</sup> आपके प्रयत्न सफल हो। आप कुछ भी उठा न रखे। . . .<sup>३</sup> और यदि व्यवस्थित ढंगसे साथ रहते न बने तो [सम्पत्तिका] वेंटवारा<sup>४</sup> करते हुए भी संकोच न कीजिएगा।

मैं 'रतुभाई'<sup>५</sup> को अलगसे नहीं लिख रहा हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५८२०) से। सी० डब्ल्यू० ३०४३ से भी;  
सौजन्य . नारणदास गावी

१. मेरी बारको लिखे इस पत्रमें तथा अन्य पत्रोंमें ये शब्द देवनागरी लिपिमें हैं।
- २ और ३. यहाँ साधन-सूत्रमें कुछ कटा-फटा है।
४. प्राणजीवनदास मेहता की सम्पत्ति का।
५. रत्तिलाल सेठ, छगनलाल मेहताके ससुर।

## ३१. पत्र : नानाभाई इ० मशरूवालाको

वर्षा

२८ सितम्बर, १९३३

भाई नानाभाई,<sup>१</sup>

तुम्हारा पत्र मिला। नाजुक तबीयत होते हुए तो तुम्हें यहाँ आनेकी जरूरत हो ही नहीं सकती। मैं ठीक ही हूँ। पूरी शक्ति आनेपर, जब मैं यात्रा कर सकनेकी स्थितिमें होऊँगा तब तुम्हारा प्रेम निश्चय ही मुझे अकोला खीच ले जायेगा। मणिलाल<sup>२</sup> काममें खूब फँस गया जान पड़ता है। उसने अपने सिरपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है।

तारा<sup>३</sup> का समाचार जमनालालजीने दिया है।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत नानाभाई मशरूवाला  
अकोला  
वरार

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६८९) से। सी० डब्ल्यू० ४३३४ से भी;  
सौजन्य : कनुभाई मशरूवाला

## ३२. पत्र : नलिनीकान्त सेठको

वर्षा

२८ सितम्बर, १९३३

चि० नलिनीकान्त,

तुम्हारे भेजे हुए पत्र मिले है। मैंने उत्तर रंगूनके पतेपर भेजा है। मैं ठीक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ७१७४) से। सी० डब्ल्यू० ४६७० से भी;  
सौजन्य : नारणदास गांधी

१. मणिलाल गांधीके ससुर।

२. मणिलाल गांधी।

३. नानाभाई मशरूवालाकी पुत्री।

### ३३. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

२८ सितम्बर, १९३३

मुझे यहाँ पूर्ण शान्ति मिलती है। चार बजेसे पहले किसीको आने ही नहीं दिया जाता। ४ से ५ के बीच कोई आये तो मिल सकता है। उसी समय कातता हूँ। मैं छतपर सोता हूँ। दूध पर्याप्त मात्रामे ले पाता हूँ। . . .<sup>१</sup> इसलिए जमना लालजी जो रिपोर्ट दे उसपर भी विश्वास न करना। रक्तचाप खुद-ब-खुद कम हो जायेगा। वजन तो अब ही बढ़ सकता है।

. . .<sup>२</sup>

शारीरिक स्वास्थ्यका ध्यान रखते हुए तुमसे जितनी मेहनत हो सके उतनी करना। सच तो यह है कि तुम्हें कुछ समयके लिए बाहर चले जाना चाहिए और पूरा आराम करना चाहिए। क्या यह सम्भव होगा ?

[ गुजरातीसे ]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १३६

### ३४. तार : ' मातृभूमि ' को

२९ सितम्बर, १९३३

श्री माधवन नायरकी मृत्युसे एक जबर्दस्त राष्ट्रीय क्षति<sup>१</sup> हुई है। उनके परिवारके प्रति जमनालालजी तथा मैं सम्बेदना भेजते हैं।

[ अग्रेजीसे ]

हिन्दू, ३०-९-१९३३

### ३५. पत्र : अगाथा हैरिसनको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा

२९ सितम्बर, १९३३

प्रिय अगाथा,

मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया है। तुम तो मुझे पत्रपर-पत्र लिख रही हो और मैं तुम्हें एक पक्ति भेजकर ही सन्तुष्ट हो गया हूँ। सच यह है कि अभीतक मैंने अपनी खोई हुई शक्ति पूरी तरह फिरसे प्राप्त नहीं

१ और २. यहाँ साधन-सूत्रमें कुछ छूट गया है।

३. देखिए " भाषण कालीकटकी सार्वजनिक समारोह ", १३-१-१९३४ भी।

की है, और जो-कुछ शक्ति है उसे हाथमें लिये हुए मौजूदा काममें लगाना है। इसलिए मुझे बहुत सारी ऐसी चीजोंकी उपेक्षा करनी पड़ती है जो मैं अन्यथा करना चाहूँगा। मैं एन्ड्रयूज और मीरा पर निर्भर करता रहा हूँ कि वे तुमको पत्र लिखते रहें। लेकिन इसी ९ तारीख और १६ तारीखके तुम्हारे दो पत्र ऐसे हैं जिनका मुझे काफी विस्तारसे जवाब देना चाहिए।

तुमने मिदनापुर काण्डके विषयमें जो-कुछ लिखा है और जो-कुछ नहीं लिखा है उसे मैं समझता हूँ। आगा है मैंने जो वक्तव्य दिये हैं उन सबकी प्रतियाँ तुमको मिल गई हैं। मिदनापुरके बारेमें मैंने जो-कुछ कहा है उसके लिए मैं कोई माफी नहीं माँगता। मैं इससे कम कुछ नहीं कह सकता था, और इससे ज्यादा भी नहीं; कारण, उस वक्तव्यमें जो-कुछ कहा गया था वह सोलहो आने सच था। लेकिन जान-बूझकर गलत प्रचार करनेका अभियान चलाया जाये तो कोई उससे किस प्रकार निपटे? मैं जो-कुछ कहता हूँ उसका एक-एक शब्द तोड़-मरोड़ कर बताया जाता है। जहाँ तोड़-मरोड़ करना सम्भव नहीं होता वहाँ मेरे वक्तव्योंमें से वाक्योंके-वाक्य इस प्रकार निकाल दिये जाते हैं कि निकाले हुए वाक्योंके साथ पढ़नेपर वक्तव्यका जो अर्थ निकलता, उससे विलकुल भिन्न अर्थ उसी वक्तव्यसे निकलता है। लेकिन मैं इन तरीकोंसे विचलित नहीं होता। मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं है। मुझे अपने उद्देश्यमें और अपने सत्यमें अपार विश्वास है। इसलिए जो चीज करनेकी है वह यही है कि विस्तारपूर्वक कैफियत देनेकी कोशिश न की जाये, क्योंकि यह व्यर्थ है, बल्कि ठीक अवसर आनेपर उसी सत्यको और बलपूर्वक दोहराया जाये।

इंग्लैंडके मित्रोंकी स्थिति इससे कुछ भिन्न है। स्वभावतः वे कुछ करके दिखाने को उत्सुक हैं। तथापि मैं मित्रोंसे कहूँगा कि वे ऐसे मौकोंपर विचलित न हों; क्योंकि इस समय तुम्हारी आवाज नक्कारखानेमें तूती-जैसी होगी, और मैंने जो-कुछ कहा हो, यदि उसके बारेमें तुमने कैफियत देनेकी कोशिश की तो ऐसा करके तुम हमारे उद्देश्यको हानि पहुँचाओगी। मैं एक जवर्दस्त प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी हर साँसमें अहिंसा बसी हुई है। मैं जो-कुछ लिखता हूँ उसमें नमक-मिर्च नहीं लगाता। मैं कुछ भी नहीं छिपाता। इसलिए मैं यह नहीं चाहूँगा कि मित्र लोग मेरे किसी कार्य या मेरे किसी कथनको माफ करे। अगर वे उसे नहीं समझते तो चुप रहें। यदि वे उससे असहमत हैं और सारे तथ्योंको जानने और उनको तोलनेके बाद यदि वे उसका खुलकर विरोध करें तो मैं उसका बुरा नहीं मानूँगा। वास्तवमें इससे हमारे उद्देश्यका हित होगा। इसी मिदनापुर-सम्बन्धी वक्तव्यको ही लो। मैं जानता हूँ कि जवाबी आतंकवादके सरकारी रवैयेंके कारण आतंकवादकी जड़ें और गहरी पैठती जा रही हैं। जवाबी आतंकवादका प्रभाव ज्यादा गरारतपूर्ण होता है, क्योंकि यह संगठित होता है और सारी जनताको भ्रष्ट कर देता है। जवाबी आतंकवाद वजाय आतंकवादको खत्म करनेके आतंकवादी तरीकोंके समर्थनमें एक बातावरण पैदा करता है, और इस प्रकार उसे कृत्रिम उत्तेजन प्रदान करता है। मुमकिन है इसके परिणाम

तुरन्त सामने न आये, लेकिन वह निश्चय ही भविष्यमे ज्यादा बड़े पैमानेपर आतकवादी गतिविधियोंके लिए भूमिका तैयार करता है। इसलिए जैसा मिदनापुरमे हुआ, उस प्रकारका कोई विस्फोट होनेपर इस बातको जोरदार शब्दोमे स्पष्ट करके रखना चाहिए, और यदि सत्यको जोरदार ढंगसे नहीं कहा जा सकता तो स्पष्ट है कि इसका विकल्प यही है कि चुप रहा जाये। ऑपरेशन न करनेकी अपेक्षा आघे मनसे ऑपरेशन करना कही ज्यादा खतरनाक है। यह सब मैं अहिंसाके बारेमे अपने ज्ञान, और सुनिश्चित तथ्योंकी जानकारीके आधारपर कह रहा हूँ।

फिर, मेरे अनशन या हालके मेरे सभी अनशनोको लो। यदि वहाँके मित्र इन अनशनोको इतनी अच्छी तरह नहीं समझ सके हैं कि उनको उचित बता सके, तो वे उनकी उपेक्षा कर सकते हैं, या वे निर्णय करनेसे पहले सारी जानकारी और तथ्य प्राप्त कर ले और तब यदि निर्णय मेरे विरुद्ध जाता हो तो उन्हें अपना निर्णय घोषित करनेमे हिचकिचाना नहीं चाहिए, लेकिन यदि वे अनशनोके पक्षमे निर्णय देते हैं तो उन्हें अपना समर्थन स्पष्ट शब्दोमे देना चाहिए। तुम तो वहाँ बिल्कुल अकेली पड़ गई हो। इसलिए मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम जो भी कदम उठाओ उसपर दृढ़ रहो, बशर्ते कि तुम्हे अपने ऊपर, भारतीय उद्देश्यमे और मुझमें—मैं, जो आज भारतके उद्देश्यका तुम्हारे सामने प्रतिनिधित्व करता हूँ—विश्वास है। मैं तुम्हे कभी गलत नहीं समझूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुट्ठीभर लोग जो-कुछ भी करोगे, पूरे दिलसे करोगे। मैं इससे ज्यादाकी अपेक्षा नहीं करता, न कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है अथवा करनी चाहिए।

पता नहीं मैं अपनी बात तुम्हे ठीकसे समझा सका हूँ या नहीं। यदि मैं इसमें विफल हुआ होऊँ तो तुम इस पत्रको अपने दिमागसे निकाल देना और मुझे बताना कि कहाँपर तुम मुझे नहीं समझ सकी हो। जहाँतक मेरे स्वास्थ्यकी बात है, मैं धीरे-धीरे शक्ति-लाभ कर रहा हूँ। मुझसे अपेक्षित है कि मैं कमसे-कम २३ अक्टूबर तक आराम और शान्तिका सेवन करूँ, जिसके बाद यदि सब ठीक-ठाक रहा तो मेरा एक दौरेका कार्यक्रम निश्चित किया जायेगा। एन्ड्र्यूज उड़ीसामे है। महादेव बेलगाँव जेलमें है और देवदास मुल्तान जेलमे। उसकी पत्नी यहाँ है। प्यारेलाल नासिक जेलमे है। उसकी माता और भाई यहाँ है, और नासिक जानेवाले हैं। अवश्य मीरा यही है।

सप्रेम,

बापू

कुमारी अगाथा हैरिसन  
२, क्रेनबोर्न कोर्ट  
एल्वर्ट ब्रिज रोड  
लन्दन, एस० डब्ल्यू० ११

अंग्रेजी की फोटो-नकल (जी० एन० १४६८) से।

## ३६. पत्र : एफ० मेरी बारको

२९ सितम्बर, १९३३

चि० मेरी,

तुम्हारा प्रेम-पत्र मिला। मरीजोंको एक हृदके आगे लाड़ नहीं करना चाहिए। मैंने सबसे पहली गलती तो यही की कि नी० को तुम्हारे साथ भेजा। कृपया उसे भेज देनेको मत कहो। जब तुम स्वस्थ हो जाओगी और मेरे पास आ जाओगी तब मैं तुम्हें कायल कर दूंगा कि मैं ठीक था। मैं उसे उसी के हितमें यहाँ रोके हुए हूँ। अब मुझे पता चला है कि डंकन तुम्हारे पास रहेगे। इसकी मुझे खुशी है। मैं सरस्वतीका पता नहीं चला पा रहा हूँ। पता चलते ही मैं उससे बात करूँगा। अगर वह राजी हुई तो उसे भेज दिया जायेगा। इन परिवर्तनोंको तुम फिलहाल माफ कर देना। यदि नी० को वापस न बुला लिया गया होता तो कोई परिवर्तन करना जरूरी न होता। एक वार तुम अम्यस्त हो जाओगी तब कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। तथापि मुझे आशा है कि वहाँकी नर्सें काफी योग्य और पर्याप्त संख्यामें हैं।

ईश्वर तुम्हें शीघ्र स्वस्थ करे।

सप्रेम,

बापू

[पुनश्चः]

मैं मीराको नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि उसे रोजाना लगभग चार घंटे अमलाको देने पड़ते हैं। वह अपना समय खराब कर रही है।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६००८) से। सी० डब्ल्यू० ३३३४ से भी;  
सौजन्य : एफ० मेरी वार

## ३७. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

२९ सितम्बर, १९३३

चि० रामेश्वरदास,

तुम्हारे लिए, मेरे लिए, और जिन्हे विश्वास है उन सबके लिए रामनाम अचूक औषधि है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। रामनाम निर्दोष और निरोगी व्यक्तिके लिए नहीं वरन् हम-जैसे दोषपूर्ण और व्याधिग्रस्त मनुष्योंके लिए है। तात्पर्य यह कि फल मिले या न मिले, तो भी हमें दृढतापूर्वक उसका स्मरण तो करते ही रहना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

श्रीयुत रामेश्वरदास  
मार्फत भोलाराम जोहारमल  
घुलिया, जिला खानदेश

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २०९) से।

## ३८. पत्र : परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

२९ सितम्बर, १९३३

माई परीक्षितलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। काठियावाड़के आश्रमके लिए जीवनलालभाई और नानाभाई<sup>१</sup> दीवालीके बाद प्रयत्न करनेवाले हैं। उसमें हमसे जो प्रयत्न बन पड़ेगा सो हम करेंगे। यदि ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो मेरा खयाल है, हम आश्रमको नहीं चला सकेगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग आश्रमको खत्म नहीं होने देंगे। भावनगर और वरतेजके आश्रमको सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए अथवा नहीं, इसपर विचार किया जाना है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३९९६) से।

१. नरसिंहप्रसाद कालिदास भट्ट।



## ३९. पत्र : जसभाईको

२९ सितम्बर, १९३३

भाई जसभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं यहाँ बैठा हुआ तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जैसा चिमनलाल कहें वैसा करना। मुझसे पूछनेकी जरूरत महसूस होगी तो वह मुझसे पूछेगा। विवश होकर कुछ भी न करना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० २३१७३) से।

## ४०. पत्र : मणिबहन पटेलको

२९ सितम्बर, १९३३

चि० मणि;

तेरा पोस्टकार्ड मिला है। तुझे जबतक रहना पड़े तबतक वहाँ रहना और ठीक होकर आना। बापू<sup>१</sup>का पत्र मुझे भी मिला है। उसपर से पता चला है कि उनके साथ अब चन्दूभाई<sup>२</sup> हैं। बहुत अच्छा हुआ। मुझे पत्र लिखा करना। डाह्याभाई<sup>३</sup>से कहना कि मैंने करमचन्दको जवाब दे दिया है। मैं ठीक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

श्री मणिबहन पटेल

पारेख स्ट्रीट

सैण्डहर्स्ट रोड

बम्बई-४

[ गुजरातीसे ]

बायुना पत्रो-४ : मणिबहने पटेलने, पृष्ठ १०८

१. मणिबहनेके पिता सरदार वल्लभभाई पटेल।

२. डॉ० चन्दूभाई देसाई।

३. मणिबहनेके भाई।

## ४१. पत्र : द० बा० कालेलकरको

[ ३० सितम्बर, १९३३ से पूर्व ]<sup>१</sup>

चि० काका,

...

मैं आश्रमको सदाके लिए हरिजन निवास, हरिजन छात्रावास और हरिजन-सेवक संघके कार्यालय तथा चर्मालयके लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक सघको सौंप देनेका विचार कर रहा हूँ। तुम्हारी इसके बारेमें क्या राय है? जमनालालजीको तो यह विचार बहुत पसन्द आया है। छगनलाल, चिमनलाल और मगनभाईको भी यह बात अच्छी लगी है।

तुम अपना कार्यक्रम बताना।

स्वास्थ्यको देखते हुए मैं यहाँ १५ अक्टूबर तक निश्चित रूपसे हूँ।

मैं ठीक हूँ। मैं अपने साथ भारी फौज लाया हूँ। आनन्दी, बचु<sup>२</sup> और बबु<sup>३</sup> साथ हैं। प्रभुदास भी है। मोहन<sup>४</sup> और वनमाला<sup>५</sup> कठलाल गये हैं।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४७८) से, सौजन्य : द० बा० कालेलकर

## ४२. व्याख्याकी आवश्यकता

उरई (संयुक्त प्रान्त)के मुन्सिफकी अदालतमें एक विचित्र मुकदमा दायर किया गया था। सरकारने एक मुसलमानको कोंचके हरिजनोके प्रतिनिधिके रूपमें वहाँकी नगरपालिकामें मनोनीत कर दिया था। इसपर तीन हरिजनोने सपरिषद भारत मन्त्री तथा दूसरोपर दावा दायर किया और माँगकी कि इस मनोनीत सदस्यको सदस्यतासे हटा दिया जाये, और यह घोषित कर दिया जाये कि नगरपालिका अधिनियमके अनुसार, केवल किसी हिन्दू हरिजनको ही मनोनीत किया जा सकता है। इस सम्बन्धमें कानूनमें अनिश्चितता तो है ही, इसलिए अदालतका फैसला वादीके विरुद्ध रहा। यहाँ मैं फैसलेके गुण-दोषोंकी जाँच नहीं करना चाहता। मैं तो जनताको केवल यही बताना चाहता हूँ कि कानून न केवल हरिजन-वर्ग, जिसका कि वर्णन फैसलेमें 'दलित

१. पत्रमें सत्याग्रह आश्रमको हरिजन-सेवक संघको सौंप देनेका गांधीजीने जो विचार व्यक्त किया है, यह तारीख उसके आधारपर तय की गई है; देखिये "पत्र : घनश्यामदास विदलाको", ३०-९-१९३३।

२. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ अंश काट दिया गया है।

३. निर्मला, महादेव देसाईकी सौतेली बहन।

४. शारदा, चिमनलाल शाहकी पुत्री।

५. और ६. नरहरि परीखके पुत्र और पुत्री।

जातियों' के नामसे किया गया है, की व्याख्याके बारेमें ही अनिश्चित है, बल्कि अगर फैसला ठीक है तो, इस शब्दकी अभीतक कोई कानूनी परिभाषा ही नहीं बनी है। यदि यह ठीक है, तो यह समझना कुछ कठिन नहीं है कि इस परिभाषाके अभावमें हरिजनोंके प्रति घोर अन्याय हो सकता है और उससे दुःखदायी परिणाम निकल सकते हैं। इससे तो सबगों और हरिजनों, तथा हरिजनों और हरिजनों एवं हिन्दुओं और गैर-हिन्दुओंके बीच बहुत कटुता व लड़ाई-झगड़े पैदा हो सकते हैं। अगर कानून द्वारा अल्पसंख्यताको स्थायी नहीं बनाना है, तो यह बहुत जरूरी है कि इस शब्दकी उचित व्याख्या निश्चित करनेकी ओर जनता अपना ध्यान एकाग्र करे। पाठक यदि उक्त मन्त्रिकके फैसलेके निम्न अंग' को ध्यानसे पढ़ डालें तो वे मेरे अभिप्रायको अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, ३०-९-१९३३

### ४३. हरिजन छात्रावास<sup>२</sup>

एक हरिजन छात्रावासके संचालकने लिखा है :<sup>१</sup>

यह कोई नई बात नहीं है। हर एक छात्रावासमें पाखानेकी सफाई तकका काम विद्यार्थियोंसे कराना चाहिए, इसमें मुझे तनिक भी शंका नहीं। ऐसा करानेसे विद्यार्थियों की पढ़ाईमें कोई बाधा नहीं आती। सच पूछा जाये तो इससे तो उनके अध्ययनमें वास्तविकताका योग होता है और उनके स्वास्थ्यकी भी उत्थिति होगी; और पैसेकी बचत होती है, तो अलग। परन्तु जो संचालक विद्यार्थियोंमें सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करनेके लोभसे अथवा अपने विद्यार्थियोंके साथ इन बातोंकी चर्चा करनेमें आलस्य करनेके कारण उन्हें छात्रावासके सारे काम करना नहीं समझाता, वह विद्यार्थियोंकी कोई भलाई नहीं करता। ऐसी मेहनतको विद्यार्थियोंकी शिक्षाका एक अंग समझना चाहिए। पर विद्यार्थियोंसे यह दैनिक काम करानेमें एक शर्त जरूरी है। वह यह कि संचालकोंको स्वयं काममें मदद देकर अपना उदाहरण उनके आगे रखना चाहिए। ऐसा किया जाये तो फिर "क्षुद्रताकी भावना बढ़नेका" जरा भी भय नहीं रहेगा।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, ३०-९-१९३३

१. यहाँ नहीं दिया गया है। निर्णयमें कहा गया था : "नगरपालिका अधिनियममें 'दलित वर्ग' की कोई व्याख्या नहीं दी गई है। अदालतको यह पता नहीं है कि कानून द्वारा जो मान्य हो, ऐसी कोई कानूनी परिभाषा इस शब्दकी है। . . ."

२. इस अंग्रेजी लेखको यद्यपि ३०-९-१९३३ के हरिजन में प्रकाशित किया गया तथापि इसका गुजराती अनुवाद हरिजनधनु के २४-९-१९३३ के अंकमें पहले ही छाप दिया गया था।

३. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने गांधीजीसे पूछा था कि यदि छात्रावासोंमें छात्रोंसे वर्तन संजवाये जायें तो क्या इसमें अनुचित होगा ?

## ४४. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा

३० सितम्बर, १९३३

प्रिय घनश्यामदास,

आपको मालूम ही है कि आश्रमवासियोंने गत पहली अगस्तको साबरमतीके 'सत्याग्रह आश्रम' और उसकी भूमिको त्याग दिया था। मुझे आशा थी कि सरकार मेरे पत्र' के अनुसार इस त्यक्त सम्पत्तिपर अधिकार कर लेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसी अवस्थामे मेरे सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि मेरा क्या कर्तव्य है। मुझे लगा कि कीमती इमारतको यो ही नष्ट होने देना बिल्कुल गलत होगा। मैंने मित्रो और सहकर्मियोंके साथ परामर्श किया और मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि आश्रमका सबसे अच्छा उपयोग यही हो सकता है कि उसे हमेशाके लिए हरिजन सेवाके निमित्त अर्पित कर दिया जाये। मैंने अपना सुझाव आश्रमके न्यासियों' के, जो बाहर है, और सहसदस्योंके सामने रखा, और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि वे इससे हृदयसे सहमत हैं। जब इस सम्पत्तिका त्याग किया गया था तो उस समय यह आशा अवश्य की जा रही थी कि किसी दिन सम्मानपूर्ण समझौतेके द्वारा, अथवा भारतकी लक्ष्य-सिद्धि होनेपर, न्यासी लोग इस सम्पत्तिपर पुन. अधिकार कर सकेंगे। इस नवीन सुझावके अनुरूप न्यासी लोग सम्पत्तिसे पूरी तरह हाथ धो रहे हैं। न्यास-पत्र' के अनुसार ऐसा करनेका उन्हें अधिकार है, क्योंकि न्यासका एक उद्देश्य हरिजन सेवा भी है। अतएव यह नया सुझाव आश्रम और न्यासके व्यवस्था-विधानके पूर्णतया अनुरूप है।

ट्रस्टियोंके और मेरे लिए विचारणीय प्रश्न यही था कि जिस विशेष उपयोगका मैंने उल्लेख किया है उसके लिए सम्पत्ति किसके सुपुर्द की जाये, और हम सब सर्व-सम्पत्तिसे इस निष्कर्षपर पहुँचे कि उसे भारत-व्यापी उपयोगके लिए अखिल भारतीय हरिजन सघके सुपुर्द करना चाहिए। ट्रस्टके उद्देश्य निम्नलिखित हैं : (१) भविष्यमे बनाये जानेवाले नियमोपनियमोके अनुरूप आश्रमकी भूमिपर वाछनीय हरिजन परिवार बसाये जाये, (२) हरिजन बालको और बालिकाओंके लिए छात्रावास खोला जाये, जिसमे गैर-हरिजनोको भर्ती करनेकी स्वतन्त्रता रहे; (३) खाल उतारने, कमाने, चमड़ा तैयार करने और इस प्रकार तैयार किये गये चमड़ेके जूते, चप्पल और दैनिक आवश्यकताओंकी ऐसी ही अन्य चीजे तैयार करनेकी कलामे दीक्षित करनेके लिए एक तकनीकी विभाग खोला जाये, और अन्तमे, इमारतोंको गुजरात प्रान्तीय या

१. २६ जुलाई, १९३३ का; देखिए खण्ड ५५, पृष्ठ ३१६-९।

२. जमनालाल बजाज और छगनलाल गांधी।

३. देखिए खण्ड २९, पृष्ठ ४२७-८।

४. देखिए खण्ड ३६, पृष्ठ ४१९-३१।

केन्द्रीय बोर्डोंके कार्यालयके रूपमें, और उन सारे उपयोगोंके लिए काममें लाया जाये जिन्हे निम्नलिखित अनुच्छेदमें निर्दिष्ट समिति उचित समझे।

मैं न्यासियोंकी ओरसे यह सुझाव पेश करता हूँ कि हरिजन सेवक संघ एक विशेष समिति नियुक्त करे जिसमें आप और मन्त्री पदेन (एक्स ऑफीशियो) सदस्य रहें और तीन अन्य सदस्य अहमदावादके तीन नागरिक हो। इस समितिको अपनी संख्यामें वृद्धि करनेका अधिकार रहे, और यही इस न्यासको हाथमें लेकर उसके उद्देश्योंकी पूर्ति करे।

दो मित्र, श्री बुधाभाई और श्री जूठाभाई इस आश्रमके साथ हमेशासे रहे हैं। उन्होंने आश्रममें अवैतनिक प्रबन्धकोकी हैसियतसे रहनेकी तत्परता प्रकट की है। इनके जीवन-निर्वाहके अपने स्वतन्त्र साधन हैं और ये हरिजन सेवा-कार्यमें बहुत कालसे लगे हुए हैं। एक ऐसा आश्रमवासी<sup>१</sup> भी है जिसने हरिजन सेवाके लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है। यह भी आश्रममें खुशी-खुशी रहनेको तैयार हो जायेगा। हरिजन बालकों और बालिकाओंके शिक्षण-कार्यमें तो इसने कमाल हासिल किया है। अतएव मैंने जैसा समिति घटाई है उसे न्यासका प्रबन्ध करनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, न यह जरूरी है कि मैंने जितने काम बताये हैं वे एक साथ और तुरन्त ही हाथमें ले लिये जायें। आपको पता ही है कि कुछ हरिजन परिवार वहाँ इस समय भी रहने हैं। आश्रमके सदस्योंका यह स्वप्न रहा है कि हरिजन परिवारोंकी एक वस्ती बसाई जाये, पर कुछेक को बसानेको छोड़कर हम इस दिशामें अधिक आगे नहीं बढ़ सके। वहाँ चमड़ा कमानेका प्रयोग भी जारी रखा गया था और आश्रमवासियोंके तितर-बितर होनेके समयतक वहाँ चप्पले भी बनती थी। इमारतमें बड़ा-सा छायावास है जिसमें १०० जन आसानीसे रह सकते हैं। इसमें बुनाई करनेका काफी बड़ा शेट है, और मैंने जो-जो काम गिनाये हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था है। सम्पत्तिमें १०० एकड़ भूमि है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि उपरोक्त उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए स्थान काफी बड़ा तो नहीं है, फिर भी फिलहाल उनको जितनी पूर्तिकी आवश्यकता है, उसे देखते हुए अच्छा खासा है। आशा है, मेरा प्रस्ताव स्वीकार करनेमें और इस स्वीकृतिजन्य उत्तरदायित्वकी पूर्तिमें संघको कोई आपत्ति नहीं होगी।<sup>१</sup>

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

श्रीयुत घनश्यामदास बिड़ला  
अध्यक्ष, हरिजन सेवक संघ  
बिड़ला मिल्स, दिल्ली

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७९३७) से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१. भगवानजी पुरुषोत्तम पण्ड्या, जो आश्रममें स्थायी रूपसे रहनेके लिए बर्मासे चले आये थे।
२. ४ अक्टूबर, १९३३ के अपने पत्रमें बिड़लाजीने गांधीजीका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया था कि जो लोग आश्रममें पहलेसे ही हैं, वे आश्रमकी तथा उसकी भूमिकी देखभाल करने रहें।

## ४५. पत्र : आत्मा एस० कमलानीको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा  
३० सितम्बर, १९३३

प्रिय कमलानी,

तुम्हारा पत्र मिला।

तुमने मुझे अनशनका कोई विकल्प नहीं बताया है। लेकिन मेरे सम्भावित अनशनको लेकर तुम्हें उद्विग्न होनेकी जरूरत नहीं है। वे अकारण और बिना सोचे-विचारे नहीं किये जाते और अधिकांशतः उनके पीछे कोई प्रेरणा होती है, इसलिए उनके लिए नुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जबतक विभ्रम मनमें बना रहता है तबतक बुद्धि कुछ काम नहीं करती और बुद्धिकी दुहाई व्यर्थ होती है। इस प्रकारका ईश्वर प्रेरित अनशन करते समय मेरे या मुझे इस अनशनसे विरत करनेका प्रयत्न करनेवाले लोगोके सामने जो अलघनीय कठिनाई होती है उसे क्या तुम नहीं देख सकते ?

हृदयसे तुम्हारा,  
मो० क० गांधी

श्रीयुत आत्मा एस० कमलानी

अवैतनिक सयुक्त मन्त्री

“फ्रेड्स ऑफ इंडिया”

४६ लकास्टर गेट

लन्दन, इंग्लैंड २

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १५३१) से।

## ४६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

वर्धा

३० सितम्बर, १९३३

प्रिय चार्ली,

तवा कढ़ाईको काला कह रहा है। मैं देखता हूँ कि तुमपर फिर चिन्ताका भूत सवार हो गया है। क्या मैंने कहा नहीं है कि "अखबारी रिपोर्टोंपर विश्वास मत करो?" जबतक डाक्टर लोग मुझे चंगा करार नहीं दे देते तबतक मैं दौरेपर नहीं निकलूंगा, और २३ अक्टूबरसे पहले तो किसी भी सूरतमें नहीं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कोई चीज जल्दवाजीमें नहीं की जायेगी। और आप मौकेपर मौजूद आदमीपर भरोसा क्यों नहीं करते? निश्चय ही जमनालालजी जबतक बिलकुल सन्तुष्ट नहीं हो जायेंगे कि मैं वाहर जाने लायक चंगा हो गया हूँ, तबतक वे मुझे हिलने भी नहीं देंगे।

अन्ततः मैं वेरियरके कमरेमें झाँकनेके लिए कुछ समय निकाल सका। वह बिलकुल ठीक दिखाई पड़ता था। वह बहुत ठीक प्रगति कर रहा है।

मेरा वजन बढ़ा है और ब्लड-प्रेसर बम्बईमें जितना था उससे निश्चय ही कम है।

सप्रेम,

मोहन

[पुनश्च :]

अमियके क्या हाल हैं?

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७९५) से।

## ४७. पत्र : तेजबहादुर सप्रूको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा

३० सितम्बर, १९३३

प्रिय डॉ० सप्रू,

आपका पत्र पाकर बड़ी खुशी हुई। बेशक मैं जानता था कि आप मुझे पत्र क्यों नहीं लिख रहे हैं। मैं यह सोचनेकी गलती कभी नहीं कर सकता था कि आपमें स्नेह या शिष्टताकी कमी है।

मैं अभी भी अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। वह धीरे-धीरे वापस लौट रही है।

हरिजनोके विरुद्ध रूढ़िपथियोके पूर्वग्रहको दूर करनेके लिए मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं आपसे विलकुल सहमत हूँ कि “उनके प्रति हमारा रवैया हमारे चरित्रपर सबसे बड़ा कलंक है”। मैं जानता हूँ कि इस मामलेमें मैं इस बातपर निर्भर कर सकता हूँ कि आप पूरे दिलसे सहायता करेगे, लेकिन मैं यह नहीं पसन्द करता कि आप मुझे पत्र लिखते समय केवल हरिजन-समस्याके बारेमें ही लिखें। आप राजनीति या राजनीतिक चर्चामें सक्रिय भाग नहीं लेते तो न ले, लेकिन निश्चय ही आप अपने मित्रोको अपनी सलाह, मार्गदर्शन और परिपक्व अनुभवके लाभसे वंचित नहीं करना चाहेगे। हमारे दृष्टिकोणमें चाहे कितनी ही भिन्नता हो, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे मनमें आपके और आपकी रायके लिए बहुत आदर है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे लन्दनके अपने अनुभवों का संक्षिप्त विवरण और उनपरसे आपने जो धारणा बनाई है, उसके बारेमें लिखें।

मेरे साथ सेठ जमनालालजी भी अपना अभिवादन भेज रहे हैं।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

सर तेजबहादुर सप्रू

१९, अल्वर्ट रोड, इलाहाबाद

[ अंग्रेजीसे ]

गांधी-सप्रू करेस्पॉन्डेन्स · जी० २६; सौजन्य : राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

१. श्री सप्रू संसुक्त संसदीय समितिमें भाग लेनेके लिए अप्रैलकी बैठकोंमें लन्दन गये थे।



## ४८. पत्र : बल्लभभाई पटेलको

वर्षा

३० सितम्बर, १९३३

भाई बल्लभभाई,

तुम्हारा २६ तारीखका पत्र मिला।

गणिका पत्र कल आया। ऐसा लगता है कि उसका प्लीहा बढ गया है। वह उतका उतार भी करवा रही है। इसलिए यहाँ आनेमें उसे कुछ समय लगेगा। आश्रमको हरिजनवागके रूपमें चलानेके लिए बुधाभाई, जूठाभाई और भगवानजी तो हैं ही। तीनों ही व्यक्ति ईमानदार, मेहनती और कुशल हैं। पहले दो को कुछ देनेकी जरूरत भी नहीं है।

रामदास धीरे-धीरे ठिकाने आ जायेगा। चिन्ताका कोई कारण नहीं।

आनन्दी ठीक रहती है। पयुराज कालीकटमें है। इन्दुके पत्र भावनगरसे आते हैं। . . . !

आना ठीक, तुम कुशलपूर्वक होगे। चन्द्रूभाई आनन्दपूर्वक होगे।

यह सम्भव है कि लड़की थोड़े समयमें मद्रास जायेगी।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-२ : सरदार बल्लभभाईने, पृष्ठ ३१

## ४९. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

३० सितम्बर, १९३३

मेरे वारेमें ममाचारपत्रोंमें जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वह सच होते हुए भी झूठ है। डॉक्टर ऐसा ही कहेंगे। लेकिन जिन्हें मेरे स्वास्थ्यके वारेमें मालूम है उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना रक्तचाप है इसकी अपेक्षा वहाँ ज्यादा था। वजनका घटना अथवा बढ़ना मेरे स्वास्थ्यकी दृष्टिसे कोई महत्त्व नहीं रखता। लेकिन अब तो मेरा वजन भी कमसे-कम १०१ पाँड हो गया है। मैं आराम भी काफी करता हूँ।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १३६

१. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

## ५०. एक टिप्पणी'

वर्धा

३० सितम्बर, १९३३

यह रकम हरिजन-कोषके लिए दिल्ली हरिजन सेवक-संघको भेजी जाये।

मो० क० गांधी

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३०७१) से।

## ५१. भविष्यका वर्ण-धर्म

एक सनातनी सज्जन लिखते हैं :'

इस प्रकारके प्रश्नका सीधा जवाब देना कठिन है। कोई त्रिकालदर्शी ही इनका उत्तर दे सकता है। दूसरे तो कोरा अनुमान ही लगा सकते हैं। मेरे लिए तो वर्तमानका ज्ञान और तदनुसार आचरण ही पर्याप्त है। 'चूकै मति यह दाँव, कहा आगेकी सोचे', आस्तिक और नास्तिक दोनों ही इसे अन्तःकरणसे गा सकते हैं। नास्तिकके अरमान तो खाने-पीने और मौज उड़ानेमें ही पूरे हो जाते हैं, और आस्तिकके अरमान भगवद्भक्ति और उससे प्राप्त कर्तव्य-कार्यमें तन्मय हो जानेमें सम्पन्न होते हैं। मैं अपनेको आस्तिक मानता हूँ और अपने वर्तमान कर्तव्यको पूरा करनेमें ही कृतार्थता मानता हूँ। आज जैसा कहेगा, भविष्यमें वैसा भूँगा, अर्थात् यह निश्चित है कि वर्तमान कर्मनुसार ही भविष्य बनेगा। इसीलिए वर्ण-धर्मके भविष्यके विषयमें मुझे चिन्ता नहीं है। इन सनातनी सज्जनसे भी मैं यही सिफारिश कहेगा कि वह भविष्यकी चिन्तामें न पड़े। मेरी तरह जो वर्ण-धर्म मानता है, और मेरी बताई व्याख्या ही जिसे स्वीकार है वह उसीके अनुसार अपना आचार-विचार रखे तो वह पूर्णतया अपने धर्मका पालन करनेवाला समझा जायेगा।

फिर एक दूसरी बात भी ध्यानमें रखने योग्य है। किसी भी धर्मके मूल सिद्धान्तमें व्यापक बननेकी क्षमता होनी चाहिए। जिन सिद्धान्तोंमें ये गुण नहीं होते, वे सिद्धान्त ही नहीं कहे जा सकते। यदि वर्ण-धर्मका सिद्धान्त व्यापक न हो तो

१. गांधीजीने १४-१०-१९३३ को अमृतलाल वि० ठक्करको लिखे पत्रमें जिस टिप्पणीकी चर्चा की है, वह सम्भवतः यही है।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने अपने पत्रमें गुजरातके हरिजनोंको दृष्टिमें रखते हुए लिखा था कि सन्धे अर्थोंमें वर्णाश्रम-धर्मकी प्रतिष्ठा अब दुर्लभ ही है।

उसकी उत्पत्ति किसी विशेष काल, स्थान और संयोगमें होनी चाहिए; और इनमें से किसी एकके भी बदलते ही वर्ण-व्यवस्था भी बदल जानी चाहिए। वर्ण-व्यवस्था अगर इतनी क्षणजीवी वस्तु हो तो चाहे वह रहे या न रहे, उसके सम्बन्धमें कुछ भी विचार करनेकी जरूरत नहीं है। पर अपनी व्याख्यानुसार, मैं वर्ण-धर्मको सर्वव्यापक सिद्धान्त मानता हूँ। उसके पालनपर ही जनसमाजके अस्तित्वका आधार है। यदि मेरे विश्वासमें तथ्य है तो भविष्यमें वर्ण-धर्म अवश्य व्यापक होगा, फिर भले ही वह चाहे जिस नामसे पुकारा जाये। वर्ण-धर्मका अभिप्राय है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी पैतृक आजीविकाके साधनसे सन्तुष्ट हो। इस योजनाके मूलमें अहिंसा है, ईश्वरीय नियमका ज्ञान है, शुद्ध अर्थशास्त्र है और मनुष्यत्व है। इस वर्ण-धर्मका पालन न हुआ तो अभूतपूर्व पारस्परिक संहार ही होगा। ज्यों-ज्यों करोड़ोंमें जागृति आती जायेगी, सब धनवान होना चाहेंगे, सब बड़े बनना चाहेंगे और नीच कहे जानेवाले धन्धे कोई नहीं करना चाहेगा, त्यों-त्यों ऊँच-नीचकी भावना और अधिक बढ़ती जायेगी। मुझे लगता है कि इसका परिणाम आपसकी मार-काटके सिवा और कुछ नहीं होगा।

पर मनुष्यके स्वभावमें ही आत्म-रक्षाका गुण मौजूद है। इसलिए मनुष्य वर्ण-धर्मका आश्रय लेगा और बच जायेगा। सब अपने-अपने पैतृक धन्धोंमें लगे रहेंगे, किसी धन्धेको ऊँचा-नीचा माने बिना ही सब अपना-अपना जीवन वितायेंगे। ऐसा होनेपर अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि नामोंसे प्रसिद्ध न होकर, दूसरे नामोंसे प्रसिद्ध हो, तो उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। वर्ण चारके वजाय दो हो सकते हैं और चारसे अधिक भी। इतना स्पष्ट है कि वर्णके महान नियमोंका पालन करनेसे हम पूँजोवाद और मजदूरवाद आदिके कलहसे बच जायेंगे। इस व्यवस्थामें एक ओर तो अतिशय लोभ, धन, और मद नहीं होगा, और दूसरी ओर लाचारी, कंगाली और दीनता न होगी। सब मिलकर प्रेमसे रहेंगे, कोई किसीको ऊँच या नीच नहीं मानेगा।

इतना लिखकर अब मैं अपनी कल्पनाके घोड़ेपर सवार होकर थोड़ी सैर करना चाहूँगा। अगर वर्ण-व्यवस्थाकी रचना कोई मुझे करने दे और मैं भारतमें होऊँ, तो उसका श्रीगणेश मैं ब्राह्मणोंसे ही करूँ। वे निश्चित रूपसे अनुभव-ज्ञान और उसके आधारपर रचे हुए आचारके रक्षक होते हैं, अतः उनके सहयोगसे दूसरे वर्ण स्वयं व्यवस्थित हो सकते हैं। कारण यह है कि उनका अनुभव स्वयंसिद्ध होता है और वे निःस्वार्थ होते हैं, अतः सहज ही सब लोग उनका अनुसरण करेंगे। उनमें कार्यकुशलता भी होती है। कौन ब्राह्मण है, यह प्रश्न ही तब नहीं रहेगा। आज जिसे हरिजन कहा जाता है वह ब्राह्मणकी तरह सर्वसामान्य होगा, और जो ब्राह्मण है वह अपनेको शूद्र कहे जानेमें संकोच नहीं करेगा। मैं जिस कालकी कल्पना कर रहा हूँ उसमें मुझे कुछ अड़चन नहीं आयेगी। कारण कि उस समय ऊँच-नीचकी भावनाका सर्वथा उन्मूलन हो चुकेगा और सब अपने-अपने गृहकर्ममें लग जायेंगे, तथा सहज ही अपने-अपने स्थानमें सुव्यवस्थित जम चुके होंगे। कल्पनाके घोड़ेकी यात्राका लम्बा वर्णन करनेमें कुछ विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए थोड़ा मार्गदर्शन करके ही समाप्त

करता हूँ। पर मेरे इस लेखसे इतना तो समझ ही लेना चाहिए कि वर्ण-धर्म यहाँ अहिंसा-प्रधान माना गया है, अतः उसमें राजदण्ड अथवा बलात्कारके लिए स्थान ही नहीं है। मनुष्य-स्वभावमें यदि वर्ण-धर्म है, तो उसका उद्धार हो ही जायेगा। वर्ण-धर्म यदि मानव-स्वभावके विपरीत है, तो आज उसका जो लोप हो चला है वह ठीक ही है। मनुष्य पशुजातिका जन्तु-विशेष ही नहीं है, बल्कि वह प्राणी है, जिसमें से पशुत्व दिन-दिन कम होता जाता है और जो अज्ञानकी मूर्च्छासे जाग्रत होकर आत्मारथी बनता जाता है। मानवप्राणीकी रचना ही आत्माको पहचाननेके लिए हुई है और वह आत्म-स्वरूप ही है। इसलिए किसी-न-किसी दिन ऊँच-नीचके मिथ्या प्रपचसे निकल कर, वह आत्मैक्य बढ़ानेवाली वर्ण-व्यवस्थाको स्वयं स्वीकार करेगा।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, १-१०-१९३३

## ५२. पत्र : पद्माको

१ अक्टूबर, १९३३

चि० पद्मा,

तू मुझे माफ कर देगी न? तुझे लिखनेका मन तो रोज करता है, लेकिन समयकी कमीके कारण तुझे लिख नहीं पाता। अब तो तू और सरोजिनी देवी<sup>१</sup> अच्छी हो गई होगी। तू मुझे अपना कार्यक्रम बतलाना। तेरा दूसरा पत्र आनेपर ज्यादा लिखूंगा। आनन्दी, बबु, बचु, प्रभावती और मीराबहन और बा मेरे साथ हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१४४) से। सी० डब्ल्यू० ३४९९ से भी; सौजन्य . प्रभुदास गाधी

## ५३. पत्र : सुदर्शन वी० देसाईको

१ अक्टूबर, १९३३

चि० मावो,

तू मावे जैसा मीठा है क्या? न हो तो बनना। अपनी लिखावट रोज सुधारना। वहाँ मन अच्छा लग गया है क्या?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ५७६३) से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई

१. संयुक्त प्रान्तके एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सीतला सहायकी लड़की।

२. पद्माकी माँ।

## ५४. पत्र : धीरू सी० जोशीको

१ अक्टूबर, १९३३

चि० धीरू,

अब तेरा बुखार उतर गया होगा। तू अपनी छुट्टियाँ वहाँ ही शान्तिके साथ विताना। गिजुभाई<sup>१</sup> का कहना है कि वहाँ रहा जा सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३१६) से।

## ५५. पत्र : दूधीबहन वी० देसाईको

वर्षा

१ अक्टूबर, १९३३

चि० दूधीबहन,

तुम्हे पत्र लिखनेकी इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन समय-ही नहीं मिलता। तुम्हें वह जगह अनुकूल आ गई जान पड़ती है। मेरा खयाल है यदि कुसुम<sup>२</sup> मान जाये तो उसका धर्म है कि राणावावमे रहकर वह अपने स्वास्थ्यको सुधारे। आशा है तुम आनन्दपूर्वक होगी। वालजीके पत्रमे कुछ जानने योग्य हो तो मुझे लिखना। सबके पत्र इसके साथ है, यथा कुसुम, बलभद्र<sup>३</sup>, इन्दु, नानु<sup>४</sup>, भावो<sup>५</sup> और धीरू।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ७४५३) से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई

१. गिजुभाई बघेका, शिक्षा-शास्त्री और लेखक।

२. कुसुम गांधी, जो तपेदिकसे ग्रस्त थी।

३. बलभद्र एन० पटेल।

४ और ५. दूधीबहनके पुत्र जिनका नाम क्रमसे विमलचन्द्र और सुदर्शन था।

## ५६. पत्र : द० बा० कालेलकरको

१ अक्टूबर, १९३३

चि० काका,

तुम्हारा पत्र मिला। बहुत प्रतीक्षा करवाई। लेकिन अब उसका कारण समझमें आया।

तुम्हें जमनालालजीकी अनुमति लेनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम आश्रमवासी हो। . . .<sup>१</sup>

आश्रमके दानके बारेमें मैंने घनश्यामदासको आज ही पत्र<sup>२</sup> भेजा है। वल्लभ-भाईको लिखा तुम्हारा पत्र मुझे तो ठीक लगा है।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४७९) से; सौजन्य : द० बा० कालेलकर

## ५७. पत्र : जयश्री रायजीको

१ अक्टूबर, १९३३

प्रिय बहन,

तुमने जो कार्य शुरू किया है उसके लिए तुमने मेरा आशीर्वाद मांगा है, और चूंकि वह देना मुश्किल नहीं है इसलिए यह लो। इसके अतिरिक्त तुमने किसी चीजकी कामना नहीं की है। लेकिन मेरे समझनेमें यदि कोई भूल हुई हो तो सुधारना; और बातको साफ-साफ लिखना ताकि मुझसे जो बन पड़ेगा उसे पूरा करनेमें नहीं चूकूंगा।

मोहनदासके वन्देमातरम्

वापुजीनी शीतल छायाમાં में प्रकाशित गुजरातीकी अनुप्रतिसे, पृष्ठ ८ के सामने।

१. यहाँ कुछ अंश काट दिया गया है।

२. देखिए "पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको", ३०-९-१९३३।

## ५८. पत्र : एफ० मेरी बारको

२ अक्टूबर, १९३३

चि० मेरी,

मैं छतपर टहल रहा हूँ और इस बीच डंकन मेरे पास आया है, वह मुझे तुम्हारा और अपना स्नेहाभिवादन कहता है। मैं तुम्हारे इस स्नेहको अपने हृदयमें सँजोकर रखूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कमजोरी दूर हो जाये और तुम जल्दसे-जल्द उठकर काम करने लगे। भगवान करे तुम जल्द ही अच्छी हो जाओ। वेगक, मैं तुम्हारे स्वास्थ्यके सम्बन्धमें पूरी जानकारी रखता हूँ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६००६) से; सी० डब्ल्यू० ३३३२ से भी;  
सौजन्य : एफ० मेरी वार

## ५९. पत्र : प्रेमलीला ठाकरसीको

२ अक्टूबर, १९३३

प्रिय वहन,

तुम्हारा पत्र मिल गया है। मयुरादास भी लिखता है कि तुम मेरी चिन्ता करती रहती हो। लेकिन यह जगह मेरे मनको खूब भा गई है। मैं ठीक खाना खाता हूँ, वजन भी बढ़ रहा है, रक्तचाप कम होता जाता है; इसलिए चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं है और महावलेश्वर जानेकी भी कोई जरूरत नहीं है। जो काम मैं यहाँ निबटा सकता हूँ सो वहाँ नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा इस समय मैं इतना ज्यादा खर्च करनेकी जरूरत भी नहीं समझता।

तुम्हारा जुकाम तो विलकुल ठीक हो गया है न?

वा आज खादी-कार्यके लिए नागपुरमें गई है।

लड़कियोंको आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४८३३) से; सौजन्य : प्रेमलीला  
ठाकरसी

## ६०. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

असंशोधित

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा

३ अक्टूबर, १९३३

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र मिला।

तुमने उड़ीसाके बेहतर और अनुकूल वातावरणके बारेमे जो बताया है उसे मैं समझता हूँ और उससे मुझे खुशी हुई है। ठक्कर बापा किसी सूत्रमे भी उड़ीसा नहीं जा सकते, कमसे-कम इस समय तो नहीं, लेकिन उनके अलावा कोई और योग्य व्यक्ति थोड़े ही समयमे वहाँ पहुँच जायेगा।

'आमरण अनशन' का तुमने जिन अर्थोंमे उपयोग किया था उसमें मैंने सुधार किया था, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम फिर उसी अर्थमे उसका उपयोग करने लगे हो। मैंने तुम्हे बताया था कि अबतक मैंने जितने उपवास' रखे हैं उनके साथ शर्त जुड़ी रहती थी; यहाँतक कि सबसे आखिरी उपवास भी सशर्त था। मैं यह अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि किसी व्यक्तिको बिना किसी शर्तके आमरण अनशनकी बात सचि-कर न लगे, हालाँकि मैं तुम्हे बता चुका हूँ कि जीवनके प्रति मेरा जो दृष्टिकोण है उसमे अत्यन्त असामान्य परिस्थितियोंमे बिना किसी शर्तके उपवासको भी स्थान है। लेकिन मैं उस अन्तिम स्थितिकी चर्चा करनेकी कोई जरूरत नहीं समझता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरुदेवसे बातचीत करते हुए तुम्हे इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि 'आमरण अनशन' का जो शाब्दिक अर्थ है, उस अर्थमे उसपर कोई दलील न करो। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम गुरुदेवके साथ केवल मेरे उन उपवासोंकी ही चर्चा करो जिनके बारेमे गुरुदेव सन्तुष्ट नहीं हैं, जैसाकि शायद मेरा पिछला उपवास था; और वहाँ भी यह कहना बिलकुल एक बात होगी कि अभीतक जो तथ्य मालूम हुए हैं उनको देखते हुए उपवास करनेको उचित नहीं कहा जा सकता, और यह कहना बिलकुल दूसरी बात है कि हरिजनोके बारेमे जो प्रश्न मैंने यरवडामे उठाया था, उस प्रश्नपर किसी भी स्थितिमे उपवास करना उचित नहीं कहा जा सकता। मेरे सामने एक अत्यन्त कष्टकर किन्तु दिलचस्प मामला है, जिसमे मैंने एक कार्यकर्त्तासे सत्य और सम्मानकी रक्षाके लिए पश्चात्ताप रूप उपवास रखनेके लिए कहा है। मैंने गुजरातीके 'हरिजन' मे इसके बारेमे चर्चा की है। तुम्हे अगले सप्ताहके अग्रेजीके 'हरिजन' मे भी यह देखनेको मिलेगा।

१. १६ अगस्तसे २३ अगस्त तक; देखिए खण्ड ५५।

२ और ३. देखिए "उपवास कब आवश्यक होता है?", ८-१०-१९३३।



उम्मीद है तुम अपनी शक्ति-सीमासे ज्यादा काम नहीं कर रहे हो। मैं खूब मजेमे चल रहा हूँ। मैंने अपने प्रस्तावित दौरेके बारेमे तुम्हें निश्चित करते हुए परसों एक पत्र लिखा था।'

सप्रेम,

मोहन

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७९६) से।

## ६१. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

असंशोधित

३ अक्टूबर, १९३३

प्रिय कुमारप्पा,

तुम्हारा पत्र ठीक उसी समय आया है जब मुझे उसकी आशा थी। जब तुम इस पत्रका उत्तर दो तब तुम मुझे अपनी शारीरिक अवस्थाके बारेमे भी सब-कुछ लिखना। तुम जब यहाँ आना चाहो तब आ सकते हो और इस महीनेकी २३ तारीखसे पहले किसी भी समय आ सकते हो। यदि डाक्टर लोग मुझे जानेका प्रमाणपत्र दे देंगे तो मैं इसके बाद अपनी यात्रा आरम्भ कर सकता हूँ।

मैं काफी काम कर रहा हूँ और दिनमें कमसे-कम एक घंटा मुलाकातके लिए आनेवालोसे भेंट भी करता हूँ। इसमें हमेशा एक घंटेसे ज्यादा समय चला जाता है। इसलिए तुम्हें चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नहीं तथा मैं जानता हूँ कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे।

मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी वहनपर जो दैवी आपत्ति आ पड़ी है उसे वह वीरताके साथ झेल रही है। मैंने तो यह जाना है कि अखंडित सुखकी अपेक्षा, जो कि बाहरी परिस्थितियोंपर निर्भर करता है, ऐसे दुःख कभी-कभी भगवानकी ओरसे भेजे गये ज्यादा सच्चे वरदान सिद्ध होते हैं।

चन्द्रशंकर, जो कि मेरी मदद कर रहा है, विशेष रूपसे तुम्हे अपना नमस्कार भेजता है। मुझे इस हफ्ते किसी भी समय काका साहबके यहाँ आनेकी उम्मीद है और हो सकता है कि वह कुछ समयतक यहाँ रहें।

सप्रेम,

बापू

श्रीयुत जे० सी० कुमारप्पा  
मार्फत श्री सी० वी० नरसय्या  
कोयम्बटूर (द० भारत)

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१००) से।

## ६२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

३ अक्टूबर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला।

...!

आश्रमके बारेमें तुम मेरा पत्र<sup>१</sup> समाचार-पत्रोंमें देखोगे। जरूरत जान पड़ी तो तोतारामजी<sup>२</sup> को भेजूंगा। परीक्षितलाल भी वही रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी।

मणिको मैंने लिखा है कि वह ठीक इलाज करवाके ही आये।

... का काम तो ऐसे ही चलेगा। उसे सुधारना तो कुत्तेकी पूँछको पत्थरके साथ बाँधने जैसा है। कृष्णा नेहरूके बारेमें तुमने पढ़ा ही होगा।

अब चूँकि मुझे और काम करने हैं इसलिए आज इतनेसे ही समाप्त करता हूँ। जमनालालजी मेरी वगलमें ही बैठे हैं, और कहते हैं कि उनके सम्बन्धमें तुम कोई चिन्ता न करना। आवश्यकता हुई तो वे पहाड़पर जायेंगे। उनका वजन १९० पाँडतक तो पहुँच गया है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-२ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ३२

## ६३. सलाह : जापानी बौद्ध स्थविरोंको<sup>४</sup>

४ अक्टूबर, १९३३

मुझे खुशी है कि आपसे मुलाकात हो सकी और काफी दिलचस्प बातें हुईं। आपने मुझे जो लम्बा पत्र भेजा था उसे मैं सावधानीपूर्वक पढ़ गया हूँ।

आपके मनमें जो यह इच्छा है कि भारतमें बौद्ध-धर्मकी पुनर्स्थापना हो, उसको मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ और मैं उसकी सराहना करता हूँ; केवल मैं आपको

१. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

२. देखिए “पत्र : धनरथामदास विद्दलाको”, ३०-९-१९३३, जो ७-१०-१९३३ के हरिजन में प्रकाशित हुआ था।

३. तोताराम सनाढ्य, एक आश्रमवासी।

४. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है।

५. रेवरेंड फ्रूजी और रेवरेंड ओकीत्सु ४ अक्टूबरको गांधीजीसे मिले थे। इस मुलाकातकी संक्षिप्त रिपोर्ट ५-१०-१९३३ के हिन्दू में प्रकाशित हुई थी।

यह बताना चाहूँगा कि बौद्ध-धर्मका चाहे जो भी अर्थ हो, भगवान् गौतम बुद्धके उपदेशोंके सारको हिन्दू-धर्ममें समाविष्ट कर लिया गया है और मेरे खयालसे, तुलनात्मक दृष्टिसे कहें तो, इस महान् सुधारकके उपदेशोंकी शुद्धताको भारतमें ही सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा गया है। बाहरके जिन देशोंने इस धर्मको अपनाया है उन देशोंमें, जैसा कि मुझे लगता है, इस धर्मका ह्रास हुआ है: उदाहरणके तौरपर, महात्मा बुद्धकी शिक्षा अनिवार्य रूपसे यह थी कि न केवल मनुष्य-मनुष्यमें भ्रातृत्वकी भावनाका विकास हो बल्कि जीवमात्रमें इस भावनाका प्रसार हो। इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं है। मेरे विचारसे महात्मा बुद्धने किसी नवीन धर्मकी स्थापना नहीं की। उन्होंने तो एक सच्चे हिन्दूके नाते हिन्दू-धर्मको एक नई दिशा दी थी। इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप संस्कृत और पाली का अध्ययन करें और भगवान् बुद्धकी शिक्षाके सम्बन्धमें अपने ज्ञानमें अभिवृद्धि करें। संस्कृतका अव्ययन करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको मालूम हो सके कि यह उपदेश कहाँसे लिया गया है तथा जिस समय यह उपदेश दिया गया था उस समय क्या परिस्थितियाँ थीं; तथा यह विलकुल स्पष्ट है कि पालीका अव्ययन भी अनिवार्य है, क्योंकि बौद्ध-धर्मके मूल धर्मग्रन्थ इसी भाषामें हैं। और चूँकि आप हिन्दुस्तानियोंके सुख-दुःखके साथी बन गये हैं, मैं आपसे कहूँगा कि आप हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी पढ़नेकी अनिवार्यताको समझें और उसपर ध्यान दें।

अन्तमें मेरा आपसे यह निवेदन है कि चाहे जैसे धार्मिक पुनर्जागरण की आवश्यकता हो, वह व्याख्यान और पाण्डित्यसे नहीं बल्कि अपने जीवनमें पवित्रताको बढ़ाकर और सर्वज्ञपर, उस जीवन्त सत्यपर प्रार्थनापूर्वक श्रद्धा रखनेसे ही सम्पन्न हो सकता है जो इस ब्रह्माण्डके कण-कणमें व्याप्त है, जो इसे प्रकाश देता है और जिसके बलपर यह टिका हुआ है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १२-१०-१९३३

## ६४. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

वधा

६ अक्टूबर, १९३३

भाईश्री ठक्कर बापा,

तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। तुमने विधान रायकी खूब याद दिलाई। मेरी स्मरण-शक्ति तो घास चरने चली गई जान पड़ती है। तुमने याद न दिलाई होती तो रह जाता। अब तो कल पत्र अवश्य जायेगा।

अब दौरेके वारेमें। घनश्यामदास लिखते हैं कि मुझे १५ नवम्बरसे पहले दौरेपर खाना नहीं होना चाहिए। डॉ० खरेका भी यह आग्रह है कि मैं तमसे-तम छः सप्ताह तक दौरा न करूँ। इसलिए मैंने ८ नवम्बर तक रुक रहना मंजूर किया है।

१. ८०० एन० बी० खरे।

बुधवार ८ तारीखके रोज मैं दौरा शुरू करूँगा। इससे जमनालालजीको भी सन्तोष मिलता है। मुझे भी लगता है कि रवाना होनेकी तारीख भले ही ८ नवम्बर हो। इस बीच, मेरे पास कुछ काम पडे हुए हैं वे भी पूरे हो जायेंगे। हरिजन निवासके लिए भी मुझे विचार तो करना ही होगा। अहमदाबादके मजदूरोंका मामला भी है, और फिर यहाँका भी बहुत सारा काम देखना बाकी है। यदि तुम इस विलम्बको उचित समझते हो तो उसके अनुरूप फेरबदल करना होगा। दौरेका सम्पूर्ण कार्यक्रम बनाते समय ऐसा करो - मध्यप्रान्तके लिए जमनालालजी यहाँके कार्यकर्त्तियोंसे मिलकर नमूनेके तौरपर एक कार्यक्रम बनाकर भेजे। अन्य प्रान्तोंके सप्ताह निर्धारित कर दो और उनसे उन सप्ताहोंका कार्यक्रम लिख भेजनेको कहो। ऐसा करनेके बाद कोई फेरबदल नहीं करना पडे। इसके बाद हमें नौ मासका पूरा कार्यक्रम एकबारगी प्रकाशित न करके प्रान्त-प्रान्तके दौरेका कार्यक्रम पहले प्रकाशित करना चाहिए जिससे यदि छोटे-मोटे कोई परिवर्तन करने आवश्यक ही हो तो हमें कोई दिक्कत न हो। ऐसा करे तो हमें सबसे पहले दो प्रान्तोंका कार्यक्रम प्रकाशित करना चाहिए। और एक प्रान्तके खत्म होनेपर दूसरे प्रान्तका कार्यक्रम प्रकाशित हो। ऐसा करनेसे मेहनत भी कम पडेगी। जब जमनालालजी अपने सुझाव तैयार करेंगे तब मैं विस्तारसे लिखूँगा।

अब हरिजन निवासके सम्बन्धमें; इसे नाम क्या दिया जाये? मैं अनुभव करता हूँ कि हमें हरिजन शब्दका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस शब्दका प्रयोग करें उसमें हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो अन्ततः हरिजन शब्दको भुला देना है अथवा सबको हरिजन बन जाना है। इसीलिए विनोबाका सुझाव है कि हम उसका नाम सर्वोदय मन्दिर अथवा 'समभाव मन्दिर' रखे। मुझे तो निश्चय ही पहला नाम पसन्द है, क्योंकि रस्किनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'को आजसे बीस वर्ष पहले मैंने यही नाम दिया था। इस तरह हरिजन शब्दका भी समावेश हो ही जाता है। इस नामके बारेमें घनश्यामदासके साथ बातचीत करके मुझे लिखना। पत्रमें लिखी दूसरी चर्चाके बारेमें भी घनश्यामदासको समझाना।

बबलभाई ने तुम्हारा और मेरा कहना माना, इस बातसे मुझे बहुत खुशी हुई है। वह यदि अपना नाम वापस न लेते तो स्थिति बहुत विषम हो जाती।

बापू

[पुनश्च :]

जैसे हम काठियावाडको कुछ नहीं दे सकते उसी तरह दिल्लीको भी नहीं देंगे। श्रीवास्तवजीके पराक्रमका समाचार तो मुझे बहुत पहलेसे मिल गया था। लेकिन घरकी फूटका दुखडा हम किसके आगे जाकर रोये?

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११२४) से।

१. अनट्ट दिस लास्ट; देखिए खण्ड ८।

२. बबलभाई मेहता।

## ६५. पत्र : माणकलालकी

६ अक्टूबर, १९३३

चि० माणकलाल,

तुमने पत्र लिखा सो ठीक किया। आजकल कैसी नौकरी है? कितनी तनख्वाह मिलती है? बाकी सब तो तुम्हें राधाके पत्रसे मालूम हो जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२३, ३६९) से।

## ६६. पत्र : राधा गांधीको

६ अक्टूबर, १९३३

चि० राधा,

मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैं काममें इतना ज्यादा व्यस्त रहता हूँ कि तेरे जैसे प्रियजनोंको भूल जाता हूँ और वे [पत्रोंके बिना] रह जाते हैं। तुम सबकी याद मनमें बनी तो रहती है, लेकिन पत्र लिखना रह जाता है। तुम सब सुखी हो, अपने-अपने संसारमें विचरण करते हो, यही जानकर मैं सन्तुष्ट रहता हूँ। तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तू दीर्घायु हो। मैं लिखूँ अथवा न लिखूँ, लेकिन तू लिखे यह बात जरूर अच्छी लगेगी। तेरा चेहरा तो हर पल मेरी आँखोंके आगे नाचता रहता है। मैं ठीक हूँ। बा यही है। रामदास और उसकी पत्नी भी यही है। देवदास जेलमें है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२३) से।

## ६७. टिप्पणियाँ

### धन कैसे एकत्र किया जाये

बहुत-सी संस्थाओंके सचालक समझते हैं कि जनतासे केवल अपील निकाल देनेसे ही उनकी संस्थाओंको पैसा मिल सकता है। पर यह बात तो इने-गिने सुप्रसिद्ध और तपे हुए लोक-सेवकोंके मामलेमें ही सही है। मुलर और रामकृष्ण परमहंस-जैसे महा-पुरुषोंको तो मूक प्रार्थनापर ही पैसा मिल जाता है। ऐसे विरले सन्तोंकी एक मूक इच्छा ही, वेतारकी तारबकीके सन्देशके समान, लोगोंके पास पहुँच जाती है। पर अधिकांशमें साधारण जन-सेवकोंको धन-संग्रह करनेके लिए भारी परिश्रम करना ही पड़ेगा। और परिश्रम उठानेका अच्छेसे-अच्छा रास्ता यही है कि घर-घर घूमा जाये। कार्य न्यायोचित हो—हमारा कार्य तो न्यायोचित है ही—और कार्य करनेवालोंकी प्रामाणिकता लोग जानते हो, तो पैसा अवश्य मिलेगा। घर-घर जाकर भिक्षा माँगना एक प्रकारका उत्तम प्रचार-कार्य भी है। दानी सदा ही कड़े होते हैं और होने ही चाहिए। जिस संस्थाके लिए उनसे मदद माँगी जाती है, उसकी सब आवश्यकताएँ वे पूछते हैं, जो उचित ही है। इसलिए जो सेवक भिक्षा माँगने जाये, उन्हें वस्तु-स्थिति और यथार्थ आँकड़ोंकी तैयारी करके ही जाना चाहिए। पर सबसे अधिक जरूरत तो धीरजकी है। कहीं अपमान भी हो जाये तो वह उन्हें सहन कर लेना चाहिए। अन्तमें वे देखेंगे कि जहाँ प्रामाणिकता और कार्यशक्तिके विषयमें शका नहीं होती, वहाँ पैसा मिलनेमें कमसे-कम कठिनता पड़ती है। ये दोनों गुण जहाँ नहीं होते वहाँ धन होना भी भार-रूप हो जाता है। यह बात आजकलकी बहुत-सी तथा-कथित धार्मिक संस्थाओंमें देखी जाती है, जिनके पास प्रचुर द्रव्य होनेपर भी उनमें सड़न फैल गई है।

अप्रामाणिक और निकम्मे न्यासी लोग इन न्यासोंकी पूरी देखभाल नहीं कर सकते। उनके हाथोंमें धन या तो व्यर्थ ही जमा रहता है और उसका कुछ सदुपयोग नहीं होता, या फिर धर्मके नामपर वे घोर अनाचार तथा दूसरी भ्रमपूर्ण प्रथाओंमें अपने द्रव्यका दुरुपयोग करते हैं।

### एक अमेरिकावासीका सुझाव

एक अमेरिकी मित्र, जो भारतकी स्थितिसे काफी कुछ परिचित है और हरिजन-कार्यमें जिनकी काफी रचि है, मेरे एक पत्रके उत्तरमें लिखते हैं:¹

. . . मुझे लगता है कि यदि जगह हो तो जो-कुछ काम किया गया हो उसके वर्णनके साथ-साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि इसके मुकाबले पहले

१. यहाँ पत्रके केवल कुछ अंश दिये गये हैं।

क्या दशा थी। . . . फिर यह भी प्रकट कर देना चाहिए कि प्रत्येक वस्तीमें हरिजनोंकी तादाद क्या है, जिससे मालूम हो सके कि नई सुविधा का लाभ कितने मनुष्योंको मिलता है, और वह सुधार किस हदतक पर्याप्त या अपर्याप्त है। साथ ही यह भी बताना चाहिए कि उन जगहोंमें ऊँची कही जानेवाली जातियोंको क्या-क्या सुविधाएँ प्राप्त हैं। . . .

इन अमेरिकी मित्रके सुझावका अभिप्राय यह है कि हमें अधिक कड़ाईके साथ सत्यका पालन करना चाहिए। हमारे सेवा-कार्यके विवरणोंमें कितनी ही सावधानी बरती जाये, वह कम है। इन विवरणोंमें हमारी शक्ति और हमारी कमजोरी दोनों प्रतिबिम्बित होनी चाहिए। बहुधा सस्थाओंके वर्णन छटायुक्त शब्दचित्रोंसे आकर्षक बना दिये जाते हैं। पर इन वर्णनोंमें न तो सत्य ही होता है और न यथार्थ स्थितिका प्रतिबिम्ब ही। लेकिन सचाईसे दूर होनेके कारण इन विवरणोंका भी वही हाल होता है जो साधारण पत्रोंमें छपे हुए लेखों और सार्वजनिक समाचारोंका होता है। पाठक इन विवरणोंको पढ़तेतक नहीं, और पढ़ते भी हैं तो उनपर विश्वास नहीं करते। जैसाकि पत्र-लेखकका कहना है, पुरानी और नई स्थितिका तुलनात्मक विवरण देनेसे पाठकगण आँकड़ों और तथ्योंको अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। जबतक कोई खास जरूरत न हो, इन विवरणोंमें छटायुक्त वक्तृत्व या लेखककी अपनी राय नहीं आनी चाहिए। वर्णन सक्षिप्त और उद्देश्ययुक्त होने चाहिए। कुछ भी प्रगति न होनेपर, प्रायः सेवक-जन कह दिया करते हैं कि कोई खबर देने योग्य नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि खास जरूरत तो उनके अपने कार्योंके बारेमें सच्ची सूचना की है। इस तरह अगर व्यवस्थित काम हो, तो उनका सच्चा कार्य-विवरण दूसरे कार्यकर्ताओंके लिए उपयोगी सिद्ध हुए बिना न रहे। हो सकता है कि हमें हमेशा सफलता न मिले, पर सफलताके लिए आवश्यक प्रयत्न और दिन-प्रतिदिन एकाग्रता बढ़ाते जाना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। सफलता इनके पीछे-पीछे आती है।

### कार्य-विवरणोंका मूल्य

ठक्कर बापाने मुझसे अक्सर शिकायतकी है कि बहुत-सी संस्थाएँ अपने कार्य-विवरणकी रिपोर्टें नियमपूर्वक और समय से नहीं भेजतीं, और जो विवरण भेजे भी जाते हैं उनमें भी शब्दाडम्बर ज्यादा होता है, तथ्य और आँकड़े कम। इन संगठनोंके मन्त्री और कार्यकर्ता लोग इस बातका हमेशा ब्याल नहीं रखते कि इन रिपोर्टोंको केन्द्रीय कार्यालय अपने शौकके लिए नहीं मँगाता, बल्कि इसलिए मँगाता है कि रोज-बरोजकी नीति निर्धारित करनेमें केन्द्र इन रिपोर्टोंसे मार्ग-दर्शन ग्रहण करता है, विभिन्न संगठनोंके कार्यकी जाँच करने और उनका समन्वय करनेमें इनकी सहायता लेता है, और समय-समयपर जनताको इस आन्दोलनकी प्रगतिकी सूचना भी इनसे मिलती है। रिपोर्टें तैयार करनेका काम यदि पूरी ईमानदारीसे किया जाये तो उससे सभी क्षेत्रोंमें कार्यकर्ताओंके कार्यको उत्तेजन मिलेगा और सभी संगठन अपेक्षित स्तरपर काम करेंगे। उदाहरणके लिए 'हरिजन दिवस' (गत २४ सितम्बर) के दिन

किये गये कार्यका विवरण यदि सभी कार्यकर्ता भेज दे, तो विभिन्न प्रान्तोमे मिली सफलता और विफलताका अनुमान लगाना सम्भव हो जायेगा, और तब यह भी निश्चित कर सकना सम्भव हो सकेगा कि अगले 'हरिजन-दिवस' के लिए क्या निर्देश जारी किये जाये। इसलिए मुझे आशा है कि ऐसे विवरण यदि पहले ही न भेजे जा चुके हो तो फौरन दिल्लीमे मुख्य कार्यालयको भेज दिये जायेगे। और किसी पाठकको यदि अपने अनुभवोके बारेमे कुछ विशिष्ट बात बतानेको हो, तो मैं उससे कहूँगा कि वह उन्हें सीधे मेरे पास भेजे। मैं आशा करता हूँ कि 'हरिजन दिवस' मनानेकी तैयारी के सिलसिलेमे जो-कुछ चन्दा जमा किया गया हो और जितना कुछ व्यय हुआ हो, उसका बिलकुल सही व्योरा इन रिपोर्टोमे भेजा जायेगा।

[अग्रेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३३

## ६८. वे क्या मानते हैं

राव बहादुर एम० सी० राजाने कुछ समय पहले मन्दिर प्रवेश विधेयक<sup>१</sup> के सम्बन्धमे गत २४ अगस्तको विधान-सभामे दिये गये अपने भाषणकी एक प्रति भेजी थी। पाठकोको नीचे उनके भाषणके विपुल उद्धरण मिलेगे।<sup>२</sup> भाषणके दौरान टोक-टाक, उनके प्रत्युत्तर और अन्य गैर-महत्त्वपूर्ण अंश छोड दिये गये हैं।

उनके इस भाषणका महत्त्व उनके ऐतिहासिक वक्तव्योकी यथार्थताकी दृष्टिसे उतना नहीं है जितना कि इस बातमे है कि बहुतसे लोग वास्तवमे उनमे उतने ही दुराग्रहपूर्वक विश्वास करते हैं जितने दुराग्रहपूर्वक कि सनातनी लोग, जो कि हरिजनो को किसी मानवीय अधिकारका पात्र मानते ही नहीं, अस्पृश्यताका समर्थन करनेवाले वक्तव्योमे विश्वास करते हैं। अन्ततः इस प्रश्नका निर्णय ऐतिहासिक साक्ष्यसे या ऐसे सस्कृत ग्रन्थोकी व्याख्याके आधारपर नहीं होगा जिनका धार्मिक महत्त्व सदिग्ध है, बल्कि यह प्रश्न सर्वथा निर्दोष और शुद्ध मन तथा आचरणवाले सुधारकोके प्रार्थनापूर्ण और अनवरत प्रयत्नोसे तय होगा। कोई भी धर्म अपनी विगत उपलब्धियोपर जीवित नहीं रह सकता। उसके अनुयायी बराबर अपने तपस द्वारा उसे पोषण और जीवन न देते रहे तो वह धर्म मर जाता है। ज्ञानके बलपर नहीं बल्कि सही आचरणके बलपर धर्म फलते-फूलते हैं। जब शुद्ध अभिरक्षकोकी सतर्कता ढीली पड़ गई तब ही अस्पृश्यता, आज हम उसको जिस रूपमे मानते हैं, हमारे धर्ममे घुस आई। यह तभी समाप्त होगी जब तपसकी अटूट और अटूटनीय श्रृंखला स्थापित कर दी जायेगी। पीढियोसे जन-साधारणके मनमे ऊँच और नीचका जो विचार भर दिया गया है उसे तमाम पंडितो और तमाम शास्त्रियोका सर्वसम्मत निर्णय भी नहीं निकाल सकता।

१. इसे रंगा अक्षरने प्रस्तुत किया था; देखिये खण्ड ५३।

२. यहाँ नहीं दिये गये हैं।



साधारण जनता उन लोगोंके आचरणकी साक्षी चाहेगी जिन्हें वह अपने धर्मका शुद्ध हृदय प्रतिनिधि मानती है।

तथापि मैं हिन्दू-धर्मके अध्येताओंसे सिफारिश करूँगा कि वे राव बहादुर राजाके भाषणका ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे अध्ययन करे। यह बात यदि असदिग्ध रूपसे सिद्ध हो जाये तो उसका काफी महत्त्व होगा कि कमसे-कम दक्षिणके हरिजन एक ऐसी सम्यक्ताके प्रतिनिधि हैं जिसे एक विजेता जातिने, जो मूल निवासियोंके प्रति तिरस्कार व्यक्त करनेके लिए अपने-आपको आर्य कहती थी, ध्वस्त कर दिया था और मूल निवासियोंका अपने स्वार्थके लिए उपयोग किया और उन्हें गुलामोंकी स्थितिमें पहुँचा दिया। मुझे मानना पड़ेगा कि इस कहानीकी सत्यतामें मुझे हमेशा गम्भीर सन्देह रहा है। श्रेष्ठताके ऐसे दावेदार एक उदात्त धर्मके निधान हो सकते हैं, इस बातको मैं अस्वीकार करता हूँ। यदि ऐतिहासिक साक्ष्य सन्देहातीत हो, तो हमें विवश होकर मानना पड़ेगा कि हिन्दू-धर्ममें जो-कुछ भी उदात्त है वह विजेताओंकी देन नहीं है बल्कि पराजित और विजित लोगोंकी देन है और अस्पृश्यता वह भ्रष्ट तत्त्व है जिसे विजेताओंने विजित लोगोंकी संस्कृतिको स्वीकार करके उस संस्कृतिपर ऊपरसे थोप दिया था। इस विषयमें जो दो विचारधाराएँ हैं उनमें से सत्य किसी में भी हो, लेकिन यदि हिन्दू-धर्मको जीवित रहना है तो अस्पृश्यताकी सर्वस्वीकृत बुराईको दूर करना नितान्त आवश्यक है। यह बात भी स्पष्ट है कि उक्त दो विचारधाराओंके अनुसार हिन्दू-धर्मका उद्भव चाहे इसी देशमें हुआ हो या वह बाहरसे आया हो, लेकिन आरम्भमें उसमें अस्पृश्यताका दोष मौजूद नहीं था। किसी भी सूरतमें चूँकि अनाथों और आर्योंमें, जिनके बारेमें कहा जाता है कि वे बाहरसे आये थे, अब कोई अन्तर नहीं है और देशके मूल निवासियोंमें वे घुलमिल गये हैं, इसलिए इस बातको तय करनेका या जाननेका भी कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं है कि कौन-सच्चा आर्य है। जो बात बहुत ही जवर्दस्त महत्त्व रखती है वह यह कि अस्पृश्यताके दानवपर प्राणान्तक आक्रमण करनेके लिए समस्त हिन्दुओंको अपनी शक्ति लगानी पड़ेगी।

[अग्नेजीसे]

हरिजन, ७-१०-१९३३

## ६९. पत्र : कृष्णा नेहरूको

[७ अक्टूबर, १९३३]

चि० कृष्णा,

तुम्हारा पुनर्जन्म होनेवाला है, क्योंकि शादी एक तरहका पुनर्जन्म ही तो है, है न?

स्वरूप<sup>१</sup> दुलहन बनकर काठियावाडमें आई, पर उसने अपने पतिको अपने पुराने सूबे — यू० पी० — में जाकर बसनेके लिए तैयार कर लिया। लेकिन तुम्हारेमें और स्वरूपमें अन्तर है। रणजीत काठियावाड़ी और महाराष्ट्रीय होनेका दावा रखता है। गुणोत्तम सिर्फ गुजराती है और मैं नहीं समझता कि उसे तू इलाहाबाद खीच ले जायेगी। तुम्हें तो बहुत करके गुजरात अथवा बम्बईमें ही रहना होगा। मेरी उम्मीद है कहीं भी तू रहे खुश रहेगी और माता-पिताके नामको उज्ज्वल रखेगी। ईश्वर तुझे और गुणोत्तमको सहायता करे। विवाहके समय मेरा आना तो नहीं हो सकता, इसलिए यहीसे आशीर्वाद भेजकर सन्तुष्ट रहना होगा।

बापूके आशीर्वाद

कोई शिकायत नहीं, पृष्ठ ११३-४

## ७०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

७ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारे दो पत्र मिले। पहलेका उत्तर देनेकी तो जरूरत नहीं।

मैं देखता हूँ कि कृष्णाका विवाह २० को है। मुझे खुशी है। पर मुझे इलाहाबाद आनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मेरे लिए तो पर्देमें रहना ही बेहतर है, जबतक कि डाक्टर लोग यह ऐलान न कर दें कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ। साथका यह पत्र कृष्णाके लिए है।<sup>१</sup>

मैं देखता हूँ कि तुम्हारी माँ अभी पूर्ण रूपसे संकटसे बरी नहीं हो पाई है। हम सब उम्मीद करे कि विवाहमें शरीक हो सकने लायक वे स्वस्थ हो जायेंगी।

१. सम्भवतः यह पत्र ७ अक्टूबर, १९३३ को जवाहरलाल नेहरूको लिखे पत्रके साथ संलग्न था; देखिए अगला शीर्षक।

२. विजयलक्ष्मी पण्डित; कृष्णा नेहरूकी बड़ी बहन।

३. देखिए पिछला शीर्षक।

डी० एच० के लिए लिखा तुम्हारा लेख मुझे बहुत पसन्द आया। मैं इसे अगाथा को भेज रहा हूँ कि वह इसका जैसा-कुछ उचित उपयोग कर सके, करे। वह एक अद्भुत कार्यकर्त्री है।

अपने जेलके अनुभवोंके व्योरेके सम्बन्धमें मीरा विलकुल ही भूल गई थी। अब उसकी पाण्डुलिपि तैयार है। एन्ड्रयूजको देनेके लिए इसे तुम्हारे पास भेजा जायेगा। और भी तुम जैसा चाहो इसका उपयोग कर सकते हो।

कार्यकर्ताओंके लिए क्या-कुछ किया जा सकता है, इस सम्बन्धमें मैं कुछ विचार कर रहा हूँ।

टंडनके मतभेदोंके बारेमें अखबारोंमें मैं जो पढ़ रहा हूँ, यह सब क्या माजरा है? क्या तुमने वह अनुच्छेद देखा है?

सप्रेम,

बापू

[अग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## ७१. पत्र : मणिबहन पटेलको

वर्धा

७ अक्टूबर, १९३३

चि० मणि,

तेरा पत्र मिला। जिन-जिनसे मिलना हो उन सबसे मिलकर और फुरसत पाकर मेरे पास आना। लेकिन इसका अर्थ यह न करना कि अगले युगमें आबोगी तो भी चलेगा। दावाको<sup>१</sup> जरूर साथ लाना। उसे अच्छा लगेगा। मेरी तबीयत सुधरती जा रही है अर्थात् ताकत आती जा रही है। मैं यहाँ ७ नवम्बर तक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती मणिबहन पटेल  
रामनिवास, पारेख स्ट्रीट  
वम्बई-४

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ १०८

१. उपलब्ध नहीं है।

२. दादाभाई पटेलके पुत्र।

## ७२. पत्र : विपिन पटेलको

वर्धा

७ अक्टूबर, १९३३

चि० बाबा,

तुम्हारा पत्र मिला। हर अक्षरको मोती जैसा सुन्दर बनानेकी कोशिश करो। दुआ' के साथ अवश्य आओ। मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हे खेलनेके मौके जरूर मिलेंगे। यहाँ तुम्हारी उम्रके बच्चे हैं। क्या तुम दादाको पत्र लिखते हो?

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-४ : मणिवहेन पटेलने, पृष्ठ १६३

## ७३. पत्र : जीवनजी डा० देसाईको

७ अक्टूबर, १९३३

भाईश्री जीवनजी,

तुम्हारे दो पत्र मिले हैं। तुम्हारा नोटिस पढा था, ठीक है। बाबलाको दीवालीके वाद भेजनेका बन्दोवस्त करना। उसने आनेका वचन तो दिया है। बाबला वचनबद्ध है, अत यदि वह उसका पालन करता है तो अच्छा होगा। मुझे अभी तालिका नहीं मिली है।

बापूके आशीर्वाद

[ पुनश्च : ]

जितनी जल्दी बन पड़ेगा वर्ण-धर्म पर प्रस्तावना<sup>१</sup> लिखूंगा।

श्रीयुत जीवनजी देसाई  
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर  
गांधी रोड  
अहमदाबाद, बी० बी० ऐड सी० आई० रेलवे

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १९३१) से। सी० डब्ल्यू० ६९०६ से भी, सौजन्य : जीवनजी डाह्याभाई देसाई

१. मणिवहन पटेल, देखिय पिछला शीर्षक मी।
२. "वर्णव्यवस्था" शीर्षकसे प्रकाशित गांधीजीके वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी विचारोंका एक संकलन। भूमिकाके लिए देखिय खण्ड ५९।

## ७४. आश्रमका समर्पण'

[८ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व]

हमने तो [आश्रमका] समर्पण ट्रस्टियोंकी तरह किया है। और ट्रस्टियोंने ऐसा द्वेष-भावसे नहीं समत्वकी भावनासे किया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसपर अपना कब्जा बनाये रखकर वे अपने धर्मका निर्वाह नहीं कर सकते। इसे सरकार [भले ही] ले ले पर वह नहीं लेती। और मैं यह नहीं चाहता कि यह [आश्रम] बरबाद हो जाये। . . . आश्रमका कब्जा छोड़ दिया है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ अब कभी रहना ही नहीं है। मुझे आशा है कि हम रह तो सकेंगे ही। सरकार यदि इसे बेच दे तो भी मुझे उम्मीद है कि आश्रमवासी तो उसी भूमिपर जाकर रहेंगे। . . . यह हरिजनोंके लिए तीर्थक्षेत्र और मन्दिर-स्वरूप बने। यह ऐसा हो कि सवर्ण हिन्दुओंको भी इसके जरिये अपने धर्मका भान हो। सवर्ण हिन्दुओंको तो प्रायश्चित्त करना है और इसके जरिये सवर्ण हिन्दुओंकी सेवाका भी समावेश हो जाता है, इस बातको वे समझे।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ८-१०-१९३३

## ७५. बातचीत : आपसी विग्रहके भयपर

[८ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व]

प्र० : क्या अस्पृश्यता-निवारणकी समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि उसका निराकरण आज और अभी हो जाना चाहिए? कई लोगोंको भय है कि इसके कारण हिन्दुओंमें पारस्परिक विग्रह और झगड़े उठ खड़े होंगे।

उ० : इसके बिना हम स्वराज्यके पथपर कदम ही नहीं रख सकते। और मान लिया जाये कि स्वराज्य प्राप्त भी हो गया तो भी वह स्वराज्य स्वराज्य नहीं होगा। वह तो अन्धविश्वास और अवर्मका राज्य होगा। बहुत-से हिन्दू आज ऐसा मानते हैं कि यदि अस्पृश्यता दूर कर दी जायेगी तो हिन्दू-धर्मका नाश हो जायेगा, पर मैं तो देख रहा हूँ कि यदि अस्पृश्यता नहीं जाती तो हिन्दू-धर्म नष्ट हो जायेगा। इस युगमें धर्मके लिए तलवारका युद्ध नहीं होता। धर्मकी जागृति और धर्मकी रक्षा इस युगमें तलवारसे नहीं होती और न होनी ही चाहिए। पर विवेक और भावनासे, बुद्धि और हृदयसे धर्मोंका मुकाबला, उनकी तुलना होती रहेगी। यह अस्पृश्यता विवेक

१ और २. यह और अगले तीन शीर्षक चन्द्रशंकर शुक्लके "साप्ताहिक पत्र" से लिये गये हैं।

और भावनासे प्रतिकूल है। यह तो एक महान् दोष है, यह बात तो कांग्रेसियोकी हैसियतसे हमें माननी ही चाहिए। ऐसा करनेके परिणामस्वरूप यदि कांग्रेसमें केवल मुट्ठीभर हिन्दू ही रह जाये तो भले ही रहे। यदि ऐसा होगा तो कांग्रेस एक महान् सस्था बन जायेगी। आज तो यदुवशियो जैसे गृह-युद्धकी आशकामात्र ही है, पर यदि अस्पृश्यता नहीं हटी तो फिर तो आपसी विग्रह अवश्यम्भावी है। अस्पृश्यताको हटानेके लिए यदि प्रचण्ड उपाय नहीं किये गये तो पारस्परिक विग्रह हुए बिना नहीं रहेगा।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ८-१०-१९३३

### ७६. बातचीत : एक कार्यकर्त्तसे'

[८ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व]

प्र० : कांग्रेसके कार्यक्रममें अस्पृश्यता-निवारणके लिए स्थान तो है ही, तब फिर यह आन्दोलन राजनीतिक दृष्टिसे क्यों न चलाया जाये ?

उ० : इसे राजनीतिक दृष्टिसे चलायेगे, तो यह नष्ट हो जायेगा। इसके राजनीतिक परिणाम होंगे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। परन्तु इसे राजनीतिक कार्य नहीं माना जाना चाहिए, ऐसेमें यह टिक नहीं सकेगा, क्योंकि यह तो एक विशुद्ध धार्मिक प्रवृत्ति है। इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि यह प्रवृत्ति शुद्ध राजनीतिक दृष्टितक ही सीमित कर दी जाये, इसमें से मन्दिर-प्रवेश जैसी कठिन चीज निकाल दी जाये, उनसे मैं कहता हूँ कि ऐसा करनेपर तो हरिजन-आन्दोलनमें कोई तत्त्व ही नहीं रह जाता।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ८-१०-१९३३

### ७७. बातचीत : नअतकी आवश्यकतापर

[८ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व]

व्रत धारण करके कोई अभिमानसे आकाशमें नहीं उड़ने लगना, धरतीपर ही रहना। हम लोग तो अणु-रेणु हैं, रजकणके समान हैं। हम मिट्टीके ही मानव हैं और अन्तमें मिट्टीमें मिल जानेवाले हैं, इसे मैं सत्य मानता हूँ। हम मिट्टीसे ही पैदा हुए हैं, मिट्टीके ही पुतले हैं, फिर अभिमान करे तो किस बातका करे ? चीटी जैसे जीव अपनी बाँबीकी जैसी सुन्दर कलामयी रचना कर लेते हैं, वैसी हमसे नहीं बनती। चिड़िया और चीटियाँ इत्यादि सम्पूर्णताको प्राप्त कर चुकी हैं, पर हम नहीं। हम लोग तो अपूर्ण हैं। हम तो शरीरसे भी सम्पूर्ण नहीं हैं। इसलिए हम

१. यह बातचीत "शुद्ध धार्मिक कार्य" शीर्षकसे प्रकाशित हुई थी।

सम्पूर्णताको अन्यत्र खोजते रहते हैं। जिस स्थितिमें हम हैं उसमें रहते हुए हमें सन्तोष ही नहीं है। ईश्वरने ही यह 'दैवी असन्तोष' हममें भर दिया है। इससे हम 'यह नहीं' 'यह नहीं' ऐसा कहा करते हैं, और बराबर और-और आगे बढ़नेके लिए जूझते रहते हैं। चीटी सम्पूर्ण है, क्योंकि वह आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। हमें तो आगे बढ़ना ही है। इसलिए हमें नम्र बनना है। धूलकी तरह या शून्य के समान बनकर रहना है। आजका भौतिक शास्त्र और खगोल शास्त्र कहता है कि एक-एक अणुमें सम्पूर्ण विश्व समाया हुआ है। उपनिषद्के ऋषियोंने तो हजारों वर्ष पहले यह समझ लिया था। इसीसे उन्होंने कहा है कि 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'—अर्थात् जो पिण्डमें है वही ब्रह्माण्डमें है। हम जब परमाणुके समान बनकर रहे, शून्यवत् होकर रहे, तभी हम ईश्वरीय अंश प्राप्त कर सकते हैं। कारण यह है कि परमाणु विश्वव्यापी और शाश्वत है। इसलिए हमें आकाशमें उड़ना नहीं, किन्तु धूलके समान अकिंचन बनना सीखना है।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ८-१०-१९३३

## ७८. उत्तर : पत्र-लेखकोंको'

[८ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व]

### वर्ण-धर्म और वर्णान्तर विवाह

मैं चातुर्वर्ण्यको मानता हूँ।<sup>१</sup> लेकिन वर्ण-व्यवस्थाका उद्देश्य तो चार वर्णोंके धन्धोंको निश्चित करना और उनकी मर्यादा बताना या निर्धारित करना था। विवाह और खान-पानका प्रतिबन्ध कभी वर्ण-धर्मका अंग नहीं माना गया था। सामान्य रूपसे तो लोग स्वाभाविक रीतिसे अपने ही वर्णमें विवाह करेगे; किन्तु हम ऐतिहासिक प्रमाणोंसे यह जानते हैं कि कुछ संयोगमें वर्णान्तर विवाह सदासे होते चले आये हैं। धीरे-धीरे मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ होता गया है कि धन्धोंकी पसन्दगीमें पूरी गड़बड़ी हो जानेसे वर्णोंके विषयमें भी अन्धेर चल रहा है। आज तो वर्ण-धर्म नाम-मात्रका ही रह गया है और हिन्दू-समाजमें ऊँच-नीचकी हीन भावना फैलानेमें ही चातुर्वर्ण्यकी सुन्दर व्यवस्थाका दुरुपयोग हो रहा है। सच्चे वर्ण-धर्मकी स्थापना किस तरह की जा सकती है, इस सवालका ठीक-ठीक हल मेरे पास नहीं है। मगर मुझे इस विषयमें तनिक सन्देह नहीं है कि वर्तमान पीढ़ी यदि सच्चे मार्गपर चलेगी, तो उसीका आधार लेकर वर्ण-धर्मकी पुनःस्थापना हो जायेगी। उसके रूपमें शायद थोड़ा-कुछ परिवर्तन हो जायेगा। धार्मिक बातोंमें इतना तो हमें याद रखना चाहिए कि अपने इस कलेवरके पीछे जो आत्मा वास कर रही है हमें उसीका साक्षात्कार करना है—विना आत्म-साक्षात्कारके यह काया बेकार है।

१. यहाँ गांधीजीकी ढाकमें आये हुए भिन्न-भिन्न पत्र-लेखकोंके प्रश्नोंके उत्तरोंका सार दिया गया है।
२. पत्र-लेखकने गांधीजीसे पूछा था कि जब आप वर्णाश्रम-धर्मको मानते हैं तो फिर वर्णान्तर विवाहके लिए स्वीकृति किस प्रकार देते हैं।

### प्रतिज्ञासे छुटकारा

तुम्हारे निश्चल पत्रके लिए धन्यवाद।<sup>१</sup> मनुष्य यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता है, तो उसके नैतिक परिणामसे कोई दूसरा आदमी उसे मुक्ति नहीं दे सकता। यह मुक्ति तो केवल ईश्वर ही दे सकता है। मुझे पता नहीं है कि ईश्वरने ऐसी मुक्ति दी है, पर तो भी मैं तुम्हारी कठिनाईको समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि जितना बन सकेगा तुम खादीका ही उपयोग करोगे। हस्ताक्षर लौटानेकी तो जरूरत नहीं है।

### ईश्वरके विषयमें

१. ईश्वर सत्य है।
- २ अत. ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग यह है कि मन, वाणी और कर्मसे सत्यका पालन किया जाये।
३. रामनामका स्मरण यदि हृदयसे किया जाये, तो उससे अवश्य ही आत्म-साक्षात्कार होगा।
४. आत्म-साक्षात्कारका अर्थ है सत्यका साक्षात्कार।

### एक हरिजन-सेवकका प्रश्न

सनातनियो और हरिजनोके दरम्यान जहाँ कटुता पैदा हो जाये, वहाँ यथाशक्ति समझौतेका प्रयत्न करे। हरिजनोके लिए विदेशी वस्त्र इत्यादिका दान मिले तो उसका उपयोग तो नहीं किया जाना चाहिए।

### जैन मुनि क्या सेवा करे ?<sup>२</sup>

जैन मुनिको आपने जो नीति-नियम बताये हैं, वे मुझे उचित प्रतीत होते हैं। किन्तु अपने अन्दर यदि स्वतन्त्र स्फुरणा न हो और जो मेरे परामर्शपर निर्भर करते हों, तो मेरा धर्म यह है कि मैं उन्हें वेश बदलनेसे रोकूँ। कारण यह है कि वेशमें कोई दोष नहीं है, बोध तो उसके दुरुपयोगमे है। यह मुनि यदि पूर्ण अभ्यासी बनकर निर्भयतापूर्वक धर्म-मार्गका दिग्दर्शन करायें और तदनुसार चले, तो वह बहुत सेवा कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वे अत्यन्त परिश्रम करके सस्कृत और मागधी भाषाका गहरा अध्ययन करे। जैन मुनिका वेश स्वीकार करनेवालोके लिए निर्धारित नियमोके अन्तर्गत इस बातको प्रथम स्थान दिया गया है, पर अब तो मुनि इसका पालन क्वचित ही करते हैं। जैन-दर्शनमें अस्पृश्यता और वर्तमान वर्ण-धर्मका निश्चय ही कोई स्थान नहीं है, यह बात उन्हें दृढतापूर्वक कहनी चाहिए और दूसरोसे कहनेके पहले उन्हें स्वयं यह बात हृदयगम कर लेनी चाहिए। जैन-

१. यह पूनाके एक विद्यार्थिके पत्रके जवाबमें लिखा गया था। विद्यार्थिन प्रतिदिन आधा घंटा स्रत कातनेका अभिवचन देकर गांधीजीके हस्ताक्षर प्राप्त किये थे। पत्रमें उसने चरखा न काननेके लिए अपनी असमर्थता व्यक्त की थी और गांधीजीके हस्ताक्षर लौटानेकी बात भी। देखिए खण्ड ५५, पृष्ठ ४३९ भी।

२. लोक सेवाके इच्छुक एक जैन मुनि अपने साधुवेशको निरर्थक और सेवामें विघ्नरूप मानकर उसका त्याग करना चाहते थे। उनके एक मित्रने इस सम्बन्धमें गांधीजीसे सलाह माँगी थी।



मुनिके लिए किसीको पढ़ानेमें कोई बाधा नहीं है। अतः थोड़े-से हरिजन बालकोको एकत्र करके वह उन्हें शिक्षा दे। यदि उन्हें यह बात प्रमाणित हो चुकी हो कि जैन-धर्म हिन्दू-धर्मसे भिन्न नहीं है, तो उन्हें इसका प्रतिपादन करना चाहिए। ऐसा करते हुए यदि उनका बहिष्कार किया जाये, तो उसे वह प्रेमपूर्वक सहन कर ले और अगला सेनाधर्म बराबर जारी रखें। मैं समझता हूँ, इसीमें सब-कुछ आ जाता है।

### विदेशी शिक्षाका मोह

मैं देख रहा हूँ कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं।<sup>१</sup> अच्छे कामके लिए जल्द-बाजी की जाये तो इसमें कोई गलती नहीं है। आपकी महत्त्वाकांक्षा भी अच्छी है, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे किसी और अच्छी दिशामें मोड़ दे। इंग्लैंड जाकर शिक्षा पानेका मोह युवकोंमें है और वह मिथ्या है, यह मैं हमेशासे मानता आया हूँ। यह तो एक ऐसा खिलौना है जो बहुत महँगा है। वस्तुस्थिति यह है कि जो-कुछ हमें इंग्लैंडमें मिल सकता है उसमें का बहुत-कुछ हमें यहाँ भी मिल सकता है। मेरी मान्यता तो यह है कि जिस महत्त्वाकांक्षाको केवल मुट्ठीभर लोग ही पूरी कर पाते हो ऐसी महत्त्वाकांक्षा रखना अनुचित ही है। और यदि ऐसी महत्त्वाकांक्षा पूरी करनी हो तो अपने बलपर ही पूरी करनी चाहिए। इसे सार्वजनिक सस्थाओं अथवा व्यक्तिगत दानकी मददसे भी पूरा नहीं करना चाहिए। और यदि आप बाहरी सहायतापर अवलम्बित रहना चाहते हों तो आपको ऐसी मदद माँगनी चाहिए जो उन दूसरे लोगोंको भी उपलब्ध हो सके जिनकी स्थिति आपके जैसी ही है।

विलायत जानेमें मैं तो आपका उद्देश्य इतना ही देखता हूँ कि आप अधिक कमाई कर सकें और हरिजन-कार्यमें अधिक धन दे सकें। लेकिन आपको इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि आप चाहे जितना देगे, तब भी अकेले आपका दान तो [इस कार्यके लिए] सागरमें बूंदके समान होगा। अतः अधिक देनेकी दृष्टिसे अधिक कमाई करनेके अटपटे मार्गपर जानेके बजाय आप कोई अच्छा रास्ता क्यों न अस्तित्थार करें? यह अच्छा रास्ता यह है कि आप स्वयं अपनेको ही हरिजन सेवाके लिए अर्पण कर दें। ऐसा करना सागरमें बिन्दु रूप नहीं होगा। बल्कि वह तो एक उज्ज्वल दृष्टान्त होगा और अनेक लोगोंके लिए अनुकरणीय होगा। मैं आपके दिमागमें यह ठूसना चाहता हूँ कि हृदयकी शिक्षाका मूल्य दिमागकी शक्तिकी अपेक्षा अनन्त गुना अधिक है। और हृदयकी शिक्षा तो जितनी अन्यत्र कही मिल सकती है उतनी ही यहाँ भी मिल सकती है। और फिर, उसकी कोई कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ८-१०-१९३३

१. यह एक हरिजन शिक्षकके प्रश्नके उत्तरमें दिया गया था जिसने हरिजन सेवक संघसे उच्च शिक्षा पानेके लिए विदेश जानेकी अनुमति मांगी थी।

## ७९. सत्याग्रह आश्रमका नया रूप'

सत्याग्रह आश्रमकी भूमि और भवन हरिजन-सेवाके लिए दिये जानेके कारण अहमदाबादके सवर्ण हिन्दुओ एवं हरिजनोका उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है। इतने मकान और इतनी अविक्त जमीन बहुत थोड़ी सस्थाओके पास है। जहाँतक मैं जानता हूँ, कोई हरिजन-सस्था इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन बिना मनुष्योके जमीन और मकान एक तरहसे खण्डहर ही हैं। स्वयं अपना उनका मूल्य कुछ नहीं होता। हरिजन वहाँ जाकर सिर्फ रहने-भर लगे तो इससे इस विशाल आश्रमकी शोभा नहीं, और न उसके पीछे जो उनके उद्देश्य हैं वही पूरे होनेके। यह तो तभी एक आदर्श सस्था और तीर्थ-क्षेत्र बन सकता है, जब उसमें योग्य हरिजन जाकर रहे, निर्धारित नियमोका पालन करें और सवर्ण हिन्दू उनके उत्थानमें दिलचस्पी दिखाये तथा अपना समय, अपनी बुद्धि आदि हरिजन-सेवामें ही समर्पित कर दे। यह सब अहमदाबादके आसपास रहनेवाले सवर्ण हिन्दू और हरिजन ही कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप दोनो ही अपना-अपना फर्ज निभायेंगे।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ८-१०-१९३३

## ८०. उपवास कब आवश्यक होता है ?

एक हरिजन-सेवकने मुझे एक पत्र लिखा है जिसका सार निम्नलिखित है :

स्थानीय हरिजन सेवा सघके अध्यक्षके साथ एक सेविका और मैं एक गाँवको जा रहे थे। हम लोग बैलगाडीमें थे। रास्तेमें अध्यक्ष और सेविका विनोद कर रहे थे; इस बीच सेविका थक गई और विनोद करती हुई वह अध्यक्षकी गोदमें सो गई। मुझे कुछ आघात लगा। गाँवसे लौटते हुए हम एक रेलवे स्टेशनपर गये। वापसीमें हमें बैलगाडीसे नहीं जाना था। स्टेशनसे हमें शहरके लिए गाड़ी पकड़नी थी। गाड़ी आनेमें देर थी। अध्यक्ष और सेविका एक बैचपर बैठ गये। मैं थोड़ी दूर जमीनपर बैठा था। चाँदनी रात थी। दोनोकी हरकते देखनेका मेरा मन हुआ। मुझे उनमें कुछ मलिनता दिखाई दी। मेरी इच्छा उनकी अविक्त परीक्षा लेनेकी हुई। मैंने नीदका ढोग करनेका निश्चय किया। अध्यक्षसे कहा, 'गाड़ी आनेमें अभी देर है। यदि आप अनुमति दे तो मैं सो जाऊँ; मैं थक गया हूँ। गाड़ी आनेपर मुझे उठा दीजिये।' अध्यक्ष यह सुनकर खुश जान पड़े। उन्होंने मुझे सोनेकी अनुमति दी। मैंने सोनेका

१. यह लेख "टिप्पणियाँ" शीर्षकके अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

ढोंग किया। अध्यक्षने मेरी परीक्षा भी की। मेरा जवाब न मिलने पर वह निश्चिन्त हो गये। बादका तो कहना ही क्या? अध्यक्ष और सेविका एक झाड़ीके पीछे गये। श्रोड़ी देरमे दोनों वापस आ गये। गाड़ी समयपर आई। उन्होने मुझे जगाया।

मुझे लगा कि अध्यक्ष इस तरह मलिनतामे लिप्त हो, यह अच्छी बात नहीं है। आपका २१ दिनोका उपवास और उसके कारण मेरी आँखोके सामने खड़े हो गये। मैंने दूसरे दिन साथियोसे बात की। उन्होने अव्यक्षसे कहा। अध्यक्षने “उलटा चोर कोतवालको डाँटे” जैसा व्यवहार किया। यह मनुष्य अव्यक्षपद लेना चाहता है इसीसे मुझसे द्वेष करता है और मुझे निकालनेके लिए इसने यह आरोप मुझपर लगाया है। मैं विलकुल निर्दोष हूँ। इस तरह वह उलटे मुझपर आरोप लगाकर स्वयं बच जाना चाहता है और अव्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहता। अब मुझे क्या करना चाहिए?

इस दुखद पत्रमे से मैंने कुछेक अनावश्यक भाग छोड दिया है। कोई भी पाठक इस करुण कथाके पात्रोंको खोज निकालनेका वृथा प्रयत्न न करे। ऐसा प्रयत्न करनेमे भी दोष है। यदि स्थान अथवा पात्रोका परिचय देनेकी आवश्यकता होती तो मैं ही दे देता। मैंने परिचय नहीं दिया। इसीसे यह स्पष्ट है कि परिचय जाननेकी इच्छा करना दूसरेकी गुप्त बात जाननेकी इच्छा करने जैसा ही दोषपूर्ण है।

अब हम ऊपरकी घटनाकी जाँच करें। पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त सेवकने अपने साथी और सरदारकी परीक्षा करने जाकर एक बहुत बडा अपराध किया है। दूसरोके दोष देखना कतई हमारा धर्म नहीं है। लेकिन जब अनिच्छासे भी यदि किसी मित्र अथवा साथीके दोष दिखाई पड़े तो हमे उसे उसी समय बता देना चाहिए। इस किस्सेमे जब उपर्युक्त सेवकको अध्यक्षके आचरणमे मलिनताकी गन्ध आई थी उसे उसी समय अव्यक्षको बता देना चाहिए था और उसे विनयपूर्वक सावधान कर देना चाहिए था। इसके विपरीत उसने तो अन्तिम परीक्षातक करनेकी इच्छा करके अव्यक्षकी स्थितिको विषम बना दिया।

हम सब नित्य अनेक प्रकारके प्रलोभनोंके बीच रहते हैं, लेकिन भाग्यसे हम उनसे बच निकलते हैं। प्रलोभनोंमे फँसनेका संयोग मिलनेपर भी उनमे न फँसनेवाले लोग करोडोंमे एक-दो ही मिलते हैं। यह तो कोई भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि अव्यक्षको जो संयोग प्राप्त हुआ था यदि स्वयंसेवकको वैसा ही संयोग मिला होता तो वह प्रलोभनमे न फँसता। इसीसे अनुभवी लोगोने कहा है कि हमे कभी लालच को न्योता नहीं देना चाहिए और न किसीको लालचमे डालना ही चाहिए।

अब हमने देखा कि इस न्यायसे सेवकने अव्यक्षको लालचमें डालनेका अपराध किया है। लालचमे डालनेके बाद भी वह दोनोंको बचा सकता था। जब उसको यह विश्वास हो गया था कि मलिनता बढ़ती जा रही है तब उसे नीदका ढोंग छोड़कर दोनोको सावधान करके उन्हें बचा लेना चाहिए था। यदि वह ऐसा करता तो नीदका ढोंग रचनेका जो दोष उसने किया बहुतांशमे उससे वह बच जाता।

लेकिन यह सब तो हुआ। 'यदि' और 'तो' से जगतका सुधार नहीं हो सकता। अब क्या सम्भव है ?

जबकि सेवकने आरोप लगाया, साथियोंको बताया, अध्यक्षने उसे माननेसे इन्कार किया, ऐसी स्थितिमें यदि सेवक सच्चा हो और उसने द्वेषभावसे प्रेरित होकर अध्यक्षपर झूठा आरोप न लगाया हो तो अपने सत्यको सिद्ध करनेके लिए और अध्यक्षसे पश्चात्ताप करवानेके लिए सेवकको चाहिए कि वह अध्यक्षको प्रेमपूर्वक व्यक्तिगत नोटिस दे और यदि वह अपना अपराध स्वीकार न करे तो आमरण उपवासका मार्ग अपनाना चाहिए। मेरा दृढ मत है कि ऐसे समयमें एकमात्र उपवास ही सत्यको सिद्ध करनेका और दोषी व्यक्तिको जाग्रत करनेका अमोघ अस्त्र है। यदि उसमें आमरण उपवास करनेका बल न हो तो वह भले ही २१ दिनोका उपवास रखे। ऐसा करनेसे, सम्भव है अध्यक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लेनेपर मजबूर हो सकता है। यदि वह ऐसा नहीं भी करता तो भी सेवकने अपने दोषका परिष्कार कर लिया यह तो माना ही जायेगा, और जिस तरह शुद्ध हृदयसे किये गये उपवासका परिणाम अवश्य शुद्ध होता है उसी तरह इसका परिणाम भी शुद्ध होगा, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसे कठिन प्रसंगोंमें उपवासकी आवश्यकताके बारेमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। और इतना कहनेकी कदाचित् ही आवश्यकता होगी कि मेरी यह सलाह केवल उन्हीं लोगोंपर लागू होती है जिन्हें उपवासके बारेमें श्रद्धा है।

यह दुखद घटना हुई अथवा नहीं, इसकी सच्चाईमें जानेके लिए यह लेख नहीं लिखा गया है। हमें इस बातकी कामना करनी चाहिए कि अध्यक्ष और सेविका निर्दोष हो। लेकिन कहीं-कहीं ऐसी मलिनताका प्रगट न होना असम्भव बात नहीं है। मेरी इच्छा है कि इस वर्णनसे सेवक और सेविकाएँ जाग्रत हो और रहे। मेरे विचारसे अस्पृश्यता-निवारण केवल धार्मिक वस्तु है। उसमें [कार्य करनेवाले] सेवक और सेविकाएँ पवित्र होने चाहिए। उनकी पवित्रताके बिना मैं करोड़ों व्यक्तियोंके हृदय परिवर्तनकी बातको असम्भव मानता हूँ। धर्म—सत्य—पवित्र हृदयोंमें ही बमता है, इस बातकी समस्त संसारके सन्तोंने साक्षी दी है। हमें इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, ८-१०-१९३३

## ८१. भूमिका : 'गीता प्रवेशिका' की

वर्ष

८ अक्टूबर, १९३३

इस 'गीता प्रवेशिका' के श्लोकोंका चयन<sup>१</sup> गत वर्ष (१९३२ में) यरवडा मन्दिरमें किया गया था। मेरा तृतीय पुत्र रामदास इसी जेलमें था। उससे कभी-कभी मिलनेकी या पत्र लिखनेकी सुविधा जेलके अधिकारी मुझे दिया करते थे। रामदास 'गीता' पढ़ा करता था; पर पूर्ण रूपसे समझ नहीं पाता था। रामदासमें भक्तिभाव है, श्रद्धा भी है। उसे मदद मिल सके इस उद्देश्यसे मैंने 'गीता' के सरस और भक्तिप्रदान श्लोकोंका संग्रह करके उसे भेजा। यह संग्रह रामदासको पसन्द आया। मैंने इस संग्रहको 'राम गीता' नाम देकर<sup>२</sup> रामदासको प्रोत्साहन दिया।

बाबा राघवदासने<sup>३</sup> यह संग्रह काका साहबके हाथमें देखा, उन्होंने इसे पढ़ा और उन्हें लगा कि यह हरिजन सेवकोंके लिए उपयोगी बन पड़ेगा। इसी दृष्टिसे इसे प्रकाशित करनेकी उन्होंने अनुमति माँगी। पर मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, अतः मैं यह निर्णय नहीं कर पाया कि यह संग्रह छपवानेके योग्य है या नहीं। आश्रमवासी श्री विनोबा, काका साहब और बालकृष्ण<sup>४</sup> यहीं थे। ये तीनों ही 'गीता' के अभ्यासी हैं और भक्त हैं। मैंने बाबाजीसे कहा कि यदि ये तीनों आश्रमवासी पसन्द करें तो इस संग्रहको छपवानेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इन तीनोंने इसपर विचार किया और इसकी उपयोगिता बढ़ानेकी दृष्टिसे तीन श्लोक निकाल देनेकी और चार नये श्लोकोंका समावेश करनेकी सलाह दी। यह संग्रह इस प्रकार इतने सुधारके साथ सेवक-सेविकाओं और अन्य गीता-भक्तोंके समक्ष रखा जा रहा है। मेरी आज्ञा और आशय यह है कि इस संग्रहका पठन-पाठन केवल एक प्रवेशिकाकी दृष्टिसे ही किया जाये। और इसको ठीक ढंगसे समझ लेनेके बाद ही सम्पूर्ण 'गीता' का अभ्यास किया जाये। साथ ही यह भी स्मरण रहे कि इस प्रवेशिका-अथवा सम्पूर्ण 'गीता' ही को

१. यह मूल रूपमें शुद्ध खादी भण्डार, कलकत्तासे हिन्दीमें प्रकाशित की गई थी, जो उपलब्ध नहीं है।

२. जिन श्लोकोंका समावेश इसमें किया गया है वे क्रमशः इस प्रकार हैं: अध्याय ६: श्लोक ५, ६, १४, २९-३२ और ४७; अध्याय ७: श्लोक ७ और १०; अध्याय ८: श्लोक १४; अध्याय ९: श्लोक २२, २६, २७, २९-३१ और ३४; अध्याय १०: श्लोक ८-१०; अध्याय ११: श्लोक ५३-५५; अध्याय १२: श्लोक १५; अध्याय १३: श्लोक २७; अध्याय १८: श्लोक ४६, ६१, ६२, ६६ और ७८; अध्याय ११: श्लोक १५, १६, १८-२०, ३८-४०, ४३ और ४४।

३. देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ ३९२-९५।

४. संयुक्त प्रान्तके एक किसान नेता।

५. विनोबा भावेके छोटे भाई।

कठस्थ कर लेनेसे या पूरा अर्थ समझ जानेसे कोई लाभ नहीं होना है। 'गीता' तो अनुकरणके लिए है। इसके पारिभाषिक शब्दोंको ठीक समझ लेनेके बाद, इसके मध्य-विन्दु — अनासक्तियोग — के हृदयमें उतर चुकनेके बाद 'गीता' को समझनेमें क्वचित ही कठिनाई होगी।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, ९-९-१९३४

## ८२. पत्र : अमृतलाल त्रि० ठक्करको

असंशोधित

८ अक्टूबर, १९३३

प्रिय ठक्कर बापा,

हरिजन फंडकी जो रकम मेरे पास जमा हुई है उसके सम्बन्धमें तुम्हारा पत्र मिल गया। मथुरादास द्वारा भेजा गया हिसाब मुझे मिल गया है। मैं तो चिमनलालकी राह देख रहा हूँ। वह यहाँ शीघ्र ही आनेवाला है। वह आया कि मैं इसमें लग जाऊँगा।

दौरेके विषयमें लिखा तुम्हारा पत्र भी मुझे मिला। तुम्हारा दूसरा पत्र मिलनेसे पूर्व ही मैं अपना पत्र तुम्हें डाल चुका था। यह बात मेरे मनमें एकदम स्पष्ट है कि समूचे मध्य प्रान्तका कार्य एकसाथ ही पूरा कर दिया जाये। पंजाबकी ठडकी मुझे चिन्ता नहीं है। इसलिए ठंडके मौसममें मैं कहाँ हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और न मुझे गरमीकी ही चिन्ता है। बचाव तो तुम्हें बरसातसे करना है। अतः जून और जुलाईके महीने हम उन प्रान्तोंको दे, जहाँ बरसात जल्दी शुरू नहीं होती।

बखले नगरपालिकाके चुनावसे हट गये; इससे मुझे काफी राहत हुई, जैसीकि तुम्हें भी हुई होगी। अब हम श्री कोदण्डरावके साथ इस बातकी चर्चा करेंगे कि तुमने और मैंने जो सलाह दी थी उसकी बुनियादमें क्या सिद्धान्त था। मैंने उन्हें बतलाया है कि मैं ऐसी चर्चाका स्वागत करूँगा।

बापू

श्रीधुत अमृतलाल वि० ठक्कर

महामन्त्री

हरिजन-सेवक-संघ

विड़ला मिल्स, दिल्ली

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११२५) से।

## ८३. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

८ अक्टूबर, १९३३

भाई घनश्यामदास,

तुम्हारा पत्र<sup>१</sup> मिल गया।

तुमने जिस कठिनाईकी बात कही है वह तो मौजूद है ही। उसीकी बात सोचकर तो मैंने ट्रस्टबोर्डके गठनकी बात कही थी। मेरी राय है कि यह सम्पत्ति ट्रस्टियोंके पास स्थायी रूपसे रहे और उन्हें उसे बेचनेतक का अधिकार रहे। हरिजन सेवक संघका भविष्य चाहे जो हो, तुम और ठक्कर बापा उसके स्थायी सदस्य रहो। इस प्रस्तावसे उस प्रश्नका भी निपटारा हो गया जिससे अपेक्षाकृत अधिक बड़े प्रश्न का जन्म हुआ है और जिसकी मैं यहाँ समयाभावके कारण चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। इस बीच मैं तुम्हें अखिल भारतीय चरखा संघका व्यवस्था-विधान पढ जानेको कहूँगा। मुलाकात होने तक इसकी चर्चा मुलतवी रखे। मैं यहाँ ७ नवम्बर तक तो हूँ ही, इसलिए यदि सम्भव हो तो उस प्रश्नकी खातिर ही सही, एक दिनके लिए आ सकते हो।

तुमने दिल्लीमें छात्रावास खोलनेकी बात कही है। अब आश्रमकी जमीन और इमारतें अपने पास होनेके बाद भी क्या दिल्लीवाले छात्रावासकी कोई खास जरूरत रह गई है? एक और नई और बड़ी योजना आरम्भ करनेसे पहले क्या साबरमतीकी योजनाकी प्रगति देखना अच्छा नहीं रहेगा? मैं तो समझता हूँ कि हमें साबरमती वाली योजनाको पूर्ण सफल बनानेकी ओर ही सारा ध्यान देना चाहिए, और उसे सफल बनानेके काममें हममें से अनेककी पूरी शक्तकी आवश्यकता पड़ेगी।

आशा है, तुम स्वस्थ होगे। नाकका क्या रहा? इन दिनों तो दिल्लीका मौसम बड़ा अच्छा होगा।

बापू

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७९३८ तथा ७९३९) से; सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला। इन द शैडो ऑफ द महात्मा से भी।

१. ५ अक्टूबरका; इसमें लिखा था: अबतक तो हमारे पास कोई सम्पत्ति है नहीं। . . . लेकिन आपका प्रस्ताव मान लेनेपर हम जल्द ही बहुमूल्य सम्पत्ति प्राप्त कर लेंगे। अब तुरन्त यह प्रश्न उठ खड़ा होगा कि इस सम्पत्तिका मालिक कौन हो? क्या हरिजन मण्डल? यदि हाँ, तो सभी व्यावहारिक कार्योंकी दृष्टिसे हरिजन मण्डलका तात्पर्य होगा वे लोग जिनकी मौन अनुमतिपर यह टिका हुआ है तथा हमारे समाजमें मौन अनुमति नामकी कोई चीज तो अबतक है नहीं। इसलिए हमें यह तय करना पड़ेगा कि भविष्यमें हमारा संविधान किस प्रकारका हो।

## ८४. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको

८ अक्टूबर, १९३३

भाई घनश्यामदास,

गोपीका अच्छी तरह चल रहा है। खुश रहती है। मैंने गजाननको खत लिखा है।

बापूके आशीर्वाद

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ७९३९) से, सौजन्य : घनश्यामदास बिडला

## ८५. भाषण : वर्धाकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

८ अक्टूबर, १९३३

कलतक मुझे इसका ध्यान नहीं था कि इतने विशाल जनसमूहके आगे मुझे बैठना होगा, और यह भी मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ कुछ बोलना पड़ेगा। मैं बहुत ऊँची आवाजसे नहीं बोल सकता। बोलनेका प्रयत्न करूँ भी, तो मेरे डाक्टर मित्रोंने मुझपर इसका प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसलिए मैंने थोडा-सा लिखकर दे दिया है। आप लोग जानते हैं कि मैं एक वर्षतक—३ अगस्त, १९३४ तक—खासकर हरिजन-सेवाका ही काम करना चाहता हूँ। बचपनसे ही मैंने हिन्दू-धर्मका अम्यास करनेका प्रयत्न किया है। बचपनसे मुझे जो शिक्षा मिली, उसके अनुसार आचरण करनेकी भी कोशिश की है, और यथाशक्ति हिन्दू-शास्त्रोंका अध्ययन किया है। दूसरे धर्मशास्त्रोंका अध्ययन भी भक्तिभावसे किया है। बचपनसे ही मैं यह मानता हूँ कि जैसी अस्पृश्यता हम लोग आज मानते हैं, उसके लिए हमारे हिन्दू-धर्ममें कोई स्थान नहीं है, और हिन्दू-धर्मके अन्दर यह एक बड़ा भारी पाप पैठ गया है। अम्याससे और अनुभवसे भी मुझे ऐसा मालूम होता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि यदि हमने यह अस्पृश्यतारूपी पाप दूर न किया तो हिन्दू धर्म नष्ट हो जायेगा।

१. स्वास्थ्य खराब होनेके कारण गांधीजी सभामें स्वयं नहीं बोले थे। भाषण हिन्दीमें था और पढ़कर सुनाया गया था। हिन्दी रिपोर्ट उपलब्ध न होनेके कारण इसे चन्द्रशंकर शुक्लके “साप्ताहिक पत्र” से लिखा गया है।



अस्पृश्यता दूर करनेका अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिन्हें हम अस्पृश्य मानते हैं, उन्हें हम छूने लगे। अवसर आनेपर प्रेम-भावसे उनका स्पर्श तो करना ही है। किन्तु इसका अर्थ इससे कहीं अधिक है। अस्पृश्यता नष्ट करनेका यह अर्थ है कि हमें ऊँच-नीचका भाव भूल जाना चाहिए। यों तो ऊँच-नीचका भाव साधारणतया सभी देशोंमें देखनेमें आता है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह भाव वहाँ किमी भी धर्मका अंश माना जाता है। यह बात तो यहीं कही जाती है कि यह हिन्दू-धर्मका अंश है। किन्तु यदि पक्षपात छोड़कर हिन्दू-धर्मके तत्त्वोंका हम निरीक्षण करें, तो हम देखेंगे कि हिन्दू-धर्ममें भी ऊँच-नीचका भाव नहीं है। हाँ, हमारे आचारमें यह भाव भरपूर पैठ गया है और हमें यह सिखाया गया है कि यह भाव हिन्दू-धर्मका एक विशेष अंग है। हिन्दू-धर्मके सिद्धान्तोंमें एक सिद्धान्त यह है कि जो आचरण अपने प्रतिकूल समझा जाये वह दूसरोंके प्रति कभी न बरता जाये। इसी आचरणके एक अन्य श्लोकमें कहा गया है कि प्राणिमात्रको अपने ही समान नमजना चाहिए। जिस धर्ममें ऐसा आदेश दिया गया हो, उस धर्ममें ऊँच-नीचका भाव किस प्रकार पैदा हो गया है यह मेरी समझमें ही नहीं आता।

गारांग यह है कि गत वर्ष २५<sup>१</sup> मितम्बरको बम्बईमें मालवीयजी महाराजकी अध्यक्षतामें हिन्दू-नमाजके नामपर नेताओंकी परिषद्ने अस्पृश्यताको दूर करनेकी जो प्रतिज्ञा की थी, उसका पालन करना प्रत्येक हिन्दूका धर्म है। मुझे आशा है कि आप सब लोग, जो यहाँ आये हैं, इस प्रतिज्ञाका पालन करेंगे। इसी प्रस्तावमें साफ तौरसे यह कहा गया है कि सार्वजनिक मन्दिरों, सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक पाठशालाओं इत्यादिके उपयोगका जो अधिकार दूसरे हिन्दुओंको है, वही प्रत्येक हरिजनको है। जब करोड़ों सवर्ण हिन्दुओंका हृदय पलट जायेगा और हम लोग दया-धर्मको भली-भाँति समझने और उसका पालन करने लगेंगे, तभी हरिजनों और दूसरे हिन्दुओंमें शुद्ध ऐक्य-भाव उत्पन्न होगा। इतना ही नहीं, बल्कि अन्य धर्मावलम्बियोंके साथ भी हम लोग ममभावसे रहने लगे और द्वेषमात्र दूर हो जायेगा। परमात्मासे हमारी प्रार्थना है कि इतनी आत्मशुद्धि करनेकी शक्ति वह हमें दे और हिन्दू-धर्ममें जो यह अस्पृश्यताका कलंक पैदा हो गया है, वह निर्मूल हो जाये।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १५-१०-१९३३

१. साधन-सूत्रमें यहाँ "२४" है। प्रस्तावका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था तथा अन्य नेताओंने २४ सितम्बर, १९३२ को पूनामें इसपर अपनी सहमति प्रदान की थी। लेकिन औपचारिक रूपसे प्रस्ताव २५ सितम्बरको बम्बईमें पास किया गया था। देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ १४८-४९।

## ८६. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

[ ९ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व ]<sup>१</sup>

भाईश्री वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र आज ही मिला है। मेरा काम बढ़ता ही जा रहा है, यह तो तुम समाचारपत्रोमे देखोगे। मेरा रक्तचाप कम हो गया है। यह १६०-१०० है और वजन बढ़कर १०३ पौंड हो गया है।

राजा कोयम्बटूरमे है। ठीक रहते है। लक्ष्मी शनिवारको गई। कृष्णदास<sup>२</sup> पहुँचाने गया है। साथमे मद्रासमे खादी-कार्यको देखता आयेगा। लक्ष्मी कोयम्बटूर हो आयेगी। देवदासके पत्र आते रहते है। वह ठीक चल रहा जान पडता है। वह अध्ययन भी करता है।

कृष्णा (नेहरू) का विवाह गुणोत्तम हज़ीसिहके साथ २० तारीखको इलाहाबादमे सम्पन्न होगा। मैं वहाँ नहीं जानेवाला हूँ। वे मेरी उपस्थितिकी आशा भी नहीं रखते। मैंने तो आशीर्वादका पत्र भी भेज दिया है। तुम भी भेज देना।

किशोरलाल दो-तीन दिनोमे आयेगा।

जमनालालजीकी यह राय है कि आनन्दीकी सगाई कर देनी चाहिए। मैं भी ऐसा महसूस तो जरूर करता हूँ।<sup>३</sup> आनन्दी तो कहती है कि उसे अभी विवाह नहीं करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि मैं उसे विवाह करनेके लिए कहूँ तो वह मेरी बात मान लेगी। तुम अपनी राय मुझे बताना। लक्ष्मीदाससे मिल सको तो उससे मिलकर इस सम्बन्धमे पूछना। मैं उसे लिख रहा हूँ।

मैंने मणिको पत्र लिख दिया है। वह कदाचित् मृदु<sup>४</sup> के साथ भी नहीं आयेगी।

जमनालाल व्यक्तिगत कामके लिए दो-तीन दिनोके लिए आज बम्बई जा रहे है।

१. पत्रकी तारीख, कृष्णा नेहरूके विवाह और जमनालालके बम्बई जानेकी चर्चा परसे तथ्य की गई है; देखिए “पत्र : जवाहरलाल नेहरूको”, ९-१०-१९३३।

२. छगनलाल गाधीके पुत्र।

३ और ४. साधन-सूत्रमे यहाँ कुछ छूट गया है।

५. मृदुला सारामाई।

मेरा दौरा ८ नवम्बरसे शुरू होनेकी सम्भावना है। साथमें सम्भवतः ठक्करबापा, चन्द्रशंकर, मोरा, नायर और रामनारायण चौधरी होंगे। तुम्हें और चन्द्रभाईको,

वापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

वापुना पत्रो - २ : सरदार बल्लभभाईने, पृष्ठ ३३-४

## ८७. तार : जवाहरलाल नेहरूको

वर्षा

९ अक्टूबर, १९३३

जवाहरलाल नेहरू

आनन्द भवन, इलाहाबाद

भगवानको धन्यवाद। आशा है माताजीकी तबीयत इतनी ठीक हो जायेगी कि आगामी विवाहमें स्वस्थ होकर शरीक हो मकेगी।

वापू

[ अंग्रेजीमें ]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## ८८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

वर्षा

९ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा तार मिल गया था जिमका जवाब मैं दोपहरमें ही दे चुका। मैं उम्मीद करता हूँ कि माताजी काफी शक्ति हासिल कर लेगी और विवाहमें शरीक हो सकेगी।

यह साथका पत्र मुझे आज सरलादेवी<sup>१</sup> से मिला है। मैंने उनसे कह दिया है कि इन्दु<sup>२</sup> को [ इस मामलेमें ] स्वतन्त्रता है कि वह जैसा चाहे करे; और यह भी कि फिलहाल तो वह अध्ययनमें लगी हुई है इसलिए विवाह-सम्बन्धी किसी भी प्रस्तावमें

१. सरलादेवी चौधरानी।

२. इन्दिरा नेहरू।

वह शायद ही कोई सचि लेगी। मैंने उन्हे यह भी लिख दिया है कि मैं उनका पत्र तुम्हे भेज रहा हूँ। पर अगर इन्दु विवाहके किसी प्रस्तावपर विचार करनेको तैयार हो तो दीपक<sup>१</sup> को मैं अवश्य ही अच्छा साथी मानता हूँ।

आज हार्डीकर<sup>२</sup> और कमला चट्टोपाध्याय आये थे। हार्डीकरको भगन्दरकी शिकायत है और उसका ऑपरेशन कराना जरूरी है। विशेष जानकारी कल कर सकूंगा। जमनालालजी बम्बई गये हैं। उनका एक मित्र आर्थिक सकटमे है और वे उसकी मददके लिए गये हैं। वे चार दिन बाद लौटेंगे।

यदि सब ठीक-ठाक रहा तो मेरा दौरा ८ नवम्बरको शुरू होना है। मुझे काफी आराम मिल रहा है।

कमला आजकल विलकुल पत्र नहीं लिखती।

सप्रेम,

बापू

[अग्नेजीसे]

गाधी-नेहरू पेपर्स, १९३३, सौजन्य . नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

## ८९. पत्र : एफ० मेरी बारको

९ अक्टूबर, १९३३

चि० मेरी,

तुम्हारे गलत ढगसे रहनेकी पूरी रिपोर्ट मुझे कल मिल गई। डाक्टरोका कहना है कि तुम्हारी तिल्ली बढी हुई है। इसका मतलब है कि तुम्हे दूध, फल और हरी सब्जियोपर रहना चाहिए। लगातार कुनैनकी गोलियाँ लेनेका दड भी तुम्हे भोगना होगा। मुझे विश्वास है तुम एक-दो दिनमे पुन अच्छी हो जाओगी।

स्वामीजीका नाम कुवल्लयानन्द, [और पता] साताक्रूज, बम्बई है।

सप्रेम,

बापू

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६००९) से। सी० डब्ल्यू० ३३३६ से भी;  
सौजन्य : एफ० मेरी वार

१. सरलादेवीका पुत्र।

२. एन० एस० हार्डीकर; हिन्दुस्तानी सेवा दलके संस्थापक और महामंत्री।

## ९०. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

१० अक्टूबर, १९३३

प्रिय कुमारप्पा,

तुम्हारा पत्र मिल गया।

यह तो ठीक ही है कि तुम अपनी सहूलियतसे अपनी बहनके मामलेको व्यवस्थित रूपसे निपटा दोगे। मैं अभी ७ नवम्बर तक यहीं हूँ, अतः तुम्हारे लिए काफी समय है।

बोणा तो अहमदाबादमें तुम्हारी राहमें है ताकि वह तुम्हारा माकूल इलाज कर सके।

जब तुम यहाँ आओगे तब तुम्हें जो-कुछ कहना है उस सबके लिए तुम्हें पूरा पंटा-भर समय मिलेगा। काका साहब अभी कुछ दिन और यहाँ रहेंगे पर तुम्हारे आनेतक शायद न रहें।

हृदयसे तुम्हारा,  
बापू

श्रीपुत्र जे० सी० कुमारप्पा

"मनोरमा"

पल्लमकोट्टा, (जिला तिरुनेल्वेल्ली)

मूल अंग्रेजी (जे० एन० १०१०१) में।

## ९१. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

१० अक्टूबर, १९३३

भाई ठक्कर बापा,

रोहतकके बारेमें मुझे भी एक पत्र मिला था और मैंने इसके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंमें भी पढ़ा था। लाला ज्यामलाल हालांकि लाहौरमें हैं, उन्होंने मुझे आश्वस्त कर रखा है कि वह रोहतककी ओरसे जांच कर लेंगे; और चूंकि वह लाहौरमें बहुत पैसा बना रहे हैं इसलिए और भी विशेष।

यंग साहबके कारनामोंको हमें सहन करना ही होगा। लकड़ीका हत्या लगनेपर ही तो कुल्हाड़ी पेड़को काट सकती है न?

लगता है तुमने मथुरादासको परेशानीमें डाल दिया है। उसने तुम्हें जो पत्र लिखा है उसकी नकल मैं पढ गया हूँ। ऐसा तुमने क्या लिखा होगा? चाहे जो हो इसमें उसका तनिक भी दोष नहीं है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह बहुत सावधान रहता है, लेकिन उसे क्रोध भी तुरन्त ही आ जाता है। हम जैसे बूढ़े और गुलामीमें पले लोग यदि कुछ व्यर्थकी बातें कहे भी तो उसपर क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जबान लोग भला कही बुद्धोको सहन कर सकते हैं? इसलिए तुम्हें मरहम-पट्टी करनी चाहिए। मैं तो मथुरादासको लिखूंगा ही।<sup>१</sup> डॉ० विधानको लिखे पत्रकी नकल<sup>२</sup> इसके साथ है। देवी बाबूको उसकी नकल भेजी है और हिन्दीमें पत्र भी लिखा है।

आसामसे आया हुआ पत्र इसके साथ रख रहा हूँ। उसमें मेरे उत्तरकी प्रति<sup>३</sup> भी है।

मैं देखता हूँ कि मुझे ७ नवम्बर तक तो यहाँ रहना पड़ेगा और मुझे यह पसन्द भी है, क्योंकि धीरे-धीरे जो काम इकट्ठा हो गया था उसको मैं निपटा सकूंगा और मुलाकातियोंसे मिल सकूंगा। इतनेमें शरीरमें ज्यादा ताकत भी आ जायेगी। जमनालालजीको अचानक किसी मित्रकी सहायताके लिए बम्बई जाना पड़ा है, इसलिए यहाँके कार्यक्रमका मसविदा नहीं भेज पाये होंगे।

वे चार दिनोंमें लौटेंगे। जैसाकि मैंने सुझाया है यदि तुम मध्य प्रान्तको छोड़कर दूसरे ढंगसे कार्यक्रम बनाओ तो वह तुरन्त बन जायेगा। सारे मध्य प्रान्तका कार्यक्रम एक बारगी बना डालना चाहिए। हमारे दलमें तुम, मैं, मीराबहन, चन्द्रशकर, राम-नारायण, नायर और जिन्हे तुम शामिल करोगे, वे लोग होंगे।

शास्त्रीका इरादा 'हरिजन' [के कार्यालय]को मद्रास ले जानेका है। उनकी दलील मुझे उचित लगी है। वे व्यर्थ ही पूनामें पड़े हुए हैं। इसलिए सम्भवतः पन्द्रह-एक दिनोंमें 'हरिजन' वहाँसे बदल जायेगा।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११२६) से।

१. देखिए "पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको", पृष्ठ ८८।

२ और ३. उपलब्ध नहीं हैं।

## १२. पत्र : चिमनलाल पारेखको

[ ११ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व ]

मुझे यह जानकर खेद हुआ कि समझौता करा पानेमें तुम सफल नहीं हुए। मुझे इस बातसे विशेष दुःख हुआ कि प्रारम्भिक कठिनाइयोंके कारण समझौता होनेमें बाधाएँ उठीं। और दोनों पक्षोंकी बातको विना सुने मैं भी कोई निर्णय नहीं कर सकता कि कौन-कौनसी जानकारी उनसे तलब की गई और जिसे मिल-मालिक लोग नहीं दे पाये।

यह प्रश्न ऐसा भी नहीं है जिसपर पक्षोंकी राय माँगी जा सके। लेबर एसोसिएशनके श्री गुलजारी लाल नदा मुझसे मिले। मैंने उनसे कहा कि यदि मुझसे फँसला देनेको कहा जाये तो मेरे समक्ष दोनों पक्षोंकी दलीलोंका होना जरूरी है। और ऐसा लिखित बयानोंके जरिये ही किया जा सकता है।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-१०-१९३३

## १३. पत्र : पद्माको

वर्धा

११ अक्टूबर, १९३३

चि० पद्मा,

तेरा पत्र मिला। आशा है तुम सब ठीक हो गये होंगे। वहाँ रहनेकी व्यवस्था कैसी है, इसका विवरण देना। मेरा वजन १०३ पौंड तक गया है। खानेके लिए दूध और फल तथा कोई सब्जी जैसेकि लौकी, चिचिडा तथा टमाटर आदि लेता हूँ।

थोड़े दिनोंमें आनन्दी, बाबू और निर्मला अहमदाबाद जायेंगे। फिलहाल यहाँ चालीस-एक लड़कियाँ हैं। बारह वर्षसे नीचेकी उम्रवाली लड़कियोंने कल खुशी-खुशी अपने बाल कटवाये, बाकी लड़कियोंको समझा रहा हूँ।

तुझे ब्राण्डिका इन्जेक्शन दिया गया, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तूने कोई उसे शौकसे थोड़े ही पिया है? और फिर वह वैक्सिन जैसा घिनीना भी नहीं है। कानके पर्देके लिए किसी औषधिके बारेमें मुझे मालूम नहीं है। इसके

१. अहमदाबाद मिल-मालिक संघके अध्यक्ष श्री पारेखने समझौता समितिसे त्यागपत्र देनेकी सूचना गांधीजीको दी थी।

लिए तो किसी डाक्टरसे बात करनी चाहिए अथवा किसी वैद्यको इसके बारेमे मालूम हो सकता है।

मेरा दौरा ८ नवम्बरको शुरू होगा। तबतक तो मैं यहाँ ही हूँ।  
शीला खूब मजेमे होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१४५) से। सी० डब्ल्यू० ३५०० से भी;  
सौजन्य : प्रभुदास गाधी

## ९४. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

११ अक्टूबर, १९३३

अब आश्रमके बारेमे। इसमे तू भटक गया है। सरकार यदि जमीनका कब्जा नहीं लेती तो जमीनको वीरान होने दिया जाये, इसमें तो वैरभाव और कृत्रिमता दिखाई देती है। सरकार जमीनको लेकर उसे उजडने देती तो इसमे परेशानीकी कोई बात न थी। लेकिन जिस जमीनका वह कब्जा नहीं लेती उस जमीनको हम कैसे बरबाद होने दें? यदि ऐसा करें तो क्यों न चल सम्पत्तिको जला डाले? तेरे सिद्धान्तके अनुसार तो जिन्होंने अपनी फसलोको जला डाला है उन्होंने समझदारीका काम किया है। मेरा तो यह विश्वास है कि आश्रमकी जमीनको हरिजन-कार्यके लिए सौंप देनेसे सत्याग्रह आश्रमकी सार्थकता पूर्ण रूपसे सिद्ध हो गई है। आश्रमको सरकारके पास रहने देनेकी अपेक्षा हरिजन सेवक सचको देनेमें इसकी सार्थकता अधिक है। सरकारके पास रखनेके पीछे यह भावना काम कर रही थी कि कभी-न-कभी उसे वापस ले लिया जायेगा। इसमे तो आश्रमवासियोने हमेशाके लिए एक त्याग किया और भविष्यके लिए अपने-आपको ईश्वरपर छोड दिया। जिस ढंगसे भी विचार करे, हम देखेगे कि हमने इस समय जो मार्ग ग्रहण किया है वही सत्याग्रहीके लिए शोभनीय है। इसमें पैसेके लोभको कहीं भी स्थान नहीं दिया गया था। इसमे तो केवल विवेककी अर्थात् अहिंसाकी बात थी। सरकार देशको वीरान होने दे सकती है, लेकिन हम यथासम्भव ऐसा नहीं होने दें। इतनेसे यदि तेरा समाधान न हुआ हो तो फिर लिखना। इस बारेमे तेरा समाधान करना मुश्किल नहीं होना चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १३७



## १५. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

११ अक्टूबर, १९३३

तू एक नियमको भूल गया जान पड़ता है। पत्रमे काटे हुए शब्दोको कभी नहीं पढ़ना चाहिए और अगर पढ़ भी लो तो उसका अर्थ कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्यको अपने विचार सुधारनेका अवसर मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने दुष्टसे-दुष्ट विचारोंको भी सुधार लेता है तो फिर उसपर दुष्टताका आरोपण करना केवल अज्ञान है। यदि हम सदा अपने विचारोंको एक-दूसरेके आगे व्यक्त करे तो ससार एक मिनट भी सुखपूर्वक न चल पाये। मुझे लगता है कि तूने व्यर्थ ही क्रोध किया।<sup>१</sup>

[ गुजरातीसे ]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १३८

## १६. पत्र : एच० के० हेल्सको

सत्याग्रह आश्रम. वर्धा

१२ अक्टूबर, १९३३

प्रिय मित्र,

आपके इसी ६ तारीखके पत्रका जवाब देनेमे मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ है, इसके लिए क्षमा करेंगे। बात यह है कि मेरा पत्र-व्यवहार दिनोदिन बढ़ता जा रहा है और उसे निपटा पानेकी मेरी अपनी शक्ति तो सीमित ही है।

आपके सुझावकी निस्वत यह स्पष्ट है कि आप मेरी मर्यादाओको नहीं समझ पा रहे हैं। पहली बात तो यही कि मुझे इस बातका कोई भरोसा नहीं है कि सरकार मेरे मिदनापुर जानेकी कल्पनाको पसन्द करेगी, और यदि वह पसन्द कर भी ले तो जिस ढंगसे काम करना मैं समुचित समझूंगा वैसा करनेकी स्वतन्त्रता मुझे देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इस सबके अलावा मैं जो विचार प्रकट कर चुका हूँ उनसे तो आप अवगत ही हैं।<sup>२</sup> यदि मुझे हिसाके पक्षपाती दो दलोमे से केवल एक पक्षको ही समझना हो, तो मेरे जैसे पक्के सुदृढ शान्ति सस्थापकके लिए भी सफलता की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। मैं तो सरकार और आतकवादियो, दोनोंको हिसाका प्रतिनिधि मानता हूँ—आतकवादियोंकी हिसा मेरी दृष्टिमे असघटित, उन्मादपूर्ण और सर्वथा अप्रभावकारी है; इसके विपरीत सरकारकी हिसा सुस-

१. देखिय " पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको ", १०-१०-१९३३।

२. देखिय खण्ड ५५, पृष्ठ ४१९।

घटित, सुविचारित और विनाशकारी है, लेकिन वह भी मेरी दृष्टिमें एकदम निष्प्रभावी है। यदि हिंसा करनेवाले दो दलोंमें से प्रबलतर दलपर मेरा कुछ भी असर नहीं हो, तब आतंकवादी लोग तो मेरी बातपर कान ही नहीं धरेगें। तो भी आप यह खयाल एक क्षणको भी मनमें न लायें कि यदि मैं मिदनापुर नहीं जा रहा हूँ तो मैं आतंकवादियोंको प्रभावित करनेकी कोई कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। यह प्रभाव निपेधात्मक हो सकता है। मैं भली-भाँति जानता हूँ कि किन अड़चनोंके बीच मुझे कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे अपने अहिंसाके सिद्धान्तपर अटूट श्रद्धा है, और वह दिन उतनी दूर नहीं है जितना कि कुछ लोग समझते होंगे, जब अहिंसाको सफल होते आँखोंसे देखा जा सकेगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

श्री एच० के० हेल्स, एम० पी०  
५२, गाल्सटॉन विल्डिंग्स  
रसैल स्ट्रीट, कलकत्ता

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## ९७. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा  
१२ अक्टूबर, १९३३

प्रिय ठक्कर बापा,

साहू और अधिकारियोंके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ वह और उसकी प्रतिलिपियाँ इसके साथ हैं, इन्हींके साथ मैंने साहूको जो जवाब दिया है उसकी नकल भी है। यह ठीक होगा यदि तुम भी एक औपचारिक पत्र बिहार या उड़ीसाके कलेक्टरको या गृहसदस्यको इस बातका उल्लेख करते हुए लिख दो कि आन्दोलनकी प्रगतिमें किस प्रकार अनावश्यक बाधाएँ डाली जा रही हैं।

नी० के सम्बन्धमें तुम्हारा तार मिला। तीन दिन हुए ठीक प्रार्थनाके बाद ही वह एकाएक गायब हो गई। इन दिनों उसका व्यवहार बड़ा ही अजीब हो चला था। उसका दिमाग तो निश्चय ही कमजोर पड़ गया है। जवाबमें मैंने भी तुम्हें तार भेजा है जो, उम्मीद है, तुम्हें मिल चुका होगा। अब उसके पीछे तुम्हें अपना समय नष्ट नहीं करना है। लेकिन यदि वह बेकार तुम्हारे रास्तेमें आये तो उसके लिए पुलिसको सूचित कर दें, हालाँकि मेरा खयाल है ऐसा वह शायद ही करेगी।

डॉ० शर्मनि भी मुझे तार दिया है और मैंने उन्हें सलाह दी है कि वे उसपर ध्यान देना ही छोड़ दें।

हृदयसे तुम्हारा,  
बापू

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११२७) से।

## ९८. पत्र : महेन्द्र वी० देसाईको

वर्षा

१२ अक्टूबर, १९३३

चि० मनु,

तेरा हरी और लाल स्याहीसे लिखा पत्र मिला। तूने जो अक्षरोको गोल-मटोल बनाकर लिखा है मो ठीक नहीं है। चित्रकला आनेपर ऐसा किया जा सकता है। अभी तो अच्छे, साफ और सादे अक्षर लिखना ही ठीक होगा।

बच्चोंके पास तो पत्रमें लिखनेके लिए बहुत कुछ होता है।

नये वर्णों<sup>१</sup> लिए तुम सबको आशीर्वाद। खूब जियो, खूब पढ़ो और खूब अच्छे बनो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३१६०) से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई

## ९९. पत्र : जयश्री रायजीकी

१२ अक्टूबर, १९३३

प्रिय बहन,

आपको व्यापार करना नहीं आता। मैं ही आपकी माँगका स्वरूप निर्धारित करूँ, यह तो रेतसे मक्खन विलोये जानेकी अपेक्षा करना है। मेरे पास तो एक दमड़ी भी नहीं है। लेकिन यदि मैं आपकी किसी ऐसी विशेष जरूरतके बारेमें जो अन्य प्रकारमें पूरी न हो सकती हो, जान लूँ और यदि मेरी दृष्टिमें ऐसा कोई व्यक्ति आ जाये तो मैं उससे भिक्षा माँग लूँ। बाकी आजकल तो मेरा मन हरिजन-कार्य में लगा रहता है।

मोहनदास

[गुजरातीसे]

बापूजीनी शीतल छायाभा, पृष्ठ १०७

१. कार्तिक सुदी १, गुजराती नव वर्ष जो २० अक्टूबर, १९३३ को पड़ा था।

## १००. पत्र : एफ० मेरी बारको

१३ अक्टूबर, १९३३

चि० मेरी,

मुझे खुशी है कि तुम्हारा बुखार उतर गया। यदि असुविधा न हो तो तुम दोपहरमें ४ बजे आ जाओ; मैं तुमसे गाडीमें ही मिल लूँगा, तुम्हें ऊपर नहीं आना है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०१०) से। सी० डब्ल्यू० ३३३५ से भी,  
सौजन्य · एफ० मेरी बार

## १०१. टिप्पणियाँ

### अनेक धन्यवाद

समस्त भारतके और पश्चिमी देशोके मित्रोंने मुझे मेरे जन्म-दिवसपर बधाइयोंके तार भेजे हैं। इन तारोंके लिए मैं उनका हृदयसे आभारी हूँ। सभी तारोंकी अलग-अलग स्वीकृति भेजनेमें असमर्थ होनेके कारण, आशा है, वे मुझे क्षमा करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे ये मित्र प्रार्थना करे कि परमात्मा मुझे इस अभिनन्दनके योग्य बनाये। मैं जानता हूँ कि बधाई भेजनेवाले आशा करते हैं कि मानव-समाजकी मैं कुछ सेवा करूँ। इच्छा तो सदा ही ऐसी रही है, पर यह तो प्रभु ही जानता है कि अपने उद्योगमें मैं कहाँतक सफल होऊँगा।

### मेरा आगामी दौरा

सब-कुछ ठीक रहा तो हरिजन-कार्यके सिलसिलेमें मेरा देश-भ्रमण आगामी ८ नवम्बरसे प्रारम्भ होगा। कहते हैं कि मैं ठीक-ठीक स्वास्थ्य-लाभ कर रहा हूँ, और डाक्टर खरे, जो इस समय मेरी देख-रेख करते हैं, की राय है कि उपर्युक्त तारीखसे मैं अच्छी तरह अपना दौरा शुरू कर सकूँगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि पहलेकी तरह मैं व्यस्त कार्यक्रमका भार उठा सकता हूँ। सप्ताहमें दो दिन — रविवार और सोमवार अधिक उपयुक्त होंगे — यात्रा न करनेका प्रस्ताव है, ताकि उन दिनों 'हरिजन'के सम्पादन और पत्र-व्यवहारका काम मैं निबटा सकूँ।

जहाँ-कहीं मेरे मित्र मुझे ले जायेंगे, वहाँ मैं पैसा इकट्ठा करूँगा। सब जगह सनातनियोंसे मिलना मैं पसन्द करूँगा। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि इस आन्दोलनका विरोध ज्यादातर भ्रमके कारण हो रहा है। यह तो स्वाभाविक ही है कि हर जगह मैं हरिजनोसे मिलूँ और हरिजन बस्तियाँ भी देखूँ। रातको देर तक लम्बा कार्यक्रम न रखा जाये। इन सब मर्यादाओके होते हुए भी, जिन स्थानोके लोग मुझे बुलानेको उत्सुक हैं, उन्हें जहाँतक हो जल्दी ही ठक्कर बापाको लिखना चाहिए, ताकि कार्यक्रममें कोई परिवर्तन करनेकी आवश्यकता न पड़े और न किसीको निराश होना पड़े। हरिजन-सेवाके लिए जिन प्रदर्शनोकी आवश्यकता न हो, वे न किये जाये। एक-एक पैसेकी बचतका खयाल रखा जाये। अगर कहीं मानपत्र दिये जाये, तो उनमें जो-कुछ कार्य किया गया है उसका सक्षिप्त वर्णन, हरिजनोकी स्थिति और उनके व्यवसायके आँकड़ोंका ही वर्णन रहना चाहिए, न कि मेरा बहुत-सा गुणगान। यदि मुझमें कुछ अच्छी बातें होंगी तो वे स्वयं ही प्रकट होंगी।

क्या दूसरे विश्वविद्यालय अनुकरण करेंगे ?

नागपुर-विश्वविद्यालय और मध्यप्रान्तीय हाई स्कूल बोर्डके सदस्य श्रीयुत नारायण केशव बेहरे लिखते हैं कि "हरिजनों और पिछड़ी हुई आदिम जातियोंसे परीक्षा-शुल्क न लिया जाये" — इस आशयका एक प्रस्ताव मैंने पेश किया था। सौभाग्यसे मेरा वह प्रस्ताव पास हो गया है। युनिवर्सिटीने उसमें "१९४० ईसवी तक" इतना अर्थ और जोड़ दिया है। और हाई स्कूलके बोर्डने पाँच साल तककी मियाद रखी है। इसलिए इस बीचमें मध्यप्रान्तके इन विद्यार्थियोंसे मैट्रिकसे लेकर एम० ए० या एल० एल० बी० तकका परीक्षाशुल्क नहीं लिया जायेगा।

इस प्रस्तावके पास करनेके लिए मैं नागपुर विश्वविद्यालयको, हाई स्कूल-बोर्डको और प्रस्तावक (श्री बेहरे)को धन्यवाद देता हूँ। समयकी मर्यादा रखनेसे प्रस्तावकी उपयोगितामें कोई कमी नहीं आती। यह मर्यादा तो विश्वविद्यालय और बोर्डके सदस्योंके आशावादका एक चिह्न है। उनका विश्वास है कि इतने समयमें इन जातियोंकी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर जायेगी कि उन्हें तब इतनी माफी देनेकी आवश्यकता न रहेगी। उनकी यह आशा सफल हो! भारतके अन्य विश्वविद्यालय और हाई स्कूल-बोर्ड क्या मध्यप्रान्तके इस सुन्दर दृष्टान्तका अनुकरण करेंगे ?

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३३

## १०२. गुलामी बनाम अस्पृश्यता

दीनबन्धु एन्ड्र्यूज लिखते हैं '

सौ वर्ष हुए, पश्चिममें अस्पृश्यतासे भी अधिक भयानक एक अमानुषी प्रथाका अन्त किया गया था। दास-प्रथाने स्त्री और पुरुषोंको पशुके समान बना दिया था जिन्हें उनके मालिक खरीद सकते थे, बेच सकते थे या अपने पास रख सकते थे। प्राचीन कालसे प्रचलित यह अन्याय सारे संसारमें फैला हुआ था। पर पश्चिममें तो गुलामीने विकराल रूप धारण कर लिया था। हबशियोंको आफ्रिकासे जहाजोंमें पशुओंकी तरह भर-भरकर लाया जाता था और उन्हे गल्लेके खेतोंमें गधोंकी तरह जोत दिया जाता था। . . . गुलामीके व्यापारसे अमेरिकामें और अन्यत्र जो रंग-भेदकी समस्या पैदा हो गई है, वह अभी तक हल नहीं हुई है। . . .

बहुधा यह शंका की जाती है कि क्या केवल दयाधर्मकी प्रेरणासे कोई भारी नैतिक सुधार हो सकता है? इस कसौटीके निकटतम पहुँच सके वह चीज गुलामीका नाश है। . . . इस पापपूर्ण प्रथाका अन्त करानेके लिए ग्रेट-ब्रिटेनने अपने राजस्वमें से दो करोड़ पौंड दिये। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि राजनीतिमें दयाधर्मकी कभी विजय नहीं हुई। १८३३ में दयाधर्मकी विजय हुई थी।

अब १९३३ में क्या होगा? . . . भारत यदि इसी वर्ष 'अस्पृश्यता' का पूर्णतया अन्त कर दे, और लगभग साढ़े चार करोड़ मनुष्योंको नैतिक गुलामीसे मुक्त कर दे, तो निश्चय ही यह एक बहुत जबर्दस्त दयाधर्मका कार्य समझा जायेगा।

कितना अच्छा हो कि दीनबन्धुकी मनोकामना सफल हो। बिना दैवी चमत्कारके, इस वर्षके शेष महीनोमें, और शायद अनेक वर्ष बाद भी, करोड़ो मनुष्योंका एकसाथ हृदय-परिवर्तन हो जाना कठिन मालूम होता है।

पर अस्पृश्यता-उन्मूलनका क्या अर्थ है और १८३३ में दास-प्रथाके उन्मूलनका क्या अर्थ था? कानूनके अनुसार गुलामी उठ गई थी, पर हृदयकी गुलामी तो उस समय नहीं हटी थी, और सौ वर्ष बीत जानेपर भी गुलामीका पूरे तौरपर नाश शायद ही हुआ है। इतना लिखनेका अभिप्राय १८३३ के महान् कार्यका महत्त्व कम करनेका

१. यहाँ केवल कुछ अंश दिये गये हैं।

नहो है, किन्तु अपने मनमें स्थितिको स्पष्ट करने और १८३३ के प्रयत्नकी सीमाको समझानेका ही है।

जिस तरह १८३३ में गुलामीका उन्मूलन कर दिया गया था, उसी तरह अस्पृश्यताका अन्त सितम्बर १९३२ में हिन्दुओंके प्रतिनिधियोंकी उस सभामें हो गया जो पंडित मालवीयजीकी अध्यक्षतामें बम्बईमें की गई थी। वह कोई दिखावेकी चीज नहीं थी। उसका ठोस परिणाम यह हुआ था कि तुरन्त ही अखिल भारतीय अस्पृश्यता-निवारण-संघकी स्थापना हुई। उस समयसे देशके एक कोनेसे लेकर दूसरे कोने तक अस्पृश्यताके विरुद्ध निरन्तर लड़ाई लड़ी जा रही है। यह बात 'हरिजन'के पृष्ठोंसे बहुत अच्छी तरह सिद्ध की जा सकती है। गम्भीरतासे की हुई हिन्दुओंकी इस प्रतिज्ञाका समुचित पालन करनेके लिए कम-से-कम एक व्यक्ति है जिसका जीवन बन्धकके रूपमें रखा हुआ है।

यह सही है कि १८३३में विधान-सभाने कानून बनाकर गुलामीका अन्त किया था। पर सन् १९३२में एक स्वैच्छिक संघने अस्पृश्यताका नाश किया है और इसके पीछे सत्ताबल नहीं है, यह कहकर १९३२के प्रयासका मूल्य कोई कम न आँके। १९३२का कार्य ऐच्छिक ही हो सकता था। गुलामी एक इकरारके समान थी और कानूनके बलपर उसका पालन कराया जा सकता था। अस्पृश्यता एक धार्मिक प्रथा है। दीनबन्धु एन्ड्रयूजने सच ही कहा है कि अस्पृश्यता "नैतिक गुलामी" है। इसका कानून द्वारा अन्त नहीं हो सकता था। इसे नष्ट करनेका एकमात्र औपचारिक उपाय बम्बईमें निश्चित किया गया था। फिर, मैं बता ही चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई सत्ताबल न हो। यह सच है कि इसके पीछे जो सत्ता है वह नैतिक है, पर अन्तमें कानूनी सत्तासे नैतिक सत्ता ही अधिक प्रबल साबित होती है। पाठक समझ ले कि जिन विधेयकोको केन्द्रीय विधान-सभामें पास करानेका प्रयत्न किया जा रहा है, उनके द्वारा अस्पृश्यताका नाश करानेका इरादा जरा भी नहीं है। एक विधेयकका उद्देश्य तो हरिजनोंके मन्दिर-प्रवेशके लिए नियम बनवाना है, और दूसरे विधेयकका उद्देश्य यह है कि अस्पृश्यताको कानूनन जो स्वीकृति मिली हुई है, उसे समाप्त कर दिया जाये। धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक रीतियोंपर इन दोनों विधेयकोंमें से एकका भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह काम तो धार्मिक और सामाजिक सुधारकोका है। सुधारोंकी गति तेज करनेके लिए विधेयकोका पास होना बहुत जरूरी है, पर इनसे अस्पृश्यताका अन्त नहीं हो सकता। अस्पृश्यता कोई इकरारकी चीज नहीं है। 'अस्पृश्य' कहे जानेवाले लोग खरीदे या बेचे नहीं जा सकते।

अतः मुझे आशा है कि इतना तो स्पष्ट समझको आ जायेगा कि सन् १८३३में होनेवाले गुलामीके नाशके समान २४ सितम्बर, १९३२को अस्पृश्यताका नाश हो चुका है। इसकी जयन्ती विधिपूर्वक गत २४ सितम्बरको मनाई गई थी। सारा हिन्दू-समाज बम्बईके प्रस्तावका कब पालन करेगा, यह बात प्रस्ताव पास करनेवालों और

पालन करानेकी चेष्टा करनेवालोंके पुरुषार्थपर निर्भर करती है। लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारेमें यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा किसी अमुक दिन हुआ।

मैं जानता हूँ कि दीनबन्धु किसी ऐसे निश्चित दिनकी वाट देखने नहीं बैठे हैं, जब कि सारे जनसमाजका एकसाथ हृदय-परिवर्तन दुनिया देख सके। वह जो चाहते हैं और मैं जो चाहता हूँ तथा प्रत्येक सुधारक जिस वातकी चेष्टा कर रहा है, वह यह है कि हिन्दुओंकी समस्त गतिकका ऐसा प्रदर्शन हो कि कोई व्यक्ति चलते-चलते भी देख सके कि हिन्दू-धर्मने ऊँच-नीचकी भावनाको नष्ट कर दिया है, और अब उसमें जन्मसे या कर्मसे कोई उच्च, नीच अथवा अछूत नहीं समझा जाता। ईश्वरकी दृष्टिमें पापी और साधु दोनो बराबर ही हैं। दोनोके साथ समान न्याय होना है और ऊर्ध्वगमन या अब पतनका समान अवसर दोनोको मिलना है। दोनो ही ईश्वरके बेटे हैं, उसीकी रचनाएँ हैं। जो साधु अपने-आपको पापीसे ऊँचा मानता है, वह अपनी साधुता गँवा बैठता है और पापीसे भी तुच्छ हो जाता है, क्योंकि पापीको तो इस वातका जान ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है।

अस्पृश्यता-निवारक-समितियोंका काम अत्यन्त पुण्यमय है। अतः हमें दीनबन्धु एन्ड्र्यूजके साथ स्वर मिलाकर प्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इन सस्थाओंको पर्याप्त आध्यात्मिक बल मिले जिससे कि वे अनेक युगोंसे चलते आये इस पुराने अन्धविश्वासको, जो हिन्दू-समाजको गन्दा कर रहा है, समाप्त कर सके। यदि हिन्दू-समाजने युग-धर्म को नहीं पहचाना, तो यह अन्धविश्वास हिन्दू-धर्मको समाप्त कर डालेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३३

### १०३. अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है ?

हरिजन-सेवक बननेकी इच्छा रखनेवाले एक सज्जन लिखते हैं <sup>१</sup>

मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि बेचारी उस भंगिन और 'कट्टरपंथी' कुटुम्ब, इन दोनोकी सेवा करनेका सुनहरा अवसर पत्र-लेखकने यो ही खो दिया। उसे हरिजन-स्पर्शसे 'अपवित्र' हुई लडकीकी माँको नम्रताके साथ समझाना चाहिए था। इस तरह उन्हें लज्जित करके अगर वह उनसे पश्चात्ताप नहीं करा सकता था, तो कमसे-कम उनका क्रोध तो अपने ऊपर ले ही लेता। और उस हरिजन-लडकीको यह भान होता कि एक हितू तो उसकी सहायताको दौड़ पडा है। लडकीकी माँ

१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार एक हरिजन बालाका थोड़ेसे स्पर्श हो जानेके कारण एक सर्वज्ञ हिन्दू बाला और अन्य सर्वज्ञोंने उस हरिजन बालाको भद्दी-भद्दी गालियाँ दीं। पत्र-लेखकने यह जानना चाहा था कि एक ऐसे गाँवमें, जहाँ कि अन्धविश्वासका बोलबाला है और जहाँ हरिजनोंको पशुओंसे भी बढतर समझा जाता है, वे कोई उपयोगी कार्य किस प्रकार कर सकने हैं।



और उसके अन्य सम्बन्धी कमसे-कम विचार करनेको विवश तो अवश्य हो जाते। शायद पत्र-लेखकको उनके साथ बहस करनी पड़ती। सारे गाँवके लोगोंने शायद उस मामलेमें दिलचस्पी दिखाई होती और यदि पत्र-लेखक स्थितिके अनुसार खरा उतरता तो वह भविष्यमें ठोस सेवा करनेका श्रीगणेश वहीसे कर सकता था; अथवा यदि उसका सिर तोड़ दिया जाता, तब भी यह आगे सेवा-कार्य करनेके लिए अनुमति-पत्रके समान ही सिद्ध होता। मुझे तो साफ मालूम होता है कि ऐसे अवसरोपर प्रत्येक मानव-प्रेमीको होशियारी और नम्रतापूर्वक, लेकिन साहसके साथ, लाचारोकी रक्षाके लिए वीचमें पड़ जाना अपना धर्म समझना चाहिए।

अब मैं पत्र-लेखकके सामान्य प्रश्नको लेता हूँ। यदि हमने आत्मविश्वास नहीं खो दिया होता तो यह प्रश्न उठता ही नहीं कि एक मामूली मनुष्य क्या कर सकता है। कोई भी मनुष्य इतना तुच्छ नहीं है कि सकटमें पड़े हुए किसी प्राणीकी सहायता न कर सके। इसके लिए पहलेसे शिक्षा लेनेकी जरूरत नहीं होती। जिसमें इच्छा हो, और साथ ही पूरी हिम्मत भी हो, ऐसे प्रत्येक मनुष्यमें पीड़ितोकी सहायता करनेकी शक्ति होती ही है। पत्र-लेखक अपने गाँवकी हरिजन-वस्तीमें जाकर अनेक प्रकारसे उनको अपना मित्र तो बना ही सकता है। जबतक वह गाँवमें रहे, वह हरिजन-बच्चोंको पढा सकता है। उसकी अनुपस्थितिके दौरान क्या होगा, इसका भय करनेकी उसे जरूरत नहीं है। केवल लिख-पढ सकनेके योग्य हो जानेसे ही शिक्षाकी समाप्ति नहीं हो जाती। हरिजनोके लिए इसके अन्य अनेक अर्थ हैं। बालकोको बारह-खड़ी रटवानेसे पहले उन्हें सम्यता और स्वच्छताका पाठ अवश्य पढाना चाहिए। पत्र-लेखक हरिजन बच्चोंको घुमानेके लिए ले जा सकता है, निर्दोष और शिक्षा-प्रद खेल सिखा सकता है, हरिजनोके मकानोको झाड़-बुहार कर साफ कर सकता है, और चिकित्साकी सुविधा प्रदान कर सकता है, वह सावधानीके साथ उनकी आर्थिक, सामाजिक और दूसरी आवश्यकताओंको लिखकर अपने जिले या प्रान्तके हरिजन-सेवा मघ तक कार्य-विवरण पहुँचा सकता है, और इस तरह हरिजनो और सेवा-सघके बीच सम्बन्ध स्थापित करनेमें वह अपनेको एक कड़ी बना सकता है। एक मनुष्य कितना काम कर सकता है, इसकी सम्पूर्ण सूची तो मैंने यहाँ नहीं दी है। मैंने तो कुछ उदाहरण ही बताये हैं। चतुर सेवक इस कार्य-सूचीको चाहे जितना बढ़ा सकता है। “जहाँ इच्छा हो, वहाँ मार्ग भी निकल ही आता है।”

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १४-१०-१९३३

## १०४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा  
१४ अक्टूबर, १९३३

प्रिय चार्ली,

‘तुम्हारा तार मिला था जिसका मैंने निम्नलिखित जवाब भेजा था :

तुम्हारा तार मिला। आशा है गुरुदेव शीघ्र ही स्वस्थ हो जायेंगे। सप्रेम। मोहन।

हेल्सने मुझे पत्र लिखा था कि मुझे तुरन्त मिदनापुरके लिए रवाना हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसने मेरे जवाबकी प्रतीक्षा किये बिना ही वह पत्र प्रकाशित कर दिया। उसको जो जवाब मैंने लिखा है उसकी प्रति तुम्हारे सूचनार्थ यहाँ सलग्न कर रहा हूँ।

तुम जानते हो कि डाक्टरोंने जितना आराम बताया है वह मैं ले रहा हूँ और ७ नवम्बर तक मैं यहाँसे नहीं निकलूँगा। मेरा वजन बराबर बढ़ा है और ब्लड-प्रेसर बराबर घटता गया है।

मैंने सी० यू० प्रेसको<sup>१</sup> कह दिया है कि अहिंसावाला अश वह छाप ले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

सप्रेम,

मोहन

सलग्न : २

रेवरेड सी० एफ० एन्ड्र्यूज  
शान्तिनिकेतन  
(बंगाल)

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७९७) से।

१. देखिए “पत्र : एच० के० हेल्सको”, १२-१०-१९३३।

२. अनुमानतः कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस।

## १०५. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

शनिवार, १४ अक्टूबर, १९३३

भाई ठक्कर बापा,

लिखना तो था 'अजमेर', और लिखा गया 'आज मर गये'। और यह लिखनेवाला जैसा मूर्ख वैसा ही पढ़नेवाला भी मूर्ख रहा होगा। यदि ऐसा सोचा होता तो दुबारा पढ़े बिना नहीं रहता। मेरा "दिल्ली" नहीं बल्कि "कलकत्ता" लिखनेका इरादा था। 'दिल्ली'को भी कुछ दिया गया है, मैं यह भी नहीं जानता। नी० की क्या करुणाजनक है। अध्यक्ष यदि १५ नवम्बरको दौरा आरम्भ करनेका सुझाव दे और मैं न मानूँ तो इसमें भी क्या शिकायत करने जैसी कोई बात है?

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११२८) से।

## १०६. सन्देश : दयानन्द अर्द्ध-शताब्दीपर<sup>३</sup>

१४ अक्टूबर, १९३३

ऋषि दयानन्द<sup>१</sup> हिन्दू-धर्मके महानतम सुधारकोमे से थे। उन्होंने वेदोंके अध्ययनको प्रोत्साहित किया और अन्य नुराइयोंके साथ-साथ अस्पृश्यताका निर्भीकताके साथ विरोध किया।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-१०-१९३३

१. देखिए "एक टिप्पणी", ३०-९-१९३३।

२. यह सन्देश दिल्लीसे प्रकाशित होनेवाके उर्दू दैनिक तेज को भेजा गया था।

३. मार्ग-समाजके संस्थापक दयानन्द सरस्वती।

## १०७. बातचीत : एक खादी कार्यकर्त्तासे<sup>१</sup>

[ १५ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व ]

भापके यन्त्रो आदिसे चलनेवाले उद्योगोके लिए हमे बहुतसे यन्त्र चाहिए। ये आज हमारे पास नही है। ये हमे विदेशसे विदेशियोकी सुविधानुसार ही मिल सकते है। ऐसे यन्त्रोको चलानेके लिए अनुभवप्राप्त कुशल व्यक्ति चाहिए। ये भी हमारे देशमे पर्याप्त संख्यामे नही है। इसलिये फिलहाल तो हमे इन लोगोको भी विदेशोसे ही लाना होगा। और तीस करोड़ लोगोके लिए पर्याप्त पूंजी भी हमारे पास नही है। तात्पर्य यह कि भाप आदि यन्त्रोसे चलनेवाले उद्योगोमे आत्म-निर्भर बनना यदि हमारे लिए सम्भव भी हो तो उसके लिए बहुत लम्बा समय चाहिए। और फिर यदि हिन्दुस्तानमे इस प्रचंड शक्तिका उपयोग बहुत बड़े पैमानेपर किया जायेगा तो इससे आजकी बेकारीमे और इजाफा होगा। कहते है कि अमेरिकामें इन विशाल यन्त्रोकी सहायतासे एक व्यक्ति ३६ गुलामों जितना काम ले सकता है। तात्पर्य यह कि एक व्यक्ति मशीनोकी मारफत ३६ व्यक्तियोका काम करता है। यदि हिन्दुस्तानमे ऐसी स्थिति सम्भव हो जाये और यदि हम भारतकी आबादी ३७ करोड़ माने तो इसमे ३६ करोड़ व्यक्ति बेकार हो जायेगे। तात्पर्य यह कि इस देशमें एक करोड़ व्यक्तियोको अमेरिकाके लोगो जैसा बनानेके लिए ३६ करोड़ व्यक्तियोको “हारा-किरी” अथवा आत्महत्या करनी चाहिए, अथवा किसी चंगेज खर्न अथवा रावणको देशके ३६ करोड़ लोगोका नाश करके हिन्दुस्तानको एक करोड़ लोगोमें बाँट देना चाहिए। इस देशमे प्रति व्यक्ति दो अथवा तीन बीघे जमीन है। इतनी जमीनसे भरण-पोषण नही हो सकता। इससे प्रत्येकको घर बैठे एक अन्य धन्धेकी जरूरत है, और वह धन्धा सहज ही चरखा है। और उसको व्यापक बनानेके लिए हमे केवल शोड़ी-सी पूंजीकी जरूरत है। दूसरे साधन हर गाँवमे मिल जायेगे। केवल लोगोका दृष्टिकोण बदलना चाहिए और उनका आलस्य दूर होना चाहिए। हरिजनोंकी आर्थिक स्थितिका समाधान भी इसीसे होगा। यदि यन्त्र युग आयेगा तो हरिजन भी इन ३६ करोड़ लोगोमे शामिल हो जायेगे।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १५-१०-१९३३

१. यह बातचीत चन्द्रशकर शुक्लके “साप्ताहिक पत्र” में “केवल चरखा ही क्यों?”, शीर्षकसे प्रकाशित हुई थी।



आपके स्वास्थ्यकी, वल्कि कहूँ कि आपके अस्वास्थ्यके बारेमें, मैं जानकारी रखता रहा हूँ। और यह बात मैंने बहुत पहले ही अनुभव कर ली थी कि आपसे यह अनुरोध करना व्यर्थ है कि आप यह परिवर्तन कर ले या वह कर ले। अन्य मामलोकी तरह इस मामलेमें भी आप अपना ही कानून मानते हैं। इसलिए मैं यही प्रार्थना करके सन्तोष कर लेता हूँ कि जिस प्रभुने इतने लम्बे समयतक आपका ध्यान रखा है और आपको ऐसी शक्ति प्रदान की है जिससे भारतके युवक भी ईर्ष्या कर सकते हैं, वही प्रभु, जबतक उसे आपकी सेवाओकी आवश्यकता है तबतक आपकी रक्षा करता रहेगा।

मैं यह पत्र आपके सबसे हालके वक्तव्यके सन्दर्भमें लिख रहा हूँ। मेरा अपना खयाल है कि अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक हुई तो वह बहुत बड़े बहुमतसे सविनय अवज्ञा आन्दोलनको जारी रखनेके निर्णयका समर्थन करेगी। चूँकि मेरा यह विश्वास है, इसलिए मुझे निर्णयकी पुष्टिके लिए ऐसी कोई बैठक बुलानेका कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि इस पुष्टिके सविनय अवज्ञाकी रफ्तार तेज नहीं हो जायेगी। लेकिन यदि आपको ऐसा विश्वास हो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सविनय अवज्ञाको छोड़कर कोई नया कार्यक्रम स्वीकार करेगी तो कोई कारण नहीं है कि आप बैठक बुलानेकी माँग करानेका सक्रिय रूपसे प्रयत्न क्यों न करे, और सदस्यो द्वारा बैठककी माँगकी सूचना प्राप्त होनेपर जवाहरलाल बैठक बुलानेको बाध्य है। और मैं यह कहनेकी भी धृष्टता करूँगा कि यदि आप बैठक बुलानेकी माँग करवानेका निश्चय करे तो आपको बैठककी माँग करनेवाले सदस्योके साथ परामर्श करके एक निश्चित नीति और कार्यक्रम निर्धारित कर लेना चाहिए, और उसे बिना झिझके कार्यान्वित करना चाहिए। यदि यह नहीं किया जाता और केवल बैठक बुलाने की माँग की जाती है, तो बैठकमें महज बेसिलसिला बहस-मुबाहिसा होगा और बिना सोचे-विचारे तैयार किये गये प्रस्ताव पास किये जायेगे। ऐसी किसी भी बैठकमें मैं खुशीसे शामिल होऊँगा और मुझे जो कहना है सो कहूँगा, लेकिन यदि आप अथवा कुछ जिम्मेदार सदस्य उच्चतम मंशाके कारण ऐसा चाहे कि मुझे बैठकमें शामिल नहीं होना चाहिए तो मैं खुशी-खुशी इसमें शामिल नहीं होऊँगा।

पंडित मदनमोहन मालवीय

मसूरी

[ अग्रेजीसे ]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## ११०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा  
१५ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तुम्हारा पत्र मिला जिसके साथ तुमने मदुराके कृष्णमूर्तिको लिखे अपने पत्रकी नकल भेजी थी।

हेल्सको लिखे अपने उस पत्रकी<sup>१</sup> प्रति मैं यहाँ संलग्न कर रहा हूँ जो उनके पत्रके जवाबमें मैंने लिखा है। उनका पत्र तूमने अखबारोंमें देखा ही होगा। और यह रही मानवीयजीकी लिखे मेरे पत्रकी<sup>२</sup> प्रति। यह स्वयंमें काफी स्पष्ट है।

विवाहके अवसरपर मेरो शुभकामनाएँ। उस दिन मेरी आत्मा तुम्हारे साथ होगी।  
सप्रेम,

वापू

संलग्न : २

[अंग्रेजीमें]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## १११. पत्र : स्वरूपरानी नेहरूको

वर्धा  
१५ अक्टूबर, १९३३

प्रिय भगिनी,

मैं आपको पत्र नहीं लिखता हूँ। परंतु हम सब आपका स्मरण करते रहते हैं। जवाहरलालसे खबर पाते हैं। मेरी उम्मीद है कि आपको २०मी के दिन आराम रहेगा। मुझे दुःख है कि मैं वहाँ नहीं आ सकता। मेरा दिल तो उस रोज वही रहेगा। ईश्वर आपको जल्दी आराम देवे।

आपका,  
मोहनदास

गांधी-इन्दिरा गांधी पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय।  
जी० एन० ११४०६ से भी।

१. देखिए "पत्र : पंच० के० हेल्सको", १२-१०-१९३३।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

## ११२. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

१५ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

यह रहा माँ के नाम एक पत्र।<sup>१</sup> हम सबको आशा करनी चाहिए कि उनकी तबियत इतनी अच्छी होगी कि वे समारोहमें भाग ले सकें।

क्या तुमने हिन्दी रोमन लिपिमें लिखनी शुरू कर दी है।

मालवीयजीको लिखे मेरे पत्रकी एक प्रतिके साथ तुम्हें [आज]<sup>२</sup> एक टाइपशुदा पत्र<sup>३</sup> भेजा जा रहा है।

सप्रेम,

बापू

अग्रेजीकी अनुप्रति (सी० डब्ल्यू० १०१०८) से।

## ११३. पत्र : जनकधारी प्रसादको

१५ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जनकधारी बाबू,

बकाया पत्रोंको देखते हुए मुझे आपका गत २८ अगस्तका पत्र मिला। लेकिन उसके मिलनेसे पहले भी मैं अक्सर आपके बारेमें सोचता रहता था और अभी उस दिन ही मैंने जमनालालजीके साथ आपकी चर्चा की थी।

आपके बच्चे इतने छोटे हैं कि जबतक आप और आपकी पत्नी साथ न हों तबतक उन्हें कोई संस्था अपने यहाँ नहीं लेगी। इसका मतलब है कि आपको वहीं कुछ प्रबन्ध करना होगा। पहली चीज तो यह है कि आपको विनम्र बनना पड़ेगा और अपनेको साधारण मजदूरके स्तरपर रखना होगा तथा अपने बच्चोंको इस तरह पालना होगा कि वे आगे चलकर मजदूर बनें। लेकिन मजदूरोंको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह शिक्षा आपको देनी चाहिए। आपकी पत्नीको भी मजदूरी करनी चाहिए। यदि आप अपने-आपको इस प्रकारके जीवनमें ढाल लेंगे तो आपके दिमागपर से बहुत बड़ा बोझ उतर जायेगा जिससे आपका मानसिक तनाव अपने-आप कम होगा, और नये प्रकारके जीवनके उत्तेजनकारी प्रभावसे आपका अजीर्ण भी बहुत-कुछ दूर हो

१. देखिए पिछला शीर्षक।

२. साधन-सूत्रमें यह शब्द अस्पष्ट है।

३. देखिए पृष्ठ० १०२।

१०३



जायेगा। लेकिन गर्त यही है कि आप इस जीवनको हर्षपूर्वक अपनायेगे, तब। जबतक हम लोग, जिन्होंने काफी भरपूर शिक्षा पाई है, अपने जीवनमें क्रान्ति नहीं लायेंगे, तबतक हम भूखी मर रहे किसानोंके खून-पसीनेपर जीवित रहनेवाले पराश्रयी ही बने रहेंगे। आपको इस बारेमें ब्रजकिशोर वाबू और अन्य लोगोंसे बात करनी चाहिए।

मैं चाहूँगा कि आप इस नई विचारधारा और नये आन्दोलनके अग्रदूत हों, और फिर भी यह कोई नई चीज नहीं है क्योंकि १९१५ में जब मैं भारत आया तब मैंने इस चीजको बहुत प्रचलित कर दिया था और तबसे मैं इसके अनुरूप ही रहनेका प्रयत्न करता रहा हूँ, भले ही मेरा यह प्रयत्न कितना ही अपूर्ण क्यों न हो। इसलिए आपको इसे पूर्ण बनाना है।

हृदयसे आपका,  
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५४) से।

## ११४. पत्र : अगाथा हैरिसनको

१५ अक्टूबर, १९३३

प्रिय अगाथा,

विट्टलभाई पटेलके बारेमें लिखे तुम्हारे पत्रका<sup>१</sup> जवाब मैंने समुद्री-डाकसे न देकर मूरसंता की। इसलिए यह पत्र हवाई-डाकसे भेज कर मैं अपने-आपको दंडित कर रहा हूँ। मुझे कहना होगा कि हवाई-डाकको मैं अभी तक पसन्द नहीं कर सका हूँ। यह तो रईमोंके विलासकी वस्तु है और इसकी आवश्यकता उन लोगोंने पैदा की है जो धूल, जल और आकाशपर और उनके निवासियोंपर शासन करनेकी इच्छा रखते हैं। तुम्हें पता नहीं कि वि० झ० पटेलके बारेमें जैसा पत्र तुमने लिखा उस तरहके पत्रोंकी मैं कितनी कद्र करता हूँ। तुम्हारा सामयिक तार पाते ही मैंने बोसको तार किया था और बोसने तत्परतासे उत्तर भेजा।

मुझे खुशी है कि उस सभामें भाग लेनेके लिए तुम जिनेवा गई थी। तुम्हें किसी सूचना या स्पष्टीकरणकी जरूरत पड़े तो उसे माँगनेमें संकोच मत करना। तुम्हारी आवश्यकताओंका यहाँ हम लोगोंको कोई पूर्वानुमान होना हमेशा सम्भव नहीं है।

१. अगाथा हैरिसनने इस पत्रपर यह लिख दिया था: “जब मैं अक्टूबर, १९३३ में जिनेवामें थी उस समय मैं ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड)के एक सेनियोरियममें विट्टलभाई पटेलको देखने गई थी, जो कि उस समय मृत्यु-शय्यापर पड़े थे। सुमाष बोस उनकी देख-भाल कर रहे थे, और मैंने इसका हाल गांधीजीको लिखकर भेजा था।”

मिदनापुरके बारेमे हेल्स, एम० पी०, को लिखे अपने पत्रकी<sup>१</sup> प्रति सलमन कर रहा हूँ। रायटरके जरिये तुम्हे उस पत्रका जो स्वरूप देखनेको मिलेगा वह शायद विकृत होगा। इसलिए यह प्रति तुम्हारी जानकारी और जरूरत हो तो उपयोगके लिए है। हेल्सने अपना पत्र मेरे उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना अखबारोमे छपवा दिया था। तुमने उसे देखा होगा।

महादेव बेलगांवमे है जहाँ गाड़ी-भर किताबोके सिवा उसके पास और कोई नहीं है।<sup>२</sup> देवदास मुल्तानमे और प्यारेलाल नासिकमे है।

पता नहीं तुम्हे यहाँसे कोई दैनिक या साप्ताहिक अखबार मिलता है या नहीं। अगर तुम्हे या अन्य किसीको अवकाश हो तो मैं आसानीसे कुछ चुने हुए अखबार भेज सकता हूँ। तुम स्वयं चुनाव करना चाहो तो और बात है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४७१) से।

## ११५. पत्र : अब्बास तैयबजीको

१५ अक्टूबर, १९३३

प्रिय भुर्रर<sup>३</sup>,

कमला देवीको नापसन्द करने और उनपर अविश्वास करनेका आपको मुझे कारण बताना होगा। मुझे सलाह देनी है, और बिना आपकी मददके मैं वैसा नहीं कर सकता।

रेहाना<sup>४</sup> इधर काफी दिनोंसे चुप्पी साधे हुए है।

हमीदा<sup>५</sup> कैसी है?

आप सबको मेरा प्यार,

भुर्रर

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५८७) से।

१. देखिए “पत्र : एच० के० हेल्सको”, १२-१०-१९३३।

२. महादेव उस समय अनासक्तियोग का अंग्रेजीमें अनुवाद करनेमें लगे हुए थे, जो बादमें द गीता एकोर्डिंग टु गांधी शीर्षकसे प्रकाशित हुई थी; देखिए खण्ड ४१।

३. गांधीजी और अब्बास तैयबजी एक दूसरेको ‘भुर्रर’ कहकर सम्बोधित करते थे।

४. तैयबजीकी पुत्री।

५. तैयबजीकी पौत्री।

## ११६. पत्र : प्रभावतीको

वर्षा

१५ अक्टूबर, १९३३

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र आज ही मिला। मुझे थोड़ी चिन्ता हो रही थी। वहाँ रहनेकी जवतक जरूरत महसूस हो तवतक अवश्य वही रहना। मैंने तो तुझे यहाँ दौड़ आनेकी छूट दी है। लेकिन जहाँ रहना तेरा बर्न हो तुझे वहाँ रहना चाहिए। मातासे अवश्य मिलना। स्वास्थ्यका ब्यान रखना। मुझे लिखा करना। मेरा वजन १०३ पाँड है। लड-प्रेगर १६०-१०० है। यह ठीक कहा जायेगा। खानेमें वही चलता है। कोई फेरवदल नहीं है। वा की आनन्दी और ओम<sup>१</sup> मदद करती हैं। २० तारीखके बाद आनन्दी, बबु और बबु जायेंगी। गोपीको तेरे बिना सूना तो जरूर लगता है। मुझे भी जत्र तू थी तत्र गोपीकी चिन्ता नहीं थी। गोपी दीवालीमे बम्बई जायेगी। मंगलवारको<sup>२</sup> यहाँसे रवाना होगी। नी० चुपचाप ही भाग गई है। मुझे तो उसकी दिल्ली तककी खबर है। अमला वहन यहीं है। वह आजकल तो ठीक काम कर रही है।

कृष्णाका विवाह २० तारीखको इलाहाबादमें होगा। प्रभुदासका विवाह यहीं १७ तारीखको होगा। कन्या<sup>३</sup> अच्छी है। प्रभुदासकी अपनी पसन्द है। मेरा खयाल है वह सुखी होगा। लक्ष्मीका पत्र आया है। तू गोपीको पत्र लिखती रहना। प्रभुदासको भी लिखना। मैं जानता हूँ कि पत्र लिखनेके बारेमें तुझे कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। रोज पढ़नेकी आदत बनाये रखना। थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी 'रामायण' और थोड़ा गणितका अभ्यास करना। 'गीता' तो है ही। सुरेन्द्र छूट गया है। वह थोड़े दिनोंमें यहाँ आयेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४३४) से।

१. जयनालाब बजाजकी छोटी पुत्री उमा।
२. १७ अक्टूबरको।
३. बिजलौरके लाल लालचन्दकी पुत्री अम्बादेवी।

## ११७. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा

१६ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

यह रहा जमनालालजीका त्यागपत्र<sup>१</sup>। यदि तुम समझते हो कि यह नहीं भेजा जाना चाहिए और इससे कुछ उलझन पैदा होगी तो तुम्हें इसपर कोई कार्रवाई करनेकी जरूरत नहीं है। और जब तुम विवाह-सम्बन्धी प्रबन्धसे निवट जाओ तब तुम अपने कारण बताते हुए इसे वापस कर सकते हो। तथापि, यदि तुम यह समझते हो कि त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाना चाहिए तो तुम इसे प्रकाशित कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि कोषाध्यक्षकी नियुक्ति केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही कर सकती है। इसलिए कुछ समयके लिए कोषाध्यक्ष पदपर जमनालालजी बने रह सकते हैं। मुख्य बात यह है कि वह कार्यकारी समितिकी सदस्यतासे अलग हो जाये। मैं समझता हूँ कि यह कदम बुद्धिमत्तापूर्ण और आवश्यक है। इस समय उनकी जो स्थिति है, उसको देखते हुए फिलहाल उनके लिए जेल जाना खतरनाक है अर्थात् उन सब चीजोंके बिना उनका जेल जाना खतरनाक है जिन्हे अनुभवी व्यक्ति आवश्यक समझता है। लेकिन आम तौरपर योद्धा अपने स्वास्थ्यकी उतनी परवाह नहीं करते जितनी जमनालालजीकी शरीर रचनाको देखते हुए उनके लिए आवश्यक है; और चूँकि सत्याग्रहीके कर्तव्यके विषयमें उनका वही विचार है जो कि मेरा है, इसलिए जबतक कांग्रेसमें वे एक जिम्मेदारीके पदपर बने हुए हैं तबतक उनको चैन नहीं मिल सकता।

जमनालालजीके त्यागपत्र देनेके सुझावको मैंने किन कारणोंसे स्वीकार किया वे कारण मैंने तुम्हें बता दिये हैं।

तुम्हारा,

बापू

संलग्न : १

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. कांग्रेसकी कार्यकारी समितिसे।

## ११८. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

वर्धागंज

१७ अक्टूबर, १९३३

मुझे जनताको यह बताते हुए दुःख होता है कि लगभग दस दिन हुए, श्रीमती नी० अकस्मात वर्धा आश्रमसे गायब हो गई है। इधर कुछ समयसे उनका दिमाग गैर-मामूली ढंगसे असन्तुलित हो गया था। माता-पिता, भाई या बहन जितना प्यार दे सकते हैं उतना प्यार उनको दिया गया था, लेकिन स्पष्ट है कि उनका विगत भयावना जीवन उनके ऊपर हावी होकर रहा। सम्भव है कि वह अब फिरसे अपना पुराना अविचारपूर्ण, असत्यमय और भ्रष्ट जीवन विता रही है।

मैं यह सूचना नवयुवकोंको यह चेतावनी देनेके उद्देश्यसे दे रहा हूँ कि वे उनको लुभानेकी कोशिश न करें और न उनके लुभानेमे आये। मैं चाहूँगा कि उनके सम्पर्कमें आनेवाले लोग उनको कोई आर्थिक मदद न दे। वह अपना विवेक खो चुकी है और अगर कोई लोकोपकारी संस्था उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले तो उनका उद्धार हो जायेगा। अगर वह यह सूचना देखे तो मैं चाहूँगा कि वह वे सब वादे याद करे जो उन्होंने अपने-आपसे और मुझसे किये थे, और पूरे विनम्र भावसे ईश्वरसे प्रार्थना करें कि उनके ऊपर जो भूत सवार हो गया है उससे उन्हें मुक्ति दिलाये। वह जानती है कि यदि वह सच्चे मनसे प्रार्थना करेगी तो वह व्यर्थ नहीं जायेगी। उन्हें अपने होशके क्षणोंमें ऐसे अनुभव हो चुके हैं।

अन्तिम बार खबर मिली थी उस समय वह दिल्लीमें थीं।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १८-१०-१९३३

## ११९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रूजको

१७ अक्टूबर, १९३३

प्रिय चार्ली,

मेरा खयाल है, तुमने मुझे बताया था कि तुम टस्कीगीमे वुकर वार्निगटन इंस्टिट्यूशन देखने गये थे। हरिजनोंकी खातिर मैं इस अद्भुत सस्थाके बारेमें प्रकाशित साहित्यको पढ़ता रहा हूँ। किताबोंमे उसके बारेमे जो-कुछ लिखा है क्या तुम्हारे निजी निरीक्षणसे उसकी पुष्टि होती है? क्या तुम "टस्कीगीमे मैंने क्या देखा" शीर्षकसे उसका एक संक्षिप्त विवरण लिख दोगे? क्या तुम किसी रेड इंडियनसे

मिले? क्या तुम उनके बारेमें अपने विचार मुझे बता सकते हो? संयुक्त राज्य अमेरिकाकी सरकार उनकी शिक्षा और उनके सुधारके ऊपर काफी बड़ी धन-राशि व्यय करती दिखती है।

सप्रेम,

मोहन

रेवरेंड सी० एफ० एन्ड्र्यूज

आनन्द भवन

इलाहाबाद

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३७९८) से।

## १२०. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

[ १८ अक्टूबर, १९३३ ]<sup>१</sup>

भाई घनश्यामदास,

लिखनेका बहुत इरादा होते हुए भी मैं आजतक लिख न सका। जमनालाल दर्शनाभिलाषीओसे तो खूब बचा लेते हैं लेकिन खतोसे कौन बचा सके? कभी डेस्क साफ नहि कर पाता हू। क्योंकि जल्दी सो जानेका भी कानून लगा दिया है। यह खत तीन बजे उठकर लिख रहा हू। अर्थ यह नहि कि इसी खतके कारण मैं उठा हू। रात्रिको जहा तक जागनेकी इजाजत है उसमें भी जतु इतने सताते हैं कुछ काम नहि करने देते।

जवाहरलालके बारेमें तुमारा लेख पढा। अच्छा है। लिखनेमें कोई हानि नहि हुई। एक दूसरोके अभिप्रायको दबानेकी कुछ भी जरूरत नहि हो सकती है। जहां सत्यकी हि शोधना करनी है वहा अभिप्राय छुपाना दोष बन जाता है। जवाहरलालको तो लेख भेजा होगा। अथवा भेजो। वह बहुत सीधा पुरुष है। अपनी भूल सुधारता है। मुझे, विश्वास है कि अतमें वह सत्यके पथपर ही आ जायगा। और उसीकी विचारश्रेणी योग्य होगी तो पीछे कहना ही क्या था? समानताका अर्थ एकरूप कभी नहि हो सकता। समानताका अर्थ एकन्याय ही है। अणु और हिमालयमें ईश्वरके सामने कोई फर्क नही हो सकता है। जैसा हिमालयको ऐसे ही अणुको।

गोपी कल गई। मैं ज्यादा बात तो नहि कर सका। लेकिन नित्य मेरे पास आकर बैठ जाती थी। अत्यंत सरल लडकी है। यहा बहुत आनन्दमें रहती थी। सबसे बोलती थी। दीवालीके कारण मुबई चली गई। मुंबईकी रोशनी भी देखना चाहती थी। दीवालीके बाद फिर आ जावे तो अच्छा होगा। वह शीघ्र तैयार हो

१. तिथिका निर्धारण गोपीके बम्बई जानेके उल्लेखसे किया गया है; देखिय "पत्र : प्रभावतीको", १५-१०-१९३३।

जायगी इसमें मुझे कुछ संदेह नहीं है। गजाननको मैंने लिखा था उसका उत्तर उसने दिया है। गोपीसे भी खत लिखवाया था। तुमारा स्वास्थ्यके बारेमें लिखो।

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

हरिजनके बारेमें इंग्रेजीमें लिखवाऊंगा। आखरमें गो [पी] रही बहुत अच्छा हू [आ]।

सी० डब्ल्यू० ७९४० से; सीजन्य: घनश्यामदास विड़ला

## १२१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

१८ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

साथमें दो मालाएँ हैं। वे वर-वधुके लिए बाबू मेरे खास तौरपर काते हुए सूतसे बनाई गई हैं। इनके साथ मेरे शुभ आशीर्वाद छुड़े हुए हैं। इन्हें मेरी तरफसे उनके गलेमें डाल देना। आशा है, वे तुम्हारे पास समयपर पहुँच जायेंगी।

मुझे इस बातका जरूर डुब है कि श्रीमती हठीसिंहने इस संस्कारके विरुद्ध राय दी है, परन्तु मेरा खयाल है कि इन मामलोमें मैं पिछड़ा हुआ हूँ।

दीपकके बारेमें मैंने तुम्हारा कहना समझ लिया। मैं सरलादेवीको जितने कोमल ढंगसे लिख सकता हूँ, लिखूंगा।

तुम सबको प्यार।

बापू

[पुनश्च:]

जब सब काम निपट जायें तब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तारसे बताओ कि माताजीने यह सब श्रम सहन कर लिया है।

[अंग्रेजीसे]

ए बॉक्स ऑफ ओल्ड लेटर्स, पृष्ठ ११२

## १२२. भाषण : प्रभुदास गांधीके विवाहके अवसरपर

वधगंज

१८ अक्टूबर, १९३३

विवाह-संस्कार समाप्त होनेके बाद वर-वधूको सम्बोधित करते हुए गांधीजीने कहा कि यह एक अन्तर्जातीय विवाह नहीं, बल्कि अन्तर्प्रान्तीय विवाह है। सुनिर्धारित मर्यादाओंके भीतर अन्तर्जातीय विवाहका समर्थन करनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरी मान्यता है कि वर्णके मूल अर्थोंमें कोई वर्ण या विभाजन नहीं है, और विवाहको समान वर्णके लोगोंतक ही सीमित करना वर्णाश्रमकी प्रमुख विशेषता नहीं है।

उन्होंने दम्पतिका ध्यान इस ओर दिलाया कि उनके विवाहका उद्देश्य वासनाकी तृप्ति करना नहीं है, बल्कि उनके ऊपर नियन्त्रण लगाना है। उन्होंने कहा, मुझे आशा है तुम दोनों देश-सेवाको अपने जीवनका ध्येय बनाओगे और तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संयुक्त जीवन सुख, सन्तोष और उत्तरोत्तर बढ़ते हुए संयमका जीवन होगा।

गांधीजीने कहा, मुझे यह देखकर खुशी है कि वधू एक आर्यसमाजी कुलकी कन्या है। आर्यसमाजियोंके साथ मेरे घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं, हालाँकि वे जानते हैं कि मेरे और उनके बीच सच्चे मतभेद हैं। इस विवाहसे मैं और वे एक-दूसरेके और निकट आये हैं।

[अंग्रेजीसे]

बाँम्बे क्रॉनिकल, १९-१०-१९३३

## १२३. पत्र : रमाबहन जोशीको

वर्धा

१८ अक्टूबर, १९३३

चि०<sup>१</sup>रमा,

यदि डॉक्टर कहे कि अस्पतालमें रहनेकी जरूरत नहीं तो मेरी सलाह यह है कि तुम यहाँ आ जाओ। यहाँकी आबोहवा निश्चय ही अच्छी है। यहाँ बहुत लड़कियाँ हैं। तुम लक्ष्मीबहनकी थोड़ी मदद भी कर सकोगी और तुम्हारे हाथकी मालिश भी हो सकेगी। अन्य किसी स्थानपर रहनेकी बात मुझे पसन्द भी नहीं होगी और हाथकी चिन्ता भी बराबर बनी रहेगी। हाथसे अभी ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर वगैरहकी मदद भी तुम्हें यहाँ मिलेगी। यदि यहाँ आना बन सके तो जितनी जल्दी

१११



वने उतनी जल्दी आ जाओ, जिससे हम साथ रह सके। यहाँ लगभग ६० व्यक्तियों की रसोई होती है। इसमें ४० से ज्यादा तो लड़कियाँ हैं। आनन्दी, वचु और ववु आज रवाना होंगे। तारावहनको अब आ जाना चाहिए।

प्रभुदासका विवाह आज उत्तर भारतकी एक बालाके साथ हुआ। वह २४ वर्षकी है और उसका नाम अम्बा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३५७) से।

## १२४. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

१९/२० अक्टूबर, १९३३'

वि० ठक्कर बापा,

मैं हर रोज तुम्हें एक लम्बा पत्र लिखनेकी बात सोचता हूँ और हर रोज लिख नहीं पाता। जमनालाल मदद कर सकते हैं और मुलाकातोको रोक सकते हैं, लेकिन पत्रोके इस बढ़ते हुए प्रवाहको कौन रोक सकता है? चूँकि मुझे जल्दी सोना पड़ता है इसलिए कुछ पत्र छूट ही जाते हैं और इस तरह कागजोका ढेर बढ़ता चला जाता है। मेरा काम जैसे-तैसे चल रहा है।

मैं नी० के वारेमें क्या लिखूँ? मुझे जो हो सकता था वह मैंने उसके लिए किया। मेरा खयाल है उसने ईमानदारीके साथ अपनी वासनाओपर काबू पानका प्रयत्न किया। लेकिन अपने इन प्रयत्नोमे वह नाकामयाव रही और अन्ततः भाग गई। यदि वह कहीं डूब मरती है तो मुझे आश्चर्य अथवा दुःख न होगा। यदि वह जीवित है तो मैं उसके सुधरनेकी उम्मीद नहीं छोड़ूँगा। उसे आश्रममे फिरसे लेनेकी बातका मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं है। यह मेरा कर्तव्य था। उसे न केवल यहाँ बल्कि सावर-मतीमे भी लोगोंसे बहुत प्यार-दुलार मिला। वह मुझे लिखा करती थी कि उसे ऐसा स्नेह अपने माता-पितासे भी नहीं मिला। उसने स्वेच्छासे अपनेपर जो थोड़ा बहुत संयम रखा था उसीसे सब लोग सन्तुष्ट थे। लेकिन जो कई वर्षोंसे बेलगाम रहा हो वह एकाएक कैसे बदल सकता है? मैं अभीतक एस० को समझ नहीं सका हूँ। नी० को लेकर मुझे उसमे कभी कोई दोष नहीं दिखाई दिया।

आगरा काण्ड बहुत अफसोसजनक है। हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। यदि तथाकथित सनातनी लोग समय रहते नहीं चेतेंगे और मिथ्याभिमानके वश होकर भीड़की

१. पत्रके दूसरे अनुच्छेदके अन्तमें १९ अक्टूबर, १९३३ तारीख दी गई है। इसके अन्तमें गांधीजीने अपने हस्ताक्षरके साथ जो तिथि दी है वह है "वर्षा, २०-११-१९३३"। लगता है कि मूलसे मासका अंक १० के बजाय ११ लिखा गया है। यह पत्र स्पष्टतः गांधीजीके मध्यप्रान्तके दौरैसे पूर्व लिखा गया था। यह दौरा ८ नवम्बर, १९३३ को आरम्भ होनेवाला था। सम्भव है, गांधीजीने पत्र लिखवाना १९ तारीखको आरम्भ किया और इसे पूरा किया २० अक्टूबरको।

मददसे गुण्डागर्दी करेगे तो हिन्दू-धर्म नष्ट हो जायेगा। हम अपने कर्तव्यका पालन करते रहे, यही पर्याप्त है। अन्ततः ईश्वरकी इच्छा ही सर्वोपरि है। समरना और घोल्कामे जो घटनाएँ हुई हैं वे दुःखजनक ही नहीं बल्कि लज्जाजनक भी हैं। ऐसी ही छोटी-मोटी घटनाएँ यहाँ भी होती हैं। इस सम्बन्धमे मैं 'हरिजन'मे कुछ लिखनेका इरादा रखता हूँ।'

'हरिजन' (का कार्यालय) मद्रास चला गया है, यह मेरे विचारमे एक अच्छी बात है। शास्त्रीकी सेवाओंका पूरी तरहसे उपयोग करनेका एकमात्र तरीका यही था। कोदण्डरावने शास्त्रीके सम्मानमे एक छोटेसे उत्सवका आयोजन किया था। उत्सवमे देवघरने भाषण दिया। उन्होंने भी वही बात कही। उन्होंने कहा कि शास्त्री पूनामें मुरझा रहे थे और अब मद्रासमे वे खिल उठेगे। शास्त्रीने अपनेमे 'हरिजन' को चलानेका विश्वास पैदा कर लिया है। उन्हें कुछ और लोगोकी सहायता भी मिलेगी। 'हरिजन' दिल्लीसे दूर होगा, लेकिन इससे कोई असुविधा नहीं होगी। 'हरिजन' का हिन्दी संस्करण पहले ही दिल्लीसे निकलता है। यदि शास्त्री पूनामें रह कर 'हरिजन'को अपना पूरा समय नहीं दे पाते थे तो दिल्लीमे तो और भी नहीं दे सकते थे। उनका कष्ट मानसिक और सच्चा था। और चूँकि हम शास्त्रीकी मददसे 'हरिजन' निकालनेवाले थे इसलिए उनकी सुविधाका ध्यान रखना हमारा फर्ज था। शास्त्रीने मुझे जो पत्र लिखा है यदि मैंने उसे नष्ट नहीं किया है तो वह पत्र मैं तुम्हे भेजूंगा जिससे तुम उनके मानसिक कष्टका अन्दाज लगा सकोगे। मेरा हमेशा यह मत रहा है कि सबसे अच्छा और सस्ता अंग्रेजी संस्करण मद्राससे ही निकाला जा सकता है। लेकिन यदि तुम और धनश्यामदास मेरे इस पत्रसे पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हो तो तुम शास्त्रीको सीधे पत्र लिख सकते हो और उनके आगे अपनी बात रख सकते हो।

मैंने रविवार और सोमवारको विश्राम करनेकी जो बात लिखी है उसे तुम भूल समझकर दरगुजर कर सकते हो। तुम जो कार्यक्रम निर्धारित करोगे उसमे सोमवार और मंगलवार शामिल कर सकते हो।

मध्यप्रान्तका यात्रा-कार्यक्रम तुम्हारे द्वारा बताये गये समयके अन्दर पूरा हो जायेगा। डॉ० खरेने मध्यप्रान्त (मराठी)के लिए कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया है। तुमने वह देखा होगा। वे तुम्हें भी लिखने वाले थे। सतीशबाबूने बंगालसे पत्र लिखा है। उन्होंने तुम्हे भी लिखा है।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११३३) से। सी० डब्ल्यू० १०४८९ से भी; सौजन्य : हरिजन सेवक संघ

१. देखिए "क्रूरताकी दो कथाएँ", ३-११-१९३३।

## १२५. पत्र : एच० के० हेल्सको'

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा  
२० अक्टूबर, १९३३

प्रिय मित्र,

इस वार मैं आपके इसी १८ तारीखके पत्रका जवाब लौटती डाकसे दे रहा हूँ।

आपने मुझे जैसा विनम्र माना है वैसी कोई विनम्रता मुझमें नहीं है। मैंने अपनी सीमाओंके बारेमें जो-कुछ लिखा वह अक्षरशः सही है। वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं किसीके और हरएकके साथ, और निश्चय ही सरकारके साथ ऐसी शान्ति स्थापित करनेके काममें सहयोग करनेको व्याकुल हूँ जो जीवन्त और वास्तविक हो, मृत्युकी शान्ति जैसी न हो। जीवन्त शान्ति सगीनके बलपर स्थापित नहीं की जा सकती, और न कभी की जा सकेगी। सरकारकी योजना उस डॉक्टर जैसी है, या कमसे-कम मुझे ऐसी लगती है, जो बिना कारणका पता चलाये और उनको दूर करनेकी कोशिश किये ही एक भयकर रोगको समाप्त कर देना चाहता है। मैं ऐसी किसी भी योजनामें सहयोग नहीं कर सकता। और लगातार ४० वर्षसे भी अधिक समय तक कभी-कभी अत्यन्त उत्तेजनात्मक परिस्थितियोंके बीच अहिंसात्मक जीवन बितानेके बाद भी यदि मुझे अहिंसाके प्रति अपनी ईमानदारीका और अधिक सबूत देनेकी जरूरत हो तो ऐसा मान लेना चाहिए कि मैं उसे सिद्ध नहीं कर सकता।

जहाँ तक सर्व-दलीय बैठकका आपका सुझाव है, तो मान्य मापदण्डके अनुसार मैं एक असफल व्यक्ति सिद्ध हुआ हूँ, जैसाकि साम्प्रदायिक समझौता करानेके विचारसे बुलाई गई ऐसी ही एक बैठकमें<sup>२</sup> मैंने जो-कुछ किया उससे देखा जा सकता है। इसी उद्देश्यसे भारतमें हमने जो दो अन्य बैठके बुलाई थी, उनमें भी मैं इतना ही असफल सिद्ध हुआ था।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४७२ ए) से।

१. यह पत्र मामूली फेर-बदलके साथ २९-१०-१९३३ के हिन्दू में प्रकाशित हुआ था।

२. सम्भवतः लन्दनमें हुई अनौपचारिक बैठकोंमें से एक बैठक, देखिए खण्ड ४८, पृष्ठ १२८ और

## १२६. पत्र : अगाथा हैरिसनको

असंबोधित

२० अक्टूबर, १९३३

प्रिय अगाथा,

तुम्हारा लम्बा पत्र मिला। मुझे पता नहीं कि प्रतियाँ तुमने मेरे दोनो साथियों को भेजी थी कि नहीं। किसी भी सूरतमें मैंने उसे एन्ड्रयूजके पास डाकसे भेज दिया है। तुमने साँचा कि हम सब एक ही जगह होंगे। लेकिन फिलहाल हम साथ नहीं हैं।

जिनेवामें तुमने शानदार काम किया। मैं जानता हूँ कि तुम जहाँ भी होगी, वढ़िया काम कर सकती हो। लेकिन कुछ समय पहले मैंने तुम्हें जो राय दी थी वही राय मेरी अब भी है कि यदि तुम एक प्रतिनिधिकी हैसियतसे आती हो तो तुम्हारा खर्च तुम्हारे क्षेत्रके लोगोंको उठाना चाहिए। लेकिन यदि तुम चीजोंको अपनी आँखसे देखनेके उद्देश्यसे आओगी तो तुम्हारे खर्चका इन्तजाम यहीसे किया जा सकता है। तुम्हारा इस विशेष उद्देश्यसे यहाँ आना उपयोगी है अथवा नहीं, यह केवल तुम्हीं तय कर सकती हो। यदि तुम्हें जरूरी लगे तो तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम्हें जलयात्राका अच्छा अभ्यास हो तो तुम निश्चय ही बिना किसी कठिनाईके तीसरे दर्जेमें आ सकती हो और जीवनका ज्यादा नजारा देख सकती हो, क्योंकि सैलून-यात्रीकी अपेक्षा एक तीसरे दर्जेके यात्रीकी हैसियतसे तुम्हें साधारण लोगोंको देखनेका ज्यादा अवसर मिलेगा। यह मेरा स्वयंका और उन लोगोंका अनुभव है जो सभी दर्जोंमें यात्रा कर चुके हैं।

बोसके पासपोर्टपर लगे प्रतिबन्धका जहाँतक सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार फिलहाल अगर प्रतिबन्ध उठायेगी तो अपमानकारी शर्तोंपर ही उठायेगी। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ कि बगालके बारेमें उनके बराबर जानकारी किसीको नहीं है, और यह भी जानता हूँ कि शान्ति-स्थापनामें वह बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने भी वे ही, कठिनाइयाँ होंगी जो मेरे सामने हैं।

मुझे श्री हेल्सको जो पत्र<sup>१</sup> लिखना पडा है उसकी भी एक प्रति मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तथ्य यह है कि सरकार अपनी शर्तोंपर सहयोगकी माँग करती है, जो कोई भी व्यक्ति मुक्त मनसे कभी नहीं देता और जो कोई भी आत्मसम्मानी व्यक्ति कभी नहीं दे सकता।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

तुमने अपने पत्रमे जो महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं, मेरा खयाल है उन सबका जवाब इसमे आ गया है।

हृदयसे तुम्हारा,  
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४७२) से।

## १२७. पत्र : रुक्मिणी वजाजको

२० अक्टूबर, १९३३

चि० रुक्मिणी,

बहुत दिनों बाद तेरा पत्र मिला। आज प्रतिपदा है। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि नियमोंका पालन करनेसे ही जीवन सुव्यवस्थित होता है। हर हफ्ते नहीं तो पन्द्रह दिन, हर पन्द्रह दिन नहीं तो हर महीने यदि तू मुझे पत्र लिखनेका नियम बनाये तो यह अच्छी बात होगी। मैं तो इस आदर्शमें विश्वास करता हूँ कि हम जो कार्य करें सो नियमपूर्वक करें। कल प्रमुदासका विवाह हो गया। कन्या अच्छी जान पड़ती है। तुम दोनोंको,

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९७०१) से; सौजन्य : बनारसीलाल वजाज

## १२८. एक एम० ए० की अधीरता

केरलसे एक एम० ए० पास भाईने एक लम्बा पत्र भेजा है। पत्रके सार्वजनिक महत्त्वसे पूर्ण कुछ अंश<sup>१</sup> नीचे दिये जाते हैं :

पत्र-लेखकके इस कथनका मैं हार्दिक समर्थन कर सकता हूँ कि “अगर हमारे देशमें अस्पृश्यता बनी रही तो मुझे या लेखकको और उनके मित्रोंको शान्ति नहीं मिल सकती”। मेरा वह वचन भी ज्यों-का-त्यों कायम है। पर अस्पृश्यता ताकतसे अथवा कानूनसे दूर नहीं की जा सकती और न इन साधनोंसे मन्दिर ही खुल सकते हैं। कुछ कानूनी फैसलोंने अस्पृश्यता-निवारणमें जो बाधा डाल रखी है, उसे हटानेके लिए ही कानूनमें संशोधनकी अत्यन्त आवश्यकता है, पर यह जरूरी नहीं है कि इन

१. यहाँ नहीं दिये गये हैं। पत्र-लेखकने शिकायत की थी कि अस्पृश्यताकी डुराई अभी भी जारी है, खादी कार्यकर्ता हरिजन-कार्यमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते, गाँववालोंका रवैया हरिजनोंके प्रति खराब है, और साथ ही सुझाव दिया था कि हरिजनोंमें साहस, आत्म-विश्वास आदिका भाव सरा जाना चाहिए।

दोनों विषयकोके पास हो जानेसे ही हिन्दू-हृदयमें पैठी हुई अस्पृश्यता नष्ट हो जायेगी, और आपसे-आप सार्वजनिक मन्दिर खुल जायेंगे। हिन्दू-हृदयके द्रवित होनेपर ही अस्पृश्यता नष्ट होगी। जब पूजा करनेवालोको यह पता लग जायेगा कि परमात्मा मनुष्यमात्रके साथ भेद-भावका व्यवहार नहीं करता और उसका उन मन्दिरोंमें निवास नहीं है, जो मनुष्यकी धृष्टता या अज्ञानताके कारण ऐसे लोगोके लिए बन्द कर दिये गये हैं जो समान शर्तोंपर उपासना करनेके उत्सुक हैं, तब तत्काल ही सार्वजनिक मन्दिरोंके द्वार सर्व-साधारणके लिए खुल जायेंगे।

पत्र-लेखक गुस्वायूरके मन्दिरके खोले जानेकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालना चाहते हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि यह किसी एक आदमीका काम नहीं है। ईश्वर जब चाहेगा, तभी यह मन्दिर खुल जायेगा। कार्यकर्त्ता लोग तो बस अपनी योग्यता-भर काम ही कर सकते हैं। वह यह भी स्मरण रखे कि केलप्पनकी प्रतिज्ञा<sup>१</sup> अभी समाप्त नहीं हुई है। वह थोड़े दिनोंके लिए ही कोलम्बो गये हैं। जेलमें होनेपर भी राजगोपालाचारी प्रार्थना द्वारा तो सेवा कर ही रहे हैं। केरलके महान और सच्चे सेवक श्री माधवन् नायर अब नहीं रहे। पर इसमें मुझे सन्देह नहीं कि उनकी आत्मा हमारे अच्छे-बुरे कामोको देख रही है। जबतक अस्पृश्यताके कलंकसे हिन्दू-धर्म मुक्त नहीं हो जायेगा, तबतक उनकी आत्माको शान्ति नहीं मिलेगी। पत्र-लेखक विश्वास रखे कि उपयुक्त समय आनेपर और परमेश्वरकी इच्छा होनेपर केलप्पन और मैं दोनों ही न सिर्फ गुस्वायूरके बल्कि और भी बहुत-से मन्दिरोंके कपाट खुलवानेके लिए एक बार फिर अपने प्राणोकी बाजी लगा दोगे।

खादी-सेवकोके बारेमें पत्र-लेखककी शिकायत तो सर्वथा अनुचित है। खादी-सेवामें लगे हुए लोगोसे यह आशा नहीं रखी जा सकती कि वे अपना सारा समय हरिजन-सेवामें लगा दे। पर मैं जानता हूँ कि अधिकांश खादी-सेवकोके हृदयोमें अस्पृश्यताकी भावना नहीं है, और वे हरिजनोकी कुछ-न-कुछ प्रत्यक्ष सेवा कर सकनेका कोई मौका हाथसे नहीं जाने देते। खादी-सेवामें हरिजनोको लेनेका कोई प्रतिबन्ध नहीं। अन्तमें, मैं कहूँगा कि खादी-संस्थाएँ सारे देशमें फैली हुई हैं, और उनसे हजारों हरिजन-परिवारोका पालन हो रहा है।

भारतके अनेक भागोमें [हरिजनोके प्रति] गाँववालोके रखके सम्बन्धमें पत्र-लेखककी शिकायत अधिक ठीक है। गाँववालोंकी अज्ञानता बेहद बढ़ी हुई है। ऊँच-नीचकी भावना उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है। गाँवोकी सख्याको देखते हुए ग्राम-सेवकोंकी संख्या बहुत ही छोटी है। पर निराशाका कोई कारण नहीं। गाँवके लोगोमें जागृति आ रही है। वे समझने लगे हैं कि जो दर्जा स्वयं उन्होंने अपने लिए रखा है उससे अपने दूसरे भाई-बहनोको वंचित रखना ईश्वरकी 'समदर्शिता' में अविश्वास करना है। बहुत-से सेवक गाँवों और गाँवोके आसपास जो मौन किन्तु ठोस सेवा-कार्य कर रहे हैं, उसकी खबर इस पत्र-लेखकको शायद नहीं है। हरिजन-सेवाका कार्य चूँकि विगुद्ध धार्मिक है, इसलिए उसमें दिखावेके लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं

है। कार्यकर्ताओंमें जितनी ही शुद्धि और तपस्या होगी, उतना ही यह कार्य सफल होगा। कार्यकर्ताओंमें अगर मलिनता, स्वार्थवृत्ति या मिश्रित भावना होगी, तो जरूर ही इस कार्यको धक्का पहुँचेगा।

अब रही हरिजनोंमें प्राण-संचारण करनेकी बात। जीवन-शक्तिकी स्फूर्ति तो उनमें उसी क्षण आ जायेगी, जिस क्षण अस्पृश्यताका कमर तोड़ देनेवाला भारी बोझा उनके सिर परसे उतार लिया जायेगा। जो अनेक पाठशालाएँ इनके लिए खुली हैं और खुलती जा रही हैं, उनमें इन्हें धार्मिक और अन्य विषयोंकी शिक्षा मिलती है और मिलनी ही चाहिए। समय हमारे पक्षमें है। युग-धर्म भी हमारा साथ दे रहा है। समस्त धर्मोंपर आज विश्वके लोकमतका प्रखर प्रकाश पड़ रहा है और यह असम्भव है कि इस प्रचण्ड प्रकाशमें इन धर्मोंकी बुराइयाँ और अन्धविश्वास टिके रह सकें।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१०-१९३३

## १२९. . . . तो फिर भंगियोंका क्या होगा ?

एक अंग्रेज मित्र भारतमें आनेवाली दो अंग्रेज महिलाओंके सम्बन्धमें लिखते हैं :<sup>१</sup>

ये दोनों चाहती हैं कि अपना "भंगी" वाला काम वे स्वयं करें, चाहे इस काममें कुछ स्थानीय सवर्ण हिन्दुओंके हाथों . . . उन्हें तकलीफ ही क्यों न उठानी पड़े। . . . स्थानीय भंगियोंके कारण वे मुसीबतमें पड़ सकती हैं, क्योंकि बहुत सम्भव है कि वे भंगी इस बातकी शिकायत करें कि उनका अच्छा घन्घा और अच्छी मजदूरी मारी जा रही है। तब इस सवालका ठीक-ठीक जवाब क्या है? मान लीजिए कि सारे भारतके हजारों और लाखों सवर्ण हिन्दू और दूसरे लोग अपना पाखाना-पेशाब स्वयं साफ करनेका निश्चय इसलिए कर लें कि उन्हें प्रायश्चित्त करना है, और इस बातका स्पष्ट प्रमाण देना है कि वे अपने-आपको भंगियोंसे अच्छा नहीं समझते, तो बहुत-से भंगियोंकी रोजी मारी जायेगी। . . . यह तो समाजके उत्तरोत्तर विकासके साथ श्रमिकोंके विस्थापित होते चले जाने की उसी पुरानी कहानीका एक नया रूप है। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस सम्बन्धमें आपकी या किसी दूसरेकी चर्चा मैंने 'हरिजन' में पढ़ी है। . . .

यह सच है कि एक कठिनाईके रूपमें इस प्रश्नकी चर्चा मैंने 'हरिजन' में नहीं की है, क्योंकि यह कठिनाई अभीतक सामने आई ही नहीं थी। साबरमतीमें जो आश्रम था उसमें और उसकी वर्धाकी शाखामें तथा और भी कई स्थानोंमें आश्रमवासी अपनी टट्टियाँ स्वयं साफ करते रहे हैं, और इससे स्थानीय भंगियोंको कभी भी क्षोभ नहीं

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

हुआ। शुरू-शुरूमें साबरमतीमें भंगी रखे गये थे और उन्हें 'थोड़ी-सी तनख्वाह दी जाती थी। दो घंटेके कामके लिए उन्हें अधिक वेतन देना सम्भव नहीं था। और उनका काम बहुत अच्छा होनेपर भी यथेष्ट सन्तोषजनक नहीं होता था। न तो वे स्वच्छतासे टट्टी साफ करनेकी रीति जानते थे, और न सुगमतासे इसे सीखते ही थे।

पाखानेकी सफाईका घन्धा कुछ बहुत प्राचीन समयसे पुस्तैनी नहीं चला आ रहा है। अबतक मैंने जितने प्रमाण इकट्ठे किये हैं, उनसे तो यही पता चलता है कि मुसलमानों द्वारा इस देशको जीतनेसे पहले अपने यहाँ भंगीका घन्धा करनेवाले लोग नहीं थे। हिन्दू सामाजिक व्यवस्था ग्रामजीवनके आधारपर रची हुई होनेके कारण, तब इस तरहकी सफाईके घन्धेकी जरूरत नहीं थी; मगर इस समय, जबकि शहर तेजीके साथ बढ़ते जा रहे हैं, टट्टियोंकी सफाईका घन्धा अत्यन्त आवश्यक हो गया है। पर इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि हिन्दू-कालमें गाँवोंकी सफाई आदर्श या सन्तोषजनक रूपमें होती थी। इसके विपरीत, पता तो यह चलता है कि सफाई बहुत-कुछ अव्यवस्थित ही होती थी। पश्चिममें सफाईके जिन वैज्ञानिक उपायोंका विकास हुआ है और होता जा रहा है वह हाल ही में हुआ है और बेशक है भी बहुत ही लाभदायक।

चूँकि मेरा यह मत है, इसलिए मैं तो दोनों अंग्रेज बहनोंके इस निश्चयका स्वागत ही करूँगा कि वे अपनी टट्टियाँ खुद साफ करे। अगर मैं उनके स्थानमें होऊँ, और मेरे पड़ोसके भंगी बेकार हो जायें, तो मैं उनसे दूसरे काम-धन्धे करनेको और यदि उनकी इच्छा हो तो उनसे पाखाना साफ करनेकी नीरोगी और स्वच्छ रीति सीखनेको कहूँ। वे दूसरा काम करनेको उद्यत हो या न हो, सफाईकी उत्तम रीतियाँ सीखनेको वे तैयार हो या न हों, पर वे अपने मनमें यह भाव बहुत दिनोंतक नहीं रख सकते कि उन बहनोंकी टट्टियाँ साफ करनेके लिए उनसे नहीं कहा गया और इस प्रकार उनकी हानि हुई; कारण, उन बहनोंसे मैं यह आशा रखूँगा कि वे हरिजनोंकी उन्नतिके लिए दूसरे उपायोंका सब तरहसे प्रयत्न करेंगी। कठिनाई केवल तभी होती है, जब हरिजनको आश्रित समझकर, या स्वार्थवृत्तिसे काम दिया जाता है। ऐसी दशामें सदा कठिनाई पडनी ही चाहिए। उदाहरणके लिए अगर मैं अपने भंगीके साथ कभी-कभी कुछ काम इस तरह करूँ कि उसका स्पर्श न हो, और सार्वजनिक सभाओंमें कह दूँ कि अपने भंगीके साथ-साथ मैंने टट्टी तक साफ की है, तो इसमें हरिजनोंको अपना आश्रित समझनेका भाव आ जाता है। मेरा यह काम तब स्वार्थपूर्ण होगा जब भंगीके हाथों जितनी सफाई होती है, उससे अधिक साफ रखनेके लिए मैं अपनी टट्टियाँ स्वयं साफ करूँ और अपने भंगीको सफाईकी आधुनिक रीति सिखानेमें अपना समय नष्ट न करूँ, या अधिक योग्य और अच्छी सेवाके लिए उसे अधिक वेतन न देना चाहूँ। पर जब मैं अपने पड़ोसी भंगियोंकी अनेक प्रकारसे सेवा करता हूँ, और अपनी टट्टी स्वयं साफ करके उन्हें प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा सिखाता हूँ कि सफाईका काम कोई नीच कर्म तो है नहीं, बल्कि वह सम्मान-योग्य एक अत्यन्त उपयोगी घन्धा है जो सभीको सीख



लेना चाहिए, और यदि सेवा-वृत्तिसे प्रेरित होकर बहुत-से लोग इसे करने लगे, तो समाजका बहुत-कुछ हित हो सकता है, और मेरे इस कामसे किसीको असन्तोष नहीं हो सकता।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २१-१०-१९३३

## १३०. पत्र : प्रेमावहन कंटकको

वर्षा

२१ अक्टूबर, १९३३

त्रि० प्रेमा,

मैंने अपने किसी पत्रमें तुझे लिखा था कि मैं जान-बूझकर तुझे पत्र नहीं लिखता ताकि धुरन्वरके<sup>१</sup> सभी पत्र तुझे मिल सकें। लेकिन अमृतुलके पत्रपरसे देखता हूँ कि तू मेरे पत्रकी आशा रखती है और वे तुझे मिल भी सकते हैं। मैं लिखनेका विचार कर ही रहा था कि इतनेमें मुझे कल सुशीलाका<sup>२</sup> कार्ड मिला। इसलिए मैं यह पत्र सवेरेकी प्रार्थनासे पहले लिख रहा हूँ।

मैं देखता हूँ कि वहाँ तेरी गाड़ी ठीक चल रही है। तुझसे लिखा जा सके तो तू मुझे अपनी दिनचर्या लिख भेजना—और खाने-पीने आदिका अन्य जो व्योरा दे सके वह भी देना।

मेरे पास फिलहाल वा, मीरा, चन्द्रशंकर और नाथर है। काका अभी यहीं हैं। किशोरलाल और गोमती<sup>३</sup> परसो चले गये। स्वामी<sup>४</sup> जल्द आयेगा, तारावहन भी आयेगी। पन्नालाल,<sup>५</sup> नानी वहन,<sup>६</sup> गगावहन,<sup>७</sup> अहमदावादमें है। आश्रम हमेशाके लिए हरिजन-निवास बनेगा। उसमें उसका कार्यालय आदि होगा। यह सब तूने पढ़ा होगा। तुझे और अन्य सब वहनोंको यह अच्छा लगा होगा।

महादेवके लम्बे पत्र आते रहते हैं। वह वेलगाँवमें पुस्तकालय खोलकर बैठा हुआ है। दुर्गाको<sup>८</sup> उसके पत्र मिलते होंगे। देवदास मुल्तानमें आनन्द कर रहा है, और प्यारेलाल नासिकमें है। वा [जेल जानेकी] तैयारी कर रही है।

१. प्रेमावहनके भूतपूर्व अध्यापक।
२. प्रेमावहनकी मित्र सुशीला पाई।
३. किशोरलाल मशरूवालाकी पत्नी।
४. स्वामी आनन्दानन्द।
५. ६. और ७. श्वेरी-परिवारके लोग।
८. महादेव देसाईकी पत्नी।

लक्ष्मीबहनके<sup>१</sup> पास ४०से अधिक लड़कियाँ हो गई हैं। द्वारकानाथ<sup>२</sup> उसकी मददके लिए उसके पास है। नर्मदा नालवाडीमे विनोबाके पास है।

प्रभुदासका विवाह बुधवारको सम्पन्न हुआ। उसे जैसी कन्या चाहिए थी वैसी मिल गई है। २४ वर्षकी है। गुरुकुलमे पढी है। होशियार लगती है।

मेरा दौरा ८ तारीखसे शुरू हो रहा है। उम्मीद है, सब बहने आनन्दपूर्वक होंगी और क्षण-क्षणका उपयोग कर रही होगी। बाकी तेरा पत्र आनेपर।

• तुम सबको,

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

इस पत्रको लिखनेके बाद मैंने नहीं पढा है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३५१) से। सी० डब्ल्यू० ६७९० से भी; सौजन्य : प्रेमाबहन कटक

## १३१. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२१ अक्टूबर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला था। मैं तुम्हारी इच्छापर अमल कर रहा हूँ। घमं आडे नहीं आयेगा। मैं चाहूँगा कि तुम चिन्ता करना छोड़ दो।<sup>१</sup> तुम्हारे पास प्रेमलीला-बहनकी दूरबीनकी अपेक्षा अधिक जोरदार दूरबीन होनी चाहिए। उनकी दूरबीनसे तो राई भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। युनो<sup>२</sup> ग्रह याद है न?

प्रभुदासका विवाह बुधवारको हुआ। उसे जैसी कन्या चाहिए थी वैसी ही मिली है और यह उसके ही पुरुषार्थका फल है। लडकी २४ वर्षकी है और बिलकुल सादी है। वह उत्तर भारतकी है, इसलिए उसे न तो टीकेकी और न चूडीकी ही परवाह है। विवाहके समय भी उसके हाथमें चूडी न थी। अब जानकीबहनने उसे जबरदस्ती काँचकी चूड़ियाँ पहनाई हैं। खासी पढ़ी-लिखी है, आर्यसमाजी है।

महादेवका (बेलगाँव जेलसे) मुझे काफी लम्बा पत्र मिला है। यह तो एक लम्बी कविताके समान है। इस पत्रके साथ मैं तुम्हे उसके कुछ अंश भेज रहा हूँ।

१. लक्ष्मीबहन खरे।

२. द्वारकानाथ हरकरे।

३. वल्लभभाईने गांधीजीसे आराम करनेका अनुरोध किया था।

४. यह प्दटो होना चाहिए, जिसका पता १९३० में लगा था।

ब्रजकिशन<sup>१</sup> दिल्लीमें जाकर बीमार हो गया था। बा (जेलमें जानेकी) अपनी तैयारी कर रही है। किशोरलाल और गोमती परसों चले गये। आनन्दी, बचु और बबु भी गईं। किशोरलाल अकोला गया। आनन्दी लक्ष्मीदाससे मिलनेके लिए राहमें उतरनेवाली थी। लक्ष्मीदासका अभी भी कोई पत्र नहीं आया। यदि आनन्दी विवाह कर ले तो भी उसे आश्रममें पूरी छूट तो होगी ही।

तुम्हारा वजन कितना रहता है। तुम क्या खाते हो? दूध, दही कितना लेते हो? क्या कुछ भेजूं? मांगे बिना तो माँ भी खाना नहीं देती और फिर माँ भी मेरे जैसी? अब सवेरेकी प्रार्थनामें जानेका समय हो गया, इसलिए यही खत्म करता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो—२ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ३४-५

१३२. पत्र : एफ० मेरी बारको

२१ अक्टूबर, १९३३

चि० मेरी,

तुम्हारे पास कुछ जौ है इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हें यदि उसकी जरूरत हो तो तुम जौ ले सकती हो। लेकिन अगर तुम्हें कब्ज हो, तो तुम्हें जौ की नहीं बल्कि कुछ सन्जियोंकी, जैसे लौकी<sup>२</sup> आदिकी जरूरत है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०११) से। सी० डब्ल्यू० ३३३७ से भी;  
सौजन्य : एफ० मेरी बार

१. ब्रजकृष्ण चाँदीवाला।

२. साधन-सूत्रमें यहाँ देवनागरी लिपिमें 'दूधी' लिखा हुआ है।

## १३३. पत्र : कोतवालको

२१ अक्टूबर, १९३३

भाई कोतवाल,

सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्तिकी सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें श्रद्धा है और जो उसमें लगा हुआ है उसे किसी दूसरे काममें नहीं लगाना चाहिए। इसके विपरीत श्रद्धा होनेपर भी यदि कोई व्यक्ति पहलेसे ही किसी अन्य कार्यको अपने हाथमें लिये हुए है तो वह उस कामको अधूरा छोड़कर सविनय अवज्ञा में शामिल नहीं हो सकता। श्रेयानस्वधर्मो विगुण. . . ?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३६०५) से।

## १३४. पत्र : वनमाला एन० परीखको

२१ अक्टूबर, १९३३

चि० वनमाला,

तू अब तो बिलकुल रोगमुक्त हो गई होगी। अब तू जल्दी ही आनन्दी, बचु, और बबुके पास पहुँच जाना। तू यदि स्वस्थ होती और यहाँ आ गई होती तो तू और मैं — हम दोनों ही आनन्द मनाते।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५७८२) से। सी० डब्ल्यू० ३००५ से भी;  
सौजन्य : वनमालाबहन एम० देसाई

## १३५. पत्र : मोहन एन० परीखको

२१ अक्टूबर, १९३३

चि० मोहन,

तेरा पत्र मिला या। तू अब तो विलकुल ठीक हो गया होगा। इसलिए यदि आनन्दीके साथ रहे तो अच्छा होगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नरुल (एम० एन० ९१८६) से।

## १३६. पत्र : जयसुखलाल गांधीको

२१ अक्टूबर, १९३३

चि० जयसुखलाल<sup>१</sup>,

तेरा पत्र मिला है।

उमियाके<sup>२</sup> वीमार होनेकी खबर मुझे मिली थी। मैंने जमनालालजीसे उसके बारेमें बातचीत की थी। चरखा-सम्बन्धी समस्याका समाधान तुम्हें वहीं करना चाहिए। तुमसे किसीको वहाँके चरखेपर कपास लोड़नेके लिए उसमें आवश्यक परिवर्तन कर लेना चाहिए। केजूका पत्र इसके साथ है।

विनोद और कुसुमके पत्र मुझे भी आये थे। आशा है तुम्हारी तबियत अच्छी रहती होगी।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

प्रभुदासके विवाहके बारेमें तुमने सब-कुछ पढ़ा होगा।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/३) से।

१. जयसुखलाल अमृतलाल गांधी, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता।

२. जयसुखलाल गांधी की पुत्री।

## १३७. पत्र : केशवराम एस० त्रिवेदीको

२१ अक्टूबर, १९३३

भाई केशवराम,

तुम्हारा पत्र मिला। खादी भाई हरखचन्द मोतीचन्दको उड़ीसा बाढ़ सहायता समिति, कटक, उड़ीसाकी मार्फत भेजना।

बापूके आशीर्वाद

श्री केशवराम त्रिवेदी  
शुद्ध खादी भण्डार  
नवसारी

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२२) से।

## १३८. पत्र : शंकरलाल डी० परीखको

२१ अक्टूबर, १९३३

भाई शंकरलाल,

तुम्हारा पत्र कुछ दिन पूर्व आया था, पर मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। अब तो जवाब लिखे बिना चारा ही नहीं है, अतः लिख डालता हूँ। वनमाला और मोहन अब बिलकुल अच्छे हो गये होंगे। मेरी सलाह है कि दोनोंमें से एकको भी कठलाल मत रख छोड़ो। नरहरिका तो एक पत्र ही विशेष रूपसे उनके बारेमें था, जिसमें उन्होने भी कहा है कि दोनों को आनन्दी आदिके साथ ही रहना चाहिए। यह वाछनीय है कि अन्य लोगोंके साथ रहते हुए दोनोंमें अपने भविष्यका निर्माण करनेकी आदत पड़ जाये। स्वस्थ-अस्वस्थ तो चलते ही रहते हैं। यदि ये दोनों जानेको बिलकुल ही तैयार न हो तब तो मेरे लिए मजबूरी होगी, पर उन्हें समझाकर तुम भेज सको तो तुम्हें उन्हें भेज देना चाहिए, ऐसा मेरा खयाल है। जहाँतक मेरा खयाल है वनमालाको तो आनन्दी वगैरहके साथ रहना काफी अच्छा लगा है, पर कदाचित् यह हो सकता है कि मोहनसे अभी कठलालका मोह नहीं छूटेगा। पर वह भोला है और तुम उसे समझा दोगे तो समझ जायेगा। नरहरि और मणिका कुछ समाचार

१. नरहरि परीखकी पत्नी।

आया हो तो मुझे लिखना। तुम अभी क्या करते हो यह भी सूचित करना। तुम वैसी ही सुघड़ताका परिचय दे रहे हो जैसाकि मैंने अनुभव किया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २६८५) से।

### १३९. पत्र : भगवानजी पु० पण्ड्याको

२१ अक्टूबर, १९३३

चि० भगवानजी,

तुम्हारा पिछला पत्र मिल गया था, पर जवाब लिखनेके लिए समय कहाँसे निकालूँ? कच्चे और पक्के सूतके भाव लिखना तो भूल ही गया था। तुम्हारा पत्र भाई शंकरलालको भेज दिया है। उनकी राय माँगी है। वे कदाचित् तुम्हारे साथ भी बात करेंगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ३६३) से; सौजन्य : भगवानजी पुरुषोत्तम पण्ड्या

### १४०. भेंट : 'उन्नति' के प्रतिनिधिको

[२२ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व]'

प्रश्न : समाज-सुधारकोंकी कोशिशोंके बावजूद सिन्धमें शिक्षित वर्गोंका जीवन-स्तर बड़ी तेजीसे बढ़ता रहा है; ऐसी परिस्थितिमें आप क्या सलाह देंगे?

उत्तर : जो लोग इसको गलत मानते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि वे सादा जीवन व्यतीत करें और अच्छा सोचें और अच्छे काम करें।

प्रश्न : नवयुवकोंका विश्वास है कि जबतक वे १५० से २०० रुपये महीनेतक अर्जित करनेकी स्थितिमें न हों तबतक वे विवाह करनेकी कल्पना भी नहीं कर सकते। साथ ही, ऐसे नवयुवकोंकी संख्या बढ़ती जा रही है जो सोचते हैं कि विवाहित-जीवन के दायित्व उठाये बिना ही काम-वासनाकी तृप्ति किसी-न-किसी प्रकार कर लेना बिलकुल जायज है; ऐसी मनोवृत्तिके बारेमें आप क्या सोचते हैं?

उत्तर : मैं इस मनोवृत्तिपर लज्जा और गहरे खेदका ही अनुभव कर सकता हूँ। ऐसी मनोवृत्तिका परिणाम केवल आत्मघात ही हो सकता है। इसका एकमात्र

१. यह भेंट-वार्ता इस तारीखको हैदराबाद (सिन्ध)से प्रकाशनार्थ जारी की गई थी।

उपाय यही है कि जो नौजवान इस बुराईकी भयंकरताको समझते हैं वे स्वयं अपने जीवनकी शुद्धता और सही आचरणकी मिसाल पेश करके इसका विरोध करें।

प्रश्न : आप उन युवतियोंको क्या सलाह देंगे जिन्हें मजबूरन कुँआरी रहना पड़ता है या जो विवाह नहीं करना चाहतीं ?

उत्तर : ऐसी लड़कियोंको अपने छोटे-छोटे कुल-समूहो या प्रान्तोकी सीमासे बाहर निकलकर उपयुक्त जीवन-साथीकी तलाश करनी चाहिए। जितनी जल्दी हम प्रान्तीयता और जातिकी भावनाका त्याग कर दे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। मेरी समझमे नही आता कि एक शिक्षित आमिल लड़का या लड़की आमिल साथीकी ही तलाश क्यों करे और क्यों न वह लड़का या लड़की भारतके किसी भी भागसे अपना एक उपयुक्त जीवन-साथी चुने ? शर्त इतनी ही होनी चाहिए कि उनका उद्देश्य काम-वासनाकी तृप्ति नही बल्कि आध्यात्मिक विकास और राष्ट्रीय हितवर्द्धन हो।

प्रश्न : क्या आप आमिल लड़कियोंको यह सलाह नहीं देंगे कि वे आमिलवादकी दीवारोंको तोड़ डालें और किसी गैर-आमिलसे विवाह करनेके लिए तैयार रहें, फिर वह गैर-आमिल लड़का कोई भाईबन्द हो या भाटिया या और किसी जातिका हो ? सिन्धियों और गुजरातियोंके बीच अन्तर्विवाहके बारेमें आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : इसका जवाब ऊपर पहले ही दिया जा चुका है।

प्रश्न : यदि आप मानते हैं कि "पुरुष और स्त्रीको आत्माभिव्यक्तिका ज्यादासे-ज्यादा अवसर दिया जाना चाहिए", तो क्या आप सलाह देंगे कि युवा लड़के-लड़कियोंको एक दूसरेसे मिलने-जुलनेकी पूरी आजादी दे दी जानी चाहिए, और यह जरूरी नहीं है कि उनके माता-पिताको इसकी जानकारी हो या इस प्रकारके मामलोंमें उनका कोई नियन्त्रण हो ? यह भी, कि क्या लड़कियोंको लड़कोंकी तरह जहाँ चाहें वहाँ आने-जानेकी छूट होनी चाहिए ?

उत्तर : निश्चय ही नही। मैं मध्यम मार्गमे विश्वास रखता हूँ। अधिकांश लड़के-लड़कियोंको अपने माता-पिताके निर्देशमे रहना चाहिए और उनका कहा मानना चाहिए। माता-पिताको भी अपने अभिभावकत्व या निरीक्षणमे रहनेवाले अपने लड़के-लड़कियोंकी स्वतन्त्रताका आदर करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। देशके युवकोको यदि शुद्ध बनना है तो उन्हें कोई काम छिपाकर नही करना चाहिए।

प्रश्न : बूढ़े लोग कहते हैं कि सिन्धकी विशेष परिस्थितियोंको देखते हुए पर्देका त्याग करना सुरक्षित नहीं है, लेकिन युवक-जन स्वभावतः पर्देकी प्रथाको अत्यन्त हानिकार समझते हैं और इसका विरोध करते हैं। युवकों और बूढ़ोके बीच इस प्रश्न पर विवाद को बचानेके लिए आप क्या सुझाव देते हैं ?

उत्तर . मुझे पर्दा-प्रथामे कभी विश्वास नही रहा। मैं मानता हूँ कि यह प्रथा तेजीसे समाप्त हो रही है और जो लड़कियाँ यह साहस कर सकती हैं कि पर्देको फाड़कर फेंक दे और अपने पडोसियोंको दिखा दे कि उन्हें किसी प्रकारकी कोई हानि नही उठानी पड़ी है, वे लड़कियाँ पर्देकी प्रथासे सम्बन्धित पूर्वग्रह या भयको दूर



करनेके पक्षमें सबसे समय सबूत सिद्ध होंगी। पर्दा फाड़कर फेंक देनेका यह अर्थ नहीं है कि लड़कियाँ कहीं भी या सभी जगह घूम-फिर या आ-जा सकती हैं। मैं तो अन्य लोगोंके सामने मुखड़ा छिपानेकी रीतिकी बात करता हूँ जिसे मैं लड़कियोंके आत्मविकास या आत्माभिव्यक्तिके लिए अत्यन्त हानिकारी मानता हूँ। सबसे अच्छी सुरक्षा और सबसे सुन्दर पर्दा लड़कीकी अपनी शालीनता है।

प्रश्न : सह-शिक्षाके बारेमें आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर : मैं सुनियन्त्रित और सुचिन्तित सह-शिक्षामें विश्वास करता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे कॉनिकल, २६-१०-१९३३

## १४१. बातचीत : एक मित्रसे<sup>१</sup>

[२२ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व]

जिस समय इंग्लैंडमें गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उस समय तथाकथित अल्पसंख्यक जातियोंमें जो समझौता<sup>२</sup> हुआ उसके बारेमें आप जानते ही हैं। इसमें हरिजनोंको भी शामिल किया गया था। उस समय मैंने हरिजनोंके लिए अपने प्राणोंकी वाजी लगा दी।<sup>३</sup> एक दूरदर्शी व्यक्तिके रूपमें मैंने देखा कि किसी-न-किसी प्रकारका संविधान तो बनने ही वाला है, उसके लिए यदि इस समझौतेकी योजनाको सरकार स्वीकार कर लेगी तो हरिजनोंके साथ हमारा जो सम्बन्ध है वह टूट जायेगा और हिन्दू-धर्मके टुकड़े हो जायेंगे। हरिजन या तो हिन्दुओंसे अलग एक नई जाति बन जायेंगे अथवा किसी अन्य जातिसे मिल जायेंगे, लेकिन हिन्दू-धर्ममें तो वे कदापि न रहेंगे। मैंने देखा कि यदि ऐसा हुआ तो हिन्दू-धर्मका नाश हो जायेगा। यदि छः करोड़ व्यक्ति धर्म छोड़कर चले जायेंगे तो उससे धर्मका नाश हो जायेगा सो बात नहीं, लेकिन उसमें निहित कारणोंको लेकर उसका नाश हो जायेगा। कोई भी व्यक्ति यदि हिन्दू-धर्म छोड़कर जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन हम सबोंको इसमें कारणरूप नहीं बनना चाहिए। अतएव प्राणोंकी वाजी लगाकर भी हिन्दू-धर्मके टुकड़े हो जानेसे रोकनेके अपने धर्मको मैंने समझा।

जिस समय ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलने निर्वाचक मण्डलोंके सम्बन्धमें अपना निर्णय<sup>४</sup> दिया उस समय यद्यपि मैं जेलमें था तथापि मुझे लगा कि मुझे इसका विरोध करनेकी अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना ही होगा। इसलिए सितम्बर, १९३२में<sup>५</sup> मैंने आमरण अनशन किया। और आज लोग कहते हैं कि भले ही अनपेक्षित रूपसे ऐसा हुआ हो, लेकिन इससे हिन्दू-धर्मकी महान सेवा हुई। यदि आप यह मानते हैं कि ब्रिटिश मन्त्रि-

१. यह और अगला शीर्षक 'चन्द्रशंकर शुक्लके "साप्ताहिक पत्र" से लिये गये हैं। यह लेख "मैंने हरिजन कार्य हाथमें क्यों लिया?" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२ और ३. देखिए खण्ड ४८, पृष्ठ ३२६ और ३३१।

४. १७ अगस्त, १९३२ को; देखिए खण्ड ५०, पृष्ठ ३९३।

५. देखिए खण्ड ५१।

मण्डलके निर्णयके सम्बन्धमे मैंने जो विरोध किया वह सही कदम था तो उससे अन्य सब कदम उचित है।

प्र० : क्या आप इस बातको जरा अधिक विस्तारसे समझायेंगे — १९३२ के उपवास द्वारा जब आप हरिजनोंको अलगसे मताधिकार देनेकी योजनाको बदलवानेमें समर्थ हो गये थे तो फिर अन्य कदम उठानेकी क्या जरूरत थी?

उ० : ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके निर्णयको बदलवाना तो इस उपवासका एक कारण-मात्र था। लेकिन उसके बदलनेके बाद सवर्ण हिन्दुओके कर्तव्य का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। फलतः जब सर पुरुषोत्तमदास<sup>१</sup> और श्री घनश्यामदास जेलमे मेरे पास आये तो मैंने उनसे कहा कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलके निर्णयमे फेरबदल होने-भरसे मुझे सन्तोष नहीं होनेवाला है। सवर्ण हिन्दुओको बहुत-कुछ करना होगा। इसके बाद मैंने उस बातको प्रस्तावका आकार दिया। और यही मसविदा लगभग इन्ही शब्दोमे २५ सितम्बरकी वम्बईकी सभामे पास हुआ।<sup>२</sup> इसमे कहा गया है कि अबसे हिन्दू-धर्ममे किसीको भी अस्पृश्य नहीं माना जायेगा। मन्दिर और अन्य स्थान जितने अशो तक अन्य हिन्दुओके लिए खुले हैं उतने ही अशो तक हरिजनोंके लिए भी खुले रहेंगे। इस प्रस्तावके पास होनेके बाद जब नेतागण मुझे मिलने आये तब मैंने हरिजन नेताओंसे कहा कि इस प्रस्तावके पालनके लिए मैं अपने प्राण आपको जमानतके रूपमे सौंपता हूँ। इसलिए मेरे लिए यरवडा मन्दिरमे रहकर भी यह काम करना आवश्यक हो गया। इस उपवासके बाद जेलके बन्द दरवाजोको खुलवानेके लिए मैंने सरकारसे जो पत्र-व्यवहार किया उसमे लिखा कि मुझे सवर्ण हिन्दुओको उनके कर्तव्यके प्रति जाग्रत करना होगा और इसके लिए उनके और मेरे बीच कोई सम्पर्क न रहनेसे काम नहीं चलेगा। इसके फलस्वरूप सरकारने मुझे जेलमे रहते हुए हरिजन-कार्य करनेकी पूरी छूट दी।<sup>३</sup> बादमे जब मैंने हरिजन-सेवकोमे मलिनता देखी तब मुझे सहज ही २१ दिनोका उपवास रखना पड़ा और अगस्तमे पुन जेलमें जानेपर मैंने पहले जैसी कामकी सुविधाएँ माँगी और जब वे नहीं मिली तो आठ दिनका और उपवास करना पड़ा।

प्र० : क्या आप इस मलिनताका खुलासा दे सकते हैं ?

उ० : यह उपवास सेवकोकी शुद्धिके लिए था। शुद्धिके लिए उपवास कब आवश्यक होता है, इसका एक उदाहरण मैंने 'हरिजन'मे दिया है,<sup>४</sup> यह आप उसमे देखेंगे। यदि हममें ऐसी मलिनता भर जाये तो धार्मिक सुधार करोड़ोके जनसमूहमे व्यापक नहीं हो सकती, अस्पृश्यता रूपी जो अन्धम हमारे गाँवोंमें गहरे पैठ गया है उसे नहीं निकाला जा सकता। उपवासके निर्णयपर पहुँचनेमे मेरे हृदयमे जो महा मंथन हुआ, जिन भयकर झझावातोसे मुझे गुजरना पड़ा इसका वर्णन तो मैं दे चुका

१. सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास।

२. देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ १४८-९।

३. देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ ३५६-७, पाद-टिप्पणी १।

४. देखिए "उपवास कब आवश्यक होता है?", २७-१०-१९३३।

हैं। मलिनताकी जो घटनाएँ मेरे देखनेमें आईं उन सबका जिक्र मैंने 'हरिजन'में नहीं किया है। उपवासके दौरान और उसके बाद कितनी ही अन्य चीजें मेरी जानकारीमें आईं। कितने ही हरिजन-सेवक जाग्रत हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग तो यह मानते थे कि हम बिलकुल शुद्ध हैं, लेकिन हममें निहित दोष अब हम देख सकते हैं। एक ओवरसीयरने मजदूरोसे पैसा लिया था, उसकी स्वीकारोक्तिको तो मैंने प्रकाशित किया ही है।' यदि मैं सब किस्से कहने लूँ तो 'हरिजन'के पृष्ठोंसे दुर्गन्ध आने लगे, इसलिए मैंने उन्हें प्रकाशित नहीं किया। दुनिया शुद्ध हो, इसकी चिन्ता हम न करे लेकिन जिन लोगोंने इस धार्मिक कार्यके लिए अपने प्राण अर्पण कर दिये हैं उन्हें तो अवश्य ही शुद्ध रहना चाहिए, ऐसी अपेक्षा हम जरूर करते हैं। हिन्दू-धर्ममें तो उपवास अत्यन्त सामान्य चीज है, लेकिन अन्य धर्मोंमें भी गुद्धिके लिए उपवासका निर्देश किया गया है।

प्र० : आपने विधान-सभामें मन्दिर-प्रवेश विधेयक<sup>१</sup> पास करवानेके प्रयत्न किये और इस सिलसिलेमें आपने राजाजीको दिल्ली भेजा, इससे बहुत सारे लोगोंको ऐसा लगता है कि आपने कांग्रेसके असहयोग सिद्धान्तका उल्लंघन किया है। क्या आप इसपर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

उ० - कांग्रेसके सिद्धान्त उसके कार्यको मदद देनेके लिए है। आपको यह मालूम है न कि १९२१ में जिस समय असहयोग आन्दोलन पूरे जोरपर था उस समय उत्कलके एक कांग्रेसीने यह सोचकर पैसे खाये थे कि चूँकि कांग्रेसने अदालतको बहिष्कार किया है इसलिए वह उसपर मुकदमा नहीं चलायेगी। मेरे पास जब यह खबर आई तब मैंने तार किया कि उस व्यक्तिको गिरफ्तार करवाया जाये। कांग्रेसके नियम ऐसे तो नहीं हो सकते जिससे उसके ध्येयको ही नुकसान पहुँचे। मन्दिर-प्रवेशके बारेमें मैंने देखा कि इसमें कानूनी बाधा है, उसे दूर करवाये बिना यदि काम न चले तो उसे दूर करवानेका प्रयत्न करना चाहिए और यदि किसी अदूरदर्शी व्यक्तिको इसमें कुछ विरोधाभास दिखाई दे तो हम उसे सहन करें। एक ग्रेन विष ले अथवा ३० ग्रेन लें, क्या इसमें कोई भेद नहीं है? औषधिका उपयोग दर्द मिटानेके लिए होता है, आत्महत्या करनेके लिए नहीं। जिन लोगोंने बम्बई प्रस्तावको पास किया है उनका तो यह कर्त्तव्य है कि हरिजनोपर लगे प्रतिबन्धको दूर करवानेके लिए यदि उन्हें कानूनको सहायता लेनी पड़े तो भी वे लें; यह बात प्रस्तावमें स्पष्ट है। इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देनेवाला व्यक्ति इस विधेयकका विरोध कैसे कर सकता है? अथवा विधान-सभाके सदस्योंकी मदद लेनेमें कैसे हिचकिचा सकता है? हमने सहयोग दिया नहीं वरन् लिया है। और मान लीजिए कि कल सरकार सम्पूर्ण मद्यनिषेधका कानून बनाती है तो क्या हम उससे यह कहेंगे कि हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए?

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २२-१०-१९३३

१. देखिए खण्ड ५५, पृष्ठ ३३५।

२. इसे विधान-सभामें रंगा अख्यरने पेश किया था; देखिए खण्ड ५३, पृष्ठ १५-६, पाद-टिप्पणी ३।

## १४२. हरिजनोंके लिए सीटें<sup>१</sup>

[ २२ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व ]

हरिजन मताधिकारका अच्छा उपयोग नहीं कर सकते और वे राष्ट्रहितको नहीं समझ सकते, ऐसा कहना तो लोकतन्त्रके सिद्धान्तपर कुल्हाड़ी मारनेके समान है। साम्राज्यवादी हमसे कहते हैं कि तुम लोग लोकतन्त्रके लायक ही नहीं हो, तुम्हें मताधिकारका उपयोग करना आ ही नहीं सकता। यह बात भी उन्हींके कथनके समान है। हमसे भूले तो होगी ही। भूलोंके बीच ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे क्या यह कहना उचित है कि हमें मताधिकार ही नहीं मिलना चाहिए? जब हरिजन लोग मताधिकारका उपयोग करने लगेंगे तब उन्हें उससे शिक्षा मिलेगी। वे लोग राष्ट्रहितको नहीं समझते, यह कहना भी ठीक नहीं है। ये लोग हमारी वोटोंसे ही चुने हुए लोग होंगे। हरिजनोंकी प्रत्येक सीटके लिए हरिजन चार व्यक्ति चुनेंगे और इनमें से एक व्यक्तिको हमें चुनना होगा। क्या इन चारोंमें से हमें एक भी राष्ट्रहित करनेवाला व्यक्ति नहीं मिलेगा? और यदि नहीं मिल सकता है तो इसमें भी हमारा ही दोष है कि हमने इनकी इतनी ज्यादा उपेक्षा की है। हमारे लिए शुद्ध मार्ग यही है कि हम इन्हें अपनायें, इनकी सेवा करें और इनके दिलोंको जीत लें। उनके प्रति अविश्वासको लेकर काम नहीं चल सकता।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, २२-१०-१९३३

## १४३. उत्तर : पत्र-लेखकोंको<sup>२</sup>

[ २२ अक्टूबर, १९३३ से पूर्व ]

स्वजनकी अमर स्मृति<sup>३</sup>

तुम्हारे दुःखमें पूर्णतया भागीदार हूँ। मेरे अनेक मित्रोंकी भी ऐसी ही स्थिति हुई है, इसकी याद मुझे तुम्हारे पत्रसे ही आई है। लेकिन मैंने अनुभवसे यह जाना है कि प्रियजनके प्रति हमारा जो प्रेम होता है वह उनकी देहको लेकर नहीं अपितु उस देहमें वास करनेवाले अमर तत्त्वको लेकर होता है। अनेक वर्ष बीतनेपर भी तुम्हारे

१. पवरडा समझौतेके अन्तर्गत हरिजनोंके लिए जितनी सीटें सुरक्षित की गई थी उसपर बहुत आलोचना हुई थी। गांधीजीने आलोचकोंको उपर्युक्त उत्तर दिया था।

२. यह लेख “डाकके थैलेसे” शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

३. यह एक पत्र-लेखकके उत्तरमें लिखा गया था। अपने पत्रमें उक्त पत्र-लेखकने अपनी पत्नीकी श्रुत्युक्तानि किन्तु किया था और गांधीजीसे पूछा था कि वह बिना किसी दुःखकी छायाके अपनी पत्नीकी स्मृतिको अपने हृदयमें कैसे बनाये रख सकता है, जिससे कि वह उसके लिए आनन्दका स्रोत बन सके।

हृदयमें तुम्हारी पत्नीकी स्मृति धूमिल नहीं पड़ेगी अपितु वह अधिक दृढ़ और अधिक समृद्ध होगी। इस विचार ही से तुम्हारा दुःख दूर हो जाना चाहिए और तुम्हारा हृदय आनन्दसे भर उठना चाहिए, और इस बातका भी सच्चा ज्ञान होना चाहिए कि संसारमें क्या सार है और क्या असार है। यदि एक व्यक्तिके अनुभवमें दूसरा व्यक्ति भागीदार हो सकता है तो जिस प्रकार मैं तुम्हारे दुःखमें भागीदार बन रहा हूँ, तुम मेरे अनुभवके भागीदार बनो, ऐसी मेरी इच्छा है।

### मृत्युका उपहार<sup>१</sup>

यदि तुम्हें (इस संसारसे) विदा होना पड़े तो अपने घर जाना है, ऐसा समझकर शान्तिपूर्वक हृदयमें भगवानका नाम अंकित करके इस संसारसे विदा होना। और यदि ईश्वरने इस देहमें ही तुमसे कोई सेवा लेनी हुई तो वह तुम्हें स्वस्थ कर देगा।

### आश्रमका उत्तम उपयोग

मैंने सत्याग्रह आश्रमको हमेशाके लिए हरिजन सेवार्थ अर्पित कर दिया है। मुझे लगता है कि यही इसका उत्तम उपयोग है। सरकारने इसका कब्जा नहीं लिया, इसलिए इसका इससे अच्छा उपयोग और कोई हो ही नहीं सकता था। सम्पूर्ण त्याग की बात भी इसमें आ सकी। आश्रमके समस्त आदर्शोंकी जाँच करनेपर यहाँ तो सबको इसका यही उपयोग सर्वोत्तम जान पड़ा। इसके लिए विशेष समिति नियुक्त की जायेगी। इसमें हर कोई हरिजन नहीं रह सकेगा। लेकिन जो रहना चाहेंगे उन्हें आश्रमके नियमोंका पालन करना होगा। यदि आश्रमवासी 'अनिकेत' और 'येनकेन चित्त सन्तुष्ट' रहें तो इसमें मुझे कोई दोष दिखाई नहीं देता। जब सब कार्य सम्पन्न हो जायेगा, तब भले हम नये आश्रमकी स्थापना करें, यही शोभनीय भी है।

### एक हरिजन-सेवकके प्रश्न<sup>२</sup>

अनेक हरिजन-सेवक अपना पेट भरनेसे ज्यादा पैसा लेते हैं, यह बात मैं माननेके लिए तैयार नहीं हूँ। कितने ही कार्यकर्त्ता तो कुछ भी नहीं लेते। "भारी वेतन" से तुम्हारा क्या अभिप्राय है, सो मैं नहीं जानता। जो कार्यकर्त्ता अपनी खुराक और कपड़ेकी जरूरत जितना ही लेता है उसे मैं उत्तम प्रचारक कहता हूँ। हमारे जैसे गरीब देशमें हमारे पास ऐसा फुसंतवाला वर्ग ही नहीं है जिसमें से हमें राष्ट्रीय सेवक प्राप्त हो सकें।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, २२-१०-१९३३

१. यह एक ऐसी स्त्रीको लिखा गया था जो मृत्युशय्या पर पड़ी थी।

२. हरिजन कार्यकर्त्ताने निम्नलिखित शिकायतें की थीं: १. मन्दिर काफी तादादमें नहीं खोले जा रहे हैं। २. ये हरिजन-सेवक भारी-भारी वेतन लेते हैं। ३. खादी कार्यकर्त्ता हरिजन-कार्यमें रुचि नहीं लेते। ४. गाँवोंमें तो अज्ञान और बहमने घर कर रखा है।

शिकायत संख्या १, ३ और ४ के सम्बन्धमें गांधीजीके जवाब यह नहीं दिये गये हैं, क्योंकि उन्हीं सम्बन्धित विस्तृत जवाब "एक एम० ए० की अधीरता", २१-१०-१९३३ में आ जाते हैं।

## १४४. नगरपालिकाओं आदिके सम्बन्धमें

एक सज्जन, नगरपालिका, लोकल बोर्ड आदिके सम्बन्धमें निम्नलिखित सुझाव<sup>१</sup> देते हैं :

मुझे लगता है कि यह सुझाव निश्चय ही विचारणीय है। नगरपालिकाएँ भले ही ऐसे सुझावको कार्यान्वित न करे, लेकिन जहाँ स्थानीय हरिजन सेवक सघ जिम्मेदारी लेनेको तैयार हो वहाँ मकान और फर्नीचर आदि सही सलामत रखनेकी शर्तके साथ स्कूलके समयसे अतिरिक्त समयमें हरिजनको उसका [स्कूलकी इमारतका] उपयोग बिना भाडेके करने दिया जाये। इससे भाड़ा भी बचेगा और हरिजन अच्छे और सुविधाजनक मकानोका उपयोग भी कर सकेंगे।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, २२-१०-१९३३

## १४५. कुछ नैतिक प्रश्न

जिन सज्जनने नगरपालिकाओं आदिसे सम्बन्धित सुझाव दिये हैं उन्होने ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो समस्त सेवकोके लिए उपयोगी हैं। प्रश्न निम्नलिखित हैं।<sup>२</sup>

इन प्रश्नोंका मैं यहाँ क्रमसे उत्तर दे रहा हूँ।

(१) जो व्रत लेना हो उसे स्पष्ट भाषामें लिख लेना चाहिए। उस समय यदि कोई साक्षी मिल जाये तो व्रत उसकी उपस्थितिमें लेना चाहिए। भविष्यमें भी प्रसंग

१. यहाँ नहीं दिया गया है। सुझाव यह था कि नगरपालिकाओंको हरिजनोंके लिए रातको स्कूल चलाने चाहिए और उन्हें आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित करना चाहिए।

२. प्रश्न यहाँ नहीं दिये गये हैं। पत्र-लेखकने पूछा था :

(१) व्रत लेनेसे पूर्व कितन बातोंपर विचार किया जाना चाहिए और क्या उनमें बादमें फेरबदल किया जा सकता है ?

(२) क्या प्रार्थनाका समय निश्चित रूपसे सवेरे उठनेके तुरन्त बाद और सोनेसे ठीक पहले ही हो सकता है ? कोई मनुष्य लम्बे समयके लिए एकाग्रचित्त कैसे हो सकता है ?

(३) दैनन्दिनी लिखनेका सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है, जिससे कि वह भविष्यमें मार्गदर्शकका काम कर सके ?

(४) आप अपनी बात सूत्रोंमें कह देते हैं जिसके कारण अनेक बातें अस्पष्ट रह जाती हैं। एकाग्रचित्त स्थितिमें प्राप्त होनेके लिए मनुष्यको क्या निश्चित कदम उठाने चाहिए ?

(५) गीता के १२ वें अध्यायके १९ वें श्लोकमें पूर्ण सन्तोषकी बात कही गई है। क्या पूर्ण सन्तोष किसी प्रकारकी शर्त पर निर्भर करता है ?

उपस्थित होनेपर उसका कड़ा अर्थ करना चाहिए, शिथिल नहीं। और यदि ऐसा प्रतीत हो कि उसे हल्का करनेकी दृष्टिसे कुछ रह गया है तो ऐसी कोई सुविधा उसमें नहीं जोड़ी जानी चाहिए। मान लो कि मैंने व्रत लिया कि मैं गराव कभी नहीं पीऊंगा। इसमें देगकी बात नहीं बताई गई। मैं विलायत गया। किसीने आरोग्य की दृष्टिसे गराव पीनेका आग्रह किया। इसपर मैं यह नहीं कह सकता था कि व्रत लेते समय मैं हिन्दुस्तानमें था इसलिए मेरा वह व्रत केवल हिन्दुस्तानके लिए ही है, और इसलिए विलायतमें गराव लेनेकी मुझे छूट है। न उसमें दवाका ही उल्लेख था, इसलिए दवाके रूपमें भी मुझे उसे लेनेकी छूट नहीं हो सकती।

(२) प्रार्थनाका समय भी अन्य प्रवृत्तियोंके समान ही निश्चित होना चाहिए। फिर यह समय चाहे कभी भी क्यों न निश्चित हो, इसकी कोई चिन्ता नहीं। सोनेसे पूर्व और सवेरे उठनेके बाद दातुन आदि करनेके बाद प्रार्थनाका समय रजना उत्तम है। सवेरे उठनेका समय भी निश्चित करनेकी आवश्यकता है। चित्तकी एकाग्रता किमीको भी एकदम उपलब्ध नहीं होती। "रसरी आवत जात तें सिल्पर परत निसान" इस न्यायसे नियमित रूपमें प्रार्थना करते-करते एकाग्रता स्वयमेव आ जायेगी। जबतक वह प्राप्त न हो जाये तबतक चिन्ता छोड़कर धैर्यपूर्वक नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। "कदी नहीं हारना भावे साढी जान जावे।"

(३) दैनन्दिनी लिखनेका नियम बनानेके बाद फिर उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसका लाभ तुरन्त नहीं तो बादमें अवश्य मालूम पड़ेगा। दैनन्दिनी लिखनेकी आदत ही हमें अनेक दोषोंसे बचा लेगी, क्योंकि वह हमारे दोषकी साजी रूप रहेगी। उसमें अपने किये दोषोंका उल्लेख होना ही चाहिए। उसपर टीका करनेकी कोई जरूरत नहीं है। उसमें टीका निहित ही रहती है। "आज 'व' पर क्रोध आया", "आज 'क' को धोखा दिया", इतना उल्लेख पर्याप्त है। "यह बहुत बुरा हुआ", "अरे मन अब ऐसा न करना" आदि-आदि लिखनेकी कोई जरूरत नहीं। उसमें आत्मप्रशंसा परक शब्द लिखनेकी कतई आवश्यकता नहीं। किये हुए कामका और दोषोंका उल्लेख भर होना काफी होगा। दूसरोंके दोषोंका उल्लेख अपनी दैनन्दिनीमें कदापि नहीं होना चाहिए।

(४) यह प्रश्न समुचित नहीं जान पड़ता। 'गीता' की अथवा मेरी भाषा सूत्र-रूप नहीं है। 'गीता' की भाषाके साथ मेरी भाषाकी तुलना नहीं की जा सकती, और यह शोभा भी नहीं देता। 'गीता' की भाषा यदि मुझे आती हो तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं उससे दूर हूँ। हमें जिस विषयका ज्ञान कम होता है उसके बारेमें हम जो भी पढ़ते हैं वह हमें सूत्र रूप ही जान पड़ता है। गार्स्त्रीय भाषा यानी विषयके प्रतिपादनके लिए पर्याप्त भाषा। जो लोग इसे नहीं जानते उन्हें यह सूत्र रूप लगती है। यह अलग चीज है और पतंजलिके सूत्र अलग। पतंजलिके सूत्रोंमें तो बहुत अव्याहार होते हैं। 'गीता' के बारेमें ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपितु गीताकारने 'गीता' में पुराने शब्दोंको नये अर्थमें प्रस्तुत किया है, इसीसे उसे समझनेमें कठिनाई होती है। मेरी भाषा संक्षिप्त होती है, इतना गुण उसमें अवश्य है। लेकिन

वह अपूर्ण है, जबकि 'गीता' की भाषा पूर्ण है। जब मैं यह कहता हूँ कि मेरी भाषा अपूर्ण है तो मेरे कहनेका तात्पर्य यह नहीं कि मेरा भाषापर अधिकार कम है, हालाँकि अधिकार भी कम ही है। यहाँ तो ऐसा ही समझना चाहिए कि मेरे विचार अपूर्ण हैं, इससे मेरी भाषाको समझनेमें कठिनाई तो होगी ही। जब मेरे विचार पूर्ण होंगे तब मैं उन्हें इस रूपमें प्रस्तुत करूँगा कि उन्हें समझनेमें आसानी होगी। अपनी भाषाका इतना दोष स्वीकार करनेके बाद मैं इतना अवश्य कहूँगा कि कितने ही पाठक उसे समझनेका पूरा प्रयत्न नहीं करते, इसीसे पूर्ण रूपसे व्यक्त किये गये विचारोंको भी वे नहीं समझते और वादमें मुझे दोष देते हैं। जैसे कि हम उक्त पत्र-लेखकके दृष्टान्तको ही ले। कातनेकी क्रिया चूँकि प्रत्यक्ष है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष बताया जा सकता है। चित्तकी व्यग्रता अप्रत्यक्ष वस्तु है। "अभ्यास करनेसे व्यग्रता दूर होगी" ऐसा कहना अपने-आपमें पूर्ण है। उसे प्रत्यक्ष रूपसे बतानेका हमारे पास आज तो कोई साधन नहीं है। यदि हम किसी दिन विचारोंको भी रेखाचित्रोंमें व्यक्त करना सीख सकेंगे तो कातनेके समान इस 'अभ्यास'का भी प्रत्यक्ष चित्र खींचा जा सकेगा। अभी तो यही कहा जा सकता है कि धैर्यपूर्वक प्रार्थना करते रहनेसे व्यग्रता अवश्य दूर होगी। इसमें अभ्यासीकी सत्यता अथवा सत्यरायणतापर निर्भर करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रार्थनाका आडम्बर करता हो और व्यग्र रहता हो उसे कौन जान सकता है? अथवा जो रोज अपने-आपको धोखा देता हो, और रोज प्रार्थनाके समय अनेक घोंडे दौड़ाता हो उसे कौन टोक सकता है? इसलिए अभ्यासकी सफलता केवल अभ्यासी की प्रामाणिकतापर ही निर्भर करती है। कातनेकी क्रियामें यदि अप्रामाणिकता हो तो वह प्रत्यक्ष देखी जा सकती है, अतः उसे कातने वालेको बताया जा सकता है।

(५) 'सन्तुष्टो येनकेनचित्'—का अर्थ यह नहीं कि आलसी मनुष्यको जो मिले उससे वह सन्तोष मान ले। इसमें सतत और ईमानदारीसे उद्यम करनेपर भी जो मिले उससे सन्तोष करनेकी बात है। तात्पर्य यह कि पुरुषार्थ करनेके बाद भी उसका उत्तरदायित्व ईश्वरेच्छा पर है। यदि प्रयत्न सफल होता न दीख पड़े तो निराश होनेकी तनिक भी जरूरत नहीं, गीताकास्का यही कहना है।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, २२-१०-१९३३



## १४६. पत्र : माधवदास और कृष्णा कापड़ियाको

वर्ष

२२ अक्टूबर, १९३३

चि० माधवदास और कृष्णा,<sup>१</sup>

तुम्हारा पत्र मिला। तुम दोनोंको आशीर्वाद। यह वर्ष तुम्हारे लिए सुदृढ़ और शान्तिमय हो।

दौरा ८ तारीखको शुरू होगा।

वाको तुम्हारा पता तो माझूम ही है।

रामदास मजेमें है।

वापूके आशीर्वाद

गुजरानाको माइक्रोफिल्म (एम० एन० यू०/२२) से।

## १४७. पत्र : कान्ति एन० पारेखको

२२ अक्टूबर, १९३३

चि० कान्ति,

तेरा पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। तुझे और जयन्तीको इस वर्षके लिए आशीर्वाद। तुम दोनों अत्रिक सेवापरायण बनो और दीर्घायु हो।

प्रभुदासका विवाह यहाँ बुधवारको सम्पन्न हुआ। कन्या विजयारकी है और सादगीमें प्रभुदाससे बढ़कर है, मेहनती है, अच्छी जान पड़ती है। वह बहादुर है, उसे सेवा करना पसन्द है। उसे अँक किसी चीजका नहीं है। रामदासकी गाड़ी ठीक चलती है। केशू जिनिंग मिलमें काम करने लगा है। कृष्णदास खादी दिनागने है। यहाँ ४० से अधिक लड़कियाँ हैं। सारा भार लक्ष्मीबहन और शारदाबाय बहन कर रहे हैं। गाड़ी ठीक चल रही है। आनन्दी, बबु और बबु जनी-जनी अहनदावाज रहे हैं। बलमड और श्रीरू जोशी भावनगरमें हैं। वहाँ वे खूब व्यस्त हैं। लगना है इन्ट्र टिकी रहेगी। दूबीबहन बच्चोंको लेकर भावनगरमें ही रहती है।

१. कस्तूरबा गांधीके माई और उनकी फली।

देवदासके और महादेवके पत्र आते रहते हैं, सरदारके तो होते ही हैं। आज . . .' का पत्र भी आया है। पृथुराज<sup>२</sup> कालीकटमे है। उसके पत्र भी आते हैं। उम्मीद है मणि अहमदाबाद गई होगी। स्वामी आज यहाँ आये हैं। किशोरलाल और गोमती बहन यहाँ रहकर वापस अकोला चले गये हैं।

मेरा दौरा ८ तारीखको शुरू होगा।

इस बार तो बहुत लिखा है न? प्रत्येक क्षणका सदुपयोग करना। अब भी मुझे लिखा जा सकता हो तो लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

मेरे साथ नीराबहन, चन्द्रगकर और नायर होंगे। फिलहाल तो वा भी साथ है। लेकिन वह थोड़े दिनों बाद मन्दिर चली जायेगी।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२७६) से।

## १४८. पत्र : मणिबहन पटेलको

२२ अक्टूबर, १९३३

त्रि० मणि,

तेरा कार्ड मिला। मैं बुधवारको तुम तीनोंकी प्रतीक्षा करूँगा। बाबा आयेगा न? आगा है, तेरी तवीयत अच्छी हो रही होगी। स्वामी आज पहुँचे हैं। अन्य सारी बातें बुधवारको।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

वापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ १०९

१. साधन-सूत्रमें शब्द स्पष्ट नहीं है।

२. लक्ष्मीदास आसरके पुत्र।

## १४९. पत्र : गंगा लो० हिंगोरानीको<sup>१</sup>

वर्षा

२२ अक्टूबर, १९३३

प्रिय भगिनी,

चि० विद्याने<sup>२</sup> आनंदपरका तुमारा खत मुझे पढ़ा दिया है। तुमारे दोनोंकी चिंता छोड़ना चाहिये। आनंद और विद्या अब बालक नहीं है। उनका श्रेय जो करते हैं वही करने देनेमें है। आनंद तो तुमको मिलेगा। आनंदको आशीर्वाद दीजिये। अनुचित मोह छोड़ो। विद्याको शांतिकी आवश्यकता है। यहां उसकी प्रकृति भी अच्छी रहती है। कुछ अभ्यास भी करती है। सहीयर भी अच्छी मिली है। महादेव भी अच्छा रहता है। उसके लिये भी चिंता मत करो। बड़े लड़के मातापिताके साथ कहां तक रह सकते है? उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। तुमको तो भगवानने धन-संपत्ति दी है। इसलिये आनंद अथवा विद्याके पाससे कुछ शारीरिक सेवाकी हाजत भी नहीं रहती। विद्याका तो शरीर भी सेवाके लायक नहीं। वह खुद सेवाकी हाजत रखती है।

मोहनदास गांधीके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

## १५०. पत्र : एफ० मेरी वारको

२३ अक्टूबर, १९३३

चि० मेरी,

सब बड़े लोगोंके विचार एक जैसे होते हैं। मैं आश्चर्य कर रहा था कि कल रात तुमने यहाँ भोजन करनेसे क्यों इनकार कर दिया। बेशक तुम दोनों बच्चाका भोजन यहीं कर सकती हो। तरल भोजनका अजीर्णसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इनमें यही पता चलता है कि प्रोटीन कम होनी चाहिए। लेकिन तुम जब आओ तो मुझमें कुछ समय मिलकर जाना।

सप्रेम,

बापू

१. आनन्द तो० हिंगोरानीकी माता।

२ और ३. आनन्द तो० हिंगोरानीकी पत्नी और पुत्र।

[पुनश्च .]

यदि पेट साफ न होता हो और तुम्हे 'अजीर्णका अनुभव हो तो तुम एक हिस्सा दूध मिला सकती हो। हाँ, शायद तीन बार खुराक लेना पर्याप्त होगा।

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०१२) से। सी० डब्ल्यू० ३३३८ से भी, सौजन्य : एफ० मेरी वार

## १५१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

वर्षा

२३ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे दो तार मिले, एक तुम्हारा और दूसरा कृष्णा और राजाका। माँका साहस देखकर थ्रड्दा होती है। उनसे पहली बार मिलनेके बादसे ही मेरे मनमे उनकी जो तस्वीर बनी है वह एक शान्त, गरिमामय साहस और त्यागकी मूर्तिमन्त व्यक्तिकी है।

एक बात मैं तुम्हे लिखना बराबर भूलता रहा। अगर तुम्हे कभी लगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक बुलानी चाहिए तो उसे बुलानेमे मत हिचकना। मेरी नापसन्दगीकी परवाह मत करना। मैं इसके पक्षमे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे गड़बड़ी और भ्रम और ज्यादा बढेगा तथा इसमे शक्ति, समय और धनकी बर्बादी होगी। लेकिन मुमकिन है मैं बिलकुल गलत होऊँ।

तुम सबको प्यार।

बापू

[अग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य . नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## १५२. पत्र : मीठुबहन पेटिटको

२३ अक्टूबर, १९३३

चि० मीठुबहन,

मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन मैं लाचार हो गया हूँ।

तुम्हारे नमूने देख गया हूँ। इनके लिए ग्राहककी तलाश करूँगा। तुम्हारा सारा माल ले लिया जाये, ऐसी तजवीज भी करूँगा। तुमने लिखा है कि नुकसान उठाकर भी तुम देनेको तैयार हो। सो कैसे और कितना नुकसान उठाकर? यह मुझे बताना।

तुमने मुझसे सिफारिशो पत्र जैसी कुछ चीज माँगी थी। वह निम्नलिखित है:

तुम खादी और औपघालयके द्वारा गरीबोकी जो सेवा कर रही हो उसका इनाम तो तुम्हें ईश्वर ही दे सकता है। लेकिन तुम्हारी जैसी त्यागी बहनोकी सेवाको देश भी कभी भूल तो नहीं सकता। देश तुम्हारी कद्र तो इसी प्रकार कर सकता है कि वह तुम जो काम कर रही हो उसका स्वागत करे, उसे अपनाये और इस तरह सेवाकी तुम्हारी शक्तिमे वृद्धि करे।

तुम्हारी माफ्त तैयार की गई खादी यदि लोगोको मँहगी जान पड़े तो भी उन्हें मालूम होना चाहिए कि इसके लिए दी गई कौड़ी-कौड़ी गरीबोकी ही जेबमे जायेगी। खुद तुम्हे तो उसमे से कोड़ी भी नहीं चाहिए। तुम्हे जो चाहिए सो ईश्वर ने दे दिया है और उससे तुम सन्तोष मानती हो, इतना ही नहीं बल्कि उसमे से भी तो गरीबोकी सहायतार्थ खर्च करती हो।

उम्मीद है तुम्हारी तवीयत अच्छी होगी। दौरा ८ नवम्बरसे शुरू होगा।

बापूके आशीर्वाद

[ पुनञ्च : ]

जायजी का [स]माचार और पता लिखना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २७०६) से।

## १५३. पत्र : पद्माको

२३ अक्टूबर, १९३३

चि० पद्मा,

तेरा पत्र मिला है। अभी मैं दौरेमें तुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। अभी तू और परिपक्व तथा स्थिर बन, बादमें सयोग मिलनेपर मैं तुझे अवश्य अपने साथ ले जाऊँगा। प्रभुदासके विवाहके बारेमें तो तूने पढा होगा। बहुत लोग [मिलनेके लिए] आये हैं, इसलिए पत्र समाप्त करता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१४६) से। सी० डब्ल्यू० ३५०१ से भी,  
सौजन्य : प्रभुदास गांधी

## १५४. पत्र : एफ० मेरी बारको<sup>१</sup>

वर्धा

२४ अक्टूबर, १९३३

चि० मेरी,

अगर मुझे पता होता कि नी० कहाँ है तो मैं उसको तुरन्त लौट आनेके लिए तार करता। मैं तलाशमें हूँ, लेकिन अभी तक विफल रहा हूँ।

प्यार।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०१३) से। सी० डब्ल्यू० ३३३९ से भी;  
सौजन्य : एफ० मेरी बार

१. मेरी बारने गांधीजीसे नी० को लानेके लिए जानेकी इजाजत माँगी थी; यह पत्र इसी अनुरोधके उत्तरमें भेजा गया था।

## १५५. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२४ अक्टूबर, १९३३

प्रिय ठक्कर बापा,

इसके साथ जॉर्ज जोसेफका पत्र और उसको लिखे मेरे उत्तरकी<sup>१</sup> प्रति भी सलग्न है।

और इसके साथ ही वह पत्र भी है जिसमे बेचारे बापीनीडुके विरुद्ध शिकायत की गई है और मैंने उसे जो उत्तर<sup>२</sup> लिखा है उसकी प्रति भी।

हृदयसे तुम्हारा,  
बापू

[पुनश्चः]

नी० के बारेमें तुम्हारा पत्र मिला। [‘नेशनल] कॉल’ने एस० और नी० के साथ घोर अन्याय किया है। मैंने सहानीको पत्र लिखा है। उसका उत्तर आज मिल जाना चाहिए था।<sup>३</sup>

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११२९) से।

## १५६. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

२४ अक्टूबर, १९३३

तेरे क्रोधके बारेमें जब मुझे कुछ कहना उचित जान पड़े तब कहे बिना कैसे छोड़ दूँ? . . .’ लेकिन तुझसे जबरदस्ती माफी नहीं माँगवानी है। जब मैं किसी-पर जोर-जबरदस्ती नहीं करता तो फिर तुझपर भी क्यों करूँ? और करने जाऊँ तो तू मुझे सहन भी कैसे कर सकता है? लेकिन जहाँ मुझे कहना चाहिए वहाँ कहनेका अधिकार तो मुझे है और मेरा यह धर्म भी है। . . .’ मनुष्य जब क्षमा माँगता है तब दूसरोके लिए नहीं वरन् अपने लिए माँगता है। समान गुणवाले व्यक्तियोंमें वयको स्थान है। यह प्रकरण मैं यही बन्द करता हूँ। मेरी लिखी बातको भूल जाना।

१ और २. पत्र उपलब्ध नहीं हैं।

३. पुनश्चः वाला अंश गुजरातीमें है।

४ और ५. साधन-सत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

ट्रस्टी<sup>१</sup> बननेका इस मामलेके साथ क्या सम्बन्ध है? तुझे जब ट्रस्टी बनाये जानेका सुझाव रखा गया था उसमे मैं भी शामिल था। यदि मुझे तुझसे अधिक गुणोवाला व्यक्ति मिले तो मैं तेरा नाम अवश्य वापस ले लूंगा और यदि तेरे समान गुणोवाला ही कोई व्यक्ति मेरे ध्यानमे आयेगा तो मैं तटस्थ रहूंगा।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १३८

### १५७. पत्र : मूलचन्द अग्रवालको

२४ अक्टूबर, १९३३

भाई मूलचन्द,

तुमारा पत्र आया है। तुमारे शिक्षाका ही काम करना उचित होगा। उसीमे खादीका जो कुछ हो सके किया जाय। लेकिन उसके लिये खादी शास्त्रका पूर्ण अभ्यास कर लेना आवश्यक है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० ७५२) से।

### १५८. पत्र : रमादेवी चौधरीको<sup>२</sup>

वर्धा

२४ अक्टूबर, १९३३

प्रिय भगिनी,

तुमारा खत मिला। पुत्र और कन्या पढना चाहे तो पढाईका प्रबन्ध कर देना उचित है। कुछ भी उद्यम सीखे तो बहुत अच्छा होगा। पुत्रको मेरे साथ घुमाना शक्य नहीं है। इस वखतका दौरा कुछ क[ठिन है]<sup>१</sup>

बापुके आशीर्वाद

श्री रमादेवी चौधरी

चादनी चौक

कटक

उड़ीसा

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २७८२) से।

१. गाथी सेवा संघके।

२. गोपबन्धु चौधरीकी पत्नी।

३. मूलमें धर्हाँ कटा-फटा है।



## १५९. श्रद्धांजलि : विट्ठलभाई पटेलको'

२४ अक्टूबर, १९३३

श्री विट्ठलभाई पटेलको मृत्युसे<sup>१</sup> हमारे बीचसे एक अत्यन्त परिश्रमी और अत्यन्त योग्य राजनीतिज्ञ उठ गया। उनका आत्म-त्याग और उनकी हादिक निष्ठा और लगन ऐसी थी जिसकी तारीफ नहीं की जा सकती। काम करनेकी उनकी क्षमता अद्भुत थी। उनके बारेमें विलकुल ठीक ही कहा गया है कि वम्बई काँग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे या विधान-सभाके अध्यक्षकी हैसियतसे, वह अपना दिन-भरका सारा काम रोजका रोज निपटा डालते थे और कलपर कुछ नहीं उठा रखते थे। इस अवसरपर उनका निधन देशके लिए एक बड़ी क्षति है। इस श्रद्धांजलिको समाप्त करनेसे पहले मैं श्री मुभाष चन्द्र बोसकी प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता, जिन्होंने स्वयं अपने स्वास्थ्यको जोखिममें डालकर भी विट्ठलभाईकी गानदार और लगनसे सेवा-गुश्रूपा की थी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २४-१०-१९३३

## १६०. पत्र : जनकधारी प्रसादको

सत्याग्रह आश्रम, बर्वा

२५ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जनकधारी बाबू,

आपका दुःखभरा पत्र मिला। आप जिस प्रकार शोकसे अभिभूत हो गये हैं वैसे नहीं होना चाहिए। आशा है मैंने इसी १५ तारीखको आपको जो पत्र लिखा था वह आपको मिल गया है। मुझे पत्र लिखनेमें क्षमा माँगनेकी कोई जरूरत नहीं है। आप जब भी चाहें बेशक बराबर लिखें। आपको मेरी राय और मेरी सलाह माँगने का पूरा अधिकार है। मैंने इससे पहलेवाले पत्रमें जो सलाह दी है यदि आप उसे स्वीकार कर सकें तो उससे सारी कठिनाइयाँ हल हो जायेंगी।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५) से।

१. गांधीजीने यह श्रद्धांजलि एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे एक मॉडमें दी थी।
२. जो २२ अक्टूबरको हुई थी।

## १६१. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२५ अक्टूबर, १९३३

प्रिय ठक्कर बापा,

साथमे नरसिंहनका पत्र है जो उसने दक्षिण भारतके दौरेके विषयमे लिखा है। मैं नहीं जानता कि राजगोपालाचारीके यह चाहनेका क्या कारण है कि मैं यथाशीघ्र दक्षिणका दौरा करूँ। तुम्हे शायद मालूम हो। मैं नरसिंहनको कारणका पता लगानेके लिए लिख रहा हूँ।

नी० के बारेमे तुम्हारे पत्रसे मुझे लगता है तुम सोचते हो कि मैं अब उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं उसे वापस पानेको उत्सुक हूँ। लेकिन वह इतनी बौरा गई है कि हो सकता है बिलकुल न लौटे। किसी भी सूरतमें, मैं आज तुमको और अमेरिकी मिशनको तार भेज रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि 'नेशनल कॉल' ने एस० के बारेमे जो-कुछ कहा है वह झूठ और द्वेषपूर्ण है। उसने नी० के साथ कोई बुराई नहीं की है। नी० स्वयं नहीं जानती कि साबरमतीमे जब उसने एस० को देखा तो उसकी वासना क्यों भड़क उठी। जिस पत्रमे उसने मुझे यह लिखा उसमें उसने एस० को दोषमुक्त कर दिया था। बहुतसे पुरुष स्त्रियोको देखकर उत्तेजित हो उठते हैं और उसी प्रकार बहुत-सी स्त्रियाँ भी पुरुषोको देखकर अक्सर उत्तेजित हो उठती हैं, और सदा स्वच्छदताका जीवन व्यतीत करनेवाली नी० के लिए उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक ही है। मैं एस० को कह रहा हूँ कि वह तुमसे मिल ले ताकि तुम उससे परिचय कर सको और उसे समझ सको। अब चूँकि तुम इस मामलेमे पड़ ही गये हो इसलिए यह ज्यादा अच्छा होगा कि तुम सभी पात्रोको समझ लो। इन पात्रोके बारेमें तुम्हारी राय जाननेसे मुझे मदद मिलेगी, क्योंकि इन सभीके साथ अभी मेरा वास्ता खत्म नहीं हुआ है।

मैं देखता हूँ कि रामनारायण दो महीनो तक नहीं आ सकता, क्योंकि रामनाथ 'सुमन' इस बातकी अनुमति माँग रहा था कि उसे रामनारायणकी एवजीमे दो-तीन महीनों तक रख लिया जाये। और सवाल यह था कि तुम सहमत होगे या नहीं तथा रामनाथके पक्षमे रामनारायण अपना हक छोड़ेगा या नहीं। मेरा खयाल है कि तुम उसे जानते हो। वह काफी योग्य है और तुम जो अपेक्षा करते हो वह सारा काम करेगा। यह तो है ही कि चन्द्रशंकरके लिए पत्र-व्यवहार, सम्पादन और अखबारोकी रिपोर्टें आदि तैयार करनेका सारा काम अकेले सँभाल सकना सम्भव नहीं है।

१. राजगोपालाचारीके पुत्र।

१४५

नेगीको लिखे तुम्हारे पत्रकी प्रति मुझे मिली है। लगता है कि विहारीलालके वारेमें तुमने जो पत्र लिखा था तुम्हें उसका मुझसे जवाब पानेकी आशा थी, लेकिन उसका लम्बा पत्र संलग्न करते हुए तुमने जो पत्र लिखा था उसमें तुमने कहा था कि तुम उसके वारेमें मुझे आगे लिखोगे। अतः स्वाभावतः मैंने पत्र नहीं लिखा, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि हमें उसके लिए कोई काम नहीं निकालना चाहिए। अगर कोई काम है जिसके कि वह योग्य हो तो नि.सन्देह वह उसे दे दिया जाये, भले ही हम उसे जो वेतन देंगे उससे कम वेतनपर वही काम कराया जा सकता हो।

हृदयसे तुम्हारा,  
बापू

संलग्न : एक पत्र ।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११३०) से।

## १६२. पत्र : वसुमती पण्डितको

२५ अक्टूबर, १९३३

चि० वसुमती,

तेरे ममाचार ताराके जरिये मिले हैं। वह अब यहाँ आ जानी चाहिए। सुरेन्द्र यही है। उसका स्वास्थ्य ठीक है। शरीर काफी दुर्बल हो गया है। स्वामी भी यही है। मणि और मृदुला आ रहे हैं। प्रभुदासने उत्तर प्रदेशकी किसी कन्यासे विवाह कर लिया है। विवाह संस्कार यही हुआ। कन्याका नाम अम्बा है। दोनों अभी यही हैं। मेरा दौरा ८ तारीखसे शुरू होगा। वा, मीरा और चन्द्रशंकर मेरे ही साथ हैं। वा अब मन्दिर [जेल] जानेकी तैयारी कर रही है। नानीवहन, गंगावहन और पन्नालाल अहमदाबाद हैं। तुझसे जब लिखा जा सके तब पत्र लिखना। थोड़ा बहुत पठन-वाचन होता है क्या?

श्रीमती वसुमती पण्डित  
प्रिजनर, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, थाना  
जी० आई० पी० रेलवे

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३३७) से। सी० डब्ल्यू० ५८३ से भी;  
सौजन्य : वसुमती पण्डित

१. यह उपलब्ध नहीं है।

## १६३. पत्र : जानकीदेवी बजाजको<sup>१</sup>

२५ अक्टूबर, १९३३

प्रिय भगिनी;

आप बहनोंसे परदा तुड़वानेके लिये कलकत्ता जा रही है इसलिये धन्यवाद। परदा वहम ही नहीं है उसमे मुझे पापकी बू आती है। परदा किससे रखे? क्या पुरुषमात्र विषयासक्त रहते हैं? क्या स्त्री अपनी पवित्रता बगैर परदा नहीं रख सकती है? पवित्रता मानसिक बात है, सभी पुरुषमें सहज होनी चाहिये। यदि इस बुद्धि प्रधान युगमें स्त्री धर्मकी रक्षा करना चाहती है तो उसे दरिद्रनारायणकी सेवा करनी होगी, शिक्षण लेना होगा। दरिद्रनारायणकी सेवा करनेका अर्थ खादी प्रचार, कातना इत्यादि। हरिजन सेवाका अर्थ अस्पृश्यता रूप कलक धोना; ये दो बड़े भगवानके कार्य हैं। और विद्या पानेका कार्य परदा रखनेके साथ कभी नहीं चल सकता है।

परदा रखकर सीता रामजीके साथ जगलोमे भटकी होगी? सीतासे बड़ी पवित्र स्त्री जगतमे कभी हुई है? बहनोंसे कहो परदा तोडो, धर्म रखो।

आपका,  
मोहनदास गांधी

पाँचवें पुत्रको बापूके आशीर्वाद, पृष्ठ ११८

१. जानकीदेवी बजाजको कलकत्तामें अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलनकी अध्यक्षता करनी थी। यह पत्र प्रतिनिधियोंके नाम एक सन्देशके तौरपर था, जो २९-१०-१९३३ के विश्वामित्र में प्रकाशित हुआ था।

## १६४. पत्र : एफ० मेरी बारको

२६ अक्टूबर, १९३३

चि० मेरी,

यह सब एक भूलका दुखद परिणाम है। जो व्यक्ति पहला पत्र लेकर आया था उसने कहा कि जवाबकी जरूरत नहीं है। अब मदनमोहनने उसका स्मरण दिलाते हुए पत्र लिखा है।<sup>१</sup> तुम दोनों ४ वजे अवश्य आओ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०१४) से। सी० डब्ल्यू० ३३४० से भी;  
सौजन्य : एफ० मेरी बार

## १६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

वर्मा

२६ अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

इसके साथ मैं डॉ० आलमका इस्तीफा संलग्न कर रहा हूँ। मैं इसे स्वीकार करनेकी सलाह देता हूँ। यह इस्तीफा देनेका कारण यह है कि उनके विरुद्ध लाहौरसे एक बहुत ही कटु शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। उसकी एक प्रति मैंने उनको भेज दी थी। उन्होंने पत्रमें लगाये गये कुछ आरोपोंको विलकुल अस्वीकार कर दिया। लेकिन प्रैक्टिस करनेके वारेमें जो आरोप था उसे उन्होंने मान लिया।

जमनालालजी अपने इस्तीफेके वारेमें चिन्तित हैं। मेरी अपनी राय है कि उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लेना चाहिए। वह जेल जानेको उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें इस बातकी चिन्ता है कि वह तुरन्त नहीं जा पा रहे हैं।

मेरा खयाल है कृष्णा अब बम्बईमें है।

माँके वारेमें आजकल मैं अखबारोंमें कुछ नहीं देखता। क्या वह पहलेसे बेहतर है?

१. मेरी बारने अपनी पुस्तक बापू में इस पत्रको निम्नलिखित टिप्पणीके साथ प्रकाशित किया है:  
“मैंने गांधीजीको एक पत्र लिखकर पूछा कि क्या मैं अपने एक अंग्रेज मित्रको जो बर्षोंसे होकर गुजर रहे हैं, मिलानेके लिए ला सकती हूँ। यह पहली बार हुआ कि गांधीजीका जवाब मुझे नहीं मिला। अब मैंने आश्रमको जानेवाले एक व्यक्तिके हाथों एक स्मरण-पत्र भेजा।”

विट्टलभाईकी मृत्यु तो मैं निश्चित मान ही रहा था, लेकिन वास्तविकतासे मैं विचलित हो उठा हूँ। उनका विरोध भी मैं मूल्यवान मानता था। उससे मेरे विचार और साफ हो जाते थे और जितनी स्पष्टताके साथ मैं देशके सामने अपनी स्थितिको अन्यथा प्रस्तुत करता उससे ज्यादा स्पष्टताके साथ प्रस्तुत कर पाता था।

सप्रेम,

बापू

संलग्न।

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## १६६. पत्र : अब्बास तैयबजीको

२६ अक्टूबर, १९३३

प्रिय बूढ़ी दाढ़ी,

कमलाके बारेमें आपका पत्र आपके योग्य ही है। चूँकि मुझे उसको सलाह देनी है, इसलिए आपकी रायका कारण जानना मेरे लिए जरूरी था। आपने मुझे बिलकुल स्पष्ट राय दी है। रेहाना की राय उसके विपरीत है। आपकी राय मुख्यतः सहज-बुद्धि पर आधारित है, और रेहानाकी राय भी सहज-बुद्धि पर आधारित है। मेरी सहज-बुद्धि भी उसके विरुद्ध ही रही है। लेकिन उसके जोरदार खण्डनके आगे मैंने अपनी सहज-बुद्धिका कहना माननेसे इनकार कर दिया है। बेशक, मैंने अपनी शंकाओसे उसको अवगत करा दिया था।

आशा है अमरेलीमें आपको सफलता मिली होगी। क्या उससे काफी कुछ फायदा हुआ? क्या आपने बहुत सारी खादी बेची? क्या आप कुछ ठोस हरिजन-कार्य कर सके?

आप सबको प्यार सहित,

आपका,

भुरर्र

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९५८८) से।

## १६७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

२६ अक्टूबर, १९३३

प्रिय घनश्यामदास,

तुम्हारे हिन्दीके पत्रका उत्तर अंग्रेजीमें बोलकर लिखा रहा हूँ।

हरिजन सेवा संघके सविधानके सम्बन्धमें और अधिक लिखना जरूरी नहीं था। विचारणीय प्रश्न यही है कि हमें एक अर्द्ध-प्रजातन्त्रीय सस्थाको तुरन्त ही जन्म देना चाहिए या नहीं। मुझे पता नहीं कि नियुक्तिके अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया है या नहीं, पर मैंने जो बात सुझाई है वह व्यवहार्य है और उसपर तुरन्त ही अमल किया जा सकता है। मेरा सुझाव यही है कि जिन न्यासियोंके नाम मैंने सुझाये हैं, उनके नाम आश्रमका पंजीयन करा दिया जाये। तुम्हें अपने विचारके सम्बन्धमें ठक्कर वापा और हरिजीके साथ बात करनी चाहिए।

रही चरखा संघकी बात, सो इस सम्बन्धमें मुझे पूरी स्वतन्त्रता थी, इसलिए मैंने जो योजना बनाई उसके फलस्वरूप एक मजबूत और आसानीसे चलनेवाली सस्था बन गई, जिसे प्रजातन्त्रीय रूप देनेकी सम्भावनाएँ असीम थी। आश्रमको [हरिजन सेवक-संघके निमित्त] देनेका निश्चय होनेके तुरन्त बाद ही मैं तुम्हें लिखना चाहता था कि दिल्लीवाली महत्वाकांक्षापूर्ण योजनाको त्याग दिया जाये। लेकिन छात्रावास योजना अवश्य ठोस योजना है। इसमें सन्देह नहीं है कि हमें ऐसे अनेक छात्रावासोंकी जरूरत पड़ेगी और यदि उनकी व्यवस्था ठीक-ठीक हो सकी तो उनके द्वारा बहुत कुछ ठोस काम होनेकी सम्भावना है। जब मैं दिल्लीमें होऊँ तो मुझसे जो काम चाहो, ले सकते हो।

विहारीलाल यदि छात्रावास आदिकी योजनाओंके सिलसिलेमें काम करनेको तैयार हो तो उससे काम लिया जा सकता है। पर मैं वेतनभोगी उपदेशक रखनेके विलकुल खिलाफ हूँ, चाहे वह हरिजन हो, चाहे कोई और। इस मामलेमें जितनी दृढ़ता वरती जाये, थोड़ी है।

दिल्लीमें रहनेका प्रबन्ध आपकी ही इच्छासे होगा। मैं स्वयं तो लक्ष्मीनारायणके<sup>१</sup> यहाँ ठहरना चाहूँगा। जबतक परिवर्तन करनेका कोई ठोस कारण न मिले तबतक मैं पुरानी जगहोपर ही ठहरनेमें विश्वास करता हूँ। मेरे स्वास्थ्यके लिहाजसे परमेश्वरीका घर आदर्श होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मुझसे मिल ही न सके। वैसा करनेसे तो इस यात्राका जो उद्देश्य है, वही पूरा नहीं होगा। मेरा वहाँ ठहरना इस बातपर निर्भर करना चाहिए कि मुझसे क्या काम लिया जाना

१. देखिए “पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको”, ३०-९-१९३३।

२. लक्ष्मीनारायण गाढोदिया।

है। यदि तुम हमेशा मेरी सुविधाका विचार करोगे तो गलत निष्कर्षोंपर पहुँचोगे। तुम इतमीनान रखो कि मुझे चाहे जहाँ ठहराओ, मैं अपनी सुविधाका प्रबन्ध कर लूँगा। कलकत्तेमे मेरे ठहरनेके बारेमें तुम्हे डॉ० विधान, सतीश बाबू आदिसे परामर्श करना चाहिए।

श्रीमती लाहिड़ीके बारेमे तुम्हारा जो कहना है उसे मैं समझता हूँ। चूँकि मेरी कोई राय इस विषयमे नहीं थी इसलिए कोई राय मैंने दी भी नहीं। चूँकि उन्होने तुम्हारे नामका उल्लेख किया था और चूँकि तुम कलकत्तेमे लगभग सभी लोगोको जानते हो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनका पत्र तुम्हे भेजकर तुम्हारी राय ले लूँ। मैंने डॉ० विधानको भी, जिन्होंने कि प्रमाण-पत्र दिया है, पत्र लिखा है। तुम इस मामलेको कमसे-कम फिलहाल अपने दिमागसे निकाल सकते हो। यदि मेरी कोई राय बनी जिसे कार्यान्वित करनेके लिए मुझे तुम्हारी मददकी जरूरत हुई तो मैं तुम्हे तुरन्त सूचित कर दूँगा।

हृदयसे तुम्हारा,  
- बापू<sup>१</sup>

[पुनश्च :]

गोपी अच्छी तरह है। खुश तो है ही। तुमारी प्रकृति कैसी है।<sup>१</sup>

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ७९४१) से, सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

## १६८. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

२६ अक्टूबर, १९३३

प्रिय ठक्कर बापा,

परीक्षितलालको<sup>१</sup> भेजे गये तुम्हारे दो पत्रोकी प्रतियाँ मुझे मिली।

तुमने जो-कुछ सुना है वह बिलकुल सच है। घास एक गड़रियेको दे दी गई है। मेरे खयालमें कुछ रुपये बयानेके प्राप्त हुए हैं जिसे सघके खातेमे डलवाना होगा। रामजीसे<sup>२</sup> तथा दूसरे लोगोसे जो वहाँ पहलेसे ही रहे हैं, रह नाममात्रका किराया वसूलना है। मेरा विश्वास है कि आश्रमका एक पूरा नक्शा है। मैं चिमनलालसे उसके बारेमे तुम्हे लिखनेके लिए कह रहा हूँ। बुधाभाई क्या करेगे, इस सम्बन्धमे उनका पत्र इसके साथ है। मेरे खयालमे जूठाभाई पहलेसे ही आश्रममे रह रहे हैं और इसी तरह भगवानजी भी। यह देखना जूठाभाईका काम होना चाहिए कि मैदान

१. हस्ताक्षर देवनागरी लिपिमें है।
२. पुनश्चके बादका अंश हिन्दीमें है।
३. परीक्षितलाल पल० मजमूदार।
४. एक पुनश्च।



और घरोंकी उचित देखरेख है कि नहीं। वृक्ष आश्रमकी सम्पदाके अत्यन्त बहुमूल्य अंग हैं।

तुमने परीक्षितलालको नियमोंका मसौदा भेजनेके लिए कहा है। स्पष्ट है कि जब तुमने पत्र भेजा उस समय तक तुम्हें मेरा वह पत्र नहीं मिला था जिसके साथ मैंने नियमोंकी प्रति भेजी थी।

इस पत्रके साथ मैं चन्देसे सम्बन्धित डॉ० विधानका पत्र भेज रहा हूँ। तुम पत्रको पढ़नेके बाद नष्ट कर देना।

हृदयसे तुम्हारा,  
बापू

[पुनश्च:]

यह तो अच्छा हुआ कि तुम नी० की रक्षाके लिए आ गये हो।  
संलग्न : २ पत्र

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११३१) से।

### १६९. मद्रासमें 'हरिजन'

पाठकोंको यह देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि 'हरिजन' का प्रकाशन अब पूनासे बदल कर मद्राससे किया जायेगा। श्रीयुत बार० वी० शास्त्री और श्रीमती शास्त्रीने स्वयंको हरिजन सेवाके लिए अर्पित कर दिया है। श्रीयुत शास्त्रीको लगता था कि वह पूनामें इस कार्यपर पूरा समय नहीं लगा पा रहे थे और मद्रासमें वह अपनी ईश्वरप्रदत्त सारी प्रतिभाका उपयोग इस काममें कर सकेंगे। उनकी यह बात नुझे जँच गई। उसीका परिणाम है कि 'हरिजन' का तवादला मद्रास कर दिया गया। अगले ३ अगस्तके बाद क्या होगा या क्या हो सकता है, उसके बारेमें पाठकोंको या मुझे चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है। 'मेरे लिए एक कदम ही काफी है', यह बात संगठनोंके मामलेमें भी उतनी ही सही है जितनी व्यक्तियोंके बारेमें। मद्राससे प्रकाशन करनेका एक अतिरिक्त लाभ यह है कि अंग्रेजीकी छपाईके खयालसे यह भारतका सर्वाधिक और सबसे सस्ता नगर है। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि 'हरिजन' एक ऐसे प्रान्तसे प्रकाशित हो जहाँ अस्पृश्यता अपनी सारी कुरूपताके साथ फैली हुई है? मैं आशा करता हूँ कि इस तवादलेका दक्षिण भारतके सुधारक, सनातनी और हरिजन लोग न केवल स्वागत करेंगे बल्कि कद्र भी करेंगे। 'हरिजन' का उद्देश्य इन तीनोंकी ही सेवा करना है। इस तवादलेकी कद्र हुई, इसकी कसौटी यही होगी कि इसकी विक्री बढ़ जाये।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २७-१०-१९३३

१. पुनश्च के बादका अंश-गुजरातीमें है।

## १७०. एक दुखद घटना

मेरी आयु जितनी ज्यादा होती जाती है उतना ही ज्यादा मैं इस बातको अनुभव करता हूँ कि मैं आनन्दका जो सुख भोगता हूँ—और जिससे मेरे मित्रोको इतनी ईर्ष्या होती है—वह उन दुखद प्रसगोके बावजूद कायम है जो मेरे हिस्से पड़े है, और ऐसे प्रसंग कम नहीं आये हैं। सबसे ताजा दुखद प्रसंग नी०का लापता होना है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि उसका पश्चात्ताप सच्चा था। उसने अपने अतीतके खिलाफ बहुत बहादुरीसे सघर्ष किया है, लेकिन वर्धा आनेपर मुझे यह जरूर लगा कि यह सघर्ष उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। वह धीरे-धीरे विक्षिप्त होती जा रही थी और उसका आत्मनियन्त्रण छूटता जा रहा था। इससे प्रहले, वर्धासे लिखे अपने एक पत्रमे उसने सकेत किया था कि वह शायद पागल हो जायेगी। उसके प्रति जितना स्नेह दिखाया जा सकता था, दिखाया गया था। इस स्नेहको वह समझती थी। इसका वह अत्यन्त अनुकूल उत्तर देती थी। लेकिन साथ ही वह अत्यन्त आवेगशील भी थी। वह बिना कुछ पैसा या सामान लिये ही चली गई है। दिल्लीके अखबारोंमें उसके बारेमें छपी रिपोर्टें मनगढ़न्त हैं जिनका उद्देश्य सनसनी पैदा करना है, और इनमें उसके साथ गम्भीर अन्याय किया गया है। उसकी जो वर्तमान मानसिक दशा है उसमें उसको उसके कार्योंके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोई धर्मार्थ स्थापित संस्था या पागलखाना ही उसके लिए ठीक जगह है। जो लोग झूठी दयावश या अपना पिंड छुड़ानेके लिए उसको चन्द रुपये देगे वे उसके साथ कोई दया नहीं बरतेंगे। वह गैरजिम्मेदार है, इसलिए उसे जो-कुछ मिला है उसे वह व्यर्थ फेंकती रही है। उसके सम्पर्कमें जो लोग आये यदि वे उसका पता मुझको सूचित करेंगे और यह लेख उसको दिखा देंगे, तो मैं उनका आभार मानूंगा।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, २७-१०-१९३३

## १७१. खादी और हरिजन

बहुत ही थोड़े लोग जानते हैं कि खादीका हरिजनोंके लिए क्या महत्त्व है। हम कह सकते हैं कि सादी बुनाईका धन्वा अकेले हरिजन ही करते हैं, और हालांकि मिलकी कताई और बुनाईने बहुत-से हरिजनोंकी रोजीका एक जरिया छीन लिया है, मगर अब भी हजारों हरिजन हाथ-बुनाई पर ही गुजर करते हैं। किन्तु एक मित्र यह दलील देते हैं कि “नष्टप्राय धन्वेको जीवित रखनेसे क्या लाभ? इसके बजाय उन्हें किसी ऐसे धन्वेमें क्यों न लगा दिया जाये, जो उन्नति कर रहा हो? उनके उद्धारके लिए जब आप अनेक प्रकारके साधनोंको ग्रहण कर रहे हैं, तो अवश्य ही आप उन्हें जीर्ण-शीर्ण व्यवसायोंमें ही लगाये रखना नहीं चाहेंगे।” वास्तवमें, हरिजनों अथवा किसीको भी कताई-बुनाई या किसी और धन्वेमें लगानेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है, वशतें कि किसी अन्य उद्योग-धन्वेमें उन्हें अधिक लाभ हो सकता है। किन्तु मैं तो आपत्ति करनेवाले उक्त मित्रकी तरह हाथकी कताई और बुनाईके धन्वेका भविष्य निश्चय ही अन्धकारपूर्ण नहीं देखता। मेरा अपना विश्वास तो यह है कि हाथकी ओटाई, धुनाई, कताई और बुनाईका भविष्य, कमसे-कम भारतवर्षमें, अत्यन्त उज्ज्वल और आशामय है। करोड़ों मनुष्योंको अगर कुछ सुखसे रहना है, तो मिलोंको तो अपना माल भारतके बाहर खपाना चाहिए। अपनी छोटी आय बढ़ानेके लिए हाथकी कताई और बुनाई आदिमें लग जानेके लिए गाँववालोंको हमें समझाना चाहिए। मान लिया जाये कि करोड़ों गाँववालोंको अधिक आयवाला अच्छा धन्वा मिल गया, तो भी स्वदेशी मिलोंको समस्त राष्ट्रकी आवश्यकताएँ पूरी करनेमें बहुत देर लग जायेगी—शायद कई दशाब्दियाँ। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी पूंजीकी भी तो जरूरत पड़ेगी और यन्त्रों तथा तकनीकी ज्ञानके लिए हमें विदेशोंपर निर्भर रहना पड़ेगा। सिद्धान्तके तौरपर तो विलायती मशीनों और विशेषज्ञोंपर निर्भर रहना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, पर व्यावहारिक दृष्टिसे यह बात मिल-उद्योगकी उन्नतिमें अवश्य ही एक भयानक रुकावट होगी। जबतक इस उद्योगको बाहरी सहायतापर निर्भर रहना पड़ेगा, तबतक उसे स्वदेशी उद्योगका नाम देना गलत होगा।

इसके विपरीत गाँवके उद्योग-धन्वेके रूपमें खादीके लिए तो बहुत ही कम पूंजी चाहिए। गाँवमें ही सब औजार बनाये जा सकते हैं, और ऐसे कारीगरोंकी भी वहाँ कमी नहीं है। सबसे जरूरी बात तो लोगोंकी मनोवृत्ति बदलनेकी है। खादीके विरुद्ध यद्यपि अत्यन्त चातुर्यपूर्ण युक्तियाँ दी जाती हैं, और मिलोंमें मालके उत्पादनके प्रभावशाली आँकड़े भी पेश किये जाते हैं, फिर भी मैं अपने इस मतमें तो अडिग हो हूँ कि भारतमें खादीका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। जो चीज हम स्वेच्छासे या क़ाबल होकर नहीं करेंगे वही चीज हमें परिस्थितियोंसे विवश होकर करनी पड़ेगी। भारतमें

जीवित रहना है, अर्थात् करोड़ो भारतीयोंको जीवित रहना है। इस विषयमें जरा भी मतभेद नहीं है कि आजकल वे मृतक-समान हैं, वे तो सिर्फ नाममात्रको अपनी हस्ती कायम रखे हुए हैं। ससारमें और कोई भी देश ऐसा नहीं है, जहाँके कई करोड़ लोग इस तरह आधे बेकार हो और जहाँकी सम्यता मुख्यतः ग्राम्य-सम्यता होते हुए भी, प्रति मनुष्यके हिस्सेमें मुश्किलसे दो एकड़ जमीन पडती हो। अगर भारत भाप या बिजलीसे अथवा मानव-शक्तिके अतिरिक्त किसी अन्य शक्तिसे कलोको चलाकर अपने कपडेकी सारी आवश्यकता पूरी करने लगा, तो जनताकी बेकारी और भी अधिक भयकर हो जायेगी। औद्योगीकृत भारतका अर्थ होगा करोड़ो लोगोका सर्वनाश, जिनमें स्वभावतः वे हरिजन भी शामिल होंगे, जिन नेचारोको, यह बड़ी ही शर्मकी बात है, हमारे समाजमें निम्नतम स्थान मिला हुआ है।

कहते हैं कि बड़े-बड़े यन्त्रोंसे उद्योग चलाकर अमेरिकाका प्रत्येक मनुष्य उतना काम कर लेता है, जितना काम कि वहाँ ३६ गुलाम करते थे। अगर अमेरिकाको अपना आदर्श बना ले और प्रत्येक भारतवासीको ३६ के बजाय ३० ही गुलाम रखने दे, तो भारतके ३१ करोड़ मनुष्योंमें से ३० करोड़को तो आत्महत्या ही करनी पड़े। मैं जानता हूँ कि ऐसा हो तो कुछ उत्साही देशभक्त इसकी परवाह नहीं करेगे — इतना ही नहीं, बल्कि इसका वे स्वागत करेगे। वे कहेंगे कि भारतमें ३० करोड़ अपग और निहत्थे प्राणियोंकी अपेक्षा सुखी, सन्तुष्ट, सम्पन्न और नखसे शिख तक शस्त्र-सज्जित एक करोड़ मनुष्य कहीं अधिक अच्छे होंगे। इस फलसफेका मेरे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि मेरे दिमागमें तो हरिजनोकी मनोवृत्ति भरी हुई है और इसलिए मैं तो अपने करोड़ो ग्रामवासियोकी दृष्टिसे ही विचार कर सकता हूँ और मैं तभी सुखी हो सकता हूँ, जब यहाँका गरीबसे-गरीब आदमी सुखी हो, और वे जीवित रह सके तभी मैं जीना चाहता हूँ। मेरा यह बहुत ही सादा मन तो उस छोटे-से चरखेके उस तक्रुवेके परे जा ही नहीं सकता, जिसे मैं सर्वत्र अपने साथ ले जा सकता हूँ और बड़ी आसानीसे जिसे मैं बना सकता हूँ। इस सम्बन्धमें एक मित्रने अखबारोंमें प्रकाशित नीचेका लेखांग 'मुझे भेजा है'।

कुछ उद्योग-धन्धोंमें जो बेकारी फैल गई है उसे दूर करनेके लिए जर्मनीमें नाजियोंने यह हुक्म जारी किया है कि जिन यन्त्रोंसे मनुष्योंकी रोजीमें बाधा आ रही हो उनको उपयोग में लाना बन्द कर दिया जाये। इस निषेधादेशपर चर्चा करते हुए इंग्लैंडके 'मैनचेस्टर गार्जियन' पत्रने यह टिप्पणी लिखी है : 'इस विषयकी चर्चा तो काफी हुई है कि बेकारीके प्रश्नको इतना जटिल बनानेमें यन्त्रोंका अधिक हाथ है, पर इस विचारको अमलमें लाने तथा यन्त्रोंका उपयोग बन्द करानेका तो नाजियोंने ही काम किया है। . . . गांधीजी सूत कातनेके साँचेके बजाय चरखे और करघा यन्त्रके स्थानपर हाथके करघे चलानेका

१. यहाँ इसके केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसीसे मिलता-जुलता प्रयत्न जर्मनीके सिगार और काँचके उद्योगोंमें चल रहा है'।

इस टिप्पणीके अन्तमें 'गार्जियन' लिखता है कि 'जब जर्मनीमें आज वही मध्य-युगकी सदाचार-भावना पुनः बरती जा रही है, तो कोई कारण नहीं कि वहाँका अर्थशास्त्र भी मध्ययुगीन क्यों न बन जाये।' इस आलोचनाका उत्तर देते हुए एक पत्र-लेखकने 'गार्जियन' में लिखा है:'

हिटलर, गांधी और अन्य लोग भिन्न-भिन्न रीतिसे मालका उत्पादन उस हदतक घटानेकी कोशिश कर रहे हैं कि जितना माल पैदा हो वह सब काममें आ जाये, या जितना माल खप सके उतना ही पैदा किया जाये। भले ही उसे कोई मध्ययुगकी बात कहे, लेकिन हाथसे चलाये जानेवाले उद्योग-धन्धे न तो पिछड़े हुए कहे जा सकते हैं और न जंगली ही। प्रत्येक प्रगतिशील प्रारम्भिक और माध्यमिक पाठशालाओंमें इनकी शिक्षा दी जाती है। . . . जहाँतक यन्त्रोंके द्वारा विशेष वर्गों और सामान्य वर्गोंकी सम्पन्नता और खुश-हाली बढ़ती हो, वहीं तक ये यन्त्र कल्याणकारक हैं। पर जब इनके फलस्वरूप बेकारी फैल रही हो और करोड़ों लोगोंके भूखों मरनेकी नौबत आ जाये— जैसा कि आज पश्चिमके यान्त्रिक उद्योगवाले देशोंमें हो रहा है— तो फिर ये यन्त्र अभिशापरूप बन जाते हैं। यन्त्र मनुष्यके लिए हैं, मनुष्य यन्त्रके लिए नहीं। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि यन्त्रोंका उपयोग मनुष्यके कल्याणार्थ हो, उन्हें मनुष्यका स्वामी नहीं बनने देना चाहिए।

जर्मनीमें तलवारके जोरसे ग्राम्योद्योगोंको पुनर्जीवित किया जा रहा है, यह बात यहाँ प्रासंगिक नहीं है। यहाँ तो जो प्रामाणिक है वह यह बात है कि एक ऐसा देश जिसने उच्चतम तकनीकी कौशलका परिचय दिया है और जो यान्त्रिक उद्योगोंमें सबसे अधिक समुन्नत देशोंमें से है, भयंकर बेकारीका सवाल सुलझानेके लिए फिरसे ग्रामीण उद्योग-धन्धोंको पुनरुज्जीवित करनेका प्रयास कर रहा है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २७-१०-१९३३

## १७२. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको'

वर्धा

सवेरे ३ बजे, २७ अक्टूबर, १९३३

तोतारामजी कहते हैं कि तुम्हारा उनसे परिचय है। तोतारामजीसे हरिजन लोग भी भली-भाँति परिचित हैं। लेकिन हरिजन आश्रम अथवा मन्दिर, जो भी कहो, चलानेका काम तुम्हारा है। इसलिए तुम्हारे मनमें जो योजना हो उसपर अमल करना। मुझसे तो कही कोई अड़चन आनेपर ही सलाह लेना। मैंने तो अपनी आदतके अनुसार सुझाव दिया है और देता रहूँगा। लेकिन इतना जानो कि इनमें से एक पर भी अमल करनेके लिए तुम बँधे हुए नहीं हो।

तुम नी० की खोजमें निकल पड़े हो, इसका मेरे मनपर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा है। तुम्हारी परोपकार वृत्तिके बारेमें मुझे बहुत कुछ मालूम था, परन्तु नी० के प्रति तुममें जो असीम दयाभाव है उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया हूँ। नी० की मर्यादासे बाहर जाकर मैंने जो सहायता की है उसके लिए अन्य मित्रोंने मुझे बहुत बुरा-भला कहा है। लेकिन मेरी इस प्रत्यक्ष दीक्षती उदासीनतापर तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है। तुम्हें मेरा हजारों बार नमस्कार। मेरा प्रेम जिससे हार गया है, भगवान करे तुम्हारे प्रेमसे उसका हृदय पिघल जाये। तुमने चन्द्रसंकरको उत्कलके बारेमें जो पत्र लिखा है उसे मैंने समझ लिया है।

बापू

[पुनश्च :]

हरिजन आश्रमके लिए तुम धनश्यामदाससे मिलकर तुरन्त नामकरण सस्कार कर डालो, यह अभीष्ट है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११३२) से।

१. गांधीजीने इसे चन्द्रसंकर शुक्ल द्वारा लिखे गये पत्रमें ही जोड़ दिया था।

१५७

## १७३. पत्र : मोतीलाल रायको

२७ अक्टूबर, १९३३

प्रिय मोतीबाबू,

मैं हैरान था कि मुझे अपने पोस्टकार्डोंके उत्तरमें तुम्हारे वारेमें किसीसे कोई समाचार क्यों नहीं मिला है। लेकिन देरीका परिणाम जरूरतसे ज्यादा अच्छा निकला, और तुम्हारा लम्बा और स्नेहपूर्ण पत्र मिला।

हमें भगवानका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी हालके लिए एक आँख बची है। लेकिन, जैसा कि तुम कहते हो, यदि डेम्बरकी इच्छा हुई कि इसकी आँख भी चली जाये तो उसका हुक्म सिर-माथे।

स्वामी ब्रह्मानन्दकी मृत्युका समाचार सुनकर दुःख हुआ। मृत्यु एक ऐसा मित्र है जो हमें कभी धोखा नहीं देती। वह कभी-कभी ऐसे समय में हमारी सहायताके लिए आती है जब उसकी कतई उम्मीद नहीं होती। और यह तो हममें विश्वासकी कमी है जो हम उसके आनेका दुःख मनाते हैं।

मुझे खुशी है कि तुम नित्य बढ़ते हुए विश्वासके साथ अपने खादी-कार्यक्रमको प्रियान्वित कर रहे हो।

जब मैं बंगालकी यात्रा करूँगा तब मेरी स्थिति हिरासतमें लिये गये कैदीके समान होगी, मेरे रखवाले मुझे जहाँ ले जायेंगे वहाँ मैं जाऊँगा, और यदि वे मुझे तुम्हारे आश्रममें ले जायेंगे तब मुझे निश्चय ही बहुत खुशी होगी। इसलिए तुम्हें इस सम्बन्धमें मुख्य जेलर डॉ० विवान रायसे बात करनी होगी, अथवा आप महायक जेलरो, सतकौडी बाबू और सतीशबाबूको लिख सकते हैं।

जहाँ तक जवाहरलालके दृष्टिकोणका सवाल है, क्या तुमने हममें जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसे नहीं पढा है? मैंने अपने पत्रोंमें निश्चयात्मक रूपसे दर्शाया है कि मैं किन बातोंमें उनसे सहमत हूँ और किनमें नहीं हूँ। लेकिन यदि तुम किन्हीं खास मुद्दोंपर, मैंने जो राय व्यक्त की है उससे अधिक स्पष्ट राय जानना चाहो तो निस्संकोच होकर मुझे लिखना।

तुम्हें प्यार। मीराबहन तुम्हें प्यार भेजती है।

श्रीयुत् मोतीलाल राय  
चन्द्रनगर

तुम्हारा,  
बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११०४६) से।

१. देखिय खण्ड ५५, पृष्ठ ४४६ और परिशिष्ट १४।

## १७४. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२७ अक्टूबर, १९३३

भाईश्री वल्लभभाई,

मणि, मूढु, मूढुके चाचा और दावोको आये हुए आज तीन दिन हो गये हैं। दावो इस बार मेरे साथ हिल-मिल गया है। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है। वह मेरे साथ जापानी साबुका ढोल बजाता है। जापानी साबु तो आभूषण है। वह अत्यन्त निर्मल मन, विनम्र, हँसमुख और विनयी है। हिन्दी सीख रहा है। चरखा और तकली चलाता है। सब नियमोका सूक्ष्म रूपसे पालन करता है। दोनो बहनोको मैंने काफी घंटे दिये हैं। आज सबेरे लगभग दो घंटे दिये हैं। अभी ११.३० बजे फिर समय देनेवाला हूँ। दोनो मानो षोड़ेपर सवार होकर आई हैं और विमानपर चढकर जानेवाली हैं, इसीलिए तो उन्होने मुझे आज मेलसे वापस जानेका नोटिस दिया है। मणिके पाँवको विजलीके उपचारकी जरूरत जान पड़ती है। मूढुको किन्ही बहनोकी देखभाल करनी है। दोनोका अच्छा मेल बन पड़ा है।

\*

\*

\* १

पट्टाभि<sup>१</sup> आ गये हैं। मैं तो उनसे कदाचित् ही दस मिनट तक मिल पाया हूँ। वे बिना कोई सूचना दिये आये थे। जमनालालजी कदाचित् ही किसीको ज्यादा समय लेने देते हैं। (अहमदावाद)के मिल-मजदूर प्रतिनिधियोको भी कुल मिलाकर (तीन हिस्सेमे) डेढ घंटेका समय लेने दिया। उनका पहरा कडा है।

विट्टलभाईकी मृत्युका दुःख तो अवश्य हुआ। वे तो मरकर मुक्त हो गये। हम तो पहलेसे ही यह मानते थे कि उनकी मृत्यु विदेशमे ही होगी। उनकी देखभाल तो अच्छी हुई जान पडती थी। सुभाषने तो हृद कर दी। जहाँ-तहाँसे उसके द्वारा विट्टलभाईकी अनन्य सेवा-शुश्रूपाके समाचार मिलते रहते हैं। मैंने उसे पत्र लिखा है। तुम भी लिखना। मेरा पत्र मृत्युके समाचारसे पहले चला गया था।

स्वामी अभी थोड़े समय यहाँ रहेंगे। नी० को खोजनेके लिए ठक्करबापा वृन्दावन गये हैं। उनकी दयाकी कोई सीमा नहीं। इस महिलाका दिमाग खराब हो गया है। यहाँ तो उसने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। वह चित्तभ्रान्त हो गई थी। अभी भी वह जगलोमे भटकती जान पडती है। वह आयेगी तो मैं उसे अपने साथ रखूँगा। अमला तो अब खूब काम करती है। डंकन गाँवोंमें समाधिस्थ हैं। मेरी बार अभी यही है। वह बीमार थी, अब ठीक हो गई है। विनोवा गाँवोंमें खूब सेवा कर रहे हैं।

१. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

२. पट्टाभि सीतारमय्या।



आनन्दीके साथ मणि गई है। बाबलो भी गया है।

देवदासके पत्र आते रहते हैं। डॉ० दत्ता उससे मिल आये हैं। खुशेद' कुछ बीमार हो गई लगती है। मैंने डॉ० दत्ताको उससे भी मिलनेके लिए लिखा है। मेरे दौरेके वारेमें चिन्ता न करना। मैं संभल कर रहूँगा। राजाकी इच्छा है कि मैं पहले दक्षिणका दौरा करूँ। आनन्दी लक्ष्मीदाससे मिल आई है। वह [अभी] विवाह न करनेकी बात पर दृढ़ है। चन्दुलालको आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-२ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ३६-८

### १७५. तार : अद्वैतकुमार गोस्वामीको

वर्धा

२८ अक्टूबर, १९३३

अद्वैतकुमार

राधारमण मन्दिर

वृन्दावन

यदि नी० मन्दिरोंमें जाना चाहे तो उसे अवश्य ले जाये।

गांधी

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८०६) से।

### १७६. पत्र : मुन्नालाल जी० शाहको

२८ अक्टूबर, १९३३

भाई मुन्नालाल,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरे साथ रहना था तो इतने दिनों तक कहाँ सोये रहे? तुम्हारी आकुलता ठीक नहीं। तुम मेरे साथ दौरेपर नहीं जा सकते। यदि तुम एक स्थानपर बैठकर काम करना चाहते हो तो तुम्हें विनोबाके अथवा जमनालालजीके नीचे काम करना चाहिए। लेकिन मुझे आशंका है कि तुम कदाचित् ही कहीं टिक सकोगे। यदि तुम मेरे भयको निर्मूल सिद्ध कर सको तो करना। तुम्हें मैं अच्छी तरहसे पहचानता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ८६४६) से।

१. दादाभाई नौरोजीकी पौत्री।

## १७७. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

२८ अक्टूबर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

आज सुभाषका तार आया है जिसमे लिखा है कि विठ्ठलभाईका शव ९ तारीख को बम्बई पहुँचेगा और तुम्हे दाह-सस्कार करना है। मैंने प्रेसकी मार्फत जवाब दिया है कि तुम रिहा होनेकी माँग करोगे, ऐसा मैं नहीं समझता। इसलिए दाह-सस्कार तुम्हारे बिना ही होना चाहिए। डाह्याभाईको यह सस्कार करना चाहिए। तुम्हारी राय जाननेका समय न था और मैंने उचित भी नहीं समझा। कुछ कहना हो तो कहना। मैं डाह्याभाईको लिख रहा हूँ।

काकाके उपवासके वारेमे मैंने तुम्हे कल पत्र लिखा था, वह मिला होगा। आज तीसरा दिन है। वजन अभी वैसा-का-वैसा बना है। बिस्तरपर पड़े-पड़े काम करते हैं। मजेमे है। . . .<sup>१</sup> अभी यही है। लेकिन इन तिलोमे तेल नहीं दिखाई देता।

प्रभुदास और अम्बाका ठीक चल रहा है।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो - २ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ३८

## १७८. पत्र : जयश्री रायजीको

२८ अक्टूबर, १९३३

प्रिय बहन,

तुम पिताके<sup>१</sup> नामको सुशोभित कर रही हो। एक राजनीतिज्ञके घर ली हुई तालीम निष्फल नहीं गई। तुमने अन्त तक अपना मुँह नहीं खोला। तुमने यदि अभी तक वहाँके हरिजन सेवा सघमे अपनी अर्जी नहीं दी है तो अब देना। उसकी नकल मुझे भेजना। बादमे मुझसे जो बनेगा, मैं करूँगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

बापुजीनी शीतल छायामां मे उपलब्ध गुजरातीकी अनुप्रतिसे, पृष्ठ ९ के सामने।

१. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया।

२. बड़ौदा राज्यके दीवान सर मनुभाई मेहता।

१६१

## १७९. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

२८ अक्टूबर, १९३३

तेरे स्वभावको लेकर किसीने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है जिससे कि मैं तुझे नालायक मानूँ ?' और किसीके कहनेपर तू मेरी दृष्टिमें लायक अथवा नालायक बनें, यह कैसे हो सकता है ? क्या मुझे दूसरोंकी भारपत तुझे जानना होगा ? तू नींदसे जाग। यहाँ आकर मनको हल्का कर जा। तेरे दुःखसे मैं दुःखी होता हूँ।

[ गुजरातीसे ]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १३८-९

## १८०. एक शिक्षकके प्रश्न

'मंगलप्रभात' में<sup>३</sup> से मेरे लेखोको अपने शिष्योको समझाते हुए एक शिक्षक कुछ उलझनमें पड़ गये। उस वारेमें उन्होंने कुछेक प्रश्न किये हैं। उनमेंसे पहला निम्नलिखित है :<sup>१</sup>

मेरा आज तकका अनुभव यही बताता है कि खुदको जो सत्य जान पड़ता हो उसी मार्गपर चलनेमें ही श्रेय है। महान् विभूतियोका मार्ग कौन-सा है यह भी मनुष्य को स्वयं ही खोज निकालना होगा और महान् विभूतिको भी स्वयं उसे ही पहचानना होगा। जो विभूति एकके लिए आदर्श रूप हो वह दूसरेके लिए तुच्छ हो सकती है। एक ही विभूतिको माननेवाले दो व्यक्ति उसके वचन और आचरणके दो विरोधी अर्थ करते हुए देखे गये हैं। विरोचन और इन्द्रकी कथा प्रसिद्ध है।<sup>२</sup> पग-पग पर 'स्वयं' कुछ करनेकी बात ही हमारे रामने आ खड़ी होती है। लेकिन मैंने इतना जो कहा उससे भी काम पूरा नहीं हो जाता। स्वयंको हमेशा सत्य सूझता ही है, यह तो नहीं कहा जा सकता। मुझे आज जो सत्य प्रतीत होता है वह दो दिनों बाद असत्य लग सकता है। कितने ही लोगोंने जिसे सत्य माना है उसकी लगभग अन्य सब लोगोंने भर्त्सना की है। इसीसे हम इस भयकर परिणामपर आते हैं कि मनुष्य

१. गांधीजीने गांधी सेवा संघके न्यासी पदके लिए मथुरादास त्रिकमजीका नाम प्रस्तावित किया था देखिए "पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको", २४-१०-१९३३ भी।

२. यरवडा सेन्ट्रल जेलमें लिखे गये गांधीजीके लेखोंका एक संग्रह; देखिए खण्ड ४४, पृष्ठ ४१ की पाद-टिप्पणी।

३. यहाँ नहीं दिया गया। प्रश्न यह था : अपनी दृष्टिसे देखे हुए मार्ग पर चलनेसे सत्यका विकास हो सकता है अथवा महान् विभूतिके चरण-चिह्नों पर चलनेसे हो सकता है ?

४. छान्दोग्योपनिषद्, ८, ७।

भूले करते हुए, ठोकरें खाते हुए और विकट मार्गोंको लौंघकर ही सत्यकी झाँकी पा सकता है।

लेकिन सारी उलझन तो सत्यान्वेषणकी शर्तोंकी उपेक्षाके परिणामस्वरूप ही पैदा होती है। जिस प्रकार अन्य विषयोंके सम्बन्धमें अधिकारकी योग्यताकी जरूरत रहती है उसी प्रकार सत्यके सम्बन्धमें भी रहती है। जो मनुष्य सत्येश्वरका दर्शन करना चाहता है उसे यमनियमका पालन करना ही चाहिए। जो व्यक्ति ऐसी योग्यता प्राप्त नहीं करता उसकी अपनी दृष्टि तो होती ही नहीं, वह तो अन्वे मनुष्यके समान होता है। यदि कोई व्यक्ति खगोल विद्याका अभ्यास किये बिना उसका ज्ञान देनेका दावा करे तो हास्यास्पद लगेगा, उसी तरह सत्यको जाननेकी दृष्टि प्राप्त करनेका तनिक भी प्रयत्न किये बिना जो व्यक्ति सत्य देखनेका दावा करता है वह भी हास्यास्पद ही होगा।

शिक्षकका दूसरा प्रश्न यह है :<sup>१</sup>

“तीर पर आ गये” कहनेका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अब हम इस विषयमें सहज ही प्रवेश करते हैं। सत्यकी चर्चा करते हुए हम अहिंसा तक पहुँच ही जाते हैं। अहिंसा बिना सत्यके सिद्ध हो ही नहीं सकती। यह बात अनुभवके आधारपर ऐसी सिद्ध है जैसे दो और दो चार।

शिक्षकका तीसरा प्रश्न यह है :<sup>२</sup>

इसमें कहा गया वाक्य मेरी अपरिपक्व भाषाका एक अच्छा नमूना है। मुझे याद है कि इस लेखको लिखते समय भी मुझे मुश्किल हो रही थी। मैं जो भाषा चाहता था वह मुझे सूझ नहीं रही थी। लेकिन यदि मेरी स्थिति इतनी दयनीय है तो शिक्षककी स्थिति भी मुझसे कोई कम दयनीय नहीं है।

हम सभी अहिंसाका नाम तो बहुत रटते हैं लेकिन वह क्या है इसकी छानबीन कम ही करते हैं। उसके वारेमें जो लिखा गया है हम उसके अनुरूप आचरण नहीं करते और इसलिए इसके लिए प्रयुक्त की जानेवाली भाषा हमें चीनी पहेलीके समान जान पड़ती है। शिक्षकने ‘नाश’, ‘मुसीबत’, ‘सामना करना’, ‘सहना’, ‘अपनाना’, आदि शब्द प्रयुक्त किये हैं, लेकिन उसके सामने उसके अर्थका सही चित्र उपस्थित नहीं हो पाया है, यह तो [ शिक्षककी ] भाषा ही सूचित कर रही है। और इसे मैं उसका दोष नहीं मानता, क्योंकि यह अपूर्णता तो लगभग सर्वव्यापक है।

यह सब कहकर तो मैंने पाठकोंके सामने अपनी कठिनाई और विषयके प्रति हमारे अपने अज्ञानको प्रस्तुत किया है। मैं यह मानता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे हाथ ऐसी भाषा नहीं लगी

१. प्रश्न था : “सत्य” नामक लेखके उपसंहारमें आप कहते हैं कि “अब हम अहिंसाके तीरपर आ गये।” क्या आपके कहनेका अर्थ यह है कि सत्य साधन और अहिंसा साध्य है।

२. प्रश्न था : जब आप यह कहते हैं कि विपत्तियोंका प्रतिरोध न कर उन्हें सह लेनेसे मनुष्य वृत्तिकी ओर अग्रसर होता है तब आपका कहनेका अभिप्राय क्या है? अहिंसाकी आप सीमित अर्थमें क्या व्याख्या करते हैं?

है जो मेरे अर्थको ज्यों-का-त्यों पाठकों तक पहुँचा दे। लेकिन मैं हारनेवाला नहीं; प्रयत्न करनेसे सफलता अवश्य मिलेगी।

अहिंसा नाशक नहीं, पोषक है। इसीसे वह 'मुसीबतोंका' 'सामना' उन्हें लाँघकर करती है। मेरा सूत अनेक बार उलझ जाता है और उस गुत्थीको तोड़ दूँ तो सूत हाथसे जाता ही है। हालाँकि तोड़ना आसान काम है और तुरन्त हो जाता है, लेकिन इससे सत्य मेरे हाथ नहीं लगता। मैं गुत्थीका 'सामना' उसे खोलकर करता हूँ, तो समय जरूर लगता है लेकिन उससे सूत बचता है और मैं धीरजका पाठ सीख पाता हूँ। इसके अतिरिक्त उस गुत्थीके सुलझनेपर मेरे आनन्दका पार ही नहीं रह जाता। दूसरे कातनेवालोंका मार्ग मैं साफ करता हूँ। मेरे ज्ञानमें इजाफा होता है। और मैं देखता हूँ कि उसमें जो समय लगता है वह जाया नहीं गया। और मुझे उससे शिक्षा मिलती है कि उस गुत्थीको तोड़ फेंकनेका सहल और सक्षिप्त जान पड़नेवाला मार्ग खोटा और लम्बा था। गुत्थीको सुलझाते हुए मैंने उसका 'सामना' तो किया ही, लेकिन उसको सहकर, अपनाकर मैंने यह भी सीखा कि उस उलझनका कर्ता स्वयं मैं था। उसके अस्तित्वकी जिम्मेदारी मेरी थी।

इस तरह सहन करनेमें अनेक सद्गुण कैसे आ गये यह बात भी, मैं समझता हूँ, मैंने उपर्युक्त दृष्टान्तसे स्पष्ट कर दी है। मेरा खयाल है कि ऐसे ही अन्य दृष्टान्तोंको घटाकर मेरे लिखनेके सिद्धान्तको ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है। दृष्टान्त तो अनेक मिल जायेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अहिंसाकी समस्त समस्याएँ सुलझ सकती हैं। अथवा इसकी सारी कुंजियाँ किसी मनुष्यके हाथमें धरी हैं। यह शास्त्र सम्पूर्णताको प्राप्त नहीं हुआ है। भला कोई भी शास्त्र सम्पूर्णताको प्राप्त हुआ कहा जा सकता है? किसी भी शास्त्रज्ञका ज्ञान उसके बढ़ते जाते अज्ञानको माप सकनेमें ही निहित है। अहिंसा एक गूढ शास्त्र है। हमें अनेक प्रयोग करने पड़ेंगे, अनेक मनुष्योंको अपनी आहुति देनी होगी। अभी तो इतना ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अहिंसा ही सत्येश्वर के दर्शन करनेका सीधा और सबसे छोटा मार्ग जान पड़ता है। और हिंसाकी मजिल तो हम दीर्घकालसे काटते चले आये हैं और फिर भी हम सत्यसे दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं।

कुत्ते, बिल्लियो, सूक्ष्म जीवों और वनस्पतिका नाश भी हिंसा ही है; इसलिए वह भी पाप ही है। मनुष्य मात्र पाप बिना देहको धारण नहीं कर सकता, लेकिन लौकिक दृष्टिसे विचार करते हुए केवल देहका पोषण करनेके निमित्त-की गई ओछीसे-ओछी अनिवार्य हिंसाको पाप नहीं माना जाता।

हिंसाकी अब उसके सकुचित अर्थमें व्याख्या की जा सकती है। स्वेच्छासे, अपने शौकके लिए, बिना किसी कारणके चीटीसे भी छोटे जन्तुका नाश करना हिंसा है। उसके नाशकी इच्छा न करना, नाश न करना, और नाश न करवाना अहिंसा है।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, २९-१०-१९३३

## १८१. पत्र : आनन्द तो० हिगोरानीको

वर्षा

२९ अक्टूबर, १९३३

प्रिय आनन्द,

तुम्हे मलेरियाको जड़मूलसे उखाड़ फेकना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हे मुल्तान जानेमे ज्यादा श्रम नहीं पड़ा है। विद्या धीरे-धीरे खुल रही है। कभी उदास और कभी प्रसन्न, अब उसकी मन स्थिति ऐसी नहीं है। वह मेरे साथ टहलनेको जाती है। उसे बलबकी व्यवस्था पसन्द है। उसका स्वास्थ्य अच्छा है और महादेवका भी अच्छा है। तुम्हे उसके बारेमे कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। वह आज अपनेको उपयोगी काममें लगाये हुए है। वह मेरे लिए कुछ काम कर रही है। वह नियमित रूपसे अंग्रेजी पढ रही है। उसने मुझसे तुम्हारी माँको एक लम्बा पत्र लिखवाया।<sup>१</sup> आज उसने पहली बार अपने लिए मक्खन तैयार किया। इसलिए उसे ईश्वर पर छोड़ दो।

मम्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य . राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिगोरानी

## १८२. पत्र : कान्ति पारेख और जयन्ती पारेखको

२९ अक्टूबर, १९३३

चि० कान्ति, जयन्ती,

तुम्हारा पोस्टकार्ड मिला। मैं समझता हूँ कि तुम दोनोने खूब कमाई की है। स्वास्थ्यका ध्यान रखना। गुडतम रहना। जब लिखा जा सके तब लिखना। काका साहब यही है। आज उनके उपवासका चौथा दिन है। सात दिवसका व्रत है। वे गुरुवारको सवा बजे उपवास तोड़ेंगे। उनकी तबीयत अच्छी रहती है। यह उपवास प्रायश्चित्त स्वरूप है। मुरेन्द्रजी और दरवारी उनकी सेवामे रहते हैं। प्रभुदास लिखने का काम करता है। खूब प्रफुल्लित रहते हैं। वे बराबर पानी पी सकते हैं, इसलिए

१. देखिए "पत्र : गंगा तो० हिगोरानीको", २२-१०-१९३३।

उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। किशोरलाल और गोमतीवहन अकोलामे हैं। वे इम मासके अन्तमे बम्बई जायेंगे।

रसावहन जोशीका हाथ अभी ठीक है। वे कल यहाँ आयेगी और रहेगी। यहाँ अभी लड़कियोंकी भर्ती चालू है। चार घंटे उद्योग और चार घंटे पढ़ाई चलती है। मराठी सीखना अनिवार्य है।

वालकृष्ण स्वास्थ्य बनानेके लिए दूधके प्रयोग कर रहा है। चार दिन उपवास करनेके बाद चार दिन फलोंपर रहा। अब केवल दूध पीता है, पानी भी नहीं लेता। आज दूधका तीसरा दिन है। रोज बीस तोले बढ़ाता है। आज तीन पाव पियेगा। अभी परिणामके बारेमें कुछ नहीं बताया जा सकता।

स्वामी आनन्द यही हैं। इन सबको थोड़े दिनोंका मेहमान समझो। कुमारप्पा आकर चले गये।

विनोवाने एक श्लोककी रचना की है जिसमे ग्यारह व्रत बताये गये हैं। उसे रोज दो बार गाया जाता है:¹

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अमंग्रह  
शरीरश्रम, अस्वाढ, सर्वत्र भयवर्जन  
सर्वधर्मीसमानत्व, स्वदेशी, स्पर्गभावना  
ही एकादश सेवावीं, नम्रत्वे व्रतनिश्चये ॥

मणि और वावलो आनन्दीके साथ गये हैं। वनमाला और मोहन कठलालसे शामिल हो गये होंगे।

तोतारामजी और हरिप्रसाद² यही हैं। उन्हें हरिजन सेवाके लिए सावरमती भोजना है।

विट्टलभाईका शव ९ तारीखको बम्बई पहुँचेगा। अन्त्येष्टि घूमघामसे होगी। डाह्याभाई अग्नि देगे। मणिवहन और मृदुलावहन तीन दिन आकर रह गईं।

यदि इनमें से कुछ खबरें मैं दोबारा लिख गया हूँ तो बूढ़ा समझकर मुझे माफ कर दोगे न? मैं जितने पत्र लिखता हूँ यदि उन सबको याद रखूँ तो उनके बौद्ध तले मैं दब ही जाऊँ। जिस तरह स्मरण-शक्तिको बनाये रखना स्पृहणीय है उसी तरह भूल जानेकी शक्तिका विकास भी किया जाना चाहिए। यदि यह न हो तो हम या तो हमेशा हँसते ही रहें और या फिर हमेशा रोते ही रहे। लेकिन यह तो मैंने बीच में थोड़ा-सा व्याख्यान ही दे डाला। कुछ रह जानेकी अपेक्षा कई खबरें दुबारा देनेमे क्या हर्ज है?

अब तुम्हारे सवाल और तुम्हारी बातें सोनेकी मुहुरो जैसी हैं, लेकिन "निग्रह-किं करिष्यति?"³ किसीको हम जबरदस्ती कुँवारा रख सकते हैं? देवदास और प्रभुदास बत्तीस वर्षतक रुके लेकिन अपने पर वग न चलनेके कारण उन्होंने विवाह

१. श्लोक मराठीमें है।

२. तोतारामजीके दत्तक पुत्र।

३. भागवद्गीता, ३, ३३। देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ १७४-५।

कर लिया। मनमें विषयोका सेवन करनेसे तो विनम्रतापूर्वक अपनी असमर्थताको स्वीकार करना बेहतर है न? दोनों ने प्रयत्न तो खूब किया, इसकी साक्षी मैं हूँ।

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्  
इन्द्रियाथान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥<sup>१</sup>

अब यदि दोनों नम्रभावसे अपनी इच्छा व्यक्त करे तो उन्हें आशीर्वाद न देना हिंसा होगी। आदर्शका पालन करनेके लिए जी-तोड़ प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन यदि वैसा करनेके बावजूद मनपर अंकुश न रह सके तो मिथ्याचारी न होकर जो-कुछ बन सके उससे सन्तुष्ट रहना चाहिए। ऐसा व्यवहार करनेवाले लोग बड़ेके आशीर्वादके पात्र हैं। चादरको देखकर पैर पसारने चाहिए। संक्षेपमें, जो मनुष्य अपनेको और जगतको धोखा नहीं देता वह अन्ततः आगे निकल जाता है। अब यदि मैं तुम्हें अपनी बात न समझा सका होऊँ तो समय आनेपर मुझसे पूछना।

अभी इधर मुझे इन्दुका कोई पत्र नहीं मिला है लेकिन केशूके नाम उसका पत्र आया था। वह मजेमें है। बलभद्र और धीरू भी उसके साथ हैं। मणिभाई कोठारी बड़वानमें हैं। वहाँ वे हरिजन और खादीका काम करते हैं। मेरा दौरा आठको शुरू हो रहा है। साधियोंके नाम तो मैं दे चुका हूँ। उसमें रामनाथ 'सुमन' का नाम जोड़ना है। वे हिन्दी साहित्यके प्रेमी हैं, और अच्छे लेखक हैं। अन्तमें उनका विचार आश्रममें शामिल हो जानेका है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६२७५) से।

१८३. पत्र : डॉ० एम० एस० केलकरको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा  
३० अक्टूबर, १९३३

प्रिय डॉ० केलकर,

दुग्ध-चिकित्साके अन्तर्गत आप वीमारोको जितना दूध पीनेके लिए कहते हैं उतनी ही मात्रामें उन्हे पानी पीनेकी सलाह देते हैं; क्या आप मुझे यथासम्भव संक्षेपमें इसके कारण लिखकर भेजेगे? उम्मीद है आपके प्रयोग वहाँ सफलतापूर्वक चल रहे होंगे।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६१०८) से। सी० डब्ल्यू० ३३०१ से भी;  
सौजन्य : एम० एस० केलकर

१. भगवद्गीता, ३, ६। देखिय खण्ड ३२, पृष्ठ १४७-८ भी।



## १८४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

३० अक्टूबर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

अस्पतालके<sup>१</sup> सम्बन्धमें तुम्हारा पत्र मिला। तुममें विरोधका भय किये बिना यह कहनेकी क्षमता होनी चाहिए कि स्वराज्य भवन डिस्पेसरी बिलकुल धोखा है और इसका पूरी तरह बहिष्कार किया जाना चाहिए। बिना किसी सुनिश्चित प्रमाणके मैं यह माननेको तैयार नहीं हूँ कि वे 'केस' बनाते हैं। मैं इस प्रमाणको पानेके लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि कांग्रेस-अस्पतालके सम्बन्धमें अपनी राय कायम करनेमें मुझे इसकी जरूरत है और मैं समझता हूँ कि यदि सरकारी प्रबन्ध विफल साबित हुआ हो तो हमें स्वराज्य भवन पूरी तौरपर अस्पतालके कार्यके लिए लेनेमें समर्थ होना चाहिए। यदि तुम समझते हो कि कांग्रेस अस्पताल या डिस्पेसरी जहाँ इस समय चल रही है वही चलनी चाहिए और स्वराज्य भवनको दुबारा कब्जेमें लेनेका कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए तो ऐसी हालतमें एक अपील जारी करना अत्यन्त जरूरी हो जाता है और यह अपील मोहनलाल नेहरू<sup>२</sup> और कमलाके नामसे जारी होनी चाहिए।

मुझे खुशी है कि माताजीकी हालतमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वास्तवमें विवाहके सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जानेका भी उनके मानसिक तनावको गान्त करनेमें कुछ-न-कुछ हाथ रहा है।

एन्ड्रयूजके यहाँपर बुधवारको पहुँचनेकी आशा है।

जमनालालजीके बारेमें जो तुम्हारा कहना है उसे मैं समझता हूँ। तुम्हारी रायमें इसकी घोषणा बिना जोखिम कब की जा सकती है?

ठक्कर वापा लिखते हैं कि तुमने कांग्रेसियोंको हरिजनोके हितके लिए काम करनेसे मना कर दिया है, भले ही वे सचिनय अवज्ञामें भाग नहीं भी ले रहे हों।

१. स्वराज्य भवनमें कांग्रेस द्वारा चलाये जानेवाले अस्पतालको १९३१ में सरकारने अपने हाथमें ले लिया था। कुछ समय बाद ब्रिटिश अधिकारियोंने 'दिखावे'के तौरपर जनताके लिए एक डिस्पेसरी बराबर खुली रखनेका निश्चय किया। जवाहरलालने लिखा, "लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जनताके किसी एक भी व्यक्तिने इसका फायदा उठाया हो। . . . मुझे बताया गया है कि रजिस्टरमें झूठे इन्दराज किये जाते हैं, यह दिखानेके लिए कि बहुतसे रोगियोंका उपचार किया जा रहा है।" इस अस्पतालके सरकारी नियन्त्रणमें ले लिये जानेके बाद कांग्रेसने एक अस्पताल खोल दिया है जो अप्रैल, १९३२ से स्वराज्य भवनसे लगी एक कुटियामें चल रहा है। कांग्रेस-अस्पतालको चलानेवाले सभी साथन "जामग समाप्त" हो चुके हैं।

२. जवाहरलाल नेहरूके चचेरे भाई।

इसमे कहां तक सचाई है! इस प्रकारके किसी प्रतिबन्धके सम्बन्धमे मुझे कुछ पता नहीं है।

सप्रेम,

बापू

[ अग्नेजीसे ]

गाधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य . नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

### १८५. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

३० अक्टूबर, १९३३

विट्टलभाईका अग्नि-संस्कार मेरे हाथो हो, न्या इस बातमे तेरा भी कोई हाथ है? तूने मेरी टिप्पणी तो पढी होगी। यदि किसीको मेरी उपस्थितिकी आशा हो तो तू उसे निश्चिन्त करना — यदि तुझसे बन सके तो। मेरे ऊपर दबाव डाला गया तो मैं उसका उपाय कर लूंगा। लेकिन बेहतर यह होगा कि कोई दबाव न डाला जाये। मेरा मन बाहरकी चीजोमे जाता ही नहीं है, जेलमे ही रहता है। मैं येन केन प्रकारेण हरिजन यात्रा-भर करूँगा। इसके अलावा मैं अन्य चीजोपर कदाचित् ही कोई विचार करता हूँ।

[ गुजरातीसे ]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १३९

### १८६. पत्र : एच० के० हेल्सको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा

३१ अक्टूबर, १९३३

प्रिय मित्र,

आपका इसी २५ तारीखका पत्र मिला। इस वर्तमान फूट और कलह मे उस अमुक व्यक्तिके स्थानपर जो भी व्यक्ति मेल-मिलापका वातावरण पैदा कर देगा उसको धन्यवाद देनेवाला मैं पहला व्यक्ति होऊँगा। आपको अपने काममे पूरी सफलता मिले, इसकी मैं कामना करता हूँ।

नि सन्देह हिन्दू-मुस्लिम तनाव वुरी चीज है। वस मेरी समझमे ही नहीं आता कि इमे दूर कैसे किया जाये। मुझमे जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं व्यक्तिगत तौरपर पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन यह तो कोई बहुत बडा आश्वासन नहीं हो सकता।

वेगक, अपनी असफलताओंसे मैं घबराता नहीं। मैं हरेक असफलताको सफलताकी ओर ले जानेवाली एक-एक सीढ़ी मानता हूँ। लेकिन यह एक चीज है और सफलताकी थोड़ी भी आशा न करते हुए भी प्रयत्न करना दूसरी चीज है। इसलिए आप मेरी इस बातका विश्वास कीजिए कि मैं जब भी समझौते द्वारा इस मामलेको आगे बढ़ानेका थोड़ा भी अवसर देखूंगा और उसमें सहयोग दे सकूंगा, तो मैं इस मामलेमें कूदते हुए हिचकूंगा नहीं।

'व्हाइट पेपर' जब पहले-पहल प्रकाशमें आया तो मुझे उससे खुशी नहीं हुई। और आज तो और भी कम खुशी है।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीमें]

हिन्दू, २६-११-१९३३

## १८७. पत्र : आनन्द तो० हिंगोरानीको

३१ अक्टूबर, १९३३

प्रिय आनन्द,

देवदासके वारेमें मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हें अच्छा विवरण दिया है। इससे मैं देख सकता हूँ कि एक प्रत्यक्षदर्शीसे समाचार पाकर देवदासका मन कितना मुदित हुआ होगा। लेकिन मुझे इस पत्रमें उस वककी ही बात करनी चाहिए जो तुम पर आ गिरा है।

तुम्हें पिताकी बातोंको बड़ा-बड़ा कर नहीं कहना चाहिए। तुम्हें इन सब चीजोंके लिए तैयार रहना होगा और यदि तुम शान्त और अपने निश्चय पर दृढ़ रहोगे तो सारे वादल छूट जायेंगे। तुम्हें अपने माता-पितासे कोमलतापूर्वक लेकिन दृढ़ शब्दोंमें बातचीत करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वे तुम्हें अपना भविष्य आप निर्धारित करने दें। उन्होंने तुम्हें उदार शिक्षा दी है। अब उन्हें उसके परिणामको लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। जितने विनम्र शब्दोंमें हो सके उतने विनम्र शब्दोंमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनेके बाद तुम्हें अपना कार्यक्रम तय करना चाहिए। तुम्हें कराचीमें गिरफ्तार होनेसे बचना चाहिए। आखिरकार हैदराबाद तुम्हारा कार्यक्षेत्र है और वहाँ तुम मित्रोंकी सलाहसे काम करोगे। एक अच्छे सत्याग्रहीकी तरह तुम्हें एक चीजसे बचना चाहिए। कार्यक्षेत्रका चुनाव करते समय तुम्हें अपनी सुविधाओंका अथवा उन कष्टोंका ध्यान नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम्हें बघकि आसपास अपने-आपको गिरफ्तार होने देनेका विचार छोड़ देना चाहिए। यह सत्याग्रहकी भावनाके विरुद्ध होगा।

मैंने विद्याके साथ सारी स्थिति पर बातचीत की है और मेरा खयाल है कि वह मुझसे सहमत है। मुझे उसके साथ तर्क नहीं करना पड़ा; उसने स्वयं ही कहा

कि जब उसने तुम्हारे अपनेको गिरफ्तार होने देनेकी और अपने वर्धा रहनेकी बातको स्वीकार कर लिया तब उसने यह भी मान लिया कि वह कैदकी अवधिके दौरान तुमसे नहीं मिलेगी। उसने कहा कि यदि तुम्हें पत्र लिखनेकी अनुमति दी जाती है, जैसाकि तुम्हें निश्चय ही दी जायेगी, तो इतना ही पर्याप्त होगा और मेरा खयाल है कि यदि तुम कराचीमें ही गिरफ्तार हो जाते हो तब भी यही स्थिति ठीक है। विद्या सचमुच बहुत अच्छी चल रही है। वह अब अन्यमनस्क दिखाई नहीं देती, वह उद्भ्रान्त नहीं है और वह अधिकाधिक प्रसन्नचित्त दिखाई देती है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी प्रसन्न रहो और प्रसन्न मनसे उसे पत्र लिखो।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिगोरानी

## १८८. पत्र : छगनलाल जोशीको

३१ अक्टूबर, १९३३

चि० छगनलाल,

कल रमा और विमला<sup>१</sup> आई थी। और चूँकि तुम दोनोंसे अभी हाल ही में मिले थे इसलिए उनके बारेमें कुछ नहीं लिखता। रमासे मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हें पत्र लिखा जाये तो वह तुम्हें मिल सकता है और तुम मेरे पत्रकी उम्मीद लगाये बैठे हो। उम्मीद करनी तो अवश्य बाहिए। लेकिन स्वयं रमा ही जब थोड़े पत्र लिख सकती है तो उसमें मैं क्योंकर हिस्सा बँटाऊँ, यह सोचकर ही मैंने तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा। लेकिन दमयन्ती जैसे पेड़ोंसे नलका समाचार पूछती फिरती थी उसी तरह जो कोई मेरे हाथ लग जाता था उससे मैं तुम्हारा समाचार पूछ लेता था और इस तरह कुछ-न-कुछ जान लेता था।

मेरे पास तुम इतने समय तक रहे इसका कोई-न-कोई बदला तो अवश्य चुकाना चाहिए और वह तुमने अच्छी तरह चुकाया है। महादेवने भी चुकाया है और आज भी चुका रहा है। लेकिन सूर्य जिस प्रकार अपने साथ छाया लेकर चलता है और उस छायाके पीछे उजाला भी अवश्य रहता है उसी तरह महादेव कहीं-न-कहींसे शान्ति तो प्राप्त कर ही लेता है। तुम पर भी यही बात लागू होती है। तुम्हें पुस्तकोका सन्सग मिलता रहता है और फिर तुम्हें बाहरसे मक्खन मँगवानेकी अनुमति भी मिल गई है, सो अब बाकी क्या बचा? चाहे कौसी भी परिस्थितियाँ क्यों न हो लेकिन मनको सदैव प्रसन्न रखनेका 'गीता' का पाठ तुमने कितने ही वर्षोंसे कण्ठस्थ कर रखा है। उसको व्यवहारमें लानेका प्रसंग उपस्थित होनेपर यदि हम उसे व्यवहारमें न लाये तो यह हमारे लिए शर्मकी बात होगी न? इसलिए मैं तुम्हारे बारेमें निश्चिन्त

१. छगनलाल जोशीकी पुत्री।

हैं और यह माने हुए हैं कि तुम परीक्षामें असफल नहीं होंगे अपितु प्रथम वर्गके अंक प्राप्त करोगे।

काकाका उपवास चल रहा है। सात दिनोंका व्रत था। यह परसों अर्थात् गुरुवारको पूरा होगा। यह उपवास . . .के' लिए है। वे बहुत प्रसन्न हैं। उपवासका उनपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। थोड़ी कमजोरी तो होगी ही। वे झुले आकाशके नीचे सोते हैं। अच्छी नींद आती है। वे अच्छी मात्रामें पानी पी सकते हैं। इस वारेमें वे मुझसे खूब आगे जा सकते हैं। सुरेन्द्र और अपनेको इनका शिष्य माननेवाले दरबारी इनकी सेवामें रहते हैं। इसलिए यह बात तुम सहज ही समझ सकते हो कि उनकी सेवा अच्छी तरहसे की जाती है। प्रभुदास उनके सचिवका काम करता है। उन्हें जो थोड़े पत्र लिखवाने होते हैं सो लिखता है। उन्हें 'गीता', 'उपनिषद्' आदि पढ़कर सुनाता है। स्वामी भी फिलहाल वहीं हैं। किशोरलाल और गोमती आज आये हैं। यहाँका मौसम तो इन दिनोंमें बहुत अच्छा होता ही है। वर्षा आश्रम कन्या आश्रम बन गया है। यहाँ इस समय चात्रीयसे अधिक लड़कियाँ हैं। लक्ष्मीबहन जी-तोड़ मेहनत कर रही है। उनकी सहायताके लिए द्वारकानाय है। अभी-अभी एक संगीत शास्त्रीको नियुक्त किया है। लेकिन प्रार्थना तो लक्ष्मीबहन स्वयं ही चलाती हैं। उनका स्वर मधुर है, यह बात तो मैं पहलेने ही जानता था लेकिन उन्हें एकाध सौ भजन कण्ठस्थ हैं, इसकी मुझे खबर नहीं थी। बृहस्पतिवार और शुक्रवारकी शामके दो भजन मधुरी<sup>१</sup> गाती है और गुरुवारको गाई जानेवाली गजलमें उसका साथ योगी<sup>२</sup> देती है।

प्रभुदासका विवाह अभी हाल ही में सम्पन्न हुआ है। कन्या उत्तर भारतीय है। उसका नाम अम्बा है, २५ वाँ वर्ष चल रहा है। यह पसन्द प्रभुदासकी ही है। उसको खोज निकालनेका पुरुषार्थ भी उसीका है। अम्बाकी सादगी प्रभुदासकी सादगीसे बढ़कर है। उनमें साहस भी बहुत है। प्रभुदास बहुत दृढ़ है। नै जबरन हूँ तबतक तो दोनों यहीं हैं। मेरा दौरा ८ तारीखसे शुरू होगा। विवाहके समय काशी<sup>३</sup>, छगनलाल<sup>४</sup> अथवा वाहरके भी सगे-सन्धुकी अथवा मित्रको निमन्त्रण नहीं दिया गया था। कन्यापक्षकी ओरसे भी छः व्यक्ति ही आये थे। तान्त्रिक यह कि यह विवाह अत्यन्त सादगीके साथ सम्पन्न हुआ, ऐसा कह सकते हैं। विवाह सन्धु करवानेके लिए बर्बाकि ही एक शास्त्री थे और उसकी देखरेखके लिए काका थे।

तुम जिन लड़कियोंको जानते हो उनमें चन्द्रकान्ता<sup>५</sup> भी यहीं है। विद्या हिंगोरानी<sup>६</sup> भी यहीं है और एक वर्ष तक तो अवश्य रहेगी। विनोबा यहाँसे एक नील

१. नाम नहीं दिया गया है।
२. लक्ष्मीबहन खरेकी पुत्री।
३. पण्डित खरेके भाईकी पुत्री श्रीमती सोमण।
- ४ और ५. प्रभुदासके माता-पिता।
६. सुमंगल प्रकाशकी बहन।
७. धानन्द हिंगोरानीकी पत्नी।

दूर (हरिजनोके एक) गाँवमे रहते है, यह तो तुम्हे मालूम ही है। लेकिन कन्या आश्रमके लिए नैतिक जिम्मेदारी उन्हीकी है। आनन्दी, बबु और बबु मेरे साथ आये थे, अब वापस चले गये है। तुम्हे यह जानकर आश्चर्य होगा कि लड़कियोको शारदा मन्दिर पढनेके लिए जाना अच्छा नहीं लगता। वे घरमे पढाये जानेकी व्यवस्थाकी माँग करती है। मैं इसकी तजवीज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके अलावा वनमाला, मोहन, मणि और बाबलो तो है ही। और ये सब अनुसूयाबहनके हरिजन बालाश्रममे है। वे वहाँ खुशीसे रहने गये है। खुराक बगैरहमे अवश्य थोड़ी दिक्कत पेश आती है। हरिजन कन्याओकी खुराक तो बहुत सादी होती है। इन्हे दूध, घी भी कम ही मिलता है। अपने बच्चोको यदि हम उनके जैसी खुराकपर रखनेका आग्रह करे तो उनके शरीर ही सूख जाये। इसलिए वहाँ रहते हुए भी उन्हे उचित खुराक मिल सके, मैं इस सम्भावनापर विचार कर रहा हूँ। इस बीच वे किसी-न-किसी तरह आवश्यक खुराक तो लेने ही है। अमीनाके बच्चे भी इसी आश्रममे है और वे धुलमिल गये है। सारा दिन ऊधम मचाते है। उनको 'कुरान' और उर्दू सिखानेके लिए एक मुन्शी रखा है।

आश्रमको अन्तत हरिजन कार्यके लिए अर्पित कर दिया गया है, यह बात तो तुम्हे मालूम हो ही गई होगी। तोतारामजीको आश्रम भेजनेका निश्चय किया गया है। हरिप्रसाद भी वही जायेगा। ये दोनो फिलहाल यही है। पन्नालाल<sup>१</sup> स्वतन्त्र रूपसे गोशाला खोलना चाहता है। उसे मैंने यही आनेके लिए पत्र तो लिखा है। वह फिलहाल नानीबहन<sup>२</sup> और गगाबहनके<sup>३</sup> साथ अहमदाबाद मे है। हमारी दुग्धशाला काँकरिया तालाब पर शकरलालकी<sup>४</sup> देखरेखमे टाइस चला रहा है, अच्छी चल रही है। अब उसके सम्बन्धमे भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

आश्रम और विद्यापीठके पुस्तकालय नगरपालिकाको सौंप दिये गये है, यह तो तुम जानते ही होगे। रावजीभाई<sup>५</sup> और मोहनलाल भट्टको<sup>६</sup> एक दो दिनमें यहाँ पहुँच जाना चाहिए। वा मन्दिरमे जानेकी तैयारी कर रही है। मनु यही है। धीरू, बलभद्र और इन्दुने भावनगरमे अड्डा जमा लिया है। दूधबहन अपने बच्चोके साथ वही रहती है। . . .का . . .शारदा मन्दिरमे है। यह लिखावट तो तुम पहचानते ही होगे। इतनेमे मैंने तुम्हे काफी समाचार दे दिये है। अभी और भी दे सकता हूँ, लेकिन समय कहाँ से लाऊँ? इसलिए बाकी की पूर्ति स्वामी करेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५५१३) से।

१. पन्नालाल श्वेरी।
२. पन्नालालकी पत्नी।
३. पन्नालालकी सौतेली माँ।
४. शकरलाल वैकर।
५. रावजीभाई नाथभाई पटेल, जो साबरमती आश्रममें खादी-विभागके अध्यक्ष थे।
६. नवजीवन प्रेसके मैनेजर।

## १८९. तार : आनन्द तो० हिगोरानीको

आनन्द हिगोरानी  
सहितीपुर  
बन्दर रोड  
कराची

बर्वा  
१ नवम्बर, १९३३

तुम्हारा पत्र मिला । कार्यवाही हैदरावादमे हो । सिन्धके बाहर  
अनावश्यक ।<sup>१</sup>

बापू

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा आनन्द तो० हिगोरानी

## १९०. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

असंशोधित

१ नवम्बर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे बहुतसे पत्र मिले । मैं देखता हूँ कि तुमने दोनों त्यागपत्र अखबारोंको दे दिये हैं । उनसे थोड़ी बहुत बात साफ हो जानी चाहिए ।

हिन्दू सभाकी गतिविवियाँ मेरी समझमें नहीं आईं । वे दुष्टतापूर्ण हैं । यदि वे शुद्धिके सम्बन्धमे मेरे नामका प्रयोग कर रहे हैं तो यह बहुत वेईमानीकी बात है । यदि तुम्हारे पास [इस सम्बन्धमें] कोई प्रकाशित सामग्री हो तो कृपया मुझे दे देना । मेरे विचारमे तथाकथित या वास्तविक राष्ट्रीय अखबारोंने इसकी गतिविवियोंका स्वागत नहीं किया है और अक्सर इसकी आलोचना ही की है । मौलाना अबुलकलाम आजादकी पुस्तकपर प्रतिबन्ध लगानेके सम्बन्धमें मुझे कुछ पता नहीं है । हरिजनोंके लिए कार्योंका जहाँतक सवाल है, शिकायत विलकुल अनुचित है । मेरी अन्तरात्मा विलकुल साफ है । जहाँ तक तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध है, यदि तुम चाहो तो हम

१. देखिए “ पत्र : आनन्द तो० हिगोरानीको”, ३१-१०-१९३३ ।

२. जमनालाल बजाज और डॉ० शेख मुहम्मद आलमके ।

पत्र-व्यवहार द्वारा अपने मन और हाथ दोनों साफ कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि विशिष्ट कार्योकी जोरदार शब्दोंमें निन्दा करनेके अलावा और कौन-सी आक्रामक कार्रवाई सम्भव है या वाञ्छनीय है।

गोरखपुरके वारेमें क्या किया जा सकता है, यह मेरी समझमें नहीं आ रहा। तुम्हारे कार्यकर्त्ताओ और दलके लोगोके लिए चन्दा हासिल करनेमें मुझे कठिनाई हो रही है। मैं अभी भी इन दोनोंके वारेमें वातचीत कर रहा हूँ। बाबा राघवदासने मुझसे कहा है कि वे संकटग्रस्त किसानोके लिए अनाज इकट्ठा करनेकी कोशिश कर रहे हैं। उन्होने मुझे अत्याचारका प्रामाणिक विवरण भेजनेका वायदा कर रखा है।

कल नरोमन<sup>१</sup> यहाँपर आये थे। मैंने उन्हें तुमसे मिलनेकी सलाह दी है और उन्हें बताया है कि तुम मेरे 'राजनैतिक मुखिया हो!' इसके अलावा मैं क्या कर सकता था? मैं तो पूरी तरह वदनाम हूँ कि मैं एक धार्मिक सनकी हूँ और मुख्यतः एक समाज-सेवक हूँ। मैंने उनसे कहा है कि यदि मुझे इस वातका यकीन हो जाये कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य सविनय अवज्ञाको समाप्त करने और कौमिल-प्रवेश कार्यक्रमको अपनानेके इच्छुक हैं तो मैं तुरन्त तुमसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक बुलानेके लिए कहूँगा। मैं यह सब इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे भरोसा है कि अधिकांश सदस्य सविनय अवज्ञा कार्यक्रमपर आग्रह करेगे और दूसरे, मैं यह नहीं चाहता कि सरकारको अध्यादेश रूपी तलवारका प्रयोग करनेका अवसर दूँ। मैंने उनसे कह भी दिया है कि अ० भा० का० क० जो कार्यक्रम चाहेगी मैं उसका विरोध नहीं करूँगा, हालाँकि सविनय अवज्ञाको बन्द करनेकी स्वीकृति मैं नहीं दे सकता। मेरे विचारमें केलकरके<sup>२</sup> विचार शुद्ध और दृढ़ है। वह स्पष्ट रूपसे असहयोग आन्दोलन और सविनय अवज्ञाको नापसन्द करते हैं। आतंकवादी कहे या किसी और नामसे पुकारे, केलकर उनका साथ नहीं देगे। इसके वाट राजनीतिक कार्य करनेवाले व्यक्तिके लिए कौमिल-प्रवेश ही एक कार्यक्रम रह जाता है। निराशा-जनक अकर्मण्यता सबसे बुरी चीज है और इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।

मेरे खयालमें तुमने अपने पत्रोंमें जो मुझे उठाये थे मैंने उन सबका जवाब दे दिया है, यहाँ तक कि जो मुझे नहीं उठाये थे उनका भी। इस ममय सुबहके चार बजेनेवाले हैं।

उम्मीद है माँके स्वास्थ्यमें सुवार जारी है। इस पत्रके साथ एक पत्र<sup>३</sup> कमलाके लिए है।

सप्रेम,

वापू

[ अग्नेजीसे ]

गाधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य . नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. के० एफ० नरोमन।
२. एन० सी० केलकर।
३. उपलब्ध नहीं है।



## १९१. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

१ नवम्बर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

अंग्रेजीमें कहावत है कि महान् पुरुष एक जैसा ही सोचते हैं। हम भी तो महान् ही कहलाते हैं अतः विठ्ठलभाईके दाह-संस्कारके बारेमें दोनोंने एक जैसा ही सोचा। मैंने डाह्याभाईको लिख दिया है। तुम्हारे विचारानुसार मैं कुछ भी प्रकाशित करनेवाला नहीं हूँ। तुम्हें जो तार मिले हैं उनके बारेमें जो पत्र तुम मुझे लिखोगे मेजरसे पूछकर एक यह पक्ति लिखना, "जिन लोगोंने मुझे सम्बेदनाके तार और पत्र भेजे हैं मेरी ओरसे उन सब लोगोके आभार प्रेस द्वारा माने।" यदि मेजर इसे पास न कर सके तो आई० जी० से पूछवाये और यदि अनुमति मिल जाये तो हम प्रकाशित करेंगे। . . . !

नरीमन कल यहाँ आये थे। उन्होंने मेरा खासा समय लिया और मैंने दिया। मेरे दरोगाने देने दिया। लेकिन अब तो हम चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों न करे, हमें कुछ हा मिल होनेवाला नहीं है।

आज दीनबन्धु आ रहे हैं। खूब घूमे हैं, इसलिए मुझसे खासा समय माँगेंगे और मुझे देना ही होगा। काका का उपवास कल पूरा होगा। वह प्रसन्न है। उपवासका उनपर कोई खास असर नहीं हुआ है। काका को [पेशाबके समय] मेरी तरह जलन नहीं होती। वे खूब पानी पी सकते हैं। उसमें नमक पड़ा हो तो भी, सोडा हो तो भी, और ठंडा हो तो भी अथवा गर्म हो तब भी। यदि ईश्वर मुझे यह शक्ति दे दे तो मैं इस उम्रमें भी भणसालीसे प्रतिस्पर्धा करूँ! वादमें उनके जैसा ही पागलपन मुझपर ही चढ़ आये तो भले आ जाये। वह मनईकी मोटी रस्सीके साथ कमरमें टाटकी लँगोटी डाले रहते हैं। आटा पानीमें धोलकर पीते हैं और घूमते फिरते हैं। कभी-कभी कांड लिखकर दर्शन देते हैं और लिखते हैं कि सच्चा अनुभव तो वे केवल अब प्राप्त कर रहे हैं।

१. २९ अक्टूबर, १९३३ के अपने पत्रमें सरदार वल्लभभाई पटेलने लिखा था कि उन्होंने मित्रोंको सूचित कर दिया है कि एक सत्याग्रहीके नाते दाह-संस्कारके लिए सरकारसे रिहा किये जानेकी माँग करना उनके लिए उचित नहीं है।

२. नासिक जेलके सुपरिंटेंडेंट।

३. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ नहीं दिया है।

४. जमनालाल बजाज।

५. जयकृष्णदास प्रभुदास भणसाली, जो अपने लम्बे-लम्बे उपवासोंके लिए प्रसिद्ध थे।

उपवासके दौरान काकाने कुछ लिखवानेका काम किया है। प्रभुदास उनका अवैतनिक मंत्री है और काकाके पास गीता-पाठ आदि भी करता है। प्रभुदास उनका पट्टशिष्य है इसलिए काकाको वह अनुकूल बैठा है। कल किशोरलाल और गोमती भी आये। उनके आनेका कारण तो मैं हूँ।

+ + +

काकाने मित्र-धर्म और पिताके धर्मका अच्छी तरह पालन किया है। . . .<sup>१</sup> अपने घमण्डमे खिचता ही जा रहा है। लेकिन मैं कोई उसकी आशा छोड़कर नहीं बैठा हूँ। मैं यह अवश्य मानता हूँ कि ठोकर खाये बिना उसकी आँखे नहीं खुलेगी। तुम जो लिखते हो सो सच है। कायरका ज्ञान उसे दूरतक नहीं ले जा सकता और . . .<sup>२</sup> जैसे हवामे उड़नेवाले लडके यदि ज्ञान प्राप्त करे तो उनका यह ज्ञान फ्राँसीके तख्तेपर चढ़नेतक भी टिका रह सकता है। ऐसा दिन कहाँसे। मैं मानता हूँ कि काका का शरीर तुरन्त कस जायेगा, चिन्ता न करना। उपवासके दौरान मैंने नीम-हकीमके रूपमे अपने ज्ञानको यूँही नहीं जाने दिया। फलतः काका को उपवासका जो आध्यात्मिक लाभ मिलना होगा सो तो मिलेगा ही, लेकिन शारीरिक लाभ तो मिला ही है। . . .<sup>३</sup> और पण्ड्याको<sup>४</sup> तुमने ठीक मात्रा दी,<sup>५</sup> लेकिन जल्दी असर करनेवाली दवाओंका परिणाम लम्बे समयतक नहीं टिक पाता और उनका रिएक्शन अर्थात् प्रतिक्रिया अनेक बार भयानक होती है। यह वान मैंने कोई तुम्हारी दवाका दोष बतानेके लिए नहीं लिखी है। यह तो मैंने वस्तुस्थितिका भान करानेके लिए ही लिखी है। महादेवके पत्र आते रहते हैं। वह चारो ओरसे पुस्तके इकट्ठा किया करता है। किसी-न-किसी दिन ये पुस्तके भी सार्वजनिक पुस्तकालयमें जायेगी न? जेलमे पढ़-पढ़कर महादेव अन्धा न बन जाये तो गनीमत है। मैं उसे हल्की-सी निषेधाज्ञा भेजनेका इरादा कर रहा हूँ। डॉ० दत्ता [जेलमे] देवदाससे मिल आये हैं। वह समय का ठीक उपयोग कर रहा प्रतीत होता है। वह पढ़ता है, सिखाता है, खेलता है और कातता है। मेरा कार्यक्रम अभी तो इस प्रकार है। इस महीने मध्य प्रान्तमे, बादमे दिल्ली, फिर पंजाब, फिर सिंध, फिर राजपूताना, संयुक्त प्रान्त और फिर बंगाल, आसाम आदि। अभी तो केवल इतना ही है। इस कार्यक्रममे कदाचित् कुछ परिवर्तन हो और पहले मद्रास जाना पड़े तो आश्चर्य नहीं है। ८ तारीखको यहाँसे रवाना होना है। बादमे मुझे दो-तीन दिनोंके लिए फिर वर्धा तहसीलके दौरेके

१. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

२, ३ और ४. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिये गये हैं।

५. मोहनलाल कामेस्वर पण्ड्या, खेडा जिलेके एक कार्यकर्ता।

६. सरदार पटेलने अपने पत्रमें (जिसकी चर्चा पहले की गई है) दवाकी मात्राको हिरण्य गर्भ मात्रा कहा था और जेल जानेका सुझाव दिया था।

लिए आना पड़ेगा। देवघरको तुम्हारे पत्रके बारेमें लिखूंगा। राजेन्द्र बाबूको फिर अस्पतालमें ले गये हैं। मुझे लगता है कि अब तो उन्हें वहीं रखा जायेगा।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो - २ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ३९-४३

## १९२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

१ नवम्बर, १९३३

नेतृत्व छोड़नेकी मेरी वृत्ति तनिक भी कम नहीं हुई है; अपितु दिन-ब-दिन तीव्रतर होती जाती है। लेकिन उसे चाहकर भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मैं स्वयं उसे लेनेके लिए नहीं निकला था।

[ गुजरातीसे ]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १४०

## १९३. पत्र : बंगालके गवर्नरको

वर्धा

२ नवम्बर, १९३३

प्रिय मित्र,

हालाँकि आपसे व्यक्तिगत रूपसे परिचित होनेका सौभाग्य मुझे नहीं है, फिर भी मैं जब १९३१ में इंग्लैंडमें था तब सर सैमुअल होरकी मार्फत आपके बारेमें जाननेका सौभाग्य मुझे मिल गया था। उस परिचयके आधारपर मैं संलग्न पत्रोंको 'आपको दिखानेका साहस करता हूँ। ये एक सम्मानित कार्यकर्ताके पत्र हैं। इन पत्रोंका मुद्दा उन्हींमें स्पष्ट हो जाता है। मेरा खयाल है कि पत्रमें जिस कार्रवाईका विवरण दिया गया है उसका सम्भवतः आप समर्थन नहीं करेंगे। पत्रमें जिस सविनय प्रतिरोधीका जिक्र है वह लेखकका भाई है। इसमें शक नहीं कि सविनय प्रतिरोधी कष्टसहनके लिए तैयार रहता है, लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि आज जो आदर्श स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया गया है उसके अनुसार अपनेको सम्य कहनेवाली सरकारें यातना देनेके सारे तरीकोंका वहिष्कार करेंगी।

१. २७ और २८ अक्टूबरके अपने पत्रोंमें सतीशचन्द्र दासगुप्तने अपने भाई क्षीतीशचन्द्र दासगुप्त तथा हिजली जेलके दूसरे कैदियों द्वारा जेल-अधिकारियोंको सलाम करनेके इनाम के पत्रोंके उनके साथ हुए अमानवीय व्यवहारका वर्णन किया था।

जिस मामलेको आपकी नजरमें लानेका मैंने साहस किया है, उसमें आप निजी दिलचस्पी ले रहे हैं, इस सूचनाके लिए मैं आपका आभार मानूंगा।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

बंगालके गवर्नर

कलकत्ता

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

### १९४. बातचीत : डॉ० कोंगरसे'

२ नवम्बर, १९३३

डॉ० कोंगर : क्या ईश्वरका हाथ केवल भलाईके ही पीछे रहता है या बुराईके पीछे भी ?

गांधीजी भलाईके ही पीछे रहता है, लेकिन ईश्वरके हाथमे वह केवल भलाई ही नहीं रह जाती। उसका हाथ बुराईके पीछे भी रहता है, लेकिन फिर वह बुराई बुराई नहीं रह जाती। "भलाई" और "बुराई" तो हमारी अपनी अपूर्ण भाषामे होते हैं। ईश्वर तो "भलाई" और "बुराई" दोनोंसे परे होता है।

प्र० : हमारे प्रत्येक कार्यके पीछे ईश्वरकी इच्छा रहती है, क्या ऐसा नहीं है ?

उ० : मान भी ले कि प्रत्येक कार्य के पीछे उसकी इच्छा रहती है तो मनुष्य कह सकता है कि ईश्वर कुछ चीजोकी अनुमति देता है, इच्छा करता है या निषेध करता है। ये सब बातें उसकी "इच्छा" मान ली जाती हैं।

प्र० : आप कहते हैं कि आपके २१ दिनके उपवासके पीछे ईश्वरीय प्रेरणा थी। आपने 'रेसिलिंग' की बात कही है। इससे आपका ठीक आशय क्या है ?

उ० : ये सब तो अपूर्ण मनुष्य की बकवास है। मनुष्य का ईश्वर के साथ झगड़ना वैसा ही है जैसा किसी बच्चे का अपनी माँके साथ। बच्चा तो माँके साथ अवश्य लड़ता है और जब माँ बच्चेको अपना स्तन दे देती है तो बच्चा कहता है : "मैंने इसे माँसे बलपूर्वक छीन लिया है।"

यहाँपर गांधीजीने अंग्रेजी शब्द "रेसिल" (कुशती) और 'रेस्ट' (छीनना)के शब्दकोषमें क्या अर्थ हैं वे बताये।

इस प्रकार जब ईश्वर किसी वस्तुको देता है तो वह खुशी के साथ देता है, बशर्ते कि हम मान ले कि उसे खुशी और दुःख दोनों ही होते हैं। जो व्यक्ति उसके

१. यह रिपोर्ट चन्द्रशंकर शुक्लने लिखी थी, जो उस समय गांधीजीके सचिवके रूपमें कार्य कर रहे थे। उन्होंने बातचीतको लिखकर रख लिया था और बादमें इसका विवरण अपनी पुस्तक कन्वरसेशन्स विद महारामा गांधी में प्रकाशित किया था।

चरणोंमें प्रत्येक वस्तु निछावर कर देता है वह उससे कहता है: "यदि तूने मुझे अमुक वस्तु नहीं दी तो मैं मर जाऊँगा।" वह ईश्वरका विरोध करता है और उसे ललकारता है। लाखों उदाहरण ऐसे होते हैं जहाँ ईश्वर ऐसे मनुष्यों को मृत्युकी अवस्थातक पहुँचने देता है। तब हम यह कहते हैं कि उसने मनुष्यकी अच्छी तरह परीक्षा ले ली है। तथापि यह हमारी अपनी निजी मनोभावना है। यदि मनुष्य किसी तरह चीजोको व्यक्त करनेके ईश्वरीय ढंगको जान सकता तो पता नहीं वह क्या कहता। हम मूर्ख प्राणी यह समझते हैं कि उसके सग लडते-झगड़ते हुए हमने अपना बल समाप्त कर लिया है। ईश्वरके साथ न लड़ाई-झगड़ा होता है न छीना-झपटी। यदि ईश्वर निष्पक्ष है तो वह अपने भक्त को पीड़ा नहीं पहुँचायेगा।

प्र० : ईश्वर निष्पक्ष है या नहीं ?

उ० : ईश्वर निष्पक्ष है। शायद वह निष्पक्ष नहीं, बल्कि दयालु है। क्योंकि वह दयालु है इसलिए ही वह निष्पक्ष है। हालाँकि ये सब हमारी दुर्बल भावनाकी ही प्रतिध्वनियाँ हैं। कभी-कभी मनुष्य ईश्वर को उसका देय देनेकी भी बात करता है। लेकिन एक दास अपने स्वामीको क्या दे सकता है? ईश्वरके सामने मनुष्यकी परिस्थिति हमेशा ऋणीकी ही रहती है, ऋणदाताकी नहीं।

प्र० : श्रद्धा आवश्यक है या प्रयत्न ?

उ० : वास्तव में श्रद्धा और प्रयत्न दोनों आवश्यक हैं।

प्र० : क्या मनुष्यके सामने अपनी पसन्दका चुनाव करनेका अवसर है ?

उ० : मनुष्यको चुननेका अवसर है, लेकिन उसी हदतक जिस हदतक कि जहाज पर सवार किसी यात्रीको है। उसके लिए इतना ही काफी है। यदि हम इसका उपयोग नहीं करते तो हम लगभग मृतप्राय ही हैं।

प्र० : ईश्वरका एक उद्देश्य है जिसे वह संसारमें कार्यान्वित कर रहा है, क्या ऐसा नहीं है ?

उ० : मैं इस बातमें यह संशोधन कर देता हूँ कि यह तो मनुष्यका कहना है। ईश्वरका उद्देश्य क्या है यह मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ईश्वर तो हूँ नहीं। मैं तो मनुष्य हूँ। इसलिए मैं ईश्वरको और उसके उद्देश्यको वाणी द्वारा नहीं बल्कि जीवनके माध्यमसे समझनेका प्रयत्न करता हूँ। मैं इस मसारके करीड़ो लोगोका एक एकांशके रूपमें सामना नहीं कर सकता। मैं उनमें से हर एकके हृदयमें प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे असंख्य हैं। लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जिस प्रकार ब्रह्माण्ड रूपी एकांशके लिए उसका एक निर्धारित उद्देश्य है उसी प्रकार जीवनके प्रत्येक अणुके लिए एक उद्देश्य है—मनुष्यके लिए भी और चीटीके लिए भी।

प्र० : क्या यह एक अच्छा उद्देश्य है ?

उ० : यह एक अच्छा उद्देश्य है, लेकिन "अच्छा" हमारी सीमित मानवीय भाषामें।

[अंग्रेजीसे]

सिनो-इंडियन जरनल, गांधी मेमोरियल नवम्बर, दिसम्बर, १९४८

## १९५. टिप्पणियाँ

### रोहतकमें संकट<sup>१</sup>

यह एक दुखद कथा है जिससे प्रभावित होकर दयालुओंको कार्रवाई करनी चाहिए। जो दान सम्पादक, 'हरिजन', सी पार्कक्रॉफ्ट्स रोड, ट्रिप्लीकेन, मद्रासके पतेपर भेजा जायेगा उसकी प्राप्ति-सूचना भेजी जायेगी और वह रकम उचित स्थानपर भिजवा दी जायेगी।

### मेरा आगामी दौरा

कई हरिजन-सेवकोंने यह प्रश्न पूछा है कि "आपके आगामी दौरेंमें जो धन इकट्ठा किया जायेगा, उसका बँटवारा किस तरह होगा?" यह धन इस आदेशके साथ केन्द्रीय बोर्डको सौंप दिया जायेगा कि जिस प्रान्त, जिला, तालुका या शहरमें जितना धन एकत्र हुआ हो उतना धन जहाँतक हो सके, वही खर्च किया जाये। यह तो एक सामान्य नियम हुआ। किन्तु मैं आशा करता हूँ कि कुछ स्थानों से बड़ी-बड़ी रकमे दानमें मिलेगी। इन दानोंका उपयोग तो जहाँ हरिजन-कार्यमें सबसे अधिक आवश्यकता मालूम होगी, वहीं किया जायेगा। इतना तो साफ समझ लेना चाहिए कि जिस जगहपर जो धन इकट्ठा किया जाये वही उसे खर्च करनेका अगर कोई सक्षम नियम बना दिया जायेगा तो वह उद्देश्य ही मारा जायेगा जिस उद्देश्य से कि धन-संग्रह किया जाना है। निस्सन्देह हर जगह स्थानीय कार्यकर्ता या दाता यह तो मुझे बतायेगे ही कि उस धनका उपयोग किस प्रकार किया जाये।

किसी कार्यकर्ता या दाताको इस बातसे डरनेकी आवश्यकता नहीं है कि संकलित धनका उनके खास जिलेमें या अच्छेसे-अच्छे तरीकेसे उपयोग नहीं किया जायेगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हरिजन-सेवक-सघका केन्द्रीय बोर्ड हिसाब-किताब बड़े अच्छे ढंगसे रखता है और सारा हिसाब बराबर जाँचा जाता है। और मेरा विश्वास है कि वह नियमित रूपसे प्रकाशित भी होता रहता है।<sup>१</sup>

### स्व० विट्टलभाई और हरिजन

अखबारोंमें श्री विट्टलभाई पटेलको धद्दाजलि देते हुए<sup>१</sup> मैंने जो कहा उसमें एक बात तो छूट ही गई जो नहीं छूटनी चाहिए। सन् १९१७ की गोधराकी राज-

१. पंजाबके रोहतक जिलेके, जहाँ सितम्बर १९३३ में भारी वर्षाके कारण २१,००० घर तबाह हो गये थे, हरिजनोंके पुनर्वासके लिए हरिजन सेवक सघ द्वारा खोले गये कोषमें धन देनेके हेतु अमृतलाल वि० ठक्करने जो अपील निकाली थी, यह टिप्पणी उसीमें संलग्न थी; देखिय "पत्र: अमृतलाल वि० ठक्करको", १०-१०-१९३३ भी।

२. यहाँ तकका अंश हरिजन में से अंग्रेजीसे लिया गया है। इसके बादका अंश हरिजनबन्धु में उपलब्ध मूल गुजराती से अनुवाद करके लिया गया है।

३. देखिय "अद्दाजलि: विट्टलभाई पटेलको", २४-१०-१९३३।

नीतिक परिषद्के अवसरपर विठ्ठलभाईको मैंने हरिजन वस्तीमें देखा था। वह दृश्य कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसाकि हुआ करता है, राजनीतिक परिषद्के साथ-साथ गोधरामें दूसरे सम्मेलनोंका आयोजन किया गया था। उनमें एक विश्व सुधार सम्मेलन भी था। उसमें एक प्रस्ताव हरिजनोंके सम्बन्धमें था। मैंने परिषद्में कहा कि जहाँ अँगुलियों पर गिनने लायक भी हरिजन मौजूद न हों, वहाँ उस प्रस्तावका रखना निरर्थक ही है। इससे यह अच्छा होगा कि रातको हरिजन-वस्तीमें जाकर वह प्रस्ताव पास किया जाये। सभाको यह बात पसन्द आ गई। हरिजन-वस्ती सवर्ण हिन्दुओंसे खूब भर गई। गोधराके इतिहासमें यह बात अपूर्व थी। तिल रखनेको जगह न थी। अब्बास साहब, उनकी बेगम साहिवा वगैरा तो थे ही। पर वहाँ मैंने एक दाढ़ीवाले भाईको कफनी, धोती और साधुओं जैसा कनटोप लगाये देखा। इस अजीब भेसमें विठ्ठलभाई को इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इसलिए मैं उन्हें झटसे न पहचान सका। पर जब पहचाना तो हम एक-दूसरेसे लिपट गये और मुक्त कंठसे हँसे। इस भेसमें विठ्ठलभाई का एक नाटकीय स्वांग तो था ही, किन्तु इसके अन्दर उनकी सादगी और जन-साधारणमें घुल-मिल जानेकी एक रुचि थी। वहाँ श्री विठ्ठलभाईकी उपस्थितिसे मुझे उनके हरिजन-प्रेमका परिचय मिला। और फिर ज्यों-ज्यों उनका अधिक अनुभव मुझे होता गया, मुझे विश्वास हो गया कि उनकी हरिजन वस्तीमें उस दिनकी उपस्थिति शुद्ध हार्दिक थी।

उनके अन्दर छुआछूतके लिए जरा भी जगह न थी; ऊँच-नीचका भाव भी उनमें नहीं था। उनका दृढ़ विश्वास था कि जो अधिकार या पद सवर्ण हिन्दुओंको प्राप्त हो सकें, वे सबके-सब हरिजनोंको भी मिलने चाहिए। और ऐसा ही उनका व्यवहार भी था। इसीसे मैं आशा करता हूँ कि आगामी ९ नवम्बरको जब उनके शवका अग्नि-संस्कार बम्बईमें होगा, उस दिन समस्त जनताके आँसुओंमें हरिजनोंकी अश्रुधारा भी सम्मिलित रूपसे बहेगी।

हरिजन, ३-११-१९३३ और हरिजनबन्धु, ५-११-१९३३

## १९६. उड़ीसाकी पुकार

१७ अक्टूबरको प्रातःकाल हम खण्डायता गये। घरघराते हुए जोरके पानीने किनारोंको तोड़ डाला था, और अनेक घरोंको ढहाती हुई मीलों लम्बी एक नई नदी ही वहाँ बन गई थी। वचे हुए बहुत ही थोड़े घर दिखाई देते थे। मारवाड़ी-संघ यहाँ काम कर रहा है। यह संघ २५ गाँवोंके ३५०० आदमियोंको भोजन पहुँचा रहा है और प्रतिव्यक्ति सात सेर चावल माह्वारी दिया जाता है। (कटकका डेढ़ सेर चार पाँडके बराबर होता है)। नूतना नगर और डोरोंके लिए भूसा भी संघ बाँट रहा है। इस तरह इन लोगोंपर संघने ५००० रुपये खर्च किये हैं। एक दूसरे केन्द्रमें संघ २७ गाँवोंके ५७०० बाड़-पीड़ितोंकी सेवा-सहायता कर रहा है। यहाँ फी आदमीको ५ टर्कों और एक तोला चावल मिलता है। इतनी थोड़ी-सी सहायताके लिए भी बड़ी रकम

मचती है। सहायताके दो मुख्य केन्द्र कटकमें और दो पुरीमें खोले गये हैं। वहाँ लगभग १५००० रुपये खर्च किये जा चुके हैं। खडायतासे हम खडरदा गये। हरिजन-बस्तियोंके आधे घर वहाँ मिट्टीमें मिल गये हैं। जो बच गये हैं, वे जर्जर हो गये हैं। वहाँ हमें एक बहन मिली। उसके आधे तनपर ही कपड़ा था। बेचारीका कोई आसरा नहीं था। वह कोई काम न मिलनेकी गिकायत करती थी। पास ही एक घरमें हमने एक बहन गीले फर्शपर पड़ी हुई देखी। वह तेज बुखारसे जल रही थी। जाड़ेका मौसम आ रहा है। इन गरीबोको कपडोकी तो जरूरत होगी ही। खडरदासे हम लोग झारपाडा गये। वहाँ हमने आठ स्वयंसेवकोको अत्यन्त कठिन परिस्थितिमें काम करते हुए देखा। रोगियोंके लिए वे दवादारुका प्रबन्ध करते हैं और जिन मरीजों की हालत बहुत ही असाध्य है उन्हें टिकानेकी भी उन्होंने किसी तरह कुछ व्यवस्था कर ली है। इन बेचारे रोगियोंको किस प्रकारकी सेवा-शुश्रूषा मिल सकती है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ बालिग व्यक्तियोंको तो हर सप्ताह चार पौड चावल (जिसकी कीमत ६ पैसे होती है) दिये जाते हैं और नाबालिगोंको दो पौड। समर्थ और स्वस्थ लोगोको कुछ नहीं दिया जाता। अतः सहायता मुख्यतया औरतो और बच्चोको ही मिलती है। मैं नहीं समझता कि दयावान धर्मभीरु व्यक्तियोंके धनका इस समय इससे अधिक अच्छा कोई उपयोग हो सकता है। पर आप कही इससे यह कल्पना न कर ले कि जो सहायता दी जा रही है वह किसी भी दृष्टिसे पर्याप्त है। यदि और पैसा हो तो और भी केन्द्र खोले जा सकते हैं। प्रति माह चालीस से लेकर पचास हजार रुपये तकका उत्तम-से-उत्तम उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ५०,००० रुपयेसे, आठ आने माहवारके हिसाबसे भी, सिर्फ एक लाख आदमियोंकी ही सहायता की जा सकती है। मगर बाढ़-पीड़ितोंकी संख्या तो इससे कहीं अधिक है।

श्री हरखचन्द मोतीचन्दके पत्रोंके कुछ अंशोका उल्था मैंने ऊपर दिया है। उन्हें स्थानीय बाढ़-सहायता समितिकी मदद करनेके लिए ही उड़ीसा भेजा गया है। इस समितिका प्रधान-पद दीनवन्धु एन्द्रचूजने स्वीकार कर लिया है। ठक्कर बापाने मुझे यह मीठी झिडकी दी है— और ऐसा करनेका उन्हें अधिकार है कि :

बेचारे बाढ़-पीड़ितोंकी संकट-कहानियाँ आप 'हरिजन' में क्यों नहीं प्रकाशित करने देते? उनकी दशा हरिजनोंसे कुछ अधिक अच्छी नहीं है। और अगर आप हरिजनोंकी ही बात कहते हैं, तो उनमें आपके हजारों हरिजन भी बाढ़-पीड़ित निकल आयेंगे। अगर आप देवदास-लक्ष्मीके विवाह-वर्णनके लिए अपने पत्रमें कुछ स्थान दे सकते हैं, तो उड़ीसाके उन बाढ़-पीड़ितोंके कष्टोंकी ओर आपका ध्यान जाना ही चाहिए। उड़ीसाके लिए आप एक हृदयस्पर्शी अपील निकाल ही चुके हैं। अगर आप समय-समयपर 'हरिजन' में उड़ीसाके बाढ़-पीड़ितोंकी हालत छापते रहें, तो इसमें नर्यादाका उल्लंघन नहीं होगा।



'हरिजन' में देवदास-लक्ष्मीके विवाहकी चर्चा हरिजन-कार्यके हितार्थ आवश्यक थी, इस बातको भूल जानेके लिए ठक्कर बापाको क्षमा करना होगा। पर प्रेम अन्धा होता है; और ठक्कर बापा समस्त पीड़ित मानवसमाजके प्रेमी है, फिर वे पीड़ित जन ससारके चाहे किसी भी भागके हो। सर्वशक्तिमान प्रभुने जो एक सीमा निर्धारित कर दी है, उस हदतक ही उनका प्रेम सीमित है। इसीलिए वह पुकार-पुकार कर कहते हैं: "देखिए, पंचमहालके मेरे भीलोंके लिए उस दिन मेरे कार्यकर्त्ताओंको कितना पैसा मिल गया था? फिर उन भीलोंकी अपेक्षा एक पूरे प्रान्तकी कहीं अधिक पीड़ित जन-संख्याके लिए आपको उससे भी अधिक धन क्यों नहीं मिल सकता।" वह ठीक कहते हैं, और मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक इस लेखके पाठकोसे सहायताकी अपील करता हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहाँके लोग संकटमें हैं। मैं सदासे मानता आया हूँ कि उड़ीसा भारतका अत्यन्त असहाय और दरिद्र देश है। पुण्योपार्जनके लिए सहस्रो तीर्थ-यात्री पुरीके प्राचीन मन्दिरका दर्शन करने जाते हैं। यात्रियोंमें सैकड़ों ही व्यक्ति इतने धनी होते हैं कि वे भूखोंकी भूख गान्त कर सकते हैं और नंगोंको कपड़े पहना सकते हैं। समय वेशक खराब है, पर धनवानोंके लिए यही उपयुक्त अवसर है कि वे अपने मुख्य और भोग-विलासकी जिन वस्तुओंको अभीतक आवश्यक मानते रहे हैं उनका त्याग करके, ईश्वरने उन्हें जो धन प्रदान किया है उस धनपर असहाय दीन-दरिद्रोंकी सेवा-सहायता करते हुए अपना उचित अधिकार स्थापित कर ले।

१९१५ में जब मैं भारत लौटा तभीसे मुझे ऐसा लगता है मानो देशकी सारी मुसीबत और बेवसी उड़ीसामे ही सिमटकर आ गई हो। बम्बईकी सहायता समिति भी वहाँ काम कर रही है, पर बम्बईके नागरिकोंमें मैं कहूँगा कि उनका उद्योग तो बहुत ही अल्प है। यह लेख लिखते हुए मुझे मालूम हुआ है कि बम्बईने सिर्फ १२,००० रुपये ही दिये हैं। भूख और वस्त्रहीनताकी स्थिति उत्पन्न हो जानेपर बम्बईने कभी खराब समयकी दलील दी हो, ऐसा कोई प्रसंग मुझे याद नहीं आता। जब बम्बईवासियोंके कानमें सहायताकी पुकार गूँजने लगती है, तो वे अपने सिनेमा और थियेटर-जैमे मनोरजनके स्थानोंमें भी बेचैन हो उठते हैं। पहलेके मुकाबले आज उन्हें कम उद्योग नहीं करना चाहिए। और भारतके अन्य प्रान्तोंके भी धनवान क्यों न जाग पड़े? दिल खोलकर दान देनेमें बम्बईवालोंके साथ वे क्यों न वाजी लगा दें? जो दान सम्पादक, 'हरिजन', पाईक्रॉफ्ट्स रोड, ट्रिप्लीकेन, मद्रासके पतेपर भेजा जायेगा, उसकी प्राप्ति-सूचना पत्रमें प्रकाशित की जायेगी, और वह रकम उचित स्थानपर भिजवा दी जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३-११-१९३३

## १९७. क्रूरताकी दो कथाएँ

इस पत्रमे प्रति सप्ताह हरिजन-कार्यका सुस्थिर प्रगतिके सुखद समाचार प्रकाशित हुआ करते हैं। पर यह आनन्द हरिजनोके प्रति किये गये उन अमानुषी अत्याचारोसे ढँक जाता है, जिनकी खबरें समय-समय पर प्रकाशमे आती रहती हैं। गुजरातके खेडा जिलेमे समरखा नामका एक गाँव है। खबर आई है कि वहाँके सवर्णोंने ईसाई हरिजनोंकी फसल इसलिए जला दी कि उनमे से एक या एकाधिक लोगोने एक सार्वजनिक कुएँसे पानी भरनेका साहस किया था। सुना है कि अदालतमे यह मामला चल रहा है।

अहमदावादके धोलका ताल्लुकाके एक गाँवमे हरिजनोका चाबुकोसे पीटे जानेके समाचार आये हैं, जिनमे से दो तो मर्त घायल हुए हैं। कारण यह बताया जाता है कि एक हरिजनने सार्वजनिक तालावमे नहानेकी घृष्टता की थी।

इस प्रकारके सिर्फ़ ये ही दो मामले नहीं हैं। बहुत सगीन होनेके कारण ही ये मामले प्रकाशमे आये हैं। हमे बहुत-से उन छोटे-छोटे अन्यायोका तो पता ही नहीं है, जो निरपराध हरिजनो पर प्रायः होते रहते हैं, और सो भी सिर्फ़ इसलिए कि वे कानूनसे स्वीकृत मानवीय अधिकारोका उपयोग करते हैं।

इन घटनाओसे सनातनियोकी आँखे खुल जानी चाहिए। मैं एक भी ऐसे सनातनीको नहीं जानता जिसने इस प्रकारकी बर्बरताका समर्थन किया हो। इन दुर्घटनाओको रोकने, या इनसे निवटनेके लिए वे चाहे तो सुवारकोके साथ काम करे, पर उन्हे खूब प्रभावपूर्ण रीतिसे काम करना चाहिए।

हरिजन-सेवकोका कर्तव्य स्पष्ट है। जब आवश्यक ही हो जाये, तो अदालत तक ऐसे मामले ले जानेमे वे संकोच न करें। पर ऐसा करनेसे पहले उन्हे इस बातकी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अन्याय करनेवालोको यह भान करा दे कि उन्होने अन्याय किया है और उस अन्यायकी यथेष्ट क्षतिपूर्ति करनेके लिए भी उन्हे राजी करें। मेरा विश्वास है कि ऐसा किया जा सकता है। उदाहरणके तौरपर, यदि समरखा गाँवमे नडियादके, और जरूरो हो तो अहमदावादके भी, खाम-खास व्यक्ति जाये और उन अत्याचारियोको दलीलसे समझाये तो ऐसा किया जा सकता है। ये लोग अपने पूर्वजोके समयसे यही समझते चले आ रहे हैं कि सवर्ण हिन्दू लोग हरिजनोके साथ मनुष्यताका नहीं, बल्कि जड़ सम्पत्तिका-सा बरताव कर सकते हैं। मनुष्यके मानवोचित अधिकारोके विषयमे जो घोर अज्ञान फैला हुआ है वह तभी दूर हो सकता है, जब इस पर लोकमतका प्रकाश पड़ेगा। मुझे आशा है कि कोई हिन्दू यह खयाल नहीं करता होगा कि ईसाई हरिजनोके लिए उसे चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नहीं है। जो अधिकार सवर्ण हिन्दुओको प्राप्त हैं, निश्चय ही वे ही सार्वजनिक

अधिकार हिन्दू-हरिजनोंको प्राप्त है, और इसीलिए वे ही सार्वजनिक अधिकार ईसाई हरिजनोंको भी प्राप्त है। सबर्ण हिन्दू यदि सार्वजनिक संस्थाओंका उपयोग नहीं करना चाहते तो वे केवल अपने ही उपयोगके लिए अपने खर्च पर दूसरी सस्थाएँ खड़ी कर सकते हैं। भिन्न-भिन्न जाति और सम्प्रदायवाले चदा इकट्ठा करके अपने लिए पृथक पाठशालाएँ और अलग अस्पताल बनाते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं करता। पर जो वस्तु जन-साधारणकी है, उसे उपयोगमें लानेसे कोई किसीको कैसे रोक सकता है? फिर यह भी स्मरण रहे कि इन ईसाई हरिजनोंकी सृष्टिके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। सर्वथा अप्रत्याशित स्थानोंमें भी अस्पृश्यताका पाप फैल गया है। सदियोंसे जिस पापको हम आसरा देते आ रहे हैं, उसके लिए अगर अब हमें ढण्ड भोगना पड़े, तो हमें दुःखी नहीं होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ३-११-१९३३

## १९८. चर्मालयकी जरूरत नहीं है ?

एक सज्जनने नीचे लिखा प्रश्न उठाया है :

हरिजन-सेवाके लिए समर्पित आश्रममें हरिजन-सेवक-संघका अखिल भारतीय अथवा प्रांतीय बोर्डका कार्यालय रखा जाये, यह बात मैं समझ सकता हूँ। और वहाँ छात्रालय और एक आदर्श हरिजन-बस्ती बनानेकी योजना भी समझ सकता हूँ। किन्तु चमड़ेका कारखाना वहाँ खोलना मुझे ठीक नहीं लगता। और अगर वहाँ चर्मालय ही रखना है, तो फिर भंगीका काम और सफाई सिखानेका भी एक विभाग क्यों न खोला जाये? चमड़ा कमानेका काम अगर हरिजनोंका है, तो वह भी तो उन्हींका काम है।

यह तो एक मिथ्या हेतुका तर्क है। लेखकने चर्मालय रखनेका हेतु नहीं समझा। उसके रखनेका उद्देश्य यह है कि चमड़ा कमानेके काम को एक महान् राष्ट्रीय उद्योग बनाया जाये। चमड़ेका रोजगार बहुत बड़ा है। जो कच्चा चमड़ा हम हिन्दुस्तानसे बाहर भेज देते हैं, उसे अपने देशमें ही रखना चाहिए और उससे अपनी आवश्यकता की चीजे बनानी चाहिए। इससे अवश्य ही अपने देशकी सम्पत्तिमें बहुत वृद्धि होगी। हजारों हरिजन आज चमड़ा कमानेके काममें लगे हुए हैं। यह एक इज्जतका ग्रन्था है, और इस रोजगारमें बहुत लाभ है। इसका अगर अच्छी तरहसे सगठन किया जाये, तो यह और भी अधिक लाभदायक हो सकता है। लेकिन गाँवोंमें तो चमड़ा सिखानेका काम बड़े ही बेढगे तरीकेसे किया जाता है। इसके अलावा उसकी तमाम क्रियाएँ सफाईके साथ और वैज्ञानिक रीतिसे नहीं की जाती। यदि वे वैज्ञानिक पद्धतिसे की जाती, तो ढोरोंकी खाल उतारने व सिखानेके प्रति लोगोंके मनमें मे जो घिन है, वह न रहती। इसलिए इस नई सस्थामें चमड़ेका कारखाना खोलनेके पीछे यह विचार है

कि इस धन्धेको प्रतिष्ठित बनाया जाये और अभी इसमें जो गन्दगी और वेदगापन नजर आ रहा है, वह सब दूर कर दिया जाये। फिर यह भी बात नहीं है कि इस कामको वहाँ केवल हरिजन ही करेगे। वे लोग गैर-हरिजनोके साथ-साथ यह काम करेगे। यह काम सीखनेके लिए कोई मजबूर नहीं किया जायेगा, और यह तो कोई कह ही नहीं सकता है कि इस कामको वैज्ञानिक रीतिसे या अधिक स्वच्छताके साथ करनेका ढंग सीखनेके लिए कोई भी हरिजन तैयार नहीं होगा। अन्तमे एक बात और कह देना चाहता हूँ। वह यह कि मैंने तकनीकी विभागकी जो चर्चा की है, वह तो एक उदाहरणके रूपमे है। अगर सब काम ठीक-ठीक चला, तो और भी अनेक विभाग खोल दिये जायेगे। सफाई करनेकी अच्छीसे-अच्छी पद्धति ढूँढ निकालनेका भी एक विभाग होगा, जहाँ सब लोग एक साथ भाग ले सकेंगे। सफाईके प्रति हमारी लापरवाहीके कारण ही हम लोगोमे बीमारियाँ बढी है और गन्दी आदते जड पकड चुकी है। मुझे तो आशा है कि वहाँ ऐसा एक भी रोजगार या धन्धा उपेक्षा की दृष्टिसे नहीं देखा जायेगा जो हरिजनोके लिए लाभदायक हो, फिर भले ही वह धन्धा उन्होने आजतक कभी किया हो या न किया हो।

[ अग्रेजीमे ]

हरिजन, ३-११-१९३३

## १९९. पत्र : अगाथा हैरिसनको

सत्याग्रह आश्रम, वर्धा

३ नवम्बर, १९३३

प्रिय अगाथा,

बंगालके गवर्नरको भेजे गये अपने पत्र<sup>१</sup>की एक प्रति मैं इस पत्रके साथ संलग्न कर रहा हूँ। गवर्नरको लिखे पत्रके साथ भेजे गये संलग्न पत्रोके लेखक श्रीयुत सतीश-चन्द्र दासगुप्त सम्मानित और हमारे एक जाने-माने सहयोगी है। उनमे अहिंसाकी भावना कूट-कूट कर भरी हुई है, वह दिखावटी बिलकुल नहीं है। और जिन सच्चे लोगोसे मिलनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उनमे से वे एक है। हिजली जलकी प्रथाका उन्हें पहले-पहल तब पता चला जब उन्होने यह जाना कि उनके भाईको, जो एक सविनय प्रतिरोधी है, हथकडियाँ पहना कर हाथ ऊपर रखते हुए खडा रहनेकी सजा दी गई थी। लोहेकी बेडियाँ हथकडियोसे अलग होती है। लोहे की बेडियाँ पैरोके लिए होती है।

इस समय तो जो बातें मेरे ध्यानमे आती है उनके सम्बन्धमे कोई मार्वाजनिक आन्दोलन चलानेका मेरा इरादा नहीं है। मैं ऐसी चीजे अधिकारियोको सौप देता

हूँ। इसलिए जबतक मैं तुमसे कहूँ नहीं तबतक इस प्रकारका कोई पत्र-व्यवहार तुम्हारी ओरसे भी नहीं छपना चाहिए। इसके अलावा इस प्रकारकी सूचनाका उपयोग करनेकी तुम्हें मनाही नहीं है।

सीमा प्रान्तसे प्राप्त एक पत्रकी प्रति भी मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे भेजे गये सतीश बाबूके पत्रमें हिजली जेलमें होनेवाले व्यवहारका जो वर्णन किया गया उससे भी कहीं ज्यादा खराब व्यवहारकी कहानी इस पत्रमें कही गई है। स्वाभाविक है कि सीमा प्रान्तसे प्राप्त सूचनाकी सत्यताको कोई भी प्रमाणित नहीं कर सकता। लेकिन फादर एल्विनने वहाँकी हालतका जैसा उद्घाटन किया है उसके बाद पत्रमें यदि वहाँकी स्थितिको कुछ घटाकर ही बताया गया हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यह पत्र मुझे अभी-अभी मिला है और मैंने अभी यह निश्चय नहीं किया है कि मैं उसका यहाँ पर कैसे उपयोग करूँ।

सी० एफ० एन्ड्र्यूज यहींपर हैं।

वापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४७३)से।

## २००. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

३ नवम्बर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

मेरी अपनी तो यह राय है कि सीमा प्रान्तसे मिले पत्रमें जिस नृशंसताका उल्लेख किया गया है उसपर निजी स्तरपर कार्रवाई करनी चाहिए तथा अधिकारियोंको इससे कम क्रूर साधनोंको अपनानेके हेतु प्रेरित करनेके लिए हमें सारे उपायोंका उपयोगमें ले आना चाहिए। मैं एन्ड्र्यूजसे सीमा प्रान्त वाले पत्रपर कार्रवाई करनेको कह रहा हूँ। और यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहूँगा कि तुम यह ट्रिपणी सर तेजबहादुरको दिखा दो और देखो कि उनका क्या कहना है और यह इस मामलेमें कुछ करनेको तैयार हैं या नहीं।

हिजलीमें क्या-कुछ हो रहा है इस सम्बन्धमें बंगालके गवर्नरको भेजे गये अपने पत्रकी एक प्रति मैं इस पत्रके साथ संलग्न कर रहा हूँ।

सप्रेम,

वापू

[ अंग्रेजीसे ]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## २०१. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

वर्धा

४ नवम्बर, १९३३

सुज्ञ भाईश्री,

दीनबन्धु एन्ड्र्यूज यही है। आज जायेगे और ११ तारीखको इंग्लैंडके लिए रवाना होंगे। आपने विलायतमें उनसे शान्तिनिकेतनके लिए ५,००० रुपये देने अथवा दिलवानेके लिए कहा था, लेकिन एन्ड्र्यूज इसकी माँग ब्योकर करे? यदि यह रकम भेजी जा सके तो भेजना। गुणदेवको पैसोकी हमेशा तगी रहती है और यदि उन्होंने आपके ५,००० रुपये मिलने की आशामें कोई योजना बनाई होगी तो उसे छोड़ना पड़ेगा और इससे वे परेशान होंगे। आशा है, आपकी तबीयत अच्छी रहती होगी। एन्ड्र्यूजने मुझे आपका पत्र पढवाया। मेरी चिन्ता क्या की जाये? ईश्वरको यदि मेरा दौरा पूरा करवाना होगा तो वह मेरे शरीरकी रक्षा करेगा। उससे अच्छा चौकीदार अथवा डाक्टर कहाँ ढूँढने जाऊँ?

मोहनदासके बन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३०) से। सी० डब्ल्यू० ३२४६ से भी;  
सौजन्य : महेश पी० पट्टणी

## २०२. पत्र : मणिबहन पटेलको

४ नवम्बर, १९३३

चि० मणि,

तेरा पत्र मिला। डाह्याभाई अच्छी तरह जूझ रहा है। जहाँ गन्दगी अथवा कृत्रिमता दिखाई दे वहाँ वह भले ही जूझे। तेरी देखभाल ठीक तरहसे हो रही होगी। मुझे नियमपूर्वक लिखती रहना। बावो यहाँ आ गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मेरे जानेके बाद बा [जेल जानेके लिए] निकलेगी। इसके लिए हमें तैयारी तो कर ही लेनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो - ४ : मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ ११०

१. मणिवहनके अनुसार गाधीजीने उक्त बात विट्टलभाईके दाह-संस्कारके सम्बन्धमें क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, इसको लेकर कही थी।

## २०३. उत्तर : पत्र-लेखकोंको<sup>१</sup>

[५ नवम्बर, १९३३ से पूर्व]

हम कमसे-कम क्या कर सकते हैं?<sup>२</sup>

सेवाका भी मोह हो सकता है। मोहमात्रका त्याग करनेसे ही सच्ची सेवा हो सकती है। क्या अपंग मनुष्य भक्ति नहीं कर सकते? सेवा मनसे भी की जा सकती है। एक-दो हरिजन वालाओंको घरमें रखो और उनका पालन पोषण करो।

### स्वप्नदोषका उपाय

दूध, रोटी और उबली हुई सब्जी खानी चाहिए, मिर्च मसाले आदि छोड़ने चाहिए। खुली हवामें परिमित व्यायाम करना चाहिए। राष्ट्र-पोषक उद्योगमें तल्लीन रहना और रामनाम लेना चाहिए। इतना किया जाये तो स्वप्नदोषके दूर होनेकी सम्भावना है।

### यह रोग कैसे दूर हो?

तुम्हारा रोग उपचार-नाभ्य है, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम्हें पौष्टिक खुराक और औषधियोंका त्याग करना चाहिए? यदि तुम घरसे बाहर खुली हवामें रहोगे और ताजा दूध, ताजे फल, हरी सब्जियाँ और रोटी खाओगे, जितना शरीरको माफिक आये वैसा परिमित व्यायाम करोगे, और जिससे विकार उत्पन्न हो ऐसा साहित्य नहीं पढ़ोगे, सिनेमा और नाटक नहीं देखोगे तो तुम अच्छे हो सकोगे।

### एकाग्रचित्त कैसे हुआ जाये?

एकाग्रचित्त होनेका सबसे अच्छा उपाय है जो शारीरिक काम किया जाये उसमें तन्मय हो जाना; और उसे अच्छेसे-अच्छा करनेका प्रयत्न करनेसे उसमें तन्मयता आ ही जाती है।

ईश्वरके नामोंमें जिसका हमे अभ्यास हो उसे तो सत्रसे अधिक उपयोगी ममज्ञाना चाहिए। मुझे तो रामनाम बहुत ही प्रिय है।

१. यह लेख “डाकके थैलेसे” शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

२. यह एक ऐसी स्त्रीको लिखा गया था जो अस्वस्थ रहती थी और जो अस्वस्थताके कारण हरिजनोंकी सेवा करनेमें असमर्थ होनेकी वजहसे दुखी रहती थी।

अन्तर्नाद क्या है ?<sup>१</sup>

तुम जो कहते हो वह तात्त्विक दृष्टिसे ठीक है, लेकिन अन्तर्नाद किमे कहा जाये, यदि इसकी तुम्हे स्पष्ट कल्पना न हो तो इस सिद्धान्तको व्यवहारमे नही उतारा जा सकता। सत्यके यथार्थ ज्ञानके साक्षात्कारको ही मैं अन्तर्नाद मानता हूँ।-और चूँकि हमें सत्यका सम्पूर्ण दर्शन हो नही पाता, तथा हम जिस सत्यको देखते है वह अपूर्ण होता है, इसलिए हम जगतके ऋपियोको अपना मार्गदर्शक मान लेते है और उनका अनुकरण करने लगते है। सत्यका साक्षात्कार किया जा सके, इसके लिए स्पष्ट नियम बनाये गये है, और उनका पालन करनेसे ही सत्यके दर्शन किये जा सकते है। कहनेका तात्पर्य यह कि जिस तरह भूमितिकी शिक्षा ग्रहण किये बिना भूमितिका ज्ञान प्राप्त नही हो सकता उसी प्रकार आवश्यक साधना किये बिना किसीको अन्तर्नाद सुनाई दे सकता है, ऐसा नही कहा जा सकता। अतएव मेरी व्याख्याके अनुसार खूनी अपने खूनका बचाव अन्तर्नादकी दुहाई देकर नही कर सकता।

उपवासकी मर्यादा<sup>२</sup>

मेरी दृढ़ मान्यता है कि निजी स्वार्थके कारण किसीको कतई उपवास नही करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने दुखके लिए दूसरोके सामने उपवास करने लगे तो सार्वजनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाये। इसलिए इस भाईको समझाकर उमका उपवास तुड़वा देना चाहिए।

करोड़ों लोगोंका विचार करो<sup>३</sup>

घर्मका पालन करने वाला विवशताका अनुभव नही करता। कर्ज लेकर दवा-दारुमें पैसे खर्च नही किये जाने चाहिए। यदि तुम करोड़ो लोगोके साथ अपनी तुलना करोगे तो तुम्हे अपनी स्थिति दूसरोसे हजार गुना बेहतर लगेगी। इस समय तुम पर जो आर्थिक सकट आ पडा है यदि तुम उसे सहन करनेकी शक्ति का विकास कर लोगे तो सारा दुख, सुखमे परिवर्तित हो जायेगा। आठ व्यक्तियोंमे से जो मजदूरी करने लायक हो उसे मजदूरी करनी चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, ५-११-१९३३

१. एक पत्र-लेखकने गांधीजीसे पूछा था, क्या हर एक व्यक्तिको आपका अनुकरण करनेका और अपने अच्छे-बुरे सभी कार्योंके पक्षमें 'अन्तर्नाद' की दुहाई देनेका अधिकार नहीं है ?

२. यह उत्तर एक व्यक्तिके मित्रको दिया गया था जो अपनी नौकरीसे हाथ धो बैठा था और उसे दुबारा हासिल करनेके लिए उपवास कर रहा था।

३. यह एक ऐसे पत्र-लेखकके प्रश्नके उत्तरमें दिया गया था जिसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और जिसने इस सम्बन्धमें गांधीजीसे सलाह माँगी थी।



## २०४. एक कार्यकर्त्ताकी समस्या

एक हरिजन-सेवकने अपने मामाके श्राद्धपर मिली एक सोने, रुद्राक्ष तथा मुँगेकी वनी दोहरी माला तथा साढ़े तेरह रुपये हरिजन-सेवाके लिए भेजे हैं। इन्हे भेजते हुए उक्त भाईने लिखा है :<sup>१</sup>

इसका सक्षिप्त और सीधा उत्तर यह है कि मनुष्यको किसीको सन्तोष प्रदान करनेके लिए अपने सिद्धान्तके विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए। हमसे यदि कोई व्यक्ति कुछ काम करवाना चाहे और यदि हमें साफ तौरपर यह लगे कि वह काम हमारे सिद्धान्तके विरुद्ध है तो हमें किसीके आग्रहके आगे कदापि नहीं झुकना चाहिए।

लेकिन मेरे इस उत्तरसे प्रश्नकर्त्ताको सन्तोष नहीं होनेवाला, सो मैं जानता हूँ। समस्त मानसिक दुर्बलताओका मूल एक ही होता है और वह है ईश्वरके प्रति हमारा अविश्वास। मुँहसे ईश्वरका नाम लेना अथवा रुद्रिके वक्ष होकर देवदर्शन इत्यादि करना हमारी आस्तिकता का चिह्न नहीं है। ईश्वरके प्रति विश्वास हृदयगत वस्तु होनी चाहिए और यह बात जिसके हृदयमें पैठ गई हो उसे अन्य किसीको सन्तुष्ट करनेकी कोई जरूरत नहीं होती। जिसने ईश्वरको सन्तुष्ट किया वह जीत गया और जिसने उसे नहीं पहचाना वह हजारोंको सन्तुष्ट करनेके बावजूद हार गया है, क्योंकि एक-एक व्यक्तिको सन्तुष्ट करनेके लिए मनुष्यको अपने-आपको खोना पड़ता है। ईश्वर अर्थात् अन्तरात्मा, क्योंकि ईश्वरके सम्बन्धमें ऐसी धारणा है कि वह कण-कण में व्याप्त है और यह कोरी धारणा नहीं है बल्कि सिद्ध की हुई चीज है। कोई इसे ईश्वर नामसे न जानकर प्रकृतिके नामसे जानता है। कोई इसे महाशक्तिके नामसे पहचानता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक अणुमें छिपी ऐसी कोई शक्ति है जिसके आधार पर यह संसार टिका हुआ है। इस महाशक्तिके अधीन होकर जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसमें दुर्बलता टिक ही नहीं सकती। उसका मनोबल दिनोदिन बढ़ता जाता है। इस शक्तिको प्रकट करनेके लिए जगतके ज्ञानी लोगोंने जो साधन बताये हैं वे सर्वप्रसिद्ध हैं। जो व्यक्ति उसका आधार लेता है उसमें वह शक्ति प्रकट हुए बिना नहीं रहती। इन साधनोंके बारेमें मैं 'हरिजनबन्धु' में उल्लेख कर चुका हूँ।<sup>२</sup> इसलिए यहाँ लिखनेको कुछ नहीं रह जाता।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, ५-११-१९३३

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने पूछा था : उस दुर्बलतासे कैसे छुटकारा पाया जाये जिसके वशीभूत हो दूसरोंको प्रसन्न करनेके लिए हम अपने सिद्धान्तोंके विरुद्ध काम करने लगते हैं।

२. देखिए "कुछ नैतिक प्रश्न", २२-१०-१९३३।

## २०५. हरिजन-कार्यकर्ताकी पिटाई

भाई गोकुलदास खीमजी माडवी कच्छके प्रसिद्ध कार्यकर्ता और हरिजन-सेवक है। इनके बारेमें लिखते हुए एक भाई कहते हैं कि जब मैं कच्छ गया था तब मैंने उन्हें एक गरीब गायकी उपमा दी थी। यह प्रसंग मुझे याद आता है। गोकुलदास सचमुच ऐसे विनम्र हैं। उनसे जो सेवा बन सकती है वह अवश्य करते हैं। किसीको कष्ट पहुँचानेका उनका स्वभाव ही नहीं है। उन्होंने गुजरात अस्पृश्यता-निवारण सघके मन्त्री भाई परीक्षितलालको निम्नलिखित पत्र लिखा है :<sup>१</sup>

इसमें जीत मारनेवालेकी नहीं हुई वरन् मार खानेवालेकी हुई है। गोकुलदास जैसे गरीब सेवकोपर पड़नेवाली मारसे ऐसी सात्विक शक्ति पैदा होगी कि जिसके द्वारा सवर्ण हिन्दुओंकी हड्डियाँ पिघल जायेगी और हरिजनोके बन्धन टूट जायेगे। कच्छके समझदार सनातनी हिन्दुओंको ऐसी गुण्डागर्दीको रोकनेके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अस्पृश्यता यदि धर्म है, तो भी इस धर्मकी रक्षा तपोबलसे हो सकती है। पशुबलसे इसकी रक्षा की जा सकती है, यह बात कभी सुननेमें नहीं आई।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ५-११-१९३३

## २०६. पत्र : तोताराम हिंगोरानीको

वर्धा

५ नवम्बर, १९३३

प्रिय मित्र,

मुझे आपका पत्र अच्छा लगा। उसमें आनन्द और विद्याके प्रति प्रेम-भाव झलकता है। नि.सन्देह वे दोनो भावुक हैं। लेकिन वे दोनों सोनेकी तरह खरे हैं। आपको उनपर गर्व होना ही चाहिए। मुझे भी आपका उन दोनोके लिए रचनात्मक कार्य ढूँढनेका विचार पसन्द है। लेकिन आपकी इस इच्छामें मुझे जरूरतसे ज्यादा स्नेहकी झलक मिलती है। मैं आपसे विनती करूँगा कि आप संयमसे काम ले। आनन्द ने परमात्माको जो पवित्र वचन दिया है यदि उसे भंग किया जाता है अथवा उसे भंग करनेके लिए उकसाया जाता है तो इससे आनन्दकी आत्माको कष्ट पहुँचेगा। इस बातके लिए आपको मेरे आश्वासनकी कोई जरूरत नहीं कि आनन्द आपकी और

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। गोकुलदासने किसी सबक विशेषपर हरिजन बच्चोंको ले जानेका आग्रह किया था जिसका राजपूतोंने विरोध किया और उन्हें मारा।

१९३

आपकी नेक पत्नीकी पूजा करता है। वह आपकी अनुमति और आशीर्वाद पानेके लिए कुछ भी करनेको तैयार है। माता-पिताके प्रति ऐसा पूजा-भाव रखनेका उपयोग यदि उसे कमजोर बनानेके लिए किया जाता है तो यह गलत होगा। इसलिए फिलहाल आप उसे वह काम करने दे जिसके करनेका उसने ईश्वरको वचन दिया है। वह सुरक्षित रहेगा। ईश्वर उसका ध्यान रखेगा। जहाँतक विद्याका ताल्लुक है, प्यारी सासके अन्धे प्रेमसे उसका दम घुटा जा रहा था। वह यहाँ खादी-कार्य कर रही है। आप यकीन माने, उसका स्वास्थ्य अच्छा है और महादेवका भी अच्छा है। उसे अच्छे लोगोंका साथ मिला हुआ है और वह अपने ढंगसे रहती है। वह अंग्रेजी पाठ सीखती है। और यदि उसकी तबीयत ठीक रही और वह चाहे तो मैं हिन्दीकी शिक्षा भी देना चाहता हूँ। यदि ईश्वरने चाहा तो एक सालके अर्सेमें तो वह आपके पास मन और शरीरसे अधिक सशक्त और स्नेहमयी पुत्रीके रूपमें लौटेगी।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी।

## २०७. पत्र : प्रेमी जयरामदासको

५ नवम्बर, १९३३

प्रिय प्रेमी,

तुम्हारा पत्र और पिताजीकी खबर पाकर मुझे खुशी हुई। नि.सन्देह हैदराबाद में मेरे लिए कोई ऐसा घर नहीं है जो मुझे तुम्हारे घर जितना प्रिय हो। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो तुम मुझे वही रखना और या फिर जहाँ तुम्हारी ओरसे कमेटी मुझे और मेरे साथ चलनेवाली लम्बी पलटनको रखना चाहे, वहाँ रखना। क्या पिताजीको बहुतसे पत्र पानेकी इजाजत है? उन्हें मेरा प्यार देना और उनसे कहना कि विद्या उन्नति कर रही है।

बापू

श्रीमती प्रेमीबहन

मार्फत श्री जयरामदास दौलतराम  
मार्केट रोड, हैदराबाद (सिन्ध)

मूल अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९२४४) से; सौजन्य : जयरामदास दौलतराम

## २०८. पत्र : जे० सी० कुमारप्पाको

५ नवम्बर, १९३३

प्रिय कुमारप्पा,

तुम्हारा पत्र मिला।

आशा है कि अब तुम्हारे रहनेका ठीक प्रबन्ध होगा और इलाजसे फायदा हो रहा होगा।

वा और मनुके बहुत जल्द अहमदाबाद पहुँचनेकी सम्भावना है।

मेरी यात्रा सही तौरपर इसी ८ तारीखको शुरू हो रही है। कार्यक्रम तुम्हें मिल जायेगा। लेकिन मेरा पता वर्षाका ही मानना।

तुम्हारे बहुतसे साथी इस समय यहाँ हैं—मोरारजी<sup>१</sup>, स्वामी, गोकुलभाई, दीवानजी। वे अभी ही आये हैं और बस अभी ही जानेवाले हैं।

हम सबकी ओरसे प्यार,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०१०२) से।

## २०९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

[५ नवम्बर, १९३३]<sup>२</sup>

भाईश्री वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र आज मिला। विठ्ठलभाई श्राद्ध समितिके बारेमें तुम्हें जहाँसे जितना मालूम हुआ है वहीसे उतना ही मुझे भी मालूम हुआ है। मणि क्या अकेले तुम्हारी बेटी है?

ने<sup>३</sup> जो विश्लेषण किया सो स्वामीने मुझे पढाया था अन्यथा कदाचित् मैं इस साहित्यको पढनेसे वंचित हो जाता। सीधी बात तो यह कहो कि तुम मेरे पास नहीं हो। यह बात जितना तुम्हें सालती है उतना ही मुझे भी सालती है। इसलिए मैं एकलव्यका अनुकरण करता हूँ। जब द्रोणाचार्यने उसे निकाल बाहर किया तब वह उनका पुतला सामने रखकर धनुर्धर बन गया। मुझे धनुर्धर नहीं बनना है।

१. मोरारजी देसाई।

२. इस पत्रकी तारीख सी० एफ० एन्ड्यूज्के वर्षा छोढनेकी बात परसे तय की गई है; देखिए "पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको," ४-११-१९३३।

३. साधन सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है।

तुम्हें बाण चढ़ाना नहीं आता। तुमने तो बाण तोड़कर उसका हल बना लिया है। अतः मुझे भी हल तो चलाना ही होगा।

मैं रोज पार्थेश्वर चिन्तामणिकी रचना करता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ। पर उससे सही उत्तर ही मिलता होगा, यह तो कैसे कहा जा सकता है? लेकिन सवाल तो यह है कि तुम्हारी इच्छा क्या हो सकती है अथवा तुम क्या करोगे, इसका मैं बराबर ध्यान रखता हूँ।

बा के जानेकी तैयारी हो रही है। चार्लीभाई ११ तारीखको यहाँसे रवाना होंगे। यहाँसे वे कल चले गये। वे सब जगह घूमे हैं, सब लोगोंसे मिले भी हैं, लेकिन फिर भी वहीके वही हैं।

काकाके उपवासकी बात कहीं फ़ैली जान नहीं पड़ती। यहाँ भी हमने जरा भी शोर नहीं होने दिया। उनमें ताकत अच्छी तरह आ रही है।

प्रभुदास आखिरकार तो अल्मोड़ा जायेगा। दौरेमें भी मुझे तुम्हारे पत्र मिलने चाहिए। मेरे पत्र तो तुम्हें मिलते ही रहेंगे।

जहाँ बा जायेगी वही (जेलमें) काका, स्वामी आदिका मण्डल पहुँचेगा। मोरारजी इत्यादि यही हैं। वे सकुशल हैं। उनकी तनिक भी चिन्ता न करना। तुम्हारे इस बारके . . .।<sup>१</sup>

खुशीदकी तबीयत सुवरती जा रही है।

तुम्हें और चन्द्रलाल को,

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-२ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ४३-४

## २१०. पत्र : मणिबहन पटेलको

५ नवम्बर, १९३३

चि० मणि,

तेरा पत्र मिला। डाह्याभाई मलिन वातावरणको ठीक तरहसे शुद्ध कर रहा है। मेरा वहाँ आना नहीं हो सकेगा। मुझे विस्तारसे लिखती रहना। बा कदाचित् यहाँसे १३ तारीखको रवाना होगी। नागपुरका दौरा पूरा करनेके बाद मुझे फिर यहाँ आना है, इसलिए उसके मनमें इतने समयके लिए यहीं रह जानेका लोभ है। मेरा खयाल है कि अहमदाबादमें वह रणछोड़भाई<sup>२</sup> के बँगलेमें रहेगी अथवा लाल बँगला<sup>३</sup>

१. शेष भाग जेल-अधिकारियों द्वारा काट दिया गया था।
२. रणछोड़भाई सेठ।
३. साबरमतीमें स्वर्गीय प्राणजीवन मेहताका मकान।

तो है ही। यह निर्णय तो मुझे करना होगा। इस बारेमें तू क्या कुछ कहना चाहती है? पैर के बारेमें जो इलाज कर सके उतना तो अवश्य करना। बिना सोचे-विचारे उतावलीसे काम न लेना।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पढेलने, पृष्ठ १११

## २११. पत्र : नारायण मोरेश्वर खरेको

५ नवम्बर, १९३३

चि० पण्डितजी,

तुम्हारे बारेमें समाचार जानता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा समय अच्छा बीत रहा है। यहाँ लक्ष्मीबहन भारी सेवा कर रही है। उन्होंने बहुत सारा काम अपने हाथोंमें ले लिया है। हालाँकि सगीतशास्त्री आ गये हैं फिर भी मेरे कहनेपर प्रार्थनामें भजनादि वे ही गाती हैं। बृहस्पतिवार और शुक्रवारके भजन मथुरी मीठे स्वरमें गाती है। उसकी आवाज इतनी ऊँची आती है, यह मुझे मालूम न था। बाकी सब तो लक्ष्मीबहन तुम्हें लिखेंगी ही, इसलिए समय बचानेको खातिर नहीं लिखता। काकाके सात उपवास बृहस्पतिवारको पूरे हो गये। ये आवश्यक थे। तुम सब-कुछ जान गये होंगे, ऐसा मान लेता हूँ। दौरेमें मेरे साथ चन्द्रशंकर, मीराबहन, नायर और जमनालालजीकी ओम होंगे। हरिभाऊके एक मित्र रामनाथ 'सुमन' भी होंगे। ठक्कर बापा तो हैं ही। यह दौरा लगातार ९ महीनेतक चलेगा।

रामभाऊ<sup>१</sup> अहमदाबादमें क्या करता है, इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं मिलती। वह तो लिखता ही नहीं है। कदाचित् तुम्हें समाचार मिलते रहते हैं। गजानन<sup>२</sup> और धीरूकी गाडी ठीक चल रही है। गजाननके मनमें असन्तोष है। उसका कहना है कि उसे पूरी शिक्षा नहीं मिलती। योगा<sup>३</sup> मुझे अच्छी लड़की लगी है; होशियार भी है। मुझे मालूम नहीं कि वह इतनी अच्छी गुजराती जानती है।

सबको —

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० २४७) से; सौजन्य : लक्ष्मीबहन एन० खरे

१. रामचन्द्र, नारायण मोरेश्वर खरेके पुत्र।

२ और ३. ना० मो० खरेके भाईका पुत्र और पुत्री।

## २१२. भाषण : हरिजनोंके समक्ष<sup>१</sup>

नालवाडी

[७ नवम्बर, १९३३ से पूर्व]

विनोबा यहाँ तुम लोगोकी सेवाके लिए आये है। यहाँ हमेगा आश्रमका कार्यक्रम चलता है। आशा है कि तुम उसका पूरा लाभ उठाओगे। सेठजीने अभी-अभी याद दिलाया है कि यहाँ एक बैल मर गया था, उसे कोई उठानेको तैयार नहीं था। उसे आश्रमके लोगोने उठाया और गाड़ दिया। हरिजन भाइयोको यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योकि अस्पृश्योमे भी अस्पृश्यतम लोग है, उनका यह कार्य दूसरे कैसे करें—ऐसा वे लोग मानते है। विनोबाने शास्त्रोका पठन-पाठन किया है, उनका अभ्यास किया है। वे कहते है कि भगवानने कही भी यह नहीं बताया है कि कोई उच्च है और कोई नीच है, कोई स्पृश्य है और कोई अस्पृश्य है। इस भेदको मिटाने के लिए वे हरिजनोमे काम कर रहे है। डॉ० अम्बेडकरको सवर्णोके अत्याचारसे दुःख होता है, क्रोध आता है। सवर्णोने हरिजनों पर जितना अत्याचार किया है यदि उतना अत्याचार होगा तो गुस्सा क्यो नहीं आयेगा? तो फिर तुम लोग अपने बीच ऊँच-नीचका भेद क्यो करते हो? मैला उठानेका, मरे हुए पशुको उठानेका काम केवल भंगीका ही है यदि ऐसा माना जाये तो हरिजनोमे जो काम चल रहा है वह रुक जायेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र, ये चार वर्ण माने गये है। इनमें से कुछ लोगोको पंचम वर्णका अर्थात् अवर्ण माना गया है। ये वर्ण आज अपने मूल रूपमे नहीं रह गये है। जो बच गया है वह केवल ऊँच-नीचकी भावना है। ईश्वरने किसी को ऊँचा या नीचा नहीं बनाया है। हम यहाँ बैठकर यदि तुम्हारे भंगी बनते है तो तुम्हे इस पर रोष नहीं करना चाहिए। हम हरिजनोकी सेवा किस प्रकार करें? महारकी सेवा करे और भंगीकी सेवा न करें? क्या हम हरिजनोमे भेदभाव करें? यदि यह भेदभाव दूर नहीं होगा तो हिन्दू-धर्मका नाश हो जायेगा। हिन्दुस्तानमे अधिकांश आवादी हिन्दुओंकी है। इनका यदि नाश हो जाये तो हिन्दुस्तानका गेष क्या रह जाता है? हाँ, हिन्दू मात्र मुसलमान अथवा ईसाई हो जाये तो यह एक अलहदा चीज है। लेकिन यदि हमे यह लगे कि हिन्दू-धर्म अच्छा है तो हमे उसे डूबनेसे बचाना चाहिए। इस धर्ममे अनेक ऋषि-मुनि हो गये है। 'गीता' यदि सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ नहीं तो सर्वश्रेष्ठ कहे जाने-वाले ग्रन्थोंमें से एक अवश्य है। जिस धर्ममे ऐसे ग्रन्थ मिलते है, जिस धर्ममे ज्ञानेश्वर, तुकाराम और समर्थ रामदास जैसे सन्त हुए है, वह धर्म नष्ट होनेके लिए थोड़े

१. इसका अनुवाद चन्द्रशंकर शुक्लके "साप्ताहिक पत्र" से किया गया है।

२. यह और अगला शीर्षक "वर्षा, ७ नवम्बर, १९३३", के अन्तर्गत छपी रिपोर्टसे लिये गये है।

ही है। वह हमेशाके लिए है, सनातन है, ऐसा समझना चाहिए। उसमें जो खामी हो, जो वुराई आ गई हो उसे निकाल बाहर करना चाहिए। उसमें अस्पृश्यता-रूपी जो मैल घुस गया है उसे निकालना चाहिए। महार, माग, भगी आदि नाम तो घन्घेके भेदको लेकर है, लेकिन इससे महार मांगसे अथवा माग भगीसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। माग, भगी, महार और इसी तरह अन्य सारे हरिजन समाजकी सेवा करते हैं। न करे तो समाज छिन्न-भिन्न हो जाये। जो सेवक यहाँ आये हैं वे केवल सेवाके लिए आये हैं, पैसे लेने नहीं आये हैं। इनको तो तुम्हीको दो कौड़ी देकर सन्तोष होगा। इनकी सेवाको स्वीकार करो और ईश्वरका उपकार मानो।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १२-११-१९३३

## २१३. सलाह : एक हरिजन कार्यकर्त्ताको'

[ ७ नवम्बर, १९३३ से पूर्व ]

मुझे तो अनुभवसे ऐसा लगता है कि प्रार्थनाके समय हमारे मनमें जो तरह-तरहके विचार आते हैं उनका हमें न तो खयाल ही करना चाहिए और न दुःख ही मानना चाहिए। यदि हम यह सोचकर चले कि ऐसे विचार नहीं आने देगे तो उनका हमला और भी जोरसे होता है। भयभीत मनुष्य को हर तरफ भय ही भय दिखाई देता है। यही बात अवाञ्छित विचारोपर भी लागू होती है। ऐसे विचार मनमें क्यों आते हैं, इस बातकी चिन्ता करनेका मतलब शत्रुताके भावसे उन विचारोको आमन्त्रित करना है। जब अनावश्यक विचार मनमें उठे तब समझ लेना चाहिए कि शत्रु आये हैं, लेकिन हमें उनका आह्वान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बिना बुलाये यदि कोई मेहमान घरमें आ जाता है और उचित स्वागत न पाने पर जिस प्रकार वह उपेक्षित होकर भाग खडा होता है उसी प्रकार अनचाहे विचारोके उठने पर यदि हम उनकी परवाह नहीं करेगे तो वे भी भाग खडे होंगे। लेकिन जिस तरह हम बिन बुलाये मेहमानके आनेपर आमन्त्रित अतिथिको नहीं भूल जाते उसी प्रकार अनचाहे विचारोका हमला होने पर हमें अपनी मनचाही प्रार्थनाको बन्द नहीं करना चाहिए और अनचाहे विचारो के हमले से घबराना नहीं चाहिए। जैसे-जैसे उनकी ओर हमारा ध्यान कम आकर्षित होगा वैसे-वैसे वे मन्द पडते जायेंगे और हमारा ध्यान ज्यादासे-ज्यादा प्रार्थनाकी ओर झुकता चला जायेगा। दूसरे विचार मनमें उठते हैं इसलिए हम प्रार्थना ही न करे—हमारा ऐसा सोचना तभी उचित हो सकता है जब हम अनचाहे विचारोको स्वयं बुलाते हो। प्रार्थना

१. यह चन्द्रशंकर शुक्लेके "साप्ताहिक पत्र" से लिया गया है और यह "प्राथनामें कठिनाई" नामक शीर्षकमें लिखा गया था।



करने बैठें और अन्य विचारोंको बुलायें—ऐसा करना तो दम्भ है। बुरे विचारोंके साथ मानसिक असहयोग होना चाहिए।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, १२-११-१९३३

## २१४. पत्र : दूधीबहन वी० देसाईको

७ नवम्बर, १९३३

चि० दूधीबहन,

धीरू बीमार रहता जान पड़ता है। रमावहन—जो यही है—इससे दुखी है। उसके समाचार मुझे लिखना और सीधे रमावहनको भी लिखना। धीरू आदिको तुमने अपनी देखभालमें रखा है न?

तुम्हें राजकोटमें मेरा पत्र मिला होगा। मुझे लिखती रहना। बालजीका समाचार मिले तो देती रहना। मनु और मावोसे लिखनेके लिए कहना।

कुसुमके क्या हाल है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३१३७)से; सौजन्य : बालजी गो० देसाई

## २१५. पत्र : धीरू सी० जोशीको

वर्धा

७ नवम्बर, १९३३

चि० धीरू,

तेरा पत्र मिला है। तूने रमाको जो पत्र लिखा है देखता हूँ उसमें तेरी लिखावट बहुत खराब है। हमें किसीको भी खराब लिखावटमें नहीं लिखना चाहिए। पक्तियाँ भी टेढ़ी थी। अब तू बिलकुल बच्चा नहीं है। तेरे पत्रमें क्रोधका भाव भी निहित था। माता पर बच्चे कभी क्रोध नहीं करते। हम गरीब हैं, यह बात तू स्वीकार करता है या नहीं? गरीब लोग एक-दूसरेसे मिलने जानेके लिए पैसे कहाँसे लाये?

तुझे अपनी तबीयतका ध्यान रखना चाहिए। तू मुझे अपना वजन लिख भेजना। खानेका ध्यान रखना। दाल यदि फिलहाल थोड़े दिनोंके लिए न खाये

तो अच्छा होगा। चावल और दूधसे गुजारा कर ले? क्या तुझे फल मिलते हैं? कॉडलिवर [ऑयल] पीता है क्या? जरूरतसे ज्यादा मत खाना। यदि तू अपना ध्यान रखेगा तो तेरा शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जायेगा। तेरे पत्रका उत्तर किसी और समय दूंगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३१४) से।

## २१६. पत्र : महेन्द्र और सुदर्शन देसाईको

वर्षा

७ नवम्बर, १९३३

चि० मनु और मावो,

तुम लोगोको नये वर्षके आशीर्वादका पत्र तो मिला था न? मुझे पत्र लिखते रहना। खूब पढ़ना। कलसे मेरा दौरा शुरू होता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३१६१) से, सौजन्य : वालजी गो० देसाई

## २१७. भाषण : सेलूमें

७ नवम्बर, १९३३

यह भी सौभाग्यकी बात है कि मेरी यात्रा इस पवित्र कार्यसे शुरू होती है। मैं कह नहीं सकता कि आगामी ९ महीनोके कार्यक्रमको मैं पूरा कर सकूंगा, पर मेरा विश्वास मुझसे कहता है कि जो कार्य ऐसी शुभ परिस्थितियोसे शुरू होता है उसका परिणाम भी अच्छा ही होता है। मन्दिरकी मूर्ति ईश्वर नहीं है, पर ईश्वर चूँकि कण-कणमें मौजूद रहता है, अतः मूर्तिमें भी बसता है। प्राण-प्रतिष्ठा सम्पन्न करनेके बाद मूर्तिको विशेष पवित्र माना जाता है और जो लोग मन्दिरमें विश्वास रखते हैं वे दर्शनके लिए मन्दिरोंमें जाकर पूजा अर्पित करते हैं। जिस मन्दिरमें भगवानमें श्रद्धा रखनेवाला और एक ही धर्मको माननेवाला एक वर्ग-विशेष नहीं जा

१, २ और ३. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ कटा-फटा है।

४. देखिए "पत्र : महेन्द्र वी० देसाई को", १२-१०-१९३३।

५. गांधीजीने एक मन्दिरको हरिजनोंके लिए खोला था।

सकता उसमें ईश्वर रहता है, ऐसा कहना भी पाप है। इसलिए रामदेवजीने ठीक ही कहा कि आज हरिजनोके लिए खुल जानेके बाद से ही यह मन्दिर सच्चा मन्दिर हुआ है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २१८. भाषण : सेलूकी सार्वजनिक सभामें

७ नवम्बर, १९३३

गत ५० वर्षोंसे यह मेरा विश्वास रहा है कि जिस प्रकारकी अस्पृश्यता आज हम मानते हैं उसके लिए हिन्दू-धर्ममें कोई स्थान नहीं है। मैंने अपनी योग्यता और शक्तिके मुताबिक संसारके सभी धर्मोंका अध्ययन किया है और उससे भी मैं इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ। अस्पृश्यताके इस अभिशापको दूर करनेके पवित्र कार्यमें मेरे प्राण चले जाये तो मैं इसे कोई बहुत बड़ा त्याग न समझूँगा। मेरे मनमें जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि अस्पृश्यता जड़मूलसे उखाडकर न फेंक दी गई तो हिन्दू-धर्मका नाश निश्चित है, क्योंकि कोई धर्म अपने माननेवालोकी अनीतिपर फल-फूल नहीं सकता।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २१९. भाषण : वर्धाकी सार्वजनिक सभामें

७ नवम्बर, १९३३

यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे हरिजन-कार्यके लिए घूमनेका प्रारम्भ भारतवर्षके इस मध्यबिन्दु—वर्धा—से होता है। मैं चाहता हूँ कि यह स्थान इस आन्दोलनका भी मध्यबिन्दु बन जाये। और जिस शुभ इच्छासे जमनालालजीने कई वर्ष पहले अपना मन्दिर हरिजनोके लिए खोल दिया था और जिस भावनाके साथ विनोबा तथा उनके साथी हरिजनोके लिए काम कर रहे हैं, वह भावना सक्रामक सिद्ध होगी और सारे देशमें फैल जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २२०. भाषण : भंगियोंकी सभा, नागपुरमें

८ नवम्बर, १९३३

श्रीमती अभ्यंकरने अपनी जैसी सैकड़ो बहनोकी ओरसे जो-कुछ कहा उसका मेरे दिलपर गहरा असर हुआ।<sup>१</sup> जब वह बोल रही थी उस समय मैंने श्रीयुत अभ्यंकरकी ओर देखा और मैंने देखा कि उनकी आँखे नम हो आई हैं। मैंने तो अपने हृदयको पत्थरका बना लिया है और आसानीसे मेरी आँखोसे आँसू नहीं निकलते, किन्तु इन शब्दोने मुझे विचलित कर दिया। मैं मानता हूँ कि कितने ही व्यापारियो, डाक्टरो तथा गृहस्थोको भिखारी बनानेमें मैं कारण रहा हूँ। पर उसका मुझे दुख नहीं है बल्कि खुशी है कि बहुतोने स्वेच्छासे गरीबीको गले लगाया है। श्रीमती अभ्यंकर जो अपने पतिका अनुगमन करते हुए भंगियोके साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहती है, सोनेकी चूड़ियाँ क्यों पहने? भारत-जैसे गरीब देशमें, जहाँ एक पैसेकी ख़ैरात लेनेके लिए लोग मीलोसे दौड़ते हैं, जैसा आज उड़ीसामे हो रहा है, दीन-दुखियोकी चिन्ता रखनेवाले किसी व्यक्तिको कीमती गहने पहनना शोभा नहीं देता। हरिजनोके साथ तादात्म्य स्थापित करनेका हमारे सामने अन्य कोई तरीका नहीं है। जिन लोगोके पास और कुछ भी नहीं है उनके पास ईश्वरका बल है और वे हरिजन हैं। जिन लोगोके पास धन है वे धनीजन हैं। इसलिए मोतीलालजी, दास<sup>२</sup>, विठ्ठलभाई तथा अन्य बहुतसे लोग, जिनके कि मैं नाम गिना सकता हूँ, बघाई और प्रशंसाके पात्र हैं, क्योंकि उन्होने गरीबोकी खातिर अपना सर्वस्व त्याग दिया।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २२१. सलाह : हरिजनोंको

नागपुर

८ नवम्बर, १९३३

वेशक मैंने सवर्ण हिन्दुओसे कह दिया है कि हरिजनोमें जो भी बुरी आदत पाई जाती है उनके लिए वे ही जिम्मेदार हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आदतोसे चिपके रहे। हरिजनोको चाहिए कि वे तन और मन दोनोसे

१ अपने हाथकी दो सोनेकी चूड़ियाँ उतारकर गाधोजीको देते हुए श्रीमती अभ्यंकरने कहा था -  
“आज आदमी लोग अपनी पत्नियोके पास छोड़ते ही क्या है। इसलिए मैं हरिजनोकी सेवाके लिए केवल यही तुच्छ भेंट दे सकती हूँ।”

२. चित्तरजनदास।

स्वच्छ-साफ रहकर मुरदार मांसका, जिसे सारा समाज ही घृणा की दृष्टिसे देखता है, त्याग करके, मद्य-पानका त्याग करके, तथा उनमें परस्पर जो ऊँच-नीचका भेद पाया जाता है उसका त्याग करके, इस आन्दोलनमें योग दें। जब वे मन्दिरमें जाते हैं तो उन्हें मन्दिरमें जानेवाले सब लोगोंपर जो नियम लागू होते हैं उनका पालन करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २२२. भाषण : नागपुरकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

८ नवम्बर, १९३३

आपने मेरे प्रति यह जो स्नेहभाव व्यक्त किया है उसके लिए मैं आपका हृदयसे आभारी हूँ। भगवानका धन्यवाद है कि आप इतनी बड़ी तादादमें मेरा सन्देश मुझके लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदयका यह कथन ठीक ही है कि मेरे विचारानुसार हरिजन सेवाका कार्य अनिवार्यतः धार्मिक कार्य है। और यह भी सच है कि इसके और भी बहुतसे परिणाम निकलते हैं। कोई भी सच्चा धार्मिक कार्य ऐसा नहीं है जिसका जीवनके एकाधिक अंगों पर असर न पड़ता हो। किसी महान आन्दोलनको परखनेकी कसौटियोंमें से यह सम्भवतः एक कसौटी है। मैं विनम्रतापूर्वक लेकिन पूरे विश्वासके साथ आपको यह बताना चाहूँगा कि मैंने यह आन्दोलन किसी धर्म अथवा समुदायके प्रति द्वेषभाव व्यक्त करनेके लिए नहीं शुरू किया है। किसी व्यक्तिके लिए यह कह सकना असम्भव होगा कि पिछले पचास वर्षोंमें मैंने एक भी ऐसा काम किया हो जो किसी व्यक्ति अथवा समुदायके प्रति द्वेषभावसे किया गया हो। मैंने कभी भी किसीको अपना शत्रु नहीं माना है। मेरा धर्म कहता है कि मैं किसीको शत्रु न समझूँ। मैं किसी भी जीवका बुरा नहीं चाह सकता। मेरा यह विश्वास है कि यदि हिन्दुओंके दिलोंपर से अस्पृश्यता-रूपी कलंकका धब्बा पूरी तरहसे शुद्ध जाये तो इस घटनाका न केवल भारतके सभी समुदायों पर बल्कि समस्त संसार पर अनिवार्य रूपसे प्रभाव पड़ेगा। मेरा यह विश्वास दिन-ब-दिन दृढ़ होता जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने हृदयसे कुछ लाख लोगोंके प्रति अस्पृश्यताकी भावनाको दूर कर दूँ और उसकी जगह दूसरे कुछ लाख लोगोंके प्रति यह भावना नवनें रखूँ। जब हिन्दुओंके दिलसे ऊँच-नीचका भेद निट जायेगा तब हमनें और अन्य समुदायोंनें जो पारस्परिक द्वेष और अविश्वास दिखाई देता है वह भी दूर हो जायेगा। यही कारण है कि मैंने इस प्रश्नपर अपने जीवनको दाँवपर लगा दिया है। अस्पृश्यताकी इस लड़ाईमें मैं न केवल सबकों और अस्पृश्योंके बीच एकता स्थापित करनेके

१. गांधीजीने अपना यह भाषण हिन्दीमें दिया था।

२. डॉ० एन० बी० खरे।

लिए संघर्ष कर रहा हूँ वल्कि हिन्दुओ, मुसलमानो, ईसाइयो और अन्य सब विभिन्न मतावलम्बियोमे भी एकता स्थापित करनेके लिए यह संघर्ष कर रहा हूँ। आप एक मिनटके लिए भी ऐसा न माने कि मैं हिन्दुओका संख्या-बल बढ़ानेमे रुचि रखता हूँ। मैंने सारी जिन्दगी कभी भी संख्यापर जोर नहीं दिया है। मैंने तो सदा संख्याके बजाय गुणोपर बल दिया है। यदि मैं दस लाख खोटे सिक्के इकट्ठे करता हूँ तो वे मेरे लिए निरर्थक भार रूप होंगे। इसके विपरीत एक असली सिक्केका भी अपना मूल्य होगा। यदि किसी धर्मके अनुयायी अपने जीवनमे उसके सिद्धान्तोको माननेसे इन्कार कर देते हैं तो वह धर्म जीवित नहीं रह सकता और यदि हिन्दू-धर्मके अनुयायी अपने दिलोसे अस्पृश्यताको निकाल बाहर नहीं करते तो इन तथाकथित लाखो अनुयायियोके बावजूद यह महान हिन्दू-धर्म भी अपने-आप खत्म हो जायेगा। अस्पृश्योंकी संख्या लाखोमे है इसलिए ऐसा होगा सो बात नहीं। मुट्ठीभर अस्पृश्य होंगे तो भी हिन्दू-धर्म नष्ट हो जायेगा। दूधमे चाहे आप थोड़ा-सा जहर डाले अथवा ज्यादा, लेकिन जहर मिले दूधको तो फेंकना ही पड़ेगा। यदि हम यह मानते हैं कि हम सब एक ही ईश्वरकी साक्षात सन्तान हैं और भगवान सत्य और न्याय हैं तो हममे, जो कि उसकी सन्ताने हैं, अस्पृश्यताकी भावना कैसे हो सकती है? इसलिए मैं बिना किसी भेदभावके सभी धर्मों और समुदायोसे अनुरोध करूँगा कि इस आन्दोलनकी पूर्ण सफलताके लिए प्रार्थना करके उसमे अपना सहयोग प्रदान करे, जिससे कि हम सब लोग शान्तिपूर्वक और मैत्रीपूर्वक रह सके।

और यदि मैं विभिन्न धर्मोंको माननेवाले सभी समुदायोके लोगोके बीच मेल स्थापित करना चाहता हूँ तो मैं तथाकथित सनातनियो और सुधारकोमे फूट डालना भी नहीं चाह सकता। मैं सनातनियोके प्रति अपने मनमे कोई बुरा भाव नहीं रख सकता। मेरा सनातनियोसे यही कहना है कि वे सुधारकोके प्रति वैसी ही सहिष्णुता बरते जैसी सहिष्णुताकी अपेक्षा वे सुधारकोसे रखते हैं। यदि सनातनी लोग अन्य धर्मावलम्बियोके धर्म और रीति-रिवाजोके प्रति सहिष्णु हैं तो वे सुधारकोके धर्म और रीति-रिवाजके प्रति सहिष्णु क्यों नहीं हैं? जबतक वे अस्पृश्यताको हिन्दू-धर्मका अभिन्न अंग मानते हैं तबतक वे हमारी सहायता नहीं कर सकते। मैं और मेरे साथी सुधारकोकी यह दृढ़ मान्यता है कि अस्पृश्यता एक बुराई है, और यदि ऐसा है और यदि सुधारक लोग धैर्यसे काम लेंगे और विनम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे तो सनातनियोके हृदय अवश्य पिघल जायेंगे। इस महान आन्दोलनमे जोर-जबरदस्ती और हिंसाके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं विशाल हिन्दू जन-समुदायके आगे अपने उस विश्वासके परिणामोंको रखना चाहता हूँ जो मैंने भक्तिपूर्ण हृदयसे और जितना मुझसे बन सका उतना अध्ययन करके तथा विद्वान शास्त्रियोके साथ अपने सम्पर्कके फलस्वरूप तथा इससे भी बड़ी बात यह कि उस विश्वासपर आचरण करके प्राप्त किया है। निस्सन्देह, उससे आन्तरिक फूटको, द्वेषभावको बढ़ावा नहीं मिल सकता। मैं देखता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगोने, जो इस आन्दोलनका विरोध करते हैं, इस आन्दोलनके परिणामोंको समझनेकी कोशिश ही नहीं की है। मेरी इस यात्राका उद्देश्य जनताके सम्मुख

सुधारकोंकी स्थितिको स्पष्ट करके रखना है। और मैं आशा करता हूँ कि जब लोग हरिजन सेवक संघकी गतिविधियोंसे भलीभाँति परिचित हो जायेंगे तब वे विरोध करना छोड़ देंगे। हम उन लोगोंका हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं जो आज इस आन्दोलनका विरोध करते हैं। हम उनके अविश्वासको दूर करना चाहते हैं। हम उन्हें उनकी इच्छाके विरुद्ध कार्य करनेके लिए विवश नहीं करना चाहते। हम तो नम्रतम शब्दोंमें अनुनय-विनय करके उन्हें अपने पक्षमें करना चाहते हैं, उनके दिल और दिमागपर विजय पाना चाहते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य जिसके हृदयमें प्रेम हो, दूसरोंको कष्ट नहीं दे सकता। प्रेमकी अभिव्यक्ति तो आत्म-पीड़न और आत्मशुद्धि करके ही की जा सकती है। मुझे इस बातका पूरा-पूरा यकीन है कि यदि सुधारक लोग अपने जीवनमें उत्तरोत्तर शुद्धता, आत्म-त्याग और कष्ट सहनेकी क्षमताका परिचय देंगे तो उससे ऐसे अनेक लोगोंके हृदय पसीज उठेंगे जिनके हृदयमें आज अस्पृश्यताकी भावना भरी हुई है, क्योंकि उनका विश्वास है कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मका एक वांछनीय अंग है।

यह कहा जाता है कि अस्पृश्य लोग अपने अन्दरकी बुराइयोंके कारण अस्पृश्य हैं? लेकिन क्या 'स्पृश्य' लोग उनसे बेहतर हैं? क्या वे निष्पाप हैं? वेशक अस्पृश्यताके पृष्ठपोषकोंका यह दावा है कि कुछ लोग हमेशा अस्पृश्य ही रहेंगे, और वे चाहे कितना ही पवित्र आचरण क्यों न करें लेकिन जन्मसे ही उनके माथेपर अस्पृश्यताका जो दाग लगा है वह कभी नहीं मिट सकता। उन्हें हमेशा सामाजिक कुष्ठ-रोगियोंकी भाँति रहना होगा। सच तो यह है कि हमें अस्पृश्योंमें जो कमजोरियाँ दिखाई देती हैं वे हमारी अपनी कमजोरियों और पापोंका प्रतिबिम्बमात्र हैं। हमने उनके भक्तिपूरित हृदयोंके साथ जो दुर्व्यवहार किया है वे उसका सीधा परिणाम हैं। वे सच्चे अर्थोंमें तभी ऊपर उठ सकेंगे जब हम अस्पृश्यताको जड़मूलसे उखाड़ फेंकेंगे और अपने जीवनमें उत्तरोत्तर शुद्धताका विकास करते जायेंगे। इसलिए इस आन्दोलनकी सफलता आर्थिक सहायतापर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी कि सही आचरणपर करती है। आर्थिक सहायता तो इस बुराईको दूर करनेके हमारे दृढ़ निश्चयकी अभिव्यक्ति-मात्र है और इस बातका परिचायक है कि हम आत्मशुद्धि करना चाहते हैं।

मुझसे यह प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि इस सुधारमें क्या अन्तर्जातीय भोज भी शामिल है? हालाँकि इस प्रश्नका मने बार-बार उत्तर दिया है, फिर भी मुझे इसका उत्तर तबतक देते रहना चाहिए जबतक मुझसे यह प्रश्न पूछा जाता रहे। इस सम्बन्धमें मेरे अपने विचार क्या हैं, इससे सभी लोग परिचित हैं। अपनी युवावस्थासे ही मैं लगातार हर सम्प्रदायके लोगोंके साथ भोजन करता आया हूँ, मुझे उनके साथ खानेमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वे सफाईके नियमोंका पालन करेंगे हैं। लेकिन उसका वर्तमान आन्दोलनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्तर्जातीय भोज और इस तरहकी अन्य बातें तो हर व्यक्तिकी अपनी इच्छापर निर्भर करती हैं। हरिजन सेवक संघका यह जो आन्दोलन है उसका उद्देश्य अस्पृश्यताको उस हदतक दूर करना है जिस हदतक कि वह तथाकथित अस्पृश्योंको प्रभावित करती है।

हरिजनोको भी वही नागरिक सुविधाएँ और अधिकार प्राप्त होंगे जो प्रत्येक अन्य हिन्दूको प्राप्त है अर्थात् उन्हें कुओ, स्कूलो, सडको और मन्दिरकोका उपयोग करनेकी सुविधा होनी चाहिए।

अस्पृश्यता विषयक विधेयकोको लेकर जो आपत्तियाँ की जाती हैं उनके बारेमें मैं आपसे चन्द शब्द कहूँगा। सनातनियोका कहना है कि इन विधेयकोमे धार्मिक मामलोमे राज्य द्वारा हस्तक्षेप किये जानेकी बात विहित है। मेरा खयाल है यहाँ हस्तक्षेपका तात्पर्य अनुचित हस्तक्षेपसे है। क्योंकि ऐसे मामलोके उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमे धार्मिक मामलोमे लोगोकी ओरसे राज्य द्वारा हस्तक्षेप किये जानेकी माँग की गई है और ऐसी माँग करना अनिवार्य भी था। कहनेका तात्पर्य यह है कि बाहरी दबाव न डाला जाये। सनातनियोकी तरह मैं भी धार्मिक मामलोमे जोर-जबरदस्ती और अनुचित हस्तक्षेप किये जानेके पक्षमे नहीं हूँ। इन विधेयकोमे ऐसी जोर-जबरदस्ती किये जानेकी अथवा सरकारकी ओरसे अनुचित हस्तक्षेप करनेकी बात नहीं कही गई है। इन विधेयकोमे सरकारके हस्तक्षेप करनेकी जो माँग की गई है वह लाभकारी है और अनिवार्य है। यदि सरकार लोगोको हरिजनोके लिए मन्दिर खोलनेके लिए विवश करती है तो यह निस्सन्देह अनुचित हस्तक्षेप होगा, लेकिन जब मन्दिर जानेवाले लोगोका कथित बहुमत अथवा मन्दिरके न्यासी, स्वेच्छासे हरिजनोके लिए मन्दिर खोलनेकी बात को कानूनी मान्यता देनेके लिए सरकारसे माँग करें तो यह हस्तक्षेप अनुचित नहीं हो सकता। ऐसा न करना जोर-जबरदस्ती करना होगा। मन्दिर प्रवेश विधेयकका उद्देश्य तो केवल बहुमतके कार्यको कानूनी रूप प्रदान करना है। दूसरा विधेयक तो आजसे बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। यह विधेयक पूरी तरह से अस्पृश्यताका निवारण नहीं करता। इसका उद्देश्य तो अस्पृश्यतासे उत्पन्न सामाजिक दुष्परिणामोको रोकना है। अस्पृश्यताके साथ ऐसे दुष्परिणामोको जोडना धर्म-पालनमे हस्तक्षेप करना है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आपके धार्मिक दायित्वको कानूनी दायित्व बनाना सरकार द्वारा घोर और अनुचित हस्तक्षेप होगा। अस्पृश्यताका पालन तो तभी अपेक्षित है जब अस्पृश्य और स्पृश्य स्वेच्छासे उसे स्वीकार करें। यदि सरकार अस्पृश्योसे जबरदस्ती अस्पृश्यताका पालन करवाती है तो वह धार्मिक मामलोमे घोर हस्तक्षेप करती है। इसलिए अस्पृश्यताको जो कानूनी मान्यता प्राप्त है, विधेयकमे उस मान्यताको दूर करनेकी व्यवस्था की गई है। यह विधेयक किसी भी तरह अस्पृश्यताके धार्मिक पालनमे अथवा अस्पृश्यताके नियमका उल्लंघन करनेके धार्मिक परिणामोमे हस्तक्षेप नहीं करता। यदि विधेयकोके विरोधी लोग भी यही चाहते हैं और विधेयकोका अच्छी तरह अध्ययन करनेके बाद पाते हैं कि विधेयकोमे बाध्यकारिताका कोई तत्त्व नहीं है तो उन्हें अपनी आपत्तियाँ वापस ले लेनी चाहिए।<sup>१</sup>

१ भाषणकी समाप्तिपर गांधीजीने उपहारमें प्राप्त हुई सब चीजें नीलाम कर दीं जिसमें एक कौड़ी भी शामिल थी। यह कौड़ी उन्हें कटोलमे एक व्यक्तिके अर्पित की थी। इसके बादका अंश चन्द्रशंकर शुक्लके "साप्ताहिक पत्र" से लिया गया है।



उस गरीब आदमीके पास कदाचित् देनेके लिए कुछ नहीं था और उसने अपना सब-कुछ दे दिया जाना पड़ता है। मालवीयजीके शब्दोंमें, यह ईमानदारीसे कमाई हुई निर्मल कौड़ी है। हम जो कमाते हैं वह अपनी किस्मतका कमाते हैं। लेकिन हम ईश्वरके नामपर और उसके बनाये प्राणियोंके सेवार्थ जो चीज दान देते हैं उससे हमें पुण्य लाभ होता है। अतएव इस कौड़ीको यदि हम त्यागके चिह्न स्वरूप देखे तो यह स्वर्णसे भी अधिक मूल्यवान है।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २२३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

नागपुर

सवेरेकी प्रार्थनासे पहले, ९ नवम्बर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। यदि तुम दौरेके दौरान मुझे पत्र नहीं लिखोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं भी लिखा करूँगा। विठ्ठलभाईके सम्बन्धमें जो-कुछ हुआ वह मेरे ध्यानसे बाहर नहीं है। मुझपर भी अच्छी तरह चोट की गई है। इन सबपर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान देकर करें भी क्या? मैलको हिलाया जाये तो वह और भी उभर कर आती है। मैंने तो केवल सुभाषकी सेवा की ओर ही ध्यान दिया। बाकी विठ्ठलभाईकी अन्तिम इच्छा<sup>१</sup> के बारेमें जो अफवाहे सुननेमें आती हैं उनका तो कहना ही क्या? जैसे तुम्हें शक है वैसे मुझे भी है।

मेरा काम मंगलवारसे शुरू हुआ। सब जगह लोगोके झुण्डके झुण्ड चले आते हैं। जब मैं अस्पृश्यताकी बात करता हूँ उससे कोई चिढ़ता नहीं जान पड़ता। मैंने हरिजनोके लिए वर्धाके पास एक सुन्दर मन्दिर खोला।<sup>२</sup> नागपुरमें तो लोगोकी इतनी भीड़ जमा थी, जितनी पहले कभी देखनेमें नहीं आई। मेरी आवाजने मेरा ठीक साथ दिया। मुझे कुछ थकावट महसूस हुई हो, सो भी नहीं। १०८ अथवा १०९ वजन लेकर निकला हूँ। और मैं समझता हूँ, पैसा भी अच्छा इकट्ठा हुआ है। मध्यप्रान्तका दौरा पूरा करके दिल्ली जाना है और वहाँसे सीधे दक्षिण। राजाका कहना है कि दक्षिणमें पहले करनेकी आवश्यकता है। सनातनियोका सारा विरोध तो वहीसे शुरू होता है। शनिवारके बाद वर्धा जाना है। वर्धा तहसीलका दौरा अभी पूरा करना है। इस बीच जवाहरलाल आदि मुझे मिल जायेंगे। अन्तारी<sup>३</sup> आ गये

१. स्वर्गीय विठ्ठलभाईने वसीयत लिखकर एक लाखसे अधिक रुपया स्वर्गीय सुभाषचन्द्र बोसको उनकी इच्छानुसार विदेशमें प्रचारायें व्यय करनेके लिए देनेके लिए कहा था। बादमें वन्धके उच्च न्यायालयने निर्णय दिया कि तमाम रकम उनके वारिसोंको मिलनी चाहिये। गांधीजीने सब कुटुम्बियोंको समझा-बुझाकर यह रुपया देशकार्यके लिए कांग्रेसको दिला दिया था।

२. देखिये "भाषण: सेलमें", ७-११-१९३३।

३. डॉ० सु० अ० अन्तारी।

है। इसलिए कदाचित् वे भी आयें। मेरे साथ मीरा, चन्द्रशंकर, नायर, रामनाथ (दिल्लीके सस्ता साहित्यवाले), ओम और रामेश्वर विडला<sup>१</sup> के लड़केकी बहू है। वह तो थोड़े दिन ही रहेगी। ओम बड़ी हिम्मतवाली हो गई है। ठक्कर बापा तो रहेंगे ही।

वा १३ तारीखको वर्धा छोड़ेगी। वह १५-१६ के आसपास अहमदावाद पहुँच जायेगी। वा का मन इस बार खूब डोल रहा है। वह अस्वस्थ तो है ही। लेकिन वह [जेलमें] पहुँच जायेगी। उसे विश्वास है कि होना भी ऐसा ही चाहिए।

तुम बघकि पतेपर ही लिखा करना।

दोनोको,

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो-२ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ४५-६

### २२४. पत्र : मणिबहन पटेलको

९ नवम्बर, १९३३

चि० मणि,

तेरा पत्र मिला। तूने मुझे सब-कुछ साफ-साफ लिखकर समझदारी की है। हमेशा ऐसा ही करना। तू नहीं लिखेगी तो कौन लिखेगा? डाह्याभाईको मुझे लेकर गलतफहमी हुई और उसने क्रोध किया, यह आश्चर्यकी बात है। लेकिन हमें इसपर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसे कदाचित् सब-कुछ मालूम भी न हो। उसे दुःख हुआ, यह मैं समझ सकता हूँ। तू ही उसका जितना समाधान कर सके उतना करना। यदि तू चाहे तो मैं उसे लिखूँ और उसका दुःख कम करूँ। मुझे यह बात ज्यादा अच्छी लगेगी। यह पत्र भी यदि तू उसे पढ़वाना चाहे तो पढ़वाना।

वा मंगलवारको वर्धा छोड़ेगी। थोड़े समयके लिए अर्थात् कुछ घंटोके लिए वह अकोलामे रहेगी। बादमें तेरी ओर आयेगी। वा अभी कुछ दुविधामे है। चिन्तित भी है, लेकिन जेल जानेका निश्चय उसने स्वयमेव व्यक्त किया है। तू उसके इस निश्चयको पुष्ट करना।

अच्छी तरह खा-पीकर तू अपने शरीरको जितना बने उतना सुधार लेना। मुझे तो नियमपूर्वक लिखती रहना। विजलीका उपचार तो जितना कर सके उतना कर ही लेना। बिजली तो अहमदावादमें भी ली जा सकती है। दाँतका क्या किया? शनिवारको वर्धामें जवाहरलालजी आदि आयेगे।

मृदु<sup>२</sup> इलाहावादमें क्या करके आई है? क्या वह सन्तुष्ट होकर आई है? उससे पत्र लिखनेके लिए कहना। उसने दाँतोके बारेमें क्या किया। सरलादेवी<sup>३</sup> के बारेमें यदि तुझे ज्यादा मालूम हो तो लिखना।

१. वनश्यामदास विडलाके बड़े भाई।

२. मृदुला साराभाई।

३. मृदुला साराभाईकी माँ।

नागपुरमें बहुत अच्छी सभा हुई थी। श्रीगणेश तो अच्छा हुआ। विट्ठलभाईके दाह-संस्कारका समाचार लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पढेलने, पृष्ठ १११-२

## २२५. पत्र : गंगाबहन बी० झवेरीको

९ नवम्बर, १९३३

चि० गंगाबहन,

तुम्हारा पत्र मिला। तुमसे जितनी सेवा बन सके उतनी किये जाओ और सन्तोष मानो। किसीके महलको देखकर हम अपनी झोंपड़ीको नहीं उखाड़ देते। जो सुख महलमें होता है वह झोंपड़ीमें भी होता है। तुम हरिजन स्कूल चलाती हो, यह एक अच्छी बात है। तुम यदि केवल दूध और फलका सेवन करोगी तो लाभ अवश्य होगा। और कुछ लेनेकी जरूरत नहीं। नानी बहनको मुझे लिखना चाहिए। वधकि पतेसे ही लिखना चाहिए। महेशसे लिखनेके लिए कहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३११९) से।

## २२६. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

९ नवम्बर, १९३३

यह पूछे जानेपर कि अपनी अखिल भारतीय अस्पृश्यता-विरोधी यात्राके सिलसिलेमें क्या आप कोई वक्तव्य अखबारोंको देंगे, महात्मा गांधीने कहा कि वक्तव्य देने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे जो-कुछ कहना था सो मैं कल रात नागपुरकी सार्वजनिक सभामें अपने भाषणमें कह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि मैं प्रश्नोंके उत्तर देनेको तैयार हूँ, लेकिन सवाल खामखाह न किये जायें।'

प्रश्न : इस आन्दोलनकी वर्तमान प्रगतिको देखते हुए आपके खयालमें अस्पृश्यताको पूरी तरह दूर होनेमें कितना समय लगेगा ?

उत्तर : यह प्रश्न तो ऐसा है, जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। क्योंकि यह तो करोड़ों मनुष्योंके हृदय-परिवर्तनका प्रश्न है।

१. यह अनुच्छेद हितघाट से लिया गया है।

प्रश्न : अस्पृश्यता नष्ट होनेके पहले आप स्वराज्य स्वीकार कर लेंगे या नहीं ?

उत्तर : यह प्रश्न ही ठीक नहीं है। यह पूछना ही व्यर्थ है कि तबतक अगर अस्पृश्यता दूर न हुई तो मैं स्वराज्य स्वीकार करनेके लिए तैयार होऊँगा या नहीं। स्वराज्य तो किसीसे पाने या लेनेकी चीज नहीं है। वह तो हमारे विकासके ऊपर निर्भर है। या तो हम उसकी ओर दिन-दिन बढ़ते रहे हैं या पीछे हटते जाते हैं। यदि हमें एक राष्ट्रके रूपमें उत्तरोत्तर आत्मज्ञान हो रहा है, करोड़ों लोगोंकी मौलिक एकताका अहसास हो रहा है तो हम निश्चय ही स्वराज्य की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर हम विघटित हो रहे हैं, तो अपने लक्ष्यसे पीछे हट रहे हैं।

प्रश्न : क्या आप यह महसूस नहीं करते कि दलित जातियोंमें अब भी अपने वहम हैं, और जब उनसे ब्राह्मण आदि सवर्ण हिन्दुओंसे मिलनेको कहा जाता है तो वे बहुत हिचकते हैं ?

उत्तर नहीं, मेरा ऐसा खयाल नहीं है। आप जो कहते हैं अगर वह सच है तो इसका यह अर्थ हुआ कि वे अपनी मौजूदा पतनावस्थामें ही बने रहना चाहते हैं। मेरी समझमें नहीं आता कि एक सामाजिक कोठी अपने कोठीपनपर गर्व कैसे कर सकता है ? अगर वे दलित कही जानेवाली जातियाँ उच्च-जातीय हिन्दुओंकी तरफसे अत्यन्त निराश होकर अपने-आपको हिन्दुओं और हिन्दू-धर्मसे बिलकुल अलग कर देना चाहती हैं, तो या तो उन्हें अपनी एक जुदी हस्ती बनानी होगी, अर्थात् किसी एक नये धर्मका प्रवर्तन करना होगा, या भारतके अन्य किसी एक प्रचलित धर्मको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि सवर्ण हिन्दुओंने अपनी उच्चताके काल्पनिक स्वप्नोमें ही मग्न रहकर हरिजनोके प्रति अपने सामान्य कर्तव्योका पालन न किया, अर्थात् उन्हें अपने बन्धु-बान्धवोकी तरह न समझा तो हो सकता है कि वैसा ही हो। अस्पृश्यता-निवारणका यह आन्दोलन हरिजनोके प्रति इसी बुनियादी कर्तव्यको निभानेका एक प्रयत्न है।

प्रश्न : मालूम होता है कि हरिजन सवर्ण हिन्दुओंसे अलग ही रहना चाहते हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते। क्या यह बात सच नहीं है ?

उत्तर मेरा अनुभव तो इससे कतई भिन्न है। मैंने हजारों हरिजनोसे बात की है। वे लोग तो सवर्ण हिन्दुओंसे मिलनेके लिए बहुत उत्सुक हैं, बशर्ते कि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाये। यह बात जरूर सच है कि सवर्णोंपर उनका विश्वास नहीं है, और अगर अविश्वास नहीं है तो वे उनसे डरते हैं। एक दुर्भाग्यकी बात और है। उनमें जन्मसे ही हीनताका भाव इतना भर दिया गया है कि वे समझते हैं कि उन्हें तो ईश्वरने ही सदाके लिए नीच बना दिया है। यह तो प्रत्येक विचारशील सवर्ण हिन्दूके लिए लज्जा और दुःखकी बात होनी चाहिए।<sup>१</sup>

सवर्ण हिन्दुओंके लिए सबसे अच्छा यही है कि वे भूल जाये कि वे किसीसे ऊँचे हैं। आज उच्च जातियोंके बीच जो ऊँच-नीचकी भावना है, वही हरिजनोकी

१. इसके बादका अनुच्छेद हितयाद से लिया गया है।

हीनभावना और हिचकमे प्रतिबिम्बित होती है। उच्च जातिके लोगोंको यह पता चलनेपर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अस्पृश्यतामे और इसी कारणसे अस्पृश्यके बीच भी कई प्रकारके भेद हैं।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-१२-१९३३, तथा हितवाद, १२-११-१९३३

## २२७. भाषण : छात्रोंकी सभा, नागपुरमें

९ नवम्बर, १९३३

मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी और हिन्दीका यह झगड़ा शाश्वत है।<sup>१</sup> छात्रोंकी सभाओंमें भाषणके समय अंग्रेजीमे बोलनेकी माँगसे मुझे आश्चर्य हुआ है। आप जानते होंगे, या जानना चाहिए कि मैं अंग्रेजी भाषाका प्रेमी हूँ। लेकिन मैं यह अवश्य मानता हूँ कि भारतके विद्यार्थी जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना भाग्य भारतके करोड़ों साधारण जनोके साथ जोड़कर उनकी सेवा करेंगे, वे यदि अंग्रेजीकी अपेक्षा हिन्दीपर ज्यादा जोर दे तो ऐसी सेवा करनेके अधिक योग्य बन सकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए; जरूर सीखिए। लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ अंग्रेजी भारतके करोड़ों धरोकी भाषा नहीं बन सकती। अंग्रेजी हजारों या दसियों हजार लोगों तक सीमित रहेगी, लेकिन वह करोड़ों लोगों तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए जब विद्यार्थी लोग मुझसे हिन्दीमे बोलनेकी माँग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है।

आप दोनों वक्ताओंने मेरे विषयमें जो कहा है उसे मैं यदि सच मान लूँ, तो मैं नहीं जानता कि मेरा स्थान कहाँ होगा। पर मैं यह जानता हूँ कि मेरा स्थान असलमे कहाँ है। मैं तो भारतका एक विनम्र सेवक हूँ, और भारतकी सेवा करनेके प्रयत्नमे मैं समस्त मानवजातिकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवनके आरम्भ कालमें ही यह देख लिया था कि भारतकी सेवाका विश्व-सेवासे विरोध नहीं है। और फिर ज्यो-ज्यो मेरी उम्र बढ़ती गई और साथ ही साथ समझ भी, त्यों-त्यों मैं देखता गया कि मैंने यह ठीक ही समझा। ५० वर्षके सार्वजनिक जीवनके बाद मैं आज कह सकता हूँ कि राष्ट्रकी सेवा और जगतकी सेवा परस्पर-विरोधी नहीं है और इस सिद्धान्तपर मेरी श्रद्धा दृढ़ हुई है। यह एक श्रेष्ठ सिद्धान्त है। इस सिद्धान्तके स्वीकार करनेसे ही जगतमें शान्ति स्थापित हो सकती है और पृथ्वीपर वसे हुए राष्ट्रोंका आपसी ईर्ष्या-द्वेष-भाव शान्त हो सकता है। पूर्व वक्ताने यह सत्य ही कहा है कि अस्पृश्यताके विरुद्ध मैंने जो यह युद्ध छेड़ा है उसमे मेरी दृष्टि सिर्फ हिन्दू-धर्म पर ही नहीं है। मैंने यह अनेक बार कहा है कि हिन्दुओके हृदयसे अस्पृश्यता यदि जड़मूलसे नष्ट

१. गांधीजीने अपना भाषण हिन्दीमें आरम्भ किया था, लेकिन चूँकि श्रोताओंने अंग्रेजीमें बोलनेकी माँग की, इसलिये वह अंग्रेजीमें बोले।

हो जाये तो इससे बड़ा विशद परिणाम निकलेगा, क्योंकि इसका सम्बन्ध करोड़ो लोगोसे है। कल रात नागपुरकी विराट् सार्वजनिक सभामे मैंने कहा था कि अगर सचमुच अस्पृश्यता हिन्दुओके हृदयसे दूर हो जाये, अर्थात् सवर्ण हिन्दू इस भयानक कलंकको धोकर बहा दे, तो हमें थोड़े ही दिनोमे मालूम हो जायेगा कि हम सब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि एक ही हैं, अलग-अलग नहीं। अस्पृश्यताकी यह दीवार हटते ही हमे अपनी इस एकताका भान हो जायेगा। मैं सैकड़ो बार कह चुका हूँ कि अस्पृश्यता एक सहस्रमुखी राक्षसी है। उसने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। उसके कुछ रूप तो अत्यन्त सूक्ष्म हैं। मेरे मनमे किसी मनुष्यके प्रति ईर्ष्या होती है, तो यह भी एक प्रकारकी अस्पृश्यता ही है। मैं नहीं जानता कि मेरे जीवनकालमे मेरा यह अस्पृश्यता-नाशका स्वप्न कभी पूरी तरह साकार होगा या नहीं। जिन लोगोमे धर्म-बुद्धि है, जो धर्मके बाहरी विधि-विधान रूपी शरीरपर नहीं, किन्तु उसके वास्तविक जीवन-तत्त्व पर विश्वास रखते हैं, उन्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जो सूक्ष्म अस्पृश्यता मनुष्य-जातिके एक बड़े समुदायके जीवनको कलुषित कर रही है, वह अस्पृश्यता नष्ट होनी ही चाहिए। हिन्दुओका हृदय यदि उस पाप-कलकसे मुक्त हो सका, तो हमारे ज्ञान-नेत्र अधिकसे-अधिक खुल जायेगे। अस्पृश्यताका जिस दिन सचमुच नाश हो जायेगा, उस दिन मनुष्य-जातिके अपार लाभका अनुमान कौन कर सकता है? अब आप लोग सहज ही समझ सकते हैं कि इस एक चीजके लिए मैंने अपने प्राणोकी बाजी क्यों लगा रखी है।

आप विद्यार्थियोने, जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, मेरा इतना आशय यदि समझ लिया है, और मेरे इस कार्यका पूरा अर्थ आपके ध्यानमें आ गया है, तो आपसे मुझे जो सहायता चाहिए, वह आप मुझे तुरन्त ही देगे। अनेक विद्यार्थियोने पत्र लिख-लिख कर मुझसे पूछा है कि वे लोग इस आन्दोलनमे क्या योगदान दे सकते हैं? मुझे आश्चर्य होता है कि विद्यार्थियोको यह प्रश्न पूछना पड़ता है। यह क्षेत्र तो इतना विशाल है और आपके इतना अधिक समीप है कि आपको इस प्रश्नके पूछनेकी आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि हम क्या करें और क्या न करें। यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। सम्भव है कि यह प्रश्न राजनीतिक बन जाये, लेकिन फिलहाल आपके या मेरे लिए तो इसका राजनीतिके साथ कुछ सरोकार नहीं है। मेरा जीवन धर्मके सहारे चल रहा है। मैं कह चुका हूँ कि मेरी राजनीतिके मूलमे भी धर्म ही है। राजनीतिमे जब मैंने भाग लेना शुरू किया तब भी मैंने अपने जीवनका नियमन करनेवाले इस सिद्धान्तकी कभी उपेक्षा नहीं की। चूँकि यह एक दयाधर्मका कार्य है, इसलिए विद्यार्थियोको अपने अवकाशका अधिक नहीं तो थोड़ा समय तो हजारो हरिजनोकी सेवामे देना ही चाहिए। आपने मुझे इतनी सुन्दर थैली देकर उन भारतीय विद्यार्थियोकी प्रथम पक्तिमे अपना स्थान प्राप्त कर लिया है, जिनकी अनेक सभाओमे अपनी भारत-यात्राओमे मैंने भाषण दिये हैं। पर मुझे तो आपसे इससे अधिककी आशा है। मैं देखता हूँ कि अगर मुझे अपने अवकाशका समय देने-वाले बहुतसे सहायक मिल जाये, तो बहुत बड़ा काम पूरा हो सकता है। यह काम किरायोके आदमियोसे होनेका नहीं। हरिजन-बस्तियोमे जाना, उनकी गलियाँ साफ करना,

उनके धरोको देखना, उनके बच्चोको नहलाना-धुलाना यह काम भाड़ेके आदमियोके द्वारा नही कराया जा सकता। विद्यार्थी क्या सेवा कर सकते हैं, यह मैं 'हरिजन' के एक गतांकमें बता चुका हूँ। एक हरिजन-सेवकने मुझे बताया है कि यह कितना बड़ा भगीरथ-कार्य है और इसमें कितनी कठिनाइयाँ पड़ी हैं। मेरा खयाल है कि हरिजन-वालकोकी अपेक्षा तो जंगली वालकोकी दशा भी अच्छी होती है। हरिजन वालक जिस अधःपतनकी दशामे दिन काट रहे हैं, उस वातावरणमें जंगली वालक नही रहते। जंगली वालकोके आसपास गन्दगीका यह वातावरण भी नही होता। यह सवाल भाड़ेके टट्टुओसे हल नही हो सकता। चाहे जितना पैसा हमें मिल जाये, तो भी यह काम पूरा नही हो सकता। इस कार्यको करनेका गौरव तो आपका होना चाहिए। आपको स्कूल-कालेजोंमें जो शिक्षा मिलती है, उसकी यह सच्ची कसौटी है। आपकी कीमत इससे नही आँकी जानी है कि आप लच्छेदार अंग्रेजी भाषामे व्याख्यान दे सकते हैं। अगर ६० रु० मासिक या ६०० रु० मासिककी कोई सरकारी नौकरी आपको मिल गई, तो इससे भी आपकी कीमत नही आँकी जायेगी। दीन-दुखियोकी आप जो सेवा करेगे उसीसे आपकी कीमतका पता लगेगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कहा है उसी भावनासे आप लोग हरिजन-सेवा करें। मुझे आजतक एक भी विद्यार्थी ऐसा नही मिला जिसने यह कहा हो कि मैं नित्य एक घंटा अवकाशका नही निकाल सकता। आप लोग आज अगर डायरी लिखनेकी आदत डाल ले, तो आपको मालूम होगा कि सालके ३६५ दिनोमें आप कितने कीमती घंटे यो ही नष्ट कर देते हैं। आपको यदि अपनी शिक्षा सफल करनी है, तो इस महान आन्दोलनकी ओर ध्यान दीजिए। कुछ दिनोसे वर्धाके आसपास पाँच मीलके धेरेमे स्कूल-कालेजके कुछ विद्यार्थी हरिजन-सेवा कर रहे हैं। चुपचाप शान्तरूपसे वे बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप उनका नाम नही जानते। अच्छा हो कि आप लोग उनका काम देख आइए। यह सेवा-कार्य कठिन तो जरूर है, पर आनन्ददायी है। क्रिकेट और टेनिससे भी अधिक आनन्द आपको इस कार्यमें मिलेगा। मैं बार-बार कहता हूँ कि मेरे पास यदि सच्चे, चतुर और ईमानदार कार्यकर्ता होंगे, तो पैसा तो मिल ही जायेगा। मैं १८ वर्षका था, तभीसे भीख माँगनेकी कला सीखने लगा था। मैंने देखा कि यदि हमारे पास सही ढंगके कार्यकर्ता हों, तो पैसा तो अनायास ही मिल सकता है। सिर्फ पैसेसे मुझे कभी सन्तोष नही होता। मैं तो आप लोगोसे आज यह भीख माँगता हूँ कि अपने अवकाशके समयमें से कुछ घंटे हरिजन-सेवामे लगानेकी प्रतिज्ञा कर लीजिए। सभापति महोदयने कहा है कि मैं एक स्वप्नद्रष्टा हूँ। हाँ, मैं एक व्यावहारिक स्वप्नद्रष्टा अवश्य हूँ, किन्तु मेरे सामने कोरी हवाई चीजे नही हैं। मैं तो अपने स्वप्नोको यथाशक्ति कार्यरूपमें परिणत करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगोसे मुझे जो उपहार प्राप्त हुए हैं, उनका नीलाम मुझे यही कर देना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २२८. भाषणोंके कुछ अंश<sup>१</sup>

[ १० नवम्बर, १९३३ से पूर्व ]<sup>२</sup>

आप जो पैसा देते हैं उसे मैं इस बातका प्रतीक मानता हूँ कि आपने इस उद्देश्यको अपना बना लिया है। लेकिन केवल पैसा देनेसे काम नहीं चलेगा, इस पैसेके साथ-साथ इस कार्यमें आपका दिल भी होना चाहिए।<sup>३</sup>

आप यह न समझना कि आपका पैसा व्यर्थ गया। जिन लोगोंने पैसा दिया है वस्तुतः उन्होंने पुण्यलाभ किया है और जिन लोगोंने समर्थ होते हुए भी पैसा नहीं दिया, सच पूछो तो, उन्होंने पुण्य गँवाया है। जुआ, शराब और भोग-विलास पर जो पैसा खर्च किया जाता है उससे दोहरा नुकसान होता है। एक तो इससे आपका धन व्यर्थ जाता है, और दूसरे, आप अपना स्वास्थ्य और अपनी मान-प्रतिष्ठा भी खो बैठते हैं। जबकि वे लोग जिन्होंने मानवताके सेवार्थ एक पैसा भी दान दिया है उन्हें उससे दुगना लाभ हुआ है। अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मके माथेपर एक कलक है। यह एक नासूर है जो हिन्दू-धर्मके शरीरको गलाये डाल रहा है। मैं अपनी आँखोंसे देख रहा हूँ कि हिन्दू-धर्मका शरीर धीरे-धीरे नष्ट हो रहा है। इसकी सड़ाध मेरी नाक अनुभव करती है। यदि आप मेरे विचारोंसे सहमत हैं तो आपको इस उद्देश्यमें यथाशक्ति अपना योगदान देना चाहिए। यदि एक बार हम हिन्दू-धर्मकी आध्यात्मिक शक्तिको खो बैठे तो मैं नहीं जानता कि हमारी क्या स्थिति होगी। धर्म बिना मनुष्य वैसा ही है जैसी बिना पतवारकी नाव। इसलिए आप मुझे जो पैसा देते हैं वह मेरे लिए इस इच्छाका द्योतक है कि आप हिन्दू-धर्मको आध्यात्मिक नाशसे बचाना चाहते हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १७-११-१९३३

१ और २. ये अंश चन्द्रशंकर शुक्लके “साप्ताहिक पत्र” से छिये गये हैं जिसके अनुसार गांधीजी १० नवम्बर, १९३३ को गोंडिया गये थे, और ये भाषण उन्होंने गोंडिया जानेसे पहले दिये थे।

३. इसके बादका अंश उस भाषणसे लिया गया है जो रास्तेमें जमा हो गये ग्रामीणोंके सामने दिया गया था।



## २२९. टिप्पणी

### सच्ची अहिंसा

श्री जमशेद मेहता, जो कि मानवताके एक सच्चे सेवक हैं, को उनके एक मित्रने 'ज्ञानेश्वरी गीता' के अध्याय १३ में से अहिंसाके बारेमें एक प्रवचन निकाल कर भेजा है जिसे श्री मेहताने अंग्रेजीमें अनुवाद करके मेरे पास भेजा है। मैंने इसे और संक्षिप्त कर दिया है और मूल पाठके अर्थको कायम रखते हुए ऐसे रूपमें प्रस्तुत किया है जिसे शायद ज्यादा आसानीसे समझा जा सकता है। जो लोग अस्पृश्यताको अपने मनमें अभी भी स्थान दिये हुए हैं उन्हें चाहिए कि महाराष्ट्रके इस महान सन्तकी वताई हुई कसौटीपर अस्पृश्यताको कसकर देखे। अहिंसाकी उन्होंने जो व्याख्या की है क्या उसके साथ अस्पृश्यताका मेल बैठता है? नीचे उद्धृत अंगको पढ़कर आप स्वयं देखें :

सच्ची अहिंसा क्या है, इसपर विचार करनेसे पहले यह देखना जरूरी है कि यह क्या नहीं है। अच्छी वर्षा हो, इसके लिए लोग बलि देते हैं जिसमें पशुओकी हत्या की जाती है। यह अहिंसा नहीं है। क्या यह ऐसा ही नहीं है जैसे कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने हाथोंको काट डाले ताकि उसे पकाकर भोजनके रूपमें परोसा जा सके? क्या किसी पेड़के चारों ओर बाड़ी लगानेके उद्देश्यसे उस पेड़की सभी डालियोंको काट कर बाड़ीमें लगा देना बुद्धिमाना है? फिर, बहुतसे मनुष्योंको बीमारियोंसे बचानेके लिए लोग समूचे पेड़ ही काट डालते हैं, या पेड़की पूरी छाल उतार लेते हैं, या जीवित पशुओंका अर्क खींचते हैं और अन्य प्राणियोंके शरीरसे द्रवपदार्थ निकालते हैं। क्या यह ऐसा ही नहीं है जैसे कि कोई व्यक्ति मकानमें एक बरांडा या सायदान बनानेके लिए उस मकानको ही गिरा दे और आग तापनेके लिए अपने कपड़ोंको ही जला दे?

सच्ची अहिंसा या प्रेम हृदयमें पैदा होता है, और जिस प्रकार स्वर्ण अपने गुणोंसे पहचाना जाता है उसी प्रकार प्रेम भी मनुष्यके आचरणमें प्रकट होता है। प्रेम-पूरित मनुष्य यह कभी नहीं भूलता कि जैसा जीवधारी वह है वैसे ही संसारमें असंख्य जीवधारी भरे हुए हैं और वह इस बातकी बड़ी सावधानी बरतता है कि कहीं उसके हाथों किसी प्राणीको हानि न पहुँचे। वह जिन लोगोंसे मिलता है उनकी आँखोंमें अपने प्रेयकी झलक पाता है। वह सभीका मित्र है। जिस प्रकार विल्ली अपने बच्चेको बिना चोट पहुँचाये दाँतोसे पकड़

१. यहाँ गांधीजीका संकेत गीता पर ज्ञानेश्वरकी मराठी टीकाकी ओर है।

कर उठाती है उसी प्रकार प्रेमका पुजारी अपने सम्पर्कमें आनेवाले व्यक्तियोंसे व्यवहार करता है। वह दवे पाँव और बिना आहट किये चलता है ताकि उसकी पदचापसे दूसरोकी नीदमें बाधा न पड़े। जिनको जरूरत हो, उनके लिए वह हमेशा स्थान कर देता है। वह अपनी वाणीका स्वर सदैव इतना सयमित रखता है कि दूसरोके कानोको वह खटके नहीं। बोलनेकी जरूरत न होनेपर वह मौन रहता है। वह दूसरोको दुख पहुँचानेवाली कोई बात नहीं कहता। वह दूसरोकी योजनाओमें गड़बड़ी पैदा करने या उनको भयभीत करनेकी इच्छा नहीं रखता। वह ऐसे शब्द कभी नहीं बोलता जिनसे बहस या विवादको जन्म मिले, या जिनसे दूसरोकी भावनाओको ठेस पहुँचे। उसकी वातचीतमें कोई छल नहीं होता, न सन्देह होता है और न कोई अस्पष्टता होती है। वह कभी किसीको घूर कर नहीं देखता ताकि कही उसका घूरना लोगोको बुरा लग सकता है। वह निरुद्देश्य अपना हाथ नहीं हिलाता, क्योंकि वह एक मच्छर तकको हानि नहीं पहुँचाना चाहता। दूसरे हथियारोकी कौन कहे वह एक छडी भी लेकर नहीं चलता। उसके हाथ या तो अभिवादन करते हैं या सेवा।

जिस प्रकार वृक्ष जन्म देनेवाले बीजका प्रकट रूप है, उसी प्रकार ऊपर बताई गई वाते अन्तरके स्थायी प्रेमभावके बाहरी चिह्न हैं। उसका मस्तिष्क सभी अंगोका स्वामी है। इसलिए सच्ची अहिंसा मस्तिष्ककी प्रवृत्तिमें है जो शरीरकी अन्य ज्ञानेन्द्रियोके माध्यम से व्यक्त होती है। जो व्यक्ति सभी जीवधारियोके प्रति प्रेमभावसे भरा हुआ है और जिसके मन, वचन और कर्ममें एकता है, वही सचमुच महान है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १०-११-१९३३

## २३०. लक्ष्य तो एक ही है

एक पत्र-लेखकने मद्रास-हाईकोर्टके भूतपूर्व जज सर सी० वी० कुमारस्वामी शास्त्रीका एक लेख मेरे पास भेजा है। छपे हुए तीन फुलस्केप पन्नेका वह लेख है। 'सनातनियो'के पक्षमें वह लिखा गया है। उसमें यह बतानेका प्रयत्न किया गया है कि अस्पृश्यता अनादि कालसे चली आ रही है और विधान-सभामें लोग उसके सम्बन्धमें जो कानून पास कराना चाहते हैं, वह निरर्थक है। पर उस लेखका यह अन्तिम अनुच्छेद महत्त्वका है।

कितनी ही सामाजिक असमानताएँ और संकीर्ण दृष्टियाँ समय और शिक्षाके प्रभावसे क्षिणिल या समाप्त होती जा रही हैं। पुरानी व्यवस्था बदलती जा रही है, और उसके साथ ही लोगोके पुराने विचारोंमें भी परिवर्तन होता जाता है। कई जातियोंको, जो पहले दलित या गुलाम समझी जाती थीं, आज

शिक्षा और आर्थिक उन्नतिके कारण अधिकार और सुख-सुविधाएँ मिल गई हैं। भारतका कोई भी हित-चिन्तक छाती ठोककर यह न कहेगा कि एक कौम या जाति दूसरी कौम या जातिसे हमेशा लड़ती ही रहे और सामाजिक अन्याय और असमानताएँ दूर न की जायें। लेकिन आज जो तरीके अपनाये जा रहे हैं और जिन साधनोंका प्रयोग किया जा रहा है उसे देखकर किसके दिलमें दुःख और भय पैदा न होगा? ये तरीके तो सवर्णों और दलित जातियोंके बीच कटुता ही बढ़ायेंगे, और दलित जातियोंका इससे कोई खास लाभ नहीं होगा। उनकी दलितावस्थाके तो अन्य तथा बहुत गहरे कारण हैं। उनका यह दलितपना तभी दूर होगा, जब तमाम सवर्ण हिन्दू मिलकर उनकी आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी उन्नति करनेका प्रयत्न करेंगे।

मेरी विनम्र रायमें तो ऊपरका यह अन्तिम अंश लेखकी उस युक्तिको काट देता है, जिससे यह सिद्ध किया गया है कि अस्पृश्यता एक पवित्र और धार्मिक प्रथा है। लेखके इस अंगसे तो यह मालूम होता है कि अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है और विद्वान भूतपूर्व न्यायाधीश महोदयको उसका उन्मूलन देखकर प्रसन्नता ही होगी। उनके इस कथनसे तो प्रत्येक सुधारक सहमत होगा कि “आज जो तरीके अपनाये जा रहे हैं और जिन साधनोंका उपयोग किया जा रहा है उसे देखकर किसके दिलमें दुःख और भय पैदा न होगा? ये तरीके तो सवर्णों और दलित जातियोंके बीच कटुता ही बढ़ायेंगे और दलित जातियोंका इससे कोई खास लाभ नहीं होगा।” सुधारकको इसमें सिर्फ इतना और जोड़ देना पड़ेगा कि ‘सर कुमारस्वामीका यह सारा भय काल्पनिक है।’ सुधारकोने कटुता पैदा करनेवाला न तो कोई तरीका ही अपनाया है और न ऐसे किसी साधनका ही प्रयोग किया है। सर कुमारस्वामीने इस बातका अध्ययन करनेका कष्ट नहीं उठाया है कि सुधारक क्या काम कर रहे हैं और किस ढंगसे काम कर रहे हैं। सचमुच, मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि जहाँ पारस्परिक कटुता पहले ही से मौजूद है और यह कटुता बढ़कर मारपीट तककी नौबत आ सकती है, वहाँ सुधारक हरिजनोके आर्थिक सुधार तकको आगेके लिए टाल देते हैं। उदाहरणके लिए, हरिजनोको जिन सार्वजनिक कुओसे पानी भरनेका असंदिग्ध रूपसे कानूनन अधिकार प्राप्त है उन कुओसे भी पानी भरवानेका काम सुधारक मुत्तवी करते आये हैं। अब साधनोंके प्रयोगकी बात ले। यह तो सुधारक तुरन्त स्वीकार कर लेंगे कि सामाजिक पूर्वग्रह कानूनी सहायता लेनेसे दूर नहीं हो सकते। पर जब कानूनकी ऐसी व्याख्या होती हो जिससे अस्पृश्यताको समर्थन मिलता हो, तब तो सुधारक कानून और विधान-सभाकी मदद माँगे ही, और मौजूदा कानूनमें सुधार करनेका आग्रह अवश्य करेंगे। किसी बुराईको अगर कानून आश्रय दे रहा हो तो उस कानूनी आश्रयके मुकाबलेमें कोई भी सुधार सफल नहीं हो सकता। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि कानूनी बाधाएँ कानूनमें परिवर्तन करके ही दूर हो सकती हैं, अन्य किसी रीतिसे नहीं। सुधारक सिर्फ ये कानूनी बाधाएँ ही दूर करना चाहते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। उनकी सिर्फ इतनी ही इच्छा है कि अस्पृश्यताको

कानूनी स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। वे समझते हैं कि कानूनी रुकावटें दूर हो जानेपर भी सामाजिक बुराईके रूपमें अस्पृश्यता तुरन्त ही नष्ट हो जायेगी, और उसकी ओर भविष्यमें अभी बहुत लम्बे समय तक ध्यान रखना पड़ेगा।

लेखसे उद्धृत अशके अन्तिम वाक्यका मैं स्वागत करता हूँ। जब तमाम सवर्ण हिन्दू मिलकर उनकी (हरिजनोकी) आर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति करनेका प्रयत्न करेंगे, तब अस्पृश्यताको इस देशसे नष्ट होते अधिक समय नहीं लगेगा। सुधारकोपर सनातनियोका यदि विश्वास न हो, तो वे उनसे अलग स्वतन्त्र रीतिसे काम करे। क्या सर कुमारस्वामी 'सनातनियो' से काम करनेके लिए कहेंगे? इसमें उन्हें सफलता मिल जाये, तो कटुता जरा भी न रह जायेगी। क्या उन्हें मालूम है कि सनातन-धर्मके नामपर अपनेको सनातनी कहनेवालोंने निरपराध हरिजनोकी फसले जला दी है, उन्हें मारा-पीटा है और जब वे अपने उचित और न्याय्य अधिकारोका प्रयोग कर रहे थे तब उन गरीबोको दूसरे तरीकोसे सताया है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १०-११-१९३३

## २३१. हरिजन-शिक्षकोंके लिए

एक सज्जन पच्चीससे ऊपर हरिजन-पाठशालाएँ चला रहे हैं। उन्होंने एक लम्बा पत्र पाठशालाओकी व्यवस्था-सम्बन्धी कठिनाइयोके बारेमें मुझे लिखा है, और पूछा है कि अगर मुझे स्वयं इन पाठशालाओको चलाना पड़े, तो मैं उन्हें किस तरह चलाऊँगा। उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ बड़ी सावधानीसे लिखी हैं, लेकिन यहाँ उन सबके उद्धृत करनेकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती। मैं तो यहाँ उनकी कठिनाइयोका उत्तर देनेका ही प्रयत्न करूँगा।

आज जो सार्वजनिक पाठशालाएँ चल रही हैं उनमें पढ़नेवाले हरिजन लड़को और लड़कियोको छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य सहायता तो हमें देनी ही चाहिए। पर जो पाठशालाएँ हमारी अपनी देख-रेखमें चल रही हैं, उनमें सामान्य पाठशालाओके रग-ढगके अन्वानुकरण करनेका कोई कारण नहीं है।

हमें समझ लेना चाहिए कि किसी भी पाठशालामें पढ़ानेके लिए हमें हरिजन बच्चे बड़ी दिक्कतसे मिलते हैं। उनमें किसी भी तरहकी नियमितता तो हमें मिलेगी ही नहीं। इसके अलावा हमारी भूतकालकी भयंकर उपेक्षाके कारण वे इतने अनगढ़ होते हैं कि शुरू-शुरूमें तो हमें सामान्य बच्चोकी अपेक्षा उन्हें बिलकुल जुदा ही तरीकेसे हाथमें लेना होगा।

पाठशालामें जब पहले-पहल हम उन्हें भरती करे, तब उनके शरीरकी बारीकीसे जाँच करके उसे खूब साफ करना चाहिए। उनके कपड़े-लत्ते भी शायद घोने और सीने पड़े। इसलिए कुछ समय तक तो उनके लिए सबसे पहला दैनिक पाठ यह होगा कि वे अपने शरीरको स्वच्छ रखे, आसपास की जगह साफ रखें और मामूली

सिलाई करना सीखे। पहले साल शायद मैं उनके हाथमें कोई किताब नहीं दूंगा। जिन वस्तुओंसे वे परिचित होंगे, मैं उन्हींके बारेमें बात कहूँगा और ऐसा करते हुए उनका उच्चारण सुघाहूँगा और व्याकरणकी गलतियाँ ठीक कहूँगा तथा नये-नये शब्द सिखाऊँगा। जो नये-नये शब्द वे सीखते जायेंगे, उन्हें मैं लिखता जाऊँगा और बार-बार उनका प्रयोग इस तरह कहूँगा कि वे शब्द उनके मनमें अंकित हो जायें। शिक्षक व्याख्यान न दे, बल्कि बातचीतके रूपमें उन्हें पढ़ाये। बातचीत करते हुए ही वह अपने विद्यार्थियोंको इतिहास, भूगोल और अंकगणितका नया-नया ज्ञान देता जाये। इतिहास अपने ही समयसे शुरू होगा, और सो भी अपने अत्यन्त निकटकी घटनाओं और मनुष्योंसे। इसी तरह भूगोलका आरम्भ अपनी पाठशालाके आसपासके स्थानोंसे ही होगा। और गणित शुरू कराया जायेगा विद्यार्थीके घर हिस्साब-किताबसे। इस पद्धतिकी जाँच मैं स्वयं कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि अमुक नियत समयमें विद्यार्थियोंको प्रचलित पद्धतिकी अपेक्षा इस तरीकेसे कहीं अधिक ज्ञान दिया जा सकता है; साथ ही। उनके मस्तिष्कपर कुछ भार भी नहीं पड़ेगा। वर्णमालाका ज्ञान तो एक जुदा ही विषय समझना चाहिए। बालकोंको बताना चाहिए कि अक्षर एक प्रकारके चित्र ही है। अक्षरोंकी पहचान कराके फिर उनका नाम बताना चाहिए। इसके बाद चित्रकारी (ड्राइंग) के पाठके रूपमें वर्णोंको अक्षर लिखना सिखाना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि कीड़े-मकोड़े जैसे अक्षर बनानेके बजाय बालक नमूनोंकी बिलकुल हवहू नकल कर सकें। इसलिए जबतक उनका अपनी उँगलियों और कलमपर पूरा काबू न हो जाये, तबतक उनसे अक्षर लिखनेके लिए न कहा जाये। सालभरमें जैसे-तैसे किसी तरह एक किताब पढ़वा कर बालकको उससे जो ज्ञान हो सके, उतना करके उसका मानसिक विकास रोकना एक पाप है। हम यह महसूस नहीं करते कि अगर बालक घरके जीवनसे बिलकुल अलग कर दिया जाये, और सिर्फ पाठशालामें ही रखा जाये तो वह कई साल तक गावदी ही बना रहेगा। घरमें वह अनजाने ही नई-नई बातें और भाषा सीख लेता है, पाठशालामें नहीं। इसलिए हमें संस्कारी तथा असंस्कारी घरोंके बालकोंके बीचमें जमीन-आसमानका अन्तर दिखाई देना है। वास्तवमें, असंस्कारी घरोंको घर कहना ही ठीक नहीं है।

मैंने जिस योजनाका ऊपर वर्णन किया है, उसके अनुसार अध्यापकसे आशा की जाती है कि वह अपना कार्य एकाग्रतासे करेगा और अपने विद्यार्थियोंके साथ काफी घुलमिल जायेगा। मैं जानता हूँ कि इस योजनाको अमलमें लानेके लिए योग्य अध्यापकोंका मिलना सबसे मुश्किल काम है। पर जबतक हम इसका उचित विचार आरम्भ नहीं करेंगे, तबतक योग्य अध्यापक भी मिलनेके नहीं।

इतना करनेके बाद जब बालकोंके हाथमें किताबें देनी होंगी, उक्त स्थितिका विचार तो मैं पीछे कहूँगा।<sup>१</sup>

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १०-११-१९३३

## २३२. पत्र : मानशंकर जे० त्रिवेदीको

१० नवम्बर, १९३३

चि० मनु,

तूने प्रिन्सेसको<sup>१</sup> मिलकर ठीक ही किया। अब तू ही उससे सब बात करना। मैं तो उसे संक्षिप्त पत्र ही लिख पाया हूँ। मैंने उससे सारा विवेचन नहीं किया है। मुझे लिखना। एलिजाबेथ<sup>२</sup> भी यदि लिखना चाहे तो लिख सकती है। काका साहबके सात दिनोके उपवासकी बात तो तुझे मालूम हो गई होगी। . . . मैंने मुझे निराश किया है।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

पता वर्षा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० २२६२१) से।

## २३३. भेट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

नागपुर

[१० नवम्बर, १९३३]\*

मेरे सामने जो नौ महीने पड़े हुए हैं उसकी तुलनामे चार दिन तो बहुत ही कम समय है। इसलिए मैं कह नहीं सकता कि मैं इस अत्यधिक भार को सहन भी कर सकूंगा या नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यदि ईश्वरकी इच्छा हुई कि मैं यह यात्रा पूरी कर लूँ तो इस सब घोर परिश्रमके वावजूद वह मुझे इसे पूरा करनेकी शक्ति देगा।

[अग्रजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

१. एकरी परिस्टाशी।
२. एक रोमन कैथोलिक लड़की जिसे गाधीजी सामान्यतया विमलाके नामसे पुकारते थे और जिससे मानशंकर त्रिवेदी विवाह करना चाहते थे।
३. नाम नहीं दिया गया है।
४. यह भेट गाधीजीने यात्राके चौथे दिन दी थी। यात्रा ७ नवम्बर, १९३३को शुरू हुई थी।

## २३४. भाषण : गोंडियामें

१० नवम्बर, १९३३

गांधीजीने कहा कि यदि हरिजन लड़के द्वारा लगाये गये आरोप<sup>१</sup> सच है तो हरिजनोंके प्रति उच्च वर्णके लोगोंका रवैया निन्दनीय है। उन्होंने कहा कि मैं केवल दिखावा नहीं चाहता, मैं लोगोंके हृदयोंको शुद्ध देखना चाहता हूँ। लेकिन अगर वे लोग अभी भी अपने-आपको हरिजनोंसे अलग-थलग रखना चाहते हैं तो उन्हें खुल कर ऐसा कह देना चाहिए और फिर उससे उत्पन्न परिस्थितिके लिए तैयार रहना चाहिए। गांधीजीने कहा, मैं उस आरोपके बारेमें कुछ नहीं कह सकता जो कि बीड़ीवालोंने विरुद्ध लगाया गया है, क्योंकि उसके बारेमें मुझे कोई जानकारी नहीं है। गांधीजीसे पहले जो वक्ता बोले थे उन्होंने 'हरिजन' शब्दपर आपत्ति की थी जिसपर महात्माजीने कहा कि 'हरिजन' शब्द उनकी अपनी खोज न होकर स्वयं एक हरिजन द्वारा चुना हुआ शब्द है। उन्होंने कहा कि मैं अपने-आपको भी 'हरिजन' कहना अधिक पसन्द करता हूँ। उन्होंने बीड़ी व्यापारियोंसे अपने मजदूरोंके साथ अच्छा व्यवहार करनेका अनुरोध करते हुए उन्हें हरिजन उद्देश्यके लिए खुले हाथ दान देनेके लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद महात्माजीने स्थानीय भण्डार-गृहमें खादीकी बिक्रीकी चर्चा की और बताया कि खादीकी बिक्री बहुत कम हुई है। गोंडिया जैसे शहरमें प्रतिमास केवल १,००० रुपयेकी खादी बेची जाती है। उन्होंने लोगोंको बताया कि लोगोंके खादी खरीदनेसे हरिजनोंको कितना और कैसे लाभ होता है।

[ अंग्रेजीसे ]

हितवाद, १६-११-१९३३

१. एक हरिजन बालकने यह शिक्षापत्र की थी कि सवण हिन्दू यकता और सहानुभूतिका स्वांग मरते हैं। उसने बीड़ी फैक्टरीके मालिकोंके विरुद्ध भी यह शिक्षापत्र की थी कि वे अपने हरिजन मजदूरोंके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते।

## २३५. तार : जवाहरलाल नेहरूको

[ ११ नवम्बर, १९३३ ]<sup>१</sup>

दो दिन देनेके लिए अपनेको असमर्थ पाता हूँ। किसी भी सोमवार तीसरे पहर तीन घंटे दे सकता हूँ। २७ नवम्बरको रायपुर और ४ दिसम्बरको जबलपुर होऊँगा।

[ अंग्रेजीसे ]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३, सौजन्य . नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

## २३६. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

वर्षा

११ नवम्बर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

मैं बहुत व्यस्त यात्रा-कार्यक्रमके बाद अभी-अभी लौटा हूँ और तुम्हारे पत्रको पढ़नेके बाद मैंने निम्नलिखित तार तुम्हे भेजा है.<sup>२</sup>

एक दिनसे ज्यादा और तीन घंटेसे ज्यादा समय देना असम्भव है। तीन घंटे देना ही काफी मुश्किल है। कार्यक्रम इतना व्यस्त है कि विश्रामके लिए भी मुश्किलसे समय मिलता है। विश्राम, स्नान तथा भोजनके लिए जो चार घंटे थे वे अब घटाकर दो घंटे रह गये हैं। जिस कार्यक्रमसे दसियों हजार व्यक्ति सम्बन्धित हो उसे आसानीसे न तो आगेके लिए टाला जा सकता है और न उसमें फेरबदल की जा सकती है। साथकी प्रतिसे<sup>३</sup> तुम्हे कार्यका अन्दाजा लग जायेगा और जहाँ तुम विश्रामके घंटे देखोगे उनमें, शुक्रवारके तीसरे पहरको छोड़कर, कमी कर दी गई है और विश्रामका समय प्रात १० बजेसे दोपहर २ बजे तकके बजाय दोपहर १२ से २ बजे तकका कर दिया गया है।

मैं तुम्हारी इस बातसे बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रस्तावित बातचीतसे बाते सन्तोषजनक रूपसे साफ नहीं होगी। यदि अ० भा० का० क० की बैठक होती है तो मुझे नहीं मालूम कि मैं उसकी बैठकमें कैसे भाग ले सकूँगा। क्या मेरे लिए इनमें

१. देखिए अगला शीर्षक।
२. देखिए पिछला शीर्षक।
३. देखिए परिशिष्ट १।



भाग न लेना बेहतर नहीं होगा? यदि ऐसा करना उचित हो तो मैं अपने विचार लिखकर भेज दूंगा। तुम्हें भेजे अपने सार्वजनिक पत्रमें<sup>१</sup> जो राय मैंने जाहिर की है वह निरन्तर पुष्ट होती जा रही है।

तुमने हिजली जेलके सम्बन्धमें लाहिड़ीके वक्तव्यको तो देखा ही होगा। इससे सतीश वावूके पत्रमें कही गई बातोंकी पुष्टि होती है। मुझे गवर्नरका पत्र मिला है।<sup>२</sup> उनके सचिवका कहना है कि “आपने जिस मामलेका उल्लेख किया है गवर्नर महोदय उसकी जाँच करेंगे।”

अस्पतालके सम्बन्धमें जो अपील है वह मैंने देखी है।<sup>३</sup> उम्मीद है कि इसकी जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसी होगी।

सरकारकी माँगसे सम्बन्धित तुम्हारे पत्रको मैंने ध्यानसे पढ़ा है। स्वराज्य भवनसे सम्बन्धित कुछ भी करते हुए क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम्हें न्यासियोंको केवल सूचना देनेके वजाय उनसे राय भी लेनी चाहिए? महज समयकी कमीके कारण मैं तुम्हारा पत्र जमनालालजीको दिखा तक नहीं सका हूँ। वह मुझपर यह कहते हुए ताना कसते हैं कि चूँकि मैं वर्धामें हूँ इसलिए तुम उनकी विलकुल उपेक्षा कर रहे हो, यहाँतक कि उनके पत्रोंका जवाब भी नहीं दे रहे हो। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पत्र जैसे मेरे लिए हैं वैसे ही आपके लिए हैं और इस समय हममें से जो थोड़ेसे लोग बाहर हैं उनके पास महज शिष्टाचार निभानेका समय बहुत कम है।

माँ जैसी पुराने रोगीके स्वास्थ्यके तेजीसे सुधरनेकी आशा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मुझे तो यह आश्चर्य है कि रोगका जो आक्रमण उनपर हुआ था उससे वह बच गई। आशा है कि सुधार चाहे धीमा ही हो, जारी रहेगा।

सप्रेम,

बापू

संलग्न : १

[ अंग्रेजीसे ]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. १४ सितम्बर, १९३३ का; देखिए खण्ड ५५, पृष्ठ ४४६-५०।

२. गांधीजीने बंगालके गवर्नरको २ नवम्बर, १९३३ को पत्र भेजा था।

३. देखिए “पत्र : जवाहरलाल नेहरूको” ३०-१०-१९३३।

## २३७. भेंट : पत्र-प्रतिनिधियोंको

वर्धा

११ नवम्बर, १९३३

मैं नहीं जानता कि कोई भी आलोचक इन सभाओं और प्रदर्शनोंसे बेहतर और क्या सबूत चाह सकता है कि अस्पृश्यता तेजीके साथ छिन्न-भिन्न हो रही है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस प्रश्नको लेकर जनमानसमें एकदम परिवर्तन आ गया है। लेकिन पिछले चार दिनोंमें जो-कुछ प्रमाण मुझे मिला है यदि पूरी यात्राके दौरान ऐसा ही प्रमाण मिलता रहा तो मैं निश्चयके साथ मान सकता हूँ कि अस्पृश्यता-रूपी राक्षसकी अंत्येष्टि-क्रिया निकट भविष्यमें ही सम्पन्न हो जायेगी।

[अग्नेजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २३८. भाषण : देवलीमें<sup>१</sup>

११ नवम्बर, १९३३<sup>१</sup>

मैं स्वभावतः शान्ति-प्रेमी हूँ। हिन्दुओंमें फूट पैदा करनेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। सनातनियों तथा सुधारवादियोंके लिए यही सबसे अच्छा होगा कि वे आपसमें बातचीत करके कोई समझौता करनेका प्रयत्न करें। यदि वह प्रयत्न असफल हो जाता है तो दोनों पक्षोंको चाहिए कि वे शान्तिपूर्ण और उचित तरीकोंको अपनाये और एक-दूसरेकी बातको सहन करना सीखें। मैं अपनेको सनातनी तथा सुधारवादी दोनों ही मानता हूँ। हरिजनोंके प्रति एक सवर्ण हिन्दू अधिकसे-अधिक जितना सद्भाव रख सकता है मैंने अपने अन्दर वैसा सद्भाव पैदा करनेका प्रयत्न किया है। ईश्वर ही जानता है कि अपने इस प्रयत्नमें मुझे कहाँतक सफलता मिली है। मुझ जैसे एक अपूर्ण मनुष्यके लिए जिस हदतक सम्भव है, उस हदतक मैं भी चीजोंको हरिजनोंकी आँखोंसे देखनेका तथा यह जाननेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि उन लोगोंके मनमें क्या-कुछ विचार चल रहे हैं। सारी सच्चाईको जान लेना तो मनुष्यके बसकी बात नहीं है। उसका तो यही कर्तव्य है कि वह जो-कुछ सच्चाई देखता है उसका पालन करे और ऐसा करते हुए शुद्धतम साधनका, अर्थात् अहिंसाका आश्रय ले।

१. गांधीजी हरिजनोंके लिए मन्दिर खोलने देवली गये थे, लेकिन कुछ सनातनियोंने इसका विरोध किया। दक्षिणके एक शास्त्रीने गांधीजीसे आन्दोलन रोकने तथा हिन्दू-समाजमें फूट न फैलानेका अनुरोध किया।

२. धाँधे क्रान्तिकार से।

२२५

सनातनियोंकी भावनाओंको मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। मैं ज्यादासे-ज्यादा विनम्र रूपसे उन्हें अपने मतका समर्थक बनाना चाहता हूँ। यदि मैं कर सकूँ तो मैं उनका मन मोह लेना चाहता हूँ। मैं स्वयं अपने कष्ट-सहनसे उनके मनको पिघला देना चाहूँगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जिस रूपमें आज हमारे यहाँ अस्पृश्यता प्रचलित है उसे शास्त्रोंकी मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन मैं इस चर्चामें नहीं पड़ना चाहता कि शास्त्र किस चीजका समर्थन करते हैं और किसका नहीं करते। जो-कुछ भी सचाई मैं देखता हूँ उसे मैं आपके सामने जितने विनम्र रूपसे हो सकता है, पेश कर देता हूँ और यदि आवश्यकता पड़े तो मैं अनवरत रूपसे उस सत्यका पालन करनेके प्रयत्नमें अपना जीवन भी वलिदान कर देनेको तैयार हूँ। मेरे मनमें यह बात असंदिग्ध रूपसे स्पष्ट हो गई है कि यदि अस्पृश्यताको दूर नहीं किया गया तो हिन्दू-धर्म और हिन्दू-जाति, दोनों ही का नाश अवश्यम्भावी है। मैं जब १० वर्षका बालक था तबसे मैं अस्पृश्यताको एक पाप मानता आया हूँ। जन्मपर आधारित अस्पृश्यताके विचारको तो मेरा मन कभी स्वीकार कर ही नहीं पाया है। अपनी योग्यतानुसार मैंने शास्त्रोंका अध्ययन करनेका प्रयत्न किया है। यथासम्भव अधिकसे-अधिक पढितोसे सलाह की है और उनमेंसे अधिकांशने मेरे मतका समर्थन किया है। लेकिन सत्य पुस्तकोंमें नहीं मिलता। सत्य तो प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें रहता है। प्रत्येक व्यक्तिको वही इसकी खोज करनी है और उसे सत्य जैसा दिखाई देता है उससे ही अपना मार्ग निर्धारित करना है। लेकिन किसी व्यक्तिको यह अधिकार नहीं है कि सत्यको जैसा वह समझता है दूसरेको उसके अनुसार ही कार्य करनेके लिए मजबूर करे।

यहाँ उपस्थित मन्दिरमें जानेवाले उन लोगोसे, जो मन्दिरमें हरिजनोके प्रवेशके पक्षमें हैं, मैं यह अपील करूँगा कि वे मन्दिरमें तभी जाये जब सनातनी लोग, जिन्होंने उनका रास्ता रोक रखा है, उस स्थानसे हट जाये। हम उनपर विजय नहीं पाना चाहते। उनसे नाराज मत होइए, उनका अपमान मत करिए; इसके विपरीत, यदि वे भूखे हों और आपका आतिथ्य उन्हें स्वीकार हो तो आप उन्हें भोजन खिलाइए। हमें उन्हें प्यारसे जीतना है। हमें उनसे निपटनेके लिए पुलिसकी मदद नहीं लेनी है।

गांधीजीने आशा व्यक्त की कि जिन लोगोंको गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जायेगा और मन्दिर तुरन्त तथा बिना किसी संघर्षके हरिजनोंके लिए खोल दिया जायेगा।<sup>१</sup>

मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं असहयोगी हूँ बल्कि इसलिए कि मैं अप्रतिकारके सिद्धान्तमें विश्वास रखता हूँ। और फिर मेरा विश्वास है कि धर्मकी रक्षा बल-प्रयोग अथवा हुड़दंगसे कदापि नहीं की जा सकती बल्कि प्रायश्चित्त तथा कष्ट-सहन द्वारा ही की जा सकती है। इसलिए आवश्यकता पड़नेपर मैं प्रायश्चित्त स्वरूप अन्तमें अपनी जान भी देनेको तैयार हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २४-११-१९३३

१. इसके बादका अनुच्छेद हरिजन, १७-११-१९३३ से लिया गया है।

## २३९. प्रति व्यक्ति एक पैसा

श्री हरखचन्द २६ अक्टूबरके अपने पत्रमे लिखते है ।<sup>१</sup>

मैं आशा करता हूँ कि इतना सब लिखनेके लिए पाठक मुझपर रोष नहीं करेगे। यदि कोई कहे कि यह तो पुरानी बात है, बाढका किस्सा भी पुराना है तो यह ठीक नहीं है। जब बाढ आई, उस समय जिनकी मौत आई वे तो तुरन्त मर गये। जीवितोको तुरन्त ही जो सहायता दी जानी चाहिए थी वह भी दे दी गई। लेकिन वेघर लोगोके लिए दूसरा मौसम आनेतक तथा उनकी फसलोके पकनेतक उनको निवाह लेना दयालु लोगोका नैतिक कर्तव्य है और इस तरहके पत्र इस बातको सिद्ध करते है कि यह समय इस कर्तव्यको पूरा करनेका है।

पाठक देखेगे कि कितने ही स्थानोपर रोज प्रतिव्यक्ति एक पैसेसे भी कमके चावल दिये जाते है और यदि यह चित्र उनके हृदयपटल पर स्पष्ट रूपसे अंकित हो गया है तो वे ऐसे दुखियोके लिए रोज कुछ भाग निकाले बिना स्वयं सुख-शान्तिसे नहीं खायेगे। इसमे अगर सब कोई यथाशक्ति अपना योगदान देगे तो हजारों लोगोको जीवित रहनेके लिए पर्याप्त भोजन मिल सकेगा। मिल-मालिक कपडा भेज सकते है। खादी-भक्त खादी भेज सकते है। अभी-अभी हरखचन्दको गुमनाम एक हजारकी हुंडी खादी बेचनेके लिए मिली है।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, १२-११-१९३३

## २४०. पत्र : गंगा पोद्दारको

[१२ नवम्बर, १९३३]<sup>२</sup>

मैं रामेश्वरको लिखता हू। पाप तो बडा हुआ। लेकिन प्रायश्चित्त करके भूल जाओ। दागीना वापिस लाना और निश्चय कर लेना ऐसा अपराध कही नहीं होगा।

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २१६) से।

## २४१. पत्र : रामेश्वरदास पोद्दारको

वर्धा

१२ नवम्बर, १९३३

चि० रामेश्वरदास,

गगाने भूल तो बडी की है। लेकिन अब पश्चात्ताप करती है। जिसने पश्चात्ताप किया है वह क्षमाके पात्र है। गंगाको एक शब्द भी मत कहो प्रेमसे मिलो। दागीना

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। देखिये "प्रतिदिन एक पैसा" १७-११-१९३३।

२. देखिये अगला शीर्षक।

तो वापिस लाना हि है। वह लायेगी। उसके पश्चात् उसे वापिस भेज दो। शांति रखो। रामनाम लो। हम सब दोष करते हैं। लेकिन जो दोष कबूल करते हैं उसे धन्य है। हम सब इच्छें कि गंगाका पश्चात्ताप शुद्ध हो।

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १७४) से।

## २४२. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

वर्षा

१३ नवम्बर, १९३३

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारे पत्रोंका उत्तर मैं तुरन्त ही नहीं दे सकता। आज भी समय तो नहीं है, लेकिन किसी-न-किसी तरह समय निकालकर लिख रहा हूँ, क्योंकि किंगोरलालने नानाभाई को लिखे तुम्हारे पत्रका सार मुझे बताया। वहाँके झगड़ेके बारेमें यदि तुम लोगोंका मैं मार्गदर्शन कर सकता तो अवश्य करता।<sup>१</sup> लेकिन सचमुच ही लोगोंसे मिले बिना ऐसे कार्योंको मैं ठीक समझ नहीं पाता। लेकिन तू ऐसा लाचार क्यों? जो तुझे सत्य लगे उसे निघड़क होकर करते जा। भले ही इसमें तुझसे भूल हो। भूलें तो जहाँ तुझे दिखाई दे वहाँ निःसंकोच होकर और परिणामकी चिन्ता किये बिना उन्हें सुधार लेना। ऐसा करते हुए प्रत्येक मामलेके बारेमें तुझे सत्यका पता चल जायेगा। मैं तो आज हूँ और कल नहीं। अपने बलसे ही तू तरे, यही बात शोभाजनक है। तैरते हुए यदि तू डूब जाये तो इसमें चिन्ताकी कोई बात नहीं। अभी भी जो-कुछ चल रहा है उसमें यदि तुझे कोई भूल दिखाई दे तो उसमें से मुक्त हो जाना चाहिए। और यदि तुझे कोई भूल न दिखाई दे तो भले ही तुझे मरना पड़े, तू कंगाल हो जाये, तब भी तुझे अपने मार्गसे विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हुए किसीपर रोष न करना, असत्याचरण न करना, अमान्त न होना, धीरज न छोड़ना और जो संकट आये तो सहन करना। अपूर्ण पिताके संरक्षणमें शान्तिकी खोज करनेकी अपेक्षा पिताके पिता अर्थात् पूर्ण परमेश्वरके संरक्षणमें शान्तिकी खोज कर। इससे तू बलवान बनेगा। तुझे मेरी यही शिक्षा है। और यदि तूने इसे सीख लिया है तो विश्वास रख कि तू पूर्ण शिक्षा पा चुका है।

मेरे दौरेका विवरण तुझे अनेक स्थानोंसे मिलेगा। अन्य समाचार देनेका भी मेरे पास समय नहीं है।

वापुके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८११) से।

१. देखिए “पत्र : वल्लभभाई पटेलको”, २५-१२-१९३३।

## २४३. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको

वर्धा आश्रम

१३ नवम्बर, १९३३

हिंदुकी बडी गलती है। हिंदु डरपोक बन गये है। त्याग कुछ करना नहि चाहते निजी शुद्धि करना नहि चाहते, बुरी आदते छोडना नहि चाहते। इसका और नतीजा क्या आ सकता है?' ऐसे मौके पर हम जो समझने है वे शुद्ध बनकर त्याग करके अपने कर्त्तव्यका पालन करे और विश्वास रखे कि इसीसे अंतमे झगडा मीटेगा।

बापू

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

## २४४. पत्र : एफ० मेरी बारको

हिंगनघाट

१३ नवम्बर, १९३३

चि० मेरी,

तुम बैतूल इतनी जल्दी जा रही हो, इसका मुझे पता नही था। यह पत्र मैं हिंगनघाटमे मुझे जो-कुछ मिनट खाली मिले है उसके दौरान लिख रहा हूँ। मेरे कार्योंका लेखा-जोखा तुम्हे 'हरिजन' मे पढनेको मिलेगा।

मैंने सोचा था कि यदि अमलाको यह पता लग जाता कि यह सुझाव किसने दिया था तो वह शायद ध्यान देती। उसका मामला जरा टेढा है। लेकिन जहाँ और जव हम असफल होते है वहाँ ईश्वर सफल हो जाता है। हम उसे ईश्वरके भरोसे छोड दे। उम्मीद है कि तुम शरीर और मनसे स्वस्थ होगी।

तुम्हे कभी-कभी पत्र लिखते रहना चाहिए, लेकिन वर्धाके पतेपर ही, जहाँसे उन्हें मेरे पास भेज दिया जायेगा।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०१५) से। सी० डब्ल्यू० ३३४१ से भी, सौजन्य : एफ० मेरी बार

१. यहाँ संकेत पक हिन्दू कन्या और मुसलमान युवकके विवाहके फलस्वरूप होनेवाले सिक्के दंगोंकी ओर है।

## २४५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

असंशोधित

चाँदा

१३ नवम्बर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

मैं अभी-अभी चाँदा पहुँचा हूँ और दूसरे लोग पीछे-पीछे आ रहे हैं। इस बीच मैंने तुम्हारा पत्र उठा लिया है। इस समय रात्रिके ९ वजे हैं। कार्यक्रम काफी थकानेवाला है। शाम ६ वजे मैं हिगनघाटमें था।

तिवारीने मुझे तुम्हारा पत्र दे दिया है। तुमने ज०<sup>१</sup>को जो पत्र लिखा था उसे भी मैंने पढ़ा है। जहाँतक उसे मालूम है अ० भा० का० क० के खातेमें गायद बहुत कम रुपया रह गया है। कितारें उसके पास नहीं हैं। उसने हिसाब-किताब मँगवाया है। इस बीच मैंने यह सुझाव दिया है कि ५०० रुपये कमने-कम उसके खाता-नामे में भेज देने चाहिए। अगर पैसे खत्म हो गये हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या किया जाये। मेरे पास एक सुरक्षित खाता है। मैं उस रुपयेको देना पसन्द नहीं करूँगा। मैं इसमें से हार्डिकरको रुपया देता हूँ, और ऐसा ही मैं उन कार्यकर्ताओंके लिए करना चाहता हूँ जिनकी सूची तुमने मुझे भेजी है। यह सब पैसा भी जल्दी ही खत्म हो जायेगा। इन हालातोमें, यदि हमें सविनय अवज्ञा आन्दोलनको जारी रखना है तो हम कार्यालयके सभी कर्मचारियोंको न भी अलग करें तो भी उन्हें कन अवश्य करना पड़ेगा। मैं जितना ही अपने चारों ओर देखता हूँ उतनी ही मेरी यह भावना दृढ़ होती जाती है कि जो इस समय लड़ाईमें शामिल हैं उन्हें बिना वनके ही काम चलाना पड़ेगा, उस थोड़े-बहुत वनको छोड़कर जो मेरे जैसे कुछ लोगोंके हाथमें हो। अभी-अभी मैंने गुजरात और कर्नाटकके लिए रुपयेकी व्यवस्था की है। जो महिला ५०,००० रुपये देनेवाली थी उन्होंने अभी-अभी यह सन्देशा मिनवाया है कि वह १०,००० रुपये तुम्हें देना चाहेंगी। अगर वह ऐसा करती है तो मैं यह अपेक्षा करूँगा कि इसमें से तुम संयुक्त प्रान्तके कार्यकर्ताओंका भुगतान कर दोगे। लैर मेरे खयाल से सबसे अच्छा यही है कि इस समय जो पैसा उपलब्ध है उसकी व्यवस्था के सम्बन्धमें तुम जमनालालजीसे, तथा जरूरत पड़े तो मेरे साथ बातचीत कर लो। मैंने सब जगह नोटिस भिजवा दिये हैं कि आगेसे मुझसे मददकी आशा न की जाये। जो-कुछ मेरे पास है मैं उससे ही खर्च चलानेकी कोशिश कर रहा हूँ।

अब औपचारिक सभाके सम्बन्धमें। इस पत्रके साथ जो कार्यक्रम है उससे तुम्हें पता चल जायेगा कि १० और १४ दिसम्बरके बीच मैं दिल्लीमें हूँ। ठक्कर बापाका

१. जमनालाल बजाज, जो इस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके कोषाध्यक्ष थे।

कहना है कि मैं १४ तारीखका अधिकांश समय हमारी जो बैठक हो रही है, उसमें दे सकता हूँ। १४ तारीखकी शाम ४ बजेके तुरन्त बादमें आन्ध्रके लिए ट्रेन पकड़ूँगा। अन्सारीने, जो रविवारको मेरे साथ थे, दिल्ली जानेका सुझाव दिया था। यदि वाकई सम्मेलन होना है तो तुम २४ नवम्बर, ४ दिसम्बर या १४ दिसम्बरमें से कोई भी तिथि चुन लेना।

अब हरिजन-यात्राको ले। सयुक्त प्रान्तमें इसके बहिष्कारकी जो सम्भावना है उससे मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी दोनों ही मेरी यात्राकी व्यवस्था करनेमें सहयोग दे रहे हैं। नरम दलवालोके प्रति, जिन्हें मैं गैर-कांग्रेसियोंमें शामिल करूँगा, तुम व्यर्थ ही नाराज हो। हमें तो उनसे भी काम लेना है। वे सब अपनी-अपनी समझके अनुसार कार्य करते हैं। मैं किसी भी हालतमें यह नहीं चाहूँगा कि हरिजन-आन्दोलनमें कोई ऐसा कांग्रेसी भाग ले जो जेल जानेकी इच्छा रखता हो। जो भी मेरे पास आया है मैंने उससे यह बात कह दी है। मैं तो कुछ अच्छे कार्यकर्त्ताओंको, जो हाल ही मैं जेलसे बाहर आये हैं, वापस जेल भेज रहा हूँ। मेरा खयाल है कि वा भी जल्दी ही जेल जा रही है और मणिबहन पटेल भी। काकासाहब, स्वामी, सुरेन्द्र भी जा रहे हैं। मैं इस हरिजन आन्दोलनमें केवल उन्हीं कांग्रेसियोंको शामिल कर रहा हूँ जो या तो शरीरसे इतने कमजोर हैं कि वे जेल नहीं जा सकते अथवा जिनका सविनय अवज्ञामें विश्वास नहीं रहा है, और जो हरिजनोकी सेवा करनेको तैयार हैं, लेकिन उनको नहीं जो हरिजन-कार्यको केवल आडके रूपमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस आन्दोलनको अगर सार्वजनिक बनाना है तो इसे हरेक कांग्रेसी के जेल चले जानेकी हालतमें भी जारी रहना है; अन्यथा इसे बन्द कर देना चाहिए। मेरा यह खयाल भी है कि कांग्रेसियोंको इस आन्दोलनका उपयोग सविनय अवज्ञा आन्दोलनको मजबूत करनेके लिए अथवा जनतापर कांग्रेसका प्रभुत्व जमानेके लिए नहीं करना चाहिए। ऐसा करनेका यह तरीका गलत होगा। इस प्रकारकी मनोवृत्तिसे कांग्रेस और हरिजन, दोनोंके हितोको ठेस पहुँचैगी। इस प्रकारके मामले मेरी नजरमें आये हैं। मैंने ऐसे किसी कार्यकी कड़ी आलोचना की है। मेरे खयालमें मैंने तुम्हारे प्रश्नोका सन्तोषजनक उत्तर दे दिया है। यदि नहीं, तो कृपया फिर पूछ लेना।

तुमने देखा होगा कि हिजली [ जेल ] में [ कैदियोंसे ] सरकार सलाम<sup>१</sup> कहलाना बन्द कर दिया गया है। सीमा प्रान्तमें होनेवाले दुर्व्यवहारके सम्बन्धमें क्या मैं सर तेजको लिखूँ ?

मुझे कृष्णाका एक सुन्दर पत्र मिला था। वह अपने नये घरमें प्रसन्न दिखती है।

आशा है कि माताजीकी हालतमें सुधार जारी है।

सप्रेम,

बापू

[ अंग्रेजीसे ]

गांधी-नेहरू पत्रिका, १९३३, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र : बंगालके गवर्नरको," २-११-१९३३।



## २४६. पत्र : रमणीकलाल मोदीको

चाँदा

१४ नवम्बर, १९३३

चि० रमणीकलाल,

तुम ताराकी चिन्ता करते जान पड़ते हो। मैं आशा करता हूँ कि यह विवेक की भाषा है। तुम और मैं हर समय चिन्ता नहीं कर सकते। यदि ऐसा करें, तो ज्ञानके लिए वह लज्जास्पद है। हम रोज 'गीता' का गान करें, रोज पढ़ें कि 'चिन्ता न करो' और फिर भी रोज चिन्ता करते रहें तो क्या यह अच्छी बात होगी? तारासे मैं मिला हूँ। उसका स्वभाव आदि बातें मुझे अच्छी लगी हैं। दाँतका कष्ट है, जिसका उपचार वह करा रही है।

तुम्हारे बारेमें मैंने सुरेन्द्रसे सब मुना है। आजकल हम सबकी अच्छी परीक्षा हो रही है। इसे हम प्राथमिक गिदा कहेंगे।

यह पत्र मैं यात्राके दौरान लिख रहा हूँ। सबेरे तीन बजे उठकर दतान करनेके बाद यह पहला काम है। प्रायंता तो ४-२० पर होगी। इस समय मैं चाँदामें हूँ। छः बजे गावली जानेके लिए रवाना होंगे। वहाँ हरिजन कातते-नुनते हैं, यह तुम जानते ही होगे। सावली जानेवाला दल बड़ा है। इममें जानकीवहन, राधाकिसन, बोत्रे आदि हैं। मेरे नाथियोंमें तो ठक्कर घापा, विश्वनाथ, चन्द्रगंकर, रामनाथ, मीरावहन, नायर और ओम हैं। दौरेमें हमें काफी काम करना पड़ता है। लोगोंकी भीड़ उतनी ही रहती है। बाकी तो अब क्या लिखूँ? तारासे तुम्हें सारी जानकारी मिल ही जाती है। यदि मुझे फुरसत होती तो मैं लम्बा पत्र लिखता। तुम्हें और अनेक लोगोंको भी नहीं लिख पाता, लिख सकता ही नहीं। इच्छा तो होती है, लेकिन उसे मारना पड़ता है।

सुरेन्द्र, दरबारी वर्धामें ही हैं। वहाँ एक जापानी साधु है। उसके आनन्दको देखकर हर्ष होता है। वह हिन्दी सीख रहा है। वा कल अहमदाबाद जानेके लिए स्वामीके साथ रवाना हुई।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१७५) से। सी० डब्ल्यू० १६७४ से भी;  
सौजन्य : रमणीकलाल मोदी

१. राधाकृष्ण बजाज।

## २४७. पत्र : ताराबहन आर० मोदीको

१४ नवम्बर, १९३३

चि० तारा,

मैंने तुम्हे रमणीकलालके लिए पत्र लिखकर देनेके लिए कहा था, लेकिन मेरा खयाल है मैं ऐसा नहीं कर सका और इस बातसे मैं खिन्न था। सो आज सवेरे मैंने सबसे पहला काम तुम्हे पत्र लिखनेका किया। इसके साथ वह पत्र<sup>१</sup> है। अब यह पत्र रमणीकलालको कब मिलेगा? मुझे पत्र वर्धा ही लिखना। दाँतके बारेमे तुमने जो-कुछ किया है सो मुझे बताना। मनमे जो विचार उठे उन्हें मेरे आगे रखना। जो अनुभव मिले, सो बताना। तुम्हारी 'हरिजनबन्धु' पढनेकी आदत तो होगी ही।

दौरेमे मेरे साथ ओम घूम रही है, यह तुम्हे मालूम है न? इस बार तो सावलीतक अन्य बहुत सारे लोग हैं। हमे ठीक अनुभव मिल रहा है। शरीर इस बोझको अबतक सहन तो कर रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१७६) से। सी० डब्ल्यू० १६७५ से भी;  
सौजन्य रमणीकलाल मोदी

## २४८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

चाँदा

१४ नवम्बर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

मुझे तुम्हारे पत्र मिलने ही चाहिए, तुमने मुझे आदत ही कुछ ऐसी डाल दी है। आज हम चाँदामे हैं। चार बजे हैं। ६ बजे सावलीके लिए निकलना है।

विठ्ठलभाईके बारेमे जो हुआ वह मुझे बिलकुल भी पसन्द नहीं आया। तथापि जिस तरहसे बडी सख्यामे लोग इकट्ठे हुए उससे मैंने यही बैठे-बैठे बहुत सीख लिया है। लोग मनुष्यको नहीं पूजते। उसके बारेमे उनके मनमें जो कल्पना है और जिसे वे चाहते हैं उस वस्तुको वे अपने ढंगसे और अपनी शर्तोंके आधारपर पूजते हैं। मैंने अखबारोमे वर्णन तो नहीं पढे और न विस्तारसे ही कुछ जाना है, लेकिन सारी वस्तुस्थितिका चित्र मेरी आँखोके सामने खड़ा हो गया।

१. देखिय पिछला शीर्षक।

२३३

नागपुरमें विद्यार्थियोंकी सभामें 'अंडा फेंके जानेकी बात मुझे 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से ही मालूम हुई। मैंने तो हॉलमें कुछ भी नहीं देखा। खलवली मन्त्री हो, सो बात भी मुझे दिखाई नहीं दी। हॉलमें किसीने कुछ देखा हो, सो भी मुझे मालूम नहीं। हाँ, चन्द्रशंकरने मुझे इतना जरूर बताया कि ओमके समीप एक अंडा फूटा था। यह अंडा उसीको उद्देश्य करके फेंका गया था अथवा उसके पास बैठे भूतपूर्व अय्यर पर अथवा मुझे लक्ष्य करके फेंका गया था सो नहीं जानता। बात यह है कि राईका पहाड़ बना दिया गया है। विद्यार्थियोंके प्रेमका तो पार ही न था। उन्होंने मुझे सात सौ रुपयेकी तो थैली दी। ऐमा ही संयुक्त प्रान्तका भी समझना।

अन्सारी रविवारको आकर मिल गये। उनकी तबीयत कुछ ठीक है। विट्टलभाईसे मिलना चाहकर भी वे नहीं मिल पाये। अन्तिम दिनोंमें वे बहुत अशान्त हो गये थे। अन्सारीके पास कुछ खास कहनेको न था। केवल मिलनेके लिए आये थे। यही कहा जा सकता है। वह राजवंगी रोगियोंको देखने गये हैं। वह उनी रात चले गये। मेरा तो मौन था। जब वह वापस आये तब मौन नहीं था। अभी तक ठीरमें कोई दिक्कत पैग नहीं आई है। अब खानेका और मोटरमें बैठनेका समय हो गया है। इसलिए आज इतना ही। वा और स्वामीने कल वर्धा छोड़ा है। वा अक्रोला होकर अहमदाबाद जायेगी। रामी की लड़की बीमार है, इसलिए मनु राजकोट गई है। तुम तो मुझे वर्धा ही पत्र लिखना।

[गुजरातीसे]

वापूना पत्रो - २ : सरदार बल्लभभाईने, पृष्ठ ४६-७

२४९. पत्र : मणिबहन पटेलको

चाँदा

१४ नवम्बर, १९३३

चि० मणि,

तेरा लम्बा पत्र मिला। तूने लिखा सो अच्छा किया। मेरे सामने तू परवा रखेगी तो तेरा नुकसान ही होगा। अवश्य ही मनुष्यके मरते समय हम उसके दोषोंको याद न करें बल्कि हम उसके गुणोंका ही स्मरण करें। मेरे उपस्थित न रहनेका उनके व्यवहारके साथ कोई सम्बन्ध नहीं। उनके गुण मैं नहीं पहचान सका सो बात नहीं। मैं वहाँ इसलिए नहीं आ सका कि मैं कहीं किसी दूसरे कार्यक्रममें शामिल नहीं हो सकता था। आजकल या तो मैं यरवडामें जोभा दे सकता हूँ या हरिजन-कार्यमें। हरिजन-कार्यके खातिर ही मैं [जिलसे] बाहर हूँ, यह केवल सरकार या जनताको कहनेके लिए नहीं, परन्तु मेरे हृदयमें भी यही चीज है। दूसरे काम में मैं पड़ ही नहीं सकता। मालूम होता है लोग भी यह चीज समझने लगे हैं। मुझसे सरकारके अंकुश सहन

१. यह समा ९ नवम्बर, १९३३ को हुई थी।

२. रामी कुँवरजी पारेख, हरिछाल गांधीकी पुत्री।

३. गांधीजी विट्टलभाई पटेलके दाहसंस्कारमें शामिल नहीं हुए थे। मणिबहन पटेलने इस सम्बन्धमें गांधीजीसे पूछताछ की थी।

न होते, मैं अपने ढंगसे कुछ कर न पाता। मैं तेरा या डाह्याभाईका पथप्रदर्शन भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं मन मारकर बैठा रहा। इसके सिवा मेरे जीवनमें दूसरी बात भी है, यह भी तू जान ले। रसिक (गांधी)<sup>१</sup> मृत्युशय्या पर था, वह चाहता भी रहा होगा कि मैं उसके पास पहुँचूँ। परन्तु मैं दिल्ली नहीं गया, वा गई। रसिक मर गया। मैंने आँसू तक नहीं बहाया। मैं खा रहा था तब तार आया। खाना खत्म किया और अपने काममें लग गया। मेरे जीवनमें ऐसी घटनाएँ बहुत हुई हैं। मौतके वारेमें मैंने कुछ विचार बना रखे हैं, वे दृढ होते जा रहे हैं। मैं मृत्युको भयानक चीज नहीं समझता। विवाह भयानक हो सकता है, मृत्यु कभी नहीं। क्या इससे तेरी शंकाका समाधान हो जाता है? न हो तो मुझसे फिर पूछना।

वहाँका वर्णन तूने बढ़िया किया है। बड़ा दुखद है। लोगोका प्रेम समझने लायक है। यह प्रेम व्यक्तिके प्रति नहीं है, परन्तु जो चीज लोगोको चाहिए उसे वे जिस व्यक्तिमें मानते हैं उसीके लिए वह प्रेम है। इसलिए यह बड़ी निर्मल वस्तु है। यह वस्तु लोक-जागृतिकी सूचक है, दुनियाकी आँखे खोलनेवाली है। बिट्टलभाई स्वतन्त्रताके पुजारी थे, इस विषयमें कोई शंका कर ही नहीं सकता।

अब वा के वारेमें। मेरे पास समय होता तो मैं उस पत्रमें<sup>२</sup> अधिक समझाता। वा का दिल कमजोर हो गया है। वह मन्दिर (जेल) जाना चाहती भी है और नहीं भी चाहती। भीतर ही भीतर वह समझती है कि जेल जाना उसका धर्म है इसलिए उसे छोड़ नहीं सकती, मगर मैं बाहर हूँ इसलिए उसे अन्दर जाना अच्छा नहीं लगता। मैंने कोई आग्रह नहीं किया। उसकी मरजीपर छोड़ दिया है। मेरे लिखनेका आग्रह यह था कि तू उसे धर्म-पालनमें दृढ बनाना और उसे समझाना। तुझपर उसे आस्था और प्रेम है। मैं कुछ भी कहूँगा तो वह हुक्मके रूपमें माना जायेगा और वा दब जायेगी। इसलिए कुछ नहीं कहता। नहीं कहता, इसका अर्थ भी वा तो एक ही करती है कि उसे जेल जाना ही चाहिए।

तेरे दाँतों और पैरके सम्बन्धमें जाना। जैसा डाक्टर कहते हैं वैसा ही करना। थोड़ी राह देखनी ही पड़े तो हठ करनेकी जरूरत नहीं। डाह्याभाईको पत्र लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[ पुनश्च ]

पत्र वर्षा ही लिखना।

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ ११३-४

१. हरिलालका पुत्र जिसकी ८ फरवरी, १९२९ को मृत्यु हो गई थी; देखिए खण्ड ३९, पृष्ठ ४१०।

२. ९ नवम्बर, १९३३ के।

## २५०. पत्र : डाह्याभाई पटेलको

चाँदा

१४ नवम्बर, १९३३

चि० डाह्याभाई,

मैं तुम्हारी भावना और तुम्हारे दुःख को समझता हूँ। मेरी भावना और मनःस्थितिको तुम मणिबहनको लिखे मेरे पत्रसे समझ सकोगे। जहाँ मैं असहाय हूँ वहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? सिपाहीके हाथसे तलवार ले लेनेपर जैसे वह निकम्मा बन जाता है उसी तरह यदि मेरे हाथसे सविनय अवज्ञाका अधिकार ले लिया जाये तो मैं निकम्मा बन जाऊँगा। इसके अतिरिक्त मेरा सारा जीवन ही प्रतिज्ञाबद्ध हो गया है। मेरी प्रतिज्ञा तो यह है कि या तो मैं जेलमें रहूँगा अथवा हरिजन-कार्यमें लगा रहूँगा। अन्य कार्योंके लिए तो मैं अपने मनको भी नहीं रोक सकता। विट्टलभाईके दोष तो उनके साथ गये। उनमें गुण बहुत थे। उनकी स्मृतिको हम सबको अपने मनमें सँजोना है। और तुम्हें शायद मालूम भी न हो कि विट्टलभाईको मैंने पत्र भी लिखा था और उन्होंने मुझे प्रेमसे पगा उत्तर भी दिया था। मेरा उनके साथ निजी सम्बन्ध कभी टूटा नहीं था। मतभेद पारस्परिक सम्बन्धोंके आड़े नहीं आते। मुझे तुम्हें यह सब समझानेकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मणिबहन लिखती है कि तुम्हें और अन्य भतीजोंको कुछ दुःख तो जरूर हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हें इतना समझानेका प्रयत्न किया है। वल्लभभाईके [जेलसे] बाहर न होनेके कारण मुझे बहुत परेशानी होती है। वे बाहर हों तो पारिवारिक गलतफहमियोंको दूर करनेका कार्य मैं उनको ही सौंप दूँ। उनके जेलमें होनेके कारण गलतफहमी दूर करनेका मेरा दायित्व दूना हो जाता है। यदि तुम्हें मैंने जो लिखा है वह कम लगे तो मुझे दिल खोलकर लिखनेमें तनिक भी संकोच न करना।

बापूके आशीर्वाद

श्री डाह्याभाई वल्लभभाई पटेल

रामनिवास

पारेख स्ट्रीट

बम्बई-४

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ १५५

१. देखिय पिछला शीर्षक।

## २५१. पत्र : रुक्मिणीदेवी बजाजको

१४ नवम्बर, १९३३

चि० रुक्मिणी,

तेरा पत्र मिला था। नियमका पालन करना। आज मैं पत्र सवेरे तीन बजे उठकर लिख रहा हूँ। आजकल मैं रोज तीन बजे ही उठता हूँ। एक घटेमें जितने पत्र लिखे जा सके उतने लिखता हूँ। आज छ बजे सावली जाना है। सावली तक मेरे साथ मोटरमें जानकीवहन और अन्य बड़े लोग होंगे। सावली हरिजनोका बहुत बड़ा खादीका क्षेत्र है। वहाँ हमारी ओरसे खादीका कार्य होता है। आशा है तुम सब कुशलपूर्वक होंगे। तेरे 'स्वसुर' के पत्र आते रहते हैं। केशु मजेमें है।

तुम दोनोको,

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

पत्र वर्षाके पतेपर ही लिखना।

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९७०२) से; सौजन्य . बनारसीलाल बजाज

## २५२. बातचीत : सावलीके खादी-कार्यकर्त्ताओंसे

१४ नवम्बर, १९३३

गांधीजीने खादी-कार्यकर्त्ताओंसे कहा कि वे अपने औजारोंको सुधारे जिससे कि उत्पादनमें वृद्धि हो और उसके फलस्वरूप वेतनमें भी बढ़ोत्तरी हो।<sup>१</sup> उन्होंने कहा :

और तब भी यदि आप बुरी आदतोंका त्याग नहीं करते तो वेतनमें वृद्धि होनेसे ही आपके जीवन सुखी नहीं हो जायेगे, क्योंकि आप जो धन पायेगे उसे उड़ा डालेंगे। इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जिस बातकी जरूरत है वह यह है कि आप बुरी आदतोंको छोड़ दे और अपने जीवनको शुद्ध बनाये, इस तरह आप न केवल अपने साधनमें वृद्धि करेंगे बल्कि अपने जीवनको अधिक सुखी और समृद्ध बनायेगे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २४-११-१९३३

१. रामेश्वरलाल बजाज।

२. कुछ स्त्री-कार्यकर्त्ताओंने बहुत कम वेतन होनेके वारेमें शिकायत की थी।

## २५३. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

चाँदा

१५ नवम्बर, १९३३

अपने शरीरके साथ तू अत्याचार न करे तो अच्छा होगा। मुर्देके पीछे-पीछे जानेकी कोई जरूरत नहीं थी।<sup>१</sup> ऐसा कोई स्वतन्त्र धर्म तो नहीं है। मैं जानता था कि मेरे न जानेका गलत अर्थ तो किया ही जायेगा। लेकिन कोई मेरे धर्मको नहीं समझेगा, इस भयसे भला मैं अपने कर्तव्यसे क्यों च्युत होऊँ? मेरा मन यदि जेलके बाहर बसता है तो वह केवल हरिजन-सेवाके अर्थ ही। वहाँ स्वतन्त्र रूपसे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सविनय आन्दोलनके विना मैं पंख-विहीन पक्षीके समान हूँ। वहाँ जो-कुछ हुआ उसमेंसे कुछ बातोंको मैं कदापि सहन नहीं कर सकता था। इसलिए इस दृष्टिसे भी मेरा वहाँ आना नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त हरिजन-दौरेके लिए दिन भी मुकरँर था। मोतीलालजीकी विधवासे भी मिलने नहीं गया। रामीकी लड़कीसे भी, जो इस समय मृत्युशय्या पर पड़ी है, मिलने नहीं गया। पुत्रके ममान प्रिय ब्रजकिशन मृत्युशय्या पर है, वहाँ भी नहीं जाता। . . .<sup>२</sup> तू उसे पत्र लिखना। कदाचित् तार देनेकी जरूरत जान पड़े। . . .<sup>३</sup> रसिक मृत्युशय्यापर पड़ा था, नहीं गया। बादमें उसकी मृत्यु हो गई तो भी नहीं गया। लेकिन गायके घर दूध क्या ले जाऊँ अर्थात् तुम्हें यह सब लिखनेकी क्या जरूरत है? तथापि यह सोचकर लिख गया कि कदाचित् तुझे मेरे जीवनके इस पहलूके बारेमें जानकारी न हो। बाकी मुझपर लगाये गये ऐसे आक्षेपोंका उत्तर तुझे नहीं देना। मुझे जो लोग आजतक नहीं समझ पाये हैं वे अब दलीलोसे समझनेवाले नहीं हैं। मेरा समग्र जीवन ही उनपर जो छाप डाले वही सच्चा है। जो कर्म हमने किये हैं वे तो स्वयं ही प्रतिफलित होंगे। शब्दोंके जरिये उन्हें मिथ्या नहीं किया जा सकता।

तू नहीं आया, यह बात अच्छी नहीं लगी। रविवारको तो अचानक कहीं मेरे सामने आ खड़ा होगा, ऐसा मैंने सोचा था। ऐसा लगता है कि अन्ततः सभा<sup>४</sup> नहीं होगी। यदि हुई तो दिल्लीमें १४ दिसम्बरको होगी। अन्तारी इसी दिन करना चाहते हैं। यह सभा हो तो तू आना। . . .<sup>५</sup>

उत्कलके बारेमें तुझसे जो बने सो कर दे। 'हरिजन'के लेखसे<sup>६</sup> कुछ पैसे आये जान पड़ते हैं, इस सम्बन्धमें तू चिन्ता न करना। शरीरको रंगड़नेकी जरूरत

१. मथुरादास त्रिकमजीने विट्ठलभाईकी शवपात्रामें भाग लिया था।

२ और ३. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

४. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी।

५. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

६. देखिए "उड़ीसाकी पुकार", ३-११-१९३३।

नहीं है। जिस तरह आलस्य त्याज्य है उसी तरह अत्यधिक परिश्रम भी त्याज्य है। “समत्व योग उच्यते” यह श्लोक हमेशा मेरे मनमें रमा रहता है। ‘गीता’ मेरे लिए तो जीवित माँ है, कामधेनु है। इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है।

[ गुजरातीसे ]

बापुनी प्रसादी, पृष्ठ १३९-४०

## २५४. पत्र : जमनालाल बजाजको

१५ नवम्बर, १९३३

चि० जमनालाल,

श्री सालपेकरजीके स्मारकके सिलसिलेमें भाई हरकरे मुझसे मिले हैं। यदि सालपेकर स्मारक सेवा निधि नामसे कोष खोला जाता है और उसमें धन इकट्ठा किया जाता है तो उसके लिए मेरे नामका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि यदि इसमें तुम्हारी सहमति और सहयोग हो तभी इस तरह किया जाना चाहिए। इसमें कमसे-कम ५,००० रुपये मिलने चाहिए और यह रकम पर्सके रूपमें मुझे छिदवाडामें दी जा सकती है। इसके लिए एक छोटी समिति बनाई जानी चाहिए और वह इस पैसेका उपयोग हरिजन-सेवाकार्यमें मुझसे पूछकर करे। यह ठीक लगे तो भाई हरकरेको इसके बारेमें समझाना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९२६) से।

## २५५. भाषण : वुनकी सार्वजनिक सभामें

१५ नवम्बर, १९३३

अगर आप न जानते हो तो अब बता देता हूँ कि बापूजी अणके साथ मेरी मैत्री समयके साथ-साथ बढ़ती ही गई है। उनके मधुर आचार, उनकी मितभाषिता, सूझबूझ और उद्यमशीलताके मैं आपको अनेक संस्मरण सुना सकता हूँ। मैं आपसे यह बात नहीं छिपा सकता कि आज हमारे बीच उनके उपस्थित न रहनेका मुझे कितना दुःख है।<sup>१</sup>

मैं आपसे यह बात सुननेको तैयार नहीं था।<sup>२</sup> मैं आपसे निर्दोष पैसा चाहता हूँ अर्थात् मैं चाहता हूँ कि आप अपने थोड़ेसे ऐशोआरामका त्याग करके हरिजनोके

१. भगवद्गीता, अध्याय २, ४८।

२. एम० एस० अणें उस समय जेलमें थे।

३. वनके लोगोंने हाल ही में आई बाढके कारण गांधीजीको थैली में ट करानेकी असमर्थता व्यक्त की थी।



लिए पैसा दें। मैं नहीं समझता कि आपमें से किसी भी व्यक्तिने बाढ-पीडितोंके प्रति सहानुभूति स्वरूप अपने एक बारके भोजनका अथवा किसी सुख-सुविधाका त्याग किया होगा। और यदि यह सच है तो यह बात आपको शोभा नहीं देती कि जब आपसे इस कामके लिए, जो हम सवर्ण हिन्दुओंके लिए पश्चात्ताप और शुद्धीकरणका काम है, कुछ देनेके लिए कहा जाये तब आप अपनी असमर्थता व्यक्त करें।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, २४-११-१९३३

## २५६. भाषण : यवतमालकी सार्वजनिक सभामें

१५ नवम्बर, १९३३

यह गीत<sup>१</sup> शान्ति और निर्भयताका सन्देश देता है। जब हम अपनी प्रार्थनामे समस्त विश्वके साथ शान्तिपूर्वक रहनेकी बात करते हैं तब हम उसके साथ अस्पृश्यताको कैसे बनाये रख सकते हैं? यदि हम सारे संसारके प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं तो हमें हरिजनोके प्रति भी ईमानदार रहना होगा।

जबसे मैंने बरारकी भूमिमे पैर रखे हैं तबसे मेरे कानोमें बापूजी अणेका नाम गूँज रहा है। वर्षोंके साहचर्यके बाद हममे ऐसी मित्रताका विकास हुआ है जिसका ठीक-ठीक अन्दाज मैं आपको नहीं दे सकता। मैं बरारके कोने-कोनेमे उनका नाम गूँजते सुनना चाहता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, २४-११-१९३३

## २५७. पत्र : अगाथा हैरिसनको

स्थायी पता : अमरावती

१६ नवम्बर, १९३३

प्रिय अगाथा,

तुम्हारा लम्बा पत्र मिला।

मैं देखता हूँ तुम एन्ड्रयूजके बारेमे हमेशा उसी प्रकार सोचती रहती हो जिस प्रकार कोई अच्छी माता अपने बेटेके बारेमे सोचती है। तुम उनकी देखभाल करती हो, उनकी जरूरतोंका खयाल रखती हो और उन्हें सब प्रकारकी हानिसे बचाती रहती हो। तुम्हारा यह कहना बिलकुल ठीक है कि ऐसी देखभालके बिना उनके ऊपर चिन्ताका भूत सवार हो जाता है, और तब वह स्वयं तकलीफ पाते हैं और

उनके कामका भी हर्ज होता है। तथापि यदि तुम्हे लगता हो कि ज्यादा अच्छी तरह काम करनेकी दृष्टिसे तुम्हे एक या दो महीनेके लिए भारत आना चाहिए तो संकोच मत करो। इस बातपर मैं और वह (एन्ड्रयूज) दोनों ही सहमत हैं, लेकिन वह मौकेपर मौजूद है, और तुम्हे जो उचित लगे सो उनसे और अन्य मित्रोंसे परामर्श करके करना। फिलहाल इस समय कोई ठोस काम किया जा सके सो बात तो है नहीं। सर सैमुअल होरने हर चीजके बारेमे अपना मन निश्चित कर लिया है। वह अपने 'उद्देश्य' मे विश्वास रखते हैं। वह लगभग मानते हैं कि हम लोग अपना कामकाज चलानेके अयोग्य हैं और यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वह हमें गलतियाँ नहीं करने देगे। अग्रेजोंकी तात्कालिक आवश्यकताओंने उनको वास्तविकताओंकी ओरसे अन्धा कर दिया है। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियोंमें वहाँ हमारे जो मित्र हैं वे स्थितिको देखने, अवसर की प्रतीक्षा करने और प्रार्थना करनेके सिवा और कुछ नहीं कर सकते। हमे अपना ध्यान स्वयं रखना होगा, और हम अपनी मदद आप कर सकते हैं, इस बातको यदि हम सफलतापूर्वक करके दिखा देंगे तो तुम लोग वहाँ काफी ठोस काम कर सकोगी।

हिजली-काण्ड सन्तोषजनक ढंगसे सुलझ गया दिखता है। मेरा खयाल है कि मेरा यह मानना ठीक ही है कि बगालके गवर्नरको मैंने जो बहुत सीधा-सादा पत्र लिखा था, उसका प्रभाव हुआ।

ऐसा कहा जा सकता है कि विट्टलभाई पटेलके पार्थिव अवशेषोंकी अन्त्येष्टि क्रिया काफी अच्छे ढंगसे सम्पन्न हो गई। जहाँतक जनताका सम्बन्ध है, उसने विलकुल स्पष्ट रूपसे दिखा दिया कि वह क्या चाहती है? एंग्लो इंडियन अखबारोंके अनुसार जुलूस कमसे-कम एक मील लम्बा था। दिवगत नेताके प्रति श्रद्धाजलि देनेके लिए सारा बम्बई उमड़ पड़ा था। विट्टलभाई जिस उद्देश्यके लिए लड़ रहे थे वह यह था कि भारतको ब्रिटेनके नियन्त्रणसे पूरी स्वतन्त्रता मिले, यह नहीं था कि भारत ब्रिटेनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखेगा। जनताने उनके इस उद्देश्यके प्रति अपना पूरा समर्थन इस अवसरपर व्यक्त किया। जनता आज लाचार है और अपनी मदद आप कर सकनेमे असमर्थ है, लेकिन इससे उसकी मनोवृत्तिपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जनताको मालूम है कि वह क्या चाहती है और दुनिया को अपनी इच्छासे अवगत करानेका कोई अवसर वह हाथसे नहीं जाने देती।

मेरी कामना है कि सुभाष बोसको इंग्लैंड लानेमें तुम्हे सफलता मिले।

मोटरसे अगले पड़ावके लिए रवाना होनेसे पहले मुझे जो चन्द्र मिनटका समय मिला है उसमें मैं यह पत्र बोलकर लिखवा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि पिछले हफ्ते तुम्हे चन्द्रगकर शुक्लका एक यथार्थ-चित्रणवाला पत्र मिला था। मैं तुम्हे एक और विवरणात्मक पत्र भेजकर उसके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता। वैसे ही प्रदर्शन और वैसे ही उत्साह सभी जगह दिखाई पड़ा है। मुझे अवश्य ऐसा लगता है कि बहुतसे लोगोंकी जैसी कल्पना है, उससे कही तेजीसे अस्पृश्यता समाप्त हो रही है। अभी तक जो बहुत-सी सभाएँ और प्रदर्शन हुए हैं इनमे कमसे-कम १,५०,००० लोगोंने भाग लिया होगा। अगर ये लोग आन्दोलनका समर्थन न करना चाहते, तो मैं

सोचता हूँ कि वे इतनी बड़ी संख्यामें शायद शामिल न हुए होते। वे जानते हैं कि इस समय मैं केवल अस्पृश्यताके सिलसिलेमें दौरा कर रहा हूँ और इसके साथ कोई राजनीतिक उद्देश्य जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वे सभाओंमें शामिल होते हैं, और हालाँकि हम लोग तंगीके दौरसे गुजर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी सामर्थ्यके अनुसार पैसे और रुपये देते हैं। इसलिए यह सोचते हुए दुख होता है कि एंग्लो इंडियन अखबार मेरे इस दौरेके महत्त्वको घटाकर बतानेकी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे बदनाम करनेकी भी कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं तुम्हें नागपुरमें अंडे फेंकनेकी घटना और संयुक्त प्रान्तमें वहिष्कार करनेकी तैयारियोंकी सूचना तारसे भेज दी गई थी या नहीं। इस घटनाके बारेमें अखबारी रिपोर्टों और अपने बहुत संक्षिप्त उत्तरकी कतरनों में संलग्न कर रहा हूँ। अवश्य, सनातनियोंका विरोध वेशक मौजूद है। लेकिन अभी तक मैंने जन-सामान्यको उनका समर्थन करते नहीं देखा है। यदि सनातनियोंको नाममात्रका भी लोक-समर्थन प्राप्त होता तो वे आन्दोलनको नुकसान पहुँचानेमें नहीं हिचकते। इससे ज्यादा कहनेका मेरे पास समय नहीं है। लेकिन तुम्हें 'हरिजन' को मेरे साप्ताहिक पत्रके अंशके रूपमें पढ़ना चाहिए। उसकी जितनी प्रतियाँ तुम चाहो, बाँटो, और अगर तुम और ज्यादा प्रतियाँ चाहो तो माँगने-भरकी देर है। और तुम यह विश्वास रख सकती हो कि इसमें आन्दोलनके विरोधसे सम्बन्धित कोई चीज छिपाई नहीं जायेगी। मैंने 'हरिजन' में अंडे फेंकनेके सवाल पर और संयुक्त प्रान्तमें विरोधके बारेमें चर्चा नहीं की है। उसका पहला कारण तो यह है कि इन दोनों चीजोंके बारेमें मैं सार्वजनिक अखबारोंमें चर्चा कर चुका हूँ और दूसरा यह कि उनका आन्दोलनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इनका राजनीतिक महत्त्व जरूर है, क्योंकि एंग्लो-इंडियन अखबार वेईमानीके तौर-तरीकोंसे काम ले रहे हैं। लेकिन मैं ऐसी बातोंकी चर्चा 'हरिजन' के पृष्ठोंमें नहीं करना चाहता। हालाँकि इस समय मैं जेलसे बाहर हूँ तथापि मैं उसे राजनीतिक विवादसे मुक्त रखना चाहता हूँ। जेलके अन्दर पहुँच जानेपर मैं राजनीतिक प्रश्नोंपर ध्यान भी नहीं दूंगा, भले ही उनका हरिजन-आन्दोलनपर गहरा प्रभाव पड़ता हो। और जहाँ तक किसी आदमीके लिए सम्भव है, उस हद तक मैं ऐसा ही आचरण करनेकी कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि मैं एक कैदी हूँ। तथापि यदि तुम्हें 'हरिजन' में या मेरे पत्रोंमें किसी चीजका छूटना खटके तो तुम उसकी तरफ मेरा ध्यान दिलानेमें मत हिचकना।

मैं यह मान रहा हूँ कि तुम्हारी रायमें जिन मित्रोंको यह पत्र देखना चाहिए, उन्हें तुम इसे पढ़वा दोगी।

हृदयसे तुम्हारा,  
बापू

## २५८. पत्र : एफी एरिस्टार्शीको

अमरावती

१६ नवम्बर, १९३३

प्रिय एफी,

मुझे तुम्हारा पत्र और उसके साथ वह बहुत ही सुन्दर कार्ड मिला जिसे तुम चाहती हो कि मैं 'भगवद्गीता' की अपनी प्रतिके अन्दर रख लूँ। मैं तुम्हारी इच्छाका अक्षरशः पालन नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि उससे तो तुम्हारी इच्छाका उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। मैं 'गीता' नित्य नहीं पढ़ता। मैं प्रातः काल उसका पाठ सुनता हूँ और चूँकि मेरी समझसे तुम्हारा विचार यह है कि पुस्तकमें पृष्ठ-चिह्नके रूपमें मैं उस चित्रको प्रतिदिन रखूँ, इसलिए मेरा विचार यह है कि मैं उसे उस किताबमें रखूँ जिसे मैं पढ़ रहा होऊँ, और जो भी किताब पढ़ता होऊँ उसीमें रखता जाऊँ।

मैं देखता हूँ कि तुम गुजरातीकी शिक्षा ले रही हो, शायद मनुसे, क्योंकि तुमने अपना नाम गुजरातीमें लिखा है।

मुझे खुशी है कि तुम मनु और एलिजाबेथके घनिष्ठ सम्पर्कमें आ रही हो। तुमने पूछा है कि मैं इस प्रेम-व्यापारके बारेमें क्या कामना करता हूँ। मैं इन दोनोंको अत्यन्त प्रीतिकारी, बहुत ही सच्चा और बहुत गम्भीर मानता हूँ, लेकिन मुझे जिस बातका भय है वह यह है कि वे प्रस्तावित विवाहके पूरे परिणामोको नहीं समझते। मैं उनका दृष्टिकोण समझता हूँ। उन दोनोंके लिए इतना ही काफी है कि वे एक-दूसरेको प्यार करते हैं। लेकिन मेरी यह मान्यता रही है कि युवा लोगोको पहले अपना चुनाव तो कर लेना चाहिए, लेकिन उनकी पसन्दका अन्तिम निर्णय बढोकी स्वीकृति और आशीर्वादपर निर्भर करना चाहिए। मैंने युवावस्थाके प्रेमियोंको बादमें अक्सर निराशा भोगते देखा है। [जीवन-संगीका] चुनाव कितना ही सोच-विचार कर क्यों न किया गया हो, किसी-न-किसी प्रकार बादमें ऐसा सिद्ध हुआ है कि चुनाव गलत था। इस मामलेमें मुझे आगे खतरा दिखाई पड़ता है। इस प्रस्तावित विवाहके खिलाफ जो सबसे घातक आपत्ति मैं देख पा सकता हूँ वह यह है कि एलिजाबेथ चाहती है कि उसकी सन्तान रोमन कैथॉलिक धर्मके संस्कारोंमें पले। यह इच्छा उसके अपने दृष्टिकोणके अनुसार शायद स्वाभाविक है। मुझे इसमें जरा भी आपत्ति नहीं है। लेकिन मनुको भले ही इसमें कोई आपत्ति न हो, तथापि उसके माता-पिता और उसके स्वजन, जिन्हे वह बहुत प्यार करता है, इस बातको कभी स्वीकार नहीं कर पायेंगे कि उनके पोते-पोतियाँ स्वधर्मको छोड़कर किसी अन्य धर्ममें दीक्षित किये जायें।

फिर, सम्पूर्ण हिन्दू संस्कृतिका भी सवाल है। मैं इस समय भी भारतीयोंकी हिन्दू संस्कृति और ईसाइयोंकी ईसाई संस्कृतिके बीच एक संघर्ष चलते देख रहा हूँ। भारतीयोंको दो लगभग विरोधी शक्तियाँ अलग-अलग दिशाओंमें खींच रही हैं। क्या जाने कुछ ऐसा है कि ईसाई-धर्म पश्चिमी सभ्यताका पर्याय बन गया है। शायद यह ठीक ही है, क्योंकि पश्चिमी देशोंके लोगोंका धर्म प्रधानतया ईसाई-धर्म है और इसीलिए पाश्चात्य संस्कृतिको उसी प्रकार ईसाई-संस्कृति कहना विलकुल ठीक होगा जिस प्रकार भारतीय संस्कृतिको निश्चित रूपसे हिन्दू संस्कृति कहा जायेगा। एलिजाबेथका लालन-पालन जिस वातावरणमें हुआ है, उसके बच्चोंका उससे सर्वथा भिन्न परिवेशमें लालन-पालन होगा बशर्ते कि मनु स्वयं ही अपने समाजसे विलकुल सम्बन्ध-विच्छेद करके अलग रहनेका निश्चय न कर ले या पश्चिमके किसी देशमें जाकर न बस जाये। मेरी रायमें, आध्यात्मिक दृष्टिसे देखा जाये तो स्वयं एलिजाबेथको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके कारण मनुको अपने समाजसे सम्बन्ध-विच्छेद करना पड़े।

फिर, स्वयं एलिजाबेथका अपना भी सवाल है। उसे भारतीय वातावरणके अनुकूल अपनेको ढालनेमें काफी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा। उसके स्वास्थ्यपर बुरा असर पड़ सकता है या उसे इस प्रकारका जीवन जीना पड़ेगा जिसका उसके आजतकके वातावरणसे कोई मेल ही नहीं होगा। यूरोपीयोंके यह कहनेका काफी उचित कारण है कि भारतीय लोग औसतन जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च उठाये बिना वे शायद भारतमें जीवित ही नहीं रह सकते। मीराके मनमें भारतके प्रति जबर्दस्त प्रेम है, उसकी इच्छा-शक्ति फौलादकी तरह मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद उसके लिए भारतीयों जैसी सादगीका जीवन अपना पाना काफी कठिन पड़ रहा है, और मीराको सामान्य औसतका व्यक्ति कहा जा सकता है। लेकिन उसे भी स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करनेसे रोकनेकी जरूरत रहती है और उसे ऐसी सुविधाएँ लेनेको बाध्य किया जाता है जो कि उसके साथियोंको नहीं दी जातीं। अगर मैंने शुरूसे ही ऐसा नियम न लागू कर दिया होता तो वह बहुत पहले ही चारपाई पकड़ चुकी होती, और मैं जानता हूँ कि उसने भारतीय जीवनके अनुरूप अपनेको असाधारण रूपसे ढाल लिया है। लेकिन यदि उसने किसी भारतीयसे शादी कर ली होती और अपने बच्चोंको भारतीय ढंगसे पालनेकी व्यर्थ कोशिश करती तो वह तब पूरी तरहसे विफल ही हुई होती। जो व्यक्ति भारतमें भारतीयोंकी तरह रहा नहीं है उसे इस बातका कोई अन्दाज ही नहीं हो सकता कि मैं क्या निगम ग्हा हूँ। भारत संसारका सबसे गरीब देश है। किसी पाश्चात्य देशकी लड़कीके लिए इतना दृढ़ संकल्पके साथ भारत आकर किसी भारतीयसे शादी कर लेना एक जबर्दस्त काम है कि वह शुद्ध भारतीयों जैसा जीवन व्यतीत करेगी। मैं किसी भी ऐसे भारतीयको नहीं जानता जिसने किसी यूरोपीय लड़कीसे शादी की हो और फिर भी अतिसार भारतीयोंकी तरहका जीवन व्यतीत करता हो। अगर उसे पत्नीके साथ न्याय करना है तो वह ऐसा कर ही नहीं सकता। और मनुको एलिजाबेथकी गान्धिरूप बनने आदर्शोंको नीचा करना पड़े, इस बातको सहज स्वीकार करनेके लिए भगवान

तैयार नहीं है। ऐसे ही कारणोवश मैंने उन लोगोंके लिए ब्रह्मचर्य धारण करनेकी बात कही है जिन्होंने ईश्वरकी सेवा, अर्थात् ईश्वरकी सृष्टिकी सेवा करनेका व्रत लिया है। मेरे लिए मीराको या तुम्हे पुत्रीवत माननेमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन किसी यूरोपीय लड़कीको मैं पुत्रवधू बनाऊँ, जरा इसकी कल्पना तो करो। मुझे भय लगेगा। मैं इस भारको नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि उदाहरणके तौरपर देवदासको अपने स्वाभाविक वातावरणसे अलग होना पड़े, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि भारतीयोका यूरोपीयोके साथ विवाह-सम्बन्ध करना असामयिक है। जब भारत अपनी दशा सुधार लेगा, या जब यूरोपीयोके ऐसे लड़के-लड़कियाँ होंगे जो अत्यधिक सादगीके अभ्यस्त बन गये हैं और भारतमें ही बस गये हैं, तभी मैं भारतीयो और यूरोपीयोके बीच विवाहकी सम्भावनाको खुशीके साथ देख सकूँगा।

अब मेरे खयालसे मैंने तुम्हें खूब लम्बा पत्र लिख डाला है और सोचनेके लिए काफी मसाला दे दिया है। तुम्हें इस बातका थोड़ा-बहुत ज्ञान तो है ही कि मैं क्या चाहूँगा, किन्तु मैंने जो-कुछ कहा है यदि वह तुम्हें जमे नहीं तो मैं तुमसे किसी भी रूपमें यह अपेक्षा नहीं करता कि तुम मेरी इच्छापर अमल करो। और यदि मनु और एलिजाबेथके भविष्यके बारेमें तुम्हारे विचार भिन्न हो तो तुम मुझे वैसा बतानेमें संकोच मत करना। मैं इस बातकी कद्र करता हूँ कि तुमने अपना व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्वमें समा दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारे हृदयको गुलाम बनानेका अपराध कभी नहीं करूँगा। मैं अपूर्ण हूँ, और मैं अपनी गलतियोंमें तुम्हें अपना भागीदार नहीं बनाना चाहता। इसलिए तुम मेरे साथ मिलकर जो-कुछ भी करो, उसमें सही-गलतका निर्णय पूरी तरह अपनी बुद्धिसे करो। जब तुम्हें विचार, भाषण या कार्यमें मुझसे असहमत होनेकी आवश्यकता प्रतीत हो उस समय यदि तुम मुझसे असहमत होगी, तो मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति कम नहीं होगा।

एक और चीज मैंने तुम्हारे सामने नहीं रखी है जिसेकि मैंने एलिजाबेथको लिखे अपने पत्रमें बताया है। उस बातको मैं बिना उसके पक्षमें कोई तर्क दिये बस कहे देता हूँ।

मेरा विश्वास है कि जब पति और पत्नी भिन्न धर्मके माननेवाले हो, तो उनकी सन्तानको पिताके धार्मिक संस्कारोके अनुसार पाला जाना चाहिए। इस बातके पक्षमें मेरी रायमें ठोस धार्मिक और दार्शनिक कारण हैं। यदि तुम्हें मेरी बात ठीक न लगे तो तुम एलिजाबेथसे कहना कि मेरा पत्र वह तुमको दिखा दे।

इस समय मेरे ऊपर जबरदस्त कार्य-भार है। पत्राचारके लिए मुझे बहुत कम समय मिलता है। यह पत्र भी मैं क्लान्तिकर स्थितियोंमें बोलकर लिखवा रहा हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि यदि तुम ठीक समझो तो इस पत्रको एलिजाबेथ और मनुको भी पढ़वा देना। लेकिन यदि ऐसा न करना ही तुम्हें बुद्धिमत्तापूर्ण लगे तो कृपया उन दोनोंसे कह देना कि मुझे उनका सयुक्त पत्र, और उससे पहलेका लिखा एलिजाबेथका पत्र मिल गये थे। और यह भी कि इन दोनों पत्रोंकी मैं कद्र करता हूँ और इनके बारेमें मैंने तुम्हें लिखा है।

आशा है तुम्हें मेरा वह पत्र मिला होगा जिसमें मैंने तुम्हारे भेजे १५ पाँडकी रकमकी प्राप्ति-सूचना दी थी। मैं तुम्हें फिर चेतावनी दूँगा कि तुम अनुचित रूपसे आत्म-त्याग मत करो।

सप्रेम,

बापू

प्रिंसेस एफी एरिस्टार्शी  
होटेल स्कोट्जकी  
फ्रीवर्ग १-वी  
(जर्मनी)

[अंग्रेजीसे]

महात्मा, खण्ड ३ में पृष्ठ ३४४ के सामने प्रकाशित अनुप्रति से।

## २५९. पत्र : मनु गांधीको

१६ नवम्बर, १९३३

चि० मनुड़ी,

तेरे दो पत्र आज ही मिले। तू चली गई यह ठीक ही हुआ। अब कुनुमको स्वस्थ बनाना। वह तन्दुरुस्त हो जाये फिर वर्धा जाना है न? बलीको भी आनन्द हुआ। बलीको मैं अलहदासे पत्र नहीं लिखता। मुझे पत्र वचकिये पतेपर लिखा करना।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती, बलीबहन  
मार्फत बोरा हरिदास वखतचंद  
हाईस्कूलके पीछे  
राजकोट

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० १६६२) से; सौजन्य : मनुबहन एच० नद्यारवाला

## २६०. भाषण : हनुमान व्यायामशाला, अमरावतीमें

१६ नवम्बर, १९३३

इस विशाल जनसमुदायने यह देखा ही होगा कि सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनोमें कोई ईश्वरका बनाया हुआ भेद नहीं है। यह भेद तो विशुद्ध रूपसे मनुष्यका बनाया हुआ है, और ईश्वरकी दृष्टिमें यह अपराध है। यदि हरिजनोको तरक्की करनेका पूरा-पूरा अवसर दिया जाये तो वे जीवनके अनेक क्षेत्रोंमें अन्य लोगोंसे यदि आगे नहीं बढ़ जायेंगे तो कमसे-कम समकक्ष अवश्य ठहरेगे। आज हमने जिस बलका प्रदर्शन देखा है उससे हमारी आँखें खुल जानी चाहिए और उससे हमें अपने विचारोंसे अस्पृश्यताके कलंकको धो डालनेकी प्रेरणा मिलनी चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २४-११-१९३३

## २६१. भाषण : अमरावतीकी सार्वजनिक सभामें

१६ नवम्बर, १९३३

मैंने भारतके सभी कोनोंमें बहुतसे स्थानोंकी यात्रा की है, और ऐसी बड़ी सभाओंको मैं ईश्वरीय कृपाका चिह्न मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि केवल ईश्वरकी कृपासे ही इतनी विशाल सभाओंका हम संचालन कर सकते हैं। यह एक धार्मिक कार्य है और इसलिए इसे सत्य, शान्ति और त्यागके साथ किया जाना चाहिए। किसी और ढंगसे इसे नहीं किया जा सकता। हरिजनोके प्रति जो अन्याय किये गये हैं और जो अन्याय हम सवर्ण हिन्दू अभी भी उनके साथ कर रहे हैं, यदि उसके लिए हमें प्रायश्चित्त करना है तो हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अन्य सवर्ण हिन्दुओंके साथ करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जबतक हम उनके साथ बराबरीका बर्ताव नहीं करेंगे तबतक हमारी दशा भी नहीं सुधर सकती। मैंने यहाँ डॉ० पटवर्धनकी सहायतासे हरिजनोके मकानोंको देखा है और अन्य कार्य भी देखे हैं, और अब मैंने स्थानीय नगरपालिका द्वारा मेरे सम्मानमें पढ़ा गया अभिनन्दनपत्र भी सुना है। यदि यहाँकी नगरपालिका इस विषयमें कुछ नहीं कर सकी तो इसमें इसका दोष नहीं है। मैंने अन्य बहुत-सी नगरपालिकाएँ देखी हैं और सभी जगह स्थिति एक जैसी है। लेकिन अब तो पाश्चात्य वैज्ञानिक भी अपनी

१. लगभग एक सौ हरिजन लड़कोंने विशाल जनसमुदायके सम्मुख बैठके साथ कवायद करके दिखाई थी।



शोधोके बाद इस परिणामपर पहुँचे हैं कि यदि हम किसी वर्ग-विशेषको अपने समाजसे अलहदा रखते हैं तो हमारा आर्थिक पतन निश्चित है। इन २५ वर्षोंके अध्ययनके बाद मेरा यह विश्वास दृढ़ हुआ है कि धनके साथ-साथ धर्मको बराबर चल सकना चाहिए। धर्म और धनके बीच समरसता होनी चाहिए। अपने हरिजन-कार्यपर से मुझे अनुभव हुआ है कि जो व्यक्ति धर्मके अनुसार धनोपार्जन करता है, उसे दोनोंकी ही प्राप्ति होती है। मैं इसे प्रत्येक सवर्ण हिन्दूका कर्तव्य मानता हूँ कि वह हरिजनोंको अपने समाजमें शामिल करे। यदि हम हरिजनोंके प्रति अपना कर्तव्य करेंगे तो हम सभी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि शान्तिपूर्वक रहेंगे। मेरी समझमें इन सभी लोगोंमें एकता स्थापित करनेके लिए हरिजन-कार्यसे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस विषयमें आपमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है। हरिजन आन्दोलन एक महान यज्ञ है और आपमें से प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपना अंशदान कर सकता है। जिनके पास धन है वे इस कार्यके लिए धन दे सकते हैं। जिनके पास अवकाश और वृद्धि है वे हरिजन बालकोंको शिक्षा दे सकते हैं और शारीरिक स्वच्छता तथा सफाईके बारेमें सिखा सकते हैं। इस समय यह कार्य कांग्रेसी कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गैर-कांग्रेसी लोग भी इस कामको करें। इस कामको करना आप सबका धार्मिक कर्तव्य है।

मेरी दृष्टिमें राजनीतिका उतना मूल्य नहीं है जितना इस कामका। राजनीतिका मेरे लिए कोई महत्त्व नहीं है। मेरा विश्वास है कि यदि इस कामको हम लोग उत्साहके साथ करें तो सभी चीजें मिल जायेंगी। इस काममें अन्य किसी और इरादेको लेकर मैं दौरा नहीं कर रहा हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि मुझे सुननेके लिए लोग इतनी बड़ी संख्यामें इकट्ठा होते हैं तो मुझे आशा होती है कि इस काममें वे मेरे साथ खड़े होंगे। पिछली जुलाईमें हरिजन सेवक संघकी स्थापना की गई थी, और आपमें से कुछ लोगोंने गायद अस्पृश्यताके इस अभिशापको मिटा डालनेका व्रत लिया होगा। हरिजनोंको सार्वजनिक संस्थाओंका उपयोग करने और मन्दिरोंमें प्रवेश करनेका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन जबतक हरिजन होनेके कारण एक भी व्यक्तिका बहिष्कार किया जाता है तबतक मैं यह नहीं मानूँगा कि अस्पृश्यता पूरी तरह मिट गई है। अतः अपने दिलोको बदलना और हरिजनोंको अपना भाई समझना अब आपके हाथमें है।

हरिजन सेवक संघमें विभिन्न विचारधाराओंके लोग हैं, लेकिन यह काम वे सब मिल-जुलकर कर सकते हैं। इस क्षेत्रमें काम करनेवाले कार्यकर्ताओंको किसी प्रकारका सम्मान या उपाधि पानेकी कामना नहीं करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ या स्वार्थपूर्ण इरादेका उनमें लेनाभी नहीं होना चाहिए। इस काममें राजनीतिका भी कोई पुट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इस कामका कुछ राजनीतिक अर्थ भी होगा, लेकिन मैं राजनीतिकी बातोंको वह महत्त्व नहीं देता जो इसको देता हूँ। हरिजन-कार्यका उद्देश्य हिन्दू-धर्मको शुद्ध बनाना है। मुझे इस मामलेमें बड़ी आशाएँ हैं। मैं हमेशासे आशावादी रहा हूँ और इस मामलेमें मेरी आशावादिता दिन-दिन

बढ़ रही है। लेकिन यदि मैं विफल भी होऊँ, तो भी मेरा कर्त्तव्य इस कामको जारी रखना है। अभी तक बहुत कम ईमानदार कार्यकर्त्ता सामने आये हैं। इसलिए मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मामलेमें अपना कर्त्तव्य करनेकी आपको शक्ति दे और आपको मार्ग दिखाये।<sup>१</sup>

पिछले वर्ष आप लोगोके नामपर की गई प्रतिज्ञाकी मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष सितम्बरमें बम्बईमें हिन्दुओके प्रतिनिधियोकी एक सभा हुई थी जिसकी अध्यक्षता पंडित मालवीयजीने की थी। अन्य बातोके अलावा प्रतिनिधियोने सकल्प किया था कि हिन्दू-धर्म पर कलक स्वरूप अस्पृश्यताको मिटाना है और हरिजन लोगोको सार्वजनिक सुविधाओका वैसे ही अधिकार है जैसा कि सवर्ण हिन्दुओको है। उस प्रस्तावमें हिन्दू-मन्दिरोका विशेष उल्लेख था और ऐसा कहा गया था कि उद्देश्यकी पूर्तिके लिए आवश्यक होनेपर कानून बनवाया जायेगा। इसलिए अब प्रत्येक सवर्ण हिन्दूका यह परम कर्त्तव्य है कि वे हरिजनोके लिए सवर्ण हिन्दुओके साथ समानताके आधारपर मन्दिरो, कुओ और अन्य सस्थाओको खोलकर इस प्रतिज्ञाको पूरा करें।

हरिजनोकी वर्तमान पतनावस्थाके कारण हम लोग हैं। यदि अन्यायका अन्त करना है तो हमें धन खर्च करना होगा। इस कामके लिए जो व्यक्ति भी धन देगा उसका लाभ होगा। इसलिए उसे फाजिल धन देकर ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यदि देनेके फलस्वरूप थोड़ी कठिनाईमें भी गुजारा करना पड़े तो भी हमें पैसा देना चाहिए। हममें से कुछ लोगोको हरिजन-सेवाके लिए अपना सर्वस्व देना होगा।

मुझे यह देखकर खुशी होती है कि इस आन्दोलनमें कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी, सभी लोग काम कर रहे हैं। चूँकि यह सवाल पूछा जा रहा है कि कांग्रेसी लोग इस आन्दोलनमें किस हदतक शामिल हो सकते हैं, इसलिए मैं वह बात फिरसे दोहराना चाहूँगा जो मैं पहले कह चुका हूँ। कांग्रेसने १९२० में अस्पृश्यता-निवारणको अपने कार्यक्रमका अभिन्न अंग बनाया था। इसलिए प्रत्येक हिन्दू कांग्रेसीका कर्त्तव्य है कि वह अस्पृश्यतासे लड़े और सभी उचित तरीकोसे हरिजनोकी सहायता करे। लेकिन यदि आन्दोलन केवल कांग्रेसियोतक ही सीमित रहा तो आन्दोलन वैसे वाञ्छित प्रगति नहीं कर सकता जैसीकि हम सब चाहते हैं। प्रत्येक सवर्ण हिन्दूको आन्दोलनमें यथाशक्ति सहयोग देना है। कांग्रेसियोसे यह तो अपेक्षित है कि वे इस बुराईसे लड़े, लेकिन उनसे अधिकृत रूपसे यह अपेक्षित नहीं है कि वे हरिजन-सेवाका कार्य करनेवाले सगठनोमें शामिल हो। यदि वे सक्रिय सविनय अवज्ञा करनेवाले सत्याग्रही हैं तो उन्हें इन सगठनोमें कोई पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। सविनय अवज्ञामें विश्वास रखनेवाले और सविनय अवज्ञा करनेवाले किसी कांग्रेसीको सविनय अवज्ञा स्थगित करने या विलकुल छोड़ देनेकी जरूरत नहीं है। उन लोगोकी बात विलकुल भिन्न है जो हरिजन सेवाकी खातिर सविनय अवज्ञाको छोड़ देनेकी आवश्यकता अनुभव करते हैं या जिनका सविनय अवज्ञापर से विश्वास उठ गया है।

१. अन्तिम अनुच्छेदको छोड़कर इसके बादका शेष अंश १-१२-१९३३ के हरिजन में से लिया गया है।

सत्याग्रहकी भाँति ही आत्म-शुद्धिके इस आन्दोलनमें किसी प्रकारके छद्मको कोई स्थान नहीं है।

हरिजनोंने शिकायतें की हैं कि बहुतसे स्वार्थी लोग इस आन्दोलनमें घुस आये हैं। एक विशुद्ध धार्मिक आन्दोलनमें ऐसे लोगोंके लिए कोई स्थान नहीं है। केवल वे ही लोग संगठनोंमें पद ले सकते हैं, या उन्हें ही पद स्वीकार करना चाहिए जिनके अन्दर सेवाकी भावना है।

इस स्थानकी कुछ महिलाओने मुझे जेवर दिये हैं और छोटेबच्चोंने मुझे एक चाँदीकी मंजूपा भेंट की है। मैं इन्हें नीलाम करना चाहता हूँ। मैं आप सबसे पैसे स्वीकार करूँगा, भले ही वह एक कौड़ी क्यों न हो, लेकिन जो भी दिया जाये शुद्ध मनसे दिया जाये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इससे आपको खुशी हासिल होगी और हरिजनोके लिए आपका दान सहायक सिद्ध होगा।

[ अंग्रेजीसे ]

हितवाद, २३-११-१९३३ और हरिजन, १-१२-१९३३

## २६२. पत्र : कीकाभाई एल० वघेलाको<sup>१</sup>

[ १७ नवम्बर, १९३३ से पूर्व ]

मैं जिन स्कूलोंका उद्घाटन करता हूँ वे केवल हरिजनोके लिए नहीं होते और मैं निश्चय ही ऐसे स्कूलोका उद्घाटन नहीं करता जिनमें हरिजनोको प्रवेश नहीं मिल सकता। नगरपालिकाओंके हरिजन कर्मचारियोकी स्थितिकी जाँचके बारेमें आपने जो-कुछ कहा है मैं उसे नजरन्दाज नहीं करूँगा।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १८-११-१९३३

१. कीकाभाई एक हरिजन नेता थे। उन्होंने गांधीजीसे अनुरोध किया था कि वे हरिजन बच्चोंके लिए पृथक् स्कूल न खोलें।

२. यह पत्र हिन्दू में दिनांक "अहमदाबाद, १७ नवम्बर" के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।

## २६३. भेंट : एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको

अकोला

[ १७ नवम्बर, १९३३ या उससे पूर्व ]<sup>१</sup>

एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधि द्वारा यह पूछे जानेपर कि अमेरिकासे प्राप्त हुई एक प्राइवेट रिपोर्टके अनुसार क्या वे शरद् ऋतुमें न्यूयॉर्क जा रहे हैं, गांधीजीने कहा कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ और मुझे ऐसा कोई निमन्त्रण पत्र भी नहीं मिला है।

इसके आगे उन्होंने कहा कि मैंने अभी हाल ही में एक सम्वाददाताके आगे अमेरिका अथवा कहीं भी जानेकी असमर्थता व्यक्त की थी और कहा था कि मैंने यह जो प्रतिज्ञा की है कि जुलाईके अन्त तक मैं अपनी पूरी शक्ति केवल हरिजन उद्देश्यमें लगाऊंगा, मैं उस प्रतिज्ञाको तोड़नेवाला नहीं हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १८-११-१९३३

## २६४. प्रतिदिन एक पैसा

२६ अक्टूबरके अपने पत्रमें श्रीयुत हरखचन्द लिखते हैं <sup>१</sup>

यहाँ पाठकको अपनी कल्पनाशक्तिसे काम लेना चाहिए और अपने-आपसे पूछना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति खैरातके रूपमें एक पैसेसे भी कम भर चावल लेनेके लिए खुशी-खुशी मीलो चलकर आता है तब इसका क्या अर्थ होता है? और तब उसे अपने हृदयको टटोलना चाहिए कि जब उससे उड़ीसाके नर-ककालोको कुछ भोजन मिल सके, इसके हेतु चन्दा देनेको कहा जाता है तब क्या वह ईमानदारीके साथ तगीकी हालतमें होनेकी दुहाई दे सकता है? इसके लिए उसे इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति चन्दा लेनेके लिए उसके पास आयेगा तभी वह चन्दा देगा। उसे तो अविलम्ब जो पैसा अथवा रुपया वह दे सकता हो, मनीआर्डर द्वारा भेज देना चाहिए। और यदि वह मनीआर्डरका कमीशन बचाना

१. यह रिपोर्ट दिनांक "अकोला, १७ नवम्बर"के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी।

२. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने उड़ीसाके सहायता-कार्यकी गुस्ताको बताते हुए चन्देकी तुरन्त ही कितनी सख्त जरूरत है, इस बातपर जोर दिया था। देखिए "प्रति व्यक्ति एक पैसा", १२-११-१९३३ भी।

चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अपनी दानराशिको पडोसियोंकी दानराशिके साथ भेजे जिससे कि ज्यादासे-ज्यादा रकम पर कमसे-कम खर्च आये।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २६५. प्रशंसनीय कार्य

पिछले सप्ताह डॉक्टर खरे और उनकी हरिजन-सेवक-समितिके कार्यक्रमके सम्बन्धमे बड़ी ही सुन्दर व्यवस्था की थी। यदि डॉक्टर खरेको स्वेच्छासे काम करनेवाले अनेक सुयोग्य साथियोंकी सहायता न मिलती, तो यह कार्यक्रम पूरा ही नहीं हो सकता था। डॉक्टर साहबने, हृदयकी पुरानी व्याधिसे पीडित होते हुए भी, इन कठिन दिनोमे परिश्रम करनेमे कोई कसर उठा नहीं रखी, और अपने साथियोसे भी उन्होने खूब काम लिया। विराट् जन-सभामे विजलीकी सैकड़ों बत्तियाँ लगाने और ऊँचा पक्का मंच तैयार करनेमे जो खर्च पड़ा वह कुछ सज्जनोने आपसमें ही इकट्ठा करके दे दिया था; दानकी थैलियोमें से इस खर्चके लिए एक पैसा भी नहीं निकाला गया। मेरे भेजवानका मकान मेरे ठहरनेके दौरान एक तरहसे धर्मशाला बन गया था। टिकेकर-ब्रन्धुओंने हमारे बड़े दलको तथा दूसरे समारोहोके सम्बन्धमे आये हुए अन्य लोगोको आराम और सुविधाएँ पहुँचानेमे परिश्रम तथा खर्चमें जरा भी कमी नहीं रखी। मैंने देखा कि नागपुर और आसपासके क्षेत्रोंमे मेरे दौरेको सफल बनानेमें कांग्रेस-वालो और गैर-कांग्रेसियोने पूरा सहयोग दिया, और वेशक वह खूब सफल रहा। डॉक्टर खरे और उनके साथियोने इस अवसरपर जो असीम परिश्रम उठाया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस महान् शुद्धि-कार्यमे जो परिश्रम और सावधानी उन्होने दिखाई वह आवश्यक ही थी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २६६. दानका उपयोग

यह मैं इन स्तम्भोमें लिख चुका हूँ कि हरिजन-यात्रामे प्राप्त दानकी रकमका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा। फिर भी कार्यकर्ता लोग इस बारेमें और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। ठक्कर बापासे मैं इस बारेमे बात कर चुका हूँ और मैं निश्चित रूपसे कह सकता हूँ कि जिन स्थानोसे जितना दान मिलेगा वहाँ हरिजन-सेवाके अर्थ प्राप्त रकमका कमसे-कम ७५ प्रतिशत वही खर्च किया जायेगा। शर्त इतनी ही है कि [उस स्थानकी हरिजन-सेवक-समिति] सन्तोषजनक बजट पेश करे और उसपर प्रधान कार्यालय मंजूरी दे दे। जहाँ जरूरत मालूम होगी वहाँ सारीकी सारी जमा रकम [उस जगहकी समितिको ही] दे दी जायेगी। इसलिए अब इतना ही कहनेको

रहा कि प्रत्येक केन्द्रके हरिजन-सेवक व्यावहारिक योजनाएँ तैयार कर ले और उन योजनाओंको भली-भाँति अमलमे लानेके लिए ईमानदार और उद्योगी आदमी तलाश ले। इतना होनेके बाद पैसा मिलनेमे देर नहीं लगेगी। जिन स्थानोमे दानकी रकमे मिली है वहाँसे उन्हें दूसरे स्थानोमे अकारण ले जानेकी तनिक भी इच्छा नहीं है। प्रधान कार्यालयके लिए कुछ भाग रखनेका विचार है, पर वहाँ भी कार्यालयके वेतन इत्यादि खर्चके लिए नहीं, बल्कि उस रचनात्मक-कार्यके लिए जो सीधे उसके द्वारा चलाया जा रहा है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १७-११-१९३३

## २६७. भाषण : अंजुमन मुफीद-उल-इस्लाम, खामगाँवमें

१७ नवम्बर, १९३३

जब मैंने सुना कि आपके अजुमनने मुझे बुलाया है तो मुझे बेहद खुशी हुई। आपके अभिनन्दनपत्रके लिए, तथा हरिजनोके कामके लिए आपने मुझे जो थैली भेंट की है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके अभिनन्दनपत्रको पढकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने ठीक ही कहा है कि जबतक अस्पृश्यता बनी हुई है तबतक हिन्दू-धर्मका कोई भविष्य नहीं है। मैं अपनी जिन्दगी-भर मुसलमानोके साथ रहा हूँ। इस्लाममे जो बड़ी खूबी मुझे देखनेको मिली वह यह कि इस्लाम इन्सानकी बराबरी और भाईचारा सिखाता है— इन्सान चाहे राजा हो या गुलाम। आपमे से अधिकांश लोग हाफिज होंगे और 'कुरान' पढ चुके होंगे। मैंने भी 'कुरान' को पढनेकी और इसमे जो अच्छी बातें हैं उन्हें समझनेकी कोशिश की है।

हिन्दू-मुस्लिम एकताके बारेमे आपने जो-कुछ कहा है उससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। मैंने देखा है कि गलतफहमियाँ बहुत ज्यादा हैं। फिर भी हिन्दू और मुसलमान इस तरहसे अलग नहीं रह सकते। आखिरकार ऐसे कबतक चलेगा? हालाँकि मैंने देख लिया है कि इस समय तो मैं एकता कायम करनेमे कामयाब नहीं हुआ लेकिन निश्चय ही इस विफलतामे भी मैं सफलता ही छिपी देखता हूँ। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एकताके अर्थ यह नहीं है कि किसी तीसरेको तबाह करनेके लिए दो बलवान पक्ष आपसमे मिल जाये। अगर एकताके बारेमे हमारी ऐसी सकल्पना है तो बेहतर है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे। इस वक्त तो मैं हरिजनोके कामपर ही ध्यान दे रहा हूँ और मैंने इस [एकताके] सवालको फिलहाल छोड रखा है।

अपनी सस्कृतिको कायम रखनेकी आपकी उत्सुकताको मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लगता है आप लोग सर्वसामान्य शिक्षण सस्थाओमे विश्वास नहीं रखते हैं। आपकी रायमे ऐसी सस्थाओका उद्देश्य आपको अपनी धार्मिक और सास्कृतिक सम्पदाके मार्गसे भटकाना है। मैं इस साम्प्रदायिक शिक्षाके सवालको दूसरी दृष्टिसे

देखता हूँ। सर्वसामान्य स्कूल या साम्प्रदायिक स्कूलसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सर्वसामान्य स्कूलों का क्या फायदा जहाँ पूर्वग्रहोंके कारण हृदयमें मतभेद उत्पन्न होता है? ऐसे साम्प्रदायिक स्कूलोंमें क्या बुराई है जहाँ सबके लिए हृदयमें शुद्धता हो? इस तरह आप देखेंगे कि साम्प्रदायिक स्कूलों या सार्वजनिक स्कूलोंका कोई महत्त्व नहीं है। साम्प्रदायिक शिक्षाके सवालकी बनिस्वत हृदयकी शुद्धता, परस्पर विश्वास और एक-दूसरेके प्रति प्रेम, ये चीजें कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं।

मुझे आपसे थैलीकी वाकई उम्मीद नहीं थी। इससे भी ज्यादा तो मुझे अस्पृश्यतासे जूझनेमें मुझे ताकत देनेके लिए आपकी दुआओंकी जरूरत है। भारतको एक भयंकर अभिजापसे मुक्त करानेके लिए मुझे आपकी मददकी जरूरत है। यह तो हमारा सबका मामला है, केवल भारतके लिए ही नहीं, बल्कि सारे संसारके लिए। यह तो मानवताकी सेवा है। आपने मुझे जो सुन्दर अभिनन्दनपत्र और थैली भेंट की है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २५-११-१९३३

## २६८. भाषण : खामगाँवकी सार्वजनिक सभामें

१७ नवम्बर, १९३३

आपने जो मानपत्र एवं थैली, रुपये तथा नोट दिये हैं इन सबके लिए आप भाइयों और बहनोका मैं आभार मानता हूँ। मुसलमान भाइयोंकी अंजुमनने जो थैली दी है उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। जब मैं 'चोखामेला' हरिजन बोर्डिंगको देखने गया था, तो वहाँ भाइयोंने मुझे जो रुपये दिये तथा बहनोंने अंगूठी दी, उसका भी मैं आभार मानता हूँ। अस्पृश्यता-निवारणके लिए आपने खामगाँव और उनके आसपास जो काम किया है उसके लिए भी बन्धुवाद।

आज गाम लासूरमें ठक्कर वापाले हरिजन भाइयोंके लिए उदासीजी<sup>१</sup> का मन्दिर खोल दिया है। उन्होंने यह पवित्र कार्य हरिजन भाइयोंके लिए कर दिया है। मुझे बताया गया है कि उस अवसर पर वहाँ कोई भी हरिजन उपस्थित नहीं था। पर हरिजन भाई तो हमारे व्यवहारसे अभीतक गंभीत हैं। हिन्दू जनताका ग जो अपनेको सर्वगं हिन्दू मानते हैं उनका कर्तव्य है कि वे उनके लिए इन्साफ करें और आजतक उन्होंने उनके साथ जो बुराईयाँ की हैं उनका प्रायश्चित्त करें और आज भी अज्ञानवग जो यह माना जा रहा है कि मन्दिर केवल सबगोंके लिए ही हैं, उसे दूर कर दें। उदासीजीने यह कार्य करके अपने कर्तव्यका पालन किया है। हरिजन भाई आर्ये या न आर्ये, हम उनके प्रति प्रेमसे अपना कर्तव्य पालन कर लें तो उसका

१. महाराष्ट्रके एक हरिजन संन्यासी।

२. विष्णुदास उदासी।

फल अच्छा ही होगा। जब हरिजन भाई समझ जायेंगे कि हम उन्हें प्रेमसे बुलाना चाहते हैं तो वे अपने-आप चले आयेंगे।

यहाँ एक बात मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जो कानून सब हिन्दुओंके लिए है वही हरिजनोके लिए भी है। सार्वजनिक नियम तो सभीके लिए एकसे होने चाहिए। सार्वजनिक सस्थाओंमें जानेके नियमोंका पालन हरिजन भाइयोको करना ही चाहिए। उन्हें शरीर तथा कपडोको साफ रखने तथा शौचादिके नियमोंका पालन करना चाहिए। जो हरिजन भाई मुर्दार मास खाते हैं उनको मन्दिरमें जानेका अधिकार नहीं है। दुनियामें इतना धूमकर और इतिहासका अध्ययन करके मैंने देखा है कि सर्वत्र मुर्दार मास खानेवालेके प्रति घृणा पैदा होती है। इसमें सन्देह नहीं कि जिनके दिलमें ईश्वरका भय है और जिनमें ज्ञान और शुद्धि पैदा हो गई है वे तो उसे छोड़ सकते हैं। इसी तरह मेरी प्रार्थना है कि वे मद्यपान भी छोड़ दे। हम जानते हैं कि यह दलील दी जा सकती है कि सवर्ण हिन्दुओंमें भी तो बहुतसे मद्यपान करते हैं, पर जो बात बुरी है उसमें उनकी नकल करना ठीक नहीं है। जो मनुष्य मद्यपान करता है वह मनुष्यताको खो देता है। वह माँ, बहन, बेटा और स्त्रीमें क्या भेद है, यह भी भूल जाता है। यद्यपि मैं जन्मसे सवर्ण हूँ पर स्वेच्छासे हरिजन हूँ। इस दृष्टिसे अपनेको हरिजन मानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस बुराईको छोड़ दे। मैं जानता हूँ कि उनके यहाँ पूजामें भी मद्य चलता है। यह तो कुछ झूठे धर्म पंडितोंनें उनको जैसा बताना दिया है वैसा ही उन्होंने मान लिया है। इसमें धर्मका तो लेश भी नहीं हो सकता; अधर्म अवश्य है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मनुष्यको जानवर बनानेवाली इस चीजको आप छोड़ दे। वास्तवमें यह चीज ही अस्पृश्य है। इसी प्रकार महार, चमार, भगी, इत्यादिके बीच जो भेद-भाव है उसे भी दूर कर देना चाहिए। आत्म-शुद्धिके इस कार्यमें इतना करना हरिजन भाइयोके कर्तव्यका भाग है।

अब मैं सवर्ण भाइयोसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो इतनी जनता व्याख्यान सुननेके लिए जमा हो जाती है उससे मैं क्या समझता हूँ, यह भी मैं बताना चाहता हूँ। जबसे मैं हिन्दुस्तान लौटा हूँ तबसे मैं जो दिलमें आता है वही करता हूँ। कोई भाई यह न सोचे कि यह करता कुछ है, पर इसके दिलमें दूसरी बात है। मैं अपनेको आस्तिक मानता हूँ। उसे चाहे खुदा कहो, अल्लाह कहो या ईश्वर कहो, मैं उसका डर मानता हूँ। उसे साक्षी रखकर काम करता हूँ। और उसे साक्षी रखकर मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि सच्चा धर्म मानकर ही मैं हरिजन-सेवा करूँगा। मैं भी बहुत-सी बातें जानता हूँ और कर भी सकता हूँ, पर वैसा करनेसे तो मेरे जीवनका पतन हो जायेगा। मैं जेलके बाहर रहकर केवल एक ही कार्य कर लेना चाहता हूँ, अन्यथा मेरा जीवन मिथ्या है। मैं तो अपनेको साधारण मनुष्य मानता हूँ, पर साधारण क्या और विद्वान क्या, अपने धर्मका पालन करना तो सबका कर्तव्य है। मैं इस कार्यको धार्मिक कर्तव्य मानता हूँ। अपने माता-पिता, शिक्षको और अपने अनुभवसे मैंने जो पाया है वह सब मैं आपके सामने रख देना चाहता



हूँ। मैंने पहले जो-कुछ सेवा की है उसका फल मुझे मिल चुका है। मेरी सेवाका फल तो ईश्वर ही दे सकता है। इस समय तो मैं अस्पृश्यता-निवारणके लिए ही काम करना चाहता हूँ। आपको मेरी बात पसन्द हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं और मेरी बात पसन्द न हो तो मुझे छोड़ सकते हैं। आजकल मुझे आपसे प्रेम मिला है, इसलिए आज यदि आपसे गालियाँ भी मिलेंगी तो भी मैं उन्हें सहन कर लूँगा और यदि आप मुझे मारेगे तो उसे भी सह लूँगा, तथा ईश्वरसे यही प्रार्थना करूँगा कि वह आपको माफ कर दे। पर यदि आपको मेरी बात पसन्द न हो तो शिष्टाचार तो यह है कि आप यहाँ न आये। मैं तो देखता हूँ कि आप यहाँ आते हैं, हँसते-हँसते रुपये-पैसे देते हैं, जेवर देते हैं; इससे मैं यह समझता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। क्या मैंने पहले जो काम किया है आप उसकी फीस देते हैं? मुझे तो फीस नहीं चाहिए। मेरी फीस तो ईश्वर मुझे दे देता है। पर आप जो इतनी अधिक संख्यामें यहाँ आते हैं और रुपये-पैसेसे सहायता करते हैं उससे मैं यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि जो-कुछ कार्य मैं इस समय कर रहा हूँ आप उसके साथ हैं, अर्थात् आज यही सनातन-धर्म बन गया है। आज मैं करीब-करीब डेढ़ लाख लोगोंसे मिल चुका हूँ। क्या वे सब सुधारक हैं? नहीं, वे सनातनी हैं और आज वे यही कार्य कर रहे हैं। आज यदि आप अस्पृश्यता-निवारणके इस कार्यमें स्वेच्छासे भाग नहीं लेंगे तो कल यही काम आपको अनिच्छासे करना होगा। क्या आप समझते हैं कि जब हमारे यहाँ एक सार्वजनिक सत्ता कायम हो जायेगी तो फिर क्या हरिजन भाइयोंको मदरसेमें नहीं जाने दगे, या अन्य अधिकारोंसे रोक देंगे? एक समय था जब लोग रेलमें उनके साथ नहीं जाते थे, पर अब क्यों जाते हैं? इसी तरह मिल-मालिकोंसे मैं पूछूँ कि क्या वे अस्पृश्योंको नहीं छूते हैं? छूते तो हैं पर यह सब आर्थिक लाभके लिए। पर इसमें तो धर्म है नहीं। मैं कहता हूँ कि जो काम आप अर्थलाभके लिए जबरदस्ती करते हैं, उसे आप स्वेच्छासे धर्म समझकर क्यों न करें?

नगरपालिकाकी ओरसे जो मानपत्र मुझे दिया गया है उसमें कहा गया है कि मन्दिर-प्रवेशके लिए कानून बनानेकी चेष्टा हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बहुतसे भाई जानते हैं कि धर्ममें कानूनका हस्तक्षेप ठीक नहीं है। मैं इन भाइयोंसे कहना चाहता हूँ कि मन्दिरमें यदि पाठ-पूजाके लिए हम जाते हैं तो वहाँ हरिजनोंको जानेका भी उतना ही अधिकार है। पर कानूनका जो मसविदा पेश किया गया है उसने जोर-जबरदस्तीकी तो कोई बात ही नहीं है। उल्टे आज कानूनमें जो जोर-जबरदस्ती है उसे मिटानेके लिए वह है। धर्ममें कानूनी हस्तक्षेप तो मैं खुद नहीं चाहता। पर इन विधेयकोसे धर्ममें हस्तक्षेप कहाँ होता है? यदि कोई वकील इसे साबित कर दे तो मैं इसका त्याग कर दूँगा, पर मैं जानता हूँ कि बात ऐसी है नहीं और आखिर जनता किसी मन्दिरको हरिजन भाइयोंके लिए खोलना चाहे और ट्रस्टियोंका बहुमत भी इसके पक्षमें हो, पर यदि एक भी ट्रस्टी विरुद्ध हो तो मन्दिर नहीं खुल सकता। कानूनमें स्वतन्त्र निर्णयकी सुविधा नहीं है, इसलिए जोर-जबरदस्तीकी बात है। उन

मजबूरीको दूर कर देना ही इसका उद्देश्य है। कानूनमें जो दोष है वह तो कानूनसे ही मिट सकता है, दूसरा कोई उपाय उसके लिए है नहीं। धर्ममें हस्तक्षेप तो तब होता, जब उसमें कानूनन सब मन्दिरोंको खोलनेकी बात होती। पर वैसी तो कोई बात है नहीं। इसमें तो कोई जबर्दस्ती नहीं है। जब ट्रस्टी या जनता चाहे तभी मन्दिर खुल सकते हैं। वे न चाहे तो कोई जबर्दस्ती नहीं है। हिन्दू समाजके नामपर बम्बईके सम्मेलनमें हिन्दू नेताओंने हरिजनको देव-दर्शनका अधिकार दिलानेकी प्रतिज्ञा की थी। पर प्रतिज्ञा-पालनमें कानूनकी जो रुकावट है उसे कानून द्वारा ही दूर करना है। वस, इस विधेयकका इतना ही मतलब है। इससे धर्ममें कानूनी हस्तक्षेप नहीं होता। अब नगरपालिकाके सदस्य मेरी बातोपर विचार करे।

आज जब मैं हरिजन भाइयोंके पास गया, तब उन्होंने कई शिकायतों की और पूछा कि जो लोग हरिजनोके सेवक बनते हैं उन्हें क्या आप सच्चा हरिजन-सेवक मानते हैं? मैंने कहा कि मुझे यहाँके लोगोका ज्ञान तो नहीं है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि हर-एक आन्दोलनमें जितने लोग आ जाते हैं वे सब अच्छे और सच्चे ही होते हैं। उन्होंने जो शिकायत की उनसे मालूम हुआ कि मलकापुरमें हरिजनोको पाखानेमें नहीं जाने दिया जाता। यदि यह बात सच है तो कैसा अन्याय है कि पाखाने साफ तो वे करें पर स्वयं उनका कुछ भी उपयोग न कर सके। यदि कल वे सफाईका काम छोड़ दें तो आप क्या कर सकते हैं? सवर्ण हिन्दुओंमें तो इतना भी सगठन नहीं है कि वे एक-दूसरेकी सफाई कर ले। इस तरहके व्यवहारसे कुछ लाभ नहीं होना है। इसी तरह मोनार नामक जगहके सम्बन्धमें भी उन्होंने शिकायत की। वहाँसे जो पानी निकलता है उसमें सब स्नान करते हैं, पर हरिजन भाइयोंके लिए उस पानीसे स्नान करनेकी मनाही है। वे केवल हमारे नहाये हुए मैले पानीसे ही स्नान कर सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहाँतक सच है, पर यदि सच है तो बड़े धर्मकी बात है। यह पानी तो पशुओंके लिए भी ठीक नहीं है। पशुओंको भी हम साफ पानीसे नहलाते हैं। फिर क्या ये हरिजन भाई पशुओंसे भी गये बीते हैं? उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है और अगर किया भी है तो गुनहगारोके साथ भी क्या ऐसा ही व्यवहार होता है? यह तो हमारा अत्याचार है। हमने अधर्मको धर्म बना लिया है। राजपूतानेसे जो दुखद सूचना मिली उसे भी यहाँ बता दूँ। और वह यह है कि जहाँ पशु पानी पीते हैं उसीमें ही हरिजन भाई भी पी लेते हैं। यदि यही हमारा धर्म है तो उसका नाश होनेवाला है। जहाँ ऐसी घृणा है, ऐसा द्वेष है वहाँ तो नाश अवश्यम्भावी है। यदि हम इसे शास्त्र-सम्मत मानें और यह कहें कि यही हिन्दू-धर्म है तो मैं कहूँगा कि यह सार्वजनिक अनुभवके बिलकुल विपरीत है और वह ज्यादा टिक नहीं सकता। हम अपनेको धोखा दे सकते हैं, दूसरोंको भी धोखा दे सकते हैं, पर ईश्वरको धोखा नहीं दे सकते। अनुभव और अध्ययनके आधारपर हिन्दू-धर्मको जिस रूपमें मैं जान सका हूँ उसमें अस्पृश्यताके वर्तमान रूपको बिलकुल स्थान नहीं है और इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा की कि भले प्राण चले जायें, पर अस्पृश्यताको तो निर्मूल करना ही है। मेरी नाकसे २४ घंटेमें जो साँस निकलता है वह यही कहता है कि अस्पृश्यता मिटा दो। हरिजनोकी सेवा तो

उनका सेवक बनकर ही हो सकती है; हमें हरिजनोंका सरदार नहीं, उनका सेवक बनना है। मैंने आपसे यह नहीं कहा कि उनके साथ बैठकर खाओ, यद्यपि अपने लिए तो मेरा यह नियम है कि स्वच्छतापूर्वक बनाया गया भोजन जैसा मैं खाता हूँ वैसा यदि मुझे खानेके लिए मिले तो कहीं भी खा लूंगा। पर आपसे तो मैं यही कहता हूँ कि यह जो आपने हरिजन भाइयोंको तुच्छ समझकर हटा दिया है, वह भूल की है।

सन्त कबीरने और दूसरे सन्तोंने भी कहा है कि ईश्वर उसके पास रहता है जिसे दुनिया त्याग देती है। जब दुनिया त्याग देती है तब ईश्वर आता है। ऐसे दृष्टान्त तो सभी धर्मोंमें मिलते हैं। हजरत उमरके जमानेकी मुझे एक बात याद आती है कि जब उनके एक सरदारने ५,००० अर्जाफियाँ उन्हें भेजी, उसे देखकर वह रोने लगे। जब वीवीने पूछा—क्यों रोते हो? तब बोले—“आजतक ईश्वर मेरे यहाँ था, आज दुनिया मेरे पास आ गई है।” तो इन हरिजन भाइयोंको आपने त्याग दिया है, पर ईश्वर तो सचमुच उन्हींके यहाँ है। इसलिए आपके अन्दर जो घृणाका यह भाव आ गया है, उसे दूर कर दें।

कई भाइयोंको यह कहते सुना है कि पूर्व-जन्ममें जिसने जैसा किया वैसा ही फल भोग रहा है। पर यह कहना तो अनुचित है, अधर्म है। इसमें अहंकार है। जब हमारे माता-पिता, स्त्री-बच्चे कष्टमें होते हैं तब क्या हम यह कहकर उनकी उपेक्षा करते हैं कि यह पूर्व-जन्मके कियेका फल है? तब तो हम उनकी सेवा करते हैं। फिर दूसरोंके प्रति ऐसी उपेक्षा क्यों? पूर्व-जन्मको मैं भी मानता हूँ, पर उसका ऐसा प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी बात तो हम अपने ही लिए कह सकते हैं। दूसरोंको कष्टमें देखकर उनकी उपेक्षा करना और हँसी उड़ाना तथा यह कहना कि तुमने पूर्व-जन्ममें जो किया है उसे भोगो, ईश्वरको, जिसे हम दयासागर और न्यायसागर कहते हैं, राक्षस बना देना है। ऐसा पूर्व-जन्म मैं नहीं मानता। इसलिए मेरी आपसे विनय है कि मेरी बातपर गौर करके देखें और समझमें आये तो यह घृणाका, उपेक्षाका, ऊँच-नीचका भाव छोड़ दें। यदि आप स्वयं उसे उचित समझते हों लेकिन जनताका भय हो, तो जनता तो यही है। सच पूछें तो यह आपके दिलका भय है। इस भयको आप निकाल दें और घृणाका भाव छोड़ दें तो अस्पृश्यताका कलंक हिन्दू-धर्मसे मिट जायेगा और हम सबका भला होगा।

मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ आप मुझे पैसे देते हैं। यह पैसा देना भी हरिजन-कार्यमें सहायता करना है, पर पैसा आप इस तरह न दें कि १० रुपये हैं तो उसमें से दो इस तरह उठाकर फेंक दिये कि चलो आखिर इतने कानोंमें पैसे खर्च तो होते ही हैं, इसमें भी सही। नहीं, चाहे आप एक पैसा दें पर हृदयसे दें, प्रेमसे दें, अपनी जरूरतमें से निकाल कर दें। इस तरह जो एक पैसा देता है वह हजार पैसे कमा लेता है, इसलिए इसे पुण्यका कार्य समझ कर जितना हो सके, इसमें आप सहायता दें।

## २६९. तार : श्रीकृष्ण चाँदीवालाको

अकोला

१८ नवम्बर, १९३३

श्रीकृष्ण<sup>१</sup>

कटरा खुशाल

दिल्ली

ईश्वर का धन्यवाद। आशीर्वाद। सोमवारतक चिखलदामे हूँ।

बापू

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २४०१) से।

## २७०. बातचीत : स्वामी लालनाथसे

१८ नवम्बर, १९३३

[स्वामी] ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप (गांधीजी) अपनी यात्रा बन्द कर दें या विधेयकोंके बारेमें बात करना बन्द कर दें, और यही कारण है कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ और आपके ही तरीकेसे आपको जवाब दे रहा हूँ।<sup>१</sup>

लेकिन यह तो सत्याग्रह नहीं है, बल्कि उसको नकारना है। आप चाहते हैं कि या तो मैं पुलिससे आपको गिरफ्तार करवा दूँ या आप लोगोके शरीरपर से मोटर ले जाऊँ। मैं इन-दोनोंमे से एक भी चीज नहीं करूँगा। मैं पैदल जाऊँगा। तब शायद आप मेरे पैर पकड़ लेंगे और मुझे अपना बन्दी बना लेंगे।

हाँ, मैं आपके पैर पकड़ लूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि यह यात्रा समाप्त कर दें।

यह तो निश्चय ही हिंसा होगी।

हम लोगोंका जो इरादा है, उसे मैं आपसे नहीं छिपा सकता। हम चाहते हैं कि पुलिस या आपके स्वयंसेवक लोग हमें चोट पहुँचायें। ऐसा होनेपर मैं जानता हूँ कि आप अपना दौरा रद्द कर देंगे।

लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पुलिस नहीं बुलाऊँगा और स्वयंसेवकोंको आपपर आघात नहीं करने दूँगा।

१. ब्रजकृष्ण चाँदीवालाके भाई। ब्रजकृष्णजी उस समय सख्त बीमार थे, देखिए “पत्र : वल्लभभाई पटेलको”, २१-२०-१९३३ तथा “पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको”, १५-११-१९३३ और “पत्र : वल्लभभाई पटेलको”, ४-१२-१९३३ तथा “पत्र : कस्तूरना गांधीको”, ७-१२-१९३३।

२. स्वामी लालनाथने धमनगाँव और अमरावतीमें गांधीजीकी मोटर-कारके सामने लेटकर उनकी यात्राको रोकनेका विफल प्रयत्न किया था।

तब हमें आपका रास्ता रोके रखना पड़ेगा।

आप बड़े ही अविवेकी हैं। सत्याग्रहीको अविवेकी नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि जनताको हिंसा करनेके लिए उत्तेजित करें। सत्याग्रही कभी किसीको गलत काम करनेके लिए प्रलोभित नहीं करता, विशेष रूपसे धार्मिक मामलोंमें। संसारकी कोई शक्ति मुझे मेरे विश्वासके विरुद्ध काम करनेके लिए मजबूर नहीं कर सकती।

तब आप हमें कोई बेहतर रास्ता सुझाइए।

यह मैं निश्चय ही कर सकता हूँ। आपको बनारस जाना चाहिए और भगवान विश्वनाथसे कहना चाहिए कि वह मुझे गलत कामोंसे विमुक्त करें। मैंने जिस प्रकार उपवास किया था वैसे ही आपको भी करना चाहिए।

ऐसा करनेकी हमारे अन्दर सामर्थ्य नहीं है।

तब मुझे बहुत दुख है। मुझे यह अशोभनीय चक्कर पसन्द नहीं है। आपको अपने सलाहकारोंके पास जाकर उनसे कहना चाहिए कि वे मुझे तर्क करके या ईश्वरसे प्रार्थना करके इस पथसे विमुक्त करें। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसको उन्हें सहन करना चाहिए, वैसे ही जैसे मैं उनके विरोधको सहन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हजारों लोग मेरा भाषण सुनने आते हैं, मैं केवल उनके सामने [अस्पृश्यताकी] वुराई समझाता हूँ।<sup>१</sup>

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-१२-१९३३

## २७१. भाषण : अकोलामें

१८ नवम्बर, १९३३

आजके मुख्य विषयपर आनेसे पहले, यहाँ आनेमें मुझे जो देर हुई उसके वारेमें कहना आवश्यक है। बनारससे आये कुछ लोग मेरे पीछे-पीछे चलते हैं। उनमें एक स्वामी हैं। यों घूमनेका उन्हें अधिकार है। मेरे दौरेका कार्यक्रम इतनी तेजीसे चलता है कि वे सब कहीं तो मेरे साथ नहीं आ सकते लेकिन जहाँ आ सकते हैं वहाँ वे आते हैं। मैं जिस मोटरमें जाता हूँ वे उसके रास्तेमें आकर लेट जाते हैं। स्वयंसेवक इन्हें उठा लेते हैं और मोटर आगे बढ़ जाती है। ये भाई किसी को गाली नहीं देते, मारपीट नहीं करते और मेरा विश्वास है कि स्वयंसेवक इनसे मारपीट नहीं करते। आज भी वे दरवाजेपर आये। इससे मुझे दुःख हुआ। दुःख तो मुझे हमेशा होता था कि जो सनातन धर्मके नामपर आते हैं उनमें सभ्यता क्यों नहीं है? इन्हें उठाकर चलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने इनके नेता स्वामीको बुलवाया और उसे समझानेकी कोशिश की।<sup>२</sup> इसीसे यहाँ आनेमें देर हुई। मैंने स्वामीसे कहा

१. देखिए अगला शीर्षक भी।

२. देखिए पिछला शीर्षक।

कि जो लोग धर्मकी रक्षा करनेका दावा करते हैं उनके लिए ऐसा करना उचित नहीं है। आधुनिक सत्याग्रह-शास्त्रके प्रणेताके रूपमें मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें सत्याग्रह नहीं है। आप ऐसा व्यवहार करते-करते स्वयं थक जायेंगे। यदि मुझे पकड़ेंगे, मारेगे, गाली देंगे तो मैं उसका उत्तर गालीसे नहीं दूँगा अपितु स्नेहभावसे सब कुछ सह लूँगा। आप मोटरको अटकायेंगे तो मैं पैदल चलूँगा। तब स्वामीने कहा कि हम आपके पाँव पकड़ लेंगे और आपको हमारे शरीरपर चलकर जाना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं यह भी नहीं करूँगा, और पुलिसकी मदद भी नहीं लूँगा। ऐसा करना मुझे शोभा भी नहीं देगा। यदि मुझे भय हो तो मैं पुलिसकी मदद लूँ, लेकिन मुझे भय तो है ही नहीं। इस जीवनमें मैं मारपीट भी सह चुका हूँ फिर भी मैंने कभी पुलिसकी मदद नहीं ली, तो क्या अब अपनी उत्तरावस्थामें धर्म-कार्य करते हुए क्या मैं पुलिसकी मदद लूँगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे रास्ता दे। आपको समझना चाहिए कि सनातन धर्ममें—हिन्दू-धर्ममें—हर तरहके मत व्यक्त करनेकी छूट है। आखिरकार स्वामी बाहर गया और अपने साथियोंसे मिल आनेके बाद उसने मुझसे कहा कि आज तो आप दूसरे रास्तेसे चले जाइए, वहाँ हम आपको नहीं रोकेगे और हमारी बात भी रह जायेगी। मैंने इसे स्वीकार किया और दूसरे रास्तेसे निकलकर आया।

स्वामीके साथ जो आये हैं वे उत्साही नवयुवक हैं। इन्हें किसीने गलतफहमीमें डाल दिया है कि मैं सनातन धर्मका नाश कर रहा हूँ। वे मानते हैं कि मेरा कथन शास्त्र-सम्मत नहीं है। ऐसा माननेका उन्हें अधिकार है। मैं यदि भूलपर हूँ तो मुझे समझानेके लिए भले वे तपस्या करे। हिन्दू-धर्मका तो यह मार्ग ही है, इसमें सभ्यता है। लेकिन इनके असम्य व्यवहारसे सनातन धर्मकी निन्दा हो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो लोग सनातन धर्मके नामपर मेरा विरोध करते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी बुद्धिको, मेरे हृदयको छूकर मुझे रोक सकेगे, जोर-जबरदस्ती अथवा अविनयसे नहीं रोक सकेगे। मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध मनुष्य हूँ। जीवनके उत्तरार्द्धमें मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसका पालन करना मेरा धर्म है। आप श्रोताजन जब मेरा भाषण सुननेके लिए आते हैं तब मेरे हृदयमें जो वस्तु है वह मैं आपको सुनाता हूँ। इसके अनुसार आचरण करना न करना आपके हाथकी बात है। आप उसके अनुरूप आचरण करेंगे अथवा नहीं सो तो ईश्वर ही जाने, मैं तो उसे देखने नहीं आनेवाला हूँ।

आज सवेरे मेरा विरोध करनेवाले कितने ही लोग, जिस राहसे होकर मैं आया हूँ उस राहपर काले झण्डे लेकर खड़े थे। इनके प्रति रोष न कर प्रेमभाव रखना मेरा धर्म है। मैं अनुचित कार्य कर रहा हूँ ऐसा यदि वे मानते हैं तो वे काले झण्डेसे मेरा स्वागत कर सकते हैं। हरिजन सेवकके लिए स्तुति और निन्दा एक समान होने चाहिए। यह नियम कोई मुझ अकेलेके लिए नहीं है अपितु समस्त संसारमें जो लोग सार्वजनिक जीवनमें कार्य कर रहे हैं उन सबके लिए है। जो ऐसा नहीं करते वे मनसे दुखी होते हैं। मैं इस तरह क्योंकर दुखी होऊँ? कोई काला झण्डा

फहराये अथवा सफेद झण्डा, उससे मुझे क्या? मेरा कार्य ही मेरी सच्ची स्तुति अथवा निन्दाके लिए पर्याप्त है।

मैंने मुना है कि सनातनियोंने आज मेरा पुतला भी जलाया है। मेरे करोड़ों पुतले जले तो भी मुझे क्या? हाँ, इसपर जो थोड़ा पैसा बरबाद होता है उसका मुझे दुःख होता है, लेकिन उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होनेवाला है। जनताको यदि मेरी बात पसन्द न आये, वह उसे छोड़ दे तो मैं जनतापर बलात्कार नहीं कर सकता। मैं बलात् उन्हे अपनी बात नहीं सुना सकता। यह मेरा रास्ता नहीं। मेरा रास्ता तो सीधा है (यहाँपर किसीने कहा कि मजिस्ट्रेटने पुतला नहीं जलाने दिया)। सरकारने नहीं जलाने दिया तो भी जिन लोगोंने जलानेकी इच्छा की [मनसे तो] उन्होंने जला ही दिया। किसी स्त्रीपर यदि मैंने बुरी नजर डाली तो उतने भरसे व्यभिचार तो हो ही गया। यदि किसी कारणवश मैं अपने कृत्रिमचारपर अमल नहीं कर सका तो इग्रेस ईश्वर मुझे क्षमा थोड़े ही करनेवाला है। वह तो कहेगा "दुष्कर्मको रोका तो मैंने ही। तू तो कर ही चुका था।" इस प्रकार यदि ये भाई मेरा पुतला नहीं जला सके तो उससे क्या? उनके मनसे तो वह जलानेके समान ही है। उन्होंने उमे भले ही जला दिया लेकिन धर्मकी खातिर मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यदि उन्होंने न जलाया होता तो ठीक होता।

सनातनियोंने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वयंसेवकोंने भी उन्हे मारापीटा। स्वयंसेवकोंने यदि ऐसा किया हो तो यह बुरी बात है। मैं यह बात सहन नहीं कर सकता। जो लोग मेरी रक्षा करना चाहते हैं वे किसीको गाली दें, नूतड़ाक करें, मारपीट करें तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता। वियाणजी का कहना है कि स्वयंसेवकोंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो स्वयंसेवकोंको सावधान करना चाहता हूँ। सनातनी भाइयोंको यह बात कदाचित् बुरी लगती होगी कि सभाओंमें इतने ज्यादा लोग कैसे चले आते हैं? वे कदाचित् उन्हे रोकनेका प्रयत्न करेंगे। वैसे करनेका उन्हे पूरा अधिकार है। इसके लिए कोई रोकटोक नहीं करे अपितु उन्हे विनयपूर्वक समझाये। वे न समझें तो वे जो चाहे सो करने दे। पुलिसको खबर न दे। मेरी रक्षाके लिए कोई कुछ न करे। ईश्वरने तीन-चार बार मुझे इस तरह बचा लिया है। ईश्वर जबतक मुझसे इस देहसे काम लेना चाहेगा तबतक वह मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखेगा। और जब मेरी आयु समाप्त हो जायेगी तब जगतकी कोई शक्ति मुझे जीवित नहीं रख सकेगी।

आज जो कार्य चल रहा है उसके द्वारा हिन्दू समाजकी परीक्षा हो रही है, इस बारेमें आप तनिक भी सन्देह न करना। सारा संसार देख रहा है कि हिन्दू-धर्मसे अस्पृश्यता रूपी मैल दूर होता है कि नहीं। और यदि हिन्दुओंके दिलमेंसे अस्पृश्यता दूर हो जाये तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सबमें परस्पर स्नेहभाव स्थापित हो जाये। अस्पृश्यताके हजार मुँह हैं। वह हजारों और लाखों हाथ फैलाये हुए हैं। जिन्हे हम विधर्मी मानते हैं उनके पास भी यह अस्पृश्यता पहुँच गई है। इसे मैं

धर्म नहीं मानता। हिन्दू-धर्ममें द्वेषको, तिरस्कारको स्थान ही नहीं है। कितने ही शास्त्रियोंने मुझसे कहा है कि आज जैसी अस्पृश्यता है उसके लिए हिन्दू धर्म-शास्त्रोंमें कोई प्रमाण नहीं, लेकिन यदि हो तो इसे हमें छोड़ना होगा, अन्यथा हमें यह दावा छोड़ना पड़ेगा कि हिन्दू-धर्म अहिंसा प्रधान है, और सहिष्णु है। हमारा यह आन्दोलन सारे संसारकी नजरके आगे चल रहा है, कहीं किसी कोनेमें नहीं चल रहा। आपका और मेरा धर्म है कि हम जो करें वह सम्यता, सचाई, शान्ति और विनयपूर्वक करें। सनातनियोंसे भी मेरी विनती है कि वे सारा काम सम्यता, शान्ति, सचाई, और नियमके साथ करे। मोटरको रोकनेके प्रयत्नमें मैं सम्यता नहीं देखता। काले झण्डे दिखाना और पुतले जलाना यदि वे छोड़ दे तो अच्छा हो। आजकल विरोध प्रकट करनेके एक उपायके रूपमें काले झण्डोका उपयोग होता है। जब सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था उस समय कभी-कभी विरोध व्यक्त करनेके लिए काले झण्डे दिखाये जाते थे। मैंने उस बातको पसन्द नहीं किया था। इसमें सम्यता नहीं, इसमें सत्याग्रहका अंश नहीं। सत्याग्रहीका धर्म तो यह है कि जो व्यक्ति दुश्मन बना है उसके मनको मित्रतासे हर ले और उसका हृदय-परिवर्तन करवाये। सत्याग्रहका नियम हिन्दू-हिन्दूमें भिन्न, हिन्दू-मुसलमानके बीच भिन्न, हिन्दू-अंग्रेजके बीच भिन्न है, सो बात नहीं है। सत्याग्रहका नियम सबके लिए एक समान ही है। इसमें अशान्ति, अविनय और हिंसा-द्वेषको स्थान हो ही नहीं सकता। यदि नियमके अनुसार सनातनी और सुधारक दोनों चले तो हिन्दू-धर्मकी विजय हो, फिर भले अस्पृश्यता रहे या न रहे। अस्पृश्यताके रहते हिन्दू-धर्म जीवित रहे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लेकिन यदि दोनों पक्ष सत्यके मार्गपर चले तो अच्छी बात है। यह एक प्रचण्ड आन्दोलन है। इसमें २२ करोड़ हिन्दुओंकी परीक्षा है। हरिजनोकी भी परीक्षा है। पाप सवर्ण हिन्दुओंने किया है इसलिए प्रायश्चित्त भी उन्हें ही करना होगा। हरिजन भी हिन्दू ही हैं, इसीसे कहता हूँ कि उनकी भी परीक्षा हो रही है।

ये जो १०-१२ लोग काशीसे आये हैं, ये क्या चाहते हैं सो समझने योग्य बात है। ये कहते हैं कि आप भले ही अस्पृश्यता-निवारणका काम करे, भले ही मन्दिर-प्रवेशका काम भी करें, लेकिन मन्दिर-प्रवेश और अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी जो विधेयक विधान-सभाके समक्ष रखे हुए हैं उनके बारेमें लोगोंको नहीं समझायें। उन्हें पास करवानेकी कोशिश न करें। अन्य लोगोंका भी यह कहना है कि कानूनसे धर्ममें हस्तक्षेप होता है। यह बात मैं दो-तीन दिनोंसे सुन रहा हूँ। यथाशक्ति इसका मैंने उत्तर भी दिया है। हम प्रतिज्ञासे बँधे हुए हैं। गत वर्ष सितम्बरमें बम्बईमें हिन्दुओंके प्रतिनिधियोंने मालवीयजी महाराजके नेतृत्वमें यह प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञाका मूल मसविदा मैंने तैयार किया था। मैंने जो मसविदा दिया था लगभग उसी रूपमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैंने डॉ० अम्बेडकर और रावबहादुर राजाको वचन दिया कि हिन्दू समाज इस धर्मका पालन करेगा इसके लिए आपको मैं अपने शरीरकी साक्षी देता हूँ। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं सवर्ण हिन्दुओंको इस प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिए समझाऊँ। इस प्रतिज्ञामें मन्दिर-प्रवेशकी बात आती है, कानूनी मददकी



वात भी आती है। मन्दिर-प्रवेश विधेयक निर्दोष है। और फिर मेरे कहने-भरसे यह थोड़े ही पास होनेवाला है। मेरे कहनेसे ही अगर इसे पास होना होता तो यह कवका हो गया होता। इनमें से एक विधेयक लोकमत पुष्ट करनेके लिए बनाया गया है। इसे पास करवानेके लिए आन्दोलन करना आपका और मेरा कर्तव्य है। यह विधेयक कानूनी हस्तक्षेपको दूर करता है। जो मन्दिर अमुक परिस्थितियोंमें हरिजनोंके लिए आज नहीं खुल सकते यह विधेयक उन मन्दिरोंके खोले जानेकी अनुमति प्रदान करता है। आज तो स्थिति यह है कि यदि बहुत सारे लोग हरिजनोंके लिए मन्दिर खोले जानेके पक्षमें हों तो भी एक व्यक्ति उसे रूकवा सकता है। इस स्थितिको दूर करनेके लिए ही यह विधेयक है। इसमें किसीपर जोर-जबरदस्ती करनेकी कोई वात नहीं है। हरिजनोंके मन्दिर जानेसे मूर्ति अपवित्र हो जाती है, ऐसा जो लोग मानते हैं वे भले ही उस मन्दिरमें न जायें। लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगोंकी है जो मानते हैं कि हरिजनोंके प्रवेश विना मूर्तिमें देवताका वास ही नहीं होता। ऐसा जो मानते हैं वे क्या करें? वे यदि कानूनी बाधाको दूर नहीं करवाते तो उससे उनकी प्रतिज्ञा भंग होती है। इस विधेयकसे किसीको कोई हानि नहीं है, इसमें बलात्कार की वृत्त नहीं है।

दूसरा विधेयक धार्मिक अस्पृश्यतासे ताल्लुक नहीं रखता। वह केवल इतना ही कहता है कि कानूनमें, अदालतमें अस्पृश्यताका कोई स्थान नहीं है। हम एक ओर तो चाहते हैं कि कानून धर्ममें हस्तक्षेप न करे तथा दूसरी ओर दीवानी कानूनमें अस्पृश्यताके स्थानको बनवाये रखना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आज कानूनमें अस्पृश्यताको स्थान है, ऐसा लोगोंका कहना है। यदि दोनों विधेयक पास हो जायें तो इससे कोई अस्पृश्यता दूर हो जानेवाली नहीं है। अस्पृश्यता-निवारणके लिए तो सवर्ण हिन्दुओंका हृदय-परिवर्तन करवाना होगा। इन विधेयकोंसे तो अस्पृश्यता दूर करनेवालेकी और अस्पृश्यकी रक्षा होती है जो आज उन्हें उपलब्ध नहीं है।

अस्पृश्यताको यदि आज हम स्वेच्छासे दूर नहीं करते तो कल हमें जबरदस्ती ऐसा करना पड़ेगा। हरिजनोंको हमने स्वेच्छासे रेलगाड़ीमें नहीं बैठने दिया, आज वे बलपूर्वक बैठते हैं। मिलमें हम उन्हें बलात् स्वार्थवश होकर रखते हैं। दवाबमें आकर किये गये कार्यमें पुण्य नहीं है।

आज हम जो उनके कन्वोंपर चढ़ बैठे हैं हमें वहाँसे उतर जाना चाहिए। उनको न्याय प्रदान करनेकी खातिर मैं आपसे धन माँगता हूँ। हरिजन जिन घरोंमें रहते हैं उन घरोंमें आप और मैं नहीं रहना चाहेंगे। वे शौच-सम्बन्धी नियमोंका पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए उनके पास सुविधा नहीं है। वे निरक्षर हैं। उनकी इन असुविधाओंको दूर करनेका कार्य पैसेके बिना नहीं हो सकता, इसीसे मैं आपसे धन माँगता हूँ। आप मुझे कंजूसीसे न दें। हम नाटक-थियेटरमें पैसा खर्च करते हैं यह वात उस तरह पैसा खर्च करनेकी नहीं है। यह तो त्यागकी, बलिदानकी वात है। आप यदि त्याग-बुद्धिसे देंगे तो मैं समझूँगा कि आपने कुछ दिया है। त्यागकी भावनासे दी गई एक कौड़ी भी पर्याप्त होगी, कंजूसीसे दिये गये रुपयेकी भी कोई कीमत नहीं। हरिजन-सेवाका कार्य अन्ततः ईश्वरका कार्य है, लेकिन ईश्वर

मनुष्यकी माफत ही तो काम लेता है। जो मनुष्य ईश्वरको साक्षी मानकर, उससे ढरकर चलता है, उसीके द्वारा ईश्वर अपना काम लेता है। केवल आपके धनसे हरिजनका पेट भरनेवाला नहीं है। आपका दान इस कार्यके प्रति सहानुभूतिके रूपमें होना चाहिए। श्रीमती दुर्गाबाईने सवेरे सोनेकी चूड़ी और चाँदीका लोटा व प्याला मेरे सामने रखते हुए कहा कि “ये मेरी प्रिय वस्तुएँ थी। मैंने इन्हे सँभालकर रखा था, ये आज मैं हरिजन सेवाके लिए देती हूँ।” मैं सब हरिजन भाई-बहनोसे ऐसे त्यागकी अपेक्षा रखता हूँ।

[गुजरातीसे]

हरिजनबन्धु, ३-१२-१९३३

## २७२. पत्र : गोरधनभाई पटेलको

[१९ नवम्बर, १९३३]'

प्रिय गोरधनभाई,

मणिवहनने लिखा है कि विठ्ठलभाईके दाह-सस्कारके समय मैं बम्बई नहीं आया, इसका आपको दुख हुआ। एक तरहसे यह बात मुझे अच्छी लगती है। आपका दुख इस बातका परिचायक है कि आप मुझे परिवारका एक सदस्य मानते हैं। ऐसा माननेका आपको अधिकार है। लेकिन यदि आप मुझे परिवारका सदस्य मानते हैं तो जहाँ मेरा कार्य आपकी समझमें न आये वहाँ मुझसे पूछना चाहिए। विठ्ठलभाई और मेरे बीच जो मतभेद था उसका मेरे न आनेके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। मेरे न आनेका कारण तो मेरी आजकी परिस्थिति ही थी। मैं केवल हरिजन-कार्यके लिए ही जेलसे बाहर रहा हूँ। यह कार्यक्रम पहले ही तय हो चुका था। मैं किसी ऐसे किसी सरकारी अंकुशको माननेके लिए तैयार नहीं हूँ जो सहन करने योग्य न हो। दूसरी तरहसे भी मुझे लगा कि मेरा वहाँ कोई उपयोग नहीं है। मृत्युके पश्चातकी उत्तर क्रियाओके सम्बन्धमें जो मेरे विचार हैं उनको देखते हुए भी मेरा वहाँ कोई उपयोग न था। इसलिए जिस दृष्टिसे भी विचार करे मेरा वहाँ आना जरूरी न था। इतना ही नहीं बल्कि अनुचित भी था। जो थोडा-कुछ हुआ मैं तो उसे भी नहीं होने देता। आपको तो मेरा केवल इतना ही बताना पर्याप्त होना चाहिए कि विठ्ठलभाईके साथ मेरे जो मतभेद थे वे इसमें तनिक भी कारणभूत न थे। आप शायद नहीं जानते कि उनकी बीमारीकी खबर पाते ही मैंने उन्हें पत्र लिखा था और उसका उन्होंने एक लम्बा और मधुर उत्तर भी दिया था। जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तब मैंने तार भी दिया था। उसका भी मुझे उत्तर मिला था। और फिर उन्होंने मुझे जानकारी देते रहनेके लिए आपको भी लिखा था। आपके तारको मैं (अहमदाबाद)के मिल-मालिकके सचिव गोरधनभाईका तार समझा था

और उन्हें धन्यवाद-पत्र भी लिखा था। उन्होंने खबर दी थी कि तार भेजनेवाले दे न थे। मुझे उम्मीद है कि इस खुलासेसे आपका समाधान होगा। यदि न हो पाये तो फिर लिखे।

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ १५६-७

## २७३. पत्र : मणिबहेन पटेलको

[ चिखलदा ]

१९ नवम्बर, १९३३

चि० मणि,

तू अपने और कुटुम्बियोंके विचारोको मेरे आगे उँडेल रही है, यह बहुत समझदारीकी बात है। डाह्याभाई अथवा गोरघनभाईके मनमें मेरे प्रति लेशमात्र भी गलतफहमी हो तो यह मेरे लिए असह्य है। यदि तू बम्बईमें हुई तब तो मैंने गोरघनभाईको जो पत्र लिखा है उसे तू पढ़ेगी ही। उसे पढ़नेके बाद यदि तुझे कुछ कहना हो तो मुझे लिखना।

मेरा पत्र तो तुझे मिला ही होगा। मैं अखबारोमें कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं समझता। अखबारवाले मुझे न समझ पाये अथवा जान-बूझकर मेरे चारेमें गलतफहमी फैलाये तो मैं उसका जवाब देनेकी जरूरत हमेशा महसूस नहीं करता। लेकिन यदि तुम दोनों भाई-बहन ऐसा चाहो तो मैं अवश्य दूंगा। मेरी स्थिति विलकुल साफ है। डाह्याभाई जो कहता है वह विलकुल सच है। [ चित्तरंजन ] दास आदिके चरित्रमें दोष अवश्य बताया जा सकता है। दोष बिना [ इस संसार ] में कौन है? लेकिन मेरे न आनेका विट्टलभाईके दोषोके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जो सम्मान अन्य नेताओको मिला उस सम्मानके विट्टलभाई भी अवश्य अधिकारी थे। उनका त्याग, उनका वैर्य, उनकी कुशलता कांग्रेसके प्रति उनकी वफादारी, ये सब उनमें किसीसे कम न थे।

तेरी खुदकी उदारतासे मैं चकित हूँ। लेकिन यह तेरा विशेष गुण है, ऐसा न समझना। मैंने यह गुण असंख्य स्त्रियोमें देखा है। स्त्रियाँ अपने प्रति किये गये बुरे व्यवहारको भूल जानेके लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इसी गुणसे स्त्री जातिकी शोभा है। लेकिन इस गुणका दुरुपयोग पुरुष जातिने खूब किया है। लेकिन यह तो विषयान्तर हुआ। तू इस समय मेरी नजरोंमें इतनी शोभा पा रही है, इसके लिए मैं अपने-आप पर गर्व कर सकता हूँ न?

बघाके पतेपर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ ११५-६

१. देखिए पिछला शीर्षक।

## २७४. पत्र : डाह्याभाई पटेलको

१९ नवम्बर, १९३३

चि० डाह्याभाई,

तुम्हे मैंने पत्र लिखा है' वह मिला होगा। साथमें एक पत्र गोरघनभाईके लिए है। उसे पढकर उन्हें दे देना। यदि तुम्हारा समाधान न हो तो यह न भूलना कि मेरे साथ जूझनेका तुम्हारा धर्म है। बा और मणिके पत्र भी उन्हें पहुँचा देना।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-४ : मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ १५६

## २७५. पत्र : किशन घुमतकरको

असंशोधित

स्थायी पता . वर्धा

२० नवम्बर, १९३३

प्रिय किशन,

वेचारे बूढे आदमी पर तरस खाओ। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ तो तुम्हे शका क्यों होती है? क्या तुमने मुझे गुस्सा करनेकी कोई बात की है? अब भी मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं जानता जिसमे गुस्सा आये। बूढे लोगोको न समझ सकना तो युवाजनोके लिए स्वाभाविक ही है। तुम यह कैसे समझोगी कि दाँत या स्वास्थ्यके बिना कैसा लगता है या २० वर्षकी अवस्थामे यह कैसे जानोगी कि जब तुम ८० वर्षकी होगी तो तुम्हे स्वयं कैसा लगेगा? बूढे लोग इतने रहस्यपूर्ण नहीं होते कि युवाजन उन्हें समझ ही नहीं सके। हो सकता है कि वे जड़बुद्धि हो। दूसरे लोगोके बारेमे तुम्हारा अनुभव कैसा भी हो, लेकिन मेरे मामलेमे तो वह लागू नहीं होगा।

क्या ही अच्छा होता कि तुम भी मेरे पास वर्धामे आ जाती। मुझे तो तुम्हे अब भी पाकर खुशी होगी। लेकिन क्या तुम यात्राके इस भारी बोझको सहन कर सकती हो? क्या तुममे लगातार दौड़भागको झेलनेकी शारीरिक और मानसिक शक्ति है? घुरंवरका क्या कहना है?

१. देखिय "पत्र : डाह्याभाई पटेलको", १४-११-१९३३।

२. किशन घुमतकरका स्वास्थ्य थाना जेलमें कैद भुगतनेके बाद खराब हो गया था।

प्रेमाके साथियोसे जो लोग मिलने जाते हैं उनके जरिये मुझे प्रेमाके बारेमें खबरें तो मिल जाती हैं। लेकिन तुम्हें भी उसके बारेमे जो जानकारी मिले उसे मुझे बताती रहना।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९०६९) से। सी० डब्ल्यू० ९६८८ से भी।

## २७६. पत्र : माणकलाल कोठारीको

२० नवम्बर, १९३३

चि० माणकलाल,

तुम्हारा लम्बा पत्र मुझे अच्छा लगा है। जितनी सादगी रखोगे उतना अधिक अच्छा है। बालकोंको उद्यमकी आदत डालनेसे वे तन और मन दोनोंसे स्वस्थ रहेंगे।

तुमने देशी राज्यों और अंग्रेजोंके बीच जो तुलना की है वह कुछ अंगोमे सही है। लेकिन उसका कारण तो यह है कि देशी राज्य स्वयं गुलाम हैं। मालिकके दोप गुलाममे हमेशा दुगने नजर आते हैं। इससे तुम्हें जिस बातका अनुभव हुआ है वह ब्रिटिश राज्यका ही परिणाम है। इसका अर्थ यह नहीं कि पहले देशी राज्य ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। लेकिन पहले देशी राज्योंमे जो दोप हुआ करते थे उनका निवारण राजा और प्रजा दोनों मिलकर किया करते थे। आज ऐसा करना लगभग असम्भव हो गया है, क्योंकि मूलमें ही खराबी है।

यन्त्रोंको लानेसे हिन्दुस्तानमे थोड़ेसे लोगोंकी आर्थिक स्थितिमें अवश्य सुधार होगा। लेकिन ३० करोड़ लोगोंको यन्त्र रोजी नहीं दे सकते। उन्हें खेतीके उपरान्त अन्य कुछ घन्धा मिलना चाहिए और वह कताई ही हो सकता है। इससे यदि तुम घरमें खादीका इस्तेमाल करने लग जाओ तो अच्छा होगा। यदि कपड़े पहननेका शौक कम हो जाये तो खादी पुसा सकती है, ऐसा अनेक लोगोंका अनुभव है। तुम सब लोग यदि रोज थोड़े समयके लिए कातो और सूतको बुनवा लो तो तुम्हें कपड़ा बिलकुल सस्ता पड़ेगा। पुरुषोत्तम, जमनादास आदि इस बारेमें तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं।

रामदास वर्धामे है। केणु, कृष्णो भी वही हैं। मनु राजकोट गई है, क्योंकि कुसुम बीमार है। यह बात कदाचित् तुम्हें मालूम होगी। वा अहमदाबाद गई है। मेरी तबीयत अच्छी रहती है। 'हरिजनवन्धु' न पढ़ते हो तो अब पढ़ना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

मुझे वर्षाके पतेपर लिखना।

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२३) से।

## २७७. पत्र : राधाबहन एम० कोठारीको

२० नवम्बर, १९३३

चि० राधा,

माणेकलालको मैंने एक लम्बा पत्र' लिखा है इसलिए तुम्हे अधिक नहीं लिख रहा हूँ। यदि तुम अपनी पूरी सामर्थ्यसे सेवा करोगी तो मैं इतनेसे ही सन्तुष्ट हो जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२३) से।

## २७८. पत्र : कोतवालको

२० नवम्बर, १९३३

भाई कोतवाल,

जो हमे सहज ही प्राप्त हो गया है वह स्वधर्म है। जो व्यक्ति किसी संस्थाका वरण कर चुका है उसे आजके युद्धमे भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा सामान्य रूपसे कहा जा सकता है। किसीके कहनेसे मनुष्यको अपना धर्म नहीं सूझता। जो अपने धर्मको जान लेता है वह समस्त संसारका मुकाबला करते हुए भी उसका पालन करता है।

हम किसीके काजी नहीं बन सकते। अन्ततः तो प्रत्येक मामलेपर उसके गुणदोषको देखते हुए विचार करना चाहिए। अतएव स्वतन्त्र रूपसे किसी काल्पनिक समस्याको सुलझानेमे खतरा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३६०४) से।

## २७९. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको

२० नवम्बर, १९३३

चि० विद्या,

तु क्यों नहि लिखती है? आनन्दको कितनी सजा मिली? तुमारी शिक्षा अच्छी होती है? तुमारा पकानेका काम अच्छा चलता है। हारना नहि। अपना पकाया हुआ खानेमे पुण्य है ऐसा समजो। सीनेका संचा मिला? बगं चलता है? महादेव कैसे है?

बापुके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

कांतासे कहो लिखे। दूसरी लडकीयोसे भी कहो।

पत्रकी माइक्रोफिल्म से; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

## २८०. पत्र : धीरू सी० जोशीको

२१ नवम्बर, १९३३

चि० धीरू,

अब रमा पर तेरा गुस्सा उतर गया न? अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना। मुझे पत्र लिखा करना। तू रमाको लिखे चाहे मुझे अथवा किसी और को, लेकिन तेरी लिखावट अच्छी होनी ही चाहिए। बलभद्रसे कहना कि वह पत्र दे।

बापुके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३१६) से।

१. देखिए “पत्र : धीरू सी० जोशीको”, ७-११-१९३३।

## २८१. भाषण : मोरसीकी सार्वजनिक सभामें

२१ नवम्बर, १९३३

ये मतभेद<sup>१</sup> वस्तुतः अस्पृश्यताके अभिशापका ही एक अंग है, क्योंकि इनकी पैदाइश ऊँच और नीचकी भावनासे ही होती है। वर्णोंका चौहरा विभाजन कर्तव्यो पर आधारित है, अधिकारोपर नहीं। धर्म कर्तव्योका निर्धारण करता है, अधिकार नहीं प्रदान करता। जिस समाजमें लोग अपने-अपने हिस्सेमें पड़े कर्तव्यका पालन करते हैं, वहाँ कोई ऊँचा या नीचा नहीं है। एक बार अपने अन्दरसे अस्पृश्यता और उसके साथ ही ऊँच-नीचकी भावनाको निकाल फेंकनेके बाद हम देखेंगे कि सभी जातियो और धर्मोंमें एक आधारभूत एकता मौजूद है। जातियो और धर्मोंकी भिन्नताके बावजूद हम एक-दूसरेके प्रति सहिष्णुता बरतना और एक-दूसरेका आदर करना सीख जायेंगे और सभी मनुष्योको एक ही ईश्वरकी सन्तान और इसीलिए एक-दूसरेके भाई-बहन मानेंगे। ईश्वर ही सारे जीवोका रचयिता है; इसलिए ईश्वरकी दृष्टिमें सभी जीव समान हैं। मानवजाति एक विराट वृक्षके समान है जिसमें बहुत-सी शाखाएँ और पत्तियाँ हैं, और इन सभीमें एक ही जीवन-प्राण स्पन्दित होता है। अस्पृश्यता-निवारणमें इस बातकी प्रतीति निहित है कि विविधतामें भी एकता है।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १-१२-१९३३

## २८२. पत्र : द० बा० कालेलकरको

ट्रेनमें

२२ नवम्बर, १९३३

चि० काका,

मैंने तुम्हारा उत्तर किशोरलालकी मार्फत भेजा था, आशा है वह तो मिल ही गया होगा। तुमने पहाड़ीपर चढ़नेका प्रयत्न किया, वह उचित न था। अभी ताकत तुरन्त नहीं आयेगी। अब ध्यानसे खाना, पीना और घूमना।

. . .<sup>१</sup>के लड़केको जवाब नहीं दे सका। पत्रोका अम्बार बढ़ता जा रहा है। दौरेका कार्यक्रम कुछ ऐसा बना है कि मौन-दिवसको और रोज सवेरे ३-४ बजेके बीच जो समय मिलता है वही समय चिट्ठी-पत्री लिखनेको मिल पाता है। . . .<sup>१</sup>के

१. मतभेदोंसे गांधीजीका तात्पर्य स्थानीय ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणोंके बीच मौजूद कड़तासे था।

२ और ३. नाम नहीं दिये गये हैं।



लड़केकी अभी कुछ मदद की जा सकती है, ऐसा मैं नहीं देखता। किससे पैसा लिया जाये? . . .' की भी समस्या अभी वैसी की वैसी है। उसे अभी तो अपने बलबूते पर ही काम करना होगा। भविष्यमें यदि किसी दिन मुझे शान्तिसे बैठनेका समय मिलेगा तो मैं सम्भवतः ऐसे लोगोंके लिए कुछ कर सकूंगा। लेकिन ऐसा आराम भला मुझे जीते-जी थोड़े ही मिलनेवाला है? उसे अलगसे पत्र अवश्य लिखना चाहिए, यदि तुम्हें ऐसा लगे तो जरूर लिखना। मेरे दांतकी जाँच तो जब हो जाये तभी ठीक। कुहनीके दर्दमें दांतोंका कारण हो सकता है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ऐसी सम्भावना कम ही है, क्योंकि मुझे अन्य कोई शिकायत नहीं है। रक्तचाप तो अब है ही कहाँ? वजन बढ़ता जाता है। १०९ पौंड तक तो आ ही गया है।

सोमण<sup>२</sup> का पत्र मुझे भी आया है।

. . . !

चन्द्रशंकरके कार्यसे मुझे पूरा सन्तोष है। स्वास्थ्यको सँभालकर रखनेकी कला उसने अच्छी तरह सीख ली जान पड़ती है। वह महादेवका अनुकरण ठीक ढंगसे कर रहा है। अंग्रेजी इतनी अच्छी लिख सकता है, इसकी मुझे खबर न थी। उसने मेरे कामके बोझको काफी कम कर दिया है। वह काममें व्यस्त रहता है।

आशा है, दौरे सम्बन्धी विवरणके लिए तुम 'हरिजन' पढ़ते ही होगे।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४८०) से; सौजन्य: द० वा० कालेलकर

### २८३. पत्र : जीवनजी डा० देसाईको

ट्रेनमें

२२ नवम्बर, १९३३

भाई जीवनजी,

प्रस्तावना मेरे ध्यानसे बाहर नहीं है। रतिलालके बारेमें आपने जो कहा है सो मैं समझा हूँ। उसे कुछ कहा जाये ऐसी स्थिति नहीं है। जैसा नसीबमें होगा वैसा होगा। बाबूराव कुछ कहे तो वह लिखना। पहलीवाली पावर ऑफ एटर्नी यदि रद्द नहीं हो सकती तो यह वाली कदाचित् व्यर्थ होगी।

एस० की खबर देते रहना। उसे किसी दिन मिलना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९९३२) से। सी० डब्ल्यू० ९६०७ से भी; सौजन्य: जीवनजी डाह्याभाई देसाई

१. नाम नहीं दिया गया है।
२. रामचन्द्र सोमण।
३. यहाँ कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी गई हैं।

## २८४. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

ट्रेनमें

२२ नवम्बर, १९३३

सुन भाईश्री,

आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला। इलोक पढ़ा। प्रभु अच्छे-बुरे सब लोगोंकी पीठ पर है, यह जानता हूँ इसलिए स्वस्थ हूँ। यदि वह केवल अच्छे लोगोंकी पीठपर ही होता तो मैं अवश्य अस्वस्थ महसूस करता। अच्छा तो केवल स्वयं वही एक है। यदि मैं आपको अपने इस दौरमें साथ चलनेके लिए राजी कर सकूँ तो आपका शरीर अपने-आप स्वस्थ हो जाये, लेकिन यह तो असम्भव है। उम्मीद है आप 'हरिजन' को एक नजर देख जाते होंगे।

रमावहन' मुझे क्यों नहीं याद करतीं ?

मोहनदास

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५९३१) से। सी० डब्ल्यू० ३२४७ से भी;  
सौजन्य : महेंद्र पी० पट्टणी

## २८५. सन्देश : वरारकी जनताके नाम<sup>२</sup>

२२ नवम्बर, १९३३

महात्माजीने अपने सन्देशमें कहा है कि हरिजनोंकी सेवाके लिए मैंने जो आह्वान किया था, उसका वरारकी जनताने असीम अनुकूल उत्तर दिया है। प्रबन्ध बहुत सफल रहा, और यात्रामें सभी सुविधाओंका ध्यान रखा गया था और वह बड़ी सुखद रही।

पूरी यात्राके दौरान होनेवाली सार्वजनिक सभाओंमें लोगोंकी जैसी भीड़ देखनेमें आई, वैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी, और इससे मुझे यह आशा होती है कि अस्पृश्यता बहुत तेजीसे समाप्त हो रही है।

[अंग्रेजीसे]

हितवाद, २६-११-१९३३

१. सर प्रभाशंकर पट्टणीकी पत्नी।

२. यह सन्देश टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रतिनिधिसे भेंट करते हुए दिया गया था।

२७३

## २८६. पत्र : महादेव देसाईको

असंशोधित

रायपुर

२३ नवम्बर, १९३३

प्रिय महादेव,

प्रातः ३ बजे उठनेपर मैंने मीराके नाम तुम्हारा पत्र उस तिपाईपर पड़ा पाया जिसे हम अपने साथ-साथ रखते हैं ताकि पैर फैलानेकी जरूरत होनेपर मैं उसका पायदानकी तरह इस्तेमाल कर सकूँ। उसे पूरा पढ़नेमें मुझे करीब ४० मिनट लगे, और तिसपर भी निर्दिष्ट छन्दोंके अनुवादके बारेमें तुम्हारी टिप्पणी पढ़ना अभी शेष है।<sup>१</sup> मूल पाठका जो अनुवाद मैंने किया है उसे पढ़नेमें और मुझे क्या कहना चाहिए यह सोचनेमें मुझे कमसे-कम बारह घंटे लगेंगे। और फिर उसको लिखकर प्रकट करनेमें तीन घंटे और लगेंगे। इतना समय मैं इस समय नहीं दे सकता। फिर यह सवाल है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगा? मुझे भय है कि नहीं कर सकूँगा। क्योंकि तुम जो कहते हो वह विलकुल ठीक है। मित्रोंको दिखानेके लिए मैं अनुवाद करूँ, इस हदतक तो स्वामीकी माँग ठीक थी, लेकिन उसको प्रकाशित करानेकी उसकी माँग मुझे स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। अनुवाद करते समय भी मैंने इस कार्यके लिए अपनी अयोग्यताका अनुभव तो किया, लेकिन फिर भी उसे मैंने जारी रखा। तुमने जो त्रुटियाँ देखी हैं वे उसमें हैं। जो मेरे पास है ही नहीं वह चीज — यानी पांडित्य — मैं कैसे दे सकता हूँ? संस्कृतके अच्छे ज्ञानका अभाव एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। इसका उपाय स्पष्ट है। तुम अपना अनुवाद जारी रखो और उसमें मेरे विचारोंको व्यक्त करनेमें जिस हदतक मेरे अनुवादसे मदद मिले, उसकी मदद लो, लेकिन विलकुल मेरे अनुवादकी ही तकल मत करो। जो तुम्हें स्वीकार्य हो, तुम वैसा ही अर्थ देते हुए अनुवाद करो। जहाँ टिप्पणियाँ व्यर्थ हैं, वहाँ उनको छोड़ दो। जहाँ टिप्पणी देना जरूरी हो वहाँ अपनी टिप्पणी दे दो। इतना कर चुकनेके बाद तुम गुजराती अनुवाद ले लो और उसमें जहाँ गलती है वहाँ सुधार दो, जहाँ भाषाको माँजनेकी जरूरत हो वहाँ माँज दो। जहाँ फिरसे लिखनेकी जरूरत हो लिख दो और जहाँ कुछ जोड़ना हो वहाँ जोड़ दो। इसके साथ तुम्हारा काम पूरा हो जायेगा। तब फिर जब यह सारा परिणाम मेरे हाथमें आयेगा उस समय मैं उसपर काम करूँगा और अपने अर्थको स्पष्ट करनेके खयालसे जहाँ जो परिवर्तन करने होंगे, कर दूँगा। यह काम मैं आसानीसे कर सकता हूँ।

१. महादेव देसाई अनासन्नित्तयोगका अंग्रेजीमें अनुवाद कर रहे थे। देखीए पृष्ठ १०५ की पाद टिप्पणी २।

उसके बाद हम गुजरातीका सशोधित सस्करण निकाल सकते हैं और तुम्हारा किया हुआ अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कर सकते हैं।' ऐसा करते हुए तुम्हें अपनी टिप्पणियोंके बारेमें मेरा विस्तृत उत्तर पानेकी प्रतीक्षा करनेकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी टिप्पणियोंको मित्रोंको दिखाऊंगा, और उनकी राय प्राप्त करके वह सब तुम्हें भेज दूंगा।

तुम्हारे अन्य सब सन्देशोंका ध्यान रखा जायेगा।

मुझे खुशी है कि तुम्हें तरह-तरहकी परीक्षाओंमें से गुजरना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही करना कि केवल साहित्यिक काममें ही अपने-आपको न खपा देना। तुम्हें खूब व्यायाम करना चाहिए और शरीरको चुस्त रखना चाहिए। किसी भी हालतमें तुम्हें अपनी आँखोंको नुकसान नहीं पहुँचने देना चाहिए।

आज इससे ज्यादा नहीं।

हम सबोंकी ओरसे प्यार।

बापू

अंग्रेजीकी नकल (एस० एन० २६९०६) से।

## २८७. पत्र : प्रभावतीको

रायपुर

२३ नवम्बर, १९३३

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिला है। तूने दो पत्र दिये हैं। पिछले पत्रमें तूने सीवानका पता दिया था और अब सीताबदियाराका दिया है। मैं तो यह पत्र सीताबदियारा को लिख रहा हूँ।

जयप्रकाशके बारेमें मैं लिख चुका हूँ। मैंने वह पत्र सीवानके पतेपर भेजा था। जिनके सिरपर कर्ज है, जिन्हें अपने भाई-बहनका खर्च उठाना है वर्तमान संघर्ष उनके लिए नहीं है। इस संघर्षमें तो सब-कुछ होम देनेकी बात है। गरीबोंके भाई-बहन किस तरह पढते हैं? हमें तो ऐसा रास्ता खोज निकालना चाहिए कि जिससे हमारे भाई-बहन गरीबीमें पढ सके और अपना झटपट निर्वाह करनेके योग्य बन जायें। रही बात पिताजीकी, सो पिताजीको ५० रुपये मिलते हैं वह पर्याप्त होने चाहिए। उनकी सम्पत्ति परसे तुम दोनोंको अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए। इस तरह यदि जय प्रकाश इस फकीरीको अपना देनेके लिए तैयार हो तभी वह इस लड़ाईमें शामिल हो सकता है। सिपाहीका यही धर्म है। दूसरा धर्म कुटुम्बके प्रति है। यदि कोई उस

१. अंग्रेजी अनुवाद द गॉस्पेल ऑफ सेल्फ्लेस ऐक्शन या द गीता एकांडिंग टु गांधी शीर्षकसे १९४६ में प्रकाशित हुआ था; देखिये खण्ड ४१।

धर्मका पालन करना चाहे तो वह भी उचित है। यह धर्म जब स्वतन्त्र रूप धारण करता है तब वह समाजके हितका विरोधी होता है। हममें आज ऐसा ही चलता है। सत्याग्रहका आशय इसी धर्मको टालना है। लेकिन जो इसे नहीं समझता और इसका पालन करनेका प्रयत्न करता है वह दोनोंसे हाथ धो बैठता है, क्योंकि उसे सन्तोष नहीं रहता। यह सारी बात यदि तेरी समझमें न आई हो तो मुझसे फिर पूछना। तुझे समझनेमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

मैंने अपने दौरेका कार्यक्रम तुझे पहले ही भेज दिया है। इसलिए यहाँसे फिर नहीं भेजता। मेरे साथ बातचीत करनेके लिए विशेष रूपसे यहाँ आनेकी अब कोई जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन मैं मंगलवार को जबलपुरमें होऊँगा; बादमे दिल्ली।

मेरा वजन १०९ पाउंड है और ब्लड-प्रेसर १५५-१०० है। खुराक पहले जैसी ही है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४३५) से।

## २८८. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

रायपुर

२३ नवम्बर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

तुमने तो पत्र लिखना सचमुच ही वन्द कर दिया लगता है। जमनालालजीका त्यागपत्र उनकी मानसिक शान्तिके विचारसे भी अनिवार्य था। दूसरोके लिए भी उचित ही था। इससे वातावरण बहुत साफ हो गया है। जमनालालजी परसे बोझ उतर गया है और उन्हें नया बल मिला है। ज्यादा तो नहीं लिखूँगा। लेकिन इस कदमके औचित्यके बारेमें मनमें शंका न लाना।

मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत कुछ गड़बड़ है। यदि ऐसी कोई बात हो तो मुझे बताना। वजन बता सको तो बताना। नाक तो परेशान नहीं कर रही है न? मुझसे कुछ छुपानेकी जरूरत तो नहीं है।

महादेवकी अच्छी कसौटी हो रही है। मुझे यह अच्छा लगता है। अब गुजराती पत्रोंमें दिक्कत होती है। इस सम्बन्धमें मैं कर्नल को लिखनेका इरादा रखता हूँ। यद्यपि इतना भी मुझे पसन्द तो नहीं है।

देवदासका पत्र इन दिनों नहीं आया है। खुर्शीदकी तबीयतमे सुधार हो रहा है। उसने खासी बीमारी पाई। डाक जाने ही वाली है इससे ज्यादा नहीं लिखता।

मेरी गाड़ी ठीक चल रही है। लोगोकी भीड़ पहले जैसी ही है, कदाचित् अधिक ही है और वे उतने ही प्रेमोन्मत्त भी हैं।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-२ : सरदार बल्लभभाईने, पृष्ठ ४८

## २८९. भाषण : रायपुरकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

२३ नवम्बर, १९३३

मैं यह बात बार-बार कह चुका हूँ कि यह काम केवल वे ही लोग कर सकते हैं जो वाकई अस्पृश्यताको हिन्दू-धर्मके नामपर धब्बा समझते हैं। यह वह आन्दोलन है जिसमें करोड़ो लोगोसे हृदय-परिवर्तन करनेकी अपेक्षा की जाती है। इसे किसी राजनीतिक चाल द्वारा सफल नहीं बनाया जा सकता। यह तो केवल आत्म-शुद्धि द्वारा ही किया जा सकता है। यह एक महान यज्ञकी अग्नि है जिसमे हमे अपने पापको ढेरकी आहुति देनी है और उसमे से शुद्ध होकर निकलना है। जो लोग इस कामको श्रद्धाके साथ और सच्चे मनसे नहीं करेगे वे करोड़ो लोगोके हृदयोको द्रवित करनेमे सफल नहीं होंगे। यदि हमने अपने-आपको या हरिजनोको धोखा दिया तो हम कहीके नहीं रहेगे। इस आन्दोलनकी सफलता या असफलता हमे सही ढंगके कार्यकर्त्ताओके मिलनेपर निर्भर करती है। आज हमारी परीक्षा हो रही है। ईश्वरने हमें जो मौका दिया है यदि आज हम उससे चूक गये तो इस पीढीमें ऐसा मौका दोबारा मिलनेकी हम आशा नहीं कर सकते। आज हम जो काम स्वेच्छया करनेसे इनकार कर रहे हैं वह काम हमे भविष्यमें डंडेके भयसे करना पड़ेगा और फिर हमें इस मौकेको खो देनेका पछतावा होगा। मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि हम इस परीक्षामे सफल उत्तरे और हिन्दू-धर्म तथा अपने-आपको विनाशसे बचाये।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १-१२-१९३३

१. चन्द्रशंकर शुक्लकी रिपोर्टके अनुसार यह भाषण हरिजनकार्यकर्त्ताओके सामने दिया गया था। तथापि २९-११-१९३३ के डॉम्ने क्रॉनिकल, तथा ३-१२-१९३३ के हितवादा के अनुसार यह भाषण स्थानीय नगरपालिका, स्थानीय बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सेंट क्रिये गये अभिनन्दनपत्रोंके उत्तरमें दिया गया था।

## २९०. भाषण : अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी, रायपुरमें

२३ नवम्बर, १९३३

एक ऐसे देशमें जहाँकी ९५ प्रतिशत जनता कृषिके सहारे जीती है, यदि कृषि सम्बन्धी सारे कार्य यन्त्रोंके जरिये किये जायें तो भी एक सहायक कुटीर उद्योगकी आवश्यकता रहेगी। अनादि कालसे भारतीय किसानोंको चरखेके रूपमें वह सहायक धन्धा प्राप्त रहा था। आज सहायक धन्धेके रूपमें कई छोटे उद्योगोंका सुझाव दिया जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी उद्योग उतने व्यापक पैमानेपर नहीं अपनाया जा सकता जितना कि खादी-उत्पादनका उद्योग। मैंने इस प्रदर्शनीका उद्घाटन करना इस कारण स्वीकार किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हजारों हरिजन खादीके सहारे जीविकोपार्जन कर रहे हैं—खादी, जिसने उन्हें अभावग्रस्त होनेसे बचाया है। हम अन्य बहुत-से घरेलू धन्धोंको फिरसे जीवित कर सकते हैं, बल्कि नये-नये घरेलू धन्धे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन खादी, जो कि स्वदेशीका मूलाधार है, उसको हम नहीं छोड़ सकते।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-१२-१९३३

## २९१. भाषणोंके अंश<sup>१</sup>

[२४ नवम्बर, १९३३ से पूर्व]<sup>१</sup>

अन्याय तो संसार-भरमें किया जा रहा है, लेकिन हमने उसे धर्मका समर्थन प्रदान कर दिया है। ये भेद ईश्वरने नहीं पैदा किये हैं। हरिजन लोग यदि समाजके सबसे निचले पायेपर हैं तो अपने किन्हीं अन्तर्निहित दोषोंके कारण नहीं बल्कि इसलिए हैं कि तथाकथित ऊँची जातियोंने उन्हें दबाकर रखा है। ईश्वरने उन्हें भी वे सभी प्रतिभाएँ प्रदान की हैं जो उसने हमें दी हैं, लेकिन हम उनको इन प्रतिभाओंका प्रयोग करने ही नहीं देते। निश्चय ही वे सभी अधिकार और सुविधाएँ तथा विकासके वे सभी अवसर उन्हें भी मिलने चाहिए जो हमें प्राप्त हैं।

हमने उनके प्रति जो अन्याय किया है, उसका अहसास अब हमको है और प्रायश्चित्त-स्वरूप अब हम कमसे-कम जो चीज कर सकते हैं वह यह है कि उनके

१ और २. इसे चन्द्रशंकर शुक्लके “साप्ताहिक पत्र” मेंसे लिया गया है जिसपर दिनांक-रेखा “रायपुर, २४-११-१९३३” पढ़ी हुई है। गांधीजीने जिन-जिन स्थानोंपर भाषण दिये थे इनमें उनका उल्लेख नहीं किया गया है।

उत्थानके लिए धनका दान दें और अपने लिए हमने जो सुविधाएँ पैदा की हैं उसका लाभ उन्हें भी प्रदान करें। हम सब उसी परमात्माकी सन्तान हैं और उसकी आँखमें समान हैं।

आप इस अनुष्ठानके लिए जितना धन देगे, उसका सौ-गुना लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि यह तो अच्छी उर्वर भूमिमें अनाज बोनके समान है। इसके विपरीत, विलासिता और लालसापर खर्च किया जानेवाला धन बजर भूमिमें बोये गये अनाजके समान है।<sup>१</sup>

मुझे बताया गया है कि आपको भारी हानि सहनी पड़ी है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र जबर्दस्त कष्टको झेले बिना और अग्नि-परीक्षासे गुजरे बिना अपनी पूरी महत्ताको नहीं प्राप्त कर पाया है। स्वेच्छया कष्ट-सहनसे हमारी शक्ति बढ़ती ही है। इसलिए कष्ट-सहन करनेके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे कष्टको बढ़ानेवाले कारणों में से एक कारण यह अस्पृश्यताका अभिशाप है। हमने कमजोरोको सताया है। हमने जैसा बोया है वैसा काट रहे हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हरिजनोके प्रति जो अन्याय हमने किये हैं उन्हें दूर करे और उनके कन्धोपर से गुलामीका जुआ हटा दे।<sup>२</sup>

सवर्ण हिन्दुओको चाहिए कि आपके प्रति किये गये अपने अन्यायोके लिए वे आपसे क्षमा माँगे। लेकिन स्वेच्छासे अपनेको हरिजन माननेवाला मैं आपसे यह भी कहूँगा कि आपको अपनी बुरी आदत, विशेष रूपसे मुर्दा पशुओ और गायोका मांस खानेकी आदत का त्याग करना चाहिए। सारी दुनिया मुर्दा पशुको घृणाकी दृष्टिसे देखती है। और गोमास-भक्षणका त्याग इसलिए करना चाहिए क्योंकि किसी हिन्दूके लिए गोमास-भक्षण न करना एक अनिवार्य शर्त है। गाय समृद्धि प्रदान करनेवाला प्राणी है, और उसकी हत्या करके हम स्वयं अपना ही घात करते हैं। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप जूठन भी स्वीकार न करे। इन सबसे ऊपर, आपके बीच ऊँच-नीचका जो भेद-भाव घुस गया है, उसे आप खत्म कीजिए। और ऐसा आप किसी प्रत्याशासे नहीं, बल्कि इसलिए कीजिए क्योंकि ये स्वयंमें अच्छी चीजे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप मद्यपान छोड़ दे, इसका खयाल किये बिना कि बहुतसे अन्य हिन्दू मद्यपान करते हैं।

[ अग्नेजीसे ]

हरिजन, १-१२-१९३३

१. इसके बादका अंश एक गाँवमें दिये गये भाषणसे लिया गया है।

२. इसके बादका अंश हरिजनोंको सम्बोधित करके कहा गया था।



## २९२. सविनय अवज्ञा और हरिजन-सेवा

एक मित्र लिखते हैं:\*

मैं देखता हूँ कि हरिजन-सेवक संस्थाओंमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो केवल हरिजनोंकी सेवा करनेकी भावनासे काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप चाहते हैं। वे तो अन्य आकांक्षाओंकी पूर्तिके लिए हरिजन-सेवाकी आड़ ले रहे हैं। . . . मैं जानता हूँ कि सत्याग्रहको आप हरिजन-सेवक संस्थाओंसे अलग ही रखना चाहते हैं। यदि इस पत्रका कोई आम उपयोग करनेका आपका विचार हो, तो इस अन्तिम बातपर आप कुछ अधिक जोर दें और अबतक आपने उसे जितना स्पष्ट किया है, उससे भी अधिक खुलासा कर दें।

मुझे अपने अनुभवकी वान बनानेके लिए मैं इन मित्रका आभारी हूँ। हरिजन-सेवक संघ जैसे विशाल संगठनको, जिसकी छात्राएँ सारे भारतवर्षमें फैली हुई हैं, स्वार्थियों और समय-सेवी पुरपोसे बिल्कुल मुक्त रखना बड़ा कठिन कार्य है। मैंने इन विषय पर मेठ घनश्यामदास तथा ठक्कर बापासे अच्छी तरह परामर्श किया है। मुझे मालूम है कि ये दोनों सज्जन मंत्रको यथासम्भव अधिकसे-अधिक शुद्ध रखना चाहते हैं। व्यक्तिशः इन्में अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। अपनी बिल्कुल लाचारी देखकर ही तो मैंने २१ दिनका अनशन किया था। हरिजन-सेवकोंकी कमजोरियोंका पता पाकर मैंने महसूस किया कि उनके दारनें केवल लिखनेसे ही काम नहीं चलेगा। मैं इन कठिनाईनें से निकलनेका मार्ग ढूँढ़ रहा था। पाठक विश्वास करें कि उपवास तो उस समय मेरे विचारोंसे कोसों दूर था, नगर जैसा मैं इन पृष्ठोंमें बता चुका हूँ, वह अकस्मात् मेरे मनमें आया और उससे मुझे बड़ी शान्ति मिली। मैं जानता हूँ कि उससे बड़ा लाभ हुआ। परन्तु अकेले एक अनुष्यके उपवासका प्रभाव कितना हो सकता था? अतएव ऐसे प्रायश्चित्तरूप उपवासकी शृंखलाका विचार मेरे मनमें उठा। यह विचार हरगिज छोड़ नहीं दिया गया है। वह तो बार-बार मेरे मनमें आता है। पर उसका यन्त्रकी तरह संचालन नहीं किया जा सकता। कई चाची इस उपवासकी शृंखलाका श्रीगणेश करनेको अथवा प्रारम्भ होनेके पश्चात् उसमें भाग लेनेको तैयार हैं, पर उसे ठीक तौरसे आरम्भ करनेका मार्ग मुझे अभी सूझ नहीं पड़ा है। शृंखला गुरु करनेके पहले यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसका ठीक मार्ग मुझे और मेरे साथी कार्यकर्त्ताओंको दिखाई दे। तबतक मैं अपने इस अटल विश्वासको केवल प्रकट कर सकता हूँ कि अस्पृश्यताका मूलोच्छेद ऐसे नर-नारियोंकी सेवा द्वारा ही हो सकता है जो केवल सेवाकी ही दृष्टिसे और शुद्ध धार्मिक मनोवृत्तिसे

१. यहाँ केवल कुछ अंश ही दिये गये हैं।

प्रेरित होकर इस कार्यको उठायेगे। जबतक भारतवर्षके कोने-कोनेमें इस प्रकारके सेवक काफी संख्यामें मौजूद न हो, हम लोग करोड़ों मनुष्योंका हृदय-परिवर्तन करनेमें भी कभी सफल नहीं हो सकते। सवर्ण हिन्दू एक छोरपर हैं, और हरिजन दूसरेपर हैं, और कई युगोंसे प्रचलित प्रथा, जिसने धार्मिक सिद्धान्तकी-सी गरिमा अख्तियार कर रखी है, बिना प्रायश्चित्त और शुद्धीकरणके कभी भी जड़मूलसे नहीं मिटाई जा सकती। एक ओर यह देखकर हृदयको बड़ी प्रसन्नता होती है कि गाँवों और कस्बोंमें जो समाएँ हो रही हैं उनमें लोगवाग हजारोंकी संख्यामें इकट्ठे होते हैं और बड़े हर्षसे अपनी कमाईके पैसे इस आन्दोलनके प्रति अपनी सहानुभूतिके चिह्नस्वरूप भेंट करते हैं; पर दूसरी ओर मुझे यह जानकर दुःख होता है कि यदि इन हजारों नर-नारियोंके सामने अचानक यह प्रश्न आ जाये कि जिस बातको ये लोग सभाओंमें अपनी उपस्थितिके द्वारा स्वीकृति देते मालूम होते हैं, उसे स्वयं अपनी जीवन-व्यवस्थामें व्यवहारमें लाये तो सर्वथा कोरा ही जवाब मिलेगा। यह इसलिए नहीं कि वे ऐसा चाहते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ऐसा करनेकी उनमें शक्ति नहीं है। मैंने अनेक बार यही बात अपने अनेक अत्यन्त घनिष्ठ साथियोंमें पाई है, जो बात वे उचित समझते हैं और यह भी जानते हैं कि उसे तुरन्त करनेकी जरूरत है, उसे एकदम आचरणमें लानेके विषयमें उन्होंने निःसकोच होकर अपनी अयोग्यता स्वीकार की है। उन्हें अपने कुसस्कार-पोषित और रूढि-जन्य आन्तरिक घृणाके विरुद्ध साहसके साथ युद्ध करना पडा। इस भयंकर राक्षसीका सहार करनेके लिए इस बातको केवल बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करना काफी नहीं है कि अस्पृश्यता एक घृणित वस्तु है, जो हिन्दू-धर्मका सत्यानाश कर रही है और उसमें विश्वास रखना परमात्मा, उसकी दयालुता तथा उसके पितृत्वके प्रति अपनी अश्रद्धा प्रकट करनेके समान है। सवर्णों और हरिजनोका हृदय-परिवर्तन करनेके लिए जो लोग अपेक्षाकृत पवित्र हैं उन्हें दूसरोंके लिए प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता है।

जो आन्दोलन इतना ऊँचा और इतना पवित्र, इतना धार्मिक और इतना मानव-हितकारी है, उसका किसीको अपनी निजी स्वार्थ-सिद्धिके अर्थ अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। राजनीतिक लाभको प्राप्त करनेके लिए तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। यह आन्दोलन ज्यों-ज्यों प्रगति करेगा, त्यों-त्यों यह देखा जा सकेगा कि आन्दोलनमें राजनीतिक दृष्टिकोणका प्रवेश करानेका एकमात्र परिणाम यह होगा कि फूट और कलह और तीव्र होंगे। ऐसा करनेसे आजकल जो उलझन पड़ रही है, वह और भी विकट रूप धारण करेगी और आज जितने दलोंमें झगडा चल रहा है, उसमें और भी कई दल शामिल हो जायेंगे। भगवान हमें और हमारे इस सेवा-आन्दोलनको ऐसी विपत्तिसे बचाये।

सत्याग्रहका हरिजन-आन्दोलनसे कहाँतक सम्बन्ध है, इस विषयमें मैं हमेशाकी भाँति जोर देकर कहता हूँ कि वे कांग्रेसवादी, जो सत्याग्रहमें सक्रिय भाग लेना चाहे, इन हरिजन-संस्थाओंमें न तो कोई पद ग्रहण करें और न इन संस्थाओंको सत्याग्रह चलानेके कार्यमें साधन ही बनाये। सत्याग्रह एक अद्वितीय शस्त्र है। उसमें

किसी किस्मकी मिलावट की गुंजाइश नहीं। यह तो निर्भय शूरवीरोंका शस्त्र है, इसलिए इसे किसीकी ओट लेनेकी आवश्यकता नहीं। इसका प्रयोग तो खुले तौरपर दिन दहाड़े ही होना चाहिए। इसलिए यद्यपि उन कांग्रेसवादियोंका, जो सत्याग्रहमें प्रमुख भाग लेते हो, यह कर्त्तव्य है कि हरिजन-सेवा-कार्यमें जो-कुछ सहायता वे दे सकते हों दे, तथापि उनका सम्बन्ध हरिजन-सेवक संघ अथवा उसकी किसी शाखासे नहीं होना चाहिए। इन संस्थाओंमें पद-ग्रहण करनेसे उनके द्वारा सत्याग्रह तथा हरिजन-सेवा-कार्य दोनोंकी ही हानि पहुँचेगी। यह ठीक इसी प्रकार होगा, जैसे कोई व्यक्ति मन्दिरमें जाये तो पूजा-प्रार्थनाके लिए और अपनी देव-आराधनाको सत्याग्रहका साधन बना ले। मगर न तो ईश्वरको ही और न मनुष्यको ही इस तरह धोखा दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने अक्सर इन पृष्ठोंमें कहा है, यदि केवल कांग्रेसवादियोंपर ही निर्भर किया गया तो हिन्दू-धर्मका महान सुधार कभी नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि स्थिति वास्तवमें ऐसी नहीं है। यह भी बात नहीं कि प्रत्येक हिन्दू ही कांग्रेसवादी हो, जैसे कि प्रत्येक हरिजन भी कांग्रेसवादी नहीं है। इसलिए इस हरिजन-संगठनके लिए लाजिमी है कि वह राजनीति तथा दलवन्दियोंसे बिल्कुल स्वतन्त्र हो और उसमें कांग्रेसवादियों और गैर-कांग्रेसी लोगोंका भी समावेश हो। उसके पदाधिकारी सिर्फ वही लोग हों जो सत्याग्रहमें सक्रिय भाग न ले रहे हो, और जो गुप्त अथवा प्रकट रूपसे सत्याग्रहको आगे बढ़ानेके लिए अपने पदका अनुचित लाभ न उठा रहे हों।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, २४-११-१९३३

### २९३. हरिजन-कार्यकर्त्ताओंका कर्त्तव्य

एक सज्जनने मेरे पास उत्तरके लिए नीचे लिखे प्रश्न भेजे हैं :

(१) अस्पृश्यताके विरुद्ध प्रचार करनेमें क्या कार्यकर्त्ताओंको यह सिद्ध करनेके लिए कि आज हमारे बीच जिस प्रकारकी अस्पृश्यता प्रचलित है, उसका हिन्दू-धर्म कहीं समर्थन नहीं करता, शास्त्रों और धार्मिक ग्रन्थोंका उपयोग करना चाहिए ?

(२) क्या एक हरिजन-सेवकको खानगी तौरपर सहभोजोंमें भाग लेना चाहिए ?

(३) क्या एक हरिजनको, जो किसी कुटुम्बमें नौकरके रूपमें काम करता है, उस कुटुम्बके अन्य प्राणियोंके साथ बैठकर भोजन करना चाहिए ?

पत्र-लेखकका कहना है कि इन तीनों प्रश्नोंपर एक समाचार-पत्रमें गम्भीरता-पूर्वक चर्चा की गई है और पाठकोंको यह सलाह दी गई है कि हरिजन-कार्यकर्त्ताओंको

अस्पृश्यता-निवारणके प्रचारमे न तो शास्त्रीय तथा धार्मिक प्रमाणोका उपयोग करना चाहिए और न सहभोज आदिके सम्बन्धमे अपने व्यक्तिगत विचारोको, हरिजन-आन्दोलनके व्यापक हितमे, अपने खानगी मामलोमे ही लागू करना चाहिए। मेरे लिए अस्पृश्यता-निवारणका कार्य सिद्धान्ततः एक धार्मिक कार्य है। यदि मैं विश्वास कर लूँ कि लोक-प्रचलित अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मका एक अभिन्न अंग है, तो मैं हिन्दू-धर्ममे नहीं रहूँगा। इसमे कोई सन्देह नहीं कि अस्पृश्यता हमारे पास प्राचीन प्रथाओके ही रूपमे आई है, लेकिन ऐसी तो बहुत-सी बुरी प्रथाएँ चली आ रही है, जिनमें अस्पृश्यता सबसे निकृष्ट है। इसलिए यह दिखलाना आवश्यक हो जाता है कि हिन्दू-धर्ममे इसका कोई स्थान नहीं है।

यद्यपि हरिजन-सेवक सघने बड़ी बुद्धिमानीके साथ अपने कार्य-क्षेत्रको सीमित कर दिया है, तब भी सहभोज आदिके सम्बन्धमे उसने व्यक्तिगत विचारो या कार्योंको नियन्त्रित करने या रोकनेकी बात नहीं की है। अस्पृश्यता-निवारणके लिए हरिजनोके साथ भोजन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। सहभोज कोई सार्वदेशिक बन्धन नहीं है। हरिजन-कार्यकर्त्ताको यह पूर्ण स्वतन्त्रता रहनी चाहिए कि वह चाहे जिसके साथ भोजन करे और इस कारण, किसी हरिजनके साथ भोजन करनेसे, वह कोई कम प्रभावशाली कार्यकर्त्ता न समझा जाये। मैं इस सम्बन्धमे क्या करता हूँ, यह सबको अच्छी तरहसे मालूम है, और "सुधारके व्यापकतर हितमे" यदि मैं उसे छिपा रखूँ तो मैं अपनेको एक पाखण्डी समझूँगा। यदि मेरे लिए वह सिर्फ सुविधा या मनोविनोदकी ही चीज हो तो मैं अवश्य ही सहभोजसे अपनेको अलग रखूँगा। इन दोनो बातोसे कही बढ़कर मैं उसे एक वाञ्छनीय तथा अवश्यम्भावी सामाजिक सुधार मानता हूँ। लेकिन इस सवालको अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनसे नहीं मिलाना चाहिए। अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनमे मुख्य बात तो उन लोगोके प्रति होनेवाले सामाजिक तथा धार्मिक अन्यायोको खत्म करना है, जो आज अस्पृश्य कहलानेके कारण जिस धर्मके वे अनुयायी हैं उसी धर्मकी तमाम सार्वजनिक सुविधाओ और आध्यात्मिक शान्ति-सात्वनाके साधनोकेसे वंचित कर दिये गये हैं। अगर मेरे हाथका बनाया हुआ या स्पर्श किया हुआ भोजन दुनियामे कोई ग्रहण न करे, तो मैं ऐसा नहीं समझूँगा कि मैं किसी चीजसे वंचित किया गया हूँ। किन्तु अगर मैं अपने लड़केको किसी सार्वजनिक स्कूलमे न पढा सकूँ, या किसी ऐसे स्थानमे किराये पर मुझे मकान न मिल सके जहाँ दूसरे लोगोको मिल जाता हो, अथवा मैं किसी ऐसे मन्दिरमे जाकर आध्यात्मिक आनन्दका लाभ न ले सकूँ जो मेरे ही धर्मके माननेवालोके लिए बनाया गया हो तो मैं बहुत बड़ी चीजसे अपने-आपको वंचित मानूँगा।

रही हरिजन नौकरकी बात तो यदि उस परिवारके प्राणी हरिजन और गैर-हरिजन नौकरोमे भेद रखते हैं, तो वे अवश्य ही छुआछूत माननेके अपराधी होंगे। पर मुझे भय है कि हमारे लिए अभी वह सुन्दर और कल्याणकारी दिन बहुत दूर है, जब सभी मालिक होंगे, कोई नौकर न होगा, या सभी सेवक होंगे, कोई स्वामी

न होगा — सब मनुष्य कुटुम्बके सदस्यों जैसे होंगे, और जब सभी लोग एक-दूसरेके साथ सगे भाई और बहनोके जैसा व्यवहार करेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, २४-११-१९३३

## २९४. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

स्थायी पता : वर्वा

२४ नवम्बर, १९३३

त्रि० अमला,

मुझे खुशी है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। क्या मैंने यह कहा था कि मैं सप्ताहमें दो बार लिखूंगा? मेरे खयालमें मैंने यह कहा था कि तुम सप्ताहमें दो बार लिख सकती हो।

वेगळ, तुम हिन्दीको जितना ज्यादा समय देना चाहो उतना समय दे सकती हो। हां, जब तुम विलकुल ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हें जिस स्थानपर भी रखूंगा वहाँ तुम अपनी जगह बना लोगी।

सप्रेम,

बापू

श्रीमती अमलाबहन

सत्याग्रह आश्रम

वर्वा (म० प्रा०)

[ अंग्रेजीसे ]

स्पीगल पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## २९५. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

२४ नवम्बर, १९३३

प्रिय चार्ली,

मुझे अभी-अभी सर प्र० पट्टणीसे यह सूचना मिली है कि वह दिसम्बरसे गुरुदेवको १००० रुपये प्रति माह देना शुरू करेंगे जबतक कि ५००० रुपये पूरे नहीं हो जाते। अब सब ठीक हो जायेगा।

लोगोंका उत्साह और [सभाओंमें] उपस्थिति आश्चर्यजनक है, और मेरी अपेक्षाएँ हालाँकि काफी ऊँची थीं लेकिन वह तो इनसे भी ज्यादा हैं। तुम इनका 'हरिजन' में सही-सही विवरण देखोगे। तुमने यह ध्यान दिया होगा कि अब

१. देखिए "पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको", ४-११-१९३३।

'हरिजन' मद्रास चला गया है। लोग खूब पैसा दे रहे हैं। यदि लोगोकी ये भीड़े इस बातका द्योतक नहीं हैं कि अस्पृश्यता तेजीसे जा रही है तो फिर मैं नहीं जानता कि दूसरी कौन-सी चीज इसे सिद्ध कर सकती है। इस जबर्दस्त सुधारका प्रभाव महसूस किया जाये, इसमें समय लगेगा।

बादमें।

इससे पहलेका हिस्सा विघ्न-बाधाके बीच लिखा गया था। तुमने समुद्र-यात्रा के दौरान या बम्बईमें जो पत्र लिखा था वह अभी-अभी मिला है। गुणदेवकी बम्बई-यात्राके बारेमें मैंने बहुत कम लिखा है। मैं तो यह भी नहीं जानता कि क्या व्यापार चल रहा है। इस व्यस्तताके बीच मैं अखबार भी नहीं पढ़ पाता। लेकिन बेशक जहाँ तक स्वागतका सवाल है, उनका स्वागत तो होगा। लेकिन उन्हें पैसा बहुत मिलनेकी सम्भावना नहीं है। उड़ीसाके बारेमें मेरी अपील पर बहुत थोड़ा धन आया है।

अवश्य ही एल्विनको अपने रास्ते जाना चाहिए और उसे ईश्वरके हाथोंमें छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन गुणावगुणके आधारपर कार्योंके औचित्यपर शंका हो तब मित्रोंको चेतावनी देनी चाहिए। यह कहना मुश्किल है कि कब यह ईश्वरकी आवाज है और कब नहीं है। अजनबी लोगोको प्रत्येक कार्य उसके गुणावगुणके अनुसार ही परखना होगा। यह बात बेशक अपने उपवासोके बारेमें किये गये मेरे दावोपर भी लागू होती है। ई० माथेरानसे जिस प्रकार गये उसमें मुझे कुछ जल्दबाजी प्रतीत हुई और वह वर्षाको भी बचा कर निकले। इसके बारेमें मैंने उन्हें एक लम्बा पत्र लिखा है। कराजियाके पास वापस लौट जानेके बादसे उनका कोई पत्र मुझे नहीं मिला है।

आशा करता हूँ कि तुम्हें वापस लौटनेके लिए कहनेको मुझे तार नहीं करना पड़ेगा। मजिस्ट्रेटोंने मुझे अभी तक तंग नहीं किया है। लेकिन यदि आगे कभी किया तो उस समय तुमसे परामर्श करनेका अवसर नहीं होगा। जिस प्रकार एफी कर रही है उसी प्रकार तुम भी मुझे ईश्वरके सहारे मानो, जैसा कि तुम ई० को ईश्वरके सहारे मान रहे हो। मैं जानता हूँ कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं।

सप्रेम,

मोहन

[पुनश्च :]

अपने पत्र वधकि पतेपर भेजना।

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९८३) से।

## २९६. पत्र : अगाथा हैरिसनको

२४ नवम्बर, १९३३

प्रिय अगाथा,

इस हफ्ते कोई लम्बा पत्र नहीं। साथमे एक पत्र सी० एफ० ए० के लिए है।<sup>१</sup> कतरनोसे तुम्हें मेरे दौरेकी प्रगतिका कुछ अनुमान हो जायेगा। तुम्हें जैसा आवश्यक लगे उस हिसाबसे तुम उसे मित्रोको भी दिखा देना।

राजनीतिक वातावरणके बारेमे मैं नहीं सोचता। यह उतना ही खराब है जितना पहले था। इससे मुझे खास चिन्ता नहीं होती, और यदि सरकारी अधिकारियोमे दुर्बल-रक्षाकी भावना और भद्रता होती तब तो मैं बिलकुल ही चिन्ता नहीं करूँगा। उनके अन्दर हरएक व्यक्ति और हर संगठनको अपमानित करनेकी कभी न शान्त होनेवाली भयंकर लालसा है। लेकिन यह शिकवा-शिकायत काफी हुआ।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४७५) से।

## २९७. पत्र : वसुमती पण्डितको

२४ नवम्बर, १९३३

चि० वसुमती,

मैंने तुम्हें कई पत्र लिखे थे। आशा है वे मिले होंगे। तेरा एक पत्र मुझे मिला है। तूने अध्ययन ठीक किया जान पड़ता है। लगता है तूने अंग्रेजीका अभ्यास छोड़ दिया है। ताराने एक दाँत निकलवा दिया है। निकालते समय उसे बहुत दर्द हुआ, उसे एक घंटेतक क्लोरोफॉर्ममे रखना पडा। अब तो वह ठीक है। मैं लम्बे दौरेपर हूँ। [सप्ताहमे] दो दिन छोड़कर मुझे हर रोज घूमना होता है। साथमें मीराबहन है, ओम है, चन्द्रशंकर और ठक्कर बापा तो है ही। दूसरे लोगोको तू नहीं जानती। अभी तक तो मेरा स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। बा और मणिबहन अहमदाबाद गई है। तोतारामजी हरिप्रसादको लेकर हरिजन आश्रममे रहेंगे। सत्याग्रह आश्रम हरिजन आश्रम बन गया है। मेरा वजन १०८ पौंड है। दूध, नारंगी और कोई एक हरी सब्जी मेरी सामान्य खुराक है।

१. देखिए पिछला शीर्षक।

यह पत्र मैंने खाना खाते समय ओमसे लिखवाया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९३३८) से। सी० डब्ल्यू० ५८४ से भी; सौजन्य : वसुमती पण्डित

## २९८. भाषण : रायपुरकी सार्वजनिक सभामें

२४ नवम्बर, १९३३

जवसे मैं आपके प्रान्तमें आया हूँ तबसे आपने मुझे अपने प्रेमसे नहला दिया है और अभीतक मैं इस प्रेमसे तरबतर हूँ। यहाँ पर भी आपने यह थैली देकर मुझे अधिक आनन्द प्रदान किया है। यदि आप ऐसा मानते हैं कि इस व्यक्तिको सन्तुष्ट करनेके लिए पैसे देने चाहिए तो यह बात सच है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, यदि आप उसका पालन करे तो। शर्त यह है कि जिस व्यक्तिको पैसे दिये हो उसके मनमें यह भाव होना चाहिए कि उसने शुद्धि यज्ञमें अपना योगदान दिया है। यह पैसा तो उसके योगदानका प्रतीकमात्र है। लेकिन यदि वे यह माने कि पैसा देकर उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया तो यह बहुत खराब ढंगका बनियापन होगा। यह तो मानो उसने पैसा देकर स्वच्छन्द अथवा स्वेच्छाचारको खरीद लिया है। ऐसा दान हरिजनोकी सेवा नहीं कर सकता। हरिजनोकी सेवाके लिए पैसेकी बहुत जरूरत है, इस बातसे मैं इनकार नहीं करता लेकिन सेवाके लिए ज्यादा जरूरी तो यह है कि आप हृदयसे हरिजन वहन-भाइयोको अपनाये। आप मनसे अस्पृश्यताको नेस्तनाबूद कर दे, भेदभावको दूर कर दे, मेरी यात्राका यही उद्देश्य है। इसे सफल बनानेमें यदि आप मदद न देकर फकत पैसा ही दे तो इस पैसेका उपयोग करना भी मुश्किल हो जाये। यदि आप न जानते हो तो यह जान ले कि [इस उद्देश्यके लिए] इस स्थान पर जो पैसा इकट्ठा किया जायेगा उसमें से कमसे-कम ७५ प्रतिशत तो इसीस्थानके हरिजनोकी सेवाके कार्यमें लगाया जायेगा। साथमें दो शर्तें हैं, वे भी कार्यकी सिद्धिके लिए ही हैं। एक तो आपकी ओरसे इस पैसेका उपयोग किये जानेके सम्बन्धमें एक अच्छी योजना प्रस्तावित की जानी चाहिए तथा आपको यह भी बताना चाहिए कि उस योजनापर कौन व्यक्ति अमल करनेवाला है। योजना कागजपर तो अच्छी दिखाई दे सकती है लेकिन यदि उसे कार्यरूप देनेवाला कोई न हो तो वह योजना व्यर्थ जायेगी, निष्फल रहेगी। इसीलिए मैंने कहा है कि यदि आप मनसे दान नहीं करोगे तो आपका दिया हुआ पैसा लगभग व्यर्थ है। और ऐसा होनेपर यह पैसा किसी दूसरे स्थानपर, जहाँ अच्छे कार्यकर्त्ता और अच्छी योजना मिलेगी, वहाँ चला जायेगा। पर यह आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम जो [घन सग्रह के लिए] यहाँ आये हुए हैं ऐसा नहीं करना चाहते। हमारा इरादा तो यह है कि जिस स्थान पर पैसा इकट्ठा हो उसी स्थानपर उसमें से कमसे-कम ७५ प्रतिशत पैसा खर्च



कर दिया जाये। लेकिन यदि आप इस काममें अपना पूरा सहयोग नहीं देंगे तो अकेले पैसेसे कुछ भी काम बननेवाला नहीं है।

हर स्थानपर इतना विशाल जनसमुदाय इकट्ठा होता है, यह बात हिन्दुस्तानके लिए, हिन्दू-धर्मके लिए आनन्दकी बात है। मैं इस विश्वाससे काम करता हूँ कि यह जनसमुदाय अस्पृश्यता-निवारणके कार्यमें अपना सहयोग देनेके लिए आता है। पर मैंने भूतकालमें हिन्दुस्तानकी सेवा की है, इस बातको ध्यानमें रखकर और मेरी इस सेवाके प्रशंसा स्वरूप यदि ये लोग आते हैं तो यह बहुत बड़ी धोखाघड़ी है। इस समय मेरी आँखोंके आगे कोई अन्य कार्य नहीं है। केवल हरिजन सेवाके लिए ही मैं यह दौरा कर रहा हूँ, स्तुतिवचन सुननेके लिए कदापि नहीं। इसलिए जो लोग इस कार्यमें मदद करना चाहते हो वे लोग और आलोचक ही इन सभाओंमें आये। विरोध करनेवाले विनयपूर्वक, सम्यताके साथ अपना विरोध भाव व्यक्त करें। जिस व्यक्तित्वने धार्मिक कार्यमें सम्यताका त्याग किया, समझ लीजिए कि उसने धर्म ही छोड़ दिया है। धर्मके साथ असम्यताका, अविवेकका मेल नहीं हो सकता। धर्मके साथ विनय, विवेक, सम्यता और दया होनी चाहिए। मैं अपना समय व्यर्थ ही बरवाद नहीं करना चाहता।

मुझे यदि यह मालूम हो जाये कि हिन्दू जनता मेरे साथ नहीं है तो इससे मुझे अवश्य दुःख होगा, लेकिन यदि लोग मुझे और अपने-आपको धोखा देनेके लिए सभाओंमें आये तो ज्यादा दुःख होगा। यदि सभी लोग मेरा त्याग कर दें तो भी मुझे तो अपने धर्मका पालन करना ही होगा। शास्त्रोंमें कहा गया है कि धर्मके पालनके लिए किसीके साथकी जरूरत नहीं, केवल ईश्वरके साथकी जरूरत है। धर्मका पालन करना व्यक्तिगत चीज है। मनुष्यको तो भरसक अपने कर्तव्यका पालन कर लेना चाहिए, बाकी सब ईश्वर देख लेगा। अस्पृश्यता-निवारणरूपी धर्म एक रत्न है। वह मैं आपको दे रहा हूँ। यह रत्न ऐसा साधारण-सा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है अथवा इसका इस्तेमाल करनेसे इसमें कमी आ जायेगी। धर्मरूपी रत्नका करोड़ों लोग उपयोग कर सकते हैं; जितने ज्यादा लोग इसका उपयोग करेंगे उसकी दमक उतनी ही बढ़ेगी।

यदि हम अस्पृश्यताके कलंकको हिन्दू-धर्ममें से जड़ समेत उखाड़ नहीं फेंके तो हिन्दू-धर्मका और हिन्दू-जनताका नाश हो जायेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। आज संसारमें लोगोंकी और धर्मोंकी तुलना की जा रही है। हम ऐसे युगमें रहते हैं कि जब रेलसे थोड़े दिनोंमें दूर-दूर तक आवागमन हो सकेगा और अब तो हवाई जहाजोंका आविष्कार भी हो गया है। ऐसे युगमें समस्त संसारकी दृष्टि प्रत्येक धर्मपर पड़ रही है। यदि इस परीक्षामें हम अयोग्य सिद्ध हुए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए कहीं भी आसरा नहीं। जगतको ऐसी तुलना करनेका अधिकार है। जिस चीजको संसारके आगे नहीं रखा जा सकता हो, जो बुद्धि और हृदयको स्पर्श न करती हो वह सनातन-धर्म नहीं है। सनातन-धर्म अर्थात् सनातन सत्य।

जब मुझे यह बताया गया कि यहाँ भारतदासजी अपने मन्दिरको हरिजनोके लिए खोलना चाहते हैं, तब मुझे बड़ी खुशी हुई। इस मन्दिरकी जगह रमणीय है।

ईश्वरको साक्षी मानकर मैंने इस मन्दिरको खोलनेकी क्रिया की है। हरिजन बड़ी सख्यामे और खुशीसे आये। जो हरिजन अथवा इतर जन मन्दिरमे जाये उनके लिए शास्त्रोमें दो-तीन बातोका विधान है। हृदयसे और शरीरसे शुद्ध होकर मन्दिरमें जाना चाहिए। स्वच्छताके नियमका पालन करना दूसरे हिन्दुओके लिए तथा उसी तरह हरिजनोके लिए भी आवश्यक है। इसलिए हरिजन शौचके नियमोका पालन करे। दूसरी शर्त यह है कि वे गोमास और मरे पशुओके मासका त्याग करे। मरे पशुओका मास सब धर्मोमे त्याज्य माना गया है। ससारमे कहीं भी सभ्य और धर्मको मानने-वाले लोग कभी मुर्दा-मास खाते हों, ऐसा मैंने कभी देखा और सुना नहीं। मुर्देका मास खानेके बारेमे समस्त मनुष्य जातिको घृणा है। सवर्ण हिन्दू उन्हे अपनाये अथवा न अपनायें, तो भी हरिजनोको इन दोनो वस्तुओका त्याग कर देना चाहिए। वे यदि अपनेको हिन्दू मानते हैं तो उन्हे गोमासका भी परित्याग कर देना चाहिए। अब एक चौथी वस्तु रह गई है। इसे हिन्दू-धर्मका अनिवार्य अंग माना जाता है—ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, हालाँकि मेरी दृष्टिमे यह अनिवार्य अंग है। वह वस्तु है मद्यपानका त्याग। दूसरे हिन्दू इसे छोडे अथवा न छोडे, लेकिन आप लोग तो उसको अवश्य छोड दे। यह बहुत बुरी आदत है। बुरी आदतकी हमे नकल नहीं करनी चाहिए, फिर आपको तो अपनी उन्नति करनी है इसलिए आप लोगोको तो मद्यपान छोड ही देना चाहिए। आपका अनुकरण दूसरे हिन्दू करेंगे। शराबको छोडनेसे हिन्दुस्तानके करोडो रुपये बचते हैं और मनुष्य हैवानसे फिर इन्सान बनता है। जिसका सेवन करनेसे मनुष्य माँ-बहनका भेद भी भूल जाता है उसका आप सेवन न करें। जो लोग जूठन इकट्ठा करते हैं और खाते हैं उन्हे इस गन्दी आदतको हमेशाके लिए छोड देना चाहिए। जूठन खाना मनुष्य-जातिका काम नहीं है। आपकी इस आदतके लिए सवर्ण हिन्दू दोषी हैं। सवर्ण स्त्रियाँ अज्ञानवग हरिजनोको जूठन देती हैं। उसके बदले उन्हे चाहिए कि वे अपनी वनाई रसोईमे से हरिजनका भाग हमेशा अलग से निकालकर उन्हे दे। मेरी माँ हमेशा अतिथिका, गरीबका और गायका भाग निकाल कर वादमे हमे खिलाती तथा खुद खाती थी। अच्छे घरकी यह सभ्यता है कि वह उनका भाग अलग निकाल ले। उस तरह आप लोग भी भगी तथा हरिजनके लिए पहलेसे भाग निकाल कर रखे और उन्हे प्रेमसे दे। दूरसे कपडे अथवा वर्तनमे अनाज फेकना सभ्यता नहीं, तिरस्कार है। इसमे विनय नहीं, अविनय है। सवर्ण वहने हरिजनोको जूठन देना छोड दे और हरिजन उसे लेना छोड दे। हरिजन भाई-बहन जिस मन्दिरमे जाये वहाँ सब वर्णोको समान रूपमे लागू होनेवाले नियमोका वे पालन करे।

धमतरीमे सतनामी हरिजनोने मुझे एक दु खपूर्ण बात सुनाई कि हज्जाम और घोवी उनका काम नहीं करते, क्योंकि वे अस्पृश्य माने जाते हैं। जिन्होने यह बात कही वे हमारे जैसे ही साफ-सुथरे थे। मैं उनके मोहल्लोमे गया तो उनके घरको अन्य हिन्दुओके घरसे अधिक अस्वच्छ नहीं पाया। हिन्दुस्तानमें घूमते हुए मेरे दिलपर ऐसी छाप पडी है कि भगियोके मकान अन्य हिन्दुओकी अपेक्षा स्वच्छ होते हैं। ऐसे

लोगोंको घोवी और हज्जाम न मिलें, यह तो अत्याचार हुआ। आत्म-शुद्धिकी जब ऐसी प्रचण्ड प्रवृत्ति चल रही है तब उन्हें घोवी और नाई न मिलें, यह दुःखकी बात है और हमारे लिए शर्मकी बात है। इसमें मैं घोवी और हज्जामको जिम्मेदार नहीं मानता। यह काम तो उनको भड़कानेवाले तथाकथित उच्च वर्णके हिन्दुओंका है। उन्होंने इन लोगोंको वहकाया है कि यदि वे हरिजनोंका काम करेंगे तो उन्हें पाप लगेगा। उनपर इस बातका असर हुआ है, इसीसे वे हरिजनोंका काम करनेसे हिचकिचाते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। समझदार लोगोंको हज्जाम और घोवीको समझाना चाहिए। गिझित सवर्ण युवकोंको हजामत बनाना और कपड़े धोना सीखना चाहिए, और हरिजनोंके पास जाकर उनसे कहना चाहिए कि हम तुम्हारी हजामत करने और तुम्हारे कपड़े धोनेके लिए तैयार हैं। यदि गिझित लोग हरिजनोंके पास जायेंगे तो हज्जाम और घोवी भी, जो स्वभावसे सरल हैं, अवश्य जायेंगे। वे जब यह देखेंगे कि जिन लोगोंको पैसेकी जरूरत नहीं है वे लोग हरिजनोंके पास जाते हैं तो वे भी जायेंगे। इसमें धर्मभ्रष्ट होनेकी कोई बात नहीं है। किसी भी सनातनीने मुझे यह नहीं कहा है कि हज्जाम, घोवी, डॉक्टर आदि हरिजनोंकी सेवा नहीं कर सकते। ऐसी सेवा न करना धर्ममें कैसे गुमार हुआ, सो मैं नहीं जानता। ऐसा जंगलीपन जल्द ही दूर होना चाहिए।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, १७-१२-१९३३

## २९९. भाषण : बालोदा बाजारमें<sup>१</sup>

२५ नवम्बर, १९३३

गांधीजीने एक निजी मन्दिरको हरिजनोंके लिए खोलनेकी घोषणा करते हुए कहा कि यह मन्दिर आज हरिजनोंके प्रवेशके साथ ही ईश्वरका सच्चा आवास बन गया है। उन्होंने हरिजनोंसे कहा कि मन्दिरोंमें जानेवाले सभी हिन्दुओंपर जो तीन शर्तें लागू होती हैं उनका आप भी पालन करें। गांधीजीने कहा :

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आत्म-शुद्धिके इस आन्दोलनमें आप अपना पूरा योगदान करें, पैसे देकर नहीं बल्कि अपने हृदय और शरीरको पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल बनाकर तथा आपके बीच जो बुरी आदतें घुस गई हैं उनको दूर करके। हालाँकि मैं गर्मके साथ स्वीकार करता हूँ कि इनमें से बहुत-सी बुरी आदतोंके लिए सवर्ण हिन्दू जिम्मेदार हैं, फिर भी आपको अपने हिस्सेका काम करना है यानी नुर्दा पशु और गायका मांस खाना छोड़ देना है और सफाई तथा स्वच्छताके सामान्य नियमोंका पालन करना है। ये नियम उन सभी हिन्दुओं पर लागू होते हैं जो हिन्दू मन्दिरोंमें पूजा करनेका अधिकार चाहते हैं। यह तथ्य है कि कुछ सवर्ण हिन्दू मद्यपान करते

१. यह भाषण हरिजन ने “मन्दिर-प्रवेशकी शर्तें” शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

हैं, किन्तु मैं चाहूँगा कि इसके वावजूद आप मद्यपान भी छोड़ दे। आपको उनके दुर्गुणोंकी नकल नहीं करनी है। मद्यपान एक अत्यन्त पतनकारी वस्तु है जो मनुष्यको पशु बना देती है। यह शरीर और आत्मा दोनोंको दूषित कर देती है। यह नैतिक और घरेलू जीवन, दोनोंको नष्ट कर देती है। इसलिए मैं हरिजनोसे पूरे दिलसे अनुरोध करूँगा कि वे इस बुराईको छोड़ दे और सर्वर्ण हिन्दुओके सामने ही नहीं बल्कि सारी दुनियाके सामने एक उदात्त आदर्श प्रस्तुत करें।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ८-१२-१९३३

### ३००. भाषण : विलासपुरमें'

२५ नवम्बर, १९३३

अगर आप जानते न हो तो अब जान ले कि जवसे मैं दक्षिण आफ्रिका गया तभीसे मेरा मजदूरोसे गहरा सम्बन्ध रहा है। दक्षिण आफ्रिकामे, भारतमे या ससारके किसी भी भागमे, उन्होंने मुझे अपना एक मजदूर-भाई माना है और अपना ही समझकर मेरा स्वागत किया है। आपको शायद यह जानकर अचम्भा होगा कि लकाशायरमे भी मजदूरोंने सहज ही मुझे अपनेमे से एक मान लिया और सैकड़ो-हजारोकी संख्यामे मुझे घेर लिया था। हमारे बीच एकमात्र अन्तर यह है कि मैं अपनी पसन्दसे मजदूर बन गया हूँ जब कि आप परिस्थितिवश मजदूर बने हैं और अगर सम्भव हो तो शायद मालिक बनना चाहेगे। मैंने मालिक बननेकी महत्वाकाक्षा शुरूमे ही छोड़ दी थी, क्योंकि उस हालतमे मैं एक छोटेसे वर्गका आदमी होता और कगालो, अनाथो, अधभूखो, नंगो तथा सबसे छोटेके साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकता था, जैसा कि आज मैं अपनी योग्यताके अनुसार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मजदूर अपनी स्थितिपर दुःख न माने, उससे घृणा तो हरगिज न करे और श्रमका गौरव समझें। यह सर्वथा उचित है कि आप हरिजनोके प्रति अपनी सहानुभूतिके चिह्नस्वरूप अपनी थैली भेंट कर रहे हैं। उनके बराबर किसने कष्ट भोगे हैं? उनका स्तर हमारे समाजमे सबसे नीचा है। जिन भयकर मुसीबतो और अभावोमे होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, उनकी कल्पना ऐसे लोगोको कभी नहीं हो सकती, जो उनके शिकार नहीं बने हैं। दूसरे मजदूर दौलत जमा करके किसी दिन मालिक बननेकी और इस प्रकार अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ानेकी आकाक्षा रख सकते हैं। परन्तु हरिजन ऐसी महत्वाकांक्षा कभी नहीं रख सकते। उनपर तो अछूतपनका कलंक माँके पेटसे ही लग जाता है। वे जन्मसे ही बहिष्कृत होते हैं और मृत्यु-पर्यन्त बहिष्कृत रहते हैं। उन्हें समाजसे विलकुल अलग वस्तियोमे रहना पड़ता है और जीवनकी जो सुख-सुविधाएँ औरोको

१. यह भाषण विलासपुरमें बी० एन० रेलवे मजदूर-संघके सामने दिया गया था। हरिजन में यह दो भागोंमें "महान समता-स्थापक" और "मानवताके नाम पर", इन पृथक शीर्षकोसे प्रकाशित हुआ था।

प्राप्त होती है उनसे वे वंचित रखे जाते हैं। ईश्वरकी मुफ्त देन पानी तक उन्हें नहीं मिलता। मैं मजदूर-संघसे कहता हूँ कि वह हरिजनों और आपके बीचके तमाम भेदभाव मिटा दें। मैं यह अपील विचारपूर्वक कर रहा हूँ, क्योंकि अहमदाबादके मिल-मजदूरोंके सीवे सम्पर्कमें आनेके कारण मैं जानता हूँ कि मजदूर हरिजनों और गैर-हरिजनोंके बीच भेदभाव जरूर रखते हैं। मैं और सबकी अपेक्षा मजदूरोंसे ये भेदभाव मिटा देनेकी अधिक आशा रखता हूँ। मेरी यह गहरी श्रद्धा रहती है कि हम किसी दिन मजदूरोंके द्वारा साम्प्रदायिक एकता जरूर प्राप्त करेंगे। मैं श्रमको एकता पैदा करनेका जबरदस्त साधन मानता हूँ। वह महान ममता-स्थापक है। मजदूरोंमें साम्प्रदायिक आधारपर विभाजन होना शर्मकी बात है, क्योंकि वे सब अपने पसीनेकी कमाई खाते हैं और इसलिए वे सब एक विशाल भ्रातृ-समाजके अंग हैं। इसलिए वे अस्पृश्यताको सम्पूर्णतः मिटाकर इसका आरम्भ करें। यह साम्प्रदायिक एकताकी दिशामें एक बड़ा कदम होगा। एक बार हरिजनोंका अस्पृश्यताका कलंक मिट गया कि हिन्दुओं, मुसलमानों और देशकी अन्य जातियोंके बीच व्यापक एकताका रास्ता खुल जायेगा।

गांधीजीसे एक मुसलमान मित्रने पूछा कि आप एक राष्ट्र-नेता हैं, फिर आपने फिलहाल राष्ट्रके केवल एक वर्गके बीच ही काम करनेका फैसला क्यों किया है? इसपर गांधीजीने निम्नलिखित उत्तर दिया :

मैं आज इस कामके जरिये सभी जातियोंकी सेवा करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। ये सभी एक ही विशाल परिवारकी शाखाएँ हैं। मैंने हिन्दू शास्त्रोंमें एक ऐसा रोग देखा है जिसे यदि समय रहते दूर न किया गया तो वह सारे कुटुम्बमें फैल जायेगा और उसे नष्ट कर देगा। अस्पृश्यताकी बुराई अपनी निर्धारित मर्यादामें कहीं आगे तक बढ़ गयी है। अस्पृश्यताका हिन्दू समाजमें से समूल नाश करनेकी कोशिश करते हुए मैं सभी जातियोंकी सेवा करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। सम्मेलनोंके जरिये साम्प्रदायिक एकता स्थापित करनेका तरीका हालाँकि विफल हो गया है। लेकिन अन्ततः लोगोंके बीच ठिली एकता स्थापित होगी, इसकी ओरसे मैं निराश नहीं हुआ हूँ। ईश्वरने यह काम मेरे पान भेजा है और मैं इस विश्वासके साथ इसे कर रहा हूँ कि इसके जरिये साम्प्रदायिक एकताका रास्ता तैयार होगा। इसलिए मेरे विचारसे यह कार्य सारे राष्ट्रकी सेवा है। १९२०-२१ में मैंने हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए जो प्रयत्न किया था वह इतिहासमें लिखा जायेगा और जब कभी भी साम्प्रदायिक एकताका भवन खड़ा होगा तब वह उसकी नींव बनेगा। वह प्रयत्न मैंने किया, इसका मुझे कभी कोई दुःख नहीं हुआ है। मेरे लिए वह कोई कार्यसाधक वस्तु नहीं थी। केवल काम सिद्ध करनेके खयालसे मैंने कोई काम किया हो, इसका मुझको ज्ञान नहीं है। मैंने हमेशा ऐसा माना है कि उच्चतम नैतिकता ही सबसे सम्योचित साधन भी है। कुछ यूरोपीय मित्र मुझे विश्वास दिलाने हैं कि मैं अस्पृश्यताके विरुद्ध यह लड़ाई समूचे समाजकी ओरसे लड़ रहा हूँ। एक बार यह नासूर हिन्दू-धर्ममें से निकल जाये, फिर तो हिन्दू, मुसलमान, और अन्य सभी लोग अपने विरोधोंको नूलकर सगे

भाइयोकी तरह एक-दूसरेका आलिंगन करेगे, और सभी जातियोंके लोग अनुभव करेगे कि वे एक वृक्षकी शाखाएँ हैं।

[ अग्रेजीसे ]

हरिजन, ८-१२-१९३३

### ३०१. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

रायपुर

२६ नवम्बर, १९३३

प्रिय अमला,

तुमने अपनी उँगलीको क्या कर लिया? द्वारकानाथजी कहते हैं कि तुमने खुदको चोट पहुँचा ली है। मैं आशा करता हूँ कि तुम सामर्थ्यसे अधिक श्रम नहीं कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज आनन्दपूर्वक और बहुत धीरजके साथ करो।

ऐसा लगता है कि पहलेसे तय किये हुए अनुसार हम लोग १५ दिसम्बरको वर्धासे होते हुए गुजरेगे। इस कार्यक्रममे बादमे जो परिवर्तन किया गया था उसके अनुसार हम वर्धा छोड़ देनेवाले थे और कलकत्ता होते हुए जानेवाले थे। लेकिन अब पहलेवाला कार्यक्रम ही रखा गया है। पिछली बार तुमने स्टेशन न आकर जो आत्मसयम दिखाया था, उसकी तो मैं कद्र करता हूँ, लेकिन इस बार यदि तुम्हे द्वारकानाथजीकी अनुमति मिल जाये तो मैं चाहूँगा कि १५ तारीखको तुम आओ।

मैं देखता हूँ कि तुम पहले जैसा कातती थी उसकी अपेक्षा अब बहुत अच्छा कातती हो और तुमने लच्छियाँ भी ज्यादा अच्छी और सफाईसे बनाई हैं। मुझे विश्वास है कि सही लगनसे करनेपर तुम ज्यादा बारीक, ज्यादा मजबूत और ज्यादा एकसार सूत निकाल सकोगी। आशा है, अब रईकी बर्वादी भी कम होगी और चरखा बिगड़ जानेपर अब तुम उसे ठीक भी करना जानती होगी। मुझे आशा है कि तुम भी अपने जापानी मित्र जितनी ही खुश हो। तुम्हे जानकर आश्चर्य होगा कि वर्षों पहले, दक्षिण आफ्रिकामे जब मैंने अपने हाथो अपने बाल काटे तो ऐसा लगने लगा कि जैसे उन्हें चूहोने कुतरा हो। मेरे वकील मित्रोने मेरा खूब मजाक बनाया। लेकिन मैं उनके मजाकको बर्दाश्त कर गया, और अगली बार ज्यादा अच्छी कटाई कर सका। यही हाल तब हुआ जब मैंने कमीजो और कालरोपर लोहा किया। मैं यह घटना तुम्हे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम अपना प्रयोग दोहराओ। तुम्हे अपने बाल किसी ऐसे नाईसे कटवाने चाहिए जिसे नियत वेतन मिलता हो, भले ही वह कितने ही सर मूँडता हो।

सप्रेम,

बापू

[ अग्रेजीसे ]

स्पीगल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

## ३०२. पत्र : एम० बापी नीडुको

२६ नवम्बर, १९३३

प्रिय बापी नीडु,

कृपया सब कार्यकर्त्ताओंसे कहें कि मैं आन्ध्रदेशसे बड़ी-बड़ी चीजोंकी आशा रखता हूँ, मोटी-मोटी रकमोंकी ही नहीं बल्कि बहुत सारे गुद्ध हृदय और आत्म-त्यागी हरिजन-सेवकोंकी भी।

हृदयसे आपका,  
बापू

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ६-१२-१९३३

## ३०३. पत्र : जमनालाल बजाजको

रायपुर

२६ नवम्बर, १९३३

चि० जमनालाल,

तुम्हारा पत्र मिला। लक्ष्मीदासने जो लिखा है वह आनन्दीके कहनेपर लिखा जान पड़ता है। तुम्हें स्मरण है न कि आनन्दीको नाम भी मालूम हो गया था। लेकिन हमें उसकी चिन्ता नहीं। लक्ष्मीदास किसी बातका अनर्थ करेगा, सो बात नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि तुमने नाम प्रकट नहीं किया।

गहदके वारेमे द्वारकानाथको लिखा है। किसीके हाथ जहाँ भी आसानीसे गहद भिजवाया जा सके वहाँ शहदकी बोटल भेजनेको मैंने लिखा है।

जबलपुरमें ५ तारीखको कार्यसमितिकी बैठक होगी, ऐसा जवाहरलालने लिखा है। लगता है कि उसे तुम्हारे बैठकमें भाग लेनेकी उम्मीद है। क्या तुम्हारा आनेका मन है? यदि न आनेका मन हो तो काम चला लूंगा। इच्छा हो तो अवश्य आना। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें ७ तारीखके बदले वहाँसे ३ या ४ तारीखको रवाना होना-पड़ेगा। वहाँके तुम्हारे इतने दिन खराब जाये, यह बात मुझे निःसन्देह पसन्द नहीं है।

मथुरादास कल यहाँ आ रहा है। वह क्यों आ रहा है, सो मालूम नहीं। मैं देखता हूँ कि ओमकी बुद्धि बहुत तेज है। सादी तो वह है ही, शरीर भी अच्छा है। उसे सब-कुछ अच्छा लगता है। मैं उसे थोड़ा-थोड़ा लिखनेका काम

भी देता हूँ। वह मेरे बगलमे ही सोती है। उसकी सोनेकी शक्ति भी बहुत है। वह सबकी प्यारी बन गई है।

जानकी मैया कुछ शान्त हुई है या नहीं? क्या कमलाका कामकाज ठीक चल रहा है? धूमती-फिरती है? मदालसा<sup>१</sup> और वत्सला<sup>२</sup> अपना समय कैसे व्यतीत करती है? इसके साथ मैं मणिलालका महत्त्वपूर्ण पत्र भेज रहा हूँ। इसे फाइलमे लगा लेना। इसमे गोसेवा सघके बारेमे लिखा गया है और आभूषणोकी सूची दी हुई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९२७) से।

### ३०४. पत्र : रमाबहन जोशीको

२६ नवम्बर, १९३३

चि० रमा,

मुझे पत्र लिखा जा सकता है। अब [तुम] वहाँ कैसे रहती हो — मानसिक और शारीरिक रूपसे? क्या हाथ तकलीफ देता है? विमु<sup>३</sup> कैसी है? क्या धीरूके पत्र आते हैं? नानाभाईका पत्र मिला होगा। चिन्ताका कोई कारण नहीं।

निर्मला जोशी<sup>४</sup> का पता क्या है?

छगनलालका पत्र मिला क्या? उसे मेरा लम्बा पत्र मिला अथवा नहीं, सो जाननेके लिए उत्सुक हूँ। विमुसे लिखनेके लिए कहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३५८) से।

१. जमनालाल बजाजकी लडकी, श्रीमन्नारायणकी पत्नी।
२. वत्सला दास्ताने।
३. रमाबहन जोशीकी पुत्री, विमला।
४. केवलराम भीमजी जोशीकी पत्नी।



## ३०५. पत्र : प्रेमावहन कंटकको

२६ नवम्बर, १९३३

चि० प्रेमा,

तेरे बारेमें सुशीला समाचार देती रहती है। दूसरोसे भी मालूम होता रहता है। मेरा पत्र तुझे मिल गया है, यह बहुत अच्छा हुआ। तूने क्या-कुछ खोया अथवा पाया, इसका सही अन्दाज तो तू बाहर निकलनेपर ही कर पायेगी। पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुभव अमूल्य है।

तेरे कार्यक्रमको मैं समझ सका हूँ। तू अपनी तन्दुरुस्तीको बनाये रख सकी है, यह बहुत अच्छी बात है। इसकी चाबी तेरे हाथ थी और मैं देखता हूँ कि इसका तूने उचित उपयोग किया है।

हरिजन सेवाके बारेमें क्या लिखूँ? चल रही है। मैं लोगोंके असीम प्रेमका अनुभव कर रहा हूँ। मेरा शरीर भी खासा योगदान दे रहा है। मेरा वजन ११० पौंड तक गया है। यह कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है। चन्द्रशंकर महादेवकी स्थानपूर्ति करनेका महान् प्रयत्न कर रहा है। मीरावहन तो यहाँ है ही। और रामनाथ है, जिसे तू नहीं जानती। इनके अलावा जानकीवहनकी ओम है। वह बहादुर लडकी है और उसकी बुद्धि भी सुन्दर है। ईश्वरने उसे सेहत भी अच्छी दे रखी है।

अब ज्यादा लिखनेका समय नहीं है। अन्य अनेक पत्र लिखने हैं। मैं अधिकांश पत्र-व्यवहार मौनमें ही कर सकता हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३५२) से। सी० डब्ल्यू० ६७९१ से भी; सौजन्य : प्रेमावहन कंटक

## ३०६. पत्र : द० बा० कालेलकरको

२६ नवम्बर, १९३३

चि० काका,

तुम्हे जी-भर कर लिखा जा सके, ऐसी फुरसत मुझे मिल ही नहीं सकती।

. . . का पत्र देखकर मैं हक्का-बक्का रह गया। क्या वह सचमुच पागल है? वह महिला बलात्कारके वश हो गई, ऐसा मानते हुए ही मुझे सकोच होता है, हालाँकि यह सम्भव है कि इसमें उसकी इच्छा न हो। और यद्यपि सच ही यह बलात्कार ही हो तो भी गर्भपात तो नहीं कराया जा सकता। उस महिलाको प्रेमपूर्वक वच्चेका पोषण करना चाहिए। हाँ, वह पतिसे अवश्य दूर रहे।

. . .

तुम्हारे दाँतका क्या हुआ ?

क्या तुम्हे अभी भी कमरमे दर्द होता है ?

खगोलकी तीन पुस्तके पहुँच गई है।

बाकी तो तुम्हे चन्द्रशकर लिखते ही होंगे।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९४७५) से, सौजन्य द० बा० कालेलकर

## ३०७. पत्र : विद्या आर० पटेलको

२६ नवम्बर, १९३३

चि० विद्या,

अब तू कैसी है? मासिक-धर्म ठीक होता है? दस्त साफ होता है? स्नाव होता है? रावजीभाईके पत्र आते हैं क्या? क्या खाती है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६३५) से, सौजन्य रवीन्द्र आर० पटेल

१. नाम नहीं दिया गया है।

२. यहाँ एक अनुच्छेद दिया नहीं गया है।

## ३०८. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको

२६ नवम्बर, १९३३

चि० विद्या,

तुमारा खत मिला। आनंदको बहुत कम जेल मिली। उसको मेरे आशीर्वाद भेजो। श्वसुरका कुछ खत आया? संकोच छोड़ देगी तो कोई नोकरकी जरूरत नहीं रहेगी। तुमको तो ईश्वरने पैसेकी कुछ छुट दी है लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है ऐसी माताका क्या? आस्ते आस्ते स्वावलंबी बननेकी चेष्टा करो। महादेव भी उमरमें बढ़ता जाता है। थोड़े अरसेमें उसे बहुत मदद नहीं चाहियेगी। अब तो कुछ प्रबन्ध हो पाया है ऐसा द्वारकानाथजी लिखते हैं। मखन तो बनानी है ना? कुछ न कुछ सेवाका कार्य किया करो और सबको सगे समझ कर रहो। चिंता करना ही नहीं, तकलीफ पड़े तो मुझे शीघ्र लिखो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्म से; राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

## ३०९. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

२६ नवम्बर, १९३३

चि० ब्रजकृष्ण,

तुमारा खत मिला। मिलते ही मैंने दा० अनसारीको तार दिया। वे मिले होंगे। गीता पाठ सुनानेवाला कोई घरमें नहीं कोई बहारसे मिलता नहीं यह कैसी दयाजनक स्थिति। ऐसी हालतको पहुँचनेके लिये तुलसीदासजीने रामनाम स्पी गीता हमको दी है। रामनाम कण्ठ करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, एक वखत लेनेसे कण्ठ हो जाता है। उसे तो हमारे हृदयगत करना है। रामनाम ही तुमारे लिये सच्चा औषध ममजो। शरीर रहे तो कुटुंबके छोटे छोटे बालक-बालिकाओंको गीतापाठ सीखाना।

और क्या लिखूँ? तुमारा स्मरण प्रतिक्षण चलता है। सुपुत्र होनेका अधिकार तुमने तो ले लिया है मैं सुपिता कैसे बनूँ?

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४०२) से।

## ३१०. भाषण : राजकुमार कालेज, रायपुरमें<sup>१</sup>

२७ नवम्बर, १९३३

जब मुझे आपका निमन्त्रण मिला, तभी मेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि स्वागत-समिति मेरे लिए थोड़ा-सा समय निकाल सके, तो मैं यहाँके उन छात्रोंको कुछ उपदेश करूँ, जिन्हें शिक्षा समाप्त कर चुकनेपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भार अपने ऊपर लेना पड़ेगा। मुझे इसकी खुशी है कि स्वागत-समितितने इस समारोहके लिए घटेभरका समय निकाला। महोदय आपने मुझे यहाँ निमन्त्रित किया और इस प्रकार उन युवकोंसे कुछ कहनेका अवसर दिया जो आपके कृपापूर्ण सरक्षणमें हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे मेजबान शुक्लजी<sup>२</sup> को आपने पहले ही यह सन्देश भेजकर बहुत अच्छा किया कि मैं चाहूँ तो हिन्दुस्तानीमें भाषण कर सकता हूँ, पर अंग्रेजीमें भाषण करना अच्छा होगा। फिर मैंने जब आपको चिट्ठी लिखी, तब आपने जवाब दिया कि यहाँके बहुतसे छात्र हिन्दुस्तानी नहीं समझते। तब फौरन मैंने यह निश्चय किया कि अपने सामान्य नियमके विरुद्ध भी मैं अंग्रेजीमें ही भाषण करूँगा। आपके प्रिंसिपलने मुझे अपने भाषणके लिए अनजाने ही मसाला भी दे दिया। राजकुमारों, आप लोगोंको याद रखना चाहिए कि उत्तरोत्तर ज्ञान-वृद्धि और सच्चार-साधनोंके विकासके इस युगमें आप स्वयंको अपने अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे राज्योंकी सीमामें आबद्ध नहीं रख सकते। आपको अपना क्षेत्र व्यापक बनाना पड़ेगा और मुझे कोई सन्देह नहीं है कि परिस्थिति आपको ऐसा करनेको बाध्य करेगी। तो फिर सिर्फ अपने प्रान्तकी भाषा जाननेसे ही आपका काम न चलेगा, आपको यह भाषा भी सीखनी पड़ेगी, जिसका व्यवहार इस देशमें सबसे ज्यादा व्यापक रूपसे होता है। शायद आप लोगोंको यह मालूम न हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपमें से सबको यह मालूम नहीं है कि इस देशके २२ करोड़ स्त्री-पुरुष इतनी हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषाका ज्ञान रखते हैं कि उस भाषामें उन्हें जो-कुछ कहा जाये उसे वे समझ सकें और अपना भाव भी उस भाषामें व्यक्त कर सकें, चाहे उनकी हिन्दी टूटी-फूटी ही क्यों न हो। जैसी जिम्मेदारी आप लोगोपर आनेवाली है, वैसी जिम्मेदारीवाले किसी भी व्यक्तिका काम हिन्दी-जैसी व्यापक भाषा जाने बिना चलना सम्भव नहीं। हिन्दी भाषाके प्रति मेरे पागल प्रेमके पीछे भी ठोस कारण है। मैं अंग्रेजी भाषाका प्रेमी हूँ। किसी विदेशीके लिए जैसा सम्भव है वैसी अंग्रेजी मैं भी बोलना चाहूँगा और मैं अंग्रेजोंके साथ होड करना चाहूँगा। वर्षों अंग्रेजों और अंग्रेजी बोलनेवालोंके साथ रहनेसे ही मैं थोड़ी-बहुत अंग्रेजी सीख सका हूँ। सैकड़ों अंग्रेज स्त्री-पुरुष मेरे

१ यह भाषण हरिजन में "देशी नरेश और असुस्थिता" शीर्षकसे छपा था।

२. रविशंकर शुक्ल।

घनिष्ठ मित्र हैं। अतएव जब मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि हिन्दी सीखना आपका कर्तव्य है, तब आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि मुझे अंग्रेजीसे कोई द्वेष है। मैं प्रिंसिपल महोदय और अन्य अध्यापकोसे भी अनुरोध करता हूँ कि वे इसपर विचार करे कि देशी नरेशोके लिए हिन्दी जानना कितना जरूरी है, क्योंकि हिन्दी भाषाके द्वारा ही वे जन-साधारणके भारतको जान सकते हैं।

इसके साथ ही मैं अपने सन्देशके मुख्य मुद्देपर आता हूँ। जीवनके विविध क्षेत्रोंमें हमें अंग्रेजोका साथ होता है। अंग्रेज शासकोंकी नीति की आलोचना करनेके कटु कर्तव्यका पालन मुझे वार-वार करना पडा है। मैंने कभी अपने भाव छिपाये नहीं हैं। हृदयके सच्चे उद्गार मैंने प्रकट किये हैं। पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सैकड़ो अंग्रेज मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। अंग्रेजोके जो-कुछ अत्यन्त अमूल्य गुण हैं उन्हे मैं कभी भूल नहीं सकता। उनमें से एक गुण विशेष रूपसे मैं आपको बताता हूँ। इंग्लैंडमें बड़े-बड़े लोगोंके यहाँ जो घरेलू नौकर रहते हैं, उनसे उनका परिवारवालोके समान ही सम्बन्ध होता है। जब मैं उनके घर गया तो मुझे यह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि उनमें और उनके नौकरोंमें स्नेह-बन्धन है। वहाँ अस्पृश्यता नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, वह इंग्लैंडके सैकड़ो बड़े आदमियोके बारेमें विलकुल सच है। जहाँ-जहाँ मैं गया, वहाँ-वहाँ मुझसे नौकरका परिचय कुछ हीन प्राणियोंकी तरह नहीं बल्कि परिवारवालोंकी ही तरह कराया गया। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवनमें अंग्रेजोके इस गुणको ग्रहण करे। दुर्भाग्यवश हम लोगोकी यह धारणा है कि राजा राजा है और वह कभी साधारण लोगोके साथ हिलमिल नहीं सकता। इसीका यह दुःखद परिणाम है, भले ही आज यह कितना ही आवश्यक क्यों न हो, कि आप राज-कुमारोके लिए अलग स्कूल और कालेज बनाने पडते हैं। आप साधारण स्कूल-कालेजमें पढने जानेका साहस नहीं कर सकते। आपको शायद मालूम न हो कि सम्राट् एडवर्ड और वर्तमान सम्राट्—मैं गलत होऊँ तो कृपया सुधार दे—दोनोंने जल-सेनामें मामूली नाविकका काम किया था और उस पदपर रहकर पिता-पुत्र दोनोंने एक-नाविकके जैसी कठिनाइयाँ झेली थी। क्या आप भी वैसा करेंगे? आपको तो बहुत सहेज-सँभाल कर आराममें रखा जाता है और यह शिक्षा दी जाती है कि आपको ईश्वरने दैवी गुणोसे विभूषित किया है। आप विश्वास कीजिए कि आपमें और साधारण लोगोमें कोई अन्तर नहीं। अन्तर केवल इतना ही है कि आपको जो मौका मिलता है वह उन्हे नहीं दिया जाता। पर आपको जो अवसर मिले हैं, उनका यदि आप सदुपयोग न करें, तो ईश्वरके यहाँ आप दोषी ठहरेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षाका मुख्य अभिप्राय यही है कि आपमें जो गुण हैं उनका विकास हो। आप और मैं इस बातसे निश्चित ही सन्तोष प्राप्त कर सकते हैं कि हम सवमें अच्छा या बुरा बननेकी क्षमता समान रूपसे मौजूद है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप भारतके गरीबोकी पीड़ा समझना न सीखेंगे तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है।

इसके साथ स्वभावतः इस अस्पृश्यताके सवालपर आ जाते हैं। अस्पृश्यता जैसी बुराईको धर्मशास्त्र-सम्मत कहनेका जैसा दावा भारतके हिन्दू समाज द्वारा किया जाता

है वैसे दुनियामे अन्यत्र कही नही किया जाता। पर यदि आप अभी तक मुझसे सहमत है तो मैं आशा करता हूँ कि आप हरिजनको भी साधारण मानवसमाजका ही अभिन्न अंग समझेगे। आपको हरिजनको साथ भी अपनी एकताका अनुभव करना है। सम्भव है कि आपके माता-पिता इस बातको अस्वीकार करें कि अस्पृश्यता कोई बुरी चीज है। ऐसी स्थितिमे आपको प्रह्लाद जैसा सत्याग्रही बनना पड़ेगा। हिन्दू-धर्ममे जब प्राणि-मात्रको एक माननेकी शिक्षा दी गई है, तब मनुष्योको जन्मसे ऊँचा या नीचा मानना उसके अनुकूल हो ही नहीं सकता। ससारके सभी धर्मोको आज कसौटीपर कसा जा रहा है, विश्लेषणात्मक दृष्टिसे भी और साश्लेषिक दृष्टिसे भी। यदि हिन्दू-समाज अछूतपनको पकड़े रहेगा, तो इसमे सन्देह नहीं कि हिन्दू-धर्म और हिन्दुओका लोप हो जायेगा। मैं हिन्दू-धर्मको इसलिए मानता हूँ कि उससे मुझे पूरी शान्ति मिलती है और मैंने पाया है कि आज जैसी अस्पृश्यता प्रचलित है, उसके लिए उसमे कोई स्थान नहीं है।

मैंने यदि आपको अग्नेजोके गुण ग्रहण करनेको कहा है, तो अग्नेज मित्रोंके प्रति आदर रखते हुए मैं उनके दोपोसे वचनेको भी कहता हूँ। अमर सन्त-कवि तुलसीदासने अपने एक दोहेमे<sup>१</sup> बहुत गहरा सत्य कहा है। वह कहते हैं कि हमे हसोकी तरह वनना चाहिए, जो कि अच्छी बातोको बुरी चीजोसे अलग करके ग्रहण कर लेता है और बुराइयोको छोड देता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अग्नेजोके दो दुर्गुणोमे कभी न फँसे। एक है शराव पीना और दूसरा है धुडदौडके रूपमे जुआ खेलना। बहुतेरे अग्नेज इन दोनो चीजोसे घृणा करते हैं। मैंने देखा है कि इन दुर्व्यसनोकी बदौलत कितने ही अग्नेज परिवार बर्बाद हो गये हैं। बहुतेरे देशी नरेशोका भी इन दुर्गुणोके कारण सर्वनाश हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन दोनो दुर्गुणोसे वचना सीखेगे।

[ अग्नेजीसे ]

हरिजन, ८-१२-१९३३

१. जड चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार।

संत हंस गुन गहर्हि पय परिहरि वारि-विकार ॥

दोहेके पाठके लिए देखिए खण्ड ३४, पृष्ठ ५९४।

## ३११. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

२७ नवम्बर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

यह रहा गासावीका पत्र। मैं उन्हें लिख रहा हूँ कि मुझे पार्टीके मामलेमें कोई ऐतराज नहीं है बशर्ते कि उसे कांग्रेस पार्टी नहीं माना जाता और यह कि उन्हें हर हालतमें तुम्हारी सलाह लेनी चाहिए।

मैं देखता हूँ कि ५ दिसम्बरको हमें जवलपुरमें मिलना है। यदि तनिक भी सम्भव हुआ तो मैं अधिक समय देनेकी कोशिश करूँगा।

क्या मैंने तुम्हें मध्य-प्रान्तका कार्यक्रम नहीं भेजा है? अवतक उससे ज्यादा तैयार भी नहीं था।

तो तुम धीरे-धीरे शेरों तथा ऐसी ही अन्य चीजोंके भारसे मुक्त हो रहे हो। मुझे इसका दुःख नहीं है। मेरी दृष्टिसे तो आदर्श बात यह होगी- कि तुम्हारे पास जितनी सम्पत्ति है उसे तुम स्वेच्छया या तो किसी संस्थाको दे दो या फिर परिवारके उन सदस्योंको दे दो जो लड़ाईमें नहीं पड़ना चाहते। यह लड़ाई लम्बी चलनी है और शायद बराबर तेजतर ही होती जायेगी। आखिरी लड़ाईमें केवल वे ही खड़े रह सकेंगे जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं होगी और सर टेकनेका कोई ठौर नहीं होगा। लेकिन भविष्यके बारेमें चिन्ता करनेकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी हो, तुम तो सबसे आगे ही रहोगे।

मुझे खुशी है कि माँकी हालत बराबर सुधर रही है। पता नहीं जो-कुछ हो रहा है उससे वह अवगत भी हैं या नहीं।

हाँ, हिन्दू सभाकी जो तुमने आलोचना की थी, वह मैंने पढ़ी तो थी। यह जरा कम तीखी हो सकती थी। उसका सारांश पढ़नेपर तो ऐसा लगता था जैसे तुम्हारा रुख पक्षपातपूर्ण था।

सप्रेम,

बापु

[पुनश्च :]

तारीखें तुम्हें साथमें लगे कार्यक्रममें मिल जायेंगी।

[अंग्रेजीसे]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## ३१२. पत्र : दुनीचन्दको

२७ नवम्बर, १९३३

प्रिय लाला दुनीचन्द,

उत्तर देनेमें विलम्बके लिए क्षमा कीजिएगा। जब मैं आपके जिलेमें यात्रा करूँगा उस समय मैं ऐसा कोई और घर नहीं जानता जहाँ मुझे आश्रय मिलेगा। और फिर, आप अपनी कमेटी तो स्वयं ही होंगे इसलिए आपके जिलेमें मेरा भाग्य क्या होगा, इसका निर्णय तो आप ही करेंगे।

यह एक ही पत्र आप और श्रीमती दुनीचन्द दोनोंके लिए मानकर मैं कुछ पैसे बचा रहा हूँ। उनको मेरे सग यात्रा करनेकी खुली छूट होगी। उन्हें बता दीजिए कि हमारा दल पहलेसे ही खूब बड़ा है और जिस घरमें हम जाते हैं वहाँ टिड्डियोंकी तरह टूट पडते हैं।

हृदयसे आपका,  
मो० क० गांधी

लाला दुनीचन्द  
कृपा निवास  
अम्बाला सिटी  
(पंजाब)

अग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एम० ५५८४) से।

## ३१३. पत्र : दूधीबहन वी० देसाईको

२८ नवम्बर, १९३३

चि० दूधीबहन,

तुम्हारा पत्र मिला — मैं इसकी बाट जोह ही रहा था। तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है? मैं देखता हूँ कि अन्य आश्रमकी लडकियाँ भी वही हैं। वे कौन-कौन हैं? उन सबकी देखभाल करना।

क्या तुम कुछ लिखती-पढती हो?

वर्धाका पता पीछेकी ओर देखो।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३१८८) से, सौजन्य . बालजी गो० देसाई



## ३१४. पत्र : महेन्द्र देसाई और सुदर्शन देसाईको

२९ नवम्बर, १९३३

चि० मनु और मावो,

तुम दोनोंके पत्र मिले। मैं तुम लोगोकी लिखावटसे अभी सन्तुष्ट नहीं हूँ। अक्षर सुधारो तो अच्छा होगा। मुझे पत्र लिखा करना। दौरेमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि यदि तुम लोगोके साथ धूमता होता तो कितना अच्छा होता। छोटे वच्चोंको लेकर चलनेमें मुझे निश्चय ही आनन्द होता है, और वह भी दाण्डी यात्राकी तरह पाँव-प्यादे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३१६२) से; सौजन्य : वालजी गो० देसाई

## ३१५. प्रत्येक सवर्ण हिन्दू याद रखे'

प्रत्येक सवर्ण हिन्दू याद रखे कि २५ सितम्बर, १९३२ को वम्बईमें पंडित मदनमोहन मालवीयकी अध्यक्षतामें इसके प्रतिनिधियोंकी जो सभा हुई थी उसने निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास किया था :

यह सम्मेलन निश्चय करता है कि अब आगेसे हिन्दुओंमें किसी व्यक्तिको उसके जन्मके कारण अस्पृश्य नहीं माना जायेगा, और जिन लोगोंको अभीतक अस्पृश्य माना जाता रहा है उन लोगोंको सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक स्कूलों, सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओंका उपयोग करनेके मामलेमें वे ही अधिकार प्राप्त रहेंगे जो अन्य हिन्दुओंको प्राप्त है। इस अधिकारको पहला अवसर मिलते ही कानूनी मान्यता प्रदान की जायेगी, और स्वराज्य मिलनेसे पहले ही यदि इसे कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त हो चुकी होगी तो स्वराज्य संसद सबसे पहले कानूनोंमें से एक कानून इस सम्बन्धमें बनायेगी।

यह भी स्वीकार किया जाता है कि इस समय तथाकथित अस्पृश्य जातियोंपर जो परम्परागत सामाजिक नियोग्यताएँ लदी हुई हैं, जिनमें कि

१. इस लेखको हरिजन के ८, २२ और २९ दिसम्बरके अंकोंमें भी प्रकाशित किया गया था। देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ १४८-९ भी।

मन्दिर-प्रवेश सम्बन्धी निषेध भी शामिल है, उन्हें प्रत्येक वैध और शान्तिपूर्ण तरीकेसे शीघ्र ही हटवाना सभी हिन्दू नेताओंका कर्तव्य होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-१२-१९३३

## ३१६. टिप्पणियाँ

स्यालकोटके स्व० लाला गंगाराम

एक मित्रके पत्रसे मुझे स्यालकोटके लाला गंगारामके स्वर्गवासकी खबर मिली है। वे ६० वर्षकी अवस्थामे इसी ४ नवम्बरको एकाएक दिलकी धडकन बन्द हो जानेसे परलोक सिंघार गये। १९१९ मे लाहोरमे स्वर्गीय रामभजदत्त चौधरीके मकानपर उनसे मिलनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मुझसे उनका परिचय एक हरिजन-कार्यकर्त्ताके रूपमें कराया गया था। हरिजन-सेवाके अर्थ उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया था। उन्होंने हरिजनोकी नई बस्तियाँ बसवाई थी। हरिजन-कार्यको निश्चय ही उनके निधनसे हानि पहुँची है। स्वर्गीय लाला गंगारामके कुटुम्ब तथा उनके प्यारे हरिजनोके प्रति मैं सवेदना प्रकट करता हूँ।

बर्बादी न की जाये

जो कोई चाहे उसे फूलोकी माला और गुलदस्ते भेंट करनेका अवसर देकर स्वागत समितियाँ इस आदतको प्रोत्साहित करती रही हैं। मेरा जो दौरा दलितसे-दलित लोगोंकी सेवाके लिए शुरू किया गया है, उसमे इस तरहकी भेटोसे समय और धन दोनोंका ही अपव्यय-सा हो रहा है। अगर मालाएँ भेंट करनी ही हैं तो वे सूतकी समूची लच्छियोंके रूपमे हों, जिससे वे बुननेके काममे तो आ सके। बहुत-से हरिजन जुलाहे हाथके कते सूतके अभावमे वेकार बैठे हैं। वे मिलके कते सूतको नहीं बुनते। सबसे अच्छा तो यह होगा कि हार पहनाये ही न जाये और जहाँ बिना हारोके स्वागत-सत्कार अधूरा समझा जाये, वहाँ उन हारोके साथ पैसे भी रहे। वण गाँवसे हारोके साथ-साथ रुपये-पैसे देनेकी प्रथा चल पडी है, और अबतक दानकी जो रकम प्राप्त हुई है उसमे इस प्रकारकी भेंटके कई सौ रुपये शामिल हैं। इस देशमे भूखे तथा तिरस्कृत लोगोके हाथमे एक पैसेका क्या अर्थ होता है, जनताको इसका विचार करना चाहिए। उड़ीसाके बेचारे बाढ-पीड़ित भूखे लोगोके लिए दानमे प्राप्त धनसे प्रत्येक व्यक्तिको कुछ भोजन मिलता है। जिन्हें सन्देह हो, वे हरिजनोके रहनेकी शोपडियाँ देख ले। वे हिंजनघाटमे जाकर नीचाईमे बसी हुई हरिजन-बस्ती देखें, जहाँ बरसातके दिनोमे गुजारा करना लगभग असम्भव है। तब वे यह बात समझ सकेंगे कि हरिजनको दिये हुए एक-एक पैसेका कितना बड़ा मूल्य है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जनता अपना एक-एक पैसा बचाये और हरिजनोके

निमित्त मुझे दे दे। सर्वर्ण हिन्दुओंपर हरिजनोंका बड़ा भारी ऋण चढ़ा हुआ है। यह दान उस भारी कर्जकी आंशिक अदायगी-स्वरूप होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-१२-१९३३

### ३१७. स्कूलकी पुस्तकें

इसमें तो मुझे कोई सन्देह ही दिखाई नहीं देता कि सार्वजनिक स्कूलोंमें जो पुस्तकें, खास तौरपर बच्चोंकी पुस्तकें, पढ़ाई जाती हैं वे चाहे हानिकर न होती हो, लेकिन ज्यादातर बेकार होती हैं। इस बातसे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें से बहुत-सी किताबें चतुराईसे लिखी होती हैं। यह भी हो सकता है कि जिन लोगोंके लिए और जिस वातावरणको ध्यानमें रखकर वे लिखी गई हो उस दृष्टिसे वे उत्तम हों। लेकिन वे भारतीय बालक-बालिकाओंके लिए नहीं लिखी गई हैं और न ही भारतीय वातावरणको ध्यानमें रखकर लिखी गई हैं। इस प्रकारसे लिखी गई पुस्तकें सामान्यतः बिना सोचे-समझे की गई नकल मात्र होती हैं, जिनसे विद्यार्थियोंकी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होतीं। इस देशमें, प्रान्तों और वर्गोंके अनुसार बच्चोंकी आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरणके तौरपर, हरिजन बच्चोंकी आवश्यकताएँ, कमसे-कम प्रारम्भिक अवस्थाओंमें, दूसरे बच्चोंसे अलग होती हैं।

इस कारण मैं तो इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि विद्यार्थियोंकी वनिस्वत शिक्षकोंके लिए पुस्तकें ज्यादा जरूरी हैं। और प्रत्येक शिक्षकको, यदि वह अपने विद्यार्थियोंके साथ पूरा न्याय करना चाहता है तो, उपलब्ध सामग्रीसे दैनिक पाठ तैयार करना होगा। इसे भी उसे अपनी कक्षाकी विशेष आवश्यकताओंके अनुकूल बनाना होगा।

सच्ची शिक्षाका काम पढ़ने-लिखनेवाले लड़कों और लड़कियोंके उत्तम गुणोंको विकसित करना है। यह काम विद्यार्थियोंके मस्तिष्कमें अनापगनाप और अनचाही जानकारी ठूस देनेसे नहीं हो सकता। इस तरहकी जानकारी एक बोझ बन जाती है जो बच्चोंकी सारी मौलिकता नष्ट कर देती है, और उन्हें यन्त्रबत बना देती है। अगर हम स्वयं इस प्रणालीके शिकार नहीं होते तो हम बहुत पहले ही यह अनुभव कर लेते कि सामूहिक शिक्षा देनेके मौजूदा तरीकेने कितना अनिष्ट किया है, विशेषकर भारतके मामलेमें।

वेशक बहुत-सी संस्थाओंने कम-ज्यादा सफलताके साथ अपनी पाठ्य-पुस्तकें खुद तैयार करनेके प्रयत्न किये हैं। लेकिन मेरी रायमें तो इन पुस्तकों द्वारा इस देगकी अत्यावश्यक जरूरतोंकी पूर्ति नहीं होती।

मैंने जिन विचारोंका यहाँ प्रतिपादन किया है उनके मौलिक होनेका मैं कोई दावा नहीं करता। उन्हें यहाँ हरिजन स्कूलोंके व्यवस्थापकों और शिक्षकोंके लाभके लिए दोहराया गया है, जिनके सामने एक जबरदस्त काम करनेको पड़ा है। वे महज इस प्रकारके यान्त्रिक कार्यसे सन्तुष्ट नहीं हो सकते जिसमें कि उनकी देखरेखमें

पढ़नेवाले बच्चे चाहे जैसी चुनी हुई पुस्तके बेमनसे और तोतेकी तरह सीखे। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारीका काम हाथमे लिया है जिसे उन्हें साहस, बुद्धि और ईमानदारीके साथ पूरा करना है।

काम काफी मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है, बशर्ते कि शिक्षक या व्यवस्थापक इस काममे अपना पूरा दिल लगा दे। यदि वह अपने विद्यार्थियोंके लिए पितावत बन जाये तो वह सहज ही जान लेगा कि उनकी आवश्यकताएँ क्या हैं, और वह उन्हें पूरी करनेमे लग जायेगा। अगर उसमे वह देनेकी योग्यता नहीं है जो बच्चोंके लिए आवश्यक है, तो वह वैसी योग्यता प्राप्त करनेकी कोशिश करेगा। और यह देखते हुए कि हमने शुष्मात इस खयालसे की है कि लड़के-लड़कियोंको उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा दी जानी है, हरिजन बालको अथवा अन्य बच्चोंके शिक्षकमे किसी असाधारण चतुराई अथवा बाह्य ज्ञानका होना जरूरी नहीं है।

और अगर इस बातको ध्यान रखा जायेगा कि सारी शिक्षाका मूल उद्देश्य विद्यार्थियोंके चरित्रका निर्माण करना है अथवा होना चाहिए, तब जिस शिक्षकके पास चरित्र है उसे तो हिम्मत हारनेकी जरूरत ही नहीं है।

[ अग्नेजीसे ]

हरिजन, १-१२-१९३३

### ३१८. नरक नहीं, महानरक

उड़ीसाके एक हरिजन-सेवकने बालासोर जिलेमे भद्रकके समीपकी कुछ हरिजन वस्तियोंको देखनेके बाद उनका बड़ा सजीव वर्णन मेरे पास भेजा है ।

यदि मलेरिया, प्लेग और हैजा हमेशा हमारे यहाँ डेरा डाले रहते हैं तो भला क्या इसमे कोई अचरजकी बात है? जबतक हम समाजके इस उपयोगी वर्गकी उपेक्षा करते रहेगे, गन्दीसे गन्दी जगहोमे उन्हें रखेगे और जबतक इस अस्पृश्यता-रूपी राक्षसीके कारण उन्हें उनके काम-धन्धोको उचित और अच्छे तरीकेसे करने की शिक्षा नहीं देगे, तबतक इन बीमारियोंसे बचना असम्भव है। देशके तमाम कार्यकर्त्ताओंको मेरी सलाह है कि जहाँ कहीं वे ऐसा 'नारकीय स्थल' देखे, उसे नेस्तनाबूद करनेकी वे जी-तोड़ कोशिश करें। यह देखकर, कि यह तो एक भगीरथ कार्य है, हमे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति सामने आये कामको लगनके साथ करे तो स्थिति अपने-आप सुधर जायेगी। इसलिए मैं भद्रकके हरिजन-सेवकोको सलाह दूंगा कि वे

१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। पत्र-लेखकने हरिजनोंकी वस्तीकी दुर्दशा, वहाँकी गन्दगी, दुर्गन्धपूर्ण वातावरण और वरसातके पानीसे भरी गलियों और चारों ओर फैली कीचड़का सविस्तर चित्रण करते हुए गांधीजीके २३-९-१९३३ वाले "एक और नरक" शीर्षक लेखका जिक्र किया था और लिखा था कि यदि आप यह वस्ती देख लें तो आप इसे 'महानरक' बतायेंगे।

वस्तीके सुधार की एक सादी-सी योजना और बजट तैयार करके यहाँके व्यापारियोंके पास ले जायें और समतल जमीनको ठीक करके वे पन्द्रह घरोंको नये सिरेसे बना डाले। इसमें कुछ बहुत खर्च नहीं होगा। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि अगर उचित प्रयत्न किया जायेगा, तो योजनाको कार्यरूप देने लायक पैसा वे जमा कर सकेंगे। दानियोंको मालूम होगा कि वे अपने दानके पैसेको एक स्वास्थ्य-वृद्धिकारी काममें लगा रहे हैं। यह तो उनके लिए अपने घरके आँगनको व्यवस्थित करनेके समान होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १-१२-१९३३

### ३१९. पत्र : चल्लभभाई पटेलको

इटारसी

१ दिसम्बर, १९३३

भाईश्री चल्लभभाई,

इटारसीकी धर्मशालामें सवेरे सवा तीन बजे मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। मीरा-बहन मुंह घोने गई हैं। बादमें प्रार्थना होगी। उसके तुरन्त बाद करेलीके लिए ट्रेन पकड़नी है और वहाँसे हमें अनन्तपुर जाना है। अनन्तपुरमें जेठालाल काम करते हैं। कल हम बैतूलमें थे और वहाँसे ट्रेन द्वारा इटारसी आकर सभा की और धर्मशालामें नाये।

तुम्हारा पत्र मिला है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में जो-कुछ लिखा जा रहा है उसका हम कहां तक प्रतिरोध करें? तथापि मुझे जो सूझता है वह तो मैं करता ही रहता हूँ। आजकल तो समाचारपत्र पढ़नेको कम ही मिलते हैं। हरिजनोंने हमारे इस कार्यको हरि (भगवान) देखते रहते हैं, मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है। जो शक्ति हर जगह से लाखों मनुष्योंको खींचकर ले आती है वही शक्ति झूठका भी पर्दाफाश करेगी। हम यदि कोई गफलत न करें तो समझो कि गंगा नहाये।

मुझे मालूम है कि तुम्हारी आत्मा हर समय मेरे साथ लगी रहती है। कौन जाने वही मेरी रक्षा नहीं करती हो? तुम्हारे हृदयमें माँ का प्रेम है, इस बातका अनुभव क्या मैंने यरवडामें प्रतिक्षण नहीं किया? तुम्हारे पत्रोंमें भी तुम्हारा यह गुण जहाँ-तहाँ लक्षित होता है, और यह गुण सर्वव्यापी है, यह भी मैंने देखा है। और इसीलिए तुम वहाँ बैठे-बैठे सावधानीपूर्वक हम सभीकी देखभाल करते ही रहते हो।

मेरी चिन्ता न करना। जो हो रहा है, उसकी चिन्ता भी न करना। यह भगवानका कार्य है। "विगरी कौन सुधारे नाथ (बिन) विगरी कौन मुधारे।"

१. जेठालाल गोविन्दजी सम्पत्त। देखिए "अनन्तपुरमें मैंने क्या देखा?" १५-१२-१९३३।

अब हम ट्रेनमे है। मैं समझता हूँ कि नाककी तकलीफके लिए जो उपचार करना जरूरी होगा सो तुम अवश्य ही करोगे।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-२ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ४९-५०

### ३२०. टिप्पणी : इटारसीकी धर्मशालाके सम्बन्धमें

१ दिसम्बर, १९३३

इस धर्मशालामे हम लोगोको आश्रय दिया गया इसके लिये हम सब सचालकोका आभार मानते है। यह जानकर कि स्वच्छतासे रहनेवाले हरिजनोको भी स्थान मिलता है बहुत हर्ष हुआ।

मो० क० गांधी

मध्यप्रदेश और गांधीजी, पृष्ठ ११७ पर प्रकाशित अनुप्रति से।

### ३२१. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

२ दिसम्बर, १९३३

चि० अमला,

तुम्हारा पत्र मिला। इसमे सत्यवादिता हे, इसलिए मैं इसे अच्छा कहता हूँ। मैं जानता था कि तुम अपने-आपको और मुझे धोखा दे रही थी। क्या अब तुम मुझे वताओगी कि तुम्हारी प्रकृतिकी क्या माँग है? यदि उसकी यही माँग हो कि तुम मेरे पास रहो, तो इसे सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता। यदि उसकी महज यह माँग हो कि तुम अध्यापन-कार्य करो और ऐसा जीवन व्यतीत करो जो अधिकांश यूरोपीयोके लिए स्वाभाविक है, तो मैं सफलताकी आशा रखते हुए तुम्हारी मदद करनेकी कोशिश करूँगा। जब जमनालालजी वापस लौटे तब तुम्हे उनके साथ सलाह करनी चाहिए। इस बीच तुम द्वारकानाथजीसे सलाह लो। तुम्हें स्थिरचित्त और बहादुर बनना चाहिए। मृत्युकी इच्छा करना कायरता है। तुम्हारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हे दबाकर रखना चाहता हो। तुमने अपने सामने कठिनाइयोका एक पहाड ही खड़ा कर लिया है। तुम्हे निश्चयपूर्वक अपना चुनाव करके उसपर अमल करना चाहिए।

अब सुबहके साढ़े तीन बजे रहे हैं। मैं हमेशाकी तरह सुबह ३ बजे उठता हूँ। हाथ-मुँह धोनेके बाद ही मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा और यह पत्र लिखने लगा। तुम्हें बुद्धिमान और आरवस्त बनना चाहिए।

सप्रेम,

वापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

### ३२२. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको

२ दिसम्बर, १९३३

चि० विद्या,

तमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। घूमनेके लिये जाती है? क्या खाती है? परीक्षाका लोभ छोड़ो लेकिन पढ़नेका लोभ मत छोड़ो। जो समय मिले उसमें हिंदी अच्छा बना लो। और हिंदी पक्का होनेसे इंग्रेजीपर जोर देना आज भी करो सही लेकिन प्रथम स्थान हिंदी को दो। दा० चोइतरामको मेरा खत मिल गया था? कुछ पता है?

वापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे; सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

### ३२३. भाषण : सागरमें

२ दिसम्बर, १९३३

यह मेरे तथा मेरे अनुष्ठान और हरिजन-सेवाकार्यके लिए एक शुभ लक्षण है कि मेरे लिए लोग इतनी बड़ी तादादमें आये हैं। मुझे विश्वास है कि वे वाकई हिन्दू समाजसे अस्पृश्यताके अभिशापको निकाल देना चाहते हैं। परमात्माकी आंगोंमें सब बराबर हैं और सबोंको सार्वजनिक कुओं, पाठशालाओं और मन्दिरोंके उपयोगमें समान अधिकार है। वर्तमान आन्दोलनका उद्देश्य आत्मशुद्धि है और किसीको अपनेको ऊँचा या नीचा नहीं समझना चाहिए।

भारतमें अस्पृश्यता जिस रूपमें प्रचलित है वैसे किसी दूसरे देशमें नहीं मिलती तथा 'मनुस्मृति' में भी इसका समर्थन नहीं किया गया है। मैं जातिगत नहीं हूँ। मैंने ५० सालका अनुभव है, और ऐसा भेदभाव मैंने कभी नहीं माना है।

सनातनियोंके एक लम्बे पत्रका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अधर्मका पालन नहीं किया है। अगर मैं ऐसा करता तो मैं ईश्वर, मनुष्य, दोनोंकी ही आँखोंमें दोषी ठहरता।

अगर मैं अकेला भी रह गया तो भी मैं इसी बातका उपदेश दूँगा।

आगे बोलते हुए उन्होंने श्रोताओंको यह सलाह दी कि आप सनातनियोंका अपमान न करे या उन्हें ठेस न पहुँचायें, बल्कि उन्हें वैसा ही प्यार करें जैसे माँ अपने बच्चेको प्यार करती है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब सनातनी भी मेरे साथ हो जायेंगे।

हरिजनोंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग सफाईकी आदत डालें तथा मुर्दार मांस खाना छोड़ दें और मद्य-पानका त्याग करे। उन्होंने ईश्वर-प्रार्थनाकी प्रभावकारितापर जोर दिया और हरिजनोंको रोज सवेरे हिन्दीमें प्रार्थना करनेकी सलाह दी, क्योंकि प्रार्थनाके लिए संस्कृतका ज्ञान कोई जरूरी नहीं है। गांधीजीने अपने ५० सालके अनुभवका उदाहरण सामने रखते हुए बताया कि किस प्रकार संकटके क्षणोंमें ईश्वरने मेरी मदद की है। उन्होंने कहा कि मन्दिरोंमें जानेके लिए आपको पहले स्नान करना चाहिए और साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

बाँम्बे क्रॉनिकल, ८-१२-१९३३

### ३२४. भाषण : जबलपुरकी सार्वजनिक सभामें

३ दिसम्बर, १९३३

यदि ऊँच-नीचके भेदको समूल नष्ट कर देनेका यह प्रयत्न सफल हो जाता है तो जीवनके सभी क्षेत्रोंमें इसकी स्वस्थ प्रतिक्रिया होगी और पूँजी और श्रमके बीच लड़ाई खत्म हो जायेगी और उसके स्थानपर दोनोंमें सहयोग और एकता स्थापित हो जायेगी।<sup>१</sup> यदि हमने अस्पृश्यताके विरुद्ध इस लड़ाईके सारे फलितार्थोंको समझ लिया है तो हमें यह जाननेमें कोई कठिनाई नहीं होगी कि जन्मपर आधारित अस्पृश्यता तो उस अभिशापके असह्य रूपोंमें से मात्र एक रूप है। वैसी स्थितिमें स्वतन्त्रता और साम्प्रदायिक एकताका जो लक्ष्य मुझे अत्यन्त प्रिय है उसको हम ज्यादा अच्छी तरह पूरा कर सकेंगे। इस आन्दोलनमें मेरा विश्वास दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि हम हिन्दू-धर्मसे अस्पृश्यता समाप्त करनेमें सफल हो जाते तो आज भारतमें जो हम वर्गों और सम्प्रदायोंके बीच लड़ाई देख रहे हैं वह खत्म हो जायेगी। हिन्दू और मुसलमानोंके बीच तथा पूँजी और श्रमके बीचका मतभेद समाप्त हो जायेगा। एक बार हृदय शुद्ध हो गये तो हार्दिक एकताकी स्थापनाके

१ स्थानीय श्रमिकसंघ द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दनपत्रमें यह पूछा गया था कि गांधीजी मजदूरोंकी दशा सुधारनेके लिए और उनको पूँजीपतियोंके शोषणसे बचानेके लिए काम क्यों नहीं करते।



मार्गमें जितनी कठिनाइयाँ हैं उनपर पार पाना सरल हो जायेगा। इस समय हम समस्याके जिस पहलूका सामना कर रहे हैं उससे लड़ाईकी सारी सम्भावनाएँ समाप्त नहीं हो जाती। आज हिन्दू-धर्ममे अस्पृश्यता जिस रूपमे प्रचलित है वह सारे पहलुओमे सबसे खराब है। धर्मके छद्म नामसे चलनेवाली अस्पृश्यताने मनुष्यके हाथो मनुष्यके पतनमें सबसे ज्यादा योग दिया है। मैं कह चुका हूँ कि अस्पृश्यता एक असख्य सिरोवाला दानव है जो विभिन्न आकृतियों और रूपोमे दृष्टिगोचर होता है, और इनमें कुछ तो इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें आसानीसे पहचाना भी नहीं जा सकता। अस्पृश्यताकी कई श्रेणियाँ हैं। अपने जीवनके सध्याकालमे जब मैंने इस सघर्षको हाथमें लिया और इस काममे अपनी पूरी ताकत लगा देनेका निश्चय किया, उस समय मैं इन सब फलितार्थोसे परिचित था।

सभी सच्चे स्काउटोंको मेरा आशीर्वाद है, ससारके बहुतसे भागोकी यात्राओके दौरान मैं हजारों ब्वाँय स्काउटोके सम्पर्कमे आया हूँ। सच्चे स्काउट बहादुर, दूसरेका ध्यान रखनेवाले, शिष्ट और होशियार होते हैं। उन्हें अपने कर्तव्यके प्रति पूरी तरह जागरूक होना चाहिए। देशके असंख्य मेलोमे जहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, वे व्यवस्था बनाये रखनेका काम करते रहे हैं। मैं यह भी चाहूँगा कि वे अपना कुछ समय हरिजनोंकी सेवामे भी लगायें। जो भी व्यक्ति हरिजनोके घरको मेरी आँखोसे देखेगा उसे विश्वास हो जायेगा कि जो लोग सेवा करनेके इच्छुक हैं और जिनमे इसकी क्षमता है उन लोगोके लिए वहाँ काम करनेकी काफी गुंजाइश है। इस काममें कोई असाधारण बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जिस एक चीजकी आवश्यकता है वह है हरिजनोके साथ तादात्म्य स्थापित करने की।

इस मार्गमे अड़चनोका कोई अन्त नहीं है, लेकिन एक भी अड़चन ऐसी नहीं है जिसकी कोई दवा न हो। किसी धार्मिक आन्दोलनकी तो खूबसूरती ही इस बातमे है कि इसकी प्रगतिमे बाधा डालनेवाली सारी कठिनाइयाँ अपने-आप दूर हो जाती हैं। ईश्वर स्वयं रास्ता साफ कर देता है। रास्ता तो वही दिखाता है, हम तो उसके हाथ की कठपुतलीमात्र हैं। यदि हम ईश्वर और मनुष्यके प्रति चले आ रहे इस युगो-पुराने पापके विरुद्ध लड़नेके लिए कमर कस ले तथा शास्त्रोने जो नियम निर्धारित किये हैं और पुराने ऋषियोने जिनका अनुसरण किया है, उन नियमोंका पूरी तरह पालन करें, तथा अपने इस काममे नम्रतापूर्वक ईश्वरसे सहायताकी प्रार्थना करें तो निश्चय ही ईश्वर हमपर कृपालु होगा। इन नियमोकी माँग है कि सत्य और अहिंसाका पूरी तरह पालन किया जाये तथा अधिकसे-अधिक त्याग और कष्ट-सहन किया जाये। यदि हममे ये सब चीजे हैं, और इससे भी ऊपर, अपने विरोधियोके लिए दयाकी भावना और सद्भावना है, तो कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, निश्चित ही दूर हो जायेगी।

[अग्नेजीसे]

हरिजन, १५-१२-१९३३

१. नेशनल ब्वाँय स्काउट्सने गांधीजीको एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया था।

## ३२५. तार : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

जबलपुर

४ दिसम्बर, १९३३

ब्रजकृष्ण चाँदीवाला  
कटरा खुशालराय  
चाँदनी चौक, दिल्ली

तुम्हारा तार और पत्र मिले। मैं अन्सारीसे सलाह-मशविरा कर रहा हूँ। ईश्वर तुम्हे सुखी रखे। बादमे तार दूँगा। सप्रेम।

बापू

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २४०३) से।

## ३२६. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

जबलपुर

४ दिसम्बर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

कल रात हम जबलपुर पहुँचे। अब ६३० वजे है। तुम्हारा पत्र कल कटनीमे मिला। मैं अनन्तपुरका काम देख आया हूँ। सब कुछ ठोस है, इसलिए उसकी गति धीमी है। जेठालाल जबरदस्त कार्यकर्ता है।

गोरधनभाई मेरे व्यवहारसे बहुत अप्रसन्न है। मैं उन्हें सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न तो कर रहा हूँ। उनका विचार विदेशमे पैसा खर्च करनेका है। मैंने वैसा करनेसे इनकार कर दिया है। बसीयतनामेके बारेमें अभी उन्होंने मुझसे पूछा नहीं है। यदि वे पूछेंगे तो तुमने जो लिखा है उसे मैं सहज ही याद रखूँगा। यह सब-कुछ विचित्र तो लगता ही है। लेकिन जो हमने सुना है यदि वैसा ही हुआ हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जो सच होगा वह सामने आ जायेगा। आज बड़े लोगोके आनेकी सम्भावना है। मैं देखता हूँ कि कल सब मिलेंगे। 'हमारे रहनेका प्रबन्ध अलग-अलग स्थानपर होगा। 'बुवाजी' भी आ रही है। कदाचित् अन्सारी भी आये।

ब्रजकृष्ण मृत्युशय्या पर है। उपवासके समय उन्होंने मेरी अनन्य भावसे सेवा की थी, यह बात तो तुम जानते ही हो। उनकी खबर लेता रहता हूँ। सेवा-शुश्रूषा हो रही है। डा० अन्सारीका तार मिला है कि कदाचित् वह बच जायेंगे।

१- जबलपुरमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिष्टिकी एक अनौपचारिक बैठक होनेवाली थी।

महादेवको साथी<sup>१</sup> मिलनेका समाचार तो मुझे तुमसे ही मालूम हुआ। (छगन-लाल) जोशी सानन्द है। वा की खबर कल यहाँ आनेके बाद ही मिली; ठीक हुआ।

हरिजन-सेवाका कार्य अच्छी तरहसे चल रहा है। अभीतक तो सब-कुछ ठीक ही चल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है।

तुम दोनोंको,

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

वापुना पत्रो—२ : सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ५०-१

### ३२७. पत्र : गोदावरीको

४ दिसम्बर, १९३३

चि० गोदावरी<sup>२</sup>,

आया हूँ तबसे तुमको मिलनेके लिये तरस रहा हूँ। प्रातःकाल मे मुझे राजेन्द्र-सिंहने<sup>३</sup> पूछा और मैंने ८ बजे आनेका कहला भेजा। लेकिन दिल चाहे तब आनेका तुमको पूरा अधिकार है।

बापूके आशीर्वाद

सी० डब्ल्यू० ९६७० से।

### ३२८. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

५ दिसम्बर, १९३३

चि० अमला,

यह पत्र सुबहकी प्रार्थनाके समयसे पूर्व लिखा जा रहा है। मुझे तुम्हारा अगला पत्र भी मिल गया है। मुझे खुश करनेके लिए तुम्हें मुझसे बाते छिपानी नहीं चाहिए या अस्वाभाविक काम नहीं करने चाहिए। खुश करनेका यह तरीका गलत होगा। विलकुल स्वाभाविक रहकर तुम मुझे ज्यादा खुश रख सकोगी। तुम्हारा अपना कमरा काफी अस्तव्यस्त है। तुम अपनी उँगलीपर ध्यान नहीं दे रही हो। अब जरूरी है

१. गिरधारी, जे० बी० कृपालानीके भाईके पुत्र।

२. सेठ गोविन्ददासकी पत्नी, जिन्हें १९३२ में गांधीजीने बेटीके रूपमें स्वीकार कर लिया था।

३. जबलपुरमें गांधीजी इनके अतिथि थे।

कि तुम चंगी हो जाओ। यदि तुम वहाँ अच्छी नहीं हो सकती हो तो तुम्हे पहाडपर चले जाना चाहिए।

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

### ३२९. भाषण : माण्डलाकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

६ दिसम्बर, १९३३

मैं कह चुका हूँ कि जो लोग इन सभाओंमें केवल इसलिए आते हैं क्योंकि वे मेरी राजनैतिक सेवाओंके प्रशंसक हैं, इसलिए नहीं कि वे अस्पृश्यता-निवारणमें विश्वास करते हैं, वे लोग स्वयं अपने-आपको और मुझे धोखा देते हैं। मैं ऐसी सभाओंमें केवल उन्हीं लोगोंको जानेका निमन्त्रण देता हूँ जो या तो इसके समर्थक हैं या विरोधी, और विरोधियोंको उसी हालतमें जबकि वे विरोध प्रकट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रति सच्चे रहे और यदि इस मामलेमें आप मुझसे सहमत न हो तो मुझे ठुकरा दे।

पंडितोंके दो दल हैं जिनकी शास्त्रोंकी व्याख्या एक दूसरेसे भिन्न है। वैसी हालतमें साधारण मनुष्यको ईश्वर-प्रदत्त अपने ज्ञानका उपयोग करके दोनोंमें से एकको चुनना पडता है।<sup>२</sup> मैंने देखा है कि अस्पृश्यता न तो बुद्धिको और न हृदयको ही ठीक लगती है। हृदयकी मूल प्रेरणा तो पापीके प्रति दया और सहानुभूति प्रकट करनेकी ही होती है। मन्दिर पापियोंके लिए बने हुए हैं जहाँ जाकर वे अपने पाप धो सकते हैं। एक मुक्त और निष्पाप प्राणीके लिए जो सर्वत्र ईश्वरके दर्शन करता है, मन्दिरोंका क्या उपयोग है? यदि आप ऐसा समझते हैं कि हरिजनोंकी आज जो दुर्दशा है वह उनके पिछले पापोंका फल है तो आपको यह मान लेना चाहिए कि उन्हें मन्दिरोंमें सबसे पहले पूजा करनेका अधिकार है। ससारके सभी धर्म-ग्रंथोंमें ईश्वरको पापियोंका रक्षक और उद्धारक कहा है।

शास्त्रोंमें अस्पृश्यताका उल्लेख एक विशेष अर्थमें है। मनमें उठनेवाले काम और क्रोध आदि बुरे विचार ही वास्तविक अस्पृश्य हैं। शास्त्रोंकी व्याख्या इस रूपमें

१. इससे पहले सभामें गांधीजीकी आज्ञासे एक सनातनी स्वामीका भाषण हो चुका था। उन्होंने अपने भाषणमें इस बातपर जोर दिया था कि गांधीजीको श्रद्धांजलि देनेके लिए जो असह्य लोग आते हैं वे उन्हें एक राजनीतिक नेता मानकर आते हैं, न कि इसलिए कि वे अस्पृश्यता-सम्बन्धी उनके विचारोंसे सहमत हैं।

२ जो मानपत्र भेंट किया गया था उसमें सुधारवादी शंकर तथा कर्मकाण्डी मण्डनसिंहके बीच हुए वाद-विवादका उल्लेख था जो प्राचीन विद्या-केन्द्र, महिष्मतीमें, जो अब माण्डलामें है, सम्पन्न हुआ था।

करना जिसमें कि आज हम जो भेदभाव बरतते हैं, वे शास्त्रसम्मत प्रतीत हों, शास्त्रोंका दुरुपयोग करना है। एक सच्चा धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपनेको पापी और इसीलिए अस्पृश्य मानेगा। हमने अपने अहंकारवश अबतक शास्त्रोंकी गलत व्याख्या की है, और जो चीज पाप है उसे धार्मिक सिद्धान्त का दर्जा दे दिया है। मैं अपनेको सच्चा सनातनी मानता हूँ, क्योंकि मैं सत्यको जिस रूपमें देखता हूँ उस रूपमें उसका पालन करनेके लिए यथाशक्ति जितना प्रयत्न कर सकता हूँ उतना करता हूँ। संसारमें विविधता तो निश्चित रूपसे है, लेकिन इसका अर्थ न तो असमानता है और न अस्पृश्यता ही। हाथी और चीटी एक जैसे नहीं हैं। किन्तु ईश्वरका कहना है कि उसकी आँखोंमें वे दोनों बराबर हैं। समस्त जीवोंमें भीतरी एकता व्याप्त रहती है। रूप अनेक है, लेकिन उनके अन्दर मौजूद आत्मा एक है। जहाँ ऊपरसे दिखनेवाली विविधतामें ऐसी सर्वग्राही मौलिक एकता अन्तर्निहित हो वहाँ ऊँच और नीचके भेद की गुंजाइश कैसे हो सकती है? यह एक ऐसा तथ्य है जिसमें आपका दैनिक जीवनमें पग-पग पर सामना होता है। सब धर्मोंका चरम लक्ष्य इस मूल एकताकी स्थापना है।

[अंग्रेजीमें]

हरिजन, १५-१२-१९३३

### ३३०. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

७ दिसम्बर, १९३३

कस्तूरबा गांधीको

मौ० क० गांधीकी ओरसे

बरबडा जेलके जेल-अधीक्षककी कृपापूर्ण अनुमति मिलने पर।

दा,

रणछोडभाईकी माफत भेजा पत्र तुझे मिल गया होगा। अपने स्वास्थ्यको बनाये रखना। तनिक भी चिन्ता न करना। कोई भी सोच-विचार करनेकी जरूरत नहीं। मेरे जीवनको ईश्वरके हाथ सौंप देना। ईश्वरके अलावा देखभाल करनेवाला दूसरा कौन हो सकता है? मेरी खुराक वही चलती है। सब जगह पेड़े तैयार होते हैं। ज्यादातर तो मैं उन्हें ले लेता हूँ। कभी-कभी इनकार भी कर देता हूँ। मीराबहन और ओम मेरी सेवा करती है। मीराबहन तो रात-दिन एक ही छुनमें रहती है। कहीं भी सभामें नहीं आती। मेरे लिए सब-कुछ तैयार रखनेमें ही अपना सन्य वितार्ता है। उसकी तवीयत ठीक रहती है। मुझे जुकान अवश्य हो गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। आज जबलपुरमें हूँ। यहाँ गोपीके माँ-बाप रहते हैं। मैं उनसे निहा, उसकी छोटी बहनसे भी मिला। गोविन्ददासका<sup>१</sup> घर भी यहीं है। ब्रजकृष्ण अभी

१. सेठ गोविन्ददास।

खासा बीमार है। उसे पत्र लिखवाना। प्रभावतीके पत्र आते हैं। अपनी खुराक ठीक रखना। कुछ मँगवाना हुआ तो रणछोडभाई अथवा चिमनलालकी मार्फत मँगवाना। तेरा मुंह और पैर कैसे है? तेरे साथ कौन रहता है? मुझे वर्धाके पतेपर पत्र लिखना। सब वहने आनन्दपूर्वक होंगी। अमतुस्सलामसे कहना कि मैंने उसे पत्र लिखा है। मणिको कहना कि मुझे लिखे। उम्मीद है, वह ठीक होगी।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना बाने पत्रो, पृष्ठ १-२

### ३३१. पत्र : नारणदास गांधीको

७ दिसम्बर, १९३३

चि० नारणदास,

चि० पुरुषोत्तमकी सगाईके वारेमे मेरी हरखचन्द और जीवनलालके साथ बातचीत हुई है। वे दूसरे सम्बन्धके लिए उत्सुक हैं और उनका आग्रह है कि फिलहाल मैं और कहीं रिश्ता करनेकी तजवीज न करूँ। इसलिए मैं और कोई तजवीज नहीं करता। मुझे लगता है कि हमें हरखचन्द की लडकीका हाथ अवश्य मिलेगा। तुम्हें इसकी जानकारी तो होगी ही। तुम्हारी याद बराबर मनमे रहती है। आशा है तुम सब कुशलपूर्वक होगे। मेरी गाडी तो ईश्वर चलाता ही रहता है। तुम सबको,

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/१)से। सी० डब्ल्यू० ८३९३ से भी; सौजन्य . नारणदास गांधी

### ३३२. पत्र : भाईलाल मोतीराम पटेलको

७ दिसम्बर, १९३३

भाई भाईलाल,

आपका पत्र मिला है। आप निष्ठापूर्वक हरिजनोकी सेवा कर रहे हैं, यह देखकर खुशी होती है। भगवान करे कि अन्त तक आपकी यही निष्ठा बनी रहे और आपकी सेवा फलीभूत हो।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३३००) से।

## ३३३. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

जवलपुर

७ दिसम्बर, १९३३

भाईश्री वल्लभभाई,

गोरधनभाईका मुझे एक बहुत ही लम्बा पत्र आया था उसे मैं सँभाल कर तो क्या रखता? उसमें मेरे दोषोंका ही निरूपण किया गया था और विठ्ठलभाईके गुणोंका बखान। मैंने उन्हें अत्यन्त स्नेहपूर्ण उत्तर दिया था। मुझे उसकी पहुँच नहीं मिली। मेरे पास जो रूपया<sup>१</sup> पड़ा हुआ है उसके सम्बन्धमें तो उन्होंने मुँह-जवानी कहलवाया था। उसके बारेमें मैंने मथुरादाससे कहा था कि उस धनका उपयोग विदेशोंमें तो किया ही नहीं जा सकता। तुमने देखा होगा कि अब उन्होंने मुझसे सार्वजनिक अपील की है। जो होना होगा सो स्वयमेव सामने आ जायेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं स्थितिको सँभाल लूँगा। तुम निश्चिन्त रहना।

मैं बा को पत्र लिखता रहूँगा। इस वार उसे जेल जाना अच्छा नहीं लगा। लेकिन ईश्वर निभा लेगा। ठक्करवापाने मुझे तुम्हारा पत्र दिखाया था। इसमें उनका तनिक भी दोष नहीं है। मुझे परेशानी से बचानेका वे भरसक प्रयत्न करते हैं। वे ऐसे लोगोंको मेरे पास आने ही नहीं देते जो मुझे परेशान करें। बहुत टालते हैं, लेकिन कुछ तो टाले भी नहीं टलता। हम अनुभवसे सुधार भी करते रहते हैं। इस बारेमें भी चिन्ता न करना। 'हरि करे सो होय।'

किशोरलाल वीमार पड़ गया है। अभी कुछ ठीक है। वह वम्बईमें है, उसे लिखना।

जीवराजकी<sup>२</sup> सेहतपर काफी असर हुआ है। वे माथेरानमें रगवी होटलमें हैं।

मथुरादास सभामें आया था।<sup>३</sup> अभी मेरे साथ है। दिल्ली तक साथ रहेगा। उसकी भी सेहतपर काफी असर हुआ है। उसकी पीठमें दर्द होता है। ज्यादा घूम-फिर नहीं सकता। आराम ले तो शक्ति आ जाये। ऐसा कहा जा सकता है कि सभामें लोगोंने बातें की और चलते बने। मौलाना साहब और डाक्टर मुझसे अनुरोध-पूर्वक कह रहे थे कि अब मुझे आग्रह छोड़ देना चाहिए। मैंने उन्हें धर्मसंकट बताया, इसपर वे शान्त हो गये। बातचीत बहुत विस्तारपूर्वक हुई। नरीमन को कुछ भान है, ऐसा मुझे नहीं लगा। मैंने कहा कि एक लिखता है "विदर इंडिया", दूसरा लिखता है "विदर कांग्रेस", तब यदि मैं "विदर नरीमन" लिखूँ तो यह अग्यथा

१. केन्द्रीय विधान सभाके अध्यक्ष होनेके नाते विठ्ठलभाईको जो वेतन मिलता था उसमें से हर महीने लगभग आधा वेतन वे गांधीजीके पास जमा करा देते थे। यहाँ गांधीजीका संकेत उसी अर्थमें ही भोज है।

२. डॉ० जीवराज मेहता।

३. कांग्रेस कार्यकारी समितिकी बैठकमें।

तो नहीं होगा न ? जवाहर तो जवाहर ही है। जमनालालजीके वारेमे तो मुझे लिखना ही क्या है ? उन्होने अपना वजन बढ़ा लिया है। स्वास्थ्य अच्छा है। चिखलदामे उनके स्वास्थ्यमे अच्छा सुधार हुआ है। लेकिन उनके कानकी हालत तुम्हारी नाक जैसी है। एक नकटा और दूसरा कानकटा। दुखडा किसके आगे रोया जाये ? लेकिन अब यदि इन्जेक्शनसे फायदा हो तो मुझे वताना। तुम नेति करना चाहते हो, यह बात तो मुझे पसन्द आई है। लेकिन सिखायेगा कौन ? मैं अपनेको उसका विशेषज्ञ मानता हूँ। क्या मुझे विशेषज्ञके रूपमे वहाँ नहीं बुलाया जा सकता ? यदि नेति करना ठीकसे न आता हो तो करते समय थोडा खून निकलता है। शुरू-शुरूमे सलाईका प्रयोग किया जाता है। तुम यह न करना। तुम्हारे लिए महीन कपड़ा ही काफी होगा। धीरे-धीरे करनेसे कोई परेशानी नहीं होती। कृष्णदास', महादेव और देवदासको मैंने ही सिखाया है। देवदासको खून निकलता था। इसका कारण जुदा था। इसलिए उसे छोड़ना पड़ा।

जानकीबहन जमनालालके साथ आई थी। रात दोनो लौट गये।

महादेवके पास गिरधारी गया है, यह बात तो मुझे तुमसे ही मालूम हुई थी। सुरेन्द्र और दरबारी<sup>२</sup> वर्धामे है। अब दोनो ठीक है। माधवजी<sup>३</sup> अभी-अभी रिहा हुए है। मुझसे मिलने आये है। आज कराडी जायेगे। वे चगे है। चन्द्रशंकर अपना काम बड़े अच्छे ढंगसे कर रहे है। काका और स्वामी चार-पाँच दिनोंके लिए माथेरान गये है।

मैं १० तारीखको दिल्ली पहुँचनेवाला हूँ।

दोनोंको —

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो—२ सरदार वल्लभभाईने, पृष्ठ ५१-३

### ३३४. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको

७ दिसम्बर, १९३३

चि० विद्या,

तुमारा खत मिला। सकोच नहीं रखनेका अर्थ यह है कि दूसरी बहनोके अथवा भाइयोके पास आवश्यक सेवा ले लेना।<sup>१</sup> यह काम हृदयकी नम्रतासे बन सकता है, लेकिन यह न बन सके वहा तक तो नौकरानी रखो। आस्ते आस्ते नौकरानीका महाविरा छोड़ दिया जाय और सब काम हाथसे किया जाय लेकिन यह शरीर

१. एक समय गाधीजीके सचिव।

२. सुरत जिलेके मध्य-निषेधक पारसी कार्यकर्ता।

३. माधवजी वि० ठक्कर।

४. देखिय " पत्र - विद्या आनन्द हिंगोरानीको ", २६-११-१९३३।



संपत्ति बढ़नेपर ही हो सकता है। ऐसा न समजो कि यह सब एकाएक करनेका मैं कहता हूँ। शक्ति अनुसार ही करनेकी बात है।

अब तो समजमे आया ना?

मुझे सब हाल लिखा करो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्म से, सौजन्य : राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

### ३३५. भाषण : लियोनार्ड थियोलाॅजिकल कॉलेजमें

जवलपुर

७ दिसम्बर, १९३३

मैं संसारके महान धर्मोंकी समानतामें विश्वास करता हूँ और मैंने शुरूसे ही दूसरे धर्मोंको अपना धर्म समझना सीखा है, इसीलिए इस आन्दोलनमे शामिल होनेके लिए दूसरे धर्मोंके अनुयायियोंको आमंत्रित करने और उनका सहयोग लेनेमे कोई कठिनाई नहीं है। यह तो मेरे स्वभावका एक अंग है। यह आन्दोलन तो मुख्य रूपसे तथाकथित उच्च वर्गोंके लोगोंके लिए प्रायश्चित्त करनेका आन्दोलन है। अपने ही समाजके जिस एक अंगके साथ उन्होंने जो अन्याय किये हैं, उसकी पीठपर जो सवारी की है, उस अन्यायके लिए अब उन्हें कीमत चुकानी है। यह आन्दोलन हिन्दू धर्मके नामपरसे इस शर्मनाक धब्बेको दूर करनेके लिए हिन्दू सुधारको द्वारा किया जानेवाला एक प्रयत्न है। मैं यह कहनेमे नहीं हिचका हूँ कि अगर अस्पृश्यता जिन्दा रही तो हिन्दू-धर्मका नाश हो जायेगा। इसका विकल्प यही है कि अस्पृश्यता समाप्त हो जाये और हिन्दू-धर्म शुद्ध रूपमे विकसित हो। अन्धविश्वासके अन्धकार और सुधारके प्रकाशके बीच होनेवाला यह संघर्ष जीवन-मरणका संघर्ष है। यदि हिन्दू-धर्ममे यह सुधार हो जाता है तब मुझे इस बातमे तनिक भी शंका नहीं है कि यह केवल भारतकी सभी जातियोंकी ही नहीं, बल्कि समस्त मानवजातिकी सेवा होगी। मैं इस सुधारको लानेके लिए किसी प्रकारकी जोर-जबर्दस्ती, जिसमे कानूनी कार्रवाई भी शामिल है, करनेका विचार नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इस समय विधान-सभाके सामने पेश किये गये दो विधेयकोके लिए समर्थन प्राप्त करनेके प्रयत्नमें मैं वास्तवमे कानूनी बाध्यकारिताकी नीतिका समर्थन कर रहा हूँ। इस प्रकारके विचारोंके विरोधमे मैंने जो तमाम तर्क दिये हैं, उन्हें मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको इस बातसे आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि विधेयकोमे किसी प्रकारकी कोई बाध्यकारिता नहीं है। जो लोग उन्हें पढ़नेकी कोशिश करेंगे वे मेरी रायसे सहमत होंगे। यह सुधार तो अन्दरसे ही होना है। यह राजनीतिक आन्दोलन नहीं है। मैं इस बातसे इनकार नहीं करना चाहता कि इसके महान राजनीतिक परिणाम निकलेंगे,

लेकिन मैंने कभी एक क्षणके लिए भी इस आन्दोलनके माध्यमसे तथाकथित उच्च वर्गोंके हिन्दुओंके राजनीतिक उत्थानकी बात नहीं सोची है। मेरे विचारसे तो यह पूर्णतया शुद्धिका आन्दोलन है।

ये प्रारम्भिक बातें बता चुकनेके बाद मेरे लिए आपसे यह कहना आसान हो गया है कि इस आन्दोलनमें आप कितने शर्तोंपर मदद कर सकते हैं। आप लोगोंको अस्पृश्यताके निवारण और उन्मूलनके लिए बनाई गई सोसाइटी अर्थात् सर्वन्ट्स ऑफ अनटचेबल्स सोसाइटी (हरिजन सेवक सघ)के साथ मिलकर और यदि मैं कह सकूँ तो, उसके अधीन रहकर काम करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अपने टैलेट्स (प्रतिभाओं)को सोसाइटीको सौंप देना चाहिए। मेरा मतलब धात्विय टैलेट्स (यूनानके सिक्केका नाम)से नहीं है। ये तो वे लोग देंगे जिन्हें प्रायश्चित्त करना है और प्रतिपूर्ति करनी है। कुछ दिनोंकी अपनी यात्रामें मैंने देखा है कि लाखों लोग सुधारके लिए तैयार हैं। वे तो अपने सहयोगका ठोस प्रदर्शन केवल अपनी टैटसे पैसे देकर ही कर सकते हैं। लेकिन बुद्धिमान् पुरुषों और स्त्रियोंसे अपेक्षित है कि वे हरिजनोंके लिए विभिन्न प्रकारसे काम करें। हरिजनोंकी रचनात्मक ढंगसे सेवा करनेके लिए तथाकथित सर्वर्ण हिन्दुओंको चाहिए कि वे हरिजनोंकी पीठपरसे उतर जायें, उनके सामने घुटनोंके बल जायें, हरिजन बच्चोंको अपने बच्चे समझे और हरिजन भाई-बहनको अपने सगे भाई-बहन। यह लगभग अतिमानवीय कार्य है और दैवी सहायताके विना सम्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन दैवी सहायता मुख्यतः मनुष्यके माध्यमसे ही प्राप्त होती है। मैं मानता हूँ कि हमारे कार्यकर्त्ताओंमें शिक्षक और अन्यान्य व्यवसाय करनेवाले पुरुष और स्त्रियाँ बहुत ही कम हैं। हम उत्तरोत्तर बढ़ती हुई माँगको पूरा करना चाहते हैं। मैं इस कार्यमें आपके जैसी सस्थाओंकी मदद चाहता हूँ। अब आप समझ गये होंगे कि अधीनतासे मेरा क्या अभिप्राय है। यही सही ढंग है।

लेकिन एक गलत ढंग भी है। आप अलग रहकर काम करना पसन्द कर सकते हैं। आप हरिजनोंका धर्म-परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बना सकते हैं। आपको इस आन्दोलनमें अपने धर्म-प्रचारकी सम्भावना दिखाई पड़ सकती है। यदि आप इस उद्देश्यको लेकर हरिजनोंके बीच काम करते हैं तो आप देखेंगे कि हम अपना जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसमें ही हम असफल हो जायेंगे। यदि आप समझते हैं कि हिन्दू-धर्म भगवानकी ओरसे नहीं बल्कि शैतानकी ओरसे दी हुई भेट है तो यह बात विलकुल साफ है कि आप मेरी शर्तोंको स्वीकार नहीं कर सकते। यदि हम एक दूसरेके सामने अपने उद्देश्यको स्पष्ट नहीं करेंगे तो यह बेईमानी होगी।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १५-१२-१९३३

## ३३६. एक पत्र

[८ दिसम्बर, १९३३ से पूर्व]

किसी सार्वजनिक कार्यकर्ताकी कोई व्यक्तिगत इच्छाएँ नहीं होतीं जिनका ध्यान रखा जाये। उसे तो एक अतितुच्छ व्यक्ति होना चाहिए। सेवासे जो प्राप्त हो जाये सो अलग बात है वरना उसे न अभिमान मिल सकता है, न अधिकार और न स्याति। उसे तो “तुल्यनिदात्मसंस्तुति मानापमानयोस्तुल्यः” होना चाहिए। इसलिए तुम मेरी वजहसे या कामकी वजहसे परेञ्चान मत होना। फल मेरे या तुम्हारे हाथोंमें नहीं है। यह तो ईश्वरके सर्वशक्तिमान् हाथोंमें है। तुम और मैं तो उसके साधन हैं। तुम्हें तो अपनी अवमाननामें भी खुश रहना चाहिए और अपनेको सबकु अनुभव करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-१२-१९३३

## ३३७. पत्र : एफ० मेरी बारको

८ दिसम्बर, १९३३

चि० मेरी,

हम १५ तारीखको बैठलसे नुजरेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यदि मैंने परु पाउडर बेचनेके लिए प्रचार किया तो तुम नुझे अकेला और गरीब पाओगी।

तलवार चलानेके अभ्यासके सन्ध्यामें तुम्हारी बात ठीक है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०१६) से। सी० डब्ल्यू० ३३४२ से भी;  
सौजन्य : एफ० मेरी बार

१. यह एक रिपोर्टका अंश था जो दिनांक “हजो, ८-१२-१९३३” के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था।
२. जिसके लिख निम्न और स्तुति, मान और अपमान सब बराबर हैं। देखिए भागद्वितीया, १४, २४-५। तथा खण्ड ३२, पृष्ठ ३१२ नी।

## ३३८. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

७/९ दिसम्बर, १९३३<sup>१</sup>

चि० अमला,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरा रक्तचाप १५५ और १६८ के बीचमे घट-बढ़ रहा है। क्या इस सूचनासे तुम्हारी समझमे कुछ आया? जिन बातोको तुम समझ नही सकती उनके बारेमे चिन्ता क्यों करती हो! मुझसे पूछो कि मैं कैसा हूँ, उत्तर तुम्हे मिल जायेगा। तकनीकी बातें डाक्टरोपर छोड़ दो। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं तुम्हे आश्रमसे निकाल नही रहा हूँ। यदि तुम्हे वहाँका जीवन पसन्द हो, और तुम अनुशासनका पालन कर सकती हो तो बड़े शौकसे वहाँ रहो।

यदि सबके लिए बननेवाली चीजमे मिर्च-मसाले हो तो तुम्हे अपने लिए सादी सब्जी स्वयं बना लेनी चाहिए या तुम द्वारकानाथजीसे अपने लिए सिर्फ उबली हुई सब्जी बनवानेको कह सकती हो।

बा बिलकुल ठीक है।

आशा है कि तुम फल खा रही हो।

अच्छा, तो तुम सुमित्राको अग्रेजी पढा रही हो!

सप्रेम,

बापू

[पुनश्च ]

१५ तारीखको तुम्हे स्टेशन पर आ जाना चाहिए। अगुली बिलकुल ठीक होगी।

बापू

[ अग्रेजीसे ]

स्पीगल पेपर्स, सौजन्य नेहरू स्मारक सग्रहालय और पुस्तकालय

१ यह पत्र ७ दिसम्बरको लिखा गया था, और पुनश्चवाला अंश ९ दिसम्बरको।

## ३३९. पत्र : किशनबहन घुमतकरको

९ दिसम्बर, १९३३

प्रिय किशन,

आज ट्रेनमें तुम्हारा पत्र मिला। अगर तुम पहले ही खाना न हो चुकी हो, तो मेरा मुझाव है कि तुम इसी १५ तारीखको बर्बासि मद्रास मेल पकड़ लो। मैं १४ तारीखको दिल्लीसे ग्रैंड ट्रंक मेल पकड़ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम तन और मन दोनों से स्वस्थ हो।

सप्रेम,

वापू

श्रीमती किशनबहन  
गणेश टेरेस  
गिरगाँव बैंक रोड  
बम्बई

अंग्रेजी (सी० डब्ल्यू० ९६८९) से।

## ३४०. पत्र : रुक्मिणी बजाजको

९ दिसम्बर, १९३३

चि० रुक्मिणी,

तेरा पोस्टकार्ड मिला है। दौरोंमें पत्र लिखनेकी फुरसत भला कहति मिल सकती है? आज भी कुछेक मिनट हैं उनमें इतना लिख रहा हूँ। देवेन्द्र अच्छा हो रहा है, यह ईश्वरकी कृपा है। रावाके पत्र आते हैं। मैंने आज ही सुना कि सन्तोषकी माँका देहान्त हो गया।

तुझे 'हरिजन' मिलता है न?

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१५५) से।

## ३४१. पत्र : नानाभाई इ० मशरूवालाको

९ दिसम्बर, १९३३

भाई नानाभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। ब्रजलालजी को तार दिया है। शान्ति ठीक हो रहा होगा। वच्चे पढ़नेके वारेमें जितनी सावधानीसे काम लेते हैं उतनी सावधानी यदि शरीरके लिए भी वरते तो कितना अच्छा हो। किशोरलालके वारेमें गोमतीका पत्र था। वह विलकुल स्वस्थ तो कदाचित् ही हो। मणिलाल और सुशीलाका पत्र मुझे भी आया था। मैंने इन दोनोको एक लम्बा पत्र लिखा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६६९०) से। सी० डब्ल्यू० ४३३५ से भी; सौजन्य : कनुभाई मशरूवाला

## ३४२. पत्र : मनु गांधीको

९ दिसम्बर, १९३३

चि० मनु,

तू तो मुझे भूल ही गई न? मेरे पत्रका जवाबतक नहीं देती। कुसुमकी तबीयतके समाचार तो देने चाहिए न? वह अब कैसी है? वा का पत्र जेलसे आया था। वह कुसुमकी और तेरी चिन्ता करती है। उसे पत्र भेजना। तेरा कैसा हाल है? बली मौसी कैसी है? मैं यह पत्र चलती गाड़ीमे लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

वर्षाके पतेपर पत्र भेजना।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २६६३) से; सौजन्य : मनुबहन एस० मशरूवाला

## ३४३. भाषण : जामिया मिलिया, दिल्लीमें

१० दिसम्बर, १९३३

जेलमें मैंने काफी उर्दू सीखी है और यदि मैं फिर जेल गया तो हाफ्रिज बनकर निकलूंगा।

इस्लाम हमें दूसरोके धर्मको सहन करनेके लिए बताता है। किसीका धर्म झूठा है ऐसा नहीं कहता। जो भलाई करता है वही सच्चा मनुष्य है। कुरानका भी यही सिद्धान्त है और दूसरे धर्म भी इसी प्रकारकी शिक्षा देते हैं। मुझे आशा है कि जामिया के छात्र एकता और आजादीके सन्देशको देशमें फैलायेंगे।

मैं हिन्दू मुसलमान एकता सम्मेलनमें जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि दोनों जातियोंके दिल एक हों ताकि भारत माँ आजाद हो सके।

गांधीजीकी दिल्ली डायरी, भाग १, पृष्ठ ३५७

## ३४४. भाषण : श्रमिकोंकी सभामें<sup>१</sup>

दिल्ली

१० दिसम्बर, १९३३

गांधीजीने कहा कि हरिजनोंके घरोंका दौरा करके कार्यक्रमका शुभारम्भ किया गया और उसके पश्चात् श्रमिकोंकी सभाका आयोजन किया गया, इसके लिए आयोजक लोग बधाईके पात्र हैं।

उन्हें थैलीके लिए घन्यवाद देते हुए महात्माजीने कहा कि मैं जानता हूँ कि थैलीकी आधी रकम मालिक (श्री घनश्यामदास बिड़ला)ने और आधी श्रमिकोंने श्रमिक-कल्याण-कोषमें से दी है। इतनी बड़ी रकम भेंट करना रईसोंका काम है, श्रमिकोंका नहीं, और इसके अलावा आपमें से बहुतसे लोग हरिजन हैं और अस्पृश्यताके अभिशापको दूर करनेके लिए आपसे पैसे लेना मुझे शोभा नहीं देता। श्री बिड़ला

१. बिड़ला मिल्समें हुई इस सभामें लगभग ५,००० श्रमिक और दूसरे लोग उपस्थित थे। गांधीजीको २,००० रु० की एक थैली तथा केलेके पत्तेपर लिखा अभिनन्दनपत्र भेंट किया गया था। उन्होंने कहा: "केलेके पत्तेपर अभिनन्दनपत्र भेंट करनेका विचार बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे खानेके लिए कुछ फल देने चाहिए थे।" इसके तुरन्त बाद ही फलोंकी एक टोकरी भंगवाई गई।

जैसे सवर्ण हिन्दुओंका यह कर्त्तव्य है कि वे अस्पृश्यताको मिटानेके लिए पैसा दें; मैं हरिजनोंसे पैसे लेनेमें हिचकिचाता हूँ लेकिन तो भी चूँकि आपने पैसे स्वेच्छासे दिये हैं इसलिए मैं ले लेता हूँ। महात्माजीने आगे कहा कि मैं तो इस बातको ज्यादा पसन्द करता कि हरिजन लोग शराब पीना और धूम्रपान करना छोड़ देते और उससे जो पैसा बचता उसे हरिजन-कार्यके लिए दे देते। इस प्रकारसे दिया गया पैसा उस महान् उद्देश्यमें ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता। इस सम्बन्धमें उन्होंने बताया कि कल भोपालके विद्यार्थियोंने पाई-पाई जमा करके एक कोष जमा किया था और इस प्रकार एकत्र राशि मुझे दी थी।

आगे बोलते हुए महात्माजीने कहा कि हरिजन-आन्दोलनके संरक्षक बनकर हिन्दू लोग वास्तवमें अपने युगो पुराने पापोंका प्रायश्चित्त कर रहे हैं। यदि वे ऐसा न कर सके तो भगवान ही जानता है कि उनका भविष्य क्या होगा ?

बिड़ला मिल्समें हरिजन-सुधार-सम्बन्धी किये गये कार्यका जिक्र करते हुए महात्माजीने कहा :

मुझे पहले ही पता था कि आपने बिड़ला मिल्समें अस्पृश्यताको खत्म कर दिया है। धनश्यामदासजीने तो उच्चवर्गीय हिन्दू होनेके नाते हरिजनोके प्रति तथा मिल-मालिक होनेके नाते श्रमिकोके प्रति केवल अपना ऋण चुकाया है।

प्रत्येक हिन्दूका, चाहे वह मिल-मालिक हो या गरीब इसान, यह धार्मिक कर्त्तव्य है कि वह इस भूमिपर से अस्पृश्यताको उखाड़ फेके। ऐसा करते हुए वे महज अपना कर्त्तव्य पूरा कर रहे होंगे, जिसके लिए वे धन्यवादके अधिकारी नहीं माने जा सकते।

आगे महात्माजीने चेतावनी-स्वरूप निम्नलिखित शब्द कहे :

अस्पृश्यता खत्म कर दीजिए वरना हिन्दू-धर्म ससारसे खत्म हो जायेगा।

कुछ सनातनियोंका, जो इस सुधार-आन्दोलनमें महात्माजीसे सहमत नहीं थे, जिक्र करते हुए महात्माजीने कहा :

मैं सनातनियोको अपने मतसे सहमत करानेकी भरसक कोशिश कर चुका हूँ और मैंने उनके तर्कोंकी ओर ज्यादासे-ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन वे मुझे कायल करनेके लिए शास्त्रोमे एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दिखा सके हैं जिससे अस्पृश्यताका समर्थन होता हो।

महात्माजीने श्रमिकोसे अपील की कि आप शराब और बीड़ी-सिगरेट तथा दूसरी बुरी आदतें छोड़ दें और मन तथा तन दोनोंसे शुद्ध जीवन व्यतीत करें। उन्होंने ईश्वर-पूजापर जोर दिया और कहा कि ईश्वरमें श्रद्धा रखनेसे ही आपके दुखोका नाश हो सकता है। अन्तमें श्रमिकोके कल्याणार्थ प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी मर्जीसे अपनेको श्रमिक मानता हूँ। मालिक होनेसे श्रमिक होना अच्छा है। (हर्षध्वनि)



महात्माजीने मजाक करते हुए कहा :

फलको खानेकी मेरी बहुत लालसा हो रही है लेकिन इसे हरिजन-बालकोको दे दीजिए, इस प्रकार वे मुझतक पहुँच जायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ११-१२-१९३३

### ३४५. बातचीत : हरिजनोंके साथ

दिल्ली

१० दिसम्बर, १९३३

प्रश्न : क्या आपका विश्वास है कि मन्दिर-प्रवेश से ही हमारा उद्धार होगा ?

उत्तर : मेरा अवश्य ऐसा विश्वास है कि जबतक सवर्ण हिन्दू अपने तमाम मन्दिरोंके द्वार हरिजनोके लिए नहीं खोल देगे, तबतक यह नहीं कहा जायेगा कि उन्होंने अपने कर्त्तव्यका पूरा-पूरा पालन कर लिया। सवर्ण हिन्दुओको अपने मन्दिरोंमें हरिजनोको ले जाना ही चाहिए—यह दूसरी बात है कि हरिजन उन मन्दिरोंमें जाये या न जाये। पर मन्दिरमें उनके जानेका हक तो उन्हें मान ही लेना चाहिए। मन्दिरोंको खोल देना सवर्णोंके लिए एक प्रायश्चित्तकी बात है। मुझे यह अन्याय असह्य सा लगता है कि जिस मन्दिरमें मैं प्रार्थना कर सकता हूँ वहाँ हरिजन न आ सके। जबतक हरिजनोका यह मन्दिर-प्रवेश-विषयक प्रतिबन्ध पूरी तरहसे दूर न होगा तबतक मैं यह माननेको तैयार नहीं कि अस्पृश्यता दूर हो गई।

प्रश्न : आप हमें आर्थिक संकटसे न उबारेंगे? हमारी राय में तो आर्थिक उन्नति ही मुख्य चीज है।

उत्तर : आर्थिक उन्नतिकी बात तो है ही। वह भुलाई नहीं गई। पर मुझे इससे सन्तोष नहीं होता कि तुम्हें रुपया तो काफी भरपूर दे दिया जाये, पर बने रहो तुम अस्पृश्य ही या गाँवके बाहर अलग आलीशान महल बना लो। मुझे तो तभी सन्तोष होगा, जब तुम अस्पृश्य न समझे जाओगे, और सवर्णोंके समान ही हिन्दू-समाजमें तुम्हें समानताका पद मिल जायेगा। तुम्हारी आर्थिक उन्नति तो हमारे कार्यक्रममें विविध अंगोंमें एक अंग है ही।

प्रश्न : देशमें आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसका उपयोग हमारे हितके लिए ही होगा इसमें हमें सन्देह है। हम अपना वह सन्देह आपसे छिपाना नहीं चाहते। आपको इस कामके लिए सच्चे ईमानदार आदमी मिलें, तभी पैसे का सदुपयोग हो सकता है; पर ऐसे सच्चे आदमी तो अभीतक बहुत ही कम देखनेमें आये हैं। तो फिर आप यह पैसा हमारे सिपुर्द क्यों नहीं कर देते? हम अपनी मरजी मुताबिक इसका उपयोग अपनी भलाईके लिए करें, तो क्या हर्ज है? आपसे हमें यह साफ-

साफ कह देना चाहिए कि आज जो लोग हरिजन-सेवाका काम कर रहे हैं, उनपर हमारा विश्वास नहीं है।

उत्तर : यह बात तो है नहीं कि इस पैसेके खर्चनेमें कोई हरिजन भाई शामिल न हो। पर यह सुधार-कार्य तो सवर्ण हिन्दुओंके लिए प्रायश्चित्त-स्वरूप है न? इससे यह उन्हीपर छोड़ देना चाहिए कि इस पैसेका अच्छेसे अच्छा उपयोग किस तरह किया जाये। वे लोग हरिजनोकी सलाह जरूर ले, हरिजनोको अपने साथ भी ले, पर पैसेका हिसाब-किताब तो उन्हीके हाथमें रहने दिया जाये। तुम्हें मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि प्रचार इत्यादिके काममें यह कमसे-कम खर्च किया जायेगा। अधिकांश में तो यह पैसा सीधा हरिजनोकी जेबमें ही जायेगा। हरिजनोकी सलाह और मदद लेकर जहाँ जैसी जरूरत दिखाई पड़ेगी, उसके अनुसार वहाँ पैसा दिया जायेगा। यह मैं कैसे मान लूँ कि आज जो लोग हरिजन-सेवा कर रहे हैं, वे सब स्वार्थके लिए ही यह काम कर रहे हैं। सम्भव है, उनमें कुछ थोड़े-से स्वार्थी हों, जो तुम्हारी और मेरी कसौटीपर ठीक-ठीक न उतर सके, मगर ज्यादातर आदमी तो यह काम केवल प्रेमभाव और प्रायश्चित्तके रूपमें ही करते हैं। उनमें कुछ तो शुद्ध कुन्दनके समान प्रामाणिक हैं और वे किसी भी आन्दोलनके लिए शोभा-स्वरूप हैं। पर इस बातको एक तरफ रखकर मैं तो चाहता हूँ कि तुम लाखों हरिजनोकी स्थितिका विचार करो। उन लाखोंकी पतनावस्थाका तो तुम्हें भी अनुभव न होगा। वे तो अपनी पीरको प्रकट भी नहीं कर सकते। वे अपनेको पतित मानते हैं। छ' साल पहले की बात है कि उड़ीसामें एक बूढ़ा मनुष्य मुँहमें तिनका दबाकर मेरे पास आया था। उसने सुना होगा कि गरीबोकी खबर लेनेवाला कोई पैदा हुआ है, इसलिए वह ५० मील दूरसे आया था। वह अपनेको नीच मानता था। मुँहमें तिनका दबाकर आया था। मैंने वह तिनका निकाल लिया और उस भाईको समझानेका प्रयत्न किया कि 'जो मैं हूँ सो तू है, तेरा पालनहार मैं होता कौन हूँ?' कोचीनमें भी एक हरिजन मेरे सामने आकर थर-थर काँपने लगा। वह बेचारा समझता था कि कहीं उसे सवर्णोंके ससारमें न ले जाये, क्योंकि उस प्रान्तमें कुछ हरिजन अदर्शनीय समझे जाते हैं और सवर्णोंको उनके दर्शनमात्रसे छूत लग जाती है। यह सेवा-कार्य हरिजनोको रिझानेके लिए नहीं, किन्तु शुद्ध कर्त्तव्य समझकर ही मैंने हाथमें लिया है। हम सवर्णोंको तो किसी तरह यह कलक धो डालना है और ऐसा करते हुए आवश्यकता पड़े, तो जान भी दे देनी है। यथाशक्ति तुम्हारी निस्स्वार्थ सेवा करनेका हम प्रयत्न कर रहे हैं। पर यदि हरिजन हमारी इस सेवाको अंगीकार न करें, इस सेवासे उन्हें सन्तोष न हो, तो मैं समझूँगा कि हमने बड़ी देरसे सेवा-कार्यका आरम्भ किया। पर यह डेढ़ मासका अनुभव मुझे बताता है कि हजारों हरिजन हमारी इस सेवाको प्रसन्नतासे अंगीकार कर रहे हैं। तुम्हारे जीवनके प्रत्येक पहलूका हम स्पर्श करना चाहते हैं। हमें तुम्हारी सेवा सेवक होकर करनी है, स्वामी बनकर नहीं। हम सेवक हैं और तुम स्वामी हो।

प्रश्न : अबतक सवर्णोंने हमारे नाम अनेक रखे थे — आपने उनमें एक नया नाम 'हरिजन' और जोड़ दिया है। यह नाम भी दूसरोंसे हमारी पृथकता ही सूचित करता है। हमारी पृथकता शब्दमें और कार्यमें दूर होनी चाहिए; तभी हमें सन्तोष होगा और हमारा कल्याण भी तभी होगा।

उत्तर : 'हरिजन' नाम एक अन्त्यज भाईने ही तजवीज किया था। गुजरातके एक सन्त कविने इस नामका उपयोग किया है, ऐसा उस भाईने मुझे बताया। मैंने यह नाम मान लिया, और फिर यह चल गया। हजारों हरिजनोंने इस नामपर प्रसन्नता ही प्रकट की है। इसका उद्देश्य तुम्हारी पृथकता दिखाने या उसे कायम रखनेका नहीं है। जबतक दुर्भाग्यसे हिन्दू-समाजके दो भाग रहेंगे, तबतक दोनों भागोंके लिए पृथक-पृथक नामोंकी आवश्यकता तो रहेगी ही, पर 'अस्पृश्य' 'अवर्ण' आदि दिल दुखानेवाले नाम तो निकाल ही देने चाहिए। इन घृणित नामोंके स्थानपर 'हरिजन' नाम बड़ा अच्छा है। यह मैं नहीं जानता कि जब अस्पृश्यता दूर हो जायेगी तब सारा हिन्दू समाज अपनेको 'हरिजन' कहा जाना पसन्द करेगा या 'हिन्दू'। पर उस दिनके आने तक तो पृथक नामोंकी जरूरत रहेगी ही। तुम्हारी दलील मैं समझता हूँ। मैं स्वेच्छासे 'हरिजन' बन गया हूँ, और मेरा विश्वास है कि यदि मैंने निस्स्वार्थ भावसे तुम्हारी सेवा की होगी, तो उसे अन्तमें तुम अवश्य स्वीकार करोगे। धीरज रखो और देखो कि कैसा काम चल रहा है। हरिजन-सेवक-संघका उद्देश्य केवल तुम्हारा कल्याण है, उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१२-१९३३

## ३४६. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

दिल्ली

११ दिसम्बर, १९३३

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम दोनोंके पत्र मिले। मेरे क्या लिखनेसे तुम्हें इतना ज्यादा आघात पहुँचा? मैंने किशोरलालसे क्या कहा, सो तो याद नहीं लेकिन मैंने तुझे कमजोर और उरफोड़ तो कभी नहीं माना। तेरी बहादुरीके बारेमें मैंने हमेशा गर्वका अनुभव किया है। लेकिन तुझे मैंने अपंग अवश्य माना है। तुझमें स्वतन्त्र रूपसे विचार करनेकी शक्ति कम है, ऐसा भी मैंने अवश्य माना है। इसमें तेरा दोष नहीं। कुछ मेरा ही होगा। इसमें तुझे शर्मिन्दा होनेकी कोई बात नहीं। मैंने पिछली डानमें तुझे लम्बा पत्र लिगा है उससे तू मेरे विचारोंको स्पष्ट रूपसे जान सकेगा। तू मेरी राय गहरीमें माँगता है इसमें भी तेरी अपंगता ही है।

तू भूल करेगा तो उसके लिए मेरा मन भी तेरी भर्त्सना नहीं करेगा। तू विश्वासघात करेगा तो अवश्य तेरी भर्त्सना करूँगा। तूने मित्रोको अथवा लोगोको जो वचन दिये हैं उनका तू पालन करे, ऐसा अवश्य चाहूँगा। तेरी वर्तमान क्रिया-विधिसे मुझे कोई भय नहीं है। ज्यादासे-ज्यादा यही हो सकता है कि तू आर्थिक रूपसे बर्बाद हो जाये? सो भले ही हो, लेकिन तू मूर्ख न बनना। भूल हुई, यदि तुझे ऐसा जान पड़े तो उसे स्वीकार कर उससे बच निकलना। तू अपनी राय व्यक्त करना जितना सहल समझता है, मेरे लिए उतना सहल नहीं है। यदि ऐसा हो तो मैं भला राय तुरन्त ही क्यों न दे डालूँ?

अब तुम्हारे खर्चके बारेमे। मेरे कथनमे न तो निन्दा ही है और न दुःखका भाव ही। मेरे कहनेका अभिप्राय केवल इतना ही था कि वहाँ अमुक ढगसे रहनेके बाद अब तुझसे यहाँ एकाएक जीवन बदलकर नहीं रहा जा सकता। मैं यह नहीं चाहता कि यहाँके जीवनका प्रयोग करते करते तुम तीनों शरीर से टूट जाओ। १५० रु० की तो तू स्वयं ही आवश्यकता बताता है जबकि मैंने २०० रुपयेकी मानी है। लेकिन आज तो १५० रुपये भी मेहरवानीके रूपमे ही मिलेगे, ऐसा समय आ गया है। तू किसीकी कृपापर निर्भर करे इससे तो मैं यह पसन्द करूँगा कि तू सूखी रोटी खाकर अपना जीवन-यापन करे। सक्षेपमें तुम्हारे जीवनके प्रति मुझे असन्तोष नहीं है। इस सम्बन्धमे सुशीला तेरी अपेक्षा अधिक सावधान है, यह मैं जानता हूँ। तुम्हारा पत्र पानेपर मेरा मन तो तुम्हे तार द्वारा आश्वासन देनेका हुआ। लेकिन किसके खर्चपर तार दूँ? मिखारी पिता तारसे आश्वासन कैसे दे? इससे पत्रसे ही आश्वासन देता हूँ। मेरी ओरसे तुम दोनों निर्भय रहना। तुम दोनोंको जैसा उचित लगे वैसा रहना। यदि तुमसे वहाँ न रहा जा सके और तुम यहाँ आ जाओ तो भी तुम्हारी आजीविका ईश्वर देगा ही। जो भी करो, स्वतन्त्र रूपसे विचार कर करना।

नीमुको फिर गर्भ रह गया है। रामदास बहुत दुखी हुआ है। मैंने आश्वासन दिया है। यह काम ऐसा नहीं है जिसमे स्त्री-पुरुष आसानीसे सफलता पा सकते हो। लेकिन रामदास दुर्बल है और सोच-विचार बहुत ज्यादा करता रहता है, फलतः उसकी अपनी कमजोरी भी उसे सालती रहती है।

लक्ष्मी भी गर्भवती है, यह बात कदाचित् तुमको मालूम होगी। मुझे तो इन दोनोंके बारेमे अभी-अभी मालूम हुआ है। ऐसे समाचार मुझे देरसे ही मिलते हैं। वा जेलमें आनन्दसे है। मणिवहन उसके साथ है। मैं ठीक हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८१२) से।

## ३४७. पत्र : रमाबहन जोशीको

दिल्ली

११ दिसम्बर, १९३३

चि० रमा,

मैं जोशीको लम्बा पत्र लिख रहा हूँ। धीरू कमजोर रहता जान पड़ता है। उसे यदि तुम नियमित रूपसे पत्र लिखोगी तो वह ठीक हो जायेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लगता है, उसका मन वहाँ लग गया है, यह सन्तोषजनक है।

तुम्हें वह जगह अनुकूल आ गई है, यह बात मेरे मनको बहुत शान्ति देती है। खूब सेवा करना। जो-कुछ सीखा जा सके, सीखना। विमुसे भी पत्र लिखवाना।

वा के पत्र आने लगे हैं। वा के जेल जानेसे वन्हें खूब प्रसन्न हो गई दीखती हैं। अभी तो मणि उसके साथ है।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३६०) से।

## ३४८. पत्र : विद्या आर० पटेलको

दिल्ली

११ दिसम्बर, १९३३

चि० विद्या,

तेरा पत्र मिला। तू रमाबहनकी विशेष देखभालमें है, यह अच्छी बात है। वह जैसा कहे वैसा करना। मैंने द्वारकानाथजीको अभी यह सलाह दी है कि तुझे फिलहाल दूध, फल और सब्जीपर रहना चाहिए। ऐसा करनेसे ही खून साफ होगा। तुझे भाप लेनी चाहिए और कटि-स्नान भी करना चाहिए। आँखको दिनमें चार-पाँच बार गरम पानीकी छोटें मारने चाहिए। पानी बिलकुल साफ होना चाहिए।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६३९) से; सौजन्य : रवीन्द्र आर. पटेल

## ३४९. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको

बिड़ला हाउस, नई दिल्ली  
[ ११ दिसम्बर, १९३३ ]<sup>१</sup>

तू क्या चाहती है? पाच दस रोजकी बात है। लेकिन तुमको नाराज या दुखी करके नहीं रखना चाहता हू। पीछे तो वर्धा ही जाना। लेकिन तुम्हारा दिल मुलतान जानेका है तो मैं नहीं रोकना चाहता। कहीसे मैं तुमको सुखी और बहादुर बनाना चाहता हू। अगर मैं वर्धा वापिस भेजूगा तो पक्का बदोबस्त करके ही भेजूगा। नहीं तो देखुगा क्या किया जाय? भावनगर नहीं भेजूगा। दूधीबहनका अनिश्चित है। मैं यहा हू वहा तक तो इतनी जल्दी नहीं है। मौन खतम होनेसे कल प्रात-कालमे बाते करेंगे।

पत्रकी माइक्रोफिल्मसे, सौजन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द तो० हिंगोरानी

## ३५०. तार : भूलाभाई देसाईको

नई दिल्ली  
१२ दिसम्बर, १९३३ -

भूलाभाई देसाई

वार्डन रोड, बम्बई ११

अभी-अभी आपके आनेका समाचार मिला। उम्मीद है आपने पूर्णतया स्वास्थ्य-लाभ कर लिया होगा।

गांधी

[ अग्नेजीसे ]

भूलाभाई पेपर्स, सौजन्य . नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. साधन-सूत्रमें तिथि “ दिसम्बर, १९३४ ” दी हुई है, जो भूलसे लिखी जान पवती है। दिसम्बर, १९३३ में गांधीजी १० से १४ तारीखतक दिल्लीमें थे और मौनवार ११ दिसम्बरका था। देखिए “ पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको”, २५-१२-१९३३ भी।

## ३५१. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

दिल्ली

१२ दिसम्बर, १९३३

वा,

यह तुझे जेलमें दूसरा पत्र है। अब तुझे 'जामेजमशेद' और 'हरिजनवन्दु' मिलते होंगे। और कुछ चाहिए तो लिखना। मथुरादास अभी मेरे साथ है। मैं १० तारीखको दिल्ली आया था। १४को आन्ध्रदेशकी ओर खाना हो जाऊँगा और मथुरादास बम्बई जायेगा। मेरी तनिक भी चिन्ता न करना। मैं जैसा होऊँगा वैसा तुझे लिखता रहूँगा। मैं दूब और मावा वगैरा बराबर लेता हूँ। जुकाम हो गया था, अब खत्म हो गया है। डॉ० अन्सारी यहीं हैं। मैं इस बार घनश्यानदासके यहाँ ठहरा हूँ। आज जमनालालके आनेकी भी सम्भावना है। प्रभुदास और उसकी पत्नी भी यही हैं। प्रभुदास इस बीच कहीं-न-कहीं स्थिर हो जायेगा। नणिलालकी चिन्ता न करना। उसे मैंने लम्बा खत लिखा है।<sup>१</sup> मैं उसे दवाना नहीं चाहता। सन्तोषकी माँका देहान्त हो गया है। मैंने आज उसे पत्र लिखा है। इजकल्प्य काफी बीमार है। खाटपर है। डॉ० अन्सारीकी दवा चल रही है। आशा है कि ठीक हो जायेगा। राधा फिर बीमार हो गई लगती है। तुझे अबवा किसी बहनको कुछ चाहिए तो मुझे लिखना।

तेरे जबड़े ठीक चल रहे होंगे। मणिके घुटने कैसे हैं? क्या पढ़नेका सानान साथ है?

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना बाने पत्रो, पृष्ठ २

१. बम्बईसे प्रकाशित एक गुजराती समाचार-पत्र।

२. देखिए "पत्र : नणिलाल और सुशीला गांधीको", ११-१२-१९३३।

## ३५२. पत्र : प्रभावतीको

दिल्ली

१२ दिसम्बर, १९३३

चि० प्रभावती,

तेरा पत्र मिला। जयप्रकाशका भी। यदि तुम दोनो इसी निश्चयपर पहुँचे हो कि तुम्हें सेवाधर्मका पालन करना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने तो दोनोको यह समझाया था कि निजी कुटुम्बधर्मका पालन करनेमें कोई पाप नहीं है और सेवाधर्मका पालन करना हो तो निजी धर्मका त्याग करना ही चाहिए।<sup>१</sup>

दोनोको एक साथ पालन करनेके प्रयत्नमें दोनोके विगडनेका भय है। राजेश्वर<sup>२</sup> के लिए प्रतिमास ५० रुपये प्राप्त करनेमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे इतनेसे ही सन्तोष नहीं होता। तुमने अपने खर्चके लिए क्या बन्दोबस्त किया? कर्जके बारेमें क्या किया? यह प्रबन्ध जैसे-तैसे हो जाये इससे कोई मूल प्रश्न हल नहीं हो जाता। लेकिन अब मैं बातको और ज्यादा लम्बा नहीं करूँगा। जयप्रकाशके उत्साहको मैं भग नहीं करना चाहता। उसका हेतु शुद्ध है इसलिए सब-कुछ ठीक ही होगा, ऐसा हमें मानना चाहिए।

तू अभीतक माताके पास तो पहुँची ही नहीं है। अब तुझे पहुँचना चाहिए। तूने मेरे पास आनेकी बातको खूब लटकाया, इसलिए अब मैं तो बहुत दूर होऊँगा। यदि वहाँसे तू जेल न चली जाये तो तू मुझे आन्ध्रके प्रवासके दौरान मिल सकती है और वर्धासे जहाँ तुझे ठीक लगे वहाँ जा सकती है। मैं समझता हूँ, बेहतर तो यह होगा तू बिहारसे [जेल जाये]। और यदि तू ऐसा करे तो मेरे पास आनेकी भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि मेरे पास आये बिना न रहा जाये तो अवश्य ही आ जाना। मैं सब-कुछ तेरी इच्छापर छोड़ता हूँ। २०, २१, और २२ तारीखको मैं मद्रासमें होऊँगा। यहाँसे १४ तारीखको रवाना होऊँगा। १६ से १९ के बीच वेजवाड़ाके आसपास होऊँगा। २३ से ३१ तारीखके बीच फिर से आन्ध्रमें होऊँगा, इसलिए मेरा सदरमुकाम तो वेजवाड़ा होगा। अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करना।

विद्या उकताकर यहाँ चली आई है। साथ कान्ताको लाई है। अभी मैंने निश्चय नहीं किया है कि विद्याको मुल्तान जाने दूँ अथवा वापस वर्धा भेज दूँ।

ओम मेरे साथ ही है। मेरी जो खुराक थी अब भी वही है। दूध कभी तीन पौड और कभी एक पौड लेता हूँ। सर्दी हो गई थी सो अब दूर हो गई है। वजन १०८ पौड जबलपुरमें हो गया था। बादमें तो दिखाया ही नहीं। मेरे बारेमें चिन्ता

१. देखिए “पत्र : प्रभावतीको”, २३-११-१९३३।

२. जयप्रकाश नारायणके छोटे भाई।



करनेकी जरूरत नहीं। जैसी ईश्वरकी इच्छा होगी वैसा वह चलायेगा। उसे जो काम लेना होगा सो लेगा।

क्या तू राजेन्द्र बाबूको मिल पाई? पिताजीसे मिली? वे क्या करते हैं।

बा के पत्र आते हैं। मणि अभी तो उसके साथ है।

प्यारेलालकी बहन सुशीला यहीं है। उनकी माँ भी यही हैं। मैं उनसे अभी मिला नहीं हूँ।

वापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकलसे (जी० एन० ३४३६) ।

### ३५३. पत्र : कान्ति गांधीको

दिल्ली

१३ दिसम्बर, १९३३

चि० कान्ति<sup>१</sup>,

तेरे दाँत खराब हो गये हैं, ऐसी खबर मैंने सुनी है। बाकी तो तेरे समाचार सुनकर मुझे सन्तोष होता है। ऐसा माने लेता हूँ कि तुझे यह पत्र मिलेगा। तुझे बहुत बार याद करता हूँ। तूने और तेरे साथियोंने अच्छा अभ्यास किया है, ऐसा सोमनजी लिखते थे। मेरा दौरा कठिन है, लेकिन अच्छा चल रहा है। लोग खूब आते हैं।

रामीबहनकी कुसुम बीमार है, यह तो तू जानता ही होगा। राधा फिर बीमार पड़ गई है। अभीतक तो मैं यह दौरा सहन कर सका हूँ।

सबको,

वापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७२८४) से; सौजन्य : कान्ति गांधी

## ३५४. बातचीत : सनातनियोंके साथ

दिल्ली

१३ दिसम्बर, १९३३

मैं सनातनी होनेका दावा करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा आचरण शास्त्रोकी भावनाके अनुरूप है। यदि आप चाहे तो मेरा दावा अस्वीकार कर सकते हैं। मैंने अपनी क्षमता-भर शास्त्रोका अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मकी भावनाके प्रतिकूल है।

इसपर भी सनातनियोने आग्रह किया कि जो व्यक्ति अस्पृश्यता, श्राद्ध, मूर्ति-पूजा तथा अन्य कर्म-काण्डोंमें विश्वास नहीं करता उसे सनातनी नहीं कहा जा सकता। गांधीजीने प्रत्युत्तरमें कहा कि सनातन धर्मकी सच्ची कसौटी तो एकमात्र सत्यकी कसौटी है। उन्होंने आगे कहा कि यदि व्यक्ति धूर्ततापूर्ण जीवन बिताता है तो विधि-विधानोंका ऊपरी पालन करनेसे कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति शराबी, दुश्चरित्र और जुआरी हो उसको बाहरी दिखावेसे क्या लाभ ?

जब गांधीजीको यह बताया गया कि हरिजनोके लिए मन्दिर खोलनेके प्रयत्नमें खून-खराबा जरूर होगा तो उन्होने कहा कि यह व्यवहारतः असम्भव है, क्योंकि किसीके मनमें किसी प्रकारकी जोर-जबर्दस्ती करनेका इरादा नहीं है। ऐसा कोई भी मन्दिर तबतक नहीं खोला जायेगा जबतक कि उस मन्दिरमें जानेवाले दर्शनार्थियोंमें से अधिकांश लोग मन्दिरको खोलनेके पक्षमें नहीं होंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, २२-१२-१९३३

## ३५५. भाषण : अलीपुरकी सार्वजनिक सभामें

१३ दिसम्बर, १९३३

मैं आपसे इस बातका विश्वास करनेका अनुरोध करता हूँ कि मेरे हरिजन-कार्यके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अस्पृश्यता-निवारणके राजनीतिक परिणामोका मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं है। वस्तुतः मैं यह मानता हूँ कि यदि हम इस प्रश्नको राजनीतिक उद्देश्यकी दृष्टिसे लेते हैं तो हम हरिजनोकी सेवा करनेमें असफल हो जायेगे तथा हिन्दू-धर्मको नुकसान पहुँचायेगे। यह बात तो विलकुल सच है कि अस्पृश्यताके वास्तविक उन्मूलनके राजनीतिक परिणाम निकलेगे। धार्मिक भावनासे

१. सनातनियोंका दावा था कि गांधीजीको सनातनी कहलानेका कोई अधिकार नहीं है।

३३७

किसी कर्तव्यका पालन करनेके अन्य अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम होते हैं। “पहले ईश्वरका साम्राज्य प्राप्त करो, उसके बाद अन्य सभी चीजें तुम्हें मिल जायेंगी”, यह कथन मेरे विचारमें एक वैज्ञानिक सत्य है।

पिछले साल आपके नाममें की गई प्रतिज्ञा मुझे आपको याद दिला देनी चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले साल सितम्बरमें हिन्दू-धर्मके प्रतिनिधियोंकी एक बैठक बम्बईमें हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित मालवीयजीने की थी। दूसरी बातोंके साथ उन्होंने इस बातकी प्रतिज्ञा की थी कि अस्पृश्यता चूंकि हिन्दू-धर्मके नामपर कलंक है इसलिए उसको दूर करना है, और यह भी कि हरिजन लोग उन सभी सार्वजनिक सुविधाओंके उसी प्रकार हकदार हैं जिस प्रकार कि सवर्ण हिन्दू। उस प्रस्तावमें हिन्दू मन्दिरोंका विशेष रूपसे उल्लेख किया गया था और यह कहा गया था कि यदि लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए कानून बनवानेकी जरूरत होगी तो वह भी बनवाया जायेगा। इसलिए प्रत्येक सवर्ण हिन्दूका यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह हरिजनोंके लिए मन्दिरों, कुओं तथा दूसरी संस्थाओंको हूबहू उन्हीं शर्तोंपर खोलकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे जिन शर्तोंपर वे सवर्ण हिन्दुओंके लिए खुली रहती हैं।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १४-१२-१९३३

### ३५६. बातचीत : हरिजन संघकी बैठकमें<sup>१</sup>

दिल्ली

१३ दिसम्बर, १९३३

यात्राके दौरान प्राप्त किये गये चन्देके उपयोगके सम्बन्धमें महात्मा गांधीने कहा कि इस चन्देमें से ७५ प्रतिशत जहाँतक सम्भव हो सकेगा सम्बन्धित इलाकेपर खर्च किया जायेगा बशर्ते कि इसके लिए कोई उपयुक्त योजना तैयार की जाये और केन्द्रीय बोर्ड उसे मंजूर कर ले। फिर भी, प्रान्तीय बोर्ड मेरे द्वारा इकट्ठे किये गये चन्देमें से धन पानेकी आशामें पड़कर अपने साधारण चन्दे इकट्ठा करनेमें लापरवाही न बरतें। उन्होंने जोर देकर कहा :

आप लोग प्रचार अथवा कार्यालय-प्रबन्धके लिए इस धनका कुछ भी अंश खर्च नहीं करेंगे। इसकी एक-एक पाईका उपयोग केवल रचनात्मक-कार्यके लिए ही किया जा सकता है। मैं भारतका दौरा आपके कार्यालयका प्रबन्ध-व्यय उठानेके लिए अथवा आपके प्रचारमें सहयोग देनेके लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि केवल रचनात्मक-कार्यके लिए पर्याप्त रूपया इकट्ठा करनेके लिए कर रहा हूँ। अपने कार्यालयका प्रबन्ध-कार्य चलानेके लिए आप अलगसे पैसा इकट्ठा कर लें। जो चन्दा मैं इकट्ठा करता हूँ

१. गांधीजी संघके केन्द्रीय बोर्डके सदस्योंके सामने बोले थे।

यदि निर्धारित ढंगसे आप उस रुपयेसे अपना रचनात्मक काम करते हैं तो जनता द्वारा दिया गया पैसा सौगुना होकर जनताके पास लौटेगा। इसलिए इसकी बड़ी सावधानीके साथ हिफाजत करनी चाहिए और बहुत सँभाल कर खर्च करना चाहिए।

यह पूछे जानेपर कि अबतक जो काम किया गया है उसके सम्बन्धमें आपकी क्या राय है, महात्मा गांधीने कहा :

अगर आप प्रशंसा चाहते हैं तो वह आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आप इससे अच्छा काम कर सकते थे, तथा आगेके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आपको पहलेसे ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए।

संघके संविधानको लोकतान्त्रिक बनानेके प्रश्नके सम्बन्धमें महात्मा गांधीने कहा कि बजाय इसके कि एक ऐसा संविधान बनाया जाये जिसका स्वरूप तो लोकतान्त्रिक हो लेकिन जिसकी भावना निरंकुशतावादी हो, बेहतर यही होगा कि वर्तमान संविधानको ही लोकतान्त्रिक ढंगसे चलाया जाये।

असमके परम पूजनीय गडमूडिया गोसाईं और श्री डी० एन० शर्माने विस्तारसे बताया कि चायके बागानोंमें काम करनेवाले भूतपूर्व कुली लोग भारतके विभिन्न प्रान्तोंके रहनेवाले हैं तथा ज्यादातर हरिजन हैं। असममें उनकी आबादी साढ़े दस लाख है जिनमेंसे केवल ५,००० लोग ही साक्षर हैं। वे आमतौर पर शराब अथवा ऐसे ही अन्य दुर्व्यसनोके आदी हैं। काबुली तथा मारवाड़ी लोगोंने उनका आर्थिक रूपसे खूब शोषण किया है।

महात्मा गांधीने कहा कि मैं इस शोचनीय स्थितिके बारेमें जानता हूँ।

यह एक सामाजिक समस्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फसल तो तैयार खड़ी है लेकिन मजदूर बहुत कम है। इस प्रश्नके समाधानके लिए हमें कार्यकर्त्ताओंकी जरूरत है। इसे कानून द्वारा हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरत है इन लोगोके बीच विना किसी तुरन्त परिणामकी आशाके रोज काम करनेकी। यह ठीक रहेगा कि इन लोगोके प्रान्त-वार आँकड़े इकट्ठे किये जाये ताकि उन प्रान्तोंके कार्यकर्त्ताओंको बुलाकर उनसे इनके बीच काम करनेको कहा जा सके। हमें जिस प्रकार के कार्यकर्त्ताओंकी जरूरत है वे पैसेके जोरपर हासिल नहीं किये जा सकते। यदि मैं असम पहुँचनेमें सफल हो गया तो मैं परिस्थितियोंका अध्ययन करूँगा और कुछ स्थानीय कार्यकर्त्ता तैयार करनेकी कोशिश करूँगा। यदि मैं स्थानीय कार्यकर्त्ता तैयार करनेमें विफल हुआ तो मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं रह जायेगा कि असम सभी प्रान्तोंमें सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ प्रान्त है। खैर, सवाल सिर्फ अस्पृश्यताका नहीं है बल्कि दूसरी किस्मका है। लेकिन यदि असममें ठीक ढंगके कार्यकर्त्ता मिल जाते हैं तो फिर उस कामको चलानेके लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १६-१२-१९३३

## ३५७. भाषण : दिल्लीकी छात्र-सभामें

१३ दिसम्बर, १९३३

यह कहनेमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे सम्बन्ध दो सगे भाइयों जैसे ही घनिष्ठ थे।<sup>१</sup> उनका उत्कट देशप्रेम, उनका महान् त्याग और अपने बच्चोंके प्रति उनका असीम प्रेम आपके सामने वैसे ही प्रत्यक्ष रहने चाहिए जैसे कि मेरे सामने थे। और अपने बच्चोंको भी उन्होंने देशके सेवार्थ समर्पित कर दिया। मेरा उनसे पहले-पहल परिचय होनेके बादसे उनकी मृत्युके समय तक मुझे उनके निकट सम्पर्कमें रहनेका सौभाग्य मिला था। और मैं देखता था कि जीवनभर हर क्षण उनके मनमें अपने देशका ही विचार रहता था जिसकी उन्होंने इतनी एकनिष्ठासे सेवा की। उनकी दृष्टिमें स्वराज्य कोई दूरका सपना नहीं था; वह तो उनके लिए उनकी प्राण-वायुके समान था। उनकी स्वतन्त्रताकी लालसा दिन-ब-दिन बढ़ती गई। इसलिए यह उपयुक्त ही है कि आप अपनी आँखोंके सामने एक ऐसे देशप्रेमीका चित्र रखें ताकि आपको उनके सद्गुणोंका सदैव स्मरण होता रहे और आप उन गुणोंको अपने जीवनमें उतारनेकी कोशिश करें। जिस देशभक्तकी आप सराहना करते हैं उसको महान् बनानेवाले उसके गुणोंका यदि आप अनुकरण नहीं करते तो केवल उस व्यक्तिके प्रति मौखिक श्रद्धा प्रकट करने मात्रसे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप उनके चित्रको अपने सामने रखते हैं तो इसका यह अर्थ होना चाहिए कि आप उनके पद-चिह्नोंपर चलनेके लिए कृत-संकल्प हैं। आप यह भी याद रखें कि ऊँच-नीचकी भावनासे वह परे थे। अपने दीर्घ और विविधतापूर्ण जीवनमें उन्होंने अस्पृश्यताको कभी कोई स्थान नहीं दिया। उनके सीनेमें एक राजाका हृदय था। वह पैसा कमाना भी जानते थे और पैसा लुटाना भी जानते थे।

इसके बाद गांधीजीने विद्यार्थियोंसे कहा कि आप यदि हरिजनोंसे प्रेम करते हैं तो पैसा देना फ़ाफी नहीं है। आप गन्दे तवेलोंको, अर्थात् दिल्लीकी हरिजन-वस्तियोंको साफ करके अपने उस प्रेमका एक ठोस सबूत दीजिए। मैंने नई दिल्लीके महलों, जिनके ऊपर पानीकी तरह पैसा बहाया गया है, और उन नारकीय वस्तियोंका विरोधाभास देखा है जहाँ हरिजनोंको मजबूरीमें रहना पड़ता है। यह कहते समय गांधीजीकी वाणीमें ऐसी गहरी न्यया छिपी हुई थी जिसे शब्दोंमें व्यक्त नहीं किया जा सकता।

१. सभा हिन्दू कॉलेजमें हुई थी।

२. गांधीजीने मोतीलाल नेहरूके चित्रका अनावरण किया था।

मैंने चारमे से तीन वस्तियाँ देखी हैं, इनमे से एककी दशा तो सबसे बुरी थी। आँखोंसे देखे बिना कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि मनुष्यके रहनेके लिए कोई ऐसा भी स्थान हो सकता है। मैंने वहाँ जैसी गन्दगी और घिनावनापन देखा उसका वर्णन करनेके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उससे किसीको भी मतली हो सकती है। आप अपनी कमर कस ले और इन नरक-स्थलोको साफ करें। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपमे कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो हरिजनोकी शारीरिक श्रम करके भी सेवा करना चाहते हैं। जब आप वस्तियोंसे कूड़ा-कंकट हटा देंगे तो अधिक उपयोगी सेवा करनेके दूसरे बहुतसे तरीकोका आपको पता लग जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१२-१९३३

### ३५८. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको

दिल्ली

बुधवार, १३ दिसम्बर, १९३३

साम्प्रदायिक भावनाके आधारपर अपने-अपने साम्प्रदायिक संगठन खड़े करनेकी, चाहे ये संगठन हिन्दुओंके हो या मुसलमानोंके, श्री जवाहरलाल नेहरूने जो आलोचना<sup>१</sup> की है उसका सर मुहम्मद इकबाल द्वारा दिया गया जवाब<sup>२</sup> मैंने अभी-अभी पढा है। इस विवादमे मैं पडना तो नहीं चाहता, लेकिन सर मुहम्मद इकबालने मेरे बारेमे जो बात कही है, उसे मैं निर्विरोध नहीं जाने दे सकता।

लन्दनमे मेरी स्थिति<sup>३</sup> स्पष्ट थी। बिना डॉ० अन्सारीके साम्प्रदायिक मामलोमे कोई प्रभावकारी कदम उठानेकी दृष्टिसे मैं लाचार था। मैं कांग्रेसके आदेशसे बँधा हुआ था, और कोई सशोधन सुझानेसे पहले मेरे लिए डॉ० अन्सारीकी सलाह लेना जरूरी था। चूँकि फिलहाल मैं मौलाना शौकत अलीका विश्वास खो बैठा हूँ, इसलिए मैंने मुसलमान मित्रोंसे कहा कि जहाँ तक मुसलमानोंसे सम्बन्धित मामलोंकी बात है, मेरा अन्त करण डॉ० अन्सारीकी जेबमे है, और इसलिए सम्मेलनमे उनकी मौजूदगीके लिए कोशिश करनेमें आप लोग मेरी मदद कीजिए। इसके लिए मुसलमान मित्र राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि ऐसा वे तभी करेंगे जब पहले मैं उनकी माँगोको स्वीकार कर लूँ। जब मेरा प्रयत्न विफल हो गया तब मैंने वास्तविक एकता स्थापित करनेके लिए मेरे पास जो अन्य साधन मौजूद थे उनका सहारा लिया, लेकिन इनमे मैं बुरी तरह विफल हुआ।

कांग्रेसके समर्थकोंके रूपमे काम करनेका प्रस्ताव उस समय मखौल जैसा प्रतीत होता था। और उसके बाद वह एक मखौल सिद्ध भी हुआ है। वास्तविक पीछे

१. जवाहरलाल नेहरूके वक्तव्यके अंशोंके लिए देखिए परिशिष्ट ३।

२. देखिए परिशिष्ट २।

३. १९३१ में गोलमेज सम्मेलनमें; देखिए खण्ड ४८।

अवास्तविकताकी एक दमघोटू अनुभूति बनी हुई थी। जिस चीजको सर मुहम्मद इकबाल मुसलमानोंकी माँगको व्यक्तिगत रूपसे स्वीकार करनेकी मेरी दो शर्तें बताते हैं, वे शर्तें नहीं बल्कि मेरी स्वीकृतिका आवश्यक परिणाम थी। राजनीतिक एकता एक राजनीतिक उद्देश्यकी सिद्धिके लिए वांछित थी, और यह उद्देश्य मेरे तई और मैं ही नहीं किसी भी भारतीयके तई, चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या और कुछ हो, सच्चे अर्थोंमें पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ही हो सकता है। मुसलमानोंकी माँगें समान कार्रवाईके लिए प्रस्तुत की गई थी। लन्दनमें मुसलमान मित्र अन्य अल्प-संख्यकोंको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हितोंके विरुद्ध उकसा रहे थे। यदि उन्हें मुझे अपने सहायकके रूपमें स्वीकार करना था—और मैंने पूरी ईमानदारीसे अपनी सहायता उनको प्रदान करनेका प्रस्ताव भी किया था—तो मेरी सहायता ऐसी प्रत्येक शक्तिके विरुद्ध संघर्ष करनेके लिए ही हो सकती थी जो भारतकी स्वतन्त्रताके विरुद्ध हो। अतः पृथक्ताकी भावनाके विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक था, भले ही इस भावनाको कोई भी फँसा रहा हो।

किमी भी मुसलमानने पृथक् मतदानको खुदमें एक अच्छी चीज नहीं बताया है। स्वयं अपने मामलेमें भी मुसलमान मित्रोंने स्वीकार किया है कि यह एक आवश्यक बुराई है जिसे अस्थायी अवधिके लिए सहन करना होगा। इसलिए इस सिद्धान्तका अनिश्चित रूपसे प्रसार नहीं किया जा सकता। तथाकथित अस्पृश्योंकी ओरसे रखी गई माँग स्पष्ट रूपसे राष्ट्रविरोधी है। यदि इस माँगकी राष्ट्रीय हितके साथ संगति बैठती अथवा हरिजन हितोंकी रक्षाके लिए यह आवश्यक होती तब तो, जैसा कि सर मुहम्मद इकबालने कहा है, मेरा विरोध करना अमानुषिक कार्य होता। लेकिन वैसी हालतमें मुसलमान मित्रोंको यह प्रस्ताव भी नहीं रखना चाहिए था कि यदि मैं उनकी माँगें स्वीकार कर लूँ तो वे तटस्थ रहेगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरा विरोध न केवल 'अमानुषिक' नहीं था, बल्कि यह विरोध हरिजनोंके हितमें ही किया गया था।

मैं अपने आपको स्वेच्छया हरिजन मानता हूँ। हरिजनोंके हितकी रक्षा करनेकी मेरी इच्छा किसी बड़ेसे-बड़े हरिजन नेतासे कम नहीं है। स्पष्ट ही सर मुहम्मद इकबालको यह देखने और समझनेका अवसर नहीं मिला है कि मैंने हरिजनोंके लिए क्या किया है और क्या कर रहा हूँ। अगर उन्होंने सरसरी तौरपर भी मेरे कार्य-कलापोंको देखा-समझा होता तो वह यह नहीं कहते, जैसा कि उन्होंने कहा है, कि "श्री गांधीने अस्पृश्योंको अन्य जातियोंके साथ घुलने-मिलनेसे रोकनेको, और अस्पृश्यों तथा सवर्ण हिन्दुओं तक में कोई वास्तविक सम्मेलन हुए बिना अस्पृश्योंको हिन्दू-धर्मके अन्दर बनाये रखनेको अपने जीवनका मिशन बना लिया है।" उन्हें जानना चाहिए कि अस्पृश्यताका उन्मूलन मेरे जीवनका उद्देश्य है जिसे मैं पिछले पचास वर्षोंसे अबाध रूपसे करता रहा हूँ, और धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलोंमें सवर्ण हिन्दुओंको जो अधिकार प्राप्त हैं वे ही अधिकार हरिजनोंको भी देनेकी माँग मैंने की है और उनके लिए लड़ता रहा हूँ।

हरिजनोसे सम्बन्धित मेरा काम शुद्ध रूपसे धार्मिक काम है। इसके पीछे कोई राजनीतिक हेतु नहीं है। यह बुनियादी तौरपर अत्यन्त ऊँचे ढंगका लोकोपकारी कार्य है। यह हिन्दू-धर्ममें आन्तरिक सुधारका आन्दोलन है। हिन्दू-समाजके अछूतोपर जो अमानुषिकताएँ थोपी गई हैं, यह आन्दोलन सर्वर्ण हिन्दुओं द्वारा उनके लिए पश्चाताप और क्षतिपूर्ति करनेका आन्दोलन है। मेरी राष्ट्रीयताकी भाँति ही मेरा हिन्दुत्व भी सम्पूर्ण मानवतासे अलग या मानवताके किसी अगके हितोके प्रतिकूल नहीं है। मैं ऐसी स्वतन्त्रताको स्वतन्त्रता माननेसे इनकार कर दूँगा जिसमें मुसलमानोंके या अन्य किसी वर्गके ऐसे हितोका बलिदान होता हो जो भारतकी स्वतन्त्रताके विरुद्ध नहीं है। मैंने लन्दनमें सभी सवालो पर इसी भावनासे विचार किया था।

साम्प्रदायिक एकताकी आवश्यकता है, इस बातमें मेरा जितना दृढ़ विश्वास पहले था उतना ही अब भी है। पूछा जा सकता है कि अब मैं क्या करूँगा। मेरी स्थिति वही है जो पहले थी। मैं ऐसे किसी भी समाधानको स्वीकार कर लूँगा जो सभी मुसलमानोंको स्वीकार हो और जो अन्य राष्ट्रीय हितोके विपरीत न हो। स्वभावतः मैं श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये सुझावका अनुमोदन करता हूँ। इससे ज्यादा न्यायोचित कुछ नहीं हो सकता। एक राष्ट्रवादीकी हैसियतसे मैं छोटी-बड़ी सभी जातियोका प्रतिनिधि होनेका दावा करता हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १४-१२-१९३३

## ३५९. भाषण : हरिजनोंकी सभा, दिल्लीमें'

१४ दिसम्बर, १९३३

आपके लिए जो स्कूल और कुएँ बनवाये जा रहे हैं सो आपको अस्पृश्य रखनेके विचारसे नहीं बनवाये जा रहे। लेकिन आपको पीनेके लिए पानी ही न मिले, यह मुझसे सहन नहीं होता। जिस पोखरसे कुत्ते और ढोर पानी पीते हैं उसमें से हरिजनोको पानी मिले, इस बातको कैसे सहन किया जा सकता है? आप तो शहरमें रहते हैं इसलिए कदाचित् आपको नलका पानी मिलता होगा, लेकिन गाँवोंमें तो सर्वर्ण लोग उद्धततावश हरिजनोको कुँओके नजदीक भी नहीं आने देते। पानी देते हैं तो वह भी दूरसे गालीके साथ। यह बात आपको और मुझे सहन नहीं करनी चाहिए। हरिजनोके लिए कुएँ खुदवाये जाते हैं, सो उन्हें अस्पृश्य रखनेके लिए नहीं अपितु इसलिए है कि आपको कमसे-कम स्वच्छ पानी तो मिले। और ये कुएँ कोई अकेले हरिजनोके लिए ही हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरे लोग भी वहाँ पानी भरनेके

१. अद्धानन्द नगरीके हरिजनोंने गांधीजीको अस्मिन्दनपत्र भेंट करते हुए कहा था कि हरिजनोंके लिए अलगसे स्कूल, कुएँ और मन्दिर नहीं खोले जाने चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ उनका हिन्दू-समाजसे अलग होना होगा।



लिए आ सकते हैं, लेकिन हरिजनोंको तो वहाँ जानेका अधिकार है ही। उन्हें ढोरोंके पीनेके पोखरसे पानी लेना पड़ता है, यह बन्द होना चाहिए। सच पूछा जाये तो इनके लिए जितने कुएँ खुदवाये जाने चाहिए उतने हम नहीं खुदवा सके हैं और आप यह भी देख रहे हैं कि कितने ही सवर्ण हिन्दू स्वेच्छासे अपने कुएँ हरिजनोंके उपयोगके लिए खोलते जा रहे हैं। यही बात स्कूलोंके बारेमें भी लागू होती है। सार्वजनिक स्कूलोंमें हरिजनोंको प्रवेश दिये जानेके प्रयत्न तो चल ही रहे हैं, लेकिन जबतक हम हरिजनोंको सार्वजनिक स्कूलोंमें प्रवेश नहीं दिला सकते तबतक हमारे सामने यह सवाल है कि या तो हम हरिजनोंके लिए स्कूल खोलें या बच्चोंको पढ़ाईसे वंचित रहने दें। इसलिए हम स्कूल खोल रहे हैं। इनमें दूसरे बच्चे भी आ सकते हैं। लेकिन हरिजनोंको तो इनमें आनेका पूर्ण अधिकार है।

आपको 'हरिजन' नाम दिया गया है, यह तो कड़ुवे नामके बदले मवुर नाम दिया गया है। इस नामको अनेकों हरिजनोंने स्वीकार किया है। 'अस्पृश्य' जैसे खराब नामके बदले यह नाम अच्छा है। यह नाम एक हरिजनने ही चुझाया था। दुरे नामसे पुकारनेमे जो अविनय है वह इससे दूर हो जाता है। जब अस्पृश्यता मिट जायेगी तब या तो हिन्दूमात्र अपने आपको 'हरिजन' नामसे पुकारेंगे अथवा हरिजन सम्पूर्णतया हिन्दू-समाजमे मिल जायेंगे। तीसरा मार्ग यह है कि हिन्दू जाति ही नामशेष हो जायेगी। लेकिन इस विपत्तिको टालनेके लिए आज बहुत प्रयत्न किया जा रहा है। हरिजन सेवा संघ द्वारा यही काम हो रहा है जिससे अस्पृश्यता नष्ट हो जाये।

श्रद्धानन्द वस्तीमे आनेसे मुझे आनन्द हुआ है। हिन्दू-समाजमें ऐसा कौन होगा जो स्वर्गीय श्रद्धानन्दजीके नामसे परिचित न हो? श्रद्धानन्दजीके हृदयमें हरिजनोंके लिए जितनी दया और प्रेमभाव था उतना और किसीके हृदयमें नहीं हो सकता। हिन्दू जातिने अभिमानवश अस्पृश्य वर्गकी उत्पत्ति की है। इसका श्रद्धानन्दजीको बहुत मलाल था। इस पापके लिए या तो हिन्दू जातिको नष्ट होना पड़ेगा अथवा अपने पापका परिमार्जन करना होगा। परिमार्जनके इस कार्यमे आप मदद करें। दूसरे हरिजनोंके पास आप यह सन्देश ले जायें। जो शुद्धियज्ञ हो रहा है उसमें आप अपना योगदान दें। बाह्य और आन्तरिक सफाई रखें, नरे ढोरोंका मांस खाना छोड़ दें, गोमांस-भक्षणका त्याग करें। यह तीन काम तो आप अवश्य ही करे। चौथी बात यह है कि आप शराब पीना छोड़ दे। अन्य हिन्दू यदि शराब पियें तो भी आप उसे छोड़ दें। आपका तो पतन किया गया है और अब आपको अपने ही बलपर चढ़ना है, इसलिए मैं आपसे शराब छोड़नेकी विनती करता हूँ। आप इतना करें और अन्य हरिजनोंसे भी इसे करनेके लिए कहें। आपने मुझे थैली भेंट की है। लेकिन हरिजनोंसे तो मैं कौड़ी भी नहीं माँगता। आपको तो हमें देना है। हमपर तो आपका ऋण है। तथापि हरिजन देते हैं तो मैं ले रहा हूँ। इसका अनेक गुणा आपको वापस दिया जायेगा। लेकिन आपको देनेकी जरूरत नहीं।

[ गुजरातीसे ]

हरिजनबन्धु, २४-१२-१९३३

## ३६०. भाषण : महिला-सभा, दिल्लीमें

१४ दिसम्बर, १९३३

परमात्मा, जो सबका स्रष्टा है, की आँखोंमें उसके सब प्राणी बराबर है। अगर उसने मनुष्य-मनुष्यके बीच उच्च और नीचका कोई भेदभाव रखा होता तो वह दिखाई देता जैसे कि, मिसालके तौरपर, हाथी और चीटीमें भेद नजर आता है। लेकिन उसने तो सभी मनुष्योंको बिना किसी भेदभावके समान आकार-प्रकार और समान स्वाभाविक आवश्यकताएँ प्रदान की हैं। यदि आप हरिजनको मल-मूत्र आदि साफ करनेके कारण उन्हें अस्पृश्य मानती हैं तो क्या एक माँ अपने बच्चोंके लिए रोज यही काम नहीं करती? तब क्या इस कारण ही वह अस्पृश्य बन जाती है? जिस प्रकार माँ नहा-धोकर शुद्ध बन सकती है, उसी प्रकार यही बात भगियोंके ऊपर भी लागू हो सकती है।<sup>१</sup> हरिजनको, जो समाजके सबसे ज्यादा उपयोगी सेवक है, अस्पृश्य और अछूत समझना अन्यायकी चरम सीमा है। मैं यह दौरा हिन्दू बहनोंको इस पापके प्रति सचेत करनेके लिए ही कर रहा हूँ। किसी व्यक्तिको अपनेसे हीन समझना कभी भी तारीफकी बात नहीं हो सकती। हम सब एक ही परमात्माके उपासक हैं, जिसकी उपासना हम विभिन्न नामोंसे करते हैं। इसलिए हम सबको अपनी आधारभूत एकताको पहचान लेना चाहिए तथा छुआछूतकी और मनुष्योंमें अमुक छोटा और अमुक बड़ा है इस भावनाका त्याग कर देना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१२-१९३३

## ३६१. अनन्तपुरमें मैंने क्या देखा ?

मध्यप्रान्त (हिन्दी-भाषी)के सागर जिलेमें अनन्तपुर एक छोटा-सा गाँव है। इस गाँवमें कुल १७७ घर हैं, और जन-संख्या लगभग ८८५ है। सबसे करीबका रेलस्टेशन यहाँसे ३५ मील दूर है। यहाँ डाकघर और तारघर नहीं हैं। अनन्तपुरसे १२ मील दूर रहली गाँवसे सप्ताहमें एक बार डाक आती है। यहाँके लिए यही निकटसे निकट डाकघर है। दरिद्र भारतका, नमूनेके बतौर, यह एक अत्यन्त गरीब गाँव है। सालमें चार महीनेसे ज्यादाका काम गाँववालोंके पास नहीं रहता। चार साल पहले तक यहाँके तमाम लोगोंके लिए मुश्किलसे शायद ही कोई सहायक घन्वा था। उसके बाद एक घटना घटी।

१. ये दो वाक्य हिन्दुस्तान टाइम्स, १५-१२-१९३३ से लिये गये हैं।

१९२९ के सालमें अपनी राजवकी धुनके एक उत्साही नवयुवकने अपने प्रयोगके लिए यह अनन्तपुर गाँव चुना। ऐसे गाँवकी तलाशमें, वह एक सालसे बराबर भटक रहा था। खट्टरके पीछे तो वह पागल है। खट्टरके सन्देशमें उसका शायद मेरे बराबर ही विश्वास है। मुझे शक है कि कहीं वह मेरे 'शायद'के स्थानपर 'अगर अधिक नहीं तो' न कर दे। अगर उसने यह संशोधन कर दिया, तो मुझे कोई आपत्ति न होगी। उस तरुणका आत्मविश्वास ऐसा है जो हममें से बड़ेसे-बड़े आदमीको लज्जित कर सकता है। उसका विश्वास है कि भारतकी कृषक-जनताकी मजबूरीकी बेकारी, और फलस्वरूप उसकी चिर-निर्धनताको दूर करनेका कोई एकमात्र स्थायी उपाय है तो यही है कि चरखेको व्यापक रूपसे अपनाया जाये। उस युवकका नाम है जेठालाल गोविन्दजी। भाई जेठालाल अंग्रेजी नहीं जानते। गुजरातीके भी वह विद्वान नहीं है। यद्यपि पालन-पोषण उनका नगरमें हुआ, तो भी बड़ी तितिक्षासे उन्होंने अपने आपको ग्राम-जीवनकी मुसीबतें सहन करने योग्य बना लिया है और गाँववालोंके बीचमें रहकर वह वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके साथ तीन कार्यकर्ता हैं। एक समयमें एक ही काम किया जाये, इसमें उनका दृढ विश्वास है, और इसीलिए वह और कोई सामाजिक सेवा, चाहे वह कितनी ही लुभानेवाली हो, नहीं करते। उनका खयाल है कि अगर घर-घरमें चरखेका अच्छी तरह प्रचार हो गया, तो बाकी समस्याएँ, जो गाँववालोंको हैरान किये रहती हैं और उन्हें नीचे गिरा रही हैं, अपने-आप ही हल हो जायेगी। उनका कहना है कि "किसी गाँववालेसे शराब न पीने और किफायतशारीसे रहनेको मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी शराबी, जबतक वह शराबकी लत नहीं छोड़ेगा, चरखेको छुएगा भी नहीं; और कगालके सामने किफायत-शारीके गीत गाना तो एक तरहका मखौल ही होगा। उसकी जेबमें ताँबेके कुछ गोल-गोल टुकड़े डालनेके बाद ही उसे किफायतशारीका उपदेश देना समयानुकूल होगा। चूँकि मैं मानता हूँ कि चरखेका हरएक चक्कर उसके दैनिक जीवनमें क्रान्ति करने-वाला होगा, इसीलिए उसकी बहुत-सी बुराइयों और कमजोरियोंको मैं धीरजके साथ सहन कर लूँगा। और मेरा विश्वास है कि यदि मैं स्वयं पवित्र हूँ, तो मेरी पवित्रता गाँववाले भाइयोंके बाह्य और आन्तरिक, दोनों शरीरोंका स्पर्श किये बिना नहीं रह सकती।" भाग्यमें परिवर्तन होते रहनेपर भी, अटल आस्थाके साथ, वह और उनके तीनों साथी पिछले चार सालोंसे अपने उद्यममें बड़ी लगनसे लगे हुए हैं। उनका मूल मन्त्र 'स्वावलम्बन' है। खादी स्वावलम्बी होनी ही चाहिए। स्वावलम्बी बननेका उपाय यह है कि गाँववाले खुद कातें और सम्भव हो तो अपने लिए कपड़ा भी बुने। अपने पैदा किये हुए अनाजका जो अंश बचता है केवल वही वे बेचते हैं। उसी प्रकार बचा हुआ फाजिल कपड़ा ही वे बेचे। जैसे अपने ही खेतमें पैदा हुए और अपने ही घरमें पीसे तथा पकाये हुए अनाजकी रोटीसे ज्यादा सस्ती और कोई रोटी नहीं हो सकती, वैसे ही अपने ही घरमें कते और बुने हुए कपड़ेसे और कोई कपड़ा सस्ता नहीं हो सकता। इन सेवकोंका काम गाँववालोंको कातना-बुनना सिखाना व उसमें मदद देना है। वे हर झोपड़ेमें जाते हैं और उन सबसे ओटना, कातना, धुनना,

बुनना और रँगना सीखनेको कहते हैं, वे उनके चरखोंको सुधारते हैं और गाँवमें चरखे बनाने लायक जो कुछ सामान मिलता है, उसीसे वे बेचनेके लिए नये-नये चरखे बनवाते हैं। गाँवके बढई और लुहारको इस तरह कुछ अधिक काम मिल जाता है। प्रत्येक कामके विषयमें खूब विचार कर लिया गया है। उन्होंने प्रत्येक गाँववालेकी आवश्यकताओं और अभावोंका, उनकी आदतों और रीति-रिवाजोंका काफी अच्छा अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट हिन्दीमें प्रकाशित की है। मधुमक्खियोंके छत्तेकी तरह उनके कारखानेमें खूब चहलपहल मची रहती है। खूब सुघड़ता और व्यवस्थित तरीकेसे वहाँ काम होता है। तमाम कार्यकर्ताओंकी एक किताब रहती है, जिसमें हरएक के रोजाना काम का सक्षेपमें विवरण रहता है। खादी-कार्यकी नीव डालने-वाले चार ही सेवकोंकी यहाँ मैंने चर्चा की है। यो तो अनन्तपुरके चारों ओर पाँच मीलके घेरेमें १७ गाँवोंकी सेवाके लिए उन्होंने कार्यकर्ता पैदा कर दिये हैं।

जो झोपड़े अनन्तपुरमें मैंने देखे, उनके वारेमें भी यहाँ दो शब्द कहूँगा। मैं छ. से अधिक झोपड़ोंमें गया। उनमें से एक झोपड़ा हरिजनका भी था। यहाँ यह कहना ही पडता है कि इस खादी सन्देशके अनुसार काम करनेमें हरिजन भाई सबसे अधिक तत्पर पाये गये।

झोपड़े नीची छतोंके थे। उनकी कच्ची दीवारें मिट्टीकी बनी हुई थी। हवा और रोशनी आनेके लिए झरोखे तो नामको भी नहीं थे। झोपड़ोंमें सन्दूक और घातुके वर्तन-भाँडितक न थे। जिन्होंने अपने लिए खादी बुन ली थी, उन्हें छोड़कर बाकी लोग कटे-फटे चिथड़े पहने हुए थे। मैंने उनके पास जो-कुछ देखा, वह साल-भरका नाज रखनेके लिए मिट्टीका खाली कोठा ही था। एक ही कोठा रसोई बनाने, रहने और सोनेके काममें लाया जाता है। उनके विस्तरे भूसे या पयालके थे, और वे कुछ चिथड़ोंसे ढँके हुए थे। यह बात उन घरोंमें नहीं थी, जहाँ उन्होंने अपने लिए कुछ खादी बुन ली थी। अब उनका भोजन सुनिए—ज्वारकी रोटियाँ और तेल या बिना तेलकी छौक लगी दाल। दूध-धी तो शायद ही उन्हें कभी नसीब होता हो। जिस चमार भाईका झोपड़ा मैंने देखा, वह एक अपवाद था। उसके यहाँ दो गायें थी। उसे और उसके बच्चोंको कभी दूधकी एक बूंद मिल जाती है या नहीं, यह तो एक दूसरी बात रही। गाँववालोंको अपर्याप्त भोजन मिलता है और पहननेको कपड़े तो और भी कम। कुछ बच्चे तो वारहो महीने बिलकुल नंग-धड़ंग ही रहते हैं। दिनमें धूपसे और रातमें फूसकी आगसे वे अपने ठिठुरते हुए तनको गरम कर लेते हैं। मुझे बताया गया कि अनन्तपुरमें कुछ ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने खदरके घन्वेको एक पैसेकी रूई खरीदकर शुरू किया था। एक पैसेकी रूई खरीदकर जो सूत काता गया, उसे बेचकर दूसरे दिन दुगुनेसे काम शुरू किया गया। इस तरह धीरे-धीरे पूंजी बढ़ाकर अब वे अपने कपड़े आप तैयार करने लगे हैं।

मेरे दौरेके अवसरपर जो विवरण-पुस्तिका तैयार की गई थी, उसमें से यहाँ कुछ अंश मैं नीचे उद्धृत करता हूँ:—

सारे सामानकी यह लागत है :

ओटनेकी चरखी	र० आ० पाई
घुननेकी कमान, ताँत और हत्या	०-७-०
चरखा और तकुआ	०-९-६
अटेरन या नटाई	०-६-६
३२ इंच चौड़ा करघा और उसका सब सामान	०-१-०
	३-०-०
	<hr/>
कुल	४-८-०
	<hr/>

अनन्तपुरके चारों ओर पाँच नीलके चक्करमें १७ गाँवोंमें हम खादीका काम करते हैं। इन गाँवोंमें कुल ११०० घर हैं और आवादी ५५०० के लगभग है। हमारे थमके फलस्वरूप ८० प्रतिशत लोगोंने कटाई सीख ली है और ६० प्रतिशत लोगोंने घुनना सीख लिया है।

सौ से अधिक आदमी घुनना सीख गये हैं।

मूतकी साधारण मजदूरी ५६ तक पहुँच गई है और औसतन १० नम्बर तक का मूत कात लिया जाता है।

गाँववालोंके काम करनेका औसत सालभरमें १२० दिनका है —शेष समयमें वे बिल्कुल बेकार बैठे रहते हैं। आजकल हरएक आदमी बेकारीके दिनोंमें मे सालभरमें औसतन ५०० घंटे खादीके काममें लगाता है। हमारा आदर्श तो यह है कि यह औसत सालभरमें हम १६०० घंटे तक पहुँचा दें।

अधिक कार्यकर्ता पैदा कर सकनेपर ही अब हमारे कार्यकी उन्नति निर्भर करती है। आजकल हमारे पास तीन मुख्य कार्यकर्ता, तीन सहकारी, पाँच उप-सहकारी, पाँच मददगार और चार उम्मीदवार हैं।

हमारे मासिक खर्चका औसत ३२५ रुपये हैं। अखिल भारतीय चरखा संघकी ओरसे हमें यह पैसा मिलता है।

इस महान् प्रयोगकी ओर जनताका ध्यान मैं केवल यह दिखानेके लिए ही आकर्षित नहीं कर रहा हूँ कि हरिजनोंको इससे कहाँ तक लाभ है, बल्कि इसलिए भी कि तमाम गाँववालोंपर खादीके इस सफल प्रयोगका कैसा प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोगका उद्देश्य सिर्फ हरिजन-सेवा ही नहीं है; इसका उद्देश्य तो चरखेके द्वारा उन सब गरीब ग्रामवासियोंकी सेवा करना है जिन्हें पर्याप्त भोजन और कपड़ा नहीं मिलते। खादीके द्वारा ग्राम-मुठार करनेका इससे अधिक सरल, सस्ता और प्रभावकर प्रयोग मैं नहीं जानता। फिलहाल उन्नति तो निस्सन्देह धीमी मालूम होती है, मगर मुझे उम्मीद है कि अन्तमें इस प्रयोगके द्वारा ही उन्नतिकी गति तेजसे-तेज देखनेमें आयेगी।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १५-१२-१९३३

## ३६२. स्मरण रखने योग्य बातें

मेरे गत एक मासके इस प्रवासमे समय तो अधिक नष्ट हुआ ही, कार्यकर्त्ताओंको भी चिन्ता काफी रही—और जैसा मेरा साधारण-सा स्वास्थ्य है, उसे देखते हुए मुझे अधिक और अनावश्यक परिश्रम उठाना पडा, और मेरी मोटर गुजरते समय उसकी ओर अव्यवस्थित भारी भीड़ उमडनेके कारण ही यह सब हुआ। याद नही कि कितने ही अवसरोंपर लोगोंने मेरे पैरकी उँगलियाँ कुचल दी और मेरे पैर खरोच डाले। अवतक ईश्वरने ही मुझे किसी गहरी चोटसे बचाया है। पर मेरी इस रक्षाका श्रेय वे अव्यवस्थित जनसमूह नही ले सकते। लोग तो प्रेममे पागल हो जाते हैं। और यह स्पष्ट है कि पागलपनसे किसीका कोई भला नही होता। अगर स्वयसेवक लोग खुद अच्छे ढंगसे काम करे, और जैसा कि अक्सर देखनेमे आया है, उमडी हुई भीडके साथ वे खुद पागल न हो जाये, तो सुव्यवस्था बडी आसानीसे हो सकती है। एकाएक तो लोगोको किसी बातकी हिदायत दी नही जा सकती। इसलिए यह अच्छा हो कि पहलेसे ही पर्चे छपाकर लोगोमे बाँट दिये जाये और स्वयसेवक सभा-स्थलमे आनेवाली जनताको सारी हिदायते पढ-पढकर भली-भाँति समझा दिया करे। इस तरहकी सबसे अच्छी व्यवस्था तो हर्दामें की गई थी। वहाँके सुसज्जित बाजारमे यद्यपि काफी रेलपेल थी, तो भी हम लोगोको उस भीडमे से गुजरनेमें दस मिनटसे ज्यादा नही लगे। दूसरी जगहोंपर उतना ही फासला तय करनेमे अक्सर आध घंटेसे भी अधिक समय लगा है। हर्दामें जो सफलता मिली, वह सिर्फ पहलेसे की गई तैयारियोंके कारण ही नही मिली, बल्कि उसका बहुत सारा श्रेय तो स्वयसेवकोंपर था, जो ठीक-ठीक फासलेपर एक लम्बी रस्सी पकडे कतारोमे खडे हुए थे। उनकी लाइनको लाँघकर कोई जा ही नही सकता था। खैर, अब मैं सर्वसाधारणके सूचनार्थ चन्द हिदायतोंकी एक सूची नीचे देता हूँ। मुझे आशा है कि इन हिदायतोंपर सामान्य रीतिसे मेरे प्रवासमें सर्वत्र अमल किया जायेगा।

(१) हिदायतोंके पर्चे ऐसी सरल भाषामे छपाकर गाँववालोमे बाँट दिये जाया करे, जिसे वे आसानीसे समझ ले। गाँवोंसे ज्यो ही लोग सभा-स्थल पर आने लगे, उन्हें ये पर्चे पढ-पढकर भली-भाँति समझा दिये जाये।

(२) स्टेशनोपर जो लोग मुझे लेने आये, उन्हें कतारे बाँध-बाँध कर खडे हो जाना चाहिए, ताकि मुसाफिरोको किसी तरहकी असुविधा न हो। जब गाडी प्लेटफार्म पर आ जाये, तब भी उन्हें अपनी जगहोंसे नही उठना चाहिए।

(३) प्लेटफार्मपर गाडी पहुँचनेसे कुछ मिनट पहले भीडके आगे स्वयसेवकोंको कमर तक ऊँची एक लम्बी रस्सी पकड़ाकर खडे कर देना चाहिए, इससे पीछे खडे हुए आदमी अनजानमे मेरी ओर तथा रेलकी तरफ न आ सकेगे।

(४) स्वयंसेवक लोग किसी भी हालतमें मेरे सामने साष्टांग दंडवत न करे।  
 (५) स्वयंसेवकोको 'जयकारो' या दूसरे नारोमे भाग नहीं लेना चाहिए। इससे उनके उचित कर्तव्य-पालनमे तो बाधा पड़ती ही है, साथ ही उनके उन जयकारोमे भाग लेनेसे नारोकी स्वतःस्फूर्तिता समाप्त हो जाती है।

(६) अपनी हिदायते स्वयंसेवक जोरसे चिल्ला-चिल्ला कर जनताको न सुनाये, बल्कि धीरज और नरमीसे समझाया करे। सिर्फ एक ही स्वयंसेवक, जो इस कामके लिए नियत किया गया हो, उन आदेशोंको सुनाया करे।

(७) लोगोसे प्रार्थना की जाये कि वे मोटरगाड़ियोको चारो ओरसे घेर न लिया करें।

(८) जबतक स्वागत समितिका कोई उत्तरदायी सदस्य न कहे, किसी हालतमे स्वयंसेवकोको मेरी या किसी दूसरी मोटरगाड़ी पर नहीं चढ़ना चाहिए।

(९) मेरी रेल-यात्रामे रातके ८ बजेसे लेकर सवेरे ६ बजे तकके दरम्यान जनता किसी स्टेजनपर जमा न हो, और रातको लोग जयकारके या दूसरे नारे तो हर्गिज न लगायें। रातमे इन नारोके बुलन्द करनेसे मुसाफिरों तथा मेरे साथियोके आराम और शान्तिमें खलल पड़ता है।

(१०) दिन या रातको जो लोग स्टेजनोपर जमा हो जाते हैं, यह अच्छा होगा कि वे एक बातका सदा स्मरण रखें। वह यह कि मैं मानपत्र बटोरनेके लिए यह दौरा नहीं कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य तो लोगोसे आत्मशुद्धि करनेके लिए कहना है, तथाकथित उच्च वर्गीय हिन्दुओंको हरिजनोके प्रति किये गये उनके अन्यायका प्रायश्चित्त करनेको आमंत्रित करना है, और हरिजन-कार्यके लिए धन-संग्रह करना है। इसलिए स्टेजनोपर आनेवाले भाइयोसे स्वाभाविक रीतिसे मैं यही आशा करूँगा कि निजी अथवा सामूहिक रूपसे वे कुछ-न-कुछ पैसा लेकर ही आया करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १५-१२-१९३३

### ३६३. पत्र : अगाथा हैरिसनको

३५ दिसम्बर, १९३३

असंशोधित

प्रिय अगाथा,

मैं यह पत्र बहुत सवेरे चलती हुई ट्रेनमें लिख रहा हूँ। मीराने अब नियमित पत्र लिखने बन्द कर दिये हैं। वह सेवा-शुश्रूषा, खाना बनाना, बोटल धोना, 'हरिजन' के प्रूफ पढ़ना, तथा यूरोप और अमेरिकाके लोगोसे पत्र-व्यवहार करनेका काम एक साथ करे, और फिर भी उसका शरीर न टूट जाये, ऐसा नहीं हो सकता।

तुम्हारे पत्र मूल्यवान होते हैं।

भूलाभाई देसाईके कामके बारेमे तुम्हारा जो कहना है उसमे कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। इससे कमकी मुझे आशा भी नहीं थी।

रोममे काल्पनिक भेट करनेके सम्बन्धमे बेशक, मुझे रोमके पत्र-प्रतिनिधि<sup>१</sup> द्वारा पुन स्पष्टीकरण कभी देखनेको नहीं मिला। मैं तो जेलमे था। लेकिन यदि मैं पहले-वाला वक्तव्य और दुवारासे की गई पुष्टिको देखूँ तो मैं इसपर प्रकाश डाल सकूँगा। यह बात सर्वथा सत्य है कि अविश्वासी लोगोकी ईश्वर कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पडता। मुझे तो सच्चे मनसे शका करनेवाले लोगोका समाधान करना ही चाहिए। तुम्हारे लिए सबसे शीघ्र फलदायी रास्ता यह है कि तुम या अन्य कोई मित्र 'टाइम्स'की फाइल प्राप्त करके दोनो वक्तव्योकी नकल तैयार कर लो और अगली ३ अगस्त<sup>२</sup> से पहले-पहले मुझे भेज दो। तुम्हारे लिए यह काफी लम्बा नोटिस है।

यदि तुम्हारे प्रयत्न बोसको इंग्लैंड जानेकी अनुमति दिलानेमें सफल हो जाते हैं तो यह अच्छी बात होगी। मैं नहीं समझ पाया कि उन्हे लन्दनसे दूर क्यों रखा जा रहा है।

पहलेकी तरह अखबारोकी कतरने साथ सलग्न है। सभाओमे अभूतपूर्व लोगोकी उपस्थिति देखकर कट्टरपथी विरोधी कुछ समयके लिए विस्मयाभिभूत हो गये थे। लेकिन अब वे उससे उबरने लगे हैं। हालाँकि विरोधी लोगोकी तादाद काफी कम है लेकिन जहाँतक मैं समझा सका हूँ, उनके पास पैसा है, जिसके बलपर वे टिके हुए हैं। इसलिए सभाओमे वे गड़बड़ी पैदा करानेकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे आशा है कि मैं इस विरोधका सामना कर सकूँगा।

राजनीतिक स्थिति लगभग पहले जैसी ही है। सरकारके रुखकी झलक बर्दवानके कमिश्नर द्वारा दिये गये भाषणमे मिलती है।

सप्रेम,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४७६) से।

१. सिगनोर गायडा; देखिय खण्ड ४८, पृष्ठ ४७२ तथा ४७३ और खण्ड ५७, "पत्र : सर सैम्युअल होरको", ६-३-१९३४ भी।

२. इस तारीख को गाधीजी जेलसे रिहा होनेवाले थे; देखिय खण्ड ५५, पृष्ठ ४४५।



### ३६४. पत्र : होरेस जी. अलेक्जेंडरको

१५ दिसम्बर, १९३३

प्रिय होरेस,

रोममें काल्पनिक भेटके सम्बन्धमें तुमने अगाथा को जो पत्र लिखा था वह उसने मुझे भेज दिया है। पत्रकारिताका कितना पतन हो गया है, यह देखकर आश्चर्य होता है। भगवानका शुक है कि व्यापक रूपसे पढ़े जानेवाले समाचारपत्र भी मानव-समाजके बहुत बड़े हिस्सेको प्रभावित नहीं कर सके हैं। लेकिन ऐसा सोचनेके बाद भी मुझे उस विशिष्ट आरोपका उत्तर देनेकी आवश्यकतासे किसी भी प्रकार छुटकारा नहीं मिलनेका है। यदि अगाथा रोमके पत्र द्वारा दिये गये दोनो वक्तव्योंको ढूँढ सके तो मैं इस मामलेको तुरन्त निपटा सकता हूँ।

आशा है तुम और ऑलिव<sup>१</sup> अच्छी तरह होगे।

तुम सबको प्यार,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १४२२) से।

### ३६५. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

१५ दिसम्बर, १९३३

चि० अमला,

तुम्हें न देखकर मुझे निराशा हुई।<sup>१</sup> तुम्हें जो भय था, उसके जवाबमें मैंने लिखा था कि मैं तुम्हें भगा नहीं दूंगा। तुम्हें अपनेको शान्त रखना चाहिए तथा स्वाभाविक ढंगसे रहना, सोचना, और बोलना चाहिए। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझसे भय नहीं होना चाहिए।

मुझे रक्तचाप बिलकुल नहीं है। पत्र अवश्य लिखो।

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल पेपर्स; सौजन्य . नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

१. होरेस अलेक्जेंडरकी पत्नी।

२. देखिए "पत्र : मार्गरेट स्पीगलको", ७/९-१२-१९३३।

३. साधन-सूत्रमें यह शब्द रेखांकित है।

## ३६६. पत्र : एस्थर मेननको

१५ दिसम्बर, १९३३

प्रिय बिटिया,

मुझे तुम्हारा मार्मिक पत्र मिला। खैर, तुम्हें मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकारके दुःखोंमें खुश रहना चाहिए। तुम अब वही करो जिससे तुम्हारी अपनी अन्तरात्मा सन्तुष्ट होती हो। अन्त भला होगा। बेशक, मारिया' तो टूट जायेगी। लेकिन हम सब तो ईश्वरके हाथमें हैं, उसकी आज्ञाके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। यदि हम सब-कुछ अपनी इच्छानुसार कर सकते होते, तो ससारका तो विनाश ही हो जाता। शायद यह एक तरहसे अच्छा ही है कि हमारी इच्छाएँ अक्सर ही अपूर्ण रह जाती हैं। ईश्वरके प्रति हमारी वफादारीकी इससे यह परीक्षा हो जाती है कि जब वह हमारी इच्छाओकी पूर्ति नहीं करता, हम तब भी उसमें श्रद्धा रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हें सारी बातें बिगडती प्रतीत हों, उस समय भी तुम पूर्ण शान्तिका अनुभव करो।

मेरी दुआ, मेरा मन और मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। वाकी बातोंके लिए साप्ताहिक 'हरिजन' तुम्हारे लिए मेरा साप्ताहिक पत्र है, जैसा कि वह बहुतसे मित्रों और साथियोंके लिए है।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (न० १२३) से, सौजन्य . राष्ट्रीय अभिलेखागार, माई डियर चाइल्ड, पृष्ठ १०२ भी

## ३६७. पत्र : जे० एस० हॉयलैंडको

१५ दिसम्बर, १९३३

प्रिय हॉयलैंड,

कुछ समय पहले तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम उन भजनोको प्रकाशित कर सकते हो। बेशक तुम प्रकाशित कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिखनेका तुम मुझे कोई श्रेय नहीं दोगे। तुम भूमिकामे इतना लिख सकते हो कि मैंने अंग्रेज मित्रोंके उपयोगके लिए खास तौरपर मीराके लिए एक कामचलाऊ अनुवाद तैयार किया था, और तुमने उस अनुवादको सुधार दिया है।<sup>१</sup>

१. पेन मारी पीटरसन।

२. देखिये खण्ड ४४, पृष्ठ ३९४ की पाद-टिप्पणी।

३५३

बहुतसे मित्रों द्वारा प्रेमपूर्वक हस्ताक्षर किये हुए तुम्हारे पोस्टकार्ड मुझे मिले। मुझे पता है कि तुम्हारी मौन प्रार्थना-सभाओंमें मेरे कार्यकी सफलताके लिए भी प्रार्थना होती है।

तुम सबको प्यार,

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४५१०) से; सौजन्य · वुडब्रुक कालेज, बर्मिंघम तथा जैसी हाॅयलैंड

### ३६८. पत्र : महालक्ष्मी एम० ठक्करको

वर्धा

१५ दिसम्बर, १९३३

चि० महालक्ष्मी,

बच्चोंके बारेमें चिन्ता न करना। माधवजीकी भी न करना।

बच्चोंके बारेमें मैंने बातचीत कर ली है। यदि माधवजी अपने धर्मका पालन करना चाहे तो उन्हें मत रोकना। मुझे मिलना जरूरी हो तो मैं जहाँ होऊँ वहाँ आकर मिल जाना।

सब बहनोंको,

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६८२४) से।

### ३६९. बातचीत : एक सनातनीसे'

[१६ दिसम्बर, १९३३ से पूर्व]

आपको यह समझना चाहिए कि ऐसे कितने ही शास्त्री मौजूद हैं, जो सनातनी होनेका दावा करते हैं और साथ ही सुधारकोंके पक्षका समर्थन करते हैं। यह मैं कैसे मान लूँ कि शास्त्रोंका प्रमाण देकर वे शास्त्री जो कहते हैं, वह असत्य है? वे लोग मेरे इस विचारको और भी दृढ़ करते हैं कि अस्पृश्यताके लिए शास्त्रका आधार नहीं है। मैं वेद, उपनिषद, स्मृतियों और पुराणोंको मानता हूँ। पर मैं 'गीता'-को शास्त्र-ज्ञानकी कुंजी मानता हूँ। 'गीता' में यह बात बताई गई है कि हमारा आचरण किन सिद्धान्तोंपर आधारित होना चाहिए। 'गीता' में समस्त शास्त्रोंका निचोड़

१. यह सनातनी हिन्दू गांधीजीसे विजयवाड़ा जाते समय मिला था, जहाँ गांधीजी १६ दिसम्बरको पहुँचे थे।

आ जाता है। इसलिए साधारण मनुष्यको 'गीता' के बाद किसी अन्य ग्रन्थको पढनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। पर मैं तो इससे भी एक कदम आगे जाता हूँ। वेदोके नामसे जो चार ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, वे ही 'वेद' नहीं हैं। इन ग्रन्थोमे तो मूल वेदोके कुछ अंशमात्र ही हैं। जो सत्य सनातन है, उसे इन छपे हुए ग्रन्थोमे ही गाढा या सीमित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरा विश्वास है कि वेद अनिर्वचनीय हैं और अलिखित हैं। वेदोका वास तो मनुष्यके हृदयमें है। और हमारे शास्त्रोंने बताया है कि हृदय मे इस सत्यका स्फुरण होनेके लिए किस प्रकारकी साधना और अभ्यास करना चाहिए। अतः मनुष्यका निजी अनुभव ही इसके लिए प्रमाणस्वरूप समझना चाहिए। ग्रन्थोकी सहायता मनुष्यको मिलती है सही, पर इन ग्रन्थोका भी अर्थ तो करना ही होता है, और जब एक ही वचनके भिन्न-भिन्न अर्थ किये जाते हों, तब सत्यशोधक स्वयं ही अन्तिम निर्णयकर्त्ता है। इस तरह मुझे भी अपने लिए निर्णय करना पड़ा है। वर्षों पहले मैंने यह निर्णय कर लिया था, और मैं इस परिणामपर पहुँच गया था कि आज जिस अस्पृश्यताका पालन हम करते हैं, शास्त्र उसका समर्थन नहीं करते।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, २२-१२-१९३३

## ३७०. भाषण : हरिजन सेवकोंकी सभामें

विजयवाडा

१६ दिसम्बर, १९३३

गांधीजीने कहा कि आप सब लोगोसे मिलकर तथा आपकी साहित्यिक प्रतिभाका प्रमाण पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, यह तो मुझे हमेशासे पता था कि आन्ध्रप्रदेशके लोग कविताएँ लिखनेमें और उन्हें प्रेमपूर्वक पढनेमें अच्छे हैं और इसीलिए मैं यह अनुभव किये बिना नहीं रह सका कि आज शाम जो कविता-पाठ मैंने देखा वह कुछ हृद तक बेकार था। काव्य और कलाको तो सत्यके प्रचारका साधन होना चाहिए, उनका उपयोग कभी भी चापलूसीके लिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि कविताके ऐसे प्रयोगसे न केवल कलाका ही ह्रास होगा बल्कि सत्यका भी खंडन होगा। चूँकि इस समय आप सब लोग हिन्दू-धर्मकी शुद्धिके आन्दोलनमें लगे हुए हैं इसलिए मैं हरएकसे यह आशा करता हूँ कि वह सत्यके मार्गका अनुसरण करे। मुझे आन्ध्रप्रदेशसे बड़ी आशाएँ हैं और मैं जानता हूँ कि वह उन आशाओंको फलीभूत करेगा।'

आप चाहे सवर्ण हिन्दू हो या हरिजन, हरिजनोके हित के लिए आप जो भी योगदान कर रहे हों उसमें विल्कुल भी खोट नहीं होना चाहिए। इस प्रकारके

१. इसके बादका अंश डॉ. क्राँनिकल-से लिया गया है।

आन्दोलनमें स्वार्थ, छल-कपट, असत्यता और हिंसाके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धार्मिक आन्दोलन होनेके नाते इसमें हरिजनों और सवणों, दोनोंके हृदयको छूनेकी क्षमता होनी चाहिए। हजारों सालसे ऊँच और नीचके भेदने हमारे दिलोंमें गहरी जड़ पकड़ ली है। केवल धर्मास्त्रो द्वारा ही अस्पृश्यताका नाश हो सकता है।

बहुतसे हिन्दू सन्तों और ऋषियोंने हमें यह शिक्षा दी है कि धर्मकी रक्षा और शुद्धिका एकमात्र साधन प्रायश्चित्त ही है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रायश्चित्तमें स्वार्थ और अहंके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हरिजन सेवामें लगे हुए हैं वे सदैव सात्विक विचारोंसे प्रेरित होंगे।<sup>१</sup>

उन्होंने उन सब सवणों और अवणोंसे जो इस काममें लगे हुए हैं, यह अपील की कि आत्मशुद्धिके सर्वोपरि महत्त्वको पहचानें और इस कामको शुद्धि-यज्ञ समझें।<sup>२</sup>

श्री शम्भु शास्त्रीने पूछा कि क्या आप वेदोंके प्रमाणको मानते हैं?

निश्चित रूपसे।

क्या आप उनका आदर और उनका पालन करते हैं?

अवश्य।

अगला प्रश्न था कि क्या आप यह स्थिति स्वीकार करेंगे कि यदि हरिजनोंको मन्दिरमें प्रवेश करने दिया जाता तो शास्त्रोंके जिन नियमों द्वारा मन्दिरोंका संचालन होता है उन नियमोंका हरिजनोंको पालन करना चाहिए।

सवणोंपर लागू होनेवाले शास्त्रके सारे नियमोंका हरिजनों द्वारा पालन करनेसे उन्हें मन्दिरोंमें प्रवेश मिल जाना चाहिए।<sup>३</sup>

धर्मकी मेरी जैसी समझ है, मेरे पिछले और आजके सब कार्य उस धर्मके अनुरूप ही हैं। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अस्पृश्यता-निवारणके लिए आजकल जो कोशिश की जा रही है उसे वेदोंकी मान्यता प्राप्त है। फिर भी मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस प्रश्नके सम्बन्धमें दो प्रकारकी विचारधाराओंवाले लोग हैं। दोनों ही अपने-आपको सनातनी मानते हैं और हिन्दू धर्म-ग्रन्थोंके आधारपर अपना मत देते हैं।

मैं तो यह मानता हूँ कि जो लोग इस आन्दोलनको अस्पृश्यताके विरुद्ध एक धार्मिक आन्दोलनके रूपमें चला रहे हैं उन्हें अपने विरोधियोंके साथ सहिष्णुताका वर्ताव करना चाहिए, उनकी बात हमेशा शान्ति और धैर्यके साथ सुननी चाहिए और किसी भी हालतमें बचन या कर्ममें क्रोध नहीं प्रकट करना चाहिए। हमारा प्रयास उनका हृदय परिवर्तन करना है। हमें उनकी भी सहायता और सहयोग लेना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमने धार्मिक भावना और ईमानदारीके साथ कार्य

१. इसके बादका अंश हिन्दू से लिया गया है।

२. इसके बाद गांधीजीने एकत्रित लोगोंसे प्रश्न पूछनेको कहा।

३. इसके बादका अंश डॉ. क्राँनिकल से लिया गया है।

किया तो एक दिन वे हमारे साथ हो जायेंगे। उनके लिए हमारे हृदयोमे असीम प्रेम होना चाहिए और यदि हम सच्चे हैं तो हम उनके हृदय जीत लेंगे।

[ अग्रेजीसे ]

हिन्दू, १७-१२-१९३३ तथा बॉम्बे क्रॉनिकल, २०-१२-१९३३

### ३७१. भाषण : विजयवाड़ाकी सार्वजनिक सभामें

१६ दिसम्बर, १९३३

सब लोगो तक अपनी आवाज पहुँचा पानेमें अपनी असमर्थताके लिए क्षमा माँगनेके बाद गांधीजीने सभामें दिये गये अभिनन्दनपत्रों और थैलियोंके लिए धन्यवाद प्रकट किया।

क्या यह अच्छा नहीं रहता कि अलग-अलग थैलियोंकी जगह एक ही थैली जमा की जाती? इस प्रकार हम अपना बहुत-सा बहुमूल्य समय बचा सकते थे। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा किया नहीं गया। लोग अभिनन्दनपत्र और थैलियाँ अपने नामसे या अपने गाँवके नामसे भेंट करना चाहते हैं, हालाँकि हम सब एक ही देशके रहनेवाले हैं और हमारी दशा एक जैसी ही है।

आगे बोलते हुए गांधीजीने बताया कि विजयवाड़ाने अबतक रु० ३,९८२-८-० तक दिये हैं और कहा कि मुझे यकीन है कि मैं जबतक आपके पाससे जाऊँगा तबतक यह राशि पूरी ५,००० रुपये हो जायेगी। मुझे पता है कि इस नगरके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस सम्बन्धमें मुझे श्री ए० कालेश्वरराव और पट्टाभि सीतारमैयाकी अनुपस्थिति अखर रही है। लेकिन आपको अपने कर्त्तव्यके मार्गपर चलते रहना चाहिए और हरिजन-कार्यको, जो अब दूर-दूर तक फैल चुका है और जो एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अस्पृश्यताकी बुराईको दूर नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि हिन्दू-धर्म मिट जायेगा। किसी सह-मानवको "अस्पृश्य" समझना धर्म नहीं है। सबर्ण जिन अधिकारोंका उपयोग करते हैं वे सब अधिकार हरिजनोंको भी मिलने चाहिए। इतने समय तक हरिजनोंको उनके अधिकारोंसे वंचित रखकर आपने भारी पाप किया है, इसलिए सबर्णोंको प्रायश्चित्त करके इस पापको धोना चाहिए। इस यात्राके दौरान मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ इस प्रकारकी सभाओमें मुझे लोगोंकी भारी भीड़ देखनेको मिली है और मैं इसे इस बातकी निशानी मानता हूँ कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह जनताको पसन्द है। मुझे इसकी भी खुशी हुई है कि जनताने पैसा दिया है। हरिजनोंसे मेरी अपील है कि वे रुपये-पैसेके रूपमें ही सहायता न करें, बल्कि बाह्य और आन्तरिक शुद्धिका पालन करे और इस प्रकार इस शुद्धियज्ञमें अपना सहयोग दें। आन्तरिक शुद्धि ईश्वरका स्मरण करके और 'रामनाम' द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जबकि बाह्य शुद्धि

स्नान द्वारा और स्वच्छ रहनेके अन्य साधनों द्वारा। उन हरिजनोंसे जो शराब पीनेके तथा मुर्दार मांस और गो-मांस खानेके आदी हैं मैं यह अपील करूँगा कि वे इन्हें छोड़ दें। कोई भी व्यक्ति जो इन सब चीजोंका शिकार है, हिन्दू नहीं कहा जा सकता और न ही उसे मन्दिरोंमें घुसने दिया जा सकता है। मद्यपान एक जघन्य पाप है तथा इसके नशेमें व्यक्ति माँ और पत्नीमें भी भेद नहीं कर सकता।

भाषण समाप्त करनेसे पहले गांधीजीने आन्ध्र हिन्दी प्रचारक संघकी ओरसे दिये गये अभिनन्दनपत्रका उल्लेख किया और कहा कि दक्षिण भारतमें हिन्दीके प्रचारके लिए जो कार्य चल रहा है उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई कि इस मामलेमें आन्ध्र सारे दक्षिण भारतमें सबसे आगे है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हिन्दीके प्रचारमें आप सब मदद करें, क्योंकि अपने देश और अपने राष्ट्रकी सेवा करनेका यह प्रभावकारी साधन है।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १७-१२-१९३३

### ३७२. भाषण : मुदुनुरुमें

१७ दिसम्बर, १९३३

एकत्रित जन-समुदायको सम्बोधित करते हुए गांधीजीने कहा कि समयभावके कारण तथा प्रत्येक स्थानपर कारसे उतरने-चढ़नेकी परेशानीके कारण आप लोगोंके बीच कुछ मिनटोंसे ज्यादा खड़े होनेमें तथा मन्दिरोंमें जानेमें मैं असमर्थ हूँ, और मुझे इसका खेद है। उन्होंने कहा कि चूँकि मुझे अभी बहुतसे गाँवोंमें जाना है, इसलिए मैं जितना सम्भव हो उतना ज्यादा समय बचाना चाहता हूँ। इसलिए यदि मैं मन्दिरोंमें नहीं जाता हूँ तो आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं भगवानके मन्दिरोंमें जाना नहीं चाहता। मुझे विश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह ईश्वरका ही काम है। मैं इस देशमें हरिजनोंके लिए जितना ज्यादा सम्भव हो उतने मन्दिर खोलना चाहता हूँ। आशा है कि हरिजन अपने दूसरे हिन्दू भाइयोंके साथ मन्दिरोंमें रोज पूजा करेंगे तथा सवर्णोंपर जो नियम लागू होते हैं उन सबका तथा स्वच्छताके सब नियमोंका पालन करेंगे। ऐसा करके तथा जहाँ लोग मद्यपान, मुर्दार-मांस अथवा गो-मांसका प्रयोग करनेके आदि हैं वहाँ इनका त्याग करके हरिजन लोग हिन्दू-धर्मकी शुद्धिमें वास्तविक योगदान देंगे।'

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १८-१२-१९३३

१. इसके बाद गांधीजीके द्वारों हरिजनोंके लिए दो मन्दिर खुले घोषित किये गये।

## ३७३. भेंट : 'हिन्दू' के प्रतिनिधिको'

सिद्धान्तम्

१७ दिसम्बर, १९३३

जो-कुछ मुझे आपके ध्यानमें लानेके काबिल लगते हैं, क्या मैं उनके सम्बन्धमें आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ?

[ गांधीजी ] अवश्य पूछिए, मैं तैयार हूँ। पूछिए।

हालमें मद्रासमें दिये गये अपने भाषणमें श्री एम० के० आचार्यने कहा है कि १५ प्रतिशत हरिजन 'गांधीवाद' नहीं चाहते। इस बारेमें आपकी क्या राय है?

मुझे नहीं पता कि 'गांधीवाद' क्या चीज है। जब मैं खुद ही इसे नहीं जानता तो फिर हरिजन तथा स्वयं श्री आचार्य इसे किस प्रकार जानते हैं? मैं अपने बारेमें किसी विशेषताका दावा नहीं करता। जहाँ तक मैं जानता हूँ, 'गांधीवाद' नामकी कोई चीज नहीं है। मैं तो बस यही जानता हूँ कि मैं हरिजनको स्वच्छ पानी देनेमें लगा हुआ हूँ। मैं उन्हें शिक्षाकी सुविधाएँ उपलब्ध करानेमें लगा हुआ हूँ। जहाँ उन्हें रहनेके लिए जगह नहीं मिलती वहाँ मैं सार्वजनिक सरायोंमें उनके रहनेका प्रबन्ध करनेमें लगा हुआ हूँ। मैं उनको शराब और मुर्दार माससे दूर रखनेका काम कर रहा हूँ। क्या उन्हें ये सब बातें पसन्द नहीं हैं? मैं उन्हें सफाईके प्रारम्भिक नियम बतानेका काम कर रहा हूँ। क्या वे यह नहीं चाहते? मैं उन्हें हिन्दू-धर्मकी मूलभूत बातें बता रहा हूँ, उनके लिए सार्वजनिक मन्दिर खुलवा रहा हूँ। जरा फर्कपर गौर फरमाइएगा। हो सकता है वे मन्दिरोंमें जाना ही न चाहते हों और यदि कोई यह कहे कि उनकी मन्दिरोंमें जानेकी इच्छा ही नहीं है, तो मैं इस बातको निश्चित रूपसे गलत साबित नहीं कर सकता, हालाँकि जो प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे पास है वे सब मेरे ही पक्षमें हैं। जहाँ कहीं भी उन्होंने पाया है कि उनके लिए मन्दिर खोल दिये गये हैं, वे हर्षोन्मत्त हो उठे हैं। आज ही मैंने दो मन्दिर खोले हैं और हरिजनको साथ उनमें प्रवेश करते समय मैंने देखा कि वे किस प्रकार हर्षोन्मत्त हो उठे। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वे मन्दिरोंमें जाना चाहते हैं या नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि सवर्णोंको अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिए। इसमें कोई 'गांधीपन' नहीं है। जो हिन्दू यह मानता है कि अस्पृश्यताका निवारण होना चाहिए, उसे इस कामको समझना ही चाहिए।

१. हिन्दू के विशेष प्रतिनिधिने गांधीजीसे तीसरे पहर भेंट की थी।

२. देखिए पिछला शीर्षक।



एक अन्य व्यक्तिका यह कहना है कि चूंकि आप वर्णाश्रममें विश्वास करते हैं जो कि अस्पृश्यताकी ही एक श्रेणीबद्ध प्रणाली है, इसलिए आप इस समस्याको हल करनेके लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। इस बारेमें आपका क्या कहना है?

मैं वर्णाश्रमको अस्पृश्यताकी ही एक श्रेणीबद्ध प्रणाली नहीं मानता। वर्णधर्मसे मेरा क्या अभिप्राय है, यह मैं बता ही चुका हूँ। वर्णधर्मके अर्थ मैं श्रेणियाँ समझता ही नहीं। वर्णधर्ममें समाजका विभाजन ऊपर-नीचेके हिसाबसे नहीं, समतल अर्थात् बराबरीके आधारपर होता है। इसलिए अस्पृश्यताका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वर्णधर्म एक ऐसा महान् आर्थिक नियम है कि जिसे हम यदि स्वीकार कर लें तो वह हमें उस महाविपत्तिसे बचा लेगा जो संसारके ऊपर आनेवाली है। इस कथनके गमर्थनमें मेरे पास शास्त्रोके पर्याप्त प्रमाण है कि ईश्वरकी नजरमें ब्राह्मण और भंगी विलकुल बराबर हैं।

कुछ लोगोंका ऐसा कहना है कि हरिजन-आन्दोलन सविनय प्रतिरोधके प्रचारका ही एक रूप है और इस यात्राके जरिये आप सविनय प्रतिरोधका ही प्रचार कर रहे हैं। इसके सम्बन्धमें आपकी क्या राय है?

तब तो मैं दो प्रकारके संकटोके बीच फँसा हुआ हूँ। कांग्रेसी मुझपर यह अभियोग लगाते हैं कि मैंने अस्पृश्यता-निवारणार्थ इस तूफानी अभियानको शुरू करके सविनय-अवज्ञा आन्दोलनका अहित किया है। जो लोग मुझपर कोई गुप्त मशा रत्नकेका मन्देह करते हैं वे मुझपर सविनय-अवज्ञा-आन्दोलनको मजबूत बनानेका आरोप लगाते हैं। इन आरोपों और गूढार्थोंसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस यही बात दोहरा कर कह सकता हूँ कि मेरा विलकुल भी कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है। यह तो अत्यावश्यक धार्मिक पुकार है जिसका कि मैं अनुसरण कर रहा हूँ। हजारों लोग जो सभाओंमें आते हैं वे मेरे होठोंसे 'सविनय प्रतिरोध' शब्द नहीं सुन पाते हैं। यह तो शुद्ध रूपसे धार्मिक पुनर्जागरण है। इसका मतलब यह नहीं है कि सविनय प्रतिरोधके सम्बन्धमें मैंने अपने विचार बदल दिये हैं। सविनय प्रतिरोधमें पूरी ईमानदारीकी जरूरत पड़ती है। यदि मैं सविनय प्रतिरोधका प्रचार करनेके हेतु इस आन्दोलनको चलाऊँ तो मैं बेईमानी करनेका दोषी होऊँगा। सविनय अवज्ञाको ऐसे संदिग्ध उपयोगितावाले साधनोंकी जरूरत नहीं है।

आपने अवगत जिन प्रान्तोंकी यात्रा की है उनमें हरिजन-उत्थान कार्यकी प्रगतिके सम्बन्धमें आपके क्या विचार हैं?

सब मिलाकर मेरे अनुभव सुखद हैं और यदि ऐसा ही दूसरे प्रान्तोंके बारेमें भी होता रहा तो फिर मुझे यह कहनेमें कोई झिझक महसूस नहीं होगी कि अस्पृश्यता बहुत तेजीसे समाप्त हो रही है। मेरी सभाओंमें जो हजारों लोग इकट्ठा होते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि इन पैसोंका उपयोग किस कार्यके लिए किया जायेगा, अन्यथा वे मुझे पैसे क्यों देते?

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १८-१२-१९३३

## ३७४. भाषण : मसूलीपट्टममें

१७ दिसम्बर, १९३३

अभिनन्दनपत्रोंका उत्तर देते हुए तथा थैलियों और दूसरी भेंटोंको स्वीकार करते हुए गांधीजीने कहा कि मसूलीपट्टम आनेपर मुझे सबसे पहले डॉ० पट्टाभि सीतारमैयाका खयाल आया। मुझे विश्वास है कि हालांकि डॉ० साहब हमारे बीच शारीरिक रूपसे मौजूद नहीं हैं फिर भी इस सभामें उनकी आत्मा व्याप्त है। जिला तथा ताल्लुका बोर्ड और इस जिलेकी जनता हरिजनोंके लिए जो काम कर रही है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा यह खयाल है कि जबतक एक भी मन्दिर ऐसा है जो सवर्णोंके लिए तो खुला है लेकिन हरिजनोंके लिए बन्द है, जिससे सवर्णोंको तो लाभ होता है लेकिन हरिजनोंको उतना लाभ नहीं होता, तबतक मैं चैनसे नहीं बैठूंगा और न ही तबतक उनको चैन मिलेगा। यदि हिन्दुओंमें ऊँच और नीच, स्पृश्य और अस्पृश्यका भेद चलता रहा तो मेरा निश्चित मत है कि हिन्दू-धर्म धीरे-धीरे खत्म हो जायेगा।'

हम अपनी कन्न खुद खोदेगे। यदि आज हमने अपने अहमे ईश्वरके दिये हुए अवसरको खो दिया तो हमे इसके बदलेमे फूट-फूट कर रोना पडेगा। जबतक इस अस्पृश्यता रूपी दानवका अन्त नही हो जाता और जिनको हमने अबतक अपनी एडी तले रखा है उनको हम हर तरह से अपनी बराबरीका दर्जा नही दे देते तबतक हमे चैनसे नही बैठना चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाये हमे इस पाप-वृत्तिके प्रति सचेत हो जाना चाहिए तथा अपनेको और अपने धर्मको विनाशसे बचा लेना चाहिए।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १८-१२-१९३३ तथा हरिजन, २९-१२-१९३३

१. इसके बादका अंश २९-१२-१९३३ के हरिजनसे लिया गया है।

## ३७५. पत्र : नरहरि द्वा० परीखको

स्थायी पता : वर्धा  
१९. दिसम्बर, १९३३

चि० नरहरि,

मैं मसूलीपट्टममें सवेरेके छः बजे यह पत्र शुरू कर रहा हूँ। रोज ३ बजे उठता हूँ और जितने पत्रोंका जवाब दिया जा सके उतने पत्र लिखनेका प्रयत्न करता हूँ। छः बजे तो [दैनिक] कार्यमें व्यवधान पड़ता है और सात बजे यात्रा शुरू हो जाती है। सोम और मंगलवारको दौरा बन्द रहता है। आज मंगल है इसलिए लिखनेका कार्य जारी रखा जा सकता है। (इतना लिखनेपर मलकानी और बापी नीडु आये और उन्होंने मेरा आधा घंटा लिया।)

तुम्हारे लम्बे पत्रको मैंने सँभाल कर रखा था। तुम्हारा काम अच्छी तरह चल रहा जान पड़ता है। अच्छा है, इसी तरह चलता रहे। महादेवके काममें ज्वारभाटा आता रहता है। “सब दिन होत न एक समान” वह बड़े जोर-शोरसे गाता है (फिर विघ्न आ पड़ा है तथा २० मिनट और वेंकटपय्याको दिये)। अब इस बातको वह स्वयं अनुभवे ले रहा है। हमारा व्यक्तित्व इसी प्रकार बनता चलता है।

आनन्दी वगैरहका काम ठीक चल रहा है। अभ्यासकी व्यवस्था हो गई है। रामनाम भी शंकरभाई और एक संगीतशास्त्री सिखाते हैं। वनमाला और मोहनके पत्र आते हैं। मणि भी साथ हो गई है। बाबलो तो है ही और कुरेशीके वच्चे भी हैं। नी० भाग गई है। उसका लड़का शारदा मन्दिरमें है। वा को यरवदा ले गये हैं।

चरखेके सम्बन्धमें तुमने जो प्रश्न उठाये हैं वे सब उचित हैं। लेकिन फिलहाल उनका हल निकलना सम्भव नहीं जान पड़ता। इस विषयपर अभी तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। मेरे मनमें इन सबका हल तो है ही। पर वह उचित है अथवा नहीं, सो तो आजमानेपर ही मालूम हो सकता है। जिन्दा रहा तो किसी दिन बताऊँगा और ईश्वरकी इच्छा हुई तो हम प्रयोग भी करेंगे।

काकाकी तबीयत ठीक रहती है। वह तो अहमदाबादकी ओर गये होंगे। वे थोड़े दिन स्वामीके साथ रहे। यह उन्हें अच्छा लगा। इन दिनों मुझे उनका कोई पत्र नहीं मिला है।

किशोरलाल खूब बीमार हैं और खाट पकड़े हुए हैं।

दौरेके अनुभव तो क्या लिखूँ? पहलेसे भी ज्यादा लोग आते हैं और मुन्त हस्तसे चन्दा देते हैं।

सुरेन्द्र और दरबारी वर्धामि है। अब कदाचित् कराडी जाये। दोनो ठीक है। वर्धामि बहुत लडकियाँ आई है और अभी भी बहुत आनेकी माँग करती है। विनोबा तो खेडेमे ही रहते है। बालकृष्ण स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। छोटेलालका स्वास्थ्य भी ऐसा ही रहता है।

सबको,

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९०६१) से।

### ३७६. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

१९ दिसम्बर, १९३३

बा,

तेरा पत्र आज ही मिला है। साबरमती [जेल] लिखा मेरा पत्र तुझे मिल गया होगा। मैं तो नियमपूर्वक लिखता रहूँगा। हर सोमवार अथवा मंगलवार लिखूँगा। क्योंकि इन दो दिनोमे ही मुझे थोडी फुरसत मिल पाती है। अपने शरीरका ध्यान रखना। पुनियाँ भेजूँगा। मेरे पास नहीं हुई तो चाहे कहीसे भी तजवीज करूँगा। मुझे ब्लड-प्रेसर रहता है। डॉ० अन्सारीने दिल्लीमे देखा था। मेरी जरा भी चिन्ता न करना। मणिलाल और सुशीलाको जरूर हर पन्द्रह दिनके बाद पत्र लिखा करूँगा। मैं उन्हे लम्बे पत्र लिखता हूँ। तेरा आशीर्वाद सबको भेजूँगा। किसीकी चिन्ता न करना। मनुको भी कुसुमके बारेमे लिखा है। कुसुमकी तबीयत खराब तो रहती ही है। बच जाये तो गनीमत होगी। किशोरलालको ब्रुखार आया करता है। बिस्तरे पर पडा हुआ है। ब्रजकृष्ण भी खाटपर तो है ही। देवदास ठीक है। राजाजी भी ठीक है। वहाँ सब बहनोको मेरा आशीर्वाद कहना। उम्मीद है सब मेहनत करती होगी और सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। रामनाम रामबाण औषध है। मैंने रामदासके लिए एक छोटी गीता बनाई थी। वह प्रकाशित की जा रही है। प्रकाशित होनेपर उसकी प्रतियाँ वहाँ भेजूँगा। अन्य कुछ चाहिए तो मँगा लेना। पत्र वर्धा ही भेजना। अखवार तो मिलते होंगे। तू मुझसे प्रवचन माँगती है। आज तो नहीं भेजूँगा। अगले हफ्ते इसपर विचार करूँगा। तू 'गीता' पढती है, यह अच्छा तो है ही। कौन सिखाता है? वहाँ खानेको क्या मिलता है? जो चाहिए वह तू प्रेमलीला 'बहन अथवा त्रिवेदी' से मँगवा सकती है, यह तो याद है न? अब तो वहाँ कम लोग आते होंगे। इसलिए उचित यही होगा कि हर हफ्ते एक पत्र तू लिखे और मेरे पत्र भी प्राप्त करती रहे। लेकिन जो तुझे ठीक लगे सो करना। ओम मजेमे है। प्रेमावहनकी सहेली

१. छेडी ठाकरसी।

२. पूनाके कृषि कालेजके प्रोफेसर जयशंकर पीताम्बरदास त्रिवेदी।

किसन अभी-अभी मेरे साथ आ गई है। तुझे इसकी याद है न? खूब मेहनती है, पढ़ी-लिखी है।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना बाने पत्रो, पृष्ठ २-३

३७७. पत्र : अमृतलाल वि० ठक्करको

मसूलीपट्टम

१९ दिसम्बर, १९३३

भाई ठक्कर बापा,

साथके कागजात तुम्हारी जानकारीके लिए हैं। भगवानजीका तर्क तो उचित है। मैं उन्हें समुचित उत्तर लिख रहा हूँ। ऐसे कार्य निश्चय ही किये जा सकते हैं।

तुम्हारे प्रस्तावकी नकल अभी मुझे नहीं मिली है। नियमानुसार उसे तुम्हें मुझे भेजना तो चाहिए न? उसकी भाषा परसे मुझे अपने कर्तव्यकी जानकारी होगी।

यहाँका काम तेजीसे हो रहा है। मलकानी- हिसाबनवीस बनते जा रहे हैं, अखवारके सम्वाददाता भी बन गये हैं। यदि शरीर स्वस्थ रहा तो वे पूरा काम देंगे।

लोगोंकी तादाद और चन्दा मव्यप्रदेग जितना ही है।

अभी मैं चार घंटेके नियमका पालन नहीं कर पाया हूँ। इसमें किसीका दोष नहीं। ऐसी चीज तो आदर्श रूप ही होती है। बाकी तो जो ईश्वरको करना होगा, सो करेगा।

काचरे तांतणे मने हरिजीए बांधी,

जेम ताणे तेम तेमनी।

मीराके इस भजनका अनुसरण तो मैं अपनी युवावस्थासे ही करना सीख गया हूँ। इसलिए अड़चन नहीं होती। जो विठाता है, चलाता है, वह सुला भी देगा।

दिल्लीके हरिजन निवासके लिए यदि तुम अथवा धनश्यामदास दिल्ली नगरपालिका सदस्योंसे मिलो तो अच्छा होगा। ये अच्छे होने ही चाहिए।

बापू

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ११३४)से।

## ३७८. पत्र : प्रभावतीको

१९ दिसम्बर, १९३३

चि० प्रभावती,

पटनासे लिखा तेरा पत्र मिला। और अब चूँकि तूने इन्जेक्शन लेना शुरू किया है तो उसका कोर्स पूरा करना बेहतर होगा। कदाचित् उससे लाभ भी हो। मुझे तो इसका कम ही विश्वास है। लेकिन जिस कार्यको आरम्भ कर दिया हो उसे पूरा करना चाहिए।

राजेश्वरको प्रतिमास ५० रुपये भेजनेमें दिक्कत नहीं होगी। मैंने बात कर ली है।

तू मुझसे आकर मिल जाये, इस सम्बन्धमें मैं अपने पिछले पत्र 'मे तुम्हें लिख ही चुका हूँ। यदि तेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है तो अभी तुझे अपना सारा समय दवा करनेमें लगाना होगा न?

राजेन्द्र बाबूको मिलनेमें क्या कोई दिक्कत पेश आती है?

मैंने अपना वजन अभी तो नहीं लिया है, लेकिन तबीयत अच्छी ही है। ब्लड-प्रेसर सामान्य हो गया है, १५८-१०९।

ओम आनन्दपूर्वक है। किसन मेरे साथ आ गई है। तू किसनको जानती है न? बम्बईमें जो रो पड़ी थी वह प्रेमाकी खास सहेली है। वह भीराबहनके साथ जेलमें भी थी। वह मराठी है। बहुत पढी-लिखी है। उसके मनमें सेवा करनेकी बहुत उमंग है। वह वर्षासे मेरे साथ आ गई है। सुमनके बदले रामनारायण' है। मुझे बराबर लिखती रहना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

२०-२२, मद्रास।

२३-३ जनवरी, आन्ध्रदेश, सदरमुकाम वेजवाड़ा।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४३७)से।

१. देखिय "पत्र : प्रभावतीको," १२-१२-१९३३।

२. रामनारायण चौधरी।

## ३७९. पत्र : वनमाला एन० परीखको

चि० वनमाला,

१९ दिसम्बर, १९३३

वाह! अब तो तू अंग्रेजीमें हस्ताक्षर करने लग गई? थोड़े समयमें मेरी गलतियाँ भी निकालने लगोगी न? शरीरको कस रही होगी। तू क्या पढ़ती है? मोहनसे लिखनेके लिए कहना। सुल्ताना<sup>१</sup>, बाबलो, हमीद<sup>२</sup>, वहीद<sup>३</sup> भी लिखें। अपना पत्र तूने पूरा नहीं किया, यह याद है न?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५७८३)से। सी० डब्ल्यू० ३००६ से भी, सौजन्य : वनमाला देसाई

## ३८०. पत्र : भगवानजी पु० पण्ड्याको

चि० भगवानजी,

१९ दिसम्बर, १९३३

तुम्हारे पत्रका जवाब देरसे दे रहा हूँ। यद्यपि मैंने विचार तो बहुत पहले कर लिया था। तुम जो लिखते हो वह ठीक है। पर उसका उपयोग ताकतसे नहीं हिक्मतसे करना होगा। हरिजनोके अलावा दूसरे लोग तो थोड़े ही आयेंगे। उनके लिए तो यह नियम आवश्यक होगा। हरिजनोके लिए तो यह शिक्षाका प्रश्न है पर उनपर तुम सख्ती नहीं कर सकते। वे लोग धीरे-धीरे पाखानोका उपयोग करने लगेंगे। जिस हल्केमें रामजी रहते हैं वहाँ यदि इनका उपयोग किया जा सके तो पाखाने बनवा दिये जायें। परीक्षितलाल जूठाभाई आदि मिलकर जैसा उचित समझे कर लें।

वाड़जकी पाठशालापर ध्यान देते रहना। बालकोकी सख्या बढ़े तो अच्छा। बड़ोको भी छोड़ना मत। इस कार्यमें धीरजकी आवश्यकता होगी। फलकी इच्छा छोड़ देना। मुझे लिखते रहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी नकल (सी० डब्ल्यू० ३६४)से, सौजन्य . भगवानजी पुरुषोत्तम पण्ड्या

१, २ और ३. गुलाम रसूल कुरेशीके बच्चे।

## ३८१. पत्र : शारदा सी० शाहको

१९ दिसम्बर, १९३३

चि० शारदा उर्फ शारदा गौरी उर्फ शारदा कुमारी,

आनन्दीको जो पत्र लिखता हूँ उसे सबके लिए लिखा गया क्यों नहीं माना जाता? यदि उसीमें सबके नाम लिख दूँ तो? तुम सबने जब एक बार उसे अपनी बड़ी मान लिया तो फिर उसकी शिकायत क्यों? तेरे किस प्रश्नका मैंने उत्तर नहीं दिया?

यह सुनकर खुशी हुई कि तू अच्छी तरह पढ़ रही है। लेकिन यह जो तू बीमार पड़ती रहती है उसका क्या होगा? इसका मतलब यही हुआ न कि तू पढ़नेके साथ-साथ भूलती जाती है?

तू क्या खाती है?

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ९९८६५) से, सौजन्य : शारदाबहन जी० चोखावाला

## ३८२. पत्र : विमलचन्द्र वी० देसाईको

१९ दिसम्बर, १९३३

चि० नानु,

तेरा पत्र मिला है, लेकिन तेरी लिखावटमें अभी बहुत सुधारकी गुजाइश है। अक्षर लिखना अर्थात् चित्र बनाना, यदि तू इतना समझ लेगा तो सुन्दर अक्षर लिखेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ५७५७)से, सौजन्य . वालजी गो० देसाई



### ३८३. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्तकी

१९ दिसम्बर, १९३३

बि० हेमप्रभा,

तुमारे पत्र अब कम आते है। मे कारण समझा हूं इसलिये निश्चित हूं। मेरे बंगला प्रबामके बारेमें तुम तो व्यथित नहि हूइ होगी ऐसी आशा रखता हूं। अरुण कैसे है? अब तुमारा शरीर कैसे रहता है?

मेरी मुमाफरी अब तक तो बहुत अच्छी चली है ऐसा कहा जाये। दौड घूप करनेकी शक्ति भी ईश्वर दे रहा है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १७०५) से।

### ३८४. पत्र : ब्रजकृष्ण और रामकृष्ण चाँदीवालाको

१९ दिसम्बर, १९३३

बि० ब्रजकृष्ण,

मे बंनौ बान कि अबतक कोई श्वत या तार मुझे नहि मिला है। मेरी आशा है कि अच्छा मकान कहीं मिल गया होगा और शरीर अच्छा होता होगा। सब हाल मुझे भजवाओं। नित्य एक पोस्टकार्ड मिले तो काफी है और आवश्यकता पर तार।

बापुके आशीर्वाद

माई रामकृष्ण अथवा श्रीकृष्ण,

ब्रजकृष्णके सामने बाते नही बननी चाहिये। दा० अनमारी व सेन पर ही कायम रहना।

बापु

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४०४)से।

## ३८५. पत्र : तोताराम सनाढ्यको

दिल्ली

१९ दिसम्बर, १९३३

भाई तोतारामजी,

तुमारा पत्र मिला है। मुझे योजना पसंद है। उसका अमल यथासभव अवश्य किया जाय।

उत्कलके बालक सतोष देते होंगे।

हरिप्रसाद तो सेवामे तन्मय रहता होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २५३७) से।

## ३८६. पत्र : कल्याणजी वी० मेहताको

२० दिसम्बर, १९३३

भाई कल्याणजी,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं यह उत्तर चलती ट्रेनसे लिख रहा हूँ। तुम्हारा समाचार तो मुझे मिलता रहता था। आशा है तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा। मुझसे मिलने न आनेके मामलेमे भी तुम काफी समयसे काम ले रहे हो। हमारे पास फिजूल खर्चके लिए पैसा कभी हो ही नहीं सकता। कुँवरजी कैसे हैं? नेपोलियनने अब लिखना बन्द कर दिया है। मीठुबहनके स्वास्थ्यमे अब कुछ वृद्धि हुई कि नहीं? पैर कैसा है? मुझे पत्र लिखा करना।

बापुके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २७१०)से।

३६९

## ३८७. भाषण : मद्रास नगरनिगमके मानपत्रके उत्तरमें

२० दिसम्बर, १९३३

महापीर महोदय, नगरपार्षद तथा मित्रो,

आज सुबह मुझे दुबारा अभिनन्दनपत्र<sup>१</sup> भेंट करके आपने जो मेरा सम्मान किया है उसकी मैं दिलसे कद्र करता हूँ। दक्षिणकी यात्रा करनेपर मुझे हमेशा ही बड़ी खुशी होती है। क्योंकि, जैसा कि आप जानते ही हैं, दक्षिणसे मेरे बहुत पुराने सम्बन्ध रहे हैं। गिरमिटिया भारतीय लोगोंसे मेरा निकट सम्पर्क पहले-पहल नेटालमें १८९३ में हुआ था तथा शायद आपमेंसे कुछ लोगोंको याद हो कि नेटालमें मेरा प्रथम सम्पर्क केवल दक्षिण भारतीयोंसे नहीं बल्कि तमिल भारतीयोंसे स्थापित हुआ था तथा मुझे पहले-पहल जिस पीड़ित व्यक्तिका मामला अपने हाथमें लेनेका सौभाग्य मिला था वह एक तमिल<sup>२</sup> व्यक्ति था। तबसे ही दक्षिणने मुझे ऐसे कठोर स्नेह बन्धनमें बाँध रखा है जिसका मुकाबला भारतका कोई भी अन्य भाग नहीं कर सकता।

महोदय, शायद आप न जानते हो, लेकिन कुछेक नगर-पार्षदों और थोड़े-बहुत दूसरे नागरिकोंको शायद इस बातका ध्यान होगा जब पहले मुझे इस महान् नगर-निगमके हाथों एक अभिनन्दनपत्र पानेका सौभाग्य मिला था, उस समय मैंने अपने बहुत-से नाम बताये थे उनमेंसे एक नाम था कुशल भंगी। उस समय मैंने आपकी सार्वजनिक सड़कोकी हालतका जिन्न किया था और कहा था कि इन सड़कोका उपयोग टट्टी-पेशाब करनेके लिए किया जाता है, और ऐसा वे लोग भी करते हैं जो समझदार हैं। मैं आशा करता हूँ कि उस दिशामें काफी प्रगति हुई है। लेकिन आज सफाईका जो मेरा मिशन है वह एक विशेष प्रकारका है, ज्यादा गहरे ढंगका है और, जैसा कि मैंने उसे देखा है, वह विशुद्ध धार्मिक है—दुर्भाग्यवश आज धर्मके जो संकुचित अर्थ लगाये जाते हैं उसके नहीं, बल्कि धर्मके व्यापक अर्थमें धार्मिक है।

जिस सुधारको आज मैंने अपना उद्देश्य बना रखा है उसका सम्बन्ध हिन्दू समाजके भंगी वर्गसे है और धर्म शब्दको उसके व्यापकतम अर्थमें लिया जाये तो इससे इस सुधारका स्वरूप कुछ कम धार्मिक नहीं हो जाता। मुझे लगता है कि यह एक अत्यन्त लोकोपकारी मिशन है जिसके लिए मैं गैर-हिन्दुओंको भी सहयोगके लिए निमन्त्रित करनेमें नहीं हिचका हूँ—वेशक उन जरूरी मर्यादाओके भीतर जिनकी

१. मद्रास नगर-निगमने गांधीजीको ७ मार्च, १९२५ को भी एक अभिनन्दनपत्र भेंट किया था; देखिए खण्ड २६, पृष्ठ २३७।

२. बालसुन्दरम्; देखिए खण्ड ३९, पृष्ठ १२१।

चर्चा करनेका सौभाग्य मुझे मिशनरियोके सामने, मेरे ख्यालमे जबलपुरमें<sup>१</sup>, प्राप्त हुआ था। जैसे-जैसे दिन बीतते जायेंगे आप इस सफाई मिशनका उद्देश्य समझने लगेगे। अस्पृश्यताका अर्थ निश्चय ही ऊँच और नीचका भेद है, और ऊँच और नीचके भेदको मिटाना ही इस सफाई-आन्दोलनका उद्देश्य है। लेकिन तमिल देशमे घुसनेपर आप मुझसे यह आशा न करे कि मेरी दृष्टिमें समाजके उपयोगी सेवकोके प्रति हिन्दू लोगोका जो कर्त्तव्य है, उसकी मैं विशद व्याख्या करूँगा। इसे मैं किसी अन्य अवसर पर करूँगा।

महापौर महोदय और नगरपार्षदो, आज तो मैं बस आपको एक बार फिरसे उस अभिनन्दनपत्रके लिए धन्यवाद देता हूँ जिसे आपने कृपापूर्वक मुझे प्रदान किया है। आशा है कि मैंने जो अनुष्ठान हाथमे लिया है उसकी सफलताके लिए मुझे अपनी पूरी यात्राके दौरान आपकी शुभ कामनाएँ प्राप्त रहेगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २०-१२-१९३३

### ३८८. भाषण : अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी, मद्रासमें<sup>२</sup>

२० दिसम्बर, १९३३

अध्यक्ष महोदय और मित्रो,

मद्रासमे मेरे दौरेका आरम्भ सुखद और शुभ मुहूर्तमे हुआ है। मुझे नगर-निगमसे मानपत्र पानेका सौभाग्य मिला था और अब मुझे मेरे मित्र श्री जमाल साहब<sup>३</sup>के हाथो सदरन डडिया चैम्बर ऑफ कामर्सकी ओरसे एक और मानपत्र प्राप्त करनेका सौभाग्य मिल रहा है। अभी ज्यादा नहीं कोई १८ महीने हुए उनके साथ मेरी लन्दनमे जो लम्बी बातचीत हुई थी उसकी मुझे अत्यन्त सुखद स्मृति है। उस समय हमने ऐसे प्रश्नोपर चर्चा की थी जिनका सारे भारतसे सम्बन्ध था, और अब मैं फिरसे अपनेको उनके साथ पाता हूँ। मित्रो, आप लोगोके आशीर्वादसे मैं आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्यको लेकर मैं निकला हूँ उसको मद्रासमे और बादमें सारे तमिलनाडुमे ही सफलता मिलेगी।

महोदय, आपने मुझसे स्वदेशी प्रदर्शनीका उद्घाटन करनेको कहा है। शायद आपमेसे सब लोग यह बात न जानते हो कि मैं सोच-विचारपूर्वक चीजोको पसन्द करता हूँ। मैं स्वदेशीके मामलेमे अपने-आपको कुछ हद तक विशेषज्ञ मानता हूँ। भारतमे इस प्रकारकी एकाधिक प्रदर्शनियोका आयोजन करानेमे मेरा हाथ रहा है। भारतमे पैदा होनेवाली या बनाई जानेवाली प्रत्येक वस्तुको आप प्रदर्शित नहीं कर

१. देखिए “ भाषण : लियोनोर्ड थियोलॉजिकल. कालेजमे”, ७-१२-१९३३।

२. गाधीजीने सुबह मद्रास महाजन सभा द्वारा आयोजित प्रदर्शनीका उद्घाटन किया था।

३. जमाल मुहम्मद।

सकते। स्वभावतः जनताके लिए इस प्रकारकी प्रदर्शनीको शिक्षाप्रद बनानेके लिए आपको चीजोंका चुनाव करना होता है। उदाहरणके लिए भारतमें पैदा होनेवाली घास के बीजोंको तो आप प्रदर्शित नहीं करेंगे। आपको वे बीज और अनाज चुनने होंगे जिन्हें आप चाहते हैं कि जनता उन्हें अपनाये। मित्रो, मेरे दिमागमें बहुत से उदाहरण भरे हुए हैं, लेकिन उनमेंसे मैंने यह केवल एक उदाहरण दिया है। मैंने यह बात इसलिए कही क्योंकि मैं आपसे अब एक बहुत नाजुक विषयमें कुछ कहना चाहता हूँ।

मैं हर स्वदेशी प्रदर्शनीका उद्घाटन करनेका निमन्त्रण स्वीकार नहीं करता। मैं पूछ लेता हूँ कि भारतमें बनाई जानेवाली नफीस शराबें भी प्रदर्शित की जा रही हैं। अगर की जा रही होती है तो मद्यनिषेधका कट्टर समर्थक होनेके नाते मैं आपसे कहूँगा : 'घन्यवाद, किन्तु मैं इस प्रदर्शनीका उद्घाटन नहीं कर सकता जहाँ कि चमकदार शराबोंका जो कि देशके नैतिक और आर्थिक कल्याणके लिए हानिकारक है, प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक इन्ही कारणोंसे तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ इन्हीं कारणोंसे मैं ऐसी प्रदर्शनियोंका उद्घाटन करनेमें भी आपत्ति करता हूँ जहाँ मिल्कीया कपड़ा रत्ता गया हो, भले ही वह सौ प्रतिशत स्वदेशी ही क्यों न हो। मैं यह नहीं कहता कि मिल्कीया कपड़ा उसी अर्थमें हानिकारक है जिस अर्थमें कि शराबें हानिकारक हैं, लेकिन यदि मुझसे भारतके कुटीरोंमें तैयार वस्तुओंकी नहीं बल्कि मिल्में तैयार कपड़ेकी प्रदर्शनीका उद्घाटन करनेकी अपेक्षा की जाती है तो आप लोगोंकी यह प्रदर्शनी बड़ी कमजोर साबित होगी। मैं मिल्के कपड़ेका विरोध नहीं करना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि यदि आप भारतमें मिल्-उद्योगके इतिहासका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि उसे अपने मालके वितरणके लिए किसी स्वदेशी प्रदर्शनीकी आवश्यकता नहीं है। मिल्के स्वयं अपनी स्वदेशी प्रदर्शनियाँ हैं। उनके पास अपनी सभी सहूलियतें मौजूद हैं। लेकिन खादीकी क्या स्थिति है ?

मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने एक ऐसी स्वदेशी प्रदर्शनीका उद्घाटन किया जिसमें सभी तरहकी चीजें प्रदर्शित की गई हैं। आपकी प्रदर्शनीका उद्देश्य आत्मोन्नति ही नहीं होना चाहिए बल्कि यह भी होना चाहिए कि जनता इससे लाभ उठा सके और उसे कुछ जानकारी मिले। मैंने अन्य स्थानोंपर प्रदर्शनियोंका उद्घाटन किया है और एक इतने ही बड़े नगरमें मुझसे एक स्वदेशी प्रदर्शनीका उद्घाटन करनेको कहा गया है। इसलिए मुझे चेतावनीके ये शब्द बीचमें कहने पड़े। आप लोग हरिजनोंकी विभिन्न आवश्यकताओंका विचार करते हैं या नहीं ? " जैसा कि आप जानते हैं, हरिजनोंके लिए प्रचार-कार्य करनेको मेरे पास सात या आठ महीनेका जो समय बचा है उस दौरान मेरा एक द्रत है। मैं मुख्यतः हरिजन-कार्य ही करता हूँ, अन्य कोई काम नहीं। मैं बहुत सारे लोगोंसे विविध विषयोंपर बात कर सकता हूँ, और ऐसे विविध विषयोंकी कोई सीमा नहीं है जिनमें मेरी दिलचस्पी है या हो सकती है। इस समय मेरा विचार उन चन्द चीजोंके बारेमें ही बोलनेका है जो हरिजन-कार्यके लिए आवश्यक हैं।

आप पूछ सकते हैं कि कोई स्वदेशी प्रदर्शनी हरिजनोके लिए क्या कर सकती है। मेरा ख्याल है कि खादीका इससे बहुत गहरा सम्बन्ध है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाथकताई और हाथ-बुनाईके चलते हजारों हरिजनोके अँधेरे घरोंमें सान्त्वना और आशाकी जगमगाहट फैल गई है। अपनी इस संक्षिप्त यात्राके दौरान भी मुझे बहुत-से हरिजनोके घरोंमें जानेका सौभाग्य मिला, और मैंने वहाँ हरिजनोके लिए खादीकी सम्भावनाएँ देवी। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि बहुतसी ऐसी चीजे हैं — मैं आशा करता हूँ कि वे चीजे यहाँ प्रदर्शित की गई हैं — जिनको बनानेमें हरिजनोका पूरा-पूरा नहीं तो आंशिक योगदान रहा है। चमड़ा-उद्योगको ही ले। चमड़ा तैयार करनेकी आरम्भिक प्रक्रियाएँ हरिजन लोगोके द्वारा ही सम्पन्न होती हैं। यदि वे लोग यह काम न करते होते तो भारतमें चमड़ा-उद्योगका कहीं पता भी न होता। इस उद्योगका इतिहास बतानेकी आशा आप मुझसे न करे। मेरे मित्र जमाल साहब आपको इसके बारेमें विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। लेकिन इसके आर्थिक पहलूके बारेमें मैं आपको बता सकता हूँ। कमसे-कम नौ करोड़ रुपयेकी कीमतकी कच्ची खाले [प्रतिवर्ष] भारतसे बाहर भेजी जाती हैं। यदि हम हरिजनोके साथ ईमानदारीका बर्ताव करे तो इन खालोकी खपत भारतके अन्दर ही हो जायेगी, या कमसे-कम इतना तो होगा ही कि आज जिस तरह कच्ची खाल बाहर भेजी जाती है उसकी जगह तैयार खालका निर्यात होगा। मैं ऐसे बहुतसे उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन मैं आपको या खुदको ज्यादा देर रोके नहीं रखना चाहता।

मुझे इस प्रदर्शनीको खोलते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रदर्शनीसे लाभ उठायेगे, इसको शिक्षाप्रद बनायेंगे, यहाँकी दूकानोंमें जो चीजे लाकर रखी गई हैं उनमें रुचि लेंगे, और उनके उत्पादनका इतिहास जाननेकी कोशिश करेंगे। और तब आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि संसारके इस सबसे गरीब देशके पास कितने साधन हैं और यदि हम उनका बुद्धिमान्नीसे, तथा देशके करोड़ों दलित लोगोके सहयोगसे उपयोग करें तो कितना लाभ हो सकता है। यदि आप लोग हरिजनो, महारो तथा अन्य पीड़ित और दलित जातियोंका शोषण बन्द करके उनके साथ अपने ही साथियों जैसा व्यवहार करेंगे और उन्हें वे ही अधिकार और वही आदर प्रदान करेंगे जिनका हम अपने लिए दावा करते हैं तो हमें अपने इस देशमें जिन जवर्दस्त बाधाओके बीच काम करना पड़ता है उन बाधाओके बावजूद यह देश सम्पन्न और समृद्धिवान देश बन जायेगा, आज जैसी कगालीकी स्थिति देशमें नहीं रह जायेगी।

इस प्रदर्शनीका उद्घाटन करनेके लिए आपने मुझे निमन्त्रित किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जनता उदारतापूर्वक इसमें सहयोग करेगी।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २०-१२-१९३३

## ३८९. भाषण : मद्रासकी महिला-सभामें

२० दिसम्बर, १९३३

बहनो,

आपसे अपना परिचय फिरसे ताजा करनेका अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मद्रासमें स्त्रियोंकी सभामें भाषण देनेका यह मेरे लिए कोई पहला मौका नहीं है। मेरे सामने एक बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम पड़ा है, जिसे मुझे चालीस मिनटमें पूरा करना है। इसलिए बहुत संक्षेपमें भाषण देनेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगी।

मैं यहाँ आपसे एक काम करनेके लिए कहने आया हूँ। आप यह बात विलकुल भूल जाइए कि कुछ लोग ऊँचे हैं और कुछ नीचे। कतरई भूल जाइए कि कुछ स्पृश्य हैं और कुछ अस्पृश्य। मैं जानता हूँ कि जैसे मैं ईश्वरमें विश्वास करता हूँ वैसे ही आप सब भी करती हैं और ईश्वर इतना निर्दयी और अन्यायी नहीं है कि वह पुरुष-पुरुष और स्त्री-स्त्रीमें ऊँच-नीचका भेदभाव करे। यह अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मके नामपर सबसे बड़ा कलंक है। और मैं यह कहनेमें भी नहीं हिचका हूँ कि यदि अस्पृश्यता जारी रहती है तो हिन्दू-धर्म नष्ट हो जायेगा। मनुष्यकी भाषामें कहें तो कहेंगे कि ईश्वरने हमारे साथ बहुत धीरज बरता है लेकिन मैं यह कहनेमें नहीं झिझकता कि ईश्वरके धैर्यका भी अन्त हो सकता है तथा हिन्दू भारतमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके प्रति जो अत्याचार कर रहा है उसके प्रति अब वह और धैर्य नहीं बरतेगा।

इस स्थानपर गांधीजी भाषण देते-देते रुक गये और कहा :

आपने मुझे थैली नहीं दी।

डा० मुत्तुलक्ष्मी रेड्डीने तत्काल यह कहते हुए कि इस थैलीमें ४३० रु० की नकद राशि है, गांधीजीको थैली दे दी।

आपने मुझे एक हल्की थैली दी है। लेकिन हल्की हो या भारी, थैली तो हरिजनोंकी सेवा करनेके लिए है।

डा० मुत्तुलक्ष्मी रेड्डीने बताया कि हमसे वहुतोंने दिल खोलकर उस थैलीमें दान दिया है जो आपको तिलक घाटपर होनेवाली सार्वजनिक सभामें मिलनेवाली है।

अच्छा तो आप यह वहाना बनाना चाहती है; अच्छी बात है; मैं देना हूँ कि आप सब पुरुषोंसे समानता चाहती है।

मैं इस थैलीको दाताओंकी इस इच्छाका द्योतक मानता हूँ कि धर्मके नामपर हमने जिन लोगोंको हानि पहुँचायी है उसके लिए वे थोड़ा-बहुत प्रायश्चित्त करना चाहती हैं।

खैर, कुछ भी हो, स्त्रियोने स्वेच्छापूर्वक अपने गहने दिये हैं, कुछने अपनी अँगूठियाँ दी है, कुछने अपनी चूड़ियाँ और हार, और कुछने दूसरी चीजें दी है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसा ही करें, लेकिन इस शर्तपर कि आप जो गहने देंगी उनके बदले आप नये गहने नहीं बनवायेगी और आप हरिजन-आन्दोलनके लिए यह दान देना अपने लिए सौभाग्यकी बात मानेंगी। मैं भाषणका अन्त सर्वशक्तिमान ईश्वरसे इस प्रार्थनाके साथ करता हूँ कि वह आपके इस प्रयत्नमें आपकी मदद करे तथा वह आपके हृदय इस तरह बदल दें कि आप स्पृश्यो और अस्पृश्योके बीच भेद करना भूल जायें।

एक बहने चाहती है कि मैं हिन्दीके समर्थनमें कुछ शब्द कहूँ, और यह मैं खुशीसे करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपमेंसे कुछ बहने भारतके दूसरे भागोमे, उत्तरी भागोमे, काम करना चाहेगी। यदि आप हिन्दी नहीं जानती है तो आप उत्तरके लोगोके साथ घुल-मिल नहीं सकती। ध्यान रहे कि भारतके २२ करोड़ लोग हिन्दी जानते और समझते हैं। दक्षिणकी शिक्षित बहने २२ करोड़ लोगोकी भाषाकी अवहेलना नहीं कर सकती।

अच्छा, भाषण मैंने खत्म कर दिया है, तथा जो बहनें अपने गहने देना चाहे वे दे सकती हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २०-१२-१९३३

### ३९०. भाषण : मद्रासकी छात्र-सभामें

२० दिसम्बर, १९३३

विद्यार्थियो और मित्रो,

न तो आप मेरे लिए नये हैं और न मैं आपके लिए। मैं आप लोगोको अच्छी तरह जानता हूँ। १८९६ में, जब वेशक आपमेंसे बहुतसे लोग पैदा भी नहीं हुए थे, और जब उन लोगोको छोड़कर जिन्हें 'कुली' कहा जाता है अर्थात् तमिलनाडुके लोगोको छोड़कर आपके और दूसरोके लिए मैं एक अनजान व्यक्ति था, उस समय मैंने मद्रासके छात्रोके साथ परिचय स्थापित किया था। उस समय भी वे लोग मुझे किसी कदर जानते थे, लेकिन उस समय आप लोगोने मेरा जैसा जोरदार स्वागत किया था वह मुझे याद है। आपने मुझे जो थैली भेटकी है और जो अभिन्दनपत्र पेश किया है उसको लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस बातके लिए मुझे आपसे बहस करनेकी और आपको विश्वास दिलानेकी जरूरत नहीं है कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मपर सबसे बड़ा कलंक है। मुझे आपको यह विश्वास दिलानेकी आवश्यकता नहीं है कि आपने जो-कुछ शिक्षा प्राप्त की है, यदि उसके बाद भी आप मनुष्य-मनुष्यके बीचके भेद को मानते हैं, तो आपकी सारी शिक्षा बेकार है; लेकिन मैं आपसे इतना जरूर चाहूँगा कि यदि आप पूरी तरह मानते हैं, जैसा कि आपने अपने



अभिनन्दनपत्रमें बताया है कि आप मानते हैं, तो आप यह समझ लें कि अस्पृश्यता एक बुराई है जिससे हमें छुटकारा पाना है। मैं चाहता हूँ कि आप इस कार्यमें मदद करें; मैं चाहता हूँ कि आप हरिजनोकी सेवा करें। मैंने तो यह आशा की थी कि आप अपने अभिनन्दनपत्रमें मुझे यह बतायेगे कि आपने उन लोगोकी किस तरह सेवा की है। दिल्लीके विद्यार्थियोकी ओरसे जब मुझे अभिनन्दनपत्र मिला था, तो उसमें उन्होंने मुझे यह बताया था कि वे दिल्लीके हरिजनोकी, और यहाँतक कि दिल्लीके आसपासके गाँवोके हरिजनोकी भी, किस प्रकार सेवा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप उनका अनुकरण करेंगे। उन्होंने इस बातका दम नहीं भरा कि उन्होंने कोई चमत्कार करके दिखा दिया है। उन्होंने तो कुछ समय पहले मामूली-सी शुरुआत की थी। पता नहीं कि आपने भी इस दिशामे कोई मामूली शुरुआत की है या नहीं। मैं नहीं जानता कि आपको यह पता है या नहीं कि आप हरिजनोकी दशा सुधारनेके लिए कितना काम कर सकते हैं, और मौन-सेवाके जरिये आप इस कलंकसे हमें, हमारे समाजको छुटकारा दिलानेके लिए कितना बड़ा काम कर सकते हैं। समाजको यह यकीन दिलानेके लिए कि अस्पृश्यता धर्मका अंग नहीं बन सकती और यह एक भयंकर दोष है, आपको चरित्रका निर्माण करना होगा। आप अपने जीवनसे, अपने आचरणसे यह दिखा दीजिए कि कुछ लोगोकी स्पृश्य और कुछको अस्पृश्य समझना धर्म तो है ही नहीं, बल्कि स्पष्ट रूपसे धर्मके विरुद्ध भी है। और यदि आपके पास चरित्र-गुण ही नहीं है तो फिर स्वाभाविक है कि लोग आपपर किसी प्रकारका यकीन नहीं करेंगे। आपको जनसाधारणके हृदयको स्पंदित करना होगा, जन-साधारणके हृदयको बदलना होगा। शास्त्रोके अध्ययनका दावा करनेवाले दकियानूसी लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए; वे जनताका प्रतिनिधित्व नहीं करते और न मेरी रायमे शास्त्रोकी उनकी व्याख्या सही व्याख्या है। हो सकता है कि मैं गलतीपर होऊँ, लेकिन हर हालतमे ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो जनताको प्रभावित कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग भी कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो लोग जनताके बीच काम कर रहे हैं अन्तमे केवल उनकी बात ही अन्तिम मानी जायेगी। जनता बहस नहीं करेगी। वह तो बस यह जानना चाहेगी कि जो लोग उसके पास जाते हैं और उससे यह कहते हैं कि जिस अस्पृश्यताको उन्होंने इतने लम्बे समयतक माना है वह एक बुराई है, वे लोग हैं कौन। और यदि उसने देखा कि जो लोग उसके पास आये थे और जिन्होंने उससे यह कहा था कि अस्पृश्यता एक बुराई है, वे प्रामाणिक चरित्रवाले आदमी हैं तो जनता उनकी बात सुन लेगी, और यदि उनके पास प्रामाणिक चरित्र-गुण नहीं हुआ तो वह उनकी बात नहीं सुनेगी। मैं आपके सामने यह जो प्रस्ताव रखता रहा हूँ वह आश्चर्यजनक रूपसे सीधा-सरल प्रस्ताव है जिसे आपमेसे प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो स्वयं परख सकता है।

ये लोग जो आपके बीच रह रहे हैं, आप उनकी किस तरह सेवा कर सकते हैं? बहुत-सी छात्र-सभाओमें भाषण करते हुए मैंने इसका तरीका बताया है। अपने हाथोंमें झाड़ू और बाल्टी पकड़िए, किसी तमाशे या स्वांगके तौरपर नहीं, बल्कि

सच्चे दिलसे, तथा झाड़ू और बाल्टीसे काम करिये और मद्रासके उन तमाम गन्दे स्थानोको साफ कर डालिए, उन लोगोके बीच जाइए तथा उनकी शराबकी लत छुड़वाइए, उन्हें स्वास्थ्य-विज्ञान तथा स्वच्छताके प्रारम्भिक नियम सिखाइए, जिनका उनमेसे अधिकांश लोगोको कोई ज्ञान ही नहीं है और यह हमारे लिए शर्मकी बात है। हमने ऐसा मानकर कि ये लोग हमारे ध्यान देने योग्य भी नहीं हैं, ये घरतीके सबसे निम्न कोटिके मनुष्य हैं, अस्पृश्य हैं, अदर्शनीय हैं, और अनुपगम्य हैं इत्यादि, हम इस निर्णयपर पहुँचे कि हमें न तो उनकी देखभाल करनेकी जरूरत है और न वे जो-कुछ कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान देनेकी। उन्होंने हमपर विश्वास कर लिया और ऐसा मानकर कि वे मनुष्य नहीं हैं और पशु भी नहीं हैं, स्वयं अपनी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किसी तरह कठिनाईसे अपनेको जीवित रखा है। आपको ऐसे लोगोके बीच जाना है और उनमें आशाका संचार करना है। उम्मीद है कि आप इन स्थानोपर जायेगे तथा कमर कसकर उनके बीच कार्य करेंगे और उन्हें यह विश्वास दिलायेगे कि आप वहाँ किसी प्रकारका पूर्वग्रह रखकर और किसी खराब इरादेसे नहीं आये हैं बल्कि आपका उद्देश्य साफ है और वह उद्देश्य है उनके बीच शान्ति और प्रेमका सन्देश पहुँचाकर उनकी सेवा करना। यदि आप इतना करेगे तो आपको तुरन्त अहसास हो जायेगा कि उनके जीवन भी आप जैसे बन गये हैं। मैं आपसे यह नहीं कहता कि जिन घंटोमें आपको पढनेकी जरूरत हो सकती है आप उनमेंसे एक भी क्षण इस काममें गँवाये बल्कि मेरा तो यह कहना है कि आप अपने खाली समयका उपयोग करें और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि आपमेसे प्रत्येक व्यक्ति आत्म-निरीक्षण करे तो आप देखेंगे कि हररोज आपके पास बहुत-सा समय खाली रहता है। मैं यह नहीं कहता कि आप अपना सारा खाली समय इसी काममें लगा दीजिए, बल्कि यदि आप सब इकट्ठे हो जाये और मद्रासके हरिजनोकी सेवामें लग जाये तो आप देखेंगे कि उनके जीवनमें भी और आपके जीवनमें भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। यह सब समझनेमें ईश्वर आपकी मदद करे। ईश्वर आपको इस सन्देशका अनुकरण करनेकी शक्ति दे।

एक बात और है जो मुझे आपसे कहनी है। मद्रासके विद्यार्थियोकी मैंने एक शिकायत की है, वह यह कि हालाँकि वे अपनेको खास मद्रासका ही नहीं बल्कि भारतका एक अंग मानते हैं, तो फिर वे, और मैं बहनोसे खास तौरपर कह रहा हूँ, कि वे उस भाषाकी, जिसे २२ करोड़से भी ज्यादा भारतीय समझते हैं, अर्थात् हिन्दीकी, अवहेलना कैसे कर सकते हैं। आपके यहाँ मद्रासमें हिन्दी-प्रचार-सभा है जो आपको हिन्दी सीखनेके लिए सारी सुविधाएँ देती है। मुझे मालूम है कि बहुत-से विद्यार्थियोने इन सुविधाओसे लाभ उठाया है लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पडता है कि यह काफी नहीं है। मैंने तो यह आशा की थी कि इस बार आप मुझे हिन्दीमें लिखा हुआ अभिनन्दनपत्र भेट करेंगे, और मैं तो यह उम्मीद भी लगाये बैठा था कि आप मुझे हिन्दीमें बोलनेको कहेगे। लेकिन मुझे यह उम्मीद फौरन छोड़ देनी पड़ी। इस समय तो मैं एक काममें, सिर्फ एक काममें, लगा हुआ

हूँ इसलिए हिन्दीकी चर्चापर आपका और अपना बहुत-सा समय न लेते हुए मैं अपने उद्देश्यपर जोर देता हूँ। मैं इस चेतावनीके साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि जब आप अपने कन्धोपर देशका भार सँभालेंगे उस समय यदि आपको हिन्दी या हिन्दुस्तानी न आती हुई तो आपको बहुत बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा। मैं आपको फिरसे धन्यवाद देता हूँ।

अन्तमे महात्माजीने कहा कि मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थी मुझे इस अभिनन्दन-पत्रके भारसे मुक्त कर देंगे। मैं इसकी नीलामी करूँगा। चूँकि कोई भी बोली बोलने-वाला आगे नहीं आ रहा था इसलिए महात्माजीने कहा कि स्त्रियाँ भी अपने गहने देकर बोली बोल सकती हैं। मैं चूड़ियोंके जोड़े अथवा अँगूठीके बदलेमें यह अभिनन्दनपत्र देनेको तैयार हूँ। इसके बाद सभामें बेठी दो स्त्रियोंमेंसे प्रत्येकने एक-एक चूड़ी भेजी। कुमारी स्वामिनाथनने दो चूड़ियाँ दीं, और उन्होंने अभिनन्दनपत्र ले लिया।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २१-१२-१९३३

## ३९१. भाषण : मद्रासकी महिला-सभामें'

२० दिसम्बर, १९३३

प्रिय बहनो,

हरिजन सेवक संघकी स्वागत समितिने मेरे लिए बहुत कम मिनट छोड़े हैं, इसलिए हालाँकि मैं आपसे परिचय स्थापित करनेको बहुत उत्सुक हूँ, इन चन्द मिनटों में जितना परिचय स्थापित करना सम्भव है उससे कहीं ज्यादा परिचय स्थापित करनेको उत्सुक हूँ, लेकिन मुझे जल्दसे काम लेना होगा, और कुछ शब्द कहनेके बाद ही मुझे आपके पाससे चला जाना होगा। यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि आपमेसे बहुत-सी बहनें हरिजन हैं। यदि किसी प्रमाणकी जरूरत थी तो यह सभा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है; अगर मुझे यह पता न होता कि आपमेसे कुछ बहने हरिजन हैं तो कमसे-कम मैं नहीं जान सकता कि कौन बहने हरिजन हैं और कौन नहीं है। इससे जाहिर होता है कि अस्पृश्यताकी प्रथा ईश्वरकी बनाई हुई प्रथा नहीं है। यह प्रथा तो मनुष्यके अन्दरके असुरकी बनाई हुई है। और यह काम सवर्ण हिन्दू पुरुषों और स्त्रियोंका है कि वे इस प्रथाके विरुद्ध बगावत करके खड़े हो जायें और इसे खत्म कर दें। इसीलिए मदर्स एसोसिएशनकी ओरसे हरिजन कार्यके लिए दी गई इस छोटी-सी शैलीको स्वीकार करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

१. गांधीजीको मदर्स एसोसिएशन और हरिजन स्त्रियोंकी ओरसे अभिनन्दनपत्र भेंट किये गये थे।

लेकिन अब मैं एक शब्द हरिजन बहनोंसे कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे, और हरिजन-पुरुष, आत्म-शुद्धिके इस आन्दोलनमें अपनी भूमिका शानदार ढंगसे अदा करें। तीन या चार चीजें ऐसी हैं जिनपर नि.सन्देह ध्यान देनेकी जरूरत है। पहली चीज तो है सफाईके प्रारम्भिक नियमोंका पालन, अर्थात् शरीरकी शुद्धि। आपको इन नियमोंके अनुसार चलना चाहिए। फिर सवाल है मुर्दार-मास और गो-मांस खानेका और मैं जानता हूँ कि कुछ हरिजन इन बुरी आदतोंके शिकार हैं। ये दोनों चीजें छोड़ देनी चाहिए। चौथी चीज केवल हरिजनोका दुर्गुण नहीं है, क्योंकि तथाकथित ऊँचे वर्गके हिन्दू भी उस बुरी आदतसे चिपटे हुए हैं जिसे मैं बतानेवाला हूँ। और वह चीज है मद्यपानकी बुराई। इसकी परवाह मत करिए कि तथाकथित ऊँचे वर्गके हिन्दू क्या करते हैं या क्या नहीं करते, कमसे-कम आप तो अपने पुरुषोंको मना कीजिए, और यदि आप भी उस आदतकी शिकार हैं तो आप भी उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं पिछले ५० सालसे गरीबों और उन लोगोंके बीच काम करता रहा हूँ जो शराबके आदी हैं, और इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। दक्षिण आफ्रिकामें नेटालमें मैंने अपनी ही बहनोंको शराबमें धुत और गन्दी नालियोंमें लौटते देखा है। जिस समय वे शराबमें धुत होती थी, उस समय वे अच्छे या बुरेमें भेद नहीं कर पाती थी। इसलिए यदि आप इस आदतकी शिकार हैं तो अपनेको इससे बचा लें। ईश्वर हम सबको, चाहे हम हरिजन हो या नहीं, उस सन्देशको समझनेकी शक्ति दे जिसे मैं भारतके कोने-कोनेमें देनेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २१-१२-१९३३

## ३९२. भाषण : मद्रासकी सार्वजनिक सभामें'

२० दिसम्बर, १९३३

आपने अपने स्नेहका यह जो प्रदर्शन किया है वह अद्भुत है। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो काम भगवानके नामपर, उसके लिए तथा उसके भूले-बिसरे बच्चोंके लिए जिन्हे हम 'हरिजन' समझते हैं, करनेकी कोशिश कर रहा हूँ, आप उस कामकी गम्भीरताको तथा महत्ताको समझते हैं। ईश्वरकी दृष्टिमें जैसे पशु और पशुके बीच कोई भेद नहीं हो सकता उसी तरह मनुष्य-मनुष्यके बीच कोई भेद नहीं हो सकता। यदि ईश्वरने मानव-जातिके एक समुदायको दूसरेसे हीन बनाया होता तो उसने हमारे शरीरके कुछ अगोप्य भेद-सूचक चिह्न लगा दिये होते ताकि ये भेद स्पष्ट रूपसे देखे जा सकते, अनुभव किये जा सकते और दिखाये जा सकते।

भारतके एक छोरसे दूसरे छोर तक आप जहाँ चाहे वहाँ चले जाइए, मेरी ही तरह आपको भी अपनेको उच्च वर्गीय हिन्दू माननेवालोंमें और जिन्हे उच्च वर्गीय

१. टिप्पणीके बीच २ आयोजित इस सभामें १ लाखसे भी ज्यादा लोग उपस्थित थे।

हिन्दू 'अस्पृश्य', 'अदर्शनीय' और जाने क्या-क्या कहते हैं, उन लोगोके बीच कोई भेदसूचक विशेषता नहीं दिखाई पड़ेगी।

इसलिए मैं आपसे गम्भीरतापूर्वक इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नपर विचार करनेके लिए कहता हूँ। मैं बता चुका हूँ और जो बात मैं हजारो मंचोसे कह चुका हूँ वही बात मैं इस विशाल श्रोता-समुदायके सामने फिर दोहराता हूँ कि यदि हम अपने दिलोमेसे अस्पृश्यताको विलकुल निकाल नहीं देते तो एक जातिके रूपमे हमारा विनाश सुनिश्चित है और जिस प्रकार बहुतसे 'वाद' मिट गये हैं वैसे ही हिन्दूवादका भी नाश हो जायेगा और दोष हमारा होगा।

इस शोरगुलके बीच मुझे आपके सामने इस महान् आन्दोलनके फलितार्थोकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। इतना ही कहना काफी है कि जब हमारे दिलोमेसे अस्पृश्यता निकल जायेगी तब हरिजनोको स्वतन्त्रताकी प्रभाका अनुभव होगा और तब हम उनके साथ बैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि अपने साथ करते हैं और हमे यह भी पता चल जायेगा कि उनके भी स्पष्टतः और निर्विवाद रूपसे वे ही अधिकार हैं जो हमारे हैं तथा हरिजन भी उसी अनुशासनके अधीन होंगे जिसके कि सवर्ण हिन्दू हैं। यदि ईश्वरकी कृपासे यह सन्देश आपके हृदयो तक पहुँच जाता है तो हम ऊँच-नीचके सारे भेद भूल जायेगे।

अब मैं चाहूँगा कि आप कृपा करके शान्तिपूर्वक तितर-बितर हो जाइए ताकि मैं भी आसानीसे अपनी कार तक पहुँच सकूँ। आप लोग कृपया अपने धरोको लौट जाये। सभाकी कार्यवाही समाप्त हो चुकी है।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २१-१२-१९३३

### ३९३. भाषण : बच्चोंके सम्मुख'

मद्रास

२१ दिसम्बर, १९३३

नन्हें-मुन्ना, लड़के और लड़कियों, मैं तुमसे केवल एक शब्द ही कहूँगा। याद रखो कि शुद्धीकरणके इस आन्दोलनमे बच्चोको भी अपना योगदान देना होगा। और मैं तुम लोगोसे जो कहना चाहता हूँ वह केवल यही : बच्चो, हमेशा अच्छे बने रहो और सब मुसीबतोंमें सदा भगवानको याद करो।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २१-१२-१९३३

१. गांधीजी वेल्डाल टीनमपेटमें भारत सभाको देखने गये थे जो हरिजनोंके लिए एक रात्रि-पाठशाला और धार्मिक कक्षाएँ चलाती थी।

## ३९४. भाषण : राँबिन्सन पार्क, मद्रासमें

२१ दिसम्बर, १९३३

आपने मुझे जो मानपत्र भेट किए हैं, उनके लिए मैं आपको सच्चे दिलसे धन्यवाद देता हूँ। और आपने मुझे जो थैली और उपहार दिए हैं उनके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सारे धनका उपयोग हरिजनोके उत्थानके लिए किया जायेगा। मैं चाहता हूँ कि आत्मशुद्धिके इस महान् आन्दोलनमे स्त्रियाँ और पुरुष अपना पूरा योगदान दे। हमे अपनी सभी बुराइयो और बुरी आदतोको तिलाजलि दे देनी चाहिए। हमे भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमे शुद्ध हृदय प्रदान करे। यदि आपमेसे किसीको मुर्दार जानवरोका मास खानेकी आदत हो तो उसे इस बुरी आदतको छोड देना चाहिए। आपको स्वास्थ्य और सफाईके नियमोका पालन करना चाहिए। आप अपने बच्चोको शिक्षा दे और यदि आपको शराब पीनेकी आदत हो तो उसका त्याग कर दे। यह मानवजातिके सबसे बड़े शत्रुओमेसे एक है। अनेक सवर्ण हिन्दू मद्यपान करते हैं। इसका अर्थ यह नही कि हरिजन भी मद्यपान करे। यह एक ऐसा पेय है जो पुरुषोको उन्मत्त बना देता है और वह पत्नी, माँ और वहनमे भेद कर सकनेकी शक्ति खो बैठता है। भगवान आपको शुद्धिकी इस प्रक्रियासे गुजरनेके लिए पर्याप्त शक्ति दे। और अब आप मुझे क्षमा करेगे कि मैं आपको ज्यादा समय नही दे पाऊँगा। मुझे अभी और बहुतसे कार्यक्रमोमे जाना है। अन्तमे, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मुझे बिना कोई शोर किए जानेके लिए रास्ता दे दे। आपने मेरे प्रति अपने स्नेहका जो भव्य प्रदर्शन किया है और इस शुद्धि आन्दोलनमे जो दिलचस्पी दिखाई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर आपका कल्याण करे।

[अग्रेजीसे]

हिन्दू, २२-१२-१९३३

## ३९५. भाषण : पेराम्बूरकी मजदूर-सभामें'

२१ दिसम्बर, १९३३

साथी मजदूरों,

आपने मुझे जो मानपत्र भेंट किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यदि आप सारे भारतके मजदूरोंके दुःख-सुखको वांटना चाहते हैं, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं तो आपको हिन्दुस्तानी सीख लेनी चाहिए। जबतक आप ऐसा नहीं करते तबतक उत्तर और दक्षिणमें कोई मेल नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं जिस उद्देश्यको लेकर आपके पास आया हूँ वह यह नहीं है। आज मैं मजदूरोंसे यह कहना चाहता हूँ कि कमसे-कम मजदूरोंमें परस्पर ऊँच-नीचका भेद नहीं होना चाहिए।

पिछले चालीस सालसे मजदूरोंके बीच रहनेके बाद मैं यह जानता हूँ और मुझे इस बातका दुःख भी है कि मजदूरोंमें भी भेदभाव है। उनमें हरिजन मजदूर होते हैं और गैर-हरिजन मजदूर भी होते हैं। यहाँ तक कि गैर-हरिजन मजदूरोंमें भी भेदभाव दिखाई देता है। आपको इस भेदभावको भुला देना होगा। हरिजन मजदूर और गैर-हरिजन मजदूर, दोनों एक हैं। मैं आपमेंसे उन लोगोसे जो हिन्दू होनेका दावा करते हैं, कहता हूँ कि हमारे बीच आज अस्पृश्यता जिस रूपमें विद्यमान है उसका धर्ममें कोई विधान नहीं किया गया है।

यह असम्भव है कि ईश्वर, जो न्यायका देवता है, उन सब भेदपरक बातोंको प्रश्रय देता होगा जिन बातोंको आज धर्मके नामपर मनुष्य प्रश्रय देता है। और अन्तमें जो लोग मुर्दार-मांस अथवा गो-मांस खाते हैं उन्हें उसका त्याग करना चाहिए और यदि मजदूर लोग अपने पैरोपर खड़े होना चाहते हैं तो उन्हें मद्यपान और जुआ जैसी बुरी आदतोंको छोड़ना होगा। मैं जानता हूँ कि इन दो बुराइयोंकी वजहसे मजदूरोंका अधोपतन हुआ है और इससे कितने ही मजदूरोंके घर उजड़ गये हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप शराब पीने और जुआ खेलनेकी आदतोंको छोड़ देंगे। भगवान आपको पर्याप्त बल दे जिससे कि आप छुआछूत मानने, मद्यपान करने और जुआ खेलनेकी बुरी आदतोंका त्याग कर सकें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २२-१२-१९३३

१. यह भाषण मद्रास एण्ड सदर्न मराठा रेलवे कर्मचारी-संघ द्वारा भेंट किये गये मानपत्रके उत्तरमें दिया गया था।

## ३९६. टिप्पणियाँ

### पुष्पमालाएँ

बड़ा ही अच्छा हो, यदि मेरे प्रवास-क्रमके प्रबन्धक मुझे फूलमालाएँ भेंट करनेकी लोगोकी आदत छुडाते जाये। मालाओका भेंट करना अगर आवश्यक ही समझा जाये, तो सूतकी मालाएँ दी जाये और उनमे जो सूत लगाया जाये वह एकसार, मजबूत और चरखेका कता बारीक सूत हो, ताकि वह सहज ही कपडे बुननेके काममें आ जाये। ये फूलमालाएँ बिना पैसे या बिना मेहनतके तो बन नहीं जाती। जितना भी धन और जितना भी श्रम हमे प्राप्त हो सके, उस सबकी हरिजन-सेवाके लिए आवश्यकता है। किसी भी हालतमे उस श्रम या धनको मैं अपने विलास, अपनी झूठी शान या अपनी प्रतिष्ठापर खर्च नहीं होने देना चाहता। फिर फूलोका बरसाना तो एक बड़ा हानिकारक रिवाज है। गेदेके फूल जब दूरसे फेंके जाते हैं, तो उनकी सख्त डठले मेरे ऐनकके शीशोको तोड़ सकती हैं और आँखोको भी उनसे क्षति पहुँच सकती है। कई बार तो मेरी आँखें इन फूलोकी डठलोकी चोटसे बाल-बाल बची हैं।

इस तरह [फूलों और मालाओपर होनेवाली फिजूलखर्चीसे] जो पैसा बचे, वह हरिजन-सेवाके निमित्त थैलियोमे डाल दिया जाये। सचमुच मैं देखता हूँ कि प्रवासकी बहुत-सी व्यवस्थाओमे किफायतकी गुजाइश है। मोटरगाडियो पर काफी पैसा बर्बाद किया जाता है। जिनका रहना जरूरी है, वे ही स्थानीय सज्जन मेरे साथ स्थान-स्थान पर चला करे। कार्यकर्त्ता तो हरिजन-सेवाके न्यासी हैं — और बहैसियत न्यासीके उनसे यह आशा की जाती है कि वे अपने पैसेकी अपेक्षा हरिजनोके पैसेकी रक्षा अधिक सावधानी और मुस्तैदीके साथ करेगे।

### नीलाम और जेवर

एक अखबारमे इस बातकी कड़ी टीका की गई है कि मैं जहाँ-तहाँ स्त्रियोसे जेवर इत्यादि भेंट करनेकी अपील करता हूँ और इस प्रकार दानमे मिली चीजोका नीलाम कर देता हूँ। वास्तवमे मैं तो यह पसन्द करूँगा कि सभाओमें उपस्थित होनेवाली हजारो बहने, अगर सारा नहीं तो अपना ज्यादासे ज्यादा जेवर उतारकर मुझे दे दे। इस देशमे, जहाँ करोडो आदमी अधभूखे रहते हैं, और जहाँ लगभग ८० प्रतिशत लोगोको यथेष्ट पुष्टिकर भोजन नसीब नहीं होता, वहाँ आभूषणोका पहनना आँखोको एक अपराधकी तरह खटकता है। भारतमें स्त्रीके पास ऐसी नकद सम्पत्ति बहुत ही कम होती है, जिसे वह अपनी कह सके। जो आभूषण वह पहनती है, वह उसके कहे तो जाते हैं, पर उन्हे भी वह अपने स्वामीकी अनुमतिके बिना दे नहीं सकती, उसे देनेका साहस ही नहीं कर सकती। एक उत्तम कार्यके निमित्त



अपनी निजी चीजका दान उसे ऊँचा उठा देता है। इसके अलावा अधिकतर यह आभूषण कलाविहीन ही होते हैं, कुछ तो निश्चय ही भद्दे और मैल भरनेवाले होते हैं—जैसे कड़े, गलेकी भारी-भारी हँसलियाँ, सिरके आभूषण और पहुँचीसे लेकर कुहनीतक चूड़ियों-पर-चूड़ियाँ, ऐसे ही गहने हैं। सिरके आभूषण वालोंको सँवारनेके लिए नहीं, बल्कि उलझे-पुलझे, बिना धूले और बहुधा बदनू मारते हुए वालोंके शृंगारके लिए ही पहने जाते हैं। मेरी रायमें कीमती गहने पहननेसे देशको स्पष्ट ही नुकसान पहुँचता है। इन गहनोसे मुल्ककी भारी पूंजी रक जाती है या इससे भी खराब बात यह होती है कि यह पूंजी दिन-दिन कम होती चली जाती है। मेरा मत है कि आत्मशुद्धिके इस आन्दोलनमें स्त्री या पुरुषके आभूषणदानसे देशका स्पष्ट ही हित होता है। जो बहने गहने देती है, वे राजी खुशीसे ही देती है। मेरी यह अर्त अवश्य रहती है कि जो आभूषण वे दान कर दें, उसे वे फिरसे न बनवायें। वास्तवमें, बहनोने मुझे इस बातके लिए आशीर्वाद दिया है कि मैंने उन्हें उन व्यर्थकी चीजोंसे छुटकारा दिला दिया जिन्होंने उन्हें गुलाम बना रखा था। और बहुत-से पुरुषोंने भी मुझे धन्यवाद दिया है कि उनके घरोंमें सादगी लानेका मैं एक साधन रहा हूँ।

अब नीलामके बारेमें दो शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती। नीलाम अच्छी प्रतिस्पर्धा पैदा करता है, और किसी उत्तम कार्यके लिए स्त्री अथवा पुरुषमें उदारताकी भावना जाग्रत करनेका नीलाम एक निर्दोष साधन है। मैं वर्षोंसे इस साधनको काममें ला रहा हूँ; और इन नीलामोंका तिलमात्र भी बुरा प्रभाव पड़ा हो, ऐसा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। संसारके सुविल्यात ग्रन्थकारोंकी फटी-पुरानी हस्तलिपियोंके लिए बड़ी-बड़ी कीमतें देना बुरा नहीं समझा जाता। तो फिर यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तुको, भले वह वस्तु यादगारकी चीज ही क्यों न हो, बहुमूल्य समझता है और उस वस्तुके लिए लागत दामसे अधिक पैसे देता है, तो इसमें क्या हर्ज है। निश्चय ही, किसी वस्तुका मूल्य उतना ही होता है, जितना कि खरीददार स्वेच्छासे दे। स्मरण रहे कि मेरे नीलाममें जो लोग बोली बोलते हैं, वे मुझे रिझानेके लिए बड़ी-बड़ी रकमोंकी बोलियों नहीं लगाते। मुझे ऐसे अवसर याद हैं जबकि मैं लोगोंको बोली लगानेके लिए राजी नहीं कर पाया हूँ, हालाँकि इन मौकोंपर भी वहाँ उपस्थित लोगोंमें अन्य स्थानोंके समान ही उत्साह था।

### उपवासका दुरुपयोग

उपवासके दुरुपयोगके इधर हाल में कई समाचार मेरे देखनेमें आये हैं। एक सज्जनने मुझे पत्र लिखकर यह धमकी दी थी कि अगर आपने अपना हस्ताक्षर न भेजा, तो मैं उपवास करूँगा। तीन सज्जनोंका कहना था कि यदि आप हमारे यहाँ न आये, तो हम अनशन करेंगे। एक भाई तबतक उपवास करनेपर तुले बैठे थे जबतक उनके गाँवके लोग खादी, हरिजन-सेवा और ऐसे ही अन्य रचनात्मक कार्योंके लिए ५००० रुपये इकट्ठा करके न देंगे। इसमें सन्देह नहीं कि ये तीनों उदाहरण उपवासके दुरुपयोगके हैं। कोई व्यक्ति उपवास करनेकी धमकी दे, तो मैं क्यों उसे

अपना हस्ताक्षर दूँ और उसके गाँवमें किस लिए जाऊँ? किसीके उपवासके डरसे लोग क्यों पैसा इकट्ठा करे? जिस मनुष्यके विरुद्ध उपवास किया जाता है, उस व्यक्तिके ऊपर एक नैतिक दायित्व जैसा होना चाहिए। उपवास तभी उचित समझा जाना चाहिए जब वह किसी लोकहितके अर्थ किया जाये अथवा जिसके लिए उपवास किया गया हो, उसमें उसकी सेवा करनेका हेतु अन्तर्निहित हो। मैं यह खूब जानता हूँ कि उपवासके सदुपयोग और दुरुपयोगके बीचमें प्रायः बाल बराबर अन्तर रहता है, जो सहज ही देखनेमें नहीं आ सकता। इसलिए सबसे अच्छी कसौटी तो यह है कि उपवास करनेवालेने वह साधना सिद्ध कर ली है या नहीं जो दूसरोके आचरण पर प्रभाव डालनेके हेतुसे उपवास करनेके लिए आवश्यक है? मैंने देखा है कि ऊपरके इन दृष्टान्तोंमें उपवास करनेकी योग्यताका या उसके लिए पहलेसे तैयारीका पूरा अभाव था। फिर योग्य उपवास तो वह है, जिनको हजारो आदमी भी करे, तो भी उनका हेतु सफल हो सके, उनका असर काफी अच्छा पड सके। यह मानी हुई बात है कि इस तरह अगर हजार आदमी मेरा हस्ताक्षर माँगे अथवा एक हजार कार्यकर्त्ता एक हजार गाँवोंमें मुझे ले जानेका आग्रह करे, या एक कार्यकर्त्ता गरीब गाँववालोसे चन्दा इकट्ठा करना चाहे और इन सब बातोंके लिए वे हजारो आदमी उपवास करनेपर तुल जाये, तो उन सबकी मनोवाछा पूरी करना तो सर्वथा असम्भव ही होगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २२-१२-१९३३

### ३९७. भाषण : जार्ज टाउनकी सभा, मद्रासमें

२२ दिसम्बर, १९३३

मित्रो,

इस समय तक हमने कोई कामकी बात नहीं की है। हुआ क्या है कि जो दो-चार बहुमूल्य क्षण मेरे पास है वे भी अभिनन्दनपत्रोंके पढे जानेमें चले गये हैं। इसलिए इससे पहले कि मुझे आपसे बोलनेका अधिकार मिले, मैं थोड़ी कामकी बात कर लूँ। (हँसी।) अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे जो छोटे-मोटे गहने दिये गये हैं आप उन्हें मुझसे ले लें और उसके बदलेमें मुझे शुद्ध सोना दे दें। (दुबारा हँसी।) तब फिर मैं इस हीरेकी अँगूठीको चुरानेका दोषी नहीं ठहराया जा सकता; और इसलिए मुझे यह आपको देनी ही पड़ेगी।

अब मैं सभाके कामकाजवाले भागपर आता हूँ।'

इसके बाद गांधीजीने हिन्दीमें कुछ शब्द कहे जिसमें उन्होंने दान देनेवालों तथा सफलतापूर्वक बोली बोलनेवालोंको हरिजनोंके काममें उन्होंने जो मदद की थी

१. इसके बाद गांधीजीने मॅट की गई वस्तुओंकी नीलामी की। बहुत-सी स्त्रियोंने उन्हें गहने दिये।  
५६-२५

उसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह एक महान् पुण्य-कर्म है और इस प्रकारके सेवा-कार्योंमें आपको गर्वका अनुभव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके हृदयोंमें जो जन्मके आधारपर ऊँच-नीच माननेकी धारणा घर कर गई है उसे निकाल दीजिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पृश्यता महापाप है; और जिसने अपने कुछ बन्धुओंको अस्पृश्य समझनेकी गन्दगीको अपने दिलसे निकालनेका निश्चय कर लिया है, वास्तवमें वही श्रेष्ठ मनुष्य है। इसके बाद गांधीजीने थोड़ेसे शब्दोंमें यह समझाया कि वे अस्पृश्योंको हरिजन क्यों कहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने तमिलमें एक महान् उक्ति पढ़ी है: “दिवकत्रवरुक्कुदीवमे तुनई” और वस्तुतः इस अभागों वर्गके लिए ‘हरिजन’ शब्दका यही औचित्य है। यह नाम मैंने नहीं गढ़ा है; एक अस्पृश्यके कहनेपर मैंने ही इस नामका प्रयोग स्वीकार किया था। अन्तमें गांधीजीने लोगोंसे यह अपील की कि अस्पृश्यताके इस कलंकको मिटाकर आप अपने धर्मको विशुद्ध बनाइए। उन्होंने कहा:

यह एक महायज्ञ है और ईश्वरसे मेरी यह कामना है कि वह आपको इसमें अपनी उचित भूमिका निभानेकी वृद्धि दे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २२-१२-१९३३

### ३९८. भाषण : मद्रासके जैन मन्दिरमें<sup>१</sup>

२२ दिसम्बर, १९३३

अब मैं कामकी बातपर आता हूँ। आप लोग जनताका शोषण करते हुए और धन संचय करते हुए दूर-दूरके देशों तक जाते हैं। अब मैं आपका शोषण करने जा रहा हूँ।

श्रोताओंने इस बातका ठहाकों और हर्षध्वनिके साथ स्वागत किया। हाथी-बाँतकी एक मंजूषाकी नीलामीकी लिए पेश करते हुए गांधीजीने कहा:

इसके लिए आप क्या देंगे?

मंजूषा, जो अनुमानतः १५ रुपयेकी होगी, उसके लिए पहली बोली श्री रामनाथ गोयनकाने १०१ रु० लगाई।

आगे बढ़िए, यहाँपर आये हुए आप गुजरातियोंके लिए तो १०१ रुपये कुछ भी नहीं हैं।

दूसरी बोली २०१ रु० की लगाई गई।

१. “ईश्वर असहायोंका सहायक होता है”।

२. गुजरातियों, मारवाड़ियों तथा सिन्धियोंने गांधीजीका सुबह साढ़े ९ बजे स्वागत किया था।

तो क्या मैं इसे जाने दूँ . . . एक, . . . दो, . . . मैं अब भी 'तीन' नहीं कहूँगा . . . अब भी समय है . . . आप लोगोंके लिए कुछ सौ रुपये कुछ भी नहीं है।

आप तो जानते ही हैं कि मैं सुधार-अनुष्ठानके सम्बन्धमें आया हूँ। जहाँतक मैं जानता हूँ, यह सत्यकी सेवा है, और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप इसमें मदद करें। आप जितना कुछ दे सकते हैं उसके मुकाबलेमें जो थैली आपने दी है वह तो बहुत कम है।

आगे बोलते हुए गांधीजीने कहा कि हरिजनोके उद्धारके जिस कार्यमें मैं लगा हुआ हूँ वह एक पवित्र कार्य है। जहाँ तक मैं वेदोंका अर्थ समझ पाया हूँ, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जिससे बड़े और छोटेका, स्पृश्य और अस्पृश्यका भेद उचित ठहरता हो। सच्चे अद्वैतके अनुसार तो ईश्वरकी आँखोंमें सब मनुष्य बराबर हैं। यह तो सिर्फ मायाके कारण मनुष्य-मनुष्यके बीच ऐसा भेदभाव दिखाई पड़ता है। आप लोगोंको अब अपने बन्धु-मानवोंको अस्पृश्य अथवा अदर्शनीय नहीं समझना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि उसका मस्तिष्क, आँख या कान, उसके हाथ, पैर या शरीरके किसी दूसरे अंगसे श्रेष्ठ है? महत्वकी दृष्टिसे सब अंग बराबर हैं। उसी प्रकार समाजका कोई भी एक वर्ग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई अन्य वर्ग, और आपको सब मनुष्योंको बराबर समझना चाहिए। मुझे [अस्पृश्यताके] इस सिद्धान्तमें कोई सार नजर नहीं आता जो कि धर्मके आदेशोके विपरीत है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वह ईश्वरका कार्य है और यही सत्य-मार्ग है। मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है कि वह आप लोगोंको सम्पन्न और समृद्ध बनाये और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना धन सत्कर्ममें और अपने बन्धु-मानवोंकी सेवामें लगायें।

[अग्रजीसे]

हिन्दू, २२-१२-१९३३

## ३९९. भाषण : वैश्य एसोसिएशनमें<sup>१</sup>

मद्रास

२२ दिसम्बर, १९३३

प्राचीन कालसे हमें सिखाया गया है कि ईश्वरके सम्मुख हाथी और चींटी, ब्राह्मण और शूद्र एक समान हैं। समदर्शी व्यक्तिके सम्मुख भी वे सब बराबर हैं। एक साधु अथवा पण्डित जो कार्य करता है, वही एक प्राकृत अथवा संसारी मनुष्य को करना चाहिए। धार्मिक आदेश दोनोंके लिए एक जैसे हैं। आप पण्डितको सत्य और प्राकृत मनुष्यको अनत्यकी शिक्षा नहीं दे सकते। वैश्य लोग समझते हैं कि व्यापारमें झूठ बोलना जा सकता है। लेकिन धर्मशास्त्र हमें यह नहीं सिखाते। विद्वधर्ममें न कोई ऊँचा है और न कोई नीचा है। ऊँच और नीचका भेद ही हमारे सब दुःखोंकी जड़ है। अस्पृश्यता-निवारण हिन्दुओंके लिए शुद्धि यज्ञ है। आज आपने जो दान दिया है वह शुद्धि यज्ञमें आपका अंशदान है और आपकी प्रतिज्ञा का बयाना है।

आपने मुझसे पूछा है कि क्या यह शुद्धीकरण आन्तरिक शक्तियोंकी सहायतासे जा सकता है अथवा बाह्य शक्तियोंकी मददसे। आपने ठीक सवाल किया है। बाह्य साधनों द्वारा किया गया शुद्धीकरण बेकार है। यदि मैं आज आपको अपने सामने झुकनेके लिए विवश करूँ तो यह धर्मके विरुद्ध होगा। धार्मिक उद्देश्योंकी प्राप्ति तो केवल आन्तरिक प्रयत्नके द्वारा ही की जा सकती है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कल जो कार्य आपको विवश होकर करना पड़ेगा वह कार्य आज आप सुधी-बुधी करें।

[अंग्रेजीमें]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २७-१२-१९३३

१. दक्षिण भारत वैश्य एसोसिएशनने गांधीजीको एक मानपत्र भेंट किया था। गांधीजीने अपना भाषण हिन्दीमें दिया और श्री के० नागेश्वरराव पन्तुलुने उसका तेलुगुमें अनुवाद किया।

२. देखिए खण्ड ५१, पृष्ठ १४८-४९।

## ४००. भाषण : आन्ध्र महासभाकी बैठक, मद्रासमें

२२ दिसम्बर, १९३३

चित्रका अनावरण करते हुए गांधीजीने कहा कि चित्रमें दिखाये गये नागेश्वर-राव पन्तुलुसे जीवित सप्राण नागेश्वर राव पन्तुलु भिन्न हैं। चित्रके नागेश्वर राव पन्तुलुका व्यक्तित्व निस्पन्द हो गया है। मैंने जबसे श्री पन्तुलुको जाना, तबसे ही मुझे उनमें एक विशेषता दिखाई दी है और वह यह कि श्री पन्तुलु हमेशा उन लोगोंकी मदद करनेमें विश्वास रखते हैं जिनको उनकी या उनकी मददकी अपेक्षा होती है। श्री नागेश्वरराव पन्तुलुने मुझे बताया कि "अमृतांजन" से होनेवाले लाभका अधिकांश भाग बुखियोंकी सहायता, जरूरतमन्द लोगोंकी मदद करनेमें जाता है। श्री नागेश्वरराव पन्तुलुके जीवनका और कोई उद्देश्य नहीं है। महात्माजीने प्रार्थना की कि श्री नागेश्वरराव पन्तुलुकी सदा उन्नति होती रहे, यहाँ तक कि अन्तमें प्रत्येक व्यक्ति उनके पास जा सके और उनसे सहायता और सान्त्वना का लाभ पा सके। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगोंको चाहिए कि वे श्री नागेश्वरराव पन्तुलुमें पाये जानेवाले उदात्त गुणोंको अथवा जिन उदात्त गुणोंका उनपर आरोप किया जाता है उन गुणोंको अपने जीवनमें उतारे।

[ अग्नेजीसे ]

हिन्दू, २२-१२-१९३३

## ४०१. भाषण : हिन्दी प्रचार सभाके दीक्षान्त समारोहमें<sup>२</sup>

मद्रास

२२ दिसम्बर, १९३३

गांधीजीने स्नातकों और प्रचारकोंसे इस बातकी क्षमा माँगते हुए कि समयकी कमीके कारण उन लोगोंको उनके प्रमाणपत्र व्यक्तित्वः प्रदान नहीं कर सकेंगे, कहा कि मैं आपको अपनी बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे आपको अब सलाहके तौरपर कुछ नहीं कहना है क्योंकि जो कुछ कहनेको था वह श्री त्रिपाठी<sup>१</sup>

१. एक मरहमका नाम।

२. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाका तृतीय वार्षिक दीक्षांत समारोह गोखले हालमें हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधीजी कर रहे थे।

३. श्री रामनरेश त्रिपाठी, जिन्होंने दीक्षांत भाषण दिया था।

पहले ही कह चुके हैं। लेकिन इस सलाहको माननेकी आवश्यकतापर मैं जोर देना चाहूंगा। दक्षिण भारतमें, और जैसा कि मैंने देखा है, विशेष रूपसे आन्ध्रप्रदेशमें हिन्दी प्रचारकी सुस्थिर रूपसे प्रगति हुई है। लेकिन मुझे तबतक सन्तोष नहीं होगा जबतक कि प्रत्येक व्यक्ति हिन्दी इतनी काफी न समझने लगे कि फिर कोई व्यक्ति मुझसे अंग्रेजीमें बोलनेको न कहे। मेरी आपसे यही अपील है कि आप साहस और संकल्पके साथ अपने कामको आगे बढ़ाते जायें। आपने अच्छी शुरुआत की है और मुझे आशा है कि आप ऐसा ही काम करते जायेंगे। ऐसा कहा जाता है कि देशके इस भागमें हिन्दी कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ पैदा करती है। शायद कुछ हद तक यह बात सही है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भारतीयके लिए किसी भारतीय भाषाको सीखना बहुत कठिन नहीं है। सभी भारतीय भाषाओंमें संस्कृतका समान रूपसे कुछ पुट होनेके कारण, जहाँतक मैं देख सकता हूँ, किसी भी भारतीय भाषाका कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर सकना आपके लिए आसान होना चाहिए। अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा या तमिल जैसी कठिन भाषापर अधिकार करनेमें हमें कठिनाई नहीं होनी। इसलिए हिन्दीके मामलेमें हमें बहुत कठिनाई क्यों होनी चाहिए तो फिर हिन्दी ३५ करोड़ों से २२ करोड़ भारतवासियोंकी भाषा है, और इसका भारतकी सर्वसामान्य भाषा होना निश्चित है।

गांधीजीने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान हिन्दी नहीं समझ सकते, वे केवल उर्दू समझते हैं। लेकिन जन-साधारण जैसी हिन्दी या उर्दू बोलते हैं उसमें मुझे कोई भेद नहीं प्रतीत होता। यह सही है कि इस्लाम धर्मकी पुस्तकोंमें और मुसलमानोंके एक वर्गमें प्रयुक्त होनेवाली उर्दूमें फारसी और अरबी शब्दोंकी बहुलता होनी है जिसके कारण हिन्दू उम्मे नहीं समझ सकते। इसी प्रकार कुछ हिन्दू भी अपनी पुस्तकों और अपनी बातचीतमें संस्कृतनिष्ठ भाषाका प्रयोग करते हैं जिसके कारण मुसलमानोंको उसे समझना कठिन होता है। जब मैं कहता हूँ कि हिन्दी और उर्दू एक जैसी भाषाएँ हैं तो मेरा तात्पर्य इस प्रकारकी हिन्दी या उर्दूसे नहीं होता। मेरा मतलब तो उस भाषासे होता है जो उत्तर भारतके जनसाधारणकी भाषा है जिनमें संस्कृत, फारसी और अरबी शब्दोंकी अच्छी मिलावट होती है और फिर भी जिसे प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू या मुसलमान, समझ सकता है। यह वह भाषा है जिसे मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति समझना और बोलना सीखे। जबतक आप ऐसा नहीं करेंगे तबतक मुझे भय है कि दक्षिणके लोग न तो उत्तर भारतके जनसाधारणका हृदय स्पर्श कर सकेंगे और न उत्तर भारतवाले दक्षिण भारतकी जनताका हृदय छू सकेंगे।

गांधीजीने कहा, हिन्दी प्रचार सभा दक्षिण भारतमें पन्द्रहसे ज्यादा वर्षोंसे कार्य कर रही है फिर भी आप लोगोंने इसकी सेवाओंका लाभ उठानेके लिए, और हिन्दी भाषा सीखकर भारतकी राष्ट्रीय एकताको बढ़ानेके लिए क्या किया है? क्या आप

लोग घुड़दौड़, सिनेमा और सस्ते मनोरंजनपर खर्च करनेके लिए समय और धन नहीं निकालते ? क्या आप इसमेंसे कुछ समय और धन हिन्दी सीखनेपर खर्च नहीं कर सकते ? मैंने सुना है कि सभाको पर्याप्त जगहकी जरूरत है और वह अपना भवन बनानेकी कोशिश करती रही है, लेकिन धनाभावके कारण नहीं कर सकी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हिन्दी सीखनेके लिए आगे आये और सभाकी सेवाओंके बदले एक छोटी-सी रकम भी दे तो आवश्यक धन आसानीसे उपलब्ध हो सकता है और सभाको उत्तर भारतकी सहायतापर निर्भर न करना पड़े। सभाको स्वावलम्बी बनानेका दायित्व दक्षिण भारतका है। इसलिए मैं अपनी यह अपील फिरसे दुहराता हूँ कि सभी दक्षिण भारतीयोंको सभाकी सेवाओंका लाभ उठाना चाहिए और इस प्रकार राष्ट्रके काममें मदद देनी चाहिए।'

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-१२-१९३३

## ४०२. बातचीत : दलित वर्ग संघके शिष्टमण्डलसे<sup>२</sup>

मद्रास

२२ दिसम्बर, १९३३

आइए, 'राव बहादुर। क्या मैं आपको कुर्सी दे सकता हूँ ?' हाँ तो राव बहादुर, मुझे आपका पत्र मिल गया है। क्या हम उसीसे शुरुआत करें ? या हम क्या करें ? आप ही कार्रवाई तय करें।

श्री श्रीनिवासनने कहा : "क्या आप पत्रको पढ़कर सुनानेकी इजाजत देंगे ?" गांधीजीने कहा :

हाँ, कृपया आप पढ़ दें।

. . . श्री भाष्यम आर्यंगारने इस बातकी तरफ इशारा किया कि पत्र ६ टाइपशुदा पृष्ठोंका है।

सब कुछ श्री श्रीनिवासनके ऊपर निर्भर करता है जो यहाँ [इस समय] अध्यक्ष है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उसे ऊपरसे नीचे तक पढ़ चुका हूँ।

१. इसके बाद गांधीजीने उस दुशालेको नीलाम किया जो उन्हें दीक्षांत समारोहके आरम्भमें भेंट किया गया था।

२. साथकालमें मद्रास दलित वर्ग संघकी कार्यकारिणीके सदस्य एक शिष्टमण्डल बनाकर गांधीजीसे मिलने गये। शिष्टमण्डलके सदस्य थे श्री आर० श्रीनिवासन, वी० धर्मलिंगम् पिल्ले, स्वामी सहजानन्द, पी० वी० राजगोपाल पिल्ले और पुष्परज। अन्य उपस्थित व्यक्तियोंमें थे वी० भाष्यम आर्यंगार, अध्यक्ष, प्रान्तीय हरिजन सेवक संघ; के० नागेश्वरराव पन्तुलु, वी० वैकट सुब्बैया, के० भाष्यम और हरिजनके सम्पादक आर० वी० शास्त्री।



श्री श्रीनिवासनने सुझाव दिया कि उनके साथियोंके लाभके लिए पत्रको पढ़नेकी अनुमति दी जा सकती है क्योंकि उसे सब लोगोंके पढ़नेके लिए घुमानेका समय नहीं है। गांधीजीने श्री पुष्परामसे पत्र पढ़नेको कहा।

यदि मैं उसकी ओर ध्यान न दूँ तो आप मुझे क्षमा करेंगे। कारण, वह मुझे लगभग हृदयंगम हो गया है। इस बीच मैं अपने कागज ठीक-ठाक कर लूँगा।<sup>१</sup>

सबसे अच्छा यह होगा कि एक-एक मुद्देको लेकर उसका जवाब देता जाऊँ। आपने पूना-समझौतेके बारेमें जो कहा है वह हमारे बीचका सामान्य आधार है, और मैं इस विचारका पूरी तरह समर्थन करता हूँ कि समझौतेका जिस रूपमें पालन किया जाना चाहिए यदि सवर्ण हिन्दू उसका उसी भावनाके साथ पालन नहीं करते तो वह निरर्थक हो जा सकता है और उसका कोई लाभ नहीं होगा।<sup>२</sup> इस बातको मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ।

केन्द्रीय बोर्ड या प्रान्तीय बोर्ड चुनावोंको प्रत्यक्ष रूपसे किस हदतक प्रभावित कर सकेंगे, यह मैं नहीं जानता। मेरे विचारमें यह एक बहुत कठिन और नाजुक विषय है। इसलिए मैंने यह निर्देश दिया है कि सामान्यतः हमें इन चुनावोंमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ किसी हरिजन उम्मीदवारके साथ अन्याय किया जाता है वहाँ हम जरूर हस्तक्षेप करते हैं। जब ऐसी कोई बात होती है, जैसी कि बम्बईमें हुई, तो हम उन सुधारनेका प्रयत्न करते हैं।

बम्बईवाली घटनाकी कुछ विस्तारके साथ चर्चा करते हुए गांधीजीने बताया कि विधान परिषद्के लिए चुनावमें एक उम्मीदवारको विठलानेके लिए उन्होंने क्या-क्या प्रयत्न किये थे। यह व्यक्ति एक ऐसे उम्मीदवारके विरुद्ध खड़ा हो गया था जो हरिजन सेवकसंघका सदस्य था और जिसके बारेमें सभी लोग जानते थे कि हरिजनोंका हित उसे अत्यन्त प्रिय है।

दिल्लीमें हरिजन उम्मीदवारके नगरपालिकाके लिए न चुने जानेका डर था। हमने हस्तक्षेप किया और हरिजन उम्मीदवारके लिए विशेष रूपसे गुंजाइश निकाली गई। कानपुरमें एक हरिजन उम्मीदवार था और सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उसका विरोध किया जाना गलत था। मुझे इसके बारेमें चुनावके बाद खबर मिली। हारे हुए सज्जनने मुझे पत्र लिखा; और मैंने उत्तरमें लिखा कि सवर्ण उम्मीदवारके लिए हरिजन उम्मीदवारके विरुद्ध खड़ा होना गलत चीज थी। हम लोगोंने अपनी भरमक कोशिश की कि यह सज्जन अपनी सीटसे इस्तीफा दे दें। लेकिन उस समय इसमें सफलता नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, मुझे पता नहीं। और भी ऐसे ही कई उदाहरण हैं।

१. पत्र पढ़ा जा चुकनेके बाद गांधीजीने अपना उत्तर दिया।

२. शिष्टमंडलके सदस्योंने यह आशंका व्यक्त की थी कि पूना-समझौता कारण नहीं होगा और

३. हिन्दुओंकी चालोंके कारण वे लोग अपनी पसन्दके उम्मीदवार नहीं चुन सकेंगे।  
भावा सीखकर २२

मैं ये दृष्टान्त यह दिखानेके लिए दे रहा हूँ कि जहाँ कहीं कोई ऐसा हरिजन उम्मीदवार खड़ा होता है जिसकी प्रामाणिकतामें किसी प्रकारकी शंका नहीं होती वहाँ केन्द्रीय बोर्डने सवर्ण हिन्दू उम्मीदवारोको प्रभावित करके चुनावमें बिठालनेकी कोशिश की है। लेकिन जहाँ हरिजन उम्मीदवार एक दूसरेका विरोध कर रहे हो और सवर्ण हिन्दू चुनावोका सचालन कर रहे हो, वहाँ बोर्ड हस्तक्षेप नहीं करता। आप लोग वास्तवमें चाहते हैं कि बोर्ड ऐसे मामलोमें भी हस्तक्षेप करे। आप चाहते हैं कि बोर्ड चुनावोका इस प्रकार नियमन करे या चुनावोको इस प्रकार प्रभावित करे कि सही प्रकारके व्यक्ति चुने जाये। लेकिन मेरा खयाल है कि तब बोर्ड अपना प्रभाव खो बैठेगा। आज जो बोर्डका प्रभाव दिन-दिन बढ़ रहा है उसका कारण यही है कि जहाँ किसी हरिजनको नुकसान पहुँचानेका भय है, ऐसे मामलेको छोड़कर उसका रुख बिल्कुल निष्पक्षताका रहता है। यही मर्यादा-रेखा हमने रखी है। अगर आप स्थितिकी जाँच करें तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि आप मुझसे सहमत होंगे।

यदि आप इस बोर्डको सेवाका एक कारगर साधन बनाना चाहते हैं तो उसे राजनीतिसे बिल्कुल अलग रहना होगा। और जब हमारे चरित्रका स्तर ऊपर जायेगा और अस्पृश्यताके मूलको निकाल फेंका जायेगा उस समय सभी चीजोंमें ऊपरसे नीचे तक समता स्थापित हो जायेगी। ऐसी मेरी आशा है। लेकिन महज इन नैतिक प्रकारकी गलतियोंमें बोर्डको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बार हमने बैसा करना शुरू किया तो आप देखेंगे कि साराका-सारा सगठन भरभरा कर बिखर जायेगा।

बोर्ड राजनीतिसे सर्वथा अप्रभावित है; और जैसा कि मैंने इतनी बार कहा है, हरिजन आन्दोलन विशुद्ध रूपसे धार्मिक है। यदि इसको ऐसा ही बनानेमें मुझे सफलता मिली और यदि बोर्ड इस नीतिको ईमानदारीसे स्वीकार करता है और लगनसे उसका पालन करता है तो आपको इस उद्देश्यके लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं मिलेगी। राजनीतिसे अलग रहने और उसमें प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप न करनेसे आन्दोलन अधिकाधिक शुद्ध बनेगा और बोर्डके लिए भी इसीमें ज्यादा बुद्धिमानी होगी तथा वह अपना उद्देश्य ज्यादा जल्दी प्राप्त कर सकेगा।

श्री श्रीनिवासनने अपने पत्रमें अगला मुद्दा यह उठाया था कि सरकार द्वारा दलित वर्गोंके आर्थिक उन्नयन और सामान्य रूपसे अस्पृश्यता-निवारणके लिए जो-कुछ किया जा रहा है उसके बारेमें बोर्डको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधीने कहा कि मैं आप लोगोंसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बोर्डको कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो सरकार द्वारा इस दिशामें दिये गये प्रोत्साहनके मार्गमें बाधा बने; और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकारके बारेमें मेरी निजी धारणा कुछ भी हो, लेकिन बोर्ड सरकारी प्रयासोंमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि मैं वर्तमान शासन-प्रणालीके बहुत खिलाफ हूँ। भारतके हितोको कुल मिलाकर देखते हुए यह एक अनिष्टकर प्रणाली है। लेकिन मैं इस सिद्धान्तको हरिजनोंके मामलेमें लागू नहीं कर सकता, यानी तबतक जब तक कि

मैं इस संघर्षमें कूद ही न पडूँ और इस मामलेमें भी सरकारका विरोध कर्हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता।

मैं ईमानदारीसे कहता हूँ कि सरकार जिस प्रकार आप [श्री श्रीनिवासन] अपने हितोंकी रक्षा करनेमें सक्षम है और जिस प्रकार श्री पुष्पराज है, उस प्रकार यदि हरिजन भी सक्षम होते तो मैं सरकारका विरोध करनेसे अपने-आपको नहीं रोक पाता। सक्षमतासे मेरा मतलब है कि जहाँ तक व्यक्तिशः आप लोगोंका सवाल है। लेकिन सामूहिक रूपसे देखा जाये तो हरिजन लोग बिल्कुल असहाय हैं। जब वे अपनी मदद आप कर सकेंगे, सबर्ण हिन्दुओंके बराबर खड़े होंगे और उनके साथ समानताके आधारपर मिलजुल सकेंगे, तब मेरा मन शान्त होगा और मैं कहूँगा: “नहीं; मैं आपके हितोंका ध्यान नहीं रख सकता। यह बात मैं शायद नहीं कर सकता।

हरिजनोंको सरकारसे जो-कुछ लाभ मिलता है, लेने दीजिए, और सबर्ण हिन्दुओंसे जो-कुछ लाभ मिलता है, वह सब लेने दीजिए। ये दोनों मिलकर हरिजनोंके प्रति होनेवाले अन्यायको काफी कुछ दूर कर सकेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि इसके बाद भी वे सारे अन्यायोंको दूर कर सकेंगे, क्योंकि सबर्ण हिन्दू कैंसा भी प्रायश्चित्त क्यों न करें, लेकिन सदियोंसे जिस भारके नीचे हरिजनोंको जिस प्रकार दला जा रहा है, उसको चन्द वर्षोंमें पूराका पूरा हटाया नहीं जा सकता। हरिजन लोग अपने सच्चे स्वरूपको फिरसे प्राप्त करें; और जैसे अच्छे और योग्य वे हो, बैसा ही अनुभव करने लगे, इसमें बहुत लम्बा समय लगेगा।

मैं आपको इस बातका पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक हरिजनोंका सवाल है, मैं सरकारकी नीतिमें कोई दखल नहीं दूँगा। यहाँ भी मैं यह कहूँगा कि मैं अपनी यह यात्रा इस ढँगसे कर रहा हूँ ताकि किसीको किसी प्रकारकी शंका न रहे; मैं सविनय अवज्ञा आन्दोलनके उद्देश्योंकी प्राप्तिके लिए भी हरिजन आन्दोलनका कोई लाभ नहीं उठाऊँगा। बैसा करनेपर वह अवज्ञा आन्दोलन सविनय न रहकर अपराधपूर्ण अवज्ञा हो जायेगी। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि जीवनभर मैंने कोई अपराधपूर्ण नीयत नहीं रखी है। अवज्ञा आन्दोलनके सविनय स्वरूपका औचित्य सिद्ध करनेके लिए मैं हरिजनोंके कामको उससे अलग रख रहा हूँ। इसके विपरीत, यदि मैं राजनीतिक उद्देश्यके लिए हरिजन आन्दोलनका उपयोग करना चाहता तो मैं खुले रूपसे यह घोषित करनेमें संकोच नहीं करता कि ‘वेशक, मैं सविनय प्रतिरोध आन्दोलनको चलानेके लिए हरिजनोंका उपयोग करने जा रहा हूँ।’ नहीं; निश्चय ही नहीं। इसके विपरीत, वे हरिजन जो मेरे साथ रह रहे हैं और जो खुद यह कहते हैं कि उन्हें जो-कुछ भी प्राप्त है वह मेरे साथ उनके सम्बन्धोंके कारण ही उन्हें प्राप्त है, उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि जब मैं आश्रमको समाप्त ही कर रहा हूँ तो उन्हें आन्दोलनमें शरीक होनेकी अनुमति दे दूँ। उन्होंने मुझसे कहा: “आप हमें अलग क्यों रख रहे है? क्या हमारी राष्ट्रभक्ति किसीसे कम है और क्या हममें औरोंकी अपेक्षा सत्याग्रह करनेकी क्षमता कम है?” मैंने उन्हें चेतावनी दी कि “तुम ऐसा करनेका साहस मत करना क्योंकि हरिजनोंके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे ऐसा करके तुम गलती करोगे।”

हरिजन सेवक संघ आज ऐसे लोगोके नियन्त्रणाधीन है जो सविनय अवज्ञा करनेकी स्थितिमें नहीं है। सर्वश्री अमृतलाल ठक्कर और श्री घनश्यामदास बिडला, वहाँकी प्रेरक शक्ति है। यही नहीं; ऐसे सभी कांग्रेसजनोंको जिनके मनमें सविनय अवज्ञा करनेकी इच्छा है और जो सविनय अवज्ञा करना चाहते थे, उनको भी संघके केन्द्रीय बोर्ड, प्रान्तीय बोर्ड अथवा उसकी किसी शाखामे कोई पद-ग्रहण करनेकी मनाही है।

संघकी गतिविधियो और सरकारके साथ उसके सम्बन्धोके बारेमें सवाल अभी भी बच रहता है। यहाँ भी मैं कहूँगा, “बोर्डके ऊपर यह भार मत रखिए।” यदि आप ऐसा करेगे तो बोर्डका सार्वत्रिक प्रभाव खत्म हो जायेगा। मैं चाहता हूँ कि बोर्डका सार्वत्रिक प्रभाव हो और यह प्रभाव कारगारी ढँगसे सभी जगह अनुभव किया जाये। जिन विषयोकी आपने चर्चा की है, उन विषयोके बारेमें बोर्ड सरकारके काममें कभी दखल नहीं देगा। सरकार ऐसे तरीके भी अपना सकती है जो नुकसानदेह हो। तब उनका विरोध करना आपका काम होगा। हम यह विरोध नहीं करेगे। यहाँ भी मैं उस बातका समर्थन करता हूँ जो आपने [श्री श्रीनिवासनने] अपने पत्रमें कही है।

राजनीतिके मामलेमें भी आप कहते हैं कि आपको अपने ढँगसे चलने और विकसित होने दिया जाये। मैं इसकी स्वीकृति देता हूँ। बोर्ड इस मामलेमें कोई दखल नहीं देगा। अतः जब हरिजनोके हितकी दृष्टिसे सरकारकी नीति आपत्तिजनक हो, या लगे तो यह निश्चय भी आपको और केवल आपको ही करना होगा कि सवैधानिक और वैध तरीकोसे ही सही, उसका विरोध आप करें या न करें। लेकिन जहाँ तक बोर्डका सवाल है, मैं कहूँगा, “हमने मर्यादा-रेखा खींच दी है, और हमारी वही स्थिति रहेगी।” यदि हम उस स्थितिपर कायम रहे तो मैं जानता हूँ कि बोर्डको सरकार भी आदरकी दृष्टिसे देखेगी। इस प्रकार शुरूसे आखिर तक बोर्ड ईमानदारीकी नीति ही अपनायेगा— इसमें कोई छल नहीं होगा।

अब शिक्षाको ले। इस विषयमें केन्द्रीय बोर्ड आपके सामने अपने कार्योंका बहुत ही अच्छा रिकार्ड प्रस्तुत कर सकता है। हर जगह उदारतापूर्वक छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। कितने ही सौ हरिजन आज छात्रवृत्तियाँ पा रहे हैं जो कि वे सरकारसे या अन्य किसी सस्थासे नहीं पा सकते। हम एक भी व्यक्तिसे कभी यह नहीं कहते: “सरकारके पास मत जाओ।” यह नीति बोर्डके ऊपर लागू नहीं की जा सकती। हम उन्हें सरकारी विभागोसे सहायता प्राप्त करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिन मामलोमें यह सहायता पर्याप्त नहीं होती, उनमें बोर्ड भी कुछ सहायता कर देता है। ऐसा हमने बहुत सारे मामलोमें किया है। शिक्षाके मामलेमें यह है हमारी नीति।

१. शिष्टमण्डलके सदस्योंने शिक्षापर की थी कि जहाँ सर्वगं हिन्दुओंकी प्रधानता है, ऐसे स्कूलोंमें हरिजन बच्चोंको भर्ती करनेकी नीति सफलतापूर्वक नहीं चल रही थी और दलित वर्गोकी शैक्षणिक प्रगतिके वह अनुकूल नहीं थी। उन्होंने गांधीजीसे छात्रवृत्तियाँ, और छात्रवासोंकी स्थापनाके लिए धन एकत्र करनेमें सहायता देनेका अनुरोध किया था।

फिर, आह ! आप कहते हैं कि देश-प्रत्यावर्तन दक्षिण आफ्रिकामें मेरे कार्योंका परिणाम है।<sup>१</sup> यह तो बड़ा निर्मम आक्षेप है। (हँसी)। मैं कहता हूँ कि इतिहास इससे भिन्न निर्णय देगा।

१८९३ में जब मैंने दक्षिण आफ्रिकाकी धरती पर पैर रखा था उस समय देश-प्रत्यावर्तनकी सूरत पैदा हो ही रही थी। क्या आप जानते हैं कि नेटाल विधानसभामें एक विधेयक वास्तवमें पास किया गया था जिसके अनुसार प्रत्येक ऐसे भारतीयसे जो गिरमिट खतम होनेके बाद नेटालमें बसना चाहता हो, अपेक्षा की जाती थी— क्या करनेकी अपेक्षा की जाती थी ?

श्री आर० श्रीनिवासन : कि वह व्यक्ति-कर अदा करे।

गांधीजी : कितना ?

श्री श्रीनिवासन : प्रति व्यक्ति १ पौंड।

नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने २५ पौंडका प्रस्ताव किया था। मैंने इसका विरोध किया। मूलतः विचार यह था कि गिरमिट खतम होनेके बाद वे [भारतीय गिरमिटिया] वापस देश चले जायें। इसके मतलब यह कि उनकी गिरमिटकी अवधि भारतमें खतम हो। मैंने नेटाल ससदमें पेटिशन भिजवाये। यह मैंने वहाँके व्यापारी समाजके जरिये कराया क्योंकि उस समय व्यक्तिशः प्रत्येक भारतीयसे अलग-अलग ऐसा करवा सकना सम्भव नहीं था। परिणामस्वरूप कानूनकी व्यवस्थाएँ बदल दी गईं; और यह बात लिखित रूपमें मौजूद है। अतः आप देखेंगे कि जब मैं दक्षिण आफ्रिका गया उस समय देश-प्रत्यावर्तन हो रहा था; और मेरे वहाँ जानेके बाद प्रत्यावर्तन असम्भव हो गया। इसके बाद आप अपना यह भय प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार दक्षिण आफ्रिकामें हमारा आन्दोलन समाप्त हो गया था उसी प्रकार यह हरिजन आन्दोलन भी समाप्त हो जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि इसका वैसा ही अन्त हो। (जोरसे हँसी) देश-प्रत्यावर्तन अब स्वैच्छिक है और जिन लोगोको देश वापस भेजा जाता है उन्हें आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। १८९३ में देश-प्रत्यावर्तन अस्वैच्छिक और वाध्यकारी था और इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। यदि मैंने यह अपराध किया है— (फिरसे हँसी) —तो मैं अपराध स्वीकार करता हूँ।

चूँकि इस विषयका समापन करते हुए गांधीजीने कहा कि देश-प्रत्यावर्तनकी योजना विफल सिद्ध हुई है। यह विफल हुई है, इसकी जानकारी मुझे यों है कि मेरा उन लोगोंके साथ पत्र-व्यवहार होता रहता है जो दक्षिण आफ्रिकाके बारेमें प्रत्यक्ष जानकारीके आधारपर कुछ कह सकते हैं। वहाँके भारतीयोंका मार्गदर्शन मैं जिस हद तक कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। मैं उन्हें बराबर चेतावनी देता रहता हूँ कि वे वापस भारत न लौटें क्योंकि यहाँ उनकी स्थिति अछूतोंके भी बीच अछूतों

१. शिष्टमंडलके सदस्योंने कहा था कि दक्षिण आफ्रिकामें गांधीजीके कार्योंके फलस्वरूप जो भारतीय दक्षिण आफ्रिकासे भारत आये थे उन्हें रोजगारके अभावमें बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ रहा है।

जैसी होगी। ऐसी परिस्थितियोंमें जहाँ तक दक्षिण आफ्रिकाकी बात है, मुझे किसी बातके लिए पछतानेकी जरूरत नहीं है।

अब मैं मन्दिर-प्रवेशके सवाल पर आता हूँ। मैं वेहिचक कहूँगा कि मुझे आपकी बात स्वीकार है।<sup>१</sup> यदि आप कहते हैं कि आप इसे विल्कुल चाहते ही नहीं, तो इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन यह तो सवर्ण हिन्दुओका कर्त्तव्य है कि कहे, "हमारे मन्दिरोंमें आइए, वे हमारी ही तरह आपके लिए भी खुले हुए हैं। यह विल्कुल आपकी मर्जीकी बात है कि आप प्रवेश करें या न करे। मन्दिर-प्रवेशके इस आन्दोलन-में भाग लेनेके लिए मैं हरिजनोको निमन्त्रित नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहे तो यह वता सकते हैं कि यह [अर्थात् मन्दिर-प्रवेश] भी आपका अधिकार है, भले ही आप उस अधिकारका उपयोग न करें। या आप इससे भिन्न रवैया अपना सकते हैं। यह बात सर्वथा आपके विचार करनेकी है। लेकिन जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, यह तो केवल एक तरफा चीज है। यह सवर्ण हिन्दुओके लिए पश्चात्ताप करने और हृदय परिवर्तन करनेकी बात है। जिन स्थानोको आप अपना शरण-स्थान मानते हैं उनमें आनेका आपको हक है। आपको उतना ही हक है जितना किसी सवर्ण हिन्दुको है। इस अधिकारको मान्यता मिल जानेके बाद उसका उपयोग करना या न करना आपके हाथमें है।

मद्यपानकी बुराईके विषयमें गांधीजीने कहा कि दलित वर्गोंको सलाह देनेमें मैं सदा सतर्क और सावधान रहता हूँ।<sup>२</sup> मैं जानता हूँ कि यह बुराई अन्य जातियोंमें भी व्याप्त है। बात इतनी ही है कि हरिजनोंको ऊपर उठनेके लिए संघर्ष करनेकी जरूरत है, और वे मद्यपान जैसी चीज नहीं कर सकते। उन्हें तो सीजरकी पत्नीकी भाँति दूसरोकी दृष्टिमें सन्देहसे परे होना है।

सवर्ण हिन्दू भले ही लाल शरावके तालाबोंमें लोट-पोट लगाये। लेकिन आपको उससे दूर भागना चाहिए। तथापि मैं आपकी भावनाओको चोट नहीं पहुँचाना चाहता। भद्र जन होनेके नाते आप इसका बुरा मान सकते हैं, लेकिन साधारण हरिजन जनता इसका बुरा नहीं मानती। आखिरकार आप जानते हैं कि मैं हरिजनोको इस बुराईसे छुड़ानेके लिए सालहा-सालसे उनके बीच काम करता रहा हूँ। इसलिए मेरे विचारसे आपको मेरी आजादीपर प्रतिबन्ध लगानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप मुझे सावधान कर सकते हैं; और मैं उसे स्वीकार करता हूँ—मैं ऐसी भाषाका प्रयोग करूँगा जिससे किसी व्यक्तिको ठेस न पहुँचे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसीको चोट पहुँचानेके खयालसे एक भी शब्द नहीं कहूँगा।

१. शिष्टमंडलके सदस्योंने कहा था कि वे मन्दिर-प्रवेशके विरुद्ध नहीं हैं, किन्तु उनके लिए इस आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेना वाञ्छनीय नहीं है।

२. शिष्टमंडलके सदस्योंने शिकायत की थी कि अनेक जातियोंमें लोग शराब पीते हैं और अन्य बुराईयोंसे ग्रस्त हैं; लेकिन केवल दलित वर्गों पर ही इन आदतोंके लाइन लगाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है।

अन्तमें मैं हरिजन नामको लेता हूँ। आप कहते हैं कि इसको चुननेमें दलित वर्गोंकी राय नहीं ली गई। मुद्दा तो यह है कि उन्होंने मुझसे राय ली थी। (हँसी।) मैं भारतके सब स्थानोंमें गया हूँ। मुझसे पूछा जाता है, “हमें हरिजन क्यों कहा जाता है?” वे कहते हैं कि उनका कोई और अच्छा नाम क्यों नहीं होना चाहिए। सामान्य रूपसे यही भावना होती है। वे कहते थे, “ईश्वरके लिए हमें कुली मत कहिए।” किसी समय इस शब्दका एक विशेष महत्त्व था। एक पूरी-की-पूरी जाति इसी नामसे पुकारी जाती थी। यदि इस शब्दका प्रयोग अब नहीं किया जाता तो इसका यह अर्थ नहीं कि कोई हृदय-परिवर्तन हो गया है। कानोंको खटकनेवाला शब्द हटा दिया गया है। नये नाम ने भी यही किया है। जैसा कि मैंने कहा, यह मेरा गढ़ा हुआ शब्द नहीं है। एक अस्पृश्यने मुझसे कहा कि वह नहीं चाहता कि किसी ऐसे नामसे उसे जाना जाये जो चिर-निन्दाका द्योतक हो। उसने बिलकुल ठीक ही कहा कि ‘दलित’ शब्द उसे गुलामीकी याद दिलाता है। मैंने कहा, मेरे पास कोई नाम सुझानेको नहीं है। क्या तुम सुझाओगे?” तब उस व्यक्तित्वने ‘हरिजन’ शब्द सुझाया। अपने समर्थनमें उसने गुजराती कवि नरसी मेहताको उद्धृत किया जिन्होंने कि अपनी कविताओमें इस शब्दका प्रयोग किया है। मैं इस सुझावपर उछल पड़ा। मुझे तमिलकी कहावत ‘दिवकात्रवस्कु दीवमे तुने’ भी मालूम थी। क्या ‘हरिजन’ शब्द उसका भावानुवाद नहीं है? जो लोग अच्छत हैं वे हरिके प्यारे होते हैं। दलित वर्गोंके मामलेमें ‘हरिजन’ इसी भावका द्योतक है।

अपने पत्रके अन्तिम अनुच्छेदमें आपने मुझे जो प्रमाणपत्र दिया है वह जरा जल्दी दिया गया है। उठाये गये मुद्दोंके बारेमें मुझे जो कुछ कहना था उसे आप सबने सुना। हम सब उसी उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए मिलजुलकर काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ है; और इसलिए सफलता सुनिश्चित है। इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। मैं जानता हूँ कि अस्पृश्यता मृतप्राय है। मेरी दृष्टिमें यह अस्पृश्यता-राक्षसी अभी भी साँस ले रही है; लेकिन यह उसकी अन्तिम साँसे है। (जोरसे करतल-ध्वनि।)

श्री श्रीनिवासन : मैं ऐसी ही आशा करता हूँ।

हाँ; हम ईमानदारीसे ऐसी आशा कर सकते हैं।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-१२-१९३३

१. शिष्टमंडलके सदस्योंने गांधीजीको दलित वर्गोंके उद्धारके लिए यह अपूर्व आन्दोलन आरम्भ करनेके लिए धन्यवाद दिया था और कहा था कि इस आन्दोलनने सर्वत्र हिन्दुओंको अस्पृश्यता-उन्मूलनके लिए ज्वरदस्त प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने यह कामना व्यक्त की थी कि गांधीजीका अनुष्ठान सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा।

## ४०३. भेंट : 'मद्रास मेल' के प्रतिनिधिको

मद्रास

२२ दिसम्बर, १९३३

गांधीजीने इस आशयका एक वक्तव्य<sup>१</sup> दिया था कि मैंने पंडित जवाहरलालको इस बातका मुस्तारनामा दे दिया है कि वह मेरी तरफसे कांग्रेस पार्टीके नेताके रूपमें काम करें। इस वक्तव्यके बारेमें प्रश्न किये जानेपर गांधीजीने कहा कि मैंने पंडित जवाहरलालका जवाब देखा है और उसमें निहित इस अर्थको भी समझा है कि यह वक्तव्य देते समय मैं भ्रजाक कर रहा था।

यह बात पूरी तरह सही नहीं है। मेरे वक्तव्यकी एक गम्भीर पृष्ठभूमि है। फिलहाल राजनीतिका त्याग कर देनेके वाद और अपनी शक्तिको हिन्दू-धर्मसे अस्पृश्यता का निवारण करनेमें लगानेका निश्चय करनेके वाद मैं कांग्रेस पार्टीका संचालन नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्तिशः किसी समस्याके बारेमें निजी तौरपर मुझसे अपनी राय देनेको कहे, तो मैं अपनी निजी राय दे सकता हूँ, लेकिन मैं नीतियोकी व्याख्या करने या उनपर चर्चा करनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। यह पंडित जवाहरलालका काम है। और उनके पूर्ण विवेकाधिकारमें दखल देनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए मैंने मुस्तारनामेकी बात कही है।

यह बात सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलालका साम्यवादकी ओर झुकाव है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके नेतृत्वमें कांग्रेसकी नीतिको साम्यवादी रंग दिया जायेगा ?

नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जवाहरलाल बहुत ईमानदार व्यक्ति है और वह ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता कि वह अपने सहयोगियोको पर्याप्त पूर्वसूचना दिये कांग्रेसकी बुनियादी नीतिसे हटेगे। मैं नहीं समझता कि जवाहरलालके अपने विचार इतने स्पष्ट बन चुके हैं कि उनके द्वारा कांग्रेसकी नीतिमें कोई बुनियादी परिवर्तन किये जानेकी सम्भावना हो। समाजवादमें उनकी दृढ़ आस्था है, लेकिन समाजवादी सिद्धान्तको भारतीय दशाओमें किस प्रकार लागू किया जा सकता है, इसके बारेमें उनके विचार अभी भी अनिश्चयकी अवस्थामें हैं। इसलिए उनके साम्यवादी विचारोंसे किसीको भयभीत होनेकी जरूरत नहीं है।

१. हिन्दुस्तान टाइम्स, १५-१२-१९३३ में प्रकाशित रिपोर्टके अनुसार दिल्लीमें १४ दिसम्बरको कार्यकर्ताओंके साथ अपनी चर्चाका समापन करते हुए गांधीजीने उपस्थित जनोंसे कहा कि मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरूको मुस्तारी सौंप दी है और कांग्रेस तथा अन्य बातोंके विषयमें प्रत्येक मसले पर आप लोग पंडित जवाहरलालसे विचार-विमर्श किया करें।



जब गांधीजीका ध्यान इस ओर दिलाया गया कि साधारण जनसमूहसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह आदर्शोंकी चर्चा और अमुक मार्ग अपनानेके लिए स्पष्ट प्रोत्साहनके बीचका सूक्ष्म अन्तर समझ सके, तब उन्होंने स्वीकार किया कि इस बातका खतरा बराबर है कि जनताकी भीड़ किसी वक्ताके उद्देश्यको समझनेमें गलती कर बैठे, लेकिन उन्होंने कहा कि जवाहरलालका इरादा जनताको ठकसाने या भड़कानेका नहीं है।

इसके बाद बात चली कि साम्यवादी लोग बड़ी-बड़ी सम्पदाओंका जो विरोध करते हैं, उससे जवाहरलाल भी स्पष्टतः सहमत हैं।

मेरी रायमें भूमिको टुकड़े-टुकड़े करके उसका बँटवारा नहीं किया जाना चाहिए। यदि बड़े-बड़े पुस्तानी जमींदारोंका प्रभाव पूरी तरह नष्ट कर दिया जायेगा तो यह बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। लेकिन यह मैं जरूर मानता हूँ कि वास्तविक काश्तकारका जमीनपर हक होना चाहिए और पैदावारमें अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा उसे मिलना चाहिए। इस समय बहुत-सी जगह उसे बहुत कम हिस्सा मिलता है। उसे न्यायोचित हिस्सा मिलना चाहिए, सिर्फ गुजारे लायक हिस्सा नहीं।

देशके विभिन्न भागोंमें भूमि-आन्दोलनोंकी चर्चा करते हुए गांधीजीने कहा:

सरकार कुछ भी करे, लेकिन यह जबरदस्त जागृति अब समाप्त होनेवाली नहीं है। यह स्थायी है। मैं जिस चीजसे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ वह यह है कि इस आन्दोलनके तिलतिलेमें इतनी कम हिस्सा हुई है, और इसमें अनजानेमें अहिंसाकी प्रभावकारिता ही व्यक्त हुई है।

यह पूछे जानेपर कि क्या आपने इस बातका विचार किया है कि हालके भूमि-सम्बन्धी कानूनके फलस्वरूप जमींदारों और काश्तकारोंके बीच साहूकार और दलाल लोगोंके रूपमें विचोर्लियोंके पैदा हो जानेका खतरा है, श्री गांधीने कहा:

यदि जमीन विचोर्लियोंके हाथ चली गई तो यह बड़े दुःखकी बात होगी। हमें वास्तविक काश्तकारके हितोंकी रक्षा करनी चाहिए; काश्तकारसे मेरा मतलब उससे है जो खुद जमीन जोतता है। वह नले ही अपनी मददके लिए बहुत से मजदूरोंको नौकर रखता हो, लेकिन यदि वह स्वयं भी अपनी जमीनपर काम करता है तो वह काश्तकारकी मेरी परिभाषापर पूरा उतरता है।

बातचीत अब हरिजन आन्दोलनकी ओर मुड़ गई है। श्री गांधीजीने अपना पहलेका यह कथन दोहराया कि यह आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन नहीं है।

मेरा हरिजन-कार्य विलकुल धार्मिक कार्य है। इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और यह मूलतः एक लोकोपकारी कार्य है। यह किसी भी अर्थमें राजनीतिक कार्य नहीं है।

लेकिन अब इस बातसे इनकार नहीं कर सकते कि हरिजन-आन्दोलनके राजनीतिक परिणाम भी अवश्य होंगे।

यह सच है। मैं यह अवश्य कहता हूँ कि हालाँकि ऐसे राजनीतिक परिणाम इस आन्दोलनके उप-फल होंगे, लेकिन वे परिणाम इस आन्दोलनके उद्देश्य नहीं हैं। किसी भी धार्मिक आन्दोलनका जीवनके अन्य क्षेत्रोंपर प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि व्यापक अर्थमें धर्म जीवनके सभी विभागोंका संचालन करता है।

श्री गांधीने स्वीकार किया कि इस आन्दोलनका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सर एन० एन० सरकार द्वारा हाल में किये गये इस दावेकी मुझे जानकारी है कि इस आन्दोलनका उद्देश्य अन्य अल्पसंख्यक जातियोंके मुकाबले हिन्दू-समाजको संगठित करना है, लेकिन मैं जोरदार शब्दोंमें इस बातसे इनकार करता हूँ कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है। वस्तुतः मैं इस मामलेमें हिन्दू महासभासे असहमत हूँ।

हिन्दू महासभाकी गतिविधियाँ मूलतः साम्प्रदायिकतापूर्ण हैं और उनका उद्देश्य अन्य जातियोंके मुकाबले हिन्दुओंके हितोंको आगे बढ़ाना है। हरिजन आन्दोलनमें साम्प्रदायिकताकी कोई भावना नहीं है। इसका उद्देश्य हिन्दू-धर्ममें आन्तरिक सुधार करना है और ऊँच-नीचके कृत्रिम भेदोंको दूर करना है। सर्वण हिन्दुओंको धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलोंमें जो अधिकार प्राप्त हैं वे ही अधिकार हरिजनोंको दिलानेके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य कोई हिन्दू मतदाताओंकी संख्या बढ़ानेका नहीं है। एक आदमीके लिए जिस हद तक सम्भव है, उस हद तक मैं इस आन्दोलनको राजनीतिसे मुक्त रखनेकी कोशिश कर रहा हूँ।

संवाददाताने इस बातकी चर्चा की कि मुसलमान, ईसाई आदि अल्पसंख्यक जातियोंके बहुतसे सदस्य ऐसा मानते हैं कि श्री गांधीका उद्देश्य भले ही कुछ और हो, लेकिन इस आन्दोलनका राजनीतिक प्रभाव, तथा अन्य लोगोंका इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक जातियोंके ऊपर संख्याबलके आधारपर एक संगठित हिन्दू बहुमतकी प्रधानता स्थापित करना है। इसपर गांधीजीने इस आन्दोलनको राजनीतिसे सर्वथा मुक्त रखनेके अपने निश्चयको दोहराया और कहा :

मैं ईसाइयो, मुसलमानों तथा अन्य जातियोंको एक अविभाज्य राष्ट्रके रूपमें संगठित करना चाहता हूँ जिनके हित समान हों। तब अल्पसंख्यक जातियाँ अपनेको अल्पसंख्यक अनुभव नहीं करेगी। अस्पृश्यता समाप्त हो जानेपर वह बाधा दूर हो जायेगी जिसके कारण हिन्दू तथा अल्पसंख्यक जातियोंमें निकट सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाते, और इस बाधाके हटते ही उद्देश्य और हितोंकी एक नई एकता उत्पन्न होगी। हरिजन आन्दोलन किसी भी दृष्टिसे अकेले हरिजनोंसे सम्बन्धित आन्दोलन ही नहीं है। इसका उद्देश्य प्रत्येक प्रकारकी अस्पृश्यताको समाप्त करना है।

श्री गांधीका ध्यान जब डॉ० मुंजेके हालके इस कथनकी ओर दिलाया गया कि हिन्दू धर्ममें मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि सभी लोग आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा :

डॉ० मुंजेका उद्देश्य मेरे उद्देश्य से बहुत भिन्न है। वह और उनके समर्थक विधान-सभामें सीटोंकी संख्याके ऊपर तकरार कर रहे हैं। उनका आन्दोलन केवल राजनीतिक है, मेरा गैर-राजनीतिक है।

यह पूछे जानेपर कि आपके कुछ प्रमुख अनुयायी मन्दिर-प्रवेशके मामलेमें जो धमकाने-डरानेकी नीति अपना रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं, श्री गांधीने जोर देकर कहा :

यदि कोई व्यक्ति हरिजन आन्दोलनमें बल-प्रयोग करता है तो वह मेरी इच्छाके विरुद्ध कार्य करता है। मैं आन्दोलनको नीचे स्तरपर गिरनेसे रोकनेकी कोशिश करता हूँ, लेकिन किसी भी आन्दोलनमें कुछ कठिन लोग होते हैं। जहाँतक मेरा सवाल है, जबतक सन्तुष्ट न हो जाऊँ कि अमुक मन्दिरको हरिजनोके लिए खोलनेके लिए सामान्य तौरपर लोग राजी हैं तबतक मैं उसे नहीं खोलता। अभी हाल ही में मैंने एक मन्दिरको खोलनेसे इनकार कर दिया क्योंकि न्यासियोमें इस सवालपर तीव्र मतभेद जान पड़ता था। मैं केवल उन्ही मन्दिरको खोलनेपर सहमति दूंगा जिसमें वास्तवमें पूजाके लिए जानेवाले दर्शनार्थियो और उस मन्दिरके न्यासियोका बहुत बड़ा बहुमत हरिजनोके मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें हो।

विधान-सभाके सामने इस समय जो विधेयक पेश हैं, उनके बारेमें गांधीजीकी राय पूछे जानेपर उन्होंने कहा कि इन विधेयकोका उद्देश्य मन्दिरोंके न्यासियो और मन्दिरमें जानेवाली जनताको इस बातकी स्वतन्त्रता प्रदान करना है कि वे यदि चाहें तो मन्दिरोंको हरिजनोके लिए खोल सकें। अभी तो अदालती निर्णयोके कारण उनके हाथ बँधे हुए हैं।

हिन्दू-धर्मको अगर हमने इन बन्धनोंसे मुक्त नहीं किया तो उसमें सड़ांध आ जायेगी और वह नष्ट हो जायेगा।

अगर हम हिन्दू-धर्मसे अस्पृश्यताका समूल नाश नहीं कर सके तो हिन्दू-धर्म खत्म हो जायेगा, वह इसी योग्य होगा कि नष्ट हो जाये, और उसके खत्म होनेका मुझको कोई दुःख नहीं होगा। अस्पृश्यताको खत्म होना ही चाहिए। यूरोपीयोसे मुझे यह बात कहनी है: "शासक वर्गके सदस्योकी हैसियतसे नहीं बल्कि स्वतन्त्र नागरिकोंके रूपमें आइए और हमारे साथ काम कीजिए।"

श्री गांधीने कहा कि मद्रासने मेरा जिस उत्साहसे स्वागत किया है, बुधवारकी शामको ट्रिप्लोकेन बीच पर जितनी बड़ी संख्यामें लोग इकट्ठे हुए थे, उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया।

मुझे मंच तक पहुँचनेमें ३० मिनट लगे और मंचसे वापस कारतक लौटनेमें ४५ मिनट लगे। वहाँ लगभग एक लाख लोग थे और यह देखकर खुशी होती थी कि हरिजन और सवर्ण लोग किस प्रकार वहाँ आपसमें मिल गये थे। यह चीज कुछ साल पहले नहीं हो सकती थी। अस्पृश्यता जा रही है।<sup>१</sup>

[अंग्रेजीसे]

मद्रास मेल, २२-१२-१९३३

१. इस रिपोर्टकी एक कतारन जवाहरलाल नेहरूको भेजे गये २६-१२-१९३३ के पत्रके साथ संलग्न की गई थी।

## ४०४. भेंट : " हिन्दू " के प्रतिनिधित्वसे

मद्रास

२२ दिसम्बर, १९३३

हमेशाकी तरह मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे लोगोसे प्रगाढ प्रेमके सिवा कुछ नहीं मिला है। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि ट्रिप्लीकेन बीच पर जनताने उत्साहका जो प्रदर्शन किया और अनेक श्रमिक क्षेत्रोंमें जानेपर वहाँ जैसा उत्साह मैंने देखा उसके लिए मैं तैयार नहीं था। इन अवसरोंपर जितनी बड़ी सख्यामे लोग इकट्ठे हुए उतनी बड़ी तादादमें इससे पहले कभी नहीं हुए थे।

यह सही है कि इन जोरदार प्रदर्शनोंके लिए काफी हद तक लोगोका मेरे प्रति प्रेम और उनका मुझसे लगाव ही जिम्मेवार था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुझसे लिपटा हुआ दिखनेवाला विशाल जन-समूह पूरी तरह समझता था कि मैं किस चीजके लिए खड़ा हूँ और किस लिए आया हूँ, और उसकी कद्र करता था। यदि अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलनके प्रति उनकी धार्मिक भावनाने विद्रोह किया होता, तो उनका प्रेम मैंने पूरी तरह खोया भले न होता, तो भी उनका उत्साह-प्रदर्शन उतना उन्मुक्त और निर्बाध न होता और उनका रुख मेरी तरफ बिल्कुल ठंडा न भी होता तो भी उन्होंने प्रेम-प्रदर्शनमें संयम तो जरूर बरता होता। भीड़की सामान्य चेष्टाओं और आँखोंके भावको एक ही निगाहमें देखकर उसके मनको पढ सकनेका मैं अभ्यस्त हूँ। अस्पृश्यताके सिलसिलेमें मैं जो-कुछ कर रहा हूँ उसकी अस्वीकृतिका लवलेशमात्र भी मैं इन लोगोके मुखपर नहीं देख पाया। जब मैंने लोगोसे चन्दे देनेको कहा तो जिस प्रकार वे आगे आये वह भी महत्वपूर्ण था और मैंने अपनी जो धारणा आपको बताई है, वह उससे पुष्ट ही हुई। इसलिए मेरे मनमे भविष्यके प्रति आशा भरी हुई है।

मुझे लगता है कि दक्षिणमे भी अस्पृश्यताकी जड़े हिल गई हैं। मैं अपने सनातनी मित्रोंसे कहना चाहूँगा कि उनकी भावनाओंको चोट पहुँचानेकी मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ अमुक मुद्दोंपर सहमत हो सकूँ और मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जिन वातोंपर हमारे मतभेद हैं, वे बहुत थोड़ी-सी हैं। यदि उनके प्रति मेरे रुखसे तात्कालिक समझौता न भी हो सके तो भी मैं जानता हूँ कि यदि मैं धीरज रखूँ तो समय यह समझौता करा देगा; और मैं मानता हूँ कि धीरज मुझमें है।

एक शब्द मैं पुलिसके व्यवहारके बारेमे कहना चाहूँगा। आजका दिन उनके लिए सचमुच बहुत ही कठिन दिन था क्योंकि मुझे जाँजं टाउनके व्यापारिक इलाकोसे

१. यह भेंट गाधीजीने मद्राससे रवाना होनेकी पूर्व-संध्याको दी थी।

गुजरना था। मुझे यह कह सकनेकी खुशी है कि पुलिस का व्यवहार मैत्रीपूर्ण और सहायतापूर्ण था। पुलिसवाले एक तरहसे जनताका ही एक हिस्सा बन गये थे और बड़े ही अच्छे ढंगसे उसे सम्भाल रहे थे। इस मित्रता-प्रदर्शनके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-१२-१९३३

### ४०५. सन्देश : तमिल-प्रेमी सम्मेलनमें

२२ दिसम्बर, १९३३

मैं आशा करता हूँ तमिल भाषा प्रेमियोंका प्रेम चिरस्थायी होगा और प्रतिकूलसे प्रतिकूल स्थितियोंमें भी वह बना रहेगा। तमिल भाषाकी मुझे जो सतही जानकारी है, उसपरसे मैं यह जान सका हूँ कि वह कितनी सुन्दर और समृद्ध भाषा है। इसकी उपेक्षा करना मेरे विचारसे अपराध होगा।

मो० क० गांधी<sup>१</sup>

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-१२-१९३३; सी० डब्ल्यू० ९६९९ से भी। सौजन्य : मद्रासलायब्रेरी एसोसिएशन

### ४०६. भाषण : गुंटूरमें<sup>२</sup>

२३ दिसम्बर, १९३३

भाइयो और वहनो,

गुंटूर मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। आपने जो मानपत्र और थैली मुझे दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। गुंटूरके वकीलोंने १४५ रुपयेका चन्दा दिया है। मैं स्वयं एक समय वकील था। मैं कहता हूँ कि मैं वकीलोसे इतनी छोटी रकम स्वीकार नहीं कर सकता। वे इतने गरीब नहीं हैं। इसपरसे मैं समझता हूँ कि गुंटूरके वकीलोंने हरिजन-कार्यमें कोई दिलचस्पी नहीं ली है। १४५ रुपयेकी यह रकम अकेला एक वकील दे सकता है। मैं उनसे पूछता हूँ "आप क्या करने जा रहे हैं?" मैं गुंटूरके वकीलोंको जानता हूँ। इसीलिए मैं उनसे ऐसा कह रहा हूँ। पिछली

१. हस्ताक्षर तमिल लिपिमें हैं।

२. गांधीजीने अपना भाषण हिन्दीमें दिया था, और इसका तेलुगुमें अनुवाद श्री कौंडा वेंकटपैपाने किया था।

वार जब मैं यहाँ आया था तब उन्होंने मुझे धैली भर रुपये दिये थे। सब दिन एक समान नहीं होते। उस समय रुपयेकी बहुतायत थी, अब उसकी कुछ तंगी है।

मैंने अभी-अभी तिलकपेटमें श्री पुन्नारावका गुरुनाथेश्वर मन्दिर देखा है। मन्दिर में प्रतिष्ठित देवताका जो नाम रखा गया है उसके कारण मन्दिर अलोकप्रिय हो गया है क्योंकि देवताका नाम श्री पुन्नारावके चाचाके नामपर रखा गया है। सच देखा जाये तो 'गुरुनाथेश्वर' नाममें कुछ गलत नहीं है, हालाँकि 'गुरुनाथ' नाम गलत हो सकता है। मेरी रायमें किसी मनुष्यकी स्मृतिको चिरस्थायी बनानेके लिए ईश्वरका कोई नाम नहीं रखना चाहिए। यह उचित नहीं है कि दानके साथ दान-कर्त्ताका नाम जोड़ा जाये। यह मेरी निजी राय है। ईश्वरके नामसे वास्तवमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। स्वर्गीय श्री गुरुनाथम्के भाईके पुत्र श्री पुन्नारावने मुझे बताया कि उन्हें देवताका नाम बदलनेमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आगेसे देवताको "गौरी विश्वेश्वर" कहा जायेगा। जिस कागजपर नया नाम लिखा गया है उसपर मैंने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

श्री पुन्नाराव मन्दिरको हरिजनोके लिए खोलना चाहते हैं। लेकिन मैंने उन्हें अभी ऐसा न करनेको कहा है; कारण, इसमें जो अनोखी परिस्थिति है उसमें मन्दिर-प्रवेश और नाम-परिवर्तन, ये दोनों चीजे एक ही समय और एक साथ करना बांछनीय नहीं है। किसी भी मन्दिरको हरिजनोके लिए खोलनेके मैं विरुद्ध नहीं हूँ। लेकिन मैं बाध्य किये जानेके विरुद्ध हूँ। जब भक्त और न्यासी लोग राजी हो तभी मन्दिरको हरिजनोके लिए खोलना चाहिए। अब चूँकि मन्दिरके देवताका नाम बदल दिया गया है, इसलिए न्यासी लोग और मैं यह देखनेको उत्सुक हैं कि आपमेंसे कितने लोग मन्दिरमें जाते हैं। आजसे तीन महीने बाद, अर्थात् आगामी २३ मार्चको यह मन्दिर हरिजनोके लिए खोल दिया जायेगा। जबतक लोकमत इसका समर्थन न करे तबतक मन्दिर नहीं खोला जा सकता। यदि लोकमत इसका समर्थन करेगा तो अगले २३ मार्चको मन्दिर खोल दिया जायेगा, और उस समय तक यह प्रश्न तय हो चुकेगा। मैं आशा करता हूँ कि अब आगेसे आप इस मन्दिरमें जाने लगेंगे और आगामी २३ मार्चको उसमें हरिजनोका प्रवेश होते देखेंगे।

यदि सवर्ण लोग हरिजनोके साथ न्याय नहीं करते तो हिन्दू धर्म नष्ट हो जायेगा। कोई धर्म किन्हीं वाहरी कारणोंसे कभी नहीं नष्ट होता। उसे नष्ट करनेकी शक्ति किसीमें नहीं है। लेकिन यदि किसी धर्मके माननेवाले अधर्मके पथपर चलेगे तो उनका धर्म नष्ट हो जायेगा।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २४-१२-१९३३

## ४०७. भाषण : थल्लापलम्की हरिजन-सभामें

२३ दिसम्बर, १९३३

मुझे यहाँ आ सकनेकी बहुत म्गुशी है। लेकिन मैं यह भी आपसे कहूँगा कि मुझे बहुत परेशानी भी हुई है। यहाँतक की सड़कपर मोटर मेरे मन-मुताबिक गतिसे नहीं चल् सकी। इसलिए ज्यादातर रास्ता मुझे पैदल चलना पडा। पैदल चलनेमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि मेरे पास समय बिलकुल नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ आना पडा है। वादा कर चुकनेके बाद मुझे उन वादेको पूरा करना है।

ठोरी काटकर मैंने हरिजन आयुर्वेदिक कुटीरम्का उद्घाटन सम्पन्न किया है। मुझे आधा है कि उन स्थानके इर्द-गिर्द रहनेवाले लोगोंकी बीमारियाँ ठीक करनेके लिए यह एक उपयुक्त संस्था बनेगी। हालाँकि इस समारोहके आयोजकोकी कृपासे मानपत्र आपके नामने नहीं पडा गया, लेकिन मैंने उसे पढ लिया है। मानपत्रमें आपकी वर्तमान गतिविधियोंका, और कुछ हद तक आपकी भावी आशाओंका विवरण दिया गया है। मेरी हार्दिक कामना है कि आपकी भावी आशाएँ पूर्ण हो, लेकिन एक कार्यकर्ताके रूपमें अपने ५० वर्षके अनुभवके आधारपर मैं सावधानीके कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

आपका कार्यक्रम बहुत ऊँचे उद्देश्योंको लेकर बनाया गया है और यदि आपके कार्यक्रमके प्रबन्धक या न्यायी सदा सतर्क, उद्यमशील, ईमानदार और सर्वथा निर्दोष चरित्रवाले लोग हैं तो सम्भव है कि आप इस कार्यक्रमको लागू कर सके। किन्तु यदि सतर्कता, सावधानी, ईमानदारी और योग्यताका अभाव रहा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके कार्यक्रमका एक मुद्दा भी पूरा नहीं होगा। जहाँतक मेरा सवाल है, मैं हरिजन-सेवक संघमें अपील करूँगा कि आप जितना कुछ काम करें उसीके बराबरकी सहायता वह भी आपको दे। मैं हरिजन सेवक संघकी ओरसे यह वादा कर सकता हूँ कि यदि आप कोई ऐसी व्यावहारिक योजना तैयार कर सके और ऐसे चरित्रवान् व्यक्ति पँदा कर सकें जो हरिजन सेवक संघको सन्तुष्ट कर दें, और यदि आप समय-समय पर हिसाब-किताबका विवरण प्रस्तुत करें जिसकी जाँच हरिजन-सेवक संघ कर सके तो निश्चय ही हरिजन सेवक संघ आपको आर्थिक सहायता देगा। इसलिए यदि आपको हरिजन सेवक संघसे सहायता नहीं मिलती तो उसका दोष आपपर होगा, हरिजन सेवक संघ पर नहीं। लेकिन मैंने जो शर्तें सुझाई हैं, उन्हें यदि आप पूरी करेंगे तो आप हरिजन सेवक संघसे सहायता प्राप्त कर सकेंगे। हरिजन सेवक संघके पिछले इतिहास पर से मैं जहाँतक जान सका हूँ वह यह है कि हरिजन सेवक संघ अपने वादेसे कभी मुकरा नहीं है।

हरिजन सेवक सघके पास आपकी जरूरतें पूरी करने भरको काफी धन है।

यहाँ उपस्थित लोगोसे अपील कर्हंगा कि आपके बीच जो भी संस्थाएँ खड़ी हों, आप उनका हर उचित ढँगसे उपयोग करे। मैं सुनना चाहता हूँ कि यहाँ और सब जगह हरिजन सस्थाओकी स्थापना हो रही है। हरिजन सेवक सघका उद्देश्य आपके कार्यका स्थान लेना नहीं है बल्कि आपके प्रयत्नोमे अपना योग प्रदान करनेका है। यदि हरिजन सेवक सघ हरिजनोकी उचित प्रकारसे सेवा कर सकें तो अपना औचित्य सिद्ध कर चुकेगा। इसलिए आप आसानीसे समझ सकते हैं कि हरिजन सेवक सघकी कीर्ति पूरी तरह आपके हाथोमे है और आपके समर्थनपर निर्भर करती है।

एक चीज मैं और कहना चाहूँगा और यह वही बात है जिसे मैं हर जगह दोहराता रहा हूँ। वह यह है। शुद्धीकरणके इस आन्दोलनमें हरिजनोको सम्मानजनक और मूल्यवान भूमिका अदा करनी होगी। मैं फिर कहता हूँ कि यदि पहले ही से न कर रहे हो तो अब आगेसे आप सब लोग सफाई और स्वच्छताके नियमोंका पालन करे। इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी सवर्ण हिन्दू स्वच्छता और सफाईके वातावरणमे रह रहे हैं। मैं स्वेच्छासे अपनेको हरिजन मानता हूँ और इस नाते मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन चीजोसे ऊपर उठे और अपनेको शुद्ध बनाये। इस बात पर ध्यान न दे कि सवर्ण हिन्दू क्या करते हैं या वे क्या हैं। इसी प्रकार यदि कोई हरिजन ऐसे हो जो मुर्दा पशुका मांस और गोमांस खाते हो तो मैं उनसे कहूँगा कि वे इस आदतको छोड़ दे, और यदि उन्होने इन चीजोको कभी छुआ भी न हो तो मैं उनसे कहूँगा कि वे स्वयसेवकोकी भाँति इन आदतोके विरुद्ध प्रचारका काम करे। इसके बाद शराबका अभिशाप आता है। यदि आप लोगोको या आपमेसे कुछ लोगोको शराबकी लत है तो आप इसे छोड़ दीजिए क्योंकि शराब एक जहर है। बहुतसे सवर्ण हिन्दू भी शराब पीते हैं, इसी कारण आप भी उसे पियें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सवर्ण हिन्दुओके साथ ऊपर तैरना चाहते हैं, उनके साथ डूबना तो नहीं चाहते; और आपकी भुजाओमे ताकत होगी और आप अच्छी तरह तैर सकते होंगे तो सवर्ण हिन्दू भी ऊपर उठेंगे; मैं यह निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि निकट भविष्यमे ही वह समय आ रहा है जब, आज सवर्ण हिन्दू जिस दलदलमे घँसते जा रहे हैं, उसमेसे उन्हें निकालनेमे हरिजन लोग सहायक हो सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक हरिजन पूर्ण आत्म-विश्वासके साथ काम करे।

सवर्ण हिन्दुओसे मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ। यदि आप ऊँच-नीचके सारे भेद नहीं छोड़ेंगे, अपने दिलसे अस्पृश्यताको बिलकुल नहीं निकाल देंगे तो आप और मैं और हिन्दू जाति नष्ट हो जायेगी। हजारो आदमी भले ही इससे भिन्न बात कहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातका विश्वास करे। मैं जो-कुछ कह रहा हूँ वह गहरे अनुभवपर आधारित है।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २४-१२-१९३३



## ४०८. पी० एम० रावको प्रमाणपत्र

२३ दिसम्बर, १९३३

गुन्टूर जिलेके मेरे पूरे दिनके दौरेमे श्री पूवदा मृत्युंजय रावने मेरा बहुत ध्यान रखा।<sup>१</sup>

मो० क० गांधी

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९७५५) से। सौजन्य: १९६९-७०मे दिल्लीमे हुई गांधी दर्शन प्रदर्शनीका आन्ध्र पैविलियन

## ४०९. भाषण : पेड्डापूरममें

२४ दिसम्बर, १९३३

दोस्तो,

मुझे सभास्थल पर पहुँचनेके लिए सीधा रास्ता मिले, इसके लिए आपने जो अत्यन्त सहारनीय प्रवन्ध किए, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि भीड़से अपना रास्ता बना सकूँ। इसलिए मेरे लिए यह बहुत स्फूर्तिदायक अनुभव था। मुझे धक्कामुक्की करते हुए भीड़से होकर रास्ता नहीं बनाना पड़ा। आपने अभी-अभी मुझे जो अनेक मानपत्र और एक थैली भेट की है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने उन मानपत्रोंको पढ़कर न सुनानेमे जिस आत्मसंयमका परिचय दिया है उसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।

आप जानते ही हैं कि मेरी इस यात्राका क्या उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ कि आप अस्पृश्यताके इस अभिशापको दूर करनेके मेरे कार्यमे मेरी सहायता करें। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे दिलसे इस कार्यमें मेरे साथ हो जाये और सो भी इस विश्वासके साथ कि आज हमारे बीच अस्पृश्यता जिस रूपमे प्रचलित है, धर्म उसकी इजाजत नहीं दे सकता। यह विचार मात्र ही घृण्य है कि एक भी मनुष्य जन्मतः अस्पृश्य हो सकता है। आजकी परिस्थितियोंके हम इतने निकट हैं कि देख ही नहीं सकते कि इस भारी अभिशापके बोझके नीचे हिन्दू धर्म छिन्न-भिन्न हुआ जा रहा है, और जो बात मैं हजारों मंचोंसे बराबर कह चुका हूँ उसे मैं यहाँ फिर दोहराता हूँ कि यदि अस्पृश्यताको दूर नहीं किया गया तो हिन्दू-धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए

१. गांधीजीने २३ दिसम्बरको कारसे गुन्टूर जिलेका एक दिनमें दौरा कर डाला था।

मेरे हृदयको तब बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि इस सभामे इतनी बड़ी संख्यामे लोग शामिल हुए हैं और अपने पैसे दे रहे हैं। लेकिन अस्पृश्यताकी इस समस्या पर ज्यादा बोलकर मुझे आपका और अपना समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए।

आज मेरे सामने दिनभरके लिए काफी भारी कार्यक्रम है। इसलिए अपने भाषणके अन्तमे मैं अत्यन्त सुन्दर प्रबन्धके लिए, मानपत्रो और थैलीके लिए आपको एक वार फिरसे धन्यवाद देता हूँ और ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह हमे शुद्धीकरणकी इस प्रक्रियासे होकर गुजरनेके लिए पर्याप्त शक्ति दे :

और अब जिन फ्रेमोंमें मानपत्र लगाकर मुझे दिए गए हैं उन फ्रेमोंकी विक्रीमे मैं कुछ चन्द मिनट देना चाहूँगा और यह चाहूँगा कि उपस्थित वहने अपने जेवर आभूषण आदिका त्याग कर दे। यदि आपमेसे किसी व्यक्तिये थैलीमे अपना अंशदान न दिया हो और यदि वह अब देना चाहता हो तो कृपापूर्वक दे दे। लेकिन अब तो ये दोनो फ्रेम क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनके शीशे टूट गए हैं। इससे लोगोको यह सबक सीखना चाहिए कि मुझे फ्रेमोमे मढे हुए मानपत्र न दिए जाये। मैं जानता हूँ कि आन्ध्र प्रदेश भारतका एक कलात्मक प्रदेश है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो मानपत्र भेट करे वे किसी कलात्मक और सादे ढँगसे मढे हुए हो।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २५-१२-१९३३

## ४१०. भाषण : गोलापलममें

२४ दिसम्बर, १९३३

मैंने सबसे पहले दक्षिण आफ्रिकामे गिरमिटिया मजदूरोंसे एक-एक पाईकी भीख माँगना सीखा। ऐसे छोटे-छोटे चन्दोमे हमेशा दाताका आशीर्वाद भी जुडा रहता है। मुझे एक भी ऐसी घटना याद नहीं आती जब किसी स्त्री अथवा पुरुषको मुझे पैसा देनेका पछतावा हुआ हो। जिन उद्देश्योको लेकर मैंने भीख माँगी वे उद्देश्य अच्छे थे। और हरिजन उद्देश्य, जिसके लिए मैं अब लोगोसे भीख माँगता हूँ, निःसन्देह आज तकके मेरे उद्देश्योमे सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं सर्वर्ण हिन्दुओसे प्रार्थना करता हूँ कि वे शुद्धीकरण और पश्चात्तापके इस आन्दोलनमे भाग ले। कोई भी सर्वर्ण हिन्दू हरिजनोके लिए जो थोडा-बहुत कार्य करता है उससे वह स्वयं ऊपर उठता है और हिन्दू-धर्मको भी ऊँचा उठाता है।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २७-१२-१९३३

## ४११. भाषण : रामचन्द्रपुरम्में

२४ दिसम्बर, १९३३

आपने मुझे जो मानपत्र<sup>१</sup> और थैली भेंट की है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन आपने मुझे जितना धन दिया है उससे मुझे सन्तोष नहीं है। मैं और ज्यादाकी अपेक्षा करता हूँ। अब मुझे दिये गये दो मानपत्रोंको मैं नीलाम कर रहा हूँ।<sup>२</sup>

आपने इस सभाके लिए जो अत्यन्त उत्तम प्रबन्ध किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इस स्थानको प्रकृतिने अपनी निधियाँ मुक्त-हस्तसे दी है; और चीजोंको सुन्दर बनाना प्रकृतिका एक विशेष गुण है। ईश्वरकी कृपासे आपने प्रकृतिके सौन्दर्यको बिगाड़ा नहीं है बल्कि अक्षुण्ण बनाये रखा है। आप सब लोग जानते हैं कि आपके यहाँ एक आश्रम है जिसे वाल्मीकि आश्रम कहते हैं। मैं अभी-अभी उस आश्रममें गया था। वहाँ हरिजन बच्चोंको आश्रय प्रदान किया जाता है। मुझे इन बच्चोंने भजन और कीर्तन गाकर सुनाया। मैं उन बच्चोंसे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे एक सुन्दर मानपत्र भेंट किया है जिसमें उन्होंने आपकी सहायता माँगी है। आश्रमको आपकी—आप सबकी—सहायताकी आवश्यकता है, तालुकके लोग जो सहायता उसे देते हैं, उस सब सहायताके वह योग्य है।

प्रकृतिने सब मनुष्योंको समान बनाया है। लेकिन मनुष्यने अपने दम्भमें कुछ लोगोको ऊँचा और कुछको नीचा बताकर द्वेषजनक भेदभाव पैदा कर दिये हैं। ईश्वर इन असमानताओंको नहीं मानता। आप प्रकृतिमें कहीं भी देखें और किसी भी चीजको देखें, लेकिन मनुष्यने जैसी असमानता पैदा कर दी है, वैसी असमानता आपको प्रकृतिमें कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। इसलिए जबतक आप अस्पृश्यताकी बुराईको समाप्त नहीं करते तबतक आप समानता, जो कि प्रकृतिका नियम है, नहीं स्थापित कर सकते। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे साथ ईश्वरसे प्रार्थना कीजिए कि वह आपको अस्पृश्यताका यह अभिशाप बिलकुल समाप्त कर सकनेकी शक्ति और साहस प्रदान करे। मैं आपको ज्यादा देर रोकना नहीं चाहता। यदि आप महिलाओंके बीचसे कुछ और धन इकट्ठा करनेमें सफल हों; तो कृपया उसे मेरे पास ले आये।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २६-१२-१९३३

१. ये मानपत्र रामचन्द्रपुरम् तालुका बोर्ड और हिन्दी प्रेमी मण्डली द्वारा भेंट किये गये थे।
२. नीलामीके बाद गांधीजीने अंग्रेजीमें भाषण दिया जिसका तेलुगु श्री बुल्लु साठवर्तुत्तिने अनुवाद किया।

## ४१२. भाषण : राजमुंदरीमें<sup>१</sup>

२४ दिसम्बर, १९३३

मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कृपा करके कुछ क्षण मेरी बात सुने। इन सब मानपत्रों और बहुत-सी थैलियोंके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राजमुंदरी और यहाँके नागरिकोंसे अपना परिचय नया कर सकनेका यह अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मुझे आपसे बड़ी-बड़ी चीजोंकी अपेक्षा करना सिखाया है, और मैं आशा करता हूँ कि इस हरिजन-कार्यमें भी आप उन अपेक्षाओंको पूरा करेंगे जो आपने मेरे मनमें पैदा कर दी हैं।

मैं यहाँ हिन्दू समाज द्वारा भेट किये गये मानपत्रको देखता हूँ। समाजने मुझे अपना जो कार्यक्रम भेजा था उसे मैंने पढ़ लिया है। यह एक उच्चाकाक्षी कार्यक्रम है। लेकिन कोई भी कार्यक्रम, चाहे वह उच्चाकाक्षी हो या न हो, तबतक पूरा नहीं हो सकता जबतक कि करोड़ों सवर्ण हिन्दुओंके दिल नहीं बदलते। अस्पृश्यता धीरे-धीरे असर करनेवाले जहरकी तरह है जो हिन्दू समाजको मारे डाल रही है, और जिस प्रकार आप घीमे-घीमे मर रहे शरीरको बनाये नहीं रख सकते, उसी प्रकार जबतक आप अस्पृश्यताके कारणको नहीं दूर करेंगे तबतक आप नष्ट हो रहे हिन्दू-धर्मको जिन्दा नहीं रख सकेंगे।<sup>२</sup>

मुझे यह सूचित करते हुए दुःख होता है कि यदि आप विलकुल शान्त नहीं बैठेंगे तो मेरे लिए अपना भाषण जारी रखना असम्भव होगा। अब जबतक आप बैठेंगे उतनी देरमें मैं थोड़ा-सा काम करनेका विचार रखता हूँ, और इसलिए मैं नगरपालिका द्वारा भेट किये गये मानपत्रको नीलाम करने जा रहा हूँ।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, २६-१२-१९३३

१. इस भाषणका अंग्रेजीसे तेलुगुमें श्री वी० साम्बमूर्तिने अनुवाद किया।
२. गांधीजी यहाँ तक बोले थे कि सभामें कुछ गड़बड़ी होने लगी।

## ४१३. हरिजन-शिष्टमण्डलको जवाब'

राजमुंदरी

२४ दिसम्बर, १९३३

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने उठाया है वह यह है कि हरिजन सेवक संघमें मुख्यतः आपके आदमी होने चाहिए और उसका प्रबन्ध आपके हाथोंमें होना चाहिए। इससे दिखता है कि आपने 'हरिजन' को पढ़ा नहीं है। इससे यह भी दिखता है कि आपने, संघके केन्द्रीय बोर्डकी स्थापना कैसे हुई, इसे भी नहीं समझा है। बोर्डकी स्थापना इसलिए की गई है ताकि सवर्ण हिन्दू प्रायश्चित कर सकें और आपकी क्षतिपूर्ति कर सकें। इस प्रकार यह बोर्ड कर्जदारोंका बोर्ड है, और लेनदार आप लोग हैं। आपकी कर्जदारोंके प्रति कोई देनदारी नहीं है, और इसलिए जहाँतक इस बोर्डका सम्बन्ध है, पहल कर्जदारोंकी तरफसे होनी है। आपको यह प्रमाणित करना है कि कर्जदार लोग अपने दायित्वको पूरा करते हैं कि नहीं। आपको जो करना है वह यह है कि आप कर्जदारोंको उनका दायित्व पूरा करनेका मौका दें और उनकी मदद करें। आप उनको बता सकते हैं कि आपकी रायमें क्या किया जाना चाहिए जिससे सामान्य हरिजन जनता सन्तुष्ट होगी। वे आपकी सलाह स्वीकार कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यदि नहीं करते तो आपको नाखुश करनेको खतरा उठाते हैं। कोई कर्जदार किसी साहूकारके पास जाकर कह सकता है कि "मैं इतना रुपया लाया हूँ क्या आप इसे लेंगे?" साहूकार कह सकता है, "चले जाओ; मुझे दो तो पूरा रुपया दो, वरना मत दो।" या साहूकार कह सकता है, "तुम जो रकम लाये हो वह आंशिक भुगतान नहीं है, बल्कि उससे भी खराब है।" आप साहूकार लोग ये सब बातें कर सकते हैं। और इसलिए जब बोर्डकी स्थापना की गई और कुछ हरिजन मित्रोंने मुझे पत्र लिखे तब मैंने उनसे कहा कि हरिजनोंको अपने सलाहकार बोर्ड या जाँच-बोर्ड बना लेने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप यह अन्तर अच्छी तरह समझ लें। आप कृपया समझ लीजिए कि आपकी सलाह या सहयोग अथवा सहायताको स्वीकार न करनेकी कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके सामने केवल सच्ची और तर्कसंगत स्थिति प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह एक माफीकी अवधि है जो ईश्वरने सवर्ण हिन्दुओंको प्रदान की है, और इस माफीकी अवधिमें उन्हें अपनी ईमानदारी सिद्ध करनी है। सवर्ण हिन्दू अपने दायित्वको पूरी तरह पूरा कर सकें, इसके लिए मैं आकाश-पाताल एक कर रहा हूँ और जगह-जगह का दौरा कर रहा हूँ।

१. पूर्वी गोदावरी जिलेके हरिजनोंका एक शिष्टमण्डल गांधीजीसे राजमुंदरीमें मिला था।

इसपर शिष्टमण्डलके एक सदस्यने सुझाव दिया कि बोर्डको अपने चुने हुए हरिजनोकी सलाहकार समितियाँ नियुक्त करनी चाहिए। गांधीजीने कहा :

बोर्डसे हरिजनोकी सलाहकार समितिका चुनाव करनेको मत कहिए बल्कि अपनी समिति खुद चुनिए और बोर्डसे कहिए कि आपने इन सदस्योंको चुना है और बोर्डको उनके साथ पत्र-व्यवहार करना चाहिए। आपके सुझावमे एक खतरा और है। आपके बीचमे गुट और दल हो सकते हैं। अलग-अलग गुटके लोग अलग-अलग समितियाँ नियुक्त कर सकते हैं। बोर्ड उन सबको मान्यता दे सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आपके बीच कोई आपसी झगड़ा नहीं होना चाहिए। कर्जदारोके सामने एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत कीजिए। कर्जदार लोग आपको एकदूसरेके खिलाफ लड़ा भी सकते हैं, हालाँकि बोर्ड यदि अपने नामके अनुरूप होगा तो वैसे नहीं करेगा। कांग्रेस एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत कर सकनेमे सफल रही है। आज कांग्रेसमे आपके और मेरे जैसे सरल व्यक्ति भरे पड़े हैं। आपका अपना एक कर्मठ व्यक्तियोंका संगठन होना चाहिए जो आपके आपसी झगडोको सख्तीसे दबा दे। तब आप बोर्डमे नहीं होकर भी उसके ऊपर हावी रहेंगे। अब आसानीसे सन्तुष्ट मत होइए। आप कर्जदारोसे कह दीजिए कि रुपयेमे ५ आनेसे ही आप सन्तुष्ट नहीं होंगे, बल्कि आपको पूरे सोलह आने मिलने चाहिए। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसपर सौदेबाजी की जाये।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, ५-१-१९३४

## ४१४. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

२५ दिसम्बर, १९३३

चि० अमला,

मुझे तुम्हारे पत्र मिले। मैंने जो-कुछ भी किया वह तुम्हारे प्रति अपने प्रेमके कारण किया। और यह मेरी बढकिस्मती है कि तुम्हे उसमे कोई प्रेम नहीं दिखाई दिया। खैर डरो नहीं, मैं फिरसे ऐसा कुछ करनेवाला नहीं हूँ। तुम्हारा विकास अपने ही ढंगसे होगा। तुम जानती ही हो कि तुम्हे किस चीजकी जरूरत है। तुम अपने ही ढंगसे काम करोगी मेरे ढंगसे नहीं। सिर्फ अपने मन और शरीरको स्वस्थ रखो। हिन्दीका अध्ययन भी तुम अपने ढंगसे करो। अपनी और अपनी चीजोकी हिफाजत करना। अपनेको और अपने कमरेको साफ रखो। तुम्हे अच्छी और सरल हिन्दी पुस्तके चुननी चाहिए।

तुम मुझे विस्तारसे और नि.संकोच होकर लिखो। तुम्हारे पत्रोसे मुझे आघात नहीं पहुँचा है।

मैं बिलकुल ठीक हूँ।  
सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

स्पीगल पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## ४१५. पत्र : ताराबहन आर० मोदीको

राजमुंद्री

२५ दिसम्बर, १९३३

चि० तारा,

तेरे दाँतका [कष्ट] समाप्त हो गया यह खुशीकी बात है। रमणीकलालसे मिलनेके बाद ही अहमदाबाद जानेका तेरा विचार ठीक है। दाँतकी पीड़ा मिट जानेके बाद शरीर अब अधिक सुधरना चाहिए। रमणीकलालको सारी खबर देना। मैं तो जान-बूझकर ही उसे पत्र नहीं लिखता। यों धर्मकी दृष्टिसे देखा जाये तो मेरा दौरा ठीक ही चल रहा है। शरीर भी खूब काम दे रहा है। मुझे प्रति सप्ताह २-३ पत्र तो मिलने ही चाहिए।

सबको,

बापूके आशीर्वाद

चि० ताराबहन मोदी  
मार्फत, डॉ० शान्तिलाल  
रेवाशंकर श्वेरीका बंगला  
शान्ताक्रूज [बम्बई]

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१७८) से। सी० डब्ल्यू० १६७७ से भी;  
सौजन्य : रमणीकलाल मोदी

## ४१६. पत्र : कुसुमबहन देसाईको

राजमुंद्री  
[ २५ ] दिसम्बर, १९३३<sup>१</sup>

चि० कुसुम,

तेरे पत्रका मैं तार द्वारा उत्तर दे चुका हूँ। तू बहुत देरसे जागी है। तूने मुझे पत्र लिखना छोड़ दिया। मैं तो रोज बाट जोहता था लेकिन तू भला क्यों लिखने लगी? जब मेरे पास तेरा पत्र आया तब मेरे पास पहले ही बहुत भर्ती हो चुकी थी। बहनोमे तीन हैं, मीरा, किसन और ओम। सब मिलाकर हम नौ लोग हैं। तू क्या करती है? समय कैसे बिताती है? प्यारेलाल लिखते हैं? वह कैसे हैं? क्या तू 'हरिजनबन्धु' पढती है। मेरा शरीर ठीक रहता है। मुसाफरी [ का श्रम ] सहन सकता है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १८४९) से।

## ४१७. पत्र : रमाबहन जोशीको

२५ दिसम्बर, १९३३

चि० रमा,

तुम्हारा पत्र मिला। हाथसे थोड़ा-थोड़ा काम लेना अच्छा ही है। फिर और काम भी तो बहुतेरे हैं।

धीरूको तुम्हारा विछोह अखरता है तो कोई हरकत नहीं। यदि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे तो भावनगरमें वह स्वावलम्बी बन जायेगा। दूधीबहनका उसे सत्संग है ही, फिर कुसुम भी तो है। अतः अच्छा है कि वह वहाँ जम जाये। तुम उसे पत्र नियमित रूपसे लिखती रहो तो बस है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३६१) से।

१. साधन-सूत्रमें ३६ दिसम्बरकी तारीख दी गई है। तथापि गांधीजी २५ दिसम्बरको राजमुंद्रीमें थे और सवेरे सीतानगरम्के लिए रवाना हो गये थे।



## ४१८. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

२५ दिसम्बर, १९३३

वा,

मैंने पिछले सोमवारको तुझे जो लम्बा पत्र लिखा था वह मिल गया होगा। इस सोमवार हम सीतानगरमें हैं। सीतानगरम गोदावरीके किनारे पर बसा हुआ एक छोटा-सा गाँव है, उसमें एक आश्रम है। यह आन्ध्र प्रदेशमें है। गाँव होनेके कारण यहाँ खूब शान्ति है। यहाँ हम नावमें बैठकर आए हैं। नदी बड़ी है इससे इसमें छोटे स्टीमर आ-जा सकते हैं। हम मद्रास हो आए; वहाँ तीन दिन रहे। शास्त्री तो वहाँ थे ही। जेठालालसे भी मिला। गंगा भाभी मद्रासमें ही रहती है। जेठालालकी बहुसे भी मिला। दोनों शरीरसे अच्छे हैं। जेठालालको १५० रुपये वेतन मिलता है, इससे सुखी है। उर्मिला देवीके पुत्रसे भी मिला। वहाँ लोग बहुत बड़ी संख्यामें मिलने आते थे। लक्ष्मी ठीक है। पापा भी मद्रासमें है। लक्ष्मी तीन दिन मेरे साथ ही रही। मीराबहन, किसन और ओम भी मेरे साथ थी, इसलिए उसे अच्छा लगा। अभी एक बार फिर मुलाकात होगी क्योंकि उस ओरका दौरा अभी बाकी है। मेरा शरीर अच्छा है। मद्रासमें दो डाक्टरोंने फिर जाँच की थी। इसलिए मेरे लिए चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं। डाहीबहनके दाँतको कुछ आराम आया या नहीं? तुझे 'जामेजमशेद' मिलता है न? तूने प्रवचन जैसी कोई चीज माँगी थी सो एक तो आज देना चाहिए न?

'गीता'के आजके अध्याय ९, १०, ११, १२ थे। नवें अध्यायमें भगवान कहते हैं कि जो मुझे भजता है वह मुझे पाता है।' वारहवें अध्यायमें<sup>१</sup> यह बताते हैं कि भक्त किसे कहा जाये। खूबी यह है कि इसमें एक भी ऐसा लक्षण नहीं कहा गया है जो किसी अज्ञानीसे-अज्ञानी व्यक्तिमें भी न मिल सके। कोई स्त्री या पुरुष जो बिना किसीकी मदद अपने-आप परिश्रम करता है वह भक्त हो सकता है अर्थात् वह भगवानको पा सकता है। लक्षण ये हैं: किसीसे द्वेष न करे, प्राणी-मात्रके साथ मैत्री रखे; सबके प्रति दयाभाव हो, जिसके मनमें यह मेरा है यह तेरा ऐसा भाव न हो; जिसे अहंकार न हो, जिसे सुखदुःख एक समान हैं, जो क्षमावान है, जो हमेशा सन्तुष्ट रहता है, जो संयमका पालन करता है, जो प्रतिज्ञाका पालन करता है, जिसने अपना मन और बुद्धि ईश्वरको अर्पित कर दिया है, जो किसीको दुख नहीं देता, जो भय और चिन्तासे मुक्त रहता है, जो किसी चीजकी आशा अथवा इच्छा नहीं रखता, जो पवित्र है, कार्य कुशल है, जिसने सब कुछ

१. अध्याय श्लोक ९, २९।

२. श्लोक १३-२०।

त्याग दिया है, जिसकी दृष्टिमें शत्रु और मित्र समान है, मान-अपमान एक समान है, जो सर्दी-गर्मी सहन करता है, निन्दा और स्तुति जिसके लिए समान है। जो जहाँ होता है वही घर मानकर रहता है अथवा जिसके लिए घर जैसी कोई चीज नहीं है। जो अकारण बोलता नहीं और जिसका मन व्यवस्थित है वह मेरा भक्त कहलाता है। इन सब पर तुम बार-बार विचार करोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि जिसके मनमें इच्छा-भार हो तो वह बिना किसीकी मददके भक्त बन सकता है।

सबको बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

बापुना बाने पत्रो, पृष्ठ ३-४

### ४१९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

सीतानगरम

२५ दिसम्बर, १९३३

भाई वल्लभभाई,

तुम मेरे पत्रकी राह देखते रहे और मैं तुम्हारे पत्रकी। मुझे यह भ्रम था कि मेरे पत्रका उत्तर आना अभी बाकी है। दौरा इतनी तेजीसे चल रहा है कि मैं तारीख और दिन आदिकी याद ही भूल जाता हूँ। किसको क्या लिखना है, यह भी याद नहीं रहता। मैं साठका हो गया हूँ, यह कारण तो हो ही सकता है।

तीन बजे उठनेके बारेमें चन्द्रशकरने तुम्हें भड़काया है। यदि मैं उस समय न उठूँ तो परेशान हो जाऊँ। तुम्हारा आग्रह तो मेरे जल्दी सोनेपर होना चाहिए। यह नियम आजकल जरूर टूट गया है। तथापि अभी तक तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहा है, ऐसी सब डाक्टरकी राय है। पत्र भी जितने तुम समझते हो उतने नहीं लिखता। केवल वही पत्र लिखता हूँ जो बहुत जरूरी हो। वल्कि यदि तुम वगलमें बैठे होते तो कहते कि कमसे-कम इतना तो लिख ही डालो। तुम्हारी यह शिकायत कि मैं तुम्हें [जेलमें] अकेले छोड़कर चला आया, सच है। लेकिन अन्तमें इसका उपाय भी हो जायेगा। मेरे बारेमें तनिक भी चिन्ता न करना। मैं शरीरकी मर्यादासे बाहर नहीं जाता। तुम देखोगे तो मानोगे कि मैं उसकी अच्छी सम्भाल कर रहा हूँ अथवा सच कहे तो यह कहेंगे कि ईश्वर उसका जतन बराबर कर रहा है। लेकिन यदि मैं ही विरोध करूँ तो ईश्वर बेचारा क्या करेगा? मैं उसके प्रेममें पूरी तरह मग्न हो गया होऊँगा, इसीसे तो वह मुझे बड़े-बड़े संकटोंसे बचा ले जाता है। मद्रासमें रोज मेरे कुचले जानेका भय बना रहता था फिर भी मैं उससे बच निकला। यह कोई मनुष्यकी कारीगरी न थी, ईश्वरकी इच्छा ही ऐसी थी। पाँच घण्टेका जो नियम बनाया गया था वह केवल कागजपर ही सुरक्षित है।

बाको हर सप्ताह पत्र जरूर जायेगा। अभी तक मैंने एक भी सप्ताह खाली नहीं जाने दिया है। बाको ईश्वर निभा लेगा। उसको निभानेवाला और हो भी कौन सकता है? मणिकी चिन्ता करनेकी सचमें कोई जरूरत नहीं।

मैंने कानजीभाईको<sup>१</sup> तुरन्त ही तार दिया था। उसके उत्तरमें तार और पत्र दोनों मिले। मैंने स्वयं भी फिर उत्तर भेजा है और लिखा है कि मेरी खातिर इतनी दूरसे आनेकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि उन्हें जरूरी लगे तो अवश्य आ जायें। तारीखें भी लिख भेजी हैं। तुम्हें पत्र लिखते समय मैं यह सब बताना भूल गया था। उनका पत्र सरस था।

राजाको मिलना मुश्किल समझता हूँ हालाँकि लक्ष्मी मुझे मद्रासमें मिली थी। उसको छठा महीना चल रहा है इसलिए वह ज्यादा चल-फिर नहीं सकती। तबियत अच्छी रहती है। राजा प्रसव अपनी देखरेखमें करवाना चाहते हैं। देवदास भी मद्रास पहुँचेगा। लक्ष्मी मजेमें थी। राजा ६ फरवरीको रिहा होंगे।

. . .की<sup>२</sup> गाड़ी ऐसे ही चलती है। उसे अपने से ही सन्तोष नहीं . . .<sup>३</sup> को फिर गर्भ रह गया है, इसका उसे सन्ताप है। वह खुदको बशमें नहीं रख सकता और बादमें दुःखी होता है। मैंने उसे काफी सान्त्वना दी है। लेकिन कुल मिलाकर वह जहाँ है ठीक ही है।

प्रिन्सेस एरिस्टार्शीके पत्र निश्चित रूपसे हर सप्ताह आते हैं। वह पैसा भी भेजती रहती है। उसके ममत्वका पार नहीं। अब वह त्रिवेदीके मनुकी मदद कर रही है . . .<sup>४</sup> मैंने प्रिन्सेसको लिखा है वह उसे उसके कर्तव्यको बोध कराये। यह सच है कि मणिलाल और सोरावजी<sup>५</sup> परस्पर लड़ते रहते हैं। यह लड़ाई वहाँकी राजनीतिको लेकर है। इसमें मैं किसीका मार्गदर्शन नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैंने मणिलालको लिखा है कि उसे जो सत्य प्रतीत हो सो वह करे, विनम्रता न छोड़े। व्यक्तिगत झगड़ेमें न पड़े। मेरा खयाल है कि यह झगड़ा निपट जायेगा।

गोरधनभाई बिट्ठलभाईके दानके वारेमें लिखते रहते हैं। मैंने वह सब नहीं पढ़ा। अबसर पाकर उन्हें हिसाब दे दूंगा और शान्तिसे बैठ जाऊँगा। सुभाषका मुझे बहुत मधुर पत्र आया था। उसे मैंने छपनेके लिए अखबारोंमें भेजा था। अवश्य छपा होगा।

दौरा अच्छा चल रहा है। कोई भी क्लेश नहीं है। अभी तक दक्षिणमें ऊधम करनेवाले लोग देखनेमें नहीं आये। भविष्यकी बात ईश्वर जाने। लोगोंकी भीड़की सीमा नहीं। आज हम सीतानगरमें हैं। परम शान्ति है। यह एक छोटा-सा गाँव है। आज तो मेरा मौन है। मैं कल भी यहीं हूँ। यदि ये दो दिन स्थिरताके नहीं होते तो मेरे लिए दौरा जारी रखना मुश्किल हो जाता है।

१. सुरतके कन्हैयालाल देसाई।

२. ३. साधन-सूत्रमें यहाँ नाम नहीं दिये गये हैं।

४. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ छूट गया है।

५. पारसी रस्तमजीके पुत्र।

मद्रासमें दो घड़ीके लिए शास्त्रीसे<sup>१</sup> मिला था। यह मुलाकात दोस्ताना थी। मुन्शी<sup>२</sup> और लीलावती<sup>३</sup> मुझे मद्रास आकर मिल गये। मुन्शीकी तवियत अच्छी जान पड़ी। भूलाभाईका तार आया था। उन्हे पूरा आराम नहीं आया है।

काका और सुरेन्द्र मशरूवाला गुजरातमें है।

किशोरलाल अभी स्वस्थ नहीं हुआ है। स्वामी सोनाली और बम्बईके बीच किसी स्थानपर है। उसका समाचार तो तुम्हे मिलता रहता होगा।

मेरे साथ किसन है, यह तो मैं तुम्हे बता चुका हूँ न? बहुत अच्छी युवती है। प्रेमाकी मित्र ठहरी, और फिर पूछना ही क्या? सबको,

वापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो - २ : सरदार वल्लभभाईने पृष्ठ ५३-७

## ४२०. पत्र : छगनलाल जोशीको

२५ दिसम्बर, १९३३

चि० छगनलाल,

तुम्हे लम्बा पत्र लिखना आरम्भ किया था, ऐसा एक पृष्ठ बोलकर लिख-वाया था, यह सब जबलपुरमें हुआ। उसके बाद मैं आगे बढ़ ही नहीं सका। अब आज यह पत्र लिख रहा हूँ। मैं सीतानगरमें हूँ और इस समय मौनवारकी रात है। अभी मौन जारी है। ९ बजकर ३५ मिनट पर खुलेगा, अभी साढे आठ बजे है। केवल सोमवार और मंगलवारको ही लिखना हो पाता है, ऐसा कहा जा सकता है। सवेरे तीन बजे उठता तो जरूर हूँ। तबसे लेकर प्रार्थनाके समय यदि कुछ लिखा जा सके तो भले लिखा जा सके और उसमें भी विघ्न पड़ सकता है। और जब ट्रेनमें होता हूँ तो कभी-कभी सवेरे तीन बजे उठ भी नहीं पाता।

मैं यह जो दौरा कर रहा हूँ वह अद्भुत है। लोगोकी भीड़ पहलेसे भी अधिक है। हमें करोडो लोगोमें काम करना है इसलिए हम इनसे सहज ही छले भी जा सकते हैं। और फिर जितने लोग आते हों वे सबके सब तुरन्त ही अपने जीवनमें परिवर्तन कर डालते हों, ऐसी बात नहीं। मुझे केवल इतना ही सन्तोष है कि इन लाखो लोगोको मेरा यह प्रचार अरुचिकर नहीं लगता जानपड़ता। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि किसी-किसी दिन अस्पृश्यता जड़से चली जायेगी।

तुम अपने 'गीता' के अभ्यासको अच्छी तरह पक्का कर देना। व्याकरण और शब्दार्थ ठीक-ठीक आना चाहिए। उच्चारण तो अब अच्छा ही होगा। दूसरी पुस्तके भी भले ही कम पढ़ो लेकिन जितना अध्ययन करो, गहन अध्ययन करो। हजारो

१. श्रीनिवास शास्त्री।

२. व ३. क्रमशः क० मा० मुन्शी और उनकी पत्नी।

पुस्तकोंको पचाये बिना पढ़नेवाले मनुष्यकी अपेक्षा वह मनुष्य अधिक जानता है जो एक ही पुस्तक पढ़ता है और अच्छी तरह समझ लेता है। तुम्हारे पास चरखा है क्या? विभुको और रमाको वर्धा हर तरहसे रास आया है। लगता है रमाका हाथ चिन्कूल ठीक हो जायेगा। धीरुको भावनगर पसन्द तो आया है लेकिन अभी उसके बारेमें हम निश्चिन्त नहीं हो सकते। वह कमजोर तो जरूर है लेकिन उसका स्वास्थ्य पहलेसे बहुत अच्छा है। दूधीबहन उसकी बराबर देखभाल करती है। कुसुम भी वही है। स्वयं नानाभाई भी उसकी देखभाल करते हैं। बलभद्रको वहाँ बहुत अच्छा लगता है।

अपना पटवधन मुझसे मिलने आए हुए है। अब जायेंगे। किसन वर्धासे मेरे साथ आ जुड़ी है। वह प्रेमाकी सहेली है और बहुत भली महिला है। हाँ, शरीरसे जरूर थोड़ी कमजोर हो गई है।

दो पत्रोंका भार चन्द्रशंकर अच्छी तरह सम्भाल रहा है। इस बार ठक्कर बापाकी जगह गलकानी है। काम ठीक चलता है। रामनारायण भी साथ है। किशोर-लाल मूत्र बीमारी भोग रहा है। बुखार उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। ब्रजकिसन नामा बीमार थे लेकिन अब स्वास्थ्य-लाभ कर रहे हैं। उनके प्राण खतरेमें थे। लेकिन हमसे उनके प्राण खतरेमें नहीं है? तथापि जो लोग शय्यावश नहीं वे अपने-आपको खतरेमें नहीं मानते।

बा यरवटामें आनन्दपूर्वक है। डाहीबहनके दाँत दुखते हैं। शान्ता और ललिता मर्जमें है। द्वारकानाथ वर्धाका कारोबार अच्छी तरह से चला रहा जान पड़ता है। लक्ष्मीबहन तो अंत-प्रोत है ही।

काना और सुरेन्द्र मथरुवाला गुजरातमें हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५३१४) से।

## ४२१. पत्र : दूधीबहन वी० देसाईको

२५ दिसम्बर, १९३३

चि० दूधीबहन,

इन दिनों तुम्हारा पत्र नहीं है। मुझे बराबर लिखती रहना। मैं तो कदाचित् मुसाफिरीकी भागदाँड़में न लिख सकूँ।

सब बच्चोंकी देखरेख रखना। कुसुमके बारेमें जमना भले ही कुछ भी कहे पर उसको लेकर तुम्हें अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। कुसुमको शृंगार प्रिय हो सकता है पर मुझसे तो वह यह नहीं सीख सकती। यह मेरी कमजोरी है।

१. रावजीभाई नाथभाई पटेलकी पत्नी।

तुम्हारे लिए तो श्रृंगारकी बात मेरे मनमे भी नहीं आ सकती। बच्चोसे लिखनेको कहना। आज अलहदा पत्र उन्हे नहीं लिखूंगा।

बापुके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ३१९०) से, सौजन्य वा० गो० देसाई

### ४२२. पत्र : विद्या आर० पटेलको

२५ दिसम्बर, १९३३

चि० विद्या,

तेरा पत्र मिला। भले ही तू दवा लेकर ही अच्छी हुई हो पर यह ठीक ही हुआ। हमे तो अच्छा होनेसे ही मतलब है। मनुको पत्र लिखती रहना।

बापुके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ९६३६) से, सौजन्य : रवीन्द्र आर० पटेल

### ४२३. पत्र : विद्या आनन्द हिंगोरानीको

२५ दिसम्बर, १९३३

चि० विद्या,

तुमारा खत मिला। पिताके घर गई सो अच्छा ही हुआ। जब बहार निकलने लायक बन जायगी तब बहार भेज दूंगा। मुझे प्रिय तो वर्धा ही है लेकिन भावनगर मुसाफरी करनी है तो करवा दुंगा। अब तो शरीर अच्छा बनाओ, कुछ शारीरिक श्रम करो, चिंता छोडो, रोना छोडो। इंग्रेजी और हिंदी सीखो।

मुझे लिखा करो।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी माइक्रोफिल्म से; सौजन्य; राष्ट्रीय अभिलेखागार और आनन्द टो० हिंगोरानी

## ४२४. पत्र : गोविन्दभाई आर० पटेलको'

२५ दिसम्बर, १९३३

भाई गोविन्दभाई,

आपका पत्र मिलनेके बाद मैंने पूछताछ की और मुझे पता चला कि पाण्डिचेरी से निमन्त्रण आया था और मैं कदाचित्त वहाँ जाऊँगा। यदि मैं वहाँ बाऊँगा तो श्री अरविन्दसे अवश्य मिलना चाहूँगा। उनसे मिलन न हुआ तो मुझे बहुत निराशा होगी। इसलिए यदि शोरगुल किये बिना उनसे मिलनेकी व्यवस्था की जा सके तो करना। तय होनेके बाद मैं स्वयं उनसे लिखकर समय माँगनेवाला हूँ।

दापूके आशीर्वाद

श्री गोविन्दभाई

श्री अरविन्द आश्रम

पाण्डिचेरी

मूल गुजराती (श्री० इन्क्यू० १०७३९) से; साँजन्य : गोविन्दभाई रामभाई पटेल

## ४२५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

२६ दिसम्बर, १९३३

प्रिय जवाहरलाल,

यह रही 'मद्रास मेल' की एक कतरन।' हालाँकि सारी बातचीतमें करीब-करीब तुम्हारा और तुम्हारे विचारोंका ही उल्लेख किया गया है, लेकिन स्वभावतः भेंटकर्ता तुमसे हुई भेंटका विवरण पूराका पूरा नहीं दे सकता था। मुझे प्रूफ दिखाया गया

१. गोविन्दभाई पटेलने श्री माँकी माफ़त श्री अरविन्दको गांधीजीके इस पत्रके बारेमें बता दिया था और श्री अरविन्दने एक कागज़पर पैंसिलसे यह लिखा था कि आपको उन्हें लिखना होगा कि मैं उनसे भेंट नहीं कर सकता क्योंकि एक लम्बे अंतिसे मैंने किसीसे भेंट न करनेका पक्का निश्चय बना लिया है—यह कि मैं अपने शिष्योंसे भी बात नहीं करता और उन्हें केवल सालमें तीन बार माँन आशीर्वाद देता हूँ। अन्य लोगोंने जब भी मुलाकातके लिए समय माँगा, मुझे उसे अस्वीकार करना पड़ा है। अपने ऊपर मैंने यह नियम अपनी साधनाके कारण लगाया है और इसमें सुविधा अथवा किसी बाटका प्रश्न ही नहीं उठता। और अभी मेरे इस नियमसे विचलित होनेका समय नहीं आया है।

२. देखिए "भेंट : मद्रास मेलके प्रतिनिधिको", २२-१२-२९३३।

था। मैंने जो कहा था उसका काफी ठीक सार प्रस्तुत किया गया है। कृपया इसे सावधानीपूर्वक पढ़ जाना और जहाँ तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे वारेमें कुछ गलत कहा है वहाँ मुझे भूल बताना। हमारी मण्डलीमें भी तुम्हें लेकर बहुत गलतफहमी है। लेकिन इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं।

मेरा जैसा कार्यक्रम अभी बना है, वह भी तुम्हें साथ भेज रहा हूँ।<sup>१</sup>  
आशा है, माताजीका स्वास्थ्य सुधर रहा है।  
सप्रेम,

बापू

[ अग्रेजीसे ]

गाधी-नेहरू पेपर्स १९३३, सौजन्य नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## ४२६. पत्र : रेहाना तैयबजीको

२६ दिसम्बर, १९३३

प्यारी बिटिया रेहाना,

मुझे तो खयाल ही नहीं था कि तू बीमार पड़ गई है। मैं तो समझा 'रेहाना अब बापूको भूल गई है।' जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे पास तो लिखनेका वक्त ही नहीं था। भगवानका शुक्र है कि तू अब बिलकुल अच्छी हो गई है।<sup>२</sup>

हमीदाका एक लम्बा पत्र था। उसे मैंने जवाब दिया है। कमला देवीके साथ बहुत बातें हुईं। मुसाफिरीमें तेरी बहुत बार याद आती रहेगी। 'उठ जाग मुसाफिर' तेरे मुँहसे सुननेकी इच्छा होती ही है पर "ऐसा दिन कहीं कि मियोके पैर में जूतियाँ हो।" तुम्हारी भजन मडलीमें बैठनेकी भी इच्छा होती है। मेरे साथ किसन और जमनालालजीकी ओम है। अब्बाजान कहाँ गये हैं? उन्हें और अम्माजानको बहुत सलाम, वन्देमातरम्, प्यार आदि आदि। सरोज<sup>३</sup> और तुझे आशीर्वाद। कमाल मिर्याको चुम्मी।

बापू

[ पुनश्च ]

'हरिजन' पढ़ती ही होगी।

गुजरातीकी फोटो-नकल (एस० एन० ९६५५) से।

१. देखिए परिशिष्ट ४।
२. यह अंश उद्धृत है।
३. सरोज नानावटी।



## ४२७. पत्र : कल्याणजी वी० मेहताको

२६ दिसम्बर, १९३३

भाई कल्याणजी,

मीत किसको छोड़ती है? यदि मृत्यु रूपी हमारा मित्र न हो तो कौन जाने हमारा क्या हाल हो? आप सबको और विशेष रूपसे नेपोलियनको इस बातकी तसल्ली होनी चाहिए कि गंगावा मुक्त हो गई है। पर मैंने ज्ञानकी जो बात की उसे इस अवसर पर भला कौन सुनेगा? तथापि मृत्युके सम्बन्धमें मेरा यह ज्ञान शास्त्रोपर आधारित नहीं है। इसी कारण प्रसंग उपस्थित होने पर मैं ऐसी बात कह देता हूँ। हमारे जैसे सिपाहियोंको तो उसके स्वरूपको जान लेना चाहिए। गंगावा की आत्माको तो अवश्य शान्ति होगी क्योंकि जिसने इस देहसे अच्छा बननेका तनिक भी प्रयत्न किया है उसका अकल्याण तो कभी हो ही नहीं सकता। महालक्ष्मीका मलेरिया उचित उपचारसे दूर हो जायेगा।

वापूके आशीर्वाद

कल्याणजी मेहता

मार्फत डॉ० नाथूभाई दयालजी पटेल

वैक व्यू

चर्नी रोड स्टेशन गार्डनके सामने

बम्बई

गुजरातीकी माइक्रोफिल्म (एम० एम० यू०/२२) से।

## ४२८. पत्र : स्वरूपरानी नेहरूको

२६ दिसम्बर, १९३३

प्रिय भगिनी,

आपका खत मिला था। मिलनेसे आनंद हुआ। बहूत शक्ति आनेकी आशा तो अब रख नहीं सकते हैं। अब आपको चिंताका भी कोई कारण नहीं रहा है। कृष्णा खुश रहती है। सरूपसे कहो मुझे लिखा करे। कृष्णा भी लिखे। थोड़े महिने वही रहेगी क्या?

ईश्वर तुम्हें शांति देवे।

४२४

मेरी मुसाफरी अच्छी तरह चल रही है। परिश्रम ठीक पडता है। ईश्वर कृपासे अब तक तो शरीरने सहन किया है। वाके खत आते हैं। खुश है।

आपका,  
मोहनदास

इन्दिरा गांधी-गांधी पेपर्स, सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय। जी० एन० ११४०७ से भी।

## ४२९. भाषण : एल्लोरकी सार्वजनिक सभामें

२७ दिसम्बर, १९३३

इम जवर्दस्त स्वागतके लिए, जो आपके जवर्दस्त प्रेमका परिचायक है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे जो अनेक थैलियाँ और मानपत्र, जिनमे नगरपालिकाकी ओरसे और जिला बोर्डकी ओरसे दिये गये मानपत्र भी शामिल हैं, भेट किये गये हैं, उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास समय बहुत थोडा है, और आशा है आप विभिन्न मानपत्रोमे कही गई बातोका विस्तृत उल्लेख करनेकी अपेक्षा मुझसे नही करेगे।

मेरा सबसे प्रथम और पावन कर्तव्य "पजाव केसरी" स्वर्गीय लाला लाजपतरायके चित्रका अनावरण करना है। उनके अनेक बहुमूल्य गुणो और सेवाओकी चर्चा मैं आपसे करूँ, आप मुझसे इसकी अपेक्षा नही करेगे। मुझे उनके अन्तकाल तक उनका विश्वासपात्र रहनेका सौभाग्य मिला था। १९२० मे कांग्रेसका जो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था उसके वह अध्यक्ष थे। आज मेरे और आपके लिए उनका सबसे विगिष्ट गुण यह है कि अस्पृश्य लोगोसे उनको अत्यन्त निर्मल प्रेम था। उन्होने भारतके हिन्दू समाजको तथाकथित अस्पृश्य लोगोके प्रति, हरिजनो के प्रति अपने कर्तव्यका ध्यान रखनेकी शिक्षा दी है। लाजपत राय हमेशा कहते थे कि अस्पृश्यता हिन्दूधर्मपर सबसे बडा कलक है। यदि उन्होने और कुछ न किया होता तो अस्पृश्यताके विरुद्ध उन्होने जो लड़ाई छेडी थी, केवल उसीके कारण हम हिन्दुओंको उनकी पवित्र स्मृतिकी पूजा करनी चाहिए। उनकी देग-सेवा, उनकी बहादुरी और उनकी निर्भीकतासे कौन इनकार कर सकता है? उनको 'पजाव केसरी' के नामसे यो ही नही पुकारा जाता था।

अब मुझे और चीजोको लेना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी कि मूलपुरी चुक्कम्पाको वेल्लोर जेलमें भी हरिजनोकी सुघ रही और उसके पास जो थोडी बहुत चीजे हैं उनमेसे यह अँगूठी उसने मुझे भेजी है। उसका पत्र, जिसपर सेट्रल जेलके सुपरिन्टेडेण्टके हस्ताक्षर हैं, यहाँ मेरे पास है। ऐसे कार्योसे कौन है जो प्रेरणा नही ग्रहण करेगा?'

१. इसके बादका अंश २९-१२-१९३३ के हिन्दूमें प्रकाशित रिपोर्टसे लिया गया है।

जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ मैं लोगोंमें उत्साह देखता हूँ, तथाकथित अस्पृश्य यानी हरिजनोको अपने हृदयमें स्थान देनेकी इच्छा देखता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं लोगोंमें अपनी सम्पत्ति, अपने पैसे, रुपये और सोनेकी वस्तुएँ देनेकी तत्परता देखता हूँ, और त्याग करनेमें स्त्रियाँ पुरुषोंसे पीछे नहीं हैं। मैं निश्चयपूर्वक जानता हूँ कि उन्हें पता है कि वे जानती हैं कि किस उद्देश्यके लिए उन्होंने अपनी चूड़ियाँ, अपनी अँगूठियाँ या अपनी कोई अन्य प्रिय वस्तु दान की है। वे जानती हैं कि ये सारा धन और ये सब गहने इसलिए दिये जा रहे हैं ताकि हरिजनोकी सेवा की जा सके। मैं जितना ही सोचता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि यह कार्य सारी मानवताके लिए किया जानेवाला कार्य है, हमें क्या किया जानेवाला काम है। यदि हिन्दू अस्पृश्यता-राक्षसीका नाश करनेमें सफल हुए, यदि वे अपने दिलोंको बदलनेमें सफल हुए, यदि वे अपनेको इस कलंकसे मुक्त करनेमें सफल हुए तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि विभिन्न धर्मोंको माननेवाली सभी जातियोंके हम लोग सुख, सन्तोष, शान्ति और हार्दिक मैत्रीके साथ रहेंगे। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि इस अनुष्ठानमें, अस्पृश्यताके विरुद्ध इस लड़ाईमें हमें पूर्ण सफलता मिली तो जैसा कि मैंने कहा है, हम हृदयकी एकता स्थापित कर सकेंगे। पारस्परिक विश्वास, आपसी प्रेम और आपसी आदरभावकी धूप में सन्देहका कोहरा छँटकर तिरोहित हो जायेगा। इसलिए आइए, हम लोग, आप और मैं और सभी लोग, सर्वशक्तिमान ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह हमें इस गलतीको, चाहे वह कोई भी गलती हो, देख सकनेकी और सुधार सकनेकी शक्ति और बुद्धि प्रदान करे। हमें याद रखना चाहिए कि इतनी सदियों तक हमने अपने ही बीचके एक वर्गको दबाये रखा है और ऐसा करते हुए हमने अपने-आपको पतित किया है, अपने-आपको दबाया है। आज तक संसारमें कोई भी शक्ति स्वयंको पतित और दलित किये बिना मानवताके किसी अंशको दवानेमें सफल नहीं हुई है। मैं जितना ही देखता जाता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि अगर हमने अस्पृश्यताको खत्म न किया तो हिन्दूधर्म स्वयं नष्ट हो जायेगा, और यदि ऐसा हुआ तो यह हमारी ही क्षति नहीं बल्कि सारे संसारकी क्षति होगी। ऐसा धर्म जिसकी प्रेरणाके स्रोत वेद है, उपनिषद् हैं, पुराण हैं, जिसकी प्रेरणाका स्रोत 'रामायण' है, वह धर्म क्यों नष्ट हो जायेगा—किसलिए, किस कारण नष्ट हो जायेगा। इसका एकमात्र कारण यही होगा, कि हमने उपनिषदोंकी शिक्षाका पालन नहीं किया, हमने वेदोंमें, उपनिषदोंमें बताया गई इस महान् शिक्षाका, उनमें प्रतिपादित इस महान् सिद्धान्तका पालन नहीं किया कि केवल ईश्वर ही सत्य है, और ईश्वरके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति, कोई चीज नहीं है। क्या आप समझते हैं कि एक ईश्वरकी, न्यायप्रिय ईश्वरकी शिक्षा देनेवाले शिक्षकोंने यह उपदेश दिया होगा कि हमारे बीच ऊँचे और नीचे का भेदभाव हो सकता है? यह एक असम्भव बात है। इन बातोंके बारेमें हम जितना ही सोचते हैं उतना ही इस बातपर आश्चर्य होता है कि हिन्दुओं जैसी सुसंस्कृत समझी जानेवाली जातिने अस्पृश्यताको अपने धर्मके एक अंगके रूपमें अपना लिया है। और अन्तमें यह बात याद रखिए कि आज

संसारके सभी धर्म आन्तरिक उथल-पुथलमे पड़े हुए हैं। उन सभी को आलोचनात्मक दृष्टिसे जाँचा-परखा जा रहा है और कसौटी की जा रही है, और यदि हम इस बुराईको तेजीके साथ अपने बीचमेसे निकाल बाहर नहीं करेगे तो लोकमत आपको और मुझे माफ नहीं करेगा। अब अस्पृश्यताके ऊपर मैं आपका और अधिक समय नहीं लूँगा।<sup>१</sup>

इसके बाद श्री गांधीने कहा कि चूँकि मैं एल्लोरमें बोल रहा हूँ, जो कि आन्ध्र प्रान्तीय हरिजन सेवक संघका मुख्यालय है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर दिलाना चाहता हूँ कि मुझे संघके कुछ पदाधिकारियोंके विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली हैं। मैंने और केन्द्रीय बोर्डके सदा-सतर्क मन्त्री श्री ठक्करने जाँचके बाद पाया है कि लगाये गये आरोप सर्वथा निराधार हैं। किसी भी सही शिकायतके लिए मैं अपनी आँखों और कानोंको खुला रखता हूँ, लेकिन मेरा आग्रह है कि शिकायत करनेवालेको दो शर्तोंपर कोई शिकायत करनी चाहिए। पहली शर्त तो यह है कि उसे गुमनाम पत्र भेजनेके बजाय अपना नाम सार्वजनिक रूपसे घोषित करना चाहिए और दूसरी यह कि वह जो भी आरोप लगाये, उन आरोपोंको अकाद्य सबूत देकर सिद्ध करना चाहिए।

श्री गांधीने अपना भाषण अंग्रेजीमें किया, और भाषण समाप्त करनेसे पहले उन्होंने कहा कि आन्ध्रदेशमें भी, जहाँ हिन्दीने इतनी ज्यादा प्रगति कर ली है, मैं अंग्रेजीमें बोला, इसका मुझे दुख है। भाषणका अनुवाद करनेमें आसानी हो, इस खयालसे मुझे अंग्रेजीमें बोलना पड़ा। आन्ध्रवासियोंके लिए हिन्दी सीखना तनिक भी कठिन नहीं होगा क्योंकि उसमें बहुतसे शब्द संस्कृतपर आधारित हैं, और संस्कृतसे ही तेलुगु भाषा निकली है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २८-१२-१९३३ और २९-१२-१९३३

## ४३०. भाषण : विशाखापट्टमकी महिला-सभामें

२८ दिसम्बर, १९३३

हरिजन-कार्य आगकी तरह है। आगमे आप जितना ही घी डाले, उतने ही और धीकी उसे जलरत होती है। इसी प्रकार हरिजन-कार्यके लिए आप जितना ही देते हैं उतनी ही उसे और आवश्यकता होती है। जो लोग इस कार्यके लिए देते हैं, वे कभी खोते नहीं; उन्हें लाभ ही होता है। देकर आप पुण्य अर्जित करते हैं। न देनेसे आप पुण्य-प्राप्तिका अवसर खोते हैं। कारण, सवर्ण हिन्दू जातिके स्त्री-पुरुष सदियोंसे हरिजनको पीड़ित करते आये हैं। आज अगर हम बुरे समयसे गुजर

१. इससे आगेका अंश हिन्दू, २८-१२-१९३३ से लिया गया है।

रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका एक काफी बड़ा कारण हरिजनोंके साथ हमारा बुरा व्यवहार है। इसलिए मैं भारतकी स्त्रियोंसे कहता रहा हूँ कि वे अपने मनसे अस्पृश्यताके भूतको निकाल बाहर करें। कुछ मनुष्योंको अपनेसे नीचा समझना गलत है, पापपूर्ण है। ईश्वरकी इस धरतीपर कोई नीचा या ऊँचा नहीं है। हम सब उसीके बन्दे हैं; और जिस प्रकार माता-पिताकी दृष्टिमें उनके सभी बच्चे एक समान हैं उसी प्रकार ईश्वरकी दृष्टिमें भी उसके सभी बच्चे बराबर हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बातका विश्वास करें कि धर्ममें, अस्पृश्यताके लिए कोई आवार नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने चारों ओर जो हरिजन हैं उन्हें अपने हृदयमें स्थान दे। हरिजन बच्चोंका अपने घरोंमें स्वागत करें। हरिजनोंके घरोंमें आप जायें और उनके बच्चों और उनके घरोंकी फिक्र करें, उन्हें सँवारें; हरिजन स्त्रियोंको अपनी बहनें मानकर उनसे बोलें, बात करें।

हरिजनोंका यह कार्य मुख्यतः स्त्रियोंको करना है; और मैं आशा करता हूँ कि इस स्थानकी आप हिन्दू स्त्रियाँ अपना कर्तव्य करेंगी। मुझे आशा है कि आपमेंसे जो बहनें अपने सारे गहने या कुछ गहने देनेकी इच्छा और धमता रखती हैं, वे उन्हें देंगी। भेंट देनेकी एक शर्त है। यदि आप कोई भेंट देती हैं, तो फिर वैसी दूसरी चीज आप न लें। मैं चाहता हूँ कि आप अनुभव करें कि आपने इस कार्यके लिए कोई चीज दी है; और रुपये या नोट देकर आप ऐसा अनुभव नहीं कर सकती। रुपये या नोट तो आपके माता-पिता या पतिसे आपको मिले होंगे। लेकिन गहने आपकी निजी सम्पत्ति हैं। जब आप अपने गहने देती हैं और आपका यह इरादा नहीं होता कि आप वैसा ही गहना अपने माता-पिता या पतियोंसे फिर बनवायेंगी, तो यह निश्चय ही आपका त्याग है। आपमेंसे जिन लोगोंने मेरे इस सन्देशकी भावनाको समझ लिया है, मैं चाहता हूँ कि वे सभी स्त्रियाँ वह निश्चित त्याग करें।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, ५-१-१९३४

## ४३१. विशाखापट्टमकी सार्वजनिक सभामें

२८ दिसम्बर, १९३३

स्टेशनपर मेरे उतरनेके बाद आपने मुझे मोटर गाड़ीपर बिठा कर हरिजनोंकी एक पकितके बीचसे गुजारा जिन्हें उस समय किसी नागरिककी उदारताके फलस्वरूप भोजन कराया जा रहा था। वह नागरिक अपनी उदारताके लिए धन्यवादका पात्र हो सकता है, लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ता है, कि यह कोई आत्माको प्रसन्न करनेवाला दृश्य नहीं था। जिस सड़कके दोनों ओर हरिजन स्त्री और पुरुष बैठे भोजन कर रहे थे उसपरसे मोटर गाड़ी गुजरते समय मैंने शर्मसे अपनी गर्दन झुका ली। जरा सोचिए जिस समय हम लोग सड़कपर भोजन कर रहे हो उस समय यदि कोई उद्दण्ड व्यक्ति अपनी मोटर उधरसे ले जाये तो आपको और मुझे कैसा लगेगा ? मैं वह प्रथा जानता हूँ जिसके अन्तर्गत बिरादरी-भोज दिये जाते हैं। जिस सड़कपर भोज दिये जाते हैं उस सड़कपर सब प्रकारका यातायात बिल्कुल रोक दिया जाता है ताकि भोजन करनेवाले अपना भोजन पूरी शान्तिके साथ कर सकें और खाना परसा जा सके। जैसा कि मैं बार-बार कह चुका हूँ, शुद्धीकरणका आन्दोलन हमारे हृदयकी गहराइयों तकमें प्रवेश करता है। मैंने सवर्ण हिन्दुओंसे यह नहीं कहा है कि वे हरिजनोंके सामने उनके सरक्षकोकी भाँति आये और अपनी थालीकी जूठन उनके सामने फेंके। मैंने उनसे कहा है कि वे अपने हृदय हरिजनोंके लिए खोलें और उनमें उनके लिए जगह बनाये। आज जो कुछ मैंने देखा वह तो एक सरक्षकका अपने आश्रितोंके प्रति किया जानेवाला काम था। और क्या आप जानते हैं, न केवल मेरी मोटर भोजन करते हुए लोगोंकी पकितयोके बीचसे निकाली गई बल्कि अन्य मोटरें भी पीछे-पीछे गुजरी, और उनके पीछे-पीछे आनेवाली भीड़ भी वहीसे गुजरी। और मैंने देखा कि उन गरीब लोगोंके लिए उड़ रही धूलसे अपने भोजनको बचा पाना कठिन हो रहा था। कमसे-कम कहा जाये तो यह दृश्य शोमनीय नहीं था। इसे देखनेकी विवशतासे मुझे जो दुख हुआ उसे अब आप समझ सकते हैं।

मैं जानता हूँ कि इस कार्यके पीछे कोई बुरी नीयत नहीं थी। मैं यह भी जानता हूँ कि एक भी व्यक्तिको इन हरिजनोंका जिन्हे कि मुफ्त भोजन दिया गया था, अपमान करनेकी इच्छा नहीं थी। मैं यह भी समझता हूँ कि जो लोग मुझे उस सड़कसे ले गये, उन्होंने सोचा था कि भोजन करते हुए हरिजनोंके बीचसे गुजरनेमें मुझे खुशी होगी। मैं जानता हूँ कि इसमें अविचार मात्र था, और कुछ नहीं। जैसा कि हमें शास्त्रोंमें बताया गया है, धार्मिक जीवन व्यतीत करना तलवारकी धारपर चलनेके समान है और करोड़ों मनुष्योंमें शुद्धीकरणके इस विश्वव्यापी आन्दोलनमें एक भी अविचारपूर्ण कार्य पापका स्वरूप धारण कर लेता है। इसलिए इस हरिजन

आन्दोलनके सम्बन्धमें किया गया हमारा प्रत्येक कार्य सूक्ष्म नियम-निष्ठता, अत्यन्त सावधानी और आत्मनिरीक्षणके साथ किया जाना चाहिए। इस दृश्यको देखनेके बाद मैंने सोचा कि इसका सार्वजनिक रूपसे उल्लेख न करना मेरे लिए गलत होगा। आपका ध्यान इस ओर दिला कर मैंने आत्म-शुद्धीकरणके इस आन्दोलनमें भाग लेनेवालोंको चेतावनी दी है कि आज सुबहके इस दृश्यकी पुनरावृत्ति न होने पाये।

इसके साथ ही अब मैं आता हूँ इस विषय पर कि भारत-भरमें हम लोग आज क्या कर रहे हैं। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म पर एक बहुत बड़ा कलंक है। यदि शास्त्र ईश्वरकी इच्छाका प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनमें अस्पृश्यताके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, ऐसी अस्पृश्यता जिसका कि भारतके अतिरिक्त संसारमें कहीं जवाब नहीं मिलता। स्वार्थवृत्तिसे यदि हम अपनेको ऊँचा और दूसरोंको नीचा समझें तो यह स्वयंमें काफी खराब बात है। लेकिन जब हम अस्पृश्यता जैसी बुराईमें धर्मका पुछल्ला जोड़ दें तो यह बात दूनी खराब हो जाती है। इसलिए जब विद्वान पंडित आगे आकर अस्पृश्यता जैसी स्पष्ट बुराईके समर्थनमें शास्त्रोंकी दुहाई देते हैं तब मुझे दुख होता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, और आज फिर कहता हूँ कि हम हिन्दू लोग परीक्षाकी अवधिसे गुजर रहे हैं। हम चाहें या न चाहें, अस्पृश्यता जा रही है। यदि परीक्षाकी इस अवधिमें हम अपने पापोंके लिए प्रायश्चित्त करें, यदि हम अपने आपको शुद्ध बनायें और अपनेमें सुधार कर लें, तो इतिहासमें यह एक कार्य हिन्दुओं द्वारा शुद्धीकरणका एक अत्यन्त महान् कार्य माना जायेगा। किन्तु यदि समयकी गतिके प्रभावसे हमें अपनी इच्छाके विरुद्ध कार्य करने पर विवश होना पड़ा और हरिजन लोग अपने सच्चे स्वरूपको प्राप्त कर लेते हैं तो यह हिन्दुओं या हिन्दु-धर्मके लिए कोई यशकी बात नहीं होगी। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे जाकर कहता हूँ कि यदि हम इस परीक्षामें विफल हुए तो हिन्दू-धर्म और हिन्दू-जाति नष्ट हो जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-१-१९३४

## ४३२. टिप्पणियाँ

### बार-बार वही प्रश्न

यह आश्चर्यकी बात है कि जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ, मुझसे बार-बार यही एक ही प्रकारके प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न वे लोग भी पूछते हैं, जो या तो 'हरिजन' अथवा 'हरिजन-सेवक' पढ़नेवाले समझे जाते हैं, या मेरे उन सामान्य उत्तरोसे परिचित हैं, जो मैं अक्सर देता रहता हूँ। किन्तु जबतक ये प्रश्न मेरे सामने आते रहेगे, मैं अवश्य ही उनपर अपने विचार प्रकट करता रहूँगा। मुझे आशा है, कि मेरे विचारोको जो पाठक जानते हैं, वे इन पृष्ठोमे मेरी इन पुनरुक्तियों पर ध्यान न देगे। उन प्रश्नोके दोहरानेकी मुझे कोई जरूरत मालूम नहीं पडती। उन प्रश्नोकी रूपरेखा नीचेके उत्तरोसे ही स्पष्ट हो जायेगी।

(१) मन्दिर-प्रवेशके सम्बन्धमे किसी भी प्रकारकी बाध्यता तो हो ही नहीं सकती।

(२) सम्बन्धित मन्दिरके न्यासियोके, अथवा मूर्तिपूजामे विश्वास रखनेवालो और उस मन्दिरमें पूजा करनेका हक जिन्हे हासिल है, उन लोगोके विशुद्ध बहुमतकी स्वीकृतिके बिना कोई भी मन्दिर हरिजनोके लिए न खोला जायेगा।

(३) मन्दिर-प्रवेश-विधेयक या अस्पृश्यता-निवारक-विधेयकमे किसी भी तरहकी कोई बाध्यकारिता नहीं है। मन्दिरमे जानेके जो नियम दूसरे हिन्दुओके लिए निर्धारित है, हरिजनोके लिए भी वे ही नियम लागू होंगे।

(४) अगर कोई व्यक्ति मुझे यह सन्तोष करा दे, कि जैसी अस्पृश्यता आज बरती जाती है वह 'शास्त्रविहित' है, तो मैं फौरन इस आन्दोलनको छोड दूँगा।

(५) लेकिन मेरा निश्चित विश्वास तो यह है कि वर्तमान अस्पृश्यता एक अमानुषी प्रथा है। इसकी जडमे स्वार्थपरता और जिनका दमन सरलतासे किया जा सके, उन लोगोका गोपण करनेकी इच्छा है।

(६) जैसा कि इन पृष्ठोमे खूब अच्छी तरह सिद्ध किया जा चुका है, मर्दुमशुमारी करनेवाले अधिकारी, अछूतोकी सृष्टि करते हैं।

### खिलौने भेंट मत कीजिए

खिलौने आदि भेंट करनेमे आन्ध्र देश सब प्रान्तोसे आगे है। कुछ लोग छोटे-छोटे चाँदीके प्याले देते हैं, कोई थाली देता है, और कुछ लोग सजावटकी कोई ऐसी चीजे भेंट करते हैं जिन्हे आसानीसे एक जगहसे दूसरी जगह लेकर नहीं जाया जा सकता। बहुत-सी चीजे ऐसी होती हैं जिन्हे मैं मौके पर लोगोको खरीदनेके लिए राजी नहीं कर पाता, और हमारे उद्देश्यके खयालसे वे कितनी ही लुभावनी क्यों न हो, लेकिन उन्हें साथ लादकर ले चलना और उनकी गिनती रखना एक तवाँलत



बन जाता है। इसलिए मैं आयोजन-कर्ताओंसे अनुरोध करूँगा कि ऐसी भेंटें देनेका यदि वे निषेध नहीं भी करें तो कमसे-कम उसको प्रोत्साहन भी न दें। कई जगहों पर बड़े-बड़े फ्रेम और चित्र भेंट किये गये हैं। ये विलकुल बोज़ बन जाते हैं और इन्हें बाजारमें बेचा भी नहीं जा सकता। फ्रेम तो किसी भी हालतमें भेंट नहीं किये जाने चाहिए। मैं चाहूँगा कि मेरा यह दौरा जिस गम्भीर उद्देश्यसे किया जा रहा है उसकी गम्भीरता कायम रहे, कामकी ही बातें हों, और किसी भी मामलेमें कोई बर्बादी न की जाये। मैं यहाँ कह दूँ कि थेलियाँ भेंट करते समय जहाँ तक सम्भव हो सिक्कोंकी जगह नोट ही दिये जायें। तेजीसे यात्रा करते समय, जिसमें एक दिनमें दससे पन्द्रह जगहोंका दौरा हो जाता है, रोज के-रोज रेजगारी गिनना और सही हिसाब रखना कठिन होता है। हालाँकि हिसाब-किताब रखनेवाले व्यक्ति अपने कामके प्रति समर्पित व्यक्ति हैं लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम रहता है और अक्सर रोजका हिसाब दुरुस्त रखनेके लिए उन्हें रातमें देर तक काम करना पड़ता है। छोटीसे-छोटी तफसीलका खयाल रखे बिना, और कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकोंके सूझ-बुझपूर्ण सहयोगके बिना अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ जैसे बड़े संगठनको अच्छे ढंगसे और कम खर्चमें नहीं चलाया जा सकता।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २९-१२-१९३३

### ४३३. मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी

यह सोसायटी कलकत्तेमें, सन् १९२३ में, स्थापित हुई थी। श्रीयुत हरखचन्द द्वारा भेजी हुई उड़ीसाके वाढ़-संकट-निवारणकी जो रिपोर्ट 'हरिजन-सेवक' में प्रकाशित हुई है, उसमें इस सोसायटीकी बहुमूल्य सेवाओंका उल्लेख आया है। दिल्लीसे बैजवाड़ा जाते हुए रास्तेमें उस दिन पलवल स्टेशन पर मुझसे उक्त सोसायटीके कुछ कार्यकर्ता मिले थे। ये लोग गुड़गाँव जिलेमें वाढ़-पीड़ितोंकी सेवा-सहायता कर रहे हैं। स्टेशन पर उन्होंने मुझे अपने कार्यकी व्यौरवार विवरण-पत्रिका दी और मुझसे कहा कि इसे आप पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि हम लोगोंने स्पृश्यों और अस्पृश्योंमें कोई भेद नहीं रखा है, बेचारे असहाय हरिजनों पर तो हमने खास तौर पर ध्यान दिया है। इस विवरण-पत्रिकामें १९ नवम्बर, १९३३ से १३ दिसम्बर, १९३३ तकके सेवा-कार्यका उल्लेख है। १४४ गाँवोंमें सोसायटीके सेवकोंने काम किया है। ४०९८ वाढ़-पीड़ितोंको इन भाइयोंने २८०९ सोढ़, १८४६ कुत्ते, १२५६ घावरे, और ८७२ मन ५ सेर अनाज बाँटा है। खजली, फसलीबुखार, साँसी आदिके ३०५२ रोगियोंको दवा-दारू दी है। जहाँ जरूरत मालूम हुई, वहाँ मरीजोंको दूध, जो साबूदाना वगैरा भी दिया गया है। वाढ़से बचे हुए मकान फिरसे बनवाये जा रहे हैं। सोसायटी वहाँ इन सात केन्द्रोंमें काम कर रही है—पन्द्रह, टिघोट, बर्नीगोड़ा, बनचारी, होडल, हसनपुर और गुलावाद। सोसायटीको तथा उसके उक्त मानों

केन्द्रोंमें काम करनेवाले नवयुवक सेवकोंको मैं धन्यवाद देता हूँ। सोसायटीने जिन हरिजनो और गैर-हिन्दुओंको सहायता दी है, उनके आँकड़े भी विवरण-पत्रिकामे अलग दिये हुए हैं। सामान्य संकट-निवारणके समय भी, मनुष्योंके बीचमे जबतक भेदभावकी यह वाहि्यात मनोवृत्ति कायम रहेगी, तबतक दुर्भाग्यसे इस अभागे देशमे हिन्दुओं, हरिजनो और गैर-हिन्दुओंका अलग-अलग उल्लेख आवश्यक है और रहेगा।

हरिजन सेवक, २९-१२-१९३३

### ४३४. पत्र : मनु गांधीको

२९ दिसम्बर, १९३३

चि० मनुडी,

तेरा लम्बा पत्र पढकर प्रसन्नता हुई। तेरी याद रोज ही आती है। कुसुमसे कहना, मैं कहाँ अब तेरे कामका रह गया हूँ। मेरी सम्हाल करके तू क्या करेगी? रामनाम लेती जा जिससे शान्ति रहेगी। तू उसे राम नाम सिखाना। उसके पास राम-धुनका गान किया कर। तू तो बहुतेरे भजन गाती है। बली मौसीको मैं क्या आश्वासन दूँ? मुझे यदि फुरसत हो तो मैं उसके पास खड़ा रहूँ और घर भी चलाऊँ तथा उसे चिन्ता-मुक्त कर दूँ। पर ऐसे सम्बन्ध जम पाना अब इस जीवनमे तो सम्भव ही नहीं है। मृत्युके सम्बन्धमें तू जो लिखती है वह बिल्कुल सच है। हम सभीको उससे भेट तो करनी ही है।

बापूके आशीर्वाद

चि० बलीबहन

मा० हरिदास बोराका मकान

हाईस्कूलके पीछे

राजकोट, सी० एस० काठियावाड

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० २६६४) से; सौजन्य मनुबहन मशरूवाला

## ४३५. पत्र : मार्गरेट स्पीगलको

३० दिसम्बर, १९३३

नि० अमला,

हमें सहज बनना चाहिए। तुम्हें भी तभी पत्र लिखना चाहिए जब तुम्हारा मन हो और मैं भी जब फुसंत हों तब पत्र लिखूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करता। मुझे खुशी है कि तुम निरन्तर प्रगति कर रही हो। मैं चाहूँगा कि तुम अपने-आपको पूर्णतः सुरक्षित महसूस करो और घबराओ नहीं। तुम्हें मुझे अपने विद्यार्थियोंके बारेमें सब कुछ बताना चाहिए। क्या रामदास और उनकी पत्नीमें तुम्हारी भेंट अक्षर होती रहती है?

रस्नेह,

बापू

[पुनश्चः]

मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है, खुराक पहले जैसी ही है।

[अंग्रेजीमें]

स्पीगल पेपर्स; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## ४३६. पत्र : रुक्मिणीदेवी बजाजको

३१ दिसम्बर, १९३३

त्रि० रुक्मिणी,

तेरा कार्ड मिल गया है। मैंने तुझे एक पोस्टकार्ड यात्रामें लिखा है सो तुझे नहीं मिला जान पड़ता है। सन्तोका पत्र इन दिनों नहीं है। जमनालालजीसे मिली यह ठीक हुआ। तुझे मारवाड़ीमें बातचीत करना आ गया? हिन्दी तो बहुत ठीक हो गई होगी। मेरे साथ ओमके अलावा किसनबहन है। इसके बारेमें मैं तुझे लिख चुका हूँ कि यह प्रेमावहनकी सखी है। मुझे सरदी बनी रहती है।

तुम दोनों को,

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९१५६)से।

## ४३७. पत्रः कस्तूरबा गांधीको

कड़प्पा स्टेशन

१ जनवरी, १९३४

बा,

मैंने पिछली बार तुझे जो प्रवचन लिखा था उसकी एक प्रति मुझे भेजना। तेरा पत्र आज ही मिला। मैं यह पत्र मॉनवारके दिन लिख रहा हूँ। मणिलालकी चिन्ता न कर। उसे तेरे पत्र भेजता हूँ। प्रागजीके कहनेसे घबरा उठनेकी कोई बात नहीं। दोनो प्रौढ हैं। यदि कोई भूल हुई होगी तो वे स्वयं ही सुधार लेंगे। 'जामेजमशोद' की व्यवस्था तो मैंने की है। मथुरादासने लिखा है कि व्यवस्था हो गई है इससे मैंने इस दिशामें और कुछ नहीं किया। उम्मीद है अब तो तुझे वह मिलता ही होगा। फिर भी जाँच कर रहा हूँ। 'रामायण' और 'भागवत'के बारेमें तजवीज कर रहा हूँ। प्रेमलीलाबहनसे मँगवानेमें तनिक भी सकोच न करना। और फिर तुझे मँगवाना भी क्या है? जो थोडा-बहुत तुझे चाहिए वह वे लोग बडे आग्रहके साथ भेजेगे लेकिन जिस चीजकी तुरन्त ही जरूरत न हो वह मुझसे मँगवा लेना ठीक होगा। मैं बन्दो-बस्त कर लूँगा। दाँतोसे खा सकती है क्या? पोटेशियम परमगनेटके पानीसे कुल्ला करती है? ठक्कर बापा इस बार मेरे साथ नहीं है। १५ तारीखको मिलेंगे। फिलहाल मेरे साथ मलकानी है। यह भी खूब काम कर रहा है। अन्य सब लोग तो करते ही है। चन्द्रशंकर ठीक रहता है। ओम, किसन अपने शरीरका बराबर ध्यान रखती है। ओमसे जितना बन पडता है मेहनत करती है। बहुत भोली और सरल है। किसन भी बैसी ही है। सुरेन्द्रके शरीरमें ताकत आ गई है। आन्ध्र प्रदेशकी मुसाफिरी ३ तारीखको पूरी होगी, बादमें मैसूर जाना होगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ व्यस्तता तो रहती ही है, कुछ दिक्कतें भी होती हैं। मेरी देखभाल तो सब लोग कर लेते हैं इसलिए मुझे दिक्कत कम ही होती है। मेरी छोटीसे-छोटी आवश्यकताका भी मीराबहन ध्यान रखती है इसलिए मुझे मुसाफिरीकी असुविधाएँ नहीं होती। यदि तू लोगोसे मुलाकात करना बन्द करेगी तभी मुझसे हर हफ्ते पत्र पा सकेगी। मैं तो प्रवचन हर सप्ताह भेजा ही करूँगा। दूसरी बहनोसे जो लोग मुलाकात करने आयें उनसे ही सन्तोष प्राप्त करना। लेकिन जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करना। यदि तू मुलाकात करना ही चाहे तब तो तुझसे मिलने आनेके लिए बहुत लोग तैयार होंगे और वह मिलना चाहेगे भी। हमने जानबूझकर मुलाकात कम रखनेका रिवाज रखा है। लेकिन तेरी जो इच्छा हो सो मुझे निस्सकोच लिखना। जानकी बहन ठीक है। उसके लड़के रामकृष्णके टासिल कटवानेकी बात मैं बहुत करके तुझे लिखा है।

१. २५ दिसम्बर, १९३३ को।

कमला अब खुराकपर आ गई है। किशोरलालका बुखार अभी पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन चिन्ताका कोई कारण नहीं। मेरा मौन आजकल रविवारकी रातसे शुरू होता है। इसलिए सोमवारकी रात तक नहीं बोलना पड़ता। आज रातको ९ बजकर १० मिनट पर मौन छूटेगा। इसलिए किसीसे बात करनेका कदाचित्त ही समय मिलेगा क्योंकि बादमें तो सोनेका समय हो जायेगा। सबेरे तीन बजे तो उठना होता है। ब्रजकृष्णका बुखार अब उतर गया है, ताकत अभी नहीं आई है। हेमीबहनकी मृत्यु हो गई है। अब प्रवचन।

पिछली बार मैंने भक्तके लक्षण लिखे थे। और यह भी बताया था कि सेवा बिना भक्ति नहीं होती। इस बार सेवा कैसे की जाये, मैं इस पर लिखूंगा क्योंकि लोग बहुत बार यह प्रश्न करते हैं। कोई कहते हैं कि सेवा अमुक परिस्थितिमें ही हो सकती है। किसीका कहना है कि यदि हम अमुक अभ्यास करें तभी सेवा कर सकते हैं। ये सब तो कोरी भ्रान्तिर्याँ हैं, यह तो मैंने पिछले सप्ताह बताया था। मनुष्य चाहे किसी भी स्थितिमें हो, वह सेवा कर सकता है। हमारे पास जितनी सारी शक्ति है वह सब हम ईश्वरार्पण कर दें तो हमें पूरे अंक मिलें। जिसकी सामर्थ्य करोड़ देनेकी हो यदि वह केवल आधा करोड़ ही देता है तो उसे ५० अंक से ज्यादा नहीं मिल सकते, लेकिन जिसके पास एक दमड़ी मात्र है और वह दमड़ी भी देता है तो उसे शत प्रतिशत अंक मिलेंगे। इसलिए यदि तुम और तुम्हारे साथ जो अन्य बहनें हैं अपने सम्पर्कमें आनेवाली बहनों अथवा अधिकारियोंसे अच्छा व्यवहार करती हो तो तुम सेवाधर्मका पालन करती हो। अधिकारियोंके प्रति सेवाभाव रखना अर्थात् उनका कभी बुरा न चाहना, उनके साथ विनयपूर्ण आचरण करना, उन्हें धोखा नहीं देना। तुम्हें नियमोंका पालन करना चाहिए, और उसी तरह अपने सम्पर्कमें आनेवाली अपराधी बहनोंके प्रति सगी बहनों-सा बर्ताव करना चाहिए। उनपर तुम्हारे प्रेमकी छाप पड़े। वे तुम्हारी पवित्रताको पहचाने, यह भी सेवा धर्मका पालन करना कहा जायेगा। दोनोंमें उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। स्वार्थ बुद्धि अथवा भयके कारण अच्छा व्यवहार रखना सेवामें नहीं गिना जाता। एक मनुष्य अमुक कार्य स्वार्थ साधनेके लिए करता है और दूसरा परमार्थकी दृष्टिसे करता है, ऐसा हम अनेक बार देखते हैं: जहाँ सब कुछ ईश्वरको समर्पित है वहाँ स्वार्थको कोई स्थान नहीं है। इस तरह सेवा करनेवाला नित्य अपनी शक्तिमें वर्धन करता है। वह जो अभ्यास करता है, उद्यम करता है, वह भी सेवाभावसे ही करता है। इस तरह जो सेवा परायण रहता है, उसके हँसने-खेलने और खाने-पीनेमें भी सेवा भाव रहता है। तात्पर्य यह कि उसके सब कार्य निर्दोष होंगे। ऐसे भक्तोंको ईश्वर समस्त आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। इस आशयके तीन श्लोक स्त्रियोंकी प्रार्थनामें हैं, वे याद होंगे। वे श्लोक ये रहे।

अनन्याश्चितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते।

नेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥१

मच्चिता-मद्गतप्राणा बोधयंतः परस्परम् ।  
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥<sup>१</sup>  
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।  
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयांति ते ॥<sup>२</sup>

इसका अर्थ अनासक्तियोगमे से देख लेना । ये श्लोक तुम्हें नवें और दसवें अध्यायमें मिल जायेंगे । 'गीता'का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसके अनुरूप आचरण करे । यह याद रखना चाहिए । मैंने उपर जो लिखा है वह 'गीता' के आधारपर ही लिखा है, ऐसा समझना । सबको

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना बाने पत्रो, पृष्ठ ४-६

## ४३८. पत्र : प्रभावतीको

१ जनवरी, १९३४

चि० प्रभावती,

तेरे पत्रका उत्तर मैं जल्दी न दे पाया । समय तो मुझे सवेरे तीन बजे मिलता है वह अथवा जो ट्रेनमें मिल पाता है सो । यह पत्र मैं ट्रेनमें लिख रहा हूँ । जबतक तेरा स्वास्थ्य सुधर नहीं जाता तबतक तो और कोई सवाल ही नहीं उठता । पिताजीके पास यदि पैसेकी सुविधा हो तो उनसे मदद माँगनेमें संकोच नहीं करना चाहिए । उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है सो मैं नहीं जानता । तुझे उनसे स्पष्ट बात कर लेनी चाहिए । पिताजीकी आर्थिक स्थितिको जाननेमें संकोचकी कोई बात नहीं । यदि वह कुछ मदद देनेकी स्थितिमें न हों तो मुझे लिखना, मैं तुरन्त कोई-न-कोई बन्दोबस्त करूँगा ।

उपर्युक्त अंश ट्रेनमें लिखा गया था, अब अघूरे पत्रको पूरा करता हूँ ।

उम्मीद है, जयप्रकाशको उपचारसे लाभ हो रहा होगा । तुम दोनोंके खर्चका क्या बन्दोबस्त हुआ, यह तो तुमने लिखा ही नहीं । कर्जके सम्बन्धमें क्या किया, सो भी नहीं बताया ।

मेरी तबीयत अच्छी रहती है । खुराक पहले जैसी है । वजन तो नहीं लिया लेकिन मैं समझता हूँ इसमें अवश्य कुछ वृद्धि हुई होगी । भीराबहन ठीक है । वह तो मेरी सेवाके अलावा और कुछ नहीं करती, सभाओंमें भी नहीं जाती । ओम और किसन उसकी मदद करते हैं । कभी-कभी वे दोनों सभाओंमें आती हैं । किसन

१ और २. अगद्यगीता, अध्याय १०, ९ श्लोक १० । देखिए खण्ड ३२, पृष्ठ २८४ ।

ठीक होती जा रही है। रामनारायणकी तबीयत अच्छी जान पड़ती। जवतक हो सकेगा तबतक वह गाड़ी खीचेगा।

वा के पत्र आते हैं। रणछोड़भाई की पुत्री रमाका विवाह हो गया है। वह और उसका पति मुझे एल्लोरमें मिल गये थे और आशीर्वाद ले गये। मणिवहनकी कोई खबर नहीं है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४३८) से।

### ४३९. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

१ जनवरी, १९३४

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम्हारा पत्र आना चाहिए था सो नहीं आया। मैंने लम्बे पत्र लिखे हैं वे मिले होंगे। वा जेलमे बैठी-बैठी तुम्हारी बड़ी चिंता किया करती है। प्रागजीने कुछ बातों की जिससे वह घबरा गई है। वा मानती है कि तू, मणिलाल, सभीके साथ झगड़ा कर बैठा है। पर मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। यह तो सिर्फ वा लिखती रहती है इसलिए लिखता हूँ। वा की इच्छा है कि मैं उसीके शब्द लिखूँ। वह जेलमे पडी है और एक पत्र लिख सकती है इसलिए उसके पागलपन भरे विचार हो तो भी उनका अमल कर लेनेकी मेरी इच्छा रहती है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सारा ब्यौरा 'हरिजन'मे तो आता ही है।

नानाभाई बीमार बने ही रहते हैं। किशोरलालको बुखारने घर दबाया है सो छोड़ता ही नहीं है। मैं समाचार प्राप्त करता रहता हूँ। कुछ ही दिनोंमें ठीक हो जायेगा ऐसा मानता हूँ।

सन्तोककी माँ गुजर गई है। काशीकी बहन हेमी भी गुजर गई है। देवदास ठीक है और छूटनेके बाद लक्ष्मीकी जचकीके लिए मद्रास जायेगा।

वहाँके झगड़ेके सम्बन्धमें अब मुझे कुछ भी लिखना शेष नहीं है।

वा के पत्रकी नकल ओमने की है। इसलिए असल प्रति तुझे ही भेज देता हूँ वरना उसे रामदासको भेजनेका विचार किया था।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८१३) से।

## ४४०. पत्र : पेस्टनजीको.

१ जनवरी, १९३४

भाई पेस्टनजी,

आपके वारेमें काका साहबने मुझे एक खास पत्र लिखा था। आप जो मेरे पास आ जाये तो मुझे जरूर अच्छा लगेगा। यदि भ्रमण आपको रुचता हो तो सारी मुसाफिरी मेरे साथ घूमे। हमारी रहनी तो सादगी पूर्ण ही होगी। तीसरे दर्जेमें यात्रा करते हैं। काम तो रात-दिन बना ही रहता है। मजदूरी भी करनी ही पडती है। भोजन और निवासके लिए जैसा कुछ मिल पाता है उसीसे चलाना होता है। यदि आपका शरीर अच्छा कसा हो और रहनी सादी हो तो आपको रुचेगा। आपकी हिम्मत हो तो आप आ जायें और अनुभव ले जाये। आपके जैसे कुशल और निखालिस प्रकृतिके नवयुवकको अपने पास खीचना मैं अवश्य चाहूँगा। यदि आयें तो तार कर दे। हम लोग सात-एक दिन मैसूर स्टेटमें दौरा करनेवाले हैं। अतः यदि आप आये तो बंगलौरका टिकट ले। बंगलौरमें आपको समाचार मिलते जायेगे कि मैं दौरेपर कहाँ हूँ। मुझे बंगलौर ही तार दे। मैं जहाँ भी होऊँगा, तार मिल जायेगा। और मैं बन्दोवस्त कर ही लूँगा। और आपको बंगलौर स्टेशनपर कोई मिल जायेगा। कदाचित् तार न भी मिले पर तो भी आपको कोई अडचन नहीं होगी।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकलसे (जी० एन० ८०४६)।

## ४४१. पत्र : सुरेन्द्र मशरूवालाको

१ जनवरी, १९३४

चि० सुरेन्द्र,

तू रो पडा था और मारके डरसे पीछे बम्बई गया, यह मुझे मालूम हुआ। इसमें धवराने या शरमानेका कोई कारण नहीं है। सत्रह-अट्ठारह वर्षकी उम्र तक मैं कितना डरपोक था यह तो तूने पढा ही है। पर मेरी इतनी सलाह जरूर है कि तू शरमके मारे जेल मत जाना। इस बार तो कुछ ही लोगोको बार-बार जेल जाना है। तुझे यदि अपने मनको परखना हो तो अच्छी तरह परखकर, वापस घर जाना चाहता हो तो जा। वही सेवा कर और फिर जब तुझे ईश्वर प्रेरणा दे और पूरी हिम्मत भी, तब जाना। इतना निश्चित समझ कि जो सब-कुछ ईश्वरको समर्पित

४३९



कर देता है उसे भार सहन करनेकी शक्ति भी ईश्वर देता ही है। पर ऐसी हिम्मत बुद्धिके जरिये नहीं मिल पाती। यह तो ईश्वरकी प्रसादी है और वह उसके भक्तोंको भिला ही करती है। तुझे जैसा सहज-सुगम लगे वैसा करना; मुझे पत्र देना।

बापुके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० १५२७) से; सौजन्य: मनुव्हेन मशरूवाला

## ४४२. पत्र : विद्या आनन्द हिगोरानीको

१ जनवरी, १९३४

वि० विद्या,

तुमारा खत मिला। मैंने तुमको खत लिखा है उसका उत्तर नहीं है। शायद बादमें मिली होगी।

मुझे तो विश्वास था ही कि काकाजी तुमको उत्तर देंगे और अच्छा देंगे।

यदि कराची जाना है तो दिनकी मुसाफरी अवश्य अकेली करो। डर किसीका मत रखो। विश्वास रखो कि ईश्वर रक्षा करनेवाला है। मैं तो तुमको निर्भय, उद्योगी, सबसे मिलनेवाली और शरीरमें मजबूत देखना चाहता हूँ। और यह सब तू बन सकती है उसमें मुझे संदेह नहीं है।

महादेव कैसे है? दूध कितना पीता है? अब तकलीफ देता है? उसे घूनेके लिए ले जाती है?

आनंदके क्या खबर है? अम्यास क्या करती है। हिंदी पुस्तक नित्य पढ़ो। इंग्रेजी भी जितना हो सके किया करो।

बापुके आशीर्वाद

मुल्तान तुमारे नजदीक है। देवदासको मिलोगी तो अच्छा होगा। लेकिन तुमारा दिल चाहे तब ही मिलो। न्यू सेंट्रल जेलमें है। ओम, किशन नजेन है।

पत्रकी साइक्रॉफिल्मसे; सौजन्य: राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा आनन्द टी० हिगोरानी

## ४४३. पत्र : लक्ष्मी गांधीको

१ जनवरी, १९३४

चि० लक्ष्मी,

यद्यपी मैं बहुत बात तो न कर सका तो भी तुमारे मेरे साथ तीन दिन रहनेसे मुझे सतोष हुआ। तुमारी गमगीनी दूर होनी चाहिये। बाका खत आया है उसकी नकल भेजता हूं। पढ सकती है तो पढकर देवदासको भेजो।

पापा<sup>१</sup> से कहो मुझे लिखे। अण्णा<sup>२</sup> के लिये खत<sup>३</sup> साथमें है।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन०-२००३) से।

## ४४४. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

१ जनवरी, १९३४

चि० ब्रजकृष्ण,

यह क्या बात ? एक तार मिला पीछे खत नहीं। तार संतोषजनक था इसलिये मैंने तो मान लिया है कि अब तो बुखार बिलकुल नहीं होगा ; लेकिन मुझे सब हकीकतके साथ पत्र चाहिये। अगर इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो एक तार भी भेजो। बैंगलोर भेजनेसे ठीक होगा। बैंगलोर सिटी करो। हम सब अच्छे हैं।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४०५) से।

१. लक्ष्मी गांधीकी बहन।

२. लक्ष्मी गांधीके पिता च० राजगोपालाचारी। उनको लिखा पत्र उपलब्ध नहीं है।

३. पत्र उपलब्ध नहीं है।

## ००५. वल्लभभाई पटेलको

कड़प्पा (आन्ध्र)  
२ जनवरी, १९३४

भाई वल्लभभाई,

आज इस समय ३ बजकर २० मिनट हुए हैं। दातुन करनेके बाद तुम्हारा स्मरण कर रहा हूँ। इस तरह उठनेसे लिखनेमें बहुत शान्ति मिलती है। दिनमें तो सोता ही हूँ। आजके दिन भी दौरेसे छुट्टी है। तुम चिन्ता न करना। मेरा स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है।

और चूँकि तुम अपने दारेमें कुछ नहीं लिखते इससे ऐसा लगता है कि कही तुम मुझसे कुछ छिपाते हो। ऐसा न करना।

वा को मेरी ओरसे हर सप्ताह नियमपूर्वक पत्र जाता है और जाता रहेगा। उसकी माँगके मुताबिक ('गीता' पर) प्रवचन भेजता हूँ, ठीक उसी तरह जिस तरह यरवडा मन्दिरसे भेजा करता था।

महादेव अब एक ही पत्र लिख सकता है और एक ही प्राप्त कर सकता है और एक पत्रमें अनेक पत्रोंको खपानेकी कोशिश करता है। उसे जीवणजीकी मार्फत पत्र मिलेंगे। उसकी अच्छी परीक्षा हो रही है। इसमें भी एम० ए० की डिग्री हासिल करेगा। वह 'गीता' के अनुवादमें जुटा हुआ है।

किशोरलालके दारेमें तो तुम जानते ही हो। वह अभी भी बुखारका पीछा नहीं छोड़ता। अब उसने ही नाथ<sup>१</sup>, स्वामी और गोमतीकी समिति नियुक्त की है। ये तीनों लोग जैसा कहेंगे वह वैसा ही करेगा।

वा का पत्र कल आया। उसकी नकल ओमने की है। एक तुम्हें भेज रह हूँ। ओम अत्यन्त चंचल लड़की है। उसमें झटपट चीजें सीख लेनेकी हौस भी है। बुद्ध हृदय की है इसलिए तरक्की कर रही है। किसन का स्वास्थ्य गडबड़ा गया है। नहीं तो वह भी खूब काम करनेवाली है। सादी तो दोनो ही हैं। दोनों खूब घुल मिल गई हैं। कल राधाकान्त मालवीय आये थे। वह बर्फमे दूध संरक्षित करनेकी योजना लाये हैं और उसमें मेरा सहयोग चाहते हैं। ऐसे उपक्रममे मेरे सहयोगकी अपेक्षा रखना रेतसे मक्खन निकालना है। ये विलायत जाकर अनुभव प्राप्त कर लौटे हैं, यह बात तो तुम्हें मालूम ही होगी।

मलकानी खूब मेहनत कर रहा है। ठक्कर बापाकी स्थान-भूति कर रहे हैं। सारा स्टाफ पूर्ण सन्तोष देनेवाला है। अभीतक तो काम अच्छी तरहसे चल रहा है।

१. केदारनाथ कुलकर्णी, किशोरलाल मशरूवालाके पुत्र।

...! अपने दाँत दिखाने लगा है . . .पर ठीक कब्जा प्राप्त कर लिया है। अब बहनोको हिस्सा नहीं देना चाहता . . . तीनोंको दिया हुआ मुख्तारनामा रद्द करवाकर नया अपने नाम ही करवा लिया है। इसपर मैंने उलाहना दिया। उसने मुझे उडता-सा उत्तर दिया है। अब मैंने नानालालको लिखा है। इसका कुछ परिणाम निकलेगा, ऐसा नहीं लगता।

आनन्दी, बाबलो, बबु, मोहन, वनमाला, बचु और अमीनाके बच्चे अच्छी तरहकी कर रहे हैं। रामनारायण पाठक<sup>१</sup> हर हफ्ते तीन घंटे देते हैं। जमनादास (गाधी) दुबला-पतला रहता है। वह परेशान भी लगता है। सन्तोषकी माँके देहावसानकी बात तो मैं तुम्हे लिख ही चुका हूँ न? प्रभुदास अपने श्वसुरके गाँवके आसपास कहीं खादी कार्यमें लग जायेगा। अल्मोडामें रहते हुए बहुत ज्यादा खर्च बढ़ जानेकी सम्भावना है।

इस तरह आज जो-कुछ याद आता रहा सो पारिवारिक बजटका ब्यौरा देनेके बाद मैं इस पत्रको समाप्त करता हूँ। मैं मणिको पत्र तो लिखता हूँ लेकिन उसका हाल कहीं महादेव जैसा तो नहीं होगा? तुम्हे इसके बारेमें कुछ मालूम हो तो मुझे लिखना।

तुम दोनोंको अथवा सबको,

वापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-२ : सरदार बल्लभभाईने, पृष्ठ ५७-९

## ४४६. पत्र : मणिबहन पटेलको

कड़प्पा<sup>१</sup>

सवेरे ४ बजेकी प्रार्थनासे पहले

२ जनवरी, १९३४

चि० मणि,

मुझे तेरी ओरसे पत्र सीधे ही मिला करेगे अथवा नहीं यह प्रश्न ही है। सरदारके जरिये तेरी खबर मिलती रहती है लेकिन मुझे उतनेसे सन्तोष नहीं होता। इससे डाह्याभाईको लिखता हूँ। तू लिख सके तो लिखना। शरीर और मनको स्वस्थ रखना। मैं ठीक चल रहा हूँ। बा को हर हफ्ते नियमपूर्वक और लम्बा पत्र लिखा करता हूँ। आज तो सिर्फ इतना ही।

१, २ और ३. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिये गये हैं।

४. एक गुजराती लेखक, उस समय गुजरात विद्यापीठके प्रोफेसर।

५. साधन-सूत्रमें "कड़का" लिखा हुआ है।

पत्र वधाके पतेपर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

श्री मणिवहन पटेल, कंदी  
हिंडलगा सेन्ट्रल प्रिजन  
वेलगाम

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-४ : मणिवहेन पटेलने, पृष्ठ १६

४४७. पत्र : अमतुस्सलामको

२ जनवरी, १९३४

प्यारी बेटी,

मुझे अंग्रेजीमे लिखना होगा, क्योंकि जो कुछ क्षण मैं निकाल सकता हूँ उसीमें लिखना होगा। मैं लिखूँ और तुम्हें खत न मिले, तो मुझे दोष नहीं देना चाहिए। पर कोई खत तुम्हें अगर न मिला, तो उसमें तुमने कुछ गँवाया नहीं है। मेरा सफर इतनी तेजीसे चलता है कि किसीका भी कसूर न होते हुए भी मेरे कुछ पत्र लापता हो जायें तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन अगर मैं लिखता नहीं हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम सबको बराबर याद नहीं करता हूँ। जरूर करता हूँ। परन्तु समयकी कमीके कारण मैं बहुत थोड़ा लिखता हूँ और इसलिए भी कि दूसरोंको लिखनेका मौका मिल सके। मैंने किसी एकको खत लिखा तो वह सबको लिखा हुआ गिना जाना चाहिए।

जबतक तुम लोग रिहा होगी, मैं भारतके धुर दक्षिणी भागमे सफर कर रहा होऊँगा। सिर्फ मुझसे मिलनेके लिए इतनी दूर तक तुम्हें आना ठीक लगता हो तो जरूर आओ। मेरी तुम्हें जोरदार सलाह तो यह होगी कि तुम संयमसे काम लो और जो भी बात करनी हो वह पत्रोंके जरिये करो।

अलवत्ता, तुम्हें अपनी अम्मासे और नारणदाससे भी मिलना चाहिए। दोनों नजदीक ही हैं। लेकिन अन्तिम निर्णय तो तुम्हे करना है। मैं तुमको जो सलाह दे रहा हूँ वही सबके लिए है।

तुमने इतना अच्छा स्वास्थ्य रखा है, इसकी मुझे खुशी है।  
वेलनवहन और दुर्गावहन तथा लीलावतीकी भी खबर मिली है। रिहाई होनेपर वे सब मुझे लिखे। उम्मीद करता हूँ कि तुम सबने अपने समयका सदुपयोग किया होगा।

मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आखिरी वजन १०८ पाँड था। मेरी खुराक है दूध, संतरे और बिना नमककी सादी उबाली हुई एक सब्जी। जब आसानीसे

मिल जाये तो दूसरा फल भी लेता हूँ। वह या तो ताजे अंगूर या अनार। सामान्य तौरपर आजकल मैं खजूर नहीं लेता। मुझे उनकी जरूरत भी महसूस नहीं होती। मेरा काम भोर में ३ बजे शुरू होता है और अक्सर रातको ९ बजे पूरा होता है। हाँ, दोपहरमें थोड़ी-सी नींद लेनेका प्रयत्न रहता है।

तुम्हारी हिन्दी और गुजरातीका लेखन खराब नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि रमजानके रोजेसे तुम कमजोर नहीं हुई होगी। क्या अमीना भी कर रही है? उससे कहना कि उसके बच्चोके बारेमें समाचार मुझे अक्सर मिलते रहते हैं। और वे मजेमें हैं। अभी-अभी उनके उर्दूके उस्तादकी रिपोर्ट मुझे मिली है।

तुम सबको प्यार।

बापू

[पुनश्च:]

ओम और किसन मेरे साथ हैं, और मजेमें हैं।

अग्नेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २८९) से।

४४८. पत्र : सतीशचन्द्र दासगुप्तको

२ जनवरी, १९३४

प्रिय सतीश बाबू,

आपके ३० दिसम्बरके पत्रसे मुझे बहुत राहत मिली है। आपको जो धन मिला है उसका उद्देश्य आपकी तंगीको कुछ दूर करनेका था। आपको अधिकसे-अधिक इतना ही दिया जा सकता था। मैं आशा करता हूँ कि आपके कार्यकर्त्ता अपने कार्यमें सफल होंगे। यह बहुत ज्यादा थकाने और खिझानेवाला काम है। कार्यकर्त्ता लोग जितने हर्षपूर्वक चेक और रूपये स्वीकार करते हैं उतने ही हर्षपूर्वक उन्हें गालियाँ स्वीकार करनेके लिए भी तैयार रहना चाहिए।

यह विचार मुझे पसन्द आया कि डा० राय मेरे दौरेका कार्यक्रम खुद तय करे। आजके अखबारोसे मालूम हुआ कि उनके साथ कोई गम्भीर दुर्घटना हो गई है। उम्मीद है दुर्घटना उतनी गम्भीर नहीं है जितनी कि बताई गई है। मैंने तार तो दिया है लेकिन आप मुझे पूरा ब्यौरा भेजियेगा।

मुझे खुशी है कि आपका जो वजन घट गया था वह अब फिर पूरा हो गया है। लेकिन आपकी काठीको देखते हुए १२८ पौंड काफी नहीं है। कोई कारण नहीं कि आपका शरीर पहले जैसा सुन्दर और सुगठित न हो। शरीरको ईश्वरका साधन मानकर स्पष्ट और आवश्यक सीमाओके भीतर जहाँ तक हो सके वहाँ तक उसे स्वस्थ बनाये रखना आपका कर्तव्य है।

आशा है कि अरुण<sup>१</sup> ठीक चल रहा है। बंगालकी यात्राके दौरान उसे मेरे साथ रहना होगा। लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जायेगा।

सस्नेह

बापू

[पुनश्चः]

'हरिजन' के बंगला संस्करणका क्या हुआ ?<sup>२</sup>

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० १६२६) से।

### ४४९. पत्र : दूधाभाई मालजी डाफडाको

२ जनवरी, १९३४

भाई दूधाभाई,

तुम्हा पत्र मिल गया है। ईश्वरकी कृपासे सब कुछ ठीक हो जायेगा। लक्ष्मी<sup>३</sup> को बच्चा होनेवाला है यह तो मैंने कल ही जाना। मैंने सलाह दी है कि यदि कु० मंजुकेशा बहन जवाबदारी लेती हो तो लक्ष्मीको प्रसूतिके लिए बारडोली जाना चाहिए। अन्यथा अहमदाबादके वाडीलाल अस्पतालमे करना चाहिए। वहाँ सारी सुविधाएँ हैं। और आश्रमकी बहनें भी हैं जो ध्यान रख सकेगी। इस सम्बन्धमे तुमको कुछ कहना या सुझाव देना हो तो मुझे सूचित करना। मारुति<sup>४</sup> और लक्ष्मीका पत्र आनेपर मैं भी निश्चय कर पाऊँगा। मैंने व्यवस्था की है कि तुम्हें 'हरिजन-बन्धु' मिलता रहे। यदि न मिले तो तुम मुझे लिखना। सुन्दरजीभाई क्या मदद किया करते थे? उनका पता देना। मैं सब भूल गया हूँ। साबरमती हरिजन-आश्रममे कन्याश्रम चलता है। उसमे लड़कियाँ भेजोगे? यदि तुम तैयार हो तो मैं पता चलाऊँ। कदाचित् भरती करेंगे। सारे बच्चोको आशीर्वाद।

बापूके आशीर्वाद

श्री दूधाभाई मालजी  
हरिजन शिक्षक  
साथरा, भावनगर स्टेट  
काठियावाड़

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३२५१) से।

१. सतीशचन्द्रका पुत्र।

२. चूँकि बंगला हरिजन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था इसलिए गांधीजीने सतीशचन्द्रको सुझाव दिया था कि वह उसका प्रकाशन-रोक दें।

३. दूधाभाईकी पुत्री जिसको गांधीजीने हरिजन-आश्रममें पाला था।

४. लक्ष्मीके पति।

## ४५०. पत्र : हेमप्रभा दासगुप्ताको

२ जनवरी, १९३४

चिरंजी हेमप्रभा,

तुमारा खत मिला। खादी भी रामके अधीन है। खादीमें राम होगा तो चलेगी और हममें राम होगा तब ही खादी में बसेगा। इसलिये हम खादीके लिये सब प्रयत्न करें लेकिन चिंता न करे। चिंता राम करेगा। चिंता करनेका अधिकार उनका है सेवा करनेका धर्म हमारा है। जितनी चिंता कम करेगी इतनी सफलता ज्यादा मिलेगी। लेकिन निष्फलतामें भी मैं तुमारे चेहरेपर प्रसन्नता ही देखना चाहता हूँ।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० १७०६) से।

## ४५१. भेंट : हरिजन कार्यकर्त्ताओंसे<sup>१</sup>

कढप्पा

२ जनवरी, १९३४

गांधीजी : हरिजन आन्दोलन बुराईकी जड़ तकको छूता है। यदि अस्पृश्यता दूर हो जाती है तो हमे आज जो जातियाँ दिखाई देती हैं वे भी खत्म हो जायेगी।<sup>२</sup>

हरिजन कार्यकर्त्ता : निश्चय ही नहीं।

मैं तो अस्पृश्यताके उग्र रूपकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यह बुराई इतनी फैली हुई है कि यह किसी-न-किसी रूपमें सारे हिन्दू समाजमें व्याप्त है और उसे दूषित बना रही है। ऊँच-नीचका भेद ही अस्पृश्यताका मूल कारण है। यदि अस्पृश्यताका उग्र रूप नष्ट हो जाता है तो बची-बुची अस्पृश्यता भी अवश्य तिरोहित हो जायेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारा आन्दोलन केवल छलना-मात्र सिद्ध होगा। जबतक लोगोके दिलोसे ऊँच-नीचका विचार दूर नहीं हो जाता तबतक अस्पृश्यताको दूर हुआ नहीं कहा जा सकता।

हरिजन कार्यकर्त्ता : तब उस वर्णका क्या होगा जिसकी आप बहुत वकालत करते हैं ?

गांधीजी : मैं उसकी वकालत तो अवश्य करता हूँ लेकिन तब आपको यह जानना चाहिए कि मेरी उसकी परिभाषा क्या है। वर्ण-धर्मकी मेरी परिभाषा वर्तमान

१. इसे चंद्रशंकर शुक्लके "साप्ताहिक पत्र" में से लिखा गया है।

२. एक हरिजन कार्यकर्त्ताने गांधीजीसे पूछा था कि क्या वे जाति-प्रथाको कायम रखनेके पक्षमें हैं।



जातिप्रथासे उतनी ही भिन्न है जितनी कि खड़िया मिट्टीसे पनीर भिन्न है। वर्णधर्म, जैसा कि मैं उसे समझता हूँ, एक आर्थिक नियम है, जो बराबर चालू है, मले ही हम इसे जानते हों या न जानते हों। इसके अनुसार चलनेसे मानव समाजका कल्याण होगा। इसकी अवहेलनाके कारण ही आज सारे संसारमें समाज-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रही है। वर्णधर्मका सिद्धान्त "जिसकी लाठी उसकी भैंस"के सिद्धान्तसे ठीक उल्टा है। यह ऊँच-नीचके सब भेदोंका निराकरण करता है।

हरिजन कार्यकर्त्ता: लेकिन वर्णका जो अर्थ आप लगाते हैं वह अर्थ तो और कोई नहीं लगाता ?

गांधीजी: ऐसा हो सकता है। मनुष्यके विचारोंका विकास ही वास्तवमें शब्दोंके अर्थका विकास है। जिस मूल मन्त्रसे वर्णधर्मके सिद्धान्तकी व्युत्पत्ति हुई है उनमें और 'गीता' के जिन श्लोकोंमें उसका उल्लेख हुआ है उनमें भी यही अर्थ देखनेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। अन्तर्जातीय भोज और विवाह-सम्बन्धी नियमोंका वर्णसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। वर्णधर्मका मुख्य लक्षण घन्घा है।

हरिजन कार्यकर्त्ता: तब तो आप चाहेंगे कि हर व्यक्तिको केवल अपने बाप-दादोंका घन्घा करना चाहिए।

गांधीजी: न तो मैं और न कोई अन्य व्यक्ति ही किसी पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है। वर्ण धर्म कोई मनुष्यका बनाया हुआ अपना कानून नहीं है जिसे वह जब चाहे लागू करे और जब चाहे उसे ढीला कर दे। मनुष्यकी उन्नत अवस्थामें यह सहज हो जाता है। वह चाहे तो उसकी अवहेलना कर सकता है लेकिन इससे उसको ही नुकसान होगा। हर कोई इसका पालन करने अथवा अवहेलना करनेके लिए स्वतंत्र है। इसकी खोज भारतमें की गई थी और लोग ज्ञानपूर्वक तथा कर्मोवेश ईमानदारीके साथ शताब्दियोंसे इसका पालन करते आये हैं। अभी भी अधिकांश लोग अज्ञानपूर्वक और लाचारीवश इसका पालन कर रहे हैं। वर्णधर्मके अनुसार ब्राह्मण और भंगी दोनों एक समान हैं। एक भंगीको भी, यदि वह अपना काम स्वेच्छासे और ईमानदारीके साथ करता है, ईश्वर प्यार करता है, और एक ब्राह्मण भी चाहे वह कितना भी विद्वान क्यों न हो, यदि वह अपना घन्घा नहीं करता तो ईश्वर उससे नाराज हो जाता है। कानून अधिकार प्रदान नहीं करता, बल्कि वह कर्त्तव्योंकी व्याख्या करता है, कानूनका ठीक ढंगसे पालन करने और उसे यथोचित रूपसे मान्यता प्रदान करने पर ही सच्चे लोकतंत्रका विकास हो सकता है। इसलिए मेरे विचारसे, वर्णधर्ममें कोई बुराई नहीं है। हाँ, एक वर्णको दूसरे वर्णसे उच्च माननेमें बुराई है।

हरिजन कार्यकर्त्ता: निश्चय ही आप जिस वर्णधर्मकी बात करते हैं वह आपकी कोरी कल्पना मात्र है। जबकि ठोस सत्य तो यह है कि हम अपने चारों ओर सैकड़ों जातियाँ देखते हैं और हर जाति किसी दूसरी जातिसे उच्च होनेका दावा करती है।

गांधीजी . दुर्भाग्यसे आप जो कहते हैं, वह ठीक है। लेकिन मैंने तो केवल आपके प्रश्नका उत्तर दिया है और जाति तथा वर्णधर्ममें जो महत्त्वपूर्ण अंतर है सो बताया है। जातियाँ तो मनुष्यकी बनाई हुई हैं और ये दिन-ब-दिन कमजोर पड़ती जा रही हैं और नष्ट होकर रहेगी। और मैंने जिस वर्णधर्मकी व्याख्या की है वह भले ही मेरी कल्पनाकी उपज हो लेकिन व्याख्या इसकी काल्पनिक नहीं है। जिस मंत्रके आधार पर इसकी कल्पना की गई है, वह व्याख्या उसमें निहित है और 'गीता' में भी बहुत स्पष्ट शब्दोंमें इसका उल्लेख किया गया है।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १२-१-१९३४

## ४५२. भाषण : कड़प्पाकी सार्वजनिक सभामें

२ जनवरी, १९३४

कड़प्पामें गांधीजीको जो मानपत्र,<sup>१</sup> थैली और उपहार भेंट किये गये उनको स्वीकार करते हुए गांधीजीने कहा कि कड़प्पा नगरपालिकाने अपने यहाँ काम करने-वाले हरिजनोंके लिए सुन्दर घर बनाये हैं। हरिजन लोग इन घरोंको साफ और सुथरा रखते हैं। उन्होंने कहा कि भुझे यह देखकर खुशी हुई है कि उनकी बस्तीमें एक सहकारी समिति, एक मंदिर और जलकी पर्याप्त सुविधाएँ हैं।<sup>२</sup>

यह स्थान देखने योग्य है। मैं नगरपालिकाको नगरके अत्यंत उपयोगी सेवकोंकी खातिर इस तरहके मकानोंकी व्यवस्था करनेके लिए बधाई देता हूँ; अपनी इस यात्राके दौरान मैंने ऐसे मकान अन्यत्र नहीं देखे हैं। मेरी इच्छा है कि अन्य नगरपालिकाएँ भी आपका अनुकरण करें।

गांधीजीने तब सभामें उपस्थित लोगोंसे अनुरोध किया कि हरिजनोंकी स्थितिको बेहतर बनानेके लिए आप लोग मेरे साथ पूरे मनसे सहयोग करें।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ४-१-१९३४ और हरिजन, १२-१-१९३४

१. ये मानपत्र नगरपालिका, दलित वर्ग संघ और जिला बोर्डकी ओरसे दिये गये थे।

२. निम्नलिखित अनुच्छेद हरिजन से लिया गया है।

## ४५३. पत्र : जमनालाल बजाजको

[३ जनवरी, १९३४]

चि० जमनालाल,

कलकत्तेसे लिखा तुम्हारा पत्र मिल गया। लेकिन उससे यह नहीं समझ सका कि तुम सतीशबाबूसे मिले या नहीं। मिले तो होंगे। यह भी नहीं लिखा कि तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है। अब लिखना। शिवप्रसाद बच गये, यही बड़ी बात समझनी चाहिए। यात्रा ठीक तरह चल रही है। मेरा शरीर सोचा था, उससे ज्यादा काम दे रहा है। इसलिए चिन्ता करनेका जरा भी कारण नहीं है। ओमकी गाड़ी ठीक चल रही है। वह ऐसी नहीं है जो किसीको अपने लिए चिन्ता करने दे। मंत्रीपदके लिए धीरे-धीरे तैयार हो रही है। इतनी जागरूकता अभी नहीं आई कि मुझे पूरा सन्तोष हो, परन्तु शरीरको खतरेमें डालकर उसके पीछे पड़ना नहीं चाहता। आसानीसे जितना काम कर सकती है, उतना ही लेता हूँ। किसन मेरे साथ है, यह तो तुम जानते ही होंगे। बहुत भली लड़की है। ओमके साथ खूब घुल-मिल गई है। इसका शरीर जेलमें छीज गया, नहीं तो अच्छी मजबूत थी और मन चंचल था। यात्रासे उसको फायदा हुआ मालूम होता है। इस बार मेरे साथ मलकानी है। इनके विषयमें तो पूछना ही क्या। मेहनत कर रहे हैं। दामोदर ठीक काम दे रहा है। वह मँजा हुआ है। अन्त्यज खातेसे रुपये दिल्ली भेजने थे, सो भेज दिये क्या? गोशीबहनको प्रतिमास कुछ भेजते रहना होगा। वह भी किसी खातेसे निकाल कर देना। मथुरादास जितने कहे, उतने देना। बम्बईसे पूरी रकम उनको मिलनी चाहिए थी, परन्तु उन लोगोंने नहीं दी। अब मैं पत्र-व्यवहार करूँगा, परन्तु इस बीच उसे रुपया अवश्य मिलना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

बुधवार, सुबह प्रार्थनाके पूर्व

जानकीबहन तुम्हारे क्रोधके बारेमें लिखती है सो क्या बात है? उसमें तथ्य हो तो उसे निकाल देना। ओमसे पूछा तो वह भी कहती जरूर है कि मदनमोहन को भी तुम कभी-कभी रुलाते हो।

तारा तो अच्छा काम देनेवाली है ही। उसका शरीर अच्छा रहेगा, तो वह मँज जायेगी। डॉ० शर्मा (दिल्ली)का तार है। उसने अपनी सम्पत्ति १० हजारमें बेची है और ऋणमुक्त हो गया है। अब वह आश्रममें आना चाहता है। अपनी पत्नीके

१. पुनश्च वाला अंश बुधवारको लिखा गया था। उस दिन तारीख ३ जनवरी, १९३४ थी।

साथ आयेगा। उसको मैंने सुझाया है कि वह तुमको लिखे। उसे अपनापनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है। यदि योग्य सावित हो तो अच्छा; नहीं जम पाये तो चला जायेगा।

मुझे विश्वास है तुम अपना स्वास्थ्य सम्हाल कर ही काम करते हो। जानकी वाई सोमण<sup>१</sup> भी वहाँ रहना चाहती है। जहाँ विद्या आदि अन्य बहने थी वहाँ उनकी व्यवस्था हो सकती है?

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९२८)से।

### ४५४. भाषण : पेड्डावाडगुरुमें

३ जनवरी, १९३४

महात्माजीने लोगोंको मानपत्र और थैलीके लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे इस रकम<sup>२</sup>को केशव विद्यानिलयके लिए रखनेमें कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि एक ठोस योजना और कार्यकर्ता मिल सकें। यह स्कूल स्वर्गीय पी० केशव पिल्लेकी स्मृतिमें खोला गया था और इसमें छात्रावासकी व्यवस्था भी थी। गांधीजीने कहा कि जो भी पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे निःसन्देह हरिजनोंको शिक्षा देने और उनके उत्थानके लिए अन्य सुविधाएँ प्रदान करनेपर खर्च किया जायेगा। श्रद्धांशुकी इस प्रक्रियाको सम्पूर्ण बनानेके लिए, हम सबको हरिजनोंके प्रति किये गये अपने दुर्व्यवहार और पापोंके पश्चात्तापस्वरूप इस प्रक्रियासे गुजरना होगा। केवल अनुदान देना अथवा शारीरिक रूपसे छुआछूतको दूर करना भर पर्याप्त नहीं होगा। सबसे जरूरी तो यह है कि ऊँच-नीचका भेद स्पृश्य और अस्पृश्यका विचार भी लोगोंके दिलोंसे दूर हो जाना चाहिए। यदि लोग अपने मनको बशमें रख सकें तो ऐसा करना आसान है। लेकिन सामान्यतः बात इससे ठीक उल्टी है और इसी कारण यह सारी मुसीबत है। यदि अस्पृश्यता बनी रही तो हिन्दू-धर्मका नाश हो जायेगा। मैं भगवानसे प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको हरिजन सेवा करनेके लिए और इस बुराईको दूर करनेके लिए पर्याप्त मनोबल और इच्छा शक्ति प्रदान करे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-१-१९३४

१. डॉ० रामचन्द्र जे० सोमण्डी भाँ।

२. यह राशि रु० १,११६ थी।

## ४५५. महिलाओंके सम्मुख दिये गये भाषणोंके कुछ अंश<sup>१</sup>

[४ जनवरी, १९३४ से पूर्व]<sup>२</sup>

महिलाओंका सच्चा आभूषण उनका चरित्र है, शुचिता है। घातु और पत्थर कभी भी सच्चे आभूषण नहीं हो सकते। सीता और दमयन्ती जैसी महिलाओंके नाम यदि वे कोई आभूषण पहनती थी तो उन आभूषणोंके कारण नहीं, बल्कि उनके निर्मल गुणोंके कारण हमारे लिए पवित्र हो गये हैं। मैं आपसे अपने आभूषण देनेके लिए जो कहता हूँ सो उसका व्यापक महत्व है। कुछ बहनोंने मुझे बताया है कि अपने हीरे-जवाहरातोंसे छुटकारा पानेपर वे और भी अच्छा महसूस करती हैं।<sup>३</sup>

मैंने इसे कई दृष्टियोंसे एक पुण्य-कार्य माना है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तबतक सम्पत्तिका अधिकारी नहीं हो सकता जबतक वह उस सम्पत्तिका एक उचित हिस्सा गरीबों और असहायोंको नहीं देता। यह एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य है और 'भगवद्गीता' में इसे यज्ञकी संज्ञा दी गई है। जो व्यक्ति ऐसा यज्ञ नहीं करता वह चोर कहलाता है।<sup>४</sup> 'गीता' में बहुत प्रकारके यज्ञ गिनाये गये हैं; लेकिन गरीबों और जरूरतमन्द लोगोंकी सेवा करनेसे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है? आज हमारे लिए इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है कि हम ऊँच-नीचेके भेदको भुला दें और सब मनुष्योंको समान मानें। मैं भारतकी महिलाओंको यह समझाना चाहता हूँ कि सच्चा अलंकरण शरीरपर घातु और पत्थर लदना नहीं बल्कि हृदयको शुद्ध करना और आत्माके सौन्दर्यको निखारना है।

एक अन्य अवसरपर गांधीजीने महिलाओंको स्वर्गीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के त्यागकी कथा सुनाई।<sup>५</sup> श्रीमती अन्नपूर्णा देवी आन्ध्र में पहली महिला थीं जिन्होंने अपनी बहनोंके आगे त्याग और सेवाका अनुपम उदाहरण रखा था। गांधीजीने बताया :

पहले ही दिन जब वह मुझसे मिली तब उन्होंने एक-दो नहीं बरन् अपने सारे जेवर उतार कर मुझे दे दिये। उस अवसर पर जितनी भी महिलाएँ उपस्थित थीं वे सबकी-सब आश्चर्यचकित रह गईं और फिर वहाँ एकाएक जेवरोंकी बरसात होने लगी। क्या आप समझती हैं कि गहने उतार देनेपर वे कम सुन्दर लग रही थीं?

१. चन्द्रशंकर शुक्लके "साप्ताहिक पत्र" से उद्धृत।

२. आन्ध्रमें जो सभाएँ हुई थीं, साधन-सूत्रमें उनकी तारीखें अथवा स्थानोंके बारेमें कुछ नहीं बताया गया है। गांधीजीने ४ जनवरीको आन्ध्र छोड़ा।

३. नीचे-जो दिया गया है वह किसी अन्य सभामें कहा गया था।

४. गीता, अध्याय ३, १२।

५. देखिए खण्ड ३५, पृष्ठ २०२-३।

दरअसल मुझे तो वे और भी सुन्दर दीख पड़ी। अंग्रेजीमे एक कहावत है : "सुन्दर वही है जो सुन्दर कार्य करता है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १२-१-१९३४

### ४५६. पत्र : एफ० मेरी बारको

तुमकुर

४ जनवरी, १९३४

चि० मेरी,

बहुत समयसे तुम्हारा कोई पत्र नही आया। डंकन ठीक रहा। वह सारे रास्ते हमारे साथ था, और अड्यारमे भी मैं उससे एक क्षणके लिए मिला था क्योंकि मैं श्रीमती बुडके कहनेपर अड्यार गया था। मुझे अवश्य बताना कि तुम्हारी कैसी चल रही है। आशा है चन्द्रा खूब फूलफल रही है और तुम्हे परेशान नही करती। मैं यह पत्र तुम्हारे गाँवके पतेपर भेज रहा हूँ हालाँकि तुम्हे अब वर्धामे होना चाहिए। उम्मीद है तुम्हारी आँखें पहलेसे बेहतर है।

सस्नेह,

बापू

श्रीमती मेरी बार

मार्फत सेठ दीपचन्दजी

बैतूल

मध्यप्रान्त

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ६०१७) से।

### ४५७. भाषण : डोड्डाबल्लापुरमे

४ जनवरी, १९३४

गांधीजीने नागरिकोंको थैलीके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे आशा है कि यदि आपने अस्पृश्यताके विचारको पहले ही अपने हृदयसे निकाल नहीं दिया है तो अब निकाल देंगे। मैंने आपके अभिनन्दनपत्रमें पढ़ा है कि डोड्डाबल्लापुरमें ८०० हरिजन हैं और हरिजन बच्चोंमें से पचास प्रतिशत स्कूलोंमें पढ़ रहे हैं। इसके लिए आप बधाईके पात्र हैं। लेकिन यह दिखाकर कि उतने सारे हरिजन बच्चे हरिजन स्कूलोंमें पढ़ते हैं, आप सम्भवतः अपनेको सन्तोष नहीं दे सकते। आप लोगोंके लिए हरिजन बालक-बालिकाओंको पढ़ाना जरूरी है और इसके लिए यह आवश्यक है कि

आप अपने हृदयोंमें से अस्पृश्यताके विचारको बिल्कुल निकाल दें। किसी भी व्यक्तिको अस्पृश्य मानना गलत है। आप सब लोगोंको यह भूल जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपसे नीचा है। अन्तमें गांधीजीने कहा, मुझे आशा है कि अस्पृश्यताके अन्निशापको मिटानेके लिए ईश्वर आप सबको बल प्रदान करेगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-१-१९३४

## ४५८. बातचीत : कार्यकर्त्ताओंके साथ<sup>१</sup>

मुमकुर

४ जनवरी, १९३४

हरिजनों द्वारा मन्दिर प्रवेशके सम्बन्धमें गांधीजीसे प्रश्न किये गये। गांधीजीने कहा कि मन्दिर प्रवेशको लेकर लोगोंमें विरोधकी भावना कम होती जा रही है और इस कार्यके सम्बन्धमें अपनी यात्राके दौरान मुझे लगभग कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ा है।

गांधीजीसे यह पूछे जानेपर कि यदि बहुमत मन्दिर-प्रवेशके पक्षमें हो और सरकार तटस्थ रहे तो उन्हें क्या करना चाहिए, गांधीजीने कहा :

बहुमत पक्ष और अल्पमत पक्ष द्वारा इस बातका आपसमें ही निपटारा कर लिया जाना चाहिए। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब अल्पमत पक्ष और बहुमत पक्षमें संघर्ष होगा तभी सरकार हस्तक्षेप करेगी और वह भी शान्ति और व्यवस्था कायम रखनेके लिए। अल्पमत पक्ष बहुमत पक्षकी राहमें बाधा उपस्थित नहीं कर सकता।

एक अन्य प्रश्नके उत्तरमें महात्मा गांधीने कहा कि पूर्ण बहुमत नामकी कोई चीज नहीं होती।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-१-१९३४

१. इनमें के० रंगा अय्यंगर, टी० सुब्रामण्यम, नारायण सेहो और अन्य कार्यकर्त्ता शामिल थे।

## ४५९. भाषण : तुमकुरकी सार्वजनिक सभामें'

तुमकुर

४ जनवरी, १९३४

आपसे मिलकर परिचय ताजा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपके लिए नया नहीं हूँ और आप मेरे लिये नये नहीं हैं। लेकिन कुछ वर्ष पहले मैं जिस उद्देश्यको लेकर यहाँ आया था' आज उससे भिन्न उद्देश्यको लेकर आपके पास आया हूँ। आपके मानपत्रमे ही यह बात साफ तौरपर बताई गई है कि मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूँ। आज आपने मुझे हरिजनोकी ओरसे जो थैली भेट की है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मानपत्रमे आपने मेरे अनेक गुण गिनाये हैं जिनसे मैं सम्भवत सर्वथा अपरिचित हूँ। आपने मेरी जो ठेरो प्रशंसा की है, हो सकता है, मैं उसके सर्वथा अयोग्य होऊँ। आपने यह स्वीकार करनेकी शालीनता दिखलाई है कि आपको दिन-ब-दिन इस बातका विश्वास होता जा रहा है कि हमारे समाजसे अस्पृश्यताके निराकरणसे न केवल हिन्दू धर्म शुद्ध हो जायेगा वरन् इससे हमारी राष्ट्रीय कमजोरी राष्ट्रीय शक्तिमे परिवर्तित हो जायेगी और इससे विभिन्न धर्मोंको माननेवाले हम लोगोमे परस्पर और भी एकता बढेगी। आपकी इस स्वीकारोक्तिके बाद मैंने सोचा था कि आप हरिजनोके लिए किये गये अपने अनेक कार्योंके बारेमें मुझे बतायेगे। आपने इस बातपर खेद व्यक्त किया है कि इक्के-दुक्के लोगोके प्रयत्नोको छोड़कर आपने अस्पृश्यता-निवारणके लिए अबतक बहुत कम काम किया है। यदि हम सचमुच यह मानते हैं कि ईश्वरकी इस धरतीपर न कोई ऊँच है और न कोई नीच है तो हमारा यह उद्देश्य सफल हो जायेगा जिस उद्देश्यसे प्रेरित होकर मैं आज यहाँ आया हूँ। ऊँच-नीचके हमारे इस विश्वासने हिन्दू धर्मकी जड़ें खोखली कर डाली हैं और मैंने हजारो सभाओमे जो बात बार-बार कही है वह सिर्फ यह सीधा-सादा सत्य है कि यदि हम इस नासूरसे छुटकारा नहीं पा लेते तो स्वयं हिन्दूधर्म ही नष्ट हो जायेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ और भगवानसे प्रार्थना करता हूँ कि इस सभामे जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें से हर कोई मैंने जो कहा है उसकी सत्यताको पहचानेगा और अस्पृश्यताके अभिशापसे छुटकारा पानेका हर सम्भव प्रयत्न करेगा।

इसके बाद सहात्माजीने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि वे शहरके अन्य सभी भागोंमें नहीं जा सकते जैसीकि उनकी इच्छा थी। शारीरिक कमजोरीके कारण

१. गांधीजी देशबंधु स्मारक कोषके सिलसिलेमें अप्रैल १९, १९२७ में मैसूर गये थे और स्वास्थ्य लाभ करनेके लिए वहाँ अगस्तके अंत तक रहे थे; देखिये खण्ड ३३ और ३४।



वे उन सार्वजनिक संस्थाओंमें नहीं जा सकते जो उपयोगी काम कर रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तुमझुरके लोग अपनी इच्छाको कार्यरूपमें परिणत करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-१-१९३४

## ४६०. भाषण : बंगलौरकी महिला सभामें'

४ जनवरी, १९३४

वहनों,

-कई वर्षोंके बाद आपसे फिर मिलनेपर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपने अपने मानपत्रके शुरूमें मेरे स्वास्थ्यपर लगातार यात्रा करनेके कारण पड़नेवाले प्रभावके बारेमें चिन्ता व्यक्त की है। और यदि आप, भारतकी माताएँ, अपने बच्चोंको लेकर परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? और मैं आपके लाखों बच्चोंमें से एक हूँ। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं आज आपको जो सन्देश देनेके लिए आया हूँ उसके अनुरूप आचरण करके आप मेरी चिन्ताको दूर कर सकती हैं। मैं जिस उद्देश्यको लेकर यह यात्रा कर रहा हूँ उसके लिए मुक्त हृदयसे दान देकर आप मेरी चिन्ता हर सकती हैं। आपकी तरह भारतके अन्य भागोंकी वहनें भी मेरे स्वास्थ्यको लेकर दुःखी व चिन्तित हुईं और उन्होंने मुझपर अपने आभूषणोंकी — चूड़ियों, अँगूठियों और गलेके हारोंकी वर्षा कर दी। आप मुझे चाँदी अथवा ताँबेके जो भी सिक्के देंगी, सच पूछा जाये तो वे हमारे रिवाजके मुताबिक आपकी अपनी सम्पत्ति नहीं है। वह तो आपके माता-पिता अथवा आपके पतिकी सम्पत्ति है। लेकिन मैं आपसे ऐसी चीज चाहता हूँ जिसे आप निश्चित रूपसे अपनी कह सकें और वह केवल आपके आभूषण हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जिन चीजोंकी अपेक्षा करता हूँ उनमें से आभूषणोंका त्याग करनेकी बात तो सबसे नगण्य है। आभूषण — त्याग तो मेरे सन्देशको पूरी तरहसे क्रियान्वित करनेके आपके दृढ़ निश्चयका सूचक भर हो सकता है। और वह सन्देश यह है कि आपको हरिजनोंको सगे भाई-वहनों अथवा अपने बच्चों जैसा समझना चाहिए। किसी भी व्यक्तिको अस्पृश्य मानना गलत है और पापपूर्ण है। ईश्वरने सब पुरुषों और स्त्रियोंको समान बनाया है। हालाँकि हमारे स्वरूप और स्वभाव भिन्न-भिन्न हो सकते हैं लेकिन फिर भी मूलतः हम सब एक हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह एक वृक्षकी पत्तियाँ, चाहे वे आकारमें बड़ी हों अथवा छोटी, वस्तुतः एक ही होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अस्पृश्यों और स्पृश्योंमें कोई भेद न करें। इसीको मैं हृदयकी गुद्धि कहता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ५-१-१९३४

१. यह सभा आर० बी० ए० एन० एम० हाई स्कूलके अहातेमें हुई थी जिसमें ५,००० महिलाएँ उपस्थित थीं।

## ४६१. भाषण : बंगलौरकी सार्वजनिक सभामें

४ जनवरी, १९३४

मित्रो, आपके स्वागतने मेरा हृदय छू लिया है। आपके इतने सब उत्साहका और मेरे प्रति आपने अपने प्रेमका जो प्रदर्शन किया है, उसका मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। इसलिए यदि आप धीरजके साथ कुछ मिनट मुझे बोलनेको दे, तो आप देखेंगे कि आपके इस अपूर्व उत्साह और प्रेमका मैं सदुपयोग करूँगा। जो बात मैं करने जा रहा हूँ, उससे आपके उत्साह और आपके प्रेमकी सच्चाईकी परीक्षा भी हो जायेगी।

मैं आज आपको जो सन्देश सुनाना चाहता हूँ उसे तो आप जानते ही हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग, हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति, अस्पृश्यताका काला दाग धोकर अपने दिलको शुद्ध कर ले। मैसूर राज्यकी सीमामें प्रवेश करनेके बाद आज मुझे जो बहुत-से मानपत्र प्राप्त करनेका सौभाग्य और सुख प्राप्त हुआ है उनमें से एक मानपत्रमें यह ठीक ही कहा गया है कि अस्पृश्यताका अभिशाप हिन्दू-समाजमें इस हद तक व्याप्त हो गया है कि वह लगभग हमारे जीवनको संचालित करता है। उस मानपत्रमें यह भी कहा गया है कि अस्पृश्यता-निवारणका जो सन्देश मैं भारतके हिन्दुओंको देनेका प्रयत्न कर रहा हूँ उसका असर पड़ रहा है। मानपत्रमें यह भी स्वीकार किया गया है कि अस्पृश्यताके विषसे अगर हमारा पिंड छूट गया, तो यह निश्चय है कि भारतकी दूसरी जातियोंके भी पारस्परिक मतभेद दूर हो जायेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपमें से प्रत्येक व्यक्तिसे क्या करनेको कह रहा हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि अस्पृश्यताके जहरसे आप सब लोग अपना पिंड छुड़ाइए, जिससे कि हम सभी 'हरिजन' बन सकें, ईश्वरकी सच्ची सन्तान बन सकें, और केवल एक विशेष वर्गको ही हरिजन न मानते रहें।

आज अगर हम अपना अशुद्ध हृदय लेकर अपने सिरजनहारके सामने जायें, तो वह हमें अपनासे इनकार कर देगा क्योंकि हमने तो अपनी करतूतोंसे खुद ही अपने परमपितासे नाता तोड़ लिया है। आप लोगोंने मुझे जो यह छोटी-सी थैली दी है उसे मैं आपके इस संकल्पका प्रतीक मान रहा हूँ कि आजसे आप अपनी यह मान्यता छोड़ रहे हैं कि संसारमें कोई प्राणी आपसे नीच है। अगर दुनियाके किसी माता-पिताकी दृष्टिमें उसके बच्चोंमें कोई ऊँच-नीचकी श्रेणियाँ नहीं हैं, तो क्या आपका यह खयाल है कि वह न्यायकारी समदर्शी जगत्पिता अपने बच्चोंमें ऊँच-नीचकी विषम श्रेणियाँ रचेगा? यदि आप लोगोंने मेरे सन्देशके सारतत्वको भली-भाँति समझ लिया है, तो यह बात भी आपकी समझमें आ जायेगी कि जो

हरिजन-सेवाके निमित्त धन देते हैं, उन्हें उसका लाभ मिलता है। मैं और आगे जाकर कहता हूँ कि आप इस कार्यके लिए जितना कुछ भी दें, वह कम ही है।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ५-१-१९३४

## ४६२. उदार दृष्टि रखिए<sup>१</sup>

अपने अनेक प्रवासोंमें मैंने देखा है कि मेहमानोंकी भोजन-सम्बन्धी सुविधाएँ पूरी करनेमें स्वागत-समितियाँ पैसेका जरा भी ध्यान नहीं रखती। मिठाइयाँ, दूसरे स्वादिष्ट खाद्य और तरह-तरहके पकवान बनवानेका वे आग्रह करती हैं। यों तो मैंने हमेशा ही इन बातोंको नापसन्द किया है; पर इस समय तो, जबकि मैं हरिजन-सेवाके सम्बन्धमें धन इकट्ठा कर रहा हूँ और जिसे मैं प्रायश्चित्त और धर्म-शुद्धिका कार्य समझता हूँ, मेहमानीमें इस तरहकी फिजूलखर्ची देखकर मुझे दुःख होता है। दो स्थानोंमें मैंने देखा कि गुजराती रसोई तैयार करानेके लिए गुजराती रसोइये बुलाये गये थे। इसे मैं विलकुल अनावश्यक समझता हूँ। मेरा विश्वास है कि अपने प्रान्तसे इतर प्रान्तोंमें जैसा खाना खाया जाता है, उसे खानेकी ही हमें आदत डाल लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह बात जितनी आसान लगती है, उतनी है नहीं। मैं ऐसे दक्षिणवासियोंको जानता हूँ जिन्होंने गुजराती खाना खानेकी आदत डालनेका काफी प्रयत्न किया, पर वे असफल ही रहे। गुजराती लोगोंको दक्षिणी रसोई अच्छी नहीं लगती। जो स्वादिष्ट चीजें बंगालमें बनती हैं, वे दूसरे प्रान्तवालोंको सहज ही नहीं रुचेंगी। यदि प्रान्तीयके स्थानपर हमें राष्ट्रीय बनना है, तो हमें भोजन-सम्बन्धी अपनी आदतोंमें अदल-बदल करनी ही पड़ेगी, अपने स्वादोंमें सादगी लानी ही पड़ेगी, और ऐसे स्वास्थ्यकर व्यंजन तैयार करने होंगे, जिन्हें हम सभी लोग रुचिपूर्वक खा सकें। इसका अर्थ यह हुआ कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों, जातियों और सम्प्रदायोंके आहारोंका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाये। दुर्भाग्य या सौभाग्यसे भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके भिन्न-भिन्न प्रकारके आहार हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एक ही प्रान्तमें भिन्न-भिन्न जातियोंमें भी अलग-अलग किस्मके भोजन हैं। इसलिए राष्ट्र-सेवकोंके लिए यह जरूरी है कि वे भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके आहारों और उनके बनानेके तरीकोंका अध्ययन करें और ऐसी सादी और सस्ती आम खुराकको ढूँढ़ निकालें, जिसे सब लोग बिना पेटको विगाड़े खा सकें। कुछ भी हो, सेवकोंके लिए विविध प्रान्तों और सम्प्रदायोंके शिष्टाचार और रीति-रिवाजोंका न जानना एक शर्मकी बात है। समृद्ध घरानोंके रसोइयोंको भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें खाये जानेवाले आहारोंको बनाना जानना चाहिए। तमिल, बान्ध्र या बंगालके व्यक्तिका साधारणतया जो भोजन है, उसे एक गुजराती क्यों न बना

१. यह मूल लेख अंग्रेजीमें है। इसका गुजराती अनुवाद ३१-१२-१९३३ के हरिजनबन्धु में पहले

सके? मैं जानता हूँ कि बड़े आदमियोंके यहाँ भोजनमें ऐसी सामान्यताका होना सम्भव नहीं, और न ऐसा आवश्यक या वाछनीय ही है। समृद्ध घरानोंके आदमी भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके व्यंजन तो बनवाते ही हैं, वे अपने परिवारके लिए भी विशेष व्यंजन बनवाते रहते हैं, पर इनका सर्वत्र प्रचार नहीं हो सकता। उद्देश्य तो यह हो सकता है और होना भी चाहिए कि सर्व-साधारणके लिए ऐसा खाना बनवाया जाये, जिसे सभी खा सके। मैं जानता हूँ कि अगर हम चाहें तो यह आसानीसे हो सकता है। पर इसे सम्भव बनानेके लिए स्वयंसेवकोंको रसोई बनाना सीखना पड़ेगा और इस कामके लिए उन्हें विभिन्न प्रान्तोंके आहारोंके गुण-दोषकी जाँच करके सभी प्रान्तोंमें प्रचलित ऐसे सामान्य व्यंजनोंको खोज निकालना होगा, जो आसानीसे और सस्तेमें तैयार हो सके।

अपने मुख्य विषयसे मैं कुछ हट गया हूँ और वह मुख्य विषय यह है कि प्रान्तोंमें मेरे प्रवासके प्रबन्धकोंको हमारा ज्यादा लाड-प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जिमानेमें उन्हें काफी सादगी और कफायतशारी से काम लेना चाहिए। याद रहे कि हम यह आत्मशुद्धिका कार्य कर रहे हैं या इसका दावा कर रहे हैं और हम सवर्णोंके प्रतिनिधियोंने हिन्दू-समाजके दलितोंकी सेवाका भार अपने ऊपर ले रखा है। ऐसी दशामें हमें अपनी अत्यावश्यक जरूरतों और मामूली सुविधाओंकी पूर्तिके सिवा अन्य किसी प्रकारकी आवश्यकताको पूरी करनेका अधिकार नहीं है। तली हुई चीजों और मिठाइयोंसे तो खास परहेज करना चाहिए। घी का उपयोग बहुत ही कम किया जाये। एक से ज्यादा हरी सब्जी अनावश्यक है, और वह भी उबली हुई होनी चाहिए। महँगे फल भी कभी न मँगाये जाये। मैं जानता हूँ कि फलोंके सम्बन्धमें मैं ही गुनहगार हूँ। मेरे मित्र मेरा लाड-प्यार करेंगे और कुछ भी कष्ट उठाकर महँगेसे-महँगा फल मँगाकर मुझे देंगे। मैं उन्हें इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि संतरोके सिवा और कोई फल मेरे लिए आवश्यक नहीं है और यह बात अनुभवसे साबित हो चुकी है कि सन्तरे मेरे लिए आवश्यक है। अपने मिताहारकी शेखी बघारने पर भी मैं जानता हूँ कि अपने दलमें मेरी ही खुराक पर सबसे अधिक खर्च पड़ता है। मुझे इसका दुःख है, मगर बकरी माताका दूध, जिससे मैं अपनी शारीरिक शक्ति कायम रखता हूँ, और सन्तरे, जिनकी बदौलत मैं सदा ताजा और प्रसन्न रहता हूँ, ये दोनों ही चीजें सस्तेपनमें चावल और गेहूँका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी मेहमानी उठानेवाले अपने अनेक मेजबानोंसे मेरी विनती है कि वे मन लुभानेवाली व्यर्थकी चीजें बाहरसे मँगा-मँगाकर मेरे सिर पर और ऋण न चढ़ायें। यदि हरिजनोंके प्रति कर्त्तव्य-पालन करनेमें वे मुझे सहायता देना चाहते हैं, तो कृपाकर वे मेरी कमजोरियोंको न भड़कायें।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, ५-१-१९३४

## ४६३. पत्र : महालक्ष्मी एम० ठक्करको

५ जनवरी, १९३४

चि० महालक्ष्मी,

मैंने तुम्हें जेलमें पत्र लिखा था, वह मिल गया था? माधवजीका आखिरकार क्या हुआ, यह मुझे अभी तक मालूम नहीं हो पाया। बच्चोंकी चिन्ता जरा भी नहीं करनी है। माधवजीने विचारपूर्वक और मुझसे सलाह करके जो कुछ किया है उसे ठीक समझना। फिर भी जैसा तुम्हें जँचे वैसा करना। वहनोके बारेमें मेरी इच्छा है कि उन्हें विचारकी, आचारकी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। मुझे सब-कुछ लिखती रहना। जेलमें क्या किया? क्या पढ़ा? यह सब लिखना। 'हरिजन वन्धु'के अंक पढ़ती रहना।

दापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन०, ६८२५)से।

## ४६४. पत्र : प्रभावतीको

५ जनवरी, १९३४

चि० प्रभावती,

एकके बाद एक तेरे दो पत्र मिले।

राजेश्वरके लिए मैंने घनश्यामदासके साथ बन्दोवस्त किया है। मुझे उसका पता भेजना। उसे कबसे पैसे नहीं मिले हैं?

तेरे और जयप्रकाशके सम्बन्धमें मैंने किस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया है? मुझे ऐसा खयाल है कि तुम्हारे पत्रसे सम्बन्धित सभी प्रश्नोंका उत्तर मैंने दे दिया है। सम्भव है कि मेरा यह पत्र तुम्हारे हाथ ही न पड़ा हो। यदि उत्तर न मिला हो तो मुझे दुवारा फिर पूछना।

चूँकि तूने उपचार शुरू किया है इसलिए उसे अवश्य आजमाना। विश्वास तो मुझे भी कम ही है। तू और जयप्रकाश ठीक हो जाओ तो अच्छा होगा। तुझे तो मैंने बीमार माना ही नहीं है। लेकिन यदि डॉक्टर ऐसा कहे तो क्या करें?

मैंने अपना वजन अभी नहीं लिया है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा ही है। खुराक भी उचित प्रमाणमे लेता हूँ।

व्रजकृष्ण विल्कुल ठीक हो गया है। अब थोड़ा घूमता फिरता है। देवदास एकाएक जेलसे रिहा हो गया है। मुझे और कुछ मालूम नहीं।

बा के पत्र आते रहते हैं। किसन फिलहाल तो मेरे साथ ही दौरे पर रहेगी। वह ठीक रहती है। थोड़ी-थोड़ी मदद भी करती है। विद्याकी तवीयत अच्छी न थी और उसके पास जो लड़की थी वह चोर निकली, इसलिए विद्या अपने पिताके यहाँ गई है।

राजेन्द्रदावूके वारेमे तूने जो लिखा है सो मैं समझा। उनसे कहना कि मैंने पत्र लिखा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३४३९) से।

## ४६५. पत्र : बी० एल० फड़केको<sup>२</sup>

५ जनवरी, १९३४

भाई मामा,

तुम्हारा पत्र मिला। सस्थाओका स्वामित्व हरिजन सेवक सघको नहीं सौपना है। पर मेरा सुझाव है कि उसका खर्च हरिजन सेवक संघ दे। अतः अब भविष्यमें सघको समाधान देनेकी बात ही रही। जो अपना खर्च चलायेगा उसे हिसाब और कारोबार चलानेका सन्तोष प्रदान करना तो जरूरी ही है न?

सरदारके पत्रमे जो बात है उसका अर्थ परलोक नहीं है उसका अर्थ तो जेल या जेलके बाहर है। वह भी तो परलोक ही हुआ न? उसे ऐहिक परलोक कहे तो चलेगा। पर इस अर्थसे तुम्हे चौंकने या चिन्तामे पड़नेकी जरूरत नहीं है। तुम्हे तो अपने . . . में ही मशगूल रहना है। ऐहिक परलोकमें जानेकी बारी जिसके लिए जरूरी होगी, उसके लिए आ जायेगी। यह तो आजकलकी ही बात है। मेरे सम्बन्धमे तो 'हरिजन वन्धु' में देखते ही होगे।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३८२७) से।

१. २ जनवरी, १९३४ को।

२. गोधरा हरिजन आश्रमके प्रबन्धक।

३. साधन-क्षेत्रमें यहाँ स्पष्ट नहीं पढ़ा जाता।

## ४६६. पत्र : जीवनजी डाह्याभाई देसाईको'

मैसूर

५ जनवरी, १९३४

भाई जीवनजी,

गोरखाके सम्बन्धमे मेरे साथ हुए संवादको मैं देख गया हूँ। यह ठीक-ठीक दिया गया है इसलिए इसका उपयोग करना हो तो कर सकते हो।

विद्यापीठकी लाइब्रेरीका कब्जा म्युनिसिपैलिटीने ले लिया या हाल हमको ही पुस्तकें जमानी पड़ी है। लाइब्रेरीका मकान बनना शुरू हुआ? यदि न हुआ हो तो कब होगा? बालूभाईसे पूछकर लिखना।

प्रेसमें अब कोई मशीनें बची है या सारी गई? प्रकाशनकी पुस्तकोंके सम्बन्धमे कुछ हुआ?

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

सम्वादकी प्रति<sup>१</sup> इसके साथ है।

काकाको पत्र लिखा था सो मिला होगा। उसमे मैंने तुम्हे महादेवके लिए कुछ लिखा है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १९३३) से। सी० डब्ल्यू० ६९०८ से भी; सौजन्य : जीवनजी डाह्याभाई देसाई

## ४६७. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

मैसूर

५ जनवरी, १९३४

चि० ब्रजकिसन,

मैंने दो पत्र लिखे हैं। एककी भी पहुँच तुम्हारे पत्रमें नहीं है। श्रीनगर नामका कोई गाँव आंध्र देशमें नहीं है, इसलिए तुम्हारा पत्र शायद काश्मीर गया होगा। मैंने जो अडेस भेजा था वह तो सीतानगरम् था। ईश्वरका बड़ा अनुग्रह हुआ कि तुमको मृत्युघाँयासे उसने उठाया है। अब बड़ी सावधानीसे शरीर जो था उससे भी

१. नवजीवन संस्थाके प्रधान व्यवस्थापक।

२. यह उपलब्ध नहीं है।

अच्छा बनाओ। डॉ० अन्सारी कहे उसका अक्षरशः पालन करो। रामबाबूने क्यों छोड़ दिया? नया घर कितने महिनोके लिए रखा है? क्या किराया पड़ता है। मेरी मुसाफरी अच्छी तरह चल रही है।

बापूके आशीर्वाद

पत्रकी फोटो-नकल (जी० एन० २४०६) से।

### ४६८. भाषण : हरिजनोंकी सभामें

मैसूर

५ जनवरी, १९३४

आपको आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकारके स्वास्थ्य और सफाईके नियमोका पालन करना चाहिए। आन्तरिक शुद्धिके लिए आपको भगवानका नाम लेना चाहिए — सवेरे सोकर उठनेके बाद सबसे पहले यही काम करना चाहिए। यह आत्माके लिए नास्ता है।

जब उन्हें बताया गया कि बस्तीके हरिजनोंने गो-मांस खाना छोड़ दिया है तब उन्होंने कहा :

आपने गो-मांस खाना छोड़ दिया है, मेरे लिए यह अत्यन्त खुशीकी बात है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं चाहूँगा कि मद्यपानके विषयमे भी आप ऐसा ही कह सकें। ऐसे रंगीन पानीपर पैसा खर्च करनेमें क्या फायदा जो हमें इतना उन्मत्त कर दे कि हम माँ, बहन और पत्नीके भेदको भूल जायें? मैंने हरिजनोसे सुना है कि उनके लिए विवाह तथा मृत्युके अवसरपर शराब पीनेका विधान है। मैं आपसे कह सकता हूँ और इसका कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता कि यह शैतानकी सुझाई हुई बात है। शास्त्रोमे ऐसा कही नहीं लिखा गया है। मैं आप भाइयो और बहनोसे अनुरोध करूँगा कि आप शैतानके निकट न जायें। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी सलाह को मानेंगे और तब मुझे बहुत खुशी होगी जब आप यह कह सकेंगे कि आपने शराब भी छोड़ दी है।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-१-१९३४



## ४६९. भाषण : मैसूरकी सार्वजनिक सभामें

५ जनवरी, १९३४

छः वर्षोंके लम्बे अरोंके बाद आप लोगोसे दुबारा मिलनेपर मुझे बहुत खुशी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैसूर राज्यमें मैं अपना खोया हुआ स्वास्थ्य फिरसे बनानेके लिए आया था जिसे मैंने उस समय मैं जो यात्रा कर रहा था उसके दौरान रां दिया था। और स्वाभाविक है कि मैसूर-निवाससे सम्बन्धित बहुत-सी सुखद स्मृतियां मेरे मनमें हैं। महाराजा साहब, उनके दीवान तथा दूसरे अधिकारियोसे लेकर महाराजा साहबकी प्रजा तकसे मुझे सिर्फ हार्दिक स्नेह ही स्नेह मिला। इसीलिए आप पहलेसे ज्यादा अच्छी तरह यह जान सकते हैं कि फिरसे आप लोगोके बीचमें आकर मुझे कितनी खुशी हुई होगी। आपने मैसूर राज्यके पितामह स्वर्गीय श्री वेंकटरमण्य्याके चित्रका अनावरण मुझसे सम्पन्न करनेको कहकर इस खुशीमें और वृद्धि कर दी है। मैं कलाकारको उसकी इस कृतिके लिए बधाई देता हूँ क्योंकि उनके जित्त रूपसे मैं काफी परिचित था इसमें उसका हूबहू चित्रण है। शायद आपमेंसे सब लोग यह न जानते हों कि अपनी पिछली यात्राके दौरान मुझे मैसूरके पितामह से साक्षात् मिलनेका सुख और तीभाग्य मिला था। उस समय मुझे उनके बहुतसे गुणोंका परिचय मिला था। तब मुझे पता चल गया था कि आपके दिलमें उनके लिए एक अनोनी जगह है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे इस चीजकी आशा या प्रच्छा नहीं करेंगे कि मैं उनके असंख्य गुणोंको दोहराऊँ। अपनी संक्षिप्त यात्राके दौरान मेरे लिए उनको जितना जान सकना सम्भव था उसकी वनिस्वत आप लोग, जो यहाँके रहनेवाले हैं, उन्हें ज्यादा अच्छी तरह जानते थे। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि उनके जिन गुणोंके कारण आप और मैं उन्हें याद करते हैं उन गुणोंको हम अपने जीवनमें चरितार्थ करेंगे। हम यह सोचकर अपने आपको धोखा नहीं दे सकते कि इस चित्रके अनावरणके लिए मुझे बुलावाकर और यह समारोह देखकर तथा मुझसे अनावरण करवाकर हमने उनकी स्मृतिके प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लिया।

अब मैं अपने उस उद्देश्यपर आता हूँ जिसकी वजहसे मैं यहाँपर आया हूँ। नगरपालिकाके अभिनन्दनपत्रने मुझे इस बातकी याद दिलाई है कि मैं उन चीजोंको देखूँ जो देखने योग्य हैं ताकि हरिजनोके लिए जो काम यहाँ किया गया है और किया जा रहा है मैं उसकी सुखद स्मृतियां अपने साथ ले जाऊँ। स्वागत-समितिके पहले ही बहुत सख्त-बूझ का परिचय देते हुए इस सभामे लानेसे पहले मुझे बहुतसे मुहल्लोंमें ले जानेका प्रवन्ध कर लिया था और इन पिछले छः सालोके दौरान जो प्रगति हुई है उसे दिखा दिया था। आपका यह सोचना बिलकुल ठीक है कि इन स्थानोंको देखनेके बाद यहाँ हरिजनोके लिए जो काम हो चुका है मैं केवल उसकी

सुखद स्मृतियाँ ही ले जाऊँगा। आज तीसरे पहर मैंने जिन सब स्थानोका दौरा किया है वहाँ मुझे जो शुद्धता और स्वच्छता देखनेको मिली है उसके लिए मुझे मैसूर राज्यको और मैसूरकी नगरपालिकाको बधाई देनी चाहिए। और मुझे इस आश्वासनसे खुशी हुई कि इस शहरके हरिजनोकी घरेलू सुविधाओंकी व्यवस्था करनेमें नगरपालिका विलम्ब नहीं करेगी। मेरी रायमें प्रत्येक शहरके भगी उस शहरके सबसे उत्कृष्ट सेवक होते हैं। भंगियो और मेहतरोंको गन्देसे-गन्दे स्थानो तक ही सीमित रखना और उनकी विलकुल उपेक्षा करना तो शर्मकी बात होनी चाहिए। मेरी दृष्टिमें तो हर एक शहरके स्वास्थ्यकी कुंजी भंगियोकी जेबमे ही होती है। जो भी शहर अपने मेहतरों और भंगियोकी अवहेलना करनेका दुस्साहस करता है वह अपने नागरिकोंके स्वास्थ्यकी उपेक्षा करनेका अपराधी होता है।

लेकिन मेरे अनुष्ठानका उद्देश्य केवल हरिजनोके आर्थिक कल्याणसे कही ज्यादा व्यापक है। इसमें सन्देह नहीं कि उनके आर्थिक और शैक्षिक कल्याणकी खूब सावधानीसे देखभाल करना हमारा कर्त्तव्य है। लेकिन पिछले कई युगोंसे हरिजनोको हमारे कारण जिन कठिनाइयों और दुखोंका शिकार बनना पडा है यदि हमें हरिजनोको उसका बदला चुकाना है तो इतना ही करना काफी नहीं है। वे भी ठीक उन्ही सब अधिकारों और सुविधाओंके अधिकारी हैं जिनके अधिकारी अन्य नागरिक हैं। और हिन्दू होनेके नाते वे भी वैसी ही सामाजिक सुख-सुविधाओं और धार्मिक अधिकारोंके अधिकारी हैं जिनका अधिकारी कोई दूसरा हिन्दू है। इसलिए मेरा उद्देश्य तो सवर्ण हिन्दुओंको अपने अस्पृश्यताके पापको धोनेके लिए तैयार करना है। और सवर्ण हिन्दुओंके पास जो थोड़ी-सी मोहलत बची हुई है यदि इसमें वे अपना कर्त्तव्य पूरा करनेमें चूक गये तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि हिन्दू धर्मका नाश हो जायेगा। अब आप समझ सकते हैं कि यह काम न तो कोई नगरपालिका कर सकती है और न स्वयं महाराजा साहब ही। यदि आप और मैं ही अपने हृदयोंमें परिवर्तन नहीं करेंगे, तो फिर राजा-महाराजा लोग भी क्या कर सकते हैं। इसलिए यह मेरा कर्त्तव्य भी है और मेरा सौभाग्य भी है कि मैं आपको अपने दिलोसे अस्पृश्यता तथा ऊँच-नीचका भेदभाव निकालनेके लिए कहूँ। यदि आप इस सन्देशकी भावनाको समझ ले तो आप देखेंगे कि हृदय-परिवर्तन करना आश्चर्यजनक रूपसे सरल काम है। और यदि सवर्ण हिन्दुओंके हृदयोंमें यह परिवर्तन हो गया तो आप देख सकेंगे कि किस प्रकार पलक झपकते हरिजनोंकी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रगति अपने आप होने लगेगी। तब ये सारी चीजे उस हृदय-परिवर्तनका प्रतीक और प्रमाण मानी जायेंगी। आपने कृपापूर्वक ये जो सब थैलियाँ मुझे दी हैं उन्हें मैं हृदय-परिवर्तन करनेके आपके निश्चयकी पेशगीके तौरपर मानता हूँ। ईश्वर आपको हृदय-परिवर्तन करनेकी शक्ति दे और हिन्दू-धर्मको आसन्न विनाशसे बचाये।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १२-१-१९३४

## ४७०. भाषणोंके अंश'

[ ६ जनवरी, १९३४ से पूर्व ]

आप लोगोंको जान लेना चाहिए कि हरिजनको अच्छे मकान देकर या उन्हें अलग-अलग कुएँ, स्कूल आदि मुहय्या करके ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। यदि हम उन्हें ये सब चीजे दे देते हैं लेकिन उन्हें और फिर भी अस्पृश्य ही मानते हैं तो इसका मतलब उन्हें लोहेकी जंजीरके बजाय सोनेकी जंजीरमें बाँधना होगा। जिन सुविधाओंका हम उपभोग करते हैं हरिजनोंको भी वे सब सुविधाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर यह कहता हूँ कि आप लोगोको उन्हें अपना लेना चाहिए, आज आपके और उनके बीच जो खाई है आपको उसे पाट देना चाहिए। हम जिस सुधारके लिए प्रयत्न कर रहे हैं वह तबतक पूरा नहीं हो सकता जबतक कि हम इस भेदभावको दूर करके अपने दिल साफ नहीं कर लेते। इससे काममें तो आप और मैं सन्तुष्ट ही नहीं हो सकते।<sup>१</sup>

आप माताओंको चाहिए कि आप अपने बच्चोंको रोज नहलाया करें और आप स्वयं भी नहाया करें। सवेरे आपको अपने मनकी सफाई करनी चाहिए, अर्थात् उठते ही जो आपको पहला काम करना चाहिए वह रामनाम लेनेका है और इसके बाद ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप पवित्रताके साथ दिन व्यतीत कर सकें, ताकि आपके होठोसे कोई भी अपशब्द न निकले और आपसे कोई भी बुरा काम न हो। इसके बाद आप अपनी शारीरिक सफाई करें।

'अनन्तपुरमें' हरिजनोंके लिए एक नलका उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा : ईश्वर करे यह जल आपके लिए अमृत साबित हो। जल शुद्धताका प्रतीक है। जिस प्रकार जलसे स्नान करके हम अपने शरीर स्वच्छ बनाते हैं उसी प्रकार हम प्रातः स्नान द्वारा अर्थात् ईश्वरका नाम लेकर अपने हृदयको शुद्ध कर सकते हैं। मैं अपने जीवनका प्रत्येक क्षण अहिंसा और प्रेमके सहारे बितानेकी कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानतः मैं शान्ति-प्रेमी हूँ। मैं मतभेद पैदा करना नहीं चाहता। और जो लोग मेरा विरोध करते हैं उन्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसा एक भी काम नहीं करूँगा जो मेरे विचारमें सत्य और प्रेमके विपरीत होगा।<sup>२</sup>

१, चन्द्रशंकर-शुक्लके 'साप्ताहिक पत्र' से उद्धृत, जिसपर 'बंगलौर', ६-१-१९३४, तारीख पड़ी थी।

२. इसके बादका अंश उस भाषणसे है जिसे गांधीजीने किसी दूसरी सभामें हरिजन दिनोंके सामने दिया था।

३. ३ जनवरीको।

४. ये शब्द ३० दिसम्बरको नेल्लोरमें आयोजित एक सभामें कहे गये थे। इसके आगेका अंश दूसरी सभामें कहा गया था।

लेकिन हमने हरिजनोके हृदयोंमें आशाका संचार कर दिया है। उनको अनुभव होने लगा है कि उन्हे इस दासतासे मुक्ति मिलनेवाली है। आशा है कि आप इस कामको पूरा करेगे। ससारके सभी घरोंमें यह बताया गया है कि यदि गरीबोको धोखा दिया गया, उन्हे जो आशाएँ बँधाई गई है यदि उन्हें पूरा नहीं किया गया तो उनके दिलसे निराशाकी आह निकलती है, शाप निकलता है। और इसमें मुझे सन्देह नहीं है कि हमने उनसे जो कहा है और जो वादा किया है उसके बावजूद यदि हम उन्हे धोखा देते हैं तो इन गरीब लोगोका शाप हमें जरूर लगेगा और हम तबाह हो जायेगे।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-१-१९३४

### ४७१. पत्र : परीक्षितलाल एल० मजमूदारको

६ जनवरी, १९३४

भाई परीक्षितलाल,

भूडी भूछी' के कानूनके सम्बन्धमें मैं यहाँसे कुछ कर सकूँ ऐसा मुझे फिलहाल तो नहीं दिखाई देता। तुमने दीवानके नाम पत्र लिखा यह तो ठीक ही किया है। उसका जो-कुछ जवाब आए उससे मुझे भी अवगत कराना। इस सम्बन्धमें कच्छसे यदि कोई सवाददाता अधिकृत अहवाल लिख भेजे तो मैं 'हरिजन'में प्रकाशित कर दूँ। तुम्हे जो समाचार मिले है क्या वे ठीक रूपसे अधिकृत हैं, जाँच करके लिखना। इससे सम्बन्धित कानूनकी एक नकल भी भेजना। सम्भवतः इसे 'नवजीवन' में दिया था। छगनलाल जोशीसे तुम्हे जो चेक मिला है वह उस ५,७०० रुपएकी एक किस्त है। दवा डालनेके सम्बन्धमें तुम्हारा पत्र आनेसे पहले ही मैंने व्यवस्था कर दी थी। इसलिए तुम्हे ये रुपये मिले। ठक्करबापा १६को मिलेगे तब मैं विस्तार से बात करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

श्री परीक्षितलाल मजमूदार

हरिजन आश्रम

साबरमती (गुजरात)

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ३९९९) से।

## ४७२. भाषण : बंगलौरकी छात्र-सभामें

६ जनवरी, १९३४

हरिजनोके सेवकको सीजरकी पत्नीकी तरह सन्देहसे परे होना चाहिए। उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसपर कोई उँगली न उठा सके। उसकी दृष्टि इतनी निर्मल होनी चाहिए जिससे किसीको बुरा न लगे। उसके हाथ भी साफ होने चाहिए और उसके स्पर्शमें कोमलता और पवित्रता होनी चाहिए। उसके हृदयमें एक भी अपवित्र विचार नहीं उठना चाहिए। उसके कान ऐसे होने चाहिए कि वह ब्रह्माण्डमें व्याप्त संगीतको सुन सके, उसके पाँव उसे पवित्रतम कार्यकी ओर ले जाये, बुराइयोंकी ओर कभी नहीं, और वह सब बातें सुने लेकिन अपनी ओरसे कुछ न कहे।

अन्तमें गांधीजीने छात्रोंसे अनुरोध किया कि वे आधुनिक युगके इस अत्यन्त महान् सुधार आन्दोलनमें शामिल हों।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-१-१९३४

## ४७३. पत्र : गोविन्दभाई आर० पटेलको

७ जनवरी, १९३४

भाईश्री गोविन्दभाई,

आपका पत्र मिला है। आपका कार्ड भी मिला था। मैंने चार दिन पहले श्री अरविन्दको एक लम्बा पत्र लिखा था जिसमें मैंने उनसे मुलाकातके लिए समय माँगा था। अब मैं उत्तरकी वाट जोह रहा हूँ। आप मेरे पढ़ने लायक जो सामग्री भेजना चाहें सो भेज दें।

मोहनदासके बन्देमातरम्

श्री गोविन्दभाई

श्री अरविन्द आश्रम

पाण्डिचेरी

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०७४०) से; सौजन्य : गोविन्दभाई रामभाई पटेल

## ४७४. भाषण : एपेक्स बैंक हॉल, बंगलौरमें<sup>१</sup>

७ जनवरी, १९३४

सहकारिता आन्दोलनके साथ मेरा सम्बन्ध सरसरी ढंगका है। सहकारिता आन्दोलनकी सर डैनियल हैमिल्टनने जो व्याख्या की है मैंने उसी ढंगसे समझनेकी चेष्टा की। मैं जानता हूँ कि किसानोके लिए यह आन्दोलन वरदान सिद्ध हो सकता है। बहुत समय पहले बम्बईमें सहकारिता सभामें, मुझे लॉर्ड विलिंगडन द्वारा निमन्त्रित किये जानेका सौभाग्य मिला था। उस समय मैंने जो कहा था वह मैं अब आपको बताना चाहूँगा। सहकारिता समितियोके लिए जरूरी है कि कर्जके रूपमें दिये जानेवाले पैसे-पैसेका पता रखे। उन्हें मालूम करना चाहिए कि कर्ज लेनेवाला व्यक्ति उस पैसेका क्या कर रहा है। मेरे मनमें यह विचार निरन्तर बना रहा है।<sup>२</sup>

गांधीजीने सहकारिता सोसाइटियोंके रजिस्ट्रार, स्वर्गीय श्री के० एच० रमय्याका मर्मस्पर्शी शब्दोंमें उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि छः वर्ष पूर्व जब मैं बंगलौरमें आया था तब मैं स्वर्गीय श्री रमय्यासे अक्सर मिला करता था और उनसे हँसी-विनोद किया करता था। अभी कल ही मुझे पता चला कि उनका देहान्त हो गया है। मुझे यह सुनकर सचमुच बहुत दुःख हुआ है। राज्यमें सहकारिताके लिए उन्होंने जो महान कार्य किया है वह सर्व विदित है और मुझे उसे दोहरानेकी कोई जरूरत नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ९-१-१९३४ और हिन्दू, ८-१-१९३४

## ४७५. भाषण : बंगलौरकी नागरिक सभामें

७ जनवरी, १९३४

मुझे यह अभिनन्दन-पत्र देनेके लिए मैं बंगलौर-नगरपालिकाका अत्यन्त आभारी हूँ। आपने अपने अभिनन्दन-पत्रमें मुझे याद दिलाई है कि पिछली बार जब मैं आप लोगोके बीच आया था उस समय भी आपने कृपापूर्वक मुझे ऐसा ही एक अभिनन्दन-पत्र दिया था। मुझे यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि अभी भी आपके दिलोंमें मेरे लिए जगह बनी हुई है। जिन हरिजनोके कार्यके सिलसिलेमें मेरा यहाँ आना

१. प्रान्तीय सहकारिता एपेक्स बैंक हॉलमें गांधीजीको एक मानपत्र भेंट किया गया था।

२. इसके बादका अंश हिन्दू से लिया गया है।

हुआ है उनके लिए आपने जो-कुछ काम किया है और कर रहे हैं उसपर मैं आपको बधाई देता हूँ। हरिजन-समस्याको हल करनेके लिए महाराजा साहबकी सरकार जिस उदारताके साथ काम कर रही है उसके लिए मैं महाराजा साहबको भी आदरपूर्वक बधाई देता हूँ। आपने अपने अभिनन्दन-पत्रमें स्वीकार किया है कि यद्यपि नगर-पालिकाने हरिजनोके लिए इतना काम किया है तथापि अभी बहुत-कुछ करनेको बच रहता है। आपके अभिनन्दन-पत्रमें व्यक्त की गई इस भावनाको, कि अभी भी बहुत-कुछ करनेको बाकी है, यदि मैं भी नहीं दोहराता तो यह मेरी गलती होगी। आज सुबह अपने पर्यटनके दौरान मैंने हरिजनोकी कुछ बस्तियाँ देखी और उन्हें देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। उनके घरोंको झोपड़ी भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुझे उनके घरोंको 'दरबे' कहनेमें कोई संकोच नहीं हुआ। ये दरबे हवा, वर्षा और धूपसे हरिजनोको कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करते। हरिजन लोग मलबे मेंसे जो-कुछ सामान इकट्ठा कर सके, उसीकी मददसे उन्होंने ये दरबे बना लिये हैं।

आपको बंगलौर नगरकी सुन्दरता पर गर्व करनेका पूरा अधिकार है। मैं यह स्वीकार करनेको स्वतन्त्र हूँ कि बम्बई नगरको "सुन्दर बम्बई नगरी" नहीं कहा जा सकता। बम्बईमें कुछ इतने बीभत्स और कुरूप स्थल हैं कि उस नगरको 'सुन्दर' कहना मिथ्या नामसे पुकारना होगा। इसलिए उसकी तुलनामें बंगलौरको सबसे सुन्दर नगर होनेके लिए पहला पुरस्कार देनेमें मुझे कोई हिचक नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि तुलनात्मक दृष्टिसे यह नगर ज्यादा अच्छा है, इस बातसे आपको सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप अपने निर्धनतम नागरिकोंके लिए भी सुख-सुविधाका एक निम्नतम मानदण्ड अपने सामने निर्धारित करें।

आगे बोलते हुए महात्माजीने कहा कि मेरा भारत-ध्यापी दौरा समाप्त होनेके बाद मुझे बंगलौर आने और यहाँ कुछ दिन ठहरनेका जो निमन्त्रण कृपापूर्वक आपने दिया है उसके लिए मैं यहाँके नागरिकोंको धन्यवाद देता हूँ।

मुझे आपका इतना स्नेह मिला है और आपने मेरा इतना ध्यान रखा है कि कर्त्तव्यकी पुकार यदि मुझे मोहलत देगी तो आपकी मेजबानी और आपकी शुद्ध जलवायुका लाभ उठानेके लिए मैं स्वयं ही आ जाऊँगा, उसके लिए मुझे प्रलोभनकी जरूरत नहीं है।

इसके बाद महात्मा गांधीने कहा कि अभिनन्दन-पत्रमें मेरी पत्नीकी अनुपस्थितिका जैसा मर्मस्पर्शी ढंगसे उल्लेख किया गया है उसने मुझे बहुत विह्वल कर दिया है। कर्त्तव्यने हमें जो रास्ते दिखाये हैं, हम उन रास्तोंपर चल रहे हैं। मेरी पत्नीका कर्त्तव्य उसे घरबड़ा ले गया है और मेरा कर्त्तव्य मुझे आप लोगोंके बीच ले आया है। मैं आपको विदबास दिलाता हूँ कि हम दोनोंको आपका आतिथ्य-सुख फिरसे उठाकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, ८-१-१९३४

## ४७६. भाषण : बंगलौरमें, मद्यत्याग संघके सम्मुख

७ जनवरी, १९३४

मेरे लिए यह एक खुशीकी बात है कि आपने मुझे यहाँ मिलने और मद्य-त्यागके सम्बन्धमें दो शब्द कहनेके लिए आमन्त्रित किया है। आपसे कदाचित कुछ लोग यह जानते हैं कि जब किसीको मेरे बारेमें मालूम भी न था और राजनीतिमें प्रवेश करनेकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी उस समय भी मैंने जिन विषयोको अपने हाथमें लिया था उनमें मद्यत्याग भी एक विषय था। जब एक नौजवानके रूपमें मैं दक्षिण आफ्रिका गया तब मैंने वहाँ देखा कि कुली लोग, भारतीय गिरमिटिया लोग, शराब पीनेकी अपनी आदतके कारण तेजीके साथ अघ.पतनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। दक्षिण आफ्रिकी कानूनके अनुसार गिरमिटिया भारतीयोका घरमें शराब ले जाना एक जुर्म था, वे लोग कैन्टीनमें जितनी चाहे उतनी शराब पी सकते थे। जिसके फलस्वरूप अनेक स्त्रियाँ अक्षरशः नालियोमें गिरी पड़ी रहती थी। यह एक ऐसी चीज थी जिसपर किसी भी भारतीयको गर्व नहीं हो सकता था। मैंने इस सम्बन्धमें सरकारसे अनुनय-विनयकी, लेकिन मेरी आवाज नक्कारखानेमें तूतीकी आवाज थी। इसलिए यह स्थिति जारी रही। लेकिन इसका मेरे मनपर चिरस्थायी प्रभाव पडा और एक लम्बे प्रवासके बाद जब मैं भारत लौटा तब मुझे निश्चित रूपसे यह मालूम था कि मुझे क्या करना है।

मैं स्वैच्छिक मद्य-त्याग की बात नहीं करता। मैं तो पूर्ण रूपसे मद्यनिषेधके पक्षमें हूँ। दक्षिण आफ्रिकामें मैं अपने देशभावियोंसे लड़ा और मैंने कहा "हमें शराब पीनेके समान अधिकारके लिए नहीं लड़ना चाहिए।" मैं उन्हें लम्बे अर्से तक इसके लिए सहमत नहीं कर सका, लेकिन मैं उनमें से अधिकांश लोगोको इस बातके लिए अवश्य राजी कर सका कि अधिकारोके लिए लड़ना एक चीज है और दुर्व्यसनोका सेवन करनेका अधिकार प्राप्त करनेके लिए लड़ना दूसरी चीज। यदि शराब पीनेके अपराधमें राज्य द्वारा गोरोको दण्डित नहीं किया जाता तो हमें भी वैसी ही छूटकी माँग नहीं करनी चाहिए। यहाँ, भारतमें, सरकार शराबका व्यापार कर रही है। मैं हरिजनोके कटु अनुभवोसे यह जानता हूँ कि वे न चाह कर भी शराब पीते हैं। इसपर मुझे कलकत्ताके अपने एक आदरणीय सहयोगी सतीशचन्द्र दास गुप्तकी याद हो आती है। उन्होने एक अत्यन्त लाभकारी नौकरी छोड दी। वह डॉ० रायके दाहिने हाथ थे और अभी भी माने जाते हैं। उन्होने अपने रसायन घन्धेको छोड दिया और आज वे बस्तियोके निकट रहते हैं। उन्होने हरिजनोसे शराब न पीनेकी प्रतिज्ञा ली। लेकिन हरिजनोने अपनी इस प्रतिज्ञाको बार-बार तोड़ा। इससे उनको दुःख हुआ और उन्होने १५ दिनोंके लिए उपवास किया। इसका हरिजनोपर आश्चर्यजनक असर हुआ।



उन्होंने कहा कि अब वे कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। सतीश बाबूको उस कण्ठसे होकर गुजरना पड़ा लेकिन उनके लिए यह एक खुशीकी बात थी। जो कार्यकर्ता मद्यनिषेधके लिए भी जी-जानसे लड़ता है उसे यह सब सहन करना पड़ता है। अनेक हरिजनोने मुझसे कहा है, “इस प्रलोभनको हमारे आगे से हटा दीजिए और हम ठीक हो जायेंगे। इसे हमारे रास्तेमें मत रखे।” जब हम बहुत-सी चीजोंके बारेमें अपने आप पर काबू नहीं रख सकते तो हरिजन और मजदूर लोग अपने-आप पर कैसे काबू रख सकते हैं? मैं इन लोगोंके बीच रहा हूँ, मैंने इनके साथ खाया-पिया है। उनके पास मनोरंजनके कोई साधन नहीं है। वे तो टूटी फूटी झोपड़ियोंमें रहते हैं। भौतिक सुखोपर खर्च करनेके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए उन्हें जो थोड़ा-बहुत पैसा मिलता है वह कैंटीनोमें चला जाता है। मैं आपको जो यह सब बता रहा हूँ वह सिर्फ यह दिखानेके लिए कि शराबकी इस बुराईके प्रति मेरे मनमें कितनी तीव्र और कटु भावनाएँ हैं। मुझे तनिक भी शक नहीं है कि जबतक पूर्ण मद्यनिषेध नहीं हो जाता तबतक हम इस बुराईका सफलताके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। मद्यनिषेधके बारेमें मेरे निश्चित विचार हैं। मैंने आपको अपने अनुभवके परिणामस्वरूप यह बताया है कि मद्यनिषेधके बिना भारतके मजदूर वर्गमें अच्छी आदतोंका विकास होना असम्भव है। और मैंने यह देखा है कि हरिजनोके अन्दर यह व्यसन सबसे ज्यादा है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें पूर्ण मद्यनिषेध सफल हो सकता है। लोगोंको स्वभावतः शराब पीनेकी आदत नहीं है। शराब पीना फैशनमें भी शामिल नहीं है। यहाँके मौसमको देखते हुए भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मद्यनिषेधसे सरकारको होनेवाली आयमें अवश्य फर्क पड़ता है। इसीसे वह कहती है, “पूर्ण मद्यनिषेधकी माँग करनेसे पहले आप हमारी आयके अन्य साधन ढूँढ़ दीजिए।” मेरा सरकारसे कहना है कि “यदि आप लोग अपवित्र साधनोसे राजस्व प्राप्त करते हैं और फिर कहते हैं कि ‘इस राजस्वका विकल्प लाइए,’ तो आपकी बात नहीं सुनी जा सकती। इस सवालपर कोई सौदा नहीं किया जाना चाहिए।”

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १९-१-१९३४

## ४७७. भाषण : बंगलौरकी सार्वजनिक सभामें

७ जनवरी, १९३४

श्री वी० पी० माधवरावको यहाँ मौजूद देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। छ साल पहले जब मैं आप लोगोके बीच आया था तब मुझे उनसे मिलनेका सुख प्राप्त हुआ था। अपनी वृद्धावस्थाके बावजूद वे मुझे आशीर्वाद देनेके लिए यहाँ आये, यह देखकर पत्थरका कलेजा भी द्रवित हो जायेगा। मैं मानता हूँ कि उनका यहाँ आना हरिजनोके लिए जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसके लिए आशीर्वादस्वरूप है। और मेरे लिए यह बेहद खुशीकी और सन्तोषकी बात है कि जीवनका लम्बा अनुभव रखनेवाले मैसूरके विद्वान लोग इतनी भारी तादादमें इस आन्दोलनको शुभाशीष देनेके लिए यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इस सभामे मुझे श्री हमजा हुसैनकी अनुपस्थिति अखर रही है। छ साल पहले जब मैं यहाँ आया था, उस समय वह स्वागत समितिके अध्यक्ष थे। उनकी उदारताओके बहुतसे प्रसंग मेरी स्मृतिमें ताजे हैं। कितना अच्छा होता कि एक पुराने मित्रके नाते मेरा स्वागत करनेके लिए वह इस सभामे मौजूद होते। ईश्वर उनकी आत्माको शान्ति दे।

आपने जो मुझे थैली भेट की है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं 'बढिया थैली' कहने ही जा रहा था लेकिन इस विशेषणका प्रयोग करते हुए मैं हिचकिचा गया क्योंकि मैं जानता हूँ कि बंगलौरके नागरिक मिलकर एक बड़ी थैली इकट्ठा करनेमें काफी समर्थ है और मुझे मालूम है कि आपसे बिदा लेनेके समय तक मुझे हरिजन कार्यके लिए उदारतापूर्वक दिये गये कई दान मिल जायेगे। हिन्दुओने इन भाई-बहनोका जो लगातार वाकायदा दमन किया है, उसके बदलेमे आखिरकार यह कमसे-कम प्रतिपूर्ति है जो हम कर सकते हैं।

मैंने आपका अभिनन्दन-पत्र आद्योपान्त पढ लिया है। तथा इस अभिनन्दन-पत्रमे जो आपने बहुत-सी बातें बताई हैं उसके लिए मैं आपको और महाराजा साहबकी सरकारको बधाई देता हूँ। लेकिन जबतक अस्पृश्यताकी भावना हमारे हृदयोमे से बिलकुल निकल नहीं जाती तबतक न तो मैसूर राज्य, न मैसूरकी जनता और न मैं ही किसी प्रकार सन्तुष्ट हो सकते हैं। हालाँकि हरिजनोके लिए जो सब काम आपने किया है उसका मैं आभार मानता हूँ लेकिन मेरा आपसे ऐसा कहना है कि जबतक सारे हरिजनोको वे सब अधिकार न मिल जाये जो जीवनके सभी क्षेत्रोमे सर्वर्ण हिन्दुओको मिले हुए हैं तब तक आप चैनसे न बैठे। ईश्वर द्वारा हमें जो मोहलत

१. शामको नैशनल हाई स्कूलमें आयोजित इस सभामे बहुत बड़ी संख्यामें लोग शरीक हुए थे।

२. मैसूर, त्रावणकोर और बड़ौदाके अवकाश-प्राप्त दीवान. और मैसूर राज्य हरिजन सेवक संघके अध्यक्ष।

दी गई थी, उसमेंसे थोड़ी-सी बच रही है, और इसी अवधिमें आइए, हम लोग अनिवार्य आत्म-शुद्धिका काम पूरा कर लें। निश्चित मानिए कि यदि आपने इस मोहलतका फायदा नहीं उठाया तो हिन्दुओंको फौरन ईश्वरका कोप-भाजन होना पड़ेगा।

लेकिन एक शब्द हरिजन भाई-बहनोंसे कह दूँ। आप इस आत्मशुद्धिसे छुटकारा नहीं पा सकते। आप लोगोंको भी सार्वजनिक बलिवेदी पर कुछ बलिदान करने है। बलिदान यह कि आपको आन्तरिक और बाहरी, दोनों प्रकारकी सफाई-स्वच्छताके नियमोंका कठोरतासे पालन करना होगा। दूसरा बलिदान यह करना होगा कि जहाँ कहीं आप लोगोंमें मुर्दार मांस और गो-मांस खानेकी आदत अब भी प्रचलित हो वहाँ इसे छोड़ दे। सभ्य संसारके प्रत्येक भागमें मुर्दार मांसको घृणित माना जाता है। इसे मनुष्यके खानेके अनुपयुक्त समझा जाता है। यह नहीं हो सकता कि कोई अपनेको हिन्दू भी कहे और गोमांस भी खाये। गौकी पवित्रता और गो-पूजा हिन्दू-धर्मका एक अभिन्न अंग है। तीसरे, यहाँपर मौजूद हर एक हरिजन स्त्री-पुरुषसे मैं यह कहूँगा कि वह मद्यपानकी आदतको छोड़ दे। कोई हरिजन यह न कहे कि सवर्ण हिन्दू भी तो शराब पीते हैं। यह कोई जवाब नहीं है। हरिजन होनेके नाते मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सवर्ण हिन्दुओंके सभी दुर्गुणोंसे बचकर रहें। सवर्ण हिन्दू आपके प्रति जो भी प्रतिपूर्ति करें, उसके बावजूद आखिरकार ईश्वरके समक्ष अन्ततः मुक्ति पाना आपके अपने ही हाथोंमें है। परसों जब हरिजनोंने मुझे यह आश्वासन दिया कि वे गो-मांस खाना छोड़ चुके हैं और मद्यपान भी छोड़नेकी कोशिश करेंगे तो इस बातसे मुझे बेहद खुशी हुई। आइए, सब मिलकर ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह हरिजनोंको शक्ति दे ताकि वे शराब छोड़नेके अपने संकल्पका पालन कर सकें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ८-१-१९३४

## ४७८. बातचीत : हरिजन कार्यकर्त्ताओंसे<sup>१</sup>

बंगलौर,

७ जनवरी, १९३४

राज्य सरकार जो काम कर रही है उसमें अपनी ओरसे कुछ और जोड़ना आपका काम है। आप ऐसे कार्यकर्त्ता ढूँढ सकते हैं जो हरिजनोके पास जाये और जाकर उनके बीच रहें। यह तो केवल एक उदाहरण मात्र है। नियम तो यह है कि राज्य सरकार जहाँ अपना कार्य खत्म करे आप वहाँसे शुरू करे। राज्य सरकार हर व्यक्तिकी जरूरतोंको पूरा नहीं कर सकती। यह तो गैर सरकारी लोगोंका विशेषाधिकार है। प्रत्येक कार्यकर्त्ताको अपनी क्षमता आँकनी चाहिए।

१. देखिए "भाषण : हरिजनोंकी सभामें", ५-१-१९३४।

२. यह चन्द्रशंकर शुक्लके "साप्ताहिक पत्र" से लिया गया है। गांधीजीसे लोगोंने पूछा था : "जब राज्य सरकार श्रमना कुछ कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए?"

चमत्कारी प्रभाव डालनेके उद्देश्यसे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारा कार्य आडम्बरपूर्ण न होकर, ठोस होना चाहिए। हमें लोगोके —सवर्णों तथा हरिजनोंके — निकट सम्पर्कमें आना होगा। राज्य सरकार लोगोके साथ ऐसा सम्पर्क कदापि स्थापित नहीं कर सकती। यह तो अनिवार्यतः समाज सुधारकका काम है। मन्दिर प्रवेशका कार्य ऐसे कार्यकर्त्ताओको करना होगा जिन्हें विशेष रूपसे इस कार्यके लिए तैयार किया गया हो। यदि वे अपने अच्छे चरित्रका परिचय देते हैं तो वे हरिजन जनताको प्रभावित कर सकेंगे। कार्यकर्त्ताओको हरिजनोके बीच अजनबियो अथवा संरक्षकोके रूपमें नहीं जाना चाहिए बल्कि उनके मित्र और सेवकके रूपमें जाना चाहिए। ऐसा कार्य वर्धामे किया जा रहा है। यदि राज्यमें एक भी सच्चा कार्यकर्त्ता होगा तो अन्य अनेक लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे।

[ अंग्रेजीसे ]

हरिजन, १९-१-१९३४

### ४७९. पत्र : एन० आर० मलकानीको

८ जनवरी, १९३४

प्रिय मलकानी,

यह रहा तुम्हारे लिए कुछ ठोस काम। अस्युश्यता-निवारण सम्बन्धी दोनो विधे-यकोके बारेमें वक्तव्य तैयार करो, विवरणमें दोनो विधेयकोका पाठ भी दो, सरकारी परिपत्र हासिल करो और वक्तव्यके साथ सारा उपलब्ध साहित्य प्रस्तुत करो।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० ९०४) से।

### ४८०. पत्र : पार्वतीबहन पी० देसाईको

बंगलौर

८ जनवरी, १९३४

चि० पार्वती,

तेरा पत्र मिला। प्रागजीके सम्बन्धमें सबसे पहले तेरे जरिये ही जान पाया। धारवाडमें कोई स्नेही है क्या? वहाँसे पत्र आये तब मुझे सूचित करना। धारवाड कब ले गये? तारा और बच्चोके समाचार देती रहना। पता वर्धामे ही करना। पत्र तूने ही लिखा है या किसीसे लिखवाया है?

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ५०३६) से।

१. प्रागजी देसाईकी पत्नी।

## ४८१. पत्र : कस्तूरबा गांधीको

बंगलौर

८ जनवरी, १९३४

बा,

तेरा पत्र इस बार अभी तक नहीं मिला। लेकिन भटकता हुआ आ पहुँचेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब तुझे अखबार मिलता होगा। 'भागवत' और 'रामायण' मिली होगी। अन्य जो पुस्तके चाहिए हो सो मंगा लेना। मणिलालका पत्र आया है। नृसीनाम्न भी। दोनों मजेमें हैं; मणिलाल शान्त है, चिन्ता न करनेको लिखता है। सीता खूब बढ़ रही है। खूब खेलती है। देवदास जितना सोचा था उससे जल्दी छूट गया है। अहमदाबाद गया है। उसका तार मुझे आया था। कदाचित् तुझसे मिलकर जायेगा। रामदान और नीमुके पत्र भी आये थे। मनुको मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन फिर उनका कोई पत्र नहीं आया है। किशोरलालका बुखार अब कम है इसलिए थोड़े दिनोंमें उनके व्याधिमुक्त होनेकी आशा की जा सकती है। मणिकी अच्छी ही खबर है। ओम, किमन, चन्द्रशंकर आदि सब मजेमें हैं। आज मैं बंगलौरमें हूँ। तुझे सब याद करते हैं। शंकरलाल और गुलजारीलाल यही आये हैं। मजदूरोंके वेतनके बारेमें पंचायत बैठेगी। बल मंगलवार है इसलिए कल पंचायत बैठेगी। बादमें मुझे मलाबार जाना है। जहाँ तू घूम आई थी वहाँ जाना होगा। उर्मिलादेवीका लड़का अभी आजकल मद्रासमें नौकरीपर है। मेरी तबीयत अच्छी रहती है। चिन्ता करनेका तनिक भी कारण नहीं। लोग सब झुण्डके-झुण्ड आते हैं और थैलियाँ, आभूषण आदि भी देते हैं। कान्ति अब बेहतर है। मैं देखता हूँ कि बाल थोड़े दिनोंमें मुझे मिलेगा। उसकी तबीयत भी अच्छी है। उम्मीद है, तुम सब वहाँ आनन्दपूर्वक होगी। शान्ता, ललिता अभ्यासमें कहाँ तक बढ़ी है? अब प्रवचन।

आज 'गीता' में यज्ञके सम्बन्धमें जो कहा गया है उसपर थोड़ी चर्चा करूँगा। यज्ञकी बात तीसरे अध्यायसे शुरू होती है। और उसमें भगवान कहते हैं कि यज्ञ किये बिना जो मनुष्य भोजन करता है वह चोरीका खाता है। लेकिन यह तो बहुत भारी वचन कहा जायेगा। क्योंकि चोरीका अन्न खाना तो कच्चा पारा है। कच्चा पारा किसीसे हजम नहीं होता और जो खाता है उसके अंग-अंगमेंसे फूट निकलता है। इसीसे अखा भगतने कहा है। 'कच्चो पारोखाचो अन्न तेवुं छे चोरीनुं घन' अर्थात् जो मनुष्य घड़ीभर यज्ञ बिना रहता है वह चोर ठहरता है। इस यज्ञको हमें सबको जानना चाहिए। हमारे सौभाग्यसे जिसका हृदय व्यवस्थित है उसके लिए यज्ञ सहल है। इसके लिए घनकी जरूरत नहीं, बुद्धिकी नहीं, और शिक्षाकी भी नहीं। यज्ञ अर्थात् हर कोई परोपकारी कार्य। जिसका समस्त जीवन यज्ञमय हो उसीके विषयमें कहा जा

सकता है कि वह चोरीका अन्न नहीं खाता। इससे जो व्यक्ति थोड़ा-सा भी यज्ञ करता है वह अपेक्षाकृत कम चोरी करता है। इस तरह विचार करनेसे हम सब थोड़ी-बहुत चोरी अवश्य करते हैं। जब हम स्वार्थ-भावका त्याग करते हैं तभी पूरा यज्ञ किया कहा जायेगा। स्वार्थका त्याग करना अर्थात् अहम्का, "मैं" का त्याग करना। यह मेरा है और वह पराया, यह मेरा लडका है और वह दूसरेका, ऐसा भाव मनमें रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा तो वही कर सकता है जिसने अपना सब कुछ कृष्णार्पण कर दिया है। जो मनुष्य ऐसे करता है सो सब ईश्वरको बीचमें रखकर करता है, उसको सेवकके रूपमें ही करता है और सेवाभावसे करता है। ऐसा मनुष्य नित्य सुखी रहता है, नित्य शान्त रहता है। उसके लिए सुख, दुख समान हैं। वह अपना शरीर, मन, बुद्धि, धनका जो कुछ भी उसके पास हो सब परमार्थके लिए ही उपयोग करता है। ऐसा पूर्ण यज्ञ हम सब नहीं कर सकते। समस्त जगतकी सेवा हमसे हो सके तो करे। ऐसी भावना मनमें हो तो ऐसा कौनसा कार्य है जो सारे मनुष्य कर सकते हैं, जिसमें समस्त जगतकी सेवा निहित हो। इस तरह विचार करनेपर कताई मेरे ध्यानमें आई। परमार्थकी दृष्टिसे यह कार्य असंख्य व्यक्ति कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इतनी मेहनत जगतके अर्थकी। लेकिन यह तो मैंने एक उदाहरण दिया है। मुझे तो मुख्यतः तुम्हें यज्ञका हेतु और उसका अर्थ समझाना था। इतना यदि मैं इससे समझा सका हूँ तो यह पर्याप्त है। सब बहनोको,

बापुके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना बाने पत्रो, पृष्ठ ७-८

## ४८२. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

बंगलौर

८ जनवरी, १९३४

भाई वल्लभभाई,

बाको पत्र लिखनेके बाद तुम्हें लिखने बैठा हूँ। अब शामके चारसे ज्यादा बजे हैं। मौनवार है। आज हम बंगलौरमें हैं। कल मजदूरोके वेतनमें कटौती करनेकी (अहमदावादकी) मिलोकी माँगके बारेमें पचायत बैठेगी। उसके लिए शकरलाल (बैंकर), गुलजारीलाल आदि आ गये हैं। मिल मालिक कल आयेंगे। मैंने उन्हें पाँच बंटे देनेकी बात कही है। कल रात हम मलाबारकी ओर रवाना होनेवाले हैं।

कामका बोझ तो बराबर रहता ही है। फिर भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कल सुबाराव<sup>१</sup> आकर शरीरकी जाँच कर गये और खुश हुए। रक्तका दबाव १५५-१०० आया। यह बहुत अच्छा माना जायेगा। अभी तक तो इतनी ही धारणा है कि ठक्कर बापा १९ तारीखको कालीकटमें मिलेंगे।

१. बंगलौरके एक विख्यात डॉक्टर।

यहाँ मैं मैसूर राज्यके भवनमें हूँ। जहाँ पहले था, वहीं।<sup>१</sup> लोगोंमें काफी उत्साह है। दीवान आकर मिल गये हैं। तुम्हें बहुत याद करते थे। अपना सलाम कहलाया है। प्रेम खूब जताते हैं।

. . . का पत्र आया था। उसने मोटर बेच देनेकी इच्छा व्यक्त की है। बादमें ठक्कर बापाका तार आया था कि वह बेच देनेको तैयार है। इसलिए मैंने अनुमति दे दी। मुझे बात कुछ समझमें तो नहीं आई। ऐसे मामलोंमें मेरा सारा आधार यदि कोई है तो वह तुम हो। अतएव मैं अनेक बार एकलव्यकी भाँति व्यवहार करता हूँ। एकलव्य द्रोणाचार्यका मिट्टीका पुतला बनाकर उससे ज्ञान पाकर अर्जुनके समकक्ष बन गया। मैं तुम्हारी मानसिक प्रतिभा बना लेता हूँ और उससे पूछ लेता हूँ। यह सोचकर कि इसमें तुम अपनी सम्मति ही दे रहे हो, मैंने इस स्वीकृतिका तार दिया।

कुँवरजीकी पत्नीकी मृत्युसे नेपोलियन<sup>२</sup>को बहुत आघात पहुँचा है। मैंने आश्वासन का जो पत्र भेजा था उसके उत्तरमें मुझे उसके स्नेहपूर्ण पत्रसे इस बातका आभास मिलता है। मैंने उसे फिर पत्र लिखा है। . . . सन्तुष्ट नहीं है, यह मैं उसके पत्र-परसे देखता हूँ। मैंने पूछा है कि उसे क्या दुःख है?

मुत्ली बकालत करने लग गये हैं। जीवराजके बारेमें तो तुमने पढ़ा होगा।

डॉ० विधानके बारेमें कहा जा सकता है कि वे मौतके मुँहसे वापस आये हैं। मैंने उन्हें तार दिया था, उसके उत्तरमें उन्होंने उक्त बात लिखी है। एक हड्डी टूट गई है। पन्द्रह दिन तक तो खाट पर पड़े रहना होगा।

मामाका पत्र आया है। उसमें तुम्हारे पत्रका उल्लेख है। वे लिखते हैं कि हरिजन कार्यके सिलसिलेमें अलगसे हिसाब-किताब रखना, अलग से चन्दा जमा करना अब सम्भव नहीं होगा, पैसा भी कोई नहीं देगा। इसलिए नवसारी, गोधरा आदि स्थानोंपर इस तरहका जो कोष और हिसाब रखा जाता था उन सबके लिए हमसे जितना बन सके उतना बजट पास कर हरिजन सेवक संघसे पैसा लेनेका निश्चय किया गया है। सम्बन्धित संस्थाओंके स्वामित्वको नहीं बदला जायेगा। मात्र उन्हें उचित अनुदान मिलता रहेगा और वे हरिजन सेवक संघकी देखरेखमें कार्य करेंगी। उनके स्वतन्त्र अस्तित्वको तनिक भी आँच नहीं आयेगी। मामा अभी तो स्वेच्छासे इसी काममें लगे रहेंगे। मैंने किसीका भी मार्गदर्शन करनेसे साफ इन्कार कर दिया है। मेरा मन ही इसके लिए हामी नहीं भरता। इस हरिजन संघके बारेमें यदि तुम्हें कुछ पूछना अथवा जानना हो तो मुझे लिखना। स्वयं मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या लिखूँ। लेकिन तुम जरा भी इशारा करोगे तो मैं सारी आवश्यक जानकारी लिखकर भेज दूँगा। मैं स्वयं ही उत्तर लिखने बैठ जाऊँगा, ऐसी अपेक्षा न करना। मैं हाथ, मस्तिष्क और समय बचाकर ही काम करता हूँ।

१. कुमार पार्क।

२. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है।

३. छोड़नाई मेहता।

४. साधन-सूत्रमें नाम नहीं दिया गया है।

देवदास जल्दी रिहा हो गया है। उसका तार आया था। मुझे मिलकर तो अवश्य जायेगा। तार अहमदाबादसे दिया था। बहुत करके बासे मिलने जायेगा।

मणिलाल और सुशीलाके पत्र आते रहते हैं। उसका ठीक चल रहा है। केशु भी ठीक काममें लग गया है। रामदास परेशान है। वह शान्ति पा ही नहीं सकता।

ऐसा लगता है कि किशोरलाल ठीक होता जा रहा है। ब्रजकृष्ण जी गया है। अब थोड़ा चल फिर भी लेता है। जमनालालको सर्दी लग गई है। शंकरलालका खयाल है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा तो नि.सन्देह नहीं है। वजन तो २०० पौडके आसपास हो गया है।

ओम और किसन सानन्द हैं। मीराबहन का तो कहना ही क्या। तुम दोनोंको,

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुता पत्रो - २ : सरदार बल्लभभाईने, पृष्ठ ५९-६१

### ४८३. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

८ जनवरी, १९३४

चि०, शान्तिकुमार,

तुम्हारे पत्रकी तो अनेक बार आशा किये रहता हूँ। और जब नहीं मिलता तो मैं मान लेता हूँ कि तुम मुझपर दया खाकर ही नहीं लिखते।

ऑपरेशन ठीक ढंगसे हो गया होगा। मुझे स्वयं लिखना या लिखवाते रहना। सामान्य रूपसे तो यह आपरेशन मामूलीसा माना जाता है, ऐसा मैं सुनता हूँ।

'हरिजन' तो पढनेमे आता ही होगा। मेरा स्वास्थ्य ईश्वर निभाये चलता है। तुम दोनोंको,

बापूके आशीर्वाद

[ पुनश्च : ]

वधकि पतेपर लिखना ही सुरक्षित है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (सी० डब्ल्यू० ४७२१) से; सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी



## ४८४. पत्र : क० मा०. मुन्शीको

८ जनवरी, १९३४

भाईश्री मुन्शी,

तुम्हारा पत्र मिला। लीलावतीका अभी तक तो नहीं मिला।

अस्पृश्यताके सम्बन्धमें आवश्यक साहित्य मैं तुम्हें भेजूंगा। यदि पूरी रोटी न मिल पाये और चौथाई ही मिले तो भी ले लूं, मैं ऐसा हूँ। रोटीके बदले रोटीके नाम जब पत्थर मिलें तो मैं लेनेको तैयार नहीं होता। तुम मुझे कभी रोटीके नामपर पत्थर दोगे इसका भय तो मुझे कदापि नहीं है। अतः तुमसे जो-कुछ दिया जा सके वह दिया करो।

तुम जैसा लिखते हो वैसा एक पक्ष निर्माण हो जाये इसमें कोई हानि है, ऐसा मैं नहीं मानता। तुम्हारे मसविदेमें मैंने कुछ-एक सुधार किये हैं, उन्हें देख जाना। सविनय अवज्ञाके सम्बन्धमें जो उल्लेख है वह योग्य नहीं है। कुछ हदतक उसमें विकृतियाँ अवश्य आ गई थी पर इतना कहना भी इस मसविदेमें एकदम अप्रासंगिक है। विरोधी लोग उसका दुरुपयोग किये बिना नहीं रहेंगे और सविनय अवज्ञाका जो अंग मैंने छोड़ दिया है उसका कारण भी कोई विकृति नहीं थी।

यह पक्ष भी जो तैयार हो रहा है वह कोई दूसरे दलोंको आकर्षित करनेकी दृष्टिसे नहीं है। बल्कि इसके निर्माणका कारण यह है कि वे कांग्रेसवाले जो सविनय अवज्ञा आन्दोलनमें नहीं पड़ना चाहते या नहीं भाग ले सकते वे लोग अपनी हस्ती कायम रखने और थोड़ी बहुत सेवा करनेकी इच्छासे ऐसा करना चाहते हैं। और इसीलिए दूसरे पक्षोंका उल्लेख मैं अनावश्यक समझता हूँ। यह पक्ष बन जाये फिर भले ही दूसरे दलोंसे बातचीत करें? इसके नामकरणके बारेमें सोचना होगा। जैसे तुम मुझसे पूछना उचित समझते हो उसी प्रकार जवाहरलालसे भी इसकी चर्चा करो। ऐसी मेरी सलाह है। यदि अधिक भाग-दौड़ करके स्वास्थ्य खराब करोगे तो मेरे उलाहने सुनने होंगे। तुम दोनोंको,

बापूके आशीर्वाद

गुजराती (सी० डब्ल्यू० ७५३०) से; सौजन्य : क० मा० मुन्शी

१. मुन्शी और रंगास्वामी अय्यंगारने स्वराज्य दलोंके कांग्रेसके तंत्रिक अंगके रूपमें पुनः प्रतिष्ठित करनेसे सम्बन्धित एक योजनाका मसविदा तैयार करके गांधीजीको दिया था।

## ४८५. सन्देश : मैसूरके लोगोंको

९ जनवरी, १९३४

मैं अपने साथ मैसूर राज्यके अपने सक्षिप्त प्रवासकी अत्यन्त सुखद स्मृतियाँ लिए जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैसूर की जनता अपनी जिस प्रबुद्धताके लिए विख्यात है उस ख्यातिको वह अस्पृश्यताको जडमूलसे उखाड़ कर कायम रखेगी।

[अग्नेजीसे]

हिन्दू, १०-१-१९३४

## ४८६. भाषण : पालघाटकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

१० जनवरी, १९३४

अपने उन मित्रोके प्रति जो अपने-आपको सनातनी कहते हैं पूर्ण आदरभावके साथ मैंने आज सवेरे अचर्मभूमि मलाबारमें प्रवेश किया। और जिस समय मैं जाने-पहचाने रास्तोसे गुजर रहा था उस समय मेरी आँखोंके सामने एक ऐसे असहाय नायडीका चेहरा उभर आया जिससे मैं पिछली बार मिला था।<sup>२</sup> सुबहके दस या ग्यारह वज रहे होंगे और हम लोग अस्पृश्यता, अदर्शनीयता या अनुपगम्यताके बारेमें चर्चा कर रहे थे। संसारभरमें केवल मलाबार ही एक ऐसा स्थान है जहाँ इनके सारे स्वरूप दिखाई पडते हैं। चर्चा चल ही रही थी कि अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। जो लोग मुझसे बातकर रहे थे उन्होने कहा “हम आपको एक जीवित नायडी दिखा सकते हैं।” सार्वजनिक मार्गका उपयोग उसके लिए वर्जित था। वह नगे पाँव, विना कोई आहुट किये खेतोसे होकर चला जा रहा था। मैं मित्रोके साथ बाहर गया और मैंने नायडीको देखा। मैंने उसे अपने पास आने और बातचीत करनेके लिए कहा। वह स्पष्टतः सहमा हुआ था कि कौन जाने कब उसपर कोई प्रहार कर बैठे। उसने काँपते हुए मुझसे बातचीत की। मैंने उसे बताया कि मेरे समान ही सार्वजनिक मार्गपर वह भी चल सकता है। उसने कहा, “ऐसा नहीं हो सकता। मैं सार्वजनिक मार्गपर नहीं चल सकता।” मैं इस किस्सेको यही समाप्त करता हूँ और सनातनियोसे अथवा किसी भी व्यक्तिसे कहता हूँ कि वे इस अमानवीय व्यवहारके

१. प्रातः सवा आठ बजे हुई इस सभामें लगभग ४००० लोग उपस्थित थे। इसमें नगरपालिका और तालुकका बोर्डकी ओरसे गांधीजीको अभिनन्दन-पत्र सेंट किये गये थे।

२. देखिए खण्ड ३५, पृष्ठ १५०।

पक्षमें कोई [शास्त्रीय] प्रमाण दिखायें। आप मुझे अपने साथ मुस्कराते, हँसते और मजाक करते हुए पायेंगे लेकिन आप लोग यह भी समझ लें कि इस हँसी-मजाकके पीछे, इन मुस्कराहटों और ठहाकोंके पीछे मलावारकी अपनी इस यात्राके दौरान मुझे उस नायडीका चेहरा और वह दृश्य बराबर याद आता रहेगा, मुझे कचोटता रहेगा।

जित्त समय मैं यहाँ आ रहा था उस समय कुछ प्रदर्शनकारियोंने मुझे काले झण्डे दिखाये। और कुछ लोगोंने राष्ट्रीय झण्डोसे मेरा स्वागत किया। मैं आपसे कहता हूँ कि राष्ट्रीय झण्डा लिये हुए लोगोंकी अपेक्षा मैंने काले झण्डे दिखानेवाले प्रदर्शनकारियोंको अधिक पसन्द किया, क्योंकि — मैं काले झण्डेके पीछे छिपे असत्यको उगके नग्न स्वरूपमें देख सका। और जो लोग काले झण्डे लिए हुए थे उन्होने यदि अपने धरोरपर ब्राह्मणोंकी तरह चन्दन लगा रखा था तो उससे क्या? हाथमे काला अथवा लाल झण्डा लेनेसे अथवा माथेपर तिलक लगानेसे कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। ब्राह्मणत्व कोई बाहरी चिह्नोंसे नहीं जाना जाता। जिन शास्त्रोंमें मेरी आस्था है और जिनके लिए मैं अपने प्राणोंकी बाजी भी लगा सकता हूँ वे मुझे बताते हैं कि ब्राह्मण केवल वही है जो ब्रह्मको जानता है। ब्राह्मणत्व मानवताका, अनात्मसाक्षात्कारका, दयाका सार है। हमारे पूर्वजोंने हमें जिन गुणोंका आदर करना सिखाया है वे सारे गुण एक ब्राह्मणमें मूर्तिमान् होने चाहिए। ब्राह्मण वही है जो धर्मग्रन्थोंका जीवित आगार है, वह व्यक्ति नहीं जो काले झण्डे लेकर असत्यका प्रदर्शन करता है।

मैं मलावारमें अपनी आत्माकी गहराइयोंसे बोलनेके लिए आया हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं मलावारमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हे देखकर मैं हर्षोन्मत्त हो उठता हूँ। मलावारमें जो दृश्यावली है वह संसारमें अद्वितीय है। मनुष्य यदि सही आचरण करे तो मलावारमें सरलतासे जीवन-यापन कर सकता है। मलावारमें स्त्रियोंकी भारतभर में सबसे ज्यादा स्वतन्त्रता प्राप्त है। मैं मलावारमें जितनी स्त्रियोंसे मिला हूँ उन सबमें ऐसी तेजस्विता है जिसका मैंने हमेशा सम्मान किया है। जैसा कि आपको मालूम है मुझे थावणकोरकी भूतपूर्व महारानीसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनकी सादगी पर मैं मुग्ध हो गया और मुझे प्रथम दर्शन पर ही उनसे प्रेम हो गया। लेकिन मलावारमें अस्पृश्यताकी जो भावना पाई जाती है उस पर गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। यह संसारकी सबसे बड़ी बुराई है। मैं चाहता हूँ कि आप मलावारसे अस्पृश्यताके इस कलंकको धो डालें, और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो स्वाभाविक है, सारा हिन्दुस्तान आपका अनुकरण करेगा, और यदि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। मैं बहुत आशाएँ लेकर मलावार आया हूँ। यह अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उन्हें पूरा करें अथवा न करें। लेकिन आप मेरी इस भविष्यवाणीको याद कर लें कि आज अस्पृश्यता जिस रूपमें प्रचलित है, वह जारी रहा तो हिन्दू धर्मका नाश हो जायेगा। मैं चाहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर विश्वास करें और हिन्दू धर्मको आनेवाले विनाश

से वचा ले। आप इन दोनोमें से कुछ भी चुन सकते हैं। यही समय है, फिर इसका मौका नहीं मिलेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १९-१-१९३४

### ४८७. भाषण : पालघाटकी महिला-सभामें'

१० जनवरी, १९३४

क्या आप जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ आपसे पश्चात्ताप करनेके लिए कहनेको आया हूँ। मैं यहाँ आपसे यह बात भुला देनेको कहने आया हूँ कि किसी भी व्यक्तिको "अस्पृश्य" कहा जा सकता है। मलाबारकी स्त्रियाँ अर्थात् आप लोग भारतके किसी अन्य भागकी महिलाओकी अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हैं। और यदि आप चाहे तो आप हिन्दू-धर्मको सकटसे बचा सकती हैं। यदि लाखो लोग मेरे पास आये और आकर मुझसे कहे कि अस्पृश्यता एक दैवी प्रथा है तो मैं यही कहूँगा कि अस्पृश्यता शैतानकी बनाई हुई प्रथा है। मैं अभी-अभी एक छोटी बस्तीका दौरा करके आया हूँ जहाँ मैं नायडी भाइयो और कुछ नायडी बहनोंसे मिला। यह आपके लिए और मेरे लिए शर्मकी बात है कि उन्हें दूरसे फेके गये थोड़ेसे चावलो पर गुजारा करना पडता है। मुझे आपसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। और यदि आप [अछूतोद्धारके कार्यको] प्रायश्चित्तके साथ शुरू करना चाहती हैं तो आपको यह शुरुआत अपने जेवर और चाँदीके सिक्के देकर करनी चाहिए जिससे कि इन असहायोकी मददके लिए चन्दा जुटाया जा सके।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १२-१-१९३४

### ४८८. भाषण : नायडियोंकी सभा, कुजालमन्नम्मे

१० जनवरी, १९३४

मुझे यह जो मानपत्र मिला है, मेरे ख्यालसे इसे आपने पढा तक नहीं है। इसलिए मानपत्रमे जो लिखा हुआ है उसका बहुत थोडा मूल्य है और यह मेरे विचार से सत्यका भंग है। असलमे यदि यह मानपत्र आपने मुझे मलयालममे पढ कर सुनाया होता तो शायद मैं समझता कि इसमे आपने अपनी भावनाओंको व्यक्त किया है और इसका कुछ शिक्षात्मक मूल्य होता। इसके अतिरिक्त आपकी हालतसे मैं अनजान नहीं था। और एक उद्देश्यको ध्यानमे रखकर मैं भारतके अन्य भागोका दौरा कर रहा हूँ, उसी उद्देश्यको लेकर मैं अभी-अभी मलाबार आया हूँ और वह उद्देश्य है नायडी

१. इस सभामें, जो गोडर पिक्चर पैलेसमें हुई थी, लगभग, १,००० स्त्रियोने भाग लिया था।

और गैर-नायबी लोगोंके भेदको दूर करना। अनुपगम्यता अथवा अस्पृश्यतासे बड़ा पाप और कोई नहीं है। जब तक हरिजन लोग अस्पृश्यता रूपी पिशाचके पैरों तले कुचले जाते रहेंगे तब तक हमें उस पिशाचको कुचलनेके लिए काम करते रहना होगा। मैं चाहता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मसे पूरी तरह नष्ट हो जाये अन्यथा स्वयं हिन्दू धर्म ही नष्ट हो जायेगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग जहाँ तक आपसे बन सके आत्मशुद्धिके इस आन्दोलनमें भाग लें और शिक्षाके रूपमें आपको जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसका आप अपने लिए और अपने बच्चोंके लिए लाभ उठायें। यदि आपको शराब पीनेकी आदत हो तो आपको उसका त्याग कर देना चाहिये और यदि आप सफाई, स्वच्छताके सरल नियमोंका पालन नहीं करते तो आपको उनका पालन करना चाहिए। आपको सफाई सम्बन्धी नियमोंका पालन-भी करना चाहिए तथा शरीर और मनसे स्वच्छ रहना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ११-१-१९३४

## ४८९. भाषण : गुरुवायूरकी महिला-सभामें

१० जनवरी, १९३४

बहनो,

मुझे जो अभिनन्दन-पत्र और धैली भेंट की गई है उसके लिए आपका धन्यवाद। मलावारमें यह पहला स्थान है जहाँ अभिनन्दन-पत्र स्त्रियोंने भेंट किया है। इससे यदि आपका यह मतलब हो कि आप इस ताल्लुकेकी स्त्रियोंका प्रतिनिधित्व करती हैं तो इतका अर्थ यह हुआ कि यहाँके पुरुषोंको मुझे कोई अभिनन्दन-पत्र नहीं देना है। हो सकता है कि आपके अन्दर आत्म-शुद्धिकी भावना न आ पाई हो। मैं देखता हूँ कि मलावारकी स्त्रियोंने पुरुषों और स्त्रियों दोनों की ही ओर से अभिनन्दन-पत्र भेंट करनेका काफी प्रयास नहीं किया है। अस्पृश्यताके विरुद्ध जेहादका नेतृत्व स्त्रियोंको ही करना चाहिए। शिक्षाके मामलेमें, मलावारकी स्त्रियाँ दूसरे प्रदेशोंकी अपनी बहनों की अपेक्षा बहुत आगे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस शिक्षाका ज्यादासे-ज्यादा लाभजनक ढंगसे उपयोग करें। मुझे जो चीजें भेंटमें दी गई हैं जब मैं उनकी नीलामी करूँ उस समय मैं यह उम्मीद करता हूँ कि उन्हें स्त्रियाँ ज्यादा दामोंमें लेकर पुरुषोंको शर्मिन्दा कर देंगे। मैं कह सकता हूँ कि आप एक चूड़ी, हार आदि देकर यह काम आजसे ही शुरू कर सकती हैं। लेकिन आप या तो मुस्करा रही हैं या हँस रही हैं। मैं मामलेको गम्भीरतासे ले रहा हूँ। मद्रास और आन्ध्र जैसे भारतके कम विकसित प्रदेशोंमें स्त्रियोंने दो या तीन चूड़ियाँ देकर बोली बोलनेका काम शुरू कर दिया है। मैं ज्यों ही दो-चार बातें पूरी कर लूँगा, मैं प्रत्यक्ष रूपसे स्त्रियोंके साहसकी परीक्षा लूँगा। यहाँ जो बहनें इकट्ठी हुई हैं उन्हें मैं यह बता देना चाहता हूँ कि आज सुबह मलावार आनेके बादसे मैं यह सोचता रहा हूँ कि मैं कौनसा

विशेष सन्देश दे सकता हूँ क्योंकि मलाबारमे तो अस्पृश्यताकी बीमारी बहुत भयंकर रूपमें दिख रही है।

मैं समझता हूँ कि यदि मलाबारकी स्त्रियाँ दुगनी शक्तिके साथ इस कामको करनेका निश्चय कर ले तो इस अस्पृश्यतारूपी पिशाचका अन्त किया जा सकता है। ससारके दूसरे भागोमे स्त्रियोने त्याग और कष्ट-सहन द्वारा अपने अधिकार हासिल किये हैं। लेकिन मलाबारकी स्त्रियोके लिए तो इस बातकी दुगनी विशेषता होनी चाहिए और उसका सीधा-सादा कारण यह है कि भारतमे मलाबारकी स्त्रियोका अपना एक अनोखा स्थान है। इसलिए यदि मलाबारकी स्त्रियाँ अस्पृश्यताके इस राक्षसके विरुद्ध लड़ाईका नेतृत्व सम्भाल ले तो इसका शीघ्र ही नाश किया जा सकता है। मलाबारमें प्रवेश करनेपर मैंने देखा कि केवल मलाबारमे ही स्त्रियाँ बिलकुल स्वच्छ सफेद कपड़े पहनती हैं। यह तो पिछले कुछ समयसे ही स्त्रियोमे रंगबिरंगे कपड़े पहननेका फैशन चल पडा है। फिर भी मैंने देखा है कि इधरके भागोमें लोग रगोसे उतना प्रेम नहीं करते जितना कि भारतके अन्य भागोमे करते हैं। मुझे आपके घरेलू जीवनके रहस्यका नहीं पता। लेकिन मैंने अपनी तरफसे ऐसा मान लिया है कि मलाबारकी स्त्रियोका यह सफेद पहनावा उनकी आन्तरिक शुद्धताका परिचायक है। यदि मलाबारमे अस्पृश्यता बिलकुल खत्म कर दी जाती है तो मुझे उम्मीद है कि मेरा विश्वास सच्चा साबित होगा। मेरा खयाल है कि शिक्षाके मामलेमे मलाबारकी स्त्रियाँ सबसे आगे ठहरेंगी। मलाबार की स्त्रियोसे मैं जो काम करवाना चाहता हूँ वह यह है कि हिन्दू-धर्मके सिरपर जो खतरा मँडरा रहा है आप उसे उससे बचा ले। मैं चाहूँगा कि आप अपना आलस्य और उदासीनता, जो कुछ भी हो, उसे छोड़ दे। मैं यह चाहूँगा कि आप धर्मके मामलेमें सदा सतर्क और जागरूक रहे जैसी कि आप अपने बच्चोकी देखभाल करते समय होती है। बच्चोके साथ तो आप स्नेह-दुलारसे काम लेगी। लेकिन आपके धर्मके साथ ऐसी बात नहीं है। धर्मके मामलेमे तो आप जितनी ही सतर्क रहेगी, वैज्ञानिक दृष्टिसे आप उतनी ही नियमनिष्ठ बनेगी। मलाबारकी स्त्रियोके सामने एक महान् कार्य है। क्या आप ऊँच और नीचका भेद दूर करनेका प्रयत्न करेंगी? आप मेरा विश्वास करे कि जिन्हे हम अपनेसे छोटे मान रहे हैं वे भगवानकी दृष्टिमे छोटे नहीं हैं। अस्पृश्यताका प्रचार उस अविनयके कारण है जो कि धार्मिक पुस्तकोकी गलत व्याख्याको जन्म देता है। मुझे अतिशयोक्ति करनेकी आदत नहीं रही है, और यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि मैं कडी भाषाका प्रयोग कर रहा हूँ तो उसका कारण यह है कि मैं समझता हूँ कि मेरा यह विश्वास एक बुनियादी विश्वास है। स्त्रियोसे जो-कुछ मैंने कहा है वही बात पुरुषोपर भी लागू होती है। आप अविश्वाससे परे नहीं हैं। धर्मकी रक्षाके लिए बहुतसे पुरुष और स्त्रियोकी जरूरत होती है। इसे सक्षेपमे कहे तो वर्तमान आन्दोलन आत्म-शुद्धिका आन्दोलन है।

[ अग्रेजीसे ]

हिन्दू, १२-१-१९३४

## ४९०. पत्र : यूवोन प्रिवाको

स्थायी पता :  
वर्धा, मध्यप्रान्त  
११ जनवरी, १९३४

प्रिय भक्ति,

सबेरेके ठीक ३ बजकर २० मिनट हुए हैं और मैंने अभी-अभी तुम्हारा बिना तारीखका पत्र पढ़कर समाप्त किया है। स्त्रियाँ भला तारीखोकी परवाह क्यों करने लगीं! वे तो अनन्त कालको ध्यानमें रखकर काम करती हैं इसलिए मनुष्यने समयको जो तारीखों और दिनोंमें विभाजित कर दिया है उसकी चिन्ता नहीं करतीं।

तुमने जो आरोप लगाया है वह तुम्हारे दृष्टिकोणसे ठीक ही है। हम कुछ छतनी तेजीसे दौरा कर रहे हैं कि पत्रोंका उत्तर देनेका समय ही नहीं मिल पाता है। तुम्हारा (पिछला) पत्र भी मेरे पास कहीं पड़ा है लेकिन मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि मैं उसें पढ़ सकूँ। यह सचमुच बहुत शर्मकी बात है इसलिए आज मैं सबसे पहले तुम्हारे पत्रका जवाब दे रहा हूँ जिससे कि वह पत्रोके ढेरमें कहीं गुम न हो जाए। हालाँकि मीराने और मैंने तुम्हें कुछ असेसे पत्र नहीं लिखा है फिर भी तुम सदा हमारे मनमें समाई रहती हो। तुम दोनोंकी अवियोज्यता, तुम्हारे सदैव मुस्कराते हुए चेहरे और त्याग करनेकी तुम्हारी तत्परता, ये और ऐसी अन्य बातें मुझे तुम्हारे साथ बीते हुए क्षणोंकी सदा याद दिलाती रहती हैं।

मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ अच्छा काम कर रही हो। हाँ, हिटलरके विरुद्ध पादरियोंके विद्रोहकी बात मैंने अवश्य पढ़ी थी।

सेरेसोल' की जर्मनी-यात्राके बारेमें मैं और अधिक सुननेकी आशा रखता हूँ। कृपया तुम उन्हें मेरा स्नेहाभिवादन कहना।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तुम्हें 'हरिजन' नियमित रूपसे नहीं मिल रहा है। मैं तुरन्त ही सम्पादकको लिख रहा हूँ।

आशा है तुम दोनों सब तरहसे अच्छी तरहसे हो।

क्योंकि तुम्हें 'हरिजन'से मेरे बारेमें सब कुछ मालूम हो जायेगा, इसलिए मैं अपने बारेमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ।

बापू

१. पिपरे सेरेसोल, युद्धका विरोध करनेवाले स्विट्जरलैंड-निवासी एक सज्जन और 'अंतर्राष्ट्रीय सेवा' के संस्थापक।

[पुनश्च :]

देवदास अभी-अभी जेलसे छूटा है। बा, प्यारेलाल और महादेव अभी भी वही है।

बापू

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २३३७) से।

## ४९१. भाषण : गुरुवायूरकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

११ जनवरी, १९३४

मित्रो,

मैं चाहूँगा कि आप सब लोग बिल्कुल शान्ति रखें।<sup>२</sup>

हमें यहाँ इस सनातन सत्यका एक सशक्त दृष्टान्त मिल गया कि “अपने मन कछु और है, कर्त्तिके कछु और”। मैं तो आपके सामने ऐसे विषयो पर बोलना चाहता था जो आपके लिए, मेरे लिए और समस्त हिन्दू ससारके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो। ऐसा करनेके बजाय मुझे बहुमूल्य चालीस मिनट ऐसे दृश्यको देखनेमे लगाने पड़े हैं जो मैंने आज सुबह ही देखा।<sup>३</sup> मैंने अपने दो देशभाइयोको यहाँ चवूतरे पर लेटे हुए देखा, उनमे से एकके मुँहसे खून बह रहा था और दोनो ही वेहोश दिखाई देते थे। इसलिए सबसे पहले तो मुझे अपने इन देशभाइयोकी जो देखभाल मुझसे सम्भव थी वह करनी पडी। और इसीलिए मैंने उन्हें चिकित्साके लिए प्रो० मलकानीकी देखरेखमे यहाँके दवाखानेमें भेज दिया है। जहाँतक मुझ जैसा एक साधारण शुश्रूषा करनेवाला समझ सकता है, मैं नहीं समझता कि उनका जीवन किसी प्रकारसे खतरेमें है। और आइए, हम सब मिलकर प्रार्थना करे कि वे जल्दी ही बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाये।

अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघकी ओरसे यहाँ आये हुए दो अन्य मित्रोसे मुझे पता चला कि वे सभी यहाँ उक्त संघकी ओरसे ही आये हुए हैं। इस सभामे शामिल होनेका उनको भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपमे से किसी व्यक्ति को। यदि उनका इरादा शान्तिपूर्ण ढंगसे विरोध-प्रदर्शन करनेका था तो इसका उन्हें पूरा अधिकार था। सनातन धर्मका प्रतिनिधित्व करनेवाले लोग इस प्रकारके प्रदर्शनों का सहारा ले, यह बात मुझे कितनी ही असगत और अरुचिकर क्यों न लगती हो,

१. इस सभामे लगभग २,००० लोग मौजूद थे।

२. यह वाक्य हिन्दू में छपी रिपोर्टसे लिया गया है।

३. इस सभाके शुरू होनेसे कुछ देर पहले ही स्वयंसेवकों और दो सनातनियों, राधेश्वर शास्त्री और कल्पनायजीके बीच हाथापाई हो गई थी जिसमें इन दोनोंको गम्भीर चोटें आईं। देखिए “पत्र : वल्लभभाई पटेलको”, १५-१-१९३४ मी।



लेकिन कल पालघाटमें ऐसे प्रदर्शन करनेके उनके अधिकारको मैंने स्वीकार किया था, और वहाँकी सभामें सार्वजनिक रूपसे मुझे उनके विरोध-प्रदर्शनकी चर्चा करनेमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई; बल्कि जो लोग मेरे प्रति अपने स्नेहका प्रदर्शन और मेरे कार्यके प्रति सहानुभूति प्रकट करने आये थे, उनके प्रदर्शनकी मैंने उतने विस्तारसे चर्चा नहीं की। और मैंने वही उसी वक्त यह बता दिया था कि किस कारणसे मैंने स्नेह-प्रदर्शनकी अपेक्षा इस काले झण्डेका प्रदर्शन ज्यादा पसन्द किया था। यहाँपर मैं उन कारणोंको फिरसे नहीं बताऊँगा, लेकिन यदि मेरा सार्वजनिक भाषण किसी स्थानीय पत्र-पत्रिकामें छपे तो मैं चाहूँगा कि आप उसे देख लें। यहाँ तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इन दोनों देशभाइयोको चोटें लगी देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ, अब चाहे वे किसी कारण लगी हो और चाहे किसीने पहुँचाई हो। यदि इन दोनों मित्रोंपर हुए हमलेमें इस सभाका आयोजन करनेसे सम्बन्धित किसी स्वयंसेवक या व्यक्तिका हाथ था तो मुझे यह कहनेमें कोई झिझक नहीं है कि उसने हरिजन-सेवाके अनुष्ठानको लांछित किया है, और जिस हिन्दू धर्मकी वह समझा था कि सेवा कर रहा है उसे उसने चोट पहुँचाई है।

मैं यह बार-बार कह चुका हूँ कि हिन्दू-धर्मके इस अनुष्ठानकी सेवा केवल वे ही स्त्री-पुरुष कर सकते हैं जिनका चरित्र सन्देहसे परे है और जिनको अपने चरित्रके बनने-बिगडनेका भय है। आत्मशुद्धिके इस आन्दोलनमें उतावलेपनमें कुछ कहनेकी, जल्दीमें काम करनेकी, गाली देनेकी कोई गुंजाइश नहीं है। शारीरिक क्षति पहुँचानेकी तो बिलकुल भी नहीं। अपने इन दोनों देशभाइयोके प्राण हमें उतने ही प्यारे होने चाहिए जितने कि अपने सगे-सम्बन्धियोंके हैं। और यदि इस सभामें ऐसे कोई लोग मौजूद हो जिनका इन दोनोंको चोट पहुँचानेमें हाथ रहा हो तो मैं उन्हें आमन्त्रित करता हूँ कि वे सार्वजनिक रूपसे अपना अपराध स्वीकार करके और भविष्यमें ऐसा निन्दनीय काम न करनेकी प्रतिज्ञा करके अपने इस अपराधको धो डालें।

हालाँकि अस्पृश्यताकी इस बुराईको मैं अत्यन्त तीव्रता और गहराईके साथ अनुभव करता हूँ तथा मेरा यह पक्का विश्वास है कि यदि अस्पृश्यताको हिन्दू-धर्मसे बिलकुल निकाल नहीं दिया गया तो हिन्दू-धर्मका नाश अवश्यम्भावी है, तो भी मैं यह नहीं चाहूँगा कि अस्पृश्यताका निवारण बलप्रयोग द्वारा अथवा शक्तिका प्रदर्शन करके या फिर किसी प्रकारकी जोर-जबरदस्तीसे किया जाये। अस्पृश्यता-निवारणका मामला कानून अथवा जोर-जबरदस्तीका नहीं है। यह तो करोड़ों हिन्दुओंके हृदय-परिवर्तनकी तथा उनकी पूर्ण आत्मशुद्धिकी बात है। और यह सब तो केवल तभी सम्भव है जब हजारों कार्यकर्त्ता स्वयं अपनेको बलिदान कर दें, अन्य लोगोंको चोट पहुँचाकर यह करना सम्भव नहीं है। और जितने शास्त्र मैंने पढे हैं उनमें प्रत्येकमें ऊँचे स्वरसे यही बात कही गई है कि धर्मकी रक्षा केवल तपश्चर्या द्वारा ही हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगोंमें से प्रत्येक व्यक्तिसे, आप लोग, जो जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहाँ मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, आपसे मैं कहता हूँ कि याद

रखे, यह आन्दोलन वैयक्तिक और निजी आत्मशुद्धि और आत्म-विश्वास लानेका आन्दोलन है। और यदि आप इस प्रश्नपर इस दृष्टिसे नहीं सोच सकते तो मैं यह बेहतर समझूँगा कि आपने मेरा साथ छोड़ दिया होता और मेरी सभी सभाओंका आपने बहिष्कार कर दिया होता। यदि कोई पुरुष या स्त्री मेरे पास आकर मेरी बात सुननेको या मुझे एक औसत दूध देनेको उत्सुक हो तो उसे ऐसा तभी करना चाहिए जबकि उसका इस उद्देश्यके साथ पूर्ण तादात्म्य हो और आत्मशुद्धिकी पूरी भावना हो।

गुरुवायूरके इस विशाल मन्दिरकी छाया-तले यह सब कहने तथा अपने विश्वास को प्रकट करनेके बाद मैं उन लोगोसे जो वर्णाश्रम स्वराज्य सघकी गतिविधियोको चला रहे हैं और उस जैसी अन्य सहयोगी सस्थाओसे भी मैं यह हार्दिक अनुरोध करता हूँ कि वे इस बातको समझ ले कि जिस प्रकारके प्रदर्शन वे कर रहे हैं उस प्रकारके प्रदर्शनो द्वारा वे उस धर्मकी रक्षा नहीं कर सकते जिसे वे सनातन धर्म कहते हैं। मध्य प्रान्तके पूरे दौरेके दौरान उन्होंने कुछ ऐसे ही लोग भेज रखे थे जो हर कदमपर मेरी कारके आगे साष्टांग लोट कर मुझे आगे बढ़नेसे रोकना चाहते थे। मेरी देखभाल करनेवाले स्वयसेवको और इन छ'-सात नौजवानोके बीच अक्सर झगडा हुआ करता था। सौभाग्यसे कोई गम्भीर या अप्रिय घटना नहीं घटी हालाँकि मध्य प्रान्तके दौरेके दौरान दोनो पक्षके लोगोको खरोचे जरूर आईं। बहुत जल्द ही मैंने इन प्रतिरोधात्मक प्रदर्शन करनेवाले लोगोको मित्र बना लिया और जितनी गम्भीरतापूर्वक मैं कह सकता था मैंने उनसे यह कहा कि हिन्दू-धर्मकी रक्षा करनेका यह कोई तरीका नहीं है।' उनमेसे कुछ तो नौजवान ही थे जिन्हे यह भी नहीं मालूम था कि वे कर क्या रहे हैं। मुझे सन्देह है कि सिर्फ एकको छोडकर उनमेसे किसीको हिन्दू धर्मकी मूल बातोका ज्ञान भी था। और मैंने यहाँ भी यही आशा की थी कि यदि यहाँ विरोध-प्रदर्शन करनेके इच्छुक लोग होंगे तो मैं उन लोगोसे मिलूँगा, उनसे बातचीत करूँगा, उनकी बातको समझूँगा और यह जान लूँगा कि वे लोग हैं कौन। लेकिन मुझे दुख है कि मलाबार मे कदम रखते ही मुझे वैसा दृश्य देखनेको मिला जैसा यहाँ देखा। यह ज्यादा अच्छा होता कि मैं उनसे पहले ही मिलकर यह पता चला सका होता कि वे चाहते क्या हैं। लेकिन उन्होंने दूसरे रास्तेसे आना तय किया। मैं उन्हें अब भी निमन्त्रण देता हूँ कि वे मुझसे आकर मिल ले और मुझे यह बतायें कि वे मुझसे ठीक-ठीक क्या करवाना चाहते हैं; मैं यह दौरा तो नहीं रोकूँगा, लेकिन इसके सिवा मैं उन्हें इस बातकी पूरी सुविधा और सहूलियत प्रदान करूँगा कि वे अपने विचार व्यक्त कर सके, यहाँ तक कि यदि वे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहें तो वह भी कर सके। लेकिन मैं दोनो पक्षोकी ओरसे किसी प्रकारकी गुडागर्दीको टालनेके लिए अत्यन्त उत्सुक हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार मेरा उद्देश्य ईमानदाराना है उसी प्रकार उन लोगोका भी ईमानदाराना उद्देश्य है जो अपनेको सनातनी कहते हैं। लेकिन दोनोको ही अपने

विचार व्यक्त करने और लोकमतको ढालनेकी एक जैसी छूट होनी चाहिए। आखिर-कार सनातन धर्म किसी एक वर्गके लोगोका ही विशेषाधिकार नहीं है। जिस अर्थमें वे सनातन धर्मका प्रतिनिधि होनेका दावा करते हैं उसी अर्थमें मैं भी अपनेको सनातन धर्मका प्रतिनिधि मानता हूँ। अस्पृश्यताके विरुद्ध मेरे इस प्रबल विरोधका आधार वे शास्त्र ही हैं जिनकी कि वे दुहाई देते हैं और यदि करोड़ो हिन्दुओके बीच मैं अकेला भी पड़ गया तो भी मैं शास्त्रोंकी अपनी व्याख्यापर अटल रहूँगा क्योंकि वे शास्त्र मुझे यह भी तो बताते हैं कि अन्तरात्माकी पुकारका विरोध नहीं करना चाहिए। भगवानका शुक है कि जो व्याख्या मैं आपके सामने पेश करता रहा हूँ उसे माननेवाला मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। इसके विपरीत मेरे साथ ऐसे विद्वान् शास्त्री हैं जिनको शास्त्रोंकी व्याख्या करनेका त्रिलकुल उतना ही अधिकार है जितना कि अपनेको सनातन धर्मका प्रतिनिधि समझनेवाले लोगोंको है। और ये विद्वज्जन शास्त्रोंकी ठीक वैसी ही व्याख्या करते हैं जैसी व्याख्या मैंने हजारों स्त्री-पुरुषोंके सामने प्रस्तुत की है। और लगभग पचास वर्षोंके लगातार अनुभवके आधारपर मेरी यह निश्चित धारणा बन गई है कि आज हम जिस प्रकारकी अस्पृश्यताका पालन करते हैं, हिन्दू शास्त्रोंमें उसका कोई औचित्य नहीं बताया गया है। मेरा दावा है कि हरिजनको पूजा करनेका, सांख्यिक समस्याओंके उपयोगका, और जीवनके अन्य सभी क्षेत्रोंमें वे ही सब अधिकार प्राप्त हैं जो ऊँचेसे-ऊँचे वर्गके हिन्दुओं और अन्य हिन्दुओंको प्राप्त है। इसलिए मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि गुरुवायूर और ऐसे ही अन्य प्राचीन मन्दिरोंमें जानेका जितना अधिकार दूसरे हिन्दुओंको है, जबतक उन्हीं शर्तोंपर उतना ही अधिकार हरिजनको नहीं मिला, तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वण हिन्दुओंने हरिजनको प्रति अपने दूनियादी कर्तव्यका पालन कर लिया है।

लेकिन मेरा धर्म असीम है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि केलप्पनको अनशन करते हुए कई दिन हो गये थे तथा अनेक सुधारकोंने मन्दिरमें जाकर केल-प्पनके साथ सहानुभूति-सूचक अनशन करनेकी धमकी दे दी थी और हालाँकि सुधारक लोग यह समझने भी लगे थे कि विजयश्री लगभग उनके हाथोंमें आ गई है तो भी मैंने अपनी उपवास-अभ्यासे अत्यावश्यक तार<sup>१</sup> द्वारा केलप्पनको यह सन्देश भेजा था कि अनशन स्थगित कर दो और जो लोग गुरुवायूर मन्दिरके अन्दर हैं उन्हें वहाँसे हटा लो। और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि अनशन करनेका अभी समय नहीं आया है और मुझे इस अनशनमें जोर-जबरदस्तीकी गन्ध-सी लगी। इसका जिज्ञा मैं यह बतानेके लिए कर रहा हूँ कि एक भी मन्दिर जोर-जबरदस्तीसे खुलवानेका मैं अपराधी नहीं बनूँगा। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि जहाँ मन्दिर खुलवानेके पक्षमें लोकमत पूरी तरह और स्पष्ट रूपसे जाग्रत हो गया हो वहाँ मन्दिर खोल दिये जायें। ऐसा करनेमें अगर कोई कानूनी बाधा आड़े आती हो तो मैं चाहता हूँ कि उसे भी दूर कर दिया जाये। मन्दिर-प्रवेश विधेयकका यही, केवल यही अभिप्राय है, इसके सिवा और कुछ नहीं। जिस कानूनी बाधाके कारण

आज बहुत-से न्यासी लोग अपने प्रबन्धाधीन मन्दिरोंको हरिजनोके लिए खोलनेमें असमर्थताका अनुभव करते हैं, मन्दिर-प्रवेश विधेयक केवल उनकी उस विवशताको दूर कर देता है। इसलिए इस मन्दिर-प्रवेश विधेयकमें अथवा उससे मिलते-जुलते अस्पृश्यता-विरोधी विधेयकमें किसी भी तरह की बाध्यकारिता या जोर-जबर्दस्तीका लेशमात्र भी नहीं है।

मगर आज सवेरे मेरे कानमें यह भनक पड़ी कि इस मन्दिर-प्रवेश आन्दोलनके पीछे यदि मेरा नहीं तो मेरे साथियोंका यह दृष्ट उद्देश्य जरूर है कि मन्दिरोंपर अधिकार करके उनपर अपना स्वामित्व स्थापित कर ले। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि यह बात नितान्त असत्य है। मेरे मनमें बिल्कुल भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और मैं अपने ऐसे किसी साथीको नहीं जानता जिसके दिलमें ऐसा इरादा हो।

यदि ऐसी दुष्ट इच्छा किसी साथीकी हो तो उसके लिए इस आन्दोलनमें कोई स्थान नहीं है। मन्दिरोंका अधिकार तो निस्सन्देह उन्हींके हाथोंमें रहेगा, जिनके हाथोंमें आज उनका कानून-सम्मत अधिकार है।

इससे मिलती-जुलती एक बात मुझसे यह पूछी गई है कि क्या इस आन्दोलन का उद्देश्य ब्राह्मण धर्मको नष्ट करनेका भी है? मैं बस आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसा इरादा रखनेका अपराधी तो मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी दृष्टिमें ब्राह्मणत्वकी महत्ता घटानेका अर्थ है हिन्दू-धर्मकी महत्ता कम करना। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि तथाकथित ब्राह्मण आज जो दावे करते हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। समाज किसी भी मनुष्यको, केवल उसके जन्मके कारण ब्राह्मण नहीं मान सकता। शास्त्रोंने तो यह कहा है कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ मनुष्य यदि ब्राह्मण-धर्मके अनुसार आचरण नहीं करता तो वह सामान्य जनो द्वारा ब्राह्मण कहलानेका अधिकार खो देता है। इस आन्दोलनमें ही ऐसे ब्राह्मण मौजूद हैं जो यह कहते हैं कि जबतक वे शास्त्रों द्वारा ब्राह्मणोंके लिए विहित नियमोंका पालन नहीं करते तब-तक उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण हिन्दू-धर्मका ही नहीं, धर्ममात्रका आधारस्तम्भ है। लेकिन यहाँ आपको ब्राह्मण शब्दका अर्थ समझ लेना चाहिए। जिसने ब्रह्मको जान लिया, वही ब्राह्मण है। अगर उसे यह ब्रह्मका ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है तो उसका प्रत्येक कार्य यह दिखाता है कि उसी ज्ञानकी प्राप्तिके लिए वह सतत प्रयत्नशील है, अन्य किसी चीजके लिए नहीं। ऐसे ब्राह्मणको तो नित्य प्रातः काल मेरे दस सहस्र साष्टांग प्रणाम हैं, लेकिन उस ब्राह्मणको नहीं जो स्वार्थ-प्रेरित है, जो निरन्तर सन्तानोत्पत्तिमें लगा हुआ है,<sup>१</sup> जो ज्यादातर अपना ही स्वार्थ-चिन्तन करता है, दूसरोंके बारेमें शायद ही कभी सोचता हो, और न ही उस ब्राह्मणको जो समस्त शरीरपर भस्म लगाये हो और अत्यौपचारिक तथा शुद्ध रूपसे वेद-पाठ कर सकता हो। भस्मका लगाना तो उसके लिए शायद ही अनिवार्य हो पर वेदोंको अपने जीवनमें उतारना तो उसका धर्म ही है। अपने जीवनके प्रत्येक कार्यमें ब्रह्मका दर्शन कराना उसके लिए आवश्यक है। स्वयं शुद्ध रहना और अपनी

१. हिन्दू में छपे विवरणमें “ जिसने अपमानोंकी पुनरुक्ति की है ” दिया गया है।

इस शुद्धिकी सुगन्ध आसपास फैलाना उसका धर्म है। दूसरोंको जीवित रखनेके लिए हर समय अपने प्राण हथेलीपर रखे रहना उसका धर्मही है। अब आप समझ लीजिए कि सच्चे ब्राह्मण और सच्चे ब्राह्मण-धर्मके प्रति मेरे हृदयमें कितना आदर है।

आज सवेरे जो मुझे एक छपा हुआ पत्र दिया गया था, और जिसके लेखकने उसमें मुझसे अनेक प्रश्न पूछे थे, और जिनका उत्तर उसने आज सवेरे ही मांगा था, मेरा खयाल है कि इतना मुननेके वाद उसे अब मेरे उत्तरोंकी आवश्यकता शायद न रही हो। लेकिन मैं उससे इतना तो कह सकता हूँ कि उसने इसमें जो प्रश्न उठाये हैं अगर वह उनमेंसे प्रत्येकका विस्तृत उत्तर चाहता है तो उस सबको वह 'हरिजन'की फाइलमें देख सकता है। उसमें वह यह भी देखेगा कि उसने अपने पत्रमें अनेक चीजोंकी जो व्याख्या की है, उससे असंदिग्ध रूपसे पता चलता है कि उसने 'गीता' और हिन्दूधर्मके सन्देशको गलत समझा है।

अन्तमें उस पत्र-लेखकने मुझसे मिलनेके लिए समय मांगा है। मुझे दुःख है कि वह मुझसे गुरुवायूरमें तो नहीं मिल सकता लेकिन वह १६ तारीखको सवेरे दस बजे कालीकटमें मुझसे भेंट कर सकता है। पालघाटमें कल कुछ विद्वान् पंडितोंके साथ वाद-विवाद करनेका मुझे निमन्त्रण मिला था। जहाँ तक पालघाटका सवाल था मुझे उन्हें निराश करनेमें दुःख हुआ, क्योंकि जिस समय मुझे उनका निमन्त्रण मिला उस समय मैं पालघाटसे रवाना होनेकी तैयारीमें था। लेकिन मैंने उन्हें १६ तारीखको कालीकटमें सवेरे १० बजे मिलनेका समय दे दिया है। वही यह पत्र-लेखक और वे दूसरे भाई मुझसे सहर्ष मिल सकते हैं और मैंने जिन बातोंका यहाँ जिक्र किया है उसपर तथा वातचीतके दौरान उठनेवाले अन्य मुद्दोंपर वे मुझसे जो चर्चा करना चाहते हों, वह कर सकते हैं। हालाँकि १६ जनवरी मेरा कार्यक्रमसे मुक्त दिवस है, लेकिन मेरे लिए वह मनोरंजनका दिन नहीं है। इसलिए पंडितोंको भेजे अपने पत्रमें मुझे भेटका समय आधा घंटा ही रखना पड़ा। लेकिन अब मेरा इरादा उस वातचीतको एक घंटेका समय देनेका है जिससे यदि पंडित लोग निमन्त्रण स्वीकार कर लें तो वे पूरा आधा घंटा अपनी बात कह सकें। मुझे किसी भी मनुष्यसे कोई बात छिपानी नहीं है और न ही अपना अज्ञान छिपानेकी मेरी तनिक भी इच्छा है। मैं अपनी ज्ञान-मर्यादा तो बता ही चुका हूँ। मैं किसी भी रूपमें विद्वान् होनेका दावा नहीं करता। मैं तो अपनेको एक विनम्र सत्यान्वेषक मानता हूँ और हिन्दू-धर्मके प्रत्येक आदेशको जैसा मैंने समझा है उसका अक्षरशः पालन करनेके लिए सदा आतुर रहता हूँ। इसीलिए मैं मुक्त रूपसे यह स्वीकार करता हूँ कि यदि ये पंडित या दूसरे लोग मुझसे वेद-पाठ करनेको कहें अथवा वेदोंका भाष्य कराना चाहें तो मुझे विलकुल पराजित कर देंगे। किन्तु शास्त्रोंके विषयमें मेरी जो भावना है उससे वे मुझे आसानीसे विचलित नहीं कर सकेंगे। अगर ईश्वरका ज्ञान या हिन्दू-धर्मके

१. पंडितों न यह निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया। उल्टे उन्होंने गांधीजीको यह लिखा कि वे गांधीजीसे दूरी मिलेंगे जब गांधीजी उनसे शास्त्रों पर एक घंटा नहीं बल्कि लगातार कई दिन चर्चा करनेको तैयार होंगे और यह चर्चा भी वे केवल संस्कृतमें ही करनेको तैयार होंगे।

मूल सिद्धान्तोंका ज्ञान केवल सारे वेदों तथा अनगिनत ग्रन्थोंके गहन ज्ञानपर ही निर्भर करता हो, तो शायद ही कोई मनुष्य यह कह सकेगा कि 'मैं ईश्वरके बारेमें कुछ जानता हूँ।' लेकिन ये शास्त्र तो कहते हैं कि इस ससारमें प्रत्येक मनुष्यको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बशर्त कि वह अपना हृदय शुद्ध कर ले।

आप लोगोंने शान्तिसे जो मेरा भाषण सुना, उसके लिए मैं आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। आइए, हम सब मिलकर उस सर्वशक्तिमान् ईश्वरसे प्रार्थना करें कि वह हमें सुपथपर चलनेकी प्रेरणा दे और हमें यथेष्ट शक्ति दे कि हम अपने दिलोंसे अस्पृश्यताका यह भूत भगा सके।

अन्तमें, कृपया ध्यान रहे कि जो लोग यह मानते हैं कि अस्पृश्यता एक बुराई है और जो यह भी मानते हैं कि इसे केवल आत्मशुद्धि द्वारा ही दूर किया जा सकता है उन्हें चाहिए कि वे इस आन्दोलनके विरोधियोंके एक रोएँको भी कभी हानि न पहुँचाये। इसके विपरीत, हमें उन्हें अपने सही आचरणसे और प्रेमपूर्वक समझा-बुझाकर जीतना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन दो मित्रोंके साथ, जो इस समय अस्पतालमें पड़े हुए हैं और जो वर्णाश्रम स्वराज्य सभके प्रतिनिधि हैं, आदर और स्नेहका व्यवहार करे तथा उन्हें अपना अतिथि माने। वे क्या करेंगे, इसकी परवाह न करते हुए आप तो उन्हें अपने आतिथ्य तथा स्नेहकी ऊष्माका ही अनुभव होने दीजिए, उनको अपनी कटु भर्त्सना का अनुभव मत कराइए।

[ अग्नेजीसे ]

हरिजन, २६-१-१९३४ तथा हिन्दू, १२-१-१९३४

## ४९२. भाषण : पत्तम्बीमें<sup>१</sup>

११ जनवरी, १९३४

मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मलाबारमें, जहाँ हमेशा हरियाली रहती है आपको कागजके कृत्रिम फूलोंका उपयोग करना पड़ा। मैं तो समझता था कि मलाबार में, जहाँ प्रकृति आप लोगोपर इतनी दयालु है, आप लोग कृत्रिमतासे अपने आपको बचा सकते हैं। लेकिन मेरा खयाल है कि इस प्रदेशके प्राकृतिक सौन्दर्यकी कद्र करनेके लिए आपको ऐसे व्यक्तिकी मददकी जरूरत है जो वृक्षहीन मरुभूमिका रहनेवाला हो जैसाकि मैं हूँ। जिस तरह आपने फूलोंके मामलेमें कृत्रिमताका सहारा लिया है उसी प्रकार अस्पृश्यताके मामलेमें भी आप कृत्रिमताका सहारा लेते हैं, और फिर आप समझते हैं कि कृत्रिम वस्तु स्वयं ईश्वरने भेजी है। मैं आपको यह चेतावनी देनेके लिए आया हूँ कि अस्पृश्यता, अनुपगम्यता और अदर्शनीयता इन सब बातोंको शास्त्र-सम्मत मानना भूल है। मेरे विचारसे ऐसा करके हम हिन्दू लोग मनुष्यके प्रति और ईश्वरके प्रति सबसे बड़ा पाप करते रहे हैं। मनुष्यको मनुष्यके दर्जेसे गिराना, जैसा कि दुनियाके इस भागमें हम करते रहे हैं और उसपर यह कहना

१. चन्द्रशंकर शुक्लके "साप्ताहिक पत्र" से उद्धृत।

कि वे आज जो है सो अपने पिछले कर्मोंके फलस्वरूप है, कर्मके सिद्धान्तको भ्रष्ट रूपमें प्रस्तुत करने जैसा है। मैं अपने निजी अनुभवके आधारपर कर्मके सिद्धान्तके बारेमें थोड़ा-बहुत जाननेका दावा करता हूँ क्योंकि पिछले ५० वर्षोंसे मैंने लगातार यह जाननेकी कोशिश की है कि कर्मका सिद्धान्त क्या हो सकता है। और मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इसे अपनेको छोड़कर अन्य सब लोगोपर लागू करना इसे विकृत बनाना है; और यदि मेरे पास इस समय ज्यादा समय होता तो मैं आप सबको इस बातका पूरा यकीन दिलाता कि आप नायडी और अन्य लोगोपर कर्मके सिद्धान्त को उस तरह कदापि घटित नहीं कर सकते जिस प्रकार कि आप घटित करते हैं। और मैंने जैसा सुझाव दिया है उसके अनुसार यदि हम कर्मके सिद्धान्तको लागू करते अर्थात् स्वयं अपने ऊपर लागू करें, तो हम यहाँ की भूमिको और अन्य स्थानोकी भूमिका स्वरूप ही बदला हुआ पायेगे। इसलिए मैं आपमें से हर व्यक्तिसे यह अनुरोध करने आया हूँ कि आप अस्पृश्यताके इस प्रेतको निकाल फेंके। यदि आप ऐसा नहीं करेगे, तो यकीन मानिए, यह प्रेत हमें खा जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १९-१-१९३४

## ४९३. टिप्पणी

मंत्रीपूर्ण बातचीतका सदा स्वागत है

मद्रासमें अपने संक्षिप्त प्रवासके दौरान मैंने अखबारोंमें कुछ सज्जनोंके हस्ताक्षरोसे युक्त एक सार्वजनिक अपील देखी। यह अपील मुझे सम्बोधित की गई थी। इसमें मुझे अस्पृश्यताके बारेमें एक सार्वजनिक परिचर्चा करनेके लिए कहा गया था। बादमें मुझे उस अपीलकी टाइपशुदा प्रति भी मिली थी जिसके शुरूमें सबसे ऊपर निम्नलिखित वाक्य लिखे हुए थे :

चूँकि आप ज्यादा जाननेका दम्भ करते हैं इसलिए कृपया सामने आइए और खुली चर्चा कीजिए। यह मत कहिए कि आपके पास 'समय नहीं है, समय नहीं है'। जब आपकी हैसियतको ही चुनौती दी जा रही है उस समय ऐसा कहना शर्मनाक है। इससे दुनिया आपपर हँसेगी, आपकी खिल्ली उड़ायेगी।

और इसके बाद यह आश्चर्यजनक अनुच्छेद आता है :

अपनी उन सभी राजनीतिक गतिविधियोंको छोड़ देनेके बाद जिनके कारण उन्हें सचमुच भारतीय राजनीतिमें ख्याति मिली और व्यावहारिक दृष्टिसे उस महान् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको नष्ट करनेके बाद जिसने उन्हें वस्तुतः अपना तानाशाह बना दिया था और अपनी आँख मूंद कर किस्मतकी बागडोर उनके हाथोंमें सौंप दी थी तथा न केवल कदृतर सनातन धर्मावलम्बियोंको पीड़ा

पहुँचाकर अपितु इस देशके सभी भारतीय राष्ट्रवादके प्रेमियोंको भी कष्ट पहुँचानेके बाद श्री गांधीने इधर कुछ समयसे अस्पृश्यताके विरुद्ध और मन्दिर प्रवेश कानूनके पक्षमें बहुत जोरोंके साथ प्रचार करना शुरू कर दिया है। तबसे वे जनताके सम्मुख अपने ही सिद्धान्त-सूत्र और प्रासंगिक विचारोंको व्यक्त कर रहे हैं लेकिन उन्हें वे अपने निजी विचार कह कर अथवा रूसो, टॉल्स्टॉय, लेनिन आदिके विचारोंके नामपर नहीं अपितु सनातन धर्म, समाजशास्त्र और सामान्य न्याय आदिके नामपर व्यक्त कर रहे हैं।

मैं जब नेल्लूर जिलेका दौरा कर रहा था तब भी मुझे ऐसी ही एक और अपील की गई थी। चर्चके लिए निमन्त्रित करते हुए मुझे जो तार भेजा गया था उसमें कहा गया था।

हमें लगता है कि आप हिन्दू-धर्मको अच्छी तरह समझ नहीं पाये हैं और आप हिन्दुओंको सच्चे नैतिकतापूर्ण और धार्मिक जीवनसे गुमराह कर रहे हैं।

मैं इन निमन्त्रणोका तत्काल उत्तर नहीं दे पाया था। बातचीतके लिए मुझे अन्तिम निमन्त्रण रातके दस बजे बेंकटगिरिमें मिला था।<sup>१</sup> अगले दिन मुझे तिरुपति पहुँचना था जिसके समीप ही एक स्थान पर मुझे प्रस्तावित परिचर्चामें भाग लेनेको जाना था। लेकिन मुझे तिरुपतिमें अपने मेजबान की मार्फत मौखिक सन्देश भेज कर ही सन्तोष करना पड़ा। जहाँ तक पहले आमन्त्रणका सवाल है, मैंने यह सन्देश भेज दिया था कि मैं किसी भी व्यक्तिके साथ मैत्रीपूर्ण बातचीतके लिए तैयार हूँ और यदि मुझे अपनी भूलका अनुभव करा दिया जाये तो मैं उसे भी माननेको तैयार हूँ। मुझे यह भी कहना पडा कि मेरे पास बहुत कम समय है और फिलहाल यह परिचर्चा जहाँ मैं निश्चित करूँगा वही होगी। मैंने इन स्तम्भोंमें अनेक बार अपनी मजबूरियोका जिक्र किया है : मैं कोई संस्कृतका पण्डित नहीं हूँ लेकिन इतनी संस्कृत मुझे जरूर आती है कि मुझे जो अनुवाद दिये जाये यदि उनमें कोई भूल हो तो मैं उसे पकड़ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने शास्त्रोका ठीक अध्ययन किया है और उससे मुझे सन्तोष है और मैं इस बातका दावा करता हूँ कि मैंने युवावस्थासे ही शास्त्रोके दुनियादी सिद्धान्तोको जीवनमें उतारनेकी कोशिश की है। इसलिए हिन्दूधर्मके कुछ मूलभूत सिद्धान्तोको लेकर मैं जिन निष्कर्षों पर पहुँचा हूँ उन निष्कर्षोंको पूर्ण विश्वासके साथ जनताके आगे रखते हुए मुझे कोई संकोच नहीं होता। मैं जिन निष्कर्षोंपर पहुँचा हूँ उनमें से एक यह है कि भारतमें अस्पृश्यता आज जिस रूपमें प्रचलित है उसका शास्त्रोमें कोई विधान नहीं किया गया है। और मेरे इस निष्कर्षका कई शास्त्री लोग समर्थन करते हैं तथा ये लोग उन लोगोसे कोई कम पढे लिखे नहीं हैं जो इसके विरोधी हैं। जो लोग मेरा समर्थन करते हैं वे लोग भी अपने आपको उतना ही अच्छा सनातनी मानते हैं जितना कि विरोधी विचार रखने वाले खुदको मानते हैं। लेकिन मैंने हमेशा



विरोधियोंके विचारोका आदर किया है और इसलिए वे जो कहते हैं मैंने उसे हमेशा ध्यानसे सुना है। मैंने उनके साथ अनेक बार बातचीत की है और उससे मेरे विचारोंकी पुष्टि ही हुई है। इसलिए यह मानते हुए भी कि ऐसी किसी बातचीतसे मेरी रायमें कोई अन्तर नहीं आयेगा, मैं चर्चा करनेके इच्छुक लोगोंको समय देने और उनसे बातचीत करनेके लिए तैयार हूँ, वशतँ कि वे मेरे दैनिक कार्यक्रमको ध्यानमें रखते हुए कोई उपयुक्त समय निर्धारित करें। मैं उस कार्यक्रममें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता जो मेरे लिए आगामी कुछ महीनोंके लिए पहलेसे ही तय किया जा चुका है। इस दौरेके दौरान मैं कुछ एक स्थानों पर सनातनियों से पहले ही इस विषय पर बातचीत कर चुका हूँ। यदि वे लोग जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे अखबारोंके जरिये मुझे लिखते हैं, सामान्य शिष्टाचारके नियमोंका पालन करते हैं और यदि वे सामूहिक रूपसे कार्य करनेके लिए कोई आधार ढूँढना चाहते हैं तो मुझे इस बारेमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ऐसे बहुतसे मुद्दे हैं जिन पर हम परस्पर सहमत हो सकते हैं; यहाँ तक कि मन्दिर-प्रवेश और उससे सम्बन्धित प्रस्तावित कानूनको लेकर भी किसी निश्चय पर पहुँचा जा सकता है। पारस्परिक और मैत्रीपूर्ण बातचीत द्वारा बहुत-सी गलतफहमियोंको दूर किया जा सकता है। सामान्य पाठकोंकी जानकारीके लिए मैं यह बता दूँ कि कई सनातनी मुझसे नाराज हैं और मुझे वे हर तरहसे अपमानित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सनातनी लोग भी हैं जिन्होंने मेरे सन्देशके मुख्य मुद्देको समझ लिया है और अब वे मेरे समर्थक बन गये हैं। लोगोंके दिलो-दिमाग तक अपनी बात पहुँचानेकी कोशिश करनेके अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। और मैं जिस सुधारकी बात करता हूँ वह सुधार केवल करोड़ों हिन्दुओंके हृदय-परिवर्तनसे ही हो सकता है। इसलिए मैं जिस उद्देश्यको लेकर यह दौरा कर रहा हूँ उसके हितमें भी यही है कि मैं जब भी सम्भव हो तब अपने विरोधीसे बातचीत करनेके एक भी ऐसे अवसरको अपने हाथसे न जाने दूँ।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, १२-१-१९३४

## ४९४. पत्र : गोविन्दभाई आर० पटेलको

१२ जनवरी, १९३४

भाई गोविन्दभाई,

श्री अरविन्दको मैंने लम्बा पत्र लिखा है, यह बात मैंने आपको लिखी भी है। अभी मुझे उसका कोई उत्तर नहीं मिला है।

आपके अंग्रेजी पत्रके सम्बन्धमें भी मैं लिख चुका हूँ। जो पूछना हो सो पूछना। अधिक तो मिलनेपर ही।'

मोहनदास .

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०७४४) से; सौजन्य: गोविन्दभाई रामभाई पटेल

## ४९५. पत्र : मणिलाल और सुशीला गांधीको

१३ जनवरी, १९३४

चि० मणिलाल और सुशीला,

तुम दोनोंके पत्र मिल गये हैं। मेरे पत्र भी नियमित रूपसे मिलते होंगे। इस वार तो मैंने एक भी डाक नहीं छोड़ी। पिछले पत्रके साथ वा के पत्रकी नकल थी।

शान्तिके सम्बन्धमें सुशीलाने ठीक समाचार दिये हैं। वह व्यर्थके वखेड़ोंमें न पड़े तो बस होगा।

सुशीला पूछती है कि मेरे साथ कौन है। मेरा खयाल है, मैं लिख चुका हूँ। चन्द्रशंकर, मीरावहन, ओम, किसनवहन (प्रेमावहनकी सहेली) प्रो० मलकानी (ठक्कर वापाकी ओरसे) दो हिसाबनबीस विश्वनाथ और दामोदर, एक सामानकी देखरेख करनेवाला—शर्मा, एक टाइपिस्ट—इतना जत्या है।

१. इस पत्रके बारेमें श्री माँ को बताते हुए गोविन्दभाई आर० पटेलने उनसे पूछा था कि क्या यह सच है कि गांधीजीने “श्री अरविन्दसे कम-से-कम एक पंक्ति लिख भेजनेकी माँग की थी और श्री अरविन्दने उन्हें पूरा पत्र ही लिख डाला—जो कि वह सामान्यतः नहीं करते हैं।” उत्तरमें श्री अरविन्दने कागजके टुकड़ेपर पेंसिलसे लिखा था: “हाँ, मैंने उन्हें एक छोटा-सा पत्र लिखा था। इसमें मैंने उन्हें अपने अवकाश ग्रहण करनेका कारण बताया था और जबतक वह कारण मौजूद है तबतक मैं यह नियम भंग नहीं कर सकता तथा इसके लिए मैंने खेद व्यक्त किया था। यह पत्र मैंने उन्हें बगलौरके पतेपर लिखा था और मेरा विश्वास है कि अगर यह पत्र सी० आई० डी० के हाथ नहीं लगा है तो उन्हें मिल गया होगा। मेरा खयाल है कि अगर गांधीजी बगलौरसे रवाना हो गये होंगे तो भी उस पत्रको आगे भेज दिया होगा। आप उन्हें लिखकर इसके बारेमें बता सकते हैं।”

४९७

सीता बहुत बोलती है, तूफान करती है, यह मुझे तो अच्छा लगता है। इन तूफानों और बातूनीपनका सदुपयोग कर लेना माँ-बापका काम है। बहुत-सी शिक्षा तो इसीमें आ जाती है। बच्चोंकी तूफानी वृत्ति तथा बातूनीपन तो एक तरहकी वाष्प शक्ति है। वाष्पका संग्रह करके उसका उपयोग किया जाता है और उसके जरिये बड़ी-बड़ी रेलगाड़ियाँ और जहाज चलते हैं। यही बात बालककी शक्तिकी है। उसकी शक्तिको हम समझें, उसका संग्रह करें तो वह बड़े काम आती है। सीता से इस समय अक्षरोंको घोटनेकी अपेक्षा अभी न करके तो तुझे उससे रेखागणितकी आकृतियाँ खिचवानी चाहिए। इसके बाद वस्तुओंकी और उसके बाद अक्षर। उससे भी पहले अक्षरोंकी पहचान करवाई जाये और उसीके साथ उनकी समझ भी दी जाये। बात चीतके जरिये भी तू उसे रोज थोड़ा ज्ञान दे सकती है। इतिहासका, भूगोलका, विज्ञानका, तथा 'रामायण', 'महाभारत' की कथायें भी सहज ही सिखा सकती है। यह सारा ही खेलखेलमें सीख लिया जा सकता है। इसमें उसे थकावट भी नहीं महसूस होगी बल्कि उल्टे कुतूहल पैदा होगा। थोड़ा-थोड़ा, पर प्रतिदिन, इस प्रकार सीखे तो सीताको श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त हो। अंग्रेजी, गुजराती और हिन्दी तो साथ-साथ ही सीख सकती है। मणिलालको अब क्या मदद करती है?

तुम दोनोमें से कोई भी वेस्टसे मिले क्या? उससे मिलकर उसके समाचार दो। वह दुखी न हो इतना ही काफी है। तुम्हें सहयोग देनेकी अपनी पूरी तत्परता बतानी चाहिए।

बा का ठीक चल रहा जान पड़ता है। इस बार पहली बार-जैसी छूटका उपयोग करती वह नहीं जान पड़ती।

प्रागजीका पत्र तेरे नाम आया सो मैं समझ नहीं पाया। किस सम्बन्धमें बात हुई होगी और मैंने क्या कहा होगा यह मैं नहीं कह सकता। पर मैंने कुछ भी कहा हो, वह तुम दोनोंपर लागू नहीं होता। हर किसी की वस्तुस्थिति एक-सी नहीं होती। इस बातका विचार किया गया होगा कि देशमें आनेके बाद उसका धर्म क्या था। एक दृष्टिसे इतना तो सच ही है कि यहाँ कार्य पूरा हो जाये तो वहाँका भी ठीक परिणाम झट निकल आये। पर इसका अर्थ यह थोड़े ही है कि वहाँका कार्य छोड़कर कोई यहाँ दौड़ा आये। स्वधर्ममें ही श्रेय निहित है, यह बात यहाँ बराबर लागू होती है। इसलिए तुम दोनोके लिए आज जो धर्म है उसीका पालन तुम लोगोंको किये जाना है। और इसका पालन करते हुए यदि नीतिके मार्गसे च्युत न हों तो समझ लो सब-कुछ कर लिया।

देवदास छूट गया है। हाल तो दिल्लीमें ही भटकेगा। मुझे मिलकर जायेगा। उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। वह कान्तिसे मिल आया है। कान्तिकी बहादुरीमें कोई कमी नहीं है। वह तो जेलसे निकलता ही नहीं है। अब यह कबतक निभ सकता है सो देखना है।

किशोरलाल अब थोड़ा ठीक है ऐसा कह सकते हैं। बुखारने अभी पूरी तरह नहीं छोड़ा है। देवदास, लक्ष्मीको पत्र देना। रामदास और नीमूको तो लिखते ही रहना। 'हरिजन' मिलता होगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च:]

यह पत्र तेलिचेरी नामक गाँवमें सवेरे ३ बजेके बाद प्रार्थनासे पहले लिखा गया है।

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० ४८१४) से।

४९६. पत्र : डाह्याभाई पटेलको

१३ जनवरी, १९३४

चि० डाह्याभाई,

तुम्हारा पत्र मिला। मुझे तीनों पत्र एक साथ मिले, यह टेलीपेथीका अच्छा उदाहरण कहा जायेगा।

महादेवकी कठिन परीक्षा हो रही है। उसका शरीर सम्भवतः कुछ गडबडा जायेगा। लेकिन उसे और कोई आँच नहीं आयेगी। जीवनजीको लिखे पत्रके उत्तरमें मैंने उन्हे लम्बा सन्देश भेजा है। लेकिन अब यदि तुम्हे लिखनेका प्रसंग आये तो इस प्रकार लिखना :'

जबकि यह जरूरी नहीं है कि महादेवके पत्र मुझे मिलने ही चाहिये उसे कतई यह नहीं समझना चाहिये कि मेरे पास उन्हें पढनेका समय नहीं है। 'गीता'-वाला भाग शास्त्रीय था और मैंने सोचा कि उसके सम्बन्धमें मुझे तत्काल अपनी राय प्रकट करनेकी कोई जरूरत नहीं है। और सच तो यह है कि 'गीता'के श्लोकोंका मैं जो शास्त्रीय अर्थ करता हूँ मेरे मनमें उसकी कोई बड़ी कीमत नहीं है। कुल मिलाकर जहाँ मेरी व्याख्याके अनुसार अर्थ ठीक नहीं बैठता वहाँ मुझे स्वभावतः उसकी छानबीन करनी पडती है लेकिन साधारण रूपमें तो मुझे कोई एक अर्थ किसी दूसरे अर्थके समान ही स्वीकार्य होगा इसलिए मुझे तो अपनी व्याख्याकी अपेक्षा महादेवकी चिन्तनपूर्ण व्याख्या तुरन्त ही स्वीकार होगी क्योंकि मेरी व्याख्या तो किसी एक भाष्यकारकी व्याख्यापर ही आधारित होगी। इसलिए महादेवको मेरी रायकी प्रतीक्षा किये बिना अपना अनुसन्धान और अनुवाद-कार्य जारी रखना चाहिये। जब यह सब पूरा हो जायेगा तब, बेशक, यदि ईश्वरने चाहा तो इसे पढ जानेके लिए मेरे पास बहुत समय होगा।

१. भागेके दो अनुच्छेद अंग्रेजीमें है।

मैं मान लेता हूँ कि महादेवने बी० शा० द्वारा 'एडवेन्चर ऑफ द ब्लैक गल्ले इन हर सर्च फॉर गॉड' पढ़ी होगी। आज मैं उसे मैक्सवेल द्वारा लिखित 'एडवेन्चर्स ऑफ द व्हाइट गल्ले इन हर सर्च फॉर गॉड' भेज रहा हूँ। यदि यह पुस्तक उसे सही सलामत मिल जाये तो वह अपने अगले पत्रमें इसकी पहुँच लिखे।

मैं बेलगाम पहुँचनेपर मणि और महादेवको मिलनेका प्रयत्न करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो—४ : मणिबहेन पटेलने, पृष्ठ १५८-९

### ४९७. भाषण : तेलिचेरीकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

१३ जनवरी, १९३४

भाइयो,

आपने मुझे जो अभिनन्दनपत्र दिये हैं और थेली भेंट की है उसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ। मैं जिस उद्देश्यको लेकर भारतके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक की यह यात्रा कर रहा हूँ उसके स्वरूपको आप जानते ही होंगे। इस उद्देश्यको ध्यानमें रखते हुए मैं आज सवेरे-सवेरे आपके पास यह कहनेके लिए आया हूँ कि आप अस्पृश्यताके पिशाचको अपने दिलोंसे निकाल बाहर करें। आपने मुझे जो मानपत्र भेंट किये हैं उन सबमें मुझे एक बात दिखाई देती है। आपने आशा व्यक्त की है कि अस्पृश्यताके दानवको उखाड़ फेंका जा सकेगा। हमें ऐसा माननेकी भूल नहीं करनी चाहिए कि यह काम तो किसी और व्यक्तिको करना है। यह अनिवार्यतः एक ऐसा कार्य है जो हर किसी स्त्री अथवा पुरुषको करना होगा क्योंकि यह तो अनिवार्यतः सवर्ण हिन्दुओंके हृदय-परिवर्तनका मामला है। उन्हें अपने दिमागसे इस खयालको निकाल देना होगा कि वे उच्च-जातिके हिन्दू हैं अथवा उनमें से कुछ लोग सवर्ण हैं और कुछ अवर्ण हैं। ऊँच-नीचके इस भेदने समाजको पूर्णतया नष्ट कर दिया है और हम चूँकि अपने आपको आनेवाले विनाशसे बचाना चाहते हैं इसलिए हमें इस विचारको अपने दिमागसे निकाल देना होगा कि इस संसारमें कोई भी व्यक्ति हमसे नीचा है। अस्पृश्यताका जहर इतनी दूरतक और इतना ज्यादा फैल चुका है कि जाति-जातिमें भी काफी अनुपातमें अस्पृश्यता पाई जाती है। ऊँच और नीचके इस भेदमें हम और भी आगे बढ़ गये हैं तथा इस जहर ने सभी सम्प्रदायोंको ग्रसित कर लिया है। अस्पृश्यताकी यह भावना न केवल परस्पर हिन्दुओं में, सवर्णों और अवर्णोंमें, सवर्णों और सवर्णोंमें पाई जाती है बल्कि यह हिन्दुओं, मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयोंमें भी दिखाई देती है। मुझे इस बातका पूरा यकीन है कि अन्तर्जातीय झगड़ोंके पीछे और भी कितने ही कारण भले ही क्यों न हों लेकिन

१. यह सभा जितमें लगभग ६,००० लोग उपस्थित थे, तेलिचेरी मैदानमें सवेरे ७-३० बजे हुई थी।

मुझे इस वारेमे तनिक भी सन्देह नही है कि इन झगड़ोंमे से अधिकांश झगड़ोंका मुख्य और निर्णयात्मक कारण अस्पृश्यता ही है। यदि हम अस्पृश्यता रूपी दानवके इस मुख्य प्रकट स्वरूपका नाश कर सके तो मुझे यकीन है कि हम आजतक जितनी भूलें करते रहे हैं उन सबमे सुधार कर सकेंगे। आपके एक मानपत्रमें बताया गया है कि अधिकांश मन्दिर हरिजनोके लिए नही खुले हैं और श्री नारायण गुरुके अनुगामियो द्वारा स्थापित केवल एक मन्दिर ही हरिजनोके लिए खुला है। मैं मन्दिरके न्यासियोको उनकी इस उदारताके लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि अन्य मन्दिरोंके न्यासी भी इसका अनुकरण करेंगे। लेकिन इस परिवर्तनको लानेकी बात मुख्यतः मन्दिरोंमे जानेवाली जनतापर निर्भर करेगी। यदि मन्दिरोंमे जानेवाले लोगोको अपने कियेपर सचमुच पश्चात्ताप है और यदि वे यह महसूस करते हैं कि हरिजनोको मन्दिरोंमे जानेसे रोककर उन्होंने अभीतक उनके प्रति गम्भीर अन्याय किया है तो मुझे इसमे तनिक भी सन्देह नही है कि उनकी इच्छाको चुनौती नही दी जा सकती, और मन्दिरोंके द्वार शीघ्र ही हरिजनोके लिए खुल जायेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोकमत तैयार करेंगे जिससे हरिजनोके लिए जल्दी ही मन्दिर खोले जा सकें, ठीक उन्ही शर्तोंपर जिन शर्तोंपर वे अन्य हिन्दुओके लिए खुले हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यही कही आपसपास अस्पृश्यों और अस्पृश्योमे, अर्थात् पुलाया और छिया जातिके लोगोमे आपसमे अनबन है। मैं आशा करता हूँ कि सभी जगह हरिजन लोग अपने घरको ठीक करेंगे और अस्पृश्यता-दर-अस्पृश्यताकी भावनाको निकाल बाहर करेंगे। और अब आपने मुझे यह थैली भेंट की है जिसे मैं इस बुराईको अन्तिम रूपसे दूर करनेके आपके दृढ़ निश्चयके चिह्न स्वरूप मानता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-१-१९३४

## ४९८. भाषण : माहेकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

१३ जनवरी, १९३४

मित्रो,

आप चूँकि फ्रान्स अधिकृत भारतके एक हिस्सेमें रहते हैं इसलिए आपसे मिलकर मुझे असाधारण रूपसे खुशी हो रही है। मुझे बंगालमें कई बार चन्द्रनगर जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है लेकिन देशके इस भागमे—फ्रान्सीसी भारतमे—जानेका मेरा यह पहला मौका है। मेरी दृष्टिमे चाहे वह फ्रान्सीसी भारत हो अथवा ब्रिटिश भारत, दोनो एक ही देश हैं। आपकी रगोमें भी वही खून बहता है जो मेरी रगोमें है, वही मिट्टी है, वही वातावरण है, और हमारे रीति-रिवाज और तौर-तरीके भी एक जैसे हैं तथा ऐसी कितनी ही चीजे हैं जो हम सबमे एक जैसी हैं। लेकिन आपकी पुलिसकी

१. सभामें गांधीजीको नागरिकों और छात्रोंकी ओरसे मानपत्र भेंट किये गये थे।

भिन्न बर्दी और यहाँ-वहाँ जो फ्रान्सीसी भाषामें लिखी हुई चीजे देखनेको मिलती हैं उनको छोड़ दे तो मुझे और कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। इसलिए मेरे लिए यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि मैं जब मलाबारसे होकर गुजर रहा था उस समय आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया और हरिजन-कार्यके लिए एक थैली भेट की। वस्तुतः मुझे इस बातपर आश्चर्य और दुख होता अगर मुझे यह पता चलता कि इस सड़कसे गुजरते हुए आपने इस कथित हरिजनोंके प्रतिनिधिकी ओर अर्थात् मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसलिए आप लोगोंके बीच अपनेको पाकर मुझे बड़ी खुशी ही रही है हालाँकि मैं यहाँ बहुत थोड़ी देरके लिए ठहरूँगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस स्थानपर एक महत्वपूर्ण मन्दिरको हरिजनोंके लिए खोल दिया गया है, ठीक उन्ही शर्तोंपर जिन शर्तोंपर वह हिन्दुओंके लिए खुला है। इस अत्यन्त साधारण धार्मिक कर्तव्यका पालन करनेके लिए मैं न्यासियोंको बधाई देता हूँ। और अब मुझे उम्मीद है कि आप यह समझ गये होंगे कि इस दौरेके पीछे मेरा क्या उद्देश्य है। मैं आपको यह बात समझाना चाहूँगा कि हरिजनोंके लिए केवल मन्दिर खुलवाना, उनके लिए केवल स्कूल खुलवाना-भर ही मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे उद्देश्यका मतलब है, सवर्ण हिन्दुओंको अपने हृदयोंको शुद्ध करना होगा तथा हरिजनोंके प्रति यथोचित क्षतिपूर्ति करनी होगी जिनका आजतक वे दमन करते आये हैं। इसका मतलब यह है कि हमें ऊँच-नीचके सारे भेदोंको मिटा देना चाहिये और समझना चाहिए कि हम सब एक ही देशके बच्चे हैं तथा एक ही देशके बच्चे होनेके नाते हमारे अन्दर ऊँच-नीचका भेद नहीं हो सकता। भगवान करे कि हम इस अत्यन्त छोटी-सी, सरल-सी बातको समझ सकें। मुझे खुशी है कि मुझे जो मानपत्र भेट किया गया है वह हिन्दीमें है और मैं चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित सब लोग हिन्दीके इस सन्देशको समझे, उसकी कद्र करें।

[ अंग्रेजीसे ]

हिन्दू, १६-१-१९३४

## ४९९. भाषण : औषधालयके उद्घाटनके अवसरपर, पक्कनारपुरमें

१३ जनवरी, १९३४

आप अपने सामने यह जो औषधालय देख रहे हैं इसका उद्घाटन करनेके लिए मुझे बुलाया गया है। यह औषधालय एक ऐसे नौजवान कार्यकर्ताके नामपर खोला गया है जिसने देशके लिए अपने प्राणोकी बलि दे दी और जिसकी १९२१ के लगभग मृत्यु हुई थी। उसका नाम बालकृष्ण मेनन है। और इस औषधालयको उसके नामपर पुकारा जायेगा। उन दिनों जब असहयोग आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था उसे भी अन्य लोगोंके साथ जेलमें ठूस दिया गया था और उसकी स्मृतिमें इस औषधालयका नाम [बालकृष्ण मेनन] औषधालय रखा जायेगा। इसमें सैकड़ो हरिजनोको चिकित्सा-सहायता दी जा चुकी है। पिछले चार-पाँच महीनोमें दो हजार से ज्यादा मरीजोका मुफ्त इलाज किया गया है। हम आशा करते हैं कि यह दवा-खाना दिन-दिन तरक्की करेगा, अर्थात् यह रोग-पीडित मानवताकी दिनोदिन बढ़नेवाले सेवा-कार्यका एक साधन बनेगा। मुझे बताया गया है कि एक नौजवान डॉक्टरने मरीजोका मुफ्त इलाज करनेके लिए अपनी सेवाएँ अर्पित की है। हमें उम्मीद है कि इस देशमें ऐसे आत्मत्यागी नौजवानोकी सख्या बढ़ेगी। हमें निश्चय ही ऐसे नौजवान डॉक्टरोकी जरूरत है जिनमें आत्मत्यागकी उचित भावना हो और जो गाँवोंमें रहनेके लिए तैयार हो। हरिजनोको चिकित्सा-सहायता मिलना बहुत जरूरी है। मैं यह जानता हूँ और मुझे इस बातका दुःख है कि भारतमें ऐसे डॉक्टर भी हैं जो इस भयसे कि छू जानेपर वे अपवित्र हो जायेंगे, हरिजनोंका स्पर्शतक करनेसे इनकार करते हैं और इस तरह अपने धन्धेको बदनाम करते हैं। इसलिए जब मैं किसी ऐसे डॉक्टरको देखता हूँ जो इन अन्धविश्वासोसे पूर्णतः मुक्त है और साथ ही जिसमें त्यागकी ऐसी भावना मौजूद हो कि वह मरीजोका मुफ्त इलाज करनेके लिए तैयार हो तो मेरा हृदय हर्षसे भर उठता है। डॉक्टरी-सहायता देना, उनके लिए शिक्षाकी व्यवस्था करना तथा मुफ्त जल-वितरणका प्रबन्ध करना हरिजनोके हकमें जरूरी है ही, लेकिन हम सबर्ण हिन्दुओके करनेके लिए इससे भी ज्यादा जरूरी चीज यह है कि हमें उनके संरक्षक होनेका दावा छोड़ देना चाहिए। हम सदियोंसे हरिजनोका दमन करते रहे हैं। हमें अस्पृश्यताके इस कलकको तुरन्त ही धो डालना होगा और हरिजनोको अपने गलोसे लगाना होगा। हमें उन्हें अपने सगे भाई-बहनोंके समान मानना होगा। किसी भी मनुष्यको अपनेसे नीचा मानना पाप है। ईश्वर अपने वच्चोके साथ किसी प्रकारका पक्षपात कर सकता है, ऐसा समझना ईश्वरकी



निन्दा करना है। यदि यह दवाखाना कुछ हदतक ऊँच-नीचके भेदको मिटा सके तो मैं इसे सफल मानूँगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १६-१-१९३४

## ५००. भाषण : कालीकटकी महिला-सभामें

१३ जनवरी, १९३४

प्रिय बहनों,

मैं देखता हूँ कि आप सबके ही मनमें एक ऐसा विचित्र भय समाया हुआ है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं आपको कुछ इस तरह बहका डालूँ जिससे आप अपने गहनोंका त्याग किये बिना न रह सकें। आपमें से कुछ बहनोंने तो पहले ही छोटे-मोटे गहने देने शुरू कर दिये हैं। मैं आज आपको कौमुदी नामक बालाकी-सुन्दर कहानी सुनाऊँगा। मैं उससे पहली बार आज सवेरे बड़गरामें मिला और मैंने स्त्रियोसे अपने कुछ गहने और यदि उनकी इच्छा हो तो अपने सारे गहने दे डालनेकी जो अपील की थी उसके उत्तरमें यह छोटी-सी बाला-औरोंकी तुलनामें मैं उसे 'छोटी-सी' कहता हूँ-मेरा खयाल है वह २० अथवा २१ वर्षकी रही होगी-'आगे आई और उसने मुझे अपनी सोनेकी दो चुड़ियाँ उतार कर दे दी; उसके हाथमें केवल दो ही चुड़ियाँ थी।

मैं तो इतनेसे ही सन्तुष्ट हो गया था लेकिन वह सन्तुष्ट नहीं हुई। उसने अपने गलेका हार भी उतार कर दे दिया जो बहुत खूबसूरत था। मैंने सोचा कि अब वह रुक जायेगी व और गहने नहीं देगी। लेकिन नहीं, उसके हाथ अपने आप कानोपर गये और उसे ध्यान आया कि उसने कानोंमें भी कुछ पहन रखा है; और उसने खुशी-खुशी अपने कर्णफूल भी उतार कर मुझे दे दिये। मेरा हृदय भर आया 'लेकिन उस समय मैंने अपनी भावनाओको दबा दिया। मैंने उसी समय पूछ-ताछ की कि क्या वह खुदमुस्तयार है अथवा उसने अपने पितासे अनुमति प्राप्त कर ली है। और मुझे तुरन्त ही मालूम हुआ कि उसने यह काम अपने पिताकी उपस्थितिमें ही किया है क्योंकि उसके पिता मेरे साथ मंचपर मानपत्रों और छोटे-मोटे आभूषणोंको इकट्ठा करनेके कार्यमें मेरी सहायता कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि लड़कीके पिता भी इस बातपर सहमत थे कि उसके शरीरपर जितने भी गहने थे उन सबको वह हरिजन-कार्यके लिए दे दे। अपनी दो चुड़ियोंके एवजमें वह केवल मेरे हस्ताक्षर पाना चाहती थी। बेशक मैंने उसे अपने हस्ताक्षरोसे भी ज्यादा दिया। मैंने हिन्दीमें लिखा कि पुरानी और बहुमूल्य वस्तुओंकी अपेक्षा उसका महान् बलिदान ही उसका सच्चा आभूषण होगा। खैर, वह बहुत खुशी-खुशी वापस गई।

१. वस्तुतः उसकी अवस्था १६ वर्षकी थी; देखिए खण्ड ५७, "कौमुदीका त्याग", १९-१-१९३४।

और मैंने उससे यह वचन ले लिया कि उन गहनोके स्थानपर वह अपने पितासे नये गहने बनवानेको नही कहेगी, उसके पास पहननेके लिए और भी ज्यादा तथा पर्याप्त संख्यामे चीजें और आभूषण थे। वेशक एक मलाबारी बालाका यह कार्य कोई अद्भुत कार्य न था क्योंकि जहाँतक मेरी जानकारी है, मलाबारकी लड़कियाँ संसारभरमे सबसे ज्यादा सीधी-सादी होती है। पता नही, मेरे मनपर उन्होने यही प्रभाव छोडा है कि उन्हे आभूषणोसे बहुत कम मोह है। हो सकता है कि मैं बिलकुल गलत होऊँ। जो भी हो, कमसे-कम मुझपर तो उन्होमे यही छाप छोडी है।

आत्माको झकझोर देनेवाली इस कहानीको खत्म करनेसे पहले मुझे एक और कहानी बतानी है। आजसे कोई दस साल अथवा उससे भी पहले आन्ध्र देशमे एक लड़की थी जो विवाहित थी और जब मैंने सभामे उपस्थित वहनोसे अपील की—वहनो की यह शानदार सभा एक थियेटरमें हुई थी—तब सबसे पहले उस लड़कीने अपने गहने उतारकर मुझे दे दिये।<sup>१</sup> हालाँकि श्रीमती अन्नपूर्णम्माके गहने अपेक्षाकृत सादे थे तथापि उसके गलेका नेकलैस अथवा कह सकते हैं कि जजीर बहुत लम्बी और भारी थी तथा शूद्ध सोनेकी बनी हुई थी। मुझे दूसरे गहनोका वर्णन नही करना चाहिए। अफसोस कि वह अब जीवित नही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उसने मुझे उन गहनोके बदले और नये गहने न बनवानेका जो वचन दिया था उसका उसने शत-प्रतिशत पालन किया। उसके माँ-बाप बहुत अमीर थे और खुशीके साथ उसके गहनोके बदले उसे अपने सारे गहने दे सकते थे। लेकिन तबसे लेकर अपनी मृत्युतक—उसकी मृत्यु आजसे तीन वर्ष पूर्व हुई थी<sup>२</sup>—उसने कभी कोई गहना नही पहना। मेरा यह दृढ विश्वास है कि अन्नपूर्णम्मा और कौमुदीने अपने गहने देकर पुण्य लाभ किया है। मैंने इन दो पुण्य कथाओमे काफी समय लिया है और अब मैं बताना चाहता हूँ कि हरिजन-कार्य—जैसे पवित्र कार्यके लिए अपने आभूषणो को त्याग कर आप कोई आश्चर्यजनक कार्य नही करेंगी। [स्त्रियाँ हमेशासे ऐसा करती आई हैं]। जब-जब उन्होने हरिजन सेवा-कार्यके समान पवित्र किसी भी कार्य को अपने हाथमे लिया है तब-तब उन्होने इसी त्यागभावनाका परिचय दिया है। मुझे आपसे यह कहना है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने दिलोसे अस्पृश्यताके पापका परिष्कार करें, हरिजन लड़के-लड़कियोके साथ अपने ही बच्चो, भाइयो और वहनो-जैसा व्यवहार करें। हम युगोसे हरिजनोका दमन करते आये हैं और आज यदि हम उनके लिए अपने सर्वस्वका त्याग करते हैं तो यह धर्मके नाम पर उनके प्रति किये गये अन्यायोका देरसे किया गया थोडा बहुत प्रतिकार होगा। इसलिए आप चाहे जो भी दे, फिर भले वह कोई छोटा-सा आभूषण हो अथवा भारी गहना हो अथवा चाँदीकी कोई चीज हो, मैं चाहूँगा कि आप उसे अस्पृश्यताके इस कलंकको दूर करनेके संकल्पके प्रतीक-स्वरूप दे, इस विचारको अपने दिलोसे निकाल

१. अप्रैल १९२१ में; देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ५७१।

२. वास्तवमें उसकी मृत्यु १९२७ में हुई थी; देखिए खण्ड ३५, पृष्ठ १९३।

बाहर करनेके चिह्न स्वरूप दें कि आप उच्च है अथवा हरिजन नीच है! भ्रंगवान आपको बुद्धि दे कि आप इस सरल सत्यको देख सकें और उसे अपने जीवनमें ढाल सकें। अब आप मुझे जो वस्तु देना चाहें दे सकती है; भले ही वह कोई आभूषण हो अथवा चाँदीका सिक्का या नोट, कुछ भी हो।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-१-१९३४

## ५०१. भाषण : कालीकटकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

१३ जनवरी, १९३४

आज आपने मुझे ये जो मानपत्र भेंट किये है उनके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और इन मानपत्रोंको मुझे पढ़कर न सुनानेमें आपने जिस आत्मसंयमका परिचय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इससे यह पता चलता है कि आप अनुभव करते हैं कि मैं आज पिछले दो महीनोंसे भी ज्यादा असेसे लगातार हररोज एक जगहसे दूसरी जगह जाता रहता हूँ और इसलिए दिनके अन्तमें थक जाता हूँ। और आप चूँकि समझदार है इसलिए आपने इस बातको महसूस किया तथा इन मानपत्रोंको सुननेके कष्टसे मुझे बचा लिया। आपके इस आत्म-संयमके बाद स्वभावतः यह मेरे ऊपर था कि इन मानपत्रोंको मैं पढ़ लूँ और तैयार रहूँ। लेकिन मुझे आपसे कहना होगा कि मुझे इस बातका एहसासतक न था कि मुझे सब मानपत्र दिए जानेवाले हैं और न मुझे इनकी प्रतियाँ ही दी गई थी। यदि मुझे प्रतियाँ दी जाती तो मैं उन्हें निश्चय ही पढ़ता। तथापि मुझे पूरा यकीन है कि इन मानपत्रोंमें करीब-करीब वे ही बातें कही गईं जो मुझे इन पिछले दो महीनों अथवा उससे भी ज्यादा समयसे मिलनेवाले असंख्य मानपत्रोंमें कही गईं हैं। इन मानपत्रोंमें निरपवाद रूपसे मैं जिस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर यह दौरा कर रहा हूँ उसपर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की गई है। इनमें लोगोंने इस उद्देश्यके प्रति न केवल सहानुभूति प्रकट की है वरन् इन मानपत्रोंमें उन्होंने हरिजन-सेवाकार्यकी प्रगतिके लिए अपने-अपने क्षेत्रोंमें वे जो-कुछ सेवाकार्य कर सकते हैं वे सब काम करनेकी अपनी अभिलाषा, अपनी दृढ़ इच्छा भी व्यक्त की है।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी और सन्तोष हुआ है कि हरिजन उद्देश्यको लेकर प्रबुद्ध वर्गमें मतैक्य है। यदि ऐसा न होता तो मुझे उसपर आश्चर्य और दुख होता। यह बात न केवल प्रबुद्ध वर्गके बारेमें सच है बल्कि जहाँ तक केवल सहमतिकी सवाल है, मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आम जनता भी इस आन्दोलनके साथ है। मैं अपने बारेमें सहज ही कोई भ्रम नहीं पालता। मुझे इस बातका सन्देह नहीं

१. यह सभा टाऊन हॉलमें की गई थी। गांधीजीको मलाबार नगर परिषद्, मलाबार व्यापार संघ, तारुलुका बोर्ड, हरिजन युवक संघ और अन्य संस्थाओंकी ओरसे मानपत्र भेंट किये गये थे।

है कि मुझे अपने बारेमें थोडा बहुत भ्रम जरूर होगा और होना भी चाहिए क्योंकि इसके बिना सम्भवतः हमसे अधिकांश लोगोका जीवन निश्चित रूपसे दूभर हो जाये। लेकिन अपने बारेमे इसकी गूजाइश रखनेके बाद भी मैं कह सकता हूँ कि रोज जो ये दृश्य मेरे देखनेमें आते हैं और ये जो इतनी बड़ी संख्यामे लोग — जिनमे आम जनता और प्रबुद्ध वर्ग दोनो ही शामिल है — सभाओमें आते हैं वे मात्र किसी पिछले जन्ममे की गई अथवा मेरी पहलेकी सेवाओके प्रति अपनी प्रसन्नता और सन्तोष व्यक्त करनेके लिए ही नहीं आते। जीवनका प्रवाह कुछ ऐसा तेज रहा है और विशेष रूपसे मेरा जीवन-क्रम कुछ इतनी तेजीसे चला है कि मेरे लिए घटनाओका ठीक चित्र याद रखना मुमकिन नहीं है ऐसी स्थिति होनेके कारण मुझे यह जानकर गहरा दुख और निराशा होगी कि आम जनता व प्रबुद्ध वर्गने इन सभाओमे उपस्थित होकर मेरी उन सेवाओके प्रति न केवल अपना सन्तोष प्रकट किया है और सहानुभूति व्यक्त की है बल्कि उन्होने जो कर्मोवेशी चन्दे दिए और इस सम्बन्धमे कुछ कार्य भी किए वह सब भी मेरी पिछली सेवाओके एवजमे ही किया है। खैर मैं यह सब छोडता हूँ। मैं यह माने ले रहा हूँ कि आपके सभी मानपत्रोमे यह गम्भीर और पवित्र प्रतिज्ञा व्यक्त की गई है कि हरिजनोके प्रति किए गए अत्याचारोकी क्षतिपूर्तिके लिए आपसे जो बन पडेगा सो आप करेंगे। यदि कोई व्यक्ति समस्त भारतका अस्पृश्यताका नक्शा खीचने बैठे तो मेरा ख्याल है कलंकका ताज मलाबारके ही सिरपर होगा और जहाँतक अस्पृश्यताका सवाल है मलाबार सबसे काला स्थान होगा। यह एक दुखकी बात है लेकिन हमे इस तथ्यको दरगुजर नहीं करना चाहिए। मैं इस कालिमाको अच्छाईमे बदलना चाहूँगा और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अस्पृश्यताके कलंकको दूर करनेके लिए आप कमर कसकर तैयार हो जाये और ऐसा भगीरथ प्रयत्न करे कि सघर्षके अन्तमे मलाबारके लिए यह कहना सम्भव हो कि अस्पृश्यताके दानवके विरुद्ध लड़ी गई लडाईमे मलाबार सबसे अग्रणी था। लोग मलाबारके लिए यह कहे कि अस्पृश्यताकी इस बुराईको दूर करनेके लिए मलाबारने बडे-से-बडे त्यागको तुच्छ जाना। और इस सभाके लिए श्री के० माधवन नायरके चित्रसे ज्यादा उपयुक्त और पवित्र स्मारक और क्या हो सकता था।

मैं उन्हें बहुत पहलेसे जानता था। जब मैं पहली बार कालीकट आया था तब मुझे उनका परिचय पानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि तब मैं उन्हें उतनी अच्छी तरहसे नहीं जानता था जितनी अच्छी तरहसे मैंने तब जाना जब वे यरवडामे मुझसे मिलने आये थे। तब मैं उनके अत्यंत निकट संपर्कमे आया और जब राजगोपालाचारी यहाँ थे तथा जब गुरुवायूरमे जनमत-संग्रह चल रहा था तब मैं स्वभावतः अन्य मित्रोके साथ-साथ उनके साथ भी लगभग प्रति-दिन पत्र-व्यवहार करता था। उस समय श्रीमती उर्मिलादेवी और मेरी पत्नी भी श्री के० माधवन नायरके निकट संपर्कमे आईं। मेरी पत्नी एक सरल महिला है। वह कुछ भी नहीं जानती और उसे अंग्रेजी भाषाका कोई ज्ञान नहीं है, मलयालम भाषा त्मे वह निश्चय ही नहीं जानती, लेकिन उसने अपनी अत्यंत सरल भाषामें मुझे यह बताया कि वह श्री माधवन नायरके चरित्रकी सादगीसे अत्यंत प्रभावित

हुई है। उसकी इस बातसे मेरे मनपर पड़ी उनकी छाप और भी गहरी हुई और वह अभी भी अमिट है। उनके साथ मेरे जो सम्बन्ध थे उनकी मेरे दिमागमें अत्यंत स्पष्ट याद है और उनकी जिस बातने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी उनकी विशुद्ध विनम्रता। यह उनका सही चित्र है और जिस चित्रकारने कालीकटकी जनताको यह चित्र भेंट किया है उसे मैं बधाई देता हूँ। मेरा खयाल है, चित्रमें उनके मुखपर जो विनम्रता झलक रही है आप उसे सहज ही देख सकते हैं। आप यह न समझें कि चित्रकारने उनकी विनयशीलताको चित्रमें बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया है। मेरा खयाल है कि चित्रकार ऐसा करनेमें सर्वथा असमर्थ है। यदि आप माधवन नायरसे मिले होते तो आपको उनकी सजीव आँखोंमें उस विनम्रताकी ज्यादा सुन्दर झलकं दिखाई देती। इस चित्रमें उनका पूरा चरित्र चित्रित है। श्री माधवन नायर आज मेरे समक्ष उसी रूपमें उपस्थित हैं जिस रूपमें मैंने उन्हें यरवडामें देखा था। वे अत्यन्त स्पष्ट रूपसे मेरी आँखोंके सामने रहते हैं और उन्होंने मेरे मनपर यह एक विशिष्ट छाप छोड़ी है।

मैंने यह भी देखा कि वे अत्यंत मितभाषी थे। आपको ऐसे लोग अधिक नहीं मिलेंगे जो भाषाका अथवा शब्दोंका प्रयोग करनेमें मितव्ययी हो। श्री माधवनने मेरे साथ अपने इस गुणका बहुत ज्यादा परिचय दिया। उनके पत्र सुसम्बद्ध, सुन्दर, साफ और अत्यन्त संक्षिप्त होते थे। उन्हें जो कहना होता था वह बहुत थोड़े शब्दोंमें कहकर पत्र समाप्त कर देते थे। ऐसे थे श्री माधवन नायर। यदि आप ऐसे लोगोंका स्मरण करें जो शरीरसे तो नष्ट हो गए हैं लेकिन अन्यथा जीवित हैं तो आप देखेंगे कि वे अपनी बौद्धिक उपलब्धियोंके कारण नहीं वरन् अपने गुणोंके कारण जीवित हैं तथा यदि हम चाहें और यदि हम उस दिशामें प्रयत्न करें तो हम और आप भी बल्कि हममें से हरकोई व्यक्ति अपने अंदर इन गुणोंका विकास कर सकता है। इसलिए यदि आप यह सोचते हैं कि इस चित्रका अनावरण करनेके लिए मुझे बुलाकर और इस समारोहमें उपस्थित होकर वे उनकी स्मृतिमें कुछ प्रशंसात्मक शब्द सुनकर आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है तो आप उस व्यक्तिकी स्मृतिके प्रति अन्याय करेंगे जिसका मैंने, जिस रूपमें मैंने उसे जाना, उस रूपमें वर्णन किया है। यदि आप सचमुच ऐसा करेंगे तो आप निस्सन्देह उसके प्रति अन्याय करेंगे। लेकिन आप ठीक चीज तभी करेंगे जब उनके इस चित्रको एक बहुमूल्य निधिके रूपमें अपने पास रखेंगे जो आपको बराबर इस बातका एहसास कराये कि आपको भी यदि पूरी तरहसे नहीं तो कम-से-कम कुछ अंशोंतक माधवन नायर बनना है और अन्तमें इस प्रकरणको पूरा करनेके लिए मैं आपसे कह दूँ कि जहाँतक हरिजन-कार्यका सवाल है, श्री माधवन नायर अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मृत्युको प्राप्त हुए। वे उस हरिजन कार्यके एक सच्चे कार्यकर्ता थे जो कि [सर्वणोंके लिए] आत्मशुद्धि, पश्चात्ताप और क्षतिपूर्तिकी कार्य है। वे जो-कुछ भी करते थे उसमें कहीं कोई लघुताका भाव नहीं होता था। ईश्वर करे कि मेरे और आपके दिलोंमें उनकी याद बराबर बनी रहे।

आपने मुझे जो मानपत्र भेंट किए हैं उनके लिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। और चूँकि मैं समझता हूँ कि इन मानपत्रोंकी नीलामी करनेके

लिए यह उचित अवसर नहीं है इसलिए मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कल इन मानपत्रोंके बदलेमे कुछ पैसा जुटानेके कार्यमें मेरी सहायता करेगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि कालीकटसे मैं निराश होकर नहीं लौटूंगा।'

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-१-१९३४

## ५०२. भाषण : मलाबार क्रिश्चियन कॉलेज, कालीकटमें

१३ जनवरी, १९३४

जब आपने मुझे हरिजन-कार्यके लिए एक थैली प्राप्त करने और आपसे कुछ शब्द कहनेके लिए आमन्त्रित किया तब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने स्वभावतः इस उद्देश्यके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। लेकिन आपके प्रिंसिपलने कॉलेजको और इस तरह प्रकारान्तरसे आपको भी जो प्रमाणपत्र<sup>१</sup> दिया है उतने भरसे आप नौजवानोंको सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जरूरत इस बातकी है कि आप इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करें, और वह यह कि अस्पृश्यताकी इस प्रथाको आप ईश्वरीय देन न माने बल्कि इसे आप हमे अपने चगुलमे फँसानेके लिए शैतानकी करतूत समझें। हम सब चाहे किसी भी धर्मको माननेवाले ब्यो न हो, लेकिन हम सब उसी एक स्रष्टाकी सन्तान हैं। सृष्टिकर्ता तो केवल एक ही है। हम ऐसा अपने मुँहसे तो अवश्य कहते हैं लेकिन हम इस मान्यताको जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे और अपने क्रियाकलापोमे स्थान देनेको तैयार नहीं हैं। यह असत्य है और हमे अपने जीवनसे इस असत्यको निकाल बाहर करना चाहिए। और विद्यार्थियोंसे ज्यादा अच्छी तरह इसे और कौन कर सकता है? इसलिए आपको निर्भय होकर यह घोषणा करनी होगी कि यदि हम सब उसी ईश्वरकी सन्तान हैं तो हम सब समान हैं। आप अपने मनमें जिरह न करे और यह न कहे कि "हम सब समान कैसे हो सकते हैं?" आपमेसे कुछ लडके बहुत होशियार हैं और उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किये हैं तथा अपनी-अपनी कक्षामे उनका स्थान प्रथम श्रेणीमे है। तो फिर जो लडके कक्षामे

१. इसके बाद गांधीजीने श्री के० माधवन नायरके चित्रका अनावरण किया। बादमें उसी दिन किसी समय वे एक मलयालम दैनिक मातृभूमि के कार्यालयमें गये और उसके कर्मचारियोंके समक्ष भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि माधवन नायर इस न्यासकी आत्मा थे और यह उनके अथक प्रयत्नोंका परिणाम है कि आज इस समाचार पत्रका अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह कहना बहुत ज्यादा न होगा कि मलाबारमें इस पत्रका एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने कर्मचारियोंसे अपील की कि वे स्वर्गीय श्री नायरके पदचिह्नों पर चलों जो बिना किसी दुविधाके और तहेदिलसे इस आदोलनके साथ थे। सीधे-सादे शब्दोंमें यह आदोलन एक धार्मिक आदोलन है।

२. कॉलेजके प्रिंसिपलने कहा था कि कॉलेजमें जो हरिजन लडके हैं उनके साथ समताका व्यवहार किया जाता है।

सबसे ऊपर हैं वे उन लड़कोंके समकक्ष कैसे हो सकते हैं जो कक्षामें सबसे नीचे हैं। यह आपके लिए और मेरे लिए एक अच्छी खासी पहली है और आपको इसे बुद्धिमानीके साथ सुलझाना होगा, अबुद्धिमत्तापूर्वक नहीं। अक्सर ही ऐसा होता है कि जिस तरह हम अंकगणित और ज्यामितिकी समस्याओंको सुलझाते हैं उसी तरह ऐसी समस्याओंको भी सुलझा डालते हैं। यदि आप इन्हे समझदारीके साथ सुलझा सकें तो मैं आपको सांसारिक माता-पिताओंके उदाहरण दूंगा। आपमें से जिन लड़कोंके भाई हैं वे यह अनुभव करेंगे कि उनमें परस्पर एक जैसे गुण अथवा बुद्धि नहीं है, और उम्र तो निश्चय ही एक जैसी नहीं है, शरीरका गठन भी एक जैसा नहीं है। और तब भी क्या आप अपने माता-पिताको आपमें और अपेक्षाकृत अधिक होशियार और मेहनती बच्चोंमें कोई भेदभाव बरतते हुए देखते हैं? इसके विपरीत, कदाचित् आपके माता-पिता उन बच्चोंको ज्यादा प्यार करते होंगे जो असहाय हैं और जिन्हें मददकी जरूरत है वनिस्वत उन बच्चोंके जो होशियार हैं और अपनी सहायता आप कर सकते हैं। तो क्या आप यह समझते हैं कि वह दिव्य पिता, जो पिताओंका भी पिता है और ऐसा पिता है जैसा संसारने कभी नहीं देखा है, क्या वह कुछ लोगोंके साथ उनके जन्मसे ही अस्पृश्योंका-सा व्यवहार करेगा और इस तरह उन्हें सबसे नीचे मानेगा तथा अन्य लोगोंको सबसे ऊपर जानेगा? आप लोगोंमें आज जो अस्पृश्यता प्रचलित है वह मेरे विचारसे एक स्वयंसिद्ध सिद्धान्त है। यदि आप यह थैली मुझे अपना हृदय परिवर्तन करनेकी दृढ़ इच्छाके चिह्न स्वरूप देंगे और आप इस पृथ्वीपर किसी व्यक्तिको अस्पृश्य न मानेंगे तो इसका सदुपयोग होगा। धर्म हमें अपने आपको निम्नतम और अन्य हर किसीको उच्चतम मानना सिखाता है। क्या आप सब लोग इसी तरहका आचरण करते हैं? अस्पृश्यताको निःसन्देह खत्म होना है। अस्पृश्यताका यह रोग हमारे शरीरको घुनकी तरह खा रहा है और हमारी आत्माको रौंदे डाल रहा है। यदि आपने मेरे बचनोंको समझ लिया है तो आप अपने दिलोंको इस तरह बदल डालेंगे कि आप अस्पृश्यताकी भावनाको किसी भी रूपमें अपने दिलोंमें घर नहीं करने देंगे। आप अन्य धर्मोंको माननेवाले लड़कोंके प्रति अस्पृश्यताके वर्तावको बरदाश्त नहीं करेंगे। आप हरिजनोंकी बस्तियोंमें जायेंगे और अपना समय व्यर्थ गँवानेके बजाय, आप वहाँ जाकर हरिजन लड़कोंकी सेवा करेंगे और उनकी जरूरतोंके बारेमें पता लगायेंगे। यदि आपके माता-पिता आपको पाँच पाई अथवा जो-कुछ भी देते हैं तो आप कमसे-कम उसका थोड़ा-सा अंश हरिजन लड़कोंके लिए बचा कर रखेंगे जिनको उन पैसोंकी आपसे ज्यादा जरूरत है। आप फुसंतके समय हरिजन लड़के और लड़कियोंकी सेवा करें। आप उनके घरोंमें जाकर झाड़ू लगायें। आपको उन्हें स्वच्छ जीवन बिताना सिखाना होगा। आपके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आप अपने शरीरोंको साफ रखें, बल्कि आपको अपने हृदय और अपनी आत्मा भी शुद्ध रखनी चाहिए। जब आप प्रातःकाल सो कर उठें तब सबसे पहले आप भगवानसे प्रार्थना करें कि वह आपको हृदय और शरीर स्वच्छ रखनेकी शक्ति प्रदान करे। यदि आप यह सब करेंगे तो आपने मुझे यह जो

थैली भेट की है वह अस्पृश्यताकी बुराईको दूर करनेकी आपकी दृढ़ इच्छाका प्रतीक होगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १५-१-१९३४

### ५०३. पत्र : घनश्यामदास बिडलाको

१४ जनवरी, १९३४

भाई घनश्यामदास,

मलकानीने तुमारा पत्र पढाया है। बिहारीलालको मैंने स्पष्ट लिखा है। मेरे पत्रकी प्रतिलिपि भेजता हू। हमारे उसके साथ स्पष्टतासे और दृढतासे काम करना होगा।

पेदलवाला करनेका कार्य इस दौरेमे होना अशक्यसा प्रतीत होता है। लेकिन जो हो रहा है वह अच्छा ही प्रतीत होता है। लोगोके विचारका परिवर्तन खूब हुआ है। आचारमे बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। देखे क्या होता है। मुझे तो ईश्वरका हाथ इस कार्यमे देखा जाता है। यह एक रूढ वचन है। यह कार्य कोई एक मनुष्यकी शक्तिसे हो हि नहीं सकता है, न हजारोसे। लेकिन इस बारेमे अधिक लिखा या कहा जा नहीं सकता है। इसका तात्पर्य इतना ही है कि ईश्वर पर मेरा विश्वास बढ़ता जाता है। अपनी शक्तिकी अल्पताका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है।

तुमारा शरीर अच्छा रहता होगा।

बापुके आशीर्वाद

पत्रकी नकल (सी० डब्ल्यू० ७९४३) से, सौजन्य घनश्यामदास बिडला

### ५०४. भाषण : कलपेट्टाकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

१४ जनवरी, १९३४

दोस्तो,

मुझे मोटरमे देशके इस अत्यन्त सुन्दर क्षेत्रसे होकर गुजरनेका यह जो संयोग मिला उसमे मुझे श्रम-जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ बल्कि इससे मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। आपके सामने अभी जो मानपत्र पढकर सुनाये गये है उनमे कही गई बातोके पीछे जो-कुछ है उसके बारेमे मुझे बहुत-कुछ पता चला है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक सुब्बिया गोन्डनके पास जो भी जमीन-जायदाद<sup>१</sup> थी वह सबकी

१. 'सहोदर संघ' के तत्त्वावधानमें मुत्तल तिरुनेल्ली हरिजन बस्तीके उद्घाटन समारोहकी सभामें।

२. विस्तारमें १६५ एकड़ जमीन।



सब उसने हरिजन-कार्यके लिए वसीयत कर दी है। यह एक दुर्लभ और वस्तुतः एक बहुमूल्य भेंट है। इस न्यासके सम्बन्धमें न्यासियों और वसीयतके प्रबन्धकोंके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वसीयतनामेकी शर्तोंके अनुरूप चलनेवाली योजनाको जबतक प्रबन्धक और न्यासी लोग अपने दिलोजानसे कार्यान्वित करनेका प्रयत्न नहीं करेंगे तबतक यह बस्ती वैसी सुन्दर बस्ती नहीं बन सकेगी जैसीकि स्वर्गीय सुब्वियाकी इच्छा थी। मैं आशा करता हूँ कि न्यासी अथवा वसीयतके प्रबन्धक लोग उनपर जो भरोसा प्रकट किया गया है उसके योग्य हैं और यह कि वे अपने दायित्वको इस प्रकार निभायेंगे जिससे कि जनताको पूरा सन्तोष होगा। मैंने जान-बूझकर 'जनता' शब्दका प्रयोग किया है क्योंकि जब कोई न्यास सार्वजनिक कार्यके लिए समर्पित कर दिया जाता है तब वह जनताकी सम्पत्ति बन जाता है। मैं इस आशा और आश्वासनके साथ प्रसन्नतापूर्वक बस्तीके खोले जानेकी घोषणा करता हूँ और इसकी सफलताकी कामना करता हूँ। हमें प्रयोगके लिए अथवा योजनाके कार्यान्वित करनेके लिए जिन साधनोंकी जरूरत है वे हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे सामने एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे हरिजन भाई खड़े हैं। उन्होंने नृत्य व संगीतका जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वह हम सबने देखा है। हमारे लिए यह कोई आनन्दकी अथवा मनबहलावकी चीज नहीं होनी चाहिए बल्कि इससे हमें गहरा सवक सीखना चाहिए। मेरा खयाल है मेरी तरह आप सवने भी यह बात महसूस की होगी कि उनके वाद्योंमें संगीतकी मधुरता न थी और नृत्य भी मनोहारी न था। लेकिन यही एक चीज है जो ये लोग अपना खाली वक्त काटनेके लिए कर सकते हैं। उनके वाद्य में और नृत्यमें जो मधुरताका अभाव है उसकी जिम्मेदारी उनपर नहीं बल्कि आपके और मेरे कन्धोंपर है। उनके जंगली स्वभावको समझनेके लिए हमें उनके नाच व संगीतकी वारीकियोंमें जानेकी जरूरत नहीं है। उनकी शकल-सूरत, विखरे हुए बाल, और उनकी हर चीज हमें यह बतानेके लिए काफी है कि हम अपने इन बन्धुओंके प्रति कितने लापरवाह रहे हैं। और ऐसा करके हमने कितना अपराध किया है। वे साल-दर-साल तबतक वही लंगोटी अथवा कपड़ा पहने रहते हैं जब तक कि वह चिथड़े-चिथड़े नहीं हो जाता। वे बहुत कम स्नान करते हैं और जय करते भी हैं तब, यकीन मानिए, खास साफ पानीसे नहीं करते। इन शर्मनाक हालात के लिए आप और मैं जिम्मेदार हैं। और यदि इस बस्तीका प्रबन्ध मेरे हाथमें हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं फौरन इन लोगोंको बस्तीमें रहनेके लिए बुलाऊंगा, इन्हें अच्छा वेतन दूंगा, इनसे नियमपूर्वक स्नान करनेका अनुरोध करूँगा और इन्हें सलीकेदार मनुष्य बना दूंगा। मेरा खयाल है, अगर हमें पता चले कि हमारा अपना सगा भाई उन्हीं जंगली हालातमें रह रहा है जिनमें कि हमारे ये भाई रहते हैं, तो हममें से प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करेगा। और यदि बिना समय गँवाये ऐसी सुन्दर स्थिति लाई जा सके तो हम मान सकते हैं कि आपने और मैंने यहाँपर व्यतीत हुए अपने समयका सदुपयोग किया है। इस मानपत्रके अन्तमें ये शब्द कहे गये हैं : "भगवान करे कि आप अपने प्रयत्नोंमें सफल हों।" खैर, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अपने प्रयत्नोंमें तबतक सफल नहीं हो सकता जबतक आप

भी अपने प्रयत्नमें सफल न हो। क्योंकि मेरे प्रयत्न तो केवल सवर्ण हिन्दुओंसे हृदय-परिवर्तन करनेका आग्रह करने और उनसे हरिजनोकी जितनी सेवा बन पड़े उतनी सेवा करनेको कहनेतक ही सीमित है। अन्तमें मैं इन हरिजन भाइयोंसे अनुरोध करूँगा कि वे आत्मशुद्धिकी दिशामें सच्चे दिलसे प्रयत्न करें।

[अग्नेजीसे]

हिन्दू, १६-१-१९३४

## ५०५. भाषण : कालीकटकी सार्वजनिक सभामें<sup>१</sup>

१४ जनवरी, १९३४

मित्रो,

अभी-अभी मुझे कालीकटके नागरिकोंकी ओरसे बहुत-सी थैलियाँ दी गई हैं जिनका जोड़ रु० ४,३८८-५-९ है। दानकी बछियाके गुण-दोष नहीं देखे जाते, इसलिए शिष्टाचारका तकाजा है कि हरिजन-कार्यके लिए जो बहुत-से उपहार आपने मुझे दिये हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूँ। लेकिन स्वेच्छया अथवा आत्म-नियुक्त हरिजन-सेवक होनेके नाते मुझे मलाबारकी राजधानीसे मिलनेवाली हल्की-फुल्की थैलियोंके प्रति अपना आदरयुक्त विरोध प्रकट कर देना चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बंगलौरने, मैसूरकी राजधानी नहीं बल्कि मैसूर-राज्यके दूसरे नम्बरके नगरने, जो मलाबार-जितना बड़ा भी नहीं है, मुझे जितना आज शाम आपने मुझे दिया है, उससे कहीं अधिक दिया था। और कालीकट हरिजन-कामके लिए कितना दे सकता है, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन अब भी कुछ नहीं गया है। आपके यहाँ बहुत-सी मनोहर वस्तुएँ हैं और दो-चार शब्द जो मैं कहना चाहता हूँ, वे कह चुकनेके बाद आप चाहे तो उस कमीको पूरा कर दे और आज जो नि.सन्देश एक हल्की थैली है उसे आप भारी थैलीमें बदल दें। ऐसा कर सकना आपके लिए सर्वथा सम्भव है।<sup>१</sup>

मलाबारमें आनेके बाद यह बात मैं बहुत-से मर्चोंसे कह चुका हूँ कि यदि सम्पूर्ण भारतका एक अस्पृश्यता-सूचक मानचित्र तैयार किया जाये तो मलाबारको पूरे देशमें सबसे काले धब्बेके रूपमें दिखाया जायेगा। और इस समय जो स्थिति है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि आपको अपना अपराध स्वीकार करना होगा। तब यदि आप मलाबारके पापके बारेमें कायल हैं, जैसाकि आपने मुझे यह थैली देकर स्वीकार किया है कि आप कायल हैं, तो आप स्वीकार करोगे कि इस पापसे मुक्त होनेके लिए मलाबारको सबसे ज्यादा प्रायश्चित्त करना होगा। इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और पड़ना भी नहीं चाहिए, कि आपमें से जो कुछ धनवान लोग हैं वे मूलतः मलाबारके निवासी नहीं हैं। मलाबारमें रहकर जो लोग मात्र

१. यह सभा शाम छः बजे समुद्रके किनारे हुई थी और इसमें १५,००० लोग उपस्थित थे।

२. यह अनुच्छेद हिन्दूसे लिया गया है।

अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं या खूब धन कमा रहे हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि उन्हें प्राप्त होनेवाला एक-एक पैसा इस पापसे दूषित है। इसलिए क्षतिपूर्ति और प्रायश्चित्तके लिए वे भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि यहाँके मूल मलयाली निवासी हैं।

आज सुबह मुझे मलावारके एक अत्यन्त सुन्दर स्थानपर ले जाया गया; मुझे पहाड़ीपर ले जाया गया जहाँकी दृश्यावलि बहुत रोमानी थी। वहाँ मुझे कलपेट्टा नामक एक गाँवमें ले जाया गया, जहाँ मुझे एक भजन याद आ गया—मेरे खयालमें इसे विशप हेवरने लिखा था। खैर, चाहे उन्होंने लिखा हो या किसी और विशपने, आपकी ज्ञानवृद्धिके लिए मैं उस भजनमें से यह एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ। कहा जाता है कि वह जब भारतके पश्चिमी तटपर पहुँचनेवाले थे तब उनके होठोंपर या उनकी कलमपर अपने-आप यह पंक्ति उतर आई: “प्रत्येक दृश्य सुखदायी है, केवल मनुष्य ही धिनीना है” (“एवरी प्रॉस्पेक्ट प्लीजेज, मैं एलोन इज वाइल”) इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि जब उन्होंने यह पंक्ति लिखी थी तब उनके दिमागमें अस्पृश्यताका यह काला घब्दा नहीं था। इस पंक्तिकी मैंने जो व्याख्या की है उससे इसकी शास्त्रीय व्याख्या विलकुल भिन्न है। लेकिन कवियोंको उनके स्व-निर्मित दायरोंमें भी कभी सीमित नहीं रखा जा सकता। कवि तो चिरकालके लिए लिखते हैं। उनके शब्दोंमें एक ऐसा अर्थ गभित होता है जिसकी कल्पना उन्हें जब वे बोलते हैं या लिखते हैं तब नहीं होती। मलावारमें मनुष्यके लिए प्रकृतिने जो उपवन बनाये हैं वहाँसे सुरभित हवाएँ आती हैं। लेकिन मनुष्यने अस्पृश्यता द्वारा उसे दूषित कर दिया है और इस तरह वह धिनीना बन गया है। हमने ईश्वरकी महानतम रचना अर्थात् मनुष्यको विरूपित करनेका प्रयत्न किया है। मनुष्यकी आत्माका सौन्दर्य ऐसा होता है कि पेड़-पौधोंका चित्ताकर्षी सौन्दर्य भी उसे कभी मात नहीं कर सकता। लेकिन तथाकथित सबर्ण हिन्दू अथवा तथाकथित उच्च वर्गीय हिन्दुओंने हिन्दू-समाजके एक अंशको दवानेकी अनधिकार सत्ता ग्रहण कर ली। लेकिन जैसाकि हम शायद कुछ वर्षोंमें देखेंगे, उनका यह प्रयत्न असफल रहा है। मनुष्यने, स्वयं ईश्वरके नामपर, हजारों लोगोंको समाजके दायरेसे बाहर रखकर मनुष्यकी आत्माका दमन करनेमें कोई कसर नहीं उठा रखी है।

आज कलपेट्टामें पेड़-पौधोंके चित्ताकर्षी सौन्दर्यके बीच मैंने जो-कुछ देखा है वह मैं आपको बताऊँगा। मुझे मानव-जातिके जंगली नमूने-देखनेको मिले जिनसे तीव्र दुर्गन्ध आ रही थी। आप मेहरबानी करके जल्दीमें यह मत कह बैठिए कि यही तो बजह है कि वे अस्पृश्य हैं। आप जिस हृदयक जायद मेरे साथ सहमत होनेको

१. ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:

“छाट दो द स्प्राइसी त्रिजेज

ब्लो सॉफ्ट मोवर सीलोन्स आइल

दो एवरी प्रॉस्पेक्ट प्लीजेज

पेण्ड ओनली मैंन इज वाइल”

तैयार है, मैं चाहता हूँ कि आप जरा उससे गहरे उतरकर मेरे साथ विचार कीजिए और समझनेकी कोशिश कीजिए कि इस अवर्णनीय रूपसे पीडाजनक दृश्यके लिए आप और मैं जिम्मेदार हैं। यदि आप चाहे तो एक घटेके अन्दर-ही-अन्दर इन लोगोको स्वच्छ तथा ऊपरसे देखनेमे उतने ही सम्माननीय व्यक्तियोंके रूपमे बदला जा सकता है जितने कि आप और मैं है। बस थोड़े-से गरम पानी, या साबुन, और थोड़ी-सी खादीकी जरूरत है, और आप तत्काल देखेंगे कि वे भी विलकुल उतने ही सम्य दिखने लगेंगे जितने कि आप और मैं। उनके और हमारे बीच के आन्तरिक भेदका तो केवल ईश्वर ही निर्णय कर सकता है। यह बिलकुल सम्भव है, बल्कि वस्तुतः मेरी रायमें तो यह बिलकुल निश्चित बात है कि हम लोग उनकी अपेक्षा कहीं ज्यादा पापी और अधम प्राणी हैं। हमारे जीवनकी पाटीपर हमारे कार्योंका जो ब्योरा लिखा हुआ है वह बहुत अच्छा नहीं है। उनकी जीवन-पाटी तो अभी भी साफ-सुथरी पडी है। आपको क्या यह जानकर अब आश्चर्य होगा कि जब अपने इन देशवासियोंको मैंने देखा तो मन ही-मन मैं सहसा उपरोक्त कविसे कह बैठा, 'तुमने यह बात ठीक ही कही है कि "प्रत्येक दृश्य सुखदायी है, केवल मनुष्य ही घिनौना है"।' अब आप अपने दिलोपर हाथ रखकर मुझे यह बताइए कि यदि आप लोग अपनी सारी धन-दौलत दे दे और वहनोंके पास जो-कुछ जेवर हैं वे सब उसे त्याग दे तो भी क्या आपके कारण हमारे इन देशवासियोंको जो नुकसान पहुँचा है उसकी पर्याप्त क्षतिपूर्ति हो सकेगी? मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जब आप अपने पासका सब-कुछ त्यागकर हरिजनोके साथ हुए अन्यायकी क्षतिपूर्ति करनेका काम आरम्भ कर देंगे तब ही आप हरिजनोके उपयुक्त सेवक समझे जायेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक आदर्श स्थिति है और मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मैं आपको आसानीसे उस आदर्श मार्गपर ले चल सका तो भारत वास्तवमें फिरसे तीस करोड़ देवताओका देश बन जायेगा।

लेकिन मैं ऐसे किसी प्रकारके भ्रमके वशीभूत नहीं हूँ। मैं अपने-आपको एक व्यावहारिक आदर्शवादी मानता हूँ। मानव प्रकृतिसे मुझे जो-कुछ प्राप्त होता है वह मैं ग्रहण कर लेता हूँ और अपनी राह लगता हूँ। मेरा काम आपके सामने स्थितिकी वास्तविकताओको पेश करना है, आपकी बुद्धि और आपकी कल्पना-शक्तिको जगाना है, आपके हृदयको स्पर्श करना है, और इसके बाद यह बात आपके ऊपर छोड़ देनी है कि आप हरिजन-कार्य जैसे महान् और पवित्र उद्देश्यके लिए यथासम्भव जितना कुछ कर सकते हैं, करे।

अन्तमे मैं चाहूँगा कि आप इस बातको समझ ले कि यदि हम, तथाकथित सवर्ण हिन्दू, परीक्षाकी इस छोटी-सी अवधिमें हरिजनोके प्रति अपने इस प्राथमिक कर्तव्यके पालनमे असफल हो गये तो हिन्दू-धर्म इतिहासकी चीज बनकर रह जायेगा। इतिहास हमें यह सिखाता है कि बहुत-सी सम्यताएँ, बहुत-सी सस्कृतियाँ उन पिछली सम्यताओके प्रतिनिधियोंकी अन्तर्निष्ठ कमजोरीके कारण सदा-सदाके लिए नष्ट हो गई हैं।

इसलिए आप इस धोखेमें न रहिये कि हम यदि प्राचीन ऋषियों द्वारा छोड़ी गई अमूल्य निधिके अयोग्य प्रतिनिधि सिद्ध हुए तो वैसी स्थितिमें भी हिन्दू-धर्म अपवाद सिद्ध होगा और आसन्न विनाशसे बच जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

हरिजन, २-२-१९३४ तथा हिन्दू, १६-१-१९३४

### ५०६. पत्र : नान और तंगई मेननको

१५ जनवरी, १९३४

प्रिय नान<sup>१</sup> और तंगई<sup>२</sup>,

दोनोंको खूब-खूब प्यार और चुम्बन। आशा है, वहाँका मौसम<sup>३</sup> तुम्हें अनुकूल आ रहा है और तुम दोनों प्रसन्न हो। क्या तुम लोग मलयाली भाषा सीख रही हो? तुम लोग मुझे जल्दी-जल्दी पत्र लिखा करो।

सप्रेम,

बापू

[अंग्रेजीसे]

माई डियर चाइल्ड, पृष्ठ १२०

### ५०७. पत्र : दल्लभभाई पटेलको

१५ जनवरी, १९३४

भाई वल्लभभाई,

इस समय शामके चार बजे हैं। आज मीनवार है। मैं कालीकटमें नागजी पुरुषोत्तमके बँगलेमें बैठा हुआ हूँ। देवदास और लक्ष्मी आज आये हैं। कल ठक्कर बापा और शंकरलाल आयेगे। कल दोपहरको ढाई बजे जामोरिन<sup>४</sup> से मिलूंगा। पाँच बजे त्रिचूरके लिए रवाना हो जाऊँगा।

लक्ष्मी प्रसवके लिए दिल्ली जाये अथवा मद्रासमें रहे, यह प्रश्न हमारे सामने है। वह और देवदास दो दिनोंमें राजासे मिलेंगे। उसके बाद अन्तिम निर्णय करेंगे। देवदासको दिल्ली जानेकी अनुमति मिल गई है। तथापि वह अनुभव प्राप्त करनेके लिए छः महीने मद्रासमें रहेगा। दोनों सोच-विचार कर रहे हैं। देवदासकी अनुपस्थितिमें प्रसव हो, ऐसा लक्ष्मी नहीं चाहती, और राजा अपनी अनुपस्थितिमें नहीं चाहते। इस प्रकार

१ और २. पत्थर मेननकी पुत्रियाँ।

३. दक्षिण भारतमें पलनी द्विस्में कोडाईकनाल्का।

४. कालीकटके, अब कांजीकोट।

उलझनामे उलझने फँसी है। लेकिन जीवनकी सफलता ऐसी जटिल दीख पड़नेवाली समस्याओको सीधी तरह सुलझानेमें ही तो है न?

शंकरलालको मैंने खादीके बारेमे थोड़ी बातचीत कर जानेके लिए खास तौरसे बुलाया है। मैं देखता हूँ कि हमारे खातेमे कदाचित् अनावश्यक खर्च होता है। मैंने जो देखा है उसे मैं उनके आगे रखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रान्तकी खादी दूसरे प्रान्तमे भेजनेका दायित्व अब बिलकुल त्याग देना चाहिए। और अन्तमें मेरा रुख अनन्तपुरकी पद्धतिकी ओर झुकता है। साबलीमें जो पद्धति है वह भी ठीक जान पडती है। कृष्णदास [गाधी] और जाजूजी दोनों ही उस्ताद हैं और एक-दूसरेकी खूब पूर्ति करते हैं। कृष्णदास खूब नाम कमा रहा है। केशु शान्त है। रामदामेका दिल उचाट है। वह भी किसी दिन ठिकाने आ जायेगा।

देवदास बा से मिल आया है। बा की बहादुरीका वह बहुत बखान करता है। बा परेशान तो जरूर है, लेकिन परेशानी न हो तो जीवनमें क्या मजा है?

मैं गुरुवायूर हो आया। वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि वर्णाश्रम सघने उत्तर भारतके कुछ पहलवानोको काले झण्डे दिखाने और थोड़ी मार खानेके लिए भेजा था। दो व्यक्तियोने सभा मंचपर कब्जा कर लिया था। उन्होने एक भाईके पाँव पकड़ लिये। इसपर युवकोने उन्हें मचसे उतर जानेके लिए कहा। हाथापाई हुई, इन पहलवानोको थोड़ी मार पड़ी। यह है तो ठीक, लेकिन उन्होने अभिनय ऐसा किया है मानो खूब मार पड़ी हो। इन दोनोंको मैंने अस्पताल भेजा और सभा शुरू की तथा पूरी की। लोग बडी सख्यामें आते रहते हैं। छोटी और बड़ी भेट मिलती रहती है। अन्नपूर्णा जैसी एक कौमुदीबहन प्रकाशमे आई है। उसने अपने गहने दे दिये। "जिसे राम राखे ते कौन चाखे जी" अतः वह जैसा रखेगा वैसे रहेगे, जो कहेगा सो करेगे, जैसा नाच नचायेगा वैसा नाचेंगे।

बगलौरमे हंगरीकी दो महिलाएँ, माँ और बेटी, मिली थी। दोनों चित्रकलामें बहुत प्रवीण हैं। सादगीसे रहती हैं। अभी तो उन्होने अपना सर्वस्व हिन्दुस्तानको अर्पित कर दिया है। ये माँ-बेटी भजनोके स्वरपर सहज ही नाच उठती हैं।

नी० अमेरिका जायेगी, ऐसा लगता है। कदाचित् स० भी जाये। उसने जो कारनामे किये हैं उसके बारेमे मैंने तुम्हे ज्यादा नहीं लिखा है और लिखूंगा भी कैसे? उस सबके लिए समय चाहिए न?

अमलाका काम ठीक चल रहा है।

मणिका पत्र इसके साथ है। पूनी और पुस्तकोके बारेमे मैंने स्वामीको लिखा है। पुस्तके एक ही आकारकी न होनेके कारण वह उनकी जिल्द बँधवाकर भेजेगा अथवा नहीं, सो मैं नहीं कह सकता। स्वामी उस्ताद है और यदि सम्भव हुआ तो वह अवश्य कर देगा।

मणिने तुम्हे जो पत्र लिखा है वह डाह्याभाईने भेजा था।

१. देखिए "भाषण: गुरुवायूरकी सार्वजनिक सभामें", ११-१-१९३४।

२. देखिए "भाषण: कालीकटकी महिला-सभामें", १३-१-१९३४ तथा खण्ड ५७, "कौमुदीका त्याग", १९-१-१९३४।

यदि मैं बेलगाम गया तो मैं दोनोंसे मिलनेकी तजवीज कछ्छा। वैसे मेरा वहाँ जाना निश्चित नहीं है।

मणिको लिखना कि बड़ोकी सेवा उनके समीप रहकर की जा सकती है अन्यथा नहीं, सो बात नहीं है। जो बड़ोंका काम करता है वह भी बड़ोकी सेवा ही करता है। उनके सान्निध्यमें रहनेका लोभ भले हो। यह स्वाभाविक भी है। सेवाका और सान्निध्यका अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। वह बिचारी समझती है कि उपर्युक्त पत्र तुम्हें सीधे पहुँच गया होगा। तुमने देखा होगा कि यह तो सावरमतीमें डुबकी लगाकर आया है।<sup>१</sup> इसीलिए चार पाँच जगहसे भीग गया है। यह कोई हमारे लिए नया अनुभव नहीं है। लेकिन हमारा काम तो येन-केन अपने चित्तको सन्तुष्ट रखना है न?

गोरधनभाईको मैं शान्त तो नहीं कर सका। लेकिन वे अब मुझे कुछ नहीं लिखते। मुझे जो उचित लगा उस धर्मका पालन मैंने उनके प्रति भी किया है। विट्टलभाईकी ओरसे जो पैसे मिले हैं उसका आँकड़ा मैंने मँगवाया है और उनके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उसे भेजनेके लिए भी कहा है। यदि मुझे ये मिल गये तो मैं उन्हें प्रकाशित करना जरूरी समझता हूँ।

जब वे मुझे पत्र लिखे तब भले वर्धाके पतेपर लिखे। लेकिन यदि वे सब-कुछ तुम्हें ही लिखते रहे और वे पत्र मुझे भी मिलते रहे तो भी मुझे पूर्ण सन्तोष होगा। तुम ही इस वारेमें उनका मार्गदर्शन करना। वा के वारेमें तो तुम-लिखोगे ही। लक्ष्मीके वारेमें तो मैं तुम्हें लिख ही चुका हूँ। मृदुलाको और नन्दु<sup>२</sup> बहनको पत्र लिख रहा हूँ। ब्रजकृष्णको देवदास देख आया है। वह अच्छा है। बच गया है। आरामकी जरूरत है, सो ले रहा है।

राजा फरवरीकी ६ तारीखको रिहा होंगे।

तुम्हें किसी भी बातको लेकर चिन्ता न करनेकी आदतका विकास करना चाहिए। उसके लिए या तो 'गीता' कंठस्थ करनी चाहिए, संस्कृत सीखनी चाहिए अथवा उल्टे-सीधे रामधुन रटनी चाहिए।

मुझे तो चिन्ता करनेकी फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें मुझे चिन्ता न करनेकी सलाह देनेकी कोई जरूरत नहीं।

दोनोंको,

बापूके आशीर्वाद

[ गुजरातीसे ]

बापुना पत्रो-२ : सरदार बल्लभभाईने, पृष्ठ ६२-५

१. चूँकि बेलगाम जेलके कर्मचारियोंमें किसीको गुजराती नहीं आती थी इसलिए गुजराती कैदियों द्वारा लिखे गये पत्रोंको टेन्सरके लिए पहले सावरमती जेल भेजा जाता था।

२. डॉ० कामूाकी पत्नी विजयागौरी।

## ५०८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

१५ जनवरी, १९३४

चि० गंगाबहन,

तुम्हारे बारेमें समाचार तो मिलते ही रहते थे। पर मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं लिखता था। पत्र तो एक ही मिल सकता था तुम्हें, अतः दूसरे आवश्यक पत्र तुम्हें मिलते रहे इस विचारसे मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखा। बाकी सभी बहनोंका स्मरण तो बना ही रहता है।

सब बहनोंके लिए तो इतना ही सन्देश भेजता हूँ 'रासकी कूच' के आयोजनके समय भले ही जो-कुछ विचार किये गये हों और प्रतिज्ञाएँ ली गई हों पर अब सारी बहनोंको नये सिरेसे स्वतन्त्र रूपसे विचार करके जो निर्णय करना हो, करे। मुझे वह मान्य होगा। मैं अपने मूल विचार पर कायम हूँ। कोई किसीपर जोर न डाले। सब कोई अपना-अपना विचार कर ले, यही धर्म है। सब लोग अपनी-शक्ति और इच्छाके अनुसार चले। मैं तो अनायास ही जेलके बाहर हूँ। लाल बंगलेपर कोई न ठहरे। लाचारीमें कोई अन्यत्र न ठहरे। हो सकता है कि ऐसा समय आये जब हमें कोई रहने या खानेको कुछ न दे। हम तो ऐसी स्थितिको भी बिना रोष, बिना दुःख माने भोगे, हमने यही धर्म सीखा है। 'गीता' में यही है, और कुछ नहीं। दूसरे लोग यदि हमें नहीं स्वीकार करते तो यही समझना चाहिए कि यह उनकी शक्तिके बाहर है। इसमें दुःख किसलिए? पर हम अभी इस चरम स्थितिको नहीं पहुँच पाये हैं। यदि पहुँच जाये तो एक दृष्टिसे अच्छा ही माना जायेगा।

सारी बहनें अभी मुझसे अलहदा पत्रकी आशा न करे। मैं अवश्य सभीके पत्रोंकी आशा रखूँगा।

तुम तो सभी मिलकर लिखोगी और अपने उद्गारोंसे भरा-पूरा पत्र लिखोगी। लिखनेमें यदि मदद लेना जरूरी हो तो लेना। सभीने क्या-क्या किया इसकी जानकारी मुझे देना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च.]

सारे पत्र वचकिते पत्रपर भेजे जाये।

[गुजरातीसे]

बापुना पत्रो - ६ : गं० स्व० गंगाबहनेने, पृष्ठ ८१-२। सी० डब्ल्यू० ८८१४ से भी; सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

१. १ अगस्त, १९३३ को; देखिए खण्ड ५५, पृष्ठ ३४३-४५।



## ५०९. पत्र : सुलोचना अ० शाहको

१५ जनवरी, १९३४

चि० सुलोचना,

तुझे आनन्द तो आया? मुझे छः महीनेका हिसाब देना और अब आगे क्या करना है यह सूचित करना। जरा भी संकोच करनेकी आवश्यकता नहीं।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १७५०) से।

## ५१०. पत्र : प्रेमाबहन कंटकको

१५ जनवरी, १९३४

चि० प्रेमा,

मैं यह पत्र तुझे सिर्फ यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि तूने जो मुझे लम्बा पत्र लिखनेका वादा किया था मुझे उसका इन्तजार है।

किसन मजेमें है। मैं उसपर जितना ध्यान देना चाहता हूँ उतना नहीं दे पाता।

'हरिजन' के सब अंक पढ़ जाना, गुजराती और अंग्रेजी दोनों।

बापूके आशीर्वाद

गुजरातीकी फोटो-नकल (जी० एन० १०३५३) से। सी० डब्ल्यू० ६७९२ से भी;  
सौजन्य : प्रेमाबहन कंटक

## ५११. पत्र : अमीना जी० कुरेशीको

१५ जनवरी, १९३४

चि० अमीना,

मुझे ब्योरेवार पत्र लिखना। बच्चोंसे मिलनेके पश्चात् अपना अनुभव मुझे बताना। भविष्यमे जो तुम ठीक समझो वही करना। जेलमें तुमने क्या किया, क्या पढ़ा तथा अन्य सब बातोंके बारेमे मुझे बताना।

बापूके आशीर्वाद

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० १०६२२) से, सौजन्य . अमीना जी० कुरेशी

## ५१२. पत्र : अमतुस्सलामको

१५ जनवरी, १९३४

प्यारी बेटी अमतुस्सलाम<sup>१</sup>,

उर्दूमे ज्यादा लिखनेकी कोशिश नही करूँगा। सचमुच मैं इतना थक गया हूँ कि ज्यादा लिख नहीं सकता। हाथमे दर्द होता है और मीनवार के रातके ८-३० बज चुके हैं। पर कुछ खत तो मुझे लिखने ही होंगे। उम्मीद है कि मेरा खत<sup>२</sup> तुमने जेलमें पाया होगा। मैंने तुमसे कहा है कि मेरे पास नही आना। मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। परन्तु आनेकी इच्छाको अगर तुम रोक न सकती हो तो जरूर आओ। किसी भी सूरतमे तुम्हे अपनी अम्मा और नारणदासभाईसे तो मिलना ही चाहिए। मुझे तफसीलसे लिखो। आशा करता हूँ, तुम शरीर और मनसे अच्छी होगी।

प्यार।

बापू<sup>३</sup>

अंग्रेजीकी फोटो-नकल (जी० एन० २९०) से।

१. यह पवित्र उर्दू लिपिमें है।

२. देखिए “पत्र : अमतुस्सलामको”, २-१-१९३४।

३. इस्ताक्षर उर्दू लिपिमें हैं। -

## परिशिष्ट

### परिशिष्ट-१

#### (अ) यात्रा-कार्यक्रम<sup>१</sup>

७ नवम्बर, १९३३ से १५ नवम्बर, १९३३ तक

#### ७ नवम्बर

सेलू : मन्दिरका उद्घाटन और सार्वजनिक सभा, आदि (प्रातः ९ बजे)

#### ८ नवम्बर

- प्रातः ६.०० बजे : वधसि प्रस्थान  
" ७.०० बजे : बोरीमे पड़ाव  
" ७.४० बजे : नागपुरमें आगमन  
" ७.४०-८.०० बजे : धनतौलीमें स्वागत  
" ८.००-८.३० बजे : भंगियोकी बस्तीका दौरा, नगरपालिका द्वारा हाल ही में बनाये गये कुएँका उद्घाटन  
प्रातः ८.३०-८.४५ बजे : खलासी लाइन अस्पृश्य बालिका विद्यालय  
" ८.४५-९.०० बजे : सदर बाजार डी० सी० ए० गर्ल्स स्कूल  
" ९.००-९.१५ बजे : चोखामेला होस्टल  
" ९.१५-९.३० बजे : पचपौली डी० सी० एम० स्कूल और माँग बोर्डिंग  
" ९.३०-१०.०० बजे : महार स्टुडेन्ट्स बोर्डिंग, ऊँटखाना  
" १०.००-१.०० बजे : विश्राम  
" १.००-५.०० बजे : कटोल सार्वजनिक सभा, आदि  
शाम ५.००-६.०० बजे : विश्राम  
" ६.००-७.०० बजे : सार्वजनिक सभा

#### ९ नवम्बर

- प्रातः ६.००-६.३० बजे : अनाथ विद्यार्थी गृहमें  
" ६.३०-१०.०० बजे : रामटेक  
" १०.००-२.०० बजे : विश्राम

१. देखिए "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", ११-११-१९३३।

- ॥ २ ०० बजे . सेवनरके लिए प्रस्थान  
 ३ ००-४.०० बजे सार्वजनिक सभा आदि  
 ४.००-५.०० बजे . नागपुर वापस  
 शाम ५.००-६ ०० बजे : विश्राम  
 ॥ ६ ००-७.०० बजे . कार्यकर्त्ताओंके साथ बातचीत  
 रात ७.००-८ ०० बजे : विद्यार्थियोंकी सभा

१० नवम्बर

- प्रात . ६ ०० बजे तुमसरके लिए प्रस्थान  
 ॥ ८ ०० बजे तुमसरमे सार्वजनिक सभा इत्यादि  
 ॥ ९.०० बजे . भंडाराके लिए प्रस्थान  
 ॥ १०.००-११.०० बजे . मन्दिरका उद्घाटन, अभिनन्दनपत्रोंकी भेट  
 ॥ ११.००-२ ०० बजे . विश्राम  
 ॥ २ ०० बजे : गोदियाके लिए प्रस्थान  
 शाम ५.००-६.०० बजे: विश्राम  
 ॥ ६.००-८.०० बजे . सार्वजनिक सभा, आदि

११ नवम्बर

- प्रात १.२० बजे ट्रेन द्वारा प्रस्थान, ५ ०० बजे नागपुरमे गाड़ी बदली  
 प्रात : ८.००-९ ०० बजे : देवली (जिला वर्धा)में

१२ से १३ नवम्बर

वर्धामे विश्राम

१३ नवम्बर

- शाम ४ ०० बजे : हिंगनघाट  
 रात ८ ३० बजे चाँदा

१४ नवम्बर

- प्रात : ६.००-३.०० बजे सेवलीमे पडाव  
 शाम ६.०० बजे : चाँदामें सार्वजनिक सभा

१५ नवम्बर

- प्रात ५.२० बजे : चाँदासे प्रस्थान  
 ॥ ६.३० बजे . वरोरा मे आगमन, वर्णीके लिए प्रस्थान  
 (यदि महात्माजीका स्वास्थ्य यान्त्राकी थकानको सहन नही कर सका तो डॉ० खरे द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रममें परिवर्तन किया जा सकता है।)

## (आ) यात्रा-कार्यक्रममें परिवर्तनके सम्बन्धमें परिपत्र

कैम्प वर्वा

७ नवम्बर, १९३३

प्रिय मित्र,

विषय : गांधीजीके यात्रा-कार्यक्रममें परिवर्तन

नवम्बर १९३३ से जुलाई १९३४ तक ९ महीनेके महात्माजीके प्रस्तावित दौरे के कार्यक्रममें महत्वपूर्ण परिवर्तन करना आवश्यक, बल्कि अपरिहार्य हो गया है। मध्यप्रान्तकी यात्रा जो आजसे शुरू हुई है, करनेके पश्चात् तथा १०-१४ दिसम्बर तक दिल्लीमें होनेवाली केन्द्रीय बोर्डकी बैठकमें शामिल होनेके बाद गांधीजी पंजाब, सिन्ध आदि जानेके बजाय सीधे आन्ध्र तथा मद्रास प्रेसीडेसीके शेष भागमें जायेंगे और फिर उसके बाद बंगाल, असम और फिर पश्चिमकी ओर चले जायेंगे। इसलिए नया क्रम निम्नलिखित होगा :

जुलाई १९३४ के अन्तमें मध्यप्रान्त, दिल्ली, आन्ध्र, मद्रास गहर, मैसूर राज्य और मलाबार डिस्ट्रिक्ट, कोचीन और त्रावणकोर, तमिलनाडु, उड़ीसा, कलकत्ता, बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, सिन्ध और राजपूताना, गुजरात तथा काठियावाड़, बम्बई शहर, महाराष्ट्र और हैदराबाद (दक्षिण) तथा कर्नाटक।

विभिन्न प्रान्तोंमें यात्राकी तिथियाँ तथा अन्य विवरण संलग्न सूचीमें दिये गये हैं। प्रत्येक प्रान्तकी यात्राके व्योरेका निर्धारण तथा लिखत-पढ़त प्रान्तीय सचिव पूर्व-प्रेषित विस्तृत निर्देशोंके अनुसार अपने-अपने प्रान्तके अधीक्षकोंसे सलाह-मशविरा करनेके बाद करेंगे। लेकिन जिन चार प्रारम्भिक नियमोंका पालन करना है, वे निम्नलिखित हैं :

(१) दिनमें बीचमें भोजन और पत्र-व्यवहारके लिए पूरे चार घंटे (१०.०० से २.०० बजेतक हो तो बेहतर है) सार्वजनिक कार्य बिलकुल बन्द रखा जाना चाहिए।

(२) रोजका कार्य सुबह ६.३० बजेसे पहले शुरू नहीं होना चाहिए और रातमें हृदसे-हृद ८.०० बजेतक बन्द हो जाना चाहिए।

(३) रेलकी यात्रा मोटरकी यात्राके मुकाबले ज्यादा ठीक रहेगी, लेकिन जहाँ मोटरसे यात्रा करना अनिवार्य हो जाये तो वह दिन-भरमें ७५ मीलसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

(४) प्रत्येक सप्ताहमें सोमवार और मंगलवार विश्रामके दिन हैं और इन दिनोंमें कोई यात्रा तथा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इतवार रातको ८ बजेसे मंगलवार रात ८ बजेतकका समय संरक्षित समय है—२४ घंटे मौनके लिए तथा २४ घंटे पत्र-व्यवहार और दूसरे कार्यके लिए।

अ० वि० ठक्कर  
महासचिव  
हरिजन-सेवक संघ

(इ) प्रान्तानुसार यात्रा-कार्यक्रम

गाधीजीकी हरिजन-यात्राका कार्यक्रम

गाधीजीको पत्र-व्यवहार तथा 'हरिजन' में लिखनेके लिए समय देनेके लिए सप्ताहमें दो दिन, मुख्यतः सोमवार और मंगलवारको, यात्रा तथा मुलाकाते नहीं होगी। इस प्रकार जहाँतक यात्रा-कार्यक्रमका सम्बन्ध है, सप्ताहमें पाँच कार्य-दिवस होंगे।

प्रान्त	कुल दिन	तिथि (इसमें दोनो तिथियाँ सम्मिलित हैं)	कार्य- दिवस
मध्यप्रान्त	३१	८ नवम्बर - ८ दिसम्बर	२३
		९ दिसम्बरको ट्रेनमें तथा झाँसीमें	
दिल्ली	५	१० दिसम्बर - १४ दिसम्बर	३
		१५ दिसम्बरको ट्रेनमें — दिल्लीसे बैजवाडाके लिए	
आन्ध्र	१४	१६ दिसम्बर - २९ दिसम्बर	१०
मद्रास शहर	५	३० दिसम्बर - ३ जनवरी, १९३४	३
मैसूर-मलावार	१०	४ जनवरी - १३ जनवरी	८
कोचीन-त्रावणकोर	७	१४ जनवरी - २० जनवरी	५
तमिलनाडु	२०	२१ जनवरी - ९ फरवरी	१०

(इनमें पूरी तरह विश्राम करनेके लिए ६ दिन शामिल हैं)

१० फरवरीको ट्रेनमें - मद्राससे उड़ीसा जानेके लिए

उड़ीसा	७	११ फरवरी - १७ फरवरी	५
बंगाल	२८	१८ फरवरी - १७ मार्च	२०
असम	७	१८ मार्च - २४ मार्च	५
बिहार	१४	२५ मार्च - ७ अप्रैल	१०
संयुक्त प्रान्त	३५	८ अप्रैल - १२ मई	२०

(इनमें पूरी तरह विश्राम करनेके लिए ७ दिन शामिल हैं)

पंजाब	१४	१३ मई - २६ मई	१०
सिन्ध	७	२७ मई - २ जून	५
राजपूताना	७	३ जून - ९ जून	५
अहमदाबादमें विश्राम	७	१० जून - १६ जून	०
गुजरात-काठियावाड़	१४	१७ जून - ३० जून	१०
बम्बई शहर	७	१ जुलाई - ७ जुलाई	५
महाराष्ट्र-हैदराबाद (दक्षिण)	१७	८ जुलाई - २४ जुलाई	११
कर्नाटक	७	२५ जुलाई - ३१ जुलाई	५

इस कार्यक्रमको अस्थायी समझा जाये। इस कार्यक्रममें परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब कामके हितमें आवश्यक हो।

अ० वि० ठक्कर

[ अंग्रेजीसे ]

गांधी-नेहरू पेरस, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय

## परिशिष्ट-२

### मुहम्मद इक़बालका वक्तव्य<sup>१</sup>

लाहौर

६ दिसम्बर, १९३३

सम्प्रदायवादी मुस्लिम नेताओके विरुद्ध पं० जवाहरलाल द्वारा लगाये गये आरोपोंका उल्लेख करते हुए आज जो वक्तव्य जारी किया गया है, उसमें सर मुहम्मद इक़बालने कहा है, “१९३१ में लन्दनमें आगा खानि श्री गांधीके सम्मुख जो प्रस्ताव रखा था वह अब भी कायम है। अगर पण्डित जवाहरलालके नेतृत्वमें हिन्दू और कांग्रेस उन रक्षात्मक उपायोंका, जिन्हें मुसलमान सम्पूर्ण भारतमें अल्पसंख्यक समुदाय होनेके नाते अपने हितके लिए आवश्यक समझते हैं, समर्थन करते हैं तो मुसलमान सम्प्रदाय भारतके इस राजनैतिक संग्राममें बहुसंख्यक समुदायका साथ देनेके लिए अब भी तैयार रहेगा”।

सर मुहम्मद इक़बालका कहना है कि १९३२ में श्री गांधीके सामने आगा खानि ऐसा ही प्रस्ताव रखा था, किन्तु श्री गांधी इस बातकी गारंटी नहीं दे सके कि कांग्रेस उनके दृष्टिकोणको स्वीकार कर लेगी और फिर हिन्दू तथा सिख प्रतिनिधि श्री गांधीके दृष्टिकोणसे सहमत नहीं हुए। दूसरे श्री गांधी यह चाहते थे कि मुसलमान लोग अस्पृश्योंकी मांगोंका समर्थन न करें। राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्रके सम्बन्धमें मुसलमानोंके क्या विचार हैं, यह समझानेके वाद सर मुहम्मद इक़बालने पण्डित जवाहरलालसे स्पष्ट प्रश्न पूछा : “यदि बहुसंख्यक समुदायने किसी तीसरे पक्षके निर्णयको स्वीकार नहीं किया तो फिर भारतकी समस्या कैसे हल होगी? ऐसी स्थितिमें केवल दो ही विकल्प हैं। या तो बहुसंख्यक जाति पूर्वमें ब्रिटिश साम्राज्यवादके एजेंटके स्थायी पदको स्वीकार कर ले, और या फिर धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सभ्यताके आधारपर भारतका विभाजन किया जाना चाहिए जिससे कि मताधिकारके प्रश्नको और आज जिस रूपमें साम्प्रदायिक समस्या विद्यमान है, उसके प्रश्नको खत्म किया जा सके।”

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ७-१२-१९३३

१. देखिए “वक्तव्य : समाचारपत्रोंको”, १३-१२-१९३३।

## परिशिष्ट - ३

### जवाहरलाल नेहरूके वक्तव्यके अंश<sup>१</sup>

. . . मैं नहीं समझता कि मुस्लिम साम्प्रदायिक संस्थाएँ, जिनमें मुस्लिम सर्व-दलीय सम्मेलन और मुस्लिम लीग प्रमुख हैं, भारतमें मुसलमानोंके किसी बहुत बड़े समुदायका प्रतिनिधित्व करती हैं, सिवाय इसके कि आज जो साम्प्रदायिक भावना फैली हुई है उससे वे अनुचित लाभ उठा रही हैं। लेकिन तथ्य यही है कि वे संस्थाएँ मुसलमानोंके पक्षका समर्थन करनेका दावा करती हैं और अब तक कोई ऐसी दूसरी संस्था पैदा नहीं हुई है जो उस दावेका सफलतापूर्वक विरोध कर सके। उनका यह आक्रामक साम्प्रदायिक स्वरूप उन असंख्य राष्ट्रवादी मुसलमानों पर, जो कांग्रेसमें शामिल हैं, प्रभाव डालनेमें मदद करता है। इन संस्थाओंके नेता स्पष्ट और पूर्ण-रूपेण साम्प्रदायिक हैं। यह तो वस्तुस्थितिको देखते हुए कोई समझ ही सकता है।

लेकिन यह भी इतना ही स्पष्ट है कि उनमें से बहुत-से लोग निश्चित रूपसे राष्ट्र-विरोधी और सबसे निम्न कोटिके राजनैतिक प्रतिक्रियावादी हैं। ऊपरसे तो वे किसी सर्वसामान्य राष्ट्रको भारतमें विकसित होते हुए देखना भी नहीं चाहते।

पिछले साल ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्समें एक बैठकमें आगा ख़ाँ, सर मुहम्मद इकबाल और डॉ॰ शफात अहमद ख़ाँके बारेमें बताया जाता है कि उन्होंने (३१ दिसम्बर, १९३२ के 'स्टेट्समैन' के अनुसार) "हिन्दू और मुसलमानोंके राजनीतिक या वस्तुतः सामाजिक हितोंका विलयन करनेकी अन्तर्निहित असम्भाव्यता पर" जोर दिया था। उन लोगोंने आगे "ब्रिटिश एजेंसीके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम द्वारा भारत पर शासन करनेकी अव्यावहारिकताका भी" उल्लेख किया था। ऐसे वक्तव्य अब या सुदूर भविष्यमें भी राष्ट्रीयता अथवा भारतीय स्वाधीनताके लिए कोई गुंजाइश नहीं स्वीकार करते।

मैं नहीं समझता कि इस प्रकारके वक्तव्य आमतौरपर मुसलमानोंके अथवा साम्प्रदायिकताकी ओर रक्षान रखनेवाले मुसलमानोंके भी विचारोंका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन ये विचार निस्सन्देह मुसलमानोंमें उन लोगोंके हैं जो प्रभावशाली हैं और राजनीतिकी दुहाई देनेवाले हैं। इन विचारोंका तालमेल राष्ट्रवादी और स्वतन्त्रता-सम्बन्धी विचारोंसे बैठाना अपनी बुद्धिका अपमान करना है और बेशक किसी प्रकारकी वास्तविक आर्थिक स्वतन्त्रता तो अब भी उनसे कोसों दूर है। तत्त्वतः यह मनोवृत्ति महज राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और सामाजिक प्रतिक्रियाके फलस्वरूप बनी है। और यदि कोई इन संस्थाओंकी सदस्यताकी जाँच-पड़ताल करे तो कोई

१. देखिए "वक्तव्य: समाचारपत्रोंको", १३-१२-१९३३।



ताज्जुब नहीं कि यह बात ठीक ही निकले। इनके बहुतेसे प्रमुख सदस्य तो सरकारी अधिकारी, भूतपूर्व सरकारी अधिकारी, मन्त्री, तथाकथित मन्त्री, सामन्त और उपाधिकारी और बड़े-बड़े जमींदार इत्यादि हैं। उनके नेता हैं घनाढ्य धार्मिक समुदायके प्रमुख आगा खाँ, जिन्होंने सामन्तवाद और ब्रिटिश शासक वर्ग, जिसके साथ उनका कई साल घनिष्ठ सम्पर्क रहा है, की राजनीति और आदतोंको बड़ी खूबीसे आत्मसात् कर लिया है।

भारतमें मुसलमानोंकी ऐसी नेतागिरी होनेपर कोई ताज्जुब नहीं कि गोलमेज सम्मेलनमें उनका दृष्टिकोण प्रतिक्रियावादी हो। यह प्रतिक्रियावादी नीति इतनी फैल गई है कि लन्दनमें मुसलमान प्रतिनिधियोंको ब्रिटिश जन-जीवनके अत्यन्त प्रतिक्रियावादी लोगों—लॉर्ड लॉयड और उनके गुटवालोसे—मैत्री करनी पड़ी। इसकी इन्तिहा तब हुई जब गांधीजीने व्यक्तिगत तौरपर उनकी प्रत्येक साम्प्रदायिक माँगको, चाहे वह कितनी ही असंगत और अतिरंजित क्यों न हो, इस शर्तपर स्वीकार करनेका प्रस्ताव रखा कि स्वतन्त्रताके इस राजनैतिक संग्राममें वे अपना पूरा सहयोग देनेका आश्वासन दें। वह शर्त और प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और यह स्पष्ट हो गया कि इसे स्वीकार करनेमें जो बाधा थी वह साम्प्रदायिकवादकी नहीं थी बल्कि राजनैतिक प्रतिक्रिया की थी।

व्यक्तिगत तौरपर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि राजनैतिक उद्देश्य एक जैसे ही हों तो साम्राज्यवादियोंसे सहयोग करना सामान्यतः सम्भव है। लेकिन प्रगति और प्रतिक्रिया में, उन लोगोंमें जो स्वतन्त्रताके लिए संग्राम कर रहे हैं और जो गुलामीमें ही खुश हैं, बल्कि इसे आगे बढ़ानेके इच्छुक हैं, समझौतेकी कोई गुंजाइश नहीं है। और यही राजनैतिक प्रतिक्रिया है जिसने देशको साम्प्रदायिक भावनाकी आड़में आच्छादित कर रखा है और एक समुदायका दूसरे समुदायके प्रति जो भय है उससे लाभ उठाया है। हमें इन साम्प्रदायिक समस्याओंमें इस भयकी भावनासे ही निपटना है। सच्ची साम्प्रदायिकताके पीछे भय होता है; झूठी साम्प्रदायिकताके पीछे राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है।

अल्पसंख्यक समुदायमें यह भयकी भावना कुछ हदतक उचित है, या कमसे-कम स्वाभाविक तो है ही। जहाँ तक मुसलमानोंका सवाल है, हम देखते हैं कि यह भयकी भावना सम्पूर्ण भारतमें व्याप्त है; पंजाब तथा सिन्धमें जहाँतक हिन्दुओंका सवाल है और पंजाबमें सिखोंका प्रश्न है, यह भयकी भावना उतने ही प्रबल रूपमें विद्यमान है।

ब्रिटिश सरकारके लिए मुसलमानोंके प्रतिक्रियावादी नेताओंको सहयोग देना और उनको बढ़ावा देना तथा राष्ट्रवादियोंकी अवज्ञा करनेका प्रयत्न करना स्वाभाविक था। उनके लिए यह भी स्वाभाविक था कि वे मुसलमानोंकी अधिकांश माँगोंको स्वीकार कर लें जिससे कि उनके अपने समुदायमें उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाये और राष्ट्रीय संग्राम कमजोर पड़ जाये। इतिहासके बहुत थोड़े ज्ञानसे ही यह पता चल जायेगा कि शासक वर्ग हमें ऐसा करते ही रहे हैं। मुसलमानोंकी माँगोंसे भारतमें अंग्रेजोंका नियन्त्रण किसी भी तरह कम नहीं होता था। बल्कि ये माँगें तो

कुछ हदतक अंग्रेजोंके प्रस्तावित विशेष अधिकारोंमें वृद्धि करनेमें तथा सत्कारको यह दिखानेमें कि भारतमें उनका बने रहना कितना आवश्यक है, मदद ही करती थी।

मुसलमान साम्प्रदायिक नेताओंके दृष्टिकोणके सम्बन्धमें मैंने यह सब जो लिखा है, वह सिर्फ तस्वीरको पूरा करनेकी दृष्टिसे नहीं बल्कि इसलिए लिखा है कि हिन्दुओंकी साम्प्रदायिक भावनाको समझनेके लिए इसे देना जरूरी था। दोनोंमें कोई मौलिक भेद नहीं है। लेकिन इसी भेदके कारण ही कांग्रेसको हिन्दू-समाजके अधिकांश महत्त्वपूर्ण व्यक्तियोंको अपने दलमें शामिल करना पडा और फिर यही लोग वस्तुस्थिति पर छा गये और इस प्रकार परिस्थितियोंने हिन्दू सम्प्रदायवादियोंको राजनीतिमें एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानेसे वंचित रखा। हिन्दू महासभाके नेताओंने तो ज्यादातर अपनेको कांग्रेसकी आलोचना करनेतक ही सीमित रखा। जब कभी भी कांग्रेसकी गतिविधियाँ मन्द पडने लगती थी तो हिन्दू सम्प्रदायवादी ज्यादा जोरसे आवाज उठाने लगते थे तथा उनका दृष्टिकोण स्पष्टतः प्रतिक्रियावादी ही होता था।

यह याद रखना चाहिए कि बहुसंख्यक समुदायकी साम्प्रदायिक भावनाका तालमेल अल्पसंख्यक समुदायकी साम्प्रदायिक भावनाकी अपेक्षा उसकी राष्ट्रीय भावनासे अवश्य बैठना चाहिए। राष्ट्रीय भावनाकी सत्यताको नापनेकी सबसे बढिया कसौटी यह है कि पता चलाया जाये कि राष्ट्रीय संग्रामसे इसका क्या सम्बन्ध है। यदि यह राजनीतिक प्रतिक्रियावादी है या राष्ट्रीय समस्याओंकी अपेक्षा साम्प्रदायिक समस्याओंपर जोर देती है तो फिर यह स्पष्टतया राष्ट्र-विरोधी है। . . .

ऐसे वक्तव्यों के लिए मैं महासभाको दोषी नहीं ठहरा सकता, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि ये महासभाके विचारोंसे मेल खाते हैं और केवल महासभाके दृष्टिकोणका ही थोड़ा-बहुत बढा-चढा रूप है। और इनसे यह प्रकट होता है कि बहुत-से हिन्दू सम्प्रदायवादी तो निश्चय ही ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध स्थापित करनेकी बात सोच रहे हैं जिससे वे उनकी कृतज्ञताके पात्र बन सके। मामूली-से तर्क-वितर्कसे ही यह पता चल जाता है कि यह दृष्टिकोण न केवल संकीर्ण रूपसे साम्प्रदायिक है बल्कि राष्ट्र-विरोधी और अत्यन्त प्रतिक्रियावादी भी है। . . .

यह बिल्कुल सच है कि हिन्दू महासभा आरम्भसे ही हमेशा सयुक्त निर्वाचन मण्डलका समर्थन करती रही है और यही स्पष्टतया समस्याका एकमात्र राष्ट्रीय समाधान है। यह भी सच है कि साम्प्रदायिक निर्णय राष्ट्रीयताको बिल्कुल अस्वीकार करता है और इस साम्प्रदायिक निर्णयका उद्देश्य भारतको साम्प्रदायिक विभागोंमें विभक्त करना है, और विध्वंसक तत्वोंको बल प्रदान करके इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्यवादकी जड़को मजबूत करना है। लेकिन यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि राष्ट्रीयताका महज इसलिए समर्थन नहीं किया जा सकता कि इससे बहुसंख्यक समुदायका लाभ होता है। इसकी परीक्षा उन प्रान्तोंमें होती है जिनमें मुसलमानोंकी बहुतायत है और उस परीक्षामें हिन्दू महासभा असफल हो चुकी है।

१. ये वक्तव्य भाई परमानन्द, डॉ० मुंजे तथा दूसरे लोगोंने दिये थे।

केवल मुसलमान सम्प्रदायवादियोंको दोषी ठहराना काफी नहीं है। वैसे ऐसा करना आसान है, क्योंकि कुल मिलाकर भारतीय मुसलमान दुःखद रूपसे बहुत पिछड़े हुए हैं और अन्य देशोंके मुसलमानोंके मुकाबले हीन साबित होते हैं। बात यह है कि भारतमें हिन्दुओंके लिए एक विशेष दायित्व हो जाता है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि वे बहुसंख्यामें हैं, और दूसरे इसलिए कि आर्थिक और शिक्षाकी दृष्टिसे वे बहुत आगे हैं। महासभाने उस दायित्वको निभानेके बजाय कुछ इस ढंगसे काम किया है कि उससे मुसलमानोंकी साम्प्रदायिक भावनामें निस्सन्देह इजाफा हुआ है और उनके अन्दर हिन्दुओंके प्रति उनकी अविश्वासकी भावना जागृत हुई है। उनमें साम्प्रदायिक भावनाको समाप्त करनेका जो एकमात्र तरीका इसने अख्तियार किया है वह है, अपनी साम्प्रदायिक भावनाको विभिन्न रूपोंमें प्रकट करना। एक वर्गकी साम्प्रदायिक भावनासे दूसरे वर्गकी साम्प्रदायिक भावनाका अन्त नहीं हुआ करता; दोनों ही एक-दूसरेको पुष्ट करती हैं और इस प्रकार दोनों ही में वृद्धि होती है। . . .

मैं कह नहीं सकता कि हिन्दू और मुस्लिम साम्प्रदायिक संस्थाओंके अनुयायी कौन हैं। यह सम्भव है कि साम्प्रदायिक भावावेशके क्षणोंमें प्रत्येक पक्षको अपने प्रति पर्याप्त लोगोंकी निष्ठा प्राप्त हो जाये। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि दोनों ही संस्थाएँ धनी उच्च वर्गका प्रतिनिधित्व करती हैं और साम्प्रदायिकतासे लाभ उठानेकी इस होड़में इन दोनों दलोंका वास्तवमें प्रयत्न अपने लिए जितना सम्भव हो सके उतने ज्यादा अधिकार और विशेषाधिकार हासिल करना होता है। बहुतसे-बहुत इन संस्थाओंका उद्देश्य यह हुआ कि हमारे कुछेक बेरोजगार बुद्धिजीवियोंको रोजगार मिल जायेगा। इन साम्प्रदायिक माँगोंसे जनताकी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? श्रमिकों, कृषकों तथा निम्न मध्यमवर्गीय लोगोंके लिए— जो राष्ट्रके अधिकांश भागका प्रतिनिधित्व करते हैं— हिन्दू महासभा या मुस्लिम लीगका क्या कार्यक्रम है? जैसाकि अजमेरमें हिन्दू महासभाने इस ओर इंगित किया था, वर्तमान सामाजिक ढाँचेमें परिवर्तन न करनेवाले नकारात्मक कार्यक्रमके अलावा उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। इससे स्वयं ही यह प्रकट हो जाता है कि इन साम्प्रदायिक संस्थाओंकी वागडोर उच्च वर्गके लोगोंके हाथमें है जिन्होंने आज सामाजिक वर्ग बना रखे हैं। मुसलमान सम्प्रदायवादी हमें इस्लामके लोकतन्त्रके बारेमें बताते तो बहुत-कुछ हैं, लेकिन उसे व्यावहारिक रूप देनेमें घबराते हैं; हिन्दू सम्प्रदायवादी बात तो राष्ट्रीयताकी करते हैं, लेकिन सोचते "हिन्दू राष्ट्रीयता" के बारेमें हैं।

व्यक्तिगत तौरपर तो मैं इस बातसे आश्वस्त हूँ कि हिन्दू, मुस्लिम तथा सिख और भारतके अन्य सम्प्रदायोंके सिद्धान्तोंके सम्मिश्रणसे ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी सम्प्रदायके वास्तविक सिद्धान्तोंका नाश हो जायेगा, बल्कि इससे तात्पर्य है सामान्य राष्ट्रीय दृष्टिकोण, जिसके सामने और सब मामले महत्त्वहीन होंगे। मैं नहीं समझता कि हिन्दू-मुस्लिम एकता या अन्य वर्गोंमें एकताकी स्थापना केवल मन्त्रकी तरह (एकताका) पाठ करनेसे ही हो जायेगी।

इसमें तो मुझे कोई सन्देह नहीं है कि एकताकी स्थापना होगी तो जरूर, लेकिन यह नीचेसे होगी, ऊपरसे नहीं क्योंकि जो उच्च वर्गीय लोग हैं उनमें से अधिकांश ब्रिटिश आधिपत्यमें रहनेके ज्यादा इच्छुक हैं और इसके द्वारा वे अपने विशेषाधिकारोंको बनाये रखनेकी आशा रखते हैं। सामाजिक और आर्थिक शक्तियाँ अनिवार्यतः अन्य समस्याओंको आगे खड़ा कर देगी। वे विभिन्न बातोंमें दरार पैदा कर देगी, लेकिन साम्प्रदायिक दरार खत्म हो जायेगी।

मित्रोंने, जिनकी रायको मैं महत्त्वपूर्ण मानता हूँ, मुझे आगाह किया है कि साम्प्रदायिक समस्याओंके प्रति मेरे दृष्टिकोणका परिणाम यह होगा कि उससे बहुत-से लोग मेरे विरोधी हो जायेंगे। दरअसल इसकी सम्भावना है। अपने किसी देशवासीको अपना वैरी बनानेकी मेरी इच्छा कतई नहीं है, क्योंकि हम सब एक जबरदस्त विरोधीके विरुद्ध एक महान सग्रामके दौरमें से गुजर रहे हैं। लेकिन उस सग्रामके लिए यह आवश्यक है कि हम हानिकर प्रवृत्तियोंपर अक्रुश रखें और अपने उद्देश्यको हमेशा सामने रखें। यदि हमारे उस महान स्वतन्त्रता सग्रामको कमजोर करने और उसमें गतिरोध उत्पन्न करनेकी कोशिश होती हो और उसे मैं चुपचाप खड़ा देखता रहता हूँ तो मैं अपने प्रति, अपने मित्रों और सहयोगियोंके प्रति, जिनमें से बहुतोंने तो स्वतन्त्रताकी वेदीपर अपना सब-कुछ न्योछावर कर दिया है, और यहाँतक कि उन लोगोंके प्रति भी जो मेरी बातसे सहमत नहीं हैं, झूठा ठहरूँगा। मेरी रायमें जो लोग इस कार्यमें मदद कर रहे हैं, उन्होंने जो धारणाएँ बना रखी हैं, हो सकता है वे विलकुल ठीक हों। मैं उनकी वास्तविकतापर सन्देह नहीं करता। लेकिन, कम-से-कम उनके विचार गलत हैं, राष्ट्र-विरोधी हैं और प्रतिक्रियावादी हैं।

मैं एक व्यक्तिकी हैसियतसे लिख रहा हूँ और इस मामलेमें मैं अपने अलावा और किसीके विचारोंका प्रतिपादन करनेका दावा नहीं करता। बहुत-से लोग मेरी बातसे सहमत हो सकते हैं; आशा है कि वे सहमत होंगे। लेकिन चाहे वे सहमत हों या न हों, मुझे तो अपने मनकी बात साफ-साफ कहनी चाहिए। शायद राजनीतिज्ञोंका ऐसा तरीका न हो, क्योंकि राजनीतिके क्षेत्रमें तो लोग कहनेके मामलेमें बहुत सावधान रहते हैं और वे ऐसी कोई बात नहीं कहते जिससे सम्प्रदाय या व्यक्तिको ठेस पहुँचे और वे उसका समर्थन खो बैठे। लेकिन मैं अपनी खुशीसे राजनीतिज्ञ नहीं बना हूँ, मुझसे अधिक प्रबल शक्तियोंने मुझे इस क्षेत्रमें ला पटका है और हो सकता है कि मुझे अभी राजनीतिज्ञोंके तौर-तरीके सीखने हों।

[ अंग्रेजीसे ]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २-१२-१९३३

## परिशिष्ट - ४

### बापूका यात्रा-कार्यक्रम<sup>१</sup>

तिथि	प्रातः	दोपहर	रात
२८ दिसम्बर	ट्रेनमें	विशाखापट्टनम	विजयनगरम
२९ दिसम्बर	अणकापल्ली (३ वजेतक)	ट्रेनमें	ट्रेनमें
३० दिसम्बर	वुचीरेड्डीपालयम	नेल्लौर	वेकटगिरि
३१ दिसम्बर	रेणीगुंटा	कुडाप्पा	कुडाप्पा
१-२ जनवरी	कुडाप्पामें विश्राम		
३ जनवरी	उर्वाकोण्डा	अनन्तपुर	ट्रेनमें
४ जनवरी		बंगलौर	
५ जनवरी		मंसूर	

दिन-भरके पत्र गहरी स्याहीमें छपे स्थानोंपर भेजे जा सकते हैं।

[ अंग्रेजीसे ]

गांधी-नेहरू पेपर्स, १९३३; सौजन्य : नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय

१. देखिए "पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", २६-१२-१९३३।

## सामग्रीके साधन-सूत्र

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली . गांधी साहित्य और तत्सम्बन्धी कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय ।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।

साबरमती संग्रहालय पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय, जिसमें गांधीजीसे सम्बन्धित कागजात रखे हैं ।

‘अमृतबाजार पत्रिका’ : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘बॉम्बे क्रॉनिकल’ . बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘मद्रास मेल’ : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘हरिजन’ : रामचन्द्र वैद्यनाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा हरिजन सेवक सघके तत्वावधानमें प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक, जो गांधीजीकी देखरेखमें ११ फरवरी, १९३३ को पूनासे प्रकाशित हुआ था ।

‘हरिजनबन्धु’ : चन्द्रशंकर शुक्ल द्वारा सम्पादित तथा १२ मार्च, १९३३ को पूनासे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक ।

‘हरिजनसेवक’ . वियोगी हरि द्वारा सम्पादित और २३ फरवरी, १९३३ को दिल्लीसे प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक ।

‘हितवाद’ : नागपुरसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ . नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘हिन्दू’ : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक ।

‘(द) इंडियन एनुअल रजिस्टर’, खण्ड-२, १९३३ (अंग्रेजी) नृपेन्द्रनाथ मित्रा, द एनुअल रजिस्टर आफिस, कलकत्ता ।

‘इन द शैडो ऑफ द महात्मा’ (अंग्रेजी) : जी० डी० बिड़ला, ओरिएण्टल लॉन्गमैन लिमिटेड, इण्डिया, १९५३ ।

‘कोई शिकायत नहीं’ . कृष्णा हठीसिंह, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, १९५९ ।

‘गांधीजीकी दिल्ली डायरी’, खण्ड १ ब्रजकृष्ण चाँदीवाला, गांधी स्मारक निधि एवं ज्ञानदीप, १९७० ।

‘(द) साइनो-इंडियन जरनल’ (अंग्रेजी) : गांधी मेमोरियल नम्बर, दिसम्बर, १९४८ ।

‘पाँचवे पुत्रको वापूके आशीर्वाद’ . सम्पादक : काका कालेलकर, जमनालाल बजाज ट्रस्ट, वर्धा, १९५३ ।

‘(ए) बच ऑफ ओल्ड लेटर्स’ (अंग्रेजी) जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग हाउस, १९५८ ।

‘बापुना पत्रो - ६ : गं० स्व० गंगाबहेनने’ (गुजराती) : सम्पादक : काका कालेलकर, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

‘बापुना पत्रो - ४ : मणिवहेन पटेलने’ (गुजराती) : सम्पादिका : मणिवहेन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

‘बापुना पत्रो - २ : सरदार वल्लभभाईने’ (गुजराती) : सम्पादिका : मणिवहेन पटेल, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

‘बापुना बाने पत्रो’ (गुजराती) : इंटरनेशनल प्रिन्टिंग प्रेस, फीनिक्स, नेटाल, १९४८।

‘बापुनी प्रसादी’ (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद, १९४८।

‘बापूजीनी शीतल छायामां’ (गुजराती) : सम्पादिका : सरोजिनी मेहता, लीलावती डी० बैंकर और बच्चुबहेन आर० लोटवाला, बम्बई, १९५८।

‘मध्यप्रदेश और गांधीजी’ : सूचना तथा प्रकाशन संचालनालय, मध्यप्रदेश सरकार, अक्टूबर, १९६९।

‘महात्मा : लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी’, खण्ड - ३ (अंग्रेजी) : डी० जी० तेंदुलकर, विठ्ठलभाई के० झवेरी और डी० जी० तेंदुलकर, बम्बई, १९५१।

‘माई डियर चाइल्ड’ (अंग्रेजी) : सम्पादक : एलिस एम० बार्न्स, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५६।

## तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ सितम्बर, १९३३ से १५ जनवरी, १९३४ तक)

- १६ सितम्बर: गाधीजी बम्बईमें ही रहे। जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, घन-श्यामदास विडला और कावसजी जहाँगीरसे बातचीत की।
- १९ सितम्बर मिल-मालिक सघ तथा श्रमिकोंके प्रतिनिधियोंसे बातचीत की।
- २० सितम्बर एनी बेसेटका देहान्त, गाधीजीने उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदा-वादके लिए रवाना हो गये।
- २१ सितम्बर. अहमदाबादमें, चिनुभाईकी प्रतिमाका अनावरण किया; माणेकलाल जेठालाल पुस्तकालयका शिलान्यास किया। रातको बम्बईके लिए रवाना हो गये।
- २२ सितम्बर: बम्बईमें।
- २३ सितम्बर: वर्धा पहुँचे।
- २४ सितम्बर: तृतीय 'हरिजन दिवस' मनाया गया।
- २९ सितम्बर. के० माधवन नायरकी मृत्युपर गाधीजीने सम्बेदना-सन्देश भेजा।
- ३० सितम्बर. घनश्यामदास विडलाको लिखे एक पत्रमें सत्याग्रह आश्रम हरिजन सेवक समाजको सौंप देनेका प्रस्ताव रखा।
- ४ अक्टूबर. रेव० फूजी और रेव० ओकीत्सुसे भेंट की।
- ८ अक्टूबर. सार्वजनिक सभामें आगामी ३ अगस्त, १९३४ तक अपनेको हरिजन-कार्यमें लगाये रखनेके निर्णयको दोहराया।
- ९ अक्टूबर: एन० एस० हार्डिकर और कमला चट्टोपाध्यायसे भेंट की।
- १४ अक्टूबर: स्वामी दयानन्दकी अर्द्ध-शताब्दीके अवसरपर सन्देश भेजा।
- १८ अक्टूबर. प्रभुदास गाधीके विवाहके अवसरपर दो शब्द कहे।
- २२ अक्टूबर: 'उन्नति' के प्रतिनिधिसे भेंट की।  
विठ्ठलभाई पटेलकी जेनेवामें मृत्यु।
- २४ अक्टूबर. एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिसे भेंटके दौरान गाधीजीने विठ्ठलभाई पटेलके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की।
- ३१ अक्टूबर: के० एफ० नरीमनसे भेंट की।
- २ नवम्बर: हिजली जेलमें सविनय प्रतिरोधियोंके साथ किये गये अमानवीय व्यवहारके सम्बन्धमें बंगालके गवर्नरको पत्र लिखा।
- ७ नवम्बरसे पूर्व: नालवाडीमें हरिजनोंकी सभामें भाषण दिया।
- ७ नवम्बर: हरिजन-कार्यके लिए यात्रा आरम्भ की। वर्धाका राम मन्दिर और लक्ष्मी-नारायण मन्दिर देखने गये। सेलूममें मन्दिरको हरिजनोके लिए खोला, सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। शामको वर्धामें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।



- ८ नवम्बर: सुबह नागपुर पहुँचे। लेंडर। और वनतोलीमें भाषण दिया। हरिजनोंकी बस्तीमें आयोजित सभामें भाषण दिया; हरिजनोंके लिए कुएँका उद्घाटन किया। विभिन्न हरिजन संस्थाएँ देखने गये; हरिजन महिला आश्रमका उद्घाटन किया। कटोल, मोपा, कमलेश्वर, डोरलीकी यात्रा की। शामको नागपुरमें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
- ९ नवम्बर: सुबह पत्र-प्रतिनिधियोंसे भेंट की। खादी वस्त्रालय, ऊँटखाना बोर्डिंग, नावी शुक्रावारी और अनाथ विद्यार्थी गृह देखने गये; हरिजनोंके लिए कुआँ खोला। हरिजन कार्यकर्ताओंकी सभा और विश्वविद्यालयके विद्यार्थियोंकी सभामें भाषण दिये। दिनमें कांपटी, कानन, रामटेक, डुरी, खुर्द और सावनेर देखने गये।
- १० नवम्बर: पत्र-प्रतिनिधियोंसे भेंट की। तुमसर पहुँचे, सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।  
भंडारामें एक सभामें भाषण दिया, लक्ष्मीनारायण मन्दिरका उद्घाटन किया। मोहाली, शिहोरा और लाखाणी देखने गये।  
गोंदियामें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।  
वर्धाके लिए रवाना हो गये।
- ११ नवम्बर: प्रातः ७ बजे वर्धा पहुँचे; पत्र-प्रतिनिधियोंसे भेंट की।
- १२ नवम्बर: वर्धामें देवलीमें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
- १३ नवम्बर: वर्धासे हिंगनघाटके लिए रवाना।  
हिंगनघाटमें हरिजनोंकी बस्ती देखने गये, शामको सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। रातको चाँदा पहुँचे।
- १४ नवम्बर: मूल पहुँचे, हरिजनोंके लिए दो कुँओंका उद्घाटन किया। सावलीमें खादी कार्यालय और बुनकरोंकी बस्ती देखने गये; सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
- १५ नवम्बर: प्रातः वरोरा और वुनमें सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिये।  
ब्रानी और उमानीकी यात्रा की।  
शामको यवतमल पहुँचे।  
चोखामेला हरिजन बोर्डिंग और अन्य संस्थाएँ देखने गये। कार्यकर्ताओंकी सभा और सार्वजनिक सभामें भाषण दिये।
- १६ नवम्बर: प्रातः यवतमलसे अमरावतीके लिए रवाना हो गये। धामणगाँव और चांदूरकी यात्रा की।  
सुबह ११ बजे अमरावती पहुँचे।  
दोपहर बाद बच्चोंकी सभा, महिलाओंकी सभा और हरिजनोंकी सभामें भाषण दिये।  
हरिजनोंकी बस्तीमें गये।  
शामको हनुमान व्यायामशाला और सार्वजनिक सभामें भाषण दिये।

- १७ नवम्बर: कामरगाँव, लोणी, कारजा, मुरतजापुर, वालापुर, वाडेगाम, वल्लया और शेगाँवकी यात्रा की।  
लासुरामे शिव-मन्दिरका उद्घाटन किया।  
खामगाँवमे हरिजन वस्ती और हरिजन होस्टल देखने गये।  
अजुमन मुफीद-उल-इस्लाम, सार्वजनिक सभा और कार्यकर्ताओकी सभाओमे भाषण दिये।
- १८ नवम्बर: प्रातः १० बजे अकोला पहुँचे।  
नेशनल स्कूल, सरस्वती स्कूल, सरस्वती मन्दिर और हरिजन वस्तीका दौरा किया।  
हरिजनोसे भेंट की।  
सनातनी स्वामी लालनाथसे बातचीत की।  
सार्वजनिक सभा और हरिजन कार्यकर्ताओकी सभामें भाषण दिये।  
पत्र-प्रतिनिधियोसे भेंट की।
- १९ नवम्बर. प्रातः अकोलाके लिए रवाना हो गये।  
उगवा, केलीवेली, अकोट, अंजनगाँव और पथरोटका दौरा किया।  
चिखलडा पहुँचे।
- २० नवम्बर: चिखलडामें; मौन-दिवस।
- २१ नवम्बर: चिखलडासे रवाना।  
ईलीचपुरमे दो सार्वजनिक सभाओमे भाषण दिये। उतखेड और चादूर बाजारका दौरा किया। मोरसीकी सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
रातको बडनेरा पहुँचे, सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।  
बरारकी जनताके नाम सन्देश भेजा।
- २२ नवम्बर: दूर्ग पहुँचे।  
एक मेहतरके घरमे, नगरपालिका विद्यालय, आर्य समाज कन्या विद्यालय, खादी केन्द्र और हरिजन वस्तीमे गये।  
सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
कुमहारीका दौरा किया।  
रातको रायपुर पहुँचे।
- २३ नवम्बर प्रातः हरिजनो और सनातनियोसे भेंट की। अभिनन्दनपत्रोका उत्तर दिया।  
हरिजन वस्ती, खादी भंडार, हिन्दू अनाथालय और सनातनी आश्रम देखने गये।  
शामको अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनीका उद्घाटन किया।
- २४ नवम्बर: धमतरीमे महिलाओकी सभा और सार्वजनिक सभामे भाषण दिये; हरिजन वस्तीका दौरा किया। राजिमका दौरा किया। रायपुरमे हरिजनोके हनुमान-मन्दिर और दो कुओका उद्घाटन किया; शामको सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

- २५ नवम्बर: बलोडा बाजारमें हरिजनोके लिए गोपालजी मन्दिरके द्वार खोले; सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
भाटापाडाका और साकटी दौरा किया।  
वैथलपुरमें क्लेयर कुष्ठालयका दौरा किया।  
बिलासपुरमें महिलाओंकी सभा, सार्वजनिक सभा और रेलवे कर्मचारियोकी सभामें भाषण दिये।  
रायपुर लौट आये।
- २६ नवम्बर: रायपुरमें।
- २७ नवम्बर: दोपहर बाद महिलाओंकी सभामें भाषण दिया। शामको छत्तीसगढ़ हरिजन कार्यकर्त्ताओंकी सभामें और राजकुमार कॉलेजमें भाषण दिये।  
आमगाँवके लिए रवाना हो गये।
- २८ नवम्बर: प्रातः १ बजे आमगाँव पहुँचे, ग्रामीणोंकी सभामें भाषण दिया।  
रिसममें गणेश मन्दिरका उद्घाटन किया।  
लाँजी में हरिजन वस्तीका दौरा किया; सभामें भाषण दिया।  
किरणापुरका दौरा किया।  
बालाघाटमें महिलाओंकी सभा और सार्वजनिक सभामें भाषण दिये; हरिजन वस्तीका दौरा किया।  
वाडासेवनीका दौरा किया।  
सेवनी पहुँचे।
- २९ नवम्बर: महिलाओंकी सभा और सार्वजनिक सभामें भाषण दिये।  
सनातनियोंसे भेंट की।  
छिन्दवाड़ामें कार्यकर्त्ताओंकी सभा तथा सार्वजनिक सभामें भाषण दिये; हरिजन वस्तीका दौरा किया।  
खेरवाणी और मूलतापीका दौरा किया।  
बैतूल पहुँचे।
- ३० नवम्बर: न्वेडी, सावलीगढ़ और वारालिहंगका दौरा किया।  
बैतूलमें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया; हरिजन वस्तीका दौरा किया।  
डटारसीकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।
- १ दिसम्बर: करेलीकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।  
देवरीमें श्री मुरलीधर मन्दिरका उद्घाटन किया; सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।  
अस्पतालमें आहत हरिजन कन्याको देखने गये।  
अनन्तपुरमें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया; खादी-निवास और ग्रामीणोके घरोंका दौरा किया; खादी कार्यकर्त्ताओंके साथ बातचीत की।
- २ दिसम्बर: अनन्तपुरसे रवाना हो गये।  
गाधाकोटाका दौरा किया।

दमोहमे हरिजनोके लिए मन्दिरका शिलान्यास किया, सार्वजनिक सभामे भाषण दिया, हरिजन बस्तीका दौरा किया।

शामको ४ बजे सागर पहुँचे, महिलाओकी सभा और सार्वजनिक सभामे भाषण दिये, समस्त हिन्दुओके लिए हरिजनो द्वारा बनाये जाने वाले मन्दिरका शिलान्यास किया।

रातको कटनीके लिए रवाना हो गये।

३ दिसम्बर कटनीमे सार्वजनिक सभामे भाषण दिया। सिहोरा, वुढागर और पाना-गारका दौरा किया।

शामको ४ बजे जबलपुर पहुँचे। सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

४ दिसम्बर जबलपुरमे, मौन-दिवस, डॉ० मु० अ० अंसारीसे भेट की।

५ दिसम्बर जवाहरलाल नेहरू, मु० अ० अंसारी, एस० महमूद, के० एफ० नरीमन और जमनालाल बजाजके साथ बातचीत की।

६ दिसम्बर हरिजन कार्यकर्ताओकी सभामे भाषण दिया।

माण्डलाका दौरा किया, सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

जबलपुर लौट आये, नारायणगज, बरेला और ब्योहारजीके मन्दिर गये; हरिजनो के लिए खोली गई रात्रि-शालाका निरीक्षण किया।

जबलपुरमे गुजरातियोकी सभामे भाषण दिया।

७ दिसम्बर. हरिजन नेताओ और कार्यकर्ताओके साथ बातचीत की। स्वदेशी संग्रहालय और हरिजन बस्ती देखने गये। खादी भण्डारमे खादी बेची; लक्ष्मीनारायण मन्दिरके द्वार हरिजनोके लिए खोले। महिलाओकी सभा और लियोनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेजमे भाषण दिये।

ट्रेनसे जबलपुरके लिए रवाना हो गये।

सोहागपुर पहुँचे।

बावईका दौरा किया।

८ दिसम्बर. सुबह हरदा पहुँचे; सार्वजनिक सभामे भाषण दिया। खण्डवा और बुरानपुरकी सार्वजनिक सभामे भाषण दिये।

झाँसीके लिए रवाना हो गये।

९ दिसम्बर. भोपाल पहुँचे और सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

भेलसा और बमोदाका दौरा किया।

झाँसीमें महिलाओकी सभा तथा सार्वजनिक सभामे भाषण दिये।

दिल्लीके लिए रवाना हो गये।

१० दिसम्बर. प्रात दिल्ली पहुँचे, श्रमिको की सभामें भाषण दिया।

हरिजन बस्ती, खादी भण्डार और जामिया मिलिया इस्लामिया देखने गये।

हरिजनोके साथ बातचीत की।

११ दिसम्बर. दिल्लीमें, मौन-दिवस।

१२ दिसम्बर: कांग्रेस नेताओके साथ बातचीत की।

- १३ दिसम्बर : सनातनियोंके साथ वातचीत की।  
 प्रातः अलीपुरका दौरा किया और सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।  
 हरिजन सेवक संघके केन्द्रीय बोर्डकी बैठकमें शामिल हुए।  
 विद्यार्थियोंकी सभामें भाषण दिया और मोतीलाल नेहरूके चित्रका अनावरण किया।  
 समाचारपत्रोंको दिये गये वक्तव्यमे मुहम्मद इक़बाल द्वारा लगाये गये आरोपोंका स्पष्ट रूपसे खण्डन किया।  
 जापानी प्रतिनिधिमण्डलके सदस्योंसे भेंट की।  
 कांग्रेस नेताओंसे वातचीत जारी रही।  
 रातको कांग्रेस कार्यकर्त्ताओंसे चर्चा की।
- १४ दिसम्बर : मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपालानी, जमनालाल बजाज और सैयद महमूदसे वातचीत जारी रही।  
 हरिजनोंकी सभा तथा महिलाओंकी सभामें भाषण दिये।  
 शाम ४ बजे वेजवाड़ाके लिए खाना हो गये।
- १५ दिसम्बर : ट्रेनमे।
- १६ दिसम्बर से पूर्व : सनातनियोंके साथ वातचीत की।
- १६ दिसम्बर : प्रातः ३ बजे वेजवाड़ा पहुँचे।  
 पदमाटा, पदमाटा लंका, मुगलराजपुरम और इद्रुपुगलुका दौरा किया। वेजवाड़ा-में हरिजनोंकी बस्तीका दौरा किया; महिलाओंकी सभा, आन्ध्रके हरिजन कार्य-कर्त्ताओंकी सभा तथा सार्वजनिक सभामे भाषण दिये।
- १७ दिसम्बर : प्रातः मुडुनुरुमें दो मन्दिरोंको हरिजनोंके लिए खोला।  
 गुडीवाडामें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।  
 सिद्धान्तम्मे हरिजनोंके लिए मन्दिर खोला; दोपहरको 'हिन्दू' के प्रतिनिधिसे भेंट की।  
 अंगलूर, गुदलावलेरु, कवुथवरम् और पेदानाका दौरा किया।  
 मसूलीपट्टम पहुँचे; सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।  
 चल्लापल्लीका दौरा किया।
- १८ दिसम्बर : मसूलीपट्टममे; मौन-दिवस
- १९ दिसम्बर : शामको कंकीपाडु, पामारु और भटलापेनुमारुका दौरा किया।  
 वेजवाड़ा लौट आये।  
 मद्रासके लिए खाना हो गये।
- २० दिसम्बर : प्रातः मद्रास पहुँचे।  
 नगरनिगम द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें भाषण दिया; अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनीका उद्घाटन किया। साउथ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्सकी सभामें, महिलाओंकी दो सभामें, विद्यार्थियोंकी सभा तथा सार्वजनिक सभामें भाषण दिये।

२१ दिसम्बर: हरिजन-चेरियोका दौरा किया।

रोयापुरममे रॉबिन्सन पार्कमे आयोजित हरिजनोकी सभामे भाषण दिया।  
पेराम्बूरमे एम० एस० एम० रेलवे मजदूरोकी सभा तथा सार्वजनिक सभामे भाषण  
दिये।

वेल्लाल तेनामपेटमे भारत सभामे भाषण दिया।

वाडिया पार्कमे श्रमिक सघकी सभामे भाषण दिया तथा एनी वेसेंटके चित्रका  
अनावरण किया।

चुलाईमें सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

२२ दिसम्बर: एस० सत्यमूर्तिसे भेंट की।

सार्वजनिक सभामे तथा वैश्य सघ और जैन मन्दिरमे गुजराती, मारवाडी और  
सिन्धी लोगोके समक्ष भाषण दिये।

आन्ध्र महासभामे नागेश्वर राव पत्तुलुके चित्रका अनावरण किया।

ट्रिप्लीकेनकी गन्दी वस्तियोका दौरा किया।

हिन्दी प्रचार सभाके दीक्षान्त समारोहकी अध्यक्षता की।

दलित वर्गोके प्रतिनिधि-मण्डलसे भेंट की; 'मद्रास मेल' और 'हिन्दू' के प्रति-  
निधियोसे भेंट की। तमिल प्रेमियोके सम्मेलनके लिए सन्देश भेजा।

गुटूरके लिए रवाना हो गये।

२३ दिसम्बर: प्रात. गुटूर पहुँचे।

कोण्डा वेकटप्पैयाकी रुग्ण पत्नीके घर गये।

एक मन्दिरका पुन. नामकरण किया; सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

चैवरोल, म्युनिपल्ले, मनचल्ला, वेल्लालूर तथा पोन्नूरकी यात्रा की।

निदुन्नोलुकी सार्वजनिक सभामे भाषण दिया; प्रौढशिक्षाके लिए एक संस्था  
तथा पुस्तकालयका उद्घाटन किया।

थल्लापलममे नि शुल्क आयुर्वेदिक कुटीरमका उद्घाटन किया और आत्म विलास  
आश्रम भवनका शिलान्यास किया; हरिजनोकी सभामे भाषण दिया।

कवुरमे, विनय आश्रम भवनका शिलान्यास किया; हरिजनोके लिए मन्दिर  
खोला; सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

इथननगरमपादुमे हरिजनोके लिए मन्दिर खोला।

भट्टीप्रोलु और रेपल्लीका दौरा किया।

तेनाली पहुँचे; सार्वजनिक सभामे भाषण किया।

२४ दिसम्बर. प्रात. १०.४० पर शामलकोट पहुँचे।

पेड्डापुलममे सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

कोकनाडामे महिलाओकी सभा और सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

गोल्लापलमका दौरा किया।

रामचन्द्रपुरममे वाल्मीकि आश्रममे गये तथा सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

शामको ७.३० बजे राजमुंदरी पहुँचे। सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

रातको हरिजन नेताओंके प्रतिनिधि-मण्डलसे भेट की।

विहार-नौकामे रात बिताई।

२५ दिसम्बर प्रातः सीतानगरम पहुँचे; भौन-दिवस।

२६ दिसम्बर बंगलपडुका दौरा किया, सीतारामस्वामी मन्दिर, सीतानगरम हरिजन आश्रम और रामलिंगेश्वर तथा कोदण्डमके दो मन्दिरोका उद्घाटन किया।

स्टीमरसे तल्लापुडी पहुँचे।

मलकापल्ली, धर्मवरम, और निडावोलेका दौरा किया।

तानुकू पहुँचे।

२७ दिसम्बर: तानुकूकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया; एलेतीपट्टु, कवितम, पौदुरु, वेदगी और जिन्नुनूरका दौरा किया।

पलाकोलामे सार्वजनिक सभामें भाषण दिया, हरिजन आश्रमका शिलान्यास किया।

बल्लीपाडुका दौरा किया।

भीमावरम् और ताडेपल्लीगुडममें सार्वजनिक सभाओमे भाषण दिये।

शाम ५ बजे एल्लोर पहुँचे और सार्वजनिक सभामे तथा आर्य आन्ध्र सघके समक्ष भाषण दिया; लाजपतरायके चित्रका अनावरण किया; हरिजन बस्तीका दौरा किया।

२८ दिसम्बर: काग्रेस कार्यकर्ताओंसे भेट की।

एल्लोरसे रवाना।

दोपहरको विशाखापट्टनम पहुँचे।

हरिजन कार्यकर्ताओंसे भेट की; स्वदेशी स्टोरका उद्घाटन किया; महिलाओंकी सभा और सार्वजनिक सभामे भाषण दिये।

वीमलीपट्टममे राममन्दिरका उद्घाटन किया।

विजयनगरम्मे हरिजन नेताओंसे भेट की।

२९ दिसम्बर: विजयनगरम्मे हरिजन बस्तीका दौरा किया; सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

अणकापल्लीमे नागरिक अभिनन्दन-पत्रके उत्तरमें भाषण दिया।

विद्रागुटा पहुँचे।

३० दिसम्बर: कावली और अल्लुरकी सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिये।

गंडावरम्मे; हरिजनोंके लिए मन्दिर खोला; सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

वेल्लयापलम्का दौरा किया।

बुचीरेड्डीपालयम्मे; महिलाओंकी सभा और सार्वजनिक सभामे भाषण दिये।

नेल्लोरमे; हरिजन बस्तीका दौरा किया; हरिजनोंके लिए वाचनालयका उद्घाटन किया; महिलाओंकी सभा और सार्वजनिक सभामे भाषण दिये।

गडूरमें; सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।

वेंकटगिरि पहुँचे।

- ३१ दिसम्बर: हरिजन बस्तीका दौरा किया; हरिजनोके लिए एक वाचनालयका गिलान्यास किया; सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
तिस्पतिमे, सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
रेणीगुटाका दौरा किया।  
कुडाप्पा पहुँचे।
- १ जनवरी, १९३४ कुडाप्पामे; मौन-दिवस।
- २ जनवरी. हरिजन कार्यकर्त्ताओसे भेट की।  
कुडाप्पा स्वदेशी भण्डारका उद्घाटन किया।  
हरिजन बस्तीका दौरा किया, सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।
- ३ जनवरी सुबह ४ ३० बजे पेड्डावाडगुरु पहुँचे; सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
गुटीका दौरा किया।  
गुटकलमे चर्मशोधनालय तथा हरिजन बस्तीका दौरा किया।  
सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
कोणाकोण्डला, वज्रकरुर और उर्वाकोण्डाका दौरा किया।  
अनन्तपुरमे, हरिजन बस्तीका दौरा किया, सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
हिन्दूपुर पहुँचे।
- ४ जनवरी - हिन्दूपुरसे रवाना।  
गोरीबीडनूरका दौरा किया।  
डोड्डावल्लापुरकी सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
तुमकुरमे स्थानीय कार्यकर्त्ताओके साथ वातचीत की, हरिजन बस्तीका दौरा किया, सार्वजनिक सभामे भाषण दिया।  
त्यामागोण्डलू और नेलमगलाका दौरा किया।  
शामको ४.४५ बजे वगलौर पहुँचे, अखिल भारतीय चरखा सघकी शाखाका उद्घाटन किया, महिलाओकी सभा, सार्वजनिक सभा और मारवाडियोकी सभामे भाषण दिये, हरिजन बस्तीका दौरा किया।  
मैसूर पहुँचे।
- ५ जनवरी तगडुर, वडनवाल और नजनगडका दौरा किया।  
मैसूरमे हरिजन बस्तीका दौरा किया, हरिजन कार्यकर्त्ताओकी सभा, महिलाओकी सभा और सार्वजनिक सभामे भाषण दिये।
- ६ जनवरी मड्या, सकूर, भदूर, वेकग्राल्ली, शिवपुरम् और सोमणहल्ली, चेन्नपतन, क्लोजपेट, ककणल्ली, विडाली और केगरीका दौरा किया।  
वगलौर वापस लौटे, विद्यार्थियोकी सभामे भाषण दिया।
- ७ जनवरी बंगलौरमे नरसिंहार्या आदि कर्नाटक होस्टल, दीन सेवा सघ, आदि-कर्नाटक बालिका-गृह और हरिजन बस्ती देखने गये।  
मालेश्वरममे महिलाओकी सभा, एपेक्स बैंकमे सहयोगियोकी सभा, टैम्प्रेस फेड-रेशन, महिलाओकी सभा, सार्वजनिक सभा और हरिजन कार्यकर्त्ताओकी सभामे भाषण दिये, नागरिक अभिनन्दनके अवसरपर भाषण दिया।



८ जनवरी : बंगलौरमें; मौन-दिवस।

९ जनवरी : मैसूरकी जनताके नाम सन्देश भेजा।

बंगलौरसे रवाना।

१० जनवरी : ओलवाकोट पहुँचे; शवरी आश्रम देखने गये।

पालघाटमें सार्वजनिक सभा और महिलाओंकी सभामें भाषण दिया।

चित्तूर, कोडुवायूर, तेनकुरीसी और विल्लायंचतुरका दौरा किया।

कुजालमन्नममें नायडियोंकी सभामें भाषण दिया।

करीमपुजा, चेरपुलासेरी, अनन्गानदी और ओट्टापालेमका दौरा किया।

रात १० बजे गुस्वायूर पहुँचे।

११ जनवरी : गुस्वायूरकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

कुण्णमकुल्लमका दौरा किया।

अकिकावमें हरिजनोंके लिए निःशुल्क औषधालयका शिलान्यास किया।

पत्तम्बीकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

कानानूर पहुँचे।

१२ जनवरी : पायानूरमें, श्री नारायण हरिजन आश्रम और खादी डिपो देखने गये;

सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

कानानूर लौट आये; हरिजन कार्यकर्ताओंकी सभा और सार्वजनिक सभामें

भाषण दिये।

तेलिचेरी पहुँचे।

१३ जनवरी : तेलिचेरीमें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

माहे और वडगरामें सार्वजनिक सभाओंमें भाषण दिये।

पक्कनारपुरममें बालकृष्ण स्मारक आयुर्वेदिक औषधालयका उद्घाटन किया।

किलंडीका दौरा किया।

कालीकट पहुँचे।

महिलाओंकी सभा, सार्वजनिक सभा और विद्यार्थियोंकी सभामें भाषण दिये;

टाउन हॉलमें और 'मातृभूमि'के कार्यालयमें के० माधवन नायरके चित्रोंका

अनावरण किया।

१४ जनवरी : कल्पेट्टाका दौरा किया; हरिजन कालोनीका उद्घाटन किया; सार्वजनिक

सभा और हरिजन कार्यकर्ताओंकी सभामें भाषण दिया; हरिजन वस्तीका दौरा

किया।

१५ जनवरी : कालीकटमें; मौन-दिवस।

## शीर्षक-सांकेतिका

अपील, —उडीसाकी बाढ़-सहायताके लिए,  
 २९; —प्रार्थना-सभामे, २४-५  
 उत्तर, —पत्र-लेखकोको, ६, ७०-२, १३१-२,  
 १९०-१  
 (एक) टिप्पणी, ४९, २१६-७, ३०९,  
 ४९४-६; —[ गिर्या ], ६१-३, ९१-२,  
 १८१-२, ३०५-६, ३८३-५, ४३१-२  
 तार, —अद्वैतकुमार गोस्वामीको, १६०;  
 —आनन्द तो० हिगोरानीको, १७४;  
 —जवाहरलाल नेहरूको, २२, ८२, २२३;  
 —ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, ३१३, —भूला-  
 भाई देसाईको, ३३३; —' मातृभूमि 'को,  
 ३५, —श्रीकृष्ण चाँदीवालाको, २५९  
 (एक) पत्र, ७, ३२२; —अगाथा हैरिसनको,  
 ३५-७, १०४-५, ११५-६, १८७-८,  
 २४०-२, २८६, ३५०-१; —अब्बास  
 तैयबजीको, १०५, १४९, —अमतुस्सलाम  
 को, ४४४-४५, ५१९, —अमीना जी०  
 कुरेशीको, ५१९; —अमृतलाल वि०  
 ठक्करको, ५८-९, ७७, ८४-५, ८९-  
 ९०, ९८, ११२-३, १४२, १४५-६,  
 १५१-२, १५७, ३६४; —आत्मा एस०  
 कमलानीको, ४५; —आनन्द तो०  
 हिगोरानीको, १६५, १७०-१; —एच०  
 के० हेल्सको, ८८-९, ११४, १६९-७०;  
 —एन० आर० मलकानीको, ३०-१,  
 ४७५; —एफी एरिस्टार्चीको, २४३-६;

—एफ० मेरी बारको, ३३, ३८, ५४,  
 ८३, ९१, १२२, १३८-९, १४१, १४८,  
 २२९, ३२२, ४५३, —एम० वापी  
 नीडुको, २९४, —एस्थर मेननको, ३५३,  
 —क० मा० मुन्डीको, ४८०, —कल्याणजी  
 वी० मेहताको, ३६९, ४२४, —कस्तूरबा  
 गाधीको, ३१६-७, ३३४, ३६३-४,  
 ४१६-७, ४३५-७, ४७६-७, —कान्ति  
 एन० पारेखको, १३६-७, —कान्ति  
 गाधीको, ३३६; —कान्ति पारेख और  
 जयन्ती पारेखको, १६५-७, —किशन  
 घुमतकरको, २६७-८, ३२४, —कीकाभाई  
 एल० वघेलाको, २५०, —कुसुमबहन  
 देसाईको, ४१५, —कृष्णा नेहरूको, ६५,  
 —केशवराम एस० त्रिवेदीको, १२५,  
 —कोतवालको, १२३, २६९, —गगा तो०  
 हिगोरानीको, १३८; —गगा पोद्दारको,  
 २२७; —गगाबहन वी० झवेरीको, २१०;  
 —गगाबहन वैद्य को, ५१९; —गोदावरी-  
 को, ३१४, —गोरघनभाई पटेलको,  
 २६५-६६, —गोविन्दभाई आर० पटेल-  
 को, ४२२, ४६८, ४९७, —घनश्यामदास  
 बिड़लाको, ४३-४, ७८-९, १०९-१०,  
 १५०-१, ५११, —चिमनलाल पारेखको,  
 ८६, —छगनलाल जोशीको, १७१-३,  
 ४१९; —जनकधारी प्रसादको, १०३-४,  
 १४४, —जमनालाल बजाजको, १२,

२३९, २९४-५, ४५०-१; -जयश्री रायजीको, ५३, ९०, १६१; -जयसुखलाल गांधीको, १२४, -जवाहरलाल नेहरूको, २१-२, २५, ३१-२, ६५-६, ८२-३, १०२, १०३, १०७, ११०, १३९, १४८-९, १६८-९, १७४-५, १८८, २२३-४; २३०-१, ३०२, ४२२-३; -जसभाईको, ४०, -जानकीदेवी वजाजको, १४७, -जीवनजी डा० देसाईको, ६७, २७२, ४६२; -जे० एस० हाँयलैंडको, ३५३-४; -जे० सी० कुमारप्पाको, ५६, ८४, १९५; -डॉ० एम० एस० केलकरको, १६७; -डाह्याभाई पटेलको, २३६, २६७, ४९९-५०८; -तारावहन आर० मोदीको, २३३, ४१४; -तेजवहादुर सप्रूको, ४७; -तोताराम सनाढ्यको, ३६९; -तोताराम हिंगोरानीको, १९३-४; -द० बा० कालेलकरको, ४१, ५३, २७१-२, २९७; -दुनीचन्दको, ३०३; -दूधामाई मालजी डाफडाको ४४६; -दूधीवहन वी० देसाईको, ५२, २००, ३०३, ४२०-१; -धीरू सी० जोशीको, ५२, २००-१, २७०; -नरहरि द्वा० परीखको, ३६२-३; -नलिनीकान्त सेठको, ३४; -नान और तंगई मेननको, ५१६; -नानाभाई इ० मशरूवालाको, ३४, ३२५; -नारणदास गांधीको, ३१७; -नारायण मोरेश्वर खरेको, १९७; -निर्मलकुमार वोसको, २६; -पद्माको, ५१, ८६-७, १४१; -परीक्षितलाल एल० मजमूदारको, ३९,

४६७; -पार्वतीवहन पी० देसाईको, ४७५; -पेस्टनजीको, ४३९; -प्रभावतीको, १०६, २७५-६, ३३५-६, ३६५, ४३७-८, ४६०-१; -प्रभाशंकर पट्टणीको, १८९, २७३; -प्रेमलीला ठाकरसीको, ५४; -प्रेमावहन कंटकको, १२०-१, २९६, ५१९; -प्रेमी जयरामदासको, १९४; -बंगालके गवर्नरको, १७८-९; -ब्रजकृष्ण और रामकृष्ण चाँदीवालाको, ३६८; -ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, २९८, ४४१, ४६२-३; -भगवानजी अ० मेहताको, ३३; -भगवानजी पु० पण्ड्याको, १२६, ३६६; -भाईलाल मोतीराम पटेलको, ३१७; -मणिवहन पटेलको, ४०, ६६, १३७, १८९, १९६-७, २०९-१०, २३४-५, २६६, ४४३-४; -मणिलाल और सुशीला गांधीको, २२८, ३३०-१, ४३८, ४९७-९; -मथुरादास त्रिकमजीको, ३५, ४८, ८७, ८८, १४२-३, १६२, १६९, १७८, २३८-९; -मदनमोहन मालवीयको, १००-१; -मनु गांधीको, २४६, ३२५, ४३३; -महादेव देसाईको, २७४-५; -महालक्ष्मी एम० ठक्करको, ३५४, ४६०; -महेन्द्र और सुदर्शन देसाईको, २०१, ३०४; -महेन्द्र वी० देसाईको, ९०; -माणिकलालको, ६०; -माणिकलाल कोठारीको, २६८; -माघवदास और कृष्णा कापड़ियाको, १३६; -मानशंकर जे० त्रिवेदीको, २२१; -मार्गरेट स्पीगलको, ४, २८४, २९३.

३०९-१०, ३१४-५, ३२३, ३५२,  
 ४१३-४, ४३४; -मीठुबहन पेटिटको,  
 १४०; -मुन्नालाल जी० शाहको, १६०;  
 -मूलचन्द्र अग्रवालको, १४३; -मोती-  
 लाल रायको, १५८, -मोहन एन०  
 परीखको, १२४; -यूवोन प्रिवाको,  
 ४८६-७; -रमणीकलाल मोदीको,  
 २३२; -रमादेवी चौधरीको, १४३;  
 -रमावहन जोशीको, १११-२, २९५,  
 ३३२, ४१५, -राधा गांधीको, ६०;  
 -राधाबहन एम० कोठारीको, २६९;  
 -रामेश्वरदास पोद्दारको, ३९, २२७-  
 ८; -स्किमणी बजाजको, ११६, २३७,  
 ३२४, ४३४; -रेहाना तैयबजीको,  
 ४२३, -लक्ष्मी गांधीको, ४४१,  
 -वनमाला एन० परीखको, १२३,  
 ३६६; -वल्लभभाई पटेलको, २६-९,  
 ४८, ५७, ८१-२, १२१-२, १५९-  
 ६१, १७६-८, १९५-६, २०८-९,  
 २३३-४, २७६-७, ३०८-९, ३१३-४,  
 ३१८-९, ४१७-९, ४४२-३, ४७७-९,  
 ५१६-८, -वसुमती पण्डितको,  
 १४६, २८६-७; -विद्या आनन्द  
 हिगोरानीको, २२९, २७०, २९८,  
 ३१०, ३१९-२०, ३३३, ४२१, ४४०,  
 -विद्या आर० पटेलको, २९७, ३३२,  
 ४२१; -विपिन पटेलको, ६७; -विमल-  
 चन्द्र वी० देसाईको, ३६७; -वी०  
 एल० फडकेको, ४६१; -वी० राघवय्या-  
 को, ३१; -शंकरलाल डी० परीखको,  
 १२५-६; -शान्तिकुमार मोरारजीको,  
 ४७९; -शारदा सी० शाहको, ३६७;

-सतीशचन्द्र दासगुप्तको, ४४५-६;  
 -सी० एफ० एन्ड्रयूजको, ४६, ५५-६,  
 ९७, १०८-९, २८४-५; -सुदर्शन वी०  
 देसाईको, ५१; -सुरेन्द्र मशरूवालाको,  
 ४३९-४०; -सुलोचना अ० शाहको,  
 ५१९; -स्वरूपरानी नेहरूको, १०२,  
 ४२४-५, -हेमप्रभा दासगुप्तको,  
 ३६८, ४४७; -होरेस जी० अलेक्जे-  
 डरको, ३५२

बातचीत, -आपसी विग्रहके भयपर, ६८-  
 ९; -एक कार्यकर्त्तासे, ६९; -एक  
 खादी कार्यकर्त्तासे, ९९, -एक मित्रसे,  
 १२८-३०; -एक सनातनीसे, ३५४-  
 ५; -एक हरिजन-कार्यकर्त्तासे, ८-९,  
 -कार्यकर्त्ताओंके साथ, ४५४; -गुरु-  
 कुल कागडीके विद्यार्थियोंसे, १०, -डॉ०  
 कोगरसे, १७९-८०; -दलित वर्ग  
 संघके शिष्टमण्डलसे, ३९१-८;  
 -नम्रताकी आवश्यकतापर, ६९-७०;  
 -सनातनियोंके साथ, ३३७; -सावलीके  
 खादी-कार्यकर्त्ताओंसे, २३७; -स्त्री-  
 कार्यकर्त्ताओंसे, ५, -स्वामी लालनाथसे,  
 २५९-६०, -हरिजन कार्यकर्त्ताओंसे,  
 २२-४, ४७४-५; -हरिजन सघकी  
 बैठकमें, ३३८-९; -हरिजनोके साथ,  
 ३२८-३०

भाषण, -अंजुमन मुफीद-उल-इस्लाम,  
 खामगाँवमें, २५३-४, -अकोलामे,  
 २६०-५; -अखिल भारतीय स्वदेशी  
 प्रदर्शनी, मद्रासमें, ३७१-३; -अखिल  
 भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी, रायपुरमें,  
 २७८; -अमरावतीकी सार्वजनिक

सभामें, २४७-५०; -अलीपुरकी सार्व-  
जनिक सभामें, ३३७-८; -अहमदा-  
बादमें -[ १ ], १३-४; [ २ ] १५-९;  
-आन्ध्र महासभाकी बैठक, मद्रास  
में, ३८९; -एपेक्स बैंक हॉल, बंगलौरमें,  
४६८; -एल्लोरकी सार्वजनिक सभामें,  
४२५-७; -औषधालयके उद्घाटनके  
अवसरपर, पक्कनारपुरममें, ५०३-४;  
-कङ्क्याकी सार्वजनिक सभामें, ४४९;  
-कलपेट्टाकी सार्वजनिक सभामें,  
५११-३; -कालीकटकी महिला-  
सभामें, ५०४-६; -कालीकटकी सार्व-  
जनिक सभामें, ५०६-९, ५१३-६;  
-खामगाँवकी सार्वजनिक सभामें,  
२५४-८; -गुंटूरमें, ४०४-५; -गुरु-  
वायूरकी महिला-सभामें, ४८४-५;  
-गुरुवायूरकी सार्वजनिक सभामें,  
४८७-९३; -गोंडियामें, २२२;  
-गोल्लापलममें, ४०९; -छात्रोंकी  
सभा, नागपुरमें, २१२-४; जबलपुर-  
की सार्वजनिक सभामें, ४११-२;  
-जामिया मिलिया, दिल्लीमें, ३२६;  
-जाँजं टाउनकी सभा, मद्रासमें, ३८५-६;  
-डोड्डाबल्लापुरमें, ४५३-४; -तुम-  
कुरकी सार्वजनिक सभामें, ४५५-६;  
-तेलिचेरीकी सार्वजनिक सभामें, ५००-  
१; -थल्लापलम्की हरिजन-सभामें,  
४०६-७; -दिल्लीकी छात्र-सभामें, ३४०;  
-देवलीमें, २२५-६; -नागपुरकी  
सार्वजनिक सभामें, २०४-८; -नायडियों  
की सभा, कुजालमन्नममें, ४८३-४;  
-पत्तस्वीमें, ४९३-४; -पालघाटकी

महिला-सभामें, ४८३; -पालघाटकी  
सार्वजनिक सभामें, ४८१-३; -पेड्डा-  
पुरममें, ४०८-९; -पेड्डावाडगुडमें, ४५१;  
-पेराम्बूरकी मजदूर-सभामें, ३८२;  
-प्रभुदास गांधीके विवाहके अवसर  
पर, १११; -बंगलौरकी छात्र-सभामें,  
४६८; -बंगलौरकी नागरिक सभामें,  
४६९-७०; -बंगलौरकी महिला  
सभामें, ४५६; -बंगलौरकी सार्वजनिक  
सभामें, ४५७-८, ४७३-४; -बंग-  
लौरमें, मद्यत्याग-संघके सम्मुख, ४७१-  
२; -बच्चोंके सम्मुख, ३८०; -  
बालोदा बाजारमें, २९०-१; -भंगियों-  
की सभा, नागपुरमें, २०३; -मद्रासकी  
छात्र-सभामें, ३७५-८; -मद्रासकी  
महिला सभामें, ३७४-५, ३७८-९;  
-मद्रासकी सार्वजनिक सभामें, ३७९-  
८०; -मद्रासके जैन मन्दिरमें, ३८६-  
७; -मद्रास नगरनिगमके मानपत्रके  
उत्तरमें, ३७०-१; -मलावार क्रिश्च-  
यन कालेज, कालीकटमें, ५०९-१;  
-मसूलीपट्टममें, ३६१; -महिला-  
सभा, दिल्लीमें, ३४५; -माण्डलाकी  
सार्वजनिक सभामें, ३१५-६; -माहे-  
की सार्वजनिक सभामें; ५०१-२;  
-मुदुनुरुमें, ३५८; -मैसूरकी सार्व-  
जनिक सभामें, ४६४-५; -मोरसीकी  
सार्वजनिक सभामें, २७१; -यवतमाल-  
की सार्वजनिक सभामें, २४०; -राज-  
कुमार कालेज, रायपुरमें, २९९-३०१;  
-राजमुंदरीमें, ४११; -रॉबिन्सन पार्क,  
मद्रासमें, ३८१; -रामचन्द्रपुरममें,

४१०; -रायपुरकी सार्वजनिक सभामे, २७७, २८७-९०; -लियोनार्ड थियो-  
लॉजिकल कॉलेजमे, ३२०-१, -वर्धा-  
की सार्वजनिक सभामे, ७९-८०, २०२;  
-विजयवाड़ाकी सार्वजनिक सभामे,  
३५७-८, -विलासपुरमे, २९१-३;  
-विशाखापट्टमकी महिला सभामे,  
४२७-८, -विशाखापट्टमकी सार्व-  
जनिक सभामे, ४२९-३०, -बुनकी  
सार्वजनिक सभामे, २३९-४०; -वैश्य  
एसोसिएशनमे, ३८८; -श्रमिकोकी  
सभामे, ३२६-८; -सागरमे, ३१०-  
१; -सेलूमे, २०१-२; सेलूकी  
सार्वजनिक सभामे, २०२; -हनुमान  
व्यायामशाला, अमरावतीमे, २४७;  
-हरिजन सेवकोकी सभामे, ३५५-७;  
-हरिजनोंकी सभा, दिल्लीमे, ३४३-  
४, -हरिजनोकी सभामे, ४६३;  
-हरिजनोके समक्ष, १९८-९, -हिन्दी  
प्रचार सभाके दीक्षान्त समारोहमे,  
३८९-१

भाषणोके कुछ अंश, २१५, २७८-९, ४६६-  
६७, -महिलाओके सम्मुख दिये गये,  
४५२-३

भूमिका, - 'गीता प्रवेशिका' की, ७६-७  
मेंट, -एसोसिएटेड प्रेसके प्रतिनिधिको,  
२५१, - 'उन्नति' के प्रतिनिधिको,  
१२६-८; -पत्र-प्रति निधियोको, २१०-  
१, २२१, २२५, - 'मद्रास मेल' के  
प्रतिनिधिको, ३९९-४०२; -हरिजन  
कार्यकर्त्ताओसे, ४४७-९; 'हिन्दू' के  
प्रतिनिधिको, ३५९-६०, ४०३-४

वक्तव्य, -समाचारपत्रोको, १०८, ३४१-३  
श्रद्धांजलि, -एनी बेसेटको, १३; -विठ्ठल-  
भाई पटेलको, १४४

सन्देश, -तमिल-प्रेमी सम्मेलनमे, ४०४;  
-दयानन्द अर्द्ध-शताब्दी पर, ९८;  
-वरारकी जनताके नाम, २७३;  
-मैसूरके लोगोको, ४८१; -हरिजन-  
दिवस पर, ३०

सलाह, -एक कार्यकर्त्ताको, ९, -एक हरिजन  
कार्यकर्त्ताको, १९९-२००; -जापानी  
बौद्ध स्थविरोको, ५७-८; -हरिजनों  
को, २०३-४

### विविध

अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है?  
९५-६; अनन्तपुरमे मैंने क्या देखा?  
३४५-८, अस्पृश्यताके छीटे, १००;  
आश्रमका समर्पण, ६८; उडीसाकी पुकार,  
१८२-४, उदार दृष्टि रखिए, ४५८-९;  
उपवास कब आवश्यक होता है, ७३-५;  
एक एम० ए०की अधीरता, ११६-८,  
एक और नरक, १९-२०; एक कार्यकर्त्ताकी  
समस्या, १९२, एक दु खद घटना, १५३;  
एक शिक्षकके प्रश्न, १६२-४; कुछ नैतिक  
प्रश्न, १३३-५; कुछ प्रश्न, १-४, क्रूरताकी  
दो कथाएँ, १८५-६; खादी और हरिजन,  
१५४-६; गुलामी बनाम अस्पृश्यता,  
९३-५, चर्मालयकी जरूरत नहीं है?  
१८६-७, जापानसे, १९, . . . तो  
फिर भगियोका क्या होगा? ११८-२०,  
दानका उपयोग, २५२-३, नगरपालिकाओ  
आदिके सम्बन्धमे, १३३; नरक नहीं,

महानरक, ३०७-८; पी० एम० रावको  
माणपत्र, ४०८; प्रति व्यक्ति एक पैसा,  
२२७; प्रतिदिन एक पैसा, २५१-२;  
त्येक सवर्ण हिन्दू याद रखे, ३०४-५;  
शंसनीय कार्य, २५२; ब्राह्मण क्या करें? ११-  
२; भविष्यका वर्ण-धर्म, ४९-१; मद्रासमें  
हरिजन', १५२; मारवाड़ी रिलीफ सोसा-  
पटी, ४३२-३; लक्ष्य तो एक ही है,  
२१७-९; वे क्या मानते हैं, ६३-४;  
याख्याकी आवश्यकता, ४१-२; सच है,

तो भयानक है, २०; सत्याग्रह आश्रमका  
नया रूप, ७३; सविनय अवज्ञा और  
हरिजन-सेवा, २८०-२; स्कूलकी पुस्तकें,  
३०६-७; स्मरण रखने योग्य बातें, ३४९-  
५०; हरिजन-कार्यकर्त्ताकी पिटाई, १९३;  
हरिजन कार्यकर्त्ताओंका कर्त्तव्य, २८२-४;  
हरिजन-छात्रावास, ४२; हरिजन शिक्षकोंके  
लिए, २१९-२०; हरिजन-शिष्टमण्डलको  
जवाब, ४१२-३; हरिजनकोके लिए सीटें,  
१३१

## सांकेतिका

अ

अंग्रेज, [ १ ]—के दो व्यापक दुर्व्यसन,  
३०१, —द्वारा घरेलू कर्मचारियोंके  
साथ परिवारके सदस्यो जैसा व्यवहार,  
३००

अजुमन मुफीद-उल-इस्लाम, खामगांव, २५३  
अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण-संघ,  
९४

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ३१, १०१,  
१०७, १३९, १७५

अखिल भारतीय चरखा सघ, ७८, १५०,  
३४८

अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन,  
१४७ पा० टि०

अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य सघ,  
४८७, ४८९, ४९३, ५१७

अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनी, —मद्रासमें,  
३७१, —रायपुरमें, २७८

अखिल भारतीय हरिजन-सेवक सघ, १,  
२९, ३१, ७२ पा० टि०, १८०,  
२४८, ३३०, ३४४, ३७८, ४०६-  
७, ४१२-३, ४३२, ४६१, ४७८,  
देखिए हरिजन सेवक सघ भी

अग्रवाल, मूलचन्द, १४३

अडालजा, बलीबहन एम०, २४६, ३२४,  
४३३

अणे, एम० एस०, २३९

अनट्टु विस लास्ट, ५९

अनासक्तियोग, १०५ पा० टि०, २७४ पा०  
टि०, ४३७

अन्तर्जातीय भोज, २०६

अन्तर्जातीय विवाह, —और वर्णाश्रम, १११  
अन्तर्नादि, ३५३, —सत्यके यथार्थ ज्ञानका  
साक्षात्कार, १९१

अन्तर्राष्ट्रीय सेवा, ४८६ पा० टि०

अन्नपूर्णा देवी; —एक आन्ध्र कन्या जिसने  
१९२१ में अपने सब आभूषण दान करने  
का महान त्याग किया था, ४५२,  
५०५, ५१७

अन्सारी, डॉ० मुख्तार अहमद, २०८, २३१,  
२३४, २३८, २९८, ३१३, ३१८,  
३३४, ३४१, ३६३, ३६८, ४६३

अभिभावक[ी], —को बच्चोका मार्ग-दर्शन  
करनेके साथ-साथ उन्हें स्वतन्त्रता भी  
देनी चाहिए, १२७

अभ्यंकर, २०३

अभ्यंकर, श्रीमती, २०३

अमतुस्सलाम, १२०, ३१७, ४४४, ५२१

अमला, देखिए स्पीगल, मार्गरेट

अमेरिका, —में औद्योगीकरण, १५५

अम्बा देवी, १०६, १११, ११६, १२१,  
१३६, १४६, १६१, १७२

अम्बेडकर, डॉ० वी० आर०, १९८, २६३

अय्यंगार, के० रगा, ४५४ पा० टि०

अय्यंगार, रगास्वामी, ४८० पा० टि०

अय्यंगार, वी० भाष्यम्, ३९१

अय्यर, रगा, ६३ पा० टि०, १३० पा० टि०

अर्जुन, ४७८

अलेक्जेंडर, ऑलिव, ३५२

अलेक्जेंडर, होरेस जी०, ३५२

अल्लाह, २५५

असंग्रह (अपरिग्रह), १६६



असहयोग, १७५; —की सम्भावनाएँ, १३०  
असहयोग आन्दोलन; —१९२१ का, १३०  
अस्तेय, १६६

अस्पृश्य, ८०, १९८, २०६-७, २११,  
२६४, ३४४, ३७४-५, ३८०, ३८६,  
४२५, ४३१-२, ४५४, ४५६, ४६६,  
४८३, ५१४; —काम, क्रोध इत्यादि  
अन्य विकार, ३१५; —को सार्वजनिक  
सुविधाओं और मन्दिरोंके आध्यात्मिक  
सुखसे वंचित रखना उसके प्रति भारी  
अन्याय, २८३; —समाजके सबसे  
उपयोगी सेवक, ३४५; —[ ] के लिए  
अलग स्कूल, कुएँ इत्यादि बनवानेका  
अर्थ उन्हें शेष समाजसे पृथक् करना  
नहीं, ३४३; —के लिए पृथक् मतदान-  
का सुझाव राष्ट्र-विरोधी, ३२९-३०;  
देखिए हरिजन भी

अस्पृश्यता, १, २, ९, १०, ३०, ४२, ६३,  
७९, ८०, ९८, १००, ११६-८, १२९,  
१४७, १५२, १८६, १९३, १९९,  
२०४, २०७-८, २१०-१, २१६-७,  
२२५-६, २४०, २४२, २४७-९, २५३-  
४, २५६, २५८, २६२-३, २७३,  
२७७, २७९, २८१, २८५, २८७-८,  
३००, ३०७, ३१०, ३१५, ३२०-१,  
३२६-७, ३३०, ३३७-९, ३४२, ३४४,  
३५५-७, ३६१, ३७१, ३८०, ३८२,  
३८६, ३९३, ३९८-९, ४०२-३, ४०७-  
११, ४१९, ४२५-७, ४३०-१, ४४७,  
४५१, ४५३-५, ४५७, ४६५, ४८०,  
४८३-५, ४८८, ४९०, ४९३-९५,  
५००, ५०३, ५०५, ५०९; —आर्यों  
द्वारा हिन्दू-धर्मपर लादा हुआ एक भ्रष्ट  
तत्त्व, ६४; —एक असंख्य सिरोंवाला  
दानव, ३१२; —और कर्मफल प्राप्ति  
सिद्धान्तका कोई सम्बन्ध नहीं, ४९३-४;  
—और छात्र, ५०९-११; —और

जैन-धर्म, ७१; —और वर्णधर्म, ३६०;  
—और हिन्दू-धर्म, २०२, २०५-६,  
२१२-३, २१५; —और १८३३ में  
इंग्लैंडमें दास-प्रथाका उन्मूलन, ९३;  
—का अंग्रेज अभिजात वर्गमें कोई प्रच-  
लन नहीं, ३००; —का निवारण, ३९३;  
—का निवारण एक शुद्धियज्ञ, ३८८;  
—का निवारण "कर्तव्य है, गांधीवाद  
का सिद्धान्त" नहीं, ३५९; —का निवा-  
रण कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं,  
६९; —का निवारण मूलभूत रूपसे एक  
धार्मिक कार्य, २८३; —का निवारण  
हिन्दू-धर्मको जीवित रखनेके लिए अत्या-  
वश्यक, ६८, ३४४; —के अन्तर्गत  
मौजूद अस्पृश्यता, ५०१; —के कारण  
हरिजन मजदूर घाटेमें, २९१-२; —के  
निवारणकी एक अनिवार्य शर्त है मन्दिर-  
प्रवेश, ३२८; —के निवारणके सम्बन्धमें  
हरिजन नेताओंका एक अखिल भारतीय  
सम्मेलन, ४; —के निवारणको वेदोंकी  
मान्यता प्राप्त, ३५६; —के निवारणमें  
विविधतामें भी एकताकी प्रतीति निहित  
है, २७१; —के निवारणमें हरिजनोंकी  
भूमिका, २; —के मामलेमें मलाबार  
निकृष्टतम प्रान्त, ४८१-२, ५०७, ५१३;  
—के विरुद्ध अभियान समूची मानवजाति  
के हितार्थ, २९२-३; —कोई पवित्र  
और धार्मिक प्रथा नहीं और न ही  
इसका कोई कानूनी विधान है, २१८-९;  
—धर्मका अंग नहीं, ३७६; —मनुष्यकी  
घोर कुप्रवृत्तिके फलस्वरूप वनी हुई  
कुप्रथा, ३७८; —में विश्वास रखनेका  
अर्थ है ईश्वरपर अश्रद्धा, २७१; —हिन्दू-  
धर्मपर सबसे बड़ा कलंक, ३७४-५  
अस्पृश्यता-आन्दोलन, ३९६; —का उद्देश्य  
है सामाजिक और धार्मिक अन्यायका  
अन्त करना, २८३

अस्पृश्यता-निवारण-विधेयक, ९४, ११७,  
२५६, २५९, २६३-४, ३२०, ४३१,  
४७५, ४९०-९१, -द्वारा धर्ममे कोई  
'अनुचित' हस्तक्षेप नहीं होगा, २०७  
अहमदाबाद मिल-मालिक सघ, ८६ पा० टि०  
अहिंसा, ३६, ८७, ८९, ९७, ११४, १६६,  
१८७, २२५, ३१२, ४००, ४६६,  
-और उसका स्वरूप, २१६; -और  
वर्णधर्म, ५०-५१; -किन-किन बातोमे  
नहीं है, २१६, -'मुसीबतो'का 'सामना'  
उन्हे लांघकर करती है, १६४; -सत्ये-  
श्वर प्राप्तिका एकमात्र सीधा और  
छोटा रास्ता, १५६

आ

आचार्य, एम० के०, ३५९  
आजाद, अबुल कलाम, १७४, ३१८  
आतंकवाद, -के प्रतिरोधमे किया गया  
सरकारी आतंकवाद उसे कृत्रिम उत्तेजन  
देता है, ३६  
आत्म-निन्दा; -जहाँतक प्रगतिमे सहायक  
बने, उपयोगी है, ७  
आत्मशुद्धि, २०६, २५०, २७७, २९०, ३५०,  
३५६, ३८१, ४७४, ४८८-९; -के लिए  
हरिजनो द्वारा शर्तोंका पालन, ३७९  
आत्मा, १०, ५१; -की सुन्दरतासे बढ़कर  
किसी भी दृश्यावलीकी सुन्दरता नहीं,  
५१४  
आनन्दानन्द, स्वामी, १२०, १३७, १४६,  
१५९, १६६, १७२, १९५, १९६, २३१-  
२, २३४, २७४, ३१९, ३६२, ४१९  
आन्ध्र महासभा, ३८९  
आन्ध्र हिन्दी प्रचारक सघ, ३५८  
आभूषण, -का अर्थ है भारी पूंजीका एक  
स्थानपर अटक जाना, ३८४; -पहनना  
आँखोको खटकता है, ३८३

आर० बी० ए० एन० एम० हाई स्कूल,  
बगलौर, ४५६ पा० टि०  
आर्यसमाज, ९८ पा० टि०  
आर्यसमाजी, १११, १२१  
आलम, डॉ० शेख मुहम्मद, १४८, १७४  
पा० टि०  
आसर, आनन्दी, २६-८, ४१, ४८, ५१,  
८१, ८६, १०६, ११२, १२२, १२५,  
१३६, १६०, १६६, १७३, २९४, ३६२,  
३६७, ४४३  
आसर, पृथुराज, २७, ४८, १३७  
आसर, लक्ष्मीदास, २६ पा० टि०, २७ पा०  
टि०, ८१, १२२, १३७ पा० टि०,  
१६०, २९४  
आसर, लीलावती, २६

इ

इंग्लैंड - उच्च शिक्षाके लिए जाना एक महंगा  
शौक है, ७२  
इन्डियन सिल्क मर्चेण्ट्स एसोसिएशन, कोबे,  
१९  
इकबाल, सर मुहम्मद, ३४१-२  
इन्द्र, देखिए नेहरू, इन्दिरा  
इन्द्र, १६२  
इस्लाम; -इन्सानकी बराबरी और भाई-  
चारा सिखाता है, २५३, -का सिद्धान्त  
है दूसरोका भला करना, ३२६

ई

ईश्वर, ७, १४, १८, २०, ७०-१, ८०,  
८७, ९१, १०१, १०६, १०८, ११७,  
१३२, १३५, १४०, १४७, १५२,  
१५८, १६५, १७६, १८४, १८९,  
१९०, १९३, १९८-९, २०३, २०५,  
२०८, २११, २२१, २२५, २२९, २४५,  
२४७, २४९, २५५, २५८, २६१-२,  
२७१, २७३, २७७, २७८, २८१-२,

२८५, २८८, २९०, २९२, २९६,  
 २९८, ३००, ३०८, ३१०-२, ३१६-८,  
 ३२१, ३२४, ३२७, ३३१, ३३६,  
 ३३८, ३४५, ३४९, ३५२-३, ३५७,  
 ३६२, ३६४, ३६८, ३७४-५, ३८१-  
 २, ३८६-७, ३९८, ४०९-१०, ४१२,  
 ४१६, ४१८, ४२३-४, ४३०, ४३६,  
 ४४८, ४५५-७, ४६२-३, ४६५-६,  
 ४७३-४, ४७७, ४७९, ४८५, ४८७,  
 ४९३, ५०३, ५०६, ५११, ५१५;  
 -उनके साथ है जिन्हें सबने त्याग  
 दिया है, २५८; -का ज्ञान वेदोंके  
 गहन ज्ञानपर ही निर्भर नहीं, ४९२-  
 ३; -का स्मरण करनेकी बच्चोंकी  
 सलाह, ३८०; -का संसारकी प्रत्येक  
 वस्तुमें वान, अतः मूर्तिमें भी, २०१;  
 -का ही साधन है मनुष्य-शरीर, ४४५;  
 -की कभी-कभी सुखकी अपेक्षा दुख ही  
 अधिक सच्ची देन, ५६; -की दृष्टिमें  
 सभी मनुष्य समान, १०९, ३४५, ३६०,  
 ३७९, ३८८, ४२८; -की दृष्टिमें पापी  
 और साधु एक नमान, ९५; -द्वारा  
 भक्तोंको फट-सहनकी शक्तिकी देन,  
 ४४०; -की सेवा है हरिजन-सेवा,  
 २६४-५; -के प्रति आस्तिकोंकी भक्ति,  
 ४९; -के प्रति भेंट-रूपमें लिये गये  
 किसी भी कार्यमें स्वार्थ-साधनका कोई  
 स्थान नहीं, ४३६; -तो दिव्य पिता  
 है, हमारे गुरुजनोंका भी पिता, ५०९-  
 १०; -ने ब्रह्माण्डरूपी एकांशके लिए  
 और उसके अन्तर्गत प्रत्येक प्राणीके  
 भी लिए कुछ निर्धारित उद्देश्य रखा  
 है, १८०; -ने मनुष्यको प्रगतिकी ओर  
 प्रयत्नशील बनानेके ही निमित्त उसे  
 अपूर्ण रखा है, ६९-७०; -न्यायप्रिय  
 देवता, ४२६; -पर इच्छापूर्ति न  
 होनेपर भी आस्था रखना हमारी

भक्तिकी परीक्षा है, ३५३; -पर  
 भरोसा या पैसेपर भरोसा, २४;  
 -पापियोका रक्षक और उद्धारक, ३१५;  
 -'भलाई' और 'बुराई' दोनोंसे परे,  
 १७९; -मे अश्रद्धा अस्पृश्यतामे विश्वास  
 करनेसे, २८१; -मे आस्था का अभाव  
 ही मनुष्योंकी सब दुर्बलताओंका कारण  
 है, १९२; -सबका श्राता, ६; -सर्वज्ञ,  
 जीवन्त सत्यको प्रभासित करता है,  
 ५८; -सर्वशक्तिमान्, जगतपिता, २२८;  
 -से जूझना और उससे कुछ छीनना  
 असम्भव है, १८०

ईसाई, १९८, २०५, २१३, २४८, २६२,  
 ३४२, ४०१, ५००

ईसाई-धर्म, ३२१; -और हिन्दू-संस्कृति,  
 २४४

### उ

उड़ीसा वाङ्मय-सहायता समिति, १२५

उदासी, विष्णुदास, २५४

उन्नति, १२६

उपनिषद्; ७०, १७२, ३५४, ४२६

उपवास; -एक सहकर्मकी भूलोंके प्रायश्चित्त  
 स्वरूप, ७४-५; -और हिन्दू-धर्म  
 तथा अन्य धर्मों द्वारा आत्म-शुद्धिके  
 निमित्त इसका विधान, १३०; -के  
 दुरुपयोगके दृष्टान्त, ३८४-५; -गांधीजी  
 का हरिजनोके हितार्थ, १२८-३०;  
 -गांधीजीके, अधिकतर ईश्वर-प्रेरित,  
 ४५; -निजी शिकायतोंको दूर करानेके  
 लिए नहीं, १९१; -विना शर्तका  
 और गांधीजीके जीवन-दर्शनके अनुसार  
 अत्यन्त असाधारण परिस्थितियोंमें इसका  
 स्थान, ५५

उमर, हजरत, २५८

उमिया, १२४

उर्मिला देवी, ४१६, ४७६, ५०७

ए

- एकलव्य, १९५, ४७८,  
 एकाग्रता, —और प्रार्थनाके समय इसके  
 नियमित अभ्यासकी आवश्यकता,  
 १३४, —कैसे प्राप्त की जाये, १९०  
 एडवर्ड, सम्राट, ३००  
 एडवेंचर्स ऑफ द ब्लैक गर्ल इन हर सर्च  
 फॉर गॉड, ५००  
 एडवेंचर्स ऑफ द व्हाइट गर्ल इन हर सर्च  
 फॉर गॉड, ५००  
 एन्ड्र्यूज, सी० एफ०, ३६, ३७, ४६, ५५,  
 ६६, ९३, ९७, १०८, ११५, १६८,  
 १७६, १८३, १८८-९, १९५  
 पा० टि०, १९६, २४०, २८४, २८६  
 एरिस्टार्बी, प्रिन्सेस एफी, २२१, २४३,  
 २८५, ४१८  
 एलिजाबेथ, २२१, २४३-५  
 एल्विन, वेरियर, २७, ४६, १८८, २८५  
 एसोसिएटेड प्रेस, १४४ पा० टि०, २५१

औ

- औद्योगीकरण, —के कुप्रभाव, १५५  
 औषधि, —रोग मिटानेके लिए है, न कि  
 आत्महत्याके लिए, १२३

क

- कंटक, प्रेमाबहन, १२०, २६८, २९६, ३६३,  
 ३६५, ४१९-२०, ४३४, ४९७, ५२०  
 कतार्ई, १३५, १४७, १५४, २६८, ३४६-  
 ८, ३७३, ४७७, —और स्त्रियाँ, ५  
 कनवर्सेशनस विद महात्मा गांधी, १७९ पा०  
 टि०  
 कन्या, —के लिए शालीनता ही सबसे बड़ा  
 रक्षा-कवच, १२८  
 कवीर, २५८  
 कमलादेवी, १०५, १४९, ४२३  
 कमलानी, आत्मा एस०, ४५

- कमालमियाँ, ४२३  
 करजिया, २८५  
 करमचन्द, ४०  
 कर्म, —के सिद्धान्तसे अस्पृश्यताका कोई  
 सम्बन्ध नहीं, ४९३-४  
 कला, —द्वारा सत्यका प्रचार होना चाहिए,  
 न कि चाटुकारिता, ३५५  
 कलापी, देखिए गोहिल, सूरसिंहजी तख्त-  
 सिंहजी  
 कल्पनाथजी, ४८७ पा० टि०  
 कविता, —द्वारा सत्यका प्रचार होना  
 चाहिए, न कि चाटुकारिता, ३५५  
 कण्ट-सहन, —सद्गुण प्राप्त करनेका साधन,  
 १६४  
 कस्तूरभाई, २१, २४, २५, २८  
 काग्रेस कार्यकारी समिति, १०७, २९४,  
 ३१३ पा० टि०, ३१८  
 काग्रेसी, ३१ पा० टि०, १६८, २३१, २४८,  
 २४९, २५२, २८१, २८२, ३६०,  
 ३९५, ४८०  
 काजीभाई, देखिए देसाई, कन्हैयालाल  
 कानूगा, डॉ०, १७, ५१८ पा० टि०  
 कानूनी सत्ता, —तथा नैतिक सत्ता, ९४  
 कान्ता, ३३५  
 कापडिया, कृष्णा, १३६  
 कापडिया, माधवदास, १३६  
 काबुलियो, —द्वारा असमके चाय-बागानो  
 के कुलियोका शोषण, ३३९  
 कामधेनु, २३९  
 कान्नीगी, १८  
 काले झडे, —का प्रदर्शन कोई सम्य आचरण  
 नहीं, २६३  
 कालेलकर, द० वा०, १६, १८, ४१, ५३,  
 ५६, ७६, ८४, १२०, १६१, १६५,  
 १७२, १७६-७, १९६-७, २२१, २३१,  
 २७१, २९७, ३१९, ३६२, ४१९-२०,  
 ४३९-४०, ४६२

काञ्चनकार; —का भूमिपर अधिकार और फसलमें उसका उचित हिस्सा, ४००  
 किदवई, रफी अहमद, ३१  
 किसन, देखिए घुगतकर, किसन  
 कुंजरू, हृदयनाथ, १५०  
 कुमारप्पा, जे० सी०, ५६, ८४, १६६, १९५  
 कुमारस्वामी शास्त्री, सरसी० वी०, २१७-८  
 कुरान, १७३, २५३; —का उपदेश है दूसरों की भलाई करना, ३२६  
 कुरेशी, अभीना, २८, १७३, ४४३, ४४५, ५२०  
 कुरेशी, गुलाम रसूल, २७ पा० टि०, ३६२, ३६६ पा० टि०  
 कुरेशी, वहीद, ३६६  
 कुरेशी, मुलताना, ३६६  
 कुरेशी, हमीद, ३६६  
 कुलकर्णी, केदारनाथ, ४४२  
 कुवलयाणन्द, स्वामी, ८३  
 कुमुम, १२४, ४२०  
 कृपळानी, जे० वी०, ३१४ पा० टि०  
 कृषि कालिज, पूना, ३६३ पा० टि०  
 कृष्ण, भगवान, ४७७  
 कृष्णदास, ३१९  
 कृष्णमूर्ति, १०२  
 कृष्णो, २६८  
 केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, ९७  
 केलकर, एन० सी०, १७५  
 केलकर, डॉ० एम० एस०, १५९  
 केलप्पन, के०, ११७, ४९०  
 केवलानन्द, स्वामी, देखिए मराठे, नारायण शास्त्री  
 केशव विद्यानिलयम्, पेड्डावाडगुरु, ४५१  
 कोंगर, डॉ० १७९  
 कोओपरेटिव एपेक्स बैंक, बंगलौर, ४६९  
 कोठारी, मणिभाई, १६७  
 कोठारी, माणिकलाल, २६८-९  
 कोठारी, राधा एम०, २६९

कोतवाल, १२३, २६९  
 कौंसिल-प्रवेश, १७५  
 कौतूहल; —वेमतलब न रखा जाये, ७४  
 कौमुदी; —एक मलाबारी कन्या और हरिजन-कार्यके लिए उसका त्याग, ५०४-५, ५१७

## ख

खरे, गजानन, १९७  
 खरे, डॉ० एन० वी०, ५८, ९२, ११३, २०४, २५२  
 खरे, नारायण मोरेस्वर, १६४ पा० टि०, १९७  
 खरे, मथुरी, १७२, १९७  
 खरे, योगा, १७२, १९७  
 खरे, रामचन्द्र एन०, १९७  
 खरे, लक्ष्मीवहन एन०, १२१, १३६, १७२, १९७  
 खादी, ५, ७१, १२५, १४०, १४३, १४७, १४९, २२२, २२७, २६८, २७८, ३४५-८, ३७२-३, ४४७, ५१५, ५१७; —और हरिजन, १५४-६; —के माध्यमसे अनन्तपुरमें ग्रामोत्थानका प्रयोग, ३४५-८  
 खादी-कार्य, १६७, २३७  
 खादी-कार्यकर्ता, १३२ पा० टि०  
 खादी-सेवा, ११७  
 खान-पान; —की आदतोंमें सादगी लानेकी तथा प्रान्तोंमें आपसी अदला-बदलीकी आवश्यकता, ४५८-९

## ग

गंगाबा, ४२४  
 गंगाभाभी, ४१६  
 गगाराम, लाला, ३०५  
 गजानन, १२, ७९, ११०  
 गांधी, कनु, २८

गांधी, कस्तूरबा, २२, २६, २९, ५१, ५४,  
६०, १०६, १२०, १३६-७, १४६,  
१७३, १८९, १९५-६, २०९, २३१-२,  
२३४-५, २६७, २८६, ३१४, ३१६,  
३१८, ३२५, ३३१, ३३४, ३३६,  
३६२-३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५,  
४३५, ४३८, ४४१-४३, ४६१, ४७६-७,  
४७९, ४८७, ४९७-८, ५०७, ५१७-८

गांधी, कान्ति, ३३६, ४७६, ४९९

गांधी, काशी, १७२, ४३८

गांधी, कुसुम, ५२, २००

गांधी, कृष्णदास, ८१, १३६, ५१७

गांधी, केशु, २७, १२४, १३६, १६७,  
२३७, २६८, ४७९, ५१७

गांधी, छगनलाल, २२ पा० टि०, ४१,  
४३ पा० टि०, ८१ पा० टि०, १७२

गांधी, जमना, २८

गांधी, जमनादास, २८, २६८, ४४३

गांधी, जयसुखलाल अमृतलाल, १२४

गांधी, देवदास, २८, ३७, ६०, ८१, १०५,  
१२०, १३७, १६०, १६६, १७०,  
१७७, १८३, २४५, २७६, ३१९,  
३६३, ४१८, ४३८, ४४०-४१, ४६१,  
४७६, ४७९, ४८७, ४९९, ५१६-१८

गांधी, नारणदास, २८, ३१७, ४४४, ५२१

गांधी, नीमु/निर्मला, २७, ६०, ३३१, ४३४,  
४७६, ४९९

गांधी, पुरुषोत्तम, २८, २६८, ३१७

गांधी, प्रभुदास, २२, २६, २८, ४१, १०६,  
१११-२, ११६, १२१, १२४, १३६,  
१४१, १४६, १६१, १६५-६, १७२,  
१७७, १९६, ३३४, ४४३

गांधी, मगनलाल, २६ पा० टि०, ३४

गांधी, मणिलाल, ३४, २२८, २९५, ३२५,  
३३०, ३३४, ३६३, ४१८, ४३५,  
४३८, ४७६, ४७९, ४९७-८

गांधी, मनु, १७३, १९५, २३४, २४६,  
२६८, ३२५, ३६३, ४३३

गांधी, मोहनदास करमचन्द, —का कथन  
'मेरी राजनीतिके मूलमे भी धर्म ही  
है', २१३; —के विचार गुरुवायूर पर  
सनातनियोके प्रदर्शनके सम्बन्धमे, ४८७-  
९०, —के विचार तमिलके अपने 'सतही'  
ज्ञानके सम्बन्धमे, ४०४, —के विचार  
बीमा-पालिसीके सम्बन्धमे, २४, —के  
विचार मालाएँ और गुलदस्ते भेट  
किये जानेके सम्बन्धमे, ३०५, —के  
विचार राउण्ड टेबल कॉन्फेससे लौटते  
समय रोममे हुई अपनी काल्पनिक भेट-  
वातके सम्बन्धमे, ३५१; —के विचार  
सूतका तार तोड़नेके बदले धैर्यपूर्वक  
उसकी गाँठे सुलझानेके सम्बन्धमे, १६४,  
—के विचार हरिजनोके हितार्थ उपवास  
के सम्बन्धमे, १२८-३०; —को केले  
के पत्तेपर लिखे हुए अभिनन्दन-पत्रकी  
भेट, ३२६ पा० टि०, —द्वारा अंग्रेजी  
मे बोलनेके छात्रोके अनुरोधपर आश्चर्य,  
२१२, —द्वारा खाना खाते हुए हरिजनोके  
बीचसे मोटरमे सवारी करते हुए  
गुजर जानेपर शर्मिन्दगी, ४२९-३०,  
—द्वारा दौरेके दरम्यान सभाओ और  
स्वागत-समारोहोके आयोजकोको निर्देश,  
३४९-५०, ३८३; —द्वारा दौरेके दर-  
म्यान सभाओ और स्वागत-समारोहोके  
आयोजकोको अपने भोजनके सम्बन्धमे  
निर्देश, ४५८-९; —द्वारा नन्दी हिल्स,  
मैसूरमे स्वास्थ्य-लाभके लिए विताये हुए  
दिनोके संस्मरण, ४६४, —द्वारा पुलिस-  
वालोके मित्र-भावकी प्रशंसा, ४०३-४;  
—द्वारा मलाबारकी स्त्रियोकी प्रशंसा,  
४८२, ४८४-५; —द्वारा मलाबारकी  
सुन्दर दृश्यावलीकी सराहना, ४८२;  
—द्वारा मिदनापुरके मजिस्ट्रेटकी हत्या

पर दिये गये अपने वक्तव्यका औचित्य-  
प्रतिपादन, ३६-७, -द्वारा भारत तथा  
पश्चिमके मित्रोंसे जन्मदिवसकी शुभ-  
कामनाओंकी प्राप्ति-स्वीकृति, ९१;  
-द्वारा सेलूमे हरिजनोके लिए मन्दिरके  
द्वार खोलनेके साथ दौरेका आरम्भ,  
२०१; -परिस्थितिबश नहीं, बल्कि  
स्वेच्छासे (एक) मजदूर, २९१;  
-‘व्यावहारिकताका ध्यान रखनेवाला  
स्वप्नद्रष्टा’, २१४

गांधी, रसिक, २३५

गांधी, राधाबहन, २६, ६०, ३२४, ३३४,  
३३६

गांधी, रामदास, २७, ४८, ६०, ७६, १३६,  
२६८, ३३१, ३६३, ४३४, ४३८,  
४७६, ४७९, ४९९, ५१७

गांधी, लक्ष्मी, २८, ३७, ४८, ८१, ३३१,  
४१६, ४१८, ४३८, ४४१, ४९९,  
५१६, ५१८

गांधी, सन्तोका, २६, ३२४, ३३४, ४३४,  
४३८, ४४३

गांधी, सीता, ४७६, ४९८

गांधी, सुशीला, २२८, ३२५, ३३०-१,  
३६३, ४३८, ४७६, ४७९, ४९७

गांधी, हरिलाल, २३४ पा० टि०, २४६  
/ पा० टि०, ३३६ पा० टि०

गांधी सेवा संघ, १४३ पा० टि०, १६२  
पा० टि०

गांधीवाद; -‘नामकी कोई चीज नहीं’,  
३५९

गाडोदिया, लक्ष्मीनारायण; १५०

गाय; -की पूजा हिन्दू-धर्मका अभिन्न अंग,  
४७४; -समृद्धिकी दात्री, २७०

गायडा, सिगनोर, ३५१, ३५२

गासावी, ३०२

गिरधारी, ३१४

गिरिजाप्रसाद, सर, १३-४, १७

गीता-प्रवेशिका; -की भूमिका, ७६

गुजरात अस्पृश्यता-निवारण संघ, १९३

गुणोत्तम, देखिए हठीसिंह, गुणोत्तम

गुरुनाथम्, ४०५

गुरुकुल काँगड़ी, १०

गुरुदेव, देखिए ठाकुर, रवीन्द्रनाथ

गुरुवायूर जनमत-संग्रह, ५०७

गोकुलदास खीमजी, १९३

गोकुलभाई, १९५

गोंडन, सुब्बिया, ५११

गोदावरी, ३१४

गोपी, १२, ७९, १०६, १०९-१०, १५१,  
३१६

गोमांस-भक्षण; -न करना हिन्दूके लिए एक  
अनिवार्य शर्त, २७९; -न करना  
मन्दिर-प्रवेशकी एक शर्त, २८९; -सभी  
हिन्दुओंके लिए निषिद्ध, ४७४; -हरि-  
जनोंको त्यागना चाहिए, ४६३

गोयनका, रामनाथ, ३८६

गोरक्षा, ४६२

गोरघनभाई, २६५, ३१३, ३१८, ४१८

गोलमेज सम्मेलन, १२८, ३४१

गोविन्ददास, सेठ, ३१४ पा० टि०, ३१६

गोसाईं, परमपूज्य गढ़मूड़िया, ३३९

गोसीबहन, ४५०

गोसेवा संघ, २९५

गोस्वामी, अद्वैतकुमार, १६०

गोहिल, सूरसिंहजी तख्तसिंहजी, १७

गौतम, देखिए बुद्ध

ग्रामोत्थान; -का प्रयोग अनन्तपुरमें, खादीके  
माध्यमसे, ३४५-८

ग्रीनलेस, डंकन, २७, ३८, ५४, १५९, ४५३

घ

घुमतकर, किसन, १२, २६७, ३२४,  
३६४-५, ३६५, ४१५-६, ४१९-२०,  
४२३, ४३४-५, ४३७, ४४०, ४४२,

४४५, ४५०, ४६१, ४७६, ४७९,  
४९७, ५२०

च

चंगेज खाँ, ९९  
चट्टोपाध्याय, कमला, ८३  
चन्दा; -किस प्रकार इकट्ठा किया जाये, ६१  
चन्द्रकान्ता, १७२  
चन्द्रा, ४५३  
चमड़ा कमाना; -और उसमें प्रशिक्षणकी आवश्यकता, १८६-७  
चमार, २५५  
चरखा, १२४, १५५, १५९, ३४८, ३६२, ४२०, -अनादि कालसे भारतीय किसानोंका एक सहायक उद्योग, २७८; -के चक्रके प्रत्येक चक्करसे दैनिक जीवनमें एक क्रान्ति, ३४६; -व्यापक बेकारीका एकमात्र उपाय, ९९  
चरित्रवान कार्यकर्त्ता [ओ]; -मे जन-साधारणका विश्वास, ३७६  
चाँदीवाला, ब्रजकृष्ण, २६, १२२, २३८, २५९ पा० टि०, २९८, ३१३, ३१६, ३३४, ३६३, ३६८, ४२०, ४३६, ४४१, ४६१-२, ४७९, ५१८  
चाँदीवाला, रामकृष्ण, ३६८  
चाँदीवाला, श्रीकृष्ण, २५९  
चिनुभाई माधवलाल, सर, १३, १४  
चिमनलाल, २६, ७७, १५१, ३१६  
चुक्कन्मा, मूलपुरी, ४२५  
चोइतराम, डॉ०, ३१०  
चोखामेला हरिजन वर्डिंग, २५४  
चौधरानी, सरला देवी, ८२, ११०  
चौधरी, गोपबन्धु, १४३ पा० टि०  
चौधरी, रमादेवी, १४३  
चौधरी, रामनारायण, ८२, ८५, १४५, ३६५, ४२०, ४३८  
घौधरी, रामभज दत्त, ३०५

छ

छात्र-वर्ग; -और हरिजन-कार्य, २१३-१४, ५०९-११; -को शुद्ध ध्येय और प्रेमके साथ हरिजनोके बीच कार्य करनेकी सलाह, ३७७  
छान्दोग्योपनिषद्, १६२ पा० टि०  
छोटेलाल, ३६३

ज

जनकधारी प्रसाद, १०३, १४४  
जमना, ४२०  
जमीन्दार[ी], -का प्रभाव नष्ट करनेसे भारी हानि, ४००  
जयन्ती, १३६  
जयप्रकाश नारायण, २७, २७५, ३३५, ४३७, ४६०  
जयरामदास, प्रेमी, १९४  
जयरामदास दौलतराम, १९४  
जर्मनी, -मे ग्रामोद्योगोका पुनरुत्थान, १५६  
जसभाई, ४०  
जाजूजी, ५१७  
जाम-ए-जमशेद, ३३४, ४१६, ४३५  
जामिया मिलिया, दिल्ली, ३२६  
जामोरिन, -कालीकटके ५१६  
जायजी, १४०  
जॉर्ज पचम, सम्राट, ३००  
जीवन, -का अर्थ है जटिल समस्याओको सुलझाना, ५१७  
जीवनलालभाई, ३९, ३१७  
जूआ; -खेलना त्यागनेका मजदूरोसे अनु-रोध, ३८२  
जूठाभाई, ४४, ४८, १५१, ३६६  
जूठालाल, ४१६  
जैन-धर्म, -का ह्रास गुजरातके व्यापारी वर्गके हाथोमे, १९; -मे अस्पृश्यता और वर्तमान वर्ण-धर्मका कोई स्थान नहीं, ७१



जोजेफ, जॉर्ज, १४२  
 जोशी, केवलराम, भीमजी, २९५ पा० टि०  
 जोशी, छगनलाल, १७१, २९५, ३१४, ३३२,  
 ४१९, ४६७  
 जोशी, धीरू सी०, ५२, १३६, १७३,  
 १९७, २००, २७०, २९५, ३३२,  
 ४१५, ४२०  
 जोशी, निर्मला, २९५  
 जोशी, रमावहन, २७, १११, १६६, १७१,  
 २००, २७०, २९५, ३३२, ४१५,  
 ४२०  
 जोशी, लक्ष्मण शास्त्री, ९  
 जोशी, विमला, १७१, २९५, ३३२, ४२०  
 ज्ञान, १२  
 ज्ञानेश्वर, १९८  
 ज्ञानेश्वरी गीता, २१६

## झ

झवेरी, गंगावहन, १२०, १४६, १७३, २१०  
 झवेरी, नानीवहन, १२०, १४६, १७३,  
 २१०  
 झवेरी, पन्नालाल, १२०, १४६, १७३  
 झवेरी, रेवाशंकर, २४

## ट

टण्डन, पुरुषोत्तमदास, ६४  
 टाइटस, २८, १७३  
 टाइम्स (लन्दन), ३५१  
 (द) टाइम्स ऑफ इंडिया, २३४, २७३  
 पा० टि०, ३०८  
 टॉल्स्टॉय, ४९५  
 टिकेकर-बन्धु, २५२

## ठ

ठक्कर, अमृतलाल वि०, ३०, ५५, ५८, ७७,  
 ८२, ८४, ८९, ९२, ९८, १०६,  
 १४२, १४५, १५०-१, १५७, १५९,

१६८, १८१ पा० टि०, १८३, १९७,  
 २०९, २३०, २३२, २५२, २५४,  
 २८०, २८६, ३१८, ३६४, ३९५,  
 ४२०, ४२७, ४३५, ४४२, ४६७,  
 ४७७, ४९७, ५१६

ठक्कर, महालक्ष्मी, ३५४, ४५९  
 ठक्कर, माधवजी, ३१९, ३५४, ४५९  
 ठाकरसी, प्रेमलीला, ५४, १२१, ३६३,  
 ४३५  
 ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ९७, १८९, २८४-५,  
 -और गांधीजीके उपवास, ५५

## ड

डॉयल, ई० ई०, २७६  
 डाहीवहन, देखिए पटेल, डाहीवहन

## त

तपश्चर्या; -द्वारा ही धर्मकी रक्षा सम्भव,  
 ४८८  
 तमिल; -की सुन्दरता और समृद्धि, ४०४  
 तारावहन, १२०, १४६, २८६, ४५०  
 तिवारी, २३०  
 तुकाराम, १९८  
 तुलसीदास, २९८, ३०१  
 तैयबजी, अब्बास, १०५, १४९, १८२, ४२३  
 तैयबजी, असीना, ४२३  
 तैयबजी, रेहाना, १०५, १४९, ४२३  
 तैयबजी, हमीदा, १०५, ४२३  
 त्रावणकोर; -की महारानी, ४८२  
 त्रिपाठी, रामनरेश, ३८९  
 त्रिवेदी, केशवराम एस०, १२५  
 त्रिवेदी, जयशंकर, ३६३, ४१८  
 त्रिवेदी, मानशंकर जे०, २२१, २४३-४५,  
 ४१८

## द

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा, ३७७,  
 ३८९-९०

- दत्ता, डॉ०, १६०, १७७  
 दमयन्ती, १७१, ४५२  
 दयानन्द दलितोद्धार-सभा, २०  
 दयानन्द सरस्वती, ९८  
 दरबारी, १६५, १७२, २३२, ३१९, ३६३  
 दरिद्रनारायण, १४७  
 दान, —का हरिजनोके हितार्थ उपयोग,  
 २५२-३, —के साथ दानकर्ताका नाम  
 जोडना उचित नही, ४०५, —के साथ  
 व्यक्तिका नाम जोडनेके हास्यास्पद  
 परिणाम, १५  
 दाफडा, दूधाभाई एम०, ४४६  
 दामोदर, ४५०, ४९७  
 दास, चित्तरजन, २०३, २६६  
 दास-प्रथा, —का १८३३ मे इंग्लैंड मे उन्मूलन  
 और अस्पृश्यता-निवारण, ९३  
 दासगुप्त, अरुण, ३६८  
 दासगुप्त, क्षितीशचन्द्र, १७८ पा० टि०  
 दासगुप्त, सतीशचन्द्र, २६, ११३, १५१,  
 १५८, १७८ पा० टि०, १८७, २२४,  
 ४४५, ४५०, ४७०  
 दासगुप्त, हेमप्रभा, ३६८, ४४७  
 दास्ताने, वत्सला, २९५  
 दिक्कत्रवस्कुदीवमे तुनई, ३८६, ३९८  
 दिल्ली नगरपालिका, —के अन्तर्गत भगी  
 बस्तियोंकी अपमानजनक दुर्दशा, २०  
 दीनबन्धु, देखिए एन्ड्र्यूज, सी० एफ०  
 दीपक, ८३, ११०  
 दीवानजी, १९५  
 दुनीचन्द, ३०३  
 दुनीचन्द, श्रीमती, ३०३  
 दु.ख, —ईश्वर-प्रदत्त, अखण्डित सुखकी  
 तुलनामे अधिक वास्तविक देन, ५६  
 दुर्गाबाई, २६५  
 दूध; —बकरीका, अधिक शक्तिदायक, ४५९  
 दूधाभाई, देखिए दाफडा, दूधाभाई एम०  
 देवघर, १०७, १७८  
 देवी बाबू, ८५  
 देवेन्द्र, ३२४  
 देशबन्धु स्मारक-कोष, ४५५ पा० टि०  
 देसाई, कन्हैयालाल, ४१८  
 देसाई, कुसुम, ४१५-२०  
 देसाई, जीवनजी डा०, ६७, २७२, ४४२,  
 ४६२, ४९९  
 देसाई, डॉ० चन्दुलाल, ४०, ४८, १६०,  
 १९६  
 देसाई, डॉ० हरिप्रसाद, १७  
 देसाई, दुर्गा, १२०, ४४४  
 देसाई, दूधीबहन, ५२, १३६, १७३, २००,  
 ३०३, ३३३, ४१५, ४२०  
 देसाई, नारायण, २८, ६७, १६०, १६६,  
 १७३, ३६२, ३६६, ४४३  
 देसाई, निर्मला, २६, ४१, ५१, १०६, ११२,  
 १२२-२३, १३६, १७३, ४४३  
 देसाई, पावती, ४७५  
 देसाई, प्रागजी, ४३५, ४३८, ४७५, ४९८  
 देसाई, भूलाभाई जे०, ३३३, ३५१, ४१९  
 देसाई, महादेव, २६, २८, ३७, ४१ पा०  
 टि०, १०५, १२०-१, १३७, १७२,  
 १७७, २७२, २७४, २७६, २९६,  
 ३१४, ३१९, ३६२, ४४२-३, ४६२,  
 ४८७, ४९९, ५००  
 देसाई, महेन्द्र वी०, ९०, २००-१, ३०४  
 देसाई, मोरारजी आर०, १९५, १९६  
 देसाई, वालजी गो०, ५२, २००  
 देसाई, विमलचन्द्र वी० ५२, ३६७  
 देसाई, सुदर्शन वी०, ५१-२, २००-१, ३०४  
 देहाती सफाई-प्रबन्ध; —के लिए मुसलमानो  
 की विजयसे पहले पेशेवर भगियोंका  
 अभाव, ११९  
 दैनन्दिनी, —के लाभ, १३४  
 द्रोणाचार्य, १९५, ४७८  
 द्वारकानाथ, १३६, १७२, २९३-४, २९८,  
 ३०९, ३२३, ३३२, ४२०

ध

धन; —और धर्म, २४८

धनी; —को धनोपाजन और धनसंचयका अधिकार, १४

धर्म, ६, ९, ६८, ७१, ८०, १२८, १४७, १९१, १९३, २३८, २५५, २६०-६३, २६९, २७१, ३५४, ३५७, ३८७, ४९८, ५१९; —अमीरों और गरीबोंका, १४; —और अभद्रताका कोई तालमेल नहीं, २८८ —और गांधीजीका कथन कि उनके 'पिछले और आजके सब कार्य धर्मके अनुरूप ही हैं', ३५६; —और धन, २४८; —और व्यापारी वर्ग, १९; —और सादा जीवन, ११; —और सेवा, ४४७; —का उल्लंघन नाई, धोबी और डॉक्टरों इत्यादि द्वारा हरिजनोकी सेवा न करनेमें, २९०; —का चरम लक्ष्य है प्राणिमात्रमें व्याप्त आन्तरिक एकताका ज्ञान, ३१६; —का त्याग असभ्य आचरणमें, २८८; —का नाश मतावलम्बियोंके अधर्मके पथपर चलनेसे, ४०५; —का पुनर्जागरण जीवनमें पवित्रता बढ़ाकर ही सम्भव, ५८; —का पोषण अनुयायियोंके निरन्तर तपस् द्वारा ही सम्भव, ६३; —की रक्षा और शुद्धिका एकमात्र साधन प्रायश्चित्त, ३५६; —की रक्षा केवल तपश्चर्यासे ही हो सकती है, ४८८; —की रक्षा तलवारके बल पर न हो, ६८, —के अनुयायी यदि अपने जीवनमें उसके सिद्धान्तोंका पालन न करें तो वह धर्म जीवित नहीं रह सकता, २०५; —के उपदेश पण्डितों और प्राकृतजन दोनोंपर समान रूपसे लागू, ३८८; —के विना मनुष्य बिना पतवार की नौकाके समान, २१५; —कोई भी

हो, लेकिन मूल सिद्धान्तोंमें व्यापक बननेकी क्षमता हो, ४९; —में अस्पृश्यता को कोई स्थान नहीं, ३७६; —में मुर्दार मास-भक्षण वर्जित, २८९; —व्यापारमें, ३८८; —सन्तानका, पिताके धर्मके समान, २४५; —समाज तथा कुटुम्बके प्रति, २७६; —सेवाका, ४३६; —हमें स्वयंको निम्नतम और दूसरोंको उच्चतम मानना सिखाता है, ५१०; —के समान आदरका व्रत, १६६; —'के सहारे ही मेरा धर्म चल रहा है', २१३

धुरन्धर, १२०, २६७

धोत्रे, २३२

न

नन्द, देखिए नन्दनार  
नन्दनार, —चिदम्बरम्के, ९  
नन्दा, गुलजारीलाल, ८६, ४७६-७  
नन्दुबहन, ५१८  
नम्रता; —की आवश्यकता, ६९-७०  
नरसिंहन, १४५  
नरीमान, के० एफ०, १७५-६, ३१८  
नर्मदा, १२१  
नलिनीकान्त सेठ, ३४  
नल, १७१  
नवजीवन, ४६७  
नवजीवन प्रेस, १७३ पा० टि०  
नागजी पुरुषोत्तम, ५१६  
नागपुर विश्वविद्यालय, ९२  
नागेश्वर राव, के०, ३९१ पा० टि०  
नाजी; —तथा ग्रामोद्योगोंका पुनरुत्थान, १५६  
नाणावटी, सरोज, ४२३  
नानाभाई, देखिए भट्ट, नृसिंहप्रसाद कालिदास  
नानालाल, ४४३  
नानु, देखिए देसाई, विमलचन्द्र  
नायडी, ४८१-३, ४९४

नायर, २२, २६, ८२, ८५, १२०, १३७,  
१९७, २०९, २३२

नायर, के० माधवन, ३५, ११७; —के प्रति  
श्रद्धाञ्जलि, ५०७-८

(श्री) नारायण गुरु, ५०१

नारायण शास्त्री, देखिए मराठे, नारायण  
शास्त्री

निग्रह, —स्वादका, १६६

निर्मला, ८६

नीलामी, —मे कोई बुराई नहीं, ३८४

नेगी, १४६

नेपोलियन, देखिए मेहता, छोटूभाई के०

नेवटिया, कमला, २९, २८५

(द) नेशनल कॉल, १४२, १४५

राजकोट, २८ पा० टि०

नेहरू, इन्दिरा, ८२

नेहरू, कमला, २१, ३२, ८३, १६८,  
१७५

नेहरू, जवाहरलाल, १२, २१-२, २५,

२८, ३१, ६५, ८२, १०१-३, १०७,

१०९-१०, १३९, १४८, १५८,

१६८, १७४, १८८, २०८-९,

२२३, २२४ पा० टि०, २३०, २९४,

३०२, ३१९, ३४१, ३४३, ३९९,

४००, ४२२, ४८०

नेहरू, मोतीलाल, २०३, २३८, —के प्रति  
श्रद्धाञ्जलि, ३४०

नेहरू, मोहनलाल, १६८

नेहरू, स्वरूपरानी, २१-२, २५, २८,

३२, ६५, ८२, १०२-३, ११०,

१३९, १४८, १६८, १७५, २२४,

२३१, ३०२, ४२३-४

नैतिक सत्ता, —तथा कानूनी सत्ता, ९४

नैतिकता, —सर्वोच्च ही नहीं सर्वोत्तम रूपसे

उपयोगी भी, २९२

नैयर, सुशीला, ३३६

नौरोजी, खुरशेदबहन, १६०, १९६, २७६

प

पटवर्धन, एस० पी०, ४२०

पटवर्धन, डॉ०, २४७

पटेल, गोरधनभाई, २६५-७, ५१८

पटेल, डाहीबहन, ४१६, ४२०

पटेल, डाह्याभाई, ४०, ६६ पा० टि०,

१६१, १६६, १७६, १८९, १९६,

२०९, २३५-७, ४९९, ५१७

पटेल, बलभद्र एन०, ५२

पटेल, भाईलाल एम०, ३१७

पटेल, मणिबहन, २७, ४०, ४८, ५७,

६६-७, ८१, १३७, १४६, १५९,

१६०, १६६, १८९, १९५, १९६,

२०९, २३१, २३४, २३६, २६६-७,

२८६, ३१७, ३३१-२, ३३६, ४१८,

४३८, ४४३, ४७६, ५००, ५१७-८

पटेल, रावजीभाई एन०, १७३, २९७, ४२०

पा० टि०

पटेल, वल्लभभाई, १४, २६, ४०, ४८, ५३,

५७, ६७, ८१, १२१, १३७, १५९,

१६१, १७६, १९५, २०८, २३३,

२३६, २७६, ३०८, ३१३, ३१८, ४१७,

४४२-३, ४६१, ४७७, ५१६, —की

प्रशंसा, अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीकी

सेवाओके लिए, १६-७

पटेल, विठ्ठलभाई, १०४, १४९, १५९,

१६१, १६६, १६९, १७६, १८१,

१८२, १८९ पा० टि०, २०३, २०८,

२३३-६, २३८ पा० टि०, २४१,

२६५-६, ३१८, ४१८, ५१८, —के

प्रति श्रद्धाञ्जलि, १४४

पटेल, बिद्या आर०, २९७, ३३२, ४२१

पटेल, बिपिन, ६७, १३७, १५९

पट्टणी, सर प्रभाशकर, १८९, २७३, २८४

पट्टणी, रमाबहन, २७३

पण्डित, रणजीत, ६५

- पण्डित, वसुमति, १४६, २८६  
 पण्डित, विजयलक्ष्मी, ६५, ४२४  
 पण्ड्या, भगवानजी पुरुषोत्तम, ४४ पा० टि०,  
 ४८, १२६, १५१, ३६४, ३६६  
 पण्ड्या, मोहनलाल कामेश्वर, १७७  
 पतंजलि, १३४  
 पत्र; —में काटे हुए शब्द कभी पढ़ने नहीं  
 चाहिए, ८८  
 पद्या, ५१, ८६, १४१  
 पन्तुलु, के० नागेश्वर राव, ३८८ पा० टि०,  
 —की दानशीलताके प्रति श्रद्धाजलि,  
 ३८९  
 परमेश्वरी, १५०  
 परीख, नरहरि द्वा०, २७, ४१ पा० टि०,  
 १२५, ३६२  
 परीख, मणिवहन, १२५, १३६, १६६,  
 १७३, ३६२  
 परीख, मोहन एन०, २७, ४१, १२४, १६६,  
 १७३, ३६२, ४४३  
 परीख, वनमाला, २७, ४१, १२३, १२५,  
 १६६, १७३, ३६२, ३६६, ४४३  
 परीख, गंकरलाल डी०, १२५  
 पर्दा; —वहम ही नहीं बल्कि उसमें पापकी  
 बू है, १४७; —व्यक्तिके विकास या  
 आत्माभिव्यक्तिमें अत्यन्त हानिकारी,  
 १२८  
 पश्चिमी सभ्यता; —और हिन्दू संस्कृति,  
 २४४  
 पापा, ४१६, ४४१  
 पारसी, २१३, २४८, ४०१, ५००  
 पाई, सुशीला, १२०  
 पाठक, रामनारायण, ४४३  
 पाठक, श्रीवर शास्त्री, ९  
 पाठ्य पुस्तके, देखिए पुस्तके  
 पारेख, इन्दु, २७, ४८, ५२, १३६, १६७,  
 १७३  
 पारेख, कान्ति एन०, १३६, १६४  
 पारेख, कुसुम के०, २४६, २६८, ३२५,  
 ३३६, ३६३, ४३३  
 पारेख, चिमनलाल, ८६  
 पारेख, जयन्ती, १६४  
 पारेख, मूलचन्द, १००  
 पारेख, रामी कुँवरजी, २३४, २३८, ३३६  
 पार्थेश्वर चिन्तामणि, १९६  
 पाली; —का अध्ययन बुढ़के उपदेशोको  
 समझनेके लिए अत्यावश्यक, ५८  
 पिल्लै, पी० केशव, ४५१  
 पिल्लै, पी० वी० राजगोपाल, ३९१ पा०  
 टि०  
 पिल्लै, वी० धर्मलिंगम्, ३९१ पा० टि०  
 पीटरसन, ऐन मारी, ३५३  
 पुराण, ३५४, ४२६  
 पुलाया, ५०१  
 पुलिस; —के मित्र-भावकी प्रशंसा, ४०३-४  
 पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर, १२९  
 पुष्पराज, ३९१ पा० टि०, ३९२, ३९४  
 पुस्तके; —शिक्षार्थियोंकी अपेक्षा शिक्षकोंके  
 लिए अधिक आवश्यक, ३०६  
 पृथक् मतदान; —मुसलमानोंके लिए भी  
 हानिकर, ३४२  
 पूंजी; —और श्रम के झगड़े अस्पृश्यता-  
 निवारणसे मिट जायेंगे, ३११  
 पूंजीपति; —और श्रमजीवी, १४; —एक  
 छोटों-सा वर्ग, २८१  
 पूंजीवाद; —के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले  
 कलह से वर्णधर्म हमें बचाता है, ५०  
 पूना-समझौता; —३९२; देखिए यरवडा-  
 समझौता भी  
 पेटिट, मीठुवहन, १४०, ३६९  
 पेस्टनजी, ४३९  
 पैसा; —और धर्म, १७; —जन-सेवाके ही  
 लिए, २३  
 पोद्दार, गंगा, २२७-८  
 पोद्दार, रामेश्वरदास, ३९, २२७

प्यारेलाल, ३७, १०५, १२०, ३३६, ४१५,  
४८७

प्रभावती, २२, २६-७, ५१, १०६, २७५,  
३१७, ३३५, ३६५, ४३७, ४६०,

प्रह्लाद, ३०१

प्रार्थना, १९९, ३११, -के लिए समय  
निर्धारित होना चाहिए, २३४, -मनकी  
चञ्चलता दूर करनेके लिए, १३५

प्रिवा, यूवोन, ४८६

प्रेम; -की अभिव्यक्ति तो आत्म-पीडन  
और आत्मशुद्धि द्वारा ही सम्भव,  
२०६, -हृदयगत स्थायी, और इसके  
-अनेक बाह्य चिह्न, २१७

पूटो, १२१ पा० टि०

फ

फडके, वि० ल०, ४६१, ४७८

ब

बखले, ७७

बच्चु, देखिए देसाई, निर्मला

बजाज, उमा, १०६, १९७, २०९, २३२-४,  
२८६, २९४, २९६, ३१६, ३३५,  
३६३, ४१५-६, ४२३, ४३४-५,  
४३८, ४४०, ४४५, ४५०, ४७६,  
४७९, ४९७

बजाज, कमलनयन, २९

बजाज, जमनालाल, १२, २५-९, ३० पा०  
टि०, ३४-५, ४१, ४३ पा० टि०,  
४६-७, ५३, ५७, ५९, ८१, ८३,  
८५, १०३, १०६ पा० टि०, १०७,  
१०९, ११२, १२४, १४८, १५९-  
६०, १६८, १७४ पा० टि०, १७६  
पा० टि०, १९७, २०२, २२४, २३०,  
२७६, २९४, ३०९, ३१९, ३३४,  
४२३, ४३४, ४५०, ४७९

बजाज, जानकीदेवी, १२१, १४७, २३२,  
२३७, २९५-६, ३१९, ४३५, ४५०

बजाज, देवेन्द्र, ३२४

बजाज, मदालसा, २९५

बजाज, राधाकृष्ण, २३२, ४३५

बजाज, रामेश्वरलाल, २३७

बजाज, रुक्मिणीदेवी, ११६, २३७, ३२४,  
४३४

बघेका, गिजुभाई, ५२

बबु, देखिए शाह, शारदाबहन

बम्बई-प्रस्ताव, -२५ सितम्बर, १९३२ का,  
८०, ९४, १२९-३०, २४९, २५७,  
२६३, ३०४, ३३८

बर्दवान, -का कमिश्नर, ३५१

बलभद्र, १३७, १६७, १७३, २७०, ४२०

बापीनीडु, एम०, १४२, २९४, ३६२

बापू, १४८ पा० टि०

बाबलो, देखिए देसाई, नारायण

बाबा/बाबो, देखिए पटेल, विपिन

बाबूराव, २७२

(ब) बाँम्बे क्रॉनिकल, १४ पा० टि०, २२५  
पा० टि०, २७७ पा० टि०, ३३५६  
पा० टि०

बाँय स्काउट, देखिए स्काउट

बार, एफ० मेरी, २७, ३३, ३८, ५४,  
८३, ९१, १२२, १३८, १४१, १४८,  
१५९, २२९, ३२२, ४५३

बाल, ४७६

बालकृष्ण, १६६

बालक[ १ ], -की शैतानीकी प्रवृत्तिका सद्-  
पयोग किया जाये, ४९८, -को कष्टके  
समय भगवानका स्मरण करनेकी  
सलाह, ३८०

बालसुन्दरम्, ३७०

बालुभाई, १६, ४६२

बिडला, घनश्यामदास, ४३, ५३, ५८-९,  
७८-९, १०९, ११३, १२९, १५०,  
१५७, २०९ पा० टि०, २८०, ३२६-७,  
३३४, ३६४, ३९५, ४६०, ५११

विड़ला, रामेश्वरदास, १२ पा० टि०,  
२०९

वियाणी, ब्रजलाल, २६३

विहारीलाल, १४६, १५०, ५११

वी० एन० रेलवे मजदूर संघ, २९१ पा०  
टि०, २९२

बुकर वार्गिंगटन इंस्टिट्यूशन, १०८

बुद्ध; —हिन्दुओमे सच्चे हिन्दू, ५७

बुधाभाई. ४४, ४८, १५१

बुनाई, १५४

बेकारी; —की समस्याके समाधानमें जर्मनी

द्वारा ग्रामोद्योगोंका सहारा, १५६;

—के समाधानका सीधा रास्ता, ११-

बेसेंट, डॉ० एनी; —को श्रद्धांजलि, १३

बेहरे, एन० के०, ९२

बैकर, गंकरलाल, २१, २८, १२६, १७३,

४७६-७, ४७९, ५१६

बोस, निर्मलकुमार, २६

बोस, सुभाषचन्द्र, १०४, ११५, १४४,

१५९, १६१, २०८, २४१, ३५१, ४१८

बौद्ध-धर्म; —का सार हिन्दू-धर्ममें समाविष्ट,  
५८

ब्रजकिशोर बाबू, १०४, ३३६, ४३७

ब्रजलाल, ३३५

ब्रह्म; —को जिसने जान लिया वही ब्राह्मण  
है, ४९१

ब्रह्मचर्य, १६६

ब्रह्मानन्द, स्वामी, १५८

ब्राह्मण; —द्वारा नौकरी ढूंढनेमें कठिनाइयाँ,  
११; —धर्मग्रन्थोंका जीवित आगार,  
४८२; —हिन्दू-धर्मका आधारस्तम्भ,

४९१

ब्राह्मणत्व; —मानवता, अनात्मशांसा तथा  
दयाका सार, ४८२

ब्राह्मण-धर्म; —को नष्ट करानेका मन्दिर-  
प्रवेश आन्दोलनका कोई इरादा नहीं,

४९१-२

भ

भंगी, ३०, ११८-९, १९९, २५५

भक्त; —के लक्षण 'गीता'के अनुसार,  
४१६-१७

भक्ति, ७; —और सेवा, ४३६

भगत, अखा, ४७६

भगवद्गीता, ७ पा० टि०, २८, ७६-७,

१०६, १२३ पा० टि०, १३४-५,

१६६ पा० टि०, १६७ पा० टि०,

१७२, १७७, १९८, २१६ पा० टि०,

२३२, २७३, २९८, ३२२ पा० टि०,

३५४, ३६३, ४१६, ४१९, ४३७,

४४२, ४४८, ४५२, ४७६, ४९२,

४९८ पा० टि०, ४९९, ५१८-९;

—सतत और सच्चे उद्यमके उपरान्त

प्राप्त फलपर से संतोष माननेका उपदेश,

१३५; —कामधेनु है, २३९; —में से

रामदासके लिए संकलित अंश, ७६

भट्ट, नृसिंहप्रसाद कालिदास, ३९, २९५,  
४२०

भट्ट, मोहनलाल, १७३

भणसाली, जयकृष्ण प्रभुदास, १७६

भय; —से पूर्ण मुक्ति, १६६

भागवत्, ४३५, ४७६

भारतदासजी, २८८

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ६९, १०७, १३०,

१६८, २०८ पा० टि०, २३१, २४९,

२६६, ३०२, ३१८, ३४१, ३९९,

४१३, ४८० पा० टि०, ४९४; —का

अधिवेशन, ४०७, ४२५

भावे, बालकृष्ण, ७६, ३६३

भावे, विनोबा, ५९, ७६, १२१, १५९-६०,

१६६, १७२, १९८, २०२, ३६३

भाष्यम्, के०, ३९१ पा० टि०

भील, १८४

भूल-चूक; —द्वारा ही प्रगति सम्भव है, १३१

भूलना, —भी याद रखनेके समान सीखने योग्य, १६६

म

मंगल प्रभात, १६२

मजुकेशावहन, ४४६

मगनभाई, ४१

मजदूर, —का जीवन स्फूर्तिदायक, १०३;  
—स्वेच्छासे और परिस्थितिवश, २९१-२, —के रूपमें हरिजन तथा अन्य लोगोमें कोई भेद सम्भव नहीं, ३८२

मजदूरवाद, —के फलस्वरूप उत्पन्न होने-वाले कलहसे वर्ण-धर्म हमें बचाता है, ५०

मजमूदार, परीक्षितलाल एल०, ३९, ५७, १५१, १९३, ३६६, ४६७

मण्डन मिश्र, —कर्मकाण्डी, ३१५ पा० टि०

मथुरादास त्रिकमजी, २२, २७, ३५, ४९, ५४, ७७, ८५, ८७-८, १४२, १६२, १६९, १७८, २३८, २९४, ३१८, ३३४, ४३५, ४५०

मदनमोहन, १४८, ४५०

मदर्स एसोसिएशन, मद्रास, ३७८

मद्यत्याग सघ, बंगलौर, ४७१

मद्यनिषेध, १३०, —के बिना हरिजनोकी शराबकी लत छुड़ाना असम्भव, ४७१-२

मद्यपान, —अधर्म-युक्त, २५५, —एक जघन्य पाप, ३५८, —और मजदूरोसे इसके त्यागका अनुरोध, ३८२, —और हरिजनोसे इसकी बान छुड़ानेका एकमात्र उपाय मद्यनिषेध, ४७१-२, —का परहेज हिन्दू-धर्मका एक अविभाज्य अंग, २८९; —के त्यागके लिए हरिजन बहनोसे अनुरोध, ३७९, ३८१, —के त्यागके लिए हरिजनोसे अनुरोध, ३८१, ३९७, ४०७, ४६३, ४७४

मद्रास एण्ड सदर्न मराठा रेलवे कर्मचारी सघ, ३८२ पा० टि०

मद्रास दलित वर्ग सघ, ३९१

मद्रास महाजन सर्भा, ३७१ पा० टि०

मद्रास मेल, ३९९, ४२२

मध्य प्रान्तीय हाई स्कूल बोर्ड, ९२

मन, —की चंचलता दूर करनेके लिए धैर्यपूर्वक प्रार्थना करना, १३५

मनु, ४२१

मनुष्य, —ईश्वरकी महानतम कृति, ५१४; —की त्रुटियोके पीछे ईश्वरका निमित्त है उसे प्रगतिके लिए प्रयत्नशील बनाना, ६९-७०

मनुस्मृति, ३१०

मन्दिर, —में आस्था, २०१

मन्दिर-प्रवेश, ६९, ९४, १३०, २५६, २६३, ३९७, ४०२, ४०५, ४३१, ४५४, ४९६, —के अधिकारी बननेकी शर्तें, २८९, —के बिना अस्पृश्यता-निवारण असम्भव, ३२८

मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन, —के पीछे मन्दिरों पर अधिकार करने या ब्राह्मण-धर्मको नष्ट करनेका कोई उद्देश्य नहीं, ४९१; —खत्म नहीं हो गया, ३

मन्दिर-प्रवेश-विधेयक, ६३, ९४, ११७, १३०, २५६-७, २६३-४, ३२०, ४०२, ४३१, ४७५, ४९०-१, —द्वारा धर्ममें किसी प्रकारका 'अनुचित' हस्तक्षेप नहीं, २०७

मराठे, नारायण शास्त्री, ९

मलकानी, एन० आर०, १९, ३०, ३६२, ३६४, ४२०, ४३५, ४४२, ४५०, ४७५, ४८७, ४९७, ५११

मलाबार, —अधर्म भूमि, ४८१, —अस्पृश्यताकी दृष्टिसे भारतका निकृष्टतम प्रान्त, ५०७, ५१३; —की लड़कियाँ, ससारकी सबसे सादगीवाली लड़कियाँ,



- ५०५; —की स्त्रियोंकी सादगी और तेजस्विता, ४८२; —शाश्वत हरीतिमा का देश, साथ ही कृत्रिमताका भी, ४९३
- मलाबार क्रिश्चियन कॉलेज, कालीकट, ५०९
- मलाबार व्यापार संघ, ५०६ पा० टि०
- मशरूवाला, किशोरलाल, ८१, १२०, १२२, १३७, १६६, १७२, १७७, २२८, २७१, ३१८, ३२५, ३३०, ३६२-३, ४१९-२०, ४३६, ४३८, ४४२, ४७६, ४७९, ४९९
- मशरूवाला, गोमती, १२०, १२२, १३७, १६६, १७२, १७७, ३२५, ४४२
- मशरूवाला, तारा, ३४
- मशरूवाला, नानाभाई इच्छाराम, ३४, २२८, ३२५, ४३८
- मशरूवाला, सुरेन्द्र, ४१९-२०, ४३५, ४३९
- मशीनरी; —के बड़े पैमानेपर उपयोगसे बेकारीमें बहुत वृद्धि, ९९
- महाभारत, ४९८
- महार, १९९, २५५, ३७३
- महालक्ष्मी, ४२४
- महेग, २१०
- माँग, १९९
- माणिकलाल, ६०
- माणिकलाल जेठालाल पुस्तकालय, १५
- माता-पिता; —बच्चोका मार्ग-दर्शन करनेके साथ-साथ उन्हें स्वतन्त्रता भी दे, १२७
- मातृभूमि, ३५, ५०९ पा० टि०
- मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, ४३२
- मारवाड़ी संघ, १८२
- मारवाड़ियों; —द्वारा असमके चाय-बागानों के कुलियोका शोषण, ३३९
- मार्सति, ४४६
- मालवीय, मदनमोहन, ९, ८०, ९४, १००, १०२-३, २०८, २४९, २६३, ३०४, ३३८
- मालवीय, राधाकान्त, ४४२
- मालाएँ, —फूलोंकी नहीं बल्कि हाथ-कने सूतकी भेट की जाये, ३८३
- मानो, देखिए देसाई, सुदर्शन
- मिदनापुर; —के मजिस्ट्रेटकी हत्याकी भर्त्सना के सम्बन्धमें वक्तव्य, ३६-७, ८८-९
- मिल-कपडा, ३७२
- मीरा, —सन्त कवयित्री, ३६४
- मीराबहन, २२, २६, २९, ३६-८, ५१, ६६, ८२, ८५, १२०, १३७, १४६, १५८, १९७, २०९, २३२, २४४-५, २७४, २८६, २९६, ३०८, ३१६, ३५०, ३५३, ३६५, ४१५-६, ४३५, ४३७, ४७९, ४८६, ४९७
- मूंजे, डॉ० बी० एस०, ४०१
- मुत्तल तिरुनेल्ली हरिजन बस्ती, ५११ पा० टि०
- मुन्नालाल, १६०
- मुन्गी, क० भा०, ४१९, ४७८, ४८०
- मुर्दार मांस-भक्षण; —प्रत्येक धर्ममें निषिद्ध, २८९; —सभ्य समाजमें घृणास्पद, ४७४, —हरिजनोको त्याग देना चाहिए, ४०७
- मुलर, ६१
- मुसलमान, १९८, २०५, २१३, २२९ पा० टि०, २४८, २५३-४, २६२-३, २९२, ३११, ३४१-३, ३९०, ४०१, ५००; —[ ]के लिए भी पृथक् मतदान हानिकर, ३४२
- मृत्यु; —कभी न छोड़ा देनेवाला एक मित्र, १५८; —कोई भयानक चीज नहीं, २३५
- मेनन, एस्थर, ३५३, ५१६ पा० टि०
- मेनन, तगई, ५१६
- मेनन, नान, ५१६
- मेनन, बालकृष्ण, ५०३
- 'मेरे लिए एक कदम ही काफी है', १५२

मेहता, कल्याणजी वी०, ३६९, ४२४  
 मेहता, कुंवरजी, ३६९, ४७८  
 मेहता, छगनलाल, ३३ पा० टि०  
 मेहता, छोटूभाई के०, ३६९, ४२४, ४७८  
 मेहता, जमशेद, २१६  
 मेहता, डाँ० जीवराज, ३१८, ४७८  
 मेहता, डाँ० दिनगा, २९  
 मेहता, नरसिंह, ३९८  
 मेहता, डाँ० प्राणजीवनदास, २७ पा० टि०,  
 ३३ पा० टि०  
 मेहता, बवलभाई, ५९  
 मेहता, भगवानजी अनूपचन्द, ३३  
 मेहता, सर मनुभाई, १६१ पा० टि०  
 मेहता, रतिलाल, २७२  
 मैक्सवेल, क्लिफर्ड, ५००  
 मैनचेस्टर गार्जियन, १५५-६  
 मैमूर; —के महाराजा, ४६४-५, ४७०,  
 ४७३  
 मोदी, ताराबहन आर०, १०६, २३२-३,  
 ४१४  
 मोदी, रमणीकलाल, २३२-३, ४१४  
 मोरारजी, शान्तिकुमार, ४७९  
 मुहम्मद, जमाल, ३७१, ३७३  
 मौन; —ही जोर देकर सत्य न कह सकने  
 की स्थितिमें एक मात्र विकल्प है, ३७

य

यंग, ८४  
 यज्ञ; —सबसे बड़ा, गरीबों और जरूरतमन्दों  
 की सेवा ही करना, ४५२; —हर कोई  
 परोपकारी कार्य, ४७६-७  
 यम-नियम, १६३  
 यरवडा-समझौता, २७ पा० टि०, १३१  
 पा० टि०; —[ति] में हरिजनोंको हानि  
 पहुँचानेवाला संशोधन नहीं किया  
 जायेगा, ३  
 यहूदी, २६२

योग, २३९  
 योगसूत्र, —पतंजलिका, १३४  
 . र  
 रचनात्मक-कार्य; —करनेके लिए योग्यता  
 प्राप्त करनेकी आवश्यकता, ८; देखिए  
 समाज-सेवा, ग्राम-सेवक भी  
 रणछोड़भाई, १७, २९, १९६, ३१६, ४३८  
 रतिलाल सेठ, ३३  
 रमय्या, के० एच० ४६९  
 रमा (रणछोडलाल सेठकी पुत्री), ४३८  
 रसिकलाल, १५, १८  
 रस्किन, ५९  
 राघवदास, बाबा, ७६, १७५  
 राघवय्या, वी०, ३१  
 राजगोपालाचारी, च०, ८१, ११७, १३०,  
 १४५, १६०, २०८, ३६३, ४१८, ४४१,  
 ५०७, ५१६, ५१८  
 राजा, राव बहादुर एम० सी०, ६३-४, २६३  
 राजावावू, देखिए हठीसिंह, गुणोत्तम  
 राजेन्द्रप्रसाद, १७८, ३३६, ३६५, ४६१  
 राजेन्द्र सिंह, ३१४  
 राजेश्वर, ३३५, ३६५, ४६०  
 रावेस्वर शास्त्री, ४८७ पा० टि०  
 राम, १४७, ४४७, ५१७  
 रामकृष्ण, ६१  
 रामगीता, ७६  
 रामदास, समर्थ, १९८  
 रामदेवजी, २०२  
 रामधुन, ४३३, ५१८  
 रामनाथ 'सुमन', १४५, १६७, १९७, २३२,  
 ३६५  
 रामनाथ, ६, ७१, १९०, २२८, २९८, ३५७,  
 ३६२-६६, ४१४, ४६६; —और स्वप्न-  
 दोष, १९०; —निर्दोष और निर्गोपी  
 व्यक्तिके लिए नहीं बरन् पापी और  
 व्याधिग्रस्त मनुष्योंके लिए, ३९

रामवावू, ४६३  
 रामायण, १०६, ४२६, ४३५, ४७६, ४९८  
 रामेश्वरदास, २९ पा० टि०  
 राय, डॉ० प्रफुल्लचन्द्र, ४७१  
 राय, डॉ० विद्यानचन्द्र, ३२, ५८, ८५,  
 १५१, १५८, ४४५, ४७८

राय, मोतीलाल, १५८  
 रायजी, जयश्री, ५३, ९०, १६१  
 रायटर, १०५  
 राव, २८  
 राव, ए० कालेश्वर, ३५७  
 राव, कोदण्ड, ७७, १०७  
 राव, पुन्ना, ४०५  
 राव, पूवदा मृत्युंजय, ४०८  
 राव, बी० पी० माधव, ४७३, ४७८  
 राव, मुन्वा, ४७८

रावण, ९९  
 राष्ट्रीय वॉय स्काउट्स, देखिए स्काउट  
 रुस्तमजी, पारसी, ४१८ पा० टि०  
 रूसो, ४९५  
 रेड इंडियन, १०८  
 रेड्डी, डॉ० मुत्तुलक्ष्मी, ३७४

### ल

लक्ष्मण शास्त्री, देखिए जोगी, लक्ष्मण शास्त्री  
 लक्ष्मी (दूधाभाईकी पुत्री), ४४६  
 लक्ष्मी, १०६, १८३; देखिए गांधी, लक्ष्मी  
 भी  
 लक्ष्मीवहन, १११, ४२०  
 लड़कियाँ, —मलावारकी, संसार भरमें सबसे  
 सीधी-सादी, ५०५  
 ललिता, ४२०, ४७६  
 लाजपतराय, ४२५  
 लालचन्द्र, लाला, १०६ पा० टि०  
 लालनाथ, स्वामी, २५९-६१  
 लाहिड़ी, २२४  
 लाहिड़ी, श्रीमती, १५१

लियोनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज, जवलपुर,  
 ३२०

लीलावती, ४४४  
 लेनिन, ४९५

### व

वकील, २९  
 वधेला, कीकामाई एल०, २५०  
 वर्णधर्म, १९८, २७१; —एक महान् आर्थिक  
 व्यवस्था, न कि अस्पृश्यताकी एक  
 श्रेणीवद्ध प्रणाली, ३६०; —और  
 जैनधर्म, ७१; —और वर्णान्तर-विवाह,  
 ७०; —का मुख्य लक्षण है व्यक्तिका  
 धन्वा, ४४८; —मविष्यका व्यापक  
 होगा, ४९-५१

वर्णव्यवस्था. ६७ पा० टि०  
 वर्णाश्रम, —और अन्तर्जातीय-विवाह. १११  
 वर्णाश्रम स्वराज्य संघ. देखिए अखिल  
 भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ  
 वाडीलाल अस्पताल, १७  
 वाल्मीकि आश्रम, रामचन्द्रपुरम्, ४१०  
 विचार; —बुरे, और इनके साथ मानसिक  
 असहयोग, २००

विजयागौरी, देखिए नन्दुवहन  
 विट्टलभाई श्राद्ध समिति, १९५  
 विनोद, १२४  
 विमला, देखिए एलिजाबेथ  
 विरोचन, १६२  
 विर्लिंडन, लॉर्ड, ४६९  
 विवाह, —एक प्रकारका पुनर्जन्म, ६५;  
 —संयमके लिए, १११

विश्वनाथ, २३२, ४९७  
 विश्वमित्र, १४७ पा० टि०  
 वीणा, ८४  
 वुड, श्रीमती, ४५३  
 वेंकटकृष्णय्या, —मैसूरके पितामहरूप महा-  
 पुरुषको श्रद्धांजलि, ४६४

वेकटप्यैया, कौण्डा, ३६२, ४०४ पा० टि०  
 वेकट सुब्बैया, वी०, ३९१ पा० टि०  
 वेद, ३५४-५, ३८७, ४२६, ४९१-३;  
 -अनिर्वचनीय और अलिखित रूपमें  
 हमारे हृदयमे ही वास करते हैं, ३५५  
 वेलाबहन, ४४४  
 वेस्ट, ए० एच०, ४९८  
 वैद्य, गंगाबहन, ५१९  
 व्यक्ति-कर, -नेटालमे, ३९६  
 व्यापार; -मे असत्य नहीं चल सकता, ३८८  
 व्रजलाल, ३१४  
 व्रत, -एकादश, १६६, -लेनेसे पहले  
 विचारणीय बातें, १३३-४

श

शंकर, सुधारवादी, ३१५ पा० टि०  
 शंकरभाई, ३६२  
 शम्भु शास्त्री, ३५६  
 शरीर-श्रम, १६६  
 शर्मा, ४९७  
 शर्मा, डॉ० हीरालाल, ९०, ४५०  
 शर्मा, डी० एन०, ३३९  
 शॉ, बर्नार्ड, ५००  
 शान्ता, ४२०, ४७६  
 शान्ति, ३२५, ४९७  
 शान्तिनिकेतन, १८९  
 शारदा मन्दिर, १७३  
 शालीनता, -लडकियोंके लिए सबसे अच्छा  
 रक्षा-कवच, १२८  
 शास्त्री, आर० वी०, ४१६  
 शाह, चिमनलाल, ४०, ४१  
 शाह, जीवनलाल मोतीचन्द, २८  
 शाह, मणिभाई चतुरभाई, १३ पा० टि०  
 शाह, शारदाबहन, २६, ४१, ५१, ८६,  
 ११२, १२२-३, १३६, १७३, ३६७,  
 ४४३  
 शाह, सुलोचना अ०, ५२०

शास्त्री, आर० वी०, २७, ८५, ११३, १५२,  
 ३९१ पा० टि०, ४८६  
 शास्त्री, श्रीमती आर० वी०, १५२  
 शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, ४१९  
 शिक्षक, -चरित्रवान हो, ३०७, -विद्या-  
 थियोंके प्रति अपने पूरे कर्तव्य-पालन  
 के निमित्त दैनिक पाठको पहले से  
 तैयार कर रखे, ३०६, -[१]को  
 हरिजनोकी प्रारम्भिक शिक्षा-स्तरके  
 लिए कुछ सुझाव, २१०-१  
 शिक्षा, -का अर्थ बच्चोंके मस्तिष्कमे अवा-  
 छित जानकारी ठूसना नहीं है, ३०६,  
 -का सार-तत्त्व है निर्धनतमकी पीडा  
 समझनेकी कला सीख लेना, ३००;  
 -की प्रणाली, प्रारम्भिक स्तरपर,  
 २१९-२०, -बच्चोंकी, और इसका  
 आरम्भ रेखागणितकी आकृतियों खींचने  
 से, ४९८, -मजदूरोंको भी मिलनी  
 चाहिए, १०३, -सम्प्रदायवादी, और  
 इससे हृदयकी शुद्धता और प्रेम अधिक  
 महत्त्वपूर्ण, २५४, -हरिजन बच्चोंकी,  
 ३९५, -हृदय-सम्बन्धी, बौद्धिकसे  
 अधिक महत्त्वपूर्ण, ७२

शिव, २५४

शिवप्रसाद, ४५०

शीला, ८७

शुक्ल, चन्द्रशंकर, ५ पा० टि०, ६ पा० टि०,  
 २२, २६-७, ५६, ७९ पा० टि०,  
 ८२, ८५, ९९ पा० टि०, १२०, १२८  
 पा० टि०, १३७, १४५-६, १५७,  
 १७९ पा० टि०, १९७, १९९ पा०  
 टि०, २०८ पा० टि०, २०९, २१५  
 पा० टि०, २३२, २३४, २४१, २७२,  
 २७८ पा० टि०, २८६, २९६, ३१९,  
 ४१७, ४२०, ४३५, ४४७ पा० टि०,  
 ४५२ पा० टि०, ४६६ पा० टि०,

४७४ पा० टि०, ४७६, ४९३ पा०  
टि०, ४९७

शुक्ल, रविशंकर, २९९

शुद्ध धादी भण्डार, कलकत्ता, ७६ पा० टि०

शुद्धि, -१७४

शुद्धि-कार्य, २५२

शुद्धियज्ञ, २८७, ३४४, ३५७

शेट्टी, नारायण, ४५४ पा० टि०

शौकतअली, ३४१

श्यामलाल, लाला, ८४

श्रद्धानन्द, स्वामी, २, ३४४

श्रद्धानन्द कालोनी, दिल्ली, ३४४

श्रम, -एकता पैदा करनेका जवदस्त  
साधन और एक महान् समता-स्थापक  
शक्ति, २९२; -और पूंजीका वैषम्य  
अस्पृश्यता-निवारणसे मिट जायेगा,  
३११; -का गौरव, २९१; -के  
मामलेमे हरिजन तथा अन्य लोगोमें  
कोई भेद नहीं, ३८२

श्रमजीवी; -और पूंजीपति, १४

श्रीनिवासन्, आर०, ३९१-३, ३९५

श्रीमन्नारायण, २९५ पा० टि०

श्रीवास्तव, ५९

## स

संस्कृत; -का अध्ययन बुद्धके उपदेशोको  
समझनेके लिए अत्यावश्यक, ५८; -का  
पुट सभी भारतीय भाषाओंमे व्याप्त,  
३९०; -के लिए धन किस प्रकार  
एकत्र किया जाये, ६१-२

सतकौडी वावू, १५८

सतनामी हरिजन; -की नाइयो और घोवियों  
द्वारा सेवा न होना बर्बरता है, २९०

सत्य, ७, ३६, ५५, ७१, १०९, १३५,

१६३, १६६, २०५, २२५, २४७,

२६३, ३१२, ३१६, ३८७, ४६६;

-और सनातन-धर्म, २८८; -का प्रयोग

व्यापारमें भी, ३८८, -का शोषक ही  
विपरीत व्याख्याओकी समस्यापर अन्तिम  
निर्णायक हो सकता है, ३५५; -की  
खोजके लिए मूल शर्तें, १६३; -की  
ही कविता और कलामे अभिव्यक्ति  
होनी चाहिए, चाटुकारिताकी नहीं,  
३५५; -तथा अन्तर्नाद, १९१; -यदि  
जोरदार ढंगसे न कहा जा सके तो  
चुप रहना ही एकमात्र विकल्प है, ३७

सत्याग्रह, २५, १७०, २५९, २६१; -हरि-  
जनों द्वारा अपने लिए सार्वजनिक कुएँ  
खुलवानेके निमित्त, ४; -का लक्ष्य है  
व्यक्तिके समाज और कुटुम्बके प्रति  
धर्मके वैषम्यको दूर करना, २७५  
सत्याग्रह आन्दोलन; -और काले ब्रण्डे,  
२६३

सत्याग्रह आश्रम, सावरमती; -का हरिजनोको  
अर्पित किया जाना, ६८, ७३, ८७,  
१३२

सत्याग्रही, ८७, १७६ पा० टि०, २६०,  
२६३; -अपनी सुविधाकी खातिर  
सत्याग्रहका स्थान नहीं चुन सकता,  
१७०

सत्येम्बर, १६३; -की प्राप्तिका एकमात्र  
सीधा और सबसे छोटा रास्ता अहिंसा  
है, १६४

सदर्न इंडिया चेम्बर ऑफ कॉमर्स, ३७१  
सदर्न इंडिया वैश्य एसोसिएशन, ३८८  
सनाढ्य, तोताराम, ५७, १५७, १६६,  
१७३, २८६, ३६९

सनातन-धर्म, २१९, २६१, ३३७, ४८७,  
४८९-९०; -का अर्थ है सनातन  
सत्य, २८८

सनातनधर्मी, ४९४

सतातनी, १०, ६३, ७१, ९२, ११२,  
१५२, १८५, २०५-६, २०८, २१९,  
२२५-६, २४२, २५६, २६१-३,

२९०, ३११, ३१५, ३२७, ३३७,  
३५४, ४०३, ४८१, ४८७ पा० टि०,  
४८९, ४९५-६, देखिए सवर्ण हिन्दू  
तथा हिन्दू भी  
सन्तरा, -खानेसे ताजगी और उत्फुल्लता  
आती है, ४५९  
समू, सर तेजबहादुर, ४७, १८८, २३१  
सभ्यता, -का पालन न करना धर्मको  
त्यागना है, २८८  
समदर्शी, -एक ऐसा ज्ञानी जिसके सम्मुख  
चीटी, हाथी, ब्राह्मण, शूद्र सब समान,  
३८८  
समाजवाद, ३९९  
समाज सेवा, -और घन-सचय, २२, -के  
लिए प्रशिक्षण आवश्यक, ८, देखिए  
रचनात्मक-कार्य और ग्राम-सेवक भी  
समानता, -का अर्थ न्याय ही है, १०९  
सम्पत, जेठालाल गोविन्दजी, ३०८, ३१३,  
३४६  
सरकार, सर एन० एन०, ४०१  
सरस्वती, ३८  
सरूप, देखिए पण्डित, विजयलक्ष्मी  
सरोजिनी देवी, ५१  
सवर्ण हिन्दू, ९, ३०, ४२, ६८, ७३, ८०,  
११८, १२८-९, १८२, १८५,  
१९३, १९८, २०३, २११, २१८,  
२२५, २४०, २४६-९, २५७, २६४,  
२७९, २८१, २९०-१, ३०४, ३२१,  
३२७-३०, ३३८, ३४३, ३५०,  
३५५, ३५७, ३५९, ३६१, ३७९-८०,  
३९२-५, ३९७, ३९८ पा० टि०,  
४०१, ४०५, ४०९, ४११-२,  
४२७, ४२९, ४५१, ४६५, ४७३-४,  
४९०, ५००, ५०२-३, ५१३-४,  
-हरिजनको अपनी जूठन देना छोड़  
दे, २८९, -हरिजनको अपने घरमें  
नौकर रख ले, २, -[दुओं]की बुरी

आदतोकी हरिजनको नकल नहीं  
करनी चाहिए, ४०७, -द्वारा हरिजनो  
का बहिष्कार, २, देखिए सनातनी  
हिन्दू भी  
सविनय अवज्ञा, १२३, १७५, २३६, ३६०,  
४८०, -और हरिजन सेवा, २८०-२  
सविनय अवज्ञा आन्दोलन, १०१, २३१, ३९४  
सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली, २०९  
सहकर्मियो, -को भूले करनेसे बचानेके  
निमित्त उन्हें मीठी झिडकी, ७४  
सहकारिता आन्दोलन, -किसानोके लिए  
एक वरदान, ४६९  
सहजानन्द, स्वामी, ३९१ पा० टि०  
सहभोज, -सार्वत्रिक रूपसे अनिवार्य नहीं,  
किन्तु एक वाछनीय और अवश्यम्भावी  
सामाजिक-सुधार, २८३  
सह-शिक्षा, १२८  
सहानी, १४२  
सहाय, सीतला, ५१ पा० टि०  
सहोदर सघम्, कलपेट्टा, ५११ पा० टि०  
सामलदास, सर लल्लुभाई, १९  
साम्प्रदायिक एकता, ३४३, -की दिशामे  
अस्पृश्यता-निवारण एक बड़ा कदम,  
२९२-ई, ३११, -देखिए हिन्दू-मुस्लिम  
एकता भी  
साम्प्रदायिक झगडे, -का मुख्य और निर्ण-  
यात्मक कारण है अस्पृश्यता, ५०१  
साम्प्रदायिक निर्णय, १२८-९  
साम्बमूर्ति, बुलुसु, ४१० पा० टि०  
साम्बमूर्ति, वी०, ४११ पा० टि०  
साराभाई, अनसूयाबहन, २८, १७३  
साराभाई, मृदुला, ८१, १४६, १५९, १६६,  
२०९, ५१८  
साराभाई, सरलादेवी, २०९  
सालपेकरजी, २३९  
साहू, ८९  
सिरियस, २७

सीता, १४७, ४५२  
 सीतारामैया, डॉ० पट्टाभि, १५९, ३५७  
 सुन्दरजीभाई, ४४६  
 सुब्रह्मण्यम्, टी०, ४५४ पा० टि०  
 सुमित्रा, ३२३  
 सुरेन्द्र, १०६, १४६, १६५, १७२, २३१-२,  
 ३१९, ३६३  
 सुगीला, २९६  
 सेठजी, १९८  
 सेन, डॉ०, ३६८  
 सेरेसोल, पियरे, ४८६  
 सेलेबशन्स फ्रॉम गांधी, २६ पा० टि०  
 सेवा; —के मार्गपर चलनेके लिए निजी  
 धर्मका त्याग अपेक्षित, ३३५; —के  
 मोहका त्याग, १९०; —मे स्वार्थ-भाव  
 को कोई स्थान नहीं, ४३६-७; —संकट-  
 ग्रस्त व्यक्तिकी, और इसे करनेके  
 लिए किसी पूर्व-प्रशिक्षणकी आवश्यकता  
 नहीं, ९६; —हमारा धर्म है, ४४७  
 सोमण, रामचन्द्र जे०, २७२, ४५१ पा० टि०  
 सोमण, जानकीबाई, ४५१  
 सोमनजी, ३३६  
 सोराबजी, ४१८  
 स्काउट [ १ ]; —की प्रशंसा, ३१२  
 स्त्रियाँ; —और कताई, ५; —[यो] के लिए  
 हृदयकी शुद्धता और आत्माका सौन्दर्य  
 ही वास्तविक भूषण, ४५२; —मलाबार  
 की और उनकी सादगी और तेजस्विता,  
 ४८२; —को अपने प्रति किये गये  
 अन्यायोंको भूल जानेकी उदारताका  
 विशिष्ट गौरव प्राप्त है, २६६  
 स्पीगल, मार्गरेट, ४, २७, ३८, १०६, १५९,  
 २२९, २८४, २९३, ३०९, ३१४,  
 ३२३, ३५२, ४१३, ४३४, ५१७  
 स्पृश्य; —प्रत्येक मनुष्य है, १६६  
 स्मरण; —जितना ही विस्मरणका भी महत्त्व,  
 ६६

स्मृतियाँ, ३५४  
 स्वदेशी, १६६, ३७१; —खादी सभी धन्धो  
 का केन्द्रबिन्दु, २७८  
 स्वयंसेवकों; —को निर्देश, ३४९-५०  
 स्वराज्य, २११, ३४०; —अस्पृश्यता-निवा-  
 रणके बिना असम्भव, ६८  
 स्वराज्य दल, ४८० पा० टि०  
 स्वराज्य भवन, १६८, २२४  
 स्वामिनाथन, ३७८

## ह

हठीसिंह, कृष्णा, २१, २५, २८, ५७, ६४,  
 ८१, ११०, १३९, १४८, २३१,  
 ४२४  
 हठीसिंह, गुणोत्तम, २१, २८, ६४, ८१,  
 ११०, १३९  
 हठीसिंह, श्रीमती, २१, २८, ११०  
 हवशी, ९३  
 हरकरे, द्वारकानाथ, १२१, २३९  
 हरखचन्द मोतीचन्द, २८, १२५, १८३,  
 २२७, २५१, ३१७, ४३२  
 हरि, भगवान, ३०८  
 हरिजन, ३, २७, ५३, ८५, ९१, ९४-६,  
 ११०, ११३, ११८, १२९-३०, १५२,  
 १७६, १८१, २१४, २२६ पा० टि०,  
 २२९, २३८, २४२, २४९ पा० टि०,  
 २७३, २९० पा० टि०, २९१ पा०  
 टि०, ३०४ पा० टि०, ३५०, ३६१  
 पा० टि०, ३९१ पा० टि०, ४३८,  
 ४४९ पा० टि०, ४६७, ४७९, ४८६,  
 ४९२, ४९९, ५२०; —का पूनासे  
 मद्रास स्थानान्तरण, १५२; —बंगला,  
 ४४६; —'मित्रोके नाम मेरा साप्ताहिक  
 पत्र', ३५३  
 हरिजन, ९, २४, ३०-१, ४४, ४७, ५०,  
 ५९, ६२-३, ६८, ७१, ७३, ८०,  
 ८७, ९२, १०८, ११७-९, १२८-३०,

१३२-३, १५०, १५७, १८२-३,  
 १९० पा० टि०, १९३, १९८,  
 २०२-३, २०७-८, २११, २१३-४,  
 २१८, २२२, २२६, २३९, २४६-  
 ९, २५४-६, २५८, २६३-५, २७२,  
 २७७-९, २८३, २८७-८, ३०१,  
 ३०५, ३०९-११, ३१३, ३१७,  
 ३२१, ३२६-३०, ३३७-९, ३४४, ३४७-  
 ८, ३५०, ३५५-८, ३६१, ३६६, ३७२-  
 ७३, ३७६, ३८०, ३८६, ३९२-५,  
 ४०५, ४०९-१०, ४१२-१३, ४२५-३२,  
 ४४९, ४५१, ४५५-७, ४५९, ४६३-५,  
 ४६९, ४७३-५, ४८४, ४९०, ५०१-३,  
 ५०५-७, ५१२-३, ५१५, —और  
 खादी, १५४-६, —और चमड़ा कमाना,  
 १८६, —और सविनय प्रतिरोध, २७०-  
 २, —और स्कूल तथा कॉलेजोका बहि-  
 ष्कार, १६; —दक्षिणके, वहाँकी प्राचीन-  
 सभ्यताके प्रतीक, ६४, —नामका उद्भव,  
 ३३०, ३९८; —मजदूरोके साथ दूसरे  
 मजदूरोकी तुलनामे सौतेला बतवि, २९१-  
 २; —विद्यार्थियोके स्कूलोकी व्यवस्थामे  
 आनेवाली कठिनाइयाँ, २१९-२०,  
 —समाजके सबसे उपयोगी सेवक, ३४५;  
 —[ १ ]का सवर्ण हिन्दुओके घरामे नौकर  
 रखा जाना, १-२, —की अस्पृश्यता-  
 निवारण आन्दोलनमे भूमिका, २; —की  
 आर्थिक समस्याओका समाधान है चरखा,  
 ९९; —की दिल्लीकी बस्तियोमे गन्दगी  
 और घिनौनापन, ३४१; —की शराब  
 छुडानेका एकमात्र उपाय मद्यनिषेध,  
 ४७१-२, —की शिक्षा, ३९५, —की  
 सेवा करनेका बाँय स्काउटोसे अनुरोध,  
 ३१२; —के उद्धारका कार्य कोई  
 गांधीवादी सिद्धान्त नहीं बल्कि सवका  
 कर्तव्य है, ३५९; —के प्रति क्रूरता  
 की दो कथाएँ, १८५-६; —के लिए

एकत्र की गई राशिके सम्बन्धमे उनकी  
 आशका, ३२८-९, —के लिए एकत्रित  
 चन्देका उपयोग, ३३८-९, —के लिए  
 खोले गये मन्दिरोका दोबारा बन्द हो  
 जाना, ३; —के लिए नये स्कूल, कुएँ  
 इत्यादि बनानेका उद्देश्य उन्हें अस्पृश्य  
 बनाये रखना नहीं है, ३४३, —के  
 लिए पृथक् मतदानकी व्यवस्था करना  
 उन्हें राष्ट्र-विरोधी बनाना है, ३४२,  
 —के लिए सेलूमे मन्दिरका उद्घाटन,  
 २०१, —के लिए स्वयं मताधिकार  
 शिक्षा बन जायेगा, १३१, —को  
 नाइयो, धोवियो और डाक्टरोकी  
 सेवा मिलनेमे कोई धार्मिक हेयता नहीं,  
 २८९-९०; —को मद्यपान त्यागना  
 चाहिए, ३९७, —को सवर्ण हिन्दुओकी  
 बुरी आदतोसे बचना चाहिए, ४०७,  
 —को सार्वजनिक सुविधाओ और मन्दिरो  
 की आध्यात्मिक शान्तिसे वचित रखना  
 उनके प्रति भारी अन्याय, २८३, —द्वारा  
 मन्दिर-प्रवेशके अधिकारी बननेके लिए  
 शर्तोका पालन, २८९-९१, —से  
 सफाईके मूल नियमोके पालनका तथा  
 बुरी आदते त्याग देनेका आग्रह, ३७९,  
 ३८१

हरिजन आन्दोलन, २४२, ३७५, ४००-२,  
 —मे साम्प्रदायिक झुकाव नहीं, ४०१  
 हरिजन आयुर्वेदिक कुटीरम् थल्लपलम्, ४०६  
 हरिजन आश्रम, गोधरा, ४६१ पा० टि०  
 हरिजन-कार्य/सेवा, ७२, ७९, ११७, १४७,  
 १५०, १५२, १६६, १८६, १९२, २३४,  
 २३८-९, २४८, २५३, २५५, २५७,  
 २६५, २७३, २९६, ३०८, ३१४, ३१७,  
 ३२७, ३३७, ३४८, ३५०, ३५७,  
 ३६०, ३९४, ४२७, ४७२, ४७८,  
 ५०८-९, ५१२-३; —ईश्वरकी सेवा,  
 २६४-५, —और छात्रवर्ग, ३१३-४,



—का सही-सही विवरण देनेके सुझाव, ६१-३; —की विस्तार-सीमा, ९५-६;  
 —के मामलेमें शहरोंकी तुलनामें गाँवोंकी  
 अपेक्षा, १; —के लिए मलावारी कन्या  
 कामुदीका त्याग, ५०४-५; —के सम्बन्ध  
 में मालाएँ, ३८३; —के सेवकोंके मनकी  
 पवित्रता ही करोड़ोंका हृदय-परिवर्तन  
 कर सकती है, ७५; —कोई गांधीवादी  
 सिद्धान्त नहीं बल्कि सबका कर्तव्य,  
 ३५९, —मूलभूत रूपसे एक धार्मिक  
 कार्य है, २०४; —' मैं अपने जीवनकी  
 आखिरी घड़ीतक करता रहूँगा', ६  
 हरिजन छात्र [०]; —के लिए छात्रवृत्तियाँ,  
 ३९५  
 हरिजन निवास, ५९, १२०, ३६४  
 हरिजन बच्चों; —की शिक्षा, ३०६-७  
 हरिजनबन्धु, ६ पा० टि०, २२ पा० टि०,  
 ५५, ७५, १८१ पा० टि०, १९३,  
 २३३, २६८, ३३४, ४१५, ४४६,  
 ४५८ पा० टि०, ४६०-१  
 हरिजन बहने [नो]; —से स्वच्छताके मूल  
 नियमोंका पालन करने और बुरी आदतें  
 छोड़ देनेका अनुरोध, ३७९, ३८१  
 हरिजन बाल आश्रम, अहमदाबाद, १७३  
 हरिजन युवक संघ, कालीकट, ५०६ पा० टि०  
 हरिजन सेवक, ११३, ४३२  
 हरिजन सेवक, १३२, २६१, २९४; —गाँवोंमें  
 जाकर बसना पसन्द नहीं करते, १;  
 —[०]का कर्तव्य, २८२-४; —के गुण;  
 ९; —को विशेष आत्मशुद्धि करनी  
 चाहिए, १०; देखिए रचनात्मक कार्य,  
 समाज सेवा  
 हरिजन सेवक संघ, ४४, ४९, ७३, ९६,  
 १३३, १५०, १६१, १८६, २०६,  
 २८०, २८२-३, ३२१, ३३८-९, ३९५;  
 —के मद्रास प्रांतीय बोर्डका प्रति-  
 निधि-मण्डल, ३९१-८; —को सलाह

दनेके लिए अखिल भारतीय हरिजन-  
 परामर्शदाता-मण्डल, ३; देखिए  
 अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ भी  
 हरिजी, देखिए कुजूर, हृदयनाथ  
 हरिप्रसाद, १६६, १७३, २८६, ३६९  
 हरिभाऊ, १९७  
 हॉयलैंड, जे० एस०, ३५३  
 हार्डिकर, एन० एस०, ८३  
 हाली, २० पा० टि०  
 हिंगोरानी, आनन्द तो०, १३८, १६४,  
 १७०, १७४, १९३, २७०, २९८, ४४०  
 हिंगोरानी, गंगा तो०, १३३  
 हिंगोरानी, तोताराम, १७०, १९३, ४२१  
 हिंगोरानी, महादेव, १३८, १६५, १९४  
 २७०, २९८, ४४०  
 हिंगोरानी, विद्या आनन्द, १३८, १६५, १७०-  
 ७२, १९३-४, २२९, २७०, २९८,  
 ३१०, ३१९, ३३३, ३३५, ४२१,  
 ४४०, ४५१, ४६१  
 हिंसा; —नितान्त अनिवार्य, जो शरीरके  
 रक्षण-पोषण-के लिए की जाती है पाप  
 नहीं है, १६४  
 हिटलर, १५६, ४८६  
 हितवाद, २११ पा० टि०, २१२ पा० टि०,  
 २७७ पा० टि०  
 हिन्दी; —और दक्षिणकी शिक्षित बहनोंसे  
 इसे सीख लेनेका आग्रह, ३७५; —का  
 दक्षिणमें प्रचार, ३८९-९०; —की ओर  
 छात्रगण अंग्रेजीकी अपेक्षा अधिक ध्यान  
 दे, २०४; —की दक्षिणके छात्रों द्वारा  
 अवहेलना देशसेवामें बाधक, ३७७;  
 —के प्रचारके लिए अपील, ३५८;  
 —भाषाके प्रति मेरे पागल प्रेमके पीछे ठोस  
 कारण, २९९; देखिए हिन्दुस्तानी भी  
 हिन्दी-प्रेमी मण्डली, रामचन्द्रपुरम्, ४१०  
 (द) हिन्दुस्तान टाइम्स, १९, ३४५ पा० टि०,  
 ३९९ पा० टि०

हिन्दुस्तानी; -मजदूरोसे इसे सीखनेका  
आग्रह, ३८२, देखिए हिन्दी भी

हिन्दुस्तानी सेवा दल, ८३ पा० टि०

हिन्दू, ३०, ११४ पा० टि०, ३५६ पा० टि०,  
३५९, ४११, ४२५ पा० टि०, ४२७  
पा० टि०, ४६९ पा० टि०, ४९१  
पा० टि०, ५१६

हिन्दू, २०, ४२, ६८, ८०, १२८-९,  
१८५, १९८, २०४-७, २११-२,  
२२५-६, २२९, २४८, २५३, २५५,  
२५७, २६२-३, २८२, २८८, २९०,  
२९२, ३०१, ३०४-५, ३११, ३२७,  
३३०, ३४१-२, ३४४-५, ३५६,  
३५८, ३६१, ३८२, ३९०, ४०१,  
४०७, ४२६, ४२८, ४३०, ४३३,  
४५७, ४६५, ४७३, ४८७-८, ४९०,  
४९३, ४९५-६, ५००-२, ५१३ पा०  
टि०, ५१४, -और गौतम बुद्ध, ५८;  
-[दुओ]के लिए अस्पृश्यता-निवारण एक  
शुद्धियज्ञ, ३८८, -के लिए गोमांस-भक्षण  
का परहेज एक अनिवार्य शर्त, २७९,  
४७४, -को अस्पृश्यता रूपी दानवका  
नाश करनेके लिए सारी शक्ति लगानी  
होगी, ६४; -द्वारा मन्दिर-प्रवेशके  
सच्चे अधिकारी होनेके लिए शर्तोंका  
पालन, २८९-९१

हिन्दू, देखिए सवर्ण हिन्दू, सनातनी भी

हिन्दू कालेज, दिल्ली, ३४० पा० टि०

हिन्दू-धर्म, ७२, ७९, ८०, ९५, ९८, १०६,  
११७, १२८-९, १९८, २११, २२६,  
२४८-९, २५३, २५८, २६१-४, २७७,  
२८१-३, २८८, २९२, ३११, ३२०-१,  
३२७, ३३७-८, ३४३, ३५५, ३५७-  
५९, ३६१, ३८०, ३९९, ४०१-२,

४०५, ४०८-९, ४११, ४२५-६, ४३०,  
४५१, ४५५, ४६५, ४८२, ४८८-९,  
४९५, ५१६; -और अस्पृश्यता, २०२,  
२०५-६, २१२-३, २१५, -और उप-  
वास, १३०; -और बौद्ध-धर्म, ५८;  
-और हिन्दू-संस्कृतिके उदात्त तत्व इसी  
देशकी उपज, ६४; -का अनिवार्य  
अंग है मद्यपानका त्याग, २८८, -का  
अन्त अस्पृश्यताका निवारण न होनेकी  
स्थितिमें, ६८, -का अभिन्न अंग,  
गोपूजन, ४७४, -का आधार-स्तम्भ  
है ब्राह्मण, ४९१, -का सबसे बड़ा  
कलंक है अस्पृश्यता, ३७४-५; -को  
जीवित रखनेके लिए अस्पृश्यता-निवा-  
रण अनिवार्य, ३४४, -प्राणिमात्रको  
एक माननेकी शिक्षा देता है, ३०१

हिन्दू महासभा, १७४, ३०२, ४०१

हिन्दू-मुस्लिम एकता, २५३, ३२६; -के  
लिए गाधीजीके प्रयत्न, कार्य-साधकता  
नहीं बल्कि नैतिकताका विषय है, २९२-  
३, देखिए साम्प्रदायिक एकता भी

हिन्दू-मुस्लिम तनाव, १६९

हिन्दू संस्कृति, -और ईसाई-धर्म, २४४

हिन्दू-समाज, ७, ८, ९४-५, ३१०, ३७०,  
४२५, ४४७, -राजमुन्दरीमें, ४११

हुसैन, हमजा, ४७३

हेवर, बिशप, ५१४

हेमीबहन, ४३६

हेल्स, एच० के०, ९७, १०२, १०५, १०७,  
११५, १६९

हैमिल्टन, सर डैनियल, ४६९

हैरिसन, अगाथा, ३५, ६६, १०४, ११५,  
१८७, २४०, २८६, ३५०, ३५२

होर, सर सैमुअल, १७८, २४१